

संग्रह जावता दीवानी


एकटनं० ५ सन १९०८ ई०

अर्थात्
भारतीय दीवानी अदालतों की कार्यप्रणाली, व्यवहार,
एवं उपयोगी मसविदों, कानूनों तथा
सूचनाओं सहित

प्रकाशक
पं० चन्द्रशेखर शुक्ल

मुद्रित
कानून प्रेस, कानपुर
सन १९२७ ई०

प्राक्कथन



हिन्दी प्रेमी पाठकों की सेवा में प्रियुक्त नये ढंग और नये सफलनसे यह जायता दीवानी हिन्दी में उपस्थित करता हूँ । जायता दीवानी अर्थात् (Civil Procedure Code) सिविल प्रोसीजर कोड में प्रायः प्रत्येक विषय भिन्न भिन्न स्थानों में एक रूपसे फैला हुआ है दफाओं का सम्बन्ध आरेखों से या आरेखों का सम्बन्ध दफाओं से बहुत कुछ अभिन्न है । वकील लोग क्रायदेसे पढ़ने और नित्यके प्रयोग करनेसे अभ्यसित होनेके कारण विषयको उससेसे दृष्ट निकालते हैं । हमारे हिन्दी प्रेमी भाइयोंके लिये यह कठिन ही नहीं बल्कि दुस्तर और अनाध्यकार्य है कि वे उस प्रकारसे कानूनका ज्ञान हर समय रख सकें । एक या दो बार जायता दीवानी पढ़ जायते न तो भली प्रकार विषयका ज्ञान होता है और न फले हुए विषयका स्मरणही रह सकता है । हमने बड़े ही परिश्रमसे इस कानूनको ऐसे नये ढंग और नये सफलनसे बताया कि प्रत्येक विषयका तत्सम्बन्धी ज्ञान पाठकों को एक ही जगह पर हो जाय । हथर उधर टूटता न पड़े और सक्षिप्तसे वे सब बातें जो उस विषयके लिये जानना आवश्यक हैं उसी जगह पर मालूम होजाया।

जायता दीवानीका अर्थ है दीवानी अदालतोंकी कार्यवाही अर्थात् दीवानी अदालतोंकी कार्यप्रणालीकी विधि । जैसे जायता कौजदारी, कौजदारी अदालतोंकी कार्य प्रणालीका विधान है उसी प्रकार दीवानी अदालतोंके लिये जायता दीवानी भी है । दीवानी अदालतोंमें काम करनेके लिये इस कानूनका जानना बहुत जरूरी है । आपको इस ग्रन्थके पढ़ते ही यह बात मालूम हो जायगी कि आपके लिये यह कानून हर समय पास रखना कितना जरूरी और लाभदायक है । दीवानी अदालतोंमें काम आने वाले दूसरे कानून और नमूने आदि हजारों बातोंका विस्तारपूर्वक उल्लेख किया गया है । हम अधिक इस विषयमें कहना नहीं चाहते क्योंकि आप इस कानूनकी प्रधानता जानते हैं । सूचीपत्रसे ही आप हमारे परिश्रमका अनुभव कर सकेंगे कानून पेशा भाइयोंके लिये इससे बड़ी सहायता मिलेगी हमें विश्वास है कि हमारे हिन्दी प्रेमी भाई इसके द्वारा लाभ उठाकर हमारे परिश्रमको सफल करेंगे ।

ता० १ मार्च सन १९२७ ई०

निवेदक

चन्द्रशेखर शुक्ल

संग्रह जाबता दीवानी

एक्ट नं० ५ सन् १९०८ ई०

विषयानुक्रमणिका

विषय

पेज

मवकिल और वकीलके कर्तव्य

उद्देश्य ऐसे जाबता दीवानीके चनानेका	१
नोट्युक मवकिलोंको जिस वास्ते बनाना चाहिये	३
—नोट्युक या चौपनियामे मामलेकी बातोंको कैसे लिखना	३
—कोरे कागजकी क्रिफायत करना मवकिलके लिये क्यों बुरा है	४
समयके अनुसार मामलेकी बातोंका विवरण	५
—मुकद्दमेकी बातोंका खाता तैयार करनेकी विधि	५
विषय और समयके अनुसार विवरण	६
वकील को समझाना और नकले	६
अदालत का खर्चा—खर्चा ठीक या ठीक समय में न देने के परिणाम	६
मुद्दरिरे का कर्तव्य	७
वकील की कार्य प्रणाली और कर्तव्य	७
—सुबूतके कागजातोंकी तकमील	८

प्लीडिङ्स अर्थात् मसविदा

मसविदा तैयार करना	९
—नये वकीलोंके लिये सूचनाए	९
—चीफ जस्टिस 'मिथर्स' की राय	१०
—मसविदा कैसा होना चाहिये	११
—प्लीडिङ्सका अर्थ	११
—सुद्धे और मुद्दाभलेहवे अधिकारोंको काममें लाना	१२
दस्तखत और तम्दीक	१३

विषय	पेज
—कौन शब्द दस्तखत कर सकता है और कैसे करना चाहिये	१३
—तस्दीकका नमूना	१४
—दस्तखत करनेसे अर्जीदावा नाजायज नहीं हो जाता	१४
—गलत तस्दीक करने पर क्या करना चाहिये	१४
प्लीडिंगस्का सशोधन और उसका नष्ट कर दिया जाना	१५
—अदालतके अधिकार	१५

वकालतनामा

वकीलकी नियुक्ति कैसीकी जायगी	१६
वकालतनामा कैसे मजूर किया जा सकता है	१७
तस्दीक का नमूना	१७
—वकालतनामों पर स्टाम्प	१८
—वकीलको चिट्ठी लिखकर अधिकारका पैदा होना	१८
—वकीलका नाम न होना या अधूरा नाम होना	१८
—वकालतनामा कैसे मसूख किया जायगा	१९
—वकीलको अपीलमें अधिकार न होनेका परिणाम	१९
वकालतनामाके सम्बन्धमें जिम्मेदारी	१९
वकालतनामा मजूर कर लेनेमें जिम्मेदारी	२०
मुकद्दमेमें वकीलके अधिकारोंकी हद्द	२१
—वकालतनामा दायित्व होने के बाद मजूरी	२१
—रुपया उठानेकी शर्त	२१

फरीकैन और दावाकी विनाय मुखासमत

फरीकैन और विनाय मुखासमत दावाका शामिल किया जाना	२१
कौन लोग मुद्दई बनाये जा सकते हैं	२२
—जब नालिश कितनी गलत मुद्दईके नामसे दापर हो जाय	२३
शामिल न किया जाना या बेजा शामिल किया जाना	२३
कौन लोग मुद्दाभलेह बनाये जा सकते हैं	२४
कौन कौनसी विनाय मुखासमत एक ही मुकद्दमेमें शामिल करदी जा सकती है	२४
विनाय मुखासमतके बेजा शामिल किये जानेकी हालतमें काररवाई	२५

अर्जीदावा

अर्जीदावाका मजमून और उसमें क्या होना चाहिये	२६
जब मुद्दई प्रतिनिधिकी हैसियतसे दावा करे	२७

विषय	पेज
अर्जीदावेमें क्या क्या चाते होनी चाहिये	२७
—दावाकी मियाद खतम होने पर दावा करनेमें क्या दिखाना चाहिये	२७
—धोखा देनेके सम्बन्धमें क्या लिखना चाहिये	२८
अर्जीदावाकी भाषाके सम्बन्धमें	२९
अर्जीदावा वगैरह किस कागजमें लिखना चाहिये	३०
—दस्तखत करना कैसे चाहिये लिफ्ट कुछ हरफ बनाना ठीक नहीं है	३०
—जेलखानेमें जो शख्स हो उसके दस्तखतका जायता	३१
तस्दीकका तरीका और उसका फार्म	३२
अर्जीदावा पर स्टाम लगाना	३२
उन दस्तावेजोंका पेश करना और शामिल मिलिख करना जिसके आधार पर मुद्देका दावा है	३४

भाग २.

—०० ०:००—

नालिशका दायर करना

अर्जीदावाका पेश करना	३७
अर्जीदावामें पेश करनेका अधिकार	४७
नालिश वही दायरकी जायगी जहाँ जायदाद मुतमाजा पाके हो	३८
—सकूनतका वणन और विनाय मुस्लासमतका अर्थ	३९
अधिकार क्षेत्रके सम्बन्धमें, अधिकार	४०
प्लीडिंगसका निकाल देना और उसका सशोधन	४०
सशोधन और सशोधनकी विस्में	४०
—सशोधनले मियाद पर असर न पड़ना	४१
हुक्म मिलनेके बाद सशोधन करनेका परिणाम	४१
अर्जीदावाका एवार्ज किया जाना	४२
अर्जीदावाकी वापिसी	४२

अर्जीदावा मंजूर कर लिये जानेके बादकी कार्रवाई समनकी तामीली

अर्जीदावाका रजिस्ट्री	४३
मुद्दाअदेदके नाम समन जारी करना	४४

विषय	पेज
तलबाना दाम्खिल करना	४५
सम्मनकी तामीली	४६
हुक्मनामाके फार्मको दाखिल करना	४६
—हुक्मनामोंकी भाषा क्या होनी चाहिये	४६
तामीलका तरीका सम्मन और हुक्मनामोंके सम्बन्धमें	४७
दूसरे जिलोंमें समनकी तामीली	५०
दूसरी हादतोंमें समन तामील करनेका तरीका	५१

समन तामील होजानेके वादकी कार्रवाई

जब मुद्दईके खर्चा न देने पर समनकी तामील न हो सकी हो	५३
—तलबाना आदि दाखिल करनेकी विधि	५४
जब सिर्फ मुद्दई ही गैर हाजिर हो	५
जब सिर्फ मुद्दाभलेह ही गैर हाजिर हो	५६
बढ़ाई हुई पेशीकी तारीखको फरीकतका हाजिर न होना	५८
जब मुद्दई या मुद्दाभलेह अस्वास्तन हाजिर होनेको हुक्म होने पर हाजिर न हो	६०
एकतर्फा डिकरीका मसूख किया जाना	६०
अपील एकतर्फा डिकरीके हुक्मके मसूख होनेकी	६१
कौनसी अदालत डिकरी मसूख कर सकती है	६२
एकतर्फा डिकरी मसूख करनेका परिणाम	६२
साधारण नालिशके जरिये डिकरीका मसूख करना	६२

समनकी तामील होजाने और हाजिर होजानेके वादकी कार्रवाई

बयान तहरीरी और मुजराई	६३
बयान तहरीरीका लिखना	६४
मुजराई का मागना बयान तहरीरी में	६५
अदालतका फरीकतके बयान लेना,	६६
समूर तनकीह तलबका फैसल करना और रतम करना पहली पेशी पर	६७
तनकीहोंका तैयार करना :	६७
पहले, कानूनकी तनकीहें तयकी जानी चाहिये	६९
तनकीहोंका सशोधन करने और खारिज कर देनेके सम्बन्धमें अदालतका अधिकार	६९

उमूर तनक्रीहतलव का फैसला होजानेके वादकी कार्रवाई

तमकीहोंके होजाने पर फरीकैनका कर्तव्य	६९
घद सवालोंके जरिये जांच करना	७०
सवालोंका मसविदा करनेके सम्बन्धमें नियम	७१
सवालातके जवाब	७१
कागजातकी खोज	७२
कागजका पेश किया जाना	७२

गवाहोंका तलब किया जाना, और उनकी हाजिरी तथा पेशीका बढ़ाया जाना

गवाहोंका तलब करना	८२
—समनमें क्या क्या लिखा जाना जरूरी है	८३
समनकी खिलाफ बर्जी	८४
—जान बूझ कर समनकी तामील न होने देना	८४
—पेशीकी तारीखोंका बढ़ाया जाना	८५
—तारीख बढ़ानेकी काफ़ी बजह क्या है	८५
मुकद्दमेंकी पेशी और गवाहोंके बयान लिये जाना	८६
मुकद्दमेंका शारह और शहादतका पेश किया जाना	८६
गवाहोंके बयान लिये जाना	८९
गवाहोंके पेश किए जाने और बयान लिये जानेका हुकूम	८९
अदालतसे बाहर चले जानेकी आज्ञा	९०
दुल्फ और इकवाल	९०
गवाहोंकी हाजिरीका रखना	९०
कागजी शहादत	९१
—फमीशनकी शहादतका माना जाना	९२

बहस और नजीरोंका पेश किया जाना

बहस करनेका तरीका और हिदायते	९२
नजीर या प्रमाणाका पेश किया जाना	९६
—नजीरका हुवाला देते समय उसकी बहसका पढना	९७
—कैसी नजीरें पेश न करना चाहिये	९७
—जो फैसला रिपोर्टमें छपा न हो उसकी नकल पेश करना	९७
—अच्छे और खराब बकीलका फरक देखो नोट	९८

फैसला - डिकरियां - खर्चा

फैसला लिखनेकी विधि	९८
डिकरी क्या है और उसके बनानेकी विधि	९९
रैहानकी डिकरी	१००
—हिस्सा कितना, घटवारा हकगिफ्त, हिस्सा रसदी आदिकी डिकरी	१०१
डिकरिया तैयार करनेके सम्बन्धमें हाईकोर्टके नियम	१०१
घा.स.लातकी डिकरीके बारेमें नियम	१०३
व्याज दिलवाने और उसके सम्बन्धमें नियम	१०४
खर्चा मुकद्दमा और व्याजके सम्बन्धमें नियम	१०४
मावजेके किसके खर्चे	१०४

डिकरियों और हुकोंकी इजरा

डिकरीके रूपयेकी अदायगी	१०६
—जब रूपया डिकरीका अदालतके बाहर, दिया गया हो या घर पर तो कार्रवाई	१०६
—अगर रूपया दे दिया गया हो और अदालतमें तस्दीक न कराया गया हो तो वह रूपया मुजरा नहीं मिलेगा	१०६
डिकरीका रूपया अदा होने पर भी डिकरी जारी कराना	१०७
मियाद दरखास्त देनेकी जब रूपया अदा कर दिया गया हो	१०८
रैहाननामकी डिकरी	११०
फई डिकरीदारोंमेंसे किसी एकको रूपयाका अदा किया जाना	११०
इजरा होने वाली डिकरियां	११०
इजराकी दरखास्त कहा देना चाहिये	११०

इजराकी दरखास्त

इजराकी दरखास्तका फार्म और उसमें क्या लिखना चाहिये	१११
—अदालत, जबानी हुक्म गिरफ्तारीका कब दे सकती है	१११
नक़द रूपयेकी डिकरीमें कुर्की	११२
गैर मतकूला जायदादकी कुर्की	११२
इजराकी दरखास्त पाने पर कार्रवाई	११३
कौन सी अदालत डिकरी इजरा कर सकती है और डिकरियोंकी सुतकिली	११५
फूच विहार और बरौदाकी दीवानों और मालकी अदालतोंकी डिकरियों की ब्रिटिश इण्डियामें इजरा	११६
ब्रिटिश भारत की अदालतों में प्राप्त की हुई डिकरियों की देशी रियासतों की अदालतों में इजरा	११६

विषय	पेज
अंगरेजी अदालतोंमें प्राप्तकी हुई डिकरीकी फ्रांसीसी राज्यमें इजरा	११६
अदालत इजराके अख्तियारत	११६
इजराकी दरखवास्त कौन दे सकता है	११७
—भार डिकरीका इन्तकाल फर दिया गया हो	११७
डिकरीके मुन्तक़िज़अलेहकी ओरसे दरखवास्त	११८
बेनामीदार किसे कहते हैं ?	११९
एक ही साथ इजराकी कई दरखवास्त	१२०
दूसरी अदालतके नाम हुक्म जारी करके इजरा	१२०
मुखालिफ डिकरियों और मुखालिफ दावोंकी इजरा	१२०
किसके विरुद्ध इजराकी दरखवास्त दी जा सकती है	१२०
—कानूनी प्रतिनिधि शब्दका अर्थ	१२१
इजराका हुक्म देनेके पहले, नोटिस	१२२
नोटिस जारी करनेके बादकी कार्रवाई	१२३
इजरा की मुत्तबी	१२३
इजराकी मियादकी मुद्दत	१२४
तदवीर मुआविन इजरा और इस शब्दका अर्थ	१२५
वे दरखवास्तें 'तदवीर मुआविन इजरा' नहीं हैं	१२७
मदिघन डिकरीके जिस्मके खिलाफ इजरा	१२८
—वारण्ट तैयार करनेसे पहले गिरफ्तारीका हुक्म	१२८
—औरतोंकी गिरफ्तारी कब न की जायगी	१२८
—'गिरफ्तार होकर आने पर अदालत दीवालियकी दरखवास्त देनेको	
कह सकती है	१२९
कैदमें बनाये रखनेकी मियाद	१२९
जायदादके खिलाफ इजरा	१२९
जायदाद काबिल कुर्की व नीलाम क्या है	१३०
जायदाद मनकूलाकी कुर्कीका तरीका	१३२
पेतीकी पैदावार—हिस्से—तनख्वाह—साझेती जायदाद—दस्तावज	भादि
की कुर्की	१३३
वासिलातकी डिकरीका नीलाम	१३४
२०) से कमकी चीजका नीलाम	१३४
जायदाद गैर मनकूलाकी कुर्कीका तरीका	१३४
पेती रियासतकी कुर्की जिसकी मालशुजारी माफ है	१३५
कुर्कीका बाद होजाना	१३६
कुर्कीके बाद मुन्तक़िली	१३६
फरीकनकी ओरसे कुर्कीकी निस्पत उम्ददारी	१३७

विषय

पेज

जायदाद मकूरूकाकी निश्चय दावा	१३७
नीलाम आमका तरीका	१३९
—नीलाममें कौन लोग खरीद सकते हैं और कौन नहीं	१४१
कलकत्ता हाईकोर्टके बनाये हुए रूल नीलामके सम्बन्धमें	१४१
इलाहाबाद हाईकोर्टके बनाये हुए रूल नीलामके सम्बन्धमें	१४४
जायदाद मनकूलाके नीलामका मसूख किया जाना	१४७
जायदाद गैरमनकूलाके नीलामका मसूरा किया जाना	१४७
रूल ८९ के अनुसार नीलामका मसूख किया जाना	१४८
रूल ९० के अनुसार नीलामका मसूख किया जाना	१५०
नीलाम मसूखीकी दरखवास्त कौन शरूत दे सकता है	१५१
आर्डर २१ रूल ९० का विस्तार	१५२
भारी धे कायदगी और भारी क्षति क्या है ?	१५३
किसी हुकका छोड़ देना	१५४
नीलाम मसूख करावानेकी मियाद	१५५
नीलाम मसूखीके हुकमकी अपील	१५६
नीलाम मसूखीकी दरखवास्त देनेके बाद समझौता-राजीनामा-नोटिस	१५६
नीलामके रुपयेकी वापिसी सारटीफिकेट	१५७
नीलामके सारटीफिकेटमें लिखी जानेवाली बातें	१५७
नीलाममें बखल हुई रकम हिस्सा रसदी बटवारा	१५८
—एक ही जायदाद जब कई अदालतोंमें कुक हो तो अधिकार	१५९
—हिस्से रसदी बटवारेकी अपील	१५९
खरीदारको कईजा देनेका तरीका	१६०
खरीदार द्वारा बेदखल किया जाना और असली मालिकको कब्जा वापिस मिलना	१६१
नालिश वापिसी जायदाद	१६३
वापिसी जायदादकी दरखवास्त कौन शरूत देसकता है	१६४
वापिसी जायदादकी दरखवास्त किसके विरुद्ध दी जासकती है	१६५
प्रयोग और विस्तार वापिसी जायदादके सम्बन्धमें	१६५
वापिसी जायदादकी किरम और मियाद	१६७
वापिसी जायदादकी नालिशमें कोर्टफेस	१६७

खास खास हालतोंकी नालिशें

सरकार या सरकारी कर्मचारियोंकी ओरसे तथा उनके विरुद्धकी जानेवाली नालिशें, जब कि वे सरकारी कर्मचारियोंकी हैसियतमें हो	१६८
—नोटिस देनेकी आवश्यकता	१६८
—पेसी नालिशोंमें सरकारी बकीलका मेमोरैण्डम्	१६९

विषय	पेज
भदालतके अधिकार क्षेत्रके बाहर की जानेवाली कुर्फी या निरपतारी हुकम और नोटिस लिखित होंगे	२१४
सम्मत, जारी करनेवालेके सूचसे वे तामील किये जायगे	२१५
तामोलका सूच-पोस्टेज-समय बढ़ाया जाना-कमी कोर्ट फीस-सशोधन	२१५
सशोधन में भदालतोंके अधिकार	२१६

भाग २

(ज़मीना और रूल्स)



षष्ई हाईकोर्टसके रूलस	२१७
—आर्ट ३ में मुखतारनामेके द्वारा काम करनेकी इजाजत	२१७
—आर्ट ५ में डाकके द्वारा भ्रमन भेजेजानेका नियम	२१७
—आर्ट १६ में सरकारी कर्मचारियोंकी गद्दाहतमें सूच न देनेकी व्यवस्था	२१८
—आर्ट २१ में खेतीकी पदाधारकी कुर्फीके लिये कलकूर को इत्तला देना	२१८
—बोली बोलनेकी इजाजतमें रकमका कायम करना	२१९
—अपीलेट साइड में रजिस्ट्रारके अधिकार कोर्ट फीसके बारेमें	२१९
इलाहाबाद हाईकोर्टसके रूलस	२१९
—रेलवे या दूसरे सरकारी नौकरोंके नाम समन जारी करनेका तरीका	२१९
—फानुनगो या पटवारीके नाम समन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटके द्वारा जाना	२२०
—भर्जादाता या इन्विदाई अर्जोंके साथ रूजकारका जायता	२२०
—वकील पर कथ सम्मन या हुकमनाम तामील किये जायगे	२२१
—पता बदलनेका जायता	२२१
—जवाब दहीम अपना पता लिखना रूल ११ देखो	२२१
—रूल १२ दस्तावेजोंका अनुवाद भदालती भाषामें	२२२
—रूल १३ भदालतमें साधित हो जानेपर कामजों पर निशानी डालना	२२२
—रूल २२ (१) सफर सूच और दूसरे सूच किस निरुसे दिलाये जायगे	२२३
—(क) काश्तकार या मजदूरी वेगकी (२) रोज	२२३
—(र) उच्च दर्जके गवाहको (१) रोजमें (२) रोज तक	२२३
—(ग) बहुत उच्च दर्जके गवाहको या जो २०० माखिसे ज्यादा वेतन पाते हैं तो (३) से (५) रु० रोज तक	२२३
—(२) अगर गवाह ज्यादा रुपया चाहता है तो जो भदालत हुकम दे	२२३
—डाकरानेके किसी व्यक्तिका सूच भोहदे और दूसरे सूचके रुपालसे	२२३

मुकामी तहकीकातके लिये कमीशन	१८९
हिसाब किताबकी जांच करनेके लिये जारी क्रिया गया कमीशन	१९०
चटवारा करानेके लिये कमीशन	१९१
हलफनामे के द्वारा किसी यातके सुवूत मांगनेका अधिकार अदालतको	१९१
फरीकैनकी मृत्यु उनका ब्याह और दिवालिया हो जाना	१९२
मुकद्दमोंका वापिस लिया जाना	१९३
राजीनामा मुकद्दमेके दौरानमें	१९६
—यकीलका अधिकार राजीनामेमें	१९६
अदालतमें रुपयेकी अदायगी	१९७
खर्चके लिये जमानत मुद्दईसे	१९७

रेफरेन्स-नज़रसानी और निगरानी

अदालत अपनी तरफसे या फरीकैनकी दरखवास्त पर हाईकोर्टको रेफरेन्स भेज सकती है	१९८
नज़रसानी कौन कर सकता है	१९९
—नज़रसानीकी तीन अवस्थाय	२००
निगरानीमें हाईकोर्टके अधिकार	२०१

अपीलें और मुकद्दमेंकी वापिसी

प्रारम्भिक डिक्शियोंकी अपीलें	२०१
—कई मुद्दई या मुद्दाभलेदोमेंसे एक ही कुल डिक्शरी या हुक्मको मसख़रा करा सकता है	२०२
दूसरी अपील, पहली डिक्शरीके विरुद्ध होगी	२०३
कौनसे हुक्मोंकी अपीलें हो सकती हैं	२०४

न्यूनता पूरक कार्रवाई

फैसलेसे पहले, गिरफ्तारी, डुर्को, हुक्म इन्तनाई और रिस्वीवर	२०६
फैसलेके क्वल डुर्को	२०७
हुक्म इन्तनाईका जारी करना, तामील आदि	२०८
सुआहिदेका तोड देना	२०८
रिस्वीवरकी नियुक्ति, अधिकार, प्रकार, एव कार्रवाई	२११
रिस्वीवर पर दावा, इजाजत लेना आदि	२१२

हुक्म दरमियानी और विविध विषय

दरमियानी नीलाम	२१३
फौरन कब्जे का पा जाना	२१३
असालतन हाजिरीसे माफी	२१३

घिषय

भदालतके अधिकार क्षेत्रके बाहर की जानेवाली छुफों या मिरपतारी	पेज २१४
हुकम और नोटिस लिखित होंगे	२१५
सम्मन, जारी करनेवालेके सूचंसे वे तामील किये जायने	२१५
तामीलका सूचं-पोस्टेज-समय बढ़ाया जाना-कमी कोर्ट फीस-सशोधन	२१५
सशोधन में भदालतके अधिकार	२१६

भाग २

(ज़मीना और रूलस)



सम्बद्ध हाईकोर्टसके रूलस	२१७
—भाईर ३ में मुखतारनामेके द्वारा काम करेकी इजाजत	२१७
—भाईर ५ में डाफके द्वारा समन भेजेजानेका नियम	२१७
—भाईर १६ में सरकारी कर्मचारियोंकी गद्दाइतमें सूचं न देनेकी व्यवस्था	२१८
—भाईर २१ में खेतीकी पदावारकी छुफोंके लिये कलचूर को इत्तला देना	२१८
—बोली बोलनेकी इजाजतमें रकमका कायम करना	२१९
—अपीलेट साइड में रजिस्ट्रारके अधिकार कोर्ट फीसके बारेमें	२१९
इलाहाबाद हाईकोर्टसके रूलस	२१९
—रेलवे या दूसरे सरकारी नौकरोंके नाम समन जारी करनेका तरीका	२१९
—फानूनगो या पटवारीके नाम समन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटके द्वारा जाना	२२०
—भजादाया या इत्तिदाई अर्जोंके साथ रूफकारका जायता	२२०
—वकील पर बंध सम्मन या हुजूमनामें तामील किये जायने	२२१
—पता बदलनेका जायता	२२१
—जवाब दहीमें अपना पता लिखना रूल ११ देखो	२२१
—रूल १२ दस्तावेजोंका अनुवाद भदालती भाषामें	२२२
—रूल १३ भदालतमें साबित हो जानेपर कागजों पर निशानी डालना	२२२
—रूल २२ (१) सफर सूचं और दूसरे सूचं किस निरुंसे दिलाये जायने	२२३
—(क) काश्तकार या मजदूरी पेतोंकी १) रोज	२२३
—(ख) उच्चे दर्जेके गवाहको २) रोजमें २) रोज तक	२२३
—(ग) बहुत उच्चे दर्जेके गवाहकी या जो २००) मासिकसे ज्यादा	
वेतन पाते हैं तो ३) से ५) २० रोज तक	२२३
—(२) अगर गवाह ज्यादा रुपया चाहता है तो भी भदालत हुकम दे	२२३
—डाफरानेके किसी व्यक्तिका सूचं ओहदे और दूसरे सूचंके फयालसे	२२३

विषय	पृष्ठ
-गवाहके रोके जानेपर जो खर्च पड़े वह अदालतके हुजूमसे दिया जायगा	२२३
-कानिस्टविलोंके अलावा जिनका वेतन १०) से ज्यादा है और ५ मीलकी दूरीसे अधिक है उन्हें सर्टिफिकेट दिया जायगा	२२३
-दफ्तानामोंके दारिज करनेका तरीका	२२४
-दिकरी और हुक्मका तरीका तैयार करनेका और जायता रुल२१ देखो	२२६
-आर्डर २१ रुल २५ में हुक्मकी तामील न कर सकनेकी असमर्थता	२२७
-रूल ५५ नीलामके अफसरके पास रखदी पानेवाली सब दरखवास्त भेजे जानेके लिये जायता	२२८
-जायदाद गैरमनरूलाके नीलाममें अदालतकी फार्वाइ व दफतरका जायता-मौदूसी जायदाद आदिका वर्णन	२२९
-जायदादके नीलामके सम्बन्धमें कलकुरके कर्तव्य, दफतरकी फार्वाइ	२३०
-रूल ११५ बटुक या हथियारोंका नीलाम और जायता	२३०
-रूल ११६ जानवरोंकी कुर्कीमें १५ दिन की सुराकका रुपया जमा करना	२३१
-रूल ११७ जानवरोंका उसी जगह छोड़ देनेका जायता जहा वे कुर्क किये गये हैं	२३१
-रूल ११८ काजीहातसमें जानवरोंका भेजना	२२१
-काजीहातसके सम्बन्धमें जायता जब कि जानवर वहा भेजे जाय	२३२
-रूल १२५ जब जानवर किसीके सिपुर्द किये गये हों तो उसे दो आनेसे तीन आना प्रति दिन दिलाया जासकता है	२३२
-रूल १२६ सहनाको कैसे रुपया अदा किया जायगा	२३३
-रूल १२७ अगर रुपया खेचसे बचे तो वापिस कर दिया जायगा	२३३
-रूल १३० कुर्क की हुई जायदाद नीलामके स्थान तक पहुचानेका खर्च दिकरीदार, भमीनको देगा	२३३
-रूल ९ सरकारी वकीलको सिर्फ चिट्ठी लगा देना होगी जब वह किसी सरकारी अफसरकी तरफसे जमाबददी कर रहा हो	२३४
-रूल ३ याददाश्त अपीलका स्वारिज कर दिया जाना	२३४
-आर्डर ४१ के अनुसार अपीलमें कौन कौन बात होना चाहिये	२३५
-अपीलकी दिकरियोंकी अपीलें और उनका जायता तथा फार्वाइ	२३५
-रूल ३ एकतर्फा दिकरीके तैयार करनेका जायता	२३५
पटना हाईकोर्टसके रुलस	२३६-२३७

संग्रह जाबता दीवानी

एक्टनं० ५ सन १९०८ ई०

पारिशिष्ट २

पंचायत

दफावार सूची

दफा	विषय	पेज
१	फरीकेन मुकद्दमा पंचायत में मामला भेज देनेके लिये अदालतमें दरखास्तदे कर हुकम लेसकते है	२४१
२	पच अर्थात् सालिसमी नियुक्ति	२४१
३	मामला पंचायतमें पेश करने के लिये हुकम	२४१
४	जम्दो अथवा अधिक पचीके सामने मामला पेश किया गयाहो तो उनके मतोंमें होने वाले भेदके सम्बन्धमें व्यवस्था करनेके बारे में हुकम	२४२
५	कुछ मामलोंमें पच नियुक्त करनेके सम्बन्धमें अदालतका अधिकार	२४२
६	पैरा ४ अथवा ५ केअनुसार नियुक्त किये गये पच अथवा सरपच के अधिकार	२४३
७	गवाहोंके नाम सम्मन जारी करना और उनकी पाषण्दी फान किया जाना	२४३
८	पंचायतका फैसला देनेके लिये समय का बैठाया जाना	२४३
९	पंचायतके वजाय सरपच मामला कबतय करसकता है	२४४
१०	फैसलेपर हस्ताक्षर किये जाने और उसका भमलमें दाखिल किया जाना	२४४
११	पची अथवा सरपच द्वारा किसी मामलेको वतौर दाख मामलेके पेश किया जाना	२४४
१२	फैसलेमें फाट छाट करने अथवा उसके दुस्त करने का अधिकार	२४४
१३	पंचायतके खर्चके सम्बन्ध में हुकम	२४५
१४	फैसला अथवा पंचायतमें पेश किया हुआ मामला कब वापिस दिया जासकता है	२४५
१५	पंचायती फैसला रद्द करनेके कारण	२४५

विषय	पेज
१६ अदाअतका फैसला पचायती फैसलेके आधार पर होगा	२४६
१७ पचायतमें मामला पेश किये जाने के सम्बन्धमें किये गये इकरार- नामों को अदाअतमें पेश करनेके लिये दरखास्त	२४६
१८ मुकद्दमेका मुस्तवी किया जाना जबकि मामलेको पचायतमें पेश करनेके लिये इकरारनामा लिखाया गयाहो	२४७
१९ पैरा १७ के अनुसारकी जाने वाली कारवाईके सम्बन्धमें लागू होने वाले नियम	२४८
२० इस मामलेमें जो किसी अदाअतके बिना हुस्तअव किये हुए पचा- यतमें पेश किया गया हो किये गये पचायती फैसलेका अदाअत दाखिल किया जाना	२४८
२१ ऐसे फैसलेका दाखिल किया जाना और उसका अमलमें लाया जाना	२४८
२२ स्पेसिफिक रिजॉल्यूशंस सन् १८७७ ई० मेंसे कुछ शर्तों का निकाल दिया जाना	२४९
२३ फार्म	२४९

जमीमा नं० १

—पचायतमें मामला पेश किये जाने का इफ्तम दाखिल करनेके लिये दरखास्त	२५०
---	-----

जमीमा नं० २

—पचायतमें मामला पेश किये जाने की यावत हुकम	२५१
--	-----

जमीमा नं० ३

—नये पचकी नियुक्तिके सम्बन्धमें हुकम	२५२
--------------------------------------	-----

जमीमा नं० ४

—आस मामला	२५३
-----------	-----

जमीमा नं० ५

—पचायतका फैसला	२५४
----------------	-----

व्याख्या और नज़ीरें

विषय	पेज
जब मुकद्दमा चर्चरहा हो तो उस समय पक्षकारों को पचायत की दरखास्त करनेका अधिकार	२५५
तीन प्रकारकी पचायतें	२५५
—१ चलते हुये मुकद्दमे	२५५
—२ मुकद्दमा न चलताहो और किसी मामले को पचायत द्वारा तय करनेके लिये इफरारनामा लिया गया हो और उसे अदालतमें पेश करके पचायत बंदी गईहो	२५५
—३ जब आपसी तौर पर इफरारनामोंके द्वारा पचायत की गई हो और उस पचायत की भंगल दरामद अदालतसे चाही गई हो	२५५
ऊपरकी तीनों पचायतों का फरक	२५६
चलते हुये मुकद्दमे में सब फरीकों का राजी होना	२५६
—अगर कोई मुद्दाभलेह्दा ज़ाजिर न हो तो यह न माना जायगा कि वह पचायत से राजी था	२५६
—बिना पास अधिकारके घकील पचायत मजूर नहीं कर सकता	२५६
—अपीलम भी पचायत होसकती है	२५६
—अगर फरीकोंने ज़रतनी रज़ामदी दीहो और अदालतने उस पर मामला पचायत सुपुर्द किया होतो हुक्म जायज है	२५७
—पचायत का हुक्म देने के बाद अदालत फिरसे मुकद्दमा चर्चाने का हुक्म नहीं देसकती	२५७
—चलते हुए मुकद्दमेमें पचायती कार्यवाही का जायता	२५७
—अगर नियत समयके भीतर पच फैसला न देसके तो अदालतके अधिकार	२५७
—पचाके नियत करनेका अधिकार अदालतको कब प्राप्त होता है	२५७
—पचा को अदालतमें फैसला दारिख करना	२५७
—पचायती फैसले को अदालत कब तरमीम और सही कर सकती	२५७
(क) जो मामला पेश न किया जासकता हो	२५७
(ख) जायते की या कमीभारी भूठ	२५७
(ग) लिखने की ग़लती	२५८
पचायती फैसला रद्द होने पर अदालतका विचार करना	२५८
मियादके बाद पचायती फैसला दिया नाजायज मानागया	२५८
मियादके बाद फैसला दिया गया ऐसा एतराज फरीकोंने नहीं कर सकते	२५८
—मतभेद के सम्बन्धमें विचार	२५९

विषय

पेज

—जब बहुमतके बारेमें कोई हुकम न हो तो बहुमत का फैसला नाजायज होगा	२५९
—अदालत की तरफसे नियुक्त	२५९
—पचापतका रद्द किया जाना	२५९
—पंचोंका दस्तखत करना दाखिल करना और नोटिश	२६०
—पचायती फैसलेमें काट छाट करना	२६०
—पंचोंको कैसे मामला तय करना चाहिये	२६१
फैसलेका रद्द किया जाना और वे बातें जिनसे रद्द होगा	२६१
रद्द करनेकी मियाद	२६२
बिना मुकद्दमा चले मामला पचापत में देनेका इकरार	२६२
—भाषणमें इकरारनामके द्वारा पचायत नियत करना	२६२
—सब झगड़ोंका फैसला पचायत सेहोगा	२६२
—ऐसे इकरार नामे में कौन बात होना चाहिये	२६२
बिना अदालतमें हस्तक्षेप किये मामले का पचायतमें जाना	२६२
—खानगी फैसलेके अनुसार डिबरी का बनाया जाना	२६३
—पंचायत करना मजूर करनेपर पीछे इनकार करना	२६३
—ऐसी दरखास्तपर स्टाम्प	२६३
—निजी तौरसे पचायती फैसले को अमलमें लाने के लिये नालिश दायर होगी	२६३

सवालात और जिरह

गवाहकी प्रारम्भिक कार्यवाही	२६५
जिरहकी प्रवीणता कैसे प्राप्त होती है	२६६
बयान लेनेका क्रम	२६६
गवाहोंको अदालतके बाहर चले जानेका हुकम	२६६
बयान खास—जिसने उसे तलब किया हो	२६६
—बयान खासकी महत्त्वता	२६७
—गवाहोंको पहले जाच कर लेना	२६७
—बयानोंको क्रमबद्ध करना और तैय्यार करना	२६७
—पथ प्रदर्शक प्रश्नोंका न पूछा जाना	२६८
—दस्तावेज़के मजमूनमें गवाहको उसे सामने रखना चाहिये	२६८
—विद्यार्थीपात्र होनेकी शहादत	२६८

विषय

पेज

—अपने गवाह पर कब अभियोग चला सकेगा	२६९
बयान लेनेके सम्बन्धमें कोल ब्राउनके घटाये हुए नियम	२६९
१ दबंग गवाहके साथ व्यवहार	२६९
२ भयभीत, सन्देहित, और विभ्रूल्लित गवाहके साथ व्यवहार	२६९
३ अपने गवाहोंकी साक्षी अनुकूल होने पर कर्तव्य	२६९
४ अपने गवाहके विरुद्ध हो जाने पर व्यवहार	२६९
५ ऐसे गवाहका तलब न करना जिसे विरुद्ध पक्ष तलब करनेको मजबूरहो	२७०
६ बिना किसी उद्देश्यसे प्रश्न न पूछना	२७०
७ ऐसा प्रश्न न पूछा जाय जिसके बेकामदा होनेका प्रश्न घटने पर समर्थन न हो सके	२७०
८ विरोधी प्रश्न पर कब तक उत्तर करना चाहिये	२७०
९ अपने गवाहसे साफ भाषामें प्रश्न पूछना चाहिये	२७०
१० भावाजको घटाते बढ़ाते रहना	२७१
११ खास जवाब लेनेके मतलबसे प्रश्न करना	२७१
फाक्स साहबका मत	२७१
—बयान लेनेके समय वकीलका ढग	२७१
—शहादतसे साबित हुई बातको कभी न पूछना	२७३
—बयानमें पूछी जाने वाली बातें	२७३
—प्रासंगिक बातें	२७३
—जो बातें बयानकी जाय गवाह जानता हो सुना न हो	२७३
—राय, विश्वास, नतीजा न पूछा जाना चाहिये	२७३
—विज्ञानकी बातें बयान की जा सकती हैं	२७३-२७४
—कैसे प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं	२७४
—जवाबकी ओर संकेत करने वाले प्रश्न	२७४
स्वयं अपने गवाह पर दोषारोपण करना	२७४

जिरह

—जिरह किसे कहते हैं ?	२७४
—जिरहका प्रारम्भ	२७५
—जिरहके लिये मान्य स्वाभाविकविज्ञान होना जरूरी है	२७६
—जिरहका ढग	२७७
—छाटना, घुटकना, भटकना, मुंह बनाना	२७८
—वकीलको अपने भाव सम्हाल रखना चाहिये	२७८
—भावाज, मुँह बनानेसे प्रभाव पड़ना	२७८
—मि० रैसलका दर्ज	२७९

विषय

	पेज
—मि० वेल्लमैनकी राय जिरह करनेमें	३७९
—सर चार्ल्स रसेलका अनुभव और सिद्धांत	२७९
श्रीयुत प० पृथ्वीनाथ वधीलकी जिरह	२८०
—जिरहका ढग	२८१
मि० पालब्राउनके नियम जिरहके सम्बन्धमें	२८२
—अपनी भावे गवाहकी आंखोंके सामने रखो	२८२
—गवाहकी आवाजका ध्यान रखो	२८२
—कोमल स्वभाव वालोंके साथ नम्रता रखो	२८२
—जब तक अपनी हानि न हो कम प्रश्न करो	२८३
—गोल माऊ प्रश्न और उत्तरको बचाये रखो	२८३
—अपने भापको खूब सम्हाले रहो	२८३
—प्रत्येक प्रश्न और उत्तरमें गभीर विचार रखना चाहिये	२८३
—अपने विपक्षीको कभी कम मत समझो	२८३
—अदालत और जूरीका सन्मान करते रहो	२८३
जिरह करनेका अधिकार और उसका उत्तरदायित्व	२८४
जिरहमें कौनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं ?	२८४
जिरह सिर्फ उन्ही बातों पर नहीं होगी जो गवाहने पहले बतवाई हों	२८५
जिरहमें किन प्रश्नोंके पूछे जानेकी सुमानियत है	२८६
कुछ बातोंके ऊपर जिरह न करना	२८७
घेपरवाहीकी जिरहका भयंकर परिणाम	२८८
आवश्यकतासे अधिक जिरह मत करो	२८९
ऐसे अभियुक्तों और गवाहों पर जिरह जिनपर मामला एकमें चलता हो	२९०
अभिलिपित उत्तर सकेत करने वाले प्रश्न	२९१
संकेतार्थक प्रश्न कब पूछे जाना चाहिये और कब नहीं	२९२
अदालतकी इजाजत देना सकेतार्थक प्रश्नोंके लिये	२९३
—प्रारम्भिक अथवा ऐसा मामला जिसमें कुछ झगड़ा नहीं है	२९४
—खडन करना	२९४
—स्मरणशक्तिको सहायता देना	२९५
—बह सवाल जो खिलाफ होगया हो	२९५
—पेचीदा मामला	२९५
जिरहमें सकेत करनेवाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं	२९६
—पहलेके बयानोंके सम्बन्धमें जिरह	२९७
—समयन करनेके लिये पहले दिया गया बयान	२९८
जिरहमें प्रश्नोंसे गवाहको अविश्वासी सिद्ध करना	२९८
शघिवास पात्रता सम्बन्धी जिरहका दुरुपयोग	३००

दफा	विषय	पेज
—मि० टेलरकी राय		३०१
फरीकैनके आचरण सम्बन्धी शहादत		३०२
स्वयं अपने गवाह पर ही जिरह करना		३०३
क्या कोई फरीक अपने ऊपर जिरह कर सकता है जब कि विपक्षीने उसे अपनी शहादतमें तलब किया हो		३०४
अदालतके प्रश्नोंके उत्तरमें कही गई बातोंके ऊपर जिरह		३०५
लम्बी जिरहमें हस्तक्षेप करनेके सम्बन्धमें अदालतका अधिकार		३०५
घयान मुकर्रर (फिर घयान) का लिया जाना		३०६
अंतिम वक्तव्य		३०७

इण्डियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट

नं० १६ सन १९०८ ई०

दफावार सूची

प्रथम प्रकरण

१	सक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ	३१३
२	परिभाषा	३१३

दूसरा प्रकरण

(शिरस्ता रजिस्ट्री)

३	रजिस्ट्रीके इन्सपेक्टर जनरल	३१५
४	सिंध ब्रांचका इन्सपेक्टर जनरल	३१५
५	जिला और परगना	३१५
६	रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार	३१५
७	रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रारके दफ्तर	३१६
८	रजिस्ट्रीके दफ्तरोंके इन्सपेक्टर	३१६
९	फौजी छावनिया जिले या परगने घोषित किये जा सकते हैं	३१६
१०	रजिस्ट्रारकी अनुपस्थिति या उसके भागिनका खाली होना	३१६
११	रजिस्ट्रारकी अनुपस्थिति जब वह अपने जिरेमें गया हो	३१७
१२	सब रजिस्ट्रारकी अनुपस्थिति या दफ्तरका खाली होना	३१७

क्र.	विषय	पेज
१	अफसरकी कुछ नियुक्तियों, मुअत्तिली, अलहदगी चर्पास्तगीकी रिपोर्ट	३१७
२	रजिस्ट्री करने वाले अफसरका वेतन और सस्थापन	३१८
३	रजिस्ट्री करने वाले अफसरकी मोहर	३१८
४	रजिस्टर और न जलाने योग्य सन्दूक	३१८

तीसरा प्रकरण

(रजिस्ट्रीके योग्य दस्तावेजोंके विषयमें)

१	वे दस्तावेज जिनकी रजिस्ट्री अनिवार्य है	३१९
२	दस्तावेज जिनकी रजिस्ट्री वैकल्पिक है	३२१
३	दस्तानेज जिनकी भाषा रजिस्ट्री कराने वाले अफसरकी समझमें न आवे	३२१
४	वे दस्तावेज जिनमें सतरोंके ऊपर लिखा हो, जगह छूटी हो, फाट पीट या रद्द बदलकी गई हो,	३२१
५	जायदाद नकशों और खाकोंका वर्णन	३२२
६	सरकारी नकशों या पैमाइशका हवाला देकर मकानों और जमीनका वर्णन करना	३२२

चौथा प्रकरण

(रजिस्ट्रीके वास्ते दस्तावेजोंके पेश किये जानेके समयके विषयमें)

१	दस्तावेजोंके पेश किये जानेका समय	३२४
२	(ए) कुछ दस्तावेजोंका दुबारा रजिस्ट्री किया जाना	३२४
३	वे दस्तावेज जो बहुत आदमियों द्वारा भिन्न समयों पर लिये गये हैं	३२५
४	उस समयके लिये व्यवस्था, जब कि दस्तावेजके पेश करनेमें चिन्म्व होना अनिवार्य है	३२५
५	वे दस्तावेज जो बृटिश भारतके बाहर लिखे गये हों	३२५
६	वस्तीपतनामे, किसी समय भी लिये और जमा किये जा सकते हैं	३२६

पाचवां प्रकरण

(रजिस्ट्री किये जानेके स्थानके विषयमें)

१	जमीनसे सम्बन्ध रखने वाले दस्तावेजोंकी रजिस्ट्रीका स्थान	३२७
२	दूसरे दस्तावेजोंकी रजिस्ट्रीका स्थान	३२७
३	कुछ दशाओंमें रजिस्ट्रारों द्वारा रजिस्ट्री किया जाना	३२७
४	रजिस्ट्री करना या जमानतमें रखनेके लिये दस्तावेजोंका लेलिया जाना	३२८

छठवां प्रकरण

(रजिस्ट्रीके लिये दस्तावेजोंके पेश किये जानेके विषयमें)

१	वे शख्स जो रजिस्ट्री किये जाने के लिये दस्तावेज पेश कर सकते हैं	३२९
२	वे मुख्तारनामा जो दफा ३२ के प्रयोजनके लिये मान्य हैं	३२९

दफा	विषय	पेज
३४	रजिस्ट्री किये जानेसे पहले रजिस्ट्री करने वाले अफसर द्वारा जाच	३३०
३५	दस्तावेजकी तकमील करनेको इतकार या स्वीकार करनेकी दशामें फाररवाई	३३१

सातवां प्रकरण

(दस्तावेज लिखनेवालों तथा गवाहोंकी हाजिरीके विषयमें)

३६	उस दशामें फाररवाई जब कि दस्तावेज लिखने वाले गवाहकी हाजिरीकी आवश्यकता हो	३३३
३७	हाकिम या अदालतका सम्मन जारी करना तथा उनकी तामील करवाना	३३३
३८	वे लोग जो रजिस्ट्रीके दफतरमें हाजिरीसे घरी हें	३३३
३९	समनों कमीशना तथा गवाहों सम्बन्धी कानून	३३४

आठवा प्रकरण

(वसीयतनामों और गोद लेनेके इजाजतनामाके पेश किये जानेके सम्बन्धमें)

४०	वे लोग जिनकी वसीयतनामों और गोद लेनेके इजाजतनामोंके पेश करनेका अधिकार है	३३५
४१	वसीयतनामों और गोद लेनेके इजाजतनामोंकी रजिस्ट्री	३३५

नवां प्रकरण

(वसीयतनामोंके अमानतमें जमा करनेके विषयमें)

४२	वसीयतनामोंका अमानतमें जमा किया जाना	३३६
४३	वसीयतनामोंके जमा करने पर कारवाई	३३६
४३	मोहर लगे हुए उस लिफाफेका वापिस लेना जो कि दफा ४२ के अनुसार जमा किया गया है	३३६
४५	दाखिल करनेवालेके मर जाने पर फाररवाई	३३६
४६	कुछ नियमों तथा अदालतके अधिकारोंका बचाव	३३७

दसवां प्रकरण

४७	रजिस्ट्री किये हुए दस्तावेजोंके अमल करनेका समय	३३८
४८	जापदादसे सम्बन्ध रखने वाले रजिस्ट्री किये हुए दस्तावेज जवानी इकारनामोंके सुकाबिलेमें कब अमलमें लाये जायने	३३८
४९	जिन दस्तावेजोंकी रजिस्ट्री आवश्यक है उनकी रजिस्ट्री करानेका परिणाम	३३८
५०	भाराजी सम्बन्धी कुछ दस्तावेज बिना रजिस्ट्री किये हुए दस्तावेजोंके सुकाबिलेमें व्यापक होने	३३८

वृत्ता	विषय	पेज
ग्यारहवां प्रकरण		
(रजिस्ट्री करने वाले अफसरके कर्तव्यों तथा अधिकारोंके विषयमें)		
५१	वे रजिस्टर जो सभी दफ्तरोमें रखे जाने चाहिये	३४०
५२	दस्तावेज पेश किये जाने पर रजिस्ट्री करनेवाले अफसरका कर्तव्य	३४०
५३	इन इन्दराजातका सिलसिलेवार नम्बर छोड़ना	३४१
५४	वर्तमान फेहरिस्त और इन्दराज	३४१
५५	रजिस्ट्री करने वाले अफसरों द्वारा तैयार की जाने वाली फेहरिस्तें और उनमें लिखी जाने वाली बातें	३४१
५६	फेहरिस्त न० १—२—२ में दर्ज की गई बातोंकी नकलका सब रजिस्ट्रारके पास भेजा जाना और उसका दाखिल दफ्तर करना	३४२
५७	रजिस्ट्री करने वाले अफसरों को कुछ कितायों और फेहरिस्तोंके मुलाहिजा करने की आज्ञा और इन्दराजात की तस्दीक की हुई नकलें देनेका अधिकार	३४२
५८	रजिस्ट्री के लिये मजूर कर लिये गये दस्तावेजोंकी पुस्त पर लिखी जाने वाली बातें	३४३
५९	तस्दीकके ऊपर रजिस्ट्री करने वाला अफसर अपने दस्तखत करे और तारीख डाले	३४४
६०	रजिस्ट्री किये जाने का सर्टीफिकेट	३४४
६१	तस्दीक और सर्टीफिकेटकी नकल करके दस्तावेज वापिस दिया जाना	३४४
६२	ऐसे दस्तावेज पेश किये जाने पर कार्रवाही जो ऐसी भाषामें हो जिसे रजिस्ट्री करनेवाला अफसर नहीं जानता	३४५
६३	हलफ लेने और वपानका सारांश लिखने का अधिकार	३४५
६४	उस दशामें कार्रवाही जबकि दस्तावेज उस भाराजीसे सम्बन्ध रखता होजो कई परगनेमें है	३४५
६५	उस दशामें कार्रवाही जब कि दस्तावेज उस भाराजीसे सम्बन्ध रखताहो जो कई जिलोंमें है	३४६
६६	भाराजी सम्बन्धी दस्तावेजोंकी रजिस्ट्री हो जानेके बाद कार्रवाई	३४६
६७	दफा ३० उपदफा २ के अनुसार रजिस्ट्री होजानेके बाद कार्रवाई	३४७
६८	सब रजिस्ट्रारोंके कार्यका निरीक्षण करने तथा उन पर शासन करनेके सम्बन्धमें रजिस्ट्रार के अधिकार	३४७
६९	रजिस्ट्रीके दफ्तरों का शासन करने और नियम बनानेके सम्बन्ध में इन्सपेक्टर जनरलके अधिकार	३४७
७०	जुमाना माफ करनेके सम्बन्धमें इन्सपेक्टर जनरलका अधिकार	३४८

दफा	विषय	पेज
बाहरवां प्रकरण		
(रजिस्ट्री किये जाने से इनकार किये जानेके विषयमें)		
७१	रजिस्ट्री करनेसे इनकार किये जानेके कारण लिये जाने चाहिये	३४९
७२	उन दस्तावेजके अतिरिक्त जबकि दस्तावेजके लिये जानेसे इनकार करदी गईहो उराकी अपील	३४९
७३	जब सब रजिस्ट्रार दस्तावेजके लिये जानेसे इनकार करनेके कारण रजिस्ट्री करनेसे इनकार करे उस समय रजिस्ट्रारको दरल्वास्त	३५०
७४	ऐसी दस्तावेजके ऊपर रजिस्ट्रार द्वारा की जाने वाली कार्रवाही	३५०
७५	रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री किये जानेके हुक्म का दिया जाना और उसके ऊपर कार्रवाई	३५१
७६	रजिस्ट्रार द्वारा इनकारी के हुक्मका दिया जाना	३५१
७७	रजिस्ट्रार द्वारा इनकारीका हुक्म दिये जाने पर नालिश दापर करना	३५२

तेरहवां प्रकरण

(रजिस्ट्री, खोज और नकलकी फीसके विषयमें)

७८	फीस स्थानीय सरकार नियत करेगी	३५३
७९	फीसका प्रकाशित किया जाना	३५३
८०	दस्तावेजोंके पेश किये जाने पर अदा की जाने वाली फीस	३५३

चौदहवां प्रकरण

(दण्डके विषयमें)

८१	हानि पहुँचानेके इरादेसे गलत तौर पर दस्तावेजोंकी तस्दीक करने नकल करने अतुवाद तथा रजिस्ट्री करनेके लिये दण्ड	३५४
८२	गलत बयान करने झूठी नकले और अतुवाद देने, झूठ मूठ कोई दूसरा भादमी बन जाने तथा किसीको अपराधके लिये उद्यत करने के लिये दण्ड	३५४
८३	रजिस्ट्री करने वाले अफसर को मुकद्दमा चलानेका अधिकार	३५५
८४	रजिस्ट्री करने वाले अफसर सार्वजनिक नौकर समझे जायगे	३५५

पंद्रहवां प्रकरण

(विविध)

८५	जिन दस्तावेजोंका कोई दवेदार न हो उनका नष्ट किया जाना	३५६
----	--	-----

दफा	विषय	पेज
८६	रजिस्ट्री करने वाला भफसर किसी पेशा चातके लिये उत्तरदायी नहीं है जिसे उसने पहसियत ऐसे भफसरके नेकनीयती से किया हो या इनकार कर दियाहो	३५६
८७	इस तरह पर कीगई कोई भी यात नियुक्ति भधवा कार्रवाहमें किसी घुटिके कारण नाजायज नहीं समझी जायगी	३५६
८८	उन दस्तावेजोंकी रजिस्ट्री जिन्हे सरकारी भफसरों या सार्वजनिक कार्यकर्ताओंने लिया हो	३५६
८९	कुछ हुम्नों सार्टीफिकेटों तथा दस्तावेजोंकी नकलोंका रजिस्ट्री करने वाले भफसरके पास भेजा जाना और उनका फाइल किया जाना	३५७
९०	सरकार द्वारा या ठसके हकमें लिखे गये कुछ दस्तावेजोंका भलगाय	३५८
९१	ऐसे दस्तावेजातका निरीक्षण और नकले	३५९
९२	ब्रह्माके रजिस्ट्रीके नियमोंकी स्वीकृति	३५९
९३	मसूखी	३५९

व्याख्या और नजीरें



जिन दस्तावेजोंकी रजिस्ट्री लाजिमी है	३६१
जिन दस्तावेजोंकी रजिस्ट्री इच्छा पर निर्भर है	३६२
रजिस्ट्रीके लिये दस्तावेज पेश करनेका समय	३६५
रजिस्ट्री करनेका स्थान	३६५
रजिस्ट्रीके लिये दस्तावेज कौन पेश कर सकता है	३६६
रजिस्ट्री करनेसे इनकार	३६७
रजिस्टरके रजिस्ट्री कर देने पर दीवानी नालिश	३६८
जिन दस्तावेजोंका रजिस्ट्री अनिवार्य है	३६८
जिन दस्तावेजोंकी रजिस्ट्री अनिवार्य नहीं है	३७३
जिनकी रजिस्ट्री लाजिमी है मगर कराई नहीं गयी	३७६
दस्तावेजका पेश किया जाना	३७७
बिना रजिस्ट्री किये हुए दस्तावेजों पर, रजिस्ट्री किये हुए दस्तावेजों को तरजीह	३७८
अधरदस्ती रजिस्ट्री करानेके लिये दीवानी नालिश	३७८
दूसरी भपस्थाए	३७९
रजिस्ट्रीके फीसकी शरह सं० प्रा०	३८१ से ३९२

इण्डियन लिमिटेडेशन ऐक्ट

नं० ९ सन १९०८ ई०

दफावार सूची

प्रथम प्रकरण

दफा	विषय	पेज
१	संक्षिप्तनाम, विस्तार, और आरम्भ	३९४
२	परिभाषा—सायल, हुँडी, तमस्तुक, मुद्दाअलेह, हक भासायश, विदेश, नैफनीयती, मुद्दई, इन्दुलतलय रज्जा, नालिश, टूस्टी शब्दों का अर्थ	३९४

दूसरा प्रकरण

(नालिशो, अपीला, और दरवास्तोकी मियाद)

३	मियादकी मुद्दत खतम होजानेके बाद दायर कीगई नालिशोंका खारिज कर दिया जाना	३९६
४	जब मियाद खतम होनेके समय अदालत बन्द हो	३९६
५	कुछ अवस्थाओंमें मियादकी मुद्दतका बढ़ाया जाना	३९६
६	कानूनी नाकाबलियत	३९७
७	कई एक मुद्दइयों या सायलोंमेंसे किसी एक का नाकाबिल होना	३९८
८	कुछ विशेष अवस्थाओंमें इन नियमोंका लागू न होना	३९८
९	समयका बराबर चलता रहना	३९९
१०	ट्रिस्टियों और उनके प्रतिनिधियोंके विरुद्ध की जाने वाली नालिशें	४००
११	ब्रिटिश भारतसे बाहर लिखे गए मुआहिदोंकी वाचत नालिश	४००

तीसरा प्रकरण

(मियादकी मुद्दतका शुमार)

१२	कानूनी कार्रवाईमें समयका निकाल दिया जाना	४०१
१३	ब्रिटिश भारतसे तथा अन्य देशोंसे मुद्दाअलेहकी अनुपस्थितिके समय का निकाल दिया जाना	४०१
१४	उस समयका निकाल दिया जाना जिसमें नैफनीयतीके साथ उस अदालतमें कार्रवाई कीगई हो जिसे उस मामलेकी समाप्त करीफा अख्तियार न मी हो	४०१

दफा	विषय	पेज
१५	उस समयका निकाल दिया जाना जिसमें कार्रवाई मुकदमा मुलतवी रही हो	४०२
१६	उस समयका निकाल दिया जाना जिसमें किसी डिक्लीकी इजरा होनेवाली नीलामको रद्द कर दिये जानेके लिये दायर किया गया मामला फैसल नहीं हुआ था	४०३
१७	नालिश करनेका हक पैदा होनेके पहिले मौत होजानेका भसर	३०३
१८	फरेबका परिणाम	३०३
१९	लिखित स्वीकृति पत्रका भसर	२०३
२०	व्याज का, बतौर व्याजके अथवा मूलके किसी अंशके अदा कर देने का भसर	४०५
२१	जो शरूख नालिश वगैर के नाकाबिल है, उसका सुगुतार	४०५
२२	नये मुद्दे या मुद्दाभलेहके बढ़ाये जाने या किसी दूसरे मुद्दे या मुद्दाभलेहकी जगह पर शामिल किये जानेका भसर	४०६
२३	शिकस्त मुआहिदा और फेल बेजाका घराघर जारी रहना	४०६
२४	किसी ऐसे कामके लिये मुआहिदाकी नालिश जो बिना कोई खास मुकसान पहुचाये न की जासकती हो	४०६
२५	दस्तावेजमे बतलाई हुई मुद्दतका उमार	४०७

चौथा प्रकरण

(दखलके जरिये मिलिकयतका हासिल करना)

२६	हक आसायशका हासिल करना	४०८
२७	मिलिकयत ताबेके वारिसों माबादके हकमे मुद्दतका निकाल दिया जाना	४०९
२८	जायदाद सम्बन्धी अधिकारका जाता रहना	४१०

पांचवा प्रकरण

(वचत और संसूखी)

२९	वचत	४११
३०	उन नालिशोंके सम्बन्धमे व्यवस्था जिनके सम्बन्धमे नियत मियाद की मुद्दत, उस मुद्दतसे कम हो, जो भारतीय कानून मियाद सन् १८७७ ई० में निश्चित की जा चुकी है	४१२
३१	परिशिष्ट २ में बतलाये हुए प्रान्तोंमे कुछ मुतहिनोंकी ओरसे की जानेवाली नालिशोंके सम्बन्धमे व्यवस्था	४१२
३२	पेज न० १७ सन् १९१४ ई० में सू किया गया	४१३

परिशिष्ट नं० १

—नालिशोंकी किस्म, मियादकी मुदत और मियाद शुरू होनेकी
अवस्था ४१४ से ४५१

परिशिष्ट नं० २

—बे प्रात जिनका उल्लेख दफा ३१ में है ४५०

परिशिष्ट नं० ३

—मन्सूखहो गया ४५१

व्याख्या और नजीरें

- दफा ३ नालिशे जिनकी मियाद भारिज हो गई है ४५३
- मियादकी बात चाहे न कही गयी हो तो भी मामला खारिज हो जायगा ४५३
- मियादका प्रश्न न पेश करनेका सुभाहिदा नाजायज है ४५३
- रजामन्दीसे मियादमें कोई अक्षर नहीं पडना ४५३
- अपीलमें मियादका प्रश्न उठाया जासकता है चाहे नीचे न भी उठाया गया हो ४५३
- अपीलकी अर्जीमें अगर मियादका प्रश्न न लिखा गया हो तो बहसके लिये नदालतसे हुक्म लेना चाहिये ४५३
- दफा ५ मियादकी मुदतका बढ़ाया जाना ४५४
- 'काफी बजह' होनेपरअदालत मियाद बढ़ा सकती है ४५४
- यह दफा इजरा व नीलामकी मसूखी, और पचायती फैसलेके रद्द करानेके लिये लागू होती है ४५४
- एकतफा डिकरीकी मसूखीमें भी लागू होगी ४५४
- 'काफी बजह' मामलेके अन्तसार विचारकी जायगी तथा कुछ उदाहरण ४५४
- बकीलकी लापरवाहीसे अगर मियाद चगी जाय तो उसपर नालिश ४५५
- दफा ६, ७, ८, और ९ अयोग्य पुरुषोंके लिये मियादकी मुदतका बढ़ाया जाना ४५५
- नाबालिग, पागल, मूर्ख, आदि तो कब दावाकी मियाद बढ़ेगी ४५५
- हकशिकासे दफा ६, और ७ का कोई सम्बन्ध नहीं है ४५५
- जब मियाद एक बार शुरू हो जाय तो फिर बढ़ नहीं होती ४५५

विषय	पेज
—दफा ६ के मतलबके लिये सिर्फ ३ तरहकी अयोग्यता मानी जायगी	४५५
—अगर दावाकी बिनाय मुद्दासमत जन्मसे पहिले पैदा हुई हो तो नावालिगकी अपनी नावालगीकी मियाद नहीं मिलेगी	४५५
—नावालिगीकी मियाद दूसरेकी नहीं दी जासकती	४५६
—अयोग्यताके भीतर भी दावा किया जासकता है	४५६
—दफा ६ इजराकी दरख्वास्त और परिशिष्ट १ के तीसरे खानेकी मियाद में लागू है	४५६
—स्थानीय खास कानूनकी मुद्दतमें दफा ६ लागू न होगी	४५६
—अयोग्यता दूर होनेसे तीन सालसे अधिक मियाद किसीमें न मिलेगी	४५६
—जब साधारण मुद्दत, नावालिगीमें समाप्त होती हो	४५६
—जब साधारण मुद्दत वालिग होनेके बाद समाप्त होती है	४५६
—नकूल, तस्दीक, प्रोबेट, के लेनेका समय मियादमें मुजरा होगा	४५६
—अयोग्यता और असमर्थका भेद	४५६
दफा १० ट्रस्टियोंके ऊपर नालिश	४५७
—ट्रस्टियों या ट्रस्टके सम्बन्धी व्यक्तियों पर मियादका असर नहीं पड़ता	४५७
—जिसके पास माल अमानतमें रखवा गया हो ट्रस्टी नहीं है	४५७
—मुखतार, गुमास्ता, कर्ता, या प्रबन्धक आदि ट्रस्टी नहीं है	५५९, ४५७
—यह दफा कम्पनीके डायरेक्टरोंसे लागू नहीं होती	४५७
—तामील कुनिन्दा ट्रस्टी माना गया है	४५७
—ट्रस्टी कौन है यह बात दरफक मामलेके वाकिफातसे मालूम होगी	४५७
—इस दफाका प्रयोग खास ट्रस्टियों पर ही हो सकता है	४५७
—'खास काम' के अर्थके लिये	४५७
दफा १२ सिर्फ मियाद समाप्तकी मुद्दतका शुमार	४५७
—मियादका शुमार अग्रेजी तारीखसे होगा, देशी महीने या मित्तीसे नहीं	४५८
—बिनाय मुख्वासमत पैदा होनेवाले दिनका शुमार मियादमें न किया जायगा	४५८
—एक ही तारीखके दो दिन, मियादमें शामिल नहीं होते	४५८
—रफया अदा करनेकी तारीख निकाल दी जायगी	४५८
—तमस्तुक आदि प्रोनोटमें मियादका शुमार	४५९
—'जरूरी' और 'प्रचलित प्रथा' का मतलब	४५९
—नकूलकी दरख्वास्त देनेकी तारीखसे मिलनेकी तारीखके बीचका समय मुजरा पाना	४५९
—नकूल लेनेका जरूरी समय	४५९
—वह समय जो नकूल लेनेके लिए जरूरी है	४५९
—कौन समय नकूल लेनेके लिये मुजरा होगा	४६०

विषय

पेज

- कलकत्तेमें फैसला देने और डिकरी पर दस्तखत करनेके बीचका समय मिलता है ४६०
- मियाद डिकरीसे शुरू होगी फैसलेसे नहीं ४६०
- कलकत्ता हाईकोर्ट की राय ४६०
- इस दफा के लिये नकल लेनेकी मियाद कौन मुजरा होगी कौन नहीं ४६१
- कौन समय मुजरा न होगा ४६१
- डिकरीमें दरफ्वास्त होनेवाले दिनके दूसरे दिनसे यदि छुट्टी हो और अदालत सुलनेवाले दिनको नकलकी अर्जी दी गयी हो तो मियाद ४६१
- जब फैसला लम्बी छुट्टी होनेके दिन दिया गया हो और नकल अर्जी अदालत सुलने पर उसी दिन दी गई हो या कुछ दिन बाद ४६१
- जब छुट्टियोंमें नकल देनेका हुक्म हो गया ४६१
- अपीलाण्टकी दोनों समय मुजरा मिलना। डिकरी घ फैसलेकी नकल अलग अलग लेनेमें जो लगा हो ४६२
- पञ्जाब हाईकोर्ट की राय विरोध और पक्षमें ४६२
- दफा १४ का नालिशों भयवा दरफ्वास्तोंके सम्बन्धमें समयका निकाल दिया जाना जिसमें नेक नीयतीके साथ गलत अदालतमें कार्रवाई की गई है ४६२
- इस दफाका उद्देश-बचाव ४६२
- अपीलोंके सम्बन्धमें लागू नहीं होगी केवल प्रारम्भिक अदालतोंमें लागू है ४६२
- जिन मामलोंकी गलत समागत अदालतमें हुई है उनसे यह दफा लागू है ४६२
- इजरासे इस दफाका सम्बन्ध है-आवश्यक घाते ४६२
- जब लापरवाहीसे अर्जीदाता गलत अदालतमें पेश कर दिया गया हो ४६३
- किसी घात को गलत समझानेसे मियाद मुजरा नहीं मिलती ४६४
- नेकनीयती प्रत्येक मामलेके ऊपरसे विचारकी जायगी और मित्राळे ४६४
- “अद्वयार समागत” का अर्थ ४६५
- पहिली और दूसरी नालिशोंके मुद्दाअलेहोंमें जब फरक हो तो ४६५
- दूसरे मामलोंमें समयका निकाल देना हुक्म इम्तनाई या सुलतवी ४६५
- खरीदार नीलामका फव्वारा ४६६
- मौत हो जानेसे असर ४६६
- फरेब करनेका असर ४६६
- दफा १५ हुक्म इम्तनाई या दूसरा हुक्म ४६६
- यह दफा हुक्म इम्तनाईसे सम्बन्ध रखती है ४६६
- डिकरीकी इजरा सुलतवी कर देना या बन्द कर देनेका समय मुजरा होना ४६६
- ऊर्की और हुक्म इम्तनाई-आदिमें फरक है ४६७

विषय

पेज

- जब कई भादमियाँके खिलाफ डिकरी हो और एक के ऊपर चारी की गयी हो तो मियादका असर सबपर होना ४६७
- मदियुनके गिरफ्तार करनेके बाद किये गये इकरारनामसे मियाद ४६७
- डिकरीदारके कारण नीलाम मुदतबी होनेसे दफा १५ नहीं लागू होती ४६७
- दीवालियाके सम्बन्धमें मियाद ४६७
- मिची कौंसिलमें अपोलके दौरानमें, जमानत लेकर इजराफा असर दफा १६ की 'कार्रवाई' शकमें नालिश और दूरखास्त शामिल है ४६७
- आर्टिकल १४४ याद लागू होगी तो दफा १६ की मियाद मुजरा न होगी ४६८
- दफा १८ फरेब ४६८
- किसका फरेब होना चाहिये ४६८
- यह दफा उस व्यक्तिसे लागू होगी जब फरेबसे मुद्देके हकको जानने न दिया गया हो ४६८
- अदालतके बाहर डिकरीकी बेवाकीमें फरेब ४६८
- इस दफाके लिये फरेब केवल सन्देह न किया जाता हो ४६९
- फरेबकी बात मालूम होनेकी तारीखसे मियाद शुरू होगी ४६९
- अधिकार पैदा होनेसे पहले यदि फरेब किया गया हो ४६९
- नीलामका इशतहार प्रकाशित न करवाना फरेब नहीं है ४६९
- जब नीलामकी बात फरेबसे जानने न दी गयी हो ४६९
- मदियुनको जब नोटिस न मिला हो और देखलके समय फरेब मालूम हुआ हो ४७०
- दफा-१९ लिखित स्वीकृत पत्रका असर ४७०
- जब फियाद खतम होनेसे पहले लिखी हुई मजूरी दे दी गयी हो ४७०
- इस दफाकी आवश्यक बातें ४७०
- फर्जामें मजूरी रुपया वसूल होनेसे ४७०
- जिस दजेकी मियाद खतम हो गयी है बादको मजूरी लिखी हो वह रद्द होगी ४७०
- मियाद खतम होनेके बादकी मजूरी, मुआहिदेके भीतर आसनेगी ४७०
- छुट्टियोंमें मियाद खतम हो जानेके बाद मजूरी हुई और पीछे छुट्टी खतम हुई तो भी मजूरी काफी नहीं है ४७०
- स्वीकृत पत्रमें उस खास कजेका हवाला होना चाहिये- ४७१
- स्वीकृतकी जषानी शहादत न मानी जायगी ४७१
- इस दफाका मशा यह है कि साफ साफ बातें मालूम हों ४७१
- फर्जा स्वीकार करनेमें कौन बात होना कौन न होना चाहिये ४७१
- फर्जेकी तारीख गळत लिख देनेसे स्वीकृत पत्र नाजायज न होगा ४७२
- हिसाबकी असलियत मान लेनेसे, स्वीकार समझा जासकता है ४७२

विषय

पेज

—प्रोनोट पर धसूल लिखनेसे मियाद	४७२
—पचायतमें कर्जका स्वीकार करना	४७२
—सम्मिलित हिन्दू कुटुम्बका छोटा व्यक्ति स्वीकृति पत्र नहीं लिख सकता	४७२
—बहुतसे शरीक कर्जदारोंमेंसे एक के पत्र लिखनेका असर	४७३
—स्वीकृति पत्र कैसा होना चाहिये	४७३
—कोई निशानी बना देना भनपढेके लिये दस्तखत माने जायगे	४७४
—कर्ज अदा करनेके लिये यदि किसी पत्रमें समय मागा गया हो	४७४
—अगर किसी कर्जेके एकही हिस्सेको स्वीकृति दी गई हो तो	४७४
दफा २० ब्याजकी रकम या मूलधनकी अदायगीका असर और मिसालें	४७४
—सुखतार, घली, कमेटी, मेनेजर, इस दफाके लिये	४७५
—मुआहिदादारोंमेंसे एक की स्वीकृति	४७४
—अगर स्वीकृति पत्रसे तारीखका पता न लगता हो तो साबित करना चाहिये	४७४
—ब्याजकी अदायगी और ब्याजका अर्थ	४७५-४७६
—कर्जेकी मजूरी और अदायगीका अन्तर क्या है	४७७
—अदायगीकी किस्में	४७७
—दस्तखत इन्दराज दूनरेके दस्तखत	४७८
—बहीखातेमें अगर दो आदमी कर्जके देनदार हो तो एक कर्जेकी मजूरी लिखते, दूसरा दस्तखत करदे तो जामज होगा	४७८
—फिस्तकी अदायगीपर कर्जदारको चिट्ठी लिखना	४७८
—ज्या दफा १९, २० कानून मियादके लिये गुमास्ता मुनीम, घली है	४७९
दफा २१ अदायगी केवल एक कर्जदार द्वारा इत्यादि	४७९
—विधवाके रहननामाकी अदायगी या उसके भावी वारिषोंमेंसे एक ने की हो	४७९
नये मुद्दइयान या मुद्दाअल्लेहोंके शामिल करनेका असर	
दफा २२ नये फरीक बनानेका असर उसी तारीखसे होगा	४८०
—यह दफा कहा लागू नहीं होती तथा असर	४८०
—अदम इस्तेमाल (Nonjoinder) का असर	४८०
—अनावश्यक फरीकनके शामिल करनेसे मुकद्दमा खारिज न किया जायगा	४८१
—मियाद खतम होनेके बाद फरीकनका शामिल किया जाना	४८१
—जब किसीने पढ़ते अपने नामसे मुकद्दमा दायर किया पीछे यह जाहिर किया कि वह किसी दूसरेकी तरफसे लड़ रहा है तो मियाद नहीं जायगी	४८१

विषय	पेज
—जब कई आदमियोंके खिलाफ डिकरी हो और एक के ऊपर बारी की गयी हो तो मियादका असर सबपर होना	४६७
—मदियूनके गिरफ्तार करनेके बाद किये गये इकरारनामेसे मियाद	४६७
—डिकरीदारके कारण नीलाम मुलतबी होनेसे दफा १५ नहीं लागू होती	४६७
—दीवालियाके सम्बन्धमें मियाद	४६७
—मिथी कौंसिलमें अपोलके दौरानमें, जमानत लेकर इजराका असर दफा १६ की 'कार्रवाई' शकमें नालिश और दूरखाम्त शामिल है	४६७
—आर्टिकल १४४ यदि लागू होगी तो दफा १६ की मियाद मुजरा न होगी	४६८
दफा १८ फरेब	४६८
—किसका फरेब होना चाहिये	४६८
—यह दफा उस व्यक्तिसे लागू होगी जब फरेबसे मुद्देके हकको जानने न दिया गया हो	४६८
—अदालतके बाहर डिकरीकी बेयाकीमें फरेब	४६९
—इस दफाके लिये फरेब केवल सन्देह न किया जाता हो	४६९
—फरेबका बात मालूम होनेकी तारीखसे मियाद शुरू होगी	४६९
—अधिकार पैदा होनेसे पहले यदि फरेब किया गया हो	४६९
—नीलामका इश्तहार प्रकाशित न करवाना फरेब नहीं है	४६९
—जब नीलामकी बात फरेबसे जानने न दी गयी हो	४६९
—मदियूनको जब नोटिस न मिला हो और देखलके समय फरेब मालूम हुआ हो	४७०
दफा १९ लिखित स्वीकृत पत्रका असर	४७०
—अब फियाद खतम होनेसे पहले लिखी हुई मजूरी दे दी गयी हो	४७०
—इस दफाकी आवश्यक बातें	४७०
—फर्जामें मजूरी रूपया बसूठ होनेसे	४७०
—जिस दजेकी मियाद खतम हो गयी है बादको मजूरी लिखी हो वह रद्द होगी	४७०
—मियाद खतम होनेके बादकी मजूरी, मुआहिदेके भीतर आसनेगी	४७०
—दुद्वियोंमें मियाद खतम हो जानेके बाद मजूरी हुई और पीछे लुट्टी खतम हुई तो भी मजूरी काफी नहीं है	४७०
—स्वीकृत पत्रमें उस ग्रास कुजेका हवाला होना चाहिये	४७१
—स्वीकृतकी जपानी राहादत न मानी जायगी	४७१
—इस दफाका मशा यह है कि साफ साफ बातें मालूम हों	४७१
—कर्ता स्वीकार करनेमें कौन बात होना कौन न होना चाहिये	४७१
—फर्जेकी तारीख ग़रत खिल देनेसे स्वीकृत पत्र नाजायज न होगा	४७२
—हिस्साकी असलियत मान लेनेसे, स्वीकार समझा जासकता है	४७२

विषय

पेज

—प्रोनोट पर घसूल लिखनेसे मियाद	४७२
—पचायतमे कर्जेका स्वीकार करना	४७२
—सम्मिलित हिन्दू कुटुम्बका छोटा व्यक्ति स्वीकृति पत्र नही लिख सकता	४७२
—घटतसे शर्गीक कर्जदारमिले एक के पत्र लिखनेका असर	४७३
—स्वीकृति पत्र कैसा होना चाहिये	४७३
—कोई निशानी बना देना अनपढेके लिये दस्तख़त माने जायगे	४७४
—कर्जे अदा करनेके लिये यदि किसी पत्रमे समय मांगा गया हो	४७४
—अगर किसी कर्जेके एकही हिस्सेको स्वीकृति दी गई हो तो	४७४
दफा २० व्याजकी रकम या मूलधनकी अदायगीका असर और मिलाएँ	४७४
—मुखतार, बली, कमेटी, मेनेजर, इस दफाके लिये	४७५
—मुभाहिदादारोंमिले एक की स्वीकृति	४७४
—अगर स्वीकृति पत्रसे तारीखका पता न लगता हो तो साबित करना चाहिये	४७४
—व्याजकी अदायगी और व्याजका अर्थ	४७५-४७६
—कर्जेकी मजूरी और अदायगीका अन्तर क्या है	४७७
—अदायगीकी क्रिम	४७७
—दस्तख़त इन्दराज दूसरेके दस्तख़त	४७८
—बहीखातेमे अगर दो आदमी कर्जेके देनदार हो तो एक कर्जेकी मजूरी लिखने, दूसरा दस्तख़त करदे तो जायज़ होगा	४७८
—किस्तकी अदायगीपर कर्जदारकी चिट्ठी लिखना	४७८
—क्या दफा १९, २० कानून मियादके लिये गुमास्ता मुनीम, बली है	४७९
दफा २१ अदायगी केवल एक कर्जदार द्वारा इत्यादि	४७९
—त्रिधयाके रेहनगामाकी अदायगी या उसके भावी चारिधोमसे एक ने की हो	४७९
नये मुद्दइयान या मुद्दाअलेहोंके शामिल करनेका असर	
दफा २२ नये फरीक बनानेका असर उसी तारीखसे होगा	४८०
—यह दफा कहा लागू नहीं होती तथा असर	४८०
—अदम इस्तेमाल (Nonjoinder) का असर	४८०
—अनावश्यक फरीकेनके शामिल करनेसे मुकद्दमा खारिज न किया जायगा	४८१
—मियाद खतम होनेके बाद फरीकेनका शामिल किया जाना	४८१
—जब किसीने पहले अपने नामसे मुकद्दमा दापर किया पीछे यह जाहिर किया कि यह किसी दूसरेकी तरफसे लड रहा है तो मियाद नहीं जायगी	४८१

- जब देवमूर्तिके मेनेजर की ओरसे पहले मुकद्दमा दायर हो पीछे दफ्तर-
मूर्तिके नामपर हो तो मिथादका खजाल ४८१
- अगर ऐसी तरमीम हो जिनसे नये मुकद्दमानी उत्पत्ति होती हो ४८१
- नीलाम मन्सूख करानेकी नालिगम, खुरीदारका पीछे शामिल
करना ४८१, ४८२

इण्डियन वॉलेंटियर्स ऐक्ट

नं० २० सन १८६९ई०

दफावार सूची

दफा	विषय	पेज
१	सक्षिम नाम	४८५
२	ऐक्टका विस्तार	४८५
३	ऐक्टकी मसूची	४८५
४	परिभाषा	४८५
५	कोरका सङ्गठन	४८६
६	कमाडिग अफरका सर्टीफिकेट, भरती कर लिये जाने का प्रमाण	४८६
७	कोरको तोड़ देने अथवा उसके सदस्योंको अलग कर देने का अधिकार	४८६
७(ए)	कुछ अस्थायीमें कमाडिग अफसरको रजिस्टरसे वॉलेंटियरों का नाम काट देनेका अधिकार	४८६
८	वॉलेंटियरोंके ऊपर आर्मी ऐक्टका प्रयोग किया जायगा जहाँ तक कि उसका सम्बन्ध अधिकारियासे है	४८७
९	जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजायें	४८७
१०	जनरल कोर्ट मार्शलमें कौन कौन शामिल होंगे	४८७
११	रेजिमेन्टल कोर्ट मार्शल	४८८
१२	इस ऐक्टके अनुसार बुलाई गई कोर्ट मार्शलकी कार्यवाही	४८८
१३	कोर छोड़ देनेका अधिकार	४८८
१४	अफसरोंको दिये गये अधिकार उस समय बंद हो जायगे जब कि वे अपनी खुशीसे कामसे अलग हो जायया बरखास्त कर दिये जाय	४८८
१५	कोरको तोड़ देनेवाले मेम्बरों द्वारा सरकारी हथियारोंका उसके हजाले कर दिया जाना	४८८

दफा	विषय	पृष्ठ
१६	फाय करनेकी स्थानीय सीमा	४८९
१७	कमाडिंग भफसरको नियम बनानेका अधिकार	४९०
१८	डिप्ल भयया परेडके अलावा असरी ड्यूटी पर हाजिर न होना	४९०
१९	डिप्ल भयया परेडमें हाजिर न होना	४९०
२०	जुमाना न देने पर खेजा	४९१
२१	वालिटिपराको अपनी ड्यूटी करते समय रोकने या उनपर शाक्रमण करनेके लिये दण्ड	४९१
२२	जुमाना वसूल किया जाना	४९१
२३	लोगोंको नि शस्त्र करनेका अधिकार	४९१
२४	सापेजतिक शांति भंग होनेकी रोकना, गर कानूनी सस्थाओंको भंग करने और कुछ ऐसे आदमियोंके पकड़ लेनेका अधिकार जिन पर सन्देह किया जाता हो	४९२
२५	घोडा—करसे छुटकारा	४९३
२६	इम पेपरके अनुसार फी जाने वाली बातोंके लिये नालिश	४९३
२७	युद्धकेन कार्यके लिये वालिटिपर कौरका बुलाया जाना	४९६
२८	वालिटिपरोको अलाउस देनेके सम्बन्धमें नियमोंके बनाने का अधिकार	४९४
२९	उन वालिटिपर कौरके सम्बन्धमें, जिनके सदस्य एकसे अधिक प्रांतोंमें भर्ती किये गये गये हो, फारंवाई करनेके लिये स्थानीय सर कारकी नियुक्ति	४९५
३०	वालिटिपरोके साथ सम्मिलित होनेकी दशामे स्थलसेनाके सैनिकोंके साथ इस ऐक्टके नियम लागू होंगे	४९५

न्यूज पेपर ऐक्ट

नं० ८ सन १९०८ ई०

दफावार सूची

१	सक्षिप्त नाम विस्तार	४९६
२	परिभाषा	४९६
३	कुछ अपस्थाओंमें प्रेस जस्ट कर लेनेका अधिकार	४९७
४	जस्ती का अधिकार	४९८

दफा	विषय	पेज
५	अपील	४९८
६	दूसरी कार्रवाईका न हो सकना	४९८
७	प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन भाफ युक्स ऐक्ट सन् १८६७ ई० के अनुसार दाखिल किये गये डिक्लेरेशनके रद्द करनेका अधिकार	४९८
८	दण्ड	४९९
९	जायता फौजदारीका प्रयोग	४९९
१०	दूसरे कानूनों का अमलमें लाया जाना	४९९

स्टेट आफेंसेज ऐक्ट

नं० ११ सन १८५७ ई०

दफावार सूची

१-२	कानूनोंकी मसूखी	५००
३	किसी घोषित रकषमें किये गये अपराधोंके दोषी बतलाये हुए लोगों के मामलेकी जाच करनेके लिये कार्यकारिणी समिति की कमीशन जारी करनेका अधिकार	५००
४	सरकार अदालतोंको कुछ अधिकार दे सकती है	५०१
५	इस ऐक्टके अनुसार बैठी हुई अदालतके सामने मजिस्ट्रेट भाद मियोको उनके मामलेकी जाच करनेके लिये पेश कर सकता है	५०१
६	यह ऐक्ट इंग्लैडमें पैदा हुई ब्रिटिश प्रजाके और उनके लडकोंके सम्बन्धमें लागू न होगा	५०१
७-१०	द्वियारों का पास रखने वाले कानूनकी मसूखी	५०१
११	मजिस्ट्रेट शब्दका अर्थ	५०२

भाग ३

प्लीडिङ्स, अर्जियों और दस्तावेजों आदिके नमूने

— ० —

अर्जीदावा और वयान तहरीरी

विषय	पेज
१ आम अर्जीदावा	५०३
—आम जवाब दावा या वयान तहरीरी	५०५
२ नालिश बाबत बकाया लगान	५०७
—उपरोक्त नालिशमें दाखिल किया जाने वाला वयान तहरीरी	५०९
३ नालिश बाबत तमस्सुक खादा	५१०
—उपरोक्त नालिशमें दाखिल किया जाने वाला वयान तहरीरी	५११
४ नालिश बाबत रुझा (प्रोनोट)	५१२
—उपरोक्त नालिशमें दाखिल किया जाने वाला वयान तहरीरी	५१३
५ नालिश बाबत उस मालके जो बेचा और हवाले किया गया	५१३
—उपरोक्त नालिशमें दाखिल किया जाने वाला वयान तहरीरी	५१४
६ नालिश बाबत इस्तेमाल और कब्जा	५१५
—उपरोक्त नालिशमें दाखिल किया जाने वाला वयान तहरीरी	५१५
७ नालिश बाबत तोड़े जाने साझीदारीके	५१६
—उपरोक्त नालिशमें दाखिल किया जाने वाला वयान तहरीरी	५१७
८ नालिश बाबत हक आशाइस वास्ते निकलने रास्ता और हुकम इस्तनाई	५१८
—उपरोक्त मुकद्दमेमें जवाब दावा	५१९
९ अदावतन मुकद्दमा चलाये जानेके लिये नालिश	५२०
—उपरोक्त मुकद्दमेमें जवाब दावा	५२१
१० बसीके ऊपर नालिश बाबत दिलापाने उस भामदनीके जो बसी-यतनामेमें घटाई गयी है	५२२
—उपरोक्त मुकद्दमेमें जवाब दावा	५२२
११ दस्तावेज रेहननामाके ऊपर नीलाम या बेबातकी नालिश	५२३
—उपरोक्त मुकद्दमेमें जवाब दावा	५२५
१२ नालिश बाबत दस्तावेज रेहननामा दखली या गैर मामूली	५२६

विषय


पेज

—उपरोक्त मुकद्दमेमें बयान तहरीरी	५२७
१३ नालिश वाचत इन्फिकाफ रेहन	५२७
—उपरोक्त मुकद्दमेमें जवाब दावा	५२९
१४ न लिश वाचत देदखली	५२९
—उपरोक्त मुकद्दमेमें दाखिल किया जाने वाला बयान तहरीरी	५३०
१५ कानून दादरसी रासकी दफा ९ के अनुसार नालिश	५३०
—उपरोक्त मुकद्दमेमें जवाब दावा	५३१
१६ नालिश वाचत दिहापाने उख रूपयेके जो किसी शख्सको उसके हकके अनुसार मिटना चाहिये था	५३२
—उपरोक्त मुकद्दमेमें जवाब दावा	५३३
१७ नालिश वास्ते बटधारा	५३३
—उपरोक्त मुकद्दमेमें जवाब दावा	५३४
१८ मय वासलात जायदाद पर कब्जा दिहापाने की वाचत इफी-यतका न लिश	५३४
—उपरोक्त मुकद्दमेमें जवाब दावा	५३६
१९ मालिककी ओरसे कारिंदोंके हिसाबकी वाचत नालिश	५३६
—उपरोक्त मुकद्दमेमें बयान तहरीरी	५३७

जरूरी जरूरी अर्जियोंके नमूने


२० कुर्क किये हुए मालकी निस्वत दावा	५३८
२१ प्रोवेट या प्रबन्ध सम्बन्धी पत्रोंके लिये अर्जी	५३९
२२ प्रबन्ध सम्बन्धी पत्रके वास्ते नालिश	५४१
२३ प्रोवेट या प्रबन्ध सम्बन्धी पत्रोंके लिये दी गई अर्जीकी नोटिस	५४२
२४ बली मुकरर किये जानेके लिये अर्जी	५४३
२५ वरासतके सार्टीफिकेटके लिये दरखास्त	५४५
२६ किसी पागलफा बली मुकरर किये जानेके लिये दरखास्त	५४६
२७ कुलीकी दरखास्त वास्ते दिहालिया करार दिये जानेके	५४७
२८ जबती भाराजीके मामलेमें दावा (बगाल)	५४८
२९ कानून जबती भाराजी की दफा १८ के अनुसार दीवानीमें मामले का दिया जाना	५४९
३० याद दास्त अपील	५५०
३१ आम मुख्तार नामा	५५१
३२ मुख्तारनामा खास	५५२
३३ पट्टा बगाल	५५२
३४ दिवानामा (दानपत्र)	५५४

विषय	पृष्ठ
३५ वयनामा	५५४
३६ रेहननामा	५५५
३७ इकरारनामा	५५६
३८ घसीपतनामा	५५७
३९ तफूसीमनामा	५५८
४० खास किसमका वयनामा भयोत खचेके बदले जीतने पर जाय दाद मिलनेका वयनामा	५५९
—इन्दुलतलब रुखा	५६२
—मकान खाली करा पानेका नोटिस	५६२



कोर्टफीस ऐक्ट

नं० ७ सन १८७० ई०



शिड्यूल नं० १

अदालतमें नालिश करनेके लिये कोर्टफीसकी शरह

५६७ से ५७४

सिविल जनरल रूलस

३१ जनवरी सन् १९२७ ई०

नकलोंकी फीसें

ढिकरी, तजवीज या अन्य कागज

५८३

तलवाना आदिकी फीसें

तलवाना, गवाह तलषी, कुर्की, चारट, नीलाम, आदिकी फीसें

५७४

दस्तावेजों पर स्टाम्प

• इन्डियन स्टाम्प ऐक्ट नं० २ सन १८६६ ई०

दस्तावेजों व अन्य कागजों पर लगाने वाले स्टाम्प

५७५ से ५९४

छपाईका उत्तम और सहज साधन

कानून प्रेस




सुन्दरताके लिये भारतमें प्रसिद्ध वम्बईके नये टाइप और विल्कुल नयी मशीनोंमें अपना काम छपवाइये । चिट्ठी, लिफाफा, फार्म, विले, रसीद, रजिस्टर, परचा, नकशा, नोटिस और किताबें आदि हिन्दी, अङ्गरेजी तथा उर्दूमें बड़ी सावधानी और सफाईसे छपी जाती हैं । छपाईकी सुन्दरता और आर्डरके अनुसार काम पूरा करानेमें बड़ी खबरदारीके साथ ध्यान रखा जाता है । आपको जो काम छपवाना हो डाक से भेजकर घर बैठे छपा लीजिये आपको प्रतिदिन पत्र लिखने की तकलीफ न उठाना पड़ेगी । बढ़िया काम छपानेकी यदि इच्छा हो तो एक बार परीक्षा कर देखिये ।

मैनेजर—'कानून प्रेस' कानपुर

संग्रह जाबता दीवानी

ऐक्ट नं० ५ सन १९०८ ई०



अर्थात्

भारतीय दीवानी अदालतों की कार्यप्रणाली व्यवहार,
एवं उपयोगी मसविदों, कानूनों तथा
सूचनाओं सहित ।

प्रकाशक

पं० चन्द्रशेखर शुक्ल



सवाकिल और वकीलके



कर्तव्य

संदेश—भाज हम जायता दीवानीको हिन्दीमें लिखनेके लिये उद्यत होते हैं। यह फेरल अनुवाद नहीं है बल्कि भिन्न भिन्न स्थानोंमें फैले हुए विषय एक जगह करके तत्सम्बन्धी विषयको भाइयोंके लिये सरल हिन्दी द्वारा परम उपकारी एक नये ढंगका ग्रन्थ है। अंगरेजोंके अच्छे विद्वान वकीलोंके लिये हम इस ग्रन्थके लिखनेका परिश्रम नहीं कर रहे हैं, हमारा परिश्रम हिन्दी जानने वाले तथा बदालती काम करने वाले भाइयोंके निमित्त है।

नोट्युक—हमारे देशमें जनता अंगरेजी कानूनसे बहुत कुछ अज्ञान है अदालतोंमें जो लोग किसी मुकद्दमेके सम्बन्धमें आते हैं वे बहुत ही शोषित और कानून जानने वाले नहीं होते इसी लिये वे दलालों, अयोग्य मुहरीरों तथा वकीलों द्वारा खूब ठगे जाते हैं उनके हितका वास्तवमें काम बहुत कम होता है। यदि भाग्यशुभ उनको किसी काम या मामलेमें सफलता मिल गई तो लोग अपनी योग्यता या पैरवीका फल बताकर शुकराना या इनाम आदिका हक पेश करते हैं। नीचे हम अपने भाइयोंके हितके निमित्त कुछ बातें संक्षेपमें लिखते हैं जिनके जान लेनेसे और उन पर अमल करनेसे उनके मामलेको अच्छी तरह विधि पूर्वक लड़े जानेके लिये बहुत सहायता मिलेगी।

अगर आप कोई भी भाषा लिखना पढ़ना नहीं जानते तो अपने किसी अभिन्न हृदय मित्रसे, और यदि आप लिखना पढ़ना किसी भाषाका जानते हैं तो स्वयं, जो मामला बदालतम जानेवाला है उसकी सच बातें एक साफ कोरे फागर्में पढ़के लिखते जाय। जयादा अच्छा यह होगा कि नाय नोट्युक अर्थात् जेय या चलीवाम रखने लायक चौपतिपा पत्राकर उनमें अपने मामलेकी सच बातें लिखें। वह नोट्युक अपने पास रखे उसमें एक पेसिल भी लगी रहे रास्तेमें या जहा वही आपका ध्यान कोई नई बात याद आजाय उसी समय उस नोट्युकमें लिखें। इस तरहकी लिखलपत्र अंतरतीव हागी इस बातका आप जरा भी ध्यान न दें। जहा तक ही सके नोट्युकके अन्दर जहा पर मामलेकी बातें का लिखन

आपने शुद्ध क्रिया है उसी जगहसे आगेके पेजामें सब बातें लिखें। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि समयपर उस जगहपर लिखी बातें देखनेसे छूट जाती है जो सिलसिलेको छोड़कर इधर उधर लिखी गईं हैं इत्तिथे मामलेका सब बातें एक ही सिलसिलेमें होना चाहिये। आप पहले यह खयाल न करें कि अमुक बात हमारे मतलबकी नहीं-है या अमुक बात हमारे खिलाफ है या अमुक बात इस मामलेसे सम्बन्ध नहीं रखती। पहले जो जो बातें आपको अपने पक्ष या अपने विरुद्ध याद आती जावे सबकी सब उस नोटबुकमें सिलसिलेसे लिखते रहें। आप जब किसी दूरसे से अपने मामलेकी कोई बात पूछें या कोई अपनी तरफसे उस मामलेकी बात कहे और ऐसी बात जो नोटबुकमें उस समय तक नहीं लिखी गई है तो आप फौरन उस बातको या उन बातोंको नोटबुकमें लिख लें। साथ ही यह भी लिखले कि वे बातें किसके जरिये आपको मालूम हुयीं और ताराख भी उसी जगह लिख लें। आप तारीख और नाम लिखना सम्भवतः निरर्थक समझे परन्तु निरर्थक नहीं है। आपको उसके देखनेसे समय और उस व्यक्तिका स्मरण आजायगा और बहुत सम्भव है कि उन बातोंमेंसे कोई ऐसी बात फिर आपको जाननेकी जरूरत पड़ जाय या उन बातोंमेंसे कोई अपूर्ण बात रह गई हो या ऐसी विशेष घटना पैदा हो जाय जिसके कारण आपको उस व्यक्ति और समयको खोज करना पड़े। मेरा कहना तो यह है कि आप अपने मामलेके बारेमें रोजाना जो काम करें उसकी एक जानने योग्य सूची नित्य लिख लिया करें। ऐसी डेली रिपोर्ट अर्थात् दिनचर्यासे बड़ा भारी काम निकलता है कभी कभी ऐसा काम निम्नलता है कि जो हजारों रुपया खर्च करनेसे नहीं निम्नलता। मामले पर इसकी उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है। आपको घाफ़िफ़कारी हर समय ठीक ठीक बनी रहेगी। सच्ची घटनाओंका चिट्ठा हर समय सामने रहेगा। अक्सर जवानी बातें वकीलोंको समझते समय भूल जाती हैं, पीछे याद आनेसे लाभ कुछ नहीं होता।

मवक्किल अक्सर कोरे कागजकी बहुत किरायात करते हैं। कोरे कागजका खर्च उनको प्रायः अच्छा नहीं लगता। अपने मामलेकी बातें एक ही कागजमें घड़ी सफ़ेतीके साथ लिखते हैं चाहे फिर उन्हींसे पढ़ें न चले या वही पीछे ममद्व न सके। हम आपको सलाह देते हैं कि कोरे कागजकी बचतकी अपेक्षा आपका मामला बहुत कीमती होता है और यह किरायात बेहद बुरी, बहुत खराब और बहुत ही निन्दनीय है। मवक्किलों की बातें तो हैं ही, पर हमने कतिपय वकीलोंको ऐसा करते देखा है। वकीलोंकी बातका हम उनके प्रसङ्गमें उल्लेख करेंगे यदा पर हम अपने भाष्यसे कहना है कि आप कोरे कागजकी किरायातको कभी दिल पर न आने दें। अपने पास आवश्यकतासे कुछ अधिपत्र अच्छे कागज हर समय रखें और अपने दफालको भी अपने कामके मतलबसे देंते रहें। सरकारी छपा प्रत्येक फार्म अपने पास रखें।

नोटबुक उपरोक्त अन्तर्गत रीतिसे जैसी जैसी रटपार हती जाय वैसे वैसे नोटबुकसे अपने मामलेकी घातोंका दाताकी रीतिसे दत्तियान शुरू करते चलना चाहिये । एक घटा रजिस्टर बना लेना अच्छा होता है । यदि बहुत छोटा मामला है तो रजिस्टरका जरूरत नहीं है सादे अलग अलग कागजात पर ही यह काम हो जायगा ।

समयके अनुसार मामलेकी घातोंका विवरण—नोटबुकमें लिखी या न लिखी सब घातोंकी घटनाओंको समयके अनुसार तरतीबधर लिखलेना चाहिये । जिसघात या घटनाके पीछे जो घात या घटना हुई हो उसके उसके पीछे क्रमसे लिखें । जैसे सन् १९०१म जो घातें हुई हैं उनके पीछे १९०२ या बाद वाले सनकी घातोंको लिखें । सनसे मतलब दिन, तारीख और महीनासे है । यदि भगरेजी सन याद न हो तो तिथि और मास तथा सम्बत लिखिये । यदि यह भी याद न हो तो और निश्चित होना सम्भव न हो तो आप पहिलेकी घटनाको पहिले लिखें उसके बादकी घटनाको पीछे लिखें । यदि आपको किसी घटनाकी तारीख या सन होना याद है और पीछकी घटनाओंको याद नहीं है तो जो याद है उसके आगे पीछे जो घटना हुई उस उसी प्रकारसे लिखें । ऐसा न करें कि एक या कई घटनाओंकी तारीख आदि याद है और कहींकी नहीं याद है तो सबकी तारीखें छोड़ जाय । लिखनेमें जहा सन और तारीखका जिकर करना चाहिये और आपको उस वक्त याद नहीं है तो थोड़ासी जगह इसी मतलबसे उस जगह पर छोड़ दें ताकि जब याद आजाये तब उस जगह पर लिख दी जाय । ज्यादा अच्छा हो कि जहापर इस मतलबसे जगह छोटी जाय उस छोटी हुई जगहमें ऐसी (.) बिंदिया लगा दें ताकि दूरसे फौरन मालूम हो जाय कि इस जगह कुछ लिखनेसे छूटा है ।

समयके अनुसार मुकद्दमेका विवरण लिखना सबज काम नहीं है । विवरणमें समयके क्रमसे मामलेकी आजतककी सब बात ऐसे ढंगसे आजाना चाहिये कि पढ़नेवाला मामलेकी असलियतको फौरन समझ जाय । हम जानते हैं कि सब मत्रकिल यह विवरण नहीं लिख सकते किन्तु बहुतैरे हिन्दी जानने वाले परम चतुर और योग्य हैं तथा हमारी सूचनाओंसे उन्हें मदद मिलेगी । जिस कागज पर यह विवरण लिखा जाय उसके साथै तरफ हिन्दी और अङ्ग्रेजी लिखनेमें व दार्जिली तरफ उर्दू लिखनेमें एक चौथाई कागज उम्दाईमें छोड़ दिया जाय । ऐसे छूटे हुए कागज का दाशिया फइते है । जिस समयकी बात आप लिखें उस समयकी तारीख व सन आदि हाशिये पर लिख दें । लेखित हाशिये पर सिवाय तारीख व सनके और कुछ न लिखें ताकि फौरन निगाह उसपर पड़ जाय । घातोंका अदर लिखें । जहा कागजातका हवाल आये वहा उस कागजकी तारीख व सन व वह कागज कदा का है इसका जिकर बराबर करते जाय । एक बात जो पहिले लिख चुक है उसे फिर दुबारा न लिखें यदि भूल गये हों तो फौरन काट कर डीक कर दें जिस घटनाका जिकर करें उसे वही सतम

रुद्ध । यदि उसका सम्बन्ध पीछे आवश्यक हो तो कोष्टके अन्दर उसी जगह र संकेत कर दें । इस तरह पूरा मुकुद्दमा लिखा जाने पर चार चार उसे पढ़ें, वचरों और सोचें फिर उसे ठीक करते रहें । इस ढंगसे काम करने पर आपके मामलेकी कोई बात नहीं छूटेगी ।

विषय और समयके अनुसार विवरण—समयके अनुसार मामलेकी घातोंका विवरण बन जाने पर आप विषयवार एक विवरण और तय्यार करें । ऊपर सब विषयोंको समयके अनुसार क्रमबद्ध किया गया । अब वाक्यघातों और कागजों को विषयवार कर दें जैसे—पटवारी या कोई खास विस्मके कागजात है तथा समयके अनुसार बीच बीचमें भाग्ये हैं तो उन्हें एक एक किस्मकी उनके समयके अनुसार इसी तरह पर कर दीजिये । यह विषयवार खाता बन जायगा ।

वकीलको समझाना और नकलें—मवकिलको चादिये कि विश्वासनीय वकीलसे सब बातें कह दे । जितनी बातें वे अपनी बात या दावाके समर्थनमें समझते हों चाहे वे कानूनी हों या न हों सब बातें वकीलसे कहें । यदि उपरोक्त रीतिसे लिख लिया है तो उसे दे दें । अपने खिटाफ भी सब बातें बता दें, कागजात दिखा दें, नोट करा दें, क्योंकि विलाफ बात जाननेसे शत्रु पक्षका घल मालूम होता है और वचाव ठीक सोचा जा सकता है ।

मवकिलको जरूरी है कि अपने सब कागजातकी नकलें करले या करा ले । नकलोंमें इस बातका पूरा ध्यान रहे कि असल कागजमें जैसा जहाँपर लिखा हो वैसा ही नकल की जावे । नकलके घाद मिलान कर ले । एक हरफका या निरानका फरक न पड़े । असल कागजकी पुश्तपर जो इबारत हो उसको उसी तरह पर लिखले । नकल बड़ी हीशियायीसे करना चाहिये कितने ही सुहरिर ऐसी नकल नहीं करते, वे इस कौशलको नहीं जानते इसलिये मवकिलको इन बातोंसे सचेत रहना चाहिये । अपने और शत्रुके सब कागजोंकी ठीक नकलें जो अदालतमें दाखिल हों लेना जरूरी है । सब मिसिल एक तरतीबसे इकट्ठा रहना चाहिये । मवकिलको एक ऐसी मिसिल अपने पास रखना भी चाहिये ।

अदालतका खर्चा—खर्चा समय पर न देनेसे बड़ा लुकसान हो जाता है यही दशा कम खर्च दाखिल करनेमें होती है इसलिये मवकिलको चाहिये कि अदालतका खर्चा वकीलके पास जमा कर दे ताकि ठीक समय पर दाखिल करनेकी जिम्मेदारी वकील पर हो जाय । ज्यादा अच्छा यह है कि रजिस्टर बननाकर वकील साहबको दिया जाय जिसमें मुकुद्दमेके नोट और अन्य सब बातें तथा खर्चा वगैरहना हिसाब लिखा रहे इससे कागजोंको खो जानेका डर नहीं रहता सचायी रखीय प्राय वकील लोग अपनी वचतके छुपावसे नहीं देते खर्चा आदिका सब काम प्राय सुहरिर करते हैं । रजिस्टरमें अपने मामले लिखा

वकील पर विश्वास—मजिस्ट्रेट या यह विद्वान गठत है कि वह वकील जोर मुकद्दमा जीत लेते हैं। बात यह है कि अच्छे वकीलके हाथसे अच्छा हुमा खराब नहीं होता और अयोग्य वकीलसे अच्छा मुकद्दमा घरवाद होता है। अच्छा वकील कर लेनेके बाद यह न सोच लेना चाहिये कि बस अथ व काम वकील साहब कर लेंगे। वकीलके पास बहुत मामले रहते हैं इससे ल्येक बातमें उसे याद दिलाकर आज्ञानुसार सब कामबड़ी मुस्तैदीसे टाइम पर र देना चाहिये, वकीलको बराबर सूचित करते रहना चाहिये जखरी बातोंके तोट उसी रजिस्टर या नोटबुकमें कराते रहना चाहिये।

मुहरिरका कर्तव्य—यदि मजिस्ट्रेटने ऊपर बताये हुए नियमोंका ठीक पालन नहीं किया या कुछ नहीं किया तो मुहरिरको चाहिये कि वह उपरोक्त विधिसे मामलेको तय्यार कर ले ताकि उसके वकीलका टाइम नष्ट न हो। आजकल अक्सर मुहरिर, तहरीर या फीसकी फिकरमें ही रहते हैं मामलेकी बातको समझना या तय्यार करना वे वकीलका काम समझते हैं। वे अपना धर्म भिन्न यह समझते हैं कि जो कुछ वकील साहब मर्तावेदा लिखदेंगे, हम स्नाफ करके दाखिल कर देंगे या जोवे बोलदेंगे हम लिख देंगे। हम अपने भाई मुहरिरसे विनय करते हैं कि उनका पेशा बहुत ऊंचा है, वे वकीलके प्रधान अङ्ग हैं, वकीलको वे रतरेसे बचाये रख सकते हैं। इल्मो लियाकत, कानूनकी जानकारी, कार्य कौशलता, मजिस्ट्रेटके प्रति सद्ब्यवहार, ईमानदारी, काम करनेकी योग्यता आदि उन्हें यश और आमदनीका स्रोत खोज देती हैं।

वकीलकी काय प्रणाली—जब मजिस्ट्रेट वकीलके पास आये तो उसे चाहिये कि मामलेके वाकियातको अच्छी तरह समझ ले मजिस्ट्रेटकी सब बातोंको बगौर सुने और यह देखे कि क्या जो वाकियात वह बतला रहा है उससे स्पष्ट विनाय मुत्तासमत दावाकी पैदा होती है? या क्या उन वाकियातके आधार पर अदालतमें उसके सफल होनेकी आशा है? मामलेको समझते हुए वकीलको यह न भूल जाना चाहिये, अक्सर मजिस्ट्रेट अपने वकीलको अपने पक्षके समयमें ही बातें बताते समय उमगमें बिना इरादोंके भी कमजोर बातें बताना भूल जाता है जिनका जानना कानूनी वकीलके लिये बहुत जरूरी है ताकि वह सही राय प्यम कर सके। मजिस्ट्रेटकी बातोंको आवश्यकतासे अधिक विश्वास न कर लेना चाहिये। वकीलके लिये न तो यह जरूरी है कि वह मजिस्ट्रेटकी बातका पूरे और न यह कि सबपर विश्वास ही करले। अक्सर मुकद्दमेयाज त। वकीलकी नहीं बताते बल्कि जोशमें आकर गठत बयान तां छिपाते हैं, इससे वकीलको बड़ी दिक्कत पेश आती है। को चाहिये कि वह जिरहकी तौर पर सवालता करता पता चल जाय। इसके लिये यह जरूरी है कि वह सबकी सारीफ करे और निश्चय दिलावे कि मैं तुम्हारे

प्लीडिङ्स



(अर्थात् मसविदा)



मसविदा तैयार करना—मामलेके घाकियातको अच्छी तरह समझ लेनेके बाद चकीलजो चाहिये कि वह जायता दीवानीके भांडर ६ और ७ में बतलाये हुये नियमोंके अनुसार अर्जीदावाका मसविदा तैयार करे।

केवल अनुभव और अभ्याससे ही मसविदा तैयार करनेकी योग्यता प्राप्त की जा सकती है। एक नये चकीलके लिये सबसे अच्छा तो यह होगा कि वह कार्यारम्भ करनेके समयसे बराबर अर्जीदावा, बयान तहरीरी, अजिया जगैरा मन्दी लिखा करे और अदालतमें पेश करनेके पहले उसे किसी अपनेसे बड़े चकील को दिखा ले और दुस्त कराले। जो चकील सन काम अपने हाथसे करनेका अभ्यास करेगा, वह उस चकीलकी अपेक्षा जा गैर जुम्होदार मुदर्रिं और दूसरे आदमियोंसे मसविदा कराता है, अच्छा मसविदा तैयार करनेका ज्ञान बहुत शीघ्र प्राप्त कर सकता है। अगर वह तमाम अर्जीदावा, बयान तहरीरी, अजिया जगैरा, जानता दीवानीमें बतलाये हुये नियमों तथा दूसरे कानूनोंके अनुसार तैयार करता है तो यह आशा की जाती है कि वे सच अच्छी तरहसे काममें लाये जानेके योग्य होंगे। उसे परिभाषिक शब्दों और कानूनी भाषाके लिये अधिक व्यग्र न हाना चाहिये। अगर वे और सच तरहसे ठीक हैं और कानूनके मुताबिक तैयार किये गये हैं, तो उगा इन कानूनी और परिभाषिक शब्दोंके न होनेसे कोई खराबी घात न होगी। ज्यों ज्यों अपने काममें डचका अनुभव बढ़ता जायगा उसे परिभाषिक शब्दों और स्थायी भाषाका ज्ञान गीरे धीरे होता जायगा जो प्लीडिङ्समें अक्सर देखी जाती है।

एक बात और है जो एक नौखिलिया चकीलको करना चाहिये। वह यह है कि वह उन तमाम मसविदाओंकी एकल जमा करे और अपने पारा रख छोड़े जो उस होजियारीके साथ तैयार कीगइ मालूम हों और जो भिन्न भिन्न विषयोंके सम्बन्धमें हों। इनसे उसे बहुत बड़ी सहायता मिलेगी और आरम्भमें होनेवाली बहुत सी दिक्कतोंसे छुटकारा मिल जायगा। प्लीडिङ्स अर्थात् अर्जीदावा, बयान तहरीरी इत्यादि, के सम्बन्धी वे नियम जो जानता दीवानीमें बतलाये गये हैं उनके तैयार करते समय, स्मरण रखने चाहिये।

यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि मुकर्रिसलमें प्लीडिङ्स तैयार करनेकी कला अभी अपनी असली हालतको नहीं पहुँची है। अर्जीदावा और जवाब दावा अभी उसी तरहपर तैयार किये जाते हैं जैसे पहले किये जाते थे। बहुधा देगनेमें आता है कि प्लीडिङ्समें ऊट पटांगकी बातें भरी रहती हैं, और जिगमें पढ़ी

बात कई बार लिखी हुई होती है और बहुत सी असंगत बातें लिखी रहती हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि अक्सर उनका मसविदा तैयार करनेवाले, वकीलोंके मुहरिरे हुआ करते हैं जिनको कानूनका उतना ही कम ज्ञान होता है जितना कि और बातोंका। प्लीडिङ्स हिन्दुस्तानी भाषामें लिखी जाती हैं, और मुहरिरे लोग, जिन्होंने कुछ प्रचलित फिफ्टे और महाविरे रट लिये हैं, उनको हरएक मामलेके अन्दर प्रयोगमें लानेकी कोशिश करते हैं और उसमें अपने कयास को खूब दौड़ाते हैं। नतीजा यह होता है कि इससे मामलेके असली वाकियातको एकत्र करने और उनमें तनफीह ढूँढ़नेमें बहुत सा समय नष्ट होजाता है और कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी भूलें और अशुद्धियां रह जाती हैं। यह परमावश्यक है कि प्लीडिङ्सका मसविदा स्वयं वकीलोंकी ही तैयार करना चाहिये और उसे अदालतमें पेश करनेके पहले बगौर देख जाना चाहिये। वकीलोंकी इस मामलेमें बहुत बड़ी ज़ुम्मेदारी होती है, क्योंकि उसका सुविकल प्लीडिङ्समें लिखी गई हरएक बातसे बाध्य होगा और उसमें गलती अथवा भूलका परिणाम बहुत ही भयङ्कर होजाता है। मैंने बहुत से अवसरोंपर वकीलोंको प्लीडिङ्समें लिखी गई बातोंके आवश्यक और अशुभभावोंपर परिणामोंको यह कहकर टालते हुये देखा है कि इससे हमारा मतलब उस मतलबसे बिल्कुल भिन्न था जो इस समय लगाया जा रहा है। लेकिन जिस शब्दसे असलमें वे शब्द लिखे हैं उसने भूलकी है और वह मंशाको ठीक तौरसे जाहिर नहीं कर सका है। वास्तवमें मुकद्दमेंके समय इस तरहकी कोशिश बिल्कुल दंडूट है। इससे केवल वकीलके नामपर धब्बा ही नहीं आता है बल्कि सारा मुकद्दा मिश्रीमें मिल जाता है, क्योंकि इससे जाहिर यह होता है कि वह अपनी ज़ुम्मेदारियोंसे बचना चाहता है। प्लीडिङ्स तैयार करने में बहुत बड़ी होशियारी रखनी चाहिये, क्योंकि वही उस मामलेका असली ढांचा है और इन्हीं प्लीडिङ्सके कारण मुकद्दमेंकी बहुत कुछ कामवाची और नाकामवाची रहती है। अभी एक हालके मुकद्दमेंमें चीफ जस्टिस मियर्सने कहा है —

“इस अदालतमें वकालत करनेवाले सभी वकील साहयार्न इस बातसे सहमत होंगे कि मत दो वर्षोंमें एक भी सप्ताह खाली नहीं गया है जिसमें किसी न किसी ओरके वकीलोंने यह बात स्वीकार न की हो कि वह जिन दफ्तरे नीचेकी अदालतमें मुकद्दा चलाया गया है उसके कारण बड़ी कठिनाईमें पड़ गया है, और उनको यह भिक्वात केवल किसी कानूनी बुनियादपर ही नहीं होती है बल्कि एक बहुत बड़े महत्वकी और आवश्यक बातके आधारपर, जैसे मामलेके बारेमें बहस करनेमें बहुत बड़ी कमीका होना आर्ट ६—छल ४ और ५ के अनुसार जायता दीवानीका आवश्यक बातों का प्राप्त न कर सकना, मुद्दें या मुद्दाअलेह अध्या और किसी जरूरी गवाहको तलब करनेमें असाधवानी करना या जानबूझकर () या हिनाबकी किताबका छिपा रचना।” देखो F 68 I C 812 F B, 20; A

लीडित — जायता दीवानो सन १९०८ ई० का आर्डर ६, जो प्लोडिड्स के सम्बन्धमें है, बिल्कुल नया है। इसमें प्लोडिड्सके सम्बन्धी कुछ नियम हैं जो प्लोडिड्स लिपाने के उसी ढङ्गके आधारपर जारी किये गये हैं जो इङ्ग्लैण्डमें न्यायालय सम्बन्धी कानूनों (Judicature Acts) द्वारा रायज किया गया है। वकील को चाहिये कि वह उसे खूब ध्यानपूर्वक पढ़ जाय और उसमें बतलाये हुए नियमोंके अनुसार ही अपना मसविदा तैयार करे। अरुसर यह देखा जाता है कि प्लोडिड्समें बहुत सी व्यर्थकी और असङ्गत बातें भरी रहती हैं और ऐसी दशांमें इन व्यर्थ और ऊट पटागकी बातोंसे असली वाकियातको अलग करना मुश्किल होजाता है। इसका नतीजा यह होता है कि उमूर ताफीह बढ़ जाते हैं और उन समय प्लोडिड्सले जो मन्दा होता है वह सबका सब नष्ट होजाता है। मुकद्दमाके फैसल होनेमें ढेर होजाती है और फरीकैतको व्यर्थका खर्च उठाना पड़ता है और कभी कभी उनका मुकद्दमा खारिज भी होजाता है। प्लोडिड्सके सम्बन्धमें नियमोंके बनानेका उद्देश्य यह है कि मौजूदा हालतको और अधिक उन्नत बनाया जाय। और यह नाराही जाती है कि प्लोडिड्स तैयार करनेमें विशेष ध्यान रखा जायगा। प्लोडिड्स सक्षित (मुत्तसर) और ठीक ठीक होना चाहिये। इस व्यवस्थाका असली प्रयोजन यह है कि फरीकैतको तनकीहों का जवाब ढूढनेमें आसानी हो और उनका व्यर्थमें धन और समय नष्ट न हो, खासकर उस राहादतके सम्बन्धमें जो दोनों ओरसे मुकद्दमके वक्त पेशकी जानी चाहिये।

प्लोडिड्सका अर्थ है अर्जादावा, बयान तहरीरी, आर्डर ६ के रूल ४ और ५ के अनुसार लिखी जानेवाली बातें, किसी दावा मुतकाबिलका जवाब, जायद बयान तहरीरी इत्यादि। प्लोडिड्समें असली वाकियातका सक्षित वर्णन होना चाहिये जिनके ऊपर फरीकें मुकद्दमा अपने दावा या सफाईको पेश करना चाहता है, वह शहादत नहीं जो उनको साबित करनेके काममें लाई जातेको है; और आवश्यकता पडनेपर यह ऐसे पैराग्राफोंमें बाट दी जायगी जिनमें सिलसिले वार नम्बर डाल दिये जायेंगे। तारीख, रकम और नम्बर अंकोंमें लिखे जाने चाहिये शब्दोंमें नहीं (देखो, आर्डर ६, रूल २)। नमूनाके सम्बन्धमें देखा जायता दीवानोका परिशिष्ट (ए)। जहरी बातोंमें वे वाकियात शामिल नहीं हैं जिनको साबित करनेका मुकद्दमके समय किसी फरीकको हक है (देखो 22 C L J 245)। आर्डर ७, रूल १ (ई) का कहना यह है कि अर्जादावामें वे बातें होनी चाहिये जो कि दावाकी बिनाय मुखासमत पैदा करती हैं। इसलिये अर्जादावाके लिये यह आवश्यक नहीं है कि उसमें हानि इत्यादिकी सम्बन्धी बातें बड़ाकर दर्ज की जायें और न यही आवश्यक है कि बयान तहरीरीमें हानि (मुकदान) को घटाकर बतलाया जाय (देखो, आर्डर ८, रूल ३)। प्लोडिड्स में कोई बात ऐसी न लिखी जानी चाहिये जो विरोधी पक्षके उत्तरके बारेमें पहले से ही खोच ली गई हो। फरीकें को वही बातें लिखनी चाहिये जो मुकद्दमके प्रारम्भमें आवश्यक हैं (देखो 1893 1 Q B 571) प्लोडिड्समें विरोधी पक्षके

इकबाल को नहीं लिखना चाहिये, क्योंकि यह इकबाल सिर्फ शहादत ही है (देखो 7 Ch D 473) ।

मुद्दईको यह अधिकार है कि वह बहुतसे भिन्न भिन्न अधिकारोंको काममें लावे, फिर चाहे वह असगत ही क्यों न हो देखो लार्ड जस्टिस ब्रेटका फैसला 4 Q B D 127, 134—इसी तरह मुद्दाअलेह भी जितनी चाहे उतनी तरहकी और असगत सफाई पेश कर सकता है । अगर दो अलग अलग मुकद्दमे कायम किये गये हैं तो उन दोनोंके वाकियात एकमें शामिल न कर देने चाहिये, इसलिए कि विरोधी पक्ष हर एक मामलेसे सम्बन्ध रखनेवाले वाकियातको छाट लेगा, किन्तु वाकियात अलग अलग बतलाये जाने चाहिये ताकि उनसे यह जाना जासके कि किन वाकियातके ऊपर किस दादरसीके लिये दरखास्त की गई है (देखो 3 Ex D 251, 255 में लार्ड चीफ जस्टिस थे सीजरका फैसला तथा आर्डर ८, रूल ७) । हिन्दुस्तानमें इसके लिये कोई दूसरा नियम नहीं है । मुद्दई अलग अलग अपने बहुतसे अधिकारोंका प्रयोग कर सकता है, यद्यपि वे असगत ही क्यों न हो (देखो 34 Cal 51 F B 24 C W N 145) । लेकिन जैसा 15 Cal 684 में जुडीशल कमेटीने बतलाया है, मुद्दईको बिल्कुल एक दूसरेके विरोधी वाकियातको अपने दावामें लिखनेकी इजाजत न दी जायगी, जिनमें एक दूसरेका घातक हो (देखो, 22 C L J 254, 21 C W N 939, 22 C L J 309) अगर सफाई पेशा है, जिससे मामलेमें बड़ी गड़बड़ी पडती हो तो अदालतको यह अधिकार होगा कि वह आर्डर ६, रूल १६ के अनुसार यह हुजूम दे कि उन दो असम्बद्ध सफाईके बयानोंमेंसे एक उड़ा दिया जाय (देखो 7 I C 167, 15 I C 382) ।

उन प्लीडिङ्सके पेश करनेकी इजाजत तो है जो एक दूसरेसे असम्बद्ध हैं, लेकिन यह मुद्दई या मुद्दाअलेह, जो अपने असम्बन्ध बातोंको पेश कर सकनेके अधिकारका प्रयोग करना चाहता है और उन दोनों बातोंको ऐसे जयानी सुद्धसे साबित करना चाहता है जो बिल्कुल प्रतिवृत्त पडता है तो वह अपने आपको ऐसे सुद्धके गढेमें डालना चाहता है जिसमेंसे उसका निकलना असम्भव नहीं तो वह सम्भव तो अवश्य ही होजाता है, क्योंकि जो शर्तारत ऐसे दो मामलोंका समर्थन करनेके लिये पेश कीगई हो जो एक दूसरेसे बिल्कुल भिन्न हैं और एक दूसरेके नाशक हैं, वरपर मुक्तिसे विरवार किया जासकता है (देखो 28 C W N 131) ।

उन तमाम हालतोंमें, जिनमें प्लीडिङ्स पेश करनेवाला फरीक़ दिखी गलत बयानी, धोषा, खयालत, जानबूझकर किये गये कसूर अथवा अनुचित दाय टारनेके आधारपर अपना मामला चलाना चाहता है, और उन तमाम हालतों में जिनमें गामलेकी रास रास बातें सप्रिस्तार लिखी जाना आवश्यक है, वे तमाम बातें प्लीडिङ्समें तहरीरकी जानी चाहिये (देखो, आर्डर ६, रूल ४), अदालतको अधिकार होगा कि वह उस प्लीडिङ्समें कोई आर प्रिरोप बात और उससे अच्छी बात लिखने लगेके लिये

ऐसी शर्त, जो पहले की है और जिसके पूरा करनेके ऊपर वाद-विवाद किया जानेको है, साफ साफ लिखी जानी चाहिये (देखो आर्डर ६, रूल ६) । किसी मुआहिदेका इनकार कर दिया जाना सिर्फ उस तहरीर या फेलसे इनकार कर देना है । इससे यह कदापि न समझा जाना चाहिये कि यह इनकारी उसके जवाज (Legality) से या इस बातकी इनकारी है कि उसपर कानूनी कारवाई नहीं की जासकती (देखो, आर्डर ६, रूल ९) । लेकिन कभी कभी ठीक ठीक शब्दोंका लिखा जाना आवश्यक है अर्थात् किसी की जवानी या तहरीरके जरिये हतक इज्जती (मान हानि) करनेके मामलेमें वे शब्द लिखे जाने चाहिये जो मान हानि करनेके लिये प्रयोगमें लाये गये हैं । अगर मामलेकी बुनियाद अदावत, खराब मनशा या ऐसी ही और किसी बातपर हो तो उनके अलग अलग वाकियात की तरहपर तहरीर किया जाना चाहिये (देखो आर्डर ६, रूल १०) । अगर किसी नालिशकी बुनियाद कोई नोटिस है तो उसे बतौर एक वाकियेके दर्ज किया जाना चाहिये (देखो आर्डर ६, रूल ११) । अगर बहुत से पत्रों (चिट्ठियों) या जवानी बात चीत आदिसे कोई मुआहिदा या कोई सम्बन्ध साबित होता हो तो ऐसे मुआहिदा या सम्बन्धकी बतौर वाकियाके तहरीर करना चाहिये (देखो आर्डर ६, रूल १२) ।

दस्तखत और तरदीक

हर एक प्लीडिङ्ग के ऊपर फरीक और उसके वकीलके (अगर कोई हो) हस्ताक्षर (दस्तखत) होंगे । लेकिन जब फरीक गैर हाजिर होने या और किसी कारण से दस्तखत नहीं कर सकता तो उस पर किसी ऐसे आदमीके दस्त खत होंगे जिसको उस पर दस्तखत करने, नालिश दायर करने या उसकी ओर से किसी मुकदमेमें खर्चाई वगैरा पेश करने के लिये बाराकापदा इजाजत दी गई हो (आर्डर ६, रूल १४) ।

१—हर एक प्लीडिङ्गके नीचे प्लीडिङ्ग दाखिल करने वाले फरीक की या उनमें से किसी एक फरीककी या किसी दूसरे ऐसे शख्सकी तस्दीक होंगी जिसकी निश्चत अदालत को यह यकीन दिला दिया जाय कि वह मामलेके वाकियात से बखूबी वाकिफ है ।

२—तस्दीक करने वाले शख्स को चाहिये कि वह प्लीडिङ्गके नम्बर शुदा पैरा ग्राफोका उठलेख करते हुये उनमें यह लिखे कि कितने की तस्दीक वह अपनी जाती जानकारीसे करता है और कितनेकी तस्दीक उस इत्तला के ऊपर करता है जो उसे मिली है और जिसके सही होनेकी निश्चत उसे यकीन होगया है (देखो 6 C 675, 7 C L R 413, 15)

३—इस तस्दीक के ऊपर तस्दीक करने वाले के दस्तखत होंगे और उसमें तस्दीक करने की तारीख और मुकाम भी लिखा रहना चाहिये, (देखो, आर्डर ६, रूल १५) ।

जब कि तस्दीक करने वाला शख्स फरीक मुकद्दमा या दरखास्त कुनि-
न्दाके अलावा कोई दूसरा शख्स होतो एकर इलफनामा इस बातका दाखिल
किया जाना जरूरी है कि वह शख्स मामलेके वाक्यातसे बखूबी जानता
है। साधारणत यह भी हुआ करता है कि तस्दीक करने के लिये अदालतसे इजा-
जत मागने के लिये दरखास्त दी जाय लेकिन यह कोई लाजिमी बात नहीं है
(देखो 28 C W N 687) । यही बात इजरा की दरखास्त की तस्दीक
के सम्बन्धमें है देखो आर्डर २१, रूल ११ (२) आम तौर पर तस्दीक इस
तरह पर होना चाहिये—

मैं (मुद्दई या उनका बाजावता मुकर्रे क़िया हुआ वकील या मुख-
तार) इस मामलेके वाक्यातसे बखूबी वाक़िफ हूँ और इस तहरीरके जरिये, यह
इजहार करता हूँ कि पैरा मे बतलाये गये वाक्यात और उसमें लिखी गई
घातोंकी निस्त मुझे खुद इल्म है कि सही है और यह कि पैरा . मे लिखी
हुई बातोंको मैं इनला और यकीनसे (जैसा कुछ हो,) जानता हूँ कि वे सही हैं, और
मैं अपने मक़ान मुकाम (या अपने पकीलके मक़ान) के
ऊपर आज तारीख माह सन् ई० को वक्त बजे दिनके इस
पर दस्तखत करता हूँ ।

दस्तखत

(या अलामत या निशानी अंगूठा) नाम का
वक़लम .

दस्तखत और तस्दीक कर चुकने पर बयान तहरीरी और अर्जीदावा वगैरा
एकर मुख्तार दाखिल या पेश कर सकता है, लेकिन उनमें से किसी पर भी
हुबारा उसके दस्तखत नहीं हो सकते । यदि अर्जीदावा या बयान तहरीरीमें दस्त-
खत न हो तो सिर्फ दस्तखत न करने से ही अर्जीदावा नाजायज़ नहीं हो जाता ।
कभी जावते की है और वह किसी समय भी सशोधनके जरिये ठीक की जा
सकती है, (देखो 22 A 55, 19 C W N 1159, 19 C W
N 220 Notes, 17 C W N 989, 2 C L J. 11) । जब मुद्दईने
सिर्फ तस्दीकके ऊपर दस्तखत कियेहों लेकिन अर्जीदावाकेऊपर दस्तखत न किये
हों, तो वह अर्जीदावा दस्तखत करने के लिये वापस कर दिया जाना चाहिये
या सुल्गी अदालतमें दस्तखत करा लेना चाहिये, परन्तु वह खारिज नहीं किया
जा सकता, (देखो 165 P W R 1911, 1912 M W N 1207) ।

अगर तस्दीक गलत कीगई है तो उसके लिये जावता दीवानीकी दफा
१९१ के अनुसार दण्ड दिया जाना चाहिये, देखो 6 A 626 किसी कारोरेगन
की ओरसे या उसके खिलाफ की जाने वाली नालिशोमें प्लॉडिंगके ऊपर उस
कारोरेगनके मिन्ट्री या किसी हाइरेक्टर अथवा किसी दूसरे प्रधान अधिकारी
के दस्तखत होने चाहिये जो मामले के वाक्यातसे वाक़िफ हो ।

प्लीडिंगस का संशोधन और उसका नष्ट कर देना—

अदालत मुकद्दमके दौरानमें किसी भी समय प्लीडिंगमें लिखी हुई किसी भी बातको नष्ट कर दिये जाने या उसका संशोधन कर दिये जानेका हुक्म दे सकती है जो आवश्यक या निन्दित हो या जिनसे उस मुकद्दममें स्तम्भ न्याय होनेमें कोई बाधा पड़ती हो अथवा दिक्कत या देर होती हो (भांडर ६, रूल १६)। अदालत मुकद्दम की किसी भी अवस्थामें दोनों फरीफ़िन में से किसी को भी यह आज्ञा दे सकती है कि वह अपनी प्लीडिंगस को इस तरह पर और ऐसी शर्तों पर बदल दे या उनका संशोधन कर दे जो उचित हों और ऐसे समस्त संशोधन इस तरहके होंगे जो फरीफ़िनके दर्मियानी झगड़ेके असली प्रश्नको तय करने के लिये आवश्यक होंगे (देखो भांडर ६, रूल १७)। अगर कोई फरीफ़िन नियत समयके भीतर संशोधन न कर देगा तो उसको उस समयके खतमहो जानेके बाद या अगर कोई समय निश्चित नहीं हुआ है तो हुक्मकी तारीखसे चौदह दिनोंके भीतर संशोधन न कर देने पर उसे फिर दुबारा मौका इसके संशोधन कर देनेके लिये न दिया जायगा। अदालत इस मुद्दतको बढ़ा सकती है (देखो भांडर ६, रूल १८)।

यद्यपि अदालत मुकद्दमकी किसी भी अवस्थामें संशोधन करनेकी इजाजत दे सकती है तो भी दरखवास्त जहा तक हो सके मुनासिब वक्त के अन्दर ही दे देनी चाहिये और जैसा कि नियम है प्लीडिंगस खतम होनेके पहिले ही, क्या कि यह बात अदालतकी इच्छा पर है कि वह चाहे प्रार्थना स्वीकार करे चाहे न करे। अगर संशोधन देरमें पेग किया गया हो तो अदालतको अधिकार होगा कि वह संशोधनको नामजूर कर दे। जिस संशोधनके लिये प्रार्थना की जाय वह (१) ऐसा न हो जो दूसरे पक्ष (फरीफ़िन) के साथ अचानक करता हो और (२) ऐसा होना चाहिये जो फरीफ़िन के दर्मियानी झगड़े के असली प्रश्न को तय कराने के लिये आवश्यक हो और (३) वह नेकनीयतीके साथ किया जाना चाहिये। अदालत इस संशोधन की बावजूद दूसरे फरीफ़िनको खर्चा दिला सकती है। 'फरीफ़िनके दर्मियानी झगड़ेका प्रश्न' कानूनी नहीं बल्कि वाक्याती है तथा उसका तात्पर्य ऐसे प्रश्नसे है जिसको दोनों फरीफ़िन वास्तवमें तय करना चाहते हों, ऐसे प्रश्न से नहीं जो मुकद्दमके दौरानमें किसी एक फरीफ़िनकी ओरसे पहले पहल पदा किया गया हो, (देखो, रोलस बनाम डेविस 28 L J Ex 287) अगर संशोधन करने का अभिप्राय एक किस्म की नालिश को दूसरे किस्मकी नालिशमें तबदील कर देनेका है तो ऐसा संशोधन नामजूर कर दिया जा सकता है, फिर चाहे जिस अवस्था में उसके लिये प्रार्थना की गई हो इससे कोई मतलब नहीं, (देखो 19 B 303, 9 C 526, 12 B 431)

जब किसी अजीदावामें कोई संशोधन किया जाय तो मुद्दाभेदको भी अपने ध्यान तहरीरोमें संशोधन करने या नया ध्यान तहरीरी दाखिल करने और नये दावा का सण्डन करनेके लिये, तथा शहादत पेश करनेके लिये

मौका दिया जाना चाहिये (देखो 16 I C 785, 12 C. L J 556, 24 I C 822, 20 C W N 547)

जो संशोधन अदालतकी आज्ञासे किया गया हो वह कानून मियादकी दफा २२ के अर्थमें इजाफा या किसी दूसरे नये मुद्देका बना दिया जाना समझा जायगा, (देखो 19 C W N 1913) । ऐसे संशोधन की इजाजत नहीं दी जासकती जिससे किसी फरीकका अमने ऊपर किये गये दावाकी मियादके आधारपर पैरवी करनेका अधिकार नष्ट होजाय (देखो-20 C W N 475, 36 A 370, 29 M L J 464) ।

दूसरी अपीलमें संशोधनकी इजाजत न दी जानी चाहिये जबकि उसमें नई शहादत और नए सवालत शामिल हो (देखो 12 I C 200, 36 C. 481) कभी कभी फरीकनका बढ़ाये जानेके लिये दूसरी अपीलमें संशोधन करनेकी इजाजत दी जासकती है (देखो 12 B 158, 6 B 670) ।

नोट—एक बात और भी बरीलमें ध्यान रखना चाहिये कि जिस मुकद्दमें पैरवी वह जायजता तहरीर के अनुसार कर रहा है उसमें कोई ऐसी निजा या झगडा है निमका सम्बन्ध उस बकीलकी किसी खास जायदाद या हक में है और वह बकील उस मामले में अपनी जायदाद सम्बन्ध या इक सम्बन्धी प्रश्नके न उठावे और पीछे से नए मामले में भिन्न रूप से पैदा करे तो वह बकील ऐसा मामला फिर नहीं उठा सकता इस विषय पर अनेक मामले फेसल हो गए हैं ।

वकालत नामा

वकीलकी नियुक्त

१—जायजता दीवानीके अनुसार किसी शख्सकी ओरसे किसी मुकद्दमें में हाजिर होने, कोई दखलबास्त बगैरा दाखिल करने या कोई तालिश दायर करने के लिये किसी वकीलकी नियुक्ति बजरिये एक तहरीरी वकालतनामाके होगी और उस पर उस शख्सके या उसके मुख्तार मजाजके या किसी ऐसे दूसरे आदमीके दस्तखत होंगे जिसको बजरिये मुख्तारनाम उसकी ओरसे ऐना करनेका अधिकार दिया गया हो । (२) ऐसा हर एक वकालतनामा अदालतमें दाखिल होना चाहिये और वह उस समय तक जारी समझा जायगा जब तक कि वह अदालत की इजाजत से किसी ऐसी तहरीरके जरिये उसको मसूरन कर दिया जाय जिस पर उस मुवकिल या वकील(जैसा कुछ हो)के दस्तखत होंगे और जो अदालतमें दाखिलकी जायगी, या जब तक कि मुवकिल या वकील मर न जाय या जब तक कि उस मुवकिल के सम्बन्धकी उस मुकद्दमेंकी सारी कार्रवाई खतम न हो जाय । (३) किसी हाईकोर्ट या चीफकोर्ट के ऐडवोकेट या किसी बैरिस्टरको ऐसा कोई वकालतनामा दाखिल करने की जरूरत नहीं है, (देखो आर्डर ३, क्ल ४) ।

नोट—मदत में आर्डर ३, क्ल ४ में सब क्ल (४) भी जोड़ दिया गया है ।

घकालतनामा कैसे मजूर किया जा सकता है ?

किसी घकालतनामा को मजूर करते समय जिसकी तकमील स्वयं किसी मुवक्किलने ही की है वकीलके लिये यह लाजिमी है कि वह इस बातका इतमीनान कर ले कि उसकी तकमील उसीने की है और जब उस मुवक्किलकी ओरसे किसी तीसरे आदमीने उसे लिखा हो तो उसके लिये इस बातका निश्चय कर लेना लाजिमी है कि उस शख्सको मुवक्किलने वकील मुकर्रर करने के लिये बाजायता इजाजत दे दी है और यह कि उसीने यह 'घकालतनामा' लिखा है। घकालतनामा दाखिल करते समय प्लीडर या वकीलको चाहिये कि वह उसकी पुस्त पर (अ) घकालतनामा मजूर करनेकी तारीख (ब) उस शख्सका नाम जिससे वह प्राप्त हुआ है और (स) अगर वह ऐसा शख्स है जो न तो मुवक्किल है और न वकील, प्लीडर या मुखतार तो उस शख्सके अधिकारके बारेमें (ड) मय तारीखके लिख दे। अगर 'घकालतनामा' की तकमील करने वाला शख्स पढा लिखा आदमी है तो उस घकालतनामाके ऊपर अलामत या अगूठेका निशान बनवा देना चाहिये और उस पर कोई दूसरा आदमी उसका नाम लिख देगा और अपना वकालम लिखकर उसपर दस्तखत करनेकी तारीख डाल देगा।

जो घकालतनामा किसी एक वकीलने दाखिल किया है उसे बादमें दूसरा वकील ले सकता है, जिसका नाम उस 'घकालतनामा' पर पहले से मोजूद हो, अगर उसे ऐसा करनेके लिये वह शख्स अधिकार दे जिसने कि वह घकालतनामा लिखा हो। उसकी तकमीलफ्री हो, (देखो V Rule C No 5 of 1916 Post)। लेकिन ऐसे बाद वाले घकालतनामा की मजूरी करनेकी दगाम उसकी पुस्त पर तस्दीक की जाने वाली बात वही रहेगी जो पहली बार लिखी गई थी।

तस्दीक का फार्म

१—मुसम्मा
मया है कि वह मुर्दा मुदाअलेइ न०
घकालतनामा को लिख दिया है
मजूर कर लिया।

से, जिसके बारे में मुझे यह यकीन हो
है और जिसने बाजायता इस
घसूल पाया और उसे

वकील

(तारीख)

२—वह घकालतनामा, जिने मुसम्मा
अलेइ न० ने बाजायता लिख दिया है, मुसम्मा

.. मुर्दा मुदा-

से, जो, मुझे यकीन होगया है, उसका मुखतार मजाज या बाजायता मुकर्रर
किया हुआ कारिन्दा है, पाया और उसे मजूर किया।

(वकील)

(तारीख)

३—यह 'वकालतनामा' जिसे मुसम्मा गुदर है।
 मुद्दाअलेह न० ने बाजाबता लिख दिया है, मुसम्मा
 से, जो मुझे यकीन हो गया है उसका भाई या नौकर है और जिसके पास तारीख
 तहरीरी अख्तयारनामा उसे पेश करने का दिया गया है, पाया और
 उसे मजूर किया ।

... (वकील)
 . (तारीख)

४—बाद में वकालतनामा का मजूर करना मुसम्मा
 से, जो, मुझे यकीन हो गया है, गुदर है। मुद्दाअलेह न० है और
 जिसने बाजाबता वकालतनामा लिख दिया है [या मुसम्मा से,
 जो, मुझे यकीन हो गया है, गुदर है। मुद्दाअलेह न० तकमील
 कुनिन्दा का भाई या नौकर है और जिसके पास तारीख का
 तहरीरी अख्तयारनामा मौजूद है] वकालतनामा मजूर किया ।

(वकील)
 (तारीख)

—हाईकोर्टों को छोड़ भिन्न प्रान्तोंके लिये दीवानी या फौजदारी अदालतोंमें
 वकालतनामा पर लगाया जाने वाला मुनासिब कोर्ट फीस एक रुपया या आठ
 आना या दो रुपया भिन्न भिन्न है।

उस चिट्ठी के ऊपर जो मुवक्किलने अपने वकीलको अपील दायर करनेके
 लिये लिखा था, मुनासिब कोर्ट फीस लगाया गया था और वह दाखिल कीगई
 थी। तब हुआ कि यह माकूल अधिकार पत्र (इजाजत नामा है) देखो 1 C. W
 N Ceviii

अगर कोई वकील बीमार या और जरूरी कामोंकी वजहसे हाजिर न हो
 सके तो वह अपने मुवक्किलके मुकद्दमेको जबानी दूसरे वकीलके हवाले कर
 सकता है, जो उसकी ओरसे उस मुकद्दमेमें पैरवी करेगा, यद्यपि चाहे उसका नाम
 वकालतनामामें पहिले से मौजूद न हो, (देखो 9 A 613, 22 B 654, 35
 C 799; 12 C W N 888, देखो 20 B 293, 20 C W N 283 भी)

जिस 'वकालतनामामें' वकीलका नाम न हो वह अधूरा है और जो कोई
 भी कार्रवाई उसके अनुसार की जायगी वह नाजायज होगी, देखो 36 A 46,
 11 C L J 285, और 37 C 399 में यह तय किया गया है कि अगर मुख्त
 तारनामा में कोई भूल मालूम हो तो अदालतको पूर्ण अधिकार है कि वह उसका
 सशोधन करनेकी इजाजत दे देवे तथा उसका पहले जैसा ही असर होगा।

आर्डर ३, रूल/४ के अनुसार, किसी वकील की नियुक्त बजरिये तहरीर
 के होनी चाहिये, परन्तु उसका मजूर करना तहरीरी होना आवश्यक नहीं है,
 देखो 5 C W N 816—जिस वकीलका नाम वकालतनामामें है उसका मजूर

करना या उसका कार्य, अगर अदालत जिसके लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे आज्ञा दे दे तो जायज और असर रखने वाला होगा, चाहे वकीलने उस वकालतनामाके प्रश्न पर तहरीरके जरिये तस्दीक नभी की हो। लेकिन हाईकोर्टके रूल ४६ की, जिसमें तस्दीक करके मजूर करनेकी व्यवस्था कीगई है, पाबन्दी करना आवश्यक है। यह रूल बहुत सुफीद है और बतलाई हुई रीतिले सब जगह उसकी पाबन्दी की जानी चाहिये। मुफ्तिसलकी अदालतको राजीनामा या रुपया अथवा कागजात की वापसीमें इस रूलका प्रयोग करने में विशेष सावधानीका ध्यान रखना चाहिये। अदालतको चाहिये कि वे उन वकीलों द्वारा इस रूलकी पाबन्दी किये जाने पर जोर दे जो उनकी इजलासमें आकर वकालत करते हों, और जो वकील उसकी पाबन्दी न करे तो उसकी बातोंकी समाप्त न करे, (देखो 20 C W N 287, 23 C L J 297, 43 Cal 884

जब कि एक वकीलने, जिस पर बिना इजाजत एक मुकद्दमाको फिरसे दायर करनेके लिये दरख्वास्त देनेका इजाम लगाया गया था, अपनी सफाईमें यह कहा कि मुझे फरीकके मुख्तार के एक मुद्दारने ऐसा करनेके लिये कहा था और यह कि मुझे गलतीसे यह बतलाया गया कि जो वकालतनामा प्रारम्भिक मुकद्दममें लिखा गया था उसमें मेरा नाम भी मौजूद था, तब हुआ कि उसने लीगल पैक्टिशनर्स ऐक्टकी दफा १३ (ए) को उल्लंघन किया। यह कि अगर 'वकालतनामा' में वकीलका नाम था तो भी सिर्फ जयानी मजूरी हाईकोर्टके रूलके रूल ४६, कलॉज (ई) की पाबन्दी न होगी।

जस्टिस रिचर्डसन.—वकालतनामा सम्बन्धी जो नियम हैं उनकी नीचेकी अदालतोंमें तामील किया जाना आवश्यक है। जजको अख्तियार रहता है कि वह किसी ऐसे वकीलकी बातोंको सुनने या उसको काम करने देनेसे इनकार कर दे जिसने बतलाये हुये नियमोंके अनुसार वकालतनामा दाखिल नहीं किया है। जजका यह भी एक कर्तव्य है कि वह इस रूलका उल्लंघन करनेके सम्बन्ध में, जो उस समय उसे मालूम न हो सके, और जिसकी सूचना उसे बादको मिले जो कुछ उचित कार्रवाई समझ करे देतो 20 C, W N 283 तथा 2 Pat L J 259

यह नियुक्ति अदालतकी इजाजत लेकर एक तहरीरके जरिये मंसूर की जा सकती है जिस पर मुबक्किलके दस्तखत होंगे और जो अदालतमें दाखिल कर दी जायगी, देखो 36 C 609

डिकरीकी इजरा करनेके लिये लिखे गये 'वकालतनामा' में अदालतके बाहर रुपया लेने का भी अधिकार रहता है, देतो 22 I C 277

वकालतनामाके सम्बन्धमें जिम्मेदारी

वकालतनामोंकी, चाहे उन्हें असली फरीकन मुकद्दमा ने गिरा हो या उसके मुख्तारों और कारिन्दोंने, और उन मुख्तारनामाकी जिम्मेदारियाँ

के आधार पर ये वकालतनामे लिखे जाते हैं, हलफके जरियेसे तस्दीक करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे तमाम दस्तावेजोंकी, जो वाक़ायदा और सही सही लिखे गये हों, पूरी पूरी ज़म्मेदारी वकीलों और प्लीडरोंकी होती है। यह नियम उन अप्रस्थाओंमें लागू नहीं होते जिनमें मुसूतार या एजेण्ट नियुक्त किये जाते हैं। ऐसी सभी दशाओंमें मुखतारनामों की हलफ पर तस्दीक किया जाना आवश्यक है, सिवाय उन मुसूतारनामोंके जो उन मुखतारोंको लिखे गये हैं जिन्होंने उस समय प्रचलित कानूनके अनुसार सर्टीफिकेट प्राप्त किया हो, देखो R 46 Ch XI G R C O

हार्दरोंमें वकालत करेवाले वकील अपने वकालतनामोंके ऊपर मुखतारों या दूसरे आदमियोंके नाम नोट करलेंगे जिनसे उन्हें वकालतनामा प्राप्त हुए है।

वकालतनामा मंज़ूर कर लेनेमें ज़म्मेदारी—तमाम डिस्ट्रिक्ट जज और घाहर के तमाम मुन्सिफ़ सभी दर्जेके वकीलोंको यह समझा देगे कि जिन अदालतोंमें वे वकालत करते हैं उनमें स्वयं फरीक़ैन मुकद्दमा या उनलोगोंकी ओरसे, जिनका यह कहना है कि उनको आम या खास मुखतारनामाके जरियेसे दूसरे लोगोंकी ओरसे कार्य करनेका अधिकार दिया गया है, दिये गये वकालतनामोंके मंज़ूर करनेमें उनकी क्या ज़म्मेदारी है (देखो, R 46 A)

वकीलोंकी ज़म्मेदारीपर अदालतें 'वकालतनामा' ले सकती हैं। उस वकीलको जो कोई ऐसा 'वकालतनामा' मंज़ूर कर रहा हो जिते स्वयं मुवक़िल ने ही लिखा हो, ल जिन है कि वह इस बातका इतमीनान करले कि उसकी सक़मील वास्तवमें मुवक़िलने ही की है। जब उसके मुवक़िलकी ओरसे किसी तीसरे आदमीने वकालतनामा लिखा हो तो उसे यह देटलेना ज़रूरी है कि उस शख्सको मुवक़िल, वकील मुफ़रर करनेके लिए वाक़ायदा इजाजत दी है और यह कि उसी ने वकालतनामा लिखा है,

कोई भी वकील या प्लीडर फरीक़ मुकद्दमा, या उसके मुखतार मजाज या उस शख्सके, जिसको उसकी ओरसे काम करनेके लिए बज्रिये मुखतारनामा अधिकार दिया गया है, या उसके नौकर या रिश्तेदार या प्लीडर या वकील या मुखतारके सिवा जिसको इस सम्बन्धमें तहरीरके जरियेसे खास इजाजत दी गयी है किसी दूसरे शख्सके दिये हुए वकालतनामाको मंज़ूर नहीं कर सकता (देखो R 46 C Rule no. 5 of 1916) ।

जब एकसे अधिक फरीक़ हो और वे अलग अलग वकालतनामा लेकर आवें तो उनमेंसे किसी एक का 'वकालतनामा' मंज़ूर किया जासकता है जिसको उसके टिपानेका अधिकार हो लेकिन अगर वे एक ही वकालतनामा लेकर आवें, वह उनमेंसे किसी एक की ओरसे या किसी ऐसे आदमीकी ओरसे लिया जासकता है जिसको उनमें से किसी एकने, जिसको दूसरोंकी ओरसे काम करनेका खास अधिकार है, वाजायता अधिकार दिया है।

जब वकालतनामा किसी वकील या प्लीडरने दाखिल किया हो, तो वह उसकी पुश्तपर उसके मंजूर करनेकी तारीख, उन लोगोंक नाम लिखेगा जिनसे वह मिला है और अगर ऐसा शकस, न तो खुद मुवकिल है और न वकील, प्लीडर या मुखतार हो वह तारीखके सहित उस शकसका अधिकार कैसा और क्या है यह लिखेगा (देखो R 46 0)

जो 'वकालतनामा' अदालतमें दाखिल किया गया है उसको बादमें कोई वकील या प्लीडर मंजूर कर सकता है जिसका नाम उस 'वकालतनामा' में उस समय मौजूद था जिस समय वह पहले पहल दाखिल किया गया था, बादमें वकालतनामा मंजूर करनेपर उसकी पुश्तपर उसी तरह तस्दीक करनी चाहिये जैसी कि पहलवार कीगई थी (देखो R 46 F) ।

मुकद्दमोंमें वकीलोंके अधिकारकी हद—मुकद्दमोंमें वकील और प्लीडर बिना किसी खास अधिकारके घट तक नही लेसकता जो डिक्रीयोंकी इजरामें वसूल कीगई हो । डिक्रीके अमलमें आते ही अर्थात् अदालतमें रुपया अदा कर दिये जानेपर (अगर डिक्री रुपयेकी बात है) वकील या प्लीडरको दिये गये अख्तयारात खतम होजाते हैं । अदालतके बाहर रुपया लेना, इसके बादकी और दूसरी बात है और किसी वकील या प्लीडरको वह रुपया वसूल करनेकी इजाजत नही देनी चाहिये सिवाय उस दशाके जबतक कि उसके 'वकालतनामा' में कोई खास किराया या कोई दूसरी तहरीर ऐसी न हो जो उसे ऐसा करनेकी इजाजत देती हो । बाहरकी अदालतके सम्बन्धमें अगर वे कागजात जिनके साथमें वकालतनामा या वह दूसरी तहरीर नत्थी है, जिलेके मुहाफिजपानेको भेज दिये गये हैं और ऐसे अधिकारको बिना उनके सावेत न किया जासकता हो तो, उससे सम्बन्ध रखनेवाले वकील या प्लीडरके लिए यह आवश्यक है कि वह डिक्रीका मतालबा वसूल पानेके लिये दीगई अर्जीपर इस बातका एक सर्टिफिकेट लिख दे कि उसे इसके दाखिल करनेके लिये आवश्यक अधिकार दिया गया है (देखो R 47 Ch XI G R C O)

नोट—आज तक अदालतोंमें वकालत साहबान जो वकालतनामा दाखिल करते हैं उनमें रुपया उठाने की शर्त लिख दिया करते हैं । इस कारवाइ में वकालतनामे के साथकी मन्त जरूरतें मगर यदि किसी अद-विरत वकील से काम पड़ा तो मुवाफिकको रुपयेके लिए खतरा भी है । समझ पूछ कर यह शर्त लिखी जाना चाहिए ।

फरीकैन और दावा की विनाय मुख्वासमत

फरीकैन और विनाय मुख्वासमत दावा का शामिल किया जाना

जायता दीवानी ऐक्ट न० ५ इन १९०८ ई० का भांडर न० १ रूल १ शामिल किया जाता मुद्दइयानका, और भाटर १ रूल ३ शामिल किया जाना मुद्दालेहुम हा, तथा भांडर २ रूल ३ शामिल किया जाना विनाय मुख्वासमत

दावा की व्यवस्था करता है। वकील साहबान को चाहिये कि वे इन कायदों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनमें बतलाये सिद्धान्तों को खूब समझ कर प्रत्येक ऐसे मामलेमें निश्चय करलें जो फ़रीक़न बनाने और दावा की बिनाय मुखासमत कायम करनेके बारे में बनाये गये हैं। हम नीचे संक्षेप से सबके समझानेका प्रयत्न करते हैं।

कौन लोग मुद्दई बनाए जा सकते हैं ?—एक मुक़द्दमेमें तमाम ऐसे आदमी मुद्दई बनाये जा सकते हैं जिनको एकही मुक़द्दमे या किसी मामले के सम्बन्धमें हक़ दादरस्ती हासिल हो, फिर वह चाहे एक में हो या अलग, या ऐसा न होने की दशामें उस समय जब, अगर ऐसे लोगों ने अलग अलग मुक़द्दमे दायर किये हो तो, क़ानून या वाक़यात का कोई सुतरक सज़ाल पैदा हो, (देखो, आर्डर १ रूल १) या यों कहिये कि आर्डर १, रूल १ एकही हक़ दादरस्ती रखने वाले बहुत से मुद्दइयों को यह अधिकार देता है कि वे अलग अलग मुक़द्दमे दायर करने के बदले एकही मुक़द्दमे में शामिल हो जाय।

इस रूल की 31 M 252 में स्पष्ट व्याख्या करदी गई है। किन्तु यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि जब किसी मुक़द्दमे में बहुत से आदमियों का सम्मिलित स्वार्थ हो तो उनका स्वार्थ एकसा ही समझा जायगा, एक दूसरेका विरोधो नहीं (देखो 16 B 119, 28 B 91, 22 C 833 and 33 C 367) अगर उनका हक़ दादरस्ती एकही दावा या मामले से पैदा नहीं होता या अगर क़ानून अथवा वाक़यात का प्रश्न भिन्न भिन्न है, तो वे एकही मुक़द्दमेमें बतौर मुद्दई शामिल नहीं हो सकते। उन्हें उस अलग अपनी ज़रूरतों के अनुसार दायर करनी चाहिये।

अलग, अथवा एक साथ और अलग अलग जिम्मेदार है। ऐसे मामलोंमें शामिलतामें या अलग अलग नालिश दायर करनेमें कानूनी परिणाम क्या होता है, इस सम्बन्धमें देखो 3 C 353; 5M 37, 25 B 378, 22 A 307, जब मद्युनान की जिम्मेदारी सिर्फ शामिलता में ही हो तो मुद्दोंको चाहिये कि वह उस मुआहिदा मुत्तरका लिपने वाले सभी आदमियों के ऊपर नालिश दायर करे, 5 C 291, देखो कानून मुआहिदा की दफा ४३

जब गलती से नालिश किली गलत मुद्दोंके नामसे दायर की गई हो तो अदालतको अधिकार है कि वह दूसरे अल्प लोगों के नाम मुद्दइत्यान में दर्ज कर दिये जाने या जोड़ दिये जाने के लिए इजाजत दे दे। अदालतको यह भी अधिकार होगा कि वह अपनी मर्जी से या किली फरीक के दरखवास्त देने पर किसी ऐसे आदमी का नाम निकाल दे जिसका नाम गलत तौर से शामिल कर दिया गया है या किसी ऐसे आदमीका नाम बढ़ादे जो शामिल किया जाना चाहिये था। देखो आर्डर १, रूल १०

जहाँ पर कुछ आदमी किली तरहका कोई हक रखते हैं और दूसरे कुछ आदमी उस हककी मुखालिफत करते हैं, तो इनमें से एक या अधिक आदमी आर्डर १ के रूल ८ के अनुसार अदालतकी आज्ञा (इजाजत) लेकर नालिश कर सकते हैं या उन पर नालिश दायरकी जा सकती है या वे अपनी बचतके लिये पैरवी कर सकते हैं। इस तरहके मुकद्दमें फी, जो बाकी हक रखने वाले आदमियोंकी ओर से दायर किया गया है, घोषणा कर देनी चाहिये।

शामिल न किया जाना या बेजा शामिल किया जाना—बेजा शामिल किया जानेका अर्थ है किसी ऐसे शख्सका शामिल किया जाना जो मुद्दों या मुद्दाअलेहकी तौर पर शामिल नालिश नहीं किया जाना चाहिये था, या किसी ऐसे शख्सको बतौर मुद्दों शामिल कर लेना जिसको बतौर मुद्दाअलेह शामिल करना चाहिये था और ऐसाही इसके विपरीत भी समझना चाहिये। फरीकनका बेजा शामिल किया जाना उली हालतमें होता है जब आर्डर १ के रूल और २ का ठीक ठीक पालन नहीं किया जाता है। अगर कोई ऐसा शख्स, जिसका शामिल करना आवश्यक था, शामिल न किया गया हो तो यह शामिल न किया जाना कहा जायगा।

बेजा शामिल किये जानेकी गलतीका सुधार आर्डर १ रूल १० के अनुसार किया जा सकता है और इससे बिनाय दावा या बिनाय जवाब दही पर कोई खास असर नहीं पडता (देखो 34B B P 20) शामिल न किया जाने का सुधार आर्डर १ रूल ९ के अनुसार किया जाना चाहिये। फरीकनका बेजा शामिल किया जाना और शामिल न किये जाने के सम्बन्धमें उज्रदारी जहाँ तक जल्द हो सके करनी चाहिये, जब तककि बादमें कोई वजह पेंदा न होगई हो (देखो आर्डर १, रूल १३)। यह उज्रदारी अपीलमें नहीं की जा सकती देखो 14 M 498, 16 B 119, 6 A 632

कोई भी नालिश किसी फटीकूके बेजा शामिल कियेजाने या न शामिल किये जाने की वजहसे नाकामयाब हो जायगी और अदालतको यह अधिकार होगा कि वह उस मामलेको, जहा तककि इसका सम्बन्ध फरीकनके हकूक और हिस्सेसे है जो उसके सामने पेश किया गया हो, तय करे (आर्डर १, रूल ९) अदालत उन फटीकनके हकूकको तय कर देगी जो उसके सामने पेश होंगे, बशर्ते कि वे तय किये जा सकते हैं। यह रूल उस जगह पर लागू नहीं हो सकता जहा पर बहुतसे आदमियोंके विरुद्ध विनाय मुखासमत साथ साथ पैदा होती हो (देखो 35 A 630, 6 C 815) आर्डर १, रूल ९, आर्डर ३४ रूल १ के आधीन है। अगर किसी बेहननामोंके ऊपर कीगई नालिशमें जरूरी फटीकू, मुकद्दमेंमें शामिल न किये गये हो तो वह नालिश खारिज कर दीजा सकती है, देखो 9 A L J. 86, 1 Pat L J 468, और देखो 10 A L J 1341 भी आर्डर ३४ रूल १ में यह छूट रखी गई है कि अगर मुरतहिन अब्दलको नालिशमें फरीक न बनाये तो दावा चल सकता है।

कौन कौन लोग मुद्दाअलेह बनाये जा सकते हैं ? एकही मुकद्दमें में वे सभी आदमी मुद्दाअलेह बनाये जा सकते हैं अगर वह हकू दादरसी, जो उनके विरुद्ध चतलाई जाती है, एकही फेल या मामलेसे पैदा होती हो फिर वह चाहे एक साथ हो या अलग अलग अथवा किसी दूसरी बातके बदलेमें हो, और अगर उनके ऊपर अलग अलग नालिशें दायर कीगई होती तो कानूनी या वाक्याती सवाल एक्सा पैदा होता (देखो, आर्डर १, रूल ३)।

एकही मुकद्दमेंमें भिन्न भिन्न विनाय मुखासमतके ऊपर जो एकही नालिश में शामिल करदी गई है, बहुत से मुद्दाअलेहोंको शामिल कर देनेके पहले दो शर्तों का पूरा किया जाना जरूरी है, अर्थात् (१) यहकि उन तमाम मुद्दाअलेहोंके खिलाफ हकू दादरसी एकही फेल या मामलेसे पैदा होता हो। और (२) यहकि अगर इन लोगों पर अलग अलग नालिशें दायर कीगई थी तो, कानून या वाक्यात सम्बन्धी कोई ऐसा सवाल पैदा हुआ हो जिससे उन सबका सम्बन्ध है (अर्थात् मुरतरक सवाल पैदा हुआ हो) देखो, 13 Bom L R 1061 मुद्दोंको अधिकार होगा कि वह एक मुकद्दमें में बहुतसे मुद्दाअलेहों के विरुद्ध पैदा हुये बहुतसे विनाय मुखासमतको शामिल करदे, अगर वे "इन विनाय मुखासमत में से किसी एकके लिए या सबके लिये शामिलतामें जिम्मेदार है"—उनका उस मुकद्दमेंके मुख्य प्रश्न से सम्बन्ध हो। यह आवश्यक नहीं है कि उन तमाम दादरसियों से, जिनके लिये दरखवास्त कीगई है, हर एक मुद्दाअलेह का सम्बन्ध हो (देखो आर्डर १, रूल ५), यह आवश्यक है कि एक ऐसी विनाय

उन सभी विनाय मुद्रासमतों को पकड़ी मुकदम में शामिल करदे, (देखो आर्ट २, क्ल ३)। लेकिन जहाँ पर विनाय मुद्रासमते पेसी हैं, जिनपर एफ ही मुकदमे में शामिल साथ विचार न किया जा सकता हो, तो उस दगामें बदलत उनका मामलों में अलग अलग समागत किये जाने का हुकम दे सकती है (देखो आर्ट २, क्ल ६)

(२) जहाँ पर दो या अधिक मुद्दों हैं और दो या अधिक विनाय मुद्रासमत हैं, तो उस दगामें वे सभी मुद्दों पेसी समाम विनाय मुद्रासमतोंको पकड़ी मुकदममें शामिल कर सकते हैं अगर उन सब मुद्दोंका या एक ही मुद्रासमते या कई मुद्दोंके विरुद्ध सम्मिलित दावा है। अगर उन सभी का सम्मिलित सम्बन्ध उन सभी विनाय मुद्रासमतोंमें है, तो पेसी दगामें मुद्दोंका और विनाय मुद्रासमतका बेजा शामिल किया जाता कहा जायगा।

(३) जहाँ पर दो या अधिक मुद्दाअलेह या अधिक विनाय मुद्रासमतें हैं तो मुद्दों उन सभी मुद्दाअलेहोंके ऊपर एफ ही में नालिश कर सकता है, अगर विनाय मुद्रासमतें एफ ही हैं और अगर मुद्दाअलेहों के ऊपर मुद्दोंका जिम्मे दारी है।

अगर कौनो मुकदममें भिन्न भिन्न विनाय मुद्रासमतें भिन्न भिन्न ऐसे मुद्दाअलेहोंके विरुद्ध शामिल कर दी जाय जो एक दूसरेसे कोई सम्बन्ध नहीं रखते तो इस तरह मुद्दाअलेहों और विनाय मुद्रासमतका शामिल करना इस्तेमाल बेजा (Misjoinder) होगा (देखो आर्ट २, क्ल ३ तथा आर्ट १, क्ल ३) ,

विनयेद क्ल ३ मुद्दोंको यह अधिकार देता है कि वह एक ही नालिश में पकड़ी मुद्दाअलेह या मुद्दाअलेहोंके विरुद्ध बहुत सी विनाय मुद्रासमतोंको शामिल कर सके, लेकिन यह मुद्दोंको बहुत सी ऐसी विनाय मुद्रासमतोंको एक ही मुद्दाअलेह या मुद्दाअलेहोंको शामिल करने का अधिकार नहीं देता, जिनमें उन सबका कोई सम्मिलित सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि पेसी दगामें उनका स्वयं भिन्न भिन्न और अलग है, 'सम्मिलित' शब्दका अर्थ यह है कि किसी मुकदमेके सभी मुद्दाअलेहोंमें प्रत्येक और सभी विनाय मुद्रासमत के सम्बन्धमें एक ही साथ जिम्मेदार हैं जिन्हे मुद्दों उन मुद्दाअलेहोंके विरुद्ध एफ ही नालिश में शामिल करता है। मुद्दोंका बहुत से मुद्दाअलेहोंके विरुद्ध एफ ही नालिश में कई एफ ही विनाय मुद्रासमतें शामिल करनेकी आज्ञा दिये जानेके पहिले शर्त यह है कि उन सभी मुद्दाअलेहोंका उस प्रथम सम्मिलित स्वायत्त हा जो उस मुकदमेमें उठाया गया है। देखो G A 106; 5 A 163, 23 C 821, P 826, 34 B 358, 8 W R 15 (P C)

विनाय मुद्रासमतके बेजा शामिल किए जान की हालतमें कार्रवाई — विनाय मुद्रासमतके बेजा शामिल किए जाने के सम्बन्धमें उद्धारारी जहा तक जल्द मुमकिन हो की जानी चाहिए और समाम उन हालतमें जब उद्धार तनकीह का फैसला हो गया हो तो ऐसे फसले पर या उससे पहिले जबकि उद्धारारीकी बिना

वादको पैदा हुई हो। ओर जो उच्चदारी इस तरह पर पेश न की जायगी तो उसके सम्बन्धमें यह समझा जायगा कि उच्चदाग्ने अपना हक छोड़ दिया है, देखो आर्डर २ रूल ७ जो आर्डर १ रूल १३ के ही समान है।

अगर ऐसे विनाय मुख्यासमतके बेजा शामिल किये जानेकी वजहसे कोई अर्जीदावा सही नहीं है तो अदालत आर्डर ६ रूल १७ और १८ के अनुसार उसमें सशोधन किये जाने के लिये आज्ञा दे सकती है। तरीका फार्वार्डके बारे में देखो 34 C 662, 9 A 221 या वह आर्डर २३ रूल १ के अनुसार उसको उठा लेनेके लिए आज्ञा दे सकती है, जब कि उसमें चतलाई हुई चजहें वहाँ पर मौजूद हो। एक मुकद्दमा, जो विनाय मुख्यासमतके बेजा शामिल किये जानेकी वजहसे गलत था, दूसरी अपीलमें भी अर्जीदावा में सशोधन किये जानेके लिए वापस कर दिया गया देखो 2 C L J 602, 20 W R 240, 18 A 131 उच्चदारी जाया हो जाने के सम्बन्धमें देखो 13 Bom L R 1061 and 30 I C 24

विनाय मुख्यासमतके बेजा शामिल किये जाने का सुधार जायता दीवानी की दफा ९९ के अनुसार किया जा सकता है, अगर इससे मुकद्दमेके रूपदाद या अदालतके अख्तियार समाप्तके ऊपर कोई असर न पड़ता हो।

पञ्चममें रूल ८ आर्डर ७ में शामिल कर दिया गया है यह बात छोड़ कर कि जहा पर आर्डर २, रूल ७ के अनुसार उच्चदारी कीगई हो, अदालत मुद्दईको ऐसी विनाय मुख्यासमत चुन लेने की, जिसके ऊपर वह फार्वार्ड करेगा, और सशोधित अर्जीदावा पेश करनेकी इजाजत दे देगी।

अर्जीदावा

अर्जीदावास मतमू—अर्जीदावामे नीचे लिखी बातें लिखी जानी चाहिये—

(१) उस अदालतका नाम जिसमें नालिश दापर कीगई है,

(२) मुद्दईका नाम, वल्लिदयत, उमर, कौम पेशा और सकूनत बगेरा,

(३) मुद्दाअलेहका नाम, वल्लिदयत, उमर, कौम पेशा और सकूनत बगेरा, जहा तक वे मालूम हो सकें,

(४) जब कोई मुद्दई या मुद्दाअलेह नाबालिग हो या उसका दिमाग सही न हो, तो इस बातका विवरण, तथा वलीका नाम, वल्लिदयत, कौम, पेशा, रिश्ता व सकूनत बगेरा।

(५) वे बातें जिनसे दावा पैदा होता है (विनाय मुख्यासमत दावा) और यह कि यह कब और कहा पर पंदा हुआ;

(६) वे बातें जिनसे यह मालूम होता हो कि अदालत जो अख्तियार समाप्त हासिल है—

(७) यह दादरसी जिसके लिये मुद्दई दायीदार है,

(८) जब मुद्दईने कुछ रकम मुजरा दे दी हो या अपने दावाका एक हिस्सा छोड़ दिया हो, तो मुजरा दीगई या छोड़ दीगई रकम, और तारीख आदि,

(९) अख्तियार समाप्त या कोर्ट फीस की गरजसे दावाकी मालियतकी तफ्तील, जहा तक उस मामले आती हो [देखो आर्डर ७ रूल १]

जब मुद्दई प्रतिनिधिकी हैमियतमें दावा करे—अर्जीदावामें सिर्फ यही नहीं दिखलाया जायगा कि उसके दावाकी मालियतसे वास्तवमें कोई सम्बन्ध है बल्कि उसमें यह बात भी लिखी रहेगी कि उसने तमाम आवश्यक कारवाह कर ली है जिसके कारण अब उसे उसके सम्बन्धमें दावा करने का अधिकार प्राप्त होता है [देखो आर्डर ७ रूल ४]

अर्जीदावामें क्या क्या बतें रहनी चाहिये— (१) अर्जीदावामें यह बात होनी आवश्यक है कि जिस सम्बन्धमें दावा किया जाता है, उससे मुद्दाभलेहका क्या सम्बन्ध है और उसे दावाका जवाब देनेके लिये क्यों तलब करना चाहिये [देखो आर्डर ७, रूल ५]

२ जब दावा मियादकी मुद्दत खतम होनेके बाद दायर किया गया हो, तो अर्जीदावामें यह बात दिखलाई जानी चाहिये कि किस बिना पर मियाद खतम होनेके बाद दावा दायर किया जा रहा है [देखो आर्डर ७ रूल ६]

नोट—जिन सूत्रोंमें दानागी मियाद खतम हो जानेके बाद दाना दायर किया जा सकता है उनका वर्णन बानून मियादकी दफ्त ५ २१ में किया गया है। अगर अर्जीदावामें मियाद खतम होनेके बाद दाना दायर करनेका कोई खास बजह न दिखलाई जायगी और उस अर्जीदावामें जो कुछा लिखा गया है उससे यह मात्तम होगा कि दावाकी मियाद आरिज हो गई है तो अर्जीदावा खारिज कर दिया जायगा [देखो आर्डर ७ रूल ११] अगर मुद्दईने अर्जीदावामें ऐसा कोई कारण नहीं दिखलाया है तो बादमें वह उसे पेश नहीं कर सकता और न उस से कोई लाभ उठा सकता है [देखो 31 C 195 8 C W N 171], अगर अर्जीदावामें बजह दिखलाई तो गई है लेकिन उसकी निस्वत खास तौरसे दावा नहीं किया गया है तो अर्जीदावा खारिज न किया जायगा [देखो 12 C, W N 617, 14 C W N 128, 60 I C 772 (Luh)] अगर एक बजह दिखलाई गई हो तो मुद्दई दूसरी बजह भी पेश कर सकता है बशर्त कि वह अज्ञात न प्रतीत हो [देखो 10 B L R 346, 13 C L J 139] आउर ७ रूल ५ का खत्याप लेना चाहिये [देखो 46 I C 495 (Luh)]

३ अर्जीदावामें संक्षेपमें लिख उन खास खास बातोंका वर्णन होना चाहिये जिनके आधार पर मुद्दईने अपना दावा दायर किया है। किन्तु उसमें यह खादा दत्त न होगी जिससे उन बातोंकी पुष्टि होती है [देखो आर्डर ६ रूल २],

४ अगर जरूरत हो तो अर्जीदावाके अलग अलग पैरा ग्राफ किये जासकते हैं, जिनपर लिखिलेवार नंबर पड़े होंगे, और उसमें कुछ तारीख रकम और नम्बर अङ्कमें लिखे जाने चाहिये [देखो आर्डर ६ रूल ३]

५ अर्जीदावाका मसलिदा तैयार करते समय पीछे दिये हुए परिशिष्टमें फार्मों फा या इसी तरहके फार्मोंका इस्तेमाल किया जाना चाहिये [देखो आर्डर ६ रूल ३]

रातमे गुजराती, महाराष्ट्रमे मरहठी, बंगालमें बंगाली, बिहारमे बिहारी, विन्तु सयुक्त प्रान्तमे उर्दू लिपि और भाषाका प्रयोग बहुतायतसे होता है। यद्यपि प्रान्तीय लिपि और भाषा हिन्दी है एव श्री लार्ड मेकडनलड महोदयके समयमें सरकारी आह्रासे अदालतमें हिन्दी लिपि की रुकावट दूर हो चुकी है तथा अदालतोंमें हिन्दी लिपि और भाषाके जन्म सिद्ध अधिकारियों तथा हिन्दी जानने वाले वकील और अमलाकी अधिक संख्या है तिसपर भी शोक है कि हिन्दी लिपिका प्रयोग इस प्रान्तमें नहीं हो रहा है। प्रात कलके नक्षत्रोंकी तरह कुछ सज्जन अपने कागजत हिन्दा लिपिमें दाखिल करते हैं। एक ओर हिन्दीको राष्ट्र भाषा बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है और हिन्दीका अधिकार क्षेत्र अधिक बढ़ रहा है। देशी हिन्दू राज्यांमें सब जगहों पर हिन्दी है और जहा पहले नहीं वहा भी अब हिन्दीका प्रयोग होने लगा। श्री जोधपुर श्री बेकानेर नरेश इस विषयमें अधिक प्रशंसाके पात्र हैं। सी० पी० में पहले ही से हिन्दीका प्रयोग होता है। इस किताबके पाठकोंसे हम नम्र निवेदन यही करेंगे कि वे यथा साध्य हिन्दीमें अपना काम काज करके हिन्दीको राष्ट्र भाषा बनानेमें सहायता दें।

अर्जीदावा वगैरा किस कागजके ऊपर लिखा जाना चाहिये और दस्तखत — वे तमाम प्लीडिङ्स और अर्जियां, जो दीवानी मुकद्दमोंके दौरानमें दाखिल की जायगी फुलस्वैप आकारके एक सादे वाटर मार्क कागजपर लिखी जानी चाहिए या टाइप की जानी चाहिए या छापी जानी चाहिए। कागजके सिर्फ एक ही ओर चौथाई हाशिया और ऊपर नीचे कमसे कम एक इंच की जगह रिना लिखी छोड़कर लिखना चाहिये।

जिस कागजका ऊपर जिक्र किया गया है, वह आमतौर पर वाटर मार्क कागजके नामसे प्रसिद्ध है और हर एक स्टाम्प फरोशके पास एक पैसा या दो पैसेके हिसाब से बिका करता है। यह वाटर मार्क कागज सरकारी होता है स्टाम्प फरोश या वकीलोंके बस्तेमें टिकट लगाने वाले अपना कमीशन बढ़ाकर मवकिल को दिया करते हैं। आम तौरसे यह कागज खजानेमें रहता है और कहीं कहीं पर अदालतोंमें रहता है।

अर्जीदावोंके ऊपर दस्तखत करना और उसकी तस्दीक ठीक होना चाहिये तथा समसकी तामील आर्डर ५ के रूल १५ और १५ की पूरी पूरी की जानी चाहिए।

“दस्तखत” शब्द में अपने नामके केवल आदिके अक्षर ही लिखना चाहिए पूरा नाम लिखना ठीक है देखो 23 C 896 उसके वकीलके दस्तखत अर्जीदावाके हर एक सफाके होने चाहिये। उसकी तस्दीक आखिरी सफाके नीचेकी -

यह जरूरी है कि दस्तखत होनेके पहले लिखा गया हो। किसी सादे कागजके ऊपर दस्तखत

और नाजायज माना जायगा (देखो 15 A 59; 25 A. 442 तथा 19 C W. N 220)

जिस अर्जीदावाके ऊपर किसी ऐसे शख्स ने हस्ताक्षर (दस्तखत) किये हों जिसके पास हस्ताक्षर करनेके लिये बाजारता आम मुखतारनामा है, वह अर्जीदावा बाकायदा दस्तखत किया हुआ माना जायगा, लेकिन अदालतको इस बातका इतमीनान हो जाना जरूरी है कि मुद्देके अलावा जो शख्स अर्जीदावा की तस्दीक कर रहा है, वह उस मुकद्दमेके हालातको अच्छी तरहसे जानता है, [देखो 4 B 468, 25 A 435]

जो अर्जीदावा कोई मुखतार मजाज पेश करे उस पर भी उस मुखतारके दस्तखत होने चाहिये [देखो 8 C L R. 579, 3 C L R. 15]

यह जरूरी नहीं है कि वे कुल आदमी, जो किसी मुकद्दमेमें बतौर मुद्देके शामिल हैं, अर्जीदावाके ऊपर दस्तखत और उसकी तस्दीक करें, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई शख्स जो किसी मुकद्दमेमें शामिलाली मुद्दे है, उस समय तक मुद्दे न समझा जायगा जब तक कि वह अर्जीदावाके ऊपर दस्तखत और उसकी तस्दीक न कर दे [देखो 17 C 580; 1 B L R 100, 10 W R 145] मगर जहां तक हो सके सबके दस्तखत होना चाहिये, यानि सूरतोंके अलावा ।

जो शख्स जेलखानेमें है, वह किसी दूसरे शख्स को दस्तखत करनेका अधिकार देसकता है [देखो 40 A 147] जो नालिशे भारतमन्त्रीके द्वारा या उनके विरुद्ध दापर की जाय, उमें अर्जीदावा या बयान तहरीरीके ऊपर ऐसे शख्सके दस्तखत होंगे जिसे सरकार, खान या आम हुजूमके जरिए, ऐसा करनेके लिये नियत (मुकर्रर) करे, और कोई भी ऐसा शख्स उसकी तस्दीक कर सकेगा जिसे सरकारने इस कामके लिये मुकर्रर किया हो और जो उस मामलेके बाकयातकी पूरी तौरसे जानता हो [देखो आर्डर ३७ रूल १, तथा 8 C L J 94]

जो नालिशे किसी कारपोरेशनकी ओरसे या उसके विरुद्ध दापर कीजाय, उनमें किसी एग्जिक्यूटिवके ऊपर उस कारपोरेशनकी ओरसे कारपोरेशनका सिक्रेटरी या उसका कोई डाइरेक्टर या उसका दूसरा पास अफसर, जो उस मामलेके बाकयात को बयान कर सकता है, दस्तखत कर सकता है और उसकी तस्दीक भी कर सकता है [देखो आर्डर २९, रूल १]

दस्तखत करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि दस्तखत इस तरह से लिख जाय कि जिस तरह वह आम तौरसे पहले सब कागजों पर दस्ता है जिसकी लिप्यावट एक सा हो हरफोंमें फरक न हो । अर्थात् दस्तखतकी गति विधि उनी तरह की हो जैसी हमेशा होती है । दस्तखत करनेके लिए शब्द 'दस्तखत' लिखना जरूरी नहीं है । अफसर लोग अपने नामके पहले शब्द 'दस्तखत' लिखकर पीछे अपना नाम लिखते हैं और अन्तमें लिखते हैं 'बकलम मुद्द'

या 'खास'। दस्तख़तसे मतलब नाम का ही देखा जानता दीवानीकी दफा २ (२०)
 अक्सर लोग अपने दस्तख़त उस लिपिमें करते हैं जिस लिपिमें कागज
 लिखा होता है। अङ्गरेजी के लिखे कागज पर अङ्गरेजीमें और उर्दूम लिखे कागज
 पर उर्दूम एवं। मगर ज़रादा अच्छा यह है कि दस्तख़त उस लिपिमें किए जावें
 जिस लिपिमें उन्हें सबसे ज़्यादा अभ्यास हो और जिस लिपिमें वे प्रायः दस्तख़त
 करते रहते हों।

कुछ लोगोंको ऐसा देखा है कि वे अङ्गरेजी लिखे कागज पर अङ्गरेजीसे
 दस्तख़त करते हैं और उर्दू लिखे कागज पर उर्दूम मगर उन्हें अङ्गरेजी और उर्दू
 का ज्ञान नहीं है वे हिन्दी जानते हैं। वे इसलिए ऐसा करते हैं कि उन्हें लोग अङ्ग
 रेजी और उर्दू जनने वाला जाने। ऐसा करना केवल भूल नहीं है बल्कि बहुत
 बड़ा ख़राबी का कारण है। उन्हें उसी लिपिमें दस्तख़त करना चाहिए जिसमें
 उन्हें सर्वोपरि अभ्यास हो।

तस्दीक़ा तरीका और उसका फार्म—तस्दीक़ करने वाले राख़तको चाहिये
 कि वह यह लिखे कि जिन पैरा ग्राफ़ा (दफाओं) की तस्दीक़ वह अपने इस्मसे
 करता है और किनको वह दूसरोंके बतलाने पर सही मानता है।

जब अर्जीदावामें अपमान सूचक वाक्य भरे हों तो सुद्धईको स्वयं उस अर्जी
 दावा पर दस्तख़त और उसकी तस्दीक़ करना चाहिये [देखो 6 C 268 I P
 जब सुद्धई भारी धोषका इल्जाम लगाता हो या जब कि मामलेका सारा दार-
 मदार उस सुद्धईकी निजी जानकारीके ऊपर हो, तो उसको तस्दीक़ उसीको
 करनी चाहिये [देखो 8 C 885, 24 W R 210 और 9 A 505]

जिन कागजापर तस्दीक़ लिखना ज़रूरी कर दिया गया है उनमें तस्दीक़
 लिखते समय, तस्दीक़ करने वाले व्यक्तिको खुद बड़े गौरसे हर एक दफा या
 मजमून पढ़ते जाना चाहिये और हर एक दफा या मजमूनके टुकड़ेको दो भागों
 में विभक्त करके लिखते जाना चाहिये। यदि तस्दीक़ करने वाला व्यक्ति पढ़ा
 नहीं है या इतनी समझ नहीं रखता तो वकील या मुहरीरको वीरे धीरे दफाओं
 को पढ़ते और उसे समझते तथा यह समझते हुये कि वह उसे समझ गया है,
 इस्म और यकीनके वाक्योंको तरतीबवार लिख ले। तस्दीक़ बड़ी होशियारीसे
 करना ज़रूरी है कभी कभी तस्दीक़ पर से ही सारा मुकद्दमा उलटा हो जाता है
 भविष्यको बातों पर विचार करके चाहिये।

तस्दीक़में यह लिखना चाहिए	और इतनी
दफाए या मजमूनका इतना हिस्सा	इतनी दफाए
या मजमून	बतलाने
पर सही	कीगयी।
	जो फोटो फीस
एगाना—	
चाहिए	

पेस्टके
 जोछापा
 हो देतो

चाहिए

जब कोर्ट फीसकी रकम १०) २० से कम हो और वह अकेला एक स्टाम्प चिपका कर लगाई जा सकती हो, तो ऐसा कोर्ट फीस उतने रुपयेका एक स्टाम्प चिपका कर लगा दिया जायगा। अगर स्टाम्प फरोशके पास उतनी कीमतका एक स्टाम्प न हो तो कई स्टाम्प भी उसकी कैफियतके साथ लगाये जा सकते हैं। जब कोर्ट फीसकी तादाद १०) २० या उससे ज्यादा हो और उस रकमका एक अकेला स्टाम्प मिल सकता है तो उतनी रकमका छपा हुआ स्टाम्प भर्जीदावा पर लगा दिया जायगा। अगर यह कोर्ट फीस एक छपे हुये या चिपकाये हुये स्टाम्पकी शकलमे न लगायी जा सकती हो तो उससे कम कीमत वाले छोटे छोटे एक या अधिक स्टाम्प लगा कर वह कमी पूरी कर दी जायगी।

भर्जी दावा, कोर्ट फीस ऐक्टकी दफा ६ में बतलाया हुआ कागज (Document) है (देखो 24 C W N 38 P C) और कोई भी किसी किसमका कागज, जिस पर उस ऐक्टके परिशिष्ट (१) और (२) में बतलाये अनुसार स्टाम्प लगाया जाता चाहिये, किसी अदालतमे उस वक्त तक न दाखिल किया जायगा और न लिया जायगा जब तक कि उस पर पूरा कोर्ट फीस भदा न कर दिया जाय [देखो दफा ६] इस लिये किसी भी शख्सको अधिकार नहीं है कि वह बिना काफी कोर्ट फीस लगाये कोई भर्जीदावा अदालतमे दायर करे और न अदालत उसे लेनेके लिये बाध्य ही है। लेकिन अदालतको अधिकार है कि उचित कारणों के होते हुये वह किसी भर्जी दावा को, उस पर बिना काफी कोर्ट फीस लगाये हुये, दाखिल करनेकी इजाजत दे दे और उस कमीको पूरा करनेके लिये वक्त दे [देखो जायता दीवानीकी दफा १४९] अगर कोई अदालत किसी ऐसे भर्जी दावा को मजूर कर ले जिस पर काफी स्टाम्प नहीं लगा है, तो वह इस बातके लिये बाध्य है कि भाईर ७ क्रम ११ (सी) के अनुसार भर्जी दावाको खारिज करनेके पहिले उस कमीको पूरा करनेके लिये वक्त दे [देखो 27 C W N 566] अदालत एकसे अधिक बार वक्त बढ़ा सकती है [देखो 34 C 20 F B , 45 A 518, 51 I C 154] पुराने जायता दीवानीमे बहुतसी विरोधी नजीरें थी और वर्तमान जायतेसी दफा १४९ ने इस प्रश्नको हल कर दिया है। समय बढ़ानेके सम्बन्धमे अदालतके अधिकारको बढ़ा दिया है [देखो 21 I C 866, 16 C L J 34] समय बढ़ानेके लिये जो ख़ास वजह होगी वह धोखेसेकी हुई गलती होगी [देखो 57 I C 215] नालिश दायर करनेकी तारीख, वह तारीख है जब कि भर्जीदावा दाखिल किया गया था, वह तारीख नहीं जब कि कमी कोर्ट फीस लगाया गया था [देखो 1 I C 780] इस बातके झगड़े अक्सर पड जाते हैं, तमादीका सवाल पैदा हो जाता है इस लिये इस बातको याद रखना चाहिये, जहा तक हो पूरा कोर्ट फीस साथ ही लगाया जाय यदि धोखेसे रह जाय तो जिस तारीखको मियादके अन्दर वह कमी पूरी की जायगी तो दूसरा पक्ष तमादी (यदि पैदा होती होगी) का उजुर पेश कर सकता है।

जब समय बढ़ा दिया गया हो लेकिन हुकमरी तामील न की गई हो, तो दफा १४९ मुद्देकी कुछ भी सहायता न कर सकेगी और अगर कमी कोर्ट फीस

मियादकी मुदत खतम होनेके बाद लगाया गया हो तो नालिश खारिज कर दी जानी चाहिये (देखो 13 C L J 78)

उस हुक्मकी अरील हो सकेगी जिससे अर्जीदावा इस बिना पर खारिज कर दिया गया हो कि उस पर काफ़ी स्टाम्प नहीं लगा हुआ है (देखो, 12 C L R 148)

21 C W N 934 में यह तय किया गया है कि जायता दीयानी के आर्डर ७ रूल ११ (सी) ताकीदी है अगर मुकदमे मियादके अन्दर मुदई अभी कोर्ट फीसको पूरा नहीं कर सकता तो अर्जीदावा अवश्य खारिज कर देना चाहिये। अदालतको यह अख्तियार न होगा कि वह किसी अर्जीदावाकी निश्चयत यह हुक्म दे सके कि उसमेंसे कोई दादरखीकी मांग निकाल दी जाय जिससे कि वह अर्जीदावा एक ऐसे कागज पर लिखा हुआ समझा जा सके जिस पर कफी स्टाम्प लगा हुआ है, माना जा सके।

उन दस्तावेजोंका पेश करना और शामिल मिसिल करना जिसके आधार पर मुदईका दावा है—अगर मुदई किसी दस्तावेजके ऊपर नालिश करता है तो उसे चाहियेकि वह उस दस्तावेज को या उसकी एक नकल इस लिये दाखिल करे कि वह शामिल मिसिल की जाय।

अगर मुदईके पास महादतमें पेश करनेके लिये कोई दूसरा दस्तावेज हो (चाहे वह उसके कब्जेमें या अधिकारमें हो अथवा न हो), तो उसे चाहियेकि वह दस्तावेजका इन्द्राज उस फेदरिजमें कर दे जो अर्जी दावाके साथ नयी कर दी जायगी (देखो आर्डर ७ रूल १५)

इस दफ्ते (सुस्तस्नियत) रूल १८ (२) में मिलेगे। जो रूल इस रूलके साथ पढा जाना चाहिये इसमें उन दस्तावेजों (कागजात) के निश्चय जिक्र किया गया है जो मुद्दा-अपेदेह मसालके ऊपर जिरह करने या मुद्दाअलेहकी ओरसे कहीं गई किसी बातके जवाब देनेके लिये या कानून शहादतकी दफा १५९ के अनुसार याअदालतको ताजा करनेके लिये पेश किये गये हों)

(२) अगर ऐसा कोई दस्तावेज (कागज) मुदईके कब्जे या अधिकारमें न हो, तो वह अगर मुमकिन होगा तो, यह लियेगा कि वह किसके कब्जे या अधिकारमें है (देखो आर्डर ७ रूल १५)

(३) अगर वह दस्तावेज (कागज), जिसके आधारपर मुदईने नालिशकी है, किसी दफ्तानकी तिताय (बदीलता) या दूसरी तितायका इन्द्राज है, तो मुदईको चाहिये कि वह अर्जी दावा पेश करते वक्त उस तिताय या हिसाबकी मय उरारी एक नकलके दाखिल करे। अदालत या ऐसा अप्सर जिसे अदालत नियुक्त करे फीरज उस कागजके ऊपर पहिचानके लिये निशान डाल देगा और वह नकलरी जांच करने और असलते उसका मिलान करनेके बाद, अगर वह

सही मालूम हो तो, उसके ऐसा होनेका सर्टीफिकेट दे दे और असल मुद्दोंको घापस कर दे तथा नकलको दाखिल वफतार करनेका हुकम दे दे (देखो भांडर ७ क्र. १७)

घकीलके मुद्दोंको चाहिये कि जब घदी साते या ऐसी किताबके आधार पर नालिश की जाय जिस किताबका जिक्र ऊपर किया गया है तो एक साफ नकल उस सातेनी या नकल घदीकी या साते, नकल और प्रोक्ड घदीकी जहा तक कि हिसाब दावासे सम्बन्ध रखता हो अदायतमें पेन चरे और मिलान कराकर असल घापस ले ले। नकलमें गलती रहने पावे। बाज़ दफा ऐसा दया गया है कि हरफ तो फुल नहीं छूटे मगर जगह ऐसे ठगसे उसके हिसाबमें छोड़ी गयी थी कि जिससे हारिमको भाइन्द जाल बनानेका शक मजबूत हो गया था। असलमें जहा पर कटा हुआ शब्द हो तो नकलमें भी वंसा ही होना चाहिये।

अर्जोदावाकी नकलों या दावाके सक्षिप्त विवरणका दाखिल करना—अगर अर्जो दावा मजूर कर लिया जाय, तो मुद्दोंको चाहिये कि वह सादे कागजके ऊपर लिपकर उसकी उतनी प्रतिया दाखिल करे जितने कि मुद्दाभलेह हों। अगर अर्जोदावा बहुत बड़ा हो या मुद्दाभलेदोंकी संख्या अधिक हो या कोई दूसरे पर्याप्त कारण हों, तो मुद्दों अदायतकी भांजाने, उपरोक्त प्रतियाके बदले उसकी उतनी ही सक्षिप्त लिखी हुई प्रतिया दाखिल कर सकता है। इस सक्षिप्त विवरण में दावाकी किस्मका या दादरसीकी किस्मका उर्णन होना चाहिए (देखो भांडर ७, क्र. ९)

जब मुद्दों किसी प्रतिनिधिकी हैसियतसे दाय करे या जब किसी मुद्दा-भलेहके ऊपर प्रतिनिधिकी हैसियतमें दावा किया जाय, तो इस सक्षिप्त विवरणमें यह बात लिपी जानी चाहिये कि किस हैसियतसे मुद्दोंने दावा किया है या किस हैसियतमें मुद्दाभलेहके ऊपर दावा किया गया है (देखो भांडर ७, क्र. ९)

अदायतका गिरिधतेदार इन नकलों या सक्षिप्त विवरणकी प्रतियोंपर, अगर वे सही मालूम हों, अपने दस्तखत कर देगा (देखो भांडर ७, क्र. ९)

यद्यपि जायता दीवानीके भांडर ७ क्र. ९ में यह बतलाया गया है कि नकल और सक्षिप्त विवरण अर्जोदावा मजूर हो जानेके बाद दाखिल की जानी चाहिये, लेकिन आम रिवाज यह है कि वे अर्जो दावाके साथ नत्पी कर दी जाती हैं और उसीके साथ दाखिल की जाती हैं।

अर्जोदावाकी नकलोंके दाखिल करनेमें हम बातका ध्यान मुद्दों या घकीलको भले प्रकार रखना चाहिये कि वे सब नकलें सही हों, उनमें कोई बात किसी जगह पर छुट न गई हो, साफ साफ लिपी हों, ऐसे कागज पर लिपी हों कि वह मामूलीसे खराब न हो। अक्सर मचक्किलके कहने सुननेमें भाकर या अपनी मेहनत बचानेके लिये बेगारकी तौर पर मुद्दों अर्जो दावाकी ऐसी नकलें दाखिल कर देते हैं कि जो सही होने पर भी पढ़ी नहीं जाती। कभी तो वे इसी इरासेसे ऐसा लिपते हैं कि प्रतिपक्षी पढ न सके और कभी वे किसी नातजुर्थकार

या किसी लडकेसे लिखा लेते हैं जिनमें ऐसे दोष हो जाते हैं कभी मवक्किलके सुश करनेके लिये जान वृत्त कर न पढा जाने वाला हरफ लिखते हैं और कहते हैं "देखो मैंने ऐसा लिखा है कि वे पढ़ी नहीं सकेंगे" । मूर्ख मवक्किल चाहे ऐसी हरकतोसे प्रसन्न हो मगर उन्हें सोचना चाहिये और ध्यान रखना चाहिये कि इससे मुकद्दमेमें बड़ा बुरा असर पड़ता है । दूसरे फरीक को मोहलत मिल सकती है । दुबारा नकले दाखिल करनेका हुक्म ही सकता है हाकिमका मिजाज विगड सकता है और अन्य बातें भी हो सकती हैं । इसलिये भर्जादावाकी नकले, सही, साफ और योग्य रीतिसे लिपकर दाखिल करना जरूरी है । नकल भकसर मुह-रिर ही लिखते हैं इसलिये उन्हें सचेत रहना चाहिये कि अपने मुकद्दमे और अपने घकीलके यशको रक्षित रखें ।

भाग २



नालिशका दायर करना

अर्जीदावाका पेश करना—ऊपर बतलाये अनुसार अर्जीदावा लिख जाने, उसकी तस्दीक हो जाने और उसपर काफ़ी स्टाम्प लग जाने के बाद, उस अर्जीदावाको अदालत या किसी ऐसे भफसरके पास, जिसे वह इस सम्बन्धमें नियुक्त करे, पेश करके नालिश दायर कीजानी चाहिये (देखो दफा २६ और भांडर ४, रूल १ जाबता दीवानी ।

'पेश करने' का अर्थ यह नहीं है कि अर्जीदावा बजरिये डाक भेज दिया जाय बल्कि इसका मतलब यह है कि वह अदालतन या चकीलके जरिये अदालतमें पेश किया जाय देखो 18 M 354 अदालत किसी अर्जीदावाको एतवार या दूसरे छुट्टी के दिन ले सकती है । अगर अर्जीदावा मजिस्ट्रेट अथवा जजके मकान पर या किसी दूसरे स्थानपर पेश किया जाय और वह उसे मजूर कर ले, तो वह जायज होगा (देखो 79 I C 1017) अगर मियाद खतम होती हो या दूसरी कोई ऐसी ही जरूरत हो तो उस हाकिमके घर पर या जहाँ पर हाकिम हो अर्जीदावा दाखिल किया जा सकता है ।

अर्जीदावापेश करनेका अधिकार—अर्जीदावाको या तो मुद्दई खुद पेश कर सकता है या उसका चकील अथवा मुद्दतार मजाज (भांडर ३, रूल १)

जिन लोगोंके पास ऐसा मुद्दतारनामा हो, जिसमें उन्हें फरीकनकी ओरसे हाजिर होने दरखवास्त वगैरा पेश करने और काम करनेका अख्तियार दिया गया हो या जो लोग ऐसे हों जिनके पास मुद्दतारनामा नहीं है मगर वे उन फरीकनकी ओर से या उनके नाम से ब्यापार अथवा कारबार करते हों जो उस अदालतके अधिकार-क्षेत्रकी स्थानीय सीमाके भीतर रहने वाले नहीं हैं, वे अधिकार प्राप्त मुद्दतार माने जावेंगे (देखो भांडर ३, रूल २)

आर्डर ३ छल २ (ए) के अन्तसार कोई भी ऐसा शख्स, जिसके पास भाम या पास मुख्तारनामा है, मुफ्तार मजाज है (इसमें मुफ्तार तथा दूमरे ऐसे ही लोग शामिल हैं) खास मुफ्तारनामा के ऊपर कोई भी शख्स अदालतमें हाजिर होकर कार्य कर सकता है। अगर कोई शख्स खुद जाकर कोई अर्जीदावा पेश करे, तो उसके लिये इस बातकी जरूरत है कि कोई योग्य व्यक्ति उसकी शिनाख्त करे। किसी मुफ्तार मजाज का यह अह्दपार न होगा कि वह मामलेमें बहस कर सके और गवाहों पर जिरह कर सके।

ऐसे मुफ्तारोंके ऊपर हुक्मनामोंकी तामीलका यही असर होगा मानो वह स्वयं फरीफ़के ऊपर ही तामील हुआ है (देखो आर्डर ३ छल ३ और ५)

नालिश वहाँ दायर की जायगी जहा जायदाद मुतनाजा बाँके हो—(१) नीचे लिखी नालिशें उन अदालतोंमें दायरकी जायगी जिनके अधिकार क्षेत्रकी स्थानीय सीमाके भीतर वह जायदाद बाँके हो जिसकी निस्पत दावा है—

(क) वे नालिशें, जो बावत फ़ूजा जायदाद गैर-मनकूलाके दायर की गई हैं,

(ख) जो जायदाद गैर-मनकूलाके घटघारा के लिये की गई हैं,

(ग) रेहन नामाकी हालतमें या जायदादके ऊपर किसी तरह का कोई भार होने पर जो घयबात, नीलाम या फ़करेहनी की बावत दायर की गई हैं,

(घ) जो किसी जायदाद गैर मनकूलामें किसी हक या हिस्सेको राय करनेके लिये दायर की गई हैं,

(ङ) जो जायदाद गैर-मनकूलाको पहुचाये गए हुक्सानका मुभावित दिलापानेके लिये दायर की गई हैं,

(च) जो उस जायदाद गैर मनकूलाके दिलापानेके लिए दायर की गई हैं, जो फ़ुक या जन्त करली गई हैं (देखो जाबता दीवानीकी दफा १६)

जाबता दीवानीकी दफा १६ में यह व्यवस्था कर दी गई है कि जब, जिख दादरसीके लिये दावा किया गया है, वह मुद्दाअलेह की जात खाससे ही हासिल हो सकती हो, तो ऐसी नालिश उस अदालतमें दायर की जा सकती है जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर मुद्दाअलेह रहता है। उदाहरणार्थ हुन्म इस्तनाई जारी करनेके लिए की गई नालिश (देखो 13 C W N 346)

(२) वे नालिशें, जो ऐसी दादरसी के लिए दायर की गई हैं जिसका सम्बन्ध ऐसी जायदाद गैर मनकूला से है जो कई एक अदालतोंके अधिकार-क्षेत्र की सीमामें बाँके हैं, उन अदालतोंमें दायर की जा सकती हैं जिनके अधिकार-क्षेत्रकी स्थानीय सीमाके भीतर उस जायदादका कोई हिस्सा बाँके हो (देखो जाबता दीवानीकी दफा १७)

(३) जहापर इस बातमें सन्देह हो कि दो अथवा अधिक अदालतोंमें से जिस अदालतके अधिकार क्षेत्रकी स्थानीय सीमाके भीतर कोई जायदाद गैर-मनकूला बाँके है, तो उनमें से कोई भी अदालत, इस बातका इतमीनान हो जाने पर कि

इस सन्देहके लिए कोई कारण है, इस सम्बन्धमें एक सहरीर लिख देनेके बाद उस नालिशकी समागत करेगी (देखो दफा १८)

अदालतवार समागतके सम्बन्धमें सन्देह हानिके लिए उचित कारण होना चाहिए । देखो C L J 154

(४) यह नालिश जो किसी हानिके लिये मुभाविजा दिलानेकी वायत की गई हो जो किसी शख्सको या जायदाद मनकृताको पहुँचाई गई हो, या तो उस अदालतमें दायर की जायगी, जिसके अधिकार क्षेत्रमें यह हानि पहुँचाई गई थी, या उस अदालतमें जिसके अधिकार क्षेत्रमें मुद्दाभलेह रहता है या व्यापार करता है (देखो दफा १९)

५. चाकी सभी नालिश [सिधाय उनके जो ऊपर बतलाई जा चुकी हैं] उस अदालतमें दायर की जायगी जिसके अधिकार क्षेत्रकी स्थानीय सीमाके भीतर— (अ) मुद्दाभलेह या हर एक मुद्दाभलेह या कोई भी मुद्दाभलेह (जब कि एक से अधिक मुद्दाभलेह हो) रहता हो या रोजगार करता हो या मुनाफेके लिए खुद कोई काम करता हो, या विनाय मुख्तसमत, कुल या किसी अंगमें पैदा हुई हो [देखो दफा २०]

“सकूनत” से मतलब ऐसे स्थान से है जहाँ पर कोई शख्स खाता, पीता और सोताहो, या जहाँ उसके घर वाले अथवा नौकर पाते, पीते और सोते हैं, देखो 13 C L J, 221 “रोजगार करता हो” और “मुनाफेके लिए खुद कोई काम करता हो” के अर्थके लिए देखो 40 C 308, 18 B 290, 8 C 678, 14 C 256 रोजगारका मतलब सिर्फ व्यापार ही नहीं है, देखो 14 B 541, 18 B. 291 “रोजगार करता हो” से “खुद कोई काम करता हो” बिहकुल भिन्न अर्थमें प्रयोग किया गया है । इससे यह तात्पर्य नहीं कि यह शख्स अपने शरीर से ही उपस्थित (हाजिर) हो या कोशिश करता हो । कोई शख्स बिना उस स्थान पर स्वयं गये हुए अपने नौकरों या एजेन्सीके द्वारा ‘रोजगार’ कर सकता है, देखो 19 A L J 696

‘विनाय मुख्तसमत’ का अर्थ यह है कि जहाँ पर नालिश करनेकी बिना पैदा हुई हो । उदाहरणार्थ—एक शख्स ने स्थान ‘अ’ से मालके मगानेके लिये आर्डर दिया और माल स्थान ‘ब’ से बजरिये चीन् पीन् भेजा गया और उसकी कीमत स्थान ‘ब’ पर अदा की गई ऐसी दशामें दोनों जगह पर नालिश हो सकेगी । और देखिए जैसे—महेशदत्त एक व्यापारी कानपुरमें है, रामचन्द्र कुल फतेम कारवार करता है रामचन्द्रने कलकत्तेसे महेशदत्तको लिखा कि आठ पेटे इतना माल रेलसे भेजो । महेशदत्तने उसके अनुसार माल रेलके हवाले किया तो कानपुर और कलकत्ते में दोनों जगह नालिश रुपया बसूल करने की हो सकती है । देखो 42 A 619

कार्पोरेशनकी सकूनत उस स्थान पर समझी जायगी जहाँ पर उसका कारवार होता हो । अगर किसी बैंक की पचास प्राच भिन्न भिन्न स्थानों में

हो, तो उसपर इनमें से किसी भी अधिकार-क्षेत्रके अन्दर नालिश दायर की जा सकती है, देखो 48 I C 943

अधिकार क्षेत्रके सम्बन्धमें एतराज—अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी उच्च प्रारम्भिक अदालतमें पेश किए जायगे और वह भी जहाँ तक जल्द मुमकिन हो। अन्यथा अदालत अपीलमें ऐसा उच्च खारिज कर दिया जायगा।

जो नालिश एकसे अधिक अदालतमें दायर की गई हो उनको मुन्तकिल करने सम्बन्धी अधिकारोंके बारेमें देखो जायता दीवानीकी टका २२ और २३, और हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्टकोर्ट (अदालत जिला) द्वारा मुकद्दमोंका मुन्तकिल किये जाने और उनको वापस लिये जाने के सम्बन्धमें देखो टका २४।

प्लीडिंगसका निकाल देना और उसका सशोधन—(१) अदालतको अधिकार होगा कि वह किसी भी समय किसी प्लीडिंगकी उन बातोंको निकाल दे या उनका सशोधन कर दे जो आवश्यक अथवा अपमान सूचक हों अथवा जिससे मामलेंमें निष्पक्ष जाच होनेमें किसी तरह की हानि, रुकावट अथवा विलम्ब होने की सम्भावना हो [देखो आर्डर ६, रूल १६]

२ अदालतको अधिकार होगा कि वह किसी भी समय पर किसी फरीफ़ को अपनी प्लीडिंगसका इस तरह और ऐसी शर्त पर सशोधन करने या उसको बदल देनेकी इजाजत दे देवे जैसी मुनासिब मालूम हो और ऐसे तमाम सशोधन कर दिए जायगे जो झगड़े सम्बन्धी कुल प्रश्नोंको तय करनेके लिये काफी होंगे [देखो आर्डर ६ रूल १७ और टका १५३]

सशोधन—रूल १६ उनी सशोधनोंके सम्बन्धमें है जो कोई फरीफ़ अपने विरोधी पक्षकी प्लीडिंगसमें करना चाहता हो और रूल १७ उन सशोधनोंके सम्बन्धमें है जो कोई फरीफ़ स्वयं अपनी प्लीडिंगमें घनाना चाहता हो।

सशोधनकी किस्में—नीचे लिखे किस्मके सशोधनोंके लिये जायता दीवानी में इजाजत दी गई है—

(क) फोनलो, डिक्वरियों या हुक्मोंमें लिखनेकी अथवा अङ्कोंका संशोधन [देखो टका १५२]

(ख) किसी मुकद्दममें की जाने वाली किसी कार्रवाई में हुई किसी गलती या भूल का इस गरज से कि फरीफ़के बीच पैदा हुए झगड़ेका निपटारा हो जाय, सशोधन करनेका आम अख्तियार (देखो टका १५३)

(ग) फरीफ़न तो निकाल देने या शामिल करने सम्बन्धी अदालतका अख्तियार (देखो आर्डर १, रूल १०)

(घ) विरोधी पक्षकी प्लीडिंगसका खारिज कर देना या उसका सशोधन करना [देखो आर्डर ६, रूल १६]

(ङ) किसी फरीफ़की सुदकी प्लीडिंगसका सशोधन करना [देखो आर्डर ६, रूल १७]

रूल १७ अदायतको इस सम्बन्धमें बहुत निश्चित अधिकार देता है कि यह प्लीडिंगसमें सशोधन करनेके लिये इजाजत दे सके, देखो 15 C L J 439 जब यह रूल दफा १५३ के साथ शामिल कर दिया जाता है, तो इससे सशोधन की इजाजत देने सम्बन्धी अदालतोंके अधिकार बढ जाते हैं। इसलिये बहुतसे मामले जो दफा ५३ के अनुसार फैसल किए गए हैं वे कानूनकी दृष्टिसे ठीक नहीं हैं। अन्तिम वाक्यके आहासूचक शब्दोंसे यह स्पष्ट है कि मुकद्दमेके दौरानमें किसी भी समय सशोधनोंके लिये इजाजत दी जा सकती है, जो दा गेताको पूरा करता है, अर्थात् (१) यह कि दूसरे पक्षके साथमें अन्याय न होना और (२) यह कि वास्तविक झगड़ेके प्रश्नों तय करने के लिए आवश्यक होना, देखो 33 B 644 प्रत्येक उकीलको इस नजीरको पढ़ जाना चाहिए देखो 16 C W N 128, 11 C L J 188, 22 C W N 611 सशोधनकी नामजूरी उस समय देनी चाहिए जब कि (१) कोई दावा या दादरखी जान बूझकर छोड दी गई हो, (२) जब कि दरखवास्त पैक नीयतीरे न दी गई हो, (३) जब कि इससे मुकद्दमेकी असलियत बिखुरत बदल जाती हो और (४) जब कि वह गैर कानूनी हो और अनावश्यक हो, [देखो 17 C W N 311, 11 I C 827, 10 C W N 622, 14 C L J 83] पलली गलती चाहे जितनी ही लापरवाहीसे क्यों न की गई हो और इसके लिए प्रार्थना चाहे जितनी ही देरमें क्यों न की गई हो, सशोधनके लिए इजाजत अवश्य दी जानी चाहिए, जब तक कि दूसरे पक्षको ऐसी हानि न पहुच रही हो, जिसका मूजा विजा खर्चसे पूरा न किया जा सकता हो।

जब सशोधन करनेकी इजाजत दे दी गई हो तो दूसरे पक्ष को भी इन बातका मौका दिया जाना चाहिए कि वह सशोधन के द्वारा या नई सहादत सलय करके उसका जवाब दे सके [देखो 16 I C 785, 12 C L J 55C, 20 C W N 547]

सशोधनका सम्बन्ध उसी तारीखसे होगा जिस तारीखको गालिस दायर की गई थी [देखो 62 P R 1914, 19 C W N 1193] जिस सशोधनसे किसी पक्षका, मियादके आधार पर शपथी पैरजी करनेका अपहरण हुआ हो, उस सशोधनके लिए इजाजत न देनी चाहिए [देखो 25 C W N 280, P C, 20 C W N 475, 26 C W N 73]

मियाद—सशोधन करने से वह अर्जादाना या बयान तदगीरी आदिका दाखिल होना उसी तारीखसे समझा जायगा जिस तारीखको वह अन्ततम पन्डिटे दाखिल हुआ है मगर अर्जादानामें किसी मुद्दाभलेदके ३० दिनेसे इजाजतकी रमा में उस बंधे हुए मुद्दाभलेद के मुकामिलेमें वह अर्जादाना उस तारीखमें दाखिल हुआ समझा जायगा कि जिस तारीखको उसका नाम नए दिनेसे रखा गया है।

दुसरे मित्रोंके बाद समापन कराने का विधान—(१) अगर कोई शब्द दुसरे होने के बाद निश्चित समय के भीतर अधन जहाँ पर ऐसा समय निश्चित नहीं

क्रिया गया है वहा १४ दिनोंके भीतर सशोधन नदी कर देता, तो उसे जय तक कि अदालत समयको बढा न देवे सशोधन करने का अधिकार न होगा [देखो आर्डर ६, क्ल १८] लेकिन इस कलसे अदालतके सशोधन करने सम्बन्धी साधारण अधिकारोंके ऊपर कोई असर नहीं पडता जो उन्हें जाचता दीवानीकी दफा १५३ के अनुसार प्राप्त है । संशोधन करनेकी इजाजत, अपील या खास अपीलमें दी जासकती है [देखो दफा १०८]

२ दफा १४८ जाचता दीवानी के अनुसार अदालतको अधिकार है कि वह उस मुद्दतको बढा दे जो जाचता दीवानीके अनुसार निर्धारित या भङ्गम (आह्ला प्राप्त) कार्याके करनेके लिए सुकरर की गई हो [देखो 17 C W N 515]

अर्जीदावती वापसी—सुद्धमेंके दौरानमें किसी भी समय अर्जीदावा मुनासिब अदालतमें पेश किए जानेके लिए इस कारणसे वापस किया जा सकता है कि जिन अदालतमें वह पेश किया गया है उसे उसकी समाप्त करनेका अधिकार नहीं है (देखो आर्डर ७ क्ल १)

किसी मुनासिब अदालतमें पेश किए जाने के लिए किसी अर्जीदावाको वापस करते हुए, जजको चाहिए कि वह उसकी पीठ पर ये बातें लिख दे— (१) पेश किए जाने और वापसीकी तारीख, (२) पेश करने वाले राक्स या गफुल्लाका नाम, (३) वापस करनेके कारणों का एक संक्षिप्त विवरण [देखो आर्डर ७, क्ल १०]

उस हुक्मकी अपील हो सकती है जिसके अनुसार मुनासिब अदालतमें पेश किए जाने के लिए अर्जीदावा वापस किया गया हो देखो आर्डर ४३

अर्जीदावा का खारिज भिया जाता—नीचे लिखी हालतों में अर्जीदावा खारिज किया जा सकता है—

१ जब कि उसमें बिनाम मुत्व समत जाहिर न की गई हो,

२ जब कि दादरसी की मादियत मुनासिब से कम लगाई गई हो और मुद्धई, अदालत से इस बात का हुक्म मिलने पर कि यह उसकी रकम को ठीक करे, ऐसा न कर सके,

३ जब कि अर्जीदावा किसी ऐसे कामज पर लिया गया हो जिसपर काफी स्टाम्प न लगाया गया हो और मुद्धई अदालत द्वारा सुकरर किए गये समय के अन्दर जमी कोई फीस को पूरा न कर सके,

४ जब कि नालिश के चारों में यह मालूम होता हो कि ' किसी कानून ' के अनुसार उसकी मियाद खारिज होगई हो [देखो आर्डर ७, क्ल ११]

कॉज (१)—कोई नालिश इस बिनापर खारिज कर दी जा सकती है कि अर्जीदावा में बिनाय सुखासमत दावा दिखलाई नहीं गई है, यद्यपि ऐसी बिना चकील की बहस में दिखलाई गई है, मुद्धा गट्टेह के बयान तहरीरी में नहीं, देखो 3 C W N 220 अदालत किसी अर्जीदावा को अशत खारिज नहीं कर सकती है, देखो 29 A. 325


कलॉज (२)—अगर जिस दादरसी के लिए दरखास्त की गई है, उसकी मालियत कम लगाई गई है, तो अदालत को चाहिए कि वह मुद्दे को यह हुक्म दे कि वह अपनी दादरसी की, जो कि वह चाहता है, मालियत ठीक करे और इसके बाद, अगर मुद्दे दादरसी की तादात कम दिखलवे तो, अदालत इस दफा का प्रयोग करके उसका अर्जीदावा खारिज कर सकती है। लेकिन अदालत को मुद्दा दादरसी की मालियत ठीक करने का अधिकार नहीं है [देखो 13 B 517, 33 M 262]

कलॉज (२)—अगर मुद्दे उस मुद्दत के अन्तर जो अदालत ने निश्चित की है, स्टाम्प, जो उससे तलब किया गया है अदा नहीं करता है, तो अदालत को रूल ११ के अनुसार यह अधिकार है कि अर्जीदावा को उस समय भी खारिज कर दे जब कि उसपर नम्बर डाले जा चुके हों और वह पतीन नालिश के रजिस्टर में चढ़ा लिया गया हो देखो 12 A 558, 27 C 376, 18 M 338, 11 C W N 38 जब कि अर्जीदावा किसी ऐसे कारण से खारिज कर दिया गया हो, जिसका वर्णन आर्डर ७, रूल ११ में किया गया है, तो मुद्दे उसी खोज की बाबत आर्डर ७, रूल १३ के अनुसार फिर से दावा दायर कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसकी तमादी आरिज न होगई हो, देखो 14 W R 289, 12 A 553, 21 B 91, 6 B 447

कलॉज (४)—“किसी कानून’ शब्दों में समग्रहीत कानून और केम लॉ (नजीरों का कानून) दोनों शामिल हैं। अर्जीदावा किसी समय खारिज किया जा सकता है, 12 A 553 18 M 388, 34 Cal 20 F B

इस रूल के अनुसार दिये हुए हुक्म की अपील डिकरी की तरह पर की जा सकती है, देखो जायता दीनानी की दफा २ (२)

अर्जीदावा मंजूर कर लिए जाने के बाद की फार्रवाई



सम्मन की ताम्नीली

अर्जीदावा की रजिस्ट्री—नालिश दायर होने के तद् अदालत उसके सम्बन्ध की कुछ बातों को दीवानी मुकद्दमा के रजिस्टर में दर्ज करवा देगी। नालिशों का नम्बर उसी सिलसिले में होगा जिसमें अर्जीदावा लिए गए है (देखो आर्डर ४, रूल ४)

अर्जीदावा के दर्ज रजिस्टर होजाने के बाद हर एक वकील को फर्द हुक्म देख लेना चाहिए और अपनी डायरी में मुकद्दमा के आदिरी फेसला या ताम्नीली तय करने के लिये मुकद्दर की गई तारीख और मुकद्दम के नम्बर को नोट कर लेना चाहिये।

जिन हुकमों में फरीकन या उनके वकीलों की ओर से कोई बात विप
जाने की हिदायत की गई हो उनपर वही पर फरीकन या उनके वकीलों के दस्त
खत हो जाने चाहिए [देखो G R and C O Vol 1 Chap 3 R 18)

मुदाअलेह के नाम सम्मन का जारी करना—(१) अर्जीदावा के दर्जे रजिस्टर
हो जाने के बाद, मुदाअलेह के नाम इस बात का सम्मन जारी किया जा सकता
है कि वह उसमें बतलाए हुए समय पर हाजिर होकर दावा की निश्चित अपना
जवाब पेश करे (देखो दफ्ता २७ और आर्डर ५, रूल १)

(२) सम्मन जारी करने के वक्त अदालत यह तय करेगी कि वह
सम्मन सिर्फ तनकीहों के तय करने के लिए ही होगा, या मुकद्दमे का अन्तिम
निर्णय (आखिरी फैसला) करनेके लिए, और इसीके अनुसार सम्मन जारी किया
जायगा [देखो आर्डर ५, रूल, ५]

(३) अदालत खफ़ीफा में दायर की गई नालिशों में सम्मन मुकद्दमे का
आखिरी फैसला करने के लिए होगा [देखो आर्डर ५, रूल ५] लगान की
नालिशा में सम्मन मुकद्दमे के आखिरी फैसले के लिए होगा, जब तक कि अदा
लत की यह राय न हो कि सम्मन सिर्फ तनकीहों तय करने के लिए होगा (देखो
दफ्ता १३८ 'ली') रुपये पैसे की नालिशों में सम्मन प्राय आखिरी फैसले के
लिए ही होता है। इफीयत रेहन नामा या दूसरे मुकद्दमों में सम्मन तनकीहों
को तय करने के लिए होता है।

(४) सम्मन में मुदाअलेह को यह हुकम दिया जायगा कि वह वे कुल
फागजात जोकि उसके कब्जे या अधिकार में हों और जिनके आधार पर वह
अपना दावा पेश करता है, पेश करे और अगर सम्मन मुकद्दमे के आखिरी
फैसला के लिए हो, तो उसमें मुदाअलेह के लिए वह भी हुकम होगा कि वह
अपनी हाजिरी के दिन, जो सुक़रर किया गया है, अपने गवाह भी हाजिर
करे [देखो आर्डर ५, रूल ७ और ८]

(५) मुदाअलेह या तो असालतन हाजिर हो सकता है या बजरिये किसी
वकील के जिसको बाकायदा मामले के हालात समझा दिए गए हो और जो
मुकद्दमे से सम्बन्ध रखने वाले तमाम आवश्यक प्रदर्शनों का उत्तर दे सकता हो,
या बजरिये किसी ऐसे वकील जिनके साथ, कोई दूसरा आदमी हो जो उसे
तमाम खयालों का जवाब दे सकता हो [देखो आर्डर ५, रूल १, क्लॉज २]

(६) जहा पर अदालत की राय में मुदाअलेह की असालतन हाजिरी
प्राप्त्यत्त हो, वहा पर सम्मन में यह हुकम होगा कि वह असालतन हाजिर हो
[देखो आर्डर ५, रूल ३]

(७) हरएक सम्मन के साथ अर्जीदावा की एक नक़ल या अगर ऐसा
हुकम हो तो, एक सक्षिप्त विवरण भी भेजा जायगा। [देखो आर्डर ५, रूल
(२)]

(८) जिसी भी शखनको असालतन हाजिर होनेका हुक्म न दिया जायगा जब तक कि वह अदालत के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर न रहता हो या इस सीमा के बाहर किन्तु ऐसे स्थान पर, जो अदालत से ५० मील या जहा पर कि रेल या स्टीमर बगैरा की गामदरफ्त है वहां २०० मील से कम फासले पर न रहता हो ।

(९) मुद्दाअलेहकी हाजिरीका दिन इन बातोंका खयाल रखकर मुकदरर किया जायगा—(१) यह कि अदालत के पास इस समय कितना काम है, (२) मुद्दाअलेह की सवृनत कहा है और (३) यह कि सम्मन की तामीली के लिए कितने समय की जरूरत है [देखो आर्डर ५ रूल ६] इस रूल के अनुसार मुद्दाअलेह काफी यक्त पाने का हकदार है जिससे कि वह असलतन या बजरिये घकील के हाजिर हो सके ।

जब सम्मन बिना तामील हुए वापस आये और उसके बाद तीन महीने तक मुद्दाई दूसरे सम्मन के लिए दरखास्त न दे, उस समय क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, इसके लिए देखो आर्डर ९, रूल ५, जिसका संशोधन एक्ट न० २४ सन १९२० ई० के अनुसार हो चुका है । सम्मन अदालत से जारी किये जाते हैं संयुक्त प्रांत की अदालतों का काम कम करने के लिये अब यह हुक्म जारी किया गया है कि सम्मन की खाना पूरी पेशी की तारीख भादि को छोड़ कर सब उस वकील के द्वारा की जावे जिसकी दरखास्त पर सम्मन जारी होना है ।

तलवाना दाखिल करना—जायता दीवानी के अनुसार जो भी हुक्म नामा जारी किया जायगा वह उस फीलीक के खर्च से जारी किया जायगा जिसकी ओर से वह जारी कराया जा रहा है, जब तककि अदालत इससे विपरीत कोई आज्ञान दे उसपर जो नोट फीस लगाया जाना चाहिए, वह उस मियादके अन्दर अदा किया जाना चाहिए जो हुक्म नामा जारी किये जाने के पहले मुकदरर की जायगी [देखो आर्डर ४८, रूल १]

जब कि सम्मन डाक द्वारा भेजा जाय, तो पोस्टेज और रजिस्टरी का खर्च उस मियाद के अन्दर अदा कर दिया जाना चाहिए जो उसके भेजे जाने से पहले मुकदरर हो [देखो दफा १४३]

अर्जीदावा के दर्ज रजिस्टर होजाने और मुद्दाअलेह के उपर सम्मन जारी किए जाने का हुक्म दिए जाने के बाद मुद्दाई के वकील का यह काम होगा कि वह खयाल रखे कि सम्मन की तामीली का खर्चा जहा तक जरूरत हो सके अदा करदे । आर्डर ९, रूल २ के अनुसार नालिश रजिज हो जा सकती है, अगर मुद्दाई खर्चा अदा नहीं करता है ।

सम्मन तामीली की दरखास्त देने के समय तलवाना का रुपया पहिने ही जमा कर दिया जाना चाहिए और वह स्टाम्प की शकल में होगा जो उसी अर्जीपर उस स्टाम्प के अलावा लगाया जायगा जो कि उस अर्जी के लिए ही जरूरी है ।

वकीलों के मुहरिरो का यह काम हुआ करता है कि वे तलवाना आदि लगावे। अक्सर वे घेपरवाही कर जाते हैं या मत्रिकल से लेने में गफलत कर जाते हैं जिससे पीछे हानि होती है। मचकिलों को चारिए कि वह अदाएती कुल खर्चा वकील साहब को दे दें ताकि देरी होने के कारण या न दाखिल होने के कारण जो हानि हो उसकी जिम्मेदारी उनपर न रहे। यह बड़ी मुश्किल है कि प्राय वकील लोग रखे क पाने की रसीद नहीं देते बरिक्त महनतना की भी देने में उन्हें शोभ होता है। जब कभी मुहरिर साहब कुछ गचन करके भाग जाते हैं तो मवक्किलों के पास कोई आधार नहीं रहता कि उन्होंने कितना खपया उसे दिया था। उचित तो यही है कि रसीद दी जाय।

सम्मन की तामीली—सम्मन की तामीली की फीस बढ़ा हो जाने और सम्मन के छपे हुए फार्म (जिनकी खानापुरी हाईकोर्ट के नियमों के अनुसार बाकायदा तौर पर कर दी गई है) दाखिल कर दिये जाने के बाद, हर एक वकील का यह कर्तव्य होगा कि वह इस बातकी जाच करे कि क्या सम्मन तामील के वास्ते नाजिर के दफ्तर को भेज दिये गये ह। और तामील करने के लिए वे मजकूरी (चपरासी) को दे दिए गए हैं। इससे वह अपने मचकिल को इस बात की सूचना दे सकेगा कि वह किसी सिनाख्त करने वाले को, जिसे प्राय "निशादिहि-दा" कहते हैं, लेकर तैयार रहे जो मुद्दाअलेह की सिनाख्त कर सके, और उस चपरासी की इस बारे में सहायता करे ताकि वह मुद्दाअलेह पर असालतन सम्मन की तामील कर सके।

हुक्मनामा के फार्म को दाखिल करना—फरीकैन को चाहिए कि वे हाजिरी के लिए हुक्मनामा जारी करने की दरखास्त के साथ साथ उसके छपे हुए फार्म भी दाखिल कर जिनकी खानापुरी हाईकोर्ट के तलबी सम्बन्धी नियमों के अनुसार कर दी गई हो। हाजिरी की तारीख और हुक्मनामा की तारीख का रूना खाली छोड़ देना चाहिए। इनकी खानापुरी दफ्तर में की जायगी। फरीकैन या उनके वकील उस फार्म पर नीचे की तरफ बाईं ओर अपने दस्त-खत करेंगे और वे इस बात के लिए ज़ुम्मेदार रहेंगे कि वह सच ठीक और सही हैं। फार्म में मोटे, साफ और ऐसे अक्षरों को लिखना चाहिए जो अच्छी तरह से और जल्दी पढ़े जा सकें।

तलबी के लिए आवश्यक फार्म फरीकैन या उनके वकीलों को बिना रखे के मुफ्त दिए जायगे।

इलाहाबाद हाईकोर्टकी सीमाकेअन्दरमें सम्मनके लिए दरखास्त एक इसके लिए मुकर्रर फार्म में लिखी जायगी। दूसरे फार्म में दरखास्त न ली जायगी।

भाषा—जो हुक्मनामों अदालत दीवानी से जारी किए जाय वे प्राय उस भाषा में लिखे जाने चाहिए जो उस जिले में प्रचलित है जिसमें कि वह अदालत बाक है, अर्थात् (कुछ हालतों को छोड़कर) उस भाषा में जिसमें ऐसी अदालतों का काम होता है। लेकिन जब हुक्मनामा तामील के लिए किसी

जिला को अदालत को भेजा जाता हो, जहा पर आमतौर से उससे भिन्न किसी दूसरी भाषा का प्रयोग होता हो, तो उस हुक्मनामा के साथ किसी दूसरी वही भाषा या अंग्रेजी में अनुवाद (तर्जुमा) भी रहेगा जिसके ऊपर वह अदालत जो, उसे भेज रही है, यह तस्दीक करेगी कि वह सही है। किन्तु ऐसी अवस्थाओं में इस हुक्मनामा के साथ अंग्रेजी में लिखा हुआ एक पत्र (खत) होना चाहिए जिसमें उसकी तामीली की निश्चय लिखा गया हो। जिन हुक्मनामों का अंग्रेजी मजमून हाईकोर्ट ने निश्चित किया है, उनके लिए यह जरूरी है कि वे यूरोपियन लोगों के पास उसी भाषा में भेजे जाय।

तामीलीया तरीका—(१) सम्मनकी तामील उस सम्मनकी एक प्रति (नकल) देकर या चरपा करके की जानी चाहिये [देखो आर्डर ५, रूल १०] जहा रुही ऐसा सम्भव होगा, सम्मनकी तामील मुद्दा अलेहेद के ऊपर अदालतन की जायगा, जब तक कि उसका कोई मुखतार ऐसा न हो जिसे सम्मन लेनेका अधिकार दिया गया हो। जब एक्से अधिक मुद्दाअलेहेद हों, तो हर एक मुद्दाअलेहेदके ऊपर अलग २ तामील की जायगी सिवाय उस दशाके जब कि इससे भिन्न कोई व्यवस्था की गई हो (देखो आर्डर ५, रूल ११)

पनावमें मुद्दह पहिले रजिस्टर्ड पोस्टसे सम्मनकी तामील करनेकी कोशिश कर सकता है (देखो परिशिष्ट आर्डर ५, रूल १० की शत)

(२) जब तामील करनेवाला अफसर सम्मनकी एक प्रति स्वयं, मुद्दाअलेहेद का देता है या उसके मुखतार अथवा किसी दूसरे शख्सको, जिसे उसकी ओरसे ऐसा करनेका अधिकार प्राप्त है, तो वह उस सम्मनके पानेकी रसीद असली सम्मनकी पीठ पर लिखवा कर उसके दस्तखत करवा लेगा, और तामील करने वाले अफसरको चाहिये कि वह सभी हालतोंमें असली सम्मनके ऊपर या उसके साथ तामीलका समप तरीका तथा शिनाखत करनेवाले और गवाहोंके नाम लिखा कर, या लिखवा कर भेज दे (देखो आर्डर ५, रूल १६, और १८)

(३) जबकि मुद्दाअलेहेद या उसका मुखतार रसीद पर दस्तखत करनेसे इन्कार करे या नय कि वह सभी "उचित और सम्भव उपायों" का प्रयोग करने पर भी मिल न सके, तो आर्डर ५ रूल १७ के अनुसार उसके मकानके बाहरी दरवाजा पर चरपा करके सम्मनकी तामील की जायगी।

(४) जब आर्डर ५ रूल १७ के अनुसार कोई सम्मन वापस भाजाय तो अदालत अगर जरूरी होगा तो, मुनासिब तामीलीकी निश्चय इतमिदान कर लेगी और फिर या तो यह घोषित कर देगी कि सम्मन बाकायदा तोरसे तामील हो गया है या ऐसी दूसरी तामीलका हुक्म देगी जिसे वह मुनासिब समझेगी (देखो आर्डर ५, रूल १९)

(५) जब कि मुद्दाअलेहेद भाग रहा हो या और किसी कारणसे सम्मनकी तामीली न होती हो, तो अदालतको अधिकार होगा कि वह यह हुक्म दे देवे कि इसकी जगह सम्मन कचहरीमें और उस स्थान पर जहा पर आखिरमें मुद्दा

अलेहकी समूह न रही हो, चाखा करके तामील किया जाय (देपो आर्डर ५, रूल २०)

(६) जब कि मुद्दाअलेह दूहे न मिलता हो और उसका कोई मुवतारभी न हो तो सम्मनकी तामील उसके घरके किसी भी बालिग भादमी पर की जा सकती है जो उसके साथ रहता हो। तौकर, उस घरका भादमी नहीं माना जाता है (देपो आर्डर ५, रूल २०)

(७) जबकि मुद्दा अलेह उस अदालतके अधिकार-क्षेत्रकी स्वामीप सीमाके बाहर रहता हो, लेकिन मैजेर या एजेण्टके जरिये ऐसी स्वामीप सीमाके भीतर कारबार करता हो, तो ऐसे मैजेर या एजेण्टके ऊपर की गई तामीली काफी समझी जायगी (देपो आर्डर ५ रूल १३)

(८) जायदाद गैर मनकूला सम्बन्धी नालिशोंमें, तो मुद्दाअलेहके किसी भी एजेण्ट पर, जिनकी सिपुदंगीमें वह जायदाद गैर-माकूला है, की गई तामीली काफी समझी जायगी, जब कि सम्मनकी तामील मुद्दाअलेहके ऊपर असाहतन न की जा सके और उसका कोई ऐसा मुदतार (एजेण्ट) न हो, जिसे सम्मन लेनेका मजाज हो (देपो आर्डर ५, रूल १४)

(९) जब कि नालिश किसी कारपोरेशनके ऊपर दायर की गई हो, तो सम्मनकी तामीली (अ) कारपोरेशनके सेक्रेटरी, या किसी डाइरेक्टर या दूसरे पास अफसरके ऊपर अथवा (ब) कारपोरेशनके पतेसे उसके रजिस्टर्ड आफिसमें या (स) अगर रजिस्टर्ड आफिस नहीं है, तो उस स्थान पर, जहां वह कारपोरेशन अपना कारबार करता है, छोड़ देने या बजरिये डाक भेज देनेसे की जा सकती है (देपो आर्डर २९, रूल २)

अगर नालिश किसी रेलवे कम्पनी पर की जावे तो भीम तरीकेसे सम्मन तामील करनेके साथ साथ आर्डर २९, रूल २ (बी) के अनुसार सम्मनकी एक प्रति (नक़ल) बजरिये डाक भेज देनी चाहिये [देपो G R & C O Ch 1 R 22]

(११) अगर किसी साक्षेदारीमें काम करनेवालोंके ऊपर दावा किया जाय तो सम्मनकी तामील या तो (अ) एक या ज्यादा हिस्सेदारों (साझेदारों) के ऊपर की जायगी या (ब) उस मुकाम के ऊपर, जहा पर कारबार (व्यापार) किया जाता है, किसी ऐसे भादमी पर, जो उस कारबारका मध्यकर्ता हो [देपो आर्डर ३०, रूल ३]

जिन मामलोंमें सम्मनकी तामीली असाहतन हो सके उन समय असाहतन ही तामीली करनी चाहिये (देपो 29 M 324) फरीकनको चाहिये कि वे तामील करने वाले चपरासी (मजदूरी) को असाहतन तामीली करनेमें सहायता दे, क्योंकि अगर अदालतको सम्मनकी तामीलीकी निश्चत इतमिमान न हुआ तो उनको नए सिरेसे तामीली करनेमें दिक्कत और खर्चा उठाना पड़ेगा। शिनाहत करनेवालोंको चाहिये कि वे इस बातका हलफ-नामा दाखिल करे कि तामीली बाकायदा तौर पर ही गई है। उनको इस पर कोर्ट फीस नहीं दगानी पड़ेगी।

वो लोग मुद्दा अलेटका फार पार गेते हैं, वे मुद्दतार नहीं कहे जा सकते (देखो 17 W R 33) मुद्दतार लोगहाँ सम्मन देनेका आग्रह्यार हीना चाहिये । 'वालिग' का मतलब उस आडमोन है जिसकी उमर १६ सालसे ज्यादा हो (देखो 35 C 286) । 'वालिग' मर्मे वालिग औरत नदी भाती है । इस बात का अनुमान नदी किया जा सकता कि औरत मुद्दाअलेटको वे तमाम बातें बतलावगी जो उसकी अदम मौलगीमे हुई है (देखो 21 B 223) । इस बातका भी कोई अनुमान नदी हो सकता कि लटका अपने बापको सूचित कर देगा (देखो 35 C L J 205)

सम्मन चरपा उम्मी समय किया जा सकता है, जब "मुनासिब और सम्भय कोशिश" करने के बाद मुद्दाअलेट "मिल न सके" । सिर्फ इस बातसे कि मुद्दाअलेट थोटे समयके लिए मकानसे बाहर गया हुआ है, सम्मनका उसके दरवाजेपर चरपा कर देना ठीक न होगा । सम्मनकी तामील करने वाले मजदूरी (चपरानी) को चाहिए कि वह कोशिश करके उस शख्सको तलाश करे (देखो 26 C 101; 19 C 201; 5 C L J 12 n, 30 B 623; 38 C 391; 21 M 119; 21 A 302; 21 B 223; 23 C L J 183; 3 C W N 307) 19 C 201 में चीफ जस्टिस पेंथरमने कहा है — "यह सच है कि तुम (चपरानी) जिसीके मकानके ऊपर जाते हो और उसे वहाँ पर नहीं पाते हो, परन्तु यह उसको तलाश करनेकी कोशिश करना नहीं है, तुम उसके मकान पर जाओ, वहाँ उसे दरवापत करो और अगर जरूरी हो तो जहा वह गया है वहाँ पर जाओ । तुम्हें इस बातका पता लगाना चाहिए कि वह मकान पर कब तक आ जायगा और तुम उसके मकान पर उस समय जाओ जब उसके मिलने की सम्भानता हो ।" जो दृष्टकाममा मजदूरी (चपरानी) दाखिल करे उतम यह बात अलग दिखलाई जानी चाहिए कि सम्मन चरपा करनेके पहिले मुद्दाअलेटको दूबनेके लिए काफी कोशिश कर ली गई थी [देखो 26 C 101] अगर चपरानी इस सम्मनधर्म अपने कतेव्यका पालन न कर सका, तो इस बातकी इतना अदाकतको मिलनी चाहिए, ताकि फिरसे सम्मन तामील करनेका हुकम दिया जा सके और उसका चर्चा मुद्दको दुबारा फिर न देना पड़े, अगर किसी तरहका उतका कोई छुसुर नहीं है ।

नाज कल अदालत प्राय यह किया करती है कि, अगर सम्मन चरपा हो जागेके बाद मुद्दाअलेट हाजिर नहीं होता है तो वे रजिस्ट्री डाकसे सम्मन तामील किया करती है । चिट्ठी भजने का सूचा वगैरा सब मुद्दरर मियादके अदर दाखिल किया जाना चाहिए । जस्टिस मुद्दजीने 19 C W N 1231 में जो फैसला दिया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि अदालत, रजिस्ट्री डाकसे सम्मनकी तामीली कर सकती है । पत्राभमे आर्डर ५, कल १० का सशोधन कर दिया गया है और सुद्धे पहिले रजिस्ट्री डाकमे सम्मन तामील करने की कोशिश कर सकता है ।

किसी अपीलानुष्ठानों के इस बातके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि वह शिनाख्त करने वालेको पेश करें। जिस शिनाख्त करने वाले का जिक्र आर्डर १०, रूल १८ में है, उसके लिए यह जरूरी है कि वह फरीकका दिया हुआ हो। ऐसा आदमी उसी गांवका रहने वाला होना चाहिए और जो मुद्दाभलेह जामता हो, देखो 64 I C 49

जायता दीवानी में पर्वी नशीन औरतोंके ऊपर सम्मनकी तामीलीकी निस्वत कोई खास व्यवस्था नहीं की गई है और जहा पर देशके रस्म रिवाजकी वजहसे उन तक पहुँचना असम्भव हो, वहा पर चर्चा किए जाने का हुक्म दिया जा सकता है, देखो 2 M. L. A. 263, 19 C W N, 1231

इस सम्बन्धमें, कि आर्डर ५, रूल १० के अनुसार सम्मन चर्चा किस समय किया जासकता है, देखो 38 C 394, 13 C L J 221; 9 C. L. J 244, 11 Ch J 580, 1 C W N 104

जो हलफनामा तामील करने वाला चपरासी या शिनाख्त करने वाला शख्स तामीलीकी निस्वत दाखिल करे, उसमें यह बात लिपी होनी चाहिए कि सम्मनकी तामील उसी तरहसे की गई है जिस तरह आर्डर ५ में बतलाया गया है, अर्थात् अगर सम्मनको मुद्दाभलेहने स्वयं ले लिया है और उसकी रसीद लिख दी है, तो जिस अफसरने तामील की है वह हलफनामासे उसकी तस्दीक करेगा और उस शख्सकी शिनाख्त का सुत्र भी उस शख्सके हलफनामासे मिल जाना चाहिए जो उस शख्सने दाखिल किया है जो उस शख्सको, जिस पर सम्मन तामील किया गया है, अच्छी तरहसे जानता था। अगर रूल १० के अनुसार सम्मनकी तामीली किसी मुद्दतार (ऐजण्ट) के ऊपर की गई है, तो हलफनामासे यह बात साबित की जानी चाहिए कि मुद्दतार (ऐजण्ट) को सम्मन लेनेका अज्ञपार था, अगर तामीली रूल १५ के अनुसार की गई है, तो हलफनामासे यह बात साबित होनी चाहिए कि वह शख्स मिल नहीं सका और न उसका कोई मुद्दतार ही था, और यह कि जिस शख्सको सम्मन दिया गया है वह उस शख्स (फरीक) के घरका आदमी है जो बालिग है और उसीके साथ रहता है, अगर तामीली रूल १७ के अनुसार की गई है तो हलफसे यह बात साबित की जानी चाहिए कि माकूल कोशिश करने के बाद भी मुद्दाभलेह नहीं मिल सका और यह कि उसका कोई मुद्दतार वगैरा भी नहीं था और इसी तरह दूसरे रूलोंके निस्वत भी है।

दूसरे जिलोंमें सम्मनकी तामीली—इस बातके लिये कि, जब मुद्दाभलेह किसी दूसरी अदालतके अधिकार-क्षेत्रमें रहता हो, उस समय सम्मनकी तामीली किस तरह पर की जानी चाहिये, देखो आर्डर ५, रूल २१

आर्डर ५, रूल २१ के अनुसार जारी किया हुआ सम्मन आम तौरसे उस मुखिफकी अदालतको भेज दिया जाना चाहिए जिसके अधिकार-क्षेत्रमें मुद्दाभलेह या गवाह रहता हो (देखो G R & C O Chap I R 40) सम्मन भेजने वाली अदालत अक्सर अपने से कम दर्जे की अदालतमें या, यदि कम दर्जे की

अदालत न हो तो परावरकी अदालतमें भेजती है। यदि ऐसा भी न हो तो बड़े दजेकी अदालतको भी भेज सकती है।

प्रैजीडेन्सी टाउन्स या दूसरे स्थानोंमें सम्मती तामीली—जब कोई सम्मन, जो किसी ऐसी अदालत द्वारा जारी किया गया हो जो कलकत्ता, मदरास, बम्बई और बङ्गल शहरकी सीमाके बाहर पाकू है, और किसी ऐसी सीमाके भीतर तामील रिप जानेको हो, तो वह उस अदालत सूफीफा के पास भेज दिया जाना चाहिए जिसके अधिकारक्षेत्र में उसकी तामीली थी जानेको हो। [देखो आर्डर ५, रूल २२]

प्रैजीडेन्सी टाउन्समें तामील किए जानेके लिए हुक्मनामा जारी करते समय, हर एक अदालतके प्रिजाइडिंग अफसरको इस बातका इतमीतान कर लेना चाहिए, कि हुक्मनामामें उस शख्सका, जिसे तलब किया गया है, वह कुछ हपोर लिखा हुआ है जिससे अब इस बातकी सम्भावना नहीं है कि प्रैजीडेन्सी टाउन्सका चपरासी उस आदमीकी हुलिया पहिचाननेमें गलती कर जायगा। अगर तलब किया हुआ शख्स यूरोपियन या यूरेशियन है, तो उसका पूरा ईसाई (क्रिश्चियन) नाम, अगर सम्भव हो तो उसके नामके अक्षर, पेशा या रोजगार और पूरा पता (अर्थात् सड़क या मइल्ला का नाम, और मकानका नंबर) खही खही लिखा जाना चाहिए। अगर वह शख्स हिन्दुस्तानी है, तो सम्मनमें उसका नाम, बापका नाम, जात, पेशा और पता लिखा जाना चाहिए तथा, इसके साथ दूसरी और बातें भी लिखी जानी चाहिए जो प्रिजाइडिंग अफसरकी रायमें सम्मनकी तामीलीमें महायता फरंगी। सम्मन उस समय तक जारी नहीं करना चाहिए जब तक कि वह शख्स, जिसकी ओरसे सम्मन जारी किया जा रहा है, कुछ बातें बतला न दे (देखो G R & C O Chap 1 R 38

बम्बईमें रूल २२ के साथ एक शत जोड़ दी गई है, जिसमें रजिस्ट्री डाकसे सम्मन तामील करनेका हुक्म दिया गया है।

दूसरी हालतोंमें सम्मन तामील करनेका तरीका—जब मुद्दाअलैह जेलखानेमें हो, उस समय तामील किस तरह कीजाय, इस सम्बन्धमें देखो आर्डर ५, रूल २४ और २९। सम्मन जेलके अफसर इन्चार्जके पास भेजना चाहिए, देखो प्रिजनर्स ऐक्ट न० ३ सन् १९०० ई० की दफा ३४ से ४८ तक।

जब मुद्दाअलैह दूसरे प्रांत (सूबे) में रहता हो उस समय सम्मनकी तामीली के तरीकेके बारेमें देखो जायता दीवानीकी दफा २८ और २९। दफा २८ यह है कि सम्मन तामीलके वास्ते किसी दूसरे सूबेकी अदालतमें ऐसे तरीके पर भेजा जायगा जो उस सूबेके नियमोंके अनुसार हो और सूबेकी अदालत धीसे ही फर्रवाई करेगी मानो सम्मन उसीने जारी किया है। तथा रिपोर्ट लिखकर सम्मन भेजने वाली अदालत को वापस कर देगी।

जब मुद्दाअलैह ब्रिटिश भारतके बाहर रहता हो और उसका कोई भी सुल्तार भारत वर्षमें न हो जो सम्मन ले सकता हो, उस समय सम्मन तामील

करने के लिये लिफाफेमें बन्द होकर मुद्दाअलेहके पास उसके परके पतेसे डाकसे भेजा जायगा, अगर उसके मकानसे उस मुकाम तक, जहाँ अदालत चाकू है, टाक जारी हो, देखो आर्डर ५, रूल २५ । किसी दूसरेके राज्यमें पोलिटिकल एजेंट अथवा अदालत द्वारा सम्मन तामील किये जावेंगे जो हिन्दुस्तानमें चाकू है । इस सम्बन्धमें देखो आर्डर ५, रूल २६ तथा G R & C O Ch 1 R 42 ब्रिटिश भारतकी अदालत द्वारा जारी किये हुये सम्मन की तामील मैसूरकी किसी भी दीवानी अदालत के ऊपर की जा सकती है । निजाम हैदराबाद के राज्यमें जारी किये हुये सम्मन बंगाल प्रेजीडेन्सी और आसाममें बिना किसी एजेंटके तामील किये जा सकते हैं (देखो G R. & C O Ch & V 9)

किसी सिविल पब्लिक अफसर या किसी रेलवे कंपनी अथवा स्थानीय अधिकारीके ऊपर सम्मन तामील करने के तरीके के सम्बन्धमें देखो आर्डर ५, रूल २७ । इसका सारांश यह है कि, अगर मुद्दाअलेह अफसर सरकारी हो या किसी रेलवे कंपनीका मुलाजिम हो तो सम्मन उसके प्रधान दफतरमें भेजा जायगा जिसमें मुद्दाअलेह मुलाजिम हो, और सम्मनकी एक नकल मुद्दाअलेहकी दी जायगी ।

इलाहाबादमें आर्डर ५, रूल २७ के साथ में दो नोट—नं० १ और २ जोड़ दिये गये हैं ।

फौजी सिपाहियोंके ऊपर सम्मनकी तामिलीके तरीके के बारेमें देखो आर्डर ५, रूल २८ अर्थात् सिपाहीका सम्मन उसके कमांडिङ्ग अफसरके पास भेजा जायगा । भारत मन्त्री इस बातकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि वह आर्डर ५, रूल २८ के अनुसार किसी फौजी अफसरके ऊपर, जो यूरोपमें रहता है, जारी किये हुये सम्मनकी तामिली करवा देगे, देखो G R & C. O Ch 1 R 43

फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, रूस इत्यादिले भागे वाले या वहाको जाने वाले विदेशी सम्मनोंकी तामिलीके सम्बन्धमें देखो G R & C O Ch 1 R 44, 45

इङ्ग्लैण्डमें सम्मनकी तामिलीके तरीकेकी निस्वत देखो 9 C L J 244

सूरा—जो सम्मन रजिस्ट्री डाकसे भेजा गया है उसकी तामिली साबित करनेके तरीकेके सम्बन्धमें देखो कानून गद्दादतकी दफा १६ और ११४ (एफ) तथा 16 W R 223, 15 C. 681, 21 B 412 P 416, 35 B 213 and 23 A 99

सम्मन तामिल हो जानेके बाद की कार्रवाई ।



जो तारीख सम्मनमें मुद्दाअलेह की दायिरी और दावाका जवाब देनेके लिए मुकदमेकी थी है, उस तारीख को फीकिस मुकदमा अदालतन या बजरिए पकी ठके कचहरीमें दायिर हांगे । और इसके बाद मुकदमेकी सुनवाई की जायगी

जब तक कि फरीकनकी दरखवास्त के ऊपर अदातत पेशीकी तारीख किसी भागें दिनके लिये न पढ़ा दे (देखो आर्डर ९, रूल १)

जब मुद्दहके लया न देनेके कारण सम्मानी तामील न हो मकी हो—अगर उस रोज, जो सम्मनमें मुकदर किया गया है, यह मालूम हो कि यह सम्मन मुद्दहके घोंटे फॉस अथवा टाक सुन्यं पैरा, जो उसे सम्मन की तामील के लिये अदा करता चाहिये था, अदा न करने के कारण, तामील नही दा सफा है तो अदालत को अधिकार होगा कि यह नाशिखा खारिज कर दे, जब तककि मुद्दाअलेह अमाएतन या अपने वकीलके मारफत हाजिर न हो जाय (देखो आर्डर ९ रूल २)

मुद्दा अलेहकी दाखिलीके लिये जो तारीख मुकदर कीगई है उस रोज मुद्दहके वकील का सबसे पहले और जरूरी काम यह होगा कि वह तामील करने वाले चपरासी (मजदूरी) का रजिस्टर देखे या मिसिल मुकदमामें उसकी रिपोर्टें देखे और यह देखे कि मुद्दाअलेह पर सम्मनगी तामील हुई है या नहीं । अगर उसे यह मालूम हो जाय कि सम्मन बिना किसी उचित कारणके बिना तामील हुये ही वापस आया है या यह कि यह तामील किये जाये लिये नाजिर के शरिस्तेसे जारी ही नहीं किया गया है, यद्यपि तलवाना समयके भीतर जमा कर दिया गया था, तो वकीलको चाहिये कि वह फीरनू इस बातकी इत्तला अदालतको करे और उसके जल्दी सम्मन तामील करने के लिये प्रार्थना करे । अगर सम्मन कृतई तामील ही नहीं हुआ है या यह कि मुद्दहके कोई शिनाकृत करने वाला न देने के कारण या उसकी किसी दूसरी भूलके कारण यह जायज तीरसे तामील नहीं हुआ है, तो मुद्दहको चाहिये कि वह फिर से सम्मन तामील किये जानेके लिये अदालतसे प्रार्थना करे । उपरोक्त नियम (रूल) के अनुसार कोई भी सम्मन की तामीली न की जा सकेगी, जब तक कि मुद्दह फिरसे तलवाना दाखिल न करेगा, जो ऐसी तामीलीके लिये जरूरी हो । जहां पर यह मालूम हो कि तामीलके लिये सम्मन जारी ही नहीं किया गया था, यद्यपि तलवाना समय के अन्दर ही दाखिल कर दिया गया था, तो फिरसे तलवाना दाखिल करनेकी जरूरत नहीं होगी । अगर सम्मनकी तामीली, मुद्दहके तलवाना न अदा करने या सम्मन न देनेके कारण, नही हुई है, तो इस बातका कारण बतलाना चाहिये कि तलवाना क्यों नहीं दाखिल किया गया अथवा सम्मन क्या नहीं दिया गया, और तलवाना अदा करने और सम्मन दे देने के बाद सम्मनकी तामीलीके लिये अदालतसे दरखवास्त करनी चाहिये ।

अगर सम्मनमुद्दहकी मरतीसे तामील नहीं हो सका है, तो अदालत, अगर वह फिरसे सम्मन तामील करनेकी दरखवास्त मजूर न करे तो, नाशिखा खारिज कर देगी । यह रूल उस समय लागू होता है जब सम्मन की तामीली कुरा मुद्दाअलेहों या किसी एक मुद्दाअलेह के ऊपर न हुई हो ।

आर्डर ९ का रूल २, आर्डर ४८, रूल १ (२) के साथ पढ़ा जाना चाहिये जिसमें यह बतलाया गया है कि तलवाना जमा करने के लिये एक तारीख

मुकर्रर कर दी जानी चाहिये। अदालत तलपाना न जमा करने के कारण कोई नालिश खारिज नहीं कर सकती, जब तक कि वह इसके लिये कोई समय नियत नहीं कर देती देखो 3 B L R Ap 25, 11 W R 290

आर्डर २ के अनुसार दिया हुआ खारिजीका हुकम फाविल अपील है, देखो 9 C 627, 38 A. 357.

उस समय भी नालिश खारिज कर दी जायगी, अगर तामील करने वाले अफसर के द्वारा सम्मन बिना तामील किया हुआ वापस आनेके बाद तीन महीनेके अन्दर (देखो ऐक्ट न० २४ सन् १९२० ई०) मुद्दई फिरसे सम्मन जारी करनेके लिये दरख्वास्त न दे (देखो आर्डर ९ रूल ५) ।

घम्बईमें यह मुद्दत ६ मास है ।

मियादका हिसाब उस तारीखसे लगाना चाहिये, जिस तारीखको आखिरी बार सम्मन बिना तामील हुये वापस आया हो, देखो 2 Lab L J 774

जब कोई नालिश उपरोक्त रूलके अनुसार खारिज हो गई हो, तो कानून मियादकी पाबन्दी में रहते हुये मुद्दई नये सिरेसे नालिश दायर कर सकता है ।

जब मुद्दई और मुद्दाभलेह कोई भी हाजिर न हो—जब मुकद्दमेकी पेशी को न मुद्दई हाजिर हो और न मुद्दाभलेह, तो अदालतको अधिकार होगा कि वह मुकद्दमा खारिज किये जानेके लिये हुकम दे दे (देखो आर्डर ९, रूल ३)

जज इस बातके लिये बाध्य नहीं है कि वह किसी फरीफका अदालत बन्द होने तक इन्तजार करे, देखो 7 M 356

रूल ३ के अनुसार दिया हुआ हुकम, जिसके अनुसार कोई नालिश खारिज कर दी गई हो, फाविल अपील नहीं है, क्योंकि दफा २ में 'डिकरी'की जो परिभाषा की गई है उसमें यह कहा गया है कि, उसमें अदम पैरचीमें नालिश खारिज करने का हुकम शामिल नहीं है (देखो 18 C W N 604, 33 C 341) और न उस समय उसकी नजरखानी ही हो सकती है जब मुद्दई रूल ४ के अनुसार दरख्वास्त न देवे (देखो 2 C W N 318; 26 C 598 लेकिन अदालतको इस बातका इतमीनान दिलाने पर, कि उसके हाजिर न हो सकनेके पर्याप्त कारण थे, मुद्दई आर्डर ९, रूल ४ के अनुसार नये सिरेसे नालिश दायर कर सकता है या उसकी फिरसे समाप्त किये जानेके लिये प्रार्थना कर सकता है । कानून मियादके आर्टि० १६३ के अनुसार मियादकी मुद्दत ३० दिन है । जिस हुकमसे अपीलकी खारिजी रद्द करने से इन्कार कर दी गई हो, उसकी अपील नहीं हो सकती (देखो 27 C L J 117) और जिस हुकमसे मुकद्दमा फिर मजूर कर लिया गया हो, उसकी भी अपील न हो सकेगी, देखो 10 M 270; 35 A 427.

जब सिर्फ मुद्दई ही हाजिर होवे—अगर मुकद्दमेकी पेशीपर सिर्फ मुद्दई ही हाजिर होता है, मुद्दाभलेह हाजिर नहीं होता, तो नीचे लिखी शर्तेंवाई की जावेगी —

(क) अगर यह साबित हो जाय कि सम्मन बाकायदा तौरसे तामील होगया है, तो अदालत एक तरफ़ी कार्रवाई शुरू कर देगी ।

(ख) अगर यह साबित हो जाय कि सम्मन तामील तो हुआ लेकिन समय इतना नहीं था कि मुद्दाअलेह पेशीकी तारीख़ पर हाजिर होकर मुक़दमे की जवाब देही कर सकता, तो अदालत पेशीकी तारीख़ किसी भागें दिनके लिये बढ़ा देगी और यह हुक्म देगी कि इस पेशीकी तारीख़ बढ़ाये जाने की इत्तला मुद्दाअलेहको की जाय ।

(ग) अगर अदालतको यह मालूम हो जाय कि सम्मन बाकायदा तामील नहीं हुआ या मुद्दईकी टिकलाईके कारण ठीक समयमें तामील नहीं हो सका, तो अदालत मुद्दईको इस तारीख़ बढ़ाये जाने के कारण फ़ुल खर्चको भदा करनेका हुक्म देगी (देखो आर्ट ९, रूल ६)

उप नियम (क) के अनुसार मुद्दाअलेह के ऊपर कानूनन एक तरफ़ी टिकरी न दी जा सकेगी, जब तक कि अदालतको इस बातका इतमीनान न हो जावे कि सम्मन बाकायदा तौरसे तामील किया गया है । किसी मुक़दमेंमें एक-तरफ़ी कार्रवाई करनेमें अदालत सिफ़ इसी बातको देखनेके लिये बाध्य नहीं है कि मुद्दाअलेह के ऊपर सम्मनकी बाकायदा तामीली साबित होगई है बल्कि उसे यह बात भी देखनी चाहिये कि मुद्दईका मुक़दमा साबित होगया है । सिफ़ मुद्दाअलेहके हाजिर न होनेसे ही यह अनुमान नहीं कर लिया जा सकता कि मुद्दई जो फ़ुल कहता है वह सब ठीक ही है । एक तरफ़ी कार्रवाई का मतलब है मुद्दाअलेहके अनुपस्थित होने की दशामे अदादतकी सहायता से मुद्दईके दावा का तय करना ।

अगर तामील करने वाला चपरासी (मजकूरी) पेशी की तारीख़ को जवाब लेकर न आवे, तो अदालत एक-तरफ़ी कार्रवाई न करेगी, यद्यपि मुद्दाअलेहके ऊपर सम्मनकी तामीलीकी बात और तरह पर साबित हो जाय । ऐसी हालतमें अदालतको अधिकार है कि वह मुद्दईके दरखास्त देने पर अने दिनोंके लिये पेशीकी तारीख़ बढ़ा दे । एक तरफ़ी मामलोंमें, फ़ैसला सुनाये जानेके पहिले मुद्दईको, गिनाहत करने वाले का हलफ़नामा पेश करके या उसके जबानी बयान लेकर, यह साबित करना होगा कि सम्मन की बाकायदा तामील होगई है ।

अगर पेशीकी तारीख़से १४ दिन पहिले सम्मनकी तामील न हुई हो, तो बकाया जमानकी राबत कीगई नालिशकी एक तरफ़ी पुकार और समाअत नहीं की जा सकेगी, (देखो G R & C O Ch 1 R. 6) इसी तरह जिस नालिश की समाअत अदालत ख़फीफ़ा द्वारा की जानी चाहिये, उसकी एक तरफ़ी समाअत उस समय तक न की जा सकेगी जब तक कि पेशीकी तारीख़ से ७ दिन पहिले सम्मनकी तामील न होगई हो ।

अगर नालिशकी एक तरफ़ी समाअत करनेमें ऊपर लिखी हुई कोई बका घटे नहीं है, तो अदालतको अधिकार है कि वह उस नालिशकी एक-तरफ़ी समाअत करमा करवावे ।

जब पेशी यदाई हुई तारीखको मुद्दाभलेह हाजिर हो जावे—अगर अदालतने मुकद्दमेकी एक तरफा समाप्त करना मुस्तवी कर दिया हो और पेशीकी तारीख बढा दी हो, तथा ऐसी तारीख को या उससे पहिले मुद्दाभलेह हाजिर होकर अदालतको इस बातका इतमीनान दिखा देता है कि उसके पहिली पेशी पर हाजिर न हो सकने के लिये काफी घजूहात थे, तो अदालत दावाके जवागमे उसके बयान ले सकती है और उसे अपना बयान तहरीरी दाखिल करने का हुकम दे सकती है (देखो आर्डर ९, रूल ७)

उपरोक्त नियम (रूल) के अनुसार वह मुद्दाभलेह जो मुकद्दमेकी पहिली पेशीकी तारीख हो हाजिर न हो सका हो, बादकी किसी तारीखको, जिसके लिये पेशीकी तारीख बढा दी गई है, हाजिर होकर अपने मुकद्दमेकी पेशी कर सकता है, अगर वह अदालतको इस बातका त्रिवास दिखा सके कि पहिली पेशीकी तारीखको उसके हाजिर न हो सकनेके लिये पर्याप्त कारण थे । अगर वह इसका कोई उचित कारण न बतला सका, तो दूसरी पेशी की तारीखको उसे हाजिर होने और अपने बयान दाखिल करने का हक नहीं रहता और उसे इसके लिये इजाजत नहीं दी जा सकती और उसके खिटाफ मामलेमें एक तरफी कार्रवाई की जायगी [देखो 18 W R 400 rold to in 1 B 217] कातून उसको यह इजाजत नहीं देता कि वह जिस समय चाहे, हाजिर होकर अपना बयान तहरीरी दाखिल कर सकता है ।

किन्तु अगर मुद्दाभलेह पेशीकी बढाई हुई तारीख को हाजिर होकर मुद्दे के गवाहोंके ऊपर जिरह करके और उस शहादतको पेश करके, जो कि उस समय उसके पास मौजूद है, दावाके खिलाफ लडना चाहता है, जब कि उसकी इस बातके लिये दी गई दरखास्त, कि उसकी पेशीकी तारीख बढाई जाय, खारिज कर दी गई हो, तो कोई भी कारण नहीं कि उसको ऐसा करने की इजाजत न दी जाय ।

अगर मुद्दाभलेहकी यह दरखास्त, कि उसके मामले की फिरसे समाप्त की जाय, खारिज हो जानेके बाद एक तरफी डिक्री दे दी जाय, तो वह आर्डर ९ रूल १२ के अनुसार दरखास्त दे सकता है या अपील कर सकता है (देखो 21 M ३24, 8 C 272, 9 M 445)

जब अकेले मुद्दाभलेह ही हाजिर हो—अगर मुकद्दमेकी पेशीके दिन सिर्फ मुद्दाभलेह ही हाजिर होवे, मुद्दे हाजिर न हो, तो अदालत नालिशको खारिज किये जानेका हुकम दे देगी, जब तक कि मुद्दाभलेह मुद्देके दावाको या उसके किसी हिस्सेको मजूर न कर ले, जिन हालतमें कि अदालत मुद्दाभलेहके इकुवाल के अनुसार डिक्री दे देगी । अगर दावाका एक हिस्सा ही मजूर किया गया है तो बाकी हिस्सा खारिज कर दिया जायगा (देखो आर्डर ९, रूल ८) । अदालत को यह भी अधिकार है कि वह आर्डर १२ रूल ६ के अनुसार, मुकद्दमेमें किसी भी समय दूसरे शगटेके प्रश्नों को बिना तय किये हुये ही, इकुवाल के ऊपर फंसला दे देवे ।

अगर मुद्दईके हाजिर न हो सकनेके कारण किसी नालिशका छूट या एक अथ खारिज कर दिया गया है, तो आर्डर ९, रूल ८के अनुसार वह यह दरखास्त दे सकता है कि खारिजीका यह हुजूम रद्द किया जाय और अगर वह अदालतको इस बातका विश्वास दिला सके कि उसके गैर हाजिर होनेकी काफी वजह थी, तो अदालत उस हुजूमको मसूख कर देगी जिसके अनुसार उसने उसकी नालिश खारिज कर दी है (देखो आर्डर ९, रूल ९)

किसी नालिशके खारिज करने वाले हुजूमको मसूख करनेके लिये दी जाने वाली दरखास्तकी मियाद ३० दिन है, देखो कानून मियाद ऐक्ट नं० ९ सन् १९०८ ई० का आर्टि० १६३ ।

उपरोक्त नियम (रूल) के अनुसार अदालत नालिश खारिज करने वाली हुजूमको मसूख न कर सकेगी, जब तक कि मुद्दईकी दरखास्तकी नोटिस मुद्दाभलेहके ऊपर तामील न कर दी गई हो ।

हाजिर होना क्या है, इस सम्बन्धमें देखिये 23 B 414, 34 C 403 जब किसी चकीटको लिके इननो पी द्विदायत क्रीगइ हो कि वह पेशीकी तारीख बढ़ाए जानेकी दरखास्त दे जिसके इन्कार कर दिये जाने पर वह वापस चला जाता है, तो यह हाजिर होना न कहा जायगा देखो 23 B 414, 34 C 403, 22 A 66, 30 M 276, 68 I C 942, 47 I C 27, 54 I C 715

कौन सी "वजह काफी" है और कौन सी काफी नहीं है, यह बात हर एक मामलेके चाकूयात के ऊपर निर्भर करती है । घरमें किसी आदमीका सरत घोमार हो जाना काफी वजह है किन्तु गाडोका छूट जाना काफी वजह नहीं है, देखो 19 I C 234—भाई की घोमारी काफी वजह नहीं है, देखो 71 I C 847 (P C) एक फरीक उस समय, जबकि अदालतमें एक दूसरे आदमीका मुकद्दमा पेश था, यह समझ कर, कि "आज मेरे मुकद्दमेकी पेशी न होगी अदालतसे चला गया । उसके अदालतमें चले जानेके बाद मुकद्दमा खारिज कर दिया गया । तो यह काफी वजह नहीं थी, देखो 19 C W N 25, 1, B 12, 2 C W N 490—चकीटका हाजिर न होना काफी वजह नहीं है । फरीककी अपेक्षा चकीलोंके साथ कम रिआयत करनी चाहिये, क्योंकि चकीलोंका यह काम है कि वे अदालतमें ठीक समय पर आ जाया करें और अपने रोजानाके कामको ठीक तौर से क्रिया करें [देखो 62 I C 253, 33 B 475, 66 I C 789, 62 I C 378]

आर्डर ९, रूल ८ के अनुसार किसी नालिशके खारिज हो जाने से उसी विनाय मुख्तसमतके ऊपर नई नालिश नहीं टायर की जा सकती । अगर दो नालिशोंमें मागी गई दरखी अलग अलग है तो इससे उनकी विनाय मुख्तसमत की समानतामें कोई अंतर नहीं पडता, देखो 15 C 422 P C, 14 C W N 298—जब दो मुकद्दमोंमें विनाय मुख्तसमत एक जसो दी नहीं है बल्कि

अलग अलग है, तो नई नालिग दायर की जासकती है। रूल ८ के अनुसार किसी नालिशका चारिज कर दिया जाना प्राडन्याय (Resjudicata) नहीं है, देखो 16 C 98 P C तथा 10 B 28, 9 C 426, 12 C L R 29

जब आर्डर ९, रूल ८ के अनुसार कोई मुकद्दमा चारिज कर दिया गया हो तो बिना आर्डर ९, रूल ९ के अनुसार पहिले से दरखुवास्त दिये ही उरुकी नजरखानी की जा सकेगी, देखो 26 Cal 598, 58 I C 191 (P C)

कई मुद्दई या मुद्दाअलेहोंमें स बहुता या किसी एक का हाजिर न होना—जब एक से अधिक मुद्दई या मुद्दाअलेह हों, और उनमें से एक अधया अधिक हाजिर हो, तो वह या वे बाकी आदमियोंकी तरफसे जो कि हाजिर नहीं हैं, मुकद्दमकी पैरवी कर सकता है या कर सकते हैं, [देखो आर्डर ९, रूल १० और ११]

आर्डर ९, रूल ११ में कोई भी बात पेसी नहीं है जिससे आर्डर ९, रूल १३ के प्रयोगमें कोई विरोध पडता हो या जो उसके प्रयोगको सीमाबद्ध करती हो, और इस पिछली दफाका प्रयोग उस मामलेके लिए सीमाबद्ध नहीं कर दिया गया है जिसमें एक ही मुद्दाअलेह है और वह हाजिर नहीं हुआ है, या जहा पर एक से अधिक मुद्दाअलेह हों और उनमें से कोई भी हाजिर न हुआ हो, देखो 8 C W N 621, 10 C W N 40

बढ़ाई हुई पेशीकी तारीखको फरीकनवा हाजिर न होना—पहिली पेशीकी तारीख को मुद्दई या मुद्दाअलेह अधवा दोनों के हाजिर न होने का जो परिणाम होता है, उसकी व्यवस्था आर्डर ९, में की गई है। आर्डर १७, रूल २ और ३ में उसकी फरिवाई का वर्णन किया गया है जो उस समय की जानी चाहिए जब कि पेशी की बढ़ाई हुई तारीख को फरीकन मुकद्दमा हाजिर न हो।

अगर पेशीकी बढ़ाई हुई तारीखको फरीकन मुकद्दमा या उनमें से कोई एक फरीक हाजिर न हो सके, तो अदालतको अख्तियार है कि वह आर्डर ९ में बतलाए हुए किसी एक तरीकेसे फसला कर दे या जैसा वह मुनासिब समझे वैसा हुजम दे देवे (देखो आर्डर १७ रूल २)

जब पेशीकी तारीख किसी फरीकके दरखुवास्त करने पर बढ़ाई गई हो, इसलिये कि वह शहादत पत्र कर सके या अपने गवाहोंको हाजिर कर सके या कोई दूसरा काम कर सके जो उनके दावा की पुष्टि करने के लिये आवश्यक हो, और वह फरीक उस कामको या उन कामोंको नहीं करता जिसके लिये या जिनके लिये समय दिया गया था, तो अदालतको अधिकार है कि, इन सब बातोंके होतेहुये भी वह फौरन उस मामले का फैसला कर दे (देखो आर्डर १७, रूल ३)

“हाजिर न हो सके” शब्दका अर्थ जाननेके लिये देखो 23 B 414, 22 A 66 रूल २ में उस फरिवाइका जिक्र किया गया है जो उस समयकी जानी चाहिये जब कि फरीकन पेशीकी बढ़ाई हुई तारीखको हाजिर न होने अगर

दोनों फरीक हाजिर न होसके तो आर्डर ९, रूल ३ के अनुसार नालिश खारिज कर दी जायगी। अगर मुद्दई गेर हाजिर हो तो नालिश इस रूल और आर्डर ९, रूल ८ के अनुसार खारिज की जा सकती है और आर्डर ९, रूल ९ के अनुसार वह फिर दापर की जा सकेगी (देखो 1 M 287, 36 C 189)—अगर मुद्दा-अग्नेह गेर हाजिर हो तो आर्डर १७, रूल २ तथा आर्डर ९, रूल ६ के अनुसार मुकद्दमें म एक तरफ़ी डिकरी दे दी जायगी और आर्डर ९, रूल १३ के अनुसार दरखास्त देने पर वह डिकरी रद्द की जायगी [देखो १३ C 738 F B, 20 B 360, 20 A 195]—रूल ३ उस समय लागू नहीं होता जबकि पेशीकी तारीख अदालतकी इच्छासे बढ़ाई गई हो। रूल ३ में उस समय की जाने वाले कार्रवाईका वर्णन है जब किसी फरीकको उसाके दरखास्त देने पर मुदलत दी गई हो, इसलिये कि वह अपने मुकद्दमेंकी परधीमे कुछ जमादा कोशिश कर सके अर्थात् राहादत पेश कर सके या अपने गवाहाको हाजिर कर सके। और वह उस कामको न कर सके, ऐसी दशामे, अगर कुछ जरूरीजरूरी घाते दज कागजात हों चुकी हों, तो अदालतको अविचार होगा कि वह इन्ही बातोंके आधार पर मुकद्दमेंका फैसला कर दे और मुकद्दमेंकी जायदाद के ऊपर फैसला सुना दे (देखो 41 C 956, 19 C L J 535 6 Pat L J 313)—ऐसा भी मामला हो सकता है जिसमे रूल २ और ३, दोनों का हुसूर किया गया हो, अर्थात् जिस मुद्दईने मियाद बढ़ाने का समय लिया वह सिफ यही करनेमें हुसूर नहीं करता बल्कि पेशीकी तारीख पर सुद भी हाजिर नहीं होता। तो अब ऐसी दशामे अदालतको किस रूलके अनुसार कार्रवाई करनी चाहिये? बम्बई और मद्रासमें यह तय किया गया है कि ऐसे मामलेमें रूल २ लागू होता है (देखो 20 B 736, 33 M 241, 41 M 286)—इलाहाबाद और कलकत्तामें यह तय किया गया है कि ऐसी दशा में रूल ३ लागू होता है (देखो 25 A 194, 34 C 235, 41 C 956,) कलकत्ता हाईकोर्ट ने 34 C 235 में यह तय किया है कि अगर कागजातसे कोई मामला नहीं मिलता तो रूल २ के अनुसार कार्रवाई करना मुनासिब होगा लेकिन अगर फैसला देने भरको सामान है तो अदालतको चाहिये कि वह रूल २ के अनुसार कार्रवाई करे। इन रूलोंमें क्या भेद है यह बात ध्यानमें रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके विस्तारमें भेद है और उनके लिये उपाय भी भिन्न भिन्न हाता है। अगर रूल २ के अनुसार कोई नालिश खारिज कर दी जाय, तो उस नालिशको बहाल करने के लिये आर्डर ९, रूल ९ के अनुसार उसी अदालतमें दरखास्त दी जा सकेगी। अगर रूल ३ के अनुसार नालिश खारिज की गई हो तो उस फैसलेकी अपील या नज़रसानी की जा सकेगी।

“मुकद्दमेंकी पेशी” के सम्बन्धमें देखो 57 I C 748 P C जबकि मुकद्दमेंकी बढ़ाई गई पेशीकी तारीखको मुद्दई तारीख बढ़ाये जाये लिये दरखास्त दे और इस दरखास्तके खारिज हो जाने पर बकील चला जाता है (पैर

रहता है) तो यह खारिज करना रुल २ के अनुसार है [देखो 34 C. 235, 30 M 274, 74 I C, 942, 46 I C 488]

यह रुल इजराकी कार्रवाईमें लागू नहीं होता और उसके खारिज हो जाने पर नहीं दरखास्त दी जा सकेगी देखो 18 M 131, 18 B 429, 15 A 84, 20 C 755

जब मुद्दई या मुद्दाभलेह अदालत न हाजिर होने को हुक्म होने पर हाजिर न हों—जब कोई मुद्दई या मुद्दाभलेह, जिसे अदालत न हाजिर होने का हुक्म दिया गया है [आर्डर ५, रुल २] हाजिर नहीं होता या हाजिर न हो सकने की कोई काफी वजह नहीं दिखाता जिसमें अदालत को इतमीनान हो जाय, तो (अगर वह मुद्दई है तो) आर्डर ९, रुल ८ के अनुसार उसकी नालिश खारिज कर दी जायगी तो (अगर वह मुद्दाभलेह है तो) आर्डर ९, रुल ६ [आर्डर ९, रुल १२] के अनुसार उस मुकद्दमे में एक तरफ़ी डिकरी दे दी जायगी ।

जब बली दौरान मुकद्दमा नाबालिग को हाजिर न कर सके, तो उस समय अदालत को रुल १२ के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए, देखो 55 I C 945 जब रुल १२ के अनुसार मुकद्दमा खारिज कर दिया गया हो या एक तरफ़ी डिकरी दे दी गई है, तो उस समय इसके विरुद्ध में यही कार्रवाई की जा सकती है जो आर्डर ९ में बताई गई है ।

एकतरफ़ी डिकरी का मसूच किया जाय—अगर किसी मुद्दाभलेह के ऊपर एक तरफ़ी डिकरी दे दी गई हो, तो वह उम्मीद अदालत को, जिसने वह डिकरी दी है, उस डिकरी को मसूच करने के लिए दरखास्त दे सकता है, और अगर वह अदालत को इस बात का इतमीनान करा देता है कि “उसपर बाकायदा सम्मन तामील नहीं किया गया था या यह कि किसी काफी वजह के सबब मुकद्दमे की पेशी के समय हाजिर न हो सका” तो अदालत (फ) उसके ऊपर दी गई डिकरी को, अदालत में खर्चा दाखिल करने सम्बन्धी या दूसरी ऐसी शर्तोंपर, जिन्हें वह मुनासिब समझे, मसूच करने का हुक्म दे देगी, और (ए) मुकद्दमे की समाप्त के लिए कोई तारीख़ मुक़र्रर कर देगी । लेकिन अंत यह है कि, जब डिकरी ऐसी है कि वह सिर्फ़ उतने ही धरा में मसूच नहीं की जा सकती जिसका सम्बन्ध सिर्फ़ ऐसे मुद्दाभलेह से है, तो उसका वह धरा भी मसूच कर दिया जा सकेगा जिसका सम्बन्ध कुछ मुद्दाभलेहों से या उनमें से किसी एक मुद्दाभलेह से है, [देखो आर्डर ९, रुल १३]

ऊपर बतलाए अनुसार कोई भी एक तरफ़ी डिकरी मसूच न की जा सकेगी, जयन्त कि मुद्दाभलेह की दरखास्त की नोटिस मुद्दई पर तामील न हो जाय [देखो आर्डर ९, रुल १४]

जिस शर्त के ऊपर एकतरफ़ी डिकरी दी गई है, वह या तो जायता दोषानी की (१) दफ़ा ९६ के अनुसार इसकी अपील कर सकता है, या (२) दफ़ा ११४ के अनुसार फैसले की नजरसानीके लिए दरखास्त कर सकता है, या

(३) भांडर °, कल १३ के अनुसार उसके मसूख किए जाने के लिए दरखास्त कर सकता है। किसी भी मुद्दाभलेह को, यद्यपि उसने कोई पयान तहरीरी दायित्व किए हां, इस बात का अधिकार है कि यह इस कल के अनुसार किसी एकतरफा डिकरी को मसूख किए जाने के लिये दरखास्त कर सके। "मुद्दाभलेह" शब्द में "कानूनी प्रतिनिधि" भी शामिल है जो दफा १४६ के अनुसार प्रतिनिधि बनाया गया हो। "काफी उजद के सबब हाजिर न हो सका" के अर्थ के सम्बन्ध में देवो 13 B 12 फार्का दजह की बात ऐसी है जो हरएक मामले के बाक्यात के ऊपर निर्भर करती है। "हाजिरी" शब्द का बहुत ही व्यापक अर्थ है और इससे तात्पर्य है मुकद्दमे की पैरवी करने के लिए असाह्यतन या यजरिये ताल के हाजिर होना। जब कोई घकील मुकद्दमे की तारीख बदाए जाने के लिए दरखास्त दे जो खारिज हो जाय लेकिन उसे अपने मुकद्दमे की तरफ से मुकद्दमे की पैरवी करने का हुक्म न मिला हो, तो जायता दीधानी के अर्थ में यह हाजिर होना नहीं है, यद्यपि यह फरीक असाह्यतन हाजिर था, देवो 1 Pat 188

इस सम्बन्ध में बहुत सी विरोधी नजीरे थी कि, कई एक मुद्दाभलेहों में से सिर्फ एक मुद्दाभलेह के दरखास्त देने पर फुल डिकरी मसूख कर दी जानी चाहिए, या उसका सिर्फ उतना ही हिस्सा जिसका सम्बन्ध उस दरखास्त देने वाले से है। सन् १९०८ ई० के जायता दीधानी की गई शत (Proviso) से यह फरिनाई दूर हो जाती है। यह प्रदन कि डिकरी फुल मुद्दाभलेहों के खिलाफ मसूख कर देनी चाहिए या सिर्फ दरखास्त देने वालेही के खिलाफ, हरएक मुकद्दमे के बाक्यात के ऊपर निर्भर करता है। मुमकिन है कोई डिकरी ऐसी हो जिनके पण्ट न हो सकते हां या अगर यह एक मुद्दाभलेह के सम्बन्धमें मसूख की जाय तो सम्भव है उसने एक दूसरी डिकरी में विरोध पढ़ जाय, या सम्भव है बिना सब की एक हो। इन दगाश्रा में डिकरी फुल मुद्दाभलेहों के सम्बन्ध, में खारिज कर दी जानी चाहिए, देवो 6 C L J 226 और 31 Mad 454 जिनमें सिद्धान्त के ऊपर बहस की गई है।

अपील—एकतरफा डिकरी को मसूख करने चाहे हुक्म की अपील हो सकती है, देवो 16 C 426, 19 A 355, 23 W R 147 उस हुक्म की अपील हो सकती है जिसके अनुसार एकतरफा डिकरी मसूख करनेसे इकार कर दी गई हो, देवो 2 Bom 644, भांडर 13, कल १ कलॉज (डी)

मियाद—किसी एकतरफा डिकरी को मसूख करने के लिये किसी मुद्दाभलेह की ओर से दी जाने वाली दरखास्त की मियाद डिकरी की तारीख से से ३० दिन है या जब सम्मती की बाक्यात तालील न हुई हो तो उस समय से जब कि सायल (दरखास्त देने वाले) को डिकरी का पता मिला हो।

एकतरफा डिकरी में मुद्दाभलेह की गैर हाजिरी में मुकद्दमे का खारिज होना शामिल नहीं है, देवो 2 C W N 639 इसमें यह डिकरी शामिल है

फिर वह क नूनी हो या अदालत की मर्जी से दिया हुआ (देखो 2 Mad H. C 296, 19 C W N 1183, 2 C L J 73, 9 C W N 178, 17 C W N 1060, 18 C W N 426 P. C 19 C. W N 1183, 19 C W N 1060)

अदालत का फरीक़ैन के बयान लेना

अदालत को चाहिए कि वह पहिली पेशीकी तारीखको हर एक फरीक़ या उसके उकीलसे यह बात अच्छी तरह जाच करलेकि, जो व त अर्जीदावा या बयान तहरीरीमे लिखी गई है उनसे इकबाल किया गया या इन्कार । अदालत ऐसे इकबाल या इन्कार को लिख लेगी (देखो आर्डर १०, रूल १)—यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि कोई भी फरीक़ अपने वकील की इन्कारी या इकबाल के लिए बाध्य नहीं है जो कानून की किसी बात के ऊपर किया गया हो, देखो 9 B L R, 377 P 401 P C, 18 W R 357, 21 All 285 and 27 Cal 156 pp 162-63)—वकील जो कुछ बयान बर्हसियत वकीलके देगा, अदालत उसे स्वीकार करेगी, लेकिन वह उसे हलफ़ के लिए बाध्य नहीं कर सकती (देखो 3 C W N 694) अदालत को अधिकार है कि वह मुकदमे की पहिली अधवा नाद की किसी पेशी के दिन किसी फरीक़ या उसके साथी के (अगर अदालत में हाजिर हो तो) जयानी बयान ले सके । अदालत ऐसे सवालत पूछ सकती है जो किसी फरीक़ ने तजवीज किए हों । ऐसे बयान का साराश अदालतका जज लिखलेगा (देखो आर्डर १०, रूल २ और ३)

आर्डर १०, रूल २ अदालतको सिर्फ़ यह बात तय करनेमें सहायता करता है कि फरीक़ैनमे किस बातका झगड़ा है, और उसके उनानेका मशा हलफ़के ऊपर आम तौरसे लिये जाने वाले बयानके स्थानकी पूर्ति करनेका नहीं है । जो बयान कोई शख्स इस रूल के अनुसार बयान लेते पक्त देवे, उससे वही शख्स बाध्य होगा जिसने वह बयान दिया, देखो 2 A L J 777 जब वकील या पेशा कोई साथी, जिसका उल्लेख उपरोक्त रूलमे कर दिया गया है, किसी जहरी सवालका जवाब देनेसे इन्कार करे या जवाब न दे सके और अदालत यह समझती हो कि अगर उस फरीक़के अदालतत बयान लिये जाय तो सम्भव है कि वह उसका जवाब दे सके, तो उसे अधिकार है कि वह पेशीकी तारीख़ बढ़ा दे और यह हुकम कर दे कि वह फरीक़ उस रोज अदालतमे अदालतन हाजिर हो । अगर वह फरीक़ बिना किसी जायज (कानूनी) उज्रके उस तारीख़ मुक़दमा पर हाजिर न हो सके, तो अदालतको अधिकार होगा कि वह उसके खिलाफ़ फैसला दे दे या और कोई दूसरा हुकम कर दे (देखो आर्डर १० रूल ४)

उमूर तनकीह तलबका फैसल करना और खतम करना पहिली पेशी पर

यह आवश्यक नहीं है कि सब हालतमें उमूर तनकीह तैयार किये जाय और उनका फैसला किया जाय। साधारण लगान और रुपयेकी नालिशामें तथा चाफीफाकी नालिशामें आम तौरपर तनकीह तैयार करनेकी जरूरत नहीं होती है। इस बातकी जरूरत केवल दकीयत वाली तथा दूसरी नालिशामें ही है, जिनमें कानूनी या चाक्यातके पेचीदा सगालत पदा होंते हैं, कि तनकीह तैयार की जानी चाहिये। कलकत्ता हाईकोर्टके एक सर्कुलर आर्डरके अनुसार, मजिस्ट्रेटोंको यह दिशापत्र कीगई है कि वे मुकद्दमा करने के पहिले रुपयेकी नालिशों और रेहननामाकी नालिशामें तनकीह तैयार कर लें।

मुदाअलेहके ऊपर सम्मन जारी करने के समय, अदालतको चाहिये कि वह यह तय करे कि सम्मन वास्ते तय करने उमूर तनकीहके होगा या मुकद्दमा का आखिरी फैसला करने के लिये, और उस सम्मनमें इसीके अनुसार लिख दिया जायगा (देखो आर्डर ५, रूल ५)

तनकीह तैयार करने का उद्देश्य यह है कि हर एक फरीक यह बात अच्छी तरहसे समझ जावे कि किन किन सगलोंके ऊपर बहस की जानी है, ताकि वे उन तनकीहसे सम्बन्ध रखने वाला राहादत पेश कर सकें (देखो 22 Cal 324, P C 30 Bom 173, 12 C L R 174)

तनकीहोंका तैयार करना—तनकीहें उस समय पैदा होती हैं जब कानून या चाक्यात सम्बन्धी किसी जरूरी बातको एक फरीक तो मान ले, लेकिन दूसरा फरीक उससे इन्कार कर दे। प्रत्येक जरूरी बातके आधार पर, जिसे एक फरीक ने मान लिया है लेकिन दूसरे ने इन्कार कर दिया है, अलग अलग तनकीह कायम की जा सकती हैं। तनकीहें दो प्रकार की होती हैं—(१) चाक्यात सम्बन्धी और (२) कानून सम्बन्धी (देखो आर्डर १४, रूल १)

अदालत इन तनकीहोंको (क) अर्जोद्वारा और बयान तहरीरीमें बतलाई हुई बातों से, (ख) उन बयानोंसे जो हलफ पर फरीकने या उन आदमियों ने दिये हों जो उनकी ओरसे हाजिर हुये हैं या जो उनके दकीलों ने दिये हैं, (ग) सवालके जवाबमें कही हुई बातोंसे, (घ) फरीकैतफ पेश किये हुये दस्तावेजों के मजमून से तथा, (ट) उन बयानोंसे तैयार करेगी जो फरीकने ने अदालतके बयान लेने पर दिये हों (आर्डर १४, रूल १, ३)—अगर अदालत यह समझती है कि किसी शख्सके बयान लिये बिना या किसी दस्तावेजका मुलाहिजा किये बिना तनकीह तैयार नहीं की जा सकती, तो अदालतको अधिकार होगा कि वह उस शख्सको हाजिर किये जाने या उस दस्तावेजके पेश किये जानेका हुक्म दे सके (देखो आर्डर १४ रूल ४)

जिस बातको किसी फरीकने अपनी प्लीडिंग्स में स्वीकार कर लिया हो उसके साबित करने के लिये जानेकी आवश्यकता नहीं है और उसके ऊपर किसी तन कीहने तैयार करने की भी आवश्यकता नहीं है। तनकीहने सिर्फ उन बातोंके सम्बन्धमें ही तैयार की जानी चाहिये जिन्हें एक फरीकने स्वीकार कर लिया हो लेकिन दूसरेने इन्कार कर दिया हो। किन्तु यह आवश्यकता नहीं है कि तनकीहने उन तमाम बातोंके ऊपर तैयार की जाय जिनके ऊपर झगड़ा है, बल्कि सिर्फ उन बातोंके ऊपर ही जिनके ऊपर उस मुकद्दमेका सही फैसला निर्भर करता है। आम तौर पर तनकीहनेका मसविदा दोनों फरीकोंके वकील तैयार करते हैं और उनके सामने उसे पेश करते हैं जो आवश्यक जाचकर लेनेके बाद जज उनको तैयार कर देता है। मुद्दे या उसके वकीलके लिये यह जरूरी है कि वह तनकीहनेके तय करने के लिये मुकद्दमेके हुये दिनको अदालतमें हाजिर हो। तनकीहने तैयार उसी समय की जायगी जब दोनों फरीकों हाजिर हों। अदालत उस समय तनकीहने तैयार करने के लिये बाध्य नहीं है जब कि मुद्दाअलेह हाजिर न हो बल्कि उसे चाहिये कि वह अपने मामलेमें एक तरफा कार्रवाई शुरू कर दे (देखो 1) W R, 145) इसी प्रकार यदि मुद्दाअलेह हाजिर हो और मुद्दे हाजिर न हो तो तनकीहने तैयार करनेके लिये हुये नालिश सारिज कर दी जानी चाहिये। तनकीहने तय करने के लिये मुकद्दमेकी हुई तारीख आठर ९ हल ८ के अर्थमें पेशकी तारीख होनी है (देखो 48 I C 192)—जब पहिली पेशकी तारीख में यह मालूम हो जाय कि फरीकने किसी भी कानूनी या धार्मिक या सम्बन्धी बातके ऊपर कोई सवाल उठाना नहीं चाहते हैं तो अदालतको चाहिये कि वह फैसला सुना दे (देखो आर्डर १५, हल १) जब तनकीहने तय होजाने के बाद यह मालूम हो जाय कि सिवाय उस सुबूत या दलीलके जो फरीकने उस समय पेश कर सकते हैं ऐसी तनकीहनेके सम्बन्धमें जो उस मुकद्दमेके फैसले के लिये काफी है और किसी सुबूत या दलीलकी जरूरत नहीं है, तो अदालतको अधिकार होगा कि वह फोरन उन तनकीहनेका तय करना शुरू करदे और मुकद्दमेका फैसला सुना दे, फिर चाहे सम्मन सिर्फ तनकीहने जागी करने के लिये ही जारी किया गया हो या मुकद्दमेके आखिरी फैसलेके लिये। लेकिन यदि यह है कि फरीकने या उसके वकील हाजिर हों और उनमें से किसीको भी उसपर एतराज न हो (देखो आर्डर १५, हल २)—लेकिन अगर काफी सुबूत नहीं है और कोई फरीक सुबूत पेश करना चाहता है, तो उसे चाहिये कि वह मुकद्दमेकी तारीख बढ़ाये जाने के लिए दरखास्त दे और गवाहों पर सम्मन तामील करने के लिए जरूरी कार्रवाई करे। अगर तनकीहने तैयार करने से इन्कार कर दई गई हो तो ऐसे हुक्मकी अपील न हो सकेगी (देखो 4 C 531; 35 M. 1)

जब कि सम्मन आते हैं इनफिनाल मुकद्दमेके हो और कोई भी फरीक शहान्त पेश न कर सके तो अदालतको अधिकार होगा कि वह फोरन फैसला सुना दे या तनकीहने तैयार करने शहान्त पेश करने के लिए मुकद्दमेकी तारीख बढ़ा दे (देखो आर्डर १५, हल ४)—जब कोई नालिश इस हलके अनुसार ग्राएज हो

जाय तो मुद्दा सिव कार्रवाई, जो फरजी चाहिए अभील करना है। आर्ट ९, रूल ९ के अनुसार दरखवास्त दना नहीं है (देसो 8 C W N 97)

पहिले फाट्टाकी ताकीहें तयकी जानी चाहिये—जब फिजी मुकदमेमें अदालत की राय घट हो कि वह मुकदमा या उनका कोई हिस्सा सिर्फ फाट्टाकी ताकीह के ऊपर ही फैसल जिया जा सकता है, तो वह इस बातके लिये बाध्य है कि पहिले वहाँ तनकीहों पर विचार करे और उसे वह अधिकार होगा कि वह फाट्टाकी ताकीहोंके तय न हो जाने तक चाकूपात सम्बन्धी तनकीहापर विचार करना म्भगित रहे (देसो आर्ट १४, रूल २)

ताकीहोंका सर्जापन करने और पारिज कर देनेके सम्बन्धमें अदालतका अधिकार—अदालत को अधिकार है कि वह डिफरो देनेके पहिले जिसी भी समय ताकीहोंमें तस्मीम कर दे वा और जायद तनकीहें तैयार कर दे, और उसे यह भी अधिकार होगा कि वह जिसीभी ऐसी तनकीहको खारिज कर दे जो उसे गलत और पर तैयार किया हुआ या पेश किया गया मालूम होये (आर्ट १४, रूल ५)

उमूर तनकीह तलबका फैसला होजानेके बादकी कार्रवाई

वकीलको चाहिये कि फैसले के लिये पैदा हुए भिन्न भिन्न प्रश्नोंके तय होजाने और तनकीहें पन जानेके बाद वह उरा शहादत के ऊपर विचार करे जिससे वह अपने दावाको साबित कर सकता है या अपने विरोधीके दावाका जवाब दे सकता है। उसे चाहिये कि वह उन तमाम दस्तावेजोंको और उल तमाम शहादतों को अपने पास जमा कर ले जो उसके मवकिलके पास मौजूद हो। लेकिन साथ ही इनके मुकदमेकी मजदूती के लिये उसे चाहिये कि वह अपने मुसालिफ फीकने तमाम जहरी जहरी गटोकी जाकारी हासिल करले और इस बातको अच्छी तरह से जान ले कि उसके मुसालिफ फीकके पास कोई ऐसे कागजात तो नहीं है जिससे उसके मुकदमेमें कोई मदद मिलता हो या जो उसके मुकदमेमें कोई खराबी पैदा करता हो। यह बात जाबता दीधानीमें बतलाये हुये "Discovery and Inspection" तथा Admission (अर्थात् इन्फिराफ और मुभाइना दस्तावेज तथा उसका इकवाठ कर लेना) के अनु चार घडी आसानीसे की जा सकती है (देसो आर्ट ११ और १२)—अगर ठीक समय पर इसका प्रयोग कर लिया जाय तो मुकदमा चांजी बहुत कुछ कम हो सकती है और बहुत सा बक्त मेहतातका और बहुत सा रपया बच सकता है। लेकिन बद् फिस्मतीसे प्रेजोडेसी टाउन्सके बाद रहने वाले वकील बहुत कम इन करर बतलाये हुये नियमोंका पालन करते हैं। अगर वकील लाइवान इन

नियमोद्घात पाळन करे तो उनको फोरन् मालूम हो जायगा कि उनसे कितना ल.भ होता है ।

यन्द् सवालोकें जरिये जांच करना—किसी भी मुकद्दमेमें मुद्दई या मुद्दाअलेह को अधिकार है कि वह अदालतकी आज्ञासे मुख्तलिफ फरीकके बयान लेने के लिये मुकद्दमेसे सम्बन्ध रखने वाली बातोंके सम्बन्धमें लिखित सवाल पेश करे (देखो आर्डर ११ कूठ १)—कूल १-११ जाचकी पहिली शाखा से सम्बन्ध रखते हैं, अर्थात् सवालाका जवाब देने से । सवाल करनेका मुख्य उद्देश्य यह है कि मुख्तलिफ पक्षों से जवाब पानेके कारण खर्चासे बचना । १२ से १९ तकके कूल जाचकी दूसरी शाखा से सम्बन्ध रखते हैं जो कागजातके सम्बन्धमें हैं ।

किसी मुकद्दमेके हर एक फरीक को यह अधिकार है कि वह इस बातको जाने कि उसके मुख्तलिफ फरीकके मामलेकी हालत क्या है, ताकि उसे पहिलेसे यह बात मालूम होजाय कि उसे किन किन बातोंका सामना करना है । मुद्दई, मुद्दाअलेह पर इस लिये सवाल कर सकता है कि उसे ऐसी बातोंका पता चल जाय जो उसके मुकद्दमेकी ताईद करती हों । मुद्दईके वकीलको चाहिए कि वह जहा कहीं उसे इस बातका इतमीनान होजाय कि मुद्दाअलेहको कोई ऐसी बात मालूम है या उसके पास कोई ऐसा कागजात है जिनके मिल जानेसे उसके मव कियलका मुकद्दमा जोरदार हो जायगा, मुद्दाअलेह से सवालात करे । इसी तरह मुद्दाअलेहका वकीलको चाहिये कि वह बयान तदरीती दाखिल हो जानेके बाद जहा कहीं उसे ऐसा करनेकी जरूरत मालूम पड़े, मुद्दईके पास सवालात, भेजने के लिये दरखवास्त दे । इङ्गलिस लॉके अनुसार सवालात इस बातका इतमीनान करने के लिये पूछे जाते हैं कि फरीक मुख्तलिफके मुकद्दमेकी हालत क्या है । लेकिन 17 कूलकूता 840 में (जो सन् १८८२ ई० के जाबता दीवानीके अनुसार फेसल किया गया है) यह तय हुआ था कि सवालात प्लीडिंगसकी कमी को पूरा करने या इस बातका निश्चय करने के लिये तैयार नहीं किये जाते हैं कि फरीक मुख्तलिफके मुकद्दमे की हालत क्या है, देखो 23 Chl 117. लेकिन, जैसा कि 11 कूलकूता 6 में बतलाया गया है, कि इङ्गलंड और हिन्दुस्तानके रिवाजमें अब कोई भेद नहीं रखा गया है । यद्यपि हर एक फरीकको यह अधिकार है कि वह अपने मुकद्दमेके सम्बन्धमें जानकारी हासिल करनेकी गरजसे दूसरे फरीकसे सवालात पूछे, उसे यह इजाजत नहीं दी जा सकती कि वह उन बातोंके सम्बन्धमें जानकारी हासिल करनेके लिये सवाल पूछे जो उसके विरोधी पक्ष वाले के मुकद्दमेकी शहादतमें पेश की जायगी । ऐसे सवालात करनेकी इजाजत नहीं दी जा सकती जो सिर्फ इसी गरजसे किये जाते हों कि उसे अपने विरोधी पक्ष (फरीक मुख्तलिफ) के मुकद्दमेमें कोई त्रुक्स मिलता है या नहीं (देखो 17 Chl 840)

“फरीक मुख्तलिफ” का अर्थ केवल उसी फरीकने नहीं है जिसका नाम मिखिलमें बतौर फरीक मुख्तलिफके दज है । अगर उनके दर्मियान कोई ऐसी बात है तो एक एक मुद्दाअलेह दूसरे मुद्दाअलेहसे सवाल पूछ सकता है

(देखो 18 Q B D 193) "फरीक मुखालिफ" का मतलब उस मुद्दाअलेह से भी नहीं है जो किसी दावा की जवाब देही करने के लिये हाजिर नहीं होता है। मुद्दा ऐसे शर्तों या मुद्दाअलेहोंसे सवाल नहीं कर सकता जो उसके पक्ष का समर्थन करते हैं (देखो 63 I C 258) आर्डर ११ नावालिगोंके सम्बन्धमें है (देखो आर्डर ११, रूल २२)

सवालनामा मामविदा परनेके सम्बन्धमें नियम— [१] सवालनामा उन बातोंके सम्बन्धमें होने चाहिए जिनकी वास्तव हकूदा है और नालिफा फीगई है। वे मुकदमों के लिए तैयार किए जाने चाहिए और जिन बातोंके निस्वत जाच फीगई है वे ऐसे होने चाहिए जिनका पूछा जाना उस समय आवश्यक है जिस समय वे पूछे गये हैं (देखो आर्डर ११, रूल १)। (२) किसी भी फरीकसो, अदालत की आज्ञाके बिना एफ से अधिक सेट सवालनामाके एफ ही फरीकने पूछनेकी इजाजत नहीं है (देखो आर्डर ११, रूल १)। (३) जब एफ से अधिक आदमी ऐसे हों जिन पर सवाल किए जाते हों, तो उन सवालनामोंमें यह बात लिख दी जायगी कि उनमें से किसका जवाब कौन दे (देखो आर्डर ११, रूल १), (४) ऐसे सब सवालनामा दीवानीके परिशिष्ट (Appendix) (सी) में बतलाए हुए फार्म नं० २ के नमूनेके होंगे और अवस्थानुसार उसमें परिवर्तन एवं परिपूरण कर दिये जायेंगे (देखो आर्डर ११, रूल ४)। (५) ये सवालनामा मामलेको बहुत तूट देने वाले, तकलीफ देने वाले और अनावश्यक अथवा वाहियात न होंगे (देखो आर्डर ११, रूल ७)

सवालनामाके जवाब— (१) सवालनामाके जवाब बयान हलफोंमें दिये जायेंगे जो दस रोजके भीतर या ऐसे समय के भीतर दाखिल किया जायगा जिसके लिये अदालत इजाजत दे (आर्डर ११ रूल ८)

[२] जो हलफ नामा सवालनामाके जवाबमें दाखिल किया जायगा वह परिशिष्ट (सी) के फार्म नं० ३ में होगा और उसमें आवश्यक परिवर्तन एवं परिपूरण (इजाफा) कर दिया जायगा (देखो आर्डर ११, रूल ९)। [३] सवालनामाके जवाबमें पेश किये हुये किसी हलफनामा की निस्वत कोई एतराज न किया जा सकेगा, लेकिन अगर ऐसे किसी हलफनामा के काफ़ी होने की निस्वत कोई एतराज किया जायगा तो अदालत उसे तय करेगी (देखो आर्डर ११, रूल १०)। [४] अगर वह एतराज, जिसे सवालनामाके किये गये हैं किसी सवालनामाके जवाब नहीं देता है या ऐसा जवाब देता है जो काफ़ी नहीं है तो उस शर्तके दरख़ास्त देने पर, जिसने कि सवालनामा किये हैं, अदालत उसे हुकूम देगी कि वह बजरिये हलफनामा या जवानी उस सवालनामाके जवाब दे या चाकी और जवाब दे (देखो आर्डर ११, रूल ११)। [५] जिस शर्तसे सवाल पूछे गए हैं वह किसी भी सवालनामाके इस बिनापर जवाब देने से इन्कार कर सकता है कि वह (अ) तैह मत लगाने वाला, या (ब) अक्षम है, अथवा (स) वह दावाकी गरजके लिए पूछा नहीं गया है, या (द) यह कि जो बातें पूछी गई हैं उनका मुकदमेकी इस अवस्था में पूछा जाना अनावश्यक है (देखो आर्डर ११, रूल ६)। [६] अदालत

को अधिकार होगा कि तब, उस शख्सके दरखास्त देने पर, जिससे कि सजा लात पृथ गण है, किसी भी सवालको इस विनायपर खारिज करदे कि वह विना जरूरत या हेतान करने के लिए पृछा गया है, या उसे इस विनाय पर उठा दे कि वह मामले को तूल देने वाला, तद्ग करने वाला, अनावश्यक या तोहमत लगाने वाला है (देखो आर्डर ११, रूल ७)

कागजातकी रोज—अदालतको अधिकार होगा कि वह किसी फरीकके दरखास्त देने पर उस मुकद्दमेके किसी भी दूसरे फरीकको यह हुकम दे देवे कि वह हलफके साथ उन कागजातकी रोज करे जो उसके कब्जे या अधिकारमें है और उन बातोंसे सम्बन्ध रखते हैं जिनकी बाबत झगडा है। लेकिन गर्त यह है कि अगर अदालतकी यह राय हो कि, मुकद्दमेका इन्साफ के साथ फैसला होने या खर्चकी घचतके लिये ऐसी खोजकी जरूरत नहीं है, तो ऐसी रोजका हुकम न दिया जायगा (देखो आर्डर ११, रूल १२)

जिस शख्सको कागजात पेश करने के लिए हुकम दिया गया है वह एक हलफन मेके साथ परिशिष्ट (सी) के फार्म ५ मे उन कागजातको तफसीलवार दर्ज करेगा और अगर किसी कागज के पेश करनेमे कोई एतराज होगा तो घड भी लिख दिया जायगा (देखो आर्डर ११, रूल १२)

नोट—यह हो सक्ता है कि किसी मुकद्दमेके किसी फरीकके कजे या अधिकारमें ऐसे कागजात हो, जो उन बातोंसे सम्बन्ध रखते हैं जिनका बाबत झगडा है। यह रूल उसके मुखालिफ फरीकको यह अधिकार देता है कि वह मुलाहिजाके लिये उन कागजातको हालिल पर सभे पौर उस कार्रवाईका विधान करता है जो एसा अवस्थामे भी जारी चाहिए। वह कार्रवाई संशयम इस प्रकार है—जो शख्स कागजात चाहता है, वह बिना कोई हलफनामा दाखिल किये हुए अदालतस यह प्रार्थना कर सक्ता है कि वह उस शरतको, जिसके कब्जे या अधिकारमें वह कागज है, बयान हलफी दाखिल करने का हुकम दे जो 'बयान हलफी कागजात' के नामसे प्रसिद्ध है [आर्डर ११ रूल १२] और जिसमें यह बात लिखी होगी कि उस मुकद्दमेसे सम्बन्ध रखने वाले जो कागसे कागजात उसके कब्जे या अधिकारमें है। ज्यों ही अदालत एसा हुकम दे देगी, त्यों ही वह शरत, जिसके कब्जे या अधिकारमें वे 'कागजात' है, अपना बयान हलफी कागजात दाखिल करनेके लिये बाध्य होगा। जो कागजात अब उसके कब्जेमें नहीं है बल्कि पहले किसी समय थे उनके सम्बन्धमें उसे यह लिखना चाहिये कि क्या हुप, ताकि फरीकसानी उन्हें उस शख्ससे हालिल पर सभे गिनके प जेमें व अन हैं। अगर वह उस हुकमकी तागील नहीं करता, तो वह आर्डर ११, रूल २१ में बतलाए हुए दण्डका भागी होगा।

कागजातका पेश किया जाना—कागजातके सम्बन्धमें बयान हलफी (देखो आर्डर ११ रूल १२) दाखिल करने के बाद वह शख्स जिसकी दरखास्ततः उपर कागजात पेश किए जानेका हुकम दिया गया है, अपने मुखालिफ फरीकको इस बातके लिए बाध्य कर सकता है कि वह उसके मुलाहिजे के लिए ऐसे कागजात पेश करे जिनके देवने के लिये वह क नूनन अधिकारी है (देखो आर्डर १०, रूल १८)

कागजात पेश करने का हुकम उम्भ तनकीह तैयार करने के पछिले भी दिया जा सकता है (देखो L.C.W.N 117) कागजात पेश करने का

हुकम सिर्फ इत रुल के अनुसार ही दिया जा सकता है । मुलाहिजाका हुकम आर्डर १८ के अनुसार दिया जाना चाहिए (देखो 14 I C 51)

अगर कोई ऐसे कागजात है जिनके पेश करने के सम्बन्धमें उस शख्सको पतराज है, तो उसे चाहिये कि वह रुल १३ के अनुसार अपने बयान हलफ़ीमें उन्हें उस पतराज की वजुदात के साथ बतला दे । इस सम्बन्धमें यह स्मरण रखना चाहिए कि कोई भी फ़रीफ़ अपने मुद्दालिफ़ फ़रीफ़के मुलाहिजाके लिए (भ) कोई ऐसा कागज, जो सुद उसके दावा या हकीमतकी शहादत है (ब) कोई भी गुप्त लिखा पढ़ी जो उसके और उसके कानूनी सलाहकारके दरमियान हुई हो (देखा कानून शहादतकी दफा १२६ और १२९) और कोई भी ऐसा सरकारी कागज, अगर उसके प्रकट हो जाने से सर्जनिक हितमें कोई बाधा वपस्थिति होती हो, पेश करने के लिए बाध्य नहीं है (देखो कानून शहादतकी दफा १२३-१२४)

कागजातका मुलाहिजा—मुकद्दमेके किसी फ़रीफ़में किसी भी समय उन तमाम कागजात के देखनेका अधिकार है जिनका उल्लेख फ़रीफ़सानीके अर्जी-दावा, बयान तहरीरी, या बयान हलफ़ीमें किया गया गया है और उस फ़रीफ़के ऊपर इस बातकी नोटिस तामील करने के बाद, कि वह उसके मुलाहिजाके लिये कागजात पेश करे, उनकी नक़लें पानेका अधिकार है । नोटिस परिगिष्ट (सी) फ़ॉर्म न० ७ म होनी चाहिए । जो शख्स नोटिस तामील हाने के बाद भी कागजात पेश नहीं करता, वह उनके न पेश किए जानेके लिए माकूल वजह बतलाए बिना उन कागजातको शहादतमें पेश कर सकने का अधिकारी नहीं है (देखो आर्डर ११ रुल १५, १६) । इसी तरह की व्यवस्था कानून शहादतकी दफा १६४ में की गई है । जब नोटिस दिए जानेके बाद कोई फ़रीफ़ किसी दरतावेजको पेश करे और दूसरा फ़रीफ़ उसका मुलाहिजा करे तो वह फ़रीफ़ उसे बतौर सुबूतके देनेके लिये बाध्य है, अगर उसका मुद्दालिफ़ ऐसा चाहता है तो (देखो कानून शहादतकी दफा १६३) ।

नोट—आर्डर ११ के १५ से १८ तक के रुल, केवल उन कागजात से सम्बन्ध रखते हैं जिनका तिक किसी फ़रीफ़ के अर्जीदावा, बयान तहरीरी, या बयान हलफ़ीमें किया गया हो । १२ से १४ तक के रुलों में तमाम ऐसे कागजात की खोज और उनके पेश किए जाने के सम्बन्धमें व्यवस्था की गई है जो किसी फ़राफ़ के कर्जे या अधिकार में हों और जो उस मुकद्दमेसे सम्बन्ध रखते हों, चाहे ऐसे कागजात का उल्लेख प्लेडिगूमें में किया गया हो या नहीं । रुल १५ में उन तमाम कागजात के फ़ोरवर्ड की मुलाहिजा करने के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है जिनका उल्लेख प्लेडिगूमें या बयान हलफ़ीमें किया गया है । रुल १५ के अनुसार दरखास्त मुकद्दमे के आरम्भ में दी जानी चाहिए । यह बात भी याद रखनी चाहिए कि सिमाय हिंसा फ़ोक या उसके बंगल के और किसी भी शख्स की रुल १५ के अनुसार कागजात का मुलाहिजा करने का अधिकार नहीं है । "फ़राफ़" शब्द में उसका मूलान मन्दा या शामिल है, लेकिन अदालत ऐसे मुद्दामें जो मुलाहिजा करने का आज्ञा नहीं देगा, अगर वह पहिले फ़रीफ़सानी के पास नौबर या ओर उसका कागजात का चार्ज या (देखो 25 c 294) उस कार्यवाही के जानने के लिए, जो कागजात का मुलाहिजा (मुद्दा ११) के

लिए व्यग्रता करता है, अर्थात् मुआहजा का समय, मुआहजा का हुजूम, व्यापार की तम्बाकू शुद्ध प्रतियों का मुआहजा इत्यादि, देखो रूल १६, १७, १८ आर १९। अगर जिस मुलाहिजा के लिए दरखास्त की गई है उसका समय अभी नहीं आया है और अदाएज की इम बात का इतफाहाना हो गया है कि मुआहिजा करने का हुजूम उस समय पदा होना है जब कोई ऐसी तनबीह या सवाल, तय होनाय जिसकी निरस्त झगड़ा है, तो अदाएज को चाहिए कि वह उस तनबीह या सवाल के फसल न होना तक मुलाहिजा करे की इजाजत न दे [देखो आर्ट ११ रूल २०] मुदाअल्लेह उन वाक्यात का मुलाहिजा करने का हकदार नहीं है जिसे मुदई ने वयान तहरीरी दाखिल करने के पहिले अपने दावा का आधार माना था, देखो 24 C W N 302

मुलाहिजा (मुआहजा) के लिए दिम हुए हुजूम की अपील नहीं हो सकती [देखो 11 Bom L R 248, 9 B H C 298]

योज या मुलाहिजा के हुजूम की तामील न करने के लिए दण्ड—जब कोई शख्स, जिसे सवाल का जवाब देने अथवा कागजात की योज या मुलाहिजा के सम्बन्ध में हुजूम दिया गया है, ऐसे हुजूम की तामील न करे, तो उसका, अगर मुदई है तो, मुकद्दमा अदम सुवत में खारिज कर दिया जायगा, और अगर वह मुदाअल्लेह है तो उसकी रफाई मसूख कर दी जायगी। इस रूल के अनुसार दिष्ट गए हुजूम की अपील हो सकती है।

इकवाल—कागजात और वाक्यात के इकवाल के सम्बन्ध में जायते का वर्णन आर्ट १२ के रूल १ से ७ तक में किया गया है। इस जायते के अनुसार कार्य करना अनिवार्य (लाजिमी) नहीं है, लेकिन यह सम्भव है कि इसके अनुसार कार्य करने से मामले का फैसला जल्द हो सके। इसलिए यह सुनासिव मालूम होता है कि हर एक वकील को यह सब तलब मामलों में इस जायते के अनुसार कार्य करना चाहिए। "इकवाल" (Admission) शब्द की परिभाषा के लिए देखो कानून शहादत की दफा १७। भिन्न भिन्न प्रकार के इकवालों और उनका सुवत के लिए देखो कानून शहादतकी दफा १८ २२। दीवानी मुकद्दमों में इकवाल जायज न माना जायगा, अगर वह इस प्रकट अथवा अपकट शर्त के ऊपर किया गया है कि वे शहादत में पेश न किए जायेंगे [देखो कानून शहादत की दफा २३] ऐसे इकवाल को "इकवाल बिना तरफदारी (Admission without prejudice)" कहते हैं। आमतौर पर वह लिखा पटी या बातचीत, जो फरीकत के बीच, नालिश दायर होने के पहिले इस इरादे से की गई हो कि आपस में राजीनामा हो जाय या मामला पचायत से फैसल कर लिया जाय, इसी के अन्तगत मानी जाती है। जिन बातों का इकवाल मुदाअल्लेह ने नालिश दायर होने से पहिले और नालिश दायर होनेकी तारीखकी मुदईके वकील से किया था, वह काबिल तस्लीम माना गया, क्योंकि ऐसी कोई भी प्रकट अथवा अपकट शर्त नहीं थी कि वे शहादत में पेश न की जायेंगी [देखो 20 C W N 1217]

जाचते का इक़्वाल नीचे लिखे तरीकों में किया जा सकता है—(१) प्लीडिंग्स के ऊपर, फिर वह चाहे प्रकट हो अथवा अप्रकट, (देखो आर्डर ८, रूल ३, ४, ५) (२) सवालों के जाच में (देखो आर्डर ११, रूल २२), (३) पेशा होने के पहिले तहरीरी इकरारनामा के जरिये, (४) नोटिस के जरिये (देखो आर्डर १२, रूल १, २, ४), (५) पेशी के वक्त फरीफ़ मुक़द्दमा या उसके वकील की ओर से (देखो कानून शहादत की रफ़्. ५८)

इक़्वाल करने का जाबता—(१) मुक़द्दमे का कोई भी फरीफ़ लिखित नोटिस के जरिये दूसरे फरीफ़ को यह इत्तहा दे सकता है कि वह उसके कुल या कुछ हिस्से दाया को सही मानता है [देखो आर्डर १२, रूल १] कोई भी फरीफ़ लिखित नोटिस के जरिये, दूसरे फरीफ़ को किसी ऐसे कागज (आर्डर १२, रूल २) या किसी खास बात या बातों को स्वीकार करने के लिए लिख सकता है जिसकी नोटिस पेशी की तारीख़ से अधिकसे अधिक ९ दिन पहिले दी जायगी (देखो आर्डर १२, रूल ४)। अगर कागजात या वाक़यात का इक़्वाल करने के लिए नोटिस न दी गई हो, तो ऐसे कागजात को साबित करने का ख़र्चा न दिलाया जाय [देखो आर्डर १२, रूल २, ४] (३) वाक़यात का इक़्वाल करने के लिए दी जाने वाली नोटिस फार्म न० १० में होनी चाहिए और वाक़यात का इक़्वाल जाबता दीयानी के परिशिष्ट (सी) के फार्म न० १० में होना चाहिए। (४) जब आर्डर १२, रूल ४ के अनुसार वाक़यात का इक़्वाल कर लिया गया हो तो कोई भी फरीफ़ मुक़द्दमे की किसी भी अवस्था में अदालत से उसी इक़्वाल के ऊपर फ़ैसला देने के लिए प्रार्थना कर सकता है [देखो आर्डर १२, रूल ६]

कागजातका पेश करना, उनका अदालत के कब्जेमें रखना, वापस और तलब करना

कागज़ी शहादत पेश करे सम्बन्धी नियम—(१) फरीफ़ेन या उनके वकीलों को चाहिये कि वे मुक़द्दमे की पहिली पेशी में (२) यह तमाम कागज़ी शहादत पेश करे जो उनके कब्जे या अधिकार में है और जो वे अपने दाया की ताईद (समर्थन) में पेश करना चाहते हैं और जो पहिले पेश नहीं की गई थी, तथा (ख) तमाम ऐसे कागजात पेश करे जिनके पेश करने के लिये अदालत ने हुक्म दिया है (२) इस तरह पेश किये गए हुए कागजात के साथ साथ उनकी एक सही फेइस्मिन्त दाख़िज़ की जानी चाहिये जो एक गुफ़र नमूने की तैयार की जायगी [देखो आर्डर १३, रूल १] (३) जो कागजात पेश तो किये जाते चाहिए था लेकिन जो (आर्डर १३ रूल १) नियमानुसार पेश नहीं किये गए हैं, वे मुक़द्दमे की किन्नी भी बात की अवस्था में शहादत में पेश न किये जा

सकेगे, जयतक कि मुनासिब समयपर उनके पेश न किए जाने की काफ़ी वजह न दिखला दी गई हो [देखो आर्डर १३, रूल २]।

अदालत को किसी भी ऐसे कागज के खारिज कर देनेका अधिकार है जो गैर जरूरी है या और किसी तरह नाकाबिल तस्लीम है।

उन कागजात में, जिनके आधार पर दावा किया गया है, तथा उन कागजात में, जो दावा के सबूत में पेश किये जाने को हैं, बहुत बड़ा अन्तर है। ऐसा देखा गया है कि पहिली रिस्म वाले कागजात अर्जों दावा के साथ ही पेश किये जाते हैं [देखो आर्डर ७, रूल १४, १८ (१)]। लेकिन दूसरे तमाम कागजात, जो सबूत में पेश किए जाने को हैं, अर्थात् जिन्हें वे अपने मुकद्दमें की ताईद में बतोर जायद शहादत के पेश करना चाहते हैं, मुकद्दमें की पहिली पेगी के दिन पेश किए जाने चाहिये (रूल १), और रूल २ के अनुसार जो कागजात उम रूल की शर्तों के अनुसार पेश नहीं किए गए हैं, उन्हें अदालत बाद में किसी भी वक्त शहादत में पेश किये जाने की इजाजत न देगी, जब तक कि उसे यह बात अच्छी तरह से मालूम न हो जाय कि पहिले उनके पेश न किये जाने की कोई माकूल वजह थी। सन् १९०८ ई० के जायदा दीवानों ने इस रूल को बहुत कुछ बदल दिया है, और आर्डर १३, रूल १ और २ के अनुसार, जो सन् १८८२ ई० के जायदा दीवानों की दफा १३८ से मिनत्र है, किसी भी ऐसे कागज के लेने को फतई मनही करदी गई है जो पहिली पेशी के दिन पेश नहीं किया गया था, जब तक कि उसके उस समय पेश न किये जा सकने का समुचित कारण न बतलाया जाय (देखो 70 I C 278) इस लिये हर एक घकीलको उपरोक्त रूल की शर्तें ध्यान में रखनी चाहिये, क्योंकि अगर बिना समुचित कारण के फरीकैन पहिली पेशी की तारीख को वह तमाम कागजी सबूत पेश न कर सके जो वे अपने दावा भी सफाई की ताईद में पेश करना चाहते थे, तो उन्हें इस बात का बिल्कुल अधिकार न रहेगा कि वे उसे बाद में किसी भी समय पेश कर सकें।

आर्डर १३ का रूल १, आर्डर ८ के रूल १८ (२) के साथ पढ़ा जाना चाहिये जिसमें इस रूल से मिनत्र व्यवस्था है और जिसमें यह इजाजत दी गई है कि कुछ कागजात किसी भी समय पेश किये जा सकते हैं। "पेश करना" शब्द का अर्थ है निगाह के सामने या इनला में लाना, इसका मतलब दाखिल करना नहीं है। फरीकैन के लिये यह जरूरी है कि वे कागजात अदालत में अपने साथ लावे लेकिन उन्हें उस समय तक पेश करने की इजाजत नहीं है जब तक कि वे तलब न किये जाय, देखो। B L. R 120, 10 W R 179, 12 C W N 312, 80 L J 174 अगर कोई कागज (Document) ऐसा है जिसका इन्दराज किसी सूत, किताब या दूकानकी रिताब अथवा किसी दूसरी हिसाबकी रिताब में है जो उस समय रोजाना काममें लाई जाती है, तो उसकी एक नकल पेश की जानी चाहिये जिसका आर्डर ७, रूल १७ में बतलाए तरीकसे मिलान और उसकी तस्दीक किए जायगे (देखो आर्डर १३, रूल ५) "पहिली पेशी" का, उस मुकद्दमें में, जिसमें मुकद्दमेंका आखिरी फैसला करनेकी तरजसे समान जारी किया गया है,

साधारणतः अर्थ उस तारीख पेशीसे होगा जो उस सम्मनमें दी गई है, और जिस मुकद्दममें सम्मन उमूर तनकीद्वारा फैसला करने के लिए जारी किया गया है, उसमें उसका अर्थ होगा वह तारीख जो तनकीद्वारा फैसला हो जाने के बाद मुफरर की गई है।

पहिली पेशीका अर्थ जाननेके लिए देखो 14 A 524 P 526 कलकत्ता हाईकोर्टके एक मुकद्दममें यह तथ्य किया गया है कि "पहिली पेशी" का अर्थ है वह तारीख जब पहिले पहल मुकद्दमा विचारके लिए पेश किया गया हो, और वास्तव में उस पर विचार भी किया गया हो वह तारीख नही जो मुकद्दमकी पेशीके लिए मुफरर की गई है लेकिन जिस रोज उस पर विचार हो किया गया है (देखो 50 I C 296)। अगर इन शब्दोंका यही अर्थ हो तो वास्तवमें इसका अर्थ आखिरी तारीख पेशीसे होगा अर्थात् वह दिन जिस दिन मुकद्दमकी सचमुच समाप्त की जायगी। इस अर्थसे रूल १ और २ की ओर रद्द हो जाती है, क्योंकि इस रूलका उद्देश्य यह है कि फरीकनको मजबूर किया जाय कि वे कुल कागजात पहिली पेशी की तारीखको पेश कर दे, वरना वापस दिए जायंगे, अगर किसी बादकी तारीखको पेश किये गये। इस रूल का मुख्य उद्देश्य है सुगत्या कागजात पेश करने के लखसे बचना, जावतेकी शहादतको शुभा किये जानेसे बचना नही, जैसे सरकारी कागजात या अदा-लतके कागजातकी तरह सरकारी कागजात (Public documents)की तस्दीक मुद्द नकर्ण। इसलिये ऐसे कागजात शहादतमें लिये जा सकते हैं, अगर वे पहिली पेशीके दिन पेश नही किये गये हैं (देखो 23 W R 29, 6 C L J, 621, 12 W N 312 12 C. W N 31)। यद्यपि पहिली पेशीके उक्त कागजात पेश न करने लिये कोई भी जायज वजह नही दिखलाई जा सकी थी, अदालतने अपने अख्यारसे सरकारी कागजात बादको भी कुबूल कर लिये थे। इसे इस बातके लिये प्रमाण न मान लेना चाहिये कि सरकारी कागजात मुकद्दमकी किसी भी अवस्था में पेश किये जा सकते हैं, फिर चाहे कितनी ही देर क्यों न होगई हो। असा कि चीफ जस्टिस मिलरने कहा है "उस मुकद्दमके सिद्धांतको जरूरतसे यादा विस्तार न देना चाहिये और यह कि सिर्फ यह बात, कि नालिश दापर लिये के बहुत पहिले से वह कागज मौजूद था, इस बातके लिये काफी वजह नही कि बादमें किसी भी समय उसके पेश करने की इजाजत दे दी जाय (देखो 78 C L J 489)"। अदालत को अख्यार है कि अगर वह चाहे तो, बाद में किसी भी समय कागजात ले सकती है (देखो 27 C L J 119, 2 C W N 50 P C) लेकिन इस अधिकारका प्रयोग में लाना के मात्र पहिली पेशीके समय उसके पेश न कर सकने के लिये अच्छी वजह दिखलाने पर निर्भर करता है।

"उनके कब्जे या अधिकारमें" शब्द पढे ही महत्त्वपूर्ण हैं। उपरोक्त रूलों सिर्फ इन्ही कागजात के फौरन पेश किये जाने के लिये व्यवस्था की गई है। अखलमें उस फरीकके कब्जे या अधिकार में हों। अगर कागजात उस

फरीफ़ के कब्जे या अधिहार में नहीं है और इसलिये वे पट्टिरी पेश के दिन पेग नहीं किये जा सकते तो अदालतको अधिकार है कि वह उन चादमं पेश किये जाने के लिये इजाजत दे देवे। वे उस फरीफ़ के कब्जे या अधि कारमें न समझे जायगे, अगर वे किसी दूसरे मुकद्दमेमें दाखिल किये गये हैं य अगर वे उस अदालतकी मितिलमें नहीं हैं जहा से उनको नकल ली जाती है ऐसी दशामें फरीफ़को चाहिये कि वे उन कागजात की एक सही फेहरिस्त दाखिल कर और अदालतसे यह दरखास्त करें कि उन्हें उनके चादमं दाखिल करनेकी इजाजत दी जावे।

कागजातकी पुस्तके ऊपर बुठ घातोंका लिखा जाना—उन कागजातके ऊपर, जो या तो शहादत में कुबूल कर लिये गये हैं या नाकाबिल तस्लीम समझकर वापस कर दिये गये हैं, उनकी पुस्त पर अदालतको कौन कौन सी बातें लिखनी चाहिये और वे किस प्रकार लिखी जानी चाहिये, इस सम्बन्धमें देखो आर्डर १३ के रूल ४ से ७ तक।

अदालतोंकी ओरसे कागजातको अपने कब्जेमें लिया जाना—अदालतकी अधिकार कि, अगर वह माहूल बजह मालूम पड़े तो, किसी भी ऐसे कागज या किताबमें सम्बन्धमें, जो कि उसके सामने किसी मुकद्दमेमें पेग किया गया है, यह हुक्म दे देवे कि वह द्विफ़ाजतमें रखा जावे और अदालतके किसी भी अफसर की सिपु दंगीमें उतनी मुद्दतके लिए और उन शर्तों के साथ दे दिया जावे जिसे अदालत मुनासिब समझे [देखो आर्डर १३, रूल ८]

नोट—इ एरु दर्शालनी चाहिये कि वह, वेही कागज दाखिल करने से पहले, यह देना ले लि उसपर काफी स्टाम्प लगा है या नहीं और उसमें तकमील ठीक तौर से की गई है। अगर उस कागज पर काफी स्टाम्प नहीं लगा है तो अदालत उसे उस समय तक न लेगी जब तक कि उसके सम्बन्धमें वह कुछ रसूम और तावान, जिसका विधान स्टाम्प ऐक्ट (न० २ सन १८९९ ई०) में किया गया है, अदा न करें दिये जाय।

वर्तमान स्टाम्प पेक्टके जारी होनेसे पहले लिखे गए दस्तावेज—ऐसे बिना स्टाम्प लगे या नाकाफी स्टाम्प लगे हुये दस्तावेजोंके ऊपर त्रिचार करनेमें, जो इस वर्त मान स्टाम्प ऐक्टके जारी होने के पहिले लिखे गये थे, जो कार्रवाई की जानी चाहिए और जो तावान उस पर लगाया जाना चाहिए, उनके लिए पुराने कानूनो के अनुसार नियम नहीं बनाने चाहिये, जो मसूख कर दिये गये हैं, बल्कि नये कानूनके अनुसार बनाने चाहिये (देखो G R & C O Chap II R 46)

इकगल कर लिए गए कागजातका वापस करना—कोई भी शख्स, जो किसी भी ऐसे कागजको वापस लेना चाहेगा जो कुबूल कर लिया गया है और दूजे कागजात कर लिया गया है, उसके वापस पानेका हकदार होगा, (क) जहा पर मुकद्दमा ऐसा हो जिसकी अपील नहीं हो सकती, जब कि मुकद्दमा फैसल हो गया है और (ग) जिसमें अपील हो सकती है उसमें उस समय जब अपील का चक रतम होगया हो या अगर अपील दायर की गई है तो अपीलका फैसला

मालूम हो तो, यह तय करे कि उसे उस कागजको पेश किए जाने का हुक्म दे या न दे (देखो G R and. C O Chap III note 1 to 23) -

अगर कोई कागज ऐतिहासिक या प्राचीन हो, तो अदालतको चाहिये कि वह उस पर इक्विटि नम्बर डाल कर या अपनी अदालतकी मोहर छाप कर उसे सुराख होने से बचानेवा यथाशक्ति प्रयत्न करे (देखो G L No 60 of 1917, Note 2 to rule 23) जो कागजात हर एक फरीककी ओर से शहादत में कुचल किये गये हों उनको अफसर इन्चार्ज रेकॉर्ड, फार्म न० (M) 171 Vol II G R & C O में एक भलग फेहरिस्त तैयार करेगा और उस पर प्रिजाइडिंग जजके दस्तखत होंगे। इस फेहरिस्त में वे कागजात उसी क्रम से दर्ज किये जायगे जिस क्रम से वे लिये गये हैं और उन पर निशान डाले गये हैं (देखो G R & C O Chap III R 24) (अ) जो कागजात मुद्दई या मुद्दइयानकी ओर से पेश किये गये हैं, उनपर अदालत उसी क्रम से नम्बर डालेगी जिस क्रम से वे स्वीकार किये गये हैं, जैसे १, २, ३, ४ इत्यादि, और जो कागजात मुद्दाअलेहकी ओर से पेश किये गये हैं उन पर अंग्रेजीके बड़े अक्षर डाल दिये जायगे, जैसे A B C इत्यादि। (ब) जब दो या दो से अधिक लोग मुद्दाअलेह हों, तो पहिले मुद्दाअलेहके कागजात पर A 1, B 1, C 1 इत्यादि निशान डाले जाते हैं और दूसरे के कागजात पर A 2, B 2, C 2 इत्यादि निशान (देखो G R & C O Chap III R 25)। जो कागजात दाखिल किये गये हैं, उन्हें अदालत के हाकिमों को सुराख नहीं करना चाहिये, सिवाय उसके जिसके लिये कानून उन्हें आज्ञा देता है, अर्थात् उस पर यह लिख देगे कि अनुक मुकद्दमे में वह पेश किया गया है [देखो G R & C O Chap III Note to rule 25]

जब एकदो किसमके बहुत से कागजात पेश किये गये हों, उदाहरणार्थ लगान की बहुत सी रसीदे, तो उन कुल कागजात के ऊपर एक निशान बड़े अक्षर या अक्षरसे डाला जायगा और मुख्य अक्षर या अक्षरके नीचे एक छोटा अक्षर या अक्षर लिख दिया जायगा और उनके बीचमें एक लकीर खींच दी जायगी ताकि उनमें से हर एक कागज भलग किया जा सके (देखो G R & C O Chap III R 26)।

जब कोई असली कागज, उस पर पहचान के लिये निशान डाल दिये जाने के बाद, वापस कर दिया जाय और आर्डर ७, रूल १७ अथवा आर्डर १३ रूल ५ जावता दीवानी में बतलाये अनुसार उनकी एक नकल रख ली जाय, तो उस फेहरिस्त में, जिसका उल्लेख उपरोक्त रूल में किया गया है, यह लिख दिया जायगा कि असली कागज वापस कर दिया गया है (देखो G R & C O, Chap III R 27)।

जब कोई भी सरकारी कागज (जो किसी मुकद्दमे की मिसिल या अदालत की कार्रवाईका कागज नहीं है) अथवा कोई ऐसा कागज, जो सरकारी हिफाजत में है किसी सम्मनकी तामील में अदालत में पेश किया गया हो और जिस हाकिमकी मुहाफिजत में वह कागज था वह उसे जल्द से जल्द वापस मागता हो, तो उस कागजका सुभाइना हो जाने या शहादत में उसके पेश हो जानेके बाद

भद्रादत्त को चाहिये कि वह उसकी नकल लेकर, जिसकी अदालतको जायता दीधानी के आर्डर १३, रूल ५ (२) के अनुसार जखरत हो, उसे जहाँ तक जल्द मुमकिन हो उस अपसरके पास वापस कर दे । उस नकलके तैयार करनेका खर्चा वह राफुस देगा जो उसे भद्रादत्त म पेश करना चाहता है (देखो G R & C O Chap III Note to rule 27) । जिस कागजको मुकद्दमे के किसी फरीक ने पेश किया हो लेकिन वह भद्रादत्त में दाखिल न किया गया हो, यह मुकद्दमा खतम होने पर उस भद्रादत्तको, जिसने उसे पेश किया है, अथवा उसके पकील को वापस कर दिया जायगा । पकील इस बात के लिये बाध्य है कि वह उन कागजात को वापस ले जिन्हें उसके मव-विकलने दाखिल किया हो और जिसे वापस लिये जाने के लिए भद्रादत्त ने इस रूलके अनुसार, हुक्म दे दिया हो, और उनके लिये फेदरिस्तके मुतासिब पाने में रसोद लिख दे (देखो G R & C. O Chap III R. 28 A)

(क) अगर कोई वादरी आदमी, जो मुकद्दमे में फरीक नहीं है, सम्मन की पाबन्दी करते हुये भद्रादत्त में कोई कागज दाखिल करे, तो उसे वह पता लिख देना होगा जिस पते से वह कागज वापस किया जाता चाहिये, अगर वह उसे सुद आकर नहीं ले लेता ।

(ख) अगर कोई कागज भद्रादत्त में पेश न किया जाय या फुचूल न किया जाय, तो वह उस अफसरी, जिसने उसे पेश किया है, असालतन या बजरिये रजिस्ट्रोयुद डाकके फौरन् वापस कर दिया जायगा ।

(ग) अगर कोई कागज भद्रादत्त में, फुचूल कर लिया जाय तो उसकी एक तस्दीकशुद नकल भिसिल में नयी करदी जानी चाहिये । इसके बाद वह असली कागज, असालतन या बजरिये रजिस्टर्ड डाकके, उस शख्सको वापस कर दिया जायगा जिसने उसे पेश किया है, जब तककि उस कागजकी अस-लियतके बारेमें कोई झगडा न हो, जिस दशाम असल काफी मुकद्दमा फैसल हो जाने के बाद वापस की जायगी, अगर भद्रादत्तने इसक लिये कोई और हुक्म न दे दिया हो, अथवा अगर मुकद्दमेकी अपीलके लिये इजाजत दी गई है तो अपीलके लिये काफी मौफा देने के बाद वापस किया जायगा, या अगर अपील दायर की जा चुकी है तो उस अपीलका फैसला हो जाने के बाद वापस किया जायगा ।

(घ) अगर कागजात, जो पेश किए गये हैं बहुत ज्यादा हैं, जैसे हिसाब की बहिया, या जमींदारी के कागजात, जो सुविधा के साथ रजिस्टर्ड डाक से वापस नहीं किए जा सकते, तो जिस शख्स ने उन्हें दाखिल किया है उसे, अगर वे कागजात उसे फौरन् वापस नहीं कर दिण गए हैं तो, रजिस्टर्ड डाक से यह सूचना दी जायगी कि वह किसी भी समय उन्हें ले जा सकता है, और यह कि उसे मुतासिब सफर खर्च वगैरा दिया जायगा । यही कार्रवाई उस समय भी की जायगी जब कागजात दाखिल करने वाले शख्स ने यह तहरीर लिख दी हो कि कागजात बड़े कामती हैं और वह उन्हें सुद आकर ले जायगा ।

(ड) अगर कागजात दाखिल करने वाले शख्सके कोई ऐसा घकील या मुख्तार है जिसे कागजात वापस लेने का अधिकार है, तो वे कागजात उसी घकील या मुख्तार को वापस कर दिए जायेंगे, जब तककि उस शख्सने कागजात दाखिल करते समय लिखकर यह इजहार न कर दिया हो कि वे असाह-तन या रजिस्टर्ड डाक से उसी को वापस दिए जाय ।

(च) मुकद्दमेके किसी फरीककी ओर से उपरोक्त उप नियम (क) में बत-लाए हुए किसी कागज के तलय किए जाने के पहिले उस फरीक को उसमें होने वाला खर्चा जमा कर देना होगा, जिसमें रजिस्टर्ड डाक से उस कागज की वापसी का खर्च, उप नियम (ग) के अनुसार तस्दीक शुद्ध नक़ल तैयार करने का खर्च और उप नियम (घ) की दशा में उस शख्स के सफर का खर्च शामिल है जिसने कागजात दाखिल किए हैं । उप नियम (घ) में बतलाई हुई अवस्था में सफर खर्च मय उस रजिस्टर्ड खत के, जिसका उल्लेख किया गया है, उस शख्स को दे दिया जायगा जिसने कागज दाखिल किया हो (देखो G. R. & C O Chap III R 30-Rule No 6 of 1924)

वे नियम जो हलाहागद हाईकोर्ट ने दफा १२२ के अनुसार तय किए हैं—आर्डर १३ के साथ रूल १२ और १३ और जोड़ दिए गए हैं ।

गवाहों का तलय किया जाना, और उनकी हाजिरी तथा पेशी का बढ़ाया जाना

गवाहों का तलय करना—मुकद्दमा दायर किए जाने के बाद किसी भी समय फरीकन, शहादत देने के लिए या कागजात पेश करने के लिए गवाहों की हाजिरी के वास्ते सम्मन जारी किए जाने के लिये दरखवास्त दे सकते हैं (देखो आर्डर १६, रूल १)

सम्मन जारी करने की दरखवास्त हमेशा जहा तक जल्द मुमकिन हो दी जानी चाहिये । इसमें सन्देह नहीं कि किसी मुकद्दमे के फरीकको मुकद्दमेका आग्रिकी फैसला होने के पहिले किसी भी समय अपने गवाहा के नाम सम्मन जारी कराने का अधिकार है, लेकिन अदालत को यह अधिकार है कि वह गवाहों के हाजिर न हो सकने की वजह से मुकद्दमे की पेशी बढ़ाने से इन्कार कर दे जो जायज होगा, अगर सम्मन जारी करने के लिये मुनासिब वक्त के अन्दर दरखवास्त नहीं दी गई है, देखो 16 A 218, 15 B 86, 20 C 740, 68 IC 736, 8 IC 418 उस समय भी सम्मन जारी करने से इन्कार कर दी जा सकती है जब दरखवास्त दीक तौर से न दी गई हो (देखो 28 M 28) या जब उस दरखवास्त का मशा न्याय में बाधा पहुँचाने का हो । (देखो 4 I.C. 797)

सम्मन जारी होने के पहले गवाहों के सफर वगैरह का खर्च अदालत में एक मुनासिब मियाद के अन्दर दाखिल कर दिया जाना चाहिये, जो मियाद अदालत तय करेगी। अदालत को अधिकार है कि वह किसी Expert (यह शरस जो किसी के दस्तखत या निशान भगूठाकी पहचान करता है) को मुनासिब मुआधिजा उसकी मेहनत का दिया देवे (देखो आर्डर १६, रूल २, आर्डर ४८ रूल १)। भिन्न भिन्न प्रान्तों की हाईकोर्टों ने भिन्न भिन्न श्रेणियोंके गवाहोंके लिए खर्चकी भिन्न भिन्न किस्में मुकदमोंकी हैं और इसलिए जो रुपया जमा किया जावे वह इस सम्बन्ध में बने हुए नियमों के अनुसार ही जमा किया जाना चाहिये [देखो आर्डर १६, रूल २] इस तरह पर जमा किया हुआ रुपया सम्मन की तामील के वक्त गवाह को अदा कर दिया जायगा (देखो आर्डर १६ रूल ३)

जब कोई सिविल सरकारी अफसर या किसी स्थानीय अधिकारी वर्ग का नौकर या किसी रेलवे कम्पनी का नौकर शहादत में तलब किए जानेको हो, तो सम्मन उस मोहकमके आला अफसरके मारफत जारी किया जायगा जिस मोहकम में वह गवाह काम करता है (देखो आर्डर ५ रूल २७)। अगर कोई सरकारी नौकर शहादत में तलब किया जाय, तो सम्मन की एक नकल उसके अफसर के पास भी उसकी जानकारी के लिए भेज दी जानी चाहिये [देखो Cal H C C O No 1 of 17 1 1883] जब कोई सरकारी नौकर शहादत में तलब किया जाये तो वह अपनी तनखवाह पाने का हकदार नहीं है, देखो 38 C L J 149 कलकत्तामें आर्डर १६, रूल २ (१) के साथ नीचे लिखी शर्त जोड़ दी गई है — "लेकिन शर्त यह है कि जब कोई सरकारी नौकर सरकार की ओर से तलब किया जाये तो इस रूलके अनुसार अदालत को उसके सफर वगैरहका खर्च अदा करने की जरूरत न होगी" और यह शर्त, आगे लिखी दूसरी शर्त आर्डर १६, रूल २, के साथ, जोड़ दी गई है लेकिन शर्त यह है कि इस रूल के अनुसार उस सरकारी नौकर को रुपया न दिया जायगा जिसकी माहवारी तनखवाह १०) रुपये से अधिक होगी या जिसका हेडक्वार्टर अदालत से ५ मील से अधिक फासले पर चक हो, जब कि ये कितना ऐसे मामले में, जिसमें सरकार मुद्दई या मुद्दाभलेद है, ब हैसियत सरकारी नौकर के तलब किए गए हों।"

तलबी के सम्मन के साथ साथ या ऐसे वक्त के अन्दर, जिस में तामील की जा सके, तलवाना और सम्मनके लिये दी गई दरखवास्त भी दाखिल कर दिये जाने चाहिये, नहीं तो सम्मन जारी न किया जायगा। अफसर सम्मन पेश करने में बर्दा टिलाई की जाती है जिसका नतीजा यह होता है कि पेशी की तारीख को यह देखा जाता है कि मुद्दई-मुद्दाभलेद सम्मन तामील न हो सकने के कारण हाजिर नहीं हो सके। उस के कारण इस बात की आवश्यकता और बढ़ जाती है कि पेशी की तारीख को एक दूसरी दरखवास्त दी जाय जिसमें इस बात की माहूल बतल दिखलाई जावे कि सम्मन हुयमताना जारी करके क्यों तामील किया जावे और अगर यह दरखवास्त मजूर करली जायगी तो सारी कारवाई

सुस्तवी कर दी जायगी। लेकिन अदालत को अधिकार है कि वह सम्मन तामील करने में गफलत होने की वजह से पेशी की तारीख बढ़ाने के लिये दी गई दरखवास्त को ना मजूर कर दे। अगर सम्मन और तलवाना पेशी की तारीख से थोड़े ही दिन पहिले दाखिल किये गये हों तो यह समझा जायगा कि सम्मन उस फरीककी जिम्मेदारीपर जारी किया गया है और पेशीकी तारीख फिर बढ़ाई न जायगी (देखो 1 Pat L J 173) जब कोई गवाह किसी खास कागज के पेश करने के लिये तलब किया गया हो, तो सम्मन में इस का साफ तौर से और सही सही हवाला होगा (देखो आर्डर १६ रूल ५) ताकि गवाह को यह मालूम हो जाय कि कौनसा कागज तलब किया गया है। ऐसा हुक्म जारी करना कि भसुक मामले से सम्बन्ध रखने वाली छुल चिट्ठीया या कुल कागजात पेश किये जाने चाहिये, बिलकुल बाहिषात होगा।

अगर कोई शख्स अदालत में हाजिर है, तो अदालत को अधिकार होगा कि वह उसे वही पर उसी समय शहादत देने या वे कागजात पेश करने का हुक्म देदेवे जो उस समय वहा पर उस के पास मौजूद हों (देखो आर्डर १६ रूल ७)।

सम्मनकी खिलाफ बर्जी—जब जान बूझ कर किसी सम्मनके हुक्मकी तामील न कीगई हो या तामील बचाई गई हो तो अदालत को अधिकार होगा कि वह उसकी हाजिरी के लिये इशतहार जारी करे और साथही गवाहकी गिरफ्तारीके लिये जमानती या गैर जमानती वारण्ट जारी करे तथा उसे यह भी अधिकार होगा कि वह उसकी जापदाद की कुर्की के लिये भी हुक्म देदे जो कुर्की के खर्च और उस जुर्माने के रुपये से जापद न हो जो कि उसपर लगाया जावे (देखो आर्डर १६ रूल १०)।

किसी गवाह की हाजिरी के वास्ते ये कार्रवाइयां किये जाने के लिये दरखवास्त देने का काम उस शख्स का है जो उस शख्स को शहादत चाहता है, अदालत का यह काम नहीं है (देखो 11 W R 99, 18 W R 324) जब ऐसा आदमी हाजिर न हो या हाजिर तो हो पर अपने पहिले हाजिर न हो सकने की कोई कानूनी वजह न दिखला सके, तो अदालत को अधिकार होगा कि वह उस पर जुर्माना, जो ५००) रु से अधिक न हो, करदे और उस जुर्माने को उसकी जापदाद की कुर्की या नीलाम से वसूल करे [देखो आर्डर १६ रूल १२]।

रूल ११ में ऐसे मामले के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है जिसमें अदालत को उस शख्स ने यह इतमीनान कर दिया हो कि हुक्म की तामील न कर सकने में उसका कोई खास इरादा ऐसा न कर सकने का नहीं था। रूल १२ उस दशा में लागू होता है जब कि वह इस बात का इतमीनान न दिखला सके कि वह जवाबदेही के लिये हाजिर हो रहा है या नहीं। लेकिन दोनों हालतों में, चाहे चाहे रूल ११ में आती हो या रूल १२ में, अदालत जापदाद बर्क हो जाने के बाद

काररवाई कर सकती है, देगो 31 C L J 363, 57 I C. 302 (C) और 55 I C 425 (C)

अगर मुद्दई या मुदाभलेह को इस बात का भय हो कि जो गवाह उसने पेश किया है और जो पहिली पेशी को हाजिर हो गया है वह बाद में बढाई जाने वाली किसी पेशी के रोज हाजिर न होगा, तो वह अदालत से इस बात की दरखास्त कर सकता है कि दूसरी पेशी पर हाजिर होने के लिए उससे जमानत या मुचलका ले लिया जाय (देखो आर्डर १६, रूल १६) ।

किसी भी गवाह के अदालत न हाजिर होने के लिये उस समय तक हुक्म नही दिया जायगा, जब तक कि वह शफ़स अदालत के अधिकार क्षेत्र की सीमा के भीतर न रहता हो या, अगर उस सीमा के बाहर भी रहता हो तो, ५० मील से कम की दूरी पर या (जहा पर रेलवे, स्टीमर या ऐसी ही कोई दूसरी सवारी हो) २०० मील से कम फासले पर न रहता हो (देखो आर्डर १६, रूल १९) ।

जब किसी मुकद्दमे का कोई फरीक, जो अदालत में हाजिर है, बिना किसी जायज वजह के शहादत देने या किसी ऐसे कागज को पेश करने से, जो उस समय उसके पास मौजूद है, इन्कार करता हो, तो अदालत को अधिकार है कि वह उसके खिलाफ अपना फेसला सुना दे (देगो आर्डर १६ रूल २०) । जो नियम उन गवाहों के सम्बन्ध में लागू होते हैं जो शहादत देने या कागजात पेश करने के लिए तलब किये गए हों, वे ही नियम मुकद्दमे के फरीक के सम्बन्ध में लागू होते हैं (देखो आर्डर १६ रूल २१) ।

पेशी की तारीखों का बढ़ाया जाना—काफ़ी वजह दिखलाने पर अदालत किसी भी समय एक समय से दूसरे समय के लिए मुकद्दमे की पेशी की तारीख बढ़ा सकती है । पेशी बढ़ाने से जो खर्च पैदा होजाय उनके सम्बन्ध में अदालत जैसा उचित समझे नियम बनावेगी । जब शहादत का लिया जाना एक बार शुरू हो जायगा तो वह, जब तक कि अदालत किसी कारणसे, जो लिख दिए जायग, पेशी की तारीखका बढ़ाया जाना जरूरी न समझ ले, हर रोज बराबर जारी रहेगा [देखो आर्डर १७ रूल १] ।

फरीकन या उनके वकीलों को चाहिए कि जब वे मुकद्दमे की तारीख बढ़ाए जाने के लिए दरखास्त दें तो उसमें उन वजहों को दिखलायें जिन पर वे पेशी की तारीख बढ़वाना चाहते हैं । आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अपनी दरखवास्त की ताईद में हलफनामों या किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनरके सारटीफिकेट पेश करने होंगे । मुकद्दमे की तारीख बढ़ाना या न बढ़ाना अदालतकी मर्जी पर है, फरीकन अपनी इच्छा से तारीख नही बढ़वा सकते (देगो 10 I C 748)

“काफ़ी वजह”, क्या है यह बात हर एक मुकद्दमे की हालत पर निर्भर करती है । अदालत को उन खर्चों के सम्बन्ध में पूरा भरपार रहता है जो मुकद्दमे की तारीख बढ़ाये जाने के कारण पैदा हुये हों । यह तारीख बढ़ाने की बात को ना मंजूर कर सकती है, जब तक कि दूसरे फरीक को फौरन ही खर्चा

भदा न कर दिया जाय। वह यह भी कर सकती है कि मुकद्दमें की बढाई हुई तारीख के सम्बन्ध में यह राने लगा दे कि वह उस तारीख के पहिले सूचा भदा कर देने पर ही मुकद्दमे की समाप्त करेगी और अगर सूचा भदा न किया जाय तो वह मुकद्दमा खारिज कर सकती है (देखो 36 C 566, 13 C W N 525; 49 I C 272, 14 C W N 40 n)

जब किसी फरीकने मुकद्दमे की तारीख से केवल दो रोज ही पहिले तलवाना जमा किया हो, तो यह समझा जायगा कि सम्मन उस फरीक की जिम्मेदारी पर हो जारी किया गया है और ऐसी दशा में मुकद्दमेकी पेशी बढाई न जा सकेगी, देखो। Part L J 173

जब मुकद्दमे की बढाई हुई तारीख को दोनों फरीकोंने या उनमें से कोई एक हाजर न होसके या गहादत पेश न कर सके अथवा कोई दूसरा ऐसा काम पूरा न कर सके जिसके लिये तारीख बढाई गई थी, तो अदालत को अख्तयार होगा कि वह आर्डर ९ के साथ पढे गए आर्डर १७ रूल २, ३ के अनुसार कार्रवाई शुरू कर दे।

पेशी बढाये जाने के जिस खर्च के लिये आर्डर १७ रूल १ (२) में यह हुक्म दिया गया है कि उसे अमुक (फल) फरीक भदा करे वह उन कामों से बाहर न खर्च किया जाना चाहिये जिन में खर्च किये जाने का उनका मंशा था अर्थात् दूसरे फरीक के उस खर्च को भरने में खर्च किया जाय जो मुकद्दमे की तारीख बढाये जाने के कारण उसे उठाना पड़ा हो। किसी फरीक या किसी उसके मुख्तार मजाज द्वारा की गई अदायगी या वसूली रकम की बात मुकद्दमे की मिसिल में दर्ज करदी जानी चाहिये (देखो G R & C O Chap VI R 3) जब कि अदालतों को हर एक मुकद्दमे में अपने अख्तयार बर्तने का पूरा पूरा अधिकार है, हाईकोर्ट की राय यह है कि अगर कोई सूचा बात नहीं है तो, और जब जो रुपया दिलाया गया है वह स्विफ थोडा सा ही रुपया है तो, यह उचित है कि जो फरीक मुकद्दमे की तारीख बढाना चाहता है वह अपने मुख्तारिफ फरीक को उन तमाम बातों के लिये मुआविजा देने के लिये तैयार हो जाय, जो उस पेशी के बढाये जाने के कारण पैदा हुई हैं, और यह कि अदालत का इस शर्त पर मुकद्दमे की पेशी बढाना बिल्कुल ही उचित होगा कि रुपया वही भदा कर दिया जाय।

मुकद्दमेकी पेशी और गवाहोंके बयान लिए जाना

मुकद्दमे का आरम्भ और शहादा का पेश किया जाना—जिस तारीख को वाकई मुकद्दमेकी समाप्त शुरू होनेको हो उस तारीखको उस शरूकके चकीलको, जिसे मुकद्दमा शुरू करने का हक है, चाहिए कि वह मुकद्दमे की कार्रवाई शुरू करे, अर्थात् यह कि वह संक्षेप में वे तमाम जरूरी जरूरी बातें बतला दे जिनसे उसकी बिनाय मुझासमत दावा या सफाई, जैसा कुछ हो, पैदा होती है। उसे उस गहा-

द्वेष का भी साराग बतला देना चाहिए जिससे वह अपने दावा की मजबूती करना चाहता है। उसे आरम्भ में कोई भी ऐसी बात न बतलानी चाहिए जिसकी वह समझता हो कि वह साबित नहीं कर सकेगा। चूंकि मुकद्दमे का आरम्भ करने वाले फरीक को इतना लाभ रहता है कि मुकद्दमे की कुल राहादत गुजर जाने पर वह आमतौर पर कुछ मामले के सम्बन्ध में जवाब दे सकता है, इसलिए उसे इस बात की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वह आरम्भ में ही सारी बातें बयान कर दे। उसे अफ़ीर में जवाब देने का जो हक रहता है उससे उसे इस बात का मौका मिल जाता है कि वह अपने विरोधी पक्ष की राहादत कितनी जोर-दार है, इस बात का अनुमान कर सके, और उसे इस बात में मदद देता है कि वह अपने विरोधी पक्ष के मुकद्दमे की कमजोर बातों की ओर अदालत का ध्यान आकृष्ट कर सके।

मुकद्दमा आरम्भ हो जाने के बाद, जिस फरीक ने मुकद्दमा शुरू किया है उसे चाहिए कि वह अपना तमाम सुवृत्त, जचानी हो या कागजी, उन बातों की तार्किक में पेश करे जिनके साबित करने का भार उसके ऊपर है।

दूसरे फरीक को (अर्थात् वह शकस जिसने मुकद्दमा शुरू नहीं किया है) चाहिए कि उसी तरह से अपना मुकद्दमा पेश करे और कुल मुकद्दमे के ऊपर बहस करे।

- इसके बाद मुकद्दमा शुरू करने वाले फरीक को हक है कि वह कुल मुकद्दमे के सम्बन्ध में अपना आखिरी जवाब दे देवे [देखो आर्डर १८, रूल २]

आमतौर पर मुकद्दमे के आरम्भ करने का हक मुद्दई को होता है, मुद्दा भलेह को सिफे उसी दशा में मुकद्दमा शुरू करने का हक है जब उसने मुद्दई के दावा को स्वीकार कर लिया हो और उसका यह कहना हो कि कानूनी बिना पर या किसी दूसरी बिना पर मुद्दई उस दादरसी में किसी भी हिस्से के लिए हकदार नहीं है जिसके लिए वह दायेदार है (देखो आर्डर १८, रूल १)। "आरम्भ करने का हक" का अर्थ है मुकद्दमे के शुरू करने का अधिकार। जो सिद्धान्त इस प्रश्न के सम्बन्ध में लागू होते हैं कि, "आरम्भ करने का हक" जिसे हासिल है या यह किसका कर्तव्य है, उनका प्रयोग बहुत ही कठिन है। पहिला तो नियम यह है कि, जिस राखस के ऊपर मुकद्दमे के सुवृत्त का भार हा बही उस मुकद्दमे को शुरू करे (देखा Tylor on Evidence Vol I P 293) कानून राहादत की १०१ से ११३ तक की दफाएँ चार सुवृत्त के सम्बन्ध में हैं। मुकद्दमे का भार सुवृत्त उस गम्स पर हाता है, जिसका मामला नाकामयाब हो जाने की सम्भचना हो, अगर किसी ओर से कोई भी शहादत न गुजरे (देखो कानून राहादत की दफा १०२) अगर किसी दावा का कोई जुज हो इक्वाल (स्वीकार) किया जाय तो उन दशा में मुकद्दमे का आरम्भ करने का हक नहीं

पेश करे कि प्राह्न्याय (*resjudicata*) के सिद्धान्तानुसार मुकद्दमा आरिज मियाद होगया है, तो मुकद्दमें के आरम्भ करने का हक उसका होगा (देखो 12 B 454)। उस रखने के लिए, जिसका मुकद्दमा जोरदार है और जिसके पास अच्छी शहादत भी है, मुकद्दमें के आरम्भ करने का हक एक और बड़ी भारी और प्रत्यक्ष सहायता है, क्योंकि उस हालत में वह न्यायाधीश (*मजिस्ट्रेट*) के दिमाग में पहिले से अपनी सारी बातें जमा दे सकता है, और अगर शहादत फरीक सानी की ओर से पेश करदी गई, तो इससे उसे जवाब देने का हक मिलता है और इस तरह पर वह अपनी अन्तिम बात उस न्यायाधीश के कानों तक पहुँचा देता है। लेकिन अगर किसी फरीक का मुकद्दमा कमजोर हो, अगर उसके पास बिल्कुल मामूली शहादत है या बिल्कुल कोई शहादत नहीं है, जो वह उसके सुवृत में पेश करे, और वह, अगर मुद्दाभलेह है तो अदालत में इस आशा से जाता है कि शायद मुद्दई का दावा अदम परवी में खारिज हो जाय, या यह कि शायद फरीक सानी का मुकद्दमा अपनी ही कमजोरिये से गिर जाय, या उसे इस बात का विश्वास है कि वह जूरी को समझा लेगा, तो यह सम्भव है कि उसका मुकद्दमें का आरम्भ करना उसके मुकद्दमें के लिए घातक सिद्ध हो।

जब एक से अधिक बातें साबित करने में हों, और उनमें से किसी एक के साबित करने का बार दूसरे फरीक पर हो, तो मुकद्दमा आरम्भ करने वाले फरीक को अधिकार होगा कि वह (क) या तो उन बातों के सम्बन्ध में स्वयं शहादत पेश करे या (ख) दूसरे फरीक की ओर से पेश की जाने वाली शहादत का जवाब देने के लिए उसे रख छोड़े (देखो आर्डर १८, रूल ३)

कभी कभी एक अथवा अधिक बातों के सुवृत करने का भार मुद्दई के ऊपर होता है और बाकियों के सुवृत करने का भार मुद्दाभलेह के ऊपर। ऐसी दशा में मुद्दई को अधिकार है कि वह या तो सारे मामले के ऊपर पहिलेही कार्रवाई कर दे या सिर्फ उतनी ही बातों के सम्बन्ध में सुवृत पेश करे जिनके लिए वह स्वयं बाध्य है, और अपने विरोधी पक्षवाले की बातों का खण्डन करने का अपना अधिकार रख छोड़े, अगर कहीं वह उन बातों के समर्थन में, जिनको साबित करने का भार उसपर है, कोई बात जाहिरा में पेश करना चाहता हो। आमतौर पर यह अखीर में बतलाया हुआ तरीका ही अच्छा दिया जाता है, और अगर इसका अनुकरण किया गया, तो मुद्दाभलेह को मुद्दई की हरणक नई शहादत पर जवाब देने का अधिकार होगा और मुद्दई कुल मुकद्दमें के सम्बन्ध में जवाब देने का हकदार होगा। लेकिन अगर शुरू में मुद्दई मुद्दाभलेह के मुकद्दमें को रद्द करने की गरज से कोई शहादत तलब करना चाहता है, तो उसे जवाब के तौर पर आगे और शहादत पेश करने की इजाजत न दी जायेगी। दूसरे शब्दों में, वह अपने मुकद्दमें की सारी बातें फिर खोलकर उनका प्रकटीकरण नहीं कर सकता, क्योंकि अगर किसी मुद्दई को ऐसा अधिकार दे

दिया जाय, तो सम्भव है कि मुद्दाभलेद भी इसके लिये दावा करे, जिसका नतीजा यह हो कि मुकद्दमे की सारी कार्यवाही किसी अनिश्चित समय तक के लिए स्थगित हो जाय (देखो Taylor on Evidence 10th Ed Vol I. p 298)

गवाहों के बयान लिख जाना—मुकद्दमा शुरू हो जाने के बाद फरीकैन अपने अपने गवाह तलब करेंगे और खुली अदालत में उनके जवानी बयान लिख जायगे [देखो आर्डर १८, रूल ४]

यह अदालत का काम नहीं है कि वह तय करे कि किन किन गवाहों के बयान लिख जाने चाहिए। फरीकैन को चाहिए कि वे अपने अपने गवाहों का चुनाव स्वयं करें और अदालत से सिर्फ उन लोगों के बयान लेने की दरखास्त करे जिन्हें वे इस काम के लिए पेश करें। हर एक फरीक को अपेक्षा है कि वह मुकद्दमे के बक्त बयान लिख जाने के लिए गवाहों को तैयार रखे, देखो 6 W R 231, 13 W R 185, 8 W R 364, 8 W R 505, 17 W R 172, 9 B 146 किसीका नाम गवाहोंकी उस फेहरिस्तिमें नहीं लिखा गया था जो अदालत में पेश की गई थी, इस बात की कोई वजह नहीं है कि उसका बयान बाद में क्यों न लिया जाये, देखो 12 W R 455 इसके लिए साधारणत नियम यह है कि उसके बयान लेने के लिए एक दरखास्त दी जाय।

खुली अदालत में बयान लिख जाने के उददे गवाहों के बयान "कमीशन" के लिये भी लिख जा सकते हैं और किसी भी अदालत को अधिकार है कि वह किसी भी मुकद्दमे में किसी ऐसे शख्स के बयान लेने के लिए "कमीशन" जारी कर दे जो उसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर रहता है और जो इस जायता के अनुसार अदालत में हाजिर होने से मुस्तसना कर दिया गया है या जो बीमारी या क्रमजोरी की वजह से अदालत में हाजिर हो सफने के फाविल नहीं है, (देखो आर्डर २६, रूल १) किन किन लोगों के बयान लेने के लिए, कमीशन जारी किया जा सकता है, इस सम्बन्ध में देखो आर्डर २६, रूल ४ और ५

गवाहों के पेश किए जाने और बयान लिख जाने का हुकम—उस कानून के अनुसार दिया जायगा जो क्रमग जायता दीधानों और फौजदारी के सम्बन्ध में उस समय प्रचलित हो, और अगर ऐसा कोई कानून न हो तो अदालत की मर्जी से (देखो कानून राहादतगी टफ। १३५)। साधारणतया यह बात वकील की इन्डा पर निर्भर है कि वह अपने गवाहों के बयान लिख जाने के क्रम को निश्चित कर दे, लेकिन कानून राहादत की दफा १-५ के अनुसार अदालत को अधिकार है कि वह उस क्रम को निश्चित कर दे जिस क्रम में किसी फरीक के गवाहों के बयान लिख जाने चाहिए, देखो 10 C W N 265, 37 Cal 245

अदालत से बाहर चले जाने की आज्ञा—अदालत अपनी इच्छा से या किसी फरीक के हुक्म देने पर तमाम गवाहों को, सिवाय उस शख्स के जिसका बयान लिया जा रहा है, अदालत से बाहर चले जाने का हुक्म दे सकती है। कहा जाता है कि यह नियम अदालत में उपस्थित फरीकैन या मुकद्दमे में लगे हुए घकीलों के सम्बन्ध में लागू नहीं होता। जो गवाह इस हुक्म को न मानेगा, उसके बारे में यह समझा जायगा कि उसने अदालत की तीहीन फी, लेकिन इस विना के ऊपर जज उसके बयान लेने से इन्कार नहीं कर सकता, यद्यपि जूरी के सामने इसपर यह रिमार्क दिया जा सकता है, देखो *Best on Evidence sec 686*

हलफ और इकरार—कानून हलफ (*Oaths Act*) (न० १० सन् १८७३ ई०) की दफा ६ में यह खासतौर पर बतला दिया गया है कि कोई भी शख्स बर्हिस्वियत गवाह के किसी बात की तस्दीक नहीं कर सकता, सिवाय हलफ या इकरार सालेह के ऊपर, देखो 10 All 207; 11 All 183

हलफ या इकरार सालेह के सम्बन्ध में हाईकोर्ट ने जो फार्म सुकरर किया है, उसके सम्बन्ध में देखो *G. R. & C O. Ch I P 61*

कौन से गवाह काबिल शहादत लिए जानेके हैं और कौनसे नहीं, इसके लिए देखो कानून शहादत की दफा ११८। गवाहों को शुप्त पत्र व्यवहार व्यापारिक पत्र-व्यवहार, कागजात वगैरा दिखलाने के सम्बन्ध में क्या अधिकार है इस सम्बन्ध में देखो *M C Sarhar's Evidence Act, 2nd Ed SS 122-132 (pp 1012—1139)*

गवाहों की हाजिरी का रकना—(१) फरीकैन को नाजिर के पास उन गवाहों की एक फेहरिस्त (जो आमतौर पर अदालत की भाषा में “हाजिरा” कहलाती है) दाखिल करनी होगी जो उनकी ओर से शहादत देने के लिए हाजिर हैं। नाजिर या नायब-नाजिर उन फेहरिस्तों की तस्दीक कर लेने और उनपर अपने दस्तखत कर देने के बाद उन्हें उस अदालत के बेञ्च बलक के पास भेज देगा जिसकी इजलास में मुकद्दमा हो रहा है। अदालत के मिजाइडिंग अफसर गवाहों की इन फेहरिस्तों के दाखिल करने के लिए कोई न कोई समय नियत कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जहा पर एक से अधिक इजलासों हों, वहा पर सीनियर अफसर ही यह बक्त सुकरर करेगा।

(२) अगर कोई नया आदमी, जिम्का नाम उस फेहरिस्त में नहीं है जो नाजिर ने अदालत के पास भेजी है, शहादत में पेश किया जाय, तो केवल इस कारण से कि उसका नाम फेहरिस्त में नहीं है, वह शहादत देने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन किसी शख्स को उसकी उस दिन की हाजिरी का खर्चा न दिलाया जायगा, जिसका न तो उस फेहरिस्त में नाम है और न दाखिल उसके बयान लिए गए हैं।

उपरोक्त नियम से गवाहों की इस जम्मेदारी पर कोई असर नहीं पड़ता कि, उन्हें हर रोज अदालत में उस समय हाजिर रहना चाहिए जिस समय के लिए वे तलब किए गये हैं (देखो G R & C O Chap I Rule 5)

शहादत लिखने का तरीका—देखो आर्डर १८ के रूल ५ से १४ तक। अदालत को अधिकार है कि वह अपनी मर्जी से या दरखवास्त देने पर, अगर कोई खास कारण हो तो, किसी खास सवाल और जवाब या किसी उज्रदारी को लिए ले (देखो रूल १०)। जब किसी ऐसे सवालपर जो पूछा गया है कोई पतराज किया गया हो और अदालत ने उसके पूछे जाने की इजाजत दे दी हो, तो वह उस सवाल को, उसका जवाब, उस उज्र (पतराज) और उस शख्स के नाम को लिख लेगी जिसने वह उज्र किया है, मय उस फैसले के जो अदालत ने उस पर दिया है (देखो रूल ११)। गवाहों आचरण और ढंग के सम्बन्ध में अदालत जैसे आवश्यक समझे रिमार्क लिख सकती है (देखो रूल १२)। दूसरे जजके सामने ली गई शहादत के ऊपर विचार करने सम्बन्धी अधिकारके बारे में देखो रूल १५। उसकी भाषणदा वक्त के खयाल से किसी शहादत के लेने (do bon esse examination) के सम्बन्ध में देखो रूल १६। गवाहों के फिर तलब किये जाने के सम्बन्ध में देखो रूल १७।

कागजी शहादत—जो कागजात गवाहों द्वारा साबित किये जाने को हैं और जो उनके ध्यान के दौरान में सुनूत हो गये हैं, उन पर उसी क्रम से इन्डिजिट नम्बर डाल दिया जाता है जिस क्रम से वे पेश किये गये हैं। वकील को चाहिये कि अपने गवाहोंके ध्यान खतम हो जाने के बाद, तमाम ऐसे कागजात पेश करदे जिन्हें वह अपने मुकद्दमे के सुनूत में पेश करना चाहता है और जो बिना किसी सुनूत के कानून शहादत हिन्दू या किसी दूसरे कानूनके अनुसार क्रायिल तस्लीम हैं। उदाहरणार्थ, खेवट, डिक्लरियोंकी तस्दीक शुद्ध नकले इत्यादि, ३० (तीस) साल पुराने कागजात इत्यादि इत्यादि। हर एक ऐसा कागज, जो शहादतमें सुनूत कर लिया गया है, या उसकी नकल, जब कि आर्डर १३ रूल ५ के अनुसार असल के पत्राप उसकी एक नकल ही नकली कर दी गई हो, उस मुकद्दमे की मिसिल में शामिल कर दिया जायगा। जो कागजात शहादत में लिए नहीं गये हैं, वे मिसिल में शामिल नहीं किये जायगे और उन उन लोगों को वापस कर दिये जायगे जिन जिन लोगों ने उन्हें पेश किया है (देखो आर्डर १३ रूल ७)। वकीलों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो कागजात जज ने खारिज (नामजूर) कर दिए हैं उनकी पुस्त (पीठ) के ऊपर उसने आर्डर १३ रूल ६ में बतलाए अनुसार सब बातें लिख दी हैं यानही, ताकि इस पेश किए जाने और खारिज किये जानेकी बातका उल्लेख अदालत अपीलमें किया जा सके। भूमन् इस आशय की एक दरखवास्त दे दी जाती है कि कागजात पेश किए गए हैं। किसी कागज के क्रायिल तस्लीम होनेके सम्बन्ध में किया जाने वाला कोई भी उज्र उस समय सुनूत किया जा सकता है जिस समय मुखालिफ फरीक ने उसे पेश किया हो (देखो O C W N 111), मातहत अदालत द्वारा कागजों और अस्तावेजों का

लिया जाना, जब तक कि उसी समय पर उच्चदारी पेश न करदी गई हो, पास अपील के बिना नहीं हो सकती (देखो 11 W R 165, 36 C 833. P C) । किसी कागज की किसी ऐसी नकल के फाइल तस्लीम होने के सम्बन्ध में कोई भी उच्चदारी अदालत अपील में कुचल न की जायगी जो नीचे की अदालत में बिना किसी उच्चके ले ली गई थी (देखो 9 C 666, 670, 31 C 155, 158, 19 A 76 P C 23 C 335 338, 8 C W N 101) । गलती से किसी ऐसी शहादतके ऊपर उच्च न करने से जो कि कानून शहादतके अनुसार नाफाइल तस्लीम है, वह शहादत फाइल तस्लीम नहीं हो जाती, देखो 19 A 76 P C, 40 C L J 39, 34 C L J 107, 35 C L J 473) । कोई भी सुर्द, जो किसी कागज को दाखिल कर रहा हो, उसके नाफाइल तस्लीम होने की निश्चय कोई उच्च नहीं कर सकता (देखो 24 Mad 427) । अगर किसी कागज के पेश करते समय ही, जिस के सूचत की जरूरत है, अदालत फरीकसानी से यह दर्याफत कर लिया करे कि वह उसे बिना बाजायता सूचत के कुचल करेगा अथवा नहीं तो बहुत कुछ दिक्कत दूर हो सकती है, देखो 15 W. R 490

कानून शहादत की दफा ६५ के अनुसार कागजात शहादत मनकूली में पेश किए जा सकते हैं, अगर वे कानून शहादत की दफा ६६ के अनुसार पेश किए जानेके लिए दी गई नोटिसके बाद भी पेश न किये जाय ।

जो शहादत किसी कमीशन के जरिये ली गई हो, वह उस शर्त की ओर से दी गई शहादत की तरह पर पेश की और पढ़ी जायगी जिसकी ओर से वह ली गई थी (देखो 30 Cal 999, 7 C W N 784, 9 C W N 794) दूसरे बहुत से मुकद्दमों में यह तै किया गया है कि जो शहादत न तो पेश की गई है और न पढ़ी गई है वह उस मामले में दी गई शहादत समझी जानी चाहिये (देखो 26 C 591, 35 C 28, 15 C W N 525)

कागजात साबित करने के तरीके के सम्बन्ध में देखो कानून शहादत की दफा ६१ से ७८ तक ।

वहस और नज़रोंका पेश किया जाना

वहस—फरीकैनके अपने अपने सूचत और सफाई खतम कर चुकनेके बाद और कुल शहादत—जवानी और कागजी—गुजर जानेके बाद, उनके दकीलोंको चाहिए किये जायता दीवानीके भांडर १८, रूल २ में बतलाये क्रमानुसार अदालत को सम्बोधन करें। यह कहना बिल्कुल व्यर्थ है कि मुकद्दमोंके दौरानमें अदालत को सम्बोधन करते समय दकीलको बहुत ही शिष्टता और विनम्रतासे काम लेना चाहिये। यह बात अवश्य है कि किसी भी समय उसे आपे से बाहर न होना चाहिये। अगर कोई बात ऐसी है जिसका विरोध करना है, तो उसे उसका विरोध दृढ़ता पर नम्रताके साथ करना चाहिये। यह भाव मुकद्दमोंके आरम्भसे अन्त तक

पना रचना चाहिये, चाहे वह ग्राहकों के घबराहट के समय हो या बदलतको सम्बोधन करते समय। देखो की नजरों हमेशा प्रमाण मान ली जाती है। अच्छे दफ्तर के लिये यह आवश्यक है कि उसका मिजाज बहुत ही शांत और बिगड़ उठने वाला न हो। उसे चाहिये कि वह बदलतको सम्बोधन करते समय हमेशा शिष्ट भाषा का व्यवहार करे। उसके बात करनेका ढंग भी बहुत ही शिष्टता पूर्ण, सभ्य और शांत होना चाहिये। उसे इस बातका विरोध भ्रान रचना चाहिये कि वह बदलत शब्दोंका प्रयोग करके या अनुचित रीतिसे व्यवहार करके बदलतमें बैठे हुए न्यायाधीश (जज) को रुष्ट या अपसन्न न कर दे। अगर उसे यह मालूम हो जाय कि बदलत उसकी बातोंसे सहमत नहीं है या किसी विषयपर उसने तर्कों माननेके लिये तैयार नहीं है, तो उसे बिगड़ न उठना चाहिये या ऐसी कोई बात कह या कर न देना चाहिये जो बदलतका अपमान करने वाली समझी जाय। ऐसी दशाभिमं उसे बड़े ही धैर्य और आत्म-सख्यसे काम लेना चाहिये और बदलतको, जहां तक स्पष्ट हो सके, अपने तर्कसे अपनी बातोंकी सत्यता समझानेकी कोशिश करनी चाहिये।

ऐसी बहस करने के लिये, जिसका कि कुछ प्रभाव पड़ सके, यह भाव रखे कि दफ्तरको मुकद्दमेंके हालात की पूरी पूरी वास्तविकता (जानकारी) हो और उसे उसमें लागू होने वाले कानूनके सिद्धान्तोंका भी पूरा पूरा ज्ञान हो। अगर उसने अपने मुकद्दमेंके हर एक पहलूको अच्छी तरहसे समझ लिया है और अच्छी तरह से तैयार होकर बदलतमें भाषा है तो उसे अपने मुकद्दमेंके साबित करने में कोई भी कठिनाई न होगी और वह उसे ऐसी अच्छी तरह साबित कर सकेगा जैसे कोई रसायनशास्त्री किसी साध्य(शकल)को सिद्ध करता है। यह बात अक्सर देखने में आई है कि जब मुद्दई या मुद्दाभलेहका घकील बदलतको कुछ समझाता जाता है तो उसका विरोधी हर बार उसकी बातमें बाधा डालनेकी कोशिश करता है। इसकी निजतनी ही निन्दा की जाय थोड़ी है। हर एक फरीक को अपनी अपनी बात कहनेका मौका मिलता है और इसलिये जिस समय एक शकल मामलेमें बहस कर रहा हो उस समय दूसरे शकलको कोई बात कहने या टीका टिप्पणी करनेका मौका नहीं दिया जाना चाहिए। इससे जजको भी गुस्सा मान्द्रूम होता है, जो बात कही जा रही है उसका भी हसिलिहला बिगड़ जाता है, विरोधी पक्ष वाले को भी बुरा लगता है और व्यर्थमें समय भी नष्ट होता है। इस प्रकार बीच में बाधा देना उस समय उचित समझा जायगा जिस समय कोई गलत बात कह कर या मामले को तोड़-मरोड़ कर जज को धोखा देने की कोशिश की जा रही हो या जब घकील किही ऐसी बातों का हवाला दे रहा हो जिन्का इन्दाज उस मुकद्दमें की मिलिल में नहीं है।

जब अमूर तनकूह तैयार हो जाय, तो पहिले उनके ऊपर कार्रवाई करनी शुरू करनी चाहिए जिनके ऊपर ज्यादा जोर देने की जरूरत है और वहीं के ऊपर एक एक करके बहस शुरू करनी चाहिये। जिन अमूर तनकीइका एक दूसरे

के साथ सम्बन्ध है, उन पर एकही साथ में विचार करना चाहिये। प्रारम्भिक अदालत के सामने मुकद्दमे में बहस करते समय यह भावश्यक नहीं है कि कुछ शहादत पढ़कर सुनाई जाय क्योंकि जज के दाय की लिखी होने के कारण वह उसे कुरीब कुरीब याद रहती है। शहादत के तर्क उसी हिस्से की ओर अदालत का ध्यान आकृष्ट करना काफी होगा जो उसके मुकद्दमे का समर्थन या विरोधी पक्ष वाले का खण्डन करता है। जो बातें सन्देह युक्त या अस्पष्ट होने के कारण उसके विरुद्ध में जा रही हों, उनको वही पर होशियारी के साथ स्पृष्टीकरण कर देना चाहिये, ताकि उनका वास्तविक भाव ठीक तौर से समझ में आजाय।

जिन बातों पर आप विशेष जोर देना चाहते हैं, उनकी एक याददाश्त या नोट रख लेना अच्छा होगा, ताकि जिन बातों को आप बहस करते समय अदालत के दिमागमें भर देना चाहते हैं वे छूट न जाय। इनमें उन बातोंको तो जरूर और ख़ास तौरपर नोट कर लेना चाहिये जिनपर आप ख़ास जोर देना चाहते हैं, ताकि कोई ऐसी बात छूट न जाय। आपको यह याददाश्त या नोट अपने सामने रखना चाहिये जिससे जिसी ख़ास बात के ऊपर टीका टिप्पणी करना आप भूल न जाय। स्मरणशक्ति अक्सर धोखा दे जाया करती है और इसलिये जब तक इस तरह याददाश्त ताजा बनाए रखने के लिए यह सपाय काममें न लाया जायगा पच्चीस और बड़े मुकद्दमों में कुछ बातें छूट जानेकी पूरी सम्भावना रहती है। जब आप को अपने विरोधी पक्ष की बातों का जवाब देना हो और अन्त में मामले में बहस करना हो, तो आपको चाहिये कि आप अपने विरोधी की बातें बड़े ध्यान पूर्वक सुनें और उन बातों को नोट करते जाय जिनका खण्डन करने की जरूरत है और उस नोट में एक हेडिंग कायम करते जाय तथा उनमें कोई ऐसा निशान बनाते जाय जिससे आपकी निगाह पढ़ते ही वह जरूरी बात फौरन् समझमें या स्मरणमें आ जाय मुद्दाअलेहके मामलेमें बड़ी होशियारीके साथ काम करने की जरूरत होती है। विरोधी पक्ष वाले की कमजोर बातों को खतम कर चुकने और जोरदार बातों का बड़ी सतर्कता के साथ खण्डन कर चुकने के पदचात मुद्दाअलेह का मुकद्दमा सफाई के साथ एक क्रम में पेश किया जाना चाहिये मुकद्दमे की ऐसी बातों की ओर भी जिनके होने की सम्भावना है, तथा उससे सम्बन्ध रखने वाली परिस्थिति की ओर भी, अदालत का ध्यान दिला देना चाहिये। चूंकि आम कायदा यह है कि मुद्दों को जवाब देने का हक रहता है, इस लिये आप के विरुद्ध जो जो बातें कही जानेकी हैं उनका आप पहिलेसे ही अनुमान कर लें। इसी के साथ साथ जो बातें जोरदार हों वे जज को खूब अच्छी तरह समझा दी जानी चाहिये।

बहस में जो कुछ भी बातें कही जाय, वे सफ़्त हों, माकूल हों, साबित कर देने वाली और थोड़ी हों और यद्यपि इसमें कोई सन्देह नहीं कि वस्तुत्वशक्ति परमोपयोगी है तथापि यह उचित नहीं कि कोई व्यक्ति केवल अपनी वक्तृत्व शक्ति

का परिचय देने के लिए ही एम्प्री चौकी बहस शुरू कर दे। घमट्टव शक्ति से ही कोई सफल कानून जानने वाला नहीं हो जाता। उसे अपने व्यवसाय की कला का पूर्ण ज्ञान रखने की परमावश्यकता है। वह सब उन्हीं बातों के आधार पर होनी चाहिये जो साबित हो गई हैं और स्वीकार कर ली गई हैं और जिनका इन्दराज मिश्रिल में हो चुका है। मुकद्दमे की जरूरी जरूरी बात पहिले लेना चाहिये और इसके बाद छोटी छोटी बातों को ताकि अदालत बातें सुनते सुनते अधीर न हो उठे। अगर अदालत के सामने सिर्फ वही बातें पेश की जायें जिनसे उसके मुकद्दमें का समर्थन और विपक्षीकी बातोंका खण्डन होता है, तो भी काफी होगा सारहीन, टिक न सकने वाली बातोंके ऊपर बहस न करना एक बड़ा अच्छा सुर है। यह बात हमेशा स्मरण रखिये कि बहुत सी सन्देहयुक्त, भ्रमपूर्ण बातों की अपेक्षा एक बात कही अच्छी है, यदि वह अच्छी और सारपूर्ण है। जो बातें अपने विरुद्ध जा रही हों, उनका कौरन स्पष्टी कारण कर देना चाहिये ताकि उनकी वास्तविकता (असलियत) प्रकट हो जाय। लेकिन बहस करने के पहिले आपको इस बात का देर लेना चाहिये कि आप की कौनसी बात सब से ज्यादा कमजोर है।

सबसे बड़ी जरूरी बात है बात का ठीक ठीक ढंग और क्रम से रखना। आपको मुकद्दमे की वे तमाम बातें समझ लेनी चाहिये जो जांच के वक्त बतलाई गई हों। जब तक कि आप को मुकद्दमे के वाक्यात और उससे सम्बन्ध रखने वाली कानून अच्छी तरह से मालूम न होंगे, आपको उस समय बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ेगा जिस समय जब किसी खास विषय के सम्बन्ध में आप से कोई बात पूछेगा या किसी खास सवाल की निश्चय आप से जवाब तलब करेगा। उम्र तनकीद और उसे शहादत को, जिसके आधार पर वह तैयार किया गया है, अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। वाक्यात को बाकायदा साफ साफ और क्रमानुसार बयान करना अभ्यासके ऊपर निर्भर करता है, जिसका अभ्यास करना उन लोगों के लिए परमावश्यक है, जो ऐसा करने के अभ्यस्त (भादी) नहीं हैं। जहां वही किसी घटना या कामजात की तारीखों की आवश्यकता हो, तो उन्हें एक ऐतिहासिक क्रमानुसार दिखलाना चाहिये, ताकि उन्हें नोट करके तजवाज मुकद्दमा तैयार करते समय जब उनको चेक कर सकें। उन बातों को बड़ी सावधानीके साथ बचा देना चाहिये जो असंगत हों। अच्छे कानून-दा की चतुरता इसा में है कि वह अपने मुकद्दमे की जोदरार बातों को चुन ले और जितनी जल्दी ही सके तज को वे बातें समझा दे।

वकील को चाहिये वह किसी भी हालत में उन बातों के बाहर कोई बात न करे जिनका इन्दराज मिश्रिल में हो गया है या अदालत को कोई भी ऐसी बात न समझावे जो उसमें (मिश्रिल में) पाई न जावे। किसी मामले में बहस करते समय उसे हमेशा सच्ची और न्याय पूर्ण बात ही कहनी चाहिये, कभी भी वह अदालतसे कोई ऐसी बात न छिपावे जिसका जानना अदालत के लिये उस मुकद्दमे का सदी फैसला करने की गरज से जरूरी है। उसे यह अधिकार है कि

वह किसी बात का अपना भिन्न अर्थ लगावे, किन्तु उसे कभी भी कोई बात गलत बयान करने या अदालत को धोखा देने के लिये नहीं करनी चाहिये। अगर कोई तर्क विरुद्ध बहसका जायगी या कोई ऐसी बात कही जायगी जो राहादतसे साबित नहीं होती है, तो जज या उसका विपक्षी उन बातों को चेक करके उनका परिणाम आपके विरुद्ध लगा सकता है। तबालत बढ़जाने के अलावा इससे हाकिम अदालत के ऊपर भी बुरा असर पड़ेगा, जिसका परिणाम केवल यही न होगा कि उस मुकद्दमें में सफलता की आशा बहुत कुछ कम होजाय बल्कि इससे उस वकील के नाम को भी बहुत बड़ा धक्का पहुँचेगा। जज का उसपर से विश्वास उठजायगा जिससे मुकद्दमें में कामयाबी या नामवरी कोई भी हासिल नहीं हो सकती।

लार्ड गशर एम०आर० ने एक बड़ेही प्रसिद्ध मुकद्दमें में कहा था:—“वकील की स्थिति बड़ी ही नाजुक है। उसे वह सब बातें नहीं कह देना चाहिये जो वह जानता है, वह इन बातोंका जवाब देने के लिये नहीं आता है, जिन बातोंके ऊपर वह विचार कर रहा है वे सही हैं अथवा गलत। उसे चाहिये कि वह सिर्फ, जहाँ तक अच्छी तरहसे वह बहस कर सके, अपने मामलेमें बहस करे और कोई भी बात ऐसी न कहे जिसका कहना उसके लिये उचित नहीं है, ताकि अपने मवकिलके लिये वह जिस बातको चाहता है उसे वह हासिल कर सके। अगर गमांगमें बहसके दौरानमें उससे यह पूछ दिया जाय कि, जो बात आप कहते हैं वह सही है अथवा गलत, यह कि जो कुछ भी आप कहते हैं वह सही है अथवा अलगत, तो उस समय उसका दिमाग इस कदर उलझनमें पड़ जायगा कि वह उस कामको न कर सकेगा जिसके लिये वह बुलाया गया है। वह मामलेमें अदालतसे रक्षा चाहता है। अगर कानूनका कूल विपरीत है, तो बेचारे निर्दोष वकीलको व्यर्थके लिये हरान होना पड़ेगा और इसलिये अच्छा ही कि कानूनका कूल इतना विस्तृत और उड़ा बनाया जाय कि नये वकीलोंको कभी दिक्कत न उठानी पड़े, यद्यपि उसको इतना उड़ा बनानेसे उसमें वे वकील भी आ जाते हैं जो अदावत और खराब चाल चलनके अपराधी सिद्ध हुये हैं।”

प्रमाणोंका पेश किया जागा—प्रमाण (नजीरों) के पेश करने में वकीलोंको बहुत बड़ी सावधानी रखनी चाहिये। उन्हें चाहियेकि वे सिर्फ वेही नजीरि पेश करें जो साफ तौरसे उनके पक्षमें हों। आम तौरपर ऐसा देखा जाता है कि वकील लोग किसी बातके समर्थनमें पेश की जाने वाली नजीरोंको सिर्फ मुकद्दमों के हेड-नोटों देखकर ही चुन लेते हैं जैसे कि वे भिन्न भिन्न डाइजेस्टों, लॉ रिपोर्टों और कानूनकी किताबों या उनके सटीक सस्करणोंमें दिये हुये होते हैं। ऐसा कभी भी न करना चाहिये, क्योंकि इन हेड नोटोंसे अन्तर लोगोको धोखा होजाता है और उनपर पूरा पूरा भरोसा करने से इस बातका भय रहता है कि वे कहीं ऐसी नजीरि न पेश कर जाय जिनमें बहुत कम ऐसी बातें हैं जो उसके मामलेका समर्थन करती हैं या जो उसे सही रूपसे बतलाती हैं। यह विरुद्ध सिद्ध होती हो। सबसे उत्तम ढंग यह होगा कि पहिले

दी हैं, देगटर कुल नजीरें चुन ली जाय और उसके बाद लॉ रिपोर्टमें दी हुई उन मुकद्दमोंकी पूरी रिपोर्टें ध्यान पूर्वक पढ़ ली जाय। रिपोर्टमें जिन मुकद्दमोंकी रिपोर्टें छपी हैं उनके चाकूयातको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिये, क्योंकि मुकद्दमोंके चाकूयात ही से फैसलेमें अन्तर पड़ जाता है।

महाराजी घनाम लेथम 1901 A. C 495; 506, में कही हुई लार्ड हाइस-बरीकी बातोंका ध्यान रखना बहुत जरूरी है—“एक ही प्रकारकी दो बातें हैं जिन्हें मैं कहना चाहता हूँ—एक यह, कि हर एक फैसला उन्हीं बातोंके सम्बन्ध में लागू समझना चाहिये जो साबित होगई हैं या साबित हुईं मान ली गईं हैं क्योंकि जो जो बातें उसमें बतलाई जाती हैं वे पूरे कानूनका प्रकटीकरण नहीं हैं, बल्कि वे केवल उन्हीं बातोंके सम्बन्धमें लागू होती हैं जिनके बारेमें वे कही गईं हैं। दूसरी यह कि कोई मुकद्दमा उन्हीं बातोंके सम्बन्धमें नजीर माना जासकता है जिन्हें उसमें तय किया गया है। मैं इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करता कि यहा उन बातोंके सम्बन्धमें भी नजीर माना जायगा जो उससे सिद्ध होती हैं।”

रिपोर्ट में वकील की बहस भी पढ़ लेनी चाहिये, क्योंकि कुछ हालतों में फैसलों का निश्चय उस बहस के सम्बन्ध से किया जाता है जो पैदा हुए प्रश्नों के सम्बन्ध में की गईं हैं। किसी मुकद्दमों के सम्बन्ध में किसी जज की इजहार राय को उस समय तक प्रमाण न मान लेना चाहिये जब तक कि वह बिल्कुल ठीक लागू न होती हो। अथवा रिपोर्ट को गौर के साथ पढ़ लेने से मुकद्दमा साफ़ तौर से देखकी समझ में आ जायगा, जिससे उसको इस निर्णय करने में कोई कठिनाई न होगी कि उस प्रमाण (नजीर) को पेश करने से मेरे मचिकल का मुकद्दमा जोखदार हो जायगा या नहीं।

ऐसी नजीरें पेश नहीं करनी चाहिये जिं हे मिथी कौंसिल ने रद्द या खारिज कर दिया है या जो कानून बदल जाने से रद्द या रद्द हो गईं हैं। जब किसी रिषय के ऊपर कई भिन्न भिन्न नजीरें हों, तो इस बातको तय करने में, कि वह इस मामले में लागू होती है या नहीं, उन प्रमाणों में कौनसी प्रधान है, इस बात का ध्यान रखना चाहिये। जब कोई मुकद्दमा विपरीत फैसल हुआ हो, तो उनमें से सबसे हाल वाली नजीर या ऐसी नजीर पेश की जानी चाहिये जिसका दूसरी हाईकोर्टें समर्थन करती हैं। जब किसी फैसले के सम्बन्ध में सभी हाईकोर्टों का मत एक न हो, तो वकील को उन हाईकोर्टोंकी नजीर पेश करना चाहिये जिन हाईकोर्टों के मतहत वह अदावत है जिसमें वह मुकद्दमा चल रहा है, क्योंकि हर एक जज उस हाईकोर्ट का फैसला मानने के लिए बाध्य है जिसके कि वह मतहत है (देखो 10 C 82 P 85, 13 C L R 256, 15 B 410; 17 B 355 और 25 C 488, 1 C W N 172)

जिस फैसले की रिपोर्ट नहीं निकली है, वह भी एक ऐसी नजीर माना जायगा जिसको मानने के लिए अदालत बाध्य है (देखो 28 Cal 289, 5 C

W N 326 Contra J C W N 732). इण्डियन लॉ रिपोर्ट्स। पृष्ठ नं० ३७ सन् १९७५ ई० की दफा ३। किसी जज को किसी प्राइवेट रिपोर्ट में दी हुई किसी नजीर का मानने से मना नहीं करती। उसमें सिर्फ़ यही बतलाया गया है कि जज उस नजीर को मानने के लिए बाध्य नहीं है जो इण्डियन लॉ रिपोर्ट्स में नहीं निरूली है। जज को यह अधिकार है कि वह किसी रिपोर्ट में न आई हुई हार्डगेट नजीर को न माने या उसपर दूसरी नजीर को तर्जिह दे, लेकिन वह उसे ख़ी नहीं समझ सकता (देखो C. W N) किसी फ़ुलबेच का फैसला मानने के लिए तमाम द्विविजन कोर्टस बाध्य है, जब तक कि वह किसी स्पेशल बेंच का न हो या जबतक कि प्रिवी कौंसिल इसके विपरीत अपना कोई फैसला न दे दे, (देखो 5 C L J 42)

अगर जज को वकील की बहस का नोट मिल जाय, तो वह नोट किसी तरफ़ का वकील, बिना दूसरी तरफ़ के वकील के सामने पढ़िले पेश किए, जज के सामने पेश नहीं कर सकता (देखो 37 C. L. J 42)

नोट—लोग कहते हैं कि अच्छे वकील मुकदमा जीन दिया करते हैं। भाव्यो यह बात आप ध्यान से निकाल दें। मेरी समझ में यह बात इस प्रकार है कि अच्छा मुकदमा अच्छे वकील के हाथों देने से ख़राब होते भी आसानी बहुत कम होती है और अच्छा मुकदमा ख़राब वकील के हाथों देने से ख़राब हो जान भी आसानी ज्यादा रहती है। तमकबेकार वकील को चाहिये कि वह बहस करते समय अगर यह देखले कि उसके विरुद्ध पक्ष का वकील बेतकबेकार और नया है तो यदि वह मुद्दई का वकील है या उसे पहले बहस करने की इजाजत जज ने दी है ता मुकदमों के वाकियात कानूनी और शहदत को हम टग से सगेप में पेश करे कि बातोंको तो निर्देश कर जाय पर विस्तार न करे क्योंकि उसे जवाब देने का माया मिलेगा। निपटारी वकील अपने कम तमकबे के कारण उन बातों पर ज्यादा जोर न देगा जिनपर उसे शिंकास है जो पहली बहस में सशेष की गयी हैं वह समझेगा कि पहली बहसमें इस लिये वकील ने जोर नहीं दिया कि वह बातें उसके ध्यानमें कमजोर हैं। जब मौका जवाब का मिले तो उन बातों को जो नयी प्रजाशिन की गयी हैं या नये तरहसे उसके अर्थ किये गये हैं या अन्य कोई बात ध्यान याद रखना चाहिये कि अगर विपक्षी ने आपके सशेष का जवाब ही न दिया तो भारी मुश्किल पैदा होगा दुवाग उसे खोल, न मकेगा। उधी तर्कणा से काम लेना उचित है।

अगर जज ने पहले ही से खिलाफ़ राय कायम करली है चाहे वह किसी कारण हो और वह जज के कानूनी फैसला करने पर तुला हुआ है तो वकील को चाहिये कि बहुत ही कम बहस करे या वाकियात जाहिर करके अर्जी दे दे कि मैं इसमें बहस करना वृथा समझता हूँ जब कि जज ने पहले से खिलाफ़ राय कायम करली है।

फैसला—डिकरियां—खर्चा

फैसला—मुकदमे की समाप्त हो जाने के बाद फौरन् या बाद को किसी दिन जिसकी बाकायदा नोटिस फरीकन या उनके वकीलों को दे दी जायगी, सुली

अदालत में सुकृद्मि का फैसला सुना दिया जायगा [देवो भांडर २० क्रम १], फैसला सुना देने के बाद जज, उसपर तारीख डाल कर अपने हस्ताक्षर कर देगा और इसके बाद सिवाय जायता दीवानी की १५२ में बतलाए अनुसार या निगरानीमें उसमें किसी तरहकी कोई रद-बदल या इजाफा (परिवर्तन या परिवर्धन) न किया जा सकेगा [देवो भांडर २०, क्रम ३] ।

अगर किसी फैसला, डिकरी या हुकम में लिखने अथवा अर्कामे कोई गलती होजाय या किसी तरह गलत कलम चल जाने या कुछ लिखनेमें छूट जानेसे कोई गलती हो जाय तो वह अदालत की मर्जी से या फरीकैन के दरख्दारत देने पर किसी भी समय दुस्त की जा सकेगी (देखो जायता दीवानी की दफा १५२) लिखने की गलती या इसी तरह सयोग बश भूल से होजाने वाली किसी गलती को हाजिम अदालत का उत्तराधिकारी भी दुस्त कर सकता है (देवो 63 I C 840, 55 I C 963)—दूसरी वजूदात पर डिकरियों की दुस्ती या तरमीम (सशोधन) वजरिये निगरानीके ही की जा सकती है। अदालतको यह भी अधिकार है कि यह जायता दीवानी की दफा १५१ के अनुसार किसी डिकरी का सशोधन करदे या उसे बदल दे ताकि वह फैसलेसे मेल खा जाय (देखो 37 C 11 649, 14 C L J 481, 23 I C 906) अगर किसी फैसले डिकरी या हुकममें कोई लिखनेकी भूल या अशुद्धि होजाय तो उसकी दुस्ती वह अदालत न कर सकेगी जो उसकी इजरा कर रही हो, उसका सशोधन स्वयं नालिशमही कर दिया जाता चाहिये (देखो 19 C L J 517) डिकरी की दुस्ती के पहिले फैसलेकी दुस्ती हो जानी चाहिये (देखो 11 I C 896) जो डिकरी अपील में बहाल रखी गई हो तो उसका सशोधन अदालत अपील ही कर सकती है मातहत अदालत नहीं (देवो 11 A 667 F B, 11 C L J 155, 11 C L J 8, 11 C L J, 560 P C, 18 M 214 F B) लेखन 21 B 548; 9 M 854 और 10 All 51 में यह तय हुआ है कि किसी अपील के खारिज हो जाने से मातहत अदालत की डिकरी ज्यों की त्यों बनी रहेगी और उस समय उसका सशोधन मातहत अदालत ही कर सकेगी देवो 62 I C 910 दफा १५२ के अनुसार किए गए सशोधन से उस डिकरी की इजरा की मुद्दत नहीं बढ़ सकती, देखो 27 A 575 किसी डिकरीमें हुई भूठ का सशोधन करने के लिये नालिश दापर की जा सकती है देखो 8 C W N 478 बम्बई, फर्रुक्ता, मद्रास, इलाहाबाद में ऐसा होता है कि फैसला शार्ट हैण्ड राइटर को बोल दिया जाता है । आंडर २० क्रम १ के साथ सब क्रम २ अलग से जोड़ दिया गया है ।

डिकरी—कैमरे में जो हुकम दिया जाता है उसी के अनुसार डिकरी तैयार की जाती है । वह फैसले के अनुकूल होगी तथा उसमें उन बातों की तफखील रहेगी जिनकी बाबत दावा किया गया है और उसमें साफ तौर पर यह लिख दिया जायगा कि कौन सी दादखी दी गई है । उसमें सचकी तादाद लिखी होगी और यह भी लिखा हागा कि किस शखस द्वारा अथवा किस जायदाद में से और किस अनुपात (हिस्से रसदी) वह खर्चा भदा किया जायगा । (देवो दफा

३५) अदालत को अधिकार होगा कि वह इस बात का हुक्म दे देवे कि जो रुपया किसी एक फरीक से दूसरे फरीक को बावत खर्चा वाजिबुद्ध अदा है वह उस रुकम में मोजरा दिया जायगा जो उस पहिले फरीक का दूसरे फरीक पर बाकी है (देखो आर्डर २० रुल ६) अदालत डिकरीमें ऐसी शर्हपर व्याज अदा करने का हुक्म दे सकती है जो उसे मुनासिब मालूम पड़े (देखो दफा ३४) टिकरी क ऊपर वह तारीख पढ़ी होनी चाहिये जिस तारीख को कि फैसला दिया गया था [देखो आर्डर २० रुल ७]

डिकरी में सारी बातें पूरी और साफ साफ लिगी होनी चाहिये और वह इस तरह पर तैयार की जानी चाहिये कि बिना किसी दूसरे कागज को हवाला दिये हुये ही उसकी इजरा की जा सक (देखो 8 C 975, 12W R 99) दोना पक्ष वालों का यह काम है कि वे देख लें कि डिकरी बाकायदा तौर पर तैयार की गई है अथवा नहीं (देखो 8 C 687) अगर कोई ऐसे नकरो या दूसरे कागजात हैं जिनमें हुम्म की शर्तें लिखी हैं और जो उस डिकरी का एक अंग हैं तो वे सब ठीकी के साथ नत्थी रहने चाहिये । जब टिकरियां तैयार की जाती हैं तो दोनों पक्षा के वकीलों को इसकी इत्तला दी जाती है और उनसे यह कहा जाता है कि वे उनको देख लेनेके बाद उनपर अपने इस्ताक्षर कर दें । वकीलों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिये कि वे डिकरी के ऊपर जज के दस्तखत हो जाने के पहिले अच्छी तरह से यह देख लें कि डिकरी फैसले में दिये हुये हुक्म के अनुसार है या नहीं । इसमें असावधानी करने से सम्भव है कि मजकिलों को कोई नुकसान पहुच जाय । अगर डिकरी की इजरा के समय कोई गलती पकड मिले तो कदल निगरानी में ही दुइस्त की जा सकती है सिवाय उस दशा के जबकि वे गलतियां लिखनेकी अथवा अंको की दी हों । यह दिक्कत और परेशानी दूर हो सकती है अगर जज के दस्तखत होने के पहिले वकील मदाशय उन टिकरियों को पढ जाया करे । आज कल वकील साहयान प्राय अपने दस्तखत कर देते हैं उनका कतब्य तो यह है कि डिकरी पर तब दस्तखत करें जब वे सिर से अन्त तक उसे पढ़ जाय, और जाच कर जाय, और मिलान कर जाय । अपने मजकिलके लाभकी बातें और वे बातें जिनसे डिकरी सही मानी जाय सब गौरसे देखें । यह भी जरूरी है कि वे नोट कर लें और अपने सुहरिर को पीछे नोट करा दें । सुहरिर साहयान फौरन् मिलिल में नोट कर लें । और यदि जरूरी हो तो मजकिल को सूचित कर दें ।

रेहनकी डिकरी—रेहन नामा के मुकद्दमों में पहिले एक प्रारम्भिक डिकरी तैयार की जाती है और इसके बाद मुतहिन के दरखवास्त देने पर कतई डिकरी तैयार की जाती है प्रारम्भिक डिकरी द्वारा दिये गये समय की तारीखसे ६ महीने तक मियाद को मुदत है । हिसाब-किताब के मुकद्दमों में ऐसी प्रारम्भिक डिकरी भी दी जाती है जिनमें हिसाब किताब लिखने और कागजात हवाले कर देने के लिये हुक्म दिया गया हो । इसके बाद कतई डिकरी दी जाती है । बटयारा के मुकद्दमों में प्रारम्भिक डिकरी में यह हुक्म दिया जा सकता है कि बटयारा करा

देने के लिए कमिश्नर नियुक्त किया जाय (देखो आर्डर २० रूल १८ और आर्डर २६ रूल १३) अदालत कमिश्नर की रिपोर्ट को या तो ज्यों की त्यों मान लेती है या उसे बदल देती है और कतई टिकरी दे देती है। कतई टिकरी स्टाम्प फेब्टकी टफा २ (१५) के अनुसार स्टाम्प लगे हुये फागर्जोंपर लिखी जानी चाहिये। एक गिफा की नालिश में या किसी मुआहिदा की तामीलो की वाचत गालिशों म कुउ रातों पर टिकरी दी जाती है और अदालत एक ऐसी सुदत सुकुर कर देती है जिसके अन्दर रुपया अदा कर दिया जाना चाहिये। "हिसेदारसदी की अदायगी" की वाचतकी गई नालिशमें टिकरीमें उस रकमकी तफ साल होनी चाहिये जो हर एक मदिपुन टिकरीको अदा करना चाहिये। जायदाद गैर-मनहूला वापस दिला पानेकी टिकरी में लिखी जाने वाली वाताके सम्बन्धमें आर्डर २०, रूल ९, जायदाद मनहूलाके लिये रूल १८, और कब्जा और वासिलातकी टिकरियाके सम्बन्धमें देगो रूल १२, मदरासमें रूल १२ के साथ क्लॉज (३) जोड़ दिया गया है। "सम्बन्धी" नालिशोंमें (रूल १३) "हकुराफा की नालिशोंमें (रूल १४), 'हिसेदारी तोड़ देने सम्बन्धी नालिशों' में (देखो रूल १५) और मालिक और ऐजण्टके बीच होने वाली नालिशोंके सम्बन्ध में (देखो रूल १६) "रुपयेकी नालिशोंमें" अदालतको अधिकार होगाकि वह टिकरी देते समय यह हिदायत कर दे कि रुपया कुस्तोंमें अदा किया जायगा, (देखो आर्डर २० रूल ११), यह रूल लगाय सम्बन्धी टिकरियोंमें लागू नहीं होता (देखो 11 C W N 857) प्रारम्भिक (इवनदाई) या कतई टिकरीके फार्म चगेराके लिये देगो जाबता दीवानीके परिशिष्ट १ का जमीमा (डी)।

जायता दीवानीका कभी भी यह मशा नहीं है कि नालिश या फार्मवाइ इजराके दौरानमें दिये गये किसी अस्थायी हुकमके बाद टिकरिया तैयारकी जाय। जाबता दीवानीकी टफा १०४ (आर्डर ४३, रूल १) के अनुसार दिये गये हुकम अधिकाशमें इसी तरहके हुकम हैं और उनमें टिकरिया तैयार करनेकी हिदायत नहीं है।

आर्डर ९ के रूल ९ और १३—आर्डर २१ के रूल ५८, ९१, ९२, ९९, १००, १०१—आर्डर ४१ के रूल १९, २१, २३ और आर्डर ४७ के रूल १ के अनुसार दिये हुये हुकम हकीयतोंके सम्बन्धमें या दावाके जघावमें पेश की गई सफाई के सम्बन्धमें दिये गये फेसलेके उदाहरण हैं, लेकिन इन सभी हालतोंमें टिकरिया तैयार करनेकी आवश्यकता नहीं है। वे खाली हुकम हैं और जाबता दीवानी इस बातके लिये बाध्य नहीं करता कि टिकरियोंकी विस्म में हुकम दिये जाय। जो हुकम वास्तवमें फेसलोंके लिये दिए गए हैं, वे कतई फेसला समझे जा सकते हैं।

टिकरिया तैयार करनेके सम्बन्धमें हाईकोर्टके नियम—कलकत्ता हाईकोर्टने नीचे लिखे हुये नियम द्याए हैं—

दीवानी अदालतोंको इस बातका ध्यान रखना चाहिए कि वह टिकरियोंको इस तरह पर तैयार करे कि उनके समझने और उनकी इजरा करने में किसी

तरहके किसी दूसरे दस्तावेज या कागज का हवाला देने की जरूरत बाकी न रहे, निवाय उस दशाके जब कोई नक़्सा वगैरा उस अदालतकी आज्ञासे तैयार किया गया हो या अदालतने उसे कबूल कर लिया हो और जिसका हवाला उस हुक्म की शर्तोंको बतलानेके लिये जरूरी हो। ऐसा कोई भी कागज या दस्तावेज डिकरी के साथ नरखी रहेगा और उस पर जजके हस्ताक्षर होंगे (देखो G. R. & C. O. Chap I R 78)

जजोंको इस बातका ध्यान रखना चाहिए कि जो डिकरी उन्हाने दी है उसमें साफ़ तौर पर किस्म दादसी या मुकद्दमेका दूसरा तस्फिया लिखा हुआ है, जिसका लिखा जाना जाबता दीवानीके आर्डर २०, कूल ६ के अनुसार जरूरी है, और यह कि डिकरीके आरम्भमें दावाकी खास खास बातें साफ़ तौर पर लिख दी गई हैं जैसा उस नालिशके रजिस्टरमें लिखा हुई है, (देखो G. R. & C. O. Chap I R 78)

नोट—जहा भी वहाँ पर भी सारी सारी प्लॉडिंगकी डिकरीमें नकल देने की प्रथा जारी है वहा से वह गिरा दी जाना चाहिये।

जाबता दीवानीके आर्डर २२ के ६ से १९ तकके क्लॉकोंको ध्यान पूर्वक पढ़ने से जजोंको, बहुतसे मामलोंमें, बहुत सी ऐसी बातें मिल जायगी जिनकी आवश्यकता डिकरियोको तैयार करने के लिए पडती है और जहा पर किसी मामलेके लिए स्पष्ट विधान न भी किया गया हो वहा भी उसमें दिष्ट हुए नियम लागू होंगे (देखो G. R. & C. O. Chap. I R 80),

दोनापक्षके वकीलोंके लिये यह आवश्यक होगा कि वे मुफ़्फिसरकी अदालतोंकी डिकरियो पर, जजके दस्तखत, हानेसे पहिले, अपने हस्ताक्षर (दस्तखत) कर दे। अगर कोई वकील किसी डिकरी पर हस्ताक्षर न करेगा, तो उस डिकरी पर उसके हस्ताक्षर न करनेका कारण लिख दिया जायगा (देखो G. R. & C. O. Chap I R 81)

हस्ताक्षर करते समय जजको उस डिकरी पर हस्ताक्षर करनेकी तारीख़ भी डाल देनी चाहिये (देखो G. R. & C. O. Chap I R 82)

यह एक साधारण नियम बना दिया जा सकता है कि जाबता दीवानी का मग़ा यह है कि किसी हक़, जिसकी निश्चत दावा किया गया है, या दावाके विरोधमें पेश की गई सफ़ाई के उपरं दिष्ट हुए फ़ैसलोंका प्रदर्शन करने के लिये डिकरी तैयार की जाय, जब कि इन फ़ैसलोंमें कोई नालिश या अपील फ़ौनल की गई हो। रजिस्टर पर चढा लिये जानेके बाद किसी अर्जिदावाके ख़ारिज हो जाने पर भी डिकरी दी जा सकती है, अगर मुद्दाक्षलेह ख़ारिज हो जाय और ख़र्चा अदा कर दिया जाय।

(१) जायदाद गैर मनकूलाका कुन्जा वापस दिहापानेकी चाघत की गई नालिशों और लगान या वासिलातकी नालिशों, प्रबन्ध सम्बन्धी नालिशों, और घटवाराकी नालिशों में, जिनमें आर्डर २० के कूल १२ से १८ तक के क्लॉकों, अनु

साग प्रारम्भिक डिक्किया दी गई है, कतई डिक्की उस कार्रवाईसे होने वाले नतीजेके अनुसार तैयार की जानी चाहिये जो उस प्रारम्भिक डिक्कीके उपर की गई हो। इसी तरह, जब आर्डर ३४ के अनुसार कोई प्रारम्भिक (इन्तदाइ) डिक्की किसी रेहनकी बेगत, या किसी जायदाद मरहूनकी नीलाम या फक रेहनीके लिये दी गई हो तो कुछ समयके बाद उस प्रारम्भिक डिक्कीकी कतई डिक्की बन जायगी।

(२) जायता दीवानी यह आज्ञा नहीं देता कि किसी नालिश या इजरा की कार्रवाईके दौरान म दिए गए किसी अस्थायी हुक्मके बाद डिक्की तैयार कर दी जाय। जायता दीवानी की दफा १०४ (आर्डर ४३, रूल १) के अनुसार दिए गए हुक्म ज्यादातर इसी किस्म के हुक्म हैं और इसलिए इनमें डिक्की तैयार करने की आवश्यकता नहीं है।

(३) आर्डर ९ के रूल ९ और १३—आर्डर २१ के रूल ५८, ९१, ९२, ९३, १००,—१०१ आर्डर ४१ के रूल १९, २१, २३, और आर्डर ४७ के रूल १ के अनुसार दिए गए हुक्म उन फैसलों के उदाहरण हैं जो डूक या दावा के जवाब में कही हुई बातों के सम्बन्ध में दिए गए हैं, लेकिन इनमें डिक्की तैयार किए जाने की जरूरत नहीं है। वे हुक्म हैं और जायता दीवानी इस बातके लिए बाध्य (मजबूर) नहीं करता कि कि डिक्की की किस्म में हुक्म दिए जायें। जो हुक्म वास्तव में फैसले हैं, वे कतई फैसला समझे जा सकते हैं।

(४) लेकिन अगर ऊपर बतलाया हुआ कोई हुक्म या जायता दीवानी के आर्डर २१, रूल २ के अनुसार दिया हुआ हुक्म, इजरा किए जाने के काबिल हो या इजरा करता हो, जैसे कि किसी एक फरीक द्वारा किसी दूसरे फरीक से भदा दिए जाने वाले खर्च के सम्बन्ध में दिया हुआ हुक्म, तो ऐसी हालत में यह आवश्यक नहीं है कि वाजायता तौर पर उस फैसले का वर्णन किया जाय। अगर कोई शाख किसी हुक्म की इजरा कराना चाहे, तो उसके लिए आवश्यक नहीं है कि यह तजवीज फैसले की नकल ले। खर्च की निश्चय दिए हुए हुक्म में, जैसे कि यह डिक्की की तरह पर दिया गया हो, संक्षेप में अदालत का फैसला रहना चाहिए, खर्च की तादाद, और अगर आवश्यक हो तो, उसकी सफसील लिखी होनी चाहिए।

वासिहत (Mesno Profits)—पुराने जायता दीवानी के अनुसार अगर किसी कब्जा दिलापाने की नालिश में वासिहत आइन्दा दिलाप जाते थे, तो वे इजरा की कार्रवाई में तय किए जाते थे। अब आर्डर २०, रूल १० के अनुसार वासिहत, अगर दिलाप जावे तो, बाद में जांच करके डिक्की से ही तय पर दिए जाते हैं, इजरा में नहीं। अगर वासिहत तय करने के लिए दी गई दर खास्त अदम परती में समाविज हो जाय, तो फिर दुबारा दरखास्त नहीं की जा सकती (देखो 16 C L J 3, 62 I C 747) अगर कम्पेकी घागत पहिले कोई नालिश की गई हो, तो इससे वासिहत के लिए की जाने वाली दूसरी

नालिश की मियाद आरिज नहीं होती, क्योंकि इस नालिश की विनाय मुलास-मत दसरी है (देखो 8 I C 445; 60 I C 65) अदालतको इस बात का अख्तियार है कि वह वासिलात के ऊपर सूद (व्याज) दिलावे या न दिलावे (देखो 27 C 551 P C 34 C L J 415, 44 A 479) कूल १२ में तीन साल की मुदत का शुमार आखिरी डिकरी की तारीख से करना चाहिए (देखो 34 C L J 415) इस मामले में सभी हाईकोर्टों का मत एक नहीं है कि उस हालत में अदालत को वासिलात की रकम तय करने का अधिकार है अथवा नहीं, जब कि वह रकम उसके अख्तियार समाभत माली से बाहर हो। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कुछ मामला में इसका जवाब "हां" में दिया है (देखो 21 C 550, 40 C 50) 13 C L J 493, 43 C 650, 38 C L J 142 में इससे विपरीत फैसल हुआ था। पटना हाईकोर्ट ने भी कलकत्ता हाईकोर्ट के अनुसारही अपनी राय कायमकी है, देखो (2 Pat L T 648, 2 P L J 394, 60 I C 346) मियाद के सम्बन्धमें यह तय हुआ है कि नए जाबतेके अनुसार, भांडर २०, कूल १२ (सी) के अनुसार दी हुई वासिलात की डिकरी एक ऐसे मुकद्दमें की जाच के समान है जिसकी अभी आधी ही समाभत का गई हो, और इसलिए उसमें आर्टि० १८१ लागू नहीं होती (देखो 77 I, C. 497)

व्याज—रुपयकी अदायगीके सम्बन्धमें दी गई डिकरियोंमें अदालतको अधिकार है कि वह नालिश दायर होनेकी तारीख से डिकरी की तारीख तकका, किसी भी मुनासिब तरह पर जो कि वह ठीक समझे, मूलधन (असल रकम) के ऊपर व्याज दिला दे और साथ ही इसके वह व्याज भी दिला दे जो नालिश दायर होनेके पहले उस असल रूप पर लगाया गया हा, मय उस कुल रूपयके सूद आइन्दाके, उस शरह पर जो वह मुनासिब समझे, जो डिकरीकी तारीखसे रूपयकी अदायगी तक या इससे पहले किसी वक्त तकके लिये, जो अदालत मुनासिब समझे, लगाया जायगा (देखो दफा ३४)।

नोट—नालिशकी तारीख से डिकरीकी तारीख तकके और डिकरीकी तारीख से रूपयके वसूली का तारीख तक के ध्यान (सूद) की दर (शरह) तय करना अदालतके अख्तियारमें है (देखो 12 C 569 18 C 164) दफा ३४ वली समय लागू होती है जब डिकरी रूपयकी अदायगी के लिये हो। किसी देहनामों देहनकी हुई जायदादके ऊपर दायर की गई नालिशके सम्बन्धमें लागू नहीं होती।

खर्चा—कुल मुकद्दमेंके फैसलेका खर्चा अदालतकी मर्जी पर है। अगर अदालत यह हुकम दे कि खर्चका तस्फिया फैसले पर नहीं होगा, तो उसे इसके लिए लिखित कारण बतलाना चाहिए। अदालत खर्चके ऊपर व्याज भी दिलासकती है जिसकी शरह ६) रु० सैकड़ा सालानासे अधिक न होगी (देखो दफा ३५)

मायिनेके बिस्मके खर्चे—एक्ट न० ९ सन् १९२२ ई० की दफा ३५ (ए) के अनुसार अब अदालतको यह अधिकार दिया गया है कि झटा या तोहमत लगाने

चात्रा दावा या सफाई पेश करनेकी हालतमें वह एक हजार रुपये तकका मुआविजा दिला सके। यह दफा जाबता फौजदारीकी दफा २५० के समान है।

दफा ३५ (ए) इस प्रकार है —

१ अगर किसी नालिग या दूसरे कार्रवाईमें, जो कि अभील नही है, कोई फरीक इस बिनाके ऊपर किसी दावा या सफाईके ऊपर आपत्ति करता है कि दावा या सफाई या उसका कोई हिस्सा, जो उज्रदारसे सम्बन्ध रखता है, झूठा या तोहमत लगाने वाला है और जिस शख्सने उसे पेश किया है उसको इस बातका इत्म है, और अगर उसके बाद वह दावा या सफाई, जिसका सम्बन्ध उज्रदारसे है, कुछ या किसी अंशमें नामजूर कर दिया जाय या छोड़ दिया जाय अथवा वापस लिया जाय, तो अदालतको अधिकार है कि वह, अगर उज्रदारी पहिले ही पेश कर दीगई है और अगर उसे उसका न्यायानुकूल होनेका इतमीनान हो जाय तो, इस बातकी वजह लिखनेके बाद कि वह ऐसे दावा या सफाईको क्यों झूठा या तोहमत लगाने वाला समझती है, उस शख्सको, जिसकी ओरसे वह दावा या सफाई पेश किया गया हो, यह हुकम दे कि वह उसे यतौर मुआविजा खर्चा अदा करे।

२ कोई भी अदालत किसी ऐसी रकमकी अदायगीके लिये ऐसा हुकम नही दे सकेगी, जो रकम एक हजार रुपये से ज्यादा हो या उस अदालतके अख्तियार समागत मालीसे जायद हो, फिर इनमें से जो रकम भी कम हो।

लेकिन शर्त यह है कि जब किसी ऐसी अदालतके, जो प्रांतीय कानून अदालत खफीफा सन् १८८७ ई० के अनुसार अदालत खफीफाके अधिकार वर्त रही हो और जो उस कानूनके अनुसार तयार की हुई अदालत न हो, अख्तियार समागत मालीकी रकम २५०) (दो सौ पचास) रुपया से कम हो, तो हाईकोर्ट ऐसी अदालतको अधिकार दे सकती है कि वह इस दफाके अनुसार कोई भी रकम, जो २५०) रु० से अधिक न हो और उस रकमसे एक सौ रुपयेसे ज्यादा न हो, वाबत खर्चके दिला दे।

यह भी शर्त है कि हाईकोर्ट को उस रकमकी तादाद मुकरर कर देनी चाहिये जो कोई अदालत या किस्म अदालत इस दफाके अनुसार खर्चकी वाबत दिला सकती है।

३ कोई भी शख्स, जिसके विरुद्ध इस दफाके अनुसार कोई हुकम दिया गया है, इन्म हुकमकी वजहसे, किसी दूसरे फौजदारी जुर्मसे छुटकारा नही पा जाता जिसके लिए वह किसी दूसरे दावा या सफाईके सम्बन्धमें, जो उसने पेश किया है, जिम्मेदार ठहरता है।

४ इस दफाके अनुसार किसी झूठे या तोहमत लगाने वाले दावा या सफाईकी वाबत दिवाण गण मुआविजे की रकमका वादकी किसी भी नाशिमं खयाल रखा जायगा जो ऐसे दावा या सफाई की वाबत हर्ज या मुआविजा के लिये दायर की जायगी।

नोट—यह उच्च, कि अमुक दावा या सफाई झूठा या तोहमत लगाने वाला है, जहां तक जल्द हो सके पेश किया जाना चाहिये। अगर उच्चदार मुद्दा भलेह है तो बयान तहरीरी भी ही इसका लिए देना काफी होगा लेकिन अगर वह मुद्दा है तो बयान तहरीरी दाखिल कर चुकनेके बाद फौरन ही उसे एक दरख्वास्त में लिखकर यह उच्चदारी पेश करनी होगी।

डिकरियों और हुकों की इजरा

डिकरी के रुपये की अदायगी—डिकरी का रुपया नीचे लिखे अनुसार अदा किया जाना चाहिए—

(क) उस अदालत में जिसका काम उस डिकरी की इजरा करना है, या (ख) अदालत से बाहर, या (ग) किसी दूसरे तरीक से जिसके लिए अदालत आज्ञा दे।

जब कलॉज (क) के अनुसार रुपया जमा किया गया हो, तो इसकी इत्तला डिकरीदार को अवश्य कर दी जानी चाहिए (देखो आर्डर २१, रूल १)

जब रुपया अदालत के बाहर अदा किया जाय, या और किसी तरह डिकरी का मतालबा चुकता किया जाय, तो डिकरीदार उसपर अपना सर्टीफिकेट देगा और अदालत उसी के अनुसार इसका इन्दराज कागजात में कर लेगी। मदिपुन डिकरी को भी अधिकार है कि वह अदालत को डिकरीदार के नाम इस बात की नोटिस निकालने की दरख्वास्त दे कि अदायगी या बेबाकी तस्दीक को हुई (Certified) कबो समझी जाय। जिस अदायगी या बेबाकी की निस्वत ऊपर बतलाए अनुसार तरदीक न की जायगी या जिसका इस तरह पर इन्दराज न कर लिया जायगा उसे इजरा करने वाली कोई भी अदालत स्वीकार न करेगी [देखो आर्डर २१, रूल २]

रूल २, जाबता दीवानी सन् १८८० ई० की दफा २५८ के समान है जिसमें यह व्यवस्था कर दी गई है कि जिस अदायगी की तस्दीक न की जायगी, “उसे कोई भी अदालत, जो उस डिकरी की इजरा कर रही हो, उस डिकरी की अदायगी या बेबाकी तस्लीम न करेगी”। “अदायगी या बेबाकी” शब्द के न होने से यह बात साफ हो जाती है कि डिकरी की इजरा करने वाली कोई भी अदालत या किसी भी कामके लिए ऐसी अदायगी या बेबाकीको तस्लीम न करेगी जिसकी तस्दीक नहीं की गई है। पुराने जाबता दीवानी में बहुत से मामलों में यह तय हुआ था, कि, यद्यपि ऐसी अदायगी, जिसकी तस्दीक न की गई, हो, डिकरी की बेबाकी न समझी जायगी, तो भी डिकरीदार मियाद सम्बन्धी उच्चदारी का जवाब देने के लिए उसे साबित कर सकता है (देखो 28 A 36, 17 A 42, 21 C 542, 21 B. 122) उप-

बेवाकी की तस्दीक नही की गई है, उससे क़ानून मियाद के अ
दफ़्वास्त देने के लिए मियाद की मुदत नही बढ़ सकती (देखो
312, 16 C W- N 396, 15 C L J 88, 15 C L J
C 215, 30 I C 51, 18 A L J 666) किन्तु इजरा कर
को छोड़ चाकी सय अदालतें ऐसी अदायगी को तस्लीम कर सकत
तस्दीकन की गई हो। इसलिए बिना तस्दीक हुए अदायगी या बेचा
रत स्वीकार (तस्लीम) कर सकती है जिसमें ऐसी अदायगी या
भाधार पर कोई नालिरा दापर की गई हो (देखो 7 A 124, 20
B 419, 16 C 504, 25 B 252) ;

डिकरी का रुपया अदा होने पर भी डिकरी जारी

सम्भव है किसी डिकरी की अदायगी या बेचाकी अदायत के बाद
और डिकरीदार ने अदालत में उस डिकरीकी अदायगी या बेचाकी को
करने का वादा कर देने पर भी ऐसा न किया और जालमानो कर्क
डिकरी के ऊपर इजरा करा दी। क्या ऐसी दशा में मद्रियून डिकरी
दोघानी की दफ़ा ४७ के अनुसार इस बिना पर इजरा का दिग्न कर सकत
कि डिकरी की बेचाकी अदालतके बाहर की गई हो। इजरा कर
हाईकोर्टों का इस मामले में मतंकय है कि जावता होने के बाद
रुल २, में जो व्यवस्था है वह विरकुल स्पष्ट है और अदालत इजरा कर
लिए बाध्य नहीं है कि वह अदालत के बाहर की गई हो। इजरा कर
तस्लीम करे और दफ़ा ४७ के अनुसार उसकी जाच करे। इजरा कर
और से दितनी ही जालसाजी क्या न की गई हो। देखो 15 C L J 423,
24 C L J 462, 36 M 357, 17 M L J 225, 15 C L J 423, 21 M
409, 16 C W N, 923, 15 C L J 423, 15 C L J 423, 21 M
L J 370, 63, I C 535, 1921 P. 5, 14 A
311, 46 B 226, 12 C W N 425, 15 C L J 243, 15 C L J 243
भिन्न फसला हुआ है। चर्च हाईकोर्ट ने नदर में रखी है। इजरा कर
साजी की गई हो, वहा पर अदायगी नही की गई हो (देखो 15 C W
यगियो को मान ले और दफ़ा ४७ के अनुसार अदायगी नही की गई हो।
303, 34 B 579, 68 I C 225) 15 C L J 12 C. W. N 325, 4
और 30 C L J 243 में इजरा करके अदायगी नही की गई हो।
C 437 में यह तय हुआ है कि अदालत में, जब कि दफ़ा ४७
में लाने से नहीं रोकती। अदालत में, जब कि दफ़ा ४७
दीकरी हुए अदायगी या बेचाकी नही की गई हो। इजरा कर
दे, क्या किया जात, अदालत में, जब कि अदालत में

का पलायन करने के लिए, कि डिकरी का रुपया बेचाक हो गया है, और डिकरी की इजरा की वाचत डिकरीदार के नाम हुकम इम्तनाई जारी करने के लिए नालिश करने की इजाजत नहीं है (देखो 31 C. 480, 21 C 437; 15 M 302 तथा 25 Cal 718, 17 Bom 23, 16 P R 1910, 42 P R 1914) डिकरी की इजरा में की जाने वाली नीलाम को इस विना पर मुस्तवी करने के लिए भी, कि डिकरी का रुपया अदालत के बाहर अदा कर दिया गया है, नालिश दायर नहीं की जा सकती (देखो 20 All 254) तस्दीक करने के लिये किये गये मुआहिदे तोड़ देने से होने वाले नुकसान के लिये मद्दियून डिकरी दावा दायर कर सकता है (देखो 21-M 409, 23 B. 394, 10 C 354, 30 A 464) उस रुपये के वापस पाने के लिए दावा दायर हो सकता है जो अदालत के बाहर अदा किया गया हो और जिसके लिए सार्तिफिकेट न दिया गया हो, देखो 11 I C 1, 13 W R. 69 F B अदालत के बाहर डिकरी का रुपया ले लेने के बाद जालसाजी से उस डिकरी की इजरा करने पर फौजदारी मुकद्दमा चलाया जा सकता है, (देखो 16 C 126, 10 B 288, 34 B 374)

मियाद—मद्दयून डिकरीको चाहिए कि वह रुपया अदा होने के बाद नब्बे (९०) दिन के भीतर दरखास्त दे, जैसा कि कानून मियाद के आर्टि० १७४ में बतलाया गया है, अन्यथा इजरा की कार्रवाई में उसकी उत्तरदायी की समाप्त न की जायगी। डिकरीदार आर्टि० १८२ के अनुसार, अदायगी की तारीख से तीन साल के भीतर किसी भी समय दरखास्त दे सकता है (देखो 35 C L J 71, 20 C W N 272, 50 I C 364, 20 C L J 131, 10 C L J 467, 21 B 122) यह तय किया गया है कि कानून मियाद की इस सधारण कानूनकी पाबन्दी में रहते हुए, कि सार्तिफिकेट ऐसे समय के भीतर दिया जाना चाहिये जिससे दरखास्तकी मियाद आरिज न हो जाय, डिकरीदार किसी भी समय अपना सार्तिफिकेट दे सकता है (देखो 23 C W N 320) जरडिकरीके एक हिस्सेकी अदायगी और उसकी तस्दीक (Certification) इजरा की दरखास्त को समादी आरिज हो जाने के पहिले कर दी जानी चाहिए (देखो 35 C L J 566 26 C W N 534 24 I C 215 12 A L J 825)

अगर किसी डिकरी के रुपये का कुछ हिस्सा डिकरी की तारीख से तीन साल के अन्दर अदा कर दिया जाय और अगर इस अदायगी की तारीख से तीन सालके अन्दर इजराकी दरखास्त दीगई हो, तो वह दरखास्त अन्दर मियाद है और कानून मियाद के आर्टि० १८५ (२) के अर्थ में डिकरीदार को मियाद की नई तारीख मिल जाती है देखो 46 C 22 इस मुकद्दमे में जो हेड-नोट दिया हुआ है उसकी शब्द योजना ठीक नहीं है, क्योंकि यह दरखास्त अदायगी की तस्दीक करने के लिए है, एक हिस्से अदायगी की तस्दीक के लिए नहीं, जो अदायगी कि तदवीर मुआविन इजरा है। अदा की हुई रकमकी तस्दीक के लिए दीजाने

प्राचीन ऐसी दख्खान्त इजरा की दख्खान्त के ही साथ, सिर्फ उसमें उन रकमों को दिखला कर, जो कि अदा की गई हैं, दी जा सकती है। अगर 46 C 22 में दी हुई नज़र का यह अर्थ है, जैसा कि जाहिरा में मालूम होता है, कि अदालत के बाहर एक हिस्सा जर-डिकरी के अदा हो जाने से मियाद के लिए एक नई तारीख मिल जाती है, तो इसपर भारी आपत्ति की जा सकती है, क्योंकि किसी डिकरी के अनुसार अदा की जाने वाली कुल रकम, जो मियाद की मुदत बढ़ाने के लिए अदा की जाती है, कानून मियाद की दफा २० के अनुसार अदा की जानी चाहिए। सन् १९०८ ई० के कानून मियादके अनुसार दफा २० के साथ जो 'विवरण' जोड़ दिया गया है उसमें साफ तौर से यह बतला दिया गया है कि: "क़जे में वह रकम शामिल है जो अदालत की किसी डिकरी या हुकम के बमूजिव वाजिबुल्ल अदा है।" इसलिए अगर डिकरी में कोई ब्याज नहीं लगाया गया है और उसका थोड़ा सा हिस्सा अदा किया जाता है, या अगर डिकरी में ब्याज है और थोड़ा सा रुपया असल की वाचत अदा किया गया है, तो वह रकम ऋणी के हस्ताक्षर से अदा की जानी चाहिए। अगर थोड़ा सा हिस्सा जर डिकरी का अदा किया गया है और अगर दफा २० के नियमों का पाठन किया जाता है, तो डिकरीदार इजरा के लिए दख्खान्त देने से पहिले या खुद इजराकी दख्खान्त में ही उस थोड़ी सी अदा की हुई रकम की निस्वत अपना सर्टीफिकेट दे सकता है। लेकिन इससे कानून मियाद की दफा २० के ऊपर किसी तरह का भी कोई असर नहीं पड़ता, (देखो 22 C W N 325, 26 C W N 534)

46 C 22 में सिर्फ यह तय हुआ है कि सर्टीफिकेट देने के लिए दर ख्वास्त का दिया जाना तदधीर मुभाविन इजरा है। मुकदम का हेड-नोट भ्रमोत्पादक है।

मदयून डिकरी ने जर डिकरी की वाचत कुछ रकम अदा की, लेकिन यह रकम न तो ब्याज की मद् में अदा की गई थी और न इस अदायगी में ऋणी के दस्तखत थे। इसके अलावा कोई सर्टीफिकेट भी नहीं था। तय हुआ कि चूंकि इस रकम की अदायगी में वे शत पूरी नहीं की गई हैं जो कानून मियाद की दफा २० में बतलाई गई हैं इसलिए वह अदायगी तदधीर मुभाविन इजरा नहीं है, देखो C M S A 92 of 1922, 46 M L J 57

रकम की अदायगी की तस्दीक (Certification) की निस्वत जाबता दीवानी में कोई खास नमूना नहीं रखा गया है। यह तस्दीक इजरा की दख्खान्त में की जा सकती है और इसकी इत्तला कर देना ही काफी है, देखो 20 C W N 272, 20 C L J 131, 20 C L J 632, 22 C W N 325, 4 Pat L J 159, 41 M 251, 35 C L J 71, 45 B 91, 55 P L R 1919

जाबता दीवानी का आर्डर ९, फल ९ आर्डर २१ फल २ के अनुसार दी गई दरख्वास्त के सम्बन्धमें लागू नहीं होता जो कि खारिज कर दी गई हो, देखो 63 I C 855, 28 C W N 32 n

रेहननामा की डिकरी—नए जायता के अनुसार डिकरी कतई बनाने के लिए दी गई दरखास्त इजरा की कार्रवाई नहीं है बल्कि वह नालिरा की कार्रवाई है (देखो 25 C W N 595, 40 A. 235) और, कतई डिकरी देते समय अदालत उस अदायगी को सही मान सकती है जो अदालत के बाहर की गई है और जिसके लिए कोई सर्टिफिकेट दाखिल नहीं किया, ग्रा. डी. (देखो 57 I C 473 (P), 44 A. 668 तथा 25 C. L. J. 553, 42 M 61)

कई डिकरीदारों में से किसी एक को रुपया का अदा किया जाना—अगर कई डिकरीदारों में से सिर्फ एक ही आदमी इस बात का सर्टिफिकेट दे देवे कि डिकरी का कुल रुपया अदा हो गया है, तो उसके लिए बाकी लोग बाध्य नहीं हैं, देखो 26 A. 334, 15 M 343, 3 A. L. J. 49 एक डिकरीदार सिर्फ अपने हिस्से की बेबाकी का ही सर्टिफिकेट दे सकता है, देखो 26 A 318, 9 C 831

इजरा होने वाली डिकरियाँ—जिस डिकरीकी इजरा किए जानेकी है वह एक बाजायता और सही डिकरी होनी चाहिए। जो डिकरी जाहिरामे बेजायता मालूम होती हो, उसकी इजरा नहीं हो सकती। उसकी मियाद आरिज नहीं होने देना चाहिए। जिस डिकरीकी इजरा की जानेकी है, वह अन्तिम अदालतकी डिकरी होनी चाहिए। जब कोई अपील खारिज हो जाय, तो जिस डिकरीकी इजरा हो सकती है वह वह डिकरी होगी जिसके खिलाफ अपील की गई है (देखो 36 All 350 P C) अगर अदालत अपील डिकरीको बहाल रखे, तो मियादकी तारीख उस अदालतकी डिकरीकी तारीखसे शुरू होगी, जब अदालत अपीलको बदल दे, मसूख कर दे या उसमें कोई संशोधन कर दे, तो जो डिकरी काबिल इजरा है वह अदालत अपीलकी डिकरी होगी।

इजराकी दरखास्त—इजराकी दरखास्त या तो,

(अ) उस अदालतको दी जानी चाहिये जिसने डिकरी दी है या उस अफसरको (अगर कोई हो) जो इस बातके लिये मुकर्रर किया गया हो या,

(ब) अगर डिकरी दूसरी अदालतको भेज दी गई है तो उस अदालतको या उसके किसी मुनाजिब अफसरको (देखो आर्डर २१, कल १०)

“उस अदालतको, जिसने डिकरी दी है” के अर्थके लिए, देखो जायता दीवानीकी दफा ३७।

इजरा की दरखास्त

इजरा की इन एक दरखास्त लिखी हुई होनी चाहिये और उसपर सायल (दरखास्त देने वाले) या किसी दूसरे शख्स के दस्तखत और तस्दीक होनी चाहिये जिसकी निश्चय अदालत के इतमीनान के लिये यह साबित होगया हो कि

वह उस मुकद्दमे के हालात को बखुबी जानता है, और उसमें नीचे लिखी बातें लिखी रहनी चाहिये, अर्थात्

(क) मुकद्दमे का नम्बर ,

(ख) फरीकैन के नाम ,

(ग) डिकरी की तारीख ,

(घ) यह कि क्या डिकरी की अपील की गई है,

(ङ) यह कि क्या डिकरीके बाद कोई रकम और (अगर हाँ तो) नितनी रकम उस मामलेकी अदायगी या बेचाकीकी निश्चत तय की गई है जिसकी निश्चत फरीकैन के बीच अगड़ा है ,

(च) यह कि क्या इससे पहिले डिकरी की इजरा के लिये कोई और (अगर हाँ तो) कोनसी दरखवास्तें दी गई हैं, उन दरखवास्तो की तारीखें और उनका परिणाम ,

(छ) रकम मय उस ब्याज के जो डिकरी के ऊपर वाजिब हो या उससे जो दादरस्ती दी गई है, मय उस डिकरी के हालात के जो मुसालिफ में दी गई है, चाहे वह उस डिकरी के दिये जाने के पहिले या बाद में दी गई हो जिसकी इजरा कराई जाती है ;

(ज) उस खर्च की तादाद जो दिलाया गया है (अगर कोई हो) ,

(झ) उस शर्क्स का नाम जिसके खिलाफ इजरा की दरखवास्त है ,

(ञ) यह कि किस किस तरह पर अदालत की सहायता चाही जाती है—

१—किसी जायदाद को दिला कर जिसके लिये खास तौर से डिकरी दी गई है ।

२—किसी जायदाद को फुर्क और नीलाम कराके या बिना फुर्क किए हुये ही नीलाम करा के ,

३—किसी शर्क्स को गिरफ्तार करवा के जेलखाने में रखकर ,

४—रिस्तीवर को नियुक्त करके ,

५—और किसी तरहसे जेसाकि दी हुई दादर्सों की वजह से आवश्यक जान पड़े ।

अदालत दरखवास्त देने वालेमें यह हुजूम देनेका अधिकार रखती है कि वह डिकरी की सर्टीफिकेट शुद नकल दाखिल कर [धैरो आर्डर २१ रुल ११ (२)]

जब डिकरी वाघत अदायगी जर नकद में हो और डिकरी दिए जाने के समय मदिपून-डिकरी अदालत की सीमांक अन्दर हो, तो अदालत को अधिकार होगा कि वह डिकरी दिए जाने के समय डिकरीदार की जघानी दरखवास्त पर उस डिकरी की फीरनू इजराके लिए हुकम दे, कि मदिपून डिकरी बिना यादके

गिरफ्तार किया जाय [देखो आर्डर २१ रूल ११ (१)] । जो डिकरी बकाया लम्बानकी याचत दी गई हो उसमें भी अदालत डिकरीदारकी जचानी दरखास्त पर हजराका हुकम जारी कर सकती है [देखो बगाल टिनेसी ऐक्ट की दफा १४८ (१)]

आर्डर २० रूल ७ के अनुसार डिकरी की तारीख का मतलब उस तारीख से है जिसको फौसला सुनाया गया हो ।

अगर फ़िली जायदाद मनकूला की, जो मदिपून-डिकरी की मिलियत है, (लेकिन जो उसके कब्जेमें नहीं है), कुर्कीके लिये दरखास्त दी जाय, तो उसके साथ जायदाद मफूकका (कुर्कीकी हुई जायदाद) की एक फेहरिस्त भी नत्थो कर देनी चाहिये जिसमें उस जायदादका तफसीलवार ठीक २ इंचाला दिया हुआ हो । इसे फर्द ताल्लुकका कहते हैं (देखो आर्डर २१, रूल १२) । फार्मके लिये देणो जायता दीवानीके परिशिष्ट १ के जमीमा (ई) का फार्म न० १ ।

जब वह जायदाद मनकूला मदिपून डिकरीके कब्जेमें हो, तो उन चीजों की, जो डिकरीदार कुर्क करवाना चाहता है, एक फेहरिस्त भी दाखिल करनी चाहिये [देखो जायता दीवानीके जमीमा (ई) का फार्म न० ८] जिसमें उनकी अन्दाज़न कीमत लिखी हुई हो और खाना १० में यह बात लिख दीजानी चाहिये कि अमुक अमुक जायदाद ही कुर्क की जानी चाहिये ।

नकद रुपएकी डिकरीमें कुर्की

नकद रुपयेकी डिकरीमें कुर्कीकी जाने वाली जायदाद की मालियत जहाँ तक हो सके उस रुपयेके लगभग ही होनी चाहिये जो बाकी है (देखो आर्डर २१, रूल १७) जब तक फेहरिस्त न दाखिलकी जाय, अदालत इस बातको नहीं तय कर सकती कि कुर्की की जाने वाली जायदाद की मालियत करीब करीब उतनी है जितनी कि डिकरीके रुपये की तादाद है । अगर उन चीजोंकी, जिनकी कुर्की किये जानेके लिये दरखास्त की गई है, कीमत २०) २० से अधिक है, तो जायता दीवानीके आर्डर २१ रूल ६६ के अनुसार नीलामका इश्तहार जारी करनेका खर्चा दरखास्तके साथ ही अदा कर दिया जाना चाहिये ।

जायता दीवानीके आर्डर २१, रूल १० के अनुसार उस जायदाद मनकूला की कुर्कीके लिये दरखास्त देते समय, जोकि मदिपून डिकरीके कब्जेमें है, डिकरीदारकी चाहिये कि वह उसी आर्डरके रूल ६६ के अनुसार नीलामका इश्तहार जारी करनेका खर्चा अदालतमें जमा कर दे, सिवाय उस हालतके, जबकि जिस जायदादको वह कुर्क करवाना चाहता है उसकी कीमत वह बीस २०)२० अधिक न न बतलाता हो । इस हालतमें, अगर जायदादकी कीमत, जो कि रूल ९३ के अनुसार तय हुई है, बीस रुपयेसे अधिक मालूम हो तो, अदालत डिकरीदारको यह

हुकम देगी कि वह कुर्फीकी नोटिस पाते ही फौरन् इशतहार नीलामका खर्चा जमा कर दे (देखो G R & C O. Chap I R 91)

शेर मनकूला जायदादकी कुर्फी



उस जायदाद शेर मनकूलाकी, जो कि मदिपून टिकरीकी मिल्कियत है, कुर्फीके लिये दी जाने वाली दरखास्तमें इतनी बात लिखी जानी चाहिये — (क) उस जायदादाका विवरण जो उसकी शिनाख्तके लिए काफी हो और (ख) उस जायदादमें मदिपून टिकरीका कितना हक या हिस्सा है (देखो आर्डर २१ रूल १३)

लेकिन शर्त यह है कि नकद रुपयेकी डिफरिमें कुर्क होने वाली जायदाद की कीमत फरीष करीष उस रकमके बराबर होनी चाहिये जो उस डिफरिकी बाबत वाजिमुल घसूल है (देखो आर्डर २१ रूल १७ की शर्त)

जब कुर्फीकी जाने वाली आराजी ऐसी आराजी है जिसकी मालगुजारी अदा की जाती है तो अगर अदालत ऐसा जरूरी समझे तो कलक्टरके रजिस्टरसे एक सार्टीफिकेट शुद् नकद पेश की जानी चाहिये जिसमें रजिस्टरमें दर्ज मालिकोके नाम और उस जायदादमें उसका क्या हिस्सा है यह लिखा रहेगा (देखो आर्डर २१ रूल १४)

जब दरखास्त किसी मालगुजारी माफ, आराजीकी या उस आराजीके किसी हिस्सेकी कुर्फीके लिये हो, उस समय जायदादीवानीके आर्डर २१ रूल १३ के अनुसार लिखी जाने वाली बातोंके साथ साथ उन सभी हालतोंमें, जिनमें ये सारी बातें कलक्टरके रजिस्टरमें दर्ज कर ली गई हैं, दरखास्तमें वह सारी बिना तथा मालगुजारी आराजीका रकबा लिखा जाना चाहिये ।

जब अदालत दीवानीको किसी ऐसी आराजी या हिस्से आराजीकी कुर्फीके लिये दरखास्त दी गई हो, जिसका किसी जिले के रजिस्टर मालगुजारी में इन्दराज है तो जायदादीवानीके आर्डर २१ रूल १४ के अनुसार लिखी जाने वाली बातोंके अलावा वह सालाना मालगुजारी भी लिखी जायगी जो उस कुल आराजाकी बाबत वाजिबुल अदा है । इसके लिये कलक्टरके दफ्तरके रजिस्टरकी एक तस्दीक शुद् नकद पेश करनी पड़ेगी (देखो G R & C O Chap I. R 92)

इजराकी दरखास्त पानेपर फौरनाह—इजराकी दरखास्त पाने पर अदालत इस बातको तय करेगी कि वह जायदादीवानीके आर्डर २१ के रूल ११ से रूल १४ तक की शर्तोंका पूरा करता है या नहीं । अगर वह इन शर्तोंका पूरा करता है तो अदालत, इजराका हुकम जारी करनेकी आज्ञा दे सकती है (देखो आर्डर २१ रूल १४), अगर वह इन शर्तोंको पूरा नहीं करता है तो अदालतनाअधिकार

गिरफ्तार किया जाय [देखो आर्डर २१ रूल ११ (१)] । जो डिकरी चढ़ाया लैगानकी याचत दी गई हो उसमें भी अदालत डिकरीदारकी जयानी दरख्वास्त पर इजराका हुक्म जारी कर सकती है [देखो यगाल टिन्नेसी ऐक्ट की दफा १४८ (१)]

आर्डर २० रूल ७ के अनुसार डिकरी की तारीख का मतलब उस तारीख से है जिसको फेसला सुनाया गया हो ।

अगर कौली जायदाद मनकूला की, जो मर्दियून डिकरी की मिल्कियत है, (लेकिन जो उसके कब्जेमें नहीं है), कुर्कीके लिये दरख्वास्त दी जाय, तो उसके साथ जायदाद मकूला (कुर्कीकी हुई जायदाद) की एक फेहरिस्त भी नर्ची कर देनी चाहिये जिसमें उस जायदादका तफसीलवार ठीक २ इवाला दिया हुआ हो । इसे फर्द ताल्लुका कहते हैं (देखो आर्डर २१, रूल १२) । फार्मके लिये देणो जायता दीवानीके परिशिष्ट १ के जमीमा (ई) का फार्म न० ६ ।

जब वह जायदाद मनकूला मर्दियून डिकरीके कब्जेमें हो, तो उन चीजों की, जो डिकरीदार कुर्क करवाना चाहता है, एक फेहरिस्त भी दाखिल करनी चाहिये [देणो जायता दीवानीके जमीमा (ई) का फार्म न० ८] जिसमें उनकी अन्दाजन् कीमत लिखी हुई हो और खाना १० में यह बात लिख दीजानी चाहिये कि अमुक अमुक जायदाद ही कुर्क की जानी चाहिये ।

नकद रुपएकी डिकरीमें कुर्की

नकद रुपयेकी डिकरीमें कुर्कीकी जाने वाली जायदाद की मालियत जहाँ तक हो सके उस रुपयेके लगभग ही होनी चाहिये जो बाकी है (देणो आर्डर २१, रूल १७) जब तक फेहरिस्त न दाखिलकी जाय, अदालत इस बातको नहीं तय कर सकती कि कुर्की की जाने वाली जायदाद की मालियत कुरीब कुरीब उतनी है जितनी कि डिकरीके रुपये की तादाद है । अगर उन चीजोंकी, जिनकी कुर्की किये जानेके लिये दरख्वास्त की गई है, कीमत २०) २० से अधिक है, तो जायता दीवानीके आर्डर २१ रूल ६६ के अनुसार नीलामका इश्तहार जारी करनेका खर्चा दरख्वास्तके साथ ही अदा कर दिया जाना चाहिये ।

जायता दीवानीके आर्डर २१, रूल १० के अनुसार उस जायदाद मनकूला की कुर्कीके लिये दरख्वास्त देते समय, जोकि मर्दियून डिकरीके कब्जेमें है, डिकरीदारको चाहिये कि वह उसी आर्डरके रूल ६६ के अनुसार नीलामका इश्तहार जारी करनेका खर्चा अदालतमें जमा कर दे, सिवाय उस हालतके, जबकि जिस जायदादको वह कुर्क करवाना चाहता है उसकी कीमत वह बीस २०)२० अधिक न न बतलाता हो । इस हालतमें, अगर जायदादकी कीमत, जो कि रूल २३ के अनुसार तय हुई है, बीस रुपयेसे अधिक मालूम हो तो, अदालत डिकरीदारको यह

नहीं थी। 2 P. 328 में यह तय किया गया है कि जब डिकरी जिदा हो तो पहिली फेहरिस्त के साथ दूसरी चीजें शामिल करके उसकी तरमीम करनेकी इजाजत दी जा सकती है। 74 I C 144 (P) में तय हुआ है कि जहा आर्डर २१ रूल १७ के अनुसार दरख्वास्त दर्ज रजिस्टर कर ली गई है तो इसके बाद उसकी तरमीम मुमकिन नहीं है और असबाब (जायदाद) की नहीं फेहरिस्त दाखिल करनेकी दरख्वास्त इजराफी दरख्वास्तकी तरमीम नहीं है। यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि आर्डर २१ रूल १७ यह अधिकार देता है कि तरमास सिर्फ रूल ११—१४ के ही नियमानुसार की जानी चाहिये और इसमें रूल १५ या किसी दूसरे रूलमें होने वाला मुकस शामिल नहीं है (देखो 53 I, C 803)

कौनसी अदालतें डिकरीकी इजरा कर सकती हैं और डिकरियोंकी मुन्तकिली—किसी डिकरीकी इजरा या तो वह अदालत करती है जिसने वह डिकरी दी है या वह अदालत जिसके पास वह इजरा के लिए भेजी गई है (देखो जायता दीवानीकी दफा ३८)

जिस अदालतने डिकरी दी है वह डिकरीदारके दरख्वास्त देने पर, उसे जायता दीवानीकी दफा ३९ में बतलाई हुई किसी भी बिनाके ऊपर उसकी इजरा के लिए दूसरी अदालतको भेज सकती है या अपने ही इच्छा से उसे इजराके लिए किसी मातहत अदालतके पास, जिसे ऐसा करनेका अधिकार हो भेज सकती है (देखो जायता दीवानीकी दफा ३९)

जब कोई डिकरी इजराके वास्ते किसी दूसरी अदालतमें भेज दी गई हो तो डिकरी भेजने वाली अदालत को उस डिकरीकी एक नकल साथमें भेज दी जानी चाहिए और डिकरीके बचाक न होने पर या उसका कुछ हिस्सा बचाक होनेका सर्टीफिकेट और इजराके किसी हुकमकी नकल या इस बातका सर्टीफिकेट दे दे (देखो आर्डर २१ रूल ६) तथा उस अदालतको भेज दिया जाना चाहिए जिसके द्वारा डिकरीकी इजरा होने को है।

जब वह अदालत जिसके पास इजराके वास्ते कोई डिकरी भेजी जाने को हो, उसी जिलेमें बाक हो जिसमें कि वह अदालत जिसने डिकरी दी है, तो वह उसीके पास भेजी जायगी। अगर वह दूसरे जिलेमें बाक है तो वह जिलेकी अदालतमें भेजी जायगी (देखो आर्डर २१ रूल ५), वह अदालत उसे किसी भी मातहत अदालतके पास भेज सकती है (देखो आर्डर २१ रूल ८) ।

जब कोई जायदाद गैर मनकूला ऐसी रियासत या हकीयत हो जो दो या अधिक अदालतों के अधिकार क्षेत्र की स्थनीय सीमा के भीतर बाक है, तो इनमें से कोई भी अदालत उस कुछ रियासत या हकीयत को बुर्क और नीलाम कर सकती है (देखो आर्डर २१ रूल ३) ।

प्रातीय सफ़ीफाकी अदालतों को इजराके वास्ते डिकरियों की मुन्तकिली के सम्बन्ध में देखो आर्डर २१ रूल ४। हाई कोर्ट द्वारा डिकरियों की इजरा के सम्बन्ध में देखो रूल ९ ।

है कि वह वही पर और उसी समय या किसी खास वक्तके अन्दर जिसे वह मुफ़्त करेगी उस दरख्वास्तकी कमीको पूरा करनेकी आशा दे दे या उसे खारिज कर दे। जब इस तरह किसी दरख्वास्तका सशोधन कर दिया जाय तो उसकी निश्चयत यह समझा जायगा कि वह कानूनके अनुसार तैयार की हुई दरख्वास्त है और "उस तारीखको दाखिल कीगई है जिस तारीखको कि वह पहिले दाखिल कीगई थी" (देखो आर्डर २१ रूल १७ (२))—अदालत दरख्वास्तके इस मुकससको दूर करने के वक्त को बढ़ा सकती है (देखो दफा १४८)—अगर दरख्वास्त खारिज कर दी जाय तो डिकरीदारको यह अधिकार है कि वह चाकापदा तैयार की हुई एक दूसरी दरख्वास्त दे, अगर उसकी मियाद खारिज नहीं होगई है।

जब दरख्वास्त मजूर कर ली गई हो तो अदालतको चाहिये कि वह दरख्वास्तके मुताबिक डिकरीकी इजराका हुकम दे दे (देखो आर्डर २१ रूल १७)

नोट—इजराकी दरख्वास्त देनेके पहले वकीलको इस बातका पूरा र इतमानान कर लेना चाहिये कि उसमें वे तमाम बातें लिख दीगई हैं जिनके लिखे जानेकी जरूरत है और कुछ खानोंकी बाकायदा खानापूरी कर लीगई हैं। अगर उसमें कोई सुबस हो या कोई बात छूट गई हो तो अदालतको इतना अख्तियार है कि वह उस दरख्वास्तको खारिज कर दे और उसे दुस्त किये जानेके लिये वापस भी कर दे। अगर किसी डिकरीकी इजरा की कोई ऐसी दरख्वास्त खारिज कर दी जाय जिसकी मियादकी मुदत करीब आगई है तो सम्भव है कि दूसरी दरख्वास्त पेश किये जानेके पहले उसकी मियाद खारिज हो जाय और जिस डिकरी की मियाद दरख्वास्त देनेके बाद प्रथम हो जाती है उसकी इजरा न हो सकेगी।

जो दरख्वास्त दफा २३५ (आर्डर २१ रूल ११) में बतलाये नियमानुसार दी गई है लेकिन नीचे जायदादका हवाला नहीं दिया है जो दफा २३७ (आर्डर २१ रूल १३) में बतलाया गया है, वह दफा २३० (आर्डर ३० रूल १०) में बतलाई हुई दरख्वास्तें हैं। अगर ऐसी दरख्वास्त उस मियादके अन्दर दुस्त न कर दी जाय जो अदालतने इसके लिये दिया है तो वह कानूनके अनुसार दरख्वास्त न समझी जायगी जिससे मियादकी मुदत की नई तारीख मिलती हो (देखो 17 C 631, F B 14 C 124 Over-Ruled, और 18 C L J, 538 V) एक डिकरी तारीख १८ ११ १९११ ई० को दीगई और उसकी इजरा दरख्वास्त तारीख २३-११-१९१४ ई० को दीगई जो कानूनके मुताबिक थी। लेकिन मद्रियन डिकरीके उज्रदारी करने पर यह मालूम हुआ कि जो चीजें बतलाई गई हैं वे कुछ नहीं की जा सकती और डिकरीदारने तारीख १४ १-१९१५ ई० को यह दरख्वास्त दी कि उस दरख्वास्त की तरमीम करने की इजाजत थी जाय और जायदाद की नई फेहरिस्त ले ली जाय। तब हुआ कि फेहरिस्त उस पहिली दरख्वास्त का ही हिस्सा समझ कर ले ली जाय, देखो 22 C W N 540 इस सम्बन्धमें 17 I C. 631 और 18 C L J 538 के मुकद्दम इस विनापर भिन्न माने गये कि चीजांकी कोई फेहरिस्त दाखिल न कीगई थी और जो दरख्वास्त दी गई थी वे कानूनके मुताबिक

नहीं थी। 2 P. 328 में यह तय किया गया है कि जब डिकरी जिन्दा हो तो पहिली फेहरिस्त के साथ दूसरी चीजें शामिल करके उसकी तरमीम करनेकी इजाजत दी जा सकती है। 74 I C 144 (P.) में तय हुआ है कि जहा आर्डर २१ रूल १७ के अनुसार दरख्वास्त दर्ज रजिस्टर कर ली गई है तो इसके बाद उसकी तरमीम मुमकिन नहीं है और असबाब (जायदाद) की नई फेहरिस्त दाखिल करनेकी दरख्वास्त इजराकी दरख्वास्तकी तरमीम नहीं है। यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि आर्डर २१ रूल १७ यह अधिकार देता है कि तरमांम सिर्फ रूल ११—१४ के ही नियमानुसार की जानी चाहिये और इसमें रूल १५ या किसी दूसरे रूलमें होने वाला नुक्स शामिल नहीं है (देखो 53 I, C 803)

कौनसी अदालतें डिकरीकी इजरा कर सकती हैं और डिकरियोंकी मुन्तकिली—किसी डिकरीकी इजरा या तो वह अदालत करती है जिसने वह डिकरी दी है या वह अदालत जिसके पास वह इजरा के लिए भेजी गई है (देखो जायता दीवानीकी दफा ३८)

जिस अदालतने डिकरी दी है वह डिकरीदारके दरख्वास्त देने पर, उसे जायता दीवानीकी दफा ३९ में बतलाई हुई किसी भी बिनाके ऊपर उसकी इजरा के लिए दूसरी अदालतको भेज सकती है या अपने ही इच्छा से उसे इजराके लिए किसी मातहत अदालतके पास, जिसे ऐसा करनेका अफ्तयार हो भेज सकती है (देखो जायता दीवानीकी दफा ३९)

जब कोई डिकरी इजराके वास्ते किसी दूसरी अदालतमें भेज दी गई हो तो डिकरी भेजने वाली अदालत को उस डिकरीकी एक नकल साथमें भेज दी जानी चाहिए और डिकरीके बचाकू न होने पर या उसका कुछ हिस्सा बचाकू होनेका सार्टीफिकेट और इजराके किसी हुक्मकी नकल या इस बातका सार्टीफिकेट दे दे (देखो आर्डर २१ रूल ६) तथा उस अदालतको भेज दिया जाना चाहिए जिसने द्वारा डिकरीकी इजरा होने की है।

जब वह अदालत जिसके पास इजराके वास्ते कोई डिकरी भेजी जाने को हो, उसी जिलेमें चाकू हो जिसमें कि वह अदालत जिसने डिकरी दी है, तो वह उसीके पास भेजी जायगी। अगर वह दूसरे जिलेमें चाकू है तो वह जिलेकी अदालतमें भेजी जायगी (देखो आर्डर २१ रूल ५), वह अदालत उसे किसी भी मातहत अदालतके पास भेज सकती है (देखो आर्डर २१ रूल ८)।

जब कोई जायदाद गैर मनवूला ऐसी रियासत या हकीयत हो जो दो या अधिक अदालतों के अधिकार क्षेत्र की स्थनीय सीमा के भीतर पाके है, तो इनमें से कोई भी अदालत उस कुछ रियासत या हकीयत को छुड़ और नीलाम कर सकती है (देखो आर्डर २१ रूल ३)।

प्रांतीय रफ्तोफाकी अदालतों को इजराके वास्ते डिकरियों की मुन्तकिली के सम्बन्ध में देखो आर्डर २१ रूल ४। हाई कोर्ट द्वारा डिकरियों की इजरा के सम्बन्ध में देखो रूल ९।

उपरोक्त बातें हो जाने के बाद डिक्रीदार उस अदालत को इजरा की दगम्बास्त दे सकता है (देखो आर्ट २१ रूल १०)

जो अदालत जावता दीवानी की दफा ३९ के अनुसार दूसरी अदालत को इजरा के वास्ते डिक्रीया भेज रही हो उसे जावता दीवानी के आर्ट २१ रूल ६ के बर्ज (सी) की शर्तोंको भूल न जाना चाहिये [देखो G R & C O Chap I R 85]

जो डिक्रीया दफा ३९ के अनुसार हाईकोर्ट के पास इजरा के लिये भेजी जायगी और जिन सार्थिकिटो द्वारा दफा ४१ के अनुसार इजरा की फार्वाई के नतीजे की इतला हाईकोर्ट को दी जाती है वे सब वद लिफाफे के अन्दर भेजी जानी चाहिये [देखो G R & C O Chap I R 86)

कूचबिहार और वरीदाकी दीवानी और माल की अदालत की डिक्रीयों की वृटिश हीउया में इजरा—जावता दीवानी की दफा ४४ के अनुसार सपरिपद् गवर्नर जनरल ने घोषणा निकालने की कृपा है कि कूच बिहार की दीवानी और माल की अदालतों की और वरीदा की दीवानी अदालतों की इजरा वृटिश भारत में उसी प्रकार की जा सकती है मानो कि वे वृटिश भारत की ही अदालतों द्वारा दी गई हो (देखो G R & C O Chap I R 88)

वृटिश राज्य की अदालतों में प्राप्त की हुई डिक्रीयों की देशी रियासतों की अदालतों में इजरा—इस सम्बन्ध में भारत सरकार के द्वारा प्रस्ताव नं० २४० तारीख २८ अंगस्त सन् १८६८ ई० में दी हुई हिदायतों को देखो जो G R & C O Chap 1 R 89 में प्रकाशिक की गई है ।

भाम कायदा यह है कि अंग्रेजी राज्यकी डिक्री की तामील देशी रियासतों में, देशी रियासतों के राज्य कानूनके अनुसार होती है । अक्सर जिस कदर स्टाम्प उस देशी रियासत में उस क्रिम की डिक्री की इन्तिदाई नालिश में लगाना जरूरी था उस कदर स्टाम्प दाखिल करके एक प्रकार नये सिरे से मुकदमा चलाकर वहा की डिक्री हो जाती है और अंग्रेजी राज्य की डिक्री वतौर सुवृत के मान ली जाती है । पीछे उस डिक्री को राज्य के कानून के अनुसार इजरा कराया जाता है कभी कभी अंग्रेजी डिक्री को ही इजरा कर देते हैं ।

हर एक राज्यमें भिन्न भिन्न कानून है हम इसका वर्णन अन्यत्र विस्तार से करेंगे ।

अंग्रेजी अदालतों में प्राप्त की हुई डिक्रीयों की फ्रांसीसी राज्यमें इजरा—दीवानी अदालतों को इजरा के लिये डिक्रीया फ्रांसीसी अदालतों में नहीं भेजना चाहिये बल्कि उन्हें उन फरीकैन को जो उन डिक्रीयों से सम्बन्ध रखते हैं इस बात की हिदायत कर देनी चाहिये कि वे खुद उन अदालतों में दरखास्त दें ।

अदालत इजरा के अख्यारात—जिस अदालत को इजराके वास्ते कोई डिक्री भेजी गई हो उसे उसकी इजरा करने में वही अख्यारात दाखिल हाने मानो वह डिक्री उसी अदालत से दी गई थी (देखो जावता दीवानी की)

यह एक विलकुल तय बात है कि अदालत इजरा को डिकरी की नये सिरे से जाच परताल करने का अख्तियार नहीं है वह डिकरी के जायज होने में कोई एतराज नहीं कर सकती और न उसके क नूनी होने के सम्बन्ध में ही कोई एतराज कर सकती है [देखो 23 A 181 P C, 11 B 528, 31 C 922, 24 C L J 375, 20 C L J. 512, 14, C L J 83, 30 M 402, 5A 53, 15A 334, 15 C W N 725, 10 M 283, 13 C W N 1182 P C, 21 C W N 1104]—अदालत इजरा किसी डिकरी की इस बिना पर इजरा करने से इनकार नहीं कर सकती कि वह एक नावालिग के खिलाफ दी गई है जिसका कोई पली मुकद्दमे में उसका प्रतिनिधि नहीं बनाया गया था देखो 78 I C 460 लेकिन 50 I C 529, 4 Pat L J 240 F B और 26 M 31 में यह तय किया गया है कि अदालत इजरा उस डिकरी पर ऐसा विचार करने के लिये बाध्य नहीं है जो विलकुल नाजायज और बेजायत है। अदालत इजरा उस अदालतके अख्तियार समाप्तकी निस्वत कुछ नहीं कह सकती जिसने डिकरी दी है (देखो 28 B 378, 17 A 478, 10 B 65, 43 M 475 F B) और न वह जालसाजी के ही विषय में कुछ कह सकती है (देखो 15 B 216, 4 M 324)

इजरा की दरखास्त कौन दे सकता है—(१) इजरा की दरखास्त डिकरीदार या डिकरीदारों को देनी चाहिये। . .

(२) अगर डिकरी एक से अधिक लोगों के हक में शामिलत में दी गई है तो (जब तक डिकरी में इससे भिन्न कोई व्यवस्था न की गई हो) उनमें एक अथवा अधिक आदमी उन सब लोगोंकी या उनके कानूनी प्रतिनिधियोंकी ओर से उस सारी की सारी डिकरी की इजरा की दरखास्त दे सकते हैं।

(३) अगर डिकरीदार ने तहरीरी बसीयतके जरिये या कानूनकी रू से डिकरी को मुन्तकिल कर दिया हो तो मुन्तकिलभलेह उस अदालत में इजरा की दरखास्त दे सकता है जिसने डिकरी दी है। लेकिन शत यह है कि इस दरखास्त की इत्तला इन्तकाल कुनिदा और मदियून डिकरी दोनों को दी जानी चाहिये और उसपर उज्रदारी अगर कोई हो तो मुनी जायगी। यह भी शत है कि जब दो या अधिक आदिमियाँ के ऊपर दी गई रुपये की अदायगी की डिकरी उव में से किसी एक शख्स के हक में मुन्तकिल कर दी जाय तो बाकी लोगों क खिलाफ उसकी इजरा न हो सकेगी [देखो भांडर २१ रूल १६]

(४) अगर डिकरीदार मर जाय तो उसके कानूनी प्रतिनिधियों को उस डिकरी की इजरा की दरखास्त देने का हक होगा [देखो दफा १४६]

(५) अगर किसी महाजन को कुर्की में कोई डिकरी मिली हो तो वह महाजन उस डिकरी की इजरा के लिये दरखास्त दे सकता है [देखो भांडर २१ रूल ५२ (२)]

नोट—शामिलती डिकरी का मतलब ऐसी डिकरी है जो जादे या अधिक आदिमियों के हक में दी गई हो यद्यपि जर डिकरी या जापदाद डिकरी में उनका हक या हिस्सा अलग अलग है।

जहां पर शामिलाली डिकरीदारों में से सिर्फ कुछ ही आदमी इजरा की दरखास्त दे उस हालत में अदालत को अख्तियार है कि वह उस दरखास्त को मजूर करे या ना मजूर, देखो 7 C L R. 537—अदालत के लिये यह लाजिमो नहीं है कि वह इस रूल के अनुसार हुक्म देने के पहिले हर एक डिकरी के बाकी शामिलाली डिकरीदारों के नाम नोटिस जारी करे, देखो 33 C 306 यद्यपि अदालत की इजाजत लेकर कई डिकरीदारों में से सिर्फ एक ही डिकरीदार शामिलाली डिकरी की इजरा करा सकता है पर इजरा उस कुल डिकरीकी होनी चाहिये उसके किसी एक हिस्सेकी नहीं और अदालत को अधिकार होगा कि बाकी डिकरीदारोंके हकूक की डिफाजत (रक्षा) का प्रबन्ध करने के बाद वह इजरा की दरखास्त को मजूर करले देखो 7 W R 10, 22 W R 354, 15 W R 159—अकेला एक डिकरीदार सिर्फ अपने ही हिस्सेकी इजरा नहीं करा सकता। इजरा की इजाजत उसी समय दी जा सकती है जब वह कुल डिकरीदारों के फाये के लिये कीगई हो। अगर यह बात लिख न दी जायगी तो इजरा की दरखास्त ठीक न मानी जायगी और फिर रूल १७ के अनुसार उसकी इजरा भी न हो सकेगी [देखो 53 I C 803]—शामिलाली डिकरी के डिकरीदारों में से सिर्फ एक ही डिकरी दार अपने हिस्से की ही बावत उस डिकरी की इजरा नहीं करा सकता देखो 7 W R 535, 5 All 27.

कई मुश्तरका मदियूनान डिकरीमें से किसी एक द्वारा किसी रूपकी डिकरी के खरीद लिये जाने पर बाकी मदियूनान डिकरीकी कोई जिम्मेदारी बाकी नहीं रह जाती, देखो 5 A 27, 10 A 570, 11 C 393, 31 B 308, 15 C 187

इस रूलके अनुसार कई मुश्तरका डिकरीदारोंमें से किसी एक को किसी मुश्तरका (शामिलाली) डिकरीके इजरा करनेकी इजाजत देने या न देने सम्बन्धी जो हुक्म है वह दफा ४७ के अनुसार डिकरी है और डिकरीदार और मदियून डिकरीमें झगडा हो जानेकी दशामे उसके खिलाफ अपील की जा सकेगी, देखो 17 M 394 लेकिन जब झगडा खुद डिकरीदारोंमें ही हो तो ऐसे हुक्मकी अपील न हो सकेगी, देखो 23 B 623

डिकरीदारको अधिकार है कि वह अपनी इच्छानुसार कुल डिकरीकी इजरा किसी भी एक मदियून डिकरीके खिलाफ करा दे। अगर किसी मुश्तरका डिकरीमें कोई मदियून डिकरी, डिकरीसे बरी कर दिया जाय, तो इससे दूसरे मदियूनान डिकरी बरी नहीं हो सकते, देखो 11 C L J 354

डिकरीके मुन्तकिल अलेहकी ओरसे दरखास्त—पुराने जायत दीवानीकी दफा २३०, जो भांडर २१, रूल १६ के बराबर है, पुराने जायते से "अगर अदालत उचित समझे" इन शब्दोंके निकाल देने से यह बात स्पष्ट होगई है कि किसी डिकरीके मुन्तकिल अलेहकी अब डिकरीकी इजरा करा पानेका अधिकार है। पुराने जायतके अनुसार जो फैसले दिये गये थे उनकी इस बातसे सहमति नहीं है

कि कई एक मुश्तर्का डिक्करीदारोंमें से एक शख्सका हक मुन्तकिल हो सकता है। नीचे दिये हुये मामलोंमें कुछ सन्देह प्रकट किया गया, और यह तय हुआ कि किसी डिक्करीके एक हिस्सेकी मुन्तकिली से मुन्तकिल अलेहका हक पैदा नहीं होता, (देखो 24 W R 11, 28 M 64, 5 A 27, 25 W R 343, 10 A 570) कुछ दूसरे मुकद्दमोंमें इससे भिन्न फैसला दिया गया है, (देखो 24 W R 245, 17 C 341, 19 M 306)

नये जायत दीवानीके आर्डर २१ रूल १६ में, "डिक्करीमें किसी डिक्करीदार का हिस्सा" शब्दोंके जोड़ देने से यह बात साफ हो जाती है कि "किसी डिक्करी" के एक हिस्सेकी मुन्तकिली जायज है (देखो 19 M 306, 33 M 80, 44 M 919) रुपये और खर्चोंकी अदायगीकी डिक्करी एक डिक्करी है और उसके टुकड़े नहीं किये जा सकते और सिर्फ खर्चा वसूल करनेके हक की मुन्तकिलीसे मुन्तकिल अलेहको डिक्करीकी इजरा का हक पैदा नहीं होजाता, देखो 35 A 204 डिक्करीकी जो मुन्तकिली की जाय वह बजटिए तद्वरीर की जानी चाहिये देखो 15 B 307

आर्डर २१ रूल १६ की शर्तें ताकीदी हैं, देखो 63 I C 884 "मुन्तकिली" का अर्थ है इन्तकाल कुनिन्दाके कुछ हककी मुन्तकिली। इसमें रहन नामा द्वारा किसी डिक्करीके हककी मुन्तकिली शामिल नहीं है, देखो 66 I C 679 जायदादका मुन्तकिल अलेह, डिक्करीका मुन्तकिलअलेह नहीं, डिक्करीकी इजरा पानेका हकदार नहीं है, देखो 66 I C 878, 17 I C 512, 3 Pat L T 625

इन्तकाल कुनिन्दा और मद्दियून डिक्करीको दरख्वास्तकी नोटिस देना निहायत जरूरी है, देखो 11 C L J 354, 57 I C 250 जब कोई मद्दियून डिक्करी इजराकी पहिली दरख्वास्त के ऊपर, उसकी नोटिस न देने के सम्बन्धमें कोई एतराज न करे, तो वह बाद में देने वाली इजरा के सम्बन्धमें कोई पत राज नहीं कर सकता, देखो 57 I C 707

इस बातकी जाच करनेकी इजाजत दीगई है कि मुन्तकिल अलेह मद्दियून डिक्करीका 'बयनामीदार' तो नहीं है। अगर वह 'बयनामीदार' है, तो रूल १६ के अनुसार अदालत इजराकी दरख्वास्त नामजूर कर देगी, देखो 54 I C 941, 40 M 296 'बयनामीदार' कमसे कम उन सूक्तोंमें इजरा करा सकता है जय जायदाद और मनबूलाकी हकीयतकी निस्वत कोई शर्त न हो, देखो 43 I C 801

बयनामीदार—बयनामीदार उसे कहते हैं कि जय किसी शख्सने अपने रुपए से अपने लिए कोई जायदाद खरीदी हो या ली हो मगर खरीदी हो और ली हो दूसरे के नामसे। अर्थात् उसका नाम फर्जी हो मालिक अमली दूसरा हो। इसी तरहपर डिक्करी खरीदारको भी समझना। जय किसी ने दूसरेके नामसे डिक्करी खरीदी हो वा उस डिक्करीकी इजरा न होगी। जरूरी बात यह है कि बयनामीदार वह शख्स

न हो जिसके हकमें डिफर्री मुन्तकिल कीगई है। बेनामीका मामला विस्तारसे देखो, चन्द्ररोखर कृत हिन्दू लॉके 'बेनामी' प्रकरणमें।

बंगाल टिनेसी ऐक्टकी दफा १४८ क्लॉज (पंच) के अनुसार किसी लगानी डिफर्रीका मुन्तकिल-अलैह उस डिफर्रीकी इजराके लिए दरखास्त नहीं दे सकता जब तक कि जमींदारका वह हक जो उसे आराज़ीमें हासिल है, उसके हकमें मुन्तकिल न कर दिया जाय।

लगानी डिफर्री क्या है, इस सम्बन्धमें देखो 4 C W N 357 F B, 4 C W N. 605, 18 C. W N 747; 31 C. 550, 3 C W. N 604 35 C 737. '

एक ही साथ इजराकी कई दरखास्तें—रूपयेकी अदायगीकी हर एक डिफर्रीकी इजरा मदियून डिफर्रीको क़ौदमें बन्द रख कर या जायदादकी कुर्की और नीलाम कराके या दोनों तरहसे की जा सकती है (देखो आर्डर २१, रूल ३०, दफा ५१) लेकिन अदालतको भयव्यार है कि वह मदियून डिफर्रीके जिस्म और जायदाद दोनोंके खिलाफ चाही जाने वाली इजराकी नामजूर कर दे (देखो आर्डर २१, रूल २१)

दूसरी अदालतके नाम हुक्म जारी करके इजरा—जब किसी डिफर्रीदारको इस घात का भय हो कि मदियून डिफर्री, अपनी जायदाद किसी दूसरी अदालतके अधिकार-क्षेत्रमें हटाकर उसे अपनी डिफर्रीके फलसे बचित कर देगा, तो वह उस अदालतसे, जिसने डिफर्री दी है, यह दरखास्त कर सकता है कि वह मदियून डिफर्रीकी जायदाद कुर्क कर लेनेके लिये उस दूसरी अदालतको हुक्मनामा भेज दे (देखो दफा ४६)

केवल खास खास हालतोंमें ही डिफर्रीदार को यह आज्ञा दी जा सकती है कि वह एक ही साथ कई अदालतोंमें इजराकी कार्यवाई जारी रख सके, देखो 14 M L A 529, p 540, 8 C 687, 37 M 231

मुद्दालिफ डिफर्रियों और मुद्दालिफ दावोंकी इजरा—मुद्दालिफ डिफर्रियों (Cross decrees) और एक ही डिफर्रीके सम्बन्धमें मुद्दालिफ दावों (Cross Claims) की इजराके सम्बन्धमें देखो आर्डर २ (रूल १८ और १९, रूल १८ और १९ के नियम रेहननामाकी डिफर्रियोंके सम्बन्धमें भी लागू होंगे [देखो आर्डर २ (रूल २०)] 'मुद्दालिफ डिफर्री' उसे कहते हैं कि जो डिफर्री एक फरीक पर दूसरेकी और दूसरे पर उसकी हो।

किन्नेके विरुद्ध इजराकी दरखास्त दी जा सकती है—(१) इजराकी दरखास्त मदियून डिफर्री या मदियूनान डिफर्रीके विरुद्ध दी जानी चाहिये।

२ अगर डिफर्रीकी वेवाफ़ी होनेके पहिले मदियून डिफर्री की मृत्यु हो जाय, तो डिफर्रीदार उसके क़ानूनी प्रतिनिधियोंके विरुद्ध इजरा के लिए दरखास्त दे सकता है (देखो दफा ५०) ऐसी दशामें नोटिस क़ानूनी प्रतिनिधियोंके नाम आर्डर २१ रूल २२ के अनुसार जारी की जानी चाहिये।

(३) जब कानूनी प्रतिनिधिके खिलाफ इजराकी दरखास्त दी गई हो, तो वह सुतौफी मदियून डिफरीकी सिर्फ उसी कदर जायदादकी निस्वत जिम्मेदार हागा जो उसको मिली है और जिसका चाकायदा तौरसे तस्फिया नहीं हुआ है । ऐसी वशामे अदालत ऐसे कानूनी प्रतिनिधिसे ऐसा हिस्सा खिताब जायदादका पेश करवा सकती है जसा कि उसे मुनासिब मालूम पड़े (देखो दफा ५०)

(४) जब किसी शखसके ऊपर किसी सुतौफीके कानूनी प्रतिनिधिकी हैसियतसे सुतौफीकी जायदादमे से रुपया अदा करनेकी बाबत, डिफरी दी गई हो, तो उसकी इजरा ऐसी जायदादकी छुर्की और नीलाम कराके की जा सकती है । अगर जायदाद उसके कब्जेमे नहीं है और वह इस बातका इतमीनान नहीं दिला सकता कि उसने जायदादको अच्छी तरह पर लगा दिया है, तो उस डिफरीकी इजरा उसके खिलाफ उसी कदर जायदादकी निस्वत की जा सकती है जिसके बारेमे वह इतमीनान नहीं दिला सकता है, मानों वह डिफरी सुद उम्मीके ऊपर दी गई थी (देखो दफा ५०) हिन्दू लॉ के अनुसार "सुतौफी की जायदाद" कौन है इस सम्बन्धमे देखो ज़ायता दीवानी की दफा ५३ ।

दफा ५० उस समय लागू होती है जब डिफरी दिये जानेके बाद और उसकी चेबाकी होजाने के पहिले मदियून डिफरीकी मृत्यु हो जाय । दफा ५० उस समय लागू होती है जब मुद्दाअलेहकी मोत मुकद्दमेके दौरानमें होजाय और उसके कानूनी प्रतिनिधि फरीक़ मुकद्दमा बना दिये जाय या जब असली क़णोंके मर जानेके बाद कानूनी प्रतिनिधियोंके ऊपर नालिशकी गई हो और उनके ऊपर प्रतिनिधिकी हैसियतमे डिफरी दे दी गई हो, और यह कि डिफरी सुतौफीकी जायदादमे से रुपयेकी अदायगी करनेके लिये दी गई हो । अगर कोई मुद्दाअलेह मुकद्दमा खतम होने और फंसला सुनाए जानेके बीच मरजाय तो वह डिफरी उसके मरनेके पहले दी गई डिफरी समझी जायगी (देखो भाइर २२ रूठ ६), और वह दफा ५० के अनुसार इजराके काबिज है । लेकिन अगर मुद्दा अलेह, मुकद्दमा खतम होनेके पहले ही मर जाय और बिना उसकी जानकारीके डिफरी दे दी जाय तो वह डिफरी नाजायज समझी जायगी और उसकी इजरा नहीं हो सकती (देखो 17 C L J 684, 50 I C 529 F B, 20 B 317, 48 I C 859)

दफा ५० का "दरखास्त देमकता है" वाक्य "दरखास्त देगा" के समान है देखो 68 I C 667 "कानूनी प्रतिनिधि" का अर्थ केवल प्रबंधकर्ता (Administrators) तामील कुनिन्दा (E cutors) और वारिस (Heirs) ही नहीं है बल्कि उनमे कोई भी ऐसा शखस आ जाता है जो कानूनके अनुसार सुतौफी की जायदादका प्रतिनिधि हो (देखो 80 W N, 843, 11 C W N 593 F B), इसलिये अगर कोई दूसरा बाहरी आदमी जायदाद पर काबिज होजाय तो उसपर सिवाय चाकायदा नालिश दापर करके, इजरा की कारवाई नहीं की जा सकती (देखो 17 M -18०)

दफा ५० उस समय भी लागू नहीं होती जब मद्रियून डिकरी जायदाद फुकुं होने के बाद और नीलामके पहले मर जाय । फुकीं उसकी मौतके साथ ही खतम नहीं हो जाती और नीलामके पहले उसके कानूनी प्रतिनिधियांका नाम दर्ज कागजात न करनेसे नीलाम नाजायज नहीं होजाता देखो 12A 440F B ,23C 686,19B 276,17A 162,11C W N 163,23C W N 608, और 6M 180, 15M 399,22M 119 हालमें मद्रास हाईकोर्टके एक मुकद्दमें यह तय हुआ है कि सुतौफा मद्रियून डिकरीके कानूनी प्रतिनिधियोंके बिना इजराकी कार्रवाई नाजायज होगी और उस हालतमें नीलाम मसखू किए जाने की जरूरत नहीं है । यह बतलाया गया है कि हुकमके पहले की मौत और हुकमके बादकी मौतमें कोई अन्तर नहीं है, देखो 68 I C 667 लेकिन एक दूसरे मुकद्दमें यह तय किया गया है कि जब मद्रियून डिकरी इजराकी कार्रवाईके दौरानमें मर जाय, तो उस दशामें डिकरीदारके लिए यह अनिवार्य (लाजिमी) नहीं है कि वह उसके वारिसोंको फुरीक बनावे, नहीं तो उसकी डिकरी रुक जायगी । कानूनमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो इस बातकी व्यवस्था करती हो कि किसी मद्रियून डिकरीके मर जाने पर उसके ऊपर होने वाली इजराकी कार्रवाई बन्द होजायगी, देखो 42 A. 570

इजराका हुकम देनेके पहले नोटिस—नीचे लिखी सूक्तोंमें वजह जाहिर करने के लिए इजराकी नोटिस दिया जाना जरूरी है—

(क) जब इजराकी दरख्वास्त डिकरीकी तारीखसे एक सालसे ज्यादा समय में दी गई हो, या

(ख) डिकरी के किसी फुरीक के कानूनी प्रतिनिधियों के खिलाफ दी गई हो ।

लेकिन शर्त यह है कि नीचे लिखी हालतोंमें नोटिस देनेकी जरूरत न होगी—

(क) अगर दरख्वास्त उस तारीख से एक सालके भीतर दी गई हो जिस तारीखको इजराकी पहले वाली किसी दरख्वास्तके ऊपर अन्तिम हुकम दिया गया हो, या

(ख) अगर उसी शख्स के विरुद्ध दी गई इजरा की पहिली दरख्वास्त पर अदालत ने इजरा का हुकम दे दिया है ।

लेकिन अगर अदालत को यह यकीन हो जाय कि नोटिस से अनावश्यक बिलम्ब होजाने या न्याय में बाधा पहुँचने की सम्भावना है, तो वह नोटिस का जारी करना बन्द कर सकती है ।

जब डिकरी रुपये की अदायगी की बाबत हो और मद्रियून-डिकरी की गिरफ्तारी से उसकी इजरा चाही जाने को हो, तो अदालत, अपने अधिकार से इजरा का हुकम देने के पहिले उसके नाम यह नोटिस जारी कर सकती है कि वह आकर वजह जाहिर करे कि उसकी गिरफ्तारी क्या न की जाय [देखो

आर्बर २१, रूल ३७] हाजिर होने के बाद होने वाली कार्रवाई के सम्बन्ध में देणो रूल ४० ।

नोटिस न देने से बाद में होने वाली नीलाम नाजायज हो जाती है । नोटिस से अदालत इजराकी नीलाम करनेका अधिकार मिल जाता है (देखो 20 C 370, 42 C 72 P C 27 C L J 528, 19 C W N 152, 24 C L J 523, 2 Pat L T 401) कुछ मुकद्दमों में जो राय क़ायम की गई है, कि नोटिस न देने से नीलाम नाजायज हो जाता है, वह 42 C 72 में प्रिवी कौंसिल के दिए फैसले के बाद से, अच्छा फैसला नहीं माना जा सकता ।

केवल नोटिस का जारी कर देना ही काफी न होगा । उसकी तामील हो जाना जरूरी है, देणो 25 C W N 972, 61 I C 822, एक बार किसी नोटिस के तामील हो जाने पर रूल २२ में इस बात की व्यवस्था नहीं है कि इजरा की हर एक ऐसी दरखवास्त के लिए, मद्दियून डिकरीके खिलाफ़ आखिरी हुक्म की तारीख़ से एक साल से ज्यादा समय में दी गई हो, नई नोटिस देने की जरूरत नहीं है, देखो 74 I C 838 नोटिस के जारी करने से मियाद के लिए नई तारीख़ मिल जाती है, देणो 15 A 84, 25 C 594 F B

नोटिस जारी करा के बाद की कार्रवाई—जिस शख्स के नाम रूल २२ के अनुसार नोटिस जारी किया गया है, वह डिकरी की इजरा के सम्बन्ध उत्तरदायी कर सकता है और अदालत ऐसी उत्तरदायी पर विचार करके जैसा हुक्म वह मुनासिब समझे देगी, [देणो आर्बर २१, रूल २३]

उपरोक्त प्रारम्भिक कार्रवाई खतम होजानेके बाद अदालतमें जब तककि उसे इसके विपरीत कोई कार्रवाई करने का कोई कारण न मालूम हो, डिकरी की इजराके लिए हुक्मनामा जारी कर देगी [देणो आर्बर २१, रूल २४]

ऐसे समय में अदालत हुक्मनामा जारी करेगी अर्थात् वह या तो जायदाद गैर-मनबूला या मनबूला की कुर्ज़ी का हुक्म देगी या डिकरीदार की दरखवास्त के अनुसार गिरफ्तारी का चारट जारी करेगी (देखो आर्बर २१, रूल २४, २५), वकीलों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तलबाना और सम्मत अदालत द्वारा नियत (मुक़रर) किए हुए समय के भीतर दामिल कर दिए गए हैं या नहीं, नहीं तो इजरा की कार्रवाई ख़ारिज हो जाने की सम्भावना है ।

इलाहाबाद में आर्बर २१, रूल २५ (२) की जगह रूल २५ (२) कर दिया गया है ।

इजरा की मुस्तवी—जिस अदालत में इजरा के लिए डिकरी भेजी गई है, वह काफी ज़जद दिखलाए जाने पर इजरा मुस्तवी कर सकती है जिससे मद्दियून डिकरी उस अदालत से, जिसने डिकरी दी है, या अदालत अपील से इजरा करने की मुस्तवी का हुक्म ला सके । इजरा मुस्तवी करने के पहिले, अदालत काफी जमानत तलब कर सकती है [देणो आर्बर २१, रूल २६-२७ और २८]

डिकरीदार और गविषुन डिकरी के बीच होने वाले मुकद्दमों के दौरान में इजरा की कार्रवाई सुलतगी करने के सम्बन्ध में देणो २१, रूल २० ।

कोई अपील किसी ऐसी डिकरी या ऐसे हुक्म के अनुसार, जिसकी अपील की गई है होने वाली इजरा की कार्रवाई की सुलतगी न समझी जा सकेगी, सिवाय उस हद तक जिसके लिए अदालत अपील हुक्म दे, और न अपील टायर होजाने से ही इजरा सुलतगी कर दी जायगी, लेकिन अदालत अपील, काफी वज्रहात होने पर, इजरा सुलतगी किए जाने के लिए हुक्म दे सकती है। "जिस अदालत ने डिकरी दी है" वह आर्डर ४१, रूल ५ की पाठ्यन्दी में रहते हुए, काफी वज्रहात दिखलाए जाने पर, इजरा सुलतगी कर सकती है। उस डिकरी की इजरा के हुक्म के सम्बन्ध में, जिसके विरुद्ध अपील टायर की गई है, देणो आर्डर ४१, रूल ६। "जिस अदालत ने डिकरी दी है" इसके अर्थ के सम्बन्ध में देणो दफा ३७। पंजाब में आर्डर २१ के साथ एक रूल २९ (८) और जोड़ दिया गया है।

इजरा की मियाद को मुद्दत—हर तरह की डिकरियों की, जिनमें रेहननामा की डिकरिया भी शामिल हैं, सिवाय उन डिकरियों के जो चास्ते हुक्म इम्तनाई के दी गई हैं, इजरा की मियाद जायता दीवानी की दफा ४८ के अनुसार १२ साल है, सिवाय उस दशा में जब कोई धोखेबाजी (जालसाजी) या जबर्दस्ती की गई हो। चारह साल की इस मुद्दत का शुमार (क) डिकरीकी तारीख से या (ख) जब डिकरी या वादघाले किसी हुक्म से किसी खास समय पर, किसी रुपये की अदायगी या जायदाद के हवाले करने के लिए हिदायत की गई हो तो, उस तारीख से किया जाना चाहिए, जिस तारीख को घातिव होने पर भी अदायगी न की गई हो या माल हवाले न किया गया हो। इस दफा से कानून मियाद के आर्टि० १८० पर कोई असर नहीं पडता और न इससे उसकी कोई सीमा ही बंध जाती है।

घकील साहवान को चाहिए कि वे नए जायता दीवानी की दफा ४८ को ध्यान पूर्वक पढ़ जाय। "रुपये की अदायगी या दूसरी जायदाद के हवाले किए जाने की डिकरी" शब्दों को निकाल देने से इसका क्षेत्र और भी विस्तृत कर दिया गया है। इसके बाद पहिले वाली दफा के अनुसार मियाद सम्बन्धी नियम का प्रयोग करने के लिए यह आवश्यक था कि इजरा की दर-खास्त इसके "अनुसार" ही और "मजूर" की जाय। अब ये दोनों शब्द निम्नलिखित दिए गए हैं। इसलिये इसका परिणाम यह हुआ कि दफा ४८ में जो मियाद सम्बन्धी नियम दिया हुआ है वह लागू हो सकता है, चाहे दरख्तान्त मजूर करली जाय या खारिज कर दी जाय अथवा चाहे दरख्तान्त इस दफा के अनुसार हो या न हो। क्या इस दफा से, पहिले हो गई बातों के ऊपर भी कोई असर पडता है? इस सम्बन्ध में देणो 40 C 704, 45 B 365, 47 I. C 143, 21 I C 923 जिनमें इस प्रश्न का उत्तर 'हां' में दिया गया है। इसके निपरीत फैसले के लिए देणो 32 A 499

'बाद वाला हुकम' उसी अदालतका दिया हुआ होना चाहिए जिसने डिकरी दी है और उसे उसने उसी अदालत की हैसियत से, अदालत इजरा की हैसियत से नहीं, दिया हो, देखो 58 I C 393, 40 A 198 । १२ साल की मियाद डिकरी की तारीख से शुरू होती है जैसा कि आर्डर २० रूल ६) द्वारा मुकदमा किया गया है, देखो 34 C L J 167, 22 C W N 145—जब कोई डिकरी तर्मांम की गई हो तो तर्मांम की तारीख उस डिकरी की तारीख समझी जायगी, देखो 60 I C 318 पारह साल की इस मियाद को अदालत इजरा, कानून मियाद की दफा १५ के अनुसार उसमें यह मुद्दत शामिल करके, जिसमें अदालत का पहिले से हुकम लेकर इजरा मुस्तवी करा दी गई थी, बढ़ा नहीं सकती, देखो 70 I C 396

"तदवीर मुआयिन इजरा"—तदवीर मुआयिन इजरा से मियाद की नई तारीख मिल जाती है। कानून मियाद के आर्टि० १८२ (५) में जो यह बात लिखी हुई है उसके सम्बन्ध में बहुत से फैसले हैं पर यह बात अवश्य मान लेनी पडती है कि इस विषय में जितनी भी नजीर (केस लॉ) हैं, वे भ्रमोत्पादक हैं और अच्छी तरह से समझ में नहीं आती। "तदवीर मुआयिन इजरा" का अर्थ है डिकरी की इजरा जारी रखने के लिए अदालत से किसी हुकम का हासिल करना, देखो 30 C 761 नीचे लिखे कुछ उदाहरण तदवीर मुआयिन इजरा के सम्बन्ध में दिए जाते हैं—

डिकरी के एक हिस्से की बेबाकी का इन्दराज करने के लिए आर्डर २१, रूल २ के अनुसार डिकरीदार की ओर से दरखास्तका दिया जाना, (देखो 12 A 399, 12 C 608, 2 C 696)

पेशी की तारीख बढ़ाए जाने की दरखास्त ताकि डिकरीदार नोटिस की तामील का सुवूत पेश कर सके (देखो 14 C W N 486), खर्चा वसूल पाने की दरखाम्त (देखो 15 B 245)

उन लोगों के खिलाफ इजरा की दरखास्त जिनमें से कुछलोग मर गए हैं (देखो 2 C L J 544)

कलक्टर के रजिस्टर से उद्धरण प्राप्त करने के सम्बन्ध में दरखास्त (देखो 14 C W N 481)

मदियून डिकरी की ओर से इस बात की दरखास्त कि इस बिना पर इजरा की कार्यवाई खारिज कर दी जाय कि डिकरीदार के साथ कुछ समझौता कर लिया गया है (देखो 5 C 515, 3 A 320) बोली बोलने की इजाजत लेने के सम्बन्ध में दरखास्त (देखो 10 C W N 209, 22 A 399, 21 B 331, 30 C 761, 12 C W N 626)

किसी डिकरी के एक हिस्से की इजरा की दरखास्त (देखो 26 C 888; 15 B 242)

कुर्क की हुई रकम को वसूल पाने की दरखास्त (देखो 16 M 452, 10 C W N 354, 35 M L J 575)

रपया की भदायगी के लिए डिकरीदार की जवानी दरखास्त (देखो 22 B. 340).

नीलाम में खरीदी हुई जायदाद पर कब्जा दिलापाने के लिए दी गई दरखास्त (देखो 19 All 477, 13 C W. N 694) नीलाम का इश्तहार जारी करने के लिए दी गई दरखास्त (देखो 10 C 851 F B., 15 Bom 405, 28 M 399).

मुतीफी मद्यून डिकरी के वारिसों को फरीक बनाने के लिए दी गई दरखास्त (देखो 1 C W. N. 676)

डिकरी की मुन्तकिली के लिए दरखास्त (देखो 2 C. W. N. 415, 1 A. 625 F B., 20 C 29; 35 A 389)

बिना डिकरी की नकल के इजरा के लिए दरखास्त (देखो 40 All 209, 5 Pat L W 205)

उन चीजों को अलग करने के लिए दी गई दरखास्त जिनके खिलाफ इजग न की जायगी, खिलसिले में पेश की गई कोई सहायक (जमीनी) फेहरिस्त पहिली दरखास्त के खिलसिले में समझी जायगी (देखो 22 C W N 540)

लेकिन अगर इजरा की दरखास्त के साथ चीजों की फेहरिस्त बिल्कुल दाखिल ही न की जाय, तो वह दरखास्त कानून के अनुसार न समझी जायगी (देखो 17 Cal 631 F B , 18 C L J 538, 37 A 527)

डिकरी की इजरा के सम्बन्ध में की गई उज्रदारी खारिज करने के लिए दी गई दरखास्त (देखो 40 A 668)

डिकरीदार की ओर से मद्यून डिकरी की उज्रदारी की समाप्त करने के लिए, गवाहों की फेहरिस्त का दाखिल करना (देखो 22 C W N 1027)

आर्टि० १८२कलाज ६ में नोटिस जारी करने की तारीख वह तारीख है जिस तारीख को असठ में नोटिस जारी किया गया हो अर्थात् वह तारीख जिस तारीख को उसपर गिरिश्तेदार के दस्तखत हुए हो, वह तारीख नहीं जिसको भदायत ने नोटिस जारी करने का हुक्म दिया हो। देखो 10 C W N 303, 6 C W N 656; 23 B 35; 30 M 30, 3 Pat L J 285, 45 I C 203, 42 B 553)

इश्तहार का मसविदा दाखिल करनेके लिये और पेशी की तारीख बढ़ाए जाने के लिये दी गई दरखास्त (देखो 38 M 695, 33 I C 79)

डिकरीदार की ओर से पेश की गई वह दरखास्त जिसमें जर टिकरी के एक हिस्से की अदायगी का सर्टीफिकेट दिया गया हो (देखो 20 C W N 615, 16 C 22)

ऐसे शाख के खिलाफ इजरा की दरखास्त जिसका पता मालूम नहीं है (देखो 36 A 482)

वे दरखास्तें तदर्थर गुभायिन इजरा नहीं हैं—नीलाम की तस्दीक करने के लिये दी गई दरखास्त (देखो 31 C 1011, 11 C L J 356)

नीलाम चन्द कर देने की दरखास्त (देखो All 757)

एक शिलिंग प्रति पौंडके हिसाबसे ली जाने वाली फीस (Poundage fee) लेने के लिये दरखास्त (देखो 22 C 827, 23 C 196)

डिकरीदार की ओर से जायदाद मकूला (कुर्क की हुई जायदाद) के किसी हिस्से को छोड़ देने के लिये दरखास्त (देखो 20 C 255, 8 C W. N 251)

दाखिल की हुई डिकरी की नकल की वापसी के लिये दरखास्त (देखो 23 Bom 311)

वक्त के लिये दी गई दरखास्त (देखो 8 C L J 193, 27, C 285 3 C L J 240)

नीलाम सुखती करने के लिए मदियून डिकरी की ओरसे दी गई दरखास्त की मजूरी देना (देखो 28 M 40)

मदियून डिकरी की शिनाख्त करने के लिए तामील के चपरासी के साथ जाना (देखो 20 C L J 15, 13 C W N 1288)

कानूनी प्रतिनिधि की ओर से उत्तराधिकार (विरासत) का सर्टीफिकेट पाने के लिये दी गई दरखास्त (देखो 37 B 559)

भिन्न भिन्न प्रकार की डिकरियों की इजरा के तरीके

[१] (क) रुपये की अदायगी की डिकरी की इजरा के जायते और तरीके के सम्बन्ध में देखो आडर २१ रुल ३८,

(ख) जायदाद मनकूला खास को डिकरी की इजरा के जायता और तरीके के सम्बन्ध में देखो रुल २१,

(ग) तामील सुखतस (Specific Performance) की पतिपत्नी सम्बन्धी अधिकारोंकी वापसी (Restitution of Conjugal rights) की ओर हुजूम इस्तनाई की डिकरीकी इजरा के जायता और तरीके के सम्बन्ध में देखो रुल ३२ और ३३,

(घ) दस्तावेज की तक्रमील या दस्तावेजात काबिल घय व शरी (Negotiable instrument) की तस्दीककी डिकरीकी इजरा के जायते और तरीके के सम्बन्ध में देखो आडर २१ रुल ३४,

कुर्क को हुई रकम को वसूल पाने की दरखास्त (देखो 16 M 452, 10 C W N 354, 35 M L J 575)

रूपया की अदायगी के लिए डिकरीदार की जवानी दरखास्त (देखो 22 B 340)

नीलाम में खरीदी हुई जायदाद पर कब्जा दिलापाने के लिए दी गई दरखास्त (देखो 19 All 477, 13 C W. N 694) नीलाम का इशतहार जारी करने के लिए दी गई दरखास्त (देखो 10 C 851 F B., 15 Bom 405, 28 M 399)

मुतीफी मद्दियून डिकरी के चारिखों को फरीक बनाने के लिए दी गई दरखास्त (देखो 1 C W. N. 676)

डिकरी मी मुन्तकिरी के लिए दरखास्त (देखो 2 C. W. N 415; 1 A. 625 F. B; 20 C 29, 35 A 389)

बिना डिकरी की नकल के इजरा के लिए दरखास्त (देखो 40 All 209, 5 Pat L W 205)

उन चीजों को अलग करने के लिए दी गई दरखास्त जिनके खिलाफ इजरा न की जायगी, सिलसिले में पेश की गई कोई सहायक (जमीनी) फेहरिस्त पहिली दरखास्त के सिलसिले में समझी जायगी (देखो 22 C W N 540)

लेकिन अगर इजरा की दरखास्त के साथ चीजों की फेहरिस्त मिलकुल दाखिल ही न की जाय, तो वह दरखास्त कानून के अनुसार न समझी जायगी (देखो 17 Cal 631 F B , 18 C L J 538, 37 A 527)

डिकरी की इजरा के सम्बन्ध में की गई उत्तरदायी खारिज करने के लिए दी गई दरखास्त (देखो 40 A 668)

डिकरीदार की ओर से मद्दियून डिकरी की उत्तरदायी की समाप्त करने के लिए, गवाहों की फेहरिस्त का दाखिल करना (देखो 22 C W N 1027)

आर्टि० १८२कलाज ६ में नोटिस जारी करने की तारीख वह तारीख है जिस तारीख को असल में नोटिस जारी किया गया हो अर्थात् वह तारीख जिस तारीख को उसपर शरिअतदार के दस्तखत हुए हो, वह तारीख नहीं जिसको अदालत ने नोटिस जारी करने का हुक्म दिया हो। देखो 10 C W N 303, 6 C W N 656, 23 B 35; 30 M 30, 3 Pat L J 285, 45 I C 203, 42 B 553)

इशतहार का मसविदा दाखिल करने के लिये और पेशी की तारीख बढ़ाए जाने के लिये दी गई दरखास्त (देखो 38 M 695, 33 I C 79)

डिकरीदार की ओर से पेश की गई वह दरखास्त जिसमें जर डिकरी के एक हिस्से की अदायगी का सर्टीफिकेट दिया गया हो (देखो 20 C W N 615, 46 C 22)

ऐसे शख्स के खिलाफ इजरा की दरखास्त जिसका पता मालूम नहीं है (देखो 36 A 482)

वे दरखारतें तद्वीर मुआयिन इजरा नहीं हैं—नीलाम की तस्दीक करने के लिये दी गई दरखास्त (देखो 31 C 1011, 11 C L J 356)

नीलाम बन्द कर देने की दरखास्त (देखो All 757)

एक गिलिंग प्रति पौडके हिसाबसे ली जाने वाली फीस (Poundage fee) लेने के लिये दरखास्त (देखो 22 C 827, 23 C 196)

डिकरीदार की ओर से जायदाद मकूरुका (कुर्क की हुई जायदाद) के किसी हिस्से को छोड़ देने के लिये दरखास्त (देखो 20 C 255, 8 C W N 251)

दारुिल की हुई डिकरी की नकल की वापसी के लिये दरखास्त (देखो 23 Bom 311)

वक्त के लिये दी गई दरखास्त (देखो 8 C L J 193, 27 C 285 3 C L J 240)

नीलाम मुत्तवी करने के लिए मदियून डिकरी की ओरसे दी गई दरखास्त की मजूरी दना (देखो 28 M 40)

मदियून डिकरी की शिनाख्त करने के लिए तामील के चपरासी के साथ जाना (देखो 20 C L J 15, 13 C W N 1288)

कानूनी प्रतिनिधि की ओर से उत्तराधिकार (विरासत) का सर्टीफिकेट पाने के लिये दी गई दरखास्त (देखो 37 B 559)

भिन्न भिन्न प्रकार की डिकरियों की इजरा के तरीके

[१] (क) रुपये की अदायगी की डिकरी की इजरा के जायते और तरीके के सम्बन्ध में देखो आर्डर २१ रूल ३०,

(ख) जायदाद माकूला खास की डिकरी की इजरा के जायता और तरीके के सम्बन्ध में देखो रूल २१,

(ग) तामील मुयत्तस (Specific Performance) की पतिपत्नी सम्बन्धी अधिकारोंकी वापसी (Restitution of Conjugal rights) की और हुजम इम्तनाई की डिकरीकी इजरा के जायता और तरीके के सम्बन्ध में देखो रूल ३२ और ३३,

(घ) दस्तावेज की तक्रमील या दस्तावेजात काबिल घब च शरी (Negotiable instrument) की तस्दीकगी डिकरीकी इजरा के जायते और तरीके के सम्बन्ध में देखो आर्डर २१ रूल ३४;

दफा ६० में किया गया है और उस दफाकी पाबन्दीमें रहते हुए कुल जायदाद जो नीलाम किये जानेके काबिल है चाहे मनकूला हो या गैर मनकूला, और जो मदीयून डिकरीकी मिल्कियत है या जिसके रहन, बय या और किसी तरह पर मुन्तकिल कर देनेका अफ्तयार उसे है जिसका इस्तेमाल वह अपने कामके लिये कर सकता है मदीयून डिकरीके खिलाफ डिकराकी इजरामें कुर्की और नीलाम कर दिये जानेके काबिल है।

प्रावता दीवानीकी दफा ६० इस प्रकार है—

दफा ६० जायदाद काबिल कुर्की व नीलाम बद्दलत इजरा डिकरी—(१) जो जायदादकि बद्दलत इजरा डिकरी काबिल कुर्की और नीलामके हैं तफसील उसकी यह है—यानी आराजियात या मकानात या दीगर इमारात और असबाब और जरनकद और चेङ्ग नोट और चिक यानी रुखा और बिल भाफु एक्सचेज और हुण्डियात और प्रामेसरी नोट और नोट सरकारी और तमस्सुकात या दीगर क्फालत नाम जात जर नकद और जर कर्जा और हिस्सा किसी जमाअत सनदयाफतका और सिवा उन अशियाके जिनका जिक्र आइन्दा है, तमाम दीगर जायदाद मनकूला या गैर मनकूला काबिल फुगेखत जो मदीयून डिकरीकी हो या जिसपर या जिसके मुनाफे पर उसको ऐसा अफ्तयार तसरैफका पहुचता हो कि वह उसको अपनी मुनफियतके लिये अमलमे ला सके ख्वाह वह उसका नामसे हो या बतौर उसकी अमानत के या मिनजानिष उसके दूसरे शख्सके पास हो।

मगर शर्त यह है कि अशियाय मुन्दर्ज जल काबिल कुर्की या नीलाम न न होगी यानी—

(ए) जरूरी पोशाक और पकानेके बरतन और पलंग और बिस्तर मदी, यून डिकरी और उसकी जीजा और अतफालके और ऐसे जेवर जिनको काई औरत मुताचिक अपने रसूम-मजदवीके जुदा न कर सकती हो—

(बी) अदल हफाके औजार और अगर मदीयून डिकरी जराअत पेशा हो तो जराअतके आलात और ऐसे मवेशी और तुखम गल्ला जो वदानिस्त अदालत मदीयून डिकरीकी वजह मनाशके लिये जरूरी हो और उस कदर हिस्सा पैदा वार जराअत या किसी किसम खासकी पैदावार जराअतका जो दफा ६१ के बम् जिब कुर्की व नीलामसे मुस्तसना कर दिया गया है—

(सी) मकानात व दीगर इमारात (मय उनके माल मसाला और आराजी मौकाके और उस आराजीके जो उनसे बिल्कुल मुत्तखिल हो और उनके इस्तेमालके लिये जरूरी हो) ममलूका व मकबूजा काइतकार—

(डी) बहीखाता—

(ई) मदज हक रुजूअ नालिश खिसारा—

(एफ) हर दफ जाती खिदमतका—

(जी) वजीफा और अतीयात पिंशनदारान सरकारी या वह जो सर्विस फेमिली पिंशन फण्डसे मिलते हैं जिसकी बाबत इस बारेमें गजट आफ इण्डियामे इशतहार मिन्जानिब्र नवाब गवर्नर जनरल बहादुर इजलास कौंसिल शायी हो गया हो और पिंशन सींगः पोलिटिकल—

(एच) अलाउन्स यानी जर मवाजिब (जो तनख्वाहसे कम हो) किसी ओहदेदार सरकारीका या किसी रेलवे कम्पनी या हाकिम मुकामीके मुलाजिम का जब कि अपने कामसे गैरदजिर हो—

(आई) तनख्वाह या अलाउन्स बराबर तनख्वाहके किसी ऐसे ओहदेदार सरकारी या मुलाजिम का जिसका जिक्र फिफ्टे (एच) में है जब कि वह काम पर हो ताहद मुफस्सिल ज़ैल यानी—

१ कुल तनख्वाह अगर बीस रुपये माहवारसे ज्यादा न हो—

२ बीस रुपये माहवार, जब कि तनख्वाह बीस रुपये माहवारसे ज्यादा हो मगर चालीस रुपये से ज्यादा न हो—

३ निरफ तनख्वाह किसी और सूरतमें—

(जे) तनख्वाह और अलाउन्स उन लोगोंके जिनसे आईन लश्करी हिन्दुस्तानी मुतअल्लिक है—

(के) जुम्ला जरूरी डिपोजिट व दीगर रकूम जो किसी ऐसे फण्ड (सर्माया) में जमा हो या ऐसे फण्डसे हासिल की जाय जिससे ऐक्ट मुतअल्लिक प्राविडेण्ट फण्ड मजरीया सन् १८९७ ई० बरघक्त मुतअल्लिक हो जहा तक कि रकूम मजकूर ऐक्ट मजकूरके जरिये से गैर काबिल कुर्की करार दी गई हो—

(एल) उजरत मजदूरान और मुलाजिमान खानगीकी खवाह रुपया या कोई चीज दीजाय—

(एम) उम्मेद चिरासत बहालत परमादिगी या और हक या इस्तिहक़ाक़ जो महज मौजूफ़ बचक़ूअ अन्न दीगर या बहैपज इम्कान हैं ।

(एन) हक़ नान व नफ़क़ा आइदा का ।

(ओ) वह अलाउन्स जो किसी कानून मजरीया तहत ऐक्ट कौन्सिलहाय हिन्दू सन् १८६१ ई० व सन् १८९० ई० की रू से छुर्की व नीलाम बइज़त इजराय डिफ़रीसे मुस्तसना कर दिया गया हो ।

(पी) अगर मदिपन डिफ़री माडगुजार सरकार हो तो कोई जायदाद मनकूठा जो किसी कानून ग़ाफ़िजुबक्त मुतअल्लिक शरस मजदूरानी रू से ऐसे नीलामसे मुस्तसना कर दी गई हो जो बगरज असूरी बक़ायाय मालगुजरी अमलमें आये ।

तशरीह—वजीफ़ा वगेरा मुतजिफ़रा पिफ़रात (जी) व (एच) (आई) व (जे) व (एल) और (ओ) छुर्की व नीलाम मुस्तसना है कुल, रगद बाद याक़ई धाजिगुल अदा होने के—

दफा ६० में किया गया है और उस दफाकी पाषण्डीमें रहते हुए कुछ जायदाद जो नीलाम किये जानेके काबिल है चाहे मनकूला हो या गैर मनकूला, और जो मद्यून डिकरीकी मिलिक्रयत है या जिसके रहन, बय या और किसी तरह पर मुन्तकिल कर देनेका अख्तियार उसे है जिसका इस्तेमाल वह अपने कामके लिये कर सकता है, मद्यून डिकरीके खिलाफ डिकराकी इजरामे कुछ और नीलाम कर दिये जानेके काबिल है ।

जायदादीवानीकी दफा ६० इस प्रकार है—

दफा ६० जायदाद काबिल कुर्की व नीलाम पहिलत इजरा टिकरी—(१) जो जायदादकिल वइल्लत इजरा डिकरी काबिल कुर्की और नीलामकेहैं तफहील उसकी यह है—यानी आराजियात या मकानात या दीगर इमारात और असबाव और जर नकद और वेड्ड नोट और चिक यानी रुक्का और विल भाफु एक्सचेंज और हुण्डियात और प्रामेसरी नोट और नोट सरकारी और तमस्तुक्रात या दीगर किलाळत नाम जात जर नकद और जर कर्जा और हिस्सा किसी जमाअत सनदयाफतका और सिवा उन अशियाके जिनका जिक्र आइन्दा है, तमाम दीगर जायदाद मनकूला या गैर मनकूला काबिल फुराखत जो मद्यून डिकरीकी हो या जिसपर या जिसके मुनाफे पर उसको ऐसा अख्तियार तसर्कफका पहुचता हो कि वह उसको अपनी मुनफियतके लिये अमलमे ला सके ख्वाह वह उसका नामसे हो या बतौर उसकी अमानत के या मिनजानिष उसके दूसरे शख्सके पास हो ।

मगर शर्त यह है कि अशियाय मुन्दर्जा जल काबिल कुर्की या नीलाम के न होगी यानी—

(ए) जरूरी पोशाक और पकानेके घरतन और पलंग और विस्तर मद्यून डिकरी और उसकी जीजा और अतफालके और ऐसे जेवर जिनको काई औरत मुताबिक अपने रसूम-मजहबीके जुदा न कर सकती हो—

(बी) अहल हर्फाके औजार और अगर मद्यून टिकरी जराअत पेशा हो तो जराअतके आलात और ऐसे मवेशी और तुखम गल्ला जो बदानिस्त अदालत मद्यून डिकरीकी वजह मआशके लिये जरूरी हों और उस कदम हिस्सा पैदा वार जराअत या किसी किर्सम खासकी पैदावार जराअतका जो दफा ६१ के धम जिय कुर्की व नीलामसे मुस्तसना कर दिया गया है—

(सी) मकानात व दीगर इमारात (मय उनके माल मसाला और आराजी मौकाके और उस आराजीके जमे उनसे बिलकुल मुत्तखिल हों और उनके इस्तेमालके लिये जरूरी हों) ममलूका व मकरूजा काइतकार—

(डी) बहीखाता—

(ई) महज हक रुजूअ नालिश खिसारा—

(एफ) हर हक जाती खिदमतका—

(जी) वजीफा और अतीयात पिंशनद्वारा सरकारी या वह जो सर्विस फेमिली पिंशन फण्डसे मिलते हैं जिसकी चावत इस बारेमें गजट आफ इण्डियामें इस्तहार मिनूजानिच नग्वाच गवर्नर जनरल बहादुर इजलास कौंसिल शायी हो गया हो और पिंशन सीग. पोलिटिकल—

(एच) अलाउन्स यानी जर मवाजिच (जो तनख्वाहसे कम हो) किसी ओहदेदार सरकारीका या किसान रेलवे कम्पनी या हाकिम मुकामीके मुलाजिम का जब कि अपने कामसे गैरद्वजिर हो—

(आई) तनख्वाह या अलाउन्स घराबर तनख्वाहके किसी ऐसे ओहदेदार सरकारी या मुलाजिम का जिसका जिक्र फिफ्टे (एच) में है जब कि वह काम पर हो ताहद मुफ्तसिला फ़ैल यानी—

१ कुल तनख्वाह अगर बीस रुपये माहवारसे ज्यादा न हो—

२ बीस रुपये माहवार, जब कि तनख्वाह बीस रुपये माहवारसे ज्यादा हो मगर चालीस रुपये से ज्यादा न हो—

३ निस्फ तनख्वाह किसी और सूरतमें—

(जे) तनख्वाह और अलाउन्स उन लोगोंके जिनसे आईन लश्करी हिन्दुस्तानी मुतअल्लिक है—

(के) जुम्ला जरूरी डिपोजिट व दीगर रकूम जो किसी ऐसे फण्ड (सर्माया) में जमा हो या ऐसे फण्डसे हासिल की जाय जिससे ऐक्ट मुतअल्लिक प्राविडेण्ट फण्ड मजरीया सन् १८९७ ई० बरबत्त मुतअल्लिक हो जहा तक कि रकूम मजकूर ऐक्ट मजकूरके जरिये से गैर काचिल कुर्की करार दी गई हो—

(एल) उजरत मजदूरान और मुलाजिमान खानगीकी ख्वाह रुपया या कोई चीज दीजाय—

(एम) उम्मेद विरासत बहालत पस्मादिगी या और हक या इस्तिहकाफ जो महज मौजूफ बवकूअ अन्न दीगर या बहैपज इम्कान हैं ।

(एन) हक नान व नफ़का आइन्दा का ।

(ओ) वह अलाउन्स जो किसी कानून मजरीया तहत ऐक्ट कौन्सिलद्वारा हिन्दू सन् १८६१ ई० व सन् १८९० ई० की रू से कुर्की व नीलाम बइल्लत इजराय डिफ़रीसे मुस्तसना कर दिया गया हो ।

(पी) अगर मदिपून डिफ़री मालगुजार सरकार हो तो कोई जायदाद मनज़रा जो किसी कानून नाफिजुलबत्त मुतअल्लिक शरूफ मजदूरी रू से ऐसे नीलामसे मुस्तसना कर दी गई हो जो बागरज वसूली बकायाय मालगुजारी अमलमें आये ।

तदरीह—घजीफा वगेरा मुतजिहारा फिफ़रात (जी) व (एच) (आई) व (जे) व (एल) और (ओ) कुर्की व नीलामसे मुस्तसना है फ़ल्ल, ख्वाह चाद चाकई धाजिबुल अदा होने के—

(२) इस दफाकी किसी इबारतसे यह मफहूम न होगा कि—

(ए) मकानात व दीगर इमारत (मय उनके माल मसाला और भाराजी मौकाके और उस भाराजीके जो उनसे बिल्कुल मुत्तसिल हो और उनके इस्तेमाल के लिये जहती हो) डिकरी जर लगानके इजरामे जो उसी मकान या इमारत या भाराजी मौका या भाराजी मुत्तसिलकी निस्वत हो कुर्की व नीलामसे मुस्तसना ।

(बी) न इबारत मजकूर ऐक्ट मुतभल्लिका फौज या उस क्रिस्मके और कानून नाफिशुल वक्तमे खल्ल अन्दाज होगी ।

जो जायदाद कुर्क नही की जा सकती है, उनका वर्णन दफा ६० (१) की शर्त (ए) से लेकर शर्त (बी) तक में किया गया है । खेती बरीके कामोंमें लगे हुये जानवर कुर्कीसे बरी (मुस्तसना) न समझे जायने जय तक कि अदालत उसे ऐसा होनेकी घोषणा न कर दे (देखो 10 C 397)—अदालतकी यह बात तय करनी चाहिये कि वे खेतीके कामोंके लिये आवश्यक हैं या नहीं । इस बातसे कि मवेशी किसीके पास रहन है, दफा ६० की कार्रवाईमें कोई रुकावट नही पडती (देखो 61 I C 777)—खेती की पैदावारका कौन सा अंश बरी दे कौनसा नहीं, इस सम्बन्धमें देखो दफा ६१, बेसार (बोभाईके लिये रखा हुआ गल्ला), गल्ला और मवेशी कुर्कीसे बिल्कुल मुस्तसना नही है । जब मदियून डिकरी बिल्कुल गरीब (निधन) न हो और उनकी जगह नई चीजे खरीद सकता हो तो वे कुर्क किये जा सकते हैं, देखो 25 I C 117—किसी वर्जकी कपड़ा सीने वाली मशीन कारीगरीका एक औजार है, देखो 65 I C 416. जब किसी मदियून डिकरीकी जीविका का साधन सिर्फ खेती ही न हो तो वह किसान न समझा जायगा और इसलिए दफा ६० (सी) के अनुसार किसी भी मुस्तसिनयात का (छूटका) मुस्तहक नही है, देखो 63 I C 681,—दफा ६० (ग) ऐसी जायदादकी नीलाम की नही सकता जो खाल तौरसे रहन कर दी गई हो यद्यपि यह जायदाद किसी ऐसे मकानका सामान हो जो किसी किसानके फज्जेमें हो या जिसपर कोई किसान काबिज हो, देखो 4 B. 25, 34A 25 F 13 इसके विपरीत देखो 33 A 136; 51 I C 553 (A) ।

जायदाद मातूलकी कुर्कीका तरीका—उस जायदाद मनहूलाकी, जो मदियून डिकरी के फज्जेमें है और जो गेतीसे होने वाली पैदावार नही है, कुर्की उस जायदाद पर वास्तविक कब्जा करके की जा सकती है । जब जायदाद अपने भाप और जल्द खराब हो जाने वाली हो, या जब उसके रखनके खर्च उसकी कीमत से बढ़ जाने की सम्भावना हो, तो यह फौरन भूच दी जा सकता है (देखा आडर २१, खल्ल ४३)—किसी रहनेके मकानमें रखी हुई जायदाद मनहूलाकी कुर्की (जब्तकी सम्बन्धमें देखा दफा ६२)

जिगभता (गेतीसे होने वाली) पैदावार और खडी हुई फसलकी कुर्की के तरीके के सम्बन्धमें देखा आडर २१ खल्ल ४४-४५, जिराभती पैदावारके किसी हिस्सेका कुर्कीसे बरा कर देने सम्बन्धी स्थानीय सरकारके अधिकारीके सम्बन्धमें देखा जास्ता दीवानीकी दफा ६१ ।

३ किसी कर्जे, किसी कार्पोरेशनकी पूजाके हिस्से और दूसरी जायदाद मन कूलकी जो मद्रियून डिकरीके कब्जेमें नहीं है, कुर्कीके तराकेके सम्बन्धमें देखो आर्डर २१ रूल ४६।

४ मद्रियून डिकरीके उस जायदाद मनकूला के हिस्सेकी, जो उसकी और उसके दूसरे शरीकदारकी मिलिकयत है, कुर्कीके तराकेके सम्बन्धमें देखो आर्डर २१ रूल ४७।

५ सरकारी नौकर, किसी रेलवे कम्पनीके या स्थानीय अधिकारी वर्ग के नौकरके वेतन (तनख्वाह) या भत्ता की कुर्कीके तरीके के सम्बन्धमें देखो आर्डर २१, रूल ४८, दफा ६०, क्लॉज (पच), (आई) और (जे)

६ साझेदारीकी जायदाद की कुर्कीके तरीके और फ्रिस्ती फर्म (डूमान) के ऊपर दीगई डिकरीकी इजराके तरीकेके सम्बन्धमें देखो आर्डर २१, रूल ४९-५०।

७ दस्तावेजात काबिल वय व शरी की कुर्कीके सम्बन्धमें देखो आर्डर २१ रूल ५१।

८ अदालत या सरकारी भक्षरकी सिपुर्दगीमें रखी हुई जायदादकी कुर्कीके सम्बन्धमें देखो आर्डर २१ रूल ५२।

९ कर्ज या रेहनकी डिकरियोंकी कुर्की के सम्बन्धमें देखो आर्डर २१ रूल ५३

'कर्जा' से मतलब उस कर्जे से है जो असलियतमें कर्जकी सूरत रहता हो अर्थात् ऐसा कर्जा जो किसी खास मुद्दतके लिये बतौर कर्जेके दिया गया हो, पैसा रुपया नहीं जो भविष्यमें किसी समयमें दिया जा सकता है या नहीं या जिसका भदा करना किसी विशेष अघस्वापर निर्भर करता है। जो सम्भव है वभी भाए अथवा न भाए, देखो 4 C W N, 87, 9 C W N 703, 30 A 246 सालाना मिठने वाला बजीका (बलीका) जिसका रुपया अभी वाजिबुल्द भदा नहीं है, कर्जा नहीं है, देखो 11 C L J 129 — वह माहवारी भत्ता जो किसी मद्रियून डिकरीके वाजिबुल्द भदा वसूल हो, कर्जा है, देखो 9 C W N 703. गुजाराकी बकाया कर्जा है, देखो 8 W R 41 — लेकिन गुजाराका ऐसा हक जो पैदा होनेवाला है (जिसके पैदा होनेकी आशा है) कुर्क नहीं किया जा सकता, देखो 23 W R 427 — जो कर्जा बना हुआ है लेकिन जिसका रुपया अभी चलकर भदा किया जाने को है, वह कुर्क किए जानके काबिल है, देखो 14 M I A 40, 50 — जो कर्जा मद्रियून डिकरीको ऐसे शकलसे मिलना हो जो अदालत इजराके अधिकार क्षेत्रमें नहीं है, उसकी कुर्की वह अदालत नहीं कर सकता, देखो 39 C 104

किसी ग्यानगी नौकर की तनखाह उस वक्त कुर्क नहीं हो सकती जबतक कि वह वाजिबुल्द वसूल होकर कर्जा न बन जाय देखो 21 M 393 लेकिन एक सरकारी नौकर की तनखाह कुर्क हो सकती है, परन्तु उसमें दफा ६० (१) (आई) में बतलाई हुई रकाममें अग्रह लागू होगी। आर्डर २१ रूल ४८ के अनुसार अदालत को भय पूरा अक्षतवार है कि वह किसी सरकारी

नौकर, किनी रेलवे कम्पनी के नौकर या किसी स्थानीय अधिकारी वर्ग के नौकरकी तनखवाह कुंके करले, चाहे मद्रियून डिकरी या रुपया देने वाला अफसर अदालत के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाके भीतर रहता हा था नरहता हो ।

वासिलातकी डिकरी नीलाम—दफा ६० के अनुसार वासिलातकी डिकरी नीलाम नही की जा सकती । इसके लिए जायता सिर्फ यह है कि वह कुंके करली जाय और फिर आर्डर २१, रूल ५४ के अनुसार उसकी इजरा कय दी जाय, देखो 48 I C 183

२०) से कमकी चीजका नीलाम—जब उस अफसर का, जिसने आर्डर २१ के रूल ४३ से ४५ तकके रूलके अनुसार जायदाद कुंके की है यह विश्वास हो कि जायदाद मकूरका (कुंके की हुई जायदाद) २०) ४० से ज्यादा कीमतकी नही है, तो उसे चाहिए कि वह मद्रियून डिकरी को या, उसके न होनेकी दशामे, उसके घरके किसी बालिग शख्सको, जो मौजूद हो, यह सूचना दे देवे कि वह जायदाद आर्डर २१ के रूल ६६ के अनुसार इन्तहार जारी किए बिना ही नीलाम आम में फौरन् बेच दी जायगी । अगर डिकरीदार, या मद्रियून डिकरी या उसकी ओर से कोई दूसरा शख्स इस बात के ऊपर एतराज करे, तो कुंकी करने वाला अफसर उस गिर्द नवाह के कम से कम तीन बालिग और प्रतिष्ठित वाशिन्दों की एक पचायत इकट्ठा करेगा जिसमे से एक आदमी तो उस गात्र का मुखिया होगा, और उन लोगों से उस जायदाद की कीमत ठहराने को कहेगा । अगर वे यह तय करदेंकि उसकी कीमत २०) ४० से ज्यादा है, तो वह उसमे उन नियमों के अनुसार कार्रवाई करेगा जो स्थानीय सरकार (जायता दीवानी, ऐक्ट न० १४ सन् १८८२ ई०, की दफा २६९ के, जो कि आर्डर २१, रूल ४३ के समान हैं) तैयार करेगी, अन्यथा वह फौरन् उस जायदादको, जायदाद खरीदने का इरादा रखने वाला को ऐसा नोटिस देने के बाद जो कि वह उस दशामे दे सकता है, नीलाम में फरोखत कर देगा (देखो G R & C O Chap I R. 93)

रूल १—१४ के लिए, जिन्हे स्थानीय सरकार ने (जायता दीवानी सन् १८८२ ई० की दफा २६९ के अनुसार, जो कि मौजूदा जायता दीवानी के आर्डर २१, रूल ४३ के बराबर है) तैयार किया है, देखो G R & C O Chap I Note to Rule 93, p p 32 34 ।

जायदाद गैर मनचूला की कुंकी का तरीका—अगर जायदाद गैर मनचूला हो, तो उसकी कुंकी एक ऐसे हुकम के जरिये की जा सकती है जिसमे मद्रियून डिकरी को इस बात की हिदायत कर दी गई हो कि वह किसी तरह से जायदाद को न मुन्तकिल करे और न उसके ऊपर कोई चार पैदा करे, और कुल आदमियों को ऐसी मुन्तकिली या चार-किफालत से फायदा उठाने से मना कर दिया गया हो ।

इस हुकम की मुदतहरी उस जगह पर, जहा कि जायदाद है, या उसके करीब मे ही की जानी चाहिए, और उस हुकम की एक नक़्क उस जायदाद के

खुले हुए हिस्से पर और इसके बाद कचहरी के खुले हुए हिस्से पर जिस पर आम लोगों की निगाह पड़ती हो चर्चा कर दी जानी चाहिए (देखो आर्डर २१, रूल ५४)

अगर कुर्फी के दौरान में मर्दियून डिकरी अदालतकी माफत डिकरी का मतालवा चुकता कर दे, तो कुर्फी वापस ले ली गई समझी जायगी, वरना जायदाद नीलाम करदी जायगी ।

किसी रेहननामा की वास्त दी हुई नीलाम की डिकरी रूल ५४ के अर्थ में जायदाद गैर-मनकूला न समझी जायगी, देखो 8 A L J 1327 फक-रेहनी की डिकरी इस रूल के अनुसार नहीं बल्कि रूल ५३ (२) के अनुसार चुर्क की जा सकती है, देखो 10 Bom 444 किसी राहिन का हफ इन्फिकाफ इस रूल के अर्थ में, जायदाद गैर-मनकूला है, देखो 21 B 226

किसी रेहननामा की डिकरी इजरा में जायदाद गैर-मनकूला के चुर्क किए जाने की जरूरत नहीं है। डिकरी में लिखा हुआ नीलाम का हुक्म खुद नीलाम के लिए काफी सुबूत है—देखो 4 B 515; 26 C 127, 9 B 561, 15 B 222 P C

कुर्फी कर लेने के बाद आर्डर २१, रूल ६६ के अनुसार उसकी नीलाम का इशतहार तैयार किया जाना चाहिए और फिर वह रूल ६७ के अनुसार प्रकाशित किया जाना चाहिए]

रियासतकी कुर्फी—(अ) जब दरख्वास्त किसी ऐसी रियासतके किसी हिस्सेकी कुर्फीके लिए दी गई हो, जिसकी मालगुजारी माफ है, तो आर्डर २१, रूल ६३के अनुसार लिखी जाने वाली बातों के अलावा हर ऐसी हालत में जब इस बात का इ.दराज कलक्टर के रजिस्टर में कर लिया गया हो, दरखास्त में उस रियासतका पूरा रकबा वगैरा लिखा जाना चाहिए । (ब) जब कोई दरखास्त किसी दीवानी अदालत को ऐसी रियासत या उस रियासत के हिस्से की कुर्फी के लिए दी गई हो, जो किसी जिले की फेइरिस्त मालगुजारी में चढ़ी हुई है, तो उपरोक्त आर्डर के रूल १४ के अनुसार लिखी जाने वाली बातों के अलावा दरखास्त में वह मालगुजारी भी लिखी जानी चाहिए जो उस रियासत की वास्त दरसाल अदा की जाती है और उसके समर्थन में कलक्टर के रजिस्टर से उसकी एक तस्दीक शुद्ध नकल पेश करनी चाहिए, देखो G R & C O Chap I R 92 (यू०पी० में इसे सेक्ट कहते हैं)

रियासतों और रियासतों के हिस्सों की कुर्फी के सम्बन्ध में दिए हुए दीवानी अदालतों के कुछ हुक्मों की इत्तला फोरन् उस जिले के कलक्टर को दे दी जानी चाहिए जिस जिले में कि वह रियासत या उसका कोई हिस्सा बाक है (देखो G R & C O Chap I R 94)

बिबरण—उपरोक्त नियम (रूल) से यह हुक्म तहरीरी रह नहीं हो जाता जो जायदादीवानी के आर्डर २१, रूल ५४ के सब-रूल (२) के अनुसार कल-

घर के दफ्तर में चिपों किया जाना चाहिए, जब कोई आराजी या उसका कोई हिस्सा कुर्क कर लिया जाय।

जब किसी रियासत या उसके हिस्से की कुर्की कानूनन और जायते से वापस ले ली गई हो, तो उसी तरह इसे वापसी की इतला बलघटर को दे दी जानी चाहिए (देखो G R & C O. Chap I. R 95)

इलाहाबाद में छल ५५ की जगह छल ५५ (१) कर दिया गया है।

कुर्की का बंद होजाना—किसी भी जायदाद की कुर्की उस समय बन्द होजायगी जब डिकरीदार की असावधानी के कारण अदालत इजरा की दरखास्त में भागे कार्रवाई करने में असमर्थ हो और इसलिये अदालत उसे खारिज कर दे (देखो आर्डर ११ छल ५७)।

इस नये छल से अब उस विरोध का अन्त होजाता है जो इस सम्बन्ध में जजों की राया में रहा करता था और उसमें यह व्यवस्था करदी गई है कि किसी इजरा की दरखास्त के खारिज होजाने पर आप से आप कुर्की खतम होजाती है। असावधानी, शब्द का बहुत सजुचित अर्थ न किया जाना चाहिये। इसका मतलब सिर्फ हाजिर होने या तलवाना जमा करने इत्यादिमें हो जानेवाली असावधानी की गई है, तो दरखास्त खारिज कर देनी चाहिये और कुर्की उस समय चली जाती है चाहे अदालत और फरीकन का यही इरादा क्यों न हो कि वह बनी रहे (देखो 15 C W N 428 तथा 44 A 274)—

अगर असावधानी "असावधानी" से मतलब है उस काम का न करना जिसका करना डिकरीदार के लिये अपनी दरखास्त को जारी रखने और जायदाद को नीलाम करानेके वास्ते जरूरी था (देखो 67 I C 543),

खारिज कर देने से कुर्की चली जाती है (देखो 24 Bom L R 442)
जब डिकरीदार डिकरीके वास्त थोड़ा रुपया ले लेवे और मद्यून टिकरी को बाक्री की अदायगी के लिये कुछ मौकादे और उस समय इजरा का मुकदमा खारिज होजाय तो कुर्की बनी नहीं रह सकती (देखो 71 I C 881)

छल ५७ उन कुर्कियों के सम्बन्ध में लागू नहीं होता है जो फंसला होने के पहिले करवा ली जाती है (देखो 16 C L J 86, 22 I C 311, 42 M 1 F B , 80 I C 106)

कुर्की के बाद मुतकिली—जायदाद कुर्क होजाने के बाद खानगी तौर पर किसी शरत को जायदाद या रूपया की कीमई मुतकिली या हवालगी, उन तमाम दावों के मुकाबिले में नाजायज समझी जायगी जो उस कुर्की की निश्चत किये किये जाने को हो (देखो दफा ६४),

मुन्तकिली में हर तरह से की जाने वाली जायदाद की अलाहदगी शामिल है जैसे पय, हिवा, रेहन, चगेरा। इस दफा का उद्देश्य क्या है इस सम्बन्ध में देखो 23 C L J 111, दफा ६४ का जो विवरण है उसमें यह बतलाया गया है कि कुर्की की निश्चत किये जाने वाले दावों में दफा ७३ के अनुसार असावा (र गपति) हिस्से रसदी बटवारा भी शामिल है स्मरण रखना चाहिये कि कुर्की

वे पाद कीर्ण मुन्तकिली विह्वल ना जायजे नही होजाती बरिक् उसका सिर्फ उतना हिस्सा नाजायज हो जाता है जिसके लिये उस फुर्की के आधार पर दावा किये जाने कोहा । जब एरु टिकरीदार ने ज.यदाद फुर्के करवा ली और दूसरे टिकरीदार ने बिना फुर्की के हिस्से रसदी घटघाग के लिये दरखास्त दी और मद्रिया टिकरी ने जापदाद मुन्तकिल करदी और टिकरी की बेचाकी करदी, तब हुआ कि दूसरे टिकरीदार मुन्तकिली के ऊपर कोई एतराज नही कर सकते (देखो G I C 846)

फरीश की ओर से फुर्की की गिरफ्त उन्नदाती—वे तमाम सजालात जो उस मुकद्दमे के जिसमे घट टिकरी दी गई थी फरीशेन या उनके प्रतिनिधियों के बीच पैदा हा और जो उस टिकरी की इजरा, बेचाकी या अदायगी से सम्बन्ध रखते हैं जायता दीयानी को दफा ४७ के अन्दर आते हैं । इनके सम्बन्धम बहुत नजारे हैं घकोठ सादजात को चाहिये कि वे दफा ४७ के अनुसार उन्नदारी दाखिल करने के पहिले जायता दीयानी का पूर्ण सस्करण ध्यान पूजक पढ़ जाय, दफा ४७ के अनुसार दिया हुआ हुस्म टिकरी का जसा असर रखता है और इस लिये वह काबिल अयोल है । उसकी मुत्तहरी या उसके करने मे 'कीर्ण देकायदगी या जालसाजी की बिना पर तीठाम मसूर लिये जाने के लिये दीर्ण दरखास्त अज आर्डर २१ रूल ९० मे आती है । दूसरी तरहकी जालसाजी दफा ४७ मे आती है ।

जायदाद मरकूफा की निम्नत दावा—जब किसी टिकरीकी इजरा मे कीजाये वाली किसी जायदाद को फुर्की की निस्वत कोई उन्नदारी की गई हो या जायदाद मरकूफा की निस्वत कोई दावा किया गया हो तो आर्डर २२ रूल ५८ के अनुसार अदालत इस मामले की जाच करेगी । दावा मुकद्दमे के फरीशेन या उनके प्रतिनिधि अथवा कोई बाहरी आदमी कर सकते हैं । जो दावा कोई बाहरी करेगा वह आर्डर २१ रूल ५८ के अन्दर आता है । फरीशेन या उनके प्रतिनिधियों की ओर से इजरा के खिलाफ की गई उन्नदारिया दफा ४७ के अन्दर आती हैं । जब अदालत को इस बात का इतमीनान हो जायगा कि जायदाद मद्रियन टिकरी या उसकी ओर से किसी दूसरे शखस के कब्जे मे थी तो वह उस दावा को नामूर कर देगी (देखो आर्डर २१ रूल ६१)—अगर दावेदार नाफामयाव हो जाता है तो वह आर्डर २१ रूल ६३ के अनुसार एक साल के अन्दर (देखो कानून मियाद का आर्टो ११) अपनी हकीयत कायम करने के लिये वाकायदा नालिश दायर कर सकता है और अगर ऐसा नही किया जाता तो वह हुस्म जिससे दावा खारिज कर दिया गया है कतक्ष हा जायगा ।

यह तय किया गया था कि दफा ६१ के अनुसार दिये जाने वाले हुस्म का तात्पर्य तहकीकात के बाद किये हुये हुस्म से है और अगर अदम पैरवीमे कोई दावा खारिज कर लिया जाय तो एक साल की मियाद लागू नहीं होती (देखो 12 C 108, 1 B 21, 31 M 5, 34 C 491 18 C W N 770) लेकिन बाद म यह तय पाया है कि रूल ६३ पहिले जायता दीयानी को दफा २८३ की अपेक्षा अधिक विस्तृत है और उसमे ये मुकद्दमे भी आजाते हैं जिन म कोई तहकीकात

नदी की गई है (देखो 27 I C 944, 31 M L J 241, 45 A 438, 41 M, 985, 45 C 785) — यह भी तय किया गया है कि आर्डर २१ रूल ५८ की शर्त के अनुसार दिया हुआ हुक्म रूल ६३ और कानून मियाद के अर्ति ११ (१) में आता है (देखो 41 M, 895, F B)

जब किसी शख्स की दरखास्त सिर्फ यह हो कि बिना तदकीकृत कराये उसको उच्चदारी दर्ज कागजात कर ली जाय और अदालत उसे स्वीकार कर ले तो वह हुक्म दफा ६३ के अनुसार नहीं है (देखो 52 I. C. 938)

कुछ जमीन तारीख ४ ११-१९१० ई० को कुर्क कर ली गई । मदिपुन डिकरीकी स्त्रीने उसकी निस्वत एक दावा दायर किया जो खारिज होगया । और इसी तरह इसके थोडे दिन बाद इजराकी कार्रवाई भी खारिज होगई । इसके बाद दूसरी इजरा में जायदाद फिर कुर्क कीगई जिसे डिकरीदारने खरीद लिया और उस पर अगरत सन् १९१८ ई० में अपना कब्जा कर लिया । दावेदार नेतारीख २३-११ १८ ई० को नालिश दायर की । तब हुआ कि ऐसी दशामे कानून मियाद का अर्ति ११ लागू नहीं होता (देखो 51 C 584)

रूल ६३ तब दायरेके ऊपर दिए हुए हुक्मके सम्बन्धमें लागू होता है जो फ़ैसलेके पहले कुर्क की हुई जायदादकी वावत दायर किए गए हों (देखो 41 M 849; 41 M. 23 Overruled)

उस जायदादके ऊपर दावा नहीं किया जासकता जिसके लिए किसी रेहन नामाकी डिकरीके अनुसार नीलामका हुक्म हो गया हो (देखो 18 B. 98, 26 C W N 50 5-I C 895, 50 I C 448), और न लगान (किराया) सम्बन्धी नीलाम के ऊपर ही दावा किया जा सकता है (देखो बंगाल टिनसी ऐक्टकी दफा १७०) — नीलाम से किसी मुर्तहिन के हकूक पर कोई अगर नहीं पड़ता, लेकिन वह दरखास्त दे सकता है कि नीलामके चक्र उसके रेहननामाके सम्बन्धमें नोटिस निकाल दिया जाय [देखो आर्डर २१ रूल ६६ (सी)] — जो दरखास्त कोई मुर्तहिन किसी ऐसी जायदादके निस्वत दे जो नीलामके लिए कुर्क कर लीगई है जिसमें उसके रेहननामाकी घोषणा करदी जायगी वह आर्डर २१ रूल ५८ के अनुसार दी हुई दरखास्त समझी जायगी और अगर जाब (तदकीकृत) के बाद या और किसी समय वह खारिज कर दीजाय तो एक सालके बाद फिर वह उस रेहननामाके अनुसार नालिश दायर न कर सकेगा (देखो 52 I C 720)

नीलाम आम—(१) जायदाद कुर्क हो जानेके बाद, डिकरीकी इजरा करने वाली अदालतकी अधिकार होगा कि वह उस जायदादके नीलाम त्रिप जाने और नीलामसे वसूल हुई रकम उस शख्सको दे दिये जानेका हुक्म दे दे, जो उस डिकरीके अनुसार उसके पानेका हकदार है (देखो आर्डर २१ रूल ६४)

२ हर एक ऐसी नीलाम आम नीलामकी जायगी और उसे अदालतका कोई अफसर या कोई दूसरा ऐसा शख्स करेगा जिसे अदालत इस कामके लिये नियत करे (देखो आर्डर २१, रूल ६५)

३ कुठ मनकूला और गैर मनकूला जायदादोंकी निश्चत सबसे पहली बात जो करनी है यह यह होगी कि उस होने वाली नीलाम की निश्चत इश्तहारका जारी करना जिसमें १- नीलामका चक्र और मुकाम २-नीलाम होने वाली जायदाद ३-उस जायदाद पर बांधी गई मालगुजारी (अगर कोई हो), ४- यह धार जो उस जायदाद पर है (अगर कोई हो तो), तथा ५- दूसरी ऐसी बातें लिखी हांगी जिन्हें अदालत खरीदारके लिये उस जायदादकी विस्म और मालियत जाननेकी निश्चत जानकारीके वास्ते जरूरी समझे । यह इश्तहार डिकरीदार और मद्दियून डिकरी को नोटिस दे दिये जाने के बाद जारी किया जाना चाहिये ।

४ नीलामके हुकम के लिये दीगई हर एक दरख्वास्तके साथ एक नकशा पेश किया जाना चाहिये जिस पर तस्दीक और दस्तखत उसी तरह पर किये जाने चाहिये जिस तरह पर प्लीडिग्सके ऊपर दस्तखत और उसकी तस्दीक करनेके लिये बतलाया गया है (देखो आर्डर २१ रूल ६६)

ऐक्ट न० ५ सन् १९०८ ई० के अनुसार नीलामका इश्तहार उस समय तैयार किया जाना चाहिये जब मद्दियून डिकरी और डिकरीदार को इसकी इत्तला (नोटिस) दे दीगई हो और उसमें वे सब बातें लिखी जानी चाहिये जिनका वर्णन रूल ६६ में किया गया है । इश्तहारमें, नीलाम होने वाली जायदाद की कीमत साफ साफ और सही तोर पर लिखी जानी चाहिये (देखो आर्डर २१ रूल १७ की शर्त) अन्यथा सिर्फ इसी बिना पर नीलाम मसख किया जा सकता है, (देखो 20 A. 41 L P C, 2 C W N 550, P C 23 M 628 & 568, 6 C W N 836, 8 C, W N 27, तथा 16 C C W N 704 P 709 और 14 C L J 541)

जायदाद मनकूलाके सम्बन्धमें उस समय नीलाम का इश्तहार निकालने की जरूरत नहीं है जब जायदादकी कीमत २०) १० से अधिक न हो ।

५ नीलामका इश्तहार तैयार हो जाने और तस्दीक शुद्ध नकशा दाखिल कर दिये जानेके बाद यह इश्तहार आर्डर २१ रूल ५४ (२) में बतलाये अनुसार प्रकाशित कर दिया जायगा, [देखो आर्डर २१ रूल ६७]

अगर अदालत ऐसी इजाजत दे, तो यह इश्तहार स्थानीय सरकारी गजट भयवा किसी दूसरे स्थानीय समाचार पत्र (अखबार) में या दोनोंमें प्रकाशित कर दिया जायगा (देखो आर्डर २१ रूल ६७)—अदालत इस बातको तय करेगी कि ये बातें किसी स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराई जाय भयवा नहीं, लेकिन अगर अदालत, समाचार पत्र में इन बातों के प्रकाशित करने की बातको तय कर दे तो, जिहा जजको अधिकार होगा कि वह इन कामके लिये किसी खास अखबारको छांट ले (देखो G R & C O Chp I Rule 100C)

जब नीलाम की जाने वाली जायदाद कई एक टुकड़ोंमें बांट दीगई हो, तो यह जरूरी न होगा कि हर एक टुकड़े के लिये अलग अलग इश्तहार निकाला

जाय देलो आर्डर २१ रूल ६७ (३)—रूल ६७ का सब रूल इस बातके लिये बनाया गया है कि 12 B 368, और 12 C W N 757, 11 C 714 में दिये हुये विरोधी फैसलोंका समाधान हो जाय । 12 C W N 757 में इस विषयसे सम्बन्ध रखने वाले कुल मुकदमोंका उल्लेख कर दिया गया है और उन पर बहस भी कर ली गई है ।

६ बिना मदियून-डिकरीकी लिपित स्वीकृति (मजूरी) के कोई भी जायदाद, उस तारीखसे, जिस तारीखको नीलाम इशतहार अदालतकी इमारत पर चरपा कर दिया गया है, कमसे कम ३० दिन पहिले और अगर वह जायदाद मनकूला है तो कमसे कम १५ दिन पहले नीलाम न की जा सकेगी (देखो आर्डर २१ रूल ६८)

७ काफी वजूहात होने पर अदालत को भख्तियार हांगा कि वह किसी खास दिन या घण्टेके लिये किसी नीलामको मुत्तवी कर दे, लेकिन अगर वह ७ (सात) दिनसे अधिक मुद्तके लिये मुत्तवीकी जाय तो एक नया इशतहार जारी किया जाना चाहिये तबवाय उस दशाके जब मदियून-डिकरी इस हकको छोड़ देनेके लिये तैयार हो । अगर नीलाम की बोली खतम होनेके पहले डिकरी की रकम और खर्चा अदा कर दिये जाय तो हर एक नीलाम बन्द हो जायगे (देखो आर्डर २१ रूल ६९)

यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि रूल ६९ जायदाद मरहूना तथा दूसरी क्रिस्मकी सभी जायदादोंके नीलामके सम्बन्धमें लागू होता है (देखो 31 C 868, 8 C W N 648)

अगर रुपयेकी अदायगीके लिये वक्त दिया गया है और इस दरखास्त पर नीलाम मुत्तवी कर दिया गया है कि उस नीलाम से सम्बन्ध रखने वाले शख्सको कोई पतराज नहीं है अगर नीलाम दूसरे दिन किया जाय तो ऐसी दरखास्त "सभी मदियून डिकरी की ओर से होनी चाहिये नहीं तो नीलामका नया इशतहार जारी करनेकी जरूरत न होगी ।

८ जो खरीदार कीमत खरीद का रुपया अदा न कर सकेगा, वह लुकसानके लिये जबाबदेह होगा जो उसके दुबारा नीलामसे हो और अदालतको दरखास्त देकर कमी रुपया वसूल किया जा सकेगा (देखो आर्डर २१ रूल ७१)

९ बिना अदालतकी आज्ञाके किसी डिकरीदारको जायदादके खरीदने या उसके लिये बोली बोलनेका हक नहीं है लेकिन अगर वह बिना अदालतकी इजाजत लिये हुये जायदाद खरीद लेगा तो मदियून डिकरी या किसी दूसरे गवर्नरके जिसको इस नीलामसे क्षति पेशी हो, दरखास्त देने पर अदालत नीलामको मसखू कर सकती है और दुबारा नीलाममें होने वाला खर्चा और घाटा डिकरीदारको देना पडगा । जब डिकरीदार हो खरीदार हो तो खरीदका रुपया डिकरी में भोजरा दिया जायगा या अगर खरीद का रुपया डिकरीके रुपये से ज्यादा है तो खरीदके रुपयेमें डिकरीका रुपया दे दिया जायगा (देखो आर्डर २१ रूल ७२)

इजाजत देते समय अदालत जो शर्त चाहे लगा सकती है अर्थात् यह कि डिक्लेरेशन की सब से कम बोली डिक्लेरेशन की रकम होनी चाहिये (देखो 15 C W N 488, 5 C W N 264) या यह कि इतनी रकम जो उस जायदाद की निश्चित दूसरे शर्त की बाकी है अदालत में जमा कर दी जाय (देखो 1 Pat 235)

—सम्बन्धमें रूल ७२ (ए) और जोड़ दिया गया है जिसके अनुसार अदालत को मुतद्दिनकी बोली बोलनेकी इजाजत देते समय एक खास रकम सुकरर कर देनी चाहिए ।

अगर डिक्लेरेशन की ओरसे नीलाममें बोली बोलनेकी इजाजत मागनेकी दरखास्त खारिज कर दी जाय और उन्में हालतमें वह बिना इजाजत जायदाद खरीद कर ले तो वह खरीद नाजायज न होगी, लेकिन अगर मदिपुन डिक्लेरेशन या किसी दूसरे शर्तकी ओरसे, जिसका उस डिक्लेरेशनसे कोई सम्बन्ध है, इसके लिए दरखास्त दी जाय, तो वह खरीद नाजायज ठहराई जा सकती है (देखो 67 I C 914, P C)—जो मदिपुन डिक्लेरेशन दफा ७२ के अनुसार नीलाम मसूख करनेके लिए दरखास्त देता हो, वह इस बातके लिये बाध्य नहीं है कि तुक्सान को साबित करे (देखो 62 I C 854)—जो खरीद अदालतकी बिना इजाजत के कर ली गई है उसके खारिज करने के लिए की जाने वाली नालिश जायता दीगानीकी दफा ७७ के अनुसार दायर की जा सकेगी (देखो 22 B 271, 5 M 217, 11 B 588, 16 M 287, ११ C 279 और 23 A 478)

१० किसी भी ऐसे अफसर या दूसरे शर्त को जो नीलामके सम्बन्धमें कोई काम कर रहा है, नीलाममें जायदादके खरीदने या उसके लिए बोली बोलनेकी इजाजत नहीं है, (देखो आर्डर २१, रूल ७३)

फरीकैनके वकीलको किसी डिक्लेरेशनकी इजरामें नीलाम होने वाली जायदादके खरीदनेकी सुमानियत नहीं है (देखो 10 M 111) लेकिन जब वकील ने अनुचित कार्रवाई की तो नीलाम मसूख कर दिया गया, (देखो 15 M १८७, 23 C 805)—लेकिन वकील लोग उन डिक्लेरेशनकी इजरामें होने वाली नीलाम में कोई चीज नहीं खरीद सकते जिनमें उनका कोई स्वाध हो, (देखो 13 W R 209)

कलकत्ता हाईकोर्टके बनाए हुए रूल

जायदादकी नीलामके सम्बन्धमें (देखो जायता दीगानीकी दफा ६० से ६७ तक और आर्डर २१ के रूल ६६ से ७३ तक) कलकत्ता हाईकोर्टद्वारा तैयार किए हुए नियम (रूल) (देखो Rule 99 to 116 of G R & C O Ch I) इस प्रकार है—नीचे 'क' से मतलब कलकत्ता हाईकोर्ट है ।

क० रूल ९९—अगर आर्डर २१ रूल ६६ के अनुसार नीलामका इश्तहार जारी करने के बाद, नीलाम होने वाली जायदादके सम्बन्धकी कोई लिखा पढी अदालतकी मिल जाय, जिसे वह खरीदारके ज ननेके लिए जखरी समझती हो तो जिस समय जायदाद नीलामके लिए रखी जायगी उस समय अदालत उस लिखा पढीको पढकर सुनावेगी ।

क० रूल १००—(अ) अगर नीलाम होने वाली जायदाद कोई ऐसा इलाका या इलाकेका हिस्सा है जो सरकार (गवर्नमेण्ट) को मालगुजारी अदा करता है और ऐसे इलाके या इलाकेके हिस्से की बाबत अदाकी जाने वाली मालगुजारी ५०० से ज्यादा है, तो नीलामका इश्तहार स्थानीय सरकारी गजटमें प्रकाशित किया जायगा ।

(ब) इस रूलसे अदालतके उन अधिकारों को कोई बाधा न पहुँचेगी जो आर्डर २१ रूल ६७ (२) के अनुसार, जब कभी वह उचित समझे, किसी डिकरीकी इजरामें कुर्ककी हुई किसी दूसरी जायदाद या जिन्ही दूसरी जायदादों की होने वाली नीलामके इसी तरह प्रकाशित करने के सम्बन्ध में प्राप्त है ।

(स) हर एक जिलेमें जिला जज उस स्थानीय समाचार पत्र या उन समाचार पत्रोंको तय करेगा जिसमें या जिनमें, उस कुल जिले या उस कुल जिले के भिन्न भिन्न भागोंके लिए, जाबता दीवानीके आर्डर २१, रूल ६७ के अनुसार नीलामके इश्तहार प्रकाशित किए जाने चाहिए, और जनता तथा मातहत अदालतोंके कुल अर्जोंको इस तरह चुने हुए समाचार-पत्र या पत्रोंके नामसे सूचित कर देगा । इसके बाद जब कभी हर एक मातहत अदालतका जज अपने अधिकारोंका प्रयोग करके किसी स्थानीय समाचार-पत्रमें किसी नीलामके इश्तहारके प्रकाशित किए जानेका हुक्म दे देगा, तो वह यह हिदायत कर देगा कि जिस समाचार पत्रको जिला जजने चुना है उसीमें उस जिले, या जिलेके उस हिस्सेके लिए नीलामका इश्तहार प्रकाशित किया जाय जिसमें वह अदालत बाँके है ।

क० रूल १०१—(१) आर्डर २१ रूल ४३ की शर्तीयों पाबन्दीमें रहते हुए डिकरियोंकी इजरामें होने वाली जायदादकी नीलाम हर एक जिलेकी हर जगहकी अदालतोंमें (जो कि खफीफा की अदालत नहीं है) हर महीनेकी किसी खास तारीखको की जायगी ।

(२) अ—सदरकी अदालतोंके लिये ऐसे दिनोंको जिला-जज नियत करेगा ।

ब—बर्दाप, मिदना पुर, हुगली, चौरीसपरगना, जैसोर, ढाका, मैमनसिंह फरीदपुर, बाङ्गरगञ्ज, टिपरा, चटगाङ्ग और सिलहटके जिलोंमें यह बात जिला-जजके अधिकारमें होगी कि वह सदरकी अदालतोंको कई श्रेणियोंमें विभाजित करे और हर एक श्रेणीके लिए लगातार तारीखें नीलामके लिए नियत कर दे ।

३ बाहरकी अदालतोंके सम्बन्धमें नीलाम शुरू होनेका दिन जिला जज उन अदालतोंके जजों या उनमें से किसी के साथ, जैसा कुछ वह उचित समझे, परामर्श करके नियत करेगा ।

क०रूल १०२—कुल जायदाद, सिंघाय उस जायदादके जिसका वर्णन जायदादीयानीके आर्डर २१ रूल ४३ की शर्त या नीचेके रूल १०६ में किया गया है जो नीलामके हर स्थान पर नीलाम किए जाने को है, हर एक स्थानकी फेहरिस्तमें चढ़ा ली जायगी और जायदाद मनकूला तथा जायदाद गैर मनकूलाकी फेहरिस्तें अलग अलग होंगी। ये फेहरिस्तें इस तरह पर तैयार की जायगी कि उनमें हर एक अदालतकी टिकरियोंकी इजरामें अलग अलग नीलाम होने वाली जायदादकी हर एक मद्द एक ठीक क्रमसे लिखी होनी चाहिये। ऐसी फेहरिस्तें उन अदालतोंमें, जिनमें नीलाम होनेको है, हर एक नीलामके शुरू होनेकी तारीख से कमसे कम ७ दिन पहले, अगर नीलाम होने वाली जायदाद गैर मनकूला है तो। और अगर ऐसी जायदाद मनकूला है तो कमसे कम १५ दिनपहले चिपका दी जानी चाहिये।

क०रूल १०३—प्रत्येक नियत तारीखको फेहरिस्तमें बतलाये हुये समय पर नीलाम शुरू होगा और यह नीलाम उसी क्रमसे किया जायगा जो क्रम उपरोक्त फेहरिस्तामें बतलाया गया हो। सूर्यास्तके बाद कोई भी नीलाम जारी न रह सकेगा, लेकिन नीलाम हर रोज जारी रहेगा सिवाय उस दशामें कि जब कच हरी बन्द हो या जब तक कि कुल फेहरिस्तें खतम न हो जाय। लेकिन शर्त यह है कि इस रूलसे किसी खास नीलामके कानूनके अनुसार मुन्तकिल किये जाने के सम्बन्धमें कोई बाधा न पड़ेगी (देखो आर्डर २१ रूल ६९)

क०रूल १०४—साधारणतया जायदाद मनकूला और गैर मनकूलाके नीलाम के लिये एक ही तारीख मुकर्रेर न की जायगी।

क०रूल १०५—सिंघाय उस विस्मकी जायदादके, जिसका वर्णन आगे वाले रूलमें किया गया है, सदरकी पुल अदालतोंकी टिकरियोंकी इजरामें होने वाला नीलाम जिला जजकी अदालतमें या किसी दूसरे चीफ़ जुडिशल अफसरकी अदालतमें किया जायगा। अगर दूसरे स्थानोंमें दो अथवा अधिक मातहत अदालतें हों, तो उस स्थानमें होने वाले नीलाम ऐसी किसी भी एक अदालतमें किये जायगे जिसे जिला जज साहब निश्चित करे। जब सिर्फ एक ही अदालत हो तो नीलाम उसी अदालतमें किये जायगे। लेकिन शर्त यह है कि किसी टिकरीकी इजरा करने वाली अदालत, अगर वह उचित समझे हो, जिन्दी कारणोंसे, जो लिखकर बतलाए जायगे, फुरीकनके फायदेके ख्यालसे, यह हुक्म दे सकती है कि नीलाम किसी भी दूसरे समय और स्थान पर हो, जो उसके अधिकार क्षेत्रमें है और इस अन्तिम शर्तके अनुसार कार्यवाई करते समय, समय और स्थानका चुनाव करनेके सम्बन्धमें, मद्रियून डिफरीकी इच्छाओं के अनुसार काय करेगी सिंघाय उस हालतके जब इसके विपरीत कार्य करनेके लिये माहूल वजह हो।

क०रूल १०६—जानपरी, पेंतीकी पैदावार, उस स्थानमें घनी हुई चीजों तथा दूसरी चीजोंका जो आम तौर पर देहातके बाजारोंमें बिका करती है, नीलाम जब तक अदालत इसके विपरीत हुक्म न दे, उस स्थानके, जहां पर कि माल

फ० रूल १९—अगर आर्डर २१ रूल ६६ के अनुसार नीलामका इश्तहार जारी करने के बाद, नीलाम होने वाली जायदादके सम्बन्धकी कोई लिखा पढ़ी अदा लतकी मिल जाय, जिसे वह सूरीदारके जननेके लिए जरूरी समझती हो तो जिस समय जायदाद नीलामके लिए रखी जायगी उस समय अदालत उस लिखा पढ़ीको पढकर सुनावेगी ।

फ० रूल १००—(अ) अगर नीलाम होने वाली जायदाद कोई ऐसा इलाका या इलाकेका हिस्सा है जो सरकार (गवर्नमेण्ट) को मालगुजारी अदा करता है और ऐसे इलाके या इलाकेके हिस्से की बाबत अदाकी जाने वाली मालगुजारी ५०० से ज्यादा है, तो नीलामका इश्तहार स्थानीय सरकारी गजटमें प्रकाशित किया जायगा ।

(ब) इस रूलसे अदालतके उन अधिकारों को कोई बाधा न पहुँचेगी जो आर्डर २१ रूल ६७ (२) के अनुसार, जब कभी वह उचित समझे, किसी डिकरीकी इजरामे कुर्फकी हुई किसी दूसरी जायदाद या किसी दूसरी जायदादों की होने वाली नीलामके इसी तरह प्रकाशित करने के सम्बन्ध में प्राप्त है ।

(स) हर एक जिलेमें जिला जज उस स्थानीय समाचार पत्र या उन समाचार पत्रोंको तय करेगा जिसमें या जिनमें, उस कुल जिले या उस कुल जिले के भिन्न भिन्न भागोंके लिए, जायता दीवानीके आर्डर २१, रूल ६७ के अनुसार नीलामके इश्तहार प्रकाशित किए जाने चाहिए, और जनता तथा मातहत अदालतोंके कुल जजोंको इस तरह चुने हुए समाचार पत्र या पत्रोंके नामसे सूचित कर देगा । इसके बाद जब कभी हर एक मातहत अदालतका जज अपने अधिकारोंका प्रयोग करके किसी स्थानीय समाचार पत्रमें किसी नीलामके इश्तहारके प्रकाशित किए जानेका हुक्म दे देगा, तो वह यह हिदायत कर देगा कि जिस समाचार पत्रको जिला जजने चुना है उसीमें उस जिले, या जिलेके उस हिस्सेके लिए नीलामका इश्तहार प्रकाशित किया जाय जिसमें वह अदालत बाक़े है ।

फ० रूल १०१—(१) आर्डर २१ रूल ४३ की शर्तोंकी पाबन्दीमें रहते हुए डिकरियोंकी इजरामे होने वाली जायदादकी नीलाम हर एक जिलेकी हर जंगहकी अदालतोंमें (जो कि स्क्वॉफ़ की अदालत नहीं है) हर महीनेकी किसी खास तारीख़की की जायगी ।

(२) अ—सदरकी अदालतोंके लिये ऐसे दिनको जिला-जज नियत करेगा ।

ब—उदयान, मिदना पुर, हुगली, चौबीसपरगना, जैसोर, ढाका, मैमनसिंह फरीदपुर, बाउरगञ्ज, टिपरा, चटगाङ्ग और सिलहटके जिलोंमें यह बात जिला-जजके अधिकारमें होगी कि वह सदरकी अदालतोंकी कई श्रेणियोंमें विभाजित करवे और हर एक श्रेणीके लिए लगातार तारीख़ें नीलामके लिए नियत करे ।

३ बाहरकी अदालतोंके सम्बन्धमें नीलाम शुरू होनेका दिन जिला जज उन अदालतोंके जजों या उनमें से किसी के साथ, जैसा कुल वह उचित समझे, परामर्श करके नियत करेगा ।

क०रूल १०२—कुल जायदाद, सिवाय उस जायदादके जिसका वर्णन जायदादीयानीके आर्डर २१ रूल ४३ की शर्त या नीचेके रूल १०६ में किया गया है जो नीलामके हर स्थान पर नीलाम किए जाने को है, हर एक स्थानकी फेहरिस्तमें चढ़ा ली जायगी और जायदाद मनकूला तथा जायदाद गैर मनकूलाकी फेहरिस्तें अलग अलग हागी। ये फेहरिस्तें इस तरह पर तैयार की जायंगी कि उनमें हर एक अदालतकी डिक्खियोंकी इजरामें अलग अलग नीलाम होने वाली जायदादकी हर एक मद एक ठीक क्रमसे लिखी होनी चाहिये। ऐसी फेहरिस्तें उन अदालतोंमें, जिनमें नीलाम होनेको है, हर एक नीलामके शुरू होनेकी तारीख से कमसे कम ७ दिन पहले, अगर नीलाम होने वाली जायदाद गैर मनकूला है तो। और अगर ऐसी जायदाद मनकूला है तो कमसे कम १५ दिन पहले चिपका दी जानी चाहिये।

क०रूल १०३—प्रत्येक नियत तारीखकी फेहरिस्तमें बतलाये हुये समय पर नीलाम शुरू होगा और यह नीलाम उसी क्रमसे किया जायगा जो क्रम उपरोक्त फेहरिस्तोंमें बतलाया गया हो। सूर्यास्तके बाद कोई भी नीलाम जारी न रह सकेगा, लेकिन नीलाम हर रोज जारी रहेगा सिवाय उस दशामे कि जब कच हरी पन्द हो या जब तक कि कुल फेहरिस्त खतम न हो जाय। लेकिन शर्त यह है कि इस रूलसे किसी खास नीलामके कानूनके अनुसार मुन्तकिल किये जाने के सम्बन्धमें कोई बाधा न पड़ेगी (देखो आर्डर २१ रूल ६९)

क०रूल १०४—साधारणतया जायदाद मनकूला और गैर मनकूलाके नीलाम के लिये एक ही तारीख मुकर्रर न की जायगी।

क०रूल १०५—सिवाय उस किस्मकी जायदादके, जिसका वर्णन आगे वाले रूलमें किया गया है, सदरकी कुल अदालतोंकी डिक्खियोंकी इजरामें होने वाला नीलाम जिला जजकी अदालतमें या किसी दूसरे चीफ जुडिसल अफसरकी अदालतमें किया जायगा। अगर दूसरे स्थानोंमें दो अथवा अधिक मातहत अदालतें हैं, तो उस स्थानमें होने वाले नीलाम ऐसी किसी भी एक अदालतमें किये जायगे जिसे जिला जज साहब निश्चित करे। जब सिर्फ एक ही अदालत हो तो नीलाम उसी अदालतमें किये जायगे। लेकिन शर्त यह है कि किसी डिक्खीकी इजरा करने वाली अदालत, अगर वह उचित समझे तो, किन्ही कारणोंसे, जो लिफ्टर बतलाए जायगे, फरीकनके फायदेके खयालसे, यह हुकम दे सकती है कि नीलाम किसी भी दूसरे समय और स्थान पर हो, जो उसके अधिकार क्षेत्रमें है और इस अन्तिम शर्तके अनुसार कार्रवाई करते समय, समय और स्थानका चुनाव करके सम्बन्धमें, मद्दियून डिक्खीकी इच्छाओं के अनुसार कार्य करेंगी सिवाय उस हालतके जब इसने विपरीत कार्य करनेके लिये माहूल वजह हो।

क०रूल १०६—जानवरो, देतीसी पैदागर, उम स्थानमें बनी हुई चीजों तथा दूसरी चीजोंका जो आम तौर पर देहातके बाजारोंमें बिका करती है, नीलाम जब तक अदालत इसके विपरीत हुकम न दे, उस स्थानके, जहाँ पर कि माहूल

अदान की जा सके। दफा ८४ के अनुसार अदा करी जाने वाली चौथाई कीमत खरीद के अदान होने पर दुबारा नीलाम किए जाने के लिए नए इश्तहार नीलाम की जरूरत न होगी, क्योंकि ऐसी दशा में जायदाद फौरन नीलाम कर दी जायगी (देखो 12 M 454)

ताल्लुकों (रियासतों) का नीलाम—(क) दीवानी अदालतों को, जिन्होंने किसी ताल्लुका या ताल्लुका के किसी हिस्से के नीलाम की सूचना कलक्टर को दी हो, चाहिए कि उसकी मजूरी मिल जाने के बाद, हर महीने के पहिले हफ्ते में बराबर उस इलाके के उस हिस्से की नीलाम का ब्यौरा कलक्टर के पास भेज दिया करे, जिनकी मजूरी पहिले महीने में मिल चुकी है। अगर नीलाम की मजूरी नहीं मिली है तो सादा नकशा ही भेज देना चाहिए।

(ख) यह नकशा फार्म न० (M) 104 Vol II G R & C O में तैयार करके कलक्टरके सामने पेश किया जाना चाहिए (देखो R 108 Ch I G. R. & C. O)

बिना घटी हुई जायदाद गैर-मनकूला के किसी हिस्सेदार की बोली को किसी दूसरे शख्स की बोली पर तर्जिह दी जायगी, जब कि बोली की रकम एक ही हो (देखो आर्डर २१, रूल ८८)। यह रूल आर्डर २१ रूल ७७ (३) के समान है जो जायदाद गैर मनकूला के सम्बन्ध में लागू होता है।

जायदाद मरहूना की नीलाम के सम्बन्ध में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा तैयार किए हुए नियम (rules) —

(१) अगर अदालत कोई ऐसा हुक्म दे कि जायदाद या उसका कोई हिस्सा नीलाम किया जायगा, तो वह नीलाम का एक इश्तहार जारी करेगी और उस तरीके से, जैसा कि जायदाद गैर मनकूला के सम्बन्ध में इश्तहार की तामील के लिए चतलाया गया है, उसे तामील करावेगा।

(२) आर्डर ३४, रूल ५ (२) के अनुसार दीजाने वाली दरख्वास्त एक तस्दीक शुब् अर्जी के जरिए दी जायगी जिसमें कुल चारों दर्ज होंगी।

(३) जायता दीवानी के आर्डर २१ के ६५ से ६९ तक के और ७१ से ७३ तक के रूल, जिनमें ये दोनो रूल शामिल हैं, ऐसे नीलामों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

(४) दफा ६५, ६६ और ७४ तथा जायता दीवानी के आर्डर २१ के रूल ८२ से ८८ तक और ९० से १०३ तक जिनमें ये दोनो रूल शामिल हैं किसी रेहन नामा के अनुसार होने वाले नीलामके राद्द होने वाली कार्रवाई के सम्बन्धमें लागू होंगे।

(५) जायता दीवानी के आर्डर ३४ रूल ६ के अनुसार दी गई टिकरियोंकी इजरा में, की जाने वाली कार्रवाई वही होनी चाहिये जो उस जायते में बरालाई गई है।

नोट—उपरोक्त रूठ पहिले प्रान्त इन्तकाज जायदाद सन् १८८२ ई० (एक्ट न० ४ सन् १८८२ ई०) के दफा १०४ के अनुसार तैयार किए गए थे । सम्भवत अप उनकी विद्युत्ज जरूरत नहीं रही है क्योंकि उस क्रान्त की दफा ८९ आर ९० जायता दीवानी में शामिल करदी गई है, ले किन उनमें ऐसी काट छट करने के ताद व प्रशासित की गई है जिस काट छट की आवयकता था [देखो G R & C O Chap I R 109]

जायदाद मनकूला के नीलाम का मसूख करना—किसी भी हालत में जायदाद मनकूला का नीलाम इस बिना पर मसूख नहीं किया जा सकता कि उसके इशतहार देने या करने में कोई बेकायदगी की गई है । जिस शख्स को इस बेकायदगी से कोई नुकसान पहुचा हो उसके लिये सिर्फ यही चारा है कि वह उस शख्स के ऊपर मुआविजे का दावा करे जो इस बेकायदगी के लिये उत्तरदायी है लेकिन अगर ऐसा शख्स खुद खरीदार ही हो, तो जिस शख्स को नुकसान पहुचा है वह उस जायदाद के वापस पाने के लिये और जायदाद के वापस न किए जाने की दशा में मुआविजे के लिये दावा कर सकता है (देखो आर्डर, २१ रूठ ७८)

जायता दीवानी में ऐसी कोई भी ब्यवस्था नहीं है कि किसी भी हालत में जायदाद मनकूला का नीलाम मसूख न किया जा सकेगा लेकिन रूठ ७८ में ही सिर्फ यह ब्यवस्थाकी गई है कि नीलाम में बेकायदगी हो जाने से वह नीलाम नाजायम नहीं होजाता, देखो 2 B 258 P 266 तथा 6 C W N 5

जायदाद गैर मनकूला के नीलाम का मसूख किया जाना—

(१) (अ) कोई भी शख्स जो उस जायदाद का मालिक है या कोई शख्स जिसे किसी ऐसी हकीमत की वजह से जो नीलाम के पहिले हासिल की गई है ऐसी जायदाद में कोई हक हासिल है, नीलाम की तारीख से ३० दिन के भीतर ५) रु० सैकड़ा के मुआविजे के सहित डिकरी का रूपया अदालत में जमा करके नीलाम मसूख किये जाने के लिये दरखास्त दे सकता है (देखो आर्डर २१ रूठ ८९)

(ब) डिकरीदार या कोई शख्स जो दफा ७३के अनुसार सम्पत्ति (जायदाद) के हिस्से रसदी बटवारा में हिस्सा पाने का हकदार है या जिसके हक को नीलाम से नुकसान पहुचा है इस बिना पर नीलाम मसूख किए जाने के लिए दरखास्त दे सकता है कि नीलाम की मुशतहरी या उसके करने में बहुत यही बेकायदगी या जालसाजी की गई है (देखो आर्डर २१ रूठ ९०) ।

(स) खरीदार इस बिना पर भी नीलाम की मसूखी के लिए दरखास्त दे सकता है कि मदिपून डिकरी को उस जायदादमें कोई भी ऐसा हक हासिल नहीं था जो नीलाम किया जा सके (देखो आर्डर २१ रूठ ९१) ।

(२) रूठ ८९, ९० और ९१ के अनुसार कोई नीलाम मसूखकिए जाने के पहिले उन तमाम लोगों को इसकी नोटिस दी जानी चाहिए जिनके ऊपर इससे कोई असर पडता हो (देखो आर्डर २१ रूठ ९२ की शत और 11 C L J 86)

(३) नीलाम मसूख कर दिए जानेके बाद खरीदार व्याज सहित या बिना व्याज के जैसा कुछ अदागत हुकम दे उस शख्स से जिसको कि वह अदा किया गया है खरीद का रूपया वापस दिला पाने का हकदार है (देखो आर्डर २१ रूल ९३)

रूल ८९ के अनुसार नीलाम का मसूख किया जागा—रूल ८९ सन् १९०८ ई० के जायता दीवानी मे अधिक विस्तृत कर दिया गया है । पहिले "कोई भी शख्स जिसकी जायदाद गैर मनसूला नीलाम की गई है" दरखास्त दे सकता था । अब (अ) कोई भी ऐसा शख्स जो जायदाद का मालिक है या [ब] कोई भी ऐसा शख्स जिसे नीलामके पहिले हासिलकी हुई किसी हकीयतकी घजह से उस जायदादमे कोई हक हासिल हा दरखास्त दे सकता है । अगर जायदादका मालिक मदियून डिकरीके अलावा और कोई आदमी है तो पुराने ऐक्टके अनुसार वह इस पिना पर दरखास्त नहीं दे सकता था कि नीलाम से उसके हक पर कोई भी असर नहीं पड़ता । अब वह शख्स नीलामकी मसूखी की दरखास्त दे सकता है । इस तरह पर नये रूल के अनुसार पहिले कोई खानगी तौर पर खरीद करने वाला शख्स मीहूव अलेह (Donee) मुतद्दिन, पहिले का खरीदार नीलाम मुकर्ररदार असामी, सच रैयत, बयनामीदार, वह मालिक, जिसको जायदाद से फायदा उठाने का हक हासिल है इत्यादि नीलाम की मसूखी के लिये दरखास्त कर सकते हैं । यह तय हुआ है कि जिस शख्स ने कुर्की के बाद और नीलाम, के पहिले मदियून-डिकरी से जायदाद खरीद कर ली है उसे ऐसी दरखास्त दे सकने का हक है (देखो 26 C L J 127, 30 B 575)

जिस शख्सने मदियून डिकरी से जायदाद नीलाम होनेके बाद (लेकिन उसकी मजूरी मिलने के पहिले) खरीदी है, वह नीलाम की मसूखी के लिये दरखास्त नहीं दे सकता (देखो 49 C 454, 26 C W N 149) — मद्रास हाईकोर्ट मे यह तय हुआ है कि जिस शख्स ने नीलाम के बाद लेकिन उसकी मजूरी मिलने से पहिले मदियून डिकरी से खानगी तौर पर जायदाद खरीद की है वह तो दरखास्त दे सकता है लेकिन मदियून डिकरी जिसने अपने हक्क बेच दिये है दरखास्त नहीं दे सकता (देखो 54 I C 753) जिस मदियून डिकरी ने इजरा मे अपनी जायदाद के नीलाम होजाने के बाद, जायदाद किसी दूसरे शख्स के हाथ बेच दीहो वह मसूखी नीलाम के लिये दरखास्त दे सकता है (देखो 51 I C 873, 25 B 631, 40 B. 559, 44M 554 F B Contrá 34A 186, 38M 775) खानगी फरोखतके बाद मदियून डिकरी तो दरखास्त दे सकता है लेकिन खरीदार ऐसी दरखास्त नहीं दे सकता (देखो 53 I C 344,) नीलामके बाद खरीद करने वाला कोई दूसरा आदमी भी दरखास्त नहीं दे सकता (देखो A I R 1922 (Lah) 302 अदालती नीलाम के बाद मदियून-डिकरी ने एक शख्स के हाथ जायदाद बेच दी और रूल ८९ के अनुसार दरखास्त दी । दरखास्त देने की तारीख मे दस्तावेज बयनामा की रजिस्ट्री नहीं हुई थी । इसके बाद मदियून डिकरी ने दूसरा

घपनामा रिगा और उसकी रजिस्ट्री करा दी। तब हुआ कि मद्रिपून-टिकरी नीलाम की मसूरीके लिये दरखास्त दे सकता है और बादमें लिखे गये दस्तावेज से इसमें कोई रुकावट नहीं पड़ती (देखो 42 M 503) जिस शर्त के हकमें जायदाद के षप कर देने का इकतार किया गया हो या जिस शर्त के फुर्कीके बीचमें जायदाद खरीद कर ली हो वह ऐसी दरखास्त नहीं दे सकता देखो A I R 1923 (Mad) 659—जिस शर्त के हाथ टिकरीकी इजरा में होने वाली नीलाम के बाद मद्रिपून टिकरी ने जायदाद बेच दी हो या रेहन करदी हो यह शर्त दरखास्त नहीं दे सकता (देखो 1 C W N 279) क्योंकि नीलामके पहिले यह कोई दफ्तीयत हासिल नहीं कर सका था (देखो विपरीत फैसला 30 M. 214 तथा 30 M 507)—यह मासिक जिसको जायदाद से फायदा उठाने का हक है उस समय दरखास्त दे सकता है जब वह नीलाम घेनामीदार के ऊपर दी गई टिकरी के सम्बन्ध में किया गया हो (देखो 1 C W. N 135.)—दरख्तकारसुतहिन दरखास्त दे सकता है (देखो 25 O C 78, 35 B 288,)—किसी ऐसे कर्जा या जोतका सुतहिन दरखास्त दे सकता है जो बकाया लगात (किराया) की टिकरी की इजरामें नीलाम किया गया हो (देखो 5 C W N. 821 F B)—सुतहिन पेसी दरखास्त दे सकता है यद्यपि नीलाम रेहन के फाबिल भी हो (देखो 53 I C 958)—ऐसा सुतहिन जिसे मद्रिपून टिकरी ने नीलामके बाद जायदाद ट्रस्ट में दे दी है दरखास्त नहीं दे सकता है (देखो 58 I C 856 F B)

शिकमी हकदारकृत्जाकी दरखास्त दे सकता है (देखो 23 C W N 597) पट्टीदार जमीदार जिसके पास पेसी टिकरी है जिसकी मियाद आरिज हो गई है उस नीलाम के सम्बन्ध में दरखास्त दे सकता है जो दूसरे पट्टीदारों की ओर से की गई हो (देखो 23 C W N 619)—फुर्क कराने वाला महाजन दरखास्त दे सकता है [22 C W N 899]—कब्ज में मदाखिस्त फंजा करने वाला शर्त दरखास्त दे सकता है (देखो 79 I C 874)

रुपया बिना रिखी शर्त के ही जमा किया जाता चाहिए, देखो 16 C W N 904, 72 I C 907—जब रुपया जमा किया जानेके बाद यह दरखास्त की जाय कि रुपया भावर ९, रुल १३ के अनुसार दी गई दरखास्त की समा-भत होने तक जमा रखा जाय, तो नीलाम मसूख कर दी जानी चाहिए, देखो 8 C W N 355—अदालत में रुपया जमा करने का मतलब अदायत दीवानी में रुपया जमा करने से है, देखो 40 A. 425—जहापर अदा किए जाने वाले रुपये का तम्बूनीना अदालत के किसी हाकिम ने लगाया हो, तो नीलाम मसूख कर दिया जाना चाहिए, यद्यपि बाद में यह बात मालूम भी हो गई हो कि यह रकम थोड़ी सी कम थी, देखो 18 C 255, 25 C 609, 11 C W N 116—लेकिन जहा पर रुपया कम न हो और अदालत की कोई गलती न हो वहा पर रुपये का जमा करना नाजायज नहीं है, देखो 26 C 449 F B, 23 Bom L R 847—जहा पर पाउण्डेज फीस (फीस व हिसाब १ गिलिंग की पौड)

की बाबत कुछ रुपया वाजिबुल घसूटा था, वहाँ पर नीलाम मसूख कर दिया गया, देखो 20 M 158—कोई मदियून-डिकरी उस जमा किए हुए रुपये से फायदा नहीं उठा सकता जो उसके शरीकदार मदियून डिकरी ने उससे अलग जमा किया है, देखो 65 I C 983, 39 M 429

तलब की हुई रकम के जमा करने के लिए, दीर्घ दूरखास्त, किसी नीलाम के मसूख किए जानेके लिए दीर्घ दूरखास्त समझी जाती है। यह जरूरी नहीं है कि वह दूरखास्त लिखी हुई हो, देखो 68 I C. 140—दूरखास्त जबानी भी हो सकती है लेकिन, चाहे जबानी हो या तहरीरी वह मियाद के अन्दर होनी चाहिए। सिर्फ रुपये का जमा कर देना ही काफी नहीं है, देखो 9 A L J 12—बिना ३० दिन के अन्दर जबानी या तहरीरी दूरखास्त पेश किए हुए नीलाम मसूख नहीं किया जा सकता, देखो 32 I C 788—यह तय हुआ है कि नीलाम की मसूखी के लिए बाजाबता दूरखास्त का दिया जाना जरूरी है, सिर्फ फेहरिस्त का दाखिल कर देना ही काफी नहीं है, देखो 66 I C 44—३० दिन के अन्दर रुपया जमा किया जाना चाहिए, उस समय के भीतर दूरखास्त दिए जाने की जरूरत नहीं है, देखो 7 Bom L R 263

आर्डर २१ क्र. ८९ अथ रेडननामों की डिकरियो की इजरा में होने वाले नीलाम के सम्बन्ध में लागू होता है (देखो 24 C W N. 1032.)

आर्डर २१ क्र. ८९ के अनुसार दी जाने वाली दूरखास्त की नोटिस उन कुछ आदमियों को दीजानी चाहिए जिनका उससे सम्बन्ध हो, अर्थात् डिकरीदार, खरीदार नीलाम घौरा को (देखो आर्डर २१, क्र. ९२ की शर्त) रुपया जमा करने की मियाद नीलाम की तारीख से ३० दिन है (देखो कानून मियाद का आर्टि० १६६)—नीलाम की तारीख से मतलब उस तारीख से है जिस तारीखको जायदाद नीलाम में रखी गई हो और सब से ज्यादा बोली बोलनेवाले शख्स के नाम खतम करदी गई हो। इसका मतलब मजूरी की तारीख (Date of conjuration) से नहीं है (देखो 29 C 626)

आर्डर २१ क्र. ८९ के शब्द "जो उस जायदाद का मालिक" का अर्थ है वह शख्स जो शख्स दूरखास्त की तारीख को जायदाद का मालिक हो, वह शख्स नहीं जो नीलाम की तारीख को उसका मालिक हो, देखो 54 I C 753, 38 M 775

क्र. ९० के अनुसार नीलामों का मसूख किया जाना—जालसाजी या नीलाम के करने या कराने या मुतहरी के सम्बन्ध में की गई बेकायदगी की बिना पर नीलामों की मसूखी की बात अथ आर्डर २१, क्र. ९० के अन्दर आती है, जारता दीवानीकी दफा ४७ में नहीं।

आर्डर २१ क्र. ९० सिर्फ उस जालसाजी या बेकायदगी के सम्बन्ध में लागू होता है जो नीलाम के करने या उसकी मुतहरी करने में की गई हो। जो नीलाम किसी दूसरे तरह की बेकायदगी या जालसाजी, जैसे—इजरा की गई

टिकरी के क्षेत्र सम्य समान की तामील न किए जाने (देखो 23 C 686), अद्वयार समाप्त के न होने (देखो 18 A 14; 36 M 775), इत्यादि, की घनद से नाजायब हो गया है। वह इस काल के अन्दर नहीं आता। इस विना पर नीलाम मसूख कराने के लिए कि टिकरी जाल-फरैय से हासिल की गई थी, ताडिश दापर की जा सकती है (देखो 26 C 326)

नीलाम मसूखीकी दरखास्त की जाणस दे सकता है—टिकरीदार या कोई भी शख्स जो दफा ७३ के अनुसार हिस्से रतदी घटगाराका हकदार है या "कोई शख्स जिसके हक को नीलाम से नुकसान पहुँचा हो" दरखास्त दे सकता है। "कोई शख्स जिसकी जायदाद गर-मनगुला नीलाम कर दी गई हो" के स्थान में, जो सन् १८८९ ई० के जापता दीवानी में मौजूद था, उपरोक्त इस " " निदान के अन्दर लिखे हुए वाक्य के बदल देने से इस काल का विस्तार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यह परिवर्तन उस अर्थ के अनुसार किया गया है जो पुराने जायता दीवानी के शर्तों का 15 C 488 F B और 16 M 476 में किया गया है। इस लिए, जिन शर्तों के हक को नीलाम से कोई नुकसान नहीं पहुँचा है, नीलाम मसूखी की वे दरखास्त नहीं दे सकते। इस तरह पर जो शख्स मदिपून टिकरी के खिटाफ हकीयत के लिए दावीदार हो या जिसकी हकीयत मदिपून टिकरी की हकीयत से पड़ी हो, वह दरखास्त मसूखी नीलाम की नहीं दे सकता, क्योंकि नीलाम से उसके हक पर कोई असर नहीं पड़ता। इसी प्रकार जिस शख्स ने कुर्को के पहिले मदिपून टिकरी से जायदाद खरीद की है, वह कल ९० के अनुसार मसूखी नीलाम की दरखास्त नहीं दे सकता, क्योंकि उस खरीद से हासिल हुए उसके हक पर नीलाम से कोई असर नहीं पड़ता (देखो 15 C 488)—लेकिन वह कल ८९ के अनुसार ऐसा कर सकता है। 22 C 802 में यह तप हुआ है कि जिस शख्स ने कुर्को के पहिले कोई भी हकीयत किसी मदिपून टिकरी से खरीद की हो जिसका उस हकीयत का हिस्सा किसी ठस हिस्से के बाकीया लगान की टिकरी की इजरा में नीलाम कर दिया गया है, वह शख्स कल, ९० के अनुसार नीलाम की मसूखी के लिए दरखास्त दे सकता है, (देखो 15 C 488)—वह शख्स जिसके हक में, टिकरी के पहिले किसी दरखिलकारी जोत के हिस्सा की मुक्त किसी किसी विना रजिस्ट्री शुद इतकाल नामा के कर दी गई है, वह शख्स इदराज शुद अचामी के ऊपर दी गई टिकरी की इजरा में होने वाली नीलाम की मसूखी के लिए दरखास्त दे सकता है (देखो 13 C W N 98)—किसी दरखिलकारी जोत का मुतहिन दरखास्त दे सकता है (देखो 11 C W N 312)

"जिनके हक पर नीलाम से कोई असर पड़ा हो" वाक्य से मतलब मौजूदा हक से है। इसका प्रयोग महाननों के दावा के सम्बन्ध में नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें इजरा की कारवाई में किए गए दावा का सुरुत भा जाता है, देखो 35 I C, 530, 19 C W N 326

“बिक्रीदार” का मतलब उस बिक्रीदार से है जो उस जायदाद को नीलाम पर चढ़ा सकता है, दूसरे बिक्रीदारों से नहीं (देखो 4 C W N 542, 15 C 488)—जायदाद कुर्क कराने वाला बिक्रीदार दरखास्त दे सकता है। “हक्क” शब्द का अर्थ सिर्फ हक्क-मिलिकियत या हक्क दखीलकारी ही नहीं है बल्कि उसमें दूसरे हक्क भी शामिल है (देखो 28 C W N 899)—इससे पहिले वाले एक मुकद्दमे में यह तय किया गया है कि कुर्क कराने वाला महाजन नीलाम की मसूची के लिए दरखास्त दे सकता है, देखो 4 C W N, 542, 8 C W N 57

खरीदार नीलाम दरखास्त दे सकता है, देखो 38 M. L J. 228, 65 I C 875, 55 I C 33 इसके विपरीत फैसले के लिए देखो 74 I C 760, 19 C W N 1291—जब नीलाम किसी ऐसी बिक्रीके सम्बन्धमें किया गया हो, जो किसी नाहिरा मालिकके ऊपर दी गई है, तो वह मालिक दरखास्त दे सकता है जिसको जायदादसे फायदा उठा सकनेका हक्क है, देखो 20 C 418, 19 M 167—किसी मुश्तर्क जायदादका हिस्सेदार दरखास्त दे सकता है देखो 5 A. 42—किसी हिन्दू बेवाका रिक्सेनर (चारिस भाषा) दरखास्त दे सकता है देखो 51 I C 359—बेवात की बिक्री की जानेके बाद मुर्तहिन दरखास्त दे सकता है, देखो 13 C 346, 8 C. L J 367—किसी लगान (किराया) की बिक्रीकी इजरायें नीलाम की गई जायदादका मुर्तहिन दरखास्त दे सकता है, देखो 1 C L J 454

इसी तरह किसी नाकाबिल इन्सकाल जोत (कम्पा) का मुर्तहिन खरीदार भी दरखास्त दे सकता है, देखो 31 I C 859

वह शरस जिसने मुकद्दमेका फैसला होनेके पहले जायदाद कुर्क कराई हो दरखास्त नहीं दे सकता, देखो 17 C W N 80

रूल ९० का यह वाक्य कि “कोई भी शरस जिसके हक्कको नीलामसे मुकसान पहुँचा हो,” रूल ८९ के इस वाक्यसे कि, “वह शरस जिसे नीलामकी हुई जायदादमें कोई हक्क हासिल हो” अधिक विस्तृत है, देखो 19 C W N 326

आर्टर २१ रूल ९० का विस्तार—यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि रूल ९० के अनुसार किसी नीलामके मसूख क्रिये जानेके लिये यह परमावश्यक है कि नीलामके करने या उसकी मुश्तहरी करने में (क) कोई भारी बेक़ायदगी या फ़रेब किया गया हो, और (ख) यह बेक़ायदगी या फ़रेब नीलामकी मुश्तहरी या उसके करनेमें हुआ हो, (ग) कोई भारी क्षति पहुँची हो और (घ) ऐसी क्षति नीलाम की मुश्तहरी करने और नीलामके करनेमें की गई, भारी बेक़ायदगी या फ़रेबके कारण ही पहुँची हो। इन चार बातोंका होना निहायत जरूरी है।

“नीलामकी मुश्तहरी या नीलामके करनेमें” शब्द क्रमश आर्टर २१ के रूल ६६ और उस अफसरके कार्योंसे सम्बन्ध रखते हैं जिसने नीलाम की है (देखो 32 B 572—रूल ९० में वह फ़रेब भी आ जाता है जो इतदार नीलाम के

प्रकाशित होने के बादमें किया गया हो—उदाहरणार्थ रुपया भदा करने के लिये समय देना का इकारार हो जानेके बाद कपटसे जायदाद का धेच डालना, देखो 3 Pat L J 645 —“बेकायदगी” शब्दमें “वेजायतगी” शामिल नहीं है, (देखो 32 C 1101; 16 C W N 193; 20 A 412 P C) —दिकरीकी इजराम होने वाला नीलाम फरेब की बिना पर मसूख किया जा सकता है, यद्यपि यह न भी साबित हुआ हो कि उस फरेब-साजीमें खरीदार नीलामका भी कोई हाथ था, देखो 72 I C 625 —भदाकत इजरामको, सिवाय उन उखदारियोंके, जो कि दरख्वास्तमें साफ साफ लिख दी गई हैं, और दूसरी उखदारियां पर विचार न करना चाहिए, देखो 53 I C 794

। भारी बेकायदगी—शुर्काका न किया जाना या बेकायदा तौर पर शुर्काका किया जाना भारी बेकायदगी है, लेकिन इससे कोई नीलाम बिल्कुल नाजायज नहीं हो जाता, देखो 2 Pat 207; 18 C 188, 34 C 78, 18 M 437, 30 M 255; 68 I C 613, 21 A 311; तथा 5 A 86, 7 A 38; 10 A 506; 8 W R 415

भाँडर २१ कल ६६ के अनुसार नोटिसका जारी न करना बेकायदगी है, देखो 18 I C 715; 75 I C 103 —कल ६७ के अनुसार नीलामका इशतहार न जारी करना भारी बेकायदगी है, देखो 18 C 482

भदाजन कीमतका गलत लिखना एक भारी बेकायदगी है, देखो 52 I C 23, 20 A 412 P C, 8 C W N 257—कुछ मामलोंमें जान चूझकर गलत कीमत लिख देनेसे फरेबका सदेह करना उचितही होगा, देखो A I R 1922 (Pat) 269 —कीमतका न लिखना कोई भारी बेकायदगी नहीं है, देखो 67 I C 885, 70 I C 308 किसी जीतका लगान या मकानका जिराया न लिखना कोई भारी बेकायदगी नहीं है, (देखो 7 C 723)—जमीनकी मालगुजारी न लिखना भारी बेकायदगी है, देखो 75 I C 546 P C

नीलामका समय न लिखना भारी बेकायदगी है, देखो 6 C W N 48, 31 C 815 P 818, 34 C 709 P C, 24 C 291, 6 C W N 44

भारी बेकायदगी और भारी क्षति—भारी बेकायदगी या फरेब मुद्द उस दिकरी के मसूख किए जाने के लिए काफी नहीं है । यह बात भी साबित की जानी चाहिए कि ऐसी बेकायदगी या फरेब के कारण कोई भारी क्षति हुई है । उदाहरणार्थ, सिर्फ कीमत का ठीक न लिखना या इशतहार नीलाम का चरपा न करना, या माल की कीमत कम लगाना जिनकी भदाकत की इजाजत से होने वाले नीलाम को मसूख कर देने के लिए काफी नहीं है । भदाकत को उन बातों के ऊपर जो कि साबित की गई हैं, इस बात का इतमीनान हो जाना चाहिए कि उस शख्त को, जो दरख्वास्त दे रहा है, इस बेकायदगी की वजह से भारी नुकसान पहुँचा है । 21 C 66 P C में यह तय हुआ था कि कोई मसख

शहादत न होने की दशा में, साचित हो चुके बेकायदगी और नुकसान से यह अनुमान नहीं कर लेना चाहिए कि प्रत्यक्ष शहादत न होने की वजह से ही यह बेकायदगी और उसकी वजह से नुकसान हुआ। 11 C 200 F B, 7 C. 466; 9 C 542, 9 C. 656, 20 C. 599 तथा दूसरे मुकद्दमों में यह तय हुआ था कि जहाँ पर माल नाकाफी कीमत पर बेच दिया गया है और अगर यह बात भी साचित हो जाय कि नीलाम की मुतहरी करने या नीलाम के करने में भारी बेकायदगी की गई है, तो वहाँ पर ठीक नतीजा यही निकाला जा सकता है कि बेकायदगी की ही वजह से दाम कम आया है। म्रिची कौंसिल के ऊपर बतलाए हुए मुकद्दमे (21 C 66) में यह तय किया गया है कि शहादत न होने की दशा में ऐसा अनुमान नहीं करना चाहिए। इस म्रिची कौंसिल के मुकद्दमे का उल्लेख 24 C 291 में किया गया था जिसमें यह बतलाया गया था कि “प्रत्यक्ष शहादत” से मतलब ऐसी शहादत से है जिसमें यह बतलाया गया हो कि यह भारी नुकसान बेकायदगी का ही परिणाम है। यही राय 20 M 159 में भी जाहिर की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इससे भिन्न राय कायम की थी, और उसमें म्रिची कौंसिल के फैसले का जो अर्थ किया गया था वह यह था कि “प्रत्यक्ष शहादत” ऐसी होनी चाहिए जो नुकसान का सम्बन्ध बेकायदगी के साथ स्थापित करती हो (देखो 18 A 37, 18, A 141)

सन् १९०८ ई० के जायता दीवानी में “जब तक कि साचित हुई बातों के ऊपर अदालत को इतमीनान न होजाय” शब्दों के बड़ा दिए जाने से अब सारा विरोध शान्त हो गया है। इसलिए नुकसान और बेकायदगी के बीच कारण-वश होने वाले सम्बन्ध को स्थापित करने के लिए प्रत्यक्ष शहादत की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जिस बात की जरूरत है वह सिर्फ यह है कि अदालत को चाहिए कि वह उन बातों के ऊपर जो उसके सामने साचित हुई हैं, खुद अपना नतीजा निकाले।

एक हालके मुकद्दमे में यह बतलाया गया है कि 22 C 66 P C में जायता दीवानी की पुरानी दफा ३११ का उल्लेख किया गया जिसका सरोधन अब “जब तक कि साचित हुई बातों के ऊपर अदालत को इतमीनान नहोजाय” शब्दों से कर दिया गया है, क्योंकि म्रिची कौंसिल के मुकद्दमे में “प्रत्यक्ष शहादत” में जिस बात की जरूरत बतलाई गई है उसके लिए यह सम्भव है कि उसका गलत अर्थ कर दिया जाय। अब इस बात की जरूरत नहीं है कि “प्रत्यक्ष शहादत” में यह दिखाया जाय कि कम दाम भारी कीमत के कारण ही आया है, अगर साचित की गई बातों के ऊपर अदालत को यह इतमीनान होजाय कि एक दूसरे का स्वाभाविक परिणाम है (देखो 76 I C 168 Pat.)

किसी एक का छोड़ देना—अगर कोई शख्स जानता हुआ भी बेकायदगी के ऊपर कोई एतराज नहीं करता है, तो वह अपने हक के छोड़ देने के बराबर है

और याद में वह नीलाम की निरूपत कुछ भी न कह सकेगा (देखो 12 M 19 P C ; 38 M. 387; 26 W R 41 P. C, 19 W R 227; 2 C. L J 584; 29 C 577; 6 C L J 176; 28 A 273, 14 C L. J 519; 32 I C 990),—लेकिन बिना नया इशतहार नीलाम जारी किए और दुगो पटवाप अथवा बिना किसी बेकायदगी को बतलाए नीलाम की मुस्तफी क लिए मदीयन डिकरी की ओरसे दी गई दरखास्त से वह बेकायदगी की बिना पर नीलाम के निरूपत कुछ कदने से रोका नहीं जा सकता (देखो 6 C W N. 42; 6 C W N 48, 7 C 613, 17 M 304)—इसकी परीक्षा सिर्फ यही है कि क्या वह उस बेकायदगी को जानता था जिसके ऊपर आपत्ति करने के लिए वह बाध्य था (देखो 6 C L J 62; 13 C L J 192, 14 C L J, 634, 6 C W N 42)—जय मदीयन डिकरी को जर डिकरी भदा कर देने की रात पर समय दिया गया, तो उसकी निरूपत यह तय हुआ कि उसके लिए नीलाम के जायज़ होने के सम्बन्ध में एतराज करने की कोई रुकावट नहीं है, देखो 29 C 577; 36 C 422.

मियाद—चाहे नीलाम मसूरा करने की दरखास्त आर्डर २१ कूल ९० के अनुसार दी गई हो या दफा ४७ के अनुसार अथ मियाद का सवाल कानून मियाद के आर्टि० १६६ के अनुसार (नीलाम की तारीख से एक महीना) तय किया जाना चाहिये आर्टि० १८१ के अनुसार नहीं (तीन साल) देखो 77 I C 631, 46 C 975, 77 I C 368, 61 I C 822, 28 C W N 144 — संशोधित आर्टि० १६६ कानून मियादके अन्दर जाबता दीधानीके अनुसार नीलाम की मसूरी के लिये दी गई कुल दरखास्त आजाती है । अगर किसी तरह का कोई फरेब किया गया है तो मियाद की मुद्दत उस तारीख से शुमारकी जाती चाहिये जिस तारीख को दरखास्त देने वाले शख्स को पहिले पहल उस फरेब का पता चला था, देखो 17 C 769. F B, 30 C. 142—कानून मियादकी दफा १८ से फायदा उठानेके लिये उसे चाहिये कि वह यह दिखलावे कि फरेब करके उसे दरखास्त दे सकनेकी बात जाननेनही दी गई देखो 51 I C 447, 1 C W N. 67 —ऐसे फरेब के मामले में, जिसमें सम्मन लिपा रखा गया है या गलत नकशा दाखिल किया गया है मियाद की मुद्दत उस तारीखसे शुरू होती है जिस तारीख को दरखास्त देने वाले शख्स को सिर्फ नीलाम की ही बात नहीं मालूम हुई थी बल्कि कुछ बात साफ साफ मालूम हो गई थी जिससे फरेब (Fraud) भी सामिल है और यह बात दिखाना दूसरे आदमीका काम है कि उस (दरखास्त देने वाले) शख्स को इन बातों का पता उस समय चल गया था जिससे दरखास्त की मियाद जाती रही, देखो 48 C 119, 18 C W N 1266, 3 P L T. 501—इस बात के साबित करने का भार उसी शख्स पर है जिसने फरेब किया है कि जिन गलत को नुकसान पहुंचा है उसे वे कुल बातें जिनमें फरेब की बात पैदा होती है इतने समय पहिले मालूम हुई थी और वह अथ अदालत से किसी तरह की मदद पाने का हकदार नहीं है देखो 27 C L J 528,

17 B 141 P C में यह बतलाया गया था कि निर्फ यह बात कि जिस शर्क को नुकसान पहुँचा है उसको कुछ ऐसी बातों का आभास मिल गया था कि अगर उनका दृढ़ता के साथ पीछा किया गया होता और चाम्पसमे उनपर अमल किया गया होता तो यह सम्भाव था कि उस से पूरी पूरी बात मालूम होगई होती, इस बात के कहने के लिये काफ़ी नहीं है कि उसको फरेय (छल) की बातों का पूरा पूरा पता नहीं हो गया था ।

अपील—जिस हुकम से कोई नीलाम मसूख कर दिया गया हो या नीलाम मसूख कर देने से इन्कार कर दी गई हो वह आर्डर ४३ रूल १ बलोज (एफ) के अनुसार दिए गये हुकम की तरह पर काबिल अपील है और दूसरी अपील करने का अधिकार अथ छीन लिया गया है [देखो दफा १८४ (२)]—जब दरखवास्त दफा ४७ क अनुसार दीगई हो तो दूसरी अपील हो सकता है ।

जब कोई दरखवास्त हाजिर न हो सकने की वजह से खारिज हो गई हो और उसको फिर से समाप्त किये जाने की दरखवास्त खारिज कर दीगई हो तो उस हुकमके विरुद्ध अपील न की जा सकेगी (देखो 29 A 596, 31 C. 207)

राजिनामा (समझौता)—किसी नीलाम के मसूख किए जाने के लिए दी गई दरखवास्त में किण गप राजिनामा का इन्दराज आर्डर २३ रूल ३ के अनुसार कर लिया जाना चाहिये देखो 62 I C 608

नोटिस—नीलाम मसूख किये जाने के पहिले इस बात की नोटिस आर्डर २१ रूल २२ के अनुसार उन सभी आदमियों को दी जानी चाहिये जिनके ऊपर उस नीलाम की मसूखी से कोई असर पडता हो देखो 39C 687; 13C L J 585, 39C 881)—खरीदार नीलाम एक जरूरी फरीक है (देखो 50I C 5, 3Lah L J 463, 62 I C 986) और खरीदार नीलाम को नोटिस दिये बिना नीलाम के मसूख कर दिये जानेसे वह उस मसूखी से बाध्य नहीं हो जाता [देखो 62 I C 113]—पटना हाईकोर्ट के एक हाल के मुकदमे में यह तय पाया है कि इस रूल में कहीं पर भी यह नहीं बतलाया गया है कि खरीदार नीलामको जरूर फरीक बनाया जाना चाहिये। यह काम दरखवास्त देने वाले का है कि वह अदालत से इस बात की दरखवास्त करे कि जिन लोगपर उस मसूखी नीलामसे कोई असर पडता है उनके नाम वह नोटिस जारी करे, अदालत इस बातके लिये बाध्य नहीं है कि वह अपनी ओर से नोटिस जारी करे। अगर दरखवास्त देनेवाला इस बारे में कुछ भी कार्रवाई नहीं करता तो अदालत को अधिकार है कि वह दरखवास्त खारिज कर दे। नोटिस जारी करने के लिये कोई मुद्दत नहीं है देखो 75 I C 430—जो नीलाम मद्दियून डिकरी और डिकरीदार के बीच हुये समझौते के कारण मसूख किया गया हो उसके माननेके लिये खरीदार नीलाम बाध्य नहीं है (देखो 62 I C 986)—रूल ८९ के अनुसार रुपया जमा कर दिया गया, लेकिन खरीदार नीलाम वाजायता तौर पर फरीक नहीं बनाया गया यद्यपि दरखवास्त में यह बतला दिया गया था कि जायदाद उसने खरीद की है। तब हुआ कि इतना कर देना नियम की पूरी पाबन्दी कर देना था और इसके

ऊपर खरीदार नीलाम के नाम नोटिस जारी किया जा सकता है, देखो A I R 1923(Cal)394 खरीदार नीलामको उसी समयके भीतर फरीक बनानेना चाहिये जो मियाद दरखास्त देने के लिये मुकर्रर है, देखो 62 I C 61, 50 I C 5 Contra—रूट १२ के अनुसार नोटिस दिये जाने के लिये कोई मियाद मुकर्रर नहीं है देखो 68, I C 238 तथा 75 I C 430

रुपये की वापसी—आर्डर २१ रूल ९३ के अनुसार जब कोई नीलाम मसूदा कर दिया जाय तो खरीदार अपना रुपया वापस पानेका हकदार है। नष्ट जायता दीगानी के अनुसार रुपया वापस पानेके लिये अलग दरखास्त नहीं दी जा सकती देखो 27 C W N 183; 28 C W N 20 और 40 A 411 — रुपया वापस दिला पाने के हुकम की इजरा दफा २६के अनुसार डिकरी की तरह पर ही की जा सकती है (देखो 47 I C 670)

नीलाम या सर्टीफिकेट—नीलाम कतई होजाने के बाद जैसा कि रूल ९२ में बतलाया गया है, खरीदार नीलाम सर्टीफिकेट पाने का हकदार है (देखो आर्डर २१ रूल ९४) नीलाम कतई होजाने के बाद नीलाम की तारीख से ही जायदाद में खरीदार का हक पैदा हो जाता है (देखो दफा ६५)

जायता दीगानी की दफा ६६ में यह व्यवस्था की गई है कि सर्टीफिकेट पाये हुये खरीदार के ऊपर इस बिना पर नालिश नहीं की जा सकेगी कि जायदाद मुहई की ओर से खरीद की गई थी।

ज्योंही नीलाम कतई करार दे दिया जाय त्योंही जिलाके मुहाफिज राने में कागजात भेजे जाने के पहिले नीलामके सर्टीफिकेट (किवाला) का मसविदा तैयार किया जायगा। जब किसी सर्टीफिकेट के लिये दरखास्त दी गई हो तो इस मसविदे से असल सर्टीफिकेट तैयार किया जायगा उन मामलों के सम्बन्ध में जिन में नीलाम की मजूरी की तारीख से छ साल के अन्दर सर्टीफिकेट के लिए दरखास्त न दी गई हो, तैयार किया हुआ सर्टीफिकेट का मसविदा उस मुहत्त के खतम हो जाने पर नष्ट कर दिया जायगा।

नीलाम के सर्टीफिकेटों में लिखी जाने वाली बातें—न्यायालयों के अधिकारियों (जुडिशल अफसरों) को चाहिए कि वे अपने मातहत के लोगोंको यह हिदायत कर दें कि जायदाद गैर मनकूला की नीलाम के कुछ सर्टीफिकेटों (किवालों) में नीलाम हुई जायदाद को इतने ब्योरेवार लिख दिया करें जितना कि वे हर एक मामले में कर सकते हैं और उन्हें इस बात के लिए खास तौर पर हिदायत कर दें कि वे उस तारीख को उसमें जरूर लिख दें जिस तारीख को नीलाम कतई करार दिया गया था (देखो आर्डर २१ रूल ९४) [G R & C O Ch 1 R 112]

हर एक मामले में नीचे लिखी बातें लिखी जानी चाहिए—

१-उन शख्सका "पता व निशान" (जैसा कि ऐक्ट नं० १६ सन् १९०८

ई० की दफा २ में उसकी परिभाषा की गई है) जो खरीदार बतलाया जाता है।

२-वे चाँते जो जायदादकी शिनाखतके लिए, काफ़ीहों जैसाकि पेक्ट न० १६ सन् १९०८ ई० की दफा २३ (२) के अनुसार आवश्यक है।

३-रजिस्ट्रीके हर एक हलके (Subdistrict) का नाम जिसमें उस जायदादका कोई हिस्सा चाँके है (देखो G R. & C O Ch L R 113)

नीलाममें वसूल हुई रकम-उसका हिस्से रसदी बटवारा—जब किसी मंदिपूत डिकरीकी जायदाद किसी अदालतके कब्जेमें ही और "जायदादके पाने या नीलाम होनेके पहिले एक से अधिक भादमियोंने उस अदालतको 'रूपयेकी अदायगीके लिए डिकरियो" की इजराकी दरखास्त दी हो जो उसमें एक ही मंदिपूत डिकरीके ऊपर दी गई है, तो दफा ७३ में बतलाए अनुसार वह जायदाद उन लोगों में हिस्से रसदी बांट दी जायगी।

रामजस बनाम गुरुचरणके मुकद्दमें (देखो 11^o C L J 67 P 73) में जस्टिस मुकर्जीने कहा:—"किसी डिकरीदारकी, डिकरीदारकी हिसयतमे समझे जाने और वसूल हुए रुपएमें हिस्सा पाने का हकदार होनेके लिए, नीचे लिखी शर्तोंका होना जरूरी है—

(क) जिस डिकरीदारने हिस्से रसदी बटवाराके लिए दावा किया है, उसने अपनी डिकरीकी इजराके लिए उस अदालतको दरखास्त दी हो जिसके पास वसूल हुआ रुपया जमा है।

(ख) ऐसी दरख्वास्त असासा वसूल होनेके पहिले गई दी हो।

(ग) वह रुपया किसी डिकरीकी इजरा मे नीलामके जरिए या और किसी तरहपर वसूल किया गया हो।

(घ) जायदाद कुक कराने वाले डिकरीदार और वे डिकरीदार, जो उस रुपएके हिस्से रसदी बटवाराके लिए दावेदार हो, रुपयकी अदायगीकी डिकरी रखते हों।

(ङ) ऐसी डिकरियां एक ही मंदिपूत डिकरीके ऊपर दी गई हों।

इस दफाके अनुसार उस समय तक हिस्से रसदी बटवारा न किया जा सकेगा, जब तक ऊपर बतलाई हुई सारी शर्तें मौजूद न हों।

सन् १९०८ ई० के जायता दीवानोंमें "इजरामें नीलामसे या और किसी तरह पर वसूल हुआ रुपया" की जगह "वह रुपया जो किसी अदालतके कब्जेमें हों" कर देनेसे दफा ७३ का विस्तार बहुत कुछ बढ़ गया है और अब उसमें कोई भी रकम शामिल समझी जा सकती है, चाहे वह किसी भी तरहसे अदालतके कब्जेमें आई हो, देखो 35^o C L J 327 27 C W N 169 40 C 619— इस वर्तमान कलके अनुसार जिन बातोंकी जरूरत है, वह यह है कि वह रकम अदालतके पास (कब्जेमें) हो, फिर चाहे वह कार्रवाई इजरामें वसूल की गई हो या और किसी तरह पर 136 B 156 जिसका 41 M 616; 21 Bdm L R 99, 978 में खण्डन किया गया है तथा दूसरे बहुतसे मुकद्दमोंमें जो इसके

विपरीत स्थिर किया गया है, वह वर्तमान रुलके शर्तोंके अनुकूल नहीं है । 41 M. 221 में जो फसला दिया गया है, वह 44 M 100 में दिए हुए फसले से रद्द हो गया है ।

दरखास्त उस अदालतको, जिसके पास रुपया (माल) जमा है, उस मालके मिलनेसे पहिले दी जानी चाहिए (देखो 5 B, 198, 9 C L J 210, 11 C L J 69, 4 C W N 27 —जिस बातकी जरूरत है वह सिर्फ यह है कि डिकरीकी इजरा की दरखास्त अंडर २१ रुल ११ में बतलाये हुए फार्ममें दी जानी चाहिये । यह जरूरत नहीं है कि डिकरीदार उस जमा हुए माल (Assets) की कुर्काले लिए भी दरखास्त दे, (देखो 9 C L J 210)—किसी इजराके मुकद्दमको मुन्तकिल करनेके लिए किसी बड़ी अदालतको दी गई दरखास्त दफा ७३ के अर्थमें खुद दरखास्त नहीं है, देखो 25 C W N 872, 18 C 242, 34 M 25; 18 C W N 1311—अगर कुर्की तारीखसे पहिले करा ली गई है, तो इजरा कराने वाला डिकरीदार हिस्से रसदी बटवारे का हकदार है, यद्यपि उस अदालतको, जिसके पास माल जमा है, इजराकी दरखास्त न भी दी गई हो, देखो 63 I C 11

माल उस समय मिल सकता है, जब कुल कीमत खरीद—(एक चौथाई नहीं)—जमा कर दी गई हो, (देखो 15 C W N 872, 18 C 242, 34 M 25, 18 C W N. 1311)—जब कोई जायदाद कई बार करके नीलाम की गई हो, तो रुपया उस समय वसूल किया जा सकता है जब कुल कीमत खरीद भद्रा कर दी जाय (देखो 33 C L J, 7, 26 M 179)—कई तारीखोंमें जायदाद मनकूलाके नीलामके सम्बन्धमें दूसरे नियम लागू होते हैं, (देखो 44 C 789)

इस रसदी बटवारामें डिकरीका ही रुपया दिया जायगा, इजराका खर्चा न दिया जायगा, जब तक कि रुपया मिलनेसे पहिले इस बातका हुकम न दे दिया गया हो कि डिकरीके रुपयके साथ खर्चा भी शामिल कर दिया जायगा, देखो 47 C 515

जब मुन्तकिल और सब जजकी अदालतोंने एक ही जायदाद कुर्ककी हो, तो नीलाम बड़ी अदालत करेगी । लेकिन जहां पर नीलाम मुस्लिफने किया हो, उस समय सब-जज उन्हे इस बातका हुकम नहीं दे सकते कि नीलामसे वसूल हुआ रुपया उनकी (सब-जजकी) अदालतको भेज दिया जाय, लेकिन वह जिला जजसे इस बातकी दरखास्त कर सकते हैं कि यह रुपया उनकी (सब जजकी) अदालतको भेज दिया जाय और उसके बाद उसका बहिस्ताव रसदी (हिस्से रसदी) बटवारा किया जाना चाहिए, देखो 27 C L J 145

अपील—जिस हुकमके जरिये भिन्न भिन्न डिकरीदारोंके बीच झगड़ा होजाने के कारण हिस्से-रसदी बटवारा करनेसे इनकार कर दी गई हो; यह इजराकी कार्यवाहीमें दिया हुआ हुकम है और इसलिए उसकी अपील नहीं हो सकती, देखो

19 C W. N 1202,) लेकिन अगर जिस सवालका फैसला हुआ है, वह डिकरीदार और मदियून डिकरीके बीच पैदा हुआ हो, तो उस समय दिया हुआ हुक्म, दफा ४७ के अन्दर भा जाता है और इसलिये उसकी अपील हो सकेगी, (देखो 36 B 156, 327 M 570)

खरीदारको कब्जा देवका तरीका—जब वह जायदाद गैर मनकूला, जो खरीद की गई है, मदियून डिकरीके कब्जेमें हो या उसकी ओरसे कोई दूसरा शख्स या कोई ऐसा शख्स, जो कुर्कीके बाद हासिल की हुई हकीयतके जरिये दावेदार हो उस पर काबिज हो, तो दरख्वास्त देने पर अदालत उस जायदाद पर कब्जा दिला देगी, (देखो आर्डर २१ रूल ९५)

जब जायदाद किसी आसामी या दूसरे आदमीके कब्जेमें हो, जो उस पर कब्जा रखनेका हकदार है, तो उस पर नीलामका एक सर्टिफिकेट चस्पॉ करके और हुग्गी पिटवा कर उस जायदाद पर कब्जा दिलाया जायगा (देखो आर्डर २१ रूल ९६ तथा आर्डर २१ रूल ३५)

रूल ९५ का मशा यह है कि मदियून डिकरी या किसी दूसरे शख्सका जो उसके जरिये दावेदार हो, जायदाद पर से कब्जा इटाकर खरीदारको वास कब्जा दिला दिया जाय। रूल ९६ का मशा यह है कि कानूनी कब्जा दिला दिया जाय, क्योंकि जायदाद किसी आसामीके, जो उसको अपने कब्जेमें बनाये रखने का हकदार है, कब्जेमें होनेसे उस पर असली कब्जा (देखल) नहीं दिलाया जा सकता। इसलिये उस समय से खरीदार लगान (किराया) वगैरा घसूल करके उस जायदाद पर अपना कब्जा बनाये रख सकता है। और खरीदार के असली कब्जे और कानूनी कब्जेसे उसके हक पर एक जैसा ही असर पडता है। रूल ९५ के अनुसार खरीदारको कब्जा मिल जाने के बाद मदियून डिकरीको देखल एक मदाखिलत बेजा करने वाले शख्स का जैसा रह जायगा, (देखो 66 I C 817)

कानून और असलियतकी दृष्टिसे यह कानूनी कब्जा फरीकनके बीच कब्जे की पूरी मुन्ताकिली का असर रखता है और इससे मदियून डिकरी तथा दूसरे आदमियाँके ऊपर जो डिकरीके जरिये देनदार है मियादकी नई तारीख पैदा हो जाती है, यद्यपि जहा तक तीसरे फरीक का सम्बन्ध है इस कब्जेका कोई भी महत्व नहीं है (देखो 5 C 584 F B, 22 C W N 330 P C, 7 C 418, 8 C W N. 49, 19 A 499, 24 C 715, 21 A. 269, 28 A 722, 17 M L J 598, 2 Pat L T 743, 71 I C 999, 46 B 710, Contra;—परन्तु कुछ मुकद्दमोंमें यह तय किया गया है कि खरीदारको जायदाद पर सिर्फ कानूनी कब्जा दिला देने से मदियून-डिकरी के हकमें मियाद की मुद्दत का जारी रहना बन्द नहीं हो जाता जब कि वह (मदियून डिकरी) हकीकतमें उस जायदाद पर काबिज रहा हो, देखो 36 B 373 F B, 43 B 559, 40 A 520, 43 All 520, 36 B 373 के ऊपर 46 B 710 में सन्देह किया गया है।

जब खरीदारकी भोग्से दाम्ज' दिला पाने के लिए दीर्घ दख्खास्त रखा-
वट ट. ६१ देने के कारण खारिज कर दी गई है, तो वह आर्डर २१ रूल ९७ के अनु-
सार दख्खास्त दिये बिना कानून मियादके आर्टि० १६७ में दी हुई मियादके
अलावा नई मियादकी सुदत के लिये दफ्तदार है, देखो 191 C 150

आर्डर २१ रूल ९५ के अनुसार दिये हुये हुकमकी अपील नहीं होसकती,
देखो 10 A 216

जायदाद पर कब्जा दिलापानेके लिये दिये जाने वाले हुकमके फार्मके
लिये देखो जायदादीयानीके जमीमा (ई) का फार्म न० २९ ।

कब्जा दिये जाके विरोध—जब किसी डिफरीदारको, जिसे कब्जेके लिये
डिकरी दी गई है, या खरीदार नीलामकी जायदाद पर कब्जा करने से रोका गया
है, तो वह शख्स इस बातकी रिपोर्ट अदालतमें कर सकता है और फिर इस
मामलेकी जाच (तहकीकात) की जायगी (देखो आर्डर २१ रूल ९७)—जो
शख्स कब्जा करनेमें रुकावट डाल रहा है वह ३० दिन तक कदम रखा जा सकता
है, (देखो आर्डर २१ रूल ९८, दफा ७४)—जब इस तरह रुकावट डालने वाला
शख्स (जो कि मर्दियून डिफरी नहीं है) ऐसा आदमी हो जो नेकरोयतीके साथ
अपने चल पर या मर्दियून डिफरीके अलावा किसी दूसरे शख्सके चल पर, उस
जायदाद पर कब्जा दिला पानेका दाखदार है, तो वह दख्खास्त खारिज कर
दी जायगी, (देखो आर्डर २१ रूल ९९)

' अपने चल पर', जो रूल ९९ में आया है, सिफ उसी आदमीके सम्बन्धमें
लागू हो सकता है जो अपनी हकीयतके ऊपर कब्जे के लिये दावेदार हो। अगर
किसी जमींदारकी किसी अस्ामीके खिलाफ कब्जे की बाबत डिफरी मित्रे और
उसे कोई ऐसा शख्स जो उस जायदादपर यतीर शिकमा आस्ामीके खारिज है
कब्जा करने से रोके, तो वह शख्स रूल ९९ के आधार पर अपना दावा पेश नहीं
कर सकता, देखो 23 Bom L R 1316—47 C 907 में इससे विपरीत
फैसला दिया गया है।

अगर किसी डिफरीदार को डिफरी की इजरा में रोका गया हो, तो वह
फिर कब्जा दिला पाने के लिए दख्खास्त दे सकता है और अगर वह फिर
रोका गया तो वह इसके खिलाफ शिकायत कर सकता है, देखो 13 C W
N 724

जिस हुकम के जरिये कब्जा दिलापाने की मजूरी या इन्कार की गई है,
वह आर्डर २७ के अनुसार दिया हुआ हुकम नहीं है और उसकी अपील नहीं हो
सकती, देखो 29 C L J 48

खरीदार द्वारा बेदखल किया जाना और कब्जा दिया जाना—जब मर्दियून
डिफरी के अलावा कोई शख्स डिफरीदार या खरीदार नीलाम की ओर
से जायदाद में मतभूल से नुकसान कर दिया गया हो, तो वह शख्स इन
आय की दख्खास्त देकर, अगर यह अदालत को इतमोमान लिला सके कि

वह अपने हक के बलपर या मदिपुन डिकरी को छोड दूसरे शख्स के बलपर उस जायदाद पर काबिज था, आर्डर २१, रूल १०० के अनुसार सरसरी कार्रवाई से कब्जा हासिल कर सकता है (देखो आर्डर २१, रूल १०० १०१)—रूल ९९ और १०१ उन मुन्तकिल अलेहा के सम्बन्ध में लागू नहीं होते जिनके नाम दौरान मुकदमा में जायदाद मुन्तकिल की गई हो (देखो आर्डर २१, रूल १००)—जिस शख्स को रूल ९८ ९९ या १०१ के अनुसार दिए गए हुक्म से कुछ हुआ पहुँचा हो, वह अपनी हकीयत कायम करने के लिए नालिश दायर कर सकता है, लेकिन ऐसी नालिश के नतीजे के अनुसार वह हुक्म कतई हुक्म होगा (देखो आर्डर २१, रूल १०३)

असली कब्जा दे देना ही रूल १०० के अर्थ में बेदखल करना है देखो 33 C 487—घाँसों का लगाना और काबिज लोगो के नाम इस बातकी घोषणा निकाल देना कि उस जायदाद पर दूसरे शख्स को डिकरी दे दी गई है, काफी बेदखली है, देखो 11 W. R. 191, 3 C L J 293 —“मदिपुन डिकरी” में उसके प्रतिनिधि और वे तमाम लोग शामिल हैं जो उस डिकरी का रुपया अदा करने के लिए जुम्मेदार हैं, देखो 2 Pat L. J. 478 —किसी मुर्तहिन के जरिये कब्जा पाना इस रूल के अनुसार दावा दायर करने के लिए काफी है, देखो 20 W. R. 373, 33 C 487 —जो मुर्तहिन किसी रेहननामा के अनुसार किसी जायदाद पर काबिज हो, उसके लिए यह कहा जायगा कि वह “अपने बलपर” काबिज है, देखो 2 A. 94 इसी तरह किसी असामी का मुर्तहिन भी “अपने बलपर” काबिज समझा जायगा, देखो 19 C L J 13

जब कोई सोलह अने का जमीदार किसी लगानी डिकरी की हजरत में कोई दस्तखतकारी जोत को खरीद करे, तो असामी से खरीद करने वाला शख्स रूल १०० के अनुसार दरखास्त दे सकने का हकदार नहीं है, देखो 43 I C 969

रूल १०० के अनुसार दी गई दरखास्त के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्रवाई वैसी ही है जैसी क्रि आर्डर २१, रूल ५८ के अनुसार दी गई दावे की दरखास्त के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्रवाई। जिस प्रश्न पर विचार करना है वह सिर्फ दखल का प्रश्न है (देखो 2 A. 94, 19 C L J 13)—कानून मियाद के आर्टि० १६५ के अनुसार दरखास्त बेदखली की तारीख से ३० (तीस) दिन के अन्दर दे देनी चाहिए। रूल १०१ के अनुसार दिए गए हुक्म की अभील नहीं हो सकती (देखो 41 I C 891)—रूल १०३ के अनुसार दायर की जाने वाली हकीयत की नालिश की मियाद, कानून मियाद के आर्टि० ११ के अनुसार, हुक्म की तारीख से एक साल है (देखो 26 B 730) जब कोई दरखास्त अदम पैगवी में एग्जिज कर दी गई हो, तो उसकी निश्चय कोई जाच नहीं होती और वहा पर एक साल की मियाद की बात लागू नहीं होती, देखो 34 C 191, 1 P L T 559

भांडर २१ रुल १०१ के अनुसार दिया जाने वाला हुकम या तो सायल को कृत्रा दिए जाने के लिए हो सकता है या गेसा करने से इन्कार के लिए हो सकता है, देखो 42 B 10—जब रुल १०१ के अनुसार हुकम एक तर्फा दिया जाय, तो भांडर ९, रुल १३ लागू नहीं होता और इसके लिए इलाज 15 र्क यहीं है कि रुल १०३ के अनुसार वाफायदा नालिश दायर की जाय, देखो 41 C इससे विपरीत फैसले के लिए देखो 2 P 372, 71 I C 484, 43 I C 951

वापसी जायदाद (Restitution)—(१) जब भार जहा तक कोई ठिकरी ठलट दी गई हो या उसमें कोई रद्द बदल कर दी गई हो, प्रारम्भिक अदालत, किसी ऐसे फरीक़ की दरखवास्त पर जो वापसी जायदाद या और तरह पर किसी रियायत का हकदार है, ऐसी वापसी के लिए हुकम दे देगी, जिस हुकम से, जहा तक सम्भव हो, फरीक़ैन उसी हालत में पहुँच जायगे जिस हालत में वे उस समय पहुँचे होते, अगर वह ठिकरी या उसका हिस्सा ठलट न दिया गया होता या उसमें रद्द बदल न की गई होती। इस काम के लिए अदालत कोई भी हुकम दे सकती है, जिसमें सूचे की वापसी और ब्याज, लुकुसान, मुआविजा और वासिजात की, जो इस परिवतन (ठिकरी में बदल देने) या रद्द बदल के कारण अत्रय हो पैदा हो जाते हो, अदायगी के लिये दिये हुये हुकम शामिल है।

(२) किसी भी ऐसी वापसी या दूसरी दादर्सों के पाने के लिए नालिश दायर नहीं की जा सकेगी जो उप दफा (१) के अनुसार दरखवास्त देकर प्राप्त की जा सकती है (देखो दफा १४४)।

जब कोई ग़ुस, जिसके खिलाफ़ कोई ठिकरी हासिल की गई हो और जिसकी कोई जायदाद या रुपया उस ठिकरी की इजरा में ले लिया गया हो, वाद में जीत जाय और वह ठिकरी ठलट दी जाय, या उसमें कोई सरोधन या रद्द बदल कर दी जाय, तो वह ग़ुस कानूनन उस चीज के वापस पाने का हकदार है जो उससे ले ली गयी थी। जायता दीवानी की दफा १४४ में वह जायता बतलाया गया है जिससे वह चीज वापस ली जा सकती है। इसीका नाम "वापसी जायदाद (Restitution)" है जिसका मतलब है किसी चीजको फिर दे देना या वापस कर देना जो किसी शख्स से कानून के खिलाफ़ ले ली गई हो। वापसी जायदाद के सिद्धांत के नियम के सम्बन्ध में देखो 23 M 306, 32 A 79, 13 C L J 243 p 247; 15 C L J 187, 9 W R 402, L R 3 P C 465, 28 A 665—नियम यह है कि यह वापसी जहा तक सम्भव हो सके इस तरहपर की जानी चाहिये कि फरीक़ैन अपनी उसी असली हालत पर आ जाय जिसमें कि वे गलती से दी गई उस ठिकरी या हुकम के पहले थे, देखो 26 C W N 408, 37 I C 863, 21 C W N 564, 35 I C 356—इसका उद्देश्य मुकद्दमेवाजी को कम करना और मामले को तय कर देना है, देखो 16 C L J 135 दफा १४४ के अनुसार वापसी जायदाद की इजाजत देना ताकीदी है यह अदालत की इच्छा पर निर्भर नहीं करता, देखो 42 I C 523

किसी और तरह से जायदाद पर कब्जा कर लिया हो, देखो 49 A 568, 22 I C 84 (c), 23 A 348, 16 C L J 135

मद्रास हाईकोर्ट में यह तय हुआ है कि जायदादीवाणी की दफा १४४ के अनुसार की जाने वाली वापसी जायदाद, अपील में डिकरियो के उलट दिए जाने तक ही सीमाबद्ध नहीं है बल्कि तमाम ऐसे मामलों में उसका एक जैसा ही प्रयोग किया जा सकता है जिनमें किसी दूरिधर्ती कार्रवाई के कारण कोई डिकरी उलट दी गई हो, देखो 40 M 299, 33 I C 739—इसलिए अगर किसी एकतर्फी डिकरी की इजरा में डिकरीदार को, डिकरी की रकम मिल जाय और इस कारण बाद में वही अदालत उस डिकरी को मसूख कर दे, तो मद्दियून डिकरी उस जायदाद को वापस पाने का हकदार है जो इजरा में उसके हाथ से निकल गई है, लेकिन इसपर विचार करना व्यर्थ है कि ऐसी दशा में दफा ४७ लागू होती है या दफा १४४, देखो 44 B 702—एक दूसरे मुकद्दमे में यह तय हुआ है कि जिस हुकम के अनुसार वह नीलाम मसूख किया जा रहा हो जो किसी एकतर्फी डिकरी की निस्वत किया गया हो, वह हुकम जायदादीवाणी की दफा ४७ या १४४ या १५१ के अनुसार दिया जा सकता है, देखो 43 B 235—लेकिन पटना हाईकोर्ट में यह तय किया गया है कि इस दफा १४४ के "प्रारम्भिक अदालत" शब्द साफ़ तौर पर यह जाहिर करते हैं कि इसका प्रयोग सिर्फ़ उन्हीं हालातों में किया जा सकता है जिनमें डिकरी किसी बड़ी अदालत द्वारा बदली गई हो, देखो 34 I C 747, 1 Pat L J 43

अदालत के वापसी जायदाद का हुकम देने सम्बन्धी अधिकार का प्रयोग सिर्फ़ उन्हीं मामलों तक सीमाबद्ध नहीं है जो दफा १४४ में आते हैं। अदालत को यह अधिकार सदैव से प्राप्त है कि वह वापसी जायदाद का हुकम दे सके और किसी सच्चे मामले में अन्याय होने से रोके। वह ऐसे हुकम दे सकती है जिनकी आवश्यकता उस मामले में पूर्ण न्यान करने के लिए हो, देखो 15 C L J 187, 21 C L J 624, 29 A 153, 6 C W N 710, 11 C L J 533, 32 A 79

उस वह रुपया वापस मांगने का भी पूरा अधिकार है जो नामुनासिब तौर पर अदा किया गया है, देखो 35 C L J 53 तथा उसे डिकरीदार को उस मुद्दत के घासिलात की रकम दिला पाने का अधिकार है जिसमें वह इजरा की मुस्तवी के लिए दिए गए हुकम के अनुसार जायदाद से अलग रखा गया है, देखो 63 I C 43 (L)

जब प्रारम्भिक (इन्तर्दाई) डिकरी मसूख हो गई हो, तो वह फ़रीक़ वह रुपया वापस पाने का हकदार है जो अन्तिम (क़तई) डिकरी के आधार पर वसूल किया गया था, देखो 27 C L J 451.

अगर वह जायदाद, जो ले ली गई है, इस क़ाबिलू न हो कि वापस की जा सके, तो पहिले वाला डिकरीदार नुक़सान

रूपये के, मय इयाज वापस त्रिए जाने का हुक्म दिया जा सकता है, देखो 63 I C 513 (A); 19 I C 1, 15 Bom L R 41, 40 M 299, 41 M 316, 2 Pat L J 349

जय रकम के हिससे रसदी बटवारे के लिए दिया हुआ हुक्म अपील में उलट दिया गया हो, तो वापसी जायदाद के लिए हुक्म नहीं दिया जा सकता, देखो 67 I C 546 (M); 67 I C 369 (M)

जायता दीवानी कीदका १४४ उस समय लागू नहीं होती, जस कुञ्जा डिकरी के विरुद्ध और उससे बिल्कुल अलग हासिल किया गया हो, देखो 39 I C 933

कार्रवाईकी विरुद्ध भी, मियाद—वापसी जायदाद की कार्रवाई न तो नालिश है और न इजरा में की जाने वाली कार्रवाई। यह एक सुतफरकात की कार्रवाई है जिसके सम्बन्ध में वे नियम लागू हैं। जबकि उस अपीलाण्टने जिसकी अपील जीत गई थी, पहिले तो वापसी जायदाद के लिए दरखास्त दी और इससे बाद अपील की डिकरी से तीन साल के अन्दर वासिलात के लिए दूसरी दरखास्त पेश की, तब हुआ कि भाँदर २० रुल २ से अगवा कानून मियाद के आर्टि० १८१ के अनुसार वह मियाद बाहर नहीं है, देखो 47 I C 47 (P)—लेकिन एक दूसरे मुकद्दमे में यह तय किया गया था कि कानून मियादका आर्टि० १८२ लागू होता है, देखो 2 P 277, 72 I C 912—बना हाईकोर्ट में यह तय किया गया है कि कानून मियाद का आर्टि० १८१ लागू होता है, देखो 30 I C 680, 8 Bar L T 165

बम्बई हाईकोर्टमें यह तय हुआ है कि वापसी जायदादके लिये दी गई दरखास्त डिकरीकी इजराकी दरखास्त है और इसलिये कानून मियादका आर्टि० १८२ लागू होना चाहिये, देखो 45 B 1137, 62 I C 233, 41 B 625, 43 B 235—यही फैसला पंजाब (देखो 67 P R 1918, 44 I C 301,) और मद्रास (देखो 33 M L J 413, 42 I C 530, 40 M 780) की हाईकोर्टमें हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्टमें यह तय हुआ है कि जायता दीवानी की दका १४४ के अनुसार की जाने वाली कार्रवाई इजराकी कार्रवाई है, देखो 44 A 407

कोट फीस—वापसी जायदादके लिये दी गई दरखास्त पर कोट फीस स्टाम्प लगा हाना चाहिये जिसका वर्णन कोर्ट फीस ऐक्टके परिशिष्ट २ के आर्टि० १ में माफूली दरखास्तोंके ऊपर कोर्ट फीस ऐक्ट लगाये जानेके सम्बन्धमें किया गया है। हाईकोर्ट में की जाने वाली अपीलके ऊपर लगाये जाने वाले कोट फीस स्टाम्प के लिये देखो 21 C W N 544

नोट—इजराया विषय बका ही जटिल आर पेचीदा है। यदि हम सब कानूनोंकी सब बातों का हमी जगह वर्णन करें तो एक भाग पुस्तक बन जायगी। जितनी जरूरी और हर समय काम पढ़नकी बातें थी उन्हे नई नगरासे साथ बड़े ही परिशयसे यथा स्थान उद्धृत कर दिशा है। नया जायता दीवानी

इस हि दीर्घ सविस्तार व्याख्या और सुसंगमिल नजीग सहित छाप रहे हैं। उसके साथ इस वितावकी पढने से पाठकों का कोई दिक्कत नहीं परन्तु पढ़ सारती।

खास खास हालतों की नालिशें

सरकार या सरकारी कर्मचारियों की ओर से तथा उनके विरुद्ध की जाने वाली नालिशें, जबकि वे सरकारी कर्मचारीकी हैसियतमें हों।



(१) सरकार की ओर से तथा उसके विरुद्ध की जाने वाली नालिशें सपरिपक्ष भारत-मन्त्री द्वारा या उनके विरुद्ध दायर की जानी चाहिये (देखो जायता दीवानी की दफा ७९)।

(२) कोई भी नालिश भारत मंत्री या किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध उस कार्य के सम्बन्ध में जो कि ऐसे कर्मचारी ने सरकारी कर्मचारी की हैसियत से किया हो उस समय तक नहीं दायर की जा सकती जब तक कि उस तारीख से, जिस तारीख को उसपर बाजायता तरीके से नोटिस तामील की गई हो, दो महीने का समय बीत न जाय (देखो जायता दीवानी की दफा ८०)।

(३) सरकार तथा सरकारी कर्मचारियों की ओर से तथा उनके विरुद्ध की जाने वाली नालिशों के सम्बन्ध में की जाने वाली विस्तृत कार्रवाईके लिये देखो आर्डर २७ क्रम १-८।

“उस कार्य के सम्बन्ध में” इस वाक्यका फेरल सरकारी कर्मचारी से ही सम्बन्ध है, भारत मंत्री से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिये कोई भी नालिश (फिर वह चाहे जैसी ही क्या न हो) भारत मंत्री के विरुद्ध न दायर की जा सकेगी, जब तक कि उन्हे बाजायदा नोटिस न दे दी जाय। इसकी कोई परवाद नहीं कि वह कार्य उन्होंने भारत मंत्री की हैसियत से किया था अथवा नहीं, देखो 25 C 239; 40 B 392, 37 M 113—सरकारी कर्मचारियों के लिये नोटिस देने की उसी समय आवश्यकता है जब नालिश किसी ऐसे कार्य के सम्बन्ध में दायर की गई हो जो उसने सरकारी कर्मचारी की हैसियत से किया हो। उस समय नोटिस देने की आवश्यकता न होगी जब जिस काम की निरन्तर गिफायत है वह उन्हे सरकारी कर्मचारी की हैसियत से न किया हो। इस तरह पर जब कोई कर्मचारी किसी ऐसी जायदाद पर कब्जा कर ले जिसके कब्जे का उसे कोई अधिकार नहीं है और मदायितल बेजा करे तो नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं, देखो 36 C 28—इसी प्रकार किसी मातहत अफसरके छपर आक्रमण करने के हल्लों की गारिशा के सम्बन्ध में भी नोटिस देनेकी जरूरत नहीं है, देखो 7 A L

7 C 499 में यह तय किया गया था कि नोटिस का देना सिर्फ उन्हीं हालातोंमें जरूरी है तब किसी सरकारी कर्मचारीने अपने कर्तव्य पालन में असावधानताके कारण कोई हानि पहुँचाइ हो और 16 C W N 145 में यह तय हुआ था कि किसी ऐसे काम के बारे में नोटिस देने की जरूरत नहीं है जो बदनीयती से किया गया हो लेकिन अब कई एक मुकदमा में यह तय किया गया है कि उस काम के सम्बन्ध में भी नोटिस देने की जरूरत है जो बदनीयती से किया गया हो और जो उसने सरकारी कर्मचारी की हैसियत में किया हो देखो 28 C W N 10, 24 C 584, 41 M 792 F B, 16 C W N 145, 32 C 1130, 7 C 499—अन्त वाले इस मुकदमे में चीफ जस्टिस वेलिस ने तय किया था कि "कई काम जो उसने सरकारी कर्मचारी की हैसियत से किया हो" का अर्थ है "कोई काम जिनका भरा यह दिखलाने का हो कि उसने उसे सरकारी कर्मचारी की हैसियत से किया है"।

नोटिस की सिर्फ उन्नी काम के सम्बन्ध में जरूरत होती है जो किया गया हो और इसलिये जाबता दीवानी की दफा ८० ऐसी नालिश के सम्बन्ध में लागू नहीं होती जो किसी सरकारी कर्मचारी को किसी ऐसे काम के करने से रोकने के लिये हुकम इस्तनाई जारी करने के आस्ते दायर की गई हो जिससे करने की उसने धमकी दी हो देखो 3 I C 28, 37 B 243, किन्तु भारत मंत्री के सम्बन्ध में ऐसी बात नहीं है देखो 35 B 36., 26 B 424, 37 M 113

ऐसा नालिश में सरकारी वकीलका मेमोरान्डम—हर एक ऐसी नालिश में जिसमें सरकारी वकील सरकार की ओर से पेश हुआ हो चाहे उस समय जब कि सरकार स्वयं मुद्दा या मुदाअटेइ हो या उस समय जबकि वह जाबता दीवानीके आडर २७ दल ८ के अनुसार किसी ऐसी नालिश की जवाब देनी करने के लिये खड़ी हुआ हो जो किसी सरकारी कर्मचारी के ऊपर दायर की गई है। उसे चाहिये कि वह वकालतनामा के बदले एक बिना स्टाम्प लगे हुये फागज पर लिखकर मेमो रैण्डम पेश करे जिसपर उसका हस्ताक्षर हो और जिनमें यह लिखा हो कि क्लिफ की ओर से वह हाजिर हो रहा है (देखो G R & C O Chap I R 112)

हर एक ऐसे मुकदमों में जिसमें सरकारी वकील किसी सरकारी अफसर या नौकरकी ओर से हाजिर होगा सिवाय उन मुकदमों के जिनमें सरकारने जाबता दीवानी के आडर २७ दल ८ के अनुसार किसी नालिश का जवाबदेही करने का भार अपने ऊपर ले लिया है ऐसे वकील को उन्नी प्रकार वकालत नामा दाखिल करना होगा जैसेकि किसी दूसरे वकीलको (देखो G R & C O Chap I R 135 note)

इत्यादायात में सरकारी वकील के हाजिर होने उम्बधी नियमों के लिये देखो आडर २७ दल ९।

विदेशिया का भार न तथा विदेशी और देशी राजाओं की भात में भवया उनके सिद्ध नालिश—विदेशिया की भात में तथा विदेशी और देशी राजाओं की भात में या

उनके विरुद्ध दायर की जाने वाली नालिशों के जावते के सम्बन्ध में देखा जायता दीवानी की दफा ८३ से ८८ तक ।

फौजी आदमियों की ओर से अथवा उनके विरुद्ध नालिशें—फौजी आदमियों की ओर से या उनके विरुद्ध दायर की जाने वाली नालिशों के जावते के सम्बन्ध में देखा जायता दीवानी का आर्डर २८ ।

कारपीरानों की ओर से अथवा उनके विरुद्ध नालिशें—प्लीडिङ्गस की तस्दीक और उस पर दस्तखत किये जाने तथा सम्मन की तामीलीके तरीके की निश्चत देखो जायता दीवानी, आर्डर २९ ।

बिना रजिस्ट्री की हुई सभाओं की ओर से नालिश—किसी बिना रजिस्ट्री की हुई सस्था की ओर से दायर की जाने वाली नालिशें उस सस्थाके कुल सदस्यों (मेम्बरों) के नाम से दायर की जानी चाहिये (देखो 20 A 167) अर्जीदावा के ऊपर कौन शख्स दस्तखत कर सकता है या कौन उसको तस्दीक कर सकता है इस सम्बन्धमें देखो 21 C 60.

फर्मों और ऐसे लोगों की ओरसे जो अपने नामसे व्यापार न करते हों, या उनके विरुद्ध नालिशें—सम्मनो की तामीली के तरीके और आम जावते के लिये, देखो जायता दीवानी आर्डर ३ ।

सुशर्का जायदाद की कुर्कियाँ और फर्मों के खिलाफ दी गई डिक्वियों की इजरा सम्बन्धी नियमों के लिये देखो आर्डर २१ रूल ४९ और ५० ।

ट्रस्टियों, मृत लेख मवतकों (तामील कुण्डियों) और प्रबन्धकोंकी ओरसे या उनके विरुद्ध नालिशें—जब ऐसे लोग जिनको जायदाद से फायदा उठाने का हक हासिल है फरीक बनाये जाय उस सम्बन्ध में और दूसरी बातों के सम्बन्ध में देखो आर्डर ३१ जायता दीवानी । उन लोगों को जिन्हें जायदाद से फायदा उठाने का हक है (मामूनअलेही को) उस समय फरीक बनाना चाहिये कि जब ट्रस्टियों को उन लोगों के हक के खिलाफ कोई हक हासिल हो (देखो M A 197)

पजाष में आर्डर ३० रूल १ के साथ में कुछ त्रिवरण जोड़ दिया गया है ।

नावालिंग या ग्रेस लोगों की ओर से या उनके विरुद्ध नालिश जिनके मन्तिक (दिमाग) में दोष (खलल) हो—किसी ना नवालिंगकी ओर से दायर की जाने वाली नालिश टनके फ्रेंडजायज (Next Friend) के नाम से दाखिल की जानी चाहिये नहीं तो अर्जी दावा मिन्डिल से बाहर निकाल दिया जायगा और इन सबका रचार्च वकील या उस शख्स जो देना होगा जिसने उसे दाखिल किया है [देखा आर्डर ३२ रूल २]

जब मुद्दालेह नवालिंग हो तो मुकद्दमेंके दौरानके लिये एक वली मुकरर कर दिया जाना चाहिये । वली मुकरर करने के लिये हुजूम उस नवालिंगके नाम से और उसकी ओर से या मुद्दई की ओर से दरख्तास्त देकर हासिल किया जा सकता है । उस दरख्तास्त के साथ उसकी ताईदके लिये एक धपान हलफों

दाखिल किया जाना चाहिये कि जिस शख्स को वली मुकरर करनेकी तजवीज की गई है उसका उस नालिशते कोई भी ऐसा ताअल्लुक नहीं है जो उस वलीके खिलाफ पडता हो और यह कि वह शख्स इस कामके लिये निहायत माकूल आदमी हों। तियाप उस नावालिंग, और किसी ऐसे वलीको, जिसे किसी मुनासिब अफसर ने मुकरर किया हो या जहा कोई ऐसा वली नहीं है उसके बाप या दूसरे प्रकृति जन्म सरक्षक (वली) को या जहा बाप या कोई ऐसा प्रकृति जन्म सरक्षक नहीं है उस शख्स को जिसकी सरक्षता में वह नावालिंग है, नाटिस दिये जाने और उस उज्रदारी को सुन लेने क वाद, जो किसी ऐसे आदमीकी ओरसे पेश का गई हो, जिस पर इस तरह नोटिस तामाल किया गया है, कोई हुजूम न दिया जायगा (आर्डर ३२ रूल ३)

कौन शख्स वली होने के काबिल है इस सम्बन्धमें देखो आर्डर ३२ रूल ४ और देखो हिन्दा में छपा हिन्दू लॉ, का प्रकरण "नावालिंग और वली" कोई भी शख्स बिना उसको मजूरके वली न मुकरर किया जासकेगा। जब कोई दूसरा काबिल और वली का काम करने के लिये राजी हाने वाला शख्स न मिल सक तो अदालत को भएवार है कि वह अपने में से किसी भी अफसर को मुकरर कर दे और यह हुजूम देदे कि कुछ खर्चा मुहई की ओर से भदा किया जाय (आर्डर ३२ रूल ४),

नावालिंग की ओर से रफीक करीबतर (Nextfriend) या वली (Guardian) द्वारा ऐसी नालिश के लिये जिसमें सही सही आदमी परीक बनाए गये है दी जाने वाली दरखास्त और वकील की जिम्मेदारीके सम्बन्धमें देखो आर्डर ३२ रूल ५। रफीक करीबतर (Nextfriend) या वली (Guardian) द्वारा नावालिंग की जायदाद लियेजाने के सम्बन्धमें देखो आर्डर ३२ रूल ६

बिना अदालतकी इजाजतके जो साफ साफ लिख दी जायगी कोईभी वली (Guardian) या रफीक करीबतर (Nextfriend) मुकदमेंमें राजानामा न कर सकेगा जो इकरारनामा या अहदनामा बिना अदालत की इजाजतके कर लिया जायगा वह नावालिंग के सिवा बाकी सभी लोगों के सम्बन्ध में जायज होगा देखो आर्डर ३२ रूल ७ (२)।

रफीक करीबतर (Nextfriend) के भलग हो जाने या हटाये जानेके सम्बन्ध में देखो आर्डर ३० रूल ८-१४। रूल १-१४ उन लोगों के सम्बन्ध में लागू होते हैं जिनके दिमाग में खलल है देखो आर्डर ३२ रूल १५।

जब मुदाअलेह नावालिंग हो तो मुहई पहिटे एक दरखास्त देकर किसी शख्स को वली मुकरर किये जाने की तजवीज पेश करेगा और अपनी उस दरखास्त के समथन में एक हलफनामा दाखिल करेगा जिसमें यह दिखलायेगा कि जिस शख्स को वली बनाने की तजवीज पेश की गई है उसका उस मुकदमें से कोई भी ऐसा सम्बन्ध नहीं है जो उस नावालिंग के खिलाफ पडता हो और यह कि वह शख्स वली मुकरर किये जानेके लिये एक निहायत माकूल आदमी

है। अगर उस शख्स और उस नावालिग के दरम्यान कोई रिश्तेदारी है तो उसे भी लिख दिया जाना चाहिये। और यह भी लिख देना चाहिये कि किसकी देय रेख में वह नावालिग रहता है (देखो आर्डर ३२ रूल ३ कलॉज ३)—इसके बाद उस शख्स के नाम इस बात का नोटिस निकाला जायगा कि वह तारीख मुकदमे पर (यह तारीख उसी नोटिसमें लिखी रहेगी) अदालतमें हाजिर होकर अपनी उज्रदारी, अगर कोई दो दाखिल करे या अपनी रजामदी जाहिर करे। कोई भी शख्स बिला उसकी रजामदीके दौरान मुकदमाके लिये बली न मुकदमे किया जायगा। और यह तय हुआ है कि उस शख्स की गैर हाजिरी से ही यह अनुमान न कर लेना चाहिये कि वह बली बनाया जाने के लिये राजी है। आर्डर ३२ रूल ४ में रजामदी का मतलब ऐसी रजामदी से है जो जाहिरा तौर पर बतला दी गई हो। जिस शख्स के नाम नोटिस जारी किया गया है वह उस समय तक बली दौरान मुकदमा (Guardian ad litem) मुकदमे नहीं किया जासकता जब तक कि वह हाजिर होकर इस बात के लिये अपनी रजामदी जाहिर न कर दे या और कोई ऐसी ही बात न करदे जो रजामदी के बराबर मान लिये जाने लायक हो, उदाहरणार्थ नावालिग की ओर से बयान तहरीरी का दाखिल करना इत्यादि (देखो 17 C W N. 219, 29 I C 579, 15 C L J 3, 9 C W N 201 P C, 24 C 25, 15 C L J 3, 18 C L J 18, 15 C L J 446, 16 C L J 318, 20 C L J 469, 26 C L J 258, 13 C W N 1182 P C, 17 C W N 1165 P C; 24 C W N 541, 2 C W N 525) बलीकी मजूरी सम्बन्धी जो व्यवस्था है वह ताज़ीदी है। जो शख्स पिता मजूरीके बली मुकदमे कर दिया गया है वह नावालिगका प्रतिनिधि नहीं कह जासकता, देखो 34 C L J 293, 37 C L J 496—किसी सार्टीफिकेटयापता बली की जाहिरा मजूरी भी जरूरी है, देखो 34 C L J 293 और इसके विपरीत फेसलेके लिए 2 Pat 296। मद्रास हाईकोर्टमें यह तय हुआ है कि जहा पर सार्टीफिकेटयापता बली मौजूद हो और दूसरा शख्स मुकदमे कर दिया गया हो, तो ऐसी हालतमें वह हुकम खिलाफ कानून होगा, देखो 43 M 148

इसके मुकदमामें यह तय किया गया है कि जाहिरा मजूरी की जरूरत नहीं है, वह ऐसी भी हो सकती है जो दूसरी बातोंसे समझ ली जाय, देखो 2 Pat 296, 43 I C 63, 59 I C 671, (43 A 104, 71 I C 628 M)

जब वह शख्स जो बली तजवीज किया गया है हाजिर न हो और अपनी मजूरी न दे तो अदालत इस बातके लिये बाध्य है कि वह अपने मं से किसी हाकिमको बली दौरान मुकदमा (Guardian ad litem) मुकदमे कर दे और उसे आर्डर ३२ रूल ४ के अनुसार रूपया वगेरा दे दे ताकि वह मुकदमेकी जवाब देही की निश्चय जाच कर सके या अगर जरूरी हो तो जवाब देही कर सके (देखो 37 A 179) कलकत्तेकी हाईकोर्टमें यह हुकम दिया है कि बली बली मुकदमे किए जाने चाहिए। किसी भी अदालतके अफसरमें जो बली दौरान मुकदमामें मुकदमे किया गया है उसकी मेहनतका मुआबजा न दिया जाना

चाहिए, (देखो 3 M I A 339)—अगर कोई शख्स वही दौरान मुकद्दमा मुकदमा नहीं किया गया है और मुकद्दमों की दिक्की नावालिगके खिलाफ दे दी गई है, तो वह दिक्की, जहाँ तक उसका सम्बन्ध उस नावालिगसे है, नाजायज समझा जायगी और मसूखों के लिए बिना कोई कार्रवाई किए ही, वह रह समझी जायगी, (देखो 17 C W N 49)—यहो नतीजा उस समय भी होगा जब कि वही नाम मात्रके लिए मुकदमा किया गया हो लेकिन उसने ठीक तौर पर उस नावालिगके प्रतिनिधिया काम न किया हो (देखो 17 A I 79, 39 C L J 496 और 71 I C 70)—जब किसी नावालिगकी ओरसे दायर दी गई नावालिग दिक्की इस बिना पर मसूख या रद्द कर दी गई है कि उसकी ओरसे कोई प्रतिनिधि मुकद्दममें नहीं था तो पहिली नालिश पर फिरसे विचार किया जा सकता है, देखो 2 C L J 258, 78 I C 427

रूपरकी अदायगीके लिए दागई दिक्कियामें, पहिली नालिशमें मुकदमा किया हुआ वही दौरान मुकद्दमा इजराफी कार्रवाईमें पली नहीं बना रह सकता जब तक वह फिरसे न मुकदमा किया गया हो, देखो 28 C W N 963

राजिनामा—राजिनामा करनेके लिए हुकम देते समय अदालतको चाहिए कि वह आर्डर ३० कल ७ (१) में बतलाए अनुसार अपना हुकम लिये । यह तय किया गया है कि जाहिरा हुकम लिखनेकी कोई जरूरत नहीं है, जब कि अदालतने दरखास्तकी निश्चय नोट कर लिया है और दिक्की दे दी हो, देखो 72 I C 1019, 56 I C, 97 और 35 I C 67 एक मुकद्दममें यह तय हुआ है कि सिर्फ यह बात, कि राजिनामाके लिए दी गई दरखास्त से अदालतको इस बात का पता लग गया था कि नावालिगके हुकूमको मुकमान पहुचगा और यह कि उसने दिक्की दे दी, इजाजत देना नहीं है । इस बातकी ओर अदालतका ध्यान विशेष रूपसे आवृष्ट किया जाना और उस सम्बन्धमें उसकी स्थाकृति ले लेना परमात्रयक है, देखो 60 I C, 980—रियाज यह है कि राजिनामाकी दरखास्तके साथ एक अलग दरखास्त दाखिल कीजाय और जिस हुकमसे इजाजत दी गई हो वह फर्द हुकमम लिख दिया जाय ।

मुकदमा (Paoor) की ओरमें नालिश—साधारण नियम तो यह है कि अदालत दीवानीमें नालिश करने वाला शख्स अर्जीदाया और नालिशमें बादको होने वाली कार्रवाईके लिए कानून द्वारा निश्चित किया हुआ कौट फीस अदा करे । लेकिन सम्भव है कि कोई शख्स इतना गरीब हो कि वह रसूम अदालत अदा नहीं कर सकता है और इसलिये आर्डर ३३ का यह मशा है कि ऐसे शख्स को बिना रसूम अदालत (कौट फीस) अदा किये हुये नालिश दायर करने और उसके चलानेकी इजाजत दी जाय, (देखो 20 C 115)

आर्डर ३३ के कल २ से ८ तक में उस जावतेका वर्णन है जो उस समय अमलमें लाया जाना चाहिये जब किसी नालिशमें सीमा मुफलिसीम दायर किये जानेकी तजवीज हुई हो ।

मुफलिषोंकी नालिशोमे दरखास्तमे लिखी जाने वाली बातों और उसकी तस्दीक क तरीकेकी निस्वत देखो रूल २ ।

सीमा मुफलिषीमे नालिश करनेकी दरखास्त सायलको असालतन पेश करनी चाहिये, सायब उस हालतके जब कि वह हाजिर होनेसे मुस्तहना कर दिया गया हो, देखो आर्डर २३ रूल ३—यह दरखास्त आर्डर ३ रूल १ और आर्डर ११ रूल १४ में बतलाये अनुसार पेश नही की जा सकती, (देखो आर्डर ३३ रूल ४)

किन वजहात पर अदालत दरखास्त खारिज कर सकती है, इस सम्बन्ध में देखो आर्डर ३३ रूल ५ । अगर रूल ५ के अनुसार दरखास्त खारिज नही कर दी गई है, तो अदालत गद्दात लेनेके लिये कोई दिन नियत (मुकरर) करेगी (जिसकी नोटिस क्रमसे कम १० दिन पहिले सरकारी वकील और फरीक सानीको दे दी जायगी) [देखो रूल ६]—शद्दात लेनेके बाद, अदालत या तो मुफलिष की हैसियतसे नालिश दायर करने की इजाजत दे देगी या ऐसी इजाजत देनेसे इन्कार कर देगी (देखो रूल ७)—अगर दरखास्त मजूर कर ली जायगी, तो उस पर नम्बर डालकर वह बतौर अर्जीदावाके रजिस्टर पर चढा ली जायगी (रूल ८)—किन वजहोंपर मुद्दई मुफलिष नही करार दिया जा सकता है इस सम्बन्धमें देखो आर्डर ३३ रूल ९ ।

अगर मुफलिष (Pauper) मुकद्दमेंमे जीत जायगा, तो सरकार कोई फीसकी रकम उस शर्तसे वसूल कर लेगी जिसे डिकरीके जरिये इस रकमके अदा करने का हुक्म दिया गया है, और यह रकम उस नालिशके मतालिवा पर पहला बार होगा, (देखो रूल १०)

अगर मुद्दई मुकद्दमा हार जाय या वह मुफलिष न करार दिया जाय या जब मुद्दाभलेहके ऊपर सम्मन तामील किये जानेके लिये मुद्दईकी ओरसे तलबाना दाखिल न किये जानेके कारण नालिश उठा ली गई हो या खारिज हो गई हो, तो अदालत उसे उस कोर्ट फीस के अदा करनेका हुक्म देगी जो उस पर धकी है, (देखो रूल ११)

तमाम ऐसे सत्रालात, जो रूल १०, ११, १२ के अनुसार सरकार और किसी फरीकके बीच पैदा होंगे, जायता, दीवानीकी दफा ४७ के अन्तर्गत समझे जायगे (देखो रूल १२)—डिकरीकी एक नकल कालकूरके पास भेजी जानी चाहिए (देखो रूल १४)—सायलको बहैसियत मुफलिष नालिश करनेकी इजाजत देनेसे इन्कार कर दिए जाने पर बादमें फिर उसी हैसियतसे नालिश करने के सम्बन्धमें दरखास्त न दी जा सकेगी, लेकिन सायलको आम तौर पर नालिश दायर कर सकनेका अफयार होगा बशर्ते कि वह पहले अपनी पहिले वाली दरखास्तका खर्चा (अगर कोई हो) सरकार और फरीकसानी को अदा कर दे, (देखो रूल १५)

जब बहैसियत मुफलिष नालिश करनेकी इजाजत हासिल करने के लिये दी गई दरखास्त मजूर कर ली गई हो, तो मुद्दई किसी भी अर्जीके, वकीलकी नियुक्ति

अथवा किसी दूसरी कार्यवाहीके सम्बन्धमें किसी कोर्ट फीसका देनदार न होगा ।
लेकिन सम्मनकी तामीलीके लिए फीस तलपानाकी अदायगीसे यह नहीं बच
सकता (देखो आर्डर ३३ रूल ८)

जब रूल ४ के अनुसार मुद्दोंके घयान लिये गये हों, तो विरोधी पक्ष (फ्री
फासानी) को यह अधिकार है कि यह उस पर उसके दावाकी असलियतके सम्ब
न्धमें जिरह कर सके, देखो 60 I C. 738—तदुकीकृत (जाच) करने के वक्त
अदालत रूल ४ के अनुसार उसके दावाकी असलियतके निश्चत सिवाय सायलके
घयानों के ओर किसी की शहादत नहीं ले सकती, देखो 50 I C 676,
46 C 651

रूल ७ के अनुसार मुद्दोंमेंकी समाभत करते वक्त अदालत मियादके
सवालात फल करने अथवा सायलकी मुफलिषीको छोड़ और किसी सवालको
तय करने के लिए गवाहोंके घयान नहीं ले सकती, देखो 46 C 651, 50
I C 520.

साधारण सीर पर दायर की हुई नालिश सीमा मुफलिषीमें जारी रखी
जा सकती है, देखो 20 C 319; 2 C 180; 8 B 615

मुद्दाअलेहको सीमा मुफलिषीमें दायर कीगई किसी नालिशमें पैरवी करने
की इजाजत दी जा सकती है, देखो 5 C 819

किसी नाबालिग का रफ़ीक करीबतर (निकट वली Next friend)
सीमा मुफलिषीमें नालिश दायर कर सकता है, देखो 3M 3,4B L R 373

कोई प्रबंधक या तामील कुनिन्दा सीमा मुफलिषीमें नालिश कर सकता
है, देखो 7 M 390, 18 B 237

किसी ऐसे शख्सके हकमें जिसने सीमा मुफलिषीमें नालिश दायरकी है,
फैसला दे देने के बाद जब उस तारीखसे, जिसमें दिन डिकरी पर दस्तखत किये
गये थे, सात दिनके भीतर सरकारी वकालको उस डिकरीकी एक नकल दे देगा,
देखो G R & C O Chap I R 139

रहननामोंके सम्बन्धमें नालिशें—पैमी नालिशें जायता दीवानीके आर्डर ३४रूल
१ से१५ तकके अनुसारकी जा सकती हैं । पहले ऐसीही व्यवस्था कानून इन्तकाल
जायदादमें कीगई थी लेकिन पूजि रहननामोंकी निश्चत कीगई नालिशोंकी इजरा
के सम्बन्धमें जायता दीवानी और कानून इन्तकाल जायदादमें कीगई व्यवस्थाके
कारण कुछ गडबडी पैदा होगई, इसलिये कुछ बातें जायता दीवानीमें ही कर दी
गई हैं । कानून इन्तकाल जायदादमें आखिरी (कतई) डिकरी देनेके सम्बन्धमें
कोई व्यवस्था नहीं थी और नीलामके लिये कत, हुकम दिये जानेके वास्ते दीगई
दरखास्त इजराकी दरखास्त समझी जाती थी । अब आर्डर ३४ के रूल ३ (१),
५ (१) और ८ (१) से यह कर्मी पूरी कर दीगई है ।

कानून इन्तकाल जायदादकी दफा ५८ में रहननामा की परिभाषा कीगई
है । रहननामामें जिन बातोंका हाना जरूरी है वेथे हैं —

१ दफ्तर्की मुन्तकिली,

२ जायदाद गैर मनकूला खासमें दफ्तर्का होना, और

३ कुंजके रुपयेकी अदायगीकी जमानत । कानून इन्तकाल जायदादमें चार किसमके रेहननामे चलाये गये हैं जैसे—

(अ) सादा रेहननामा—इसकी जरूरी बातें ये हैं —

१ जायदाद गैर मनकूला खासमें हासिल दफ्तर्की मुन्तकिली बतौर जमानत चास्ते अदायगी कुंजाके,

२ रुपया अदा कर देनेका वादा,

३ इस बातका प्रकट अथवा अप्रकट इक़रार कि रुपया न अदा होनेकी हालत में मुत्तहिनको जायदाद नीलाम करानेका अधिकार होगा । जायदाद बिल्कुल हवाले नहीं कर दी जाती है ।

सादा रेहननामा रजिस्ट्री शुद्ध दस्तावेजके ऊपर होना चाहिये यद्यपि कुंज का रुपया (२०) रु० से नीचे ही क्यों न हो (देखो कानून इन्तकाल जायदादकी दफा ५९) । बग़ालमें इसे बधकी या रेहनी रात कहते हैं, बम्बईमें 'दृष्ट बन्धक' या नजर गहन या तरन गहन, मद्रासमें दृष्ट बधक या टणक (Tanaka) और संयुक्त प्रांतमें रेहन या मुस्तगरक कहते हैं ।

चार किफ़ालत और रेहननामामें सिर्फ़ अन्तर यह है कि चार किफ़ालत (Chargo) से दफ्तरीकी मुन्तकिली नहीं हो जाती है, बल्कि उसमें सिर्फ़ यह अधिकार रहता है कि किसी खास रकम या जायदादके रुपयेकी अदायगी की जाय, (देखो 33 C 985, 25 M 220, 35 C. 837, 36 A 201, 1 Pat 387 और कानून इन्तकाल जायदादकी दफा १००)

सादे रेहनकी बाबत दायर की गई नालिशमें, जितने पर मुत्तहिन को एक प्रारम्भिक डिकरी मिल जाती है जिसमें मुद्दाभलेदके लिये यह हुक्म दिया जाता है कि यह अधिकसे अधिक छ महीने के भीतर डिकरीका रुपया अदा कर दे, (देखो आर्डर ३४ रूल ४) —और अगर निश्चित समय (वक्त मुकरर) के भीतर वह रुपया अदा नहीं कर दिया जाता तो मुत्तहिनके दरख़वास्त देने पर, आर्डर ३४ रूल ५ के अनुसार नीलामकी डिकरी मिल जाती है । अदालतको समय बढ़ानेका कोई अधिकार नहीं है । इसमें बयबातका कोई हक़ नहीं है, (देखो कानून इन्तकाल जायदादकी दफा ६७) । राहिन फ़करेहनीके लिये दावा कर सकता है, (देखो आर्डर ३४, रूल ७)

नालिश करनेकी मियाद की व्यवस्था अब कानून मियादके परिशिष्ट २ के आर्टि० १३२ से (रुपया वापस कर देने की तारीख़से १२ साल) होती है, आर्टि० ३७७ से नहीं (देखो 30 M 426 P C, 11 C W N 1005)

(ब) रेहननामा बशर्त बयनामा—इसमें होनेवाली जरूरी जरूरी बातें ये हैं — इस शर्तके ऊपर जाहिरा बयनामा होता है कि (क) अगर अमुक तारीख़

को रुपया न अदा कर दिया जायगा तो बचनामा कर्तई हो जायगा, या (ख) इस रुपयेके अदा हो जाने पर बचनामा नाजायज हो जायगा, या (ग) यह कि खरीदार इस रुपयेके अदा कर दिये जाने पर जायदाद वापस कर देगा।

बंगालमें इसे 'कोट कियाळा' या 'कोट बधक' बम्बईमें "गहन लहन" मद्रासमें "मुदतक्रियम" या "मेदुलु क्रियम" और सयुक्त प्रान्तमें "बय विदुफा" कहते हैं। ऐसे रेहननामोंमें किसी खास तारीख का हाना निहायत जरूरी है जिसपर रुपयेकी अदायगी हो जाती जरूरी है (देखो IICWW 400)

इस किसमके रेहननामोंके सम्बन्धमें जो कुछ भी रिहायत हो सकती है वह सिर्फ बचवात के लिये नालिशका दापर करना है, (देखो कानून इन्तकाल जायदादकी दफा ६७) — पहले जायता दीवानीके आडर ३४ रूल २ के अनुसार प्रारम्भिक डिक्री दी जाती है और अगर डिक्रीका रुपया उस मुद्दतके अन्दर अदा न कर दिया गया जो अदालतने इसके लिये मुक़रर कर दी है, तो मुतंहिनके दर ख़्वास्त देने पर रूल ३ के अनुसार कर्तई डिक्री दे दी जायगी जिससे फिर फ़ूरे रेहनीका हक़ मारा जायगा। अदालतको रुपयेकी अदायगीका समय बँडा सकने का अधिकार है, (देखो आडर ३४ रूल २)

नालिश दापर करनेकी मियादकी व्यवस्था कानून मियादके आर्टि० १३५ के अनुसार होती है, (देखो 16 C 639, P. C, 27 C 185)

(स) रेहनामा दख़ली—इसकी जरूरी जरूरी बातें ये हैं—

१ जायदाद मरहूना के ऊपर दख़ल (कब्ज़ा) का दे दिया जाना,

२ रेहन का रुपया अदा न कर देने तक मुतंहिन अपना कब्ज़ा बनाए रहता है

३ मुतंहिन ब्याजके बदले या रेहनाके रुपयके बदले अथवा कुछ ब्याजके बदले और कुछ रेहनके रुपयके बदले लगान और मुनाफ़ेकी तहसाल वसूल करता है, (देखो कानून इन्तकाल जायदादकी दफा ५८)

(१) दख़ली रेहननामोंमें आम तौरपर रुपये की अदायगी के लिए कोई खास तारीख़ मुक़रर नहीं की जाती है और रेहन के रुपयकी अदायगी न होने तक मुतंहिन कब्ज़ा बनाए रखता है। जब रुपयकी अदायगी के लिए कोई खास तारीख़ मुक़रर कर दी जाती है, तो उह लिये पट्टी रेहननामा दख़ली और रेहन सादा दोनों ही जाती है, (देखो Pat 350, 3 P L T 322, 12 A 203) — अगर रुपयकी तादाद १०० रु० या अधिक हो तो दख़ली रेहननामा का रजिस्ट्री शुद्ध दस्तावेज़ पर होगा निहायत जरूरी है। अगर वह रुपया १०० रु० से कम है, तो या तो इम्फ़े लिए रजिस्ट्री शुद्ध दस्तावेज़ लिखा जा सकता है या जायदाद पर दख़ल दिया जा सकता है, लेकिन किसी भी हालत में वह बिना रजिस्ट्री शुद्ध दस्तावेज़ के लिखा न जायगा (देखो कानून इन्तकाल जायदादकी दफा ५९) — इस बातका स्मरण रखना जरूरी है कि, मुतंहिन दख़लीको इम्फ़े इन्वियतमें बचवात या नीटामने लिख दावा करने का हक़ नहीं है, (देखो कानून इन्तकाल जायदादकी दफा ६७; 24 C 677, 11

A 867, 12 M 109), लेकिन उस हालतमें नीलामका, हक पैदा होता है जब कि दस्तावेजमें इसके लिये कोई खास शर्त हो। 7 A 553 F B में जस्टिस महमूदने कहा था कि रेहन दखली में हक मिलिकयत की मुन्तकिली नहीं आती है। लेकिन उसी मुकद्दमेंमें चीफ जस्टिस पेथेरमने मिर्ज़ा राय कायम की है।

बगलमें रेहन दखलीको "खाय खलासी बधक" या "भोग बधक" अथवा "दामशुदी इजारा" या "गिरची" या "सुध भरन" और मदरासमें, स्वाधीन आद मनुए' कहते हैं सयुक्त प्रातमें 'दखली रेहन', रेहन 'बाकूजा' कहते हैं।

मुर्तहिन को कूजका रुपया अदा न होने तक पूराकूजा बनाए रखनेका हक बना रहता है। राहिनके जायदाद पर कूजा न देने पर वह रेहनके रुपयेकी या उस जायदाद पर कूजा दिलापाने के लिए नालिश कर सकता है और इसमें राहिन या और कोई आदमी कोई आपत्ति न कर सकेगा। [देखो क नून इन्तकाल जायदादकी दफा ६८ (सी)]—अगर दखल पा जानेके बाद मुर्तहिन दखलीका कूजा छिन जाय तो यह समझना चाहिए कि उसने ऐसा कूजा हासिल नहीं किया था जिसमें कोई शख्स कोई आपत्ति न कर सकता, देखो 2 Pat L T 229—मुर्तहिन दखलीको बयबात या नीलामका कोई हक नहीं है, जब तक कि मुआहिदेके अन्दर प्रकट अथवा अप्रकट कोई ऐसी बात न हो जो उसे ऐसा अधिकार देती हो (देखो कानून इन्तकाल जायदादकी दफा ६७)—मुर्तहिन दखली जायदाद पर कूजा दिला पाने तथा उस लगान और मुनाफाको वसूल पानेके लिए भी नालिश दायर कर सकता है जो राहिन ने उस बीचमें वसूल किया हो जब कि वह (मुर्तहिन) कूजेसे बाहर रखा गया है, देखो कानून मियादका आर्टि० १२०, दफा २० (२) दखली राहिन फक रेहनी के लिए नालिश कर सकता है।

दखली राहिन बजात खुद कज की अदायगी के लिए ज़ुम्मेदार नहीं है, देखो 12 M 109, 24 C 677

(ई) रेहन अङ्गरेजी—आवश्यक शर्तें ये हैं—(१) राहिन किसी खास तारीख़ को रुपया अदा करने का वादा कर देता है और (२) जायदाद निहकल मुर्तहिन को मुन्तकिल कर देता है, इस शर्त पर कि वह जायदाद, तारीख़ मुकदर पर रुपया अदा कर दिए जाने पर फिर उसको (राहिन को) वापस कर दी जायगी। यह क़रीब क़रीब रेहननामा बर्तत बयनामा- के समान है जिसका हमारे हिन्दुस्तान में बहुत व्यापार चलन है (देखो 25 M 220) अन्तरे तबत इतना ही है कि इस किसम के रेहननामा में इस बात की ज़रूरत नहीं है कि रुपया अन्वालतन राजिर होकर जमा किया जाय।

रेहननामा अंग्रेजी में बयबात की नालिश दायर की जा सकती है और मियाद का इन्त कानून मियाद के आर्टि० १२७ के अनुसार तय किया जाता है, देखो 30 M 426, P C, 11 C W N 1005

(ब) रेहन गैर मामूली—ऐसे भी रेहन होते हैं जो ऊपर बतलाए हुए किसी भी रेहन के अन्दर नहीं आते हैं लेकिन, उनमें से दो अथवा अधिक

किसम के रेहन का मिश्रण (मिलाव) होता है। अधिकतर रेहननाम इसी तरह हुआ करते हैं और वे रेहन "गैर मामूली" के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन रेहन नामों के अनुसार होने वाले अधिकारों और जुर्मानदारियों का तस्फिया (निर्णय) फरीकृत के बाबत हुए मुआहिदे से किया जाता है (देखो कानून इन्तकाल जायदाद की दफा ९८, 27 M 600, 35 C L J 468 p C, 43 M 589 F B)

जब रातिन जायदाद पर कब्जा दे देता है और किसी खास तारीख पर रुपया भदा कर देने का वादा करता है, तो ऐसा रेहननामा सादा और दखली मिठा हुआ रे. ननामा है और ऐसी दशा में जायदाद के बच का हक पैदा होता है, देखा 27 M 526 F B —जब दखली रेहननामा बिल्कुल सादा हो, तो मुतहिन नीलाम के लिए नालिश दायर कर सकता है, देखो 11 M 232 —जो रेहन किसी खास मुदत मुकर्रर के लिए किया गया हो, वह रेहन दखली रेहन नहीं कहा जा सकता बल्कि वह रेहन-गर मामूली है, देखो 12 A 203, 26 B 252 F B रेहन दखली और बशत बयनामा में मुतहिन बयबात के लिए नालिश कर सकता है जिसके लिए किसी केवल दखली रेहननामा में इजाजत नहीं है, देखो 12 M 109

कानून मिषाद का आर्टि० १३२ उस रेहन गैर मामूली के सम्बन्ध में लागू होता है जिसमें रेहन दखली और रेहन सादा दानों की शर्तें मौजूद हैं, देखो 2 P L T. 229

फरीकृत—तमाम ऐसे आदमी जिनकी "जायदाद मरहूना" में या उस जायदाद का फुकरेदनी करने में कोई हक हासिल है उस रेहननामा के सम्बन्ध में होने वाली नालिश में फरीकृत बनाए जा सकेंगे।

विवरण—मुतहिन माबाद (मुतहिन टोयम) उस नालिश में पहिले मुतहिन को बिना फरीकृत बनाए हुए बयबातके लिए नालिश कर सकता है, और किसी बच में बिना गण रेहन का फुकरेदनी की नालिश में पहिले मुतहिन को फरीकृत बनाने की जरूरत नहीं है [देखो आर्टि० २४, रूल १]

नोट—रेहननामों के सम्बन्ध में अर्जिदावा तयार करते समय जायदादी दीवानी के जमाना (ए) के, परिशिष्ट (१) के काम १० ४५ और ४६ की शर्तों की तामील किया जाना निहायत ही जरूरी है। बच (नालाम), बयबात या फार रेहना की नालिश उभी अदालत में दायर वा जाना चाहिए जिसने अधिनार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भातर वह जायदाद बाँके हो (देखा जायदादीवानी की दफा १६)

आर्टि० २४, रूल १ के साथ अब जो नया विवरण जोड़ दिया गया है, उसमें अब वह बात स्पष्ट रूप से स्वीकार कर ली गई है जो पहिले के बहुत से मुकदमा में तय की गई थी अर्थात् यह कि दूसरे रेहननामा के ऊपर कोई जाने वाली नालिश में पहिले मुतहिन का फरीकृत बनाया जाना जरूरी नहीं है (देखो 36 C 193, 1 C. L J 337, 30 C 599 F B, 20 M 84.)

ऐसे सभी लोग फरीक बनाए जाने चाहिए जिनकी जायदाद मरहूना से या हक इन्फिकाक रेहन से कोई सम्बन्ध है। इसलिए आमतौर पर तमाम ऐसे आदमी, जिनका इन्फिकाक रेहन से और इस कारण हिसाब वगैरा के रखने से सम्बन्ध है, फिर चाहे वह बर्हेसियत राहिन के हो या उसे कावूनन हासिल हुए हकूक की वजह से, जैसे राहिन के हक इन्फिकाक रेहन के मुन्तकिलअलेह (Transferee) या मफजअलेह (Assignee) की हसियत से हो उसका दीवाले का ट्रस्टी या रिसीवर (देखो आर्ट ३१, रूल १) उसके चांस और प्रतिनिधि मुनासिब, फरीक है। आर्ट ३४, रूल १ सिर्फ मुहाअलेहों के सम्बन्ध में ही नहीं है बल्कि वह मुद्दई लोगों के सम्बन्ध में भी लागू होता है (देखो 41 C 727) जिन शर्त में जायदाद मरहूना की फरीक की हो चाहे इजरा में की जाने वाली फरोहत में या खानगी फरोहत में वह एक जहरी फरीक है (देखो 22 A 212, 21 A 235, 2 M 64 — असली मालिक और वचनामीदार जहरी फरीक है (देखो 18 A 69, 21 A 380, 24 C 34, 22 B 672) माल की छुकी कराने वाला मठाजन जहरी फरीक है (देखो 23 A 467, 26 A 464, 37 M 418, 17 C W N 871) — अगर कोई ऐसा शर्त, जिसका जायदाद मरहूना में हिस्सा है, फरीक नहीं बनाया जाता है और वह वयवात या नीलाम (फरोहत) के पहिले जाहिर हो जाता है, तो उसको फरारेहनी के लिए वे तमाम हकूक हासिल होंगे जो उसको उस हिस्से के कारण प्राप्त हो सकते हैं। वह मुर्तहिन की ओर से अपनी टिकरी की इजग में कराई गई नीलाम के बाद फरारेहनी के लिए नालिश दायर कर सकता है (देखो 24 C W N 954 P C)

जब कोई जहरी फरीक छूट गया हो, तो अदालत को अधिकार होगा कि वह आर्ट १, रूल १० (२) के अनुसार उसे फरीक बनाले या मुद्दई को यह हुकम दे दे कि वह उसका नाम फरीकैन में शामिल कर दे।

कुछ मुकद्दमों में यह तय किया गया था, कि मिताक्षरा में बतलाए हुए कुटुम्ब के सभी लोगों का उस मुकद्दमे में फरीक बनाया जाना निहायत जरूरी है जो मुर्तहिन ने दायर किया हो (देखो 28 C 517, 25 A 162, 24 A 459, 41 C 727, 40 C 342) लेकिन इसके बाद में बहुत से मुकद्दमों में यह तय किया गया है कि जब नालिश प्रतिनिधि की हसियत में दायर की गई हो तो बाकी लोगों का फरीक बनाया जाना जरूरी नहीं है (देखो 34 A 549 E B, 34 A 572, 36 A 383 P C, 21 C L J 452, 2 P L J 305, 71 I C 948, 63 I C 664) सम्मिलित कुटुम्ब (परिवार) का प्रबन्धकर्ता (मनेजर) बाकी सब लोगों का प्रतिनिधि है और 41 C 727 में जो फैसला दिया गया है उसके सन्वय में यह समझ लेना चाहिए कि वह अप्रकट रूप से 36 A 383 P C में दिष्ट गण फैसले से रद्द हो गया है (देखो 58, I C 849, 1 P L T 582) प्रबन्धकर्ता के बारे में विस्तार से देखो हिन्दी में छपा हिन्दू-लॉ में मुश्तरका एतदान।

आर्ट ३४, रूल १, आर्ट १, रूल ९ के अधीन है और जो नालिश पहिले मुतंहिन की ओर से, बिना याद वाले मुतंहिन को फरीक मुकद्दमा बनाए, दाखिल की जायगी यह नाक़ाबिल कायम रहने क नहीं है, देखो 1922 (Pat) 326 अगर किसी राहिन के फुल या रिस फरीक मुकद्दमा बनाए गए है, तो मुद्दई उन चारिखों के ऊपर जो फरीक मुकद्दमा बनाये गये हैं जर रेहना की उस कदर रकमकी याचत डिफरी दिला पानेक हकदार है जो उन ऐगाकि हिससेमें पढ़ती है, देखो 25 C W N 594; 29 C W N 51

यचनामीदार किसी रेहननाम की याचत नालिश कर सकता है (देखो 42 M 348 F B, 41 M 435; 36 M L J 68 P C, 29 C L J 434)

यह शर्त जो राहिन और मुतंहिन से बढ़कर हकीमतके लिये दावेदार है जरूरी फरीक नहीं है। 'बढ़कर' हकीमत दाखिल करनेके सवालका निपटारा ऐसी नालिशों से नहीं हो सकता देखो 40 A 584, 12 C 414 P C, 33 C 425, 50 A 240; 31 A 11; 41 B 698; 31 C W N 301)

शायता—यचत की नालिश में (देखो आर्ट ३४ रूल २) नीलाम यच की नालिश (देखो आर्ट ३४ रूल ४), या फररेहनीकी नालिशमें (देखो आर्ट ३४ रूल ७)—अदालत, अगर मुद्दई जीत गया है तो पहिले एक प्रारम्भिक डिफरी देगा जिसमें मुद्दाअलेह को यह हिदायत की जायगी कि यह एक मुकरर मियाद के अन्दर जिसकी मुद्दत छ महीने से ज्यादा न होगी, डिफरी का रूपया भदा करके जायदादको फररेहना करा ले। अगर उस मियादके अन्दर अदालतमें रूपया दाखिल नही कर दिया जाता तो मियाद की मुद्दत के अन्दर मुद्दई की ओर से दरखवास्त दिये जाने पर अदालत कतई डिफरी दे देगी (देखो आर्ट ३४ रूल ३, ५, ८)—अगर मुद्दई या मुद्दालेह प्रारम्भिक डिफरीके बाद मर जाय तो कानून मियादका आर्टि० १७६ और १७७ में बतलाई हुई मियाद (अर्थात् ३ महीने) अन्दर उनकी जगह पर दूसरे लोगों को फरीक बनाए जाने के लिये जरूर दरखवास्त दे दी जानी चाहिये नहीं तो यह मुकद्दमा वही से खूनम हो जायगा और फिर कतई डिफरी पाने का हक चला जायगा (देखो 25 C W N 595, 33 C. L J 115, 10 A. 203, 68 I C 942; 50 I C 529)—छ महीने की इस मियाद का आरम्भ पहिली अदालत की डिफरी की तारीख से होगा अगर अदालतने सिर्फ अपील को खारिज कर दिया हो तो उससे नहीं देखो 25 C 311 11 C W N 679; 16 C W N 440

जायता दीवानी में इस बात की कोई खास व्यवस्था नहीं की गई है कि कतई डिफरी देने के पहिले मुद्दाअलेह को इसकी इत्ला (नोटिस) दी जानी चाहिये। लेकिन यह उचित जान पड़ता है कि मुद्दाअलेह को ऐसी एक नोटिस अवश्य दे दी जाय ताकि अगर उसे कोई उत्तरदायी करनी हो तो यह कर सके। यह एक पक्का सिद्धान्त है कि किसी शख्स के ऊपर बिना उसे नोटिस दिए हुये कोई भी ऐसा हुकम न दिया जाना चाहिये जिससे उसके ऊपर कोई असर पड़ता हो या उसे कोई नुकसान हो रहा हो। इसके अतिरिक्त किसी कतई हुकमका

मशा यह होता है कि उससे राहिन को यह दिखलाने का मौका मिल सके कि प्रारम्भिक डिकरी का मतालवा अदा कर दिया गया है या नहीं। इसलिये कृतई हुकम से लिये दो जाने वाली दरखास्त इस सिद्धान्त के ऊपर कि जब कोई डिकरी जिन्हीं गतों के साथ दी गई हो तो मदिपुन डिकरी को पलिते से डिकरी दिये बिना डिकरी दार को इस बात के ऊपर इजरा के लिए न दंडी जाती चाहिये कि वह शर्त पूरी होगई है, राहिन के फायदे के लिये होती है देखो 10 C L J 91, 100, 10 C W N 306, 9 C L J 271, 32 C 250—जायता दीवानी के जमीमा (डी) परिशिष्ट १ फार्म १० में यह बतलाया गया है कि कृतई डिकरी मुद्दई और मुद्दाअलेह के वकीलों की चर्चा को सुन लेनेके बाद दी जाती चाहिए इसलिए इस से यह मालूम होता है कि इसका मशा मुद्दाअलेह को नोटिस देने का है। इलाहाबाद में पृथा तो यह है कि नोटिस दिया जाय और हाई कोर्ट ने इस बात का समर्थन भी किया है देखो 82 J C 184—188

अदालतके बाहर रुपयकी अदायगी—जायता दीवानीके आर्डर ३४ रूल २ और ४ में “अदालत” में रुपया अदा करनेकी हिदायत कीगई है और इसीलिए कुल मुकद्दमोंमें यह तय किया गया है कि अगर अदालतके बाहर अदा किए गए रुपय के लिए आर्डर २१ रूल २ के अनुसार अमेवादके भीतर सर्टीफिकेट नहीं दिया गया है तो कृतई डिकरी देते समय वह माना नहीं जा सकता, (देखो 21 C, W N 920; 25 C-L J 53, 42M 61)—लेकिन दूसरे मुकद्दमोंमें यह तय किया गया है कि कृतई डिकरीके लिए दीगई दरखास्त इजराकी कार्रवाई नहीं है, बल्कि एरु चलते हुए मुकद्दमोंमें कीगई कार्रवाई है। कृतई डिकरी हानेके पहले अदालतको चाहिए कि वह उस रुपयकी तादाद जान ले जी कि बाजियुल अदा है और वह अदालत के बाहर कीगई और तस्दाक न कीगई अदायगीको मान सकती है, (देखो 44 A 668; 668, 57I C 473, 5P L J 672, 2 P L J 533,)—इसमें सन्देह नहीं कि यह अन्तिम राय ज्यादा मज़बूत मालूम होती है, क्योंकि सन् १९०८ ई० के जायता दीवानी के अनुसार कृतई डिकरी न दिए जाने तक कुल कार्रवाई चलते हुए मुकद्दमोंमें कीगई कार्रवाई है और उसमें दीगई कृतई डिकरी की दरखास्त इजराकी दरखास्त नहीं है, (देखो 25 C W N 595, 40 A 235)

चयजातकी नालिशोंमें अदालतको समय बढ़ा सफ़ने का अधिकार होगा (देखो आर्डर ३४ रूल ३ की शर्त)—लेकिन नीलाम या फ़र्रुदनी की नालिशों में उसे ऐसा करनेका अधिकार न होगा। यद्यपि नीलाम (बय) की नालिशोंमें अदालत रिआयती दिनोंकी मुद्दत बढ़ा नहीं सकती, तो भी मदिपुन डिकरी, आर्डर २१ रूल ८ के अनुसार रुपया जमा करके, नीलामके बाद जायदाद चापस ले सकता है, क्योंकि जायता दीवानीकी डिकरियोंकी इजरा सम्बन्धी नियम अब रेहनेकी डिकरियोंके बारेमें, किये जाने वाले नीलामके सम्बन्धमें भी लागू होते हैं।

कृतई डिकरी दे लिए जानेके बाद डिकरीदार आर्डर २१ के अनुसार इजरा की दरखास्त दे सकता है। रेहने सम्बन्धी डिकरियामें जायदादकी कुर्की कर

घाना जगरी नहीं है। आर्डर २१ में बतलाए हुए इजरा सम्बन्धी नियम अब पूरे तौर पर रद्द की डिफरियों को लागू होते हैं, (देखो 37 C 907)

यद्यपि ध्यानमें रखनी चाहिये कि कानून इन्तकाल जायदादकी मसूह की हुई दफा ८२ में से इन शब्दोंके ' और इस पर मुद्दा/अलेक्का फुकरेहनी कराने का हक और जमानत दीर्घा जते रडेग' निकाल दिये जाने से यह साफ जाहिर होता है कि आर्डर ३४ क्ल ५ के अनुसार सिर्फ कतई डिफरी दिए जानेसे ही राहिन का हक चला नहीं जाता है जब तक कि सचमुच जायदाद नीलाम न हो जाय, (देखो 42 A 517, 3 P. L. T. 202)—इसलिए कतई डिफरीके होते हुए भी राहिनको यह मौका मिलता है कि वह जब तक कि जायदाद नीलाम होकर जग नीलाम लोगों को तकलीम न कर दिया गया हो, रुपया जमा करके अपनी जायदाद फुकरेहनी करा सके, (देखो 65 I C 801, 42 A 517, 56 I C 162)

मुद्दकी डिफरी—इक्वाली डिफरी, जिसमें किस्तगार रुपयेकी अदायगीके लिये हुकम दिया गया हो, एक जायज रद्दनी डिफरी है, लेकिन वह आर्डर ३४ क्ल ५ में नहीं आती। इसलिए कतई डिफरी देनेकी जरूरत नहीं है, देखो 2 Pat 538, 72 I C 1049, 10 C L J 91, 2 Pat L T 38 और 27 C W N 621, 5 Lab L J 67, 57 I C 473, 58 I C 299, 11 C W N 1011 F B—अगर कोई ऐसी इक्वाली डिफरी दी गई हो जिसमें मुद्दई को इजराके द्वारा कुल रुपया वसूल करनेका अधिकार, दिया गया हो, ता इजरा के पहले नोटिस पर कतई हुकम हासिल कर लेना चाहिए, देखो 28 C W N 550 पचायती डिफरी की इजरा बिना कतई डिफरीके भी हो सकती है देखो 2 Pat L T 694

कतई डिफरीके लिये मियाद—ऐसी दरखास्तमें कानून मियादका आर्टिक १८१ लागू होता है, अर्थात् कतई डिफरीके अनुसार की गई अदायगीकी तारीखसे ३ साल की मियाद लागू होती है, देखो 39 A 641, 40A 203, 40 A 235, 16 I C 794, A I R 1922 (Mad) 65, 19 C W N 470, 42 B 309, 44 M 714, 38 B 32—मियादकी मुद्दत अदालत अपीलकी प्रारम्भिक डिफरीकी तारीखसे शुरू होती है प्रारम्भिक अदालतकी डिफरीसे नहीं। अदालत अपीलकी डिफरी प्रारम्भिक अदालतकी डिफरीसे बढ़ जाती है, जब कि उसने उस डिफरी को बदल दिया हो या केवल उसको स्वीकार कर लिया हो, (देखो 44 M 714, 10 A 203, 1 Pat 444, 42 I C 93, 37 C L J 453]—वह तारीख, जिसमें दरखास्त देन का हक पैदा होता है वह है जब रियायती मुद्दत खतम होती है देखो 4P L J 523

रद्दमें जारी डिफरी और गिरस्तारा—जब जायदाद मरहूना के नीलाम से वसूल हुए रकम उस रुपयेकी अदा कर खर्चाक लिये काफी गहो जो उस डिफरी की बाबत वाजिब है, तो मुद्दई उस रुपये का जा मुद्दा/अलेक् से कानूनन वाजिबुल -

घसूल है और जो उसके जुम्मे बाकी रह गया है, राहिन की दूसरी जायदाद से या उसके जिम्म (जात) के खिलाफ इजरा करा के घसूल रूग लेने की डिकरी पाने का हक दार है (देखो आर्डर ३४ रूल ६)—मुर्तहिन को चाहिए कि वह पहिले जायदाद मरहून को नीलाम करावे ताकि वह आर्डर ३४ रूल ६ के अनुसार दरखवास्त दे सके [देखो 10 A. 632, 17 C W N 1039, 51 L. C. 84, 42, A 519]—ऐसी जाती डिकरी मियाद बाहर समझी जायगी अगर रेहन सम्बन्धी नालिश अदायगी की वाजिब तारीख से छ साल की मियाद गुजर जाने के बाद दायर की गई हो (देखो कानून मियाद का भाटि० ११६) या कानून मियाद की दफा १९ के अनुसार ब्याज का रुपया अदा होजाने की दशा में बढ़ाई हुई तारीख से छ साल की मियाद खतम हो जाने के बाद दायर की गई हो (देखो 20 A, 336, 30 A 383,)—छ साल की इस मुदत का शुमार करने में नालिश की तारीख का खयाल रखना चाहिए आर्डर ३४ रूल ६ के अनुसार दो गई दरखवास्त की तारीख का नहीं (देखो 34 C. 672, 27, C 762, 12 C, 539,)। रेहन के जमानत दार पर अगर डिकरी है तो उसकी कार्रवाई राहिन जैसी देती है। जाती डिकरी मिलने पर राहिन गिरफ्तार व कैद कराया जा सकता है।

रेहन की प्रारम्भिक डिकरी की मुन्तज़िली (Assignment) में आर्डर ३४ रूल ६ के अनुसार डिकरी की मुन्तकली भी शामिल है देखो 58 I C 40 हक इन्फिकाक रेहनके खरीदार की जातक ऊपर मुर्तहिन कोई दावा नहीं रखता यद्यपि उसने रेहन का रुपया चुकता कर देने का वादा किया था देखो 26 C W N 771-P, C

रेहन के रुपये का अदालत में जमा किया जाना—किसी रेहन नामा के असल रुपये के वाजिबुल अदा होजाने के बाद और फकरेहनी की नालिश की तमादी आरिज होजाने के पहिले किसी भी समय राहिन या कोई भी दूसरा शख्स जिसे ऐसी नालिश दायर करने का हक है, उस रेहननामा की बाबत वाजिब रुपये को मुर्तहिनके हिसाब में अदालतमें जमा कर सकता है।

तब अदालत उस मुर्तहिन के ऊपर नोटिस तामील करावेगी और वह मुर्तहिन एक तस्दीक शुद् अर्जी देगा जिस अर्जीमें उस समय वाजिब रकमकी तादाद और उस जमा की हुई रकम को, उस वाजिब रकम की कुल बेबाकी समझने हुए मर्रर करने की इच्छा प्रकट की जाती चाहिए और अदालत में दस्तावेज रेहननामा को अगर वह उस समय उससे कब्जे या अधिकार में हो, जमा कर देने पर उस रुपये के लिये दरखवास्त देकर उस रकम को पा सकता है और वह दस्तावेज रेहननामा राहिन को या ऐसे दूसरे शख्स को जिसका ऊपर जिक्र किया गया गया है दे दिया जायगा (देखो कानून जाबता दीवानी की दफा ८३)

कानून इन्तकाल जायदाद की दफा ६० के अनुसार राहिन अदालत के बाहर रुपया दे सकता है। जाबता दीवानी की दफा ८३ राहिनो और उनके मुन्त

किल अलेहो जो यह एक विशेष अधिकार देती है, कि वे रेहननामा की वाचत वा जिय रुपये जो अदालत में हाखिल कर सकें। अगर रुपया हाखिल करने का हक पदा हा चुका है और कुल वाजिब रकम जमा कर दी जाती है, तो रुपया जमा कर दिये जाने के बाद उस रकम पर व्याज का चलना बन्द हो जाता है। जो रकम जमा की जाने चाहिये यह, यह रकम जो रेहननामाको वास्त वाजिब हो और उसमें उसका व्याज भी शामिल है (देखो 16 C 307, P C) — यह रुपया बिना किसी शर्तके जमा कर दिया जाना चाहिये (देखो 14 M 49, 22B 761) — यह रुपया कई क्विंटा में जमा किया जा सकता है, लेकिन मुर्तहिन उस समय तक कोई नोटिस देने के लिए बाध्य नहीं है जब तक कि वह रुपया उसके पूरे कर्जेको अदा करने के लिए काफी न हो (देखो 8 C W N 216, 24 A 461) — जाबता दीवानी की दफा ८३ यह जुम्मेदारी अदालत के ऊपर डालती है कि वह नोटिस तामील करावे, राहिन के ऊपर नहीं। उसको इस बात के साबित करने की जरूरत नहीं कि अदालत ने अपने कर्तव्य का पालन किया या नहीं और नोटिस तामील कराई या नहीं (देखो 35 C L J 202)

अगर मुर्तहिन रुपया ले सकता है तो जाबता दीवानी की दफा ८३ के अनुसार उसे चाहिए कि वह उस रुपयको कुछ बेचाकी मतालिवा दस्तावेज समझे। इस बात में मन्देह है कि क्या वह इस बात के ऊपर रुपया वापस ले सकता है कि उसने कर्जे का कुल रुपया बेचा नहीं होता और वह बाकी रुपये की वाचत नालिश करने का अपना हक बनाये रखता है ?

दफा ८३ के अनुसार की जाने वाली अदायगी से होने वाली बातें केवल उसी समय पैदा होती हैं, जब कि ऐसा मालूम हो जाय कि मुर्तहिन ने उस रुपये को लेकर रहननामा की वाचत वाजिब कुल रुपये की बेचाकी कर दी है या उसने वास्त मणसा ही किया भी हो, देखो 32 A 142 जाबता दीवानी की दफा ८३ के अनुसार की जाने वाली किसी भी कारवाइ में कब्जा दिलाए जाने या किसी दूसरे प्रश्न के जिससे कुरीकन के हक पर कोई असर पड़ताहो तय किये जा नके लिये कोई हुकम नहीं दिया जा सकता। अदालत मुर्तहिनको सिर्फ दस्तावेज रेहननामा दे देने के लिये मजबूर कर सकती है। उससे कोई दूसरी सहायता नहीं मिल सकती (देखो 13 M 316) — अगर मुर्तहिन जमा कियेहुये रुपये को लेने से इन्कार करता है तो राहिन अपने हक की निश्चत नालिश कर सकता है और जब तक कि वह इसमें सफलता (कामयाबी) प्राप्त नहीं कर लेता, रेहन ज्या का त्यो बना रहता है (देखो 21 A L J 345) — फारून इतनाकाल जायदाद की दफा ९१ में उन आदमियों का वणन है जो फाररेहनो के लिये नालिश दायर कर सकते हैं।

नालिश ओर तस्किवा—कौन शख्स नालिश तस्किवा दायर कर सकते हैं और ऐसी नालिश के दायर करने के लिये कौन कौन सी शर्तें जरूरी हैं इस सम्बन्ध में देखो जाबता दीवानी की दफा ८८।

बसूल है और जो उसके जुम्मे बाकी रह गया है, राहिन की दूसरी जायदाद से या उसके डिस्म (जात) के खिटाफ इजरा करा के बसूल करा लेने की डिकरी पाने का हक दार है (देखो आर्डर ३४ रूल ६)—मुर्तहिन को चाहिए कि वह पहिले जायदाद मरहूना को नीलाग कगदे ताकि वह आर्डर ३४ रूल ६ के अनुसार दरखास्त दे सके [देखो 10 A, 682, 17 C W N 1039, 51 I C. 84, 42, A 519]—ऐसी जाती डिकरी मियाद बाहर समझी जायगी अगर रेहन सम्बन्धी नालिश अदायगी की बाजिब तारीखले छ साल की मियाद गुजर जानेके बाद दायर की गई हो (देखो कानून मियाद का आर्टि० ११६) या कानून मियाद की दफा १९ के अनुसार ब्याज का रुपया अदा होजाने की दशा में बढ़ाई हुई तारीख से छ साल की मियाद खतम हो जाने के बाद दायर की गई हो (देखो 20 A, 836, 30 A 883,)—छः साल की इस मुदत का शुमार करने में नालिश की तारीख का खयाल रखना चाहिए आर्डर ३४ रूल ६ के अनुसार दो गई दरखास्त की तारीख का नहीं (देखो 34 C 672, 27, C 762, 12 C, 389,) । रेहन के जमानत दार पर अगर डिकरी है तो उसकी कार्यवाई राहिन जैसी देती है । जाती डिकरी मिलनेपर राहिन गिरफ्तार व कैद कराया जा सकता है ।

रेहन की प्रारम्भिक डिकरी की मुन्तखिली (Assignment) में आर्डर ३४ रूल ६ के अनुसार डिकरी की मुन्तकली भी शामिल है देखो 58 I C, 40 हक इन्फिक्काक रेहनके खरीदार की जातक ऊपर मुर्तहिन कोई दावा नहीं रखता यद्यपि उसने रेहन का रुपया चुकता कर देने का वादा किया था देखो 26 C W N 771-P, C

रेहन के रुपये का अशालत में जमा किया जाना—किसी रेहन नामा के असल रुपये के बाजिबुल अदा होजाने के बाद और फरुहरनी की नालिश की तमादी भारिज होजाने के पहिले किसी भी समय राहिन या कोई भी दूसरा शख्स जिसे ऐसी नालिश दायर करने का हक है, उस रेहननामा की बाबत बाजिब रुपये को मुर्तहिनके हिसाब में अदालतमें जमा कर सकता है ।

तब अदालत उस मुर्तहिन के ऊपर नोटिस तामील करावेगी और वह मुर्तहिन एक तस्दीक शूद अर्जो देगा जिस अर्जोमें उस समय बाजिब रकमकी तादाद और उस जमा की हुई रकम को, उस बाजिब रकम की कुल बेगकी समझते हुए मशर करने की इच्छा प्रकट की जानी चाहिए और अदालत में दस्तावेज रेहननामा को अगर वह उभ समय उसके कब्जे या अधिकार में हो, जमा कर देने पर उस रुपये के लिये दरखास्त देकर उस रकम को पा सकता है और वह दस्तावेज रेहननामा राहिन को या ऐसे दूसरे शख्स को जिसका ऊपर जिक्र किया गया है दे दिया जायगा (देखो कानून जाबता दीवानी की दफा ८३)

कानून इन्तकाल जायदाद की दफा ६० के अनुसार राहिन अदालत के बाहर रुपया दे सकता है । जाबता दीवानी की दफा ८३ राहिनो और उनके मुन्त

किल गलेहों को यह एक विशेष अधिकार देती है, कि वे रेहननामा की वास्त वाजिब रुपये को अदालत में हाथिल कर सकें। अगर रुपया हाथिल करने का हक पैदा हो चुका है और कुल वाजिब रकम जमा कर दी जाती है, तो रुपया जमा कर दिये जान क बाद उस रकम पर व्याज का चलना बन्द हो जाता है। जो रकम जमा की जानी चाहिये वह, वह रकम है जो रेहननामाकी वास्त वाजिब हो और उसमें उसका व्याज भी शामिल है (देखो 16 C 307; P O) — यह रुपया बिना किसी शर्तके जमा कर दिया जाना चाहिये (देखो 14 M 49, 22B 761) — यह रुपया कई किशतों में जमा किया जा सकता है, लेकिन मुतहिन उस समय तक कोई नोटिस देने के लिए बाध्य नहीं है जब तक कि वह रुपया उसके पूरे कर्जों को अदा करने के लिए काफी न हो (देखो 8 C W N 216 24 A 461) — जाबता दीवानी की दफा ८३ यह जुम्मेदारी अदालत के ऊपर डालती है कि वह नोटिस तामील करावे, राहिन के ऊपर नहीं। उसको इसबात के साबित करने की जरूरत नहीं कि अदालत ने अपने कर्तव्य का पालन किया या नहीं और नोटिस तामील कराई या नहीं (देखो 35 C L J 202)

अगर मुतहिन रुपया ले सकता है तो जाबता दीवानी की दफा ८३ के अनुसार उसे चाहिए कि वह उस रुपयको कुछ बेपकी मतालिश दस्तावेज समझे। इस बात में सन्देह है कि क्या वह इस बात के ऊपर रुपया वापस ले सकता है कि उससे कर्ज का कुल रुपया बेचाऊ नहीं होता और वह बाकी रुपये की वास्त नालिश करने का अपना हक बनाये रखता है ?

दफा ८३ के अनुसार की जाने वाली अदायगी से होने वाली बातें केवल उसी समय पैदा होती है, जब कि ऐसा मालूम हो जाय कि मुतहिन ने उस रुपये को लेकर रेहननामा की वास्त वाजिब कुल रुपये की बेपकी कर दी है या उसने वास्तव में ऐसा ही किया भी हो, देखो 32 A 142 जाबता दीवानी की दफा ८३ के अनुसार की जाने वाला किसी भी कार्यवाही में कब्जा दिलाए जाने या किसी दूसरे प्रश्न के जिससे फरीकन के हक पर कोई असर पड़ताहो तब त्रिये ज नके लिये कोई हुम नहीं दिया जा सकता। अदालत मुतहिनको सिर्फ दस्तावेज रेहननामा दे देने के लिये मजदूर कर सकती है। उससे कोई दूसरी सहायता नहीं मिल सकती (देखो 13 M 316) — अगर मुतहिन जमा कियेहुये रुपये को लेने से इन्कार करता है तो राहिन अपने हक की निश्चत नालिश कर सकता है और जब तक कि वह इसमें सफलता (कामयाबी) प्राप्त नहीं कर लेता, रेहन ज्या का त्यों बना रहता है (देखो 21 A L J 545) — क़ानून इतनाल जापदाद की दफा ९१ में उन आदमियों का वर्णन है जो फररेहनों के लिये नालिश दायर कर सकते हैं।

नालिश और तरफिया—कौन शख्स नालिश तरफिया दायर कर सकते हैं और ऐसी नालिशों के दायर करने के लिये कौन कौन सी शर्तें जरूरी हैं इस सम्बन्ध में देखो जाबता दीवानी की दफा ८८।

घसूल है और जो उसके जुम्मे बाकी रह गया है, राहिन की दूसरी जायदाद से या उसके जिस्म (जात) के खिलाफ इजरा करा कि घसूल करा लेने की डिकरी पाने का हक दाराई (देखो आर्डर ३४ रूल ६)—मुतद्दिन को चाहिए कि वह पहिले जायदाद मरहूना को नीलाम करावे ताकि वह आर्डर ३४ रूल ६ के अनुसार दरखवास्त दे सके [देखो 10 A, 632, 17 C W N 1039; 51 I C 84, 42, A. 519]—ऐसी जाती डिकरी मियाद बाहर समझी जायगी अगर रेहन सम्बन्धी नालिश अदायगी की बाजिब तारीख से छः साल की मियाद गुजर जानेके बाद दायर की गई हो (देखो कानून मियाद का भाटि० ११६) या कानून मियाद की दफा १९ के अनुसार ब्याज का रुपया अदा होजाने की दरामें बढ़ाई हुई तारीख से छ साल की मियाद खतम हो जाने के बाद दायर की गई हो (देखो 20 A, 336, 30 A 383,)—छ. साल की इस मुदत का शुमार करने में नालिश की तारीख का खयाल रखना चाहिए आर्डर ३४ रूल ६ के अनुसार दो गई दरखवास्त की तारीख का नहीं (देखो 34 C 672, 27, C 762, 12 C, 539,) । रेहन के जमानत दार पर अगर बिकरी है तो उसकी कार्रवाई राहिन जैसी देती है । जाती डिकरी मिलनेपर राहिन गिरफ्तार व कैद करायी जा सकता है ।

रेहन की प्रारम्भिक डिकरी की मुन्तखिली (Assignment) में आर्डर ३४ रूल ६ के अनुसार डिकरी की मुन्तखिली भी शामिल है देखो 58 I C, 40 हक इन्फिकाक रेहनके खरीदार की जातके ऊपर मुतद्दिन कोई दावा नहीं रखता यद्यपि उसने रेहन का रुपया चुकता कर देने का वादा किया था देखो 26 C W N 771-P, C

रेहन के रुपये का अदालत में जमा किया जाना—किसी रेहन नामा के असल रुपये के बाजिबुल अदा होजाने के बाद और फकुरेहनी की नालिश की तमादी आरिज होजाने के पहिले किसी भी समय राहिन या कोई भी दूसरा शख्स जिले ऐसी नालिश दायर करने का हक है, उस रेहननामा की बाबत बाजिब रुपये को मुतद्दिनके हिसाब में अदालतमें जमा कर सकता है ।

तब अदालत उस मुतद्दिन के ऊपर नोटिस तामील करावेगी और वह मुतद्दिन एक तस्दीक शुरु अर्जी देगा जिस अर्जीमें उस समय बाजिब रकमकी तादाद और उस जमा की हुई रकम को, उस बाजिब रकम की कुल बेबाकी स मझते हुए मर्रर करने की इच्छा प्रकट की जानी चाहिए और अदालत में हुस्ता वेज रेहननामा को अगर वह उस समय उसने कब्जे या अधिकार में हो, जमा कर देने पर उस रुपये के लिये दरखवास्त देकर उस रकम को पा सकता है और वह हुस्तावेज रेहननामा राहिन को या ऐसे दूसरे शख्स को जिसका ऊपर जिक्र किया गया है दे दिया जायगा (देखो कानून जायता दीवानी की दफा ८३)

कानून इन्तकाल जायदाद की दफा ६० के अनुसार राहिन अदालत के बाहर रुपया दे सकता है । जायता दीवानी की दफा ८३ राहिनो और उनके मुन्त

किस अलेहो को यह एक विशेष अधिकार देती है, कि वे रेहननामा की बाबत वाजिब रुपये को अदालत में दाखिल कर सकें। अगर रुपया दाखिल करने का हक पैदा हो चुका है और कुल वाजिब रकम जमा कर दी जाती है, तो रुपया जमा कर दिये जाने के बाद उस रकम पर व्याज का चलना बन्द हो जाता है। जो रकम जमा की जाती चाहिये वह, वह रकम है जो रेहननामा की बाबत वाजिब हो और उसमें उसका व्याज भी शामिल है (देखो 16 C 307, P C)— यह रुपया बिना किसी शर्तके जमा कर दिया जाना चाहिये (देखो 14 M 49, 22 B 761)— यह रुपया कई स्थितियों में जमा किया जा सकता है, लेकिन मुर्तद्दिन उस समय तक कोई नोटिस लेने के लिए बाध्य नहीं है जब तक कि वह रुपया उसके पूरे कर्जेको अदा करने के लिए काफी न हो (देखो 8 C W N 216, 24 A 461)—जाबता दीवानी की दफा ८३ यह जुम्मेदारी अदालत के ऊपर डालती है कि वह नोटिस तामील करावे, राहिन के ऊपर नहीं। उसको इस बात के साबित करने की जरूरत नहीं कि अदालत ने अपने कर्तव्य का पालन किया या नहीं और नोटिस तामील कराई या नहीं (देखो 35 C L J 202)

अगर मुर्तद्दिन रुपया ले सकता है तो जाबता दीवानी की दफा ८३ के अनुसार उसे चाहिए कि वह उस रुपयको कुछ बेबाकी मतालिवा दस्तावेज समझे। इस बात में मन्देह है कि क्या वह इस बात के ऊपर रुपया वापस ले सकता है कि उससे कर्जे का कुल रुपया बेबाक नहीं होता और वह बाकी रुपये की बाबत नालिश करने का अपना हक बनाये रखता है ?

दफा ८३ के अनुसार की जाने वाली अदायगी से होने वाली बातें केवल उसी समय पैदा होती हैं, जब कि ऐसा मालूम हो जाय कि मुर्तद्दिन ने उस रुपये को लेकर रेहननामा की बाबत वाजिब कुल रुपये को बेबाकी कर दी है या उसने वास्तव मर्यादा ही किया भी हो, देखो 32 A 142 जाबता दीवानी की दफा ८३ के अनुसार की जाने वाली किसी भी कार्यवाही में कृष्णा दिहाण जाने या किसी दूसरे प्रश्न के जिससे फरीकन के इकूफ पर कोई असर पड़ताहो तब किये जाने के लिये कोई हुकम नहीं दिया जा सकता। अदालत मुर्तद्दिनको सिर्फ दस्तावेज रेहननामा देवने के लिये मजदूर कर सकती है। उनसे कोई दूसरी सहायता नहीं मिल सकती (देखो 13 M 316)— अगर मुर्तद्दिन जमा विषे हुये रुपये को लेने से इन्कार करता है तो राहिन अपने इकूफ की निश्चय नालिश कर सकता है और जब तक कि वह इसमें सफलता (कामयाबी) प्राप्त नहीं कर लेता, रेहन रुपया का खर्च बना रहता है (देखो 21 A L J 545)— फ़ानून इतकाठ जायदाद की दफा ९२ में उन आदमियों का वर्णन है जो फ़ररेहमी के लिये नालिश दायर कर सकते हैं।

नालिश और तसकिया—कौन शख्स नालिश तसकिया दायर कर सकते हैं और ऐसी नालिशों के दायर करने के लिये कौन कौन सी शर्तें जरूरी हैं इस सम्बन्ध में देखो जाबता दीवानी की दफा ८८।

मृत्यु और घातों के लिये जो नाशिश तस्किवा के अर्जोदाया में दिष्टी जानी चाहिये देखो जायता क्षीपानी १। आर्ट ३५ रु १ ।


यिस्तुत जायते व लिये होगा आर्ट ३५ के रु ० से ६ तक ।

विशेष अवस्था—अदालत की राय के लिये मुकदमें को भेज देने के अधिकार के सम्बन्ध में देखो आर्ट ३६ रु १ से ५ ।

दम्नापेक्षात क्रायिल वय व रेदन वगैरहक अपरवी जाने वाली मामली कारंवाई—बिल आफ परलमेन्स (हुण्टिया) या मामिलरी नोटोंके ऊपरगी जाने वाली नाशिया में की जाने वाली सरसरी कारंवाई के सम्बन्धमें देखो आर्ट ३७ रु १-७ ।



प्रासंगिक कार्यवाही



कमीशन—कोई भी अदालत लिखें नीचे कामोंके लिये कमीशन जारी कर सकती है—

(क) किसी शख्सके बयान लेनेके लिये, (ख) किसी मौके की राहकीकात करने के लिये, (ग) हिसाब की जाच करने या उसे ठीक करने के लिये, या (घ) घटवारा करने के लिये (देखो दफा ७५)। इसका विस्तृत जाबता, जाबता दीवानी के आर्डर २६ में बतलाया गया है।

आर्डर २६ के अनुसार नियुक्त विप गप कमिश्नरों के अधिकार क्या हैं इस सम्बन्ध में देखो आर्डर २६ रूल १६, १७, १८। कमीशन का खर्चा कमीशन जारी होनेसे पहिले नियत रुपये के भीतर अदालतमें जमाकर दिया जाना चाहिये (देखो आर्डर २६ रूल १५)—जाबता दीवानीकी दफा ३६के अनुसार कमिश्नर का खर्चा अदा करने के सम्बन्ध में दिये हुए अदालत के हुक्म की इजरा बतौर डिकरी के कराई जासकती है (देखो 28 C W. N 187; 10 C W N 234) मुआविजा सम्बन्धी प्रश्न का निपटारा उस जज को करना चाहिये जिसकी अदालत में मुकद्दमा चलता हो। जिला जज को कोई अधिकार नहीं है कि वह किसी ऐसे कमिश्नर द्वारा तलब किये गये मुआविजाके किसी हिस्से को नामजूर कर दे जो किसी सब जज की अदालत में चलने वाले मुकद्दमे में नियुक्त किया गया हो, देखो 44 I C 496

गवाहोंके बयान लेनेके लिये कमीशन—कोई भी अदालत किसी मुकद्दमे में पूछे गए प्रश्नों (सवालात) अथवा अन्य बातों के सम्बन्ध में नीचे लिखे आदमियों के बयान लेने के लिए कमीशन जारी कर सकती—

किसी भी ऐसे शख्स के लिये जो उसके अधिकार क्षेत्रकी स्थानीय सीमाके भीतरका रहने वाला है या जो अदालतमें हाजिरासे बरी कर दिया गया है या जो बीमारी अथवा निर्बलता (कमजोरी) के कारण हाजिर होनेमें असमथ है (देखो आर्डर २६, रूल १)

किसी भी ऐसे शख्सके लिये जो उसके अधिकार-क्षेत्रकी स्थानीय सीमाके बाहर रहता हो,

किसी भी ऐसे शख्स के लिये जो उस तारीख के पहिले ऐसी सीमा को छोड़ने वाला हो जिस तारीख को अदालत में उसके बयान लिए जाने को है,

सरकार के किसी भी मुल्की या फौजी अफसर के लिये, जो सरकारी कार्य को क्षति पहुंचाए बिना अदालत में हाजिर नहीं हो सकता (देखो आर्डर २६, रूल ३)

अदालत के अधिकार क्षेत्र के भीतर कमीशन किसी भी ऐसे शख्स के पास भेजा जा सकता है जिसे अदालत प्राण दण्ड देना उचित समझती हो (देखो


दूसरी और बातों के लिये जो नाकिश तस्फिया के अर्जोदावा में लिखी जानी चाहिये देखो जायता दीधानीका आर्डर ३५ रुल १ ।

विस्तृत जायते के लिये देखो आर्डर ३५ के रुल २ से ६ तक ।

विशेष अवस्था—अदालत की राय के लिये मुकद्दमें को भेज देने के अधिकार के सम्बन्ध में देखो आर्डर ३६ रुल १ से ५ ।

दस्तावेजात काबिल वय परेहन वगैरहके ऊपरकी जाने वाली सरसरी कार्रवाई—बिल आफ प्रक्सचेन्ज (हुण्डियों) या प्रामिसरी नोटोंके ऊपरकी जाने वाली नाकियों में की जाने वाली सरसरी कार्रवाई के सम्बन्धमें देखो आर्डर ३७ रुल १-७ ।

प्रासंगिक कार्यवाही



कमीशन—कोई भी अदालत लिखे नीचे कामोंके लिये कमीशन जारी कर सकती है—

(क) किसी शख्सके बयान लेनेके लिये, (ख) किसी मौके की राहकीकात करने के लिये, (ग) हिसाब की जाच करने या उसे ठीक करने के लिये, या (घ) बटवारा करने के लिये (देखो दफा ७५) । इसका विस्तृत जाबता, जाबता दीवानी के भाँडर २६ में बतलाया गया है ।

भाँडर २६ के अनुसार नियुक्त किए गए कमिश्नरों के अधिकार क्या हैं इस सम्बन्ध में देखो भाँडर २६ क्रम १६, १७, १८ । कमीशन का खर्चा कमीशन जारी होनेसे पहिले नियत रुपये के भीतर अदालतमें जमाकर दिया जाना चाहिये (देखो भाँडर २६ क्रम १५)—जाबता दीवानीकी दफा २६के अनुसार कमिश्नर का खर्चा अदा करने के सम्बन्ध में दिये हुए अदालत के हुक्म की इजरा बतौर डिकरी के कराई जासकती है (देखो 28 C W N 187; 10 C W N 234) मुआविजा सम्बन्धी प्रश्न का निपटारा उस जज को करना चाहिये जिसकी अदालत में मुकद्दमा चलता हो । जिला जज को कोई अधिकार नहीं है कि वह किसी ऐसे कमिश्नर द्वारा तलब किये गये मुआविजाके किसी हिस्से को नामजूर कर दे जो किसी सच जज की अदालत में चलने वाले मुकद्दम में नियुक्त किया गया हो, देखो 44 I C 496

गवाहोंके बयान लेनेके लिये कमीशन—कोई भी अदालत किसी मुकद्दम में पहुँच गये प्रश्नों (सवालनात) अथवा अन्य बातों के सम्बन्ध में नीचे लिखे आदमियों के बयान लेने के लिए कमीशन जारी कर सकती—

जिसी भी ऐसे शख्स के लिये जो उसके अधिकार क्षेत्रकी स्थानीय सीमाके भीतरका रहने वाला है या जो अदालतमें हाजिरीसे बरी कर दिया गया है या जो घीमारी अथवा निर्चलता (कमजोरी) के कारण हाजिर होनेमें असमर्थ है (देखो भाँडर २६, क्रम १)

किसी भी ऐसे शख्सके लिये जो उसके अधिकार-क्षेत्रकी स्थानीय सीमाके बाहर रहता हो,

किसी भी ऐसे शख्स के लिये जो उस तारीख के पहिले ऐसी सीमा को छोड़ने वाला हो जिस तारीख को अदालत में उसके बयान लिए जाने को है,

सरकार ने जिसी भी मुल्की या फौजी अप्सर के लिये, जो सरकारी कार्य को क्षति पहुँचाए बिना अदालत में हाजिर नहीं हो सकता (देखो भाँडर २६, क्रम ३)

अदालत के अधिकार क्षेत्र के भीतर कमीशन, किसी भी ऐसे शख्स के पास भेजा जा सकता है जिसे अदालत प्राण-दण्ड देना उचित समझती हो (देखो

आर्डर २६, रूल ३) — अदालत के अधिकार-क्षेत्र से बाहर के स्थानों के लिए कमीशन किसी भी अदालत को भेजा जा सकता है जो कि हाईकोर्ट नहीं है और जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर वह रहता है, या किसी वकील अथवा दूसरे आदमी के पास भेजा जा सकता है जिसे कमीशन जारी करने वाली अदालत नियत करे (देखो आर्डर २६, रूल ४)

ब्रिटिश भारत के बाहर गवाहों के बयान लेने के लिए कमीशन जारी करने के सम्बन्ध में देखो रूल ५

कमीशन के द्वारा बयान लिए जाने के लिए हुक्म, अदालत या तो अपनी मर्जी से दे सकती है या किसी फ्रीक, या गवाह के दरखास्त देने पर, जिसका समर्थन हलफनामा से या और किसी तरह पर किया गया हो (देखो आर्डर २६, रूल २)

कमीशन के बाकायदा काम कर चुकने के बाद, उसे गवाहों के बयानों के सहित उस अदालत को वापस कर देना चाहिए, जहाँ से कि वह जारी किया गया था और वे बयानात उस मुकद्दमे की मिसिल का हिस्सा समझे जायेंगे (देखो आर्डर २६, रूल ७) ।

जो शहादत कमीशन के द्वारा ली गई है, वह उस मुकद्दमे में कब वतौर शहादत के पढ़ी जायगी, इस सम्बन्ध में देखो आर्डर २६, रूल ८

जो लोग अदालत में अखालतन हाजिर होने से मुस्तसना हैं उनमें वे स्त्रियाँ (औरतें) भी हैं जो देश की प्रथा और बंधों के व्यवहार के अनुसार सर्व साधारण के सामने बाहर निकलने के लिए बाध्य नहीं की जा सकती (देखो जायंता दीवानी की रफा १३२) । कमीशनर को चाहिए कि वेद किसी बयान को उसी भाषा में लिखले जिसमें कि वह दिया गया है ।

इस सम्बन्ध में आर्डर १६, रूल १९ के नियम स्मरण रखने चाहिए जिसमें यह बताया गया है कि किसी भी गवाह को अखालतन हाजिर होने का हुक्म न दिया जायेंगा जब तक कि वह अपने सीमा के भीतर का रहने वाला न होगा ।

गवाहों के बयान लेने के लिए कमीशन को जारी किए जाने और उनकी वापसी सम्बन्धी नियम, उन कमीशन को के सम्बन्ध में भी लागू होंगे जो बाहरी (विदेशी) अदालतों द्वारा जारी किए गए हैं (देखो जायंता दीवानी की रफा ७८ और आर्डर २६, रूल ५)

जब किसी कमीशन के सामने कोई दस्तावेज पेश किया गया हो और उसके काबिल तस्लीम होने के बारे में कुछ भी एतराज न किया गया हो, तो मुकद्दमे को समाप्त करने वाली अदालत के सामने ऐसा कोई भी एतराज न पेश किया जा सकेगा, देखो G C L R 109 — लेकिन अगर किसी बिना के कमीशन के सामने उसके काबिल तस्लीम होने के सम्बन्ध में कोई एतराज

किया जाता है तो उस राष्ट्रमन्त्री को मुकद्दम की समाप्त के समय किसी दूसरी बिना के उपर एतराज करने की मनाही न होगी (देखो 9 C 939)

कमीशन के द्वारा लीगई शहादत उस समय भी भदादत समझी जायगी, जब यह समाप्त करने वाली भदादत के सामने पेश हो यद्यपि वह बाजाबता तौर पर पेश और पढ़ी न भी गई हो, देखो 26 C 591, 9 C W N 794, 13 C W N 325, 16 C 566, 35 C 28, 18 C L J 150.

कमिश्नर किसी करीब के एतराज करने पर किसी भी सबाल को नाम-जूर नदी कर सकता, लेकिन उसे उस एतराज को लिखलेना चाहिए, देखो 11 C W N 305 —भदादत अपने न्याय सम्बन्धी अधिकार कमिश्नर को नहीं दे सकती, देखो 15 C L J 17

किसी मुद्दई की ओर से स्वयं उसके घमान लिए जाने के लिए कमीशन जारी करने की दरखास्त में और मुद्दाभलेह की ओर से स्वयं उसके घमान लिए जाने के लिए दी गई दरखास्त में अन्तर है। मुद्दाभलेह की यातों पर उसी प्रकार कार्यवाई नहीं की जायगी जिस प्रकार कि मुद्दई की यातों पर जिसने अपनी भदादत चुनली, देखो 35 C L J 78, 57 I C 955 —मुद्दाभलेह के यह कहने पर कि, मेरा मनाह, जो एक पर्दानशीन औरत है, उसके घमान उसी स्थान पर लिए जाय जहां पर मैं बतलाऊ या जहा पर कि वह कमीशन जारी किए जानेके समय उपस्थित हो। तब हुआ कि उसे ऐसा कहनेका अधिकार नहीं है, देखो 48 C. 448 —पर्दानशीन औरतों का कमीशनके द्वारा उनके घमान लिए जाने का अधिकार इसलिए नष्ट नहीं होता कि कुछ अवसरों पर उन्होंने पर्दा का नियम भङ्ग कर दिया है, देखो 16 C W N 300 यही यातें एक घटे घराने की ऐसी स्त्रियों के सम्बन्ध में भी लागू होती है जिसने पर्दा तोड़ दिया है, देखो 22 C W N 147 —पर्दानशीन औरतों को अपने रहने सहने का ठहूँ पूरा पूरा बदल देने का अधिकार है। जब इस प्रकार परिघर्तन हो जाय, तो यह जायता दीवानी की दफा १३२ में बतलाए हुए भदादत में हाजिर न होने के अधिकार की निरवत, बतौर अधिकार के कोई दावा नहीं कर सकती। लेकिन अगर वह वास्तव में एक पर्दा नशीन औरत है, तो उसका अधिकार इसलिए नहीं चला जाता कि वह इससे पहिले एक फौजदारी मुकद्दम में हाजिर हो चुका है, देखो 45 C 697, 22 C W N 197, 26 C 650, 26 C 651, 3 C W N 753 —पर्दानशीन औरतों की तरह रहने वाली औरतें वही हक नहीं रखती जो कि पर्दा नशीन औरतें रखती हैं। (Quasi Pardanoshun) के अर्थ के लिए देखो 5 C W N 1 P C

मुबामी तहकीकतके लिये कमीशन—अगर भदालत को मुक़ामी तहकीकत की जरूरत मालूम हो, तो यह किसी ऐसे मामले की जांच करने के लिए जिसकी निरवत हागडा है, अथवा किसी जायदाद की बजारू कीमत या किसी वान्निजात या हुकूमन या असल सालाना मुनाफ़ा की रकम तय करने के लिए, कमीशन जारी कर दे (देखो भांडे २६, कल ९)

कमिश्नर की रिपोर्ट और वह शहादत, जो उसने ली है (बिना रिपोर्ट के खाली शहादत नहीं) मुकद्दमे में शहादत होगी। फरीकन में से कोई भी खुली अदालत में कमिश्नर के बयान ले सकता है। जब रिपोर्ट असन्तोषजनक हो, तो अदालत और भी जांच करने का हुक्म दे सकती है (देखो आर्डर २६, रूल १०)

अदालत किसी भी जायदाद या चीज का मुलाहिजा कर सकती है, जिसके सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठ खड़ा हो (देखो आर्डर १८, रूल १८)

इस वर्तमान रूल के अनुसार जज बिना अपनी असुविधाओं का खयाल किए कमीशन जारी कर सकता है। आर्डर २६, रूल ९ जज द्वारा किसी मौके का मुलाहिजा किए जाने की मनाही नहीं करता, देखो 44 M. 640—आर्डर १८, रूल १८ एक नया रूल है और वह अदालत को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी समय मौके की जांच करे इस सम्बन्ध में दो कानून शहादत की दफा ६० की शर्तें। मौके की तहकीकात के लिए कमीशन प्रायः आराजी की पैमाइश करने अथवा नकशे तैयार करने के अभिप्राय से जारी किए जाते हैं।

मौके का मुलाहिजा करने का उद्देश्य, उस प्रश्न को समझना है, जो कि उठाया गया है और उसकी निश्चित शहादत का लेना और उसकी जांच करना है। लेकिन कोई फौजला भरेले मौके की तहकीकात से मालूम हुई बातों के ही आधार पर नहीं दे दिया जाना चाहिए, देखो 29 I C 60, 58 I C 909, 61 I C 794, 61 I C 712 मौके की तहकीकात से जो कुछ भी बातें मालूम हों उन्हें दर्ज कागजात कर देना चाहिए, देखो 16 C W N 426.

हिसाब-किताब की जांच करनेके लिए जारी किया गया कमीशन—अदालत हिसाब-किताब की जांच और उसके ठीक करने के लिए कमीशन जारी कर सकती है (देखो आर्डर २६, रूल ११)—अदालत कमिश्नर को आवश्यक कागजात और ऐसी हिदायतें दे देगी जो उसे आवश्यक जान पड़ेगी (देखो आर्डर २६, रूल १२)

किसी माली लिखा पढी (मामले) में हिसाब-किताब तैयार करने के लिए की गई नालिश में अदालत, तुरंत डिकरी देने के पहिले, एक प्रारम्भिक डिकरी दे देगी जिसमें वह हिसाब-किताब तैयार करने के लिए हिदायत करेगी (देखो आर्डर २०, रूल १६)

साझेदारी के मुकद्दमों में तथा प्रबन्ध सम्बन्धी मुकद्दमों में अदालत हिसाब-किताब तैयार करने की हिदायत कर सकती है (देखो आर्डर २०, रूल १५, १३)

अदालत को अधिकार है कि वह डिकरी द्वारा या इसके बाद किसी हुक्म के द्वारा, उस तरीके के सम्बन्ध में खास हिदायतें कर सकती है जिस तरीके से कि हिसाब-किताब तैयार किया जाना चाहिए (देखो आर्डर २०, रूल १७)

प्रबन्ध सम्बन्धी और साझेदारी के मुकद्दमों में दी जाने वाली डिक्लरियों के फार्म के सम्बन्ध में देखो जाबता ड्रीवानी का जमीया (डी)

बटवारा कराने के लिए कमीशन—जबकि डिक्लरी किसी ऐसी मुद्दतरका इलाके के बटवारे या अलग कब्जे की बात दी गई हो जिसपर सरकार को अदा की जाने वाली मालगुजारी बांधी गई है, तो बटवारा कलक्टर करावेगा (देखो आर्डर २०, रूल १८)—अगर डिक्लरी किसी दूसरी जायदाद गैर मनकूला या जायदाद मनकूला के सम्बन्ध में हो, तो अदालत एक प्रारम्भिक डिक्लरी दे सकती है जिसमें वह उस जायदाद में हफ्ते रखने वाले तमाम लोगों के अधिकारों के सम्बन्ध में घोषणा कर सकती है (देखो आर्डर २०, रूल १८)

प्रारम्भिक डिक्लरी दे दिए जाने के बाद अदालत ऐसे शख्स के नाम कमीशन जारी कर सकती है जिसे वह बटवारा कर सकने के योग्य समझती हो, (देखो आर्डर २६, रूल १३)

आवश्यक जांच कर लेने के बाद कमिश्नर, अदालत द्वारा बतलाए गए दग से जायदाद का बटवारा कर देगा, और, अगर उसे ऐसा अधिकार दिया गया है, तो वह हिस्सों की मालिकीत बराबर करने के लिए रुपया भी विलया सकता है। कमिश्नर को रिपोर्ट दाखिल हो जाने के बाद, जिसमें नाप जोख करके और सीमा (हद) निश्चित करके बटवारा किए जाने की बात हो, अदालत, उफ्रदारी, अगर कोई हो तो, सुन लेने के बाद उसे मजूर कर लेगी, बदल देगी या रद्द कर देगी। अगर रिपोर्ट रद्द कर दीजाय, तो एक नया कमीशन जारी किया जा सकता है (देखो आर्डर २६, रूल १४)

जब कोई ऐसा फरीक, जिसे प्रारम्भिक डिक्लरी से हानि पहुंचती है उस डिक्लरी के विरुद्ध अपील नही करता है, तो किसी ऐसी अपील में, जो कि फतई डिक्लरी के विरुद्ध की गई हो, उसके सही होने के सम्बन्ध में, आपत्ति करने का उसे अधिकार न होगा (देखो दफा ९७)—बटवारे की डिक्लरी स्टाम्प लगने हुए कागज के ऊपर लिखी जानी चाहिए, जैसा कि स्टाम्प पेक्ट (न० २ सन् १८९९ ई०) के परिशिष्ट १ के आर्टि० ४५ और दफा २ (१५) में बताया गया है (देखो 82 C 483, 29 B 366)

इलफनामा—अदालत को अधिकार है कि वह किसी समय यह हुक्म दे देव कि कोई बात या कोई बातें इलफनामा के जरिये साबित की जाय (देखो आर्डर १९, रूल १)

जाबता ड्रीवानी के अनुसार दाखिल किए जाने वाले इलफनामा में (क) कोई भी अदालत या मजिस्ट्रेट या (ख) कोई अफसर अथवा दूसरा आदमी जिसे हाईकोर्ट इस काम के लिए नियत करे या (ग) कोई अफसर जिसे किसी दूसरी अदालत ने मुकर्रर किया हो, स्थायी सरकार की ओर से अधिकार दिए जाने पर, बयान देने वाले शख्स को हलफ दिला सकता है (देखो दफा १३९)

इलफनामा दाखिल करने वाले शख्स की, उसके ऊपर जिरह किए जाने के लिए, हाजिरी का हुक्म दिए जाने और इस बात का हुक्म दिए जाने के

यह कि किसी मुकद्दमें के विषय में अथवा किसी दावा के हिस्से के लिये नये सिरे से नालिश दायर करने की इजाजत देने के लिए काफी वजहें हैं, तो उसे अधिकार है कि वह, ऐसी शर्तों पर जिन्हें कि वह मुनासिब समझे, मुकद्दमा से अलग होजाने या उसके किसी हिस्से को छोड़ देने की इजाजत दे दे और उन्हे नए सिरे से नालिश दायर करने का अधिकार भी दे देवे।

(३) अगर कोई मुद्दई सब रूल (२) के अनुसार आज्ञा प्राप्त किए बिना कोई मुकद्दमा वापस ले ले या उसे छोड़ दे, तो वह उन बातों के सम्बन्धमें या दावा के ऐसे हिस्से के सम्बन्ध में नए सिरे से नालिश दायर न कर सकेगा।

(४) इस रूल में कोई भी बात ऐसी न समझी जायगी जो अदालत को यह अधिकार देती हो कि वह कई एक मुकद्दमों में से किसी एक राफ़स को, बिना जाकी आदमियों की स्वीकृति लिए, मुकद्दमा उठा लेने की इजाजत दे सके (देखो आर्डर २३, रूल १)

विवरण—सब रूल (१) में मुकद्दमे के उठा लेने की बात का जिक्र है। अगर मुद्दई बिना इस इरादे के, कि वह फिर नए सिरे से नालिश दायर करे, मुकद्दमा उठा लेना चाहता है तो वह अपनी इच्छा से ही ऐसा कर सकता है। इस के लिए उसे सब रूल (१) में अधिकार दिया गया है। इस सम्बन्ध में अदालत की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। सब रूल (२) में मुकद्दमे से अलग होजाने की बातका जिक्र है। अगर मुद्दई मुकद्दमसे अलग होजाना चाहता है, इसलिए कि वह नया मुकद्दमा दायर कर सके, तो उसे चाहिए कि वह सब रूल (२) के अनुसार इजाजत हासिल करने के लिए दरखास्त दे (देखो 32B 345)

अदालत को इसबात का कोई भी अधिकार नहीं है कि आर्डर (१३) रूल १ के अलावा मुकद्दमे से अलगहो जानेकी इजाजत दे सके, (देखो 13 M I A 160)—नया मुकद्दमा दायर करनेका अधिकार देतेहुए किसी अरखसको मुकद्दमे से अलग हो जाने की इजाजत दे सकने का अधिकार अदालत को उसी वक्त है जब कि मुकद्दमे में सब रूल (२) के क्लॉज (क) और (ख) में बतलाए हुए मुद्दस मौजूद हों। अदालत को मुकद्दमे से अलग हो जाने की इजाजत देने का अख्तियार उस समय न होगा जबकि,

(क) मुकद्दमे में कोई जावते की कमी न रह गई हो या,

(ख) उसी तरह की दूसरी काफी वजहें मौजूद नहीं (देखो 46I C 179)

यह तय किया गया है कि "दूसरी काफी वजहें" शब्दोंका अर्थ क्लॉज (क)की क्रिमकी वजहें समझना चाहिए अर्थात् क्लॉज (ख) में बतलाई गई वजहें उसी क्रिमकी होनी चाहिए जिस क्रिमकी वजहें क्लॉज (क) में बतलाई गई हैं (देखो 25 C L J 454, 46 I C 181, 48 I C 197, 61 I C 689)

आर्डर २३ रूल १ का उद्देश्य यह यही है, कि उस समय मुकद्दमा उठाने की इजाजत दी जाय जब कि मुद्दई मुनासिब तयज्जेह और मेहनत के साथ

मुकद्दमें वी पैरवी कर सकने में नाकामयाब रहा हो और जब कि उसके गवाह उसके दावा का समर्थन न कर सकतेहों ताकि मुद्दई को फिरसे मुकद्दमा चलाने का मौका मिल सके (देखो 16 C W N 1027, 35 I C 843, 11 A L J 733, 46 I C 179)--सिर्फ योही ऐसा कह देना कि जायते की कुछ कमी (जुक्स) रह गई है, काफी न होगा। इस बात को जहा तक साफ साफ होसके जाहिर कर देना चाहिये और अदालत को इस बातका इतमीनानहो जाना चाहिये कि वास्तव में ऐसा कोई जुक्स मुकद्दमें में मौजूद है (देखो 64 I C 556, 48 I B 197; 16 I C 179)—अदालत के लिए यह जरूरीहै कि वह मुकद्दमा उठा लेने या मुकद्दमें से अलग दाने की इजाजत देते समय अपने ऐसा करने के कारण लिख दे देखो 39 C L J 37

लेकिन अगर कोई अदालत गैर मुनासिब तरीके से मुकद्दमा उठालेने या मुकद्दमेंसे अलग होजाने की इजाजत दे, तो जिस अदालतमें घादकी कोई नालिश दायर की जाय उसको यह अधिकार नहीं है कि वह फैसले के सही होने की निश्चत कोई एतराज कर सके या इसबात पर बिचार कर सके कि वास्तव में कोई जायते का जुक्स मौजूद था या नहीं। वह फैसला चाहे गलत हो या सही, उस समय तक अवश्य मान्य होगा जब तक कि रद्द न कर दिया जाय, देखो 48 C 138, 24 C W N 723, 65 I C 704, 64 I C 387

जब कि मुद्दई इस बात के लिये दरखास्त दे कि उसे मुकद्दमा उठा लेने की इजाजत दी जाय, और नये सिरे से मुकद्दमा दायर करने का भी अधिकार दिया जाय और अदालत की यह राय हो कि इसके लिये कोई काफी दजह नहीं है तो उचित मार्ग यह है कि दरखास्त खारिज करदी जाय और किसी ऐसे हुकमसे मुकद्दमेंका फैसला नहो जायगा जिसमें मुकद्दमा उठा लेनेकी इजाजत तो दीगई हो पर नया मुकद्दमा दायर करने की इजाजत न दी गई हो (देखो 20 C W N 1011, 32 Bom 345)

अदालत अपील किमी ऐसे मुद्दई को जिसका मुकद्दमा खारिज कर दिया गया है, इस इजाजत के साथ मुकद्दमा उठा लेने या मुकद्दमें से अलग हो जानेकी इजाजत दे सकती है कि वह फिर नया मुकद्दमा दायर कर सके (देखो 8 A 62 11 M 922, 14 W R 17, 20 W R 163, 37 A 326)। 27 M L J 211 में इससे भिन्न मत प्रकट किया गया है।

आदर २३ रूल १ डिक्शियों की इजरा की दरखास्त के सम्बन्ध में लाम नहीं होता देखो 17 All 106 P C

अदालत इस हुकम के साथ मुकद्दमा उठा लिए जाने या उससे अलग हो जाने की इजाजत दे सकती है कि नया मुकद्दमा सिध उन्ही समय दायर किया जा सकेगा जबकि पहिले खर्चा अदा कर दिया जाय। उसे चाहिये कि वह एक मियाद मुकद्दर कर दे और इस बात का हुकम दे देवे कि अगर इस मियाद के अन्दर खर्चा अदा न कर दिया जायगा तो मुकद्दमा खारिज समझा जायगा।

लेकिन अगर कोई मियाद मुकदमे नहीं की गई है तो चाद में खर्चा अदाकर देने से इन वेक्यायदगी की बात दूर हो जाती है (देखो 31 C 965, 44 I C 79) अदालत को यह अधिकार है कि वह खर्च की अदायगी के लिये मुकदमे त्रिप हुए समय को नडा सके देखो 29 M 370, 10 C W N 8

मुकदमें में राजीनामा—जब यह बात सावित हो जाय कि किसी कानूनी इकरारनामा या राजीनामासे किसी मुकदमेके कुल या एक अंशके निवस्त तस्फिया हो गया है या जब मुद्दाभलेह, मुद्दई को मुकदमे के कुल या कुल हिस्से का मतालिया अदा कर दे तो अदालत यह हुम्न दे देगी कि ऐसा इकरार नामा राजीनामा या अदायगी मतालिया की बात मिसिल में दर्ज करली जाय और जहा तक उसका सम्बन्ध उस मुकदमे से है उसके अनुसार बिकरी देदेगी (देखो आर्टर २२ रूल २)

यह रूल ऐसे मुकदमों के लिए तैयार किया गया था जहा पर फरीकैन के दरम्यान कोई कानूनी राजीनामा होजाने के बाद उनमें से किसी शख्स ने उन बातों के मानने से इन्कार कर दी हो। ऐसी दशा में अदालत को यह अधिकार है कि वह इस सम्बन्ध में एक और तनकीह तैयार करे कि, क्या कानूनी राजीनामा हुआ है या नहीं? (देखो 19 M 419)—जब कि फरीकैन ने किसी इकरारनामा के जरिये मुकदमे का तस्फिया कर लिया हो, तो अदालत उसके अनुसार बिकरी दे सकती है, फिर चाहे उनमें किसी फरीक को इस बात में एतराज न हो कि राजीनामा मंजूर कर लिया गया है (देखो 24 C 908 F B., 1 C W N 597, 21 C W. N. 366)

किसी वकील या मुद्दार को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने मव बिकल की तरफ से, बिना उसकी लिखित आज्ञा के, किसी मुकदमे में राजीनामा कर ले, देखो 21 Mad 274—बिना अदालत की इजाजत लिए जो साफ तौर पर मुकदमे की मिसिल में दर्ज करली जायगी, किसी भी मुकदमे में नावालिंग की ओर से राजीनामा न किया जा सकेगा (देखो आर्टर ३२, रूल ७, 9 C 810, 17 All 531)—वह वली, जिसको विलायत (वली होने) का सर्टिफिकेट दे दिया गया है बिना अदालत की इजाजत के राजीनामा कर सकता है, देखो 8 C L J 266—यही बातें उस वर्ग के सम्बन्ध में हैं जो कोर्ट आफ वार्ड्स की तरफ से मुकदमे किया गया हो, देखो 25 C W N 797 P C

यह आवश्यक नहीं है कि उसे शहादत में पुरूल त्रिप जाने के काबिल बनाने के लिए किसी राजीनामा की रजिस्ट्री कराई जाय (देखो 2 C W N 66०, 47 C 485, 57 I C 751)—रजिस्ट्रेशन पेक्ट की दफा १७ किसी अदालत की मुतासिब कार्रवाई के सम्बन्ध में लागू नहीं होती, चाहे वह प्लीडिंग हों या वे हुक्म हों जो अदालत ने दिए हैं, देखो 20 All 171 P C, 34 C 837, 34 C 456, 62 I C 653—अगर वह राजीनामा किसी ऐसी जायदाद से सम्बन्ध रखता है जिसका जिक्र मुकदमे में नहीं है तो, उस जायदाद

की निश्चित दृकीयत पदा करने की गरज से, उस राजीनामा की रजिस्ट्री कराना जरूरी है, देखो 36 I C 193, 28 A. 78 और 58 I C 299

जो राजीनामा मुकद्दमें की हद से बाहर है उनके सम्बन्ध में देखो 7 C L J 492, 5 C W N 485, 30 Mad 421, और 30 Mad 478

रूल ३ अदालत को उस समय डिकरी देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, जब कि राजीनामा की बात सन्तोषजनक रूप में सुवृत्त हो गई हो। अदालत को यह बात जरूर देना चाहिए कि यह राजीनामा एक कानूनी राजीनामा है, और इस बात को तय करने के लिए, कि वह राजीनामा ठीक है अथवा नहीं, यह उसकी असलियत पर विचार करेगी, देखो 53 I C 833 डिकरी की सिर्फ़ यही शर्तें अमल में लाई जा सकती हैं जो उस मुकद्दमें से सम्बन्ध रखती हैं। प्रायः ऐसा देखा गया है कि राजीनामा की अर्जा में मुकद्दमें के बाहर की बातें रहती हैं और इसलिए ऐसी दशा में उचित मार्ग यह है कि डिकरी में उस राजीनामा की शर्तें पूरी पूरी लिख दी जाय, लेकिन उसके अनुसार डिकरी सिर्फ़ उतने ही हिस्से के सम्बन्ध में दी जाय जिनके का सम्बन्ध उस मुकद्दमें से है (देखो 38 C L J 72, 24 C W N 177, 46 I C 358)—मुकद्दनामाकी डिकरी की शर्तें जहां तक कि उनमें ऐसी बातें आती हैं जो उस मुकद्दमें के अन्दर नहीं थीं, इजरा के समय अमल में नहीं लाई जा सकती, लेकिन वह डिकरी उस इकरारनामा की शहादत होगी जो उन बातों के सम्बन्ध में किया गया है (देखो 62 I C 653, 34 C 456 P 463)

आर्डर २१, रूल ९० के अनुसार की गई कार्रवाई इजरा की कार्रवाई नहीं है और ऐसी दशा में आर्डर २३, रूल ३ लागू होता है, देखो 62 I C 608

अदालत में रुपये की अदायगी—जब कि मुद्दई का दावा कर्जा या नुकसान के प्रसूल पाने के लिए हो, तो मुद्दाभलेह अदालत में इतनी रकम जमा कर सकता है जिससे वह समझता है कि मुद्दई के दावा की पूरी पूरी चेवाकी हो जाती है (देखो आर्डर २४, रूल १) ।

इस रकम जमा किए जानेकी नोटिस मुद्दईको अदालतके जरिये देदीजानी चाहिए, और ऐसी नोटिस मिल जाने के बाद मुद्दई को ब्याज न दिखया जायगा (देखो आर्डर २४, रूल २ और ३) ।

जब मुद्दई उस जमा किए हुए रुपये को लेकर उससे अपने दावा की कुछ या कुछ चेवाकी मान ले, तो उस समय की जाने वाली कार्रवाई के सम्बन्ध में देखो रूल ४

यह बात अग्रदृष्ट ध्यान में रखनी चाहिये कि जायता दीवानी का आर्डर २४ जेचल कजे या नुकसान की नालिशों के सम्बन्ध में लागू होता है, दूसरे तरफ़ के मुकद्दमों में नहीं। वह हिसाब किताब की नालिशों के सम्बन्ध में लागू नहीं होता।

जब के लिए जमानत—जायता दीवानी के आर्डर २५, रूल १ में उन मामलों का वर्णन किया गया है जिनमें किसी मुकद्दमें में मुद्द से ऐसे सारे खूब


की अदायगी के लिए जमानत तलब की गई हो जो, किसी मुद्दाअलेह को उठाना पडा हो या उसके उठानेकी सभावना हो। यह रूल उन हालतों में (जिनका वर्णन इस रूल में किया गया है) मुद्दाअलेह की रक्षा करने के उद्देश्य से बनाया गया है जिनमें, मुद्दई का दावा खारिज हो जाने की दशा में, उसको मुद्दई से अपना खर्चा वसूल करनेमें कठिनाईका सामना करना न पड़े(देखो 21 Cal 836)

आर्डर २५ में केवल ऐसी हालतों का वर्णन किया गया है जिनमें मुद्दाअलेह के खर्चों की निश्चत मुद्दई से जमानत तलब की गई हो। वकील सादधान को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि दूसरी भी बहुत सी हालतें ऐसी हैं जिनमें जायता दीवानीके अनुसार खर्चोंकी जमानत तलबकी जा सकती है, उदाहरणार्थ मुद्दईको दीवालिया हो जाना (देखो आर्डर २२), दस्तावेज काबिल रेहन व बयके ऊपर सरकारी मुकद्दमें (देखो आर्डर ४१, रूल ४), इजराकी कार्रवाई मुलतवी किये जाने पर जमानत (देखो आर्डर ४१ रूल ५), उस हालतमें जमानत जबकि उस डिकरीकी इजरा मुलववी कर दी गई हो, जिसके विरुद्ध अपील दायर की गई है (आर्डर ४१, रूल २), अपीलान्टसे जमानत (देखो आर्डर ४१, रूल १०), प्रिवी कांसिलमें अपील करने के लिए सर्टिफिकेट दिए जाने के ऊपर जमानत (देखो आर्डर ४५, रूल ७)

जमानत दाखिल न कर सकने की हालत में नालिश खारिज कर दी जायगी, लेकिन काफी वजह होने पर और मुद्दाअलेह को नोटिस दे दिए जाने के बाद नालिश की खारिजी का हुकम मंसूख किया जा सकता है (देखो आर्डर २५, रूल २)

रेफरेन्स, नजरसानी और निगरानी

Reference, Review and Revision



रेफरेन्स—जब किसी मुकद्दमा या अपील की समाप्त के वक्त या उसके पहिले जिसमें डिकरी की अपील नहीं होती है या जब ऐसी डिकरी की इजरा में कानून या ब्योहार सम्बन्धी कोई ऐसा प्रश्न पैदा हो जिसपर अदालत को उचित सन्देह हो तो अदालत को अधिकार है कि वह अपनी इच्छा से या किन्हीं दूसरे फरीकन की दरखास्त पर हाईकोर्ट में रेफरेन्स पेश कर दे (देखो जायता दीवानी का आर्डर ४६ रूल १)।

रेफरेन्स के सम्बन्ध का विस्तार जायता दीवानी के आर्डर ४६ के रूल २७ में बतलाया गया है।

जब किसी अदालतको इस बातमें सन्देह हो कि अमुक मुकद्दमें की समाप्त अदालत पूर्णता कर सकती है, तो वह उस मामले को हाईकोर्टके पैसेले

के लिए पेश कर सकती है (देखो आर्डर ४६ रूल ६) इस सम्बन्ध में, कि अपने किसी मातहत अदालत की कार्रवाई को निगरानी के लिए पेश करने का (जब कि ऐसी अदालत ने गलती से यह तय किया हो कि अमुक नाबिशफी समाप्त अदालत खफीफा के द्वारा होनी चाहिये या न होनी चाहिये) जिला की अदालत को क्या अधिकार है देखो आर्डर ४६ रूल ७।

नजरसानी—कोई भी ऐसा शख्स, जिसे —

(क) किसी ऐसी डिकरी या हुकम से, जिसकी अपील हो सकती है लेकिन जिसकी अपील दायर नहीं की गई है, या

(ख) किसी ऐसी डिकरी या हुकमसे जिसकी अपील नहीं हो सकती, या

(ग) किसी अदालत खफीफा के पेश किए हुये रेफरेंस पर दिये गये फैसले से जिसे दु रा पहुँचा हो, नीचे लिखी किसी भी बिनाके ऊपर उस फैसलेकी नजरसानी किये जाने के लिए दरख्वास्त दे सकता है—

१ किसी नई और आवश्यक बात या शहादतका मिल जाना जोउसे मुनासिब कोशिश करने के बाद उस समय जब कि डिकरी या हुकम दिया गया था, मालूम न हो सकी थी, जिसे वह उस समय पेश नहीं कर सका था, या

२ किसी ऐसी गलती या भूल के होजाने से जो मिसिल के देखने से साफ जाहिर होती हो, या

३ किसी दूसरी फाफ़ी घजह पर (देखो आर्डर ४७, रूल १) जब हाई कोर्ट के अलावा किसी अदालत ने कोई डिकरी या हुकम दिया हो।

(१) उपरोक्त पहली और दूसरी वजहके अतिरिक्त किसी दूसरी बिनाके ऊपर नजरसानी के लिए दीजाने वाली दरख्वास्त उस जज को दी जायगी जिसने वह डिकरी या हुकम दिया हो। यह दरख्वास्त उस जज को नहीं दीजा सकती जो उस पद पर उसका उत्तराधिकारी हो, लेकिन ऐसी किसी भी दरख्वास्त का फैसला उस जज का उत्तराधिकारी भी कर सकता है, जिसने कि डिकरी दी है अगर उस डिकरी देने वाले जजने आर्डर ४७ रूल ४ (२) (क) के अनुसार नोटिस जारी किए जाने का हुकम दे दिया है।

(२) पहली और दूसरी बिना अर्थात् किसीनई और आवश्यकबात या शहादत के मिल जाने अथवा लिखने या अंको की गलती या भूल पर जो कि डिकरी से साफ जाहिर होती हो, की जाने वाली नजरसानी की दरख्वास्त उस जज को, जिसने कि फैसला दिया था अथवा उस जजको, दी जासकती है जिसके पद पर उसका उत्तराधिकारी हुआ हो (देखो आर्डर ४७, रूल २)—नजरसानी की कोई भी दरख्वास्त उस समय तक मजूर न की जायगी जब तक कि दूसरे पक्ष को इसकी नोटिस न दे दी गई हो और जबतक कि नई बात या शहादत के मिलजाने के सम्बन्धम वहीगई बात ठीक ठीक साबित नहो जाय (देखो आर्डर ४७ रूल ४)।

दूसरी बातों सम्बन्धी जायतेके लिए देखो आर्डर ४७ रूल ५ से ९ तक। इलाहाबाद हाईकोर्ट में रूल १० और पेश किया गया है।

नजरसानी की दरखास्त में जायते की तीन अवस्थाएँ हैं। पहिली अवस्था में से दरखास्त आती है जो कि एकतरफ़ी है। अदालत को अधिकार है कि उसे या तो फ़ीरन् ख़ारिज कर दे या इस बात की वजह दिखलाने के लिए कोई रूल की मजूरी देदे, कि नजरसानी क्यों न मज़ूर की जायगी। दूसरी अवस्था में रूल या तो मज़ूर किया जायगा या ख़ारिज कर दिया जायगा। अगर रूल कतई फ़ारर दे दिया गया तो तीसरी अवस्था पहुँच जाती है। मुकद्दमे की दुबारा समा अत उसकी छपदाह के ऊपर की जायगी (देखो 30 B 56)

आर्डर ४७ रूल १ में दिए हुए " किसी दूसरी काफ़ी वजह पर " शब्दोंसे अदालतको और भी अधिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं और उसे इस बातका अवसर प्राप्त होजाता है कि वह मुनासिब और काफ़ी वजहों पर नजरसानी की इजाजत दे देवे, अगर न्याय के लिए ऐसी वजहें आवश्य हैं (देखो 2 C 31 P C, 33 C 1323; 9 A 36, 13 C 62)।

जुडीराल कमेटीने यह तय किया है कि "किसी दूसरी काफ़ी वजह" शब्दों का अर्थ ऐसी वजहें समझना चाहिए, जो पहिलेके क़ॉर्ज़में बतलाई गई हैं, देखो 26 C W N 697 P C इसलिये 'वजह' ऐसी होनी चाहिए जो उसके दो क़ॉर्ज़में बतलाई हुई अर्थात् (१) नई और आवश्यक बात या शहादतका मिल जाना, या (२) किसी ऐसी गलती या भूलका होना जो मिसिलसे साफ़ मालूम होती हो, की किस्ममें से हो, देखो 51 C 70

वकीलका गैर हाजिर होना काफ़ी वजह नहीं है, देखो 62 I C 253 । दरखास्त देने वालेकी लापरवाहीसे पैदा हुई गलती काफ़ी वजह नहीं है, देखो 44 I C 61

कुलपेञ्च या किसी ऊँची अदालत द्वारा किसी नए क़ानूनका निकलना नजरसानीके लिए काफ़ी वजह नहीं है देखो 6 A 292, 24 Cal 334 — जिस फ़ीरक़को एकतरफ़ी डिकरी से दु.व्य पहुँचा हो, वह फ़ैसलेकी नजरसानीकी दरखास्त दे सकता है, देखो 6 A 65, 20 W R 284, 20 B 281

आर्डर ४७ का रूल ८ यह बात बिल्कुल अदालतकी मर्जी पर छोड़ देता है कि, जब नजरसानीकी मजूरी दी जाय तो उस समय उस रूल मुकद्दमेके ऊपर नए खिरेसे विचार किया जाना चाहिए न कि उसके केवल एक हिस्सेके ऊपर (देखो 27 C L J 326)

नजरसानी की दरखास्तमें साफ़ साफ़ वे वजहें लिख दी जानी चाहिए जिनपर एतराज (उज़्र) है और उसके साथ उस हुकमकी एक नकल भी तथी होनी चाहिए जिसकी नजरसानी कराई जाने को है। उसके ऊपर अपीलकी तरह उस वकीलकी तस्दीक़ होनी चाहिए जो कि उसे पेश कर रहा है।

नजरसानीकी दरखास्त, आधा कोर्ट फ़ीस स्टाम्प देकर ९० दिनके भीतर (देखो क़ानून मियादका आर्टि० १७३) दी जानी चाहिए। अगर डिकरी या

हुकम अदालत खफ़ीफ़ा का है, तो मियादकी मुदत १५ दिन होगी, (देखो फ़ानून मियादका आर्टि० १६१)

नजरसानी की दरखास्तको खारिज करने वाले हुकम की अपील नहीं हो सकती, लेकिन जिस हुकमसे दरखास्त मज़ूर की गई है उस पर इस बिना पर उज़्रदारीकी जा सकती है कि घड (१) रूल २ के विरुद्ध है, या (२) रूल ४ के विरुद्ध या (३) उस समय, जब कि मियादकी मुदत गुजर चुकी थी, और बिना फ़ाफ़ी वजहके दरखास्त दी गई थी, [देखो आर्टि० ४७ रूल ७ और आर्टि० ४३ रूल १ (डब्ल्यू)]


अंशम पैरामी खारिज हुई नजरसानीकी दरखास्त फिर बहाल हो सकती है (देखो आर्टि० ४७ रूल ७)

निगरानी—निगरानीके सम्बन्धमें हाईकोर्टके क्या अधिकार हैं, इसके लिए देखो जायता दीवानीकी दफ़ा ११५—अदालत खफ़ीफ़ाकी डिक्क़रियाँ और उसके हुकमोंके सम्बन्धमें हाईकोर्टके अधिकार, प्रान्तीय अदालत खफ़ीफ़ा ऐक्टकी दफ़ाओं में बतलाए गए हैं।

जायता दीवानीकी दफ़ा ११५ के अनुसार की जाने वाली निगरानियोंमें हाईकोर्ट आम तौर पर बाक़ुपात सम्बन्धी फैसलेमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती है अगर शहादतसे उसका अच्छी तरह से समर्थन हो गया है, (देखो 20 C W N 1110, 34 L. C 527, 27 Bom 563)—अगर वह फैसला अनुमान की हुई बातोंके आधार पर दिया गया हो ज़िंका समर्थन नहीं हुआ है, तो वह उसमें हस्तक्षेप कर सकती है, देखो 14 A. L. J 890, 38 A. 690, 27 A. 531)

जिस हुकमसे अदालत खफ़ीफ़ाने नजरसानीकी दरखास्त बेजा तौर पर खारिज कर दिया हो, उसको नजरसानी हाईकोर्ट कर सकती है, (देखो 29 A. 468, 31 A. 610)

अपीलें और मुकद्दमोंकी वापसी



प्रारम्भिक डिक्क़रियोंकी अपीलें—हर एक ऐसी डिक्क़रीकी अपील, जो किसी प्रारम्भिक अधिकार रखने वाली अदालत द्वारा दी गई हो, उन अदालतमें की जा सकेंगी जिसे ऐसी अदालतके फैसले की अपील सुननेका अधिकार है।

पुस्तका प्रारम्भिक डिक्क़रीके रिज़लाफ़ भी अपील हो सकती है। उस डिक्क़रीकी अपील न हो सकेगी जिसे अदालतने फ़रीक़नकी रज़ामन्दी से दी हो, (देखो जयता दीवानीकी दफ़ा ९६)

कतई डिकरीके खिलाफ अपीलके सम्बन्धमें, जब कि प्रारम्भिक डिकरीके विरुद्ध अपील न की गई हो, देखो जायता दीवानीकी दफा ९७

हर एक अपील एक मेमोरैण्डम (याददाश्त अपील या मौजबात अपील) के रूपमें पेश की जायगी जिसपर अपीलाण्ट या उसके वकीलके हस्ताक्षर होंगे। इसके साथ उस डिकरीकी, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, और (जब तक कि अदालत अपील उसे अलग न कर दे) उस फैसलेकी एक चाजाबता नकल भी होनी चाहिए। इस मेमोरैण्डम (याददाश्त अपील) में, सक्षेपमें और अलग मद्दोंमें, बिना किसी दलील या विवरणके वे वजहें लिखी रहेंगी जिनके ऊपर डिकरीके सम्बन्धमें एतराज किया जाता है, और इन वजहोंका नम्बर सिलसिले वार होगा (देखो आर्डर ४१ रूल १)

अपीलमें कौनसी वजहें ली जा सकती हैं, इस सम्बन्धमें देखो आर्डर ४१ रूल २। याददाश्त अपील कब खारिज की जा सकती है, इस सम्बन्धमें देखो आर्डर ४१ रूल ३

कई एक मुद्दइयान या मुद्दाअलेहोंमें से एक ही शख्स फुल डिकरीको मसख़ू करा सकता है, जब तक कि उन सबकी बिना एक हो (देखो आर्डर ४१ रूल ४)

किसी डिकरी या हुक्मके सम्बन्धमें, जिसकी अपील की गई है, होने वाली कार्रवाई और इजराकी मुलतवीके सम्बन्धमें देखो आर्डर ४१ रूल ५ से ८ तक।

अपीलके मजूर कर लिए जाने पर, की जाने वाली कार्रवाईके सम्बन्धमें देखो आर्डर ४१ रूल ९ से १५ तक। बिना रेस्पान्डेण्टको नोटिस दिए हुए भी अपील खारिज की जा सकती है, (देखो आर्डर ४१ रूल ११)—समाप्तके वक्त के जावतेके सम्बन्धमें देखो आर्डर ४१ के रूल १६ से २९ तक।

अपीलमें दिए जाने वाले फैसलेके सम्बन्धमें देखो आर्डर ४१ के रूल ३० से ३४ तक। अपील में दी जाने वाली डिकरी के सम्बन्धमें देखो रूल ३५ से ३७ तक।

मुकद्दमोंको वापस कर देने के लिए अदालतके अधिकारके सम्बन्धमें देखो आर्डर ४१ रूल २३

विवरण—अपीलकी दरफ़्वास्त पेश करने वाले वकीलको चाहिए कि वह उस याददाश्त अपीलके नीचे इस बातकी तस्दीक कर दे कि उसने मुकद्दमोंके कागजात अच्छी तरहसे देख लिए हैं और यह कि उसकी रायमें अपील करने के लिए माकूल और काफी वजूहात हैं और यह कि वह इस बातका इकरार करता है कि वह अपीलकी समाप्तके वक्त हाजिर होकर उन वजूहातकी निश्चय पैरवी करेगा जो कि याददाश्त अपीलमें बतलाए गए हैं।

जो डिकरिया अदालत खफ़ीफाकी टी हुई हों उसकी अपील नहीं हो सकती। खास और उचित हालतोंमें प्रान्तीय अदालत खफ़ीफा ऐक्टके अनुसार हाईकोर्ट उनकी नज़रसानी कर सकती है।

स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्ट (कानून दादरखी खास) की दफा ९ के अनुसार दिया हुआ हुक्म भी कार्याल अपील नहीं है ।

अपील की तारीख यह तारीख है जिसको याददास्त अपील अदालत में दाखिल की गई हो, यह नहीं जिस तारीखको कमी कोर्ट फीस अदा किया गया हो। अपील पेश करने में देर होने और उसके मजूर करने सम्बन्धी अदालतके अगुयारातके लिये देसो कानून मियादकी दफा ५—नकल लेनेके लिये मुकर्रर मियादके सम्बन्धमें, देसो कानून मियादकी दफा १२—कई एक मुश्तरका अपीलार्थों या रेस्पॉण्डण्टोंमें से किसी एक के मर जाने से कुल अपील बन्द नहीं होजाती, (देखो आर्डर २२ रूल ११)

सिर्फ खर्च की बाबत दिये गये हुक्मके ही खिलाफ अपील न हो सकेगी जब तक कि उसमें कोई सिद्धान्त (असूल) की बात लिपी न हो, (देसो 28 Cal 567, 11 Cal 359, 34 Cal 878)

अदालत अपीलके अख्तयारात के सम्बन्धमें देखो जाबता दीवानीकी दफा १०७, आर्डर ४१ रूल २३, २५, २७, २८, २९, ३३ ।

मुफलिखाकी ओरसे की जाने वाली अपीलके सम्बन्धमें देसो आर्डर ४५ ।

यह तय हुआ है कि मुकद्दमा वापस करनेके सम्बन्धमें अदालत अपीलके अधिकार सिर्फ आर्डर ४१ रूल २३ में बतलाए हुये मुकद्दमा तक ही महदूद नहीं है, बल्कि अदालतको दफा १५१ में स्वीकृत अधिकाराके अनुसार मुकद्दमोंको वापस करनेका पूर्ण अधिकार है, देसो 44 C 929 F B, 45 C 94, 43 C 938, 46 C 738

दूसरी अपील—आर्डर ४१ के रूल, जहा तक सम्भव हो सकता है, उन अपीलोंके सम्बन्धमें लागू हंगे जो अदालत अपीलकी दीहुई डिफरियोंके विरुद्ध दायर की गई हो, (देखो आर्डर ४२ रूल १)

१ हर एक पेसी डिफरीकी अपील हाईकोर्टमें हो सकेगी जो उसकी मातहत किसी भी अदालतने नीचे लिपी किसी भी बिना पर अपीलमें दी हो, अर्थात्—

- (क) यह कि फैसला कानून अथवा किसी रिवाज के, जो कि कानून का असर रखता है, विरुद्ध है,
- (ख) यह कि फैसले में कानून अथवा रिवाज के, जो कानून का असर रखता है, किसी आवश्यक मदन का निर्णय नहीं किया गया है,
- (ग) यह कि जाबता दीवानी अथवा उस समय प्रचलित किसी दूसरे कानून के द्वारा, निश्चित जाबते में कोई भारी भूल या त्रुक्स होगया है, जिम्से सम्भव है कि रूपदाद के ऊपर उस मुकद्दमे के फैसले में भूल अथवा त्रुक्स हो जाय ।

२ अदालत अपील की फकतर्फी डिफरी की अपील हो सकेती है (देसो दफा १००)

सिवाय उन 'वज्रहात'के ऊपर जो 'क्ति जायता दीवानी की दफा १०० में पतलाई गई है, दूसरी अपील नहीं की जा सकती (देखो दफा १०१)

किसी भी ऐसे मुकद्दमें में, जिनकी समाप्त अदालत खफीफा में हो सकती है, दूसरी अपील न की जा सकेगी, जब कि प्रारम्भिक मुकद्दमेंके दावाकी रकम या मालियत पाच सो रुपये से अधिक न हो (देखो दफा १०२) ।

हुकमो की अपील—जायता दीवानी की दफा १०४ (१) के अनुसार, नीचे लिखे हुकमो की अपील हो सकेगी और, सिवाय उस दशा के जब कि जायता दीवानी में या उस समय प्रचलित किसी दूसरे कानून में इस सम्बन्ध में कोई खास व्यवस्था कर दी गई हो, किसी भी दूसरे हुकम की अपील न हो सकेगी.—

(क) वह हुकम जिससे पचायत का फैसला रद्द हो गया हो, जब कि अदालत द्वारा नियत किए गए समय के भीतर पचायत ने अपना फैसला पूरा न कर दिया हो।

(ख) वह हुकम जो किसी ऐसे पचायती फैसले में दिया गया हो जिसमें कोई मामला खास मामला (स्पेशल केस) करार दिया गया हो,

(ग) वह हुकम जिसमें किसी पचायती फैसले की टुक्की या उसमें कोई काट-छाट हुई हो;

(घ) वह हुकम जिसमें किसी मामले की पचायत में पेश करने सम्बन्धी इफ़रारनामा को मजूर या इन्कार किया गया हो,

(ङ) वह हुकम जिससे कोई मुकद्दमा मुलतवी कर दिया गया हो या उसके मुलतवी कर देने से इन्कार कर दी गई हो, जब कि उस मुकद्दमें की पचायत में दे दिए जाने का इफ़रारनामा हुआ हो,

(च) वह हुकम जिससे बिना अदालत के दखल के पचायत में दिए हुए फैसले को मजूर किया गया हो या मजूर करने से इन्कार किया गया हो,

(छ) जायता दीवानी की दफा ९५ के अनुसार दिया हुआ हुकम,

(ज) जायता दीवानी की किसी भी दफा के अनुसार दिया गया हुकम जिससे किसी पर सुर्माना किया गया हो या किसी शख्स की गिरफ्तारी या उसे दीवानी जेल में कैद रखने का हुकम दिया गया हो, सिवाय उस दशा में जब कि ऐसी गिरफ्तारी या कैद का हुकम किसी डिक्ली की इजरा में दिया गया हो.

(झ) कोई भी ऐसा हुकम जो इन क़लों के अनुसार दिया गया हो जिसके विरुद्ध अपील किए जाने की क़ला में खास व्यवस्था की गई हो ।

जायता दीवानी की दफा १०४ (२) के अनुसार अपील में दिए गए किसी भी हुकमकी अपील न हो सकेगी, देखो जायता दीवानीकी दफा १०४ (२)

जायता दीवानी की दफा १०४ के अनुसार नीचे लिखे हुए हुकमों की अपील हो सकेगी, अर्थात्—

(१) वह हुक्म जो आर्डर ७ के रूल १० के अनुसार दिया गया हो और जिसके जरिये मुनासिब अदालत में पेश किए जाने के लिए अर्जीदावा वापस कर दिया गया हो,

(२) हुक्म जो आर्डर ८ के रूल १० के अनुसार दिया गया हो और जिसमें किसी फरीक के खिलाफ फैसला दिया गया हो,

(३) वह हुक्म जो आर्डर ९ के रूल ९ के अनुसार दिया गया हो, और जिससे ऐसे मामले में, (जिसकी अपील हो सकती है) किसी मुकद्दमे के खारिज कर दिए जाने वाले हुक्म को मसूख कराने के लिए दी गई दरखास्त खारिज कर दी गई हो,

(४) वह हुक्म जो आर्डर ९ के रूल १३ के अनुसार दिया गया हो और जिससे (ऐसे मामले में जिसकी अपील हासिल होती है) एकतर्फी डिफेंडी की मसूखी का हुक्म जारी कराने के लिए दी गई दरखास्त खारिज कर दी गई हो,

(५) वह हुक्म जो आर्डर १० के रूल ४ के अनुसार दिया गया हो और जिससे किसी फरीक के खिलाफ फैसला दिया गया हो;

(६) आर्डर ११ के रूल २३ के अनुसार दिया हुआ हुक्म,

(७) जायदाद की छुर्की के लिए आर्डर १६, रूल १० के अनुसार दिया गया हुक्म;

(८) आर्डर १६, रूल २० के अनुसार दिया हुआ वह हुक्म जिससे किसी फरीक के खिलाफ फैसला दिया गया हो,

(९) वह हुक्म जो किसी दस्तावेज के या किसी तहरीर (Endorsement) के मसविदे के ऊपर की गई उज्जदारी के ऊपर आर्डर २१ रूल ३४ के अनुसार दिया गया हो,

(१०) किसी नीलाम को मसूख करने या मसूख करने से इन्कार करने के लिए आर्डर २१ के रूल ७२ या रूल ९२ के अनुसार दिया गया हुक्म,

(११) वह हुक्म जो आर्डर २२ के रूल ९ के अनुसार दिया गया हो और जिससे इजाजत दी गई हो या देने से इन्कार की गई हो,

(१२) किसी मुकद्दमे के स्यूत (बन्द होजाने) या उसकी खारिजी को मसूख करने से इन्कार करने के लिए आर्डर २२, रूल ९ के अनुसार दिया हुआ हुक्म;

(१३) किसी इकरारनामा, राजीनामा या कर्जे की चेवाकी (Satisfaction) को दर्ज कागजात करते हुए या दर्ज करने से इन्कार करते हुए, आर्डर २३, रूल ३ के अनुसार दिया हुआ हुक्म;

(१४) आर्डर २५ के रूल २ के अनुसार दिया गया हुक्म, जिससे (ऐसे मुकद्दमे में जिसमें अपील हो सकती है) किसी मुकद्दमे की खारिजी को मसूख करने के लिए दी गई दरखास्त नामचूर कर दी गई हो;

(१५) आर्डर ३४ के रूल ३ में रूल ८ के अनुसार दिया हुआ हुक्म जिससे रेहननामा के रुपये की अदायगी की मुद्दत बढ़ाने से इन्कार कर दी गई हो,

(१६) आर्डर ३५ के रूल ३, रूल ४, या रूल ६ के अनुसार तस्फिया की नालिशों में दिए हुए हुक्म,

(१७) आर्डर २८ के रूल २, ३ या ६ के अनुसार दिया हुआ हुक्म,

(१८) आर्डर ३९ के रूल १, २, ४ या रूल १० के अनुसार दिया हुआ हुक्म,

(१९) आर्डर ४० के रूल १ या रूल ४ के अनुसार दिया हुआ हुक्म।

(२०) आर्डर ४१, रूल १९ के अनुसार, किसी अपील को दुबारा लेने, या आर्डर ४१, रूल २३ के अनुसार दुबारा उसकी समाप्त करने से इन्कार करने के लिए दिया हुआ हुक्म;

(२१) आर्डर ४१, रूल २३ के अनुसार दिया हुआ हुक्म जिससे कोई मुकद्दमा वापस किया गया हो, जब कि अदालत अपील की डिक्री के विरुद्ध अपील हो सकती है,

(२२) वह हुक्म जो हाईकोर्ट के अलावा किसी दूसरी अदालत ने आर्डर ४५ के रूल ६ के अनुसार सर्गीफिकेट देने से इन्कार करने के लिए दिया हो,

(२३) आर्डर ४७, रूल ४ के अनुसार दिया हुआ हुक्म, जिससे नजरसानी की दरखास्त मजूर की गई हो (देखो आर्डर ४३, रूल १)

नोट—आर्डर ४१ के रूल, जहाँ तक सम्भव हो सकेगा, उन अपीलों के सम्बन्ध में लागू होंगे जो हुकों के विरुद्ध दायर की गई हैं (देखो आर्डर ४३, रूल २)

इलाहाबाद में आर्डर ४३ के साथ रूल ३ जोड़ दिया गया है।

न्यूनतापूरक कार्यवाही

Supplemental Proceedings

इस अभिप्राय से, कि न्याय को बाधा न पहुँचने पावे, अदालतको अधिकार है कि वह, अगर ऐसा विधान है तो,

(क) कन्व फौसला मुद्दाअलेह की गिरफ्तारी के लिए वारण्ट जारी कर दे,

(ख) उसको जायदाद फौसला होने के फौल्ल छुर्क करा ले,

(ग) थोड़े समय के लिये हुक्म इस्तनाई जारी कर दे,

(घ) रिसीवर नियुक्त कर दे;

(ङ) ऐसे दूसरे दरमियानी हुक्म दे देवे जो उचित और सुविधा जनक जान पड़े।

नोट— गाय में बाधा न पहुँचने देने के अभिप्राय से मुकद्दमें के दौआनमें हुकम देने सम्बन्धी अदालत के अधिकारों का संक्षिप्त वर्णन जायदादीनामी की दफा १५ में किया गया है।

पैसला के पहिले गिरफ्तारी—जब कि हलफनामा से या और किसी प्रकार अदालत को इतमीनान हा जाय कि—

(क) मुद्दाअलेह मुकद्दमें देर करने, उससे घचने या उसमें रुकावट डालने के इरादे से (१) कहीं भाग गया है या (२) भाग जाने वाला है या (३) अदालत के अधिकार क्षेत्र से अपनी जायदाद या उसका कोई हिस्सा हटा दिया है या अलग कर दिया है, या यह कि मुकद्दमें में रुकावट डालने या उसमें देर करने के इरादे से मुद्दाअलेह बृदिश भारत से बाहर चला जाने वाला है, तो वह मुद्दाअलेह की गिरफ्तारी के लिए वारण्ट जारी कर सकती है।

लेकिन शर्त यह है कि उस समय उसकी गिरफ्तारी न की जायगी, अगर वह वारण्ट की तामील करने वाले अफसर को इतनी रकम अदा करदे जो मुद्दई के दावा का मतालिया घेचाक कर देने के लिए काफी हो (देखो आर्डर ३८ रूल १)

फैसल के फुल फुर्ती—१—जब अदालत को हलफनामा से या और किसी तरह पर इतमीनान हाजावे कि किसी टिकरी की जो कि उसके ऊपर दीगई है, इजरामे रुकावट डालने या देर करने के लिये मुद्दाअलेह—

(क) अपनी कुल जायदाद या उसका कुछ हिस्सा अलग कर देने वाला है, या

(ग) उस कुल जायदाद या उसके कुछ हिस्से को अदालत के अधिकार-क्षेत्र की स्थानीय सीमा से बाहर हटा देने वाला है,

तो अदालत को अधिकार है कि वह मुद्दाअलेह को जमानत दाखिल करने का हुकम या इस बात का कारण दिखलाने के लिए हाजिर होने का हुकम दे कि वह जमानत क्यों नहीं दाखिल कर सकता।

२ 'मुद्दई को चाहिए कि वह उस जायदाद को, जो कि फुर्क विप जाने को है, और उसकी अन्दाजन कीमत भी बता दे।

३ अदालत को यह भी अधिकार है कि वह, अपने उम हुकम में इस तरह बतलाई हुई कुल जायदाद या उसके किसी हिस्से की, कुछ शर्तों के साथ, फुर्की न हुकम दे दे (देखो आर्डर ३८, रूल ५)—विस्तृत जायदाद के सम्बन्ध में देखो रूल ६ से ९ तक।

फमले के कब्ज (पहिले) की हुई फुर्ती से बाहरी आदमियों के उन हक पर कोई अमर न पड़ेगा जो इन फुर्तों के पहिले के हैं और न इससे जिसा टिकरीदार को नीलाम के लिए दरखास्त देने की रुकावट हा सजेगी (देखो आर्डर ३८, रूल १०)

पैसले के फुल (पहिले) फुर्क की हुई जायदाद टिकरी की इजरामे फिर दुबारा फुर्क न की जायगी (देखो आर्डर ३८ रूल ११)—शर्तों की पैदा

(१५) आर्डर ३४ के रूल ३ में रूल ८ के अनुसार दिया हुआ हुक्म जिससे रेहननामा के रुपये की अदायगी की मुहलत बढ़ाने से इन्कार कर दी गई हो,

(१६) आर्डर ३५ के रूल ३, रूल ४, या रूल ६ के अनुसार तस्फिया की नालिशों में दिए हुए हुक्म,

(१७) आर्डर ३८ के रूल २, ३ या ६ के अनुसार दिया हुआ हुक्म,

(१८) आर्डर ३९ के रूल १, २, ४ या रूल १० के अनुसार दिया हुआ हुक्म,

(१९) आर्डर ४० के रूल १ या रूल ४ के अनुसार दिया हुआ हुक्म;

(२०) आर्डर ४१, रूल १९ के अनुसार, किसी अपील को दुबारा लेने, या आर्डर ४१, रूल २३ के अनुसार दुबारा उसकी समाप्त करने से इन्कार करने के लिए दिया हुआ हुक्म;

(२१) आर्डर ४१, रूल २३ के अनुसार दिया हुआ हुक्म जिससे कोई मुकद्दमा वापस किया गया हो, जब कि अदालत अपील की डिक्री के निरुद्ध अपील हो सकती है,

(२२) वह हुक्म जो हाईकोर्ट के अलावा किसी दूसरी अदालत ने आर्डर ४५ के रूल ६ के अनुसार सर्टाफिकेट देने से इन्कार करने के लिए दिया हो,

(२३) आर्डर ४७, रूल ४ के अनुसार दिया हुआ हुक्म, जिससे नजरसानी की दरखवास्त मजूर की गई हो (देखो आर्डर ४३, रूल १)

नोट—आर्डर ४१ के रूल, जहां तक सम्भव हो सकेगा, उन अपीलों के सम्बन्ध में लागू होंगे जो हुक्मों के निरुद्ध दायर की गई हैं (देखो आर्डर ४३, रूल २)

इलाहाबाद में आर्डर ४३ के साथ रूल ३ जोड़ दिया गया है ।

न्यूनतापूरक कार्यवाही

Supplemental Proceedings

इस अभिप्राय से, कि न्याय को बाधा न पहुंचने पावे, अदालतको अधिकार है कि वह, अगर ऐसा विधान है तो,

(क) कबल फैसला मुद्दाअलेह की गिरफ्तारी के लिए चारण्ट जारी कर दे,

(ख) उसको जायदाद फैसला होने के कबल छुर्क करा ले,

(ग) थोड़े समय के लिये हुक्म इम्तनाई जारी कर दे,

(घ) रिसीवर नियुक्त कर दे ;

(ङ) ऐसे दूसरे दरमियानी हुक्म दे देवे जो उचित और सुविधा जनक जान पड़े ।

नोट—यामें बाधा न पहुँचने देने के अभिप्राय से मुकद्दमे के दौरानमें हुकम देने सम्बन्धी अदालत के अधिकारों का सक्षिप्त वर्णन जायदादी वारान्तों की दफा १५ में किया गया है।

फैसला के पहिले गिरफ्तारी—जब कि हलफनामा से या और किसी प्रकार अदालत को इतमीनान हो जाय कि—

(क) मुद्दाअलेह मुकद्दमेमें देर करने, उससे घचने या उसमें रुकावट डालने के इरादे से (१) कही भाग गया है या (२) भाग जाने वाला है या (३) अदालत के अधिकार क्षेत्र से अपनी जायदाद या उसका कोई हिस्सा हटा दिया है या अलग कर दिया है या यह कि मुकद्दमे में रुकावट डालने या उसमें देर करने के इरादे से मुद्दाअलेह ब्रिटिश भारत से बाहर चला जाने वाला है, तो वह मुद्दाअलेह की गिरफ्तारी के लिए वारण्ट जारी कर सकती है।

लेकिन शर्त यह है कि उस समय उसकी गिरफ्तारी न की जायगी, अगर वह वारण्ट की तामील करने वाले अफसर को इतनी रकम अदा करदे जो मुद्दई के दावा का मतालिका घेवाक कर देने के लिए काफी हो (देखो आर्डर ३८ रूल १)

फैसले के कबल कुर्की—१—जब अदालत को हलफनामा से या और किसी तरह पर इतमीनान हाजावे कि किसी टिकरी की जो कि उसके ऊपर दी गई है, इजरामे रुकावट डालने या देर करने के लिये मुद्दाअलेह—

(क) अपनी कुल जायदाद या उसके कुछ हिस्सा अलग कर देने वाला है, या

(ख) उस कुल जायदाद या उसके कुछ हिस्से को अदालत के अधिकार क्षेत्र की स्वामीय सीमा से बाहर हटा देने वाला है,

तो अदालत को अधिकार है कि वह मुद्दाअलेह को जमानत दाखिल करने का हुकम या इस बात का कारण दिखलाने के लिए हाजिर होने का हुकम दे कि वह जमानत क्यों नहीं दाखिल कर सकता।

२ मुद्दई को चाहिए कि वह उस जायदाद को, जो कि कुर्की किए जाने को है, और उसकी अन्दाजा कीमत भी बता दे।

३ अदालत को यह भी अधिकार है कि वह, अपने उस हुकम में इस तरह बतलाई हुई कुछ जायदाद या उसके किसी हिस्से की, कुछ शर्तों के साथ, कुर्की का हुकम दे दे (देखो आर्डर ३८, रूल ५)—विस्तृत जायदाद के सम्बन्ध में देखो रूल ६ से ९ तक।

फसले के कबल (पहिले) की हुई कुर्की से बाहरी आदमियों के उन हक पर कोई अफसर न पड़ेगा जो इन कुर्की के पहिले के हैं और न इनसे किसी टिकरीदार को नीलाम के लिए दरख्वास्त देने की रुकावट हो सकेगी (देखो आर्डर ३८, रूल १०)

फैसले के कबल (पहिले) कुर्की की हुई जायदाद टिकरी की इजरामे फिर दुबारा कुर्की न की जायगी (देखो आर्डर ३८ रूल ११)—रायती की पैदा

वार, जो कि किसी किसान के कब्जे में है, फैसले के पहिले कुर्क नही की जा सकती (देखो आर्डर ३८, रूल १२) ।

अदालत को इस बात का, पूरा पूरा इतमीनान हो, जाना चाहिए कि वास्तव में मुद्दाअलेह रुकावट डालने या देर करने के इरादे से जायदाद को अलग कर देने वाला है (देखो 13 C L R 356, 44 I C 240, 73 I. C 721)—सिर्फ योही कह देना कि मुद्दाअलेह अपनी जायदाद हटा देना चाहता है, काफी न होगा (देखो 29 Bom. L R 1228)—अदालत को इतमीनान, कराने के लिए मुद्दई के पास काफी सबूत होना चाहिए (देखो 44 I C 240)

जो मुद्दई किसी रैहननामा की बाबत की गई नालिश में इस बिना परें, कि जायदाद मरहूना जमानत के लिए काफी नहीं है, मुद्दाअलेह की दूसरी जायदाद कुर्क करवाना चाहता हो, उसे फैसले के कब्ज कुर्की कराने का हक है (देखो 46 C 245)

आर्डर ३८ रूल ६ के अनुसार कुछ शर्तों के साथ कुर्की का हुक्म उस समय तक न दिया जाय जब तक कि मुद्दाअलेह या तो इस बात की वजह न दिखला सका हो कि उसे क्यों न जमानत दाखिल करनी चाहिए या जमानत न दाखिल कर सका हो । आर्डर ५ (३) के अनुसार शर्तिया हुक्म उस समय तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि उसके साथ क्लिज (१) के अनुसार एक और हुक्म भी न दिया जाय जिसमें जमानत दाखिल करने या वजह जाहिर करने की हिदायत की गई हो (देखो 57 I. C 907)

फैसले के कब्ज कुर्क की हुई जायदाद मनकूला मुकदमें की समाप्त किए जाने के पहिले नीलाम की जा सकती है (देखो आर्डर ३९, रूल ६)

प्रान्तीय अदालत खफीफा को फैसले के कब्ज जायदाद गैर-मनकूला की कुर्की का हुक्म देने का अधिकार है जो फैसले के कब्ज कुर्की कराने के अधिकार से विल्कुल भिन्न है, देखो 28 C W N 1056 F B, 82 I C 109

हुक्म इम्तनाई—अदालत अस्थाई (कुछ समय के लिए) हुक्म इम्तनाई जारी कर सकती है, अगर हेंदफनामा या और किसी तरह से यह बात साबित हो जाय कि (अ) जायदाद के जिनकी निस्वत झगडा है, मुकदमें के किसी दूसरे फरीक द्वारा नष्ट कर दिए जाने, नुकसान कर डाले जाने या मुन्तकिल कर दिए जाने, अथवा किसी बिकरी की इजरा में बेजा तौर पर नीलाम कर दिए जाने का भय है या (ब) यह कि अपने महाजनों को घोषा देने की नीयत से मुद्दाअलेह अपनी जायदाद को हटा देने या उसे अलग कर देने या बँच डालने की धमकी देता है या ऐसा करने का इरादा करता है (देखो आर्डर ३९, रूल १)

शिक्स्त मुआहिदा (मुआहिदे का तोड़ देना)—को जारी रखने या उसे दोहराए जाने की रोकने के लिए हुक्म इम्तनाई जारी करनेके सम्बन्धमें देखो आर्डर ३

३९, छल २। सभी दशाओं में मुखाधिक फरीक (विरोधी पक्ष) को दी जाने वाली नोटिस हुकम इम्तनाई जारी करने के पहिले जारी की जानी चाहिए, सिवाय उस दशा में जब कि देर करने से उद्देश्य में बाधा पडती हो (देखो आर्डर ३९, छल ३)—किसी भी ऐसे फरीक के दरखास्त देने पर, जो इस हुकमसे असन्तुष्ट है, हुकम इम्तनाई खारिज कर दिया जायगा, बदल दिया जायगा या रद्द कर दिया जायगा (देखो आर्डर ३९, छल ४)। क्लॉपोरेशन के नाम हुकम इम्तनाई जारी करने के सम्बन्ध में देखो आर्डर ३९, छल ५।

हुकम इम्तनाई दो प्रकार के होते हैं। एक तो अस्थायी (आरिजी) और दूसरा सार्वकालिक (दवामी)। अस्थायी (आरिजी) हुकम इम्तनाई का उद्देश्य यह है कि जिस जायदाद की निश्चत झगडा है वह मुकद्दमे के दौरान में नष्ट न कर दी जाय या इस तरह एराब न कर दी जायकि फिर वह दुखस्त न की जा सके, या मुतकिल न कर दी जाय। उसूल यह है कि जब तक फरीक के दक्कू का तस्फिया न होजाय तब तक यह जायदाद ज्यों की त्यों अपनी असली हालत में बनी रहे। अस्थायी हुकम इम्तनाई आर्डर ३९ के छल १ और २ के नियमानुसार दिया जाता है और यह मुकद्दमे के दौरान में किसी भी समय दरखास्त देने पर दिया जा सकता है। सार्वकालिक (दवामी) हुकम इम्तनाई स्पेसिफिक रिलीफ पेक्ट (कानून दादरसी खाल) की दफा ५४—५७ के नियमानुसार दिया जाता है। ऐसा हुकम सिर्फ एक डिकरी के जरिये दिया जा सकता है जो मुकद्दमे के खयाद के ऊपर समागत के वक्त दी गई हो। हुकम इम्तनाई ताकीदी के सम्बन्ध में देखो स्पेसिफिक रिलीफ पेक्ट की दफा ५५।

हुकम इम्तनाई जारी करने या जारी करनेसे इन्कार कर देने के सम्बन्ध में अदालतका जो अधिकार है, यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। अस्थाई हुकम इम्तनाई जारी करके पहिले यह बात अच्छी तरहसे साधित होजानी चाहिए कि जबतक एक हुकम इम्तनाई के जरिये मुद्दाबलेह फीरन् रोक न दिया जायगा, मुकद्दमे के दौरान में जायदाद को ऐसा मुकसान पहुंच जायगा जो फिर कभी पूरा न किया जा सकेगा। अदालत पहिले यह देखेगी कि फरीक के बीच वास्तविक झगडा है और फिर यह कि मुकद्दमा जीतने पर जिस शरूस को घाटा रहेगा, अगर हुकम इम्तनाई जारी न किया गया, किन्तु यह इसबात का ध्यान हमेशा रखेगी कि जायदाद गैर मनकूला अपनी ज्योंकी त्यों हालत में बनी रहे। अस्थाई हुकम इम्तनाई के सम्बन्ध में कौन कौन से नियम लागू होते हैं, इसके लिए देखो 16 C L J 555, 10 C W N 173, 8 C W N 151, 23 M L J 316, 17 C L J 429, 21 C L J 462, 26 M 174, 43 I C 24, 1 Pat L J 560, 21 C L J 461, 46 C 10001 और 23 C W N 677

किसी ऐसे शरूस के नाम हुकम इम्तनाई जारी नहीं किया जा सकता है जो कि उस मुकद्दमे में फरीक नहीं है, देखो 3 Pat L J 456, 44 I C 496, 51 I C 108

अस्थायी (आरिजी) हुकम इम्तनाई के जारी कर देने से उस जायदाद के बादा में की गई मुत्तकिली बेजायता और नाजायज न होगी । हुकम उद्दलीके लि दण्ड की व्यवस्था आर्डर ३९ रूल २ (३) में की गई है (देखो 9 A. 497, 25 A. 481)—कुर्की की हुई जायदाद की मुत्तकिली का असर दूसरा है, क्योंकि दफ ६४ के अनुसार उन दावों के सामने, जो उस कुर्की के सम्बन्ध में किये गए हैं ऐसी मुत्तकिली नाजायज है ।

दण्ड की व्यवस्था सिर्फ उसी किस्म के मुकद्दमों के सम्बन्ध में नहीं की गई है जिनका वर्णन आर्डर ३९, रूल २ में है । आर्डर ३९ दफा ९४ के साथ पढ़ जाना चाहिये । किसी काम के करने या न करने के लिए दिए गए हुकम की अद्दली करने के सम्बन्ध में आर्डर ३९ रूल २ (ए) लागू होता है, देखो 44 L. C. 56 (M) ।

आर्डर ३९ रूल २ में किसी मुआहिदेको तोड़े जानेसे रोकनेके लिए अस्थायी हुकम इम्तनाई जारी किए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है । शिकस्त मुआहिदा को रोकने के लिए सर्व-कालिक (द्वामी) हुकम इम्तनाई स्पेशिफिक रिटिफ ऐक्ट (कानून दादरसी खास) की दफा ५६ (एफ) और दफा ५७ के नियमानुसार दिया जा सकता है ।

38 B 381 में जस्टिस बीमैन ने इस बात पर संन्देह किया कि, क्या मुफ्त्सिलकी अदालतको अस्थायी (आरिजी) हुकम इम्तनाई ताकीदी भी करनेका अधिकार है? 41 M 238 में इस फैसले का अनुकरण न कर यह तय किया गया कि स्पेशिफिक रिटिफ ऐक्ट की दफा ५३ में अस्थायी हुकम इम्तनाई का जो वर्णन किया गया है, उसमें ताकीदी हुकम इम्तनाई (Mandatory Injunction) निकाल नहीं दिया गया है, देखो 41 C 436, 28 I C 121.

इजरा और नीलाम की मुत्तकिली के लिए जारी किये गये हुकम इम्तनाई के सम्बन्ध में देखो 33 A. 79 F B, 10 A 89, 16 C L J 555, 23 M L J 316, 17 C W N 964

जब मुद्दा और मुद्दाअलेहे उन जायदादों के मालिक हैं जो एक दूसरे से मिली हुई हैं और मुद्दाअलेहों को जायता दीयानी की दफा १४४ के अनुसार मुद्दाइयान के खिलाफ हुकम मिल गया हो, तो वे एलान और मुद्दाअलेहे को रोकने का हुकम इम्तनाई जारी करने के लिए तालिश कर सकते हैं और इसमें दफा १४४ के अनुसार दिया हुआ हुकम कोई रुकावट न डाल सकेगा । दफा १४४ के अनुसार दिया हुआ हुकम स्पष्ट एलान और हुकम इम्तनाई के लिए दावा की बिना पैदा करता है, देखो 68 I C. 180; 42 M. L J 179.

हुकम इम्तनाई जारी करने या उसे जारी करने से इन्कार करने वाले हुकम की आर्डर ४३, रूल १ (और) के अनुसार अपील हो सकती है, देखो 35 A. 425; 27 I. C. 131; 17 C. W N 996—किसी हुकम इम्तनाई की अद्दली

करने के लिए आर्डर ३९, रूल २ (१) के अनुसार फार्वार्ड करने से इन्कार करने वाले हुक्म की अपील हो सकती है, देखो 39 M 907 F B.

हुक्म इन्तनाई की डिकरी की इजरा के फार्म के तरीके के सम्बन्ध में देखो आर्डर ३९, रूल ३२।

अस्थायी हुक्म इन्तनाई के फार्म के सम्बन्ध में देखो जायदादीवानी का ज़मीना (पक्ष), फार्म न० ८।

रिखीवर की नियुक्ति—किसी मुकदमें के सही साबित हो जाने पर अदादत को अधिकार है कि वह—

(क) डिकरी के पहिले या बाद में किसी जायदाद का रिखीवर मुकदमें कर दे।

(ख) किसी भी ऐसे शकस को भलग करवे जिसके कब्जे या डिफाजत में वह जायदाद है।

(ग) उस जायदाद को उस रिखीवर के कब्जे, डिफाजत या प्रबन्ध में दे दे, और

(घ) उस रिखीवर को नालिश दायर करने या रूतकी निश्चत जगह देदी करने, जायदाद का प्रबंध (इन्तजाम) करने, उसकी रक्षा और उन्नति (तरक्की) करने, लगान घसूल करने इत्यादि का अधिकार दे दे (देखो आर्डर ४०, रूल १)।

रिखीवर के मुआयिजा, उसके अधिकारों (हकूक), कर्तव्य इत्यादि के सम्बन्ध में देखो आर्डर ४०, रूल २—५.

रिखीवर नियुक्त (मुकदमें) करने के अधिकार का उपयोग करना अदादत की इच्छापर है। रिखीवर नियुक्त करने सम्बन्धी शर्तें घदी हैं जो अस्थायी हुक्म इन्तनाई जारी करने के लिए आवश्यक हैं। यह आवश्यक है कि मामले की हर एक बात प्रकट कर दी जाय और अदादत को इस बात का विद्वान होजाय कि रिखीवर का नियुक्त किया जाता उचित और उपयुक्त है। अदादत उस समय रिखीवर नियुक्त न करेगी जब कि जायदाद की निश्चत हक का दावा किया गया हो जो उस समय किसी मुद्दाअलेह के कब्जे में है जो एक फ़ानूनी हकीमत के अनुसार उसके कब्जे का दावेदार है (देखो 15 C 818; 22 C 459, 43 I C, 550; 45 I, C 224, 18 C W N 537, 32 C 741, 5 C W N 362, 11 C 496 30 C L J 231)—सिर्फ यह बात कि जायदाद की बाबत झगडा है (देखो 55 I C 827) या यह कि रिखीवर की नियुक्ति से कोई हानि नदी है (देखो 5 C 556) कोई हर्ज नदी है। उस मामले में, जिसमें अस्थायी (आरिज़ी) हुक्म इन्तनाई जारी किया जा सकता है, और उस मामले में, जिसमें रिखीवर नियुक्त (मुकदमें) किया जा सकता है, क्या अन्तर है इसके लिए देखो 22 C 459, 53 I C 760, 21 M L J 821; 45 I C 221

२—किसी मुकद्दमा या जालिश के फ़रीक़ेन, इनके वकील, मुहत्तार, रेव्यन्पू एजेण्ट, मुहत्तार मज़ाज और मराहिलो सम्मन की तामीली पर हाजिर हुए हो, जब कि वे अदालत को जा रहे हों या किसी ऐसे मामले के सम्बन्ध में, जो कि किसी ऐसे मजिस्ट्रेट के सामने चल रहा है जिस मजिस्ट्रेट को उसकी समाप्त करने का अधिकार है, या जिसके लिए यह विश्वास है कि उसे उसकी समाप्त करने का अधिकार है, इजलास में हाजिर हों, और जब कि वह ऐसी अदालत से वापस आ रहा हो, सिवाय उस दशा के जब कि उसपर अदालत की मानहानि करने के अभियोग से सम्मन जारी किया गया हो।

३—जब कोई मदिपून डिफ़री इस बात की वजह जाहिर करने के लिए हाजिर हुआ हो कि वह डिफ़री की इजरा में क़ुर्रों जेफ़ म न भेजा जाय, या जब डिफ़री की फौरन इजरा का हुकम दिया गया हो तो वह माफ़ी के लिए दावा नहीं कर सकता, (देखो ज़ावता दीवानी की दफ़ा १३५) ।

४—दफ़ा ५६ के अनुसार कोई स्त्री (औरत) किसी रुपये की डिफ़री की इजरा में गिरफ़्तार नहीं की जा सकती ।

यह माफ़ी सिर्फ़ दीवानी सम्मन के जरिये की जाने वाली गिरफ़्तारी से की गई है । इसलिए जो फ़रीक़ या गवाह अदालत में किसी मुकद्दमों के सम्बन्ध में हाजिर हुआ हो, वह फौजदारी अदालत द्वारा जारी किए गए सम्मन के अनुसार गिरफ़्तार किया जा सकेगा । 'वापस आ रहा हो' का अर्थ है घर या अपने रहने की जगह वापस आ रहा हो । इसलिए अगर कोई मदिपून डिफ़री अदालत से सीधा घर के लिए रवाना नहीं होता बल्कि किसी दूसरे स्थान की ओर चल देता है, तो वह गिरफ़्तार किए जाने से माफ़ नहीं किया जा सकता (देखो 32 A, 3 P 6 जिसमें 4 M 317 में दिया हुआ फैसला स्वीकार नहीं किया गया)

ज़ावता-दीवानी की दफ़ा १३५, आर्डर ३८, कल ३६ के अनुसार हुए जमानतदार के सम्बन्ध में लागू नहीं होती, देखो 53 I, O, 367

। अदालत के अधिकार क्षेत्र के बाहर की जाने वाली कुर्की या गिरफ़्तारी—जब ज़ावता दीवानी की किसी दफ़ा के अनुसार, जिसका डिफ़रियो की इजरा से कोई सम्बन्ध नहीं है, किसी शख्स की गिरफ़्तारी या किसी जायदादकी कुर्की के लिए दरख़वास्त दी गई हो और ऐसा शख्स उस अदालत के स्थानीय अधिकार क्षेत्र के बाहर रहता है या ऐसी जायदाद उस अधिकार क्षेत्र के बाहर बाक़ है, तो उसे अधिकार है कि वह गिरफ़्तारी का चारण्ट निकाल दे या कुर्की का हुकम दे दे और उस जिला की अदालत को उस चारण्ट या हुकम की एक नक़ल भेज दे जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर ऐसा शख्स रहता है या ऐसी जायदाद बाक़ है (देखो ज़ावता दीवानी की दफ़ा १३६) —जबते के विस्तार के सम्बन्ध में देखो दफ़ा १३५ (२), (३) (४) ।

हुकूम और गारंटि लिखित हों—जायता दीवानी की दफा १४२ में यह व्यवस्था की गई है कि वे तमाम हुकूम और नोटिस, जो जायता दीवानी के अनुसार किसी शर्त पर तामील किए गए हों या दिए गए हों, लिखित होने चाहिए।

सम्मान, जारी करने वाले शर्त के तहत से तामील किए जायते—वे तमाम सम्मान, जो जायता दीवानी के अनुसार जारी किए गए हों, उस शर्त के तहत से तामील किए जायते जिसकी और से वे जारी किए गए हैं, खिवाय उस दशा के जब अदालत इसके भिन्न कोई हुकूम दे [देखो आर्ट ४८, रूल १ (१)]

तामील का खर्चा—सम्मान की तामीली के लिए कोर्ट फीस एक नियत समय के भीतर और सम्मान जारी किए जाने के पहिले अदा कर दिया जाना चाहिए [देखो आर्ट ४८, रूल १ (२)]

पोस्टेज—जब कोई नोटिस, सम्मान या चिट्ठी डाक द्वारा भेजी जाने को हो, तो पोस्टेज और रजिस्ट्री की फीस एक नियत समय के भीतर और उस नोटिस, सम्मान या चिट्ठी के डाक में डाले जाने के पहिले, अदा कर दिए जाने चाहिए (देखो जायता दीवानी की दफा १४३) ।

समय बढ़ाने के सम्बन्ध में अदालतों का अधिकार—जब किसी ऐसे काम के करने के लिए, जिसके लिए जायता दीवानी में व्यवस्था या आज्ञा की गई है, कोई समय नियत किया गया या दिया गया हो, तो अदालत को ऐसे समय के बढ़ाने का अधिकार है [देखो जायता दीवानी की दफा १४८]

जब किसी डिक्री में यह शर्त लगा दी गई हो कि, अगर किसी नियत समय के भीतर रुपया अदा न कर दिया जायगा तो नालिश खारिज समझी जायगी, तो ऐसी दशा में समय बढ़ाया नहीं जा सकता। सिर्फ़ रूहन सम्बन्धी डिक्री में, जो आर्ट ३४ के अनुसार दी गई हो, यह नियम लागू नहीं होता, देखो 40 A 579

कमी कोर्ट फीस को पूरा करनेके सम्बन्धमें अदालतोंका अधिकार—जायता दीवानी की दफा १४९ अदालत को यह अधिकार देती है कि वह किसी भी समय किसी फरीक को उस कोर्ट फीस की कमीको पूरा करनेकी इजाजत देदेवे जो अर्जोवाया, याददास्त अपील, किसी फैसलेकी नजरखानी के लिये दी गई दरखवास्त इत्यादि के ऊपर लगाया जाना चाहिये, और उस कमीकी अदायगी होजानेपर वह कामज, जिसकी बाबत यह कोर्ट फीस अदा किया जाना है, वही मजबूती और असर रखेगा, मानो वह फीस पहिले ही अदा कर दी गई थी ।

कैमला, टिपरियों और हुकूमों का सशोधन—जायता दीवानी की दफा १५२ के अनुसार अदालत को अधिकार है कि वह किसी भी समय किसी फैसले, डिक्री या हुकूम का (उसके तैयार होजाने और उसपर दस्तखत होजाने के बाद भी) सशोधन कर दे, जब कोई लिखने या अर्कों की भूल या सयोगवश गलत कलम चला जाने या कोई बात छूट जाने से कोई भ्रष्टि हो गई हो ।

संशोधन करने के सम्बन्ध में अदालतों के साधारण अधिकार—जायता दीवानी की दफा १५३ अदालत को यह आम अधिकार देती है कि वह किसी मुकद्दम में होने वाली किसी कार्रवाई में हुई किसी भूल या त्रुटि को दुरुस्त करदे और उस प्रश्न को तय करने के लिये, जो उस मुकद्दम में फरीफोन के बीच पैदा हुआ है, सभी आवश्यक संशोधन कर दे।

अदालतोंके परम्परा से प्राप्त अधिकार—अदालतको यह परम्परागत अधिकार प्राप्त है कि वह ऐसे हुकम दे सके जो न्याय के लिए आवश्यक हों अथवा जो अदालत की आजा उल्लघन किए जानेसे रोक सके।


अदालत के इस अधिकार की रक्षा एवं स्वीकृति समू १९०८ ई० के जायता दीवानी में दफा १५१ जोड़ देने से की गई है (देखो 33 C 927; 20 C L J. 433, 19 C W N 84; 48 C 481 P C)।

दफा १५१ अथवा १५२ के अनुसार दी जाने वाली दरखास्त के लिए मियाद की कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं है, देखो 60 I. C. 368; 80-I C. 55

भाग २

ज़मीना और रूल

बम्बई हाईकोर्ट के रूलस



ज़मीना नं० १—जाबता दीवानीकी दफ्ता १२२ के अनुसार बम्बई हाईकोर्ट द्वारा तैयार किये गए रूल

आर्डर ३ रूल २ (ए)

का इस प्रकार सशोधन किया गया —

“वे लोग जिनको फ़ील्डकी आरसे, जो अदालतके अधिकार-क्षेत्रकी उस स्थानीय सीमाके भीतर रहने वाले नहीं हैं जिस सीमाके भीतर हाजिरी दी गई है, दरखास्त दी गई अथवा काय किया गया है, उनकी ओरसे इस प्रकार हाजिरी देने, दरखास्त देने या काय करने का अधिकार देते हुए आम मुहत्तारनाम दिष्ट किये हैं।”

आर्डर ५ रूल २२

म नीचे लिखी शर्त जोड़ दी जानी चाहिये—

“लेकिन शर्त यह है कि जब ऐसा कोई सम्मन बम्बई नगरकी सीमाके भीतर तामील किये जाने को हो, तो उस पर मुद्दाभलेदका ऐसी सीमाके भीतरके उस स्थानका पता लिखा जायगा जहापर कि वह रहता है, और वह सम्मन अदालत द्वारा उसके पास रजिस्ट्री डाकसे भेजा जायगा जिसके साथ रसादका फार्म (Acknowledgement) लगी रहेगा। जिस रसीदके उपर मुद्दाभलेदके दस्त खत हां या पोस्टमैन (डाकिया) की आरसे यह लिखा गया है कि मुद्दाभलेदने सम्मन होने से इन्कार की, वह उस अदालत द्वारा, जिसने कि सम्मन जारी किया हो, नोटिसकी तामीलका प्रत्यक्ष प्रमाण समझा जायगा। और दूसरी हालतमें अदालत जैसी उचित समझेगी जान करेगी और यातो यह घोषणा कर देगी कि सम्मन बाकायदा तामील हो गया है या जैसी उसकी रायमें आवश्यक हो भागे और तामिलीका हुसम दे देगी।”

(बालाघाला) सम्मन जारी करना उचित समझती हो, सम्मन जारी करनेके साथसाथ उसकी एक नोटिस उस दफ्तरके अधिकारी के पास भेज देनी चाहिए जिसमें वह शर्त नौकर है, ताकि ऐसे शर्तके कामके सम्बन्धमें कोई प्रबन्ध किया जा सके।

विवरण—अगर अदालत किसी कानून गो या पटचारीके नाम सम्मन जारी करनेकी आवश्यकता समझती हो, तो उसे उस जिलेके कलक्टरको इसकी सूचना देनी होगी और अगर किसी सच-रजिस्ट्रारके नाम सम्मन जारी करेगी, तो उसे उस डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारको इसकी सूचना देनी होगी जिसके मातहत वह सच रजिस्ट्रार है।

आर्डर ५ रूल ३०

नीचे लिखा हुआ रूल ३१ जोड़ दिया जाना चाहिए—

“रूल ३१—किसी फरीक या गवाहके नाम सम्मन जारी किए जानेके लिए दरखास्त ऐसे नमूनेकी होनी चाहिए जो इस कामके लिए नियत है। अदालत को और किसी तरहके नमूने की दरखास्त न लेनी चाहिए।”

आर्डर ७

इस आर्डरमें ये नीचे लिखे रूल जोड़ दिए जाने चाहिए —

“रूल १९—हर एक अर्जीदावा या इन्तर्दाई अर्जीके साथ एक रोबकार नर्फी कर देना चाहिए जिसमें यह पता लिखा हो जिस पते पर मुद्दई या अर्जी देने वालेके ऊपर नोटिस, सम्मन या किसी दूसरे हुक्मनामा की तामील की जानी चाहिए। वादमें शामिल होने वाले मुद्दइयो और सायलों (अर्जी देने वाले) को चाहिए कि वे इस तरह शामिल होनेके फौरन ही बाद इस किसमका एक रोबकार दामिल कर दें।

रूल २०—उपरोक्त रूलके अनुसार दाखिल किया गया तामीलका पत उस जिलेकी अदालत की स्थानीय सीमाके भीतर होना चाहिए जिसके भीतर वह नालिश या अर्जी दाखिल की गई है, या उस जिलेकी अदालत की स्थानीय सीमाके भीतर होना चाहिये जिसमें वह फरीक आम तौर पर रहता है, अगर वह संयुक्त प्रान्त आगरा व अवधकी सीमाके भीतर है।

रूल २१—जब कोई मुद्दई या अर्जी देने वाला तामीलके लिये पता न लिखेगा, तो अदालत उसकी नालिश या दरखास्त खारिज कर देगी अर्थात् कोई फरीक इस तरहके हुक्मके लिये दरखास्त दे सकता है और अदालत इस पर जैसा हुक्म उचित समझे दे सकती है।

रूल २२—जब कोई फरीक उस पते पर न मिल सके जो उसने नामालीके लिये लिखाया है और उसका कोई मुख्तार या उसके घरवा कोई बालिन आदमी जिसपर नोटिस या सम्मन तामील किया जा सके, मौजूद न हो, तो उस नोटिस या सम्मनकी एक नकल उसके मकानके बाहरी दरवाज पर चपका कर दी जायगी। अगर तारीख मुकदर पर वह फरीक हाजिर न हुआ, तो दूसरी तारीख

मुकुंदर की जायगी और उस नोटिस, सम्मन या दूसरे हुकमनामाकी एक नकल उस रजिस्ट्रारमें लिखे हुये पते पर रजिस्ट्री डाकसे भेज दी जायगी और ऐसी तामीलीका वही असर होगा माने वह नोटिस या हुकमनामा असाफल्यत तामील किया गया हो ।

रूल २३—अगर कोई फरीक अपने मुकदमम किसी वकीलको रख ले, तो उस पर तामील की जान वाली नोटिस और हुकमनामे (सम्मन गैरा) आर्डर ३ रूल ५ में बतलाये अनुसार तामील किये जायगे, सिवाय उस दशम जब कि अदालत उस पते पर तामीलका हुकम दे देवे जो उस फरीकने लिखाया है ।

रूल २४—अगर कोई फरीक अपना वह पता बदलवाना चाहता है जो उसने ऊपर लिखे अनुसार पहिले लिखाया है, तो उसे चाहिए कि वह इसके लिये एक तस्दीकशुद्ध दरखास्त पेश करे, और अदालत उस दरखवास्तके अनुसार पता बदल देगी । ऐसी दरखास्तकी नोटिस उस मुकदमके दूसरे फरीकना भी दे दी जायगी जिनको वह इसकी सूचना देना चाहती हो और वह या तो उन फरीकनाके वकीलोंपर तामील कर दी जायगी या उनके पास रजिस्ट्री डाकसे, जैसा कुछ अदालत उचित समझे, भेज दी जायगी ।

रूल २५—इन रूलोंमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो अदालतको किसी और तरहसे नोटिस या हुकमनामाकी तामीलीका हुकम देने से रोक सके, अगर कि-ही कारणोंसे, वह ऐसा करना उचित समझे ।

रूल २६—इन रूलोंमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आर्डर २१ रूल २२ में बतलाई हुई नोटिसके सम्बन्धमें लागू होती हो ।

आर्डर ८

इस आर्डरमें नीचे लिखे रूल ११ और १२ और जोड़ दिए जाने चाहिए —

“रूल ११—हर एक ऐस फरीकको—चाहे वह पहिलेका हो, बीचमें शामिल किया गया हो या दूसरेकी जगह पर फरीक बनाया गया हो—जो अपील करना चाहता हो, या किसी नालिश या इस्तदाद अर्जीकी जाबत जवाब देही करना चाहता हो, चाहिए कि वह उस तारीखको या उसने पहिले, जो उसके ऊपर तामील हुए सम्मन या नोटिसमें ऐसीका तारीख मुकुंदर की गई थी, अदालतमें एक रोजकार दाखिल कर जिसमें वह तामीलके वास्ते अपना पता लिख दे, और अगर वह ऐसा न कर सकेगा तो उसकी जवाब देही (परती), अगर कोई है तो, रद्द कर दी जायगी और वह उसी दशममें रह जायेगा माना उसने कोई जवाब देही की ही नहीं थी । इस सम्बन्धमें अदालत अपनी इच्छा से या इस तरहके हुकमके लिए किसी फरीककी ओरसे दरखास्त दिये जाने पर ऐसा कर सकती है और अदालत जैसा उचित समझे हुकम दे सकती है ।

रूल १२—आर्डर ७ के रूल २०, २१, २२, २३, २४, २५ और २६, जहा तक हो सकेगा, उपरोक्त रूल के अनुसार दाखिल किए गए तामीलीके पतों के सम्बन्ध में लागू होंगे । ”

आर्डर १३

इस आर्डर में नीचे लिखे कूल १२ और १३ शामिल कर दिए जाने चाहिए —

“कूल १२—हर एक ऐसे दस्तावेज (document) के साथ, जो कि अदालत की भाषा अथवा अंग्रेजी में नहीं लिखा गया है और जो (क) किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ या (ग) पहिली पेगी पर पेश किया गया है या (ग) और किसी समय किसी नातिश, अपील या किसी दूसरे मामले में शहादत में पेश किया गया है, इस दस्तावेज का शुद्ध अनुवाद उस अदालत की भाषा में रहना चाहिये। अगर ऐसा कोई दस्तावेज अदालत की भाषा में लिखा गया है, लेकिन उसकी लिपि प्रचलित देनागरी अथवा साधारण फार्सी की लिपि नहीं है, तो उसके साथ उस का हिन्दी और फार्सी लिपि में शुद्ध अनुवाद रहना चाहिये।

कूल १३—जब कोई दस्तावेज, जो कूल १ में बतलाई हुई सूची (फेहरिस्त) में शामिल है, शहादत में ले लिया गया हो, तो अदालत उसपर कूल ४ (१) में बतलाई हुई बातें लिखने के अतिरिक्त उन दस्तावेजों के सिलसिले का अंक, (जम्बारातुमार खाल देगा जो मुद्दई की ओर से शहादत में लिये गये हैं और अगर वह उन दस्तावेजों के सिलसिले में पेश किया गया है जो मुद्दा अलेह की ओर से शहादत में लिये गये हैं तो उसपर सिलसिलेवार अक्षर डाल देगा और प्रत्येक ऐसे अंक अथवा अक्षर पर अपने हस्ताक्षर कर देगा। जब दो अथवा अधिक लोग, मुद्दा अलेह हों, तो पहिले मुद्दा अलेह के दस्तावेजों पर A 1 B 1 C 1 इत्यादि A A 1 B B 1 इत्यादि और दूसरे मुद्दा अलेह के दस्तावेजों पर A 2, B 2 C 2 इत्यादि A A 2, B B 2 इत्यादि निशान डाले जायग। जब एक ही तरह के बहुत से दस्तावेज शहादत में लिए गए हों, अथवा हर एक की तरह की बहुत सी लगातारी सूची में, तो इन कूल के ऊपर एक ही अंक अथवा (अंग्रेजी का) चूड़ा अक्षर डाल दिया जायगा और उसके साथ साथ हर एक कागज को अलग करने के लिये उसपर एक छोटा अंक अथवा (अंग्रेजी का) छोटा अक्षर लिख दिया जायगा।”

आर्डर १६ कूल २

इस कूल के साथ नीचे लिखा सूच कूल (४) शामिल कर दिया जाना चाहिये—

“(४)—यह कूल उन मामलों के सम्बन्ध में, जिनमें सरकार फरीक है, उन मामलों के सम्बन्ध में बतलाने की होगी जो ऐसे सरकार फरीक (Government Ser vant) हैं जिनका वेतन १०० रु० मासिक से अधिक है और जो अपनी सिजी इंसिपल से किसी पेसी अदालत में शहादत देने के लिए तलब किए गए हों जो उनके हेडक्वार्टर से पांच मील से अधिक फूट से पर चार्ज हों।”

आर्डर १६

इस आर्डर में नीचे लिखे कूल २२ और २३ और बदा दिये जाने चाहिये—

'रूल २०(१) - मित्राव इसका जमाना इस दूर और दूर २ में बोलोया गया है अदालत नीचे लिखी भरत पर सफर और दूसरे सूच दिला गेगी -

(१) अगर मराठ का मतकार, मजदूरी पेशा या नीचे दर्ज के आदमी है, तो छ भाग रोज ,

(२) अगर मराठ मृत उचे दर्ज के है, जैसे कि जमीन्दार, मीठागर घणीत और इसी तरह के जोड़े गले लोग, तो आठ भाग से वा रया रोज तक, जैसा एत अनागत हुकम के और

(३) अगर मराठ मृत उचे ओहदे के है जिसमें ऐसे सरकारी कामचारी शामिल है जिनका वेतन २५०) रु० मासिक से कम नह, तो तीन रुपये से पाच रुपये रोज तक ।

(४) अगर कोई मराठ बेल रुपयेसे अधिक रुपया मागता है जो उसको पदिने दिया जातुता है, तो वरती वह अधिक रुपया दलाया जायगा, अगर वह अदालत का इन बात का इतमाना दिला सके वि वास्तव म उलका भाषक और आवदपर सूचा हुआ है ।

उदाहरण—टाकराने का नौकर, जो शहादत में तलब दिया गया हो, उस महीने में जिसका और स या मिलके दरवास्त देना पर वह तत्रच दिया गया है, पैद सफरका और दूसरा मर्त्ततला करनेका दफ्तर है जो उमर दर्ज या ओहदे के मर्वाही को दिलाया जाता है और इस अतिरिक्त उस रुपये क ठिये भी टाका कर सकता है जो काम से उलकी अनुपस्थिति में काम करने वाले महीने को देने देना पडगा। जो रया उने अपना जगद काम करने वाले महीने को देना पडगा, उसकी निश्चित उस मराठका अफसर कामज की एक चिट के ऊपर तन्हाक फरेगा, जिस नद मराठ उस अदालत म पेग करेगा जिसने सम्मन जारी किया था ।

(५) अगर कोई मराठ ए सि अधिक दिन रोक गया गया, तो उसके रोके जाँने का सूचा उलकी भरत पर दिलाया जायगा जो अदालत को मुनासिब है और टोके मालूम पडे, लेकिन यह प्राय उगरी अधिक नहाना जो इस रूल के फर्जेज (१) के अनुसार दिलाया जाना चाहिये ।

लेकिन अदालतनी अधिकार है कि वह विन्दी कारणोंसे, जो लिखे जायगे, उससे अधिक सूचा दिला दे जिनकी धवस्था बलव पूर्णके नियमों की गई है ।

२३—जिन मामला म सरकार फीक है, उम सरकारी नौकरों को—जो जि पुलिस के फानिस्थल नह—जिनका मासिक वेतन १०) रु० से अधिक है और जो अपनी सरकारी नीकर की इंसियत म नली अदालत में शहादत के लिए सत निप मण है जो उनके हेत क्वार्टर से पाच मील से अधिक दूर है सफर राख और दूसरे सूचा के बदले अदालत से हाजरो का साटीफिकेट दिया जायगा ।

आर्डर १९

इस आर्डर में नीचे लिखे रूल और शामिल कर देने चाहिए —

“रूल ४—हलफनामों के ऊपर’ की अदालत मुकाम ...
 ‘ . . . मे नाम वगैरा लिखा जायगा । अगर वह हलफनामा किसी ऐसे मामले के सम्बन्ध में दी गई दरखवास्त के समर्थन अथवा विरोध में दाखिल किया गया हो जो उस अदालत में चल रहा है, तो उसपर उस मामले को भी लिख दिया जायगा । अगर कोई ऐसा मामला (मुकद्दमा) नहीं है, तो उस पर यह लिख दिया जायगा— की अर्जी के मामले में ।”

रूल ५—हलफनामा अलग अलग पैराग्राफों में बटा हुआ होगा और हर एक पैराग्राफ पर क्रमानुसार नम्बर डाल दिए जायेंगे और जहा तक सम्भव होगा वह किसी विषय के किसी खान्द हिस्से के ही सम्बन्ध में होगा ।

रूल ६—हर एक ऐसे शख्स का, जो बयान हलफों दाखिल कर रहा है, उम्में इस तरह वर्णन होना चाहिए कि उसकी गिनाखत करने में सुविधा हो, और जहा पर इस बात के लिए आवश्यक हो, उसमें उसका पूरा नाम, उसके चाप का नाम उसकी जाति और धर्म, उसका ओहदा अथवा उपाधि, उसका उद्यम, व्यवसाय, वेग या व्यापार, और उसके रहने का असली स्थान लिखा होना चाहिए ।

रूल ७—जब तक कोई अन्य व्यवस्था न की गई हो, बयान हलफों (हलफनामा) कोई भी ऐसा शख्स दाखिल कर सकता है जो उन बातों की जानकारी रखाता है जिनके सम्बन्ध में वह बयान दे रहा है । किसी हलफनामा को दो या अधिक आदमी मिल कर दाखिल कर सकते हैं हर एक आदमी को वे चाते अलग अलग लिखनी चाहिए जिन्हें वह जानता है, और वे चाते अलग अलग पैराग्राफों में लिखी जायगी ।

रूल ८—जब कोई हलफनामा दाखिल करने वाला शख्स किसी ऐसी बात के निश्चय लिए रहा हो जिस वह स्वयं जानता है, तो उसे यह बात स्पष्ट और अव्यभिचर रूप में लिखनी चाहिए और “म दृढ़ता पूर्वक यह बयान करता हूँ” अथवा “मैं शपथ खाकर ऐसा कहता हूँ” शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ।

रूल ९—सिवाय दार्मियानी कार्रवाइयों के, हलफनामा सिर्फ उन्हीं बातों के सम्बन्ध में दाखिल किया जायगा जिन्हे बयान देने वाला स्वयं जानता है और साबित कर सकता है । दार्मियानी कार्रवाइयों में, जब किसी बात को बयान देने वाला न जानता हो और उसे उस सूचना के आधार पर कहता हो जो उसे दूसरे लोगों से प्राप्त हुई है, तो वह बयान देने वाला इस प्रकार लिखेगा “मुझे मालूम हुआ है,” और अगर बात ऐसी ही है तो, “और इसे सचमुच सही मानता हूँ” और उस शख्स या उन शख्सों का नाम और पता लिख देगा और गिनाखत के लिए काफी उनकी हुलिया वगैरा लिख देगा, जिससे या जिनसे

इसे ऐसी इतना मिली है। जब दरखास्त या उसका विरोध उन बातों के आधार पर किया गया हो, जो उन दस्तावेजों (documents) या दस्तावेजों में मकानों में बतलाई गई हैं जो किसी न्यायालय अथवा दूसरे स्थान से पंथ किए गए हैं, तो बयान देने वाला यह लिखेगा कि वे कदा से प्राप्त किए गए हैं और उन दस्तावेजों में बतलाई गई बातों की सत्यता के सम्बन्ध में उसका विचार क्या है, यह भी लिखेगा।

कल १०—जब किसी हलफनामा में किसी स्थान का उल्लेख किया हो, तो उसका सही सही पता व निशान लिख देना चाहिए। जब किसी हलफनामा में किसी आदमी का उल्लेख किया गया हो, तो उस हलफनामा में आदमी, उस आदमी का सही नाम और पता और उसका सम्बन्ध भी बतलाया जायगी जो उसकी गिनाहत करने के लिए कहा है।

कल ११—हर एक ऐसे शख्स का शिनाख्त, जो किसी हलफनामा में और इस्तेमाल किए जाने के लिए कोई हलफनामा (बयान हलफनामा) में आया हो अगर उसे वह शख्स खुद नहीं जानता है जिसके सामने वह हलफनामा पेश किया जा रहा है तो, उस शख्स के सामने कोई ऐसा शख्स बतलाया जायगा जो और हो, और जिस शख्स के सामने वह हलफनामा दाखिल किया जा रहा है, तब तक डिकरी हलफनामा के नीचे उस शख्स का नाम, पता और सम्बन्ध बतलाया जायगा तब तक की है, और उस शिनाख्त किए जाने का समय और स्थान भी बतलाया जायगा दस्ताख्त किये

कल १२—किसी भी अर्जी की कोई तरकीब है कि वह शख्स को पेश किया जायगा ऐसी पदा नशीन और तब डारा लिखा गया है कि वह शख्स को पेश किया जायगा के सामने नहीं आई है जिसके सामने वह हलफनामा पेश किया जा रहा है तब तक उस समय तक काम में न लाया जायगा, तब तक कि वह शख्स को पेश किया जायगा उसकी शिनाख्त न हो जाय और जब वह शख्स को पेश किया जायगा तब तक कि वह शख्स को पेश किया जायगा ऐसी और तब की शिनाख्त का हलफनामा बतलाया जायगा तब तक कि वह शख्स को पेश किया जायगा वाले शख्स ने उस समय लिखा था।

कल १३—जब शख्स को पेश किया जायगा तब तक कि वह शख्स को पेश किया जायगा हलफनामा दाखिल किये जाने के लिए बतलाया जायगा तब तक कि वह शख्स को पेश किया जायगा करने वाला है, यह पता कि वह शख्स को पेश किया जायगा लिखी हुई बातों को समझता है, तब तक कि वह शख्स को पेश किया जायगा करने वाला है, यह कह दे कि वह शख्स को पेश किया जायगा हो कि उसमें किसी हलफनामा में बतलाया जायगा पदा लिखा आदमी नहीं है तब तक कि वह शख्स को पेश किया जायगा किये जाने को है, वह शख्स को पेश किया जायगा दाखिल करना चाहता है, तब तक कि वह शख्स को पेश किया जायगा देगा या कि सा बतलाया जायगा तब तक कि वह शख्स को पेश किया जायगा समझता देगा, तब तक कि वह शख्स को पेश किया जायगा तब तक कि वह शख्स को पेश किया जायगा

क्रिये जाने को है, इस तरह इस बात का इतमीमान हो जाय कि जो शख्स ऐसा हलफनामा दाखिल करना चाहता है वह उसमें लिखी हुई बातों को समझता है, जो वह हलफनामा दाखिल कर दिया जायगा।

रूल १४—जिस शख्सके सामने कोई हलफनामा दाखिल किया गया है, वह उस हलफनामाके नीचे इस बातको लिख देगा कि हलफनामा उसके सामने दाखिल किया गया है तथा उस समय और स्थानको भी लिख देगा जहाँ और जहाँ पर वह दाखिल किया गया है और पहिचानक लिए उन पेश किए गए कागज़ों (Exhibits) के ऊपर निशान डाल कर अपने हस्ताक्षर कर देगा जिनका इच्छेय हलफनामा में किया गया है।

रूल १५—अगर उस हलफनामाके लिखनेमें होने वाली किसी भूलके ठीक करनेकी आवश्यकता जान पड़े तो वह भूल उस शख्सके सामने ठीक की जानी चाहिए जिसके सामने वह हलफनामा दाखिल किए जानेको है और वह हलफनामा दाखिल किए जानेके पहिले ठीक की जानी चाहिए, बादमें नहीं। इस तरह ठीक की गई हर एक गलती (भूल) के ऊपर उस शख्स के दस्तखत होने चाहिए जिसके सामने वह दाखिल किया गया है और वह इस तरह पर ठीक की जानी चाहिए कि पहिले शब्द अथवा शब्दों या अङ्क अथवा अक्षरों का पढ़ना असम्भव या फलसदा न हो, जिनके सम्बन्ध में दुर्वृत्ती की गई है।”

आर्डर २०

इस आर्डर में यह नीचे लिखा हुआ रूल जोड़ दिया जाना चाहिए:—

“रूल २१—(१) हर एक डिकरी और हुकम, जिसकी परिभाषा धारा २ में की गई है, और जो किसी अदालत खफ्रीफा या किसी, ऐसी अदालत की डिकरी या हुकम नहीं है जो अदालत खफ्रीफा के अधिकारों को सरतः रही हो, उस अदालत की भाषा में तैयार किया जाना चाहिए। उस डिकरी या हुकम के लिख जाने पर और उसपर दस्तखत होने के पहिले, मुसरिम सादुब उसकी एक नोटिस चस्पा करवा देगा, जिसमें यह लिखा होगा कि डिकरी या हुकम तैयार हो गया है और यह कि कोई फरीक या किसी फरीकका वकील, ऐसी नोटिसकी तामीलकी तारीखसे कामके छ दिनोंके अन्दर, उस डिकरी या हुकमके मसविदेको देख कर उसपर दस्तखत कर सकता है या मुसरिम के पास इस बिना, पर उच्चदारी दाखिल कर सकता है कि फैसले में कुछ ठिकाने की भूल हो गई है या अकस्मात् ऐसी कोई त्रुटि रह गई है जिससे उस मामले के किसी आवश्यक अंग के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, या यह कि ऐसी डिकरी या हुकम में फैसले से भेद (इन्फिजिक्चर) है या उसमें शब्दों अथवा अक्षरों की भूल है। इस उच्चदारी में यह बात साफ साफ लिखनी जानी चाहिए कि वह कौन सी भूल, त्रुटि या भेद है जो बतलाया जाता है, और उस पर उस शख्स के दस्तखत और तारीख होने चाहिए जो उसे दाखिल कर रहा है।

(२) अगर पेशी कोई उद्भेदारी उस तारीख को या उसके पहिले दाखिल की जाय जो उस नोटिस में पतलाई गई है, तो मुखेरिम उस मामले को जल्द से जल्द तैयार होने वाली हफ्तेवार फेहरिस्त में चढ़ा लेगा और नियत तारीख पर उद्भेदारी को मय मिसिल (कागजात मुफुद्दमा) के उसे जज के सामने पेश कर देगा जिसने वह फैसला दिया है, या, अगर वह जज अब उस अदालत का जज नहीं रहा है तो, उस जज के सामने पेश करेगा जो उस समय उस अदालत में काम करता हो ।

(३) अगर नोटिस में पतलाई हुई तारीख को या उसके पहिले कोई उद्भेदारी दाखिल न की गई, या अगर कोई उद्भेदारी दाखिल की गई है और एपारिज फेर दो गई है, तो मुखेरिम उस डिकरी के ऊपर वह तारीख डाले कर, जिस दिन कि फैसला दिया गया था, रूल ८ और ९ के अनुसार दस्तखत किए जाने के लिए उसे जज के सामने पेश कर देगा ।

(४) अगर कोई उद्भेदारी साकायदा तौर पर दाखिल की गई है और वह मजूर कर ली गई है, तो उसमें संशोधन या परिवर्तन कर दिया जायगा जिसके लिए जज साहब हुकम देंगे । फैसले में किए जाने वाले संशोधन और परिवर्तन को जज साहब स्वयं अपने हाथ से करेंगे । उस संशोधन और परिवर्तन के अनुसार, जिसके लिये जज साहब ने आज्ञा दी है, संशोधित डिकरी तैयार की जायगी और मुखेरिम उस डिकरी पर उस दिन की तारीख डाल कर, जिस दिन फैसला दिया गया था, रूल ७ और ८ के अनुसार दस्तखत किये जाने के लिये उसे जज के सामने पेश कर देगा ।

(५) जब जज साहब डिकरी पर दस्तखत कर देंगे तो वह अपने हाथ से एक नोट लिखें देगे जिसमें वह तारीख लिखी जायगी जिस तारीख को डिकरी दी गई है ।”

आर्डर २१, रूल २५ (२)

इस आर्डर में रूल २५ के सब रूल (२) के स्थान में नीचे लिखी हुई इषारत होनी चाहिए —

“(२) जय हुकमनामा के ऊपर इस आशय की कोई बातें लिखी गई हो कि वह अफसर उस हुकमनामा की तामील कर सकने में असमर्थ है, तो अदालत उसकी इस असमर्थता के सम्बन्ध में उसमें जाती घयानी या हलफनामा के ऊपर जांच करेगी, और अगर वह उचित समझे तो इस असमर्थता के सम्बन्ध में गवाहों को तलब करके उनके मयान ले सकती है और वह उससे होने वाले परिणाम को मिसिल में लिख देगी ।”

आर्डर २१, रूल ५५

इस आर्डर में रूल ५५ के स्थान में नीचे लिखी इषारत होनी चाहिए —

जाय कि किसी दूसरे राखस को इसके लिये नियत किया जाय, जिस दशा में वे घबड़ात अदालतका जज राय अपने कठमसे कृर्त्तिके उस हुकमके ऊपर लिखेगा ।

रूल १०६—जब यह जायदाद, जिसकी नीलामके लिये दरखास्त की गई है, जायदाद गैर मनबूला हो, जो जायदादकी ऐसी परिभाषा में आती हो जो दस्तावेजों की रजिस्ट्रीके सम्बन्धम उस समय प्रचलित किसी भी कानूनमें की गई है तो डिक्लीरेशन की अपनी दरखास्तके साथ उस सब रजिस्ट्रारका एक सांठिकिकेट प्रार्थना करता होगा जिसके परगने (sub-district) में वह जायदाद बाँकी है, जिसमें यह लिखा होगा कि सब रजिस्ट्रार ने चारह बरस पहिले की अपनी किताब १० १ और २ तथा उनहीं फेहरिस्तों को दृढ़ डाला है, और अगर कोई चार उस जायदाद के ऊपर उस मिटा हा ता यह भी उसमें लिखा होगा चाहिए ।

रूल १०७—जब किसी आराजी या उस आराजीमें प्राप्त किसी हिस्से की नीलामके लिये दरखास्त दी गई हो तो अदालत, उसकी नीलामका हुकम देनेके पहिले, फरीकें से इस बातका जवाब तलब करेगी कि स्थानीय सरकारकी विज्ञप्ति न० १८८७१/२३८/१०, तारीख ७ अक्टूबर सन् १९११ ई०के अर्थमें यह आराजा मौजूसी है अथवा नहीं, और इन् प्रदा वं तय करने के लिये एक तारीख निश्चित करेगा ।

इस प्रकार नियत किए हुए दिनको अथवा किसी ऐसी तारीखको, जिसके लिये जाच स्थगित कर दी गई हो, अदालत का अधिकार होगा कि वह इसका सम्बन्धम जैसी उचित समझे, बयान हलफों द्वारा अथवा और किसी प्रकार, राहादत लेवे, और उसे यह भी अधिकार होगा कि वह उन जिला के कलक्टर से इस बातकी रिपोर्ट तलब करे कि ऐसी आराजी या उसका कोई हिस्सा मौजूसी आराजी है या नहीं ।

गहादत और रिपोर्ट पर, अगर कोई है तो, विचार करनेके पश्चात् अदालत इस बातको तय करेगी कि वह आराजी या उसका कोई हिस्सा, और उसका वह कौनसा हिस्सा मौजूसी है ।

इस जाचका जो कुछ परिणाम होगा, उसे उस अदालत का जज अपनी कलम से उस हुकम में लिख देगा जो इस काम के लिये वह देगा ।

रूल १०८—जब यह जायदाद, जिसकी नीलामके लिये दरखास्त की गई है, कोई ऐसी आराजी हो, जिसकी मालगुजारी अदाकी जाती है या जिसकी मालगुजारी माफ है, या उस आराजीमें प्राप्त कोई हिस्सादो और दफा ६८ के अनुसार इजरा वे लिए टिकरी कलक्टर के पास न भेजी गई हो, तो अदालत, नीलाम का हुकम देने के पहिले, उस कलक्टरसे, जिसके जिलेमें वह जायदाद बाँकी है, इस बातकी रिपोर्ट तलब करेगी कि क्या उस जायदाद के ऊपर सरकार की कुछ बकाया है (और अगर है तो क्या) ।

रूल १०९—सब रजिस्ट्रार का सांठिकिकेट और कलक्टरकी रिपोर्टका मुआइना फरीकें या उनके जकील बिना किसी खर्च के, उसके अदालत के हाथ में आने और जाच के परिणाम की घोषणा किए जाने के बीच में कर सकते हैं ।

कलक्टर की रिपोर्ट की वास्तु कोई फीस बढ़ा करनी न होगी।

कल ११०—कल ६६ के अनुसार जांच का परिणाम उस हुकममें लिख दिया जायगा जो अदालत का जज्ञ इस काम के लिये अपनी कलम से लिखेगा। अदालत को अधिकार है कि वह जांच को स्वगित (मुलतवी) कर दे, वशतें कि इस मुलतवी के लिये लिखित कारण बतला दिये जायें और यहकि सिवाय उतनी बार के, जितनी बार के लिये आवश्यकताहै, अधिक बार जांच स्वगित (मुलतवी) न की जाय।

कल १११—अगर होने वाले नीलाम की घोषणा कर दिए जाने के बाद, अदालत को कोई ऐसी बात मालूम होनाय जिसका जानना उसकी राय में खरीदार के लिए आवश्यक है, तो अदालत उसकी सूचना एरीट का इरादा रखने वाले लोगों को उस समय करवा देगी जब जायदाद नीलाम में रखी जायगी।

कल ११२—कल ६६, १०६ और १०८ के अनुसार की जाने वाली कार्रवाई का खर्चा पहिले डिकरीदार को देना होगा, लेकिन जब तक कि अदालत किन्ही कारणों से, जो लिख कर बतलाए जायगे, यह न समझती हो कि उसका कुछ या कुछ अंश उसमें से निकाल दिया जाय, वह खर्चा इनरा के खर्च का हिस्सा समझा जायगा।

कल ११३—जब किसी डिकरीदार को जायदाद पर नीलाम में बोली सोलने की इजाजत दे दी गई हो, तो नीलाम का हुकम देने वाली अदालत उस अफसर को, जो नीलाम के लिए मुकर्रर किया गया है, इस बात की सूचना देगी कि क्या डिकरीदार के अतिरिक्त कोई और आदमी भी ऐसे है जो नीलाम से बसूल हुए रुपये में हिस्सा-पाने के हकदार है।

कल ११४—जब किसी दीवानी अदालत ने, किसी डिकरी या दूसरे हुकम की इजरा में, किसी ऐसे मकान या दूसरी इमारत को नीलाम कर दिया हो, जो किसी फीजी कैंपेनमेंट या स्टेशन फी.सी.मा के भीतर धाके है, तो वह, ज्योंही उस नीलाम की मजूरी मिल जायगी, उस कैंपेनमेंट या स्टेशन के कमाण्डिंग अफसर को, उसकी जानकारी के लिए और ब्रिगेड के अथवा किसी दूसरे मुतासिब दफतर में रखने के लिए, इस बात को एक नोटिस भेज देगी कि ऐसा नीलाम किया गया, और उस नोटिस में नीलाम की हुई जायदाद का और खरीदार के नाम तथा पता का पूरा ज्योरा होगा।

कल ११५—जब किसी दीवानी अदालत के हुकम से, डिकरियो की इजरा में बन्दके या दूसरे दियार नीलाम किए गये हों जिनके लिए इण्डियन आर्म्स ऐक्ट (न० ११ ख० १८७८ ई०) के अनुसार खरीदारों को लाइसेन्स लेना पड़ता है, तो नीलाम का हुकम देने वाली अदालत उस जिले के मजिस्ट्रेट को खरीदारों के नाम और पते और उस समय और उस स्थान की सूचना दे देगी जब और जहां पर उन दियारों के खरीदारों को 'ये दियार' हवाले किए जाने को है।

ताकि इण्डियन भास्केट के नियमों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए पुलिस कोई उचित प्रबंध कर सके।

रूल ११६—जब जानवरों या दूसरी लायदाद-मनवृत्ता की कुर्की के लिए दरखवास्त दोगई हो, तो डिफर्रीदार को अदालत में इस कदर नकद कपया जमा कर देना होगा जो उस जायदाद के १५ दिन तक हिफाजत में रखने और खिलाने पिलाने के लिए काफी हो। अगर पन्द्रह दिन की ऐसी किसी मियाद की मुदत खतम होने के पहिले तीन दिन के भीतर भागे की ऐसी मियाद के लिए, जिसके लिए अदालत हुकम देवे, ऐसे खर्चों को रकम अदालतमें जमा न कर दी जाय, तो अदालत को अधिकार होगा कि वह, किसी मुनासिब अफसर से इस बात की रिपोर्ट पा जाने पर, कुर्की उठा लिए जाने का हुकम दे दे और यह भी बतला दे कि कुर्की का खर्चा कौन शरूफ अदा करेगा।

रूल ११७—जो जानवर किसी डिफर्री की इजरा में कुर्क किए गए हों, वे साधारणतया उसी स्थान पर छोड़ दिए जायंगे जहां पर कि वे कुर्क किए गए हों, और मरियून डिफर्री के जमानत दाखिल कर देने पर या तो उसी की सिपुर्दगी में छोड़ दिए जायंगे या किसी जमीन्दार भयवा दूसरे प्रतिष्ठित पुरुष की सिपुर्दगी में, जो उन्हें हिफाजत में रखने और अदालत के तलय करने पर उन्हें पेश करने की जिम्मेदारी देने को तैयार हो।

रूल ११८—अगर ऊपर बतलाए हुए अन्तिम रूल में बतलाए हुए शरीरों से जानवरों की हिफाजत का प्रबंध न किया जा सका, तो कुर्क किए हुए सब जानवर सब से नजदीकी काजी हाउस (पाउण्ड) को हँकवा दिए जायंगे, जो कैंट्रिल ट्रेस्पस ऐक्ट (कानून मदाखिलत बेजा मवेशियान) सन् १८७१ ई० के अनुसार स्थापित की गई हो, और पाउण्ड-सुदर्रि की सिपुर्दगी में दे दिए जायंगे जो नीचे लिखी बातें एक रजिस्टर में लिख लेगा—

(क)—जानवरों की तादाद और उनकी हकिया,

(ख)—वह तारीख और समय जिसमें वे काजी हाउसमें बन्द किए गए हों;

(ग) कुर्की करने वाले अफसर का भयवा उसके मातहत का नाम जिसने उन्हें उसके सिपुर्दे किया है, और उस कुर्की करने वाले अफसर या उसके मातहत को इस रूल इन्दराज की एक नकल दे दे।

रूल ११९—हर एक ऐसे जानवर के लिए, जो ऊपर बतलाए अनुसार पाउण्ड सुदर्रि की सुपुर्दगी में दे दिया गया है, एक रकम पत्तोर किराया उस काजी-हाउस के उन प्रत्येक पन्द्रह दिनों या उनके किसी हिस्से के लिए घसूल की जायगी जिनमें वे जानवर काजी हाउस में बन्द रखे गए हैं और उस किराया की शरह ऐक्ट न० १ सन् १८७१ ई० की दफा १२ में बतलाए अनुसार दोगी।

और इस तरह घसूल की हुई रकम म्यूनीसिपल या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जैसा रूल हो, नाम से जिसके अधिकार क्षेत्र में वह काजी हाउस बाँके है, खजाने में

जमा कर दी जायगी। ऐसे सारे इपयेका उपयोग (इस्तेमाल) उसी तरह से किया जायगा जिस तरह उक्त कैटिल ट्रेस्पास ऐक्ट की दफा १२ के अनुसार वसूल किए हुए जुर्माने का किया जाता है।

रूल १२०—पाठण्ड मुहर्रिर ऊपर बतलाए अनुसार कुर्क किए हुए और सिपुर्द किए गए जानवरों को उस समय तक अपनी हिफाजत में रोगा और उनको खिलाता पिलाता रहेगा, जब तक कि वे ऊपर बतलाए अनुसार उसकी सिपुर्दगी से हटा न लिए जाय और वह उन जानवरों की खुराक वगैरा के रुपये का उस शरह पर दिला पाने का हकदार होगा जो, समय समय पर, किसी उचित अधिकारी द्वारा निश्चित की जाय। ऐसी शरह उन जानवरों के लिए, जिनका वर्णन ऊपर बतलाए हुए अन्तिम रूल में बतलाई गई दफा में किया गया है, उस शरह से अधिक न होगी जो इसी समय के लिए उसी ऐक्ट की दफा ५ के अनुसार मुकर्रर की गई है। किसी भी दशा में, विशेष कारणों से, जो कि लिखे जायगे, अदालत उस शरह से अधिक खुराक वगैरा का खर्चा तलब कर सकती है जो शरह कि मुकर्रर है।

रूल १२१—जानवरों की खुराक वगैरा के खर्चों के लिए मुकर्रर की गई रकम पाठण्ड मुहर्रिर को पहिले पन्द्रह दिन के लिए तो कुर्की करनेवाला अफसर उसी समय अदा कर देगा जब जानवर उसकी (पाठण्ड मुहर्रिर की) सिपुर्दगी में दिए गए है और फिर इसके बाद भागे ऐसी मुद्दत के लिए, जिसके लिए अदालत आज्ञा दे, उस मुद्दत के शुरू होने के समय। अगर इस खुराक वगैरा के खर्चों की रकम उस रकम से ज्यादा अदा कर दी जाय, जो उतने दिनों के लिए घाजिब है जितने दिन जानवर पाठण्ड मुहर्रिर की सिपुर्दगी में रखे गए हों, तो वह रकम वह पाठण्ड-मुहर्रिर उस कुर्की करने वाले अफसर को वापस कर देगा।

रूल १२२—जो जानवर ऊपर बतलाए अनुसार कुर्क और सिपुर्द किए गए है, वे, सिवाय उस समय जब कि अदालत या कुर्की करने वाला अफसर या वह अफसर, जो नीलाम के लिए मुकर्रर किया गया हो, इसके लिए लिखित आज्ञा दे दे, छोड़े न जायगे, जानवरों के छोड़ दिए जाने पर उनको पाने वाले शख्स को इसने लिए उस रजिस्टर में रसीद लिखनी होगी जिसका वर्णन रूल १८ में किया गया है।

रूल १२३—जानवरों को छोड़ बाकी जायदाद मनवला की मुहाफिजत के लिए जब कि वह कुर्की में हो कुर्की करने वाला अफसर, अदालत की मजूरी से, ऐसा प्रबन्ध कर देगा जो अत्यन्त सुविधा जनक और अल्प व्यय वाला हो।

रूल १२४—अदालत से कुर्की करने वाला अफसर ऐसी जायदाद को एक अथवा अधिक आदमियों के खास चार्ज में दे सकता है।

रूल १२५—ऐसे हर एक आदमी के काम की फीम रूल ११६ में बतलाए अनुसार अदा की जायगी। यह दो भाग प्रति दिन (Per diem) से कम

और साधारणतया साढ़े तीन भागा प्रति दिन से अधिक न होगी । अदालत अपने अधिकार से इससे अधिक फीस भी दिला सकती है; लेकिन अगर वह ऐसा करता है, तो वह इस अधिक फीस दिवानों के लिए कारण लिखेगी ।

रुल १२६—जब इस आदमी को राजावाकी बिलकुल आवश्यकता न रहे, तो कुर्की करने वाले अफसर को चाहिए कि वह एक सर्टिफिकेट, जिसमें उन दिनों की तादाद, जितने दिनों अपने काम किया है, और उस रुपये की तादाद रहेगी जो उसे मिटना चाहिए, उसे दे दे और उसको एक नुकूल अपने पास रखे और इस सर्टिफिकेटके उस अदालतमें पेश करने पर, जिसने वह कुर्कीका हुक्म दिया है, अदालत के जज के सामने वह रुपया उसको दे दिया जायगा । लेकिन शर्त यह है कि, जब वह रकम पाच रुपये से अधिक न हो तो, धमीन के कहने पर वह मनीआर्डर के जरिये सहना को भदा कर दी जायगी और फिर वह सर्टिफिकेट खारिज कर दिया जायगा और कहीं पेश न किया जा सकेगा ।

रुल १२७—जब किसी कुर्कीके ठटा लिए जानेके कारण या और किसी कारणसे उस शख्ससे काम न लिया गया हो या वह उन दिनोंसे नम दिन तक उस जायदादका इन्चार्ज रहा हो जितने दिनोंके लिये उसको उसके काम का रुपया दिया गया है, तो वह फीस, जो भदा कर दी गई है, कुछ अथवा कुछ भी, जैसी कुछ अवस्था हो वापस कर ली जायगी ।

रुल १२८—जो फीस अदालतमें भदा की गई है, उसका इन्दगात छोटी छोटी रकमोंके लेने और वापस करनेके रजिस्टरमें कर लिया जायगा ।

रुल १२९—जब रुल १२९ के अनुसार वसूल की हुई कोई रकम खजाने में भेज दी गई हो, तो उसके साथ एक तिपरता (triplicate) हुक्म [पर हुक्म स्पुनिसिपल एकाउण्ट कोडके फार्म नं० ९ में बतलाये गये तमूनेका शाग] भेजा जायगा, जिसका एक परत खजानेके कर्मचारी जिसे या स्पुनिसिपल सेटलमेंट जैसी कुछ अवस्था हो, भेज दगे । पास उक्त इस बातका नेट टिप गिया जायगा, कि वह रकम खजानेमें बतौर किराया घाम्ने सुर्चा नाया इटच के जमा की गई ।

रुल १३०—कुर्की की हुई जायदादको मीटामई लिये है—जब जिस स्थान पर वह रखी या बंधी जायगी, उस स्थान तक पहुँचने के लिये डिप्टीदारको कुर्की करने वाले अफसरको देना है—जब डिप्टीदार ज़रूरी सुर्चा भदा न कर सका, तो कुर्की कान बादा इन्चार्ज इन इन्चार्ज अदालतकी देगा और उसके उपर अफसरको इन्चार्ज देना है—जब डिप्टीदार लिये जानेका हुक्म दे दे और इस बातका मीटामई लिये है—जब फौन भदा करेगा ।

आर्डर २७

इस आदरम नावे लिखें

आर्डर ४७

इस आर्डरमें नीचे लिखा कूल जोड़ दिया जाना चाहिये—
 "कूल १०—आर्डर ४१ का कूल ३८, जहाँ तक हो सकेगा, इस आर्डरके अनुसार की जाने वाली कार्रवाई के सम्बन्धमें लागू होगा।"

आर्डर ५१

इस नीचे लिखे आर्डर ५२ को सम्मिलित कर देना चाहिये—

आर्डर ५२

"कूल १—आर्डर ४१ का कूल ३८, जहाँ तक हो सकेगा, जायता दीवानी की क्वा ११५ के अनुसार की जाने वाली कार्रवाई के सम्बन्धमें लागू होगा।"

पटना हाईकोर्टके कूल

जमीमा नं० ३—जायता दीवानीके आर्डर १२२ के अनुसार पटना हाईकोर्ट द्वारा तैयार किये गए नियम (कूल)

आर्डर १६ कूल २ (१)

इस कूलमें नीचे लिखी शर्त जोड़ दी जानी चाहिये—

"लेकिन शर्त यह है कि भारत मन्त्री को इस कूलके अनुसार अदालतमें कोई भी खर्चा दाखिल करना न पड़ेगा, जबकि उद्दोने ही सम्मनके लिये दर-खवास्त दी-हो, और तलब किये जाने वाला शख्स भी सरकारी कर्मचारी हो, जो उन बातोंके सम्बन्धमें, जिन्हे वह जानता है, या उन बातोंके सम्बन्धमें, जिनसे उसे साधारण मनुष्यकी दैसियतसे साबिका (काम) पढ़ा है, शहादत देनेके लिये तलब किया गया हो।"

आर्डर १६ कूल ३

इस कूलमें यह नीचे लिखी शर्त जोड़ दी जानी चाहिये—

"लेकिन शर्त यह है कि जब यह शख्स, जो तलब किया गया है, कोई सरकारी कर्मचारीहो जो किसी ऐसे मामलमें, जिसमें सरकार एक फरीफ है, उन बातोंके सम्बन्धमें जो उसे साधारण मनुष्यकी दैसियतसे मालूम हुई है या जिनसे उसे (साधारण मनुष्यकी दैसियतसे) साबिका (काम) पढ़ा है, शहादत देनेके लिये तलब किया गया हो तो

१—अगर उस कर्मचारीका मासिक वेतन १०) ६० से अधिक नहीं है तो, अदालत सम्मन तामील करते समय उसको यह सूचना अदा कर देगी, जो रुल २ में तय किया गया है, और यह सूचना सुनाने से निकाल लेगा.

२—अगर उस कर्मचारीका वेतन १०) ६० से अधिक है और अदालत सम्मन हेड-क्वार्टरसे पांच मीलसे अधिक फासले पर नहीं है तो, अदालतको यह अधिकार होगा कि वह, उसके हाजिर होने पर, उसे यह कुल सफर खर्च दे देवे जो उसे उठाना पडा है.

३—अगर उस कर्मचारीका वेतन १०) ६० मासिकसे अधिक है और अदालत सम्मन हेड-क्वार्टरसे पांच मील से अधिक फासले पर है तो, अदालत उसे कोई सूचना न देगी । ऐसी दृश्यामे रुल २ के अनुसार अदालतमें जमा किया हुआ साग सूचना सरकारके नाम डाल दिया जायगा ।'



संग्रह जावता दीवानी

सन् १९०८ ई०

परिशिष्ट (२)

पंचायत

संग्रह ज़ाबता दीवानी

सन् १९०८ ई०

परिशिष्ट (२)

पंचायत



१-फ़रीक़ैन, मुकद्दमा पंचायतमें मामला भेज देने के लिये अदालतमें दरख्वास्त दे कर हुक्म ले सकते हैं:—

(१) जब किसी मुकद्दमे में उससे सम्बन्ध रखनेवाले फ़ुल फ़रीक़ैन इस बातपर राजी हों, कि कोईभी मामला, जिनकी निश्चयत उनमें झगडा है, पंचायतमें भेज दिया जाय, तो फ़ैसला सुनाए जाने के पहिले किसी भी समय वे अदालत से ऐसा हुक्म दिये जाने के लिये प्रार्थना कर सकते हैं।

(२) ऐसी प्रत्येक प्रार्थना (दरख़ास्त) लिखित होनी चाहिए और उसमें उस मामले का ब्योरा होना चाहिए जो पंचायत में पेश किए जाने को है।

२-पंच (सालिस) की नियुक्ति

पंच (सालिस) की नियुक्ति उस प्रकार की जायगी जिसके लिए फ़रीक़ैन भापस में तय करेंगे।

३-मामला पंचायत में पेश करने के लिये हुक्म

(१) अदालत अपने हुक्मसे, पंच (सालिस)के पास यह मामला पेश करेगी जिसके तय करने के लिये उसे कहा गया है और (पंचायती) फ़ैसला देने के लिए ऐसा समय नियत कर देगी जो कि उसे उचित जान पड़ेगा और उस हुक्म में इस समय का उल्लेख कर देगी।

(२) जब कोई मामला पंचायतमें पेश कर दिया गया हो, तो, सिवाय उस तरीकेपर और उस हद्द तक, जिनके लिए इस परिशिष्टमें व्यवस्था की गई है, अदालत ऐसे मामले पर अपनी मुकद्दमे में विचार न करेगी।

४—जब दो अथवा अधिक पंचों के सामने मामला पेश किया गया हो, तो उनके मतों में होने वाले भेदके सम्बन्ध में व्यवस्था करने सम्बन्धी हुक्म

(१) जब मामला दो अथवा अधिक पंचोंके सामने पेश किया गया हो, तो इसके लिए दिये गये हुक्म में उस मत-भेद के सम्बन्ध में भी नीचे लिखे अनुसार व्यवस्था कर दी जायगी जो उन पंचों के बीच में हो.—

- (ए) एक सर-पंच की नियुक्ति करके, या
- (बी) इस बात की घोषणा करके कि, अगर पंचों का बहुमत एक है तो, बहुमत से दिया हुआ फैसला मान्य होगा, या
- (सी) पंचों को सर-पंच नियुक्त करने का अधिकार दे कर, या
- (डी) अन्य किसी प्रकारसे, जैसा कि फरीकानके बीचमें तय हो, अथवा, यदि उनमें कोई बात तय न हुईहो तो, जैसा कुछ अदालत तय करे।

(२) जब कोई सर-पंच नियुक्त किया गया हो, तो अदालत, जसा उचित समझेगी, उसके फैसला देने का समय नियत कर देगी, बशर्ते कि उसे काम करने के लिए भाजा दीगई है।

५—कुछ मामलों में पंच नियुक्त करनेके सम्बन्ध में अदालत का अधिकार

(१)नीचे लिखी किसी भी दशा में, अर्थात् —

- (ए) जब किसी उचित समय के भीतर फरीकान में पंच की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई बात तय न हो, अथवा जो व्यक्ति पंच नियुक्त किया गया है वह पंच होना स्वीकार न करे, या
- (बी) जब कोई पंच अथवा सर पंच—
 - १—मर जाय, या
 - २—कार्य करने से इन्कार कर दे अथवा उसमें असावधानी करे, या कार्य करने में असमर्थ होजाय, या
- (सी) ऐसी दशा में ब्रिटिश भारतसे बाहर चला जाय जिनसे यह मालूम होता हो कि वह शीघ्र-वापस नहीं आवेगा, या
- (डी) जब पंचायत में मामला पेश करने के सम्बन्ध में दिये गये हुक्ममें पंचों को यह अधिकार दिया गया हो कि वे सर-पंच नियुक्त कर लें और वे ऐसा न कर सकें, तो, किन्ती भी फरीक को, यह अधिकार होगा, कि वह दूसरे फरीक

पर भयथा पंचों पर, जैसा कुछ भी हो, पंच भयथा सर-पंचकी नियुक्ति करनेके लिये क्रियित नोटिस तामील करावे ।

(२) अगर इस नोटिस के तामील हा जाने के बाद ठीक सात दिन के भीतर भयथा ऐसे अधिक समय में, जैसा कि प्रत्येक अवस्था में अदालत दे, नोंई भी पंच भयथा सर पंच, जैसा कुछ भी हो, नियुक्त न किया जाय तो अदालत का अधिकार होगा कि यह, उस शकूनक दरख्वास्त देने पर जिसने कि नोटिस दी है, और दूसरे फरीफ़िन को अपनी बात पेश करनेका अवसर (मीका) देनेके पश्चात् पंच भयथा सर-पंच को नियुक्ति करदे, या उस पंचायत को रद्द कर देनेका हुज्म दे देवे, और ऐसी दशा में अदालत स्वयं उस मामले में विचार करेगी ।

६-पैरा ४ अथवा ५ के अनुसार नियुक्त किए गए पंच अथवा सर-पंच के अधिकार

प्रत्येक देने पंच भयथा सर पंच को, जो उपरोक्त पैराग्राफ ४ या ५ के अनुसार नियुक्त किया गया है, वही अधिकार प्राप्त होंगे जो उस समय होते, अगर उसका नाम पहिले दिये गये हुज्म में शामिल कर दिया गया होता ।

७-गवाहों के नाम सम्मन जारी करना और उनकी पान्दीका न किया जाना

(१) अदालत उन फरीफ़िन और गवाहों के नाम, जिनके पंच भयथा सर पंच पचान लेना चाहता है, उर्ली प्रकार सम्मन जारी करेगी जैसे कि यह उस समय कर सकती है जब किसी मामले की सुनाई (समाअत) वह स्वयं करती है ।

(२) जो लोग ऐसे सम्मन के तामील होजाने पर हाजिर न होंगे या जो नाय कोई अपराध करके अथवा अपना इजहार देने से इन्कार करेंगे, या उस पंचायत में पेश हुए मामले की जांच (तहकीकात) के दौरान में पंच भयथा सर-पंचकी मागहानि करगे अपराधी पाए जायेंगे, वे उ ही असुवियाओं, जुमानों और सजाओं के पाने के अधिकारी होंगे जिनके पाने के अधिकारी वे उस समय होते अगर उन्हांमें अदालत के सामने हाने वाले मुक़द्दमा में ऐसे अपराध किए होते ।

८-पंचायत का फैसला देने के लिए समय का बढ़ाया जाना

जब पंच भयथा सर पंच उस समय में अपना फैसला (award) पूरा न कर सकते हों जो हुज्म में दिया गया है, तो अदालत को अधिकार होगा कि यह अगर उचित समझे तो, या तो और समय बढ़ादे, और समय समयपर, उस समयके

समाप्त होजाने के पहिले अथवा पीछे, जो (पंचायती) फैसला देने के लिए हुकम में दिया गया है, ऐसा समय बढ़ा दिया करे या उस पंचायत के रद्द किए जाने के लिए हुकम दे देवे, और ऐसी दशा में वह स्वयं उस मामले में विचार करेगी ।

९—पंचों के बजाय सर-पंच कब मामला तय कर सकता है

जब कोई सर पंच नियुक्त किया गया हो, तो पंचों की जगह वह पंचायत में पेश किए गए मामले पर विचार कर सकता है, अर्थात्—

(ए) अगर उन्होंने बिना कोई फैसला दिए फैसले के लिए नियत समय को नष्ट कर दिया है, या

(बी) अगर उन्होंने अदालत अथवा सर पंच को इस बात की लिखित नोटिस दे दी है कि वे राजी नहीं हैं ।

१०—फैसले पर हस्ताक्षर (दरतखत) किए जाना और उसका अदालत में दाखिल किया जाना

जब किसी मामले में पंचायत ने अपना फैसला दे दिया हो, तो जिन लोगों ने वह फैसला दिया है, वे उसपर अपने हस्ताक्षर करके उस फैसले को मय उन बयानों और कागजों के, जो उनके सामने लिए या सुनूत में पेश किए गए हों, अदालत में दाखिल कर देंगे, और इस दाखिल किए जाने की इत्तला फरी कैनको दे दी जायगी ।

११—पंचों अथवा सर-पंच द्वारा किसी मामले का बतौर खास मामले (*Especial Case*) के पेश किया जाना

किसी ऐसे मामले में, जो अदालत के हुकम से पंचायत में भेजा गया है, पंच अथवा सर-पंच, अदालत की इजाजत लेकर, उस कुल मामले या उसके किसी अंग के सम्बन्ध में अपना फैसला देते हुए उसे अदालत की राय के लिए बतौर खास मामले के पेश कर सकते हैं, और अदालत उसमें अपनी राय दे देगी और यह हुकम देगी कि उसकी वह राय उस फैसले में शामिल कर दीजाय और उसका एक अंग समझी जाय ।

१२—फैसले में काट-छांट करने अथवा उसके दुरुस्त करने का अधिकार

अदालत अपने हुकम से किसी पंचायती फैसले में काट छाट कर सकती है अथवा उसे दुरुस्त कर सकती है —

(ए) जब ऐसा मालूम हो, कि फैसले का कुल अथवा उन धाराओं के सम्बन्ध में है जो पंचायत के सामने पेश नहीं की गई थी और वह अंग दूसरे अंगों से अलग किया जा सकता है और इससे उन धाराओं

के सम्बन्ध में दिए गए फैसले के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता जो पचायत के सामने पेश की गई है, या

- (बी) जब वह फैसला जायते में पूरा न हो या उसमें कोई जाहिरा गलती हो जो बिना उस फैसले पर कोई असर डाले दुरुस्त की जा सकती हो, या
- (सी) जब उस फैसले में कोई लिपिने की गलती या ऐसी भूल रह गई हो जो धोखे से गलत कलम चल जाने या कोई बात छूट जाने से हुई हो।

१३—पंचायतके खर्चके सम्बन्धमें हुक्म

अदालत को यह भी अधिकार होगा कि वह पचायत के खर्च के सम्बन्ध में, जैसा उचित समझे, हुक्म दे, जब कि ऐसे खर्च के सम्बन्ध में कोई सवाल पैदा हो और फैसले में इसके सम्बन्ध में कोई सन्तोषजनक व्यवस्था न की गई हो।

१४—फैसला (award) अथवा पंचायतमें पेश किया हुआ मामला कब वापस किया जा सकता है

अदालत को अधिकार होगा कि वह पचायती फैसले को या उस मामले को, जो पचायत में पेश किया गया है, ऐसी शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझे, उसी पक्ष अथवा सर पक्ष के पास उसपर फिर विचार करने के लिए वापस कर दे,—

- (ए) जब उसमें कोई ऐसी बात फंसल करने को रह गई हो जो फैसले के लिए पेश की गई थी, अथवा जब उसमें कोई ऐसी बात फंसल कर दी गई हो जो पेश नहीं की गई थी सिवाय उस दशा में जब कि बिना उस फैसले पर कोई असर डाले, जो पेश की हुई बातों के सम्बन्धमें दिया गया है, वह मामला अलग किया जा सकता हो,
- (बी) जब वह (पचायती) फैसला ऐसा अनिश्चित हो कि उसकी इजरा न की जा सकती हो;
- (सी) जब उस फैसले के बाजायता (कानूनी) होने के सम्बन्ध में उसमें कोई आपत्ति ज्ञान पड़े।

१५—पंचायती फैसला रद्द करनेके कारण

(१) पैरा १४ के अनुसार वापस किया हुआ पंचायती फैसला उस समय नाजायज होजाता है अगर वे पक्ष अथवा सर पक्ष उस पर फिर विचार न कर सकें। लेकिन सिवाय नीचे दिये कारणों पर कोई भी फैसला रद्द न किया जा सकेगा, अर्थात्—

(ए) पच अधवा सर पच के घूस (स्थित) खालेने या अनुचित भाषरण करने पर,

(बी) किसी फीक के, फुरेव से किसी ऐसी बात लिखा रखने का, अपराधी होने पर, जो कि प्रकट की जानी चाहिए थी, अधवा जान बूझकर पच अधवा सर पच को गलत बात बतलाने या धोखा देने पर,

(सी) जब फैसला अदालत के उस हुकम के बाद दिया गया हो जिससे उसने पचायत को रद्द करके स्वयं मामले की समाप्त छुड़ कर दी हो या उस मियाद के खतम होजाने के बाद दिया गया हो जो अदालत ने दी थी अधवा वह और किसी तरह पर नाजायज हो,

(२) जब कोई (पचायती) फैसला नाजायज होजाय या कलॉज (१) के अनुसार रद्द कर दिया जाय, तो अदालत उस पचायत के रद्द किए जाने के लिए हुकम दे देगी और ऐसी दशा में उस मुकद्दमे की सुनाई खुद करेगी ।

१६—अदालत का फैसला पंचायती फैसले के आधार पर होगा

(१) जब अदालत को कोई भी कारण पंचायती फैसले को या पचायत में पेश किए गए मामले को, ऊपर बतलाए अनुसार, उस पर फिर विचार किए जाने के लिए वापस करने का न देख पड़े और पचायती फैसले को रद्द करने के लिए कोई दरखास्त न दी गई हो, या अदालत ने ऐसी दरखास्त, नामजूर कर दी हो, तो, ऐसी दरखास्त देने के लिए नियत समय बीत जाने के बाद, अदालत उस (पचायती) फैसले के आधार पर अपना फैसला दे देगी ।

(२) इस प्रकार अदालत द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार डिकरी दी जायगी और इस डिकरी की अपील न हो सकेगी, सिवाय उस हद तक, जब कि वह डिकरी उस पचायती फैसले से अधिक हो अधवा उस फैसले के आधार पर न दी गई हो ।

**पंचायत में मामला पेश किए जाने के लिए किए गए
इकरारनामा पर हुकम**

**१७—पंचायत में मामला पेश किए जाने के सम्बन्ध में किये
गए इकरारनामा को अदालत में पेश करने के लिए
दरखास्त—**

(१) जब कई लोग इस सम्बन्ध में लिखित इकरार कर कि कोई मामला, जिसकी निरवत उनमें झगडा है, पंचायत में पेश किया जाय, तो, उस इकरारनामा के लिखने वाले, या उनमें से कोई भी शख्स किसी ऐसी अदालत को, जिसको उस मामले की सुनाई करने का अधिकार है जिसके सम्बन्ध में

इकरारनामा लिखा गया है, इस बात की दरखास्त दे सकते हैं कि वह इकरारनामा को दाखिल अदालत कर दे।

(२) दरखास्त लिपित होनी चाहिए और उसपर उस नालिश की तरह पर नम्बर डाले जाने चाहिए और उसको रजिस्ट्र में लेना ही दर्ज किया जाना चाहिए जो उन फरीकैन के बीच दायर की गई हो, जिनमें से एक अथवा अधिक, मुद्दई हो या बतौर मुद्दई के दावेदार हो और बाकी मुद्दाभलेह या मुद्दाभलेहाकी तरह पर हकदार हा. अगर वह दरखास्त कुछ फरीकाकी ओरसे दायर की गई है, या, अगर कोई बात इसके विपरीत है तो, दरखास्त देने वाला मुद्दई और बाकी आदमी मुद्दाभलेह हो ।

(३) ऐसी दरखास्त दिए जाने पर अदालत यह हुक्म देगी कि इसकी नोटिस, दरखास्त देने वाले को छोड़, बाकी उन सभी लोगों को दे दी जाय जिनके दम्यान इकरारनामा हुआ है, जिसमें उन लोगों को इस बात के लिए लिखा जायगा कि वे नोटिस में बतलाए हुए समय के भीतर इस बात की वजह जाहिर करें कि इकरारनामा क्यों न दाखिल अदालत किया जाय ।

(४) जब कोई माहूल वजह न जाहिर की जायगी, तो अदालत उस इकरारनामा को दाखिल अदालत (शामिल मिसिल) किए जाने का हुक्म दे देगी और उस पंच के पास मामला पेश किए जाने के लिए हुक्म दे देगा जो इकरारनामा की शर्तों क अनुसार नियुक्त किया गया हो या, अगर इसके लिए कोई ब्यवस्था नहीं है और फरीकैन सहमत नहीं है तो, अदालत पंच की नियुक्त कर सकती है ।

१८—मुकद्दमें का मुत्तवी किया जाना, जब कि मामले को पंचायत में पेश किए जाने के लिए इकरारनामा किया गया हो ।

जब मामला पंचायत में पेश किये जाने के लिये किये गये इकरारनामा का लिपिते वाला कोई भी शख्स या कोई ऐसा शख्स, जो उसके जरिये से दावेदार है, उस इकरारनामा के लिखने वाले दूसरे शख्स के ऊपर या उस शख्स के ऊपर, जो उसने जरिये से दावेदार है उस मामले के सम्बन्ध में कोई नालिश दायर करे जिसे पंचायत में पेश किये जाने के लिये इकरारनामा हुआ है, तो ऐसी नालिश क किसी भी फरीक को अधिकार है कि वह जल्द से जल्द और उन सभी दालतों में, जब कि उमूर तक़ीह तलाब या इकरारनामा होने के समय या उसने पहिले फतल हागा हा, अदालत की मुकद्दमा मुत्तवी किये जाने के लिये दरखास्त दे और अदालत अगर उसे इसबात का इतमानान हा जाय कि इस बात क लिये कोई माहूल वजह नही है कि मामला उस इकरारनामा क अनुसार पंचायत में क्यों न पेश किया जाय जो इस मामले को पंचायत में पेश करने के लिये किया गया

है और यह कि सायल (दरखास्त देनेवाला) नालिश दायर किये जाने के समय उन सारी बातों के करने के लिये तैयार और राजी था और अब भी है जो पंचायतमें ठीक प्रकार से मामला फैसला किये जानेके लिये आवश्यक है, मुकद्दमा मुस्तवी करने के लिये हुकम दे सकती है।

१९—पैराग्राफ १७ के अनुमार की जाने वाली कार्रवाई के सम्बन्ध में लागू होने वाले नियम

उपरोक्त नियम, जहां तक कि वे इस इकरारनामा के अनुसार हों जो पैराग्राफ १७ के अनुसार अदालत में दाखिल किया गया है, उन कुछ बातों के सम्बन्ध में, जो पंचायत में मामला पेश करने के सम्बन्ध में उस पैराग्राफ के अनुसार अदालत द्वारा दिये गये हुकम के अनुसार की जाय, और पंचायती फैसला तथा उस फैसले के आधार पर दी गई डिकरी के सम्बन्ध में लागू होंगे।

विना अदालत के हस्तक्षेप के पंचायत का होना (३)

Arbitration without the intervention of a Court

२०—उस मामले में जो किसी अदालत के विना हस्तक्षेप किए हुए पंचायत में पेश किया गया हो, दिए गए पंचायती फैसले का दाखिल अदालत किया जाना

(१) जब कोई मामला विना किसी अदालत के हस्तक्षेप के पंचायत में पेश किया गया हो और उसमें पंचायत ने अपना फैसला दे दिया हो, तो कोई भी शर्ष, जिसका उस फैसले से सम्बन्ध है, किसी भी अदालत को, जिसे उस मामले की सुनाई करने का अधिकार हो जिसके सम्बन्ध में फैसला दिया गया है, यह दरखास्त दे सकता है कि वह पंचायती फैसला दाखिल अदालत किया जाय।

(२) यह दरखास्त लिखित होगी और उस पर चतौर नालिश के, जिसमें सायल मुद्दई और दूसरे लोग मुद्दा अलेह होंगे, नम्बर डाले जायगे और उसका इन्दराज रजिस्टर में किया जायगा।

(३) अदालत इस बातका हुकम देगी कि, सायलको छोड़, पंचायत में पेश किए गए मामले के सभी "फरीकन" को नोटिस दीजाय जिसमें उनको एक नियत समयके भीतर इस बातकी वजह जाहिर करने के लिए लिखा जाय कि वह पंचायती फैसला क्यों न दाखिल अदालत किया जाय।

२१—ऐसे फैसले का दाखिल किया जाना और उसका अमल में लाया जाना

(१) जब अदालतको इस बातका विश्वास होजाय कि मामला पंचायतमें पेश किया गया है और यह कि पंचायत ने उसमें अपना फैसला दे दिया है और जब

पैराग्राफ १४ या १५ में बतलाई हुई अथवा उल्लिखित कोई भी वजह स्थापित न हुई हो, तो अदाकत उस पचायती फैसले को दायित्व अदाकत किये जानेका हुक्म दे देगी और उसी (पचायती) फैसले के आधार पर अपना फैसला सुना देगी।

(२) इस प्रकार दिए गए अदाकत के फैसले के अनुसार डिफरी दी जायगी और इस डिफरी के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं करेगी, सिवाय उस हद तक जब कि डिफरी उस पचायती फैसले से जायद दी गई हो या वह उस फैसले के आधार पर न हो।

२२—स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्ट सन १८७७ ई० मेंसे कुछ शर्तोंका निकाल दिया जाना

स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्ट (कानून द्वादसी ग्रास) सन् १८७७ ई० की धारा २१ के नीचे लिखे हुए अन्तिम शब्द, पचायतमे मामला पेश करनेके लिए किए गए इकरारनामा में अथवा किसी पचायती फैसलेके सम्बन्धमें, लागू न होंगे जिसके सम्बन्धमें इस परिशिष्ट के नियम लागू होते हैं।

“लेकिन अगर कोई शर्त, जिसने ऐसा कोई सुआहिदा किया है और उसके पूरा करने से इनकार कर दिया है, किसी भी ऐसी बातके सम्बन्धमें नालिश करता है जिसे उसने पचायत में पेश करने का सुआहिदा (इकरारनामा) किया है, तो इस सुआहिदा के होने से नालिश दायर नहीं की जा सकती।”

२३—फार्म

जो फार्म जमीना (Appendix) में बतलाए गये हैं, वे, ऐसी रद्द बद्द करने के बाद, जैसी प्रत्येक मामले में आवश्यक हो, उसमें बतलाई हुई भिन्न भिन्न बातों के सम्बन्ध में प्रयोग में लाए जायेंगे।

पंचायतमें मामला पेश किये जानेका हुक्म हासिल करने के वास्ते

दरखवास्त

उनवान मुकदमा

१-ग्रह मुकदमा वास्ते [इस जगह पर दावा की किस्म लिखनी चाहिए]
दायर किया गया है ।

२-फरीक़ेन के बीच जिस बातका झगडा है वह इस प्रकार है [यहाँ पर वह
बात लिखनी चाहिए जिसकी निश्चय झगडा है] ।

३-सायलोमें, जिगमे के सभी लोग फरीक़ मुकदमा है, यह तय पाया है कि
उनमें जिस बातकी निश्चय झगडा है वह पंचायत में पेश की जाय ।

४-इसलिए सायलों की यह दरखवास्त है कि पंचायतमें मामला पेश करनेके
लिए इजाजत दीजाय ।

(नाम सायलान)

भाज तारीख़ माह सन् १९ ई० ।

नोट—अगर फरीक़ेन में पक्षों की निश्चय भी बात तय हो होगई है तो यह
भी लिख देना चाहिए ।

(१५१)

नवंबर १९२२

पंचायतमें मामिला पेश किये जानेकी वाचत हुकम

[उनवान मुकदमा]

जो दरख्वास्त सारीख माह सन् १९२२ ई० को दाखिल की गई थी, उसको पढ़कर यह हुकम दिया जाता है कि यह नीचे लिखा हुआ मामला, जिसकी निश्चत इस मुकदमेमें झगडा है, अर्थात्

फैसले के लिए और के पास पेश किया जाय या अगर वे सहमत न हों तो के पास पेश किया जाय, जो इस तहरीर के जरिये सरपंच मुकदमे किए जाते हैं, और इन पंचों को चाहिए कि वे अपना फैसला लिखकर सारीख माह सन् १९२२ ई० तक या उसके पहिले दे दें, और अगर उपरोक्त पंच फैसले में सहमत न हों तो उक्त सरपंचको चाहिए कि वह उस समयके खतम हो जानेके बाद, जिलेमें कसबा देना पंचोंके अधिकारमें है, * * महीने के भीतर अपना लिखित फैसला दे दें।

दरख्वास्त देने की इजाजत है।

यह हुकम मेरे दस्तखत और अदालत की मोहर से आज सारीख * * * *

माह '___' सन् १९२२ ई० को दिया गया।

दस्तदार जज

नए पंचकी नियुक्ति के सम्बन्ध में हुक्म

[उनवान मुकद्दमा]

चूंकि तारीख ... माह सन् १९.....ई० को [यहाँ पर पंचायतमें मामला पेश किए जाने के लिए दिया गया हुक्म और पंचकी मीत इन्फ़ारमरी इत्यादि खारी घाते लिखी जानी चाहिए] दिए गए हुक्मके अंतर्गत बर्ज़ामन्दी यह हुक्म दिया गया है कि के स्थान में, जिनकी सूर्यु होगई है (भयथा जैसी कुछ भी हो) नियुक्त किए जाते हैं कि वह " के साथ, जो उक्त हुक्मके अनुसार नियुक्त किये गये पंचों में से बाकी बचे हुए पंच हैं, बतौर पंचके काम करें, और यह हुक्म दिया जाता है कि उक्त पंच अपना फ़ैसला तारीख ... माह ... सन् १९ ... ई० को या उससे पहले दे दें।

यह हुक्म मेरे इस्तख़्त और अवाक़तकी मोहरसे आज तारीख ... माह ... सन् १९.....ई० को दिया गया।

इस्तख़्त जल

(२५३)

नं० ४

ज्ञास मामला

[उनघान मुकद्दमा]

_____ साकिन _____ और _____

साकिन _____ के बीच में होने वाली पचायत के सम्बन्ध में नीचे लिखा
मामला एतौर खास मामले के अदालत की राय के लिए पेश किया जाता है—

[यहां पर कुछ बातों को खक्षेप में और पैरावार लिखना चाहिए]

कानूनी प्रश्न, जिनके निरूपण अदालत को अपनी राय जाहिर करनी
चाहिए, ये हैं—

पहला यह कि क्या _____

दूसरा यह कि क्या _____

_____ (पक्षका नाम)

_____ (पक्षका नाम)

तारीख : : माह : : सम १९ : : ई० ।

(२५४),

नंबर ५

पंचायत का फैसला

[उनवान मुकदमा]

साकिन ————— भीर

साकिन के बीच होने वाली पंचायत का मामला ।

चूंकि पंचायत में मामला पेश करने सम्बन्धी दृकमके अनुसार, जो तारीख
... माह ... सन १९... ई० की ... की आदालत द्वारा दिया
गया था, नीचे लिखा मामला, जिसकी निस्वत ... भीर ... में
क्षमता है, अर्थात्

हमारे सामने फैसले के वास्ते पेश किया गया है,

अब हम, उस मामले पर, जो हमारे सामने पेश किया गया है, भलीभांति
विचार कर, अपना नीचे लिखा हुआ फैसला देते हैं

अब हम यह फैसला करते हैं,

(१) कि


(२) कि

तारीख ... माह ... सन १९... ई०

(पक्षोंके नाम)

पञ्चायत

उपरोक्त पंचायत के विषय को सरल रीतिसे समझनेके लिये हाल तककी नज़ीरों सहित व्याख्या नीचे दी गई है। जहा पर पंचायत से सम्बन्ध रखने वाले किसी पैराका उल्लेख किया गया हो तो आप ऊपर मूल में देख कर विचार करें,



जब किसी मुकद्दम में उस मुकद्दम से सम्बन्ध रखने वाले कुछ फरीक़ेन इस बात पर राजी हों कि कोई मामला पंचायतमें पेश कर दिया जाय, तो फैसला दिए जानेके पहिले किसी भी समय वे अदालत को इस बातकी दरख़्वास्त दे सकते हैं कि, अदालत उस मामलेको पंचायतमें पेश किए जानेके लिए हुक़म दे देवे। ऐसी दरख़्वास्त कि विवत हानी चाहिए और उसमें उस मामलेका भी हवाला होना चाहिए जो पंचायतमें पेश किए जाने को है (देखो ज़ाबता दीवानीका परिशिष्ट २ पैरा १)

इस पैरामें उस पंचायतका ज़िक्र है जो किसी ऐसे मामलेमें की जाने को हो जो चल रहा है। जाबता दीवानीमें तान प्रकारका पंचायतका वर्णन है —

(१) जब किसी चलते हुए मुकद्दम में के फरीक़ेन मामलेको पंचायतमें पेश करना चाहते हों। इस प्रकारके मामलेमें आदिश अन्त तक सारी कार्रवाई अर्थात् लवाजी देकर रखमें रहती है और इस सम्बन्धमें अमलमें जाने वाले नियमाका वर्णन परिशिष्ट २ क पैरा १ से १६ तक में किया गया है।

(२) जब फरीक़ेन बिना मुकद्दमा याजीमें पड़े मामलेको पंचायतमें पेश करना चाहते हों और इस बातकी इच्छा प्रकट की गई हो कि मामला पंचायतमें पेश करने के लिए किए गए इकरारनामाके ऊपर अदालतकी मजूरी जरूरी है। यह इकरारनामा अदालतमें दाखिल किया जाता है। इस अवस्थामें आगेहाने वाली सारी कार्रवाई अदालतकी देख रकमें होती है और इस सम्बन्धमें पैरा ३ से १६ तकके नियम, जहां तक कि वे दाखिल किए गए इकरारनामाके अनुकूल हों, लागू होंगे।

(३) जब मामला पंचायतमें पेश किये जानेका इकरारनामा किया गया हो और बिना अदालतके कुछ इस्तक्षेप किए पंचायती कार्रवाई की जाय, और अदालतकी मदद सिर्फ उस पंचायती फैसलेको अमलमें लानेके लिए ही मांगी जाय। ऐसे मामलेमें जोई भी शकस, जिसका उस पंचायती फैसलेसे सम्बन्ध है, उस सम्बन्धमें अर्थियार समाप्त करने गाने किसी भी अदालतको यह दरख़्वास्त दे सकता है कि यह पंचायती फैसला सामिन्त मिनिश करके-उरुकी अनुसार ठिकरी दे दी जाय, (देखो पैरा २० और २१)।

(१) और (२) अधिका (३) में बतलाई हुई अवस्थाओंमें पचायतमें मामला पेश करनेके बीच बड़ा अन्तर है । (१) में बतलाई हुई हालतमें पचायत में मामला दिए जाने के लिए किया गया इकरारनामा और उस इकरारनामाके आधार पर दी गई दरख्वास्तोंके सम्बन्धमें उन सभी फरीकैनकी मजूरी होना जरूरी है जिनका उनसे सम्बन्ध है और असलमें मामलेका पेश किया जाना उसी समय हो सकेगा जब अदालतने इसके लिये हुक्म दे दिया हो, इसलिए उस समय तक कार्रवाईके बाकायदा होनेके सम्बन्धमें कोई भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता । (२) और (३) में बतलाई हुई अवस्थाओंमें की जाने वाली कार्रवाई, जो घतोर मुकद्दमाके बतलाई गई है और जो मुकद्दमेकी भांति रजिस्टर की गई है, इस प्रकार की जानी चाहिए कि उस सारी कार्रवाईकी—पचायतमें मामला पेश करनेका इकरारनामा या पचायती फैसला, जैसी कुछ भी अवस्था हो—समाप्त अदालत कर सके । ऐसी दरख्वास्त के विरुद्ध कारण दिखलाना चाहिए । और ऐसा मालूम होगा कि उसके ऊपर जो हुक्म दिया गया है वह जायता दीवानीमें बतलाई हुई डिकरी है, (देखो 29 C 167 P C, 6 C W N 226

विषी ऐस मुकद्दमेंकी पचायतमें, जो कि चछरहा है, उससे सम्बन्ध रखने वाले सभी लोगको उस इकरारनामामें शामिल होना चाहिये जो पचायतमें मामला पेश करने के सम्बन्धमें लिखा गया हो, (देखो 29 C 167 P C, 30 C 218, 10 W R 171, 11 C 37)—यह तय हुआ है कि सिर्फ यह बात, कि कोई मुद्दाभलेह हाजिर नहीं हुआ है और मुकद्दमेंमें कोई वाद-विवाद नहीं करता है, इस बातके मान लेनेके लिए काफी बजह नहीं है कि वह ऐसा फरीक नहीं है जिसका उस मुकद्दमसे सम्बन्ध न हो, देखो 27 C L. J 939, 25 C L J 339, 43 I C 169, 42 M 632, 8 A L J 645, 35 A 107 इसके विपरीत फैसलेके लिए देखो 32 A 657, 39 A. 489, 495, 18 M L T 374—जब तक कि उसे खास तौरसे इसके लिए अधिकार न दिया गया हो, कोई वकील पचायतमें मुकद्दमा पेश किए जाने के लिए दरख्वास्त नहीं दे सकता, देखो 7 C W N 343, 16 W R 160—जिस वकालतनामामें आम अफ्तयारात दे दिए गए हों, वह बिल्कुल काफी नहीं है, देखो 29 A 429 अगर कोई मुफ्तार जिसे किसी मुकद्दमेकी पैरवी करनेका अधिकार दिया गया है, उस फराककी जानमें और उसकी मजूरीसे मामलेको पचायतमें दे देता है, तो वह फरीक इस बात पर एतराज नहीं कर सकता कि वकीलकी लिखित आज्ञा नहीं दी गई थी, देखो 9 M 451, 24 C 469—हमेशा यही जरूरी नहीं है कि लिखित आज्ञा ही दी जाय, देखो 30 A 32, 23 B 629

अगर फरीकैन मुकद्दमा इस बातके लिए राजी हों, तो अदालत अपील भी मामलेको पचायतमें भेज सकती है, देखो 43 C 290, 12 C 173, 18 C 507, 33 A 645, 3 M 78

दरख्वास्त लिखित होनी चाहिए । अगर ऐसा न किया गया तो इसका सुधार जायता दीवानी की दफा ९९ के अंतर्गत किया जा सकता है, देखो 27 C 61

30 A 32—अगर फरीक़ैन पचायतमे मुक़द्दमा देनेके लिए राजी हो जाय और उसी जगह अदालत इसकी भंजूरी भी देदे, यद्यपि यह हुज़म किसी लिखित दर रुयातके ऊपर न दिया गया हो, तो वह हुज़म बिल्कुल जायज होगा, देखो 79 I C 816 (A)—पचायतम मामला पेश हो जाने के बाद अदालतको यह अधिकार नहीं है कि वह इनमें से किसी एक फरीक़को इस शर्तके साथ मुक़द्दमा चापस लेनेका हुज़म दे सके कि वह फिर नए खिरेसे मुक़द्दमा दायर कर सकेगा, देखो 9 A 168 और 31 C 516

किसी घटते हुए मुक़द्दमेमें पचायती कार्रवाईके सम्बन्धमें जायता—अदालत अपने हुज़मसे उस मामलेको, जिसकी निस्पत झगडा हो, पचायतमे दे देगी और पचायती फ़ैसला दिए जानेके लिए कोई समय नियत कर देगी। जब मामला पचायतम पेश कर दिया गया हो, तो अदालत, सिवाय परिशिष्ट २ पैरा ३ में बतलाए हुए नियमानुसार, उस मामलेके सम्बन्धमें कोई कार्रवाई न कर सकेगी। अगर पंच लोग नियत समयके भीतर फ़ैसला न दे सकेंगे, तो अदालत या तो वह समय बढ़ा देगी या उस पचायतसे मामला उठा लेगी और ऐसी दशामें वह स्वयं उस मामले पर त्रिचार करेगी, (देखो पैरा ८)—जब मामला दो अथवा अधिक पक्षों के सामने पेश किया गया हो, तो उनके मत भेदके सम्बन्धमें व्यवस्था करने के लिये हुज़म दिया जासकता है। जब कोई सर पंच मुक़र्रर किया गया हो, तो अदालत उसके फ़ैसला देने के लिए समय नियत कर देगी (देखो पैरा ४)—कुछ मुक़द्दमोंमें पंच मुक़र्रर करकेका अधिकार है, उदाहरणार्थ, जब कि पंचके मुक़र्रर करने के सम्बन्धमें फरीक़ैन राजी न होते हों या जब कोई पंच काम करेसे इनकार कर दे या मर जाय इत्यादि इत्यादि। अगर फरीक़सानीको नोटिस दिए जाने पर साठ रोज़के भीतर पंच मुक़र्रर न किया गया, तो अदालतको अधिकार है कि वह फरीक़सानीके बयान लेनेके चान् किसी शख्सको पंच मुक़र्रर कर दे या पचायतको रद्द कर दे (देखो पैरा ५)—पक्षोंको गवाह तलब करने का अधिकार है (देखो पैरा ७)

पचायती फ़ैसला देने वाले शख्स उस पर अपने हस्ताक्षर कर देंगे और मय बयानों और कागजातके (अगर कोई हो) उसे अदालतमें दाखिल करवा देंगे, और उस फ़ैसलेको अदालतमें दाखिल किए जानेको नोटिस फरीक़ैनको दे दी जायगी (देखो पैरा १०)—पंच अथवा सर पंचको अधिकार है कि वह अदालत की राय के लिए अपने फ़ैसलेमें किसी मामलेके कुछ या कुछ हिस्सेको 'ख़ास मामला' की तौर पर दर्ज कर दे (देखो पैरा ११)

अदालत किसी पचायती फ़ैसलेको तग़्मीम या सही कर सकती है, जबकि—
(क) वह फ़ैसला किसी ऐसे मामलेके सम्बन्धमें दिया गया हो जो पचायत में पेश न किया गया हो और उसका उतना अंश फ़ैसले पर बिना कोई प्रभाव डाले अलग किया जा सकता हो, या

(ख) जब कि उसमें कोई जाबतेकी कमी रद्द गई हो या कोई भारी भूट हो गई हो, या

(ग) जब कि गलत कलम चल जाने या कोई बात छूट जाने से उसमें कोई लिखने-पढ़नेकी गलती रह गई हो (देखो पैरा १२)

अदालत पचायतमें होने वाले खर्चके सम्बन्धमें भी हुक्म दे सकती है (देखो पैरा १३)

अदालतको किसी फैसले या उसके किसी हिस्सेको, उस पर फिर विचार करने के लिए, वापस कर देनेका अधिकार है—जब (क) कोई बात बिना तय की हुई छोट दी गई हो या जब कोई ऐसी बात तय कर दी गई हो जो पेश नहीं की गई है, (ख) जब फैसला अनिश्चित हो, या (ग) जब उसके बाजायता होने के सम्बन्धमें कोई एतराज हो (पैरा १४)

फैसलेकी मसूली—सिवाय नीचे लिखी किसी बिनाके ऊपर, कोई भी पचायती फैसला मसूला न किया जा सकेगा—

(क) पंच अथवा सर पंचके घूस वगैरा रा लेने या अनुचित व्यवहार करने पर,

(ख) फरैव (कपट) के साथ किसी बातको छिपाने या जान बूझकर पंच को गलत बात समझाने या धोखा देनेकी हालतमें,

(ग) जब फैसला उस हुक्मके बाद, जिससे पचायत रद्द कर दी गई है और मामला अदालतने अपने हाथमें ले लिया है, या उस मियादके खतम हो जाने के बाद दिया गया हो जो अदालतने मुकदमे की है, अथवा जब वह और किसी तरहसे नाजायज हो ।

जब कोई पचायती फैसला नाजायज हो जाय या और किसी तरहसे रद्द कर दिया जाय, तो अदालत उस मामलेमें स्वयं विचार करेगी (देखो पैरा १५)

मजूरी—जब अदालत, उसपर फिर विचार किए जानेके लिए, किसी पचायती फैसलेको वापस करनेका कोई कारण न देवे और उसके रद्द किए जानेके लिए कोई दरखास्त न दी गई हो या अदालतने ऐसी दरखास्त नामजूर कर दी हो तो उस पचायती फैसलेके आधार पर अदालत अपना फैसला सुना देगी और फिर उस मुकदमेमें वैसी ही डिकरी दे दी जायगी (देखो पैरा १६)

विवरण—यह आवश्यक है कि पचायती फैसलेके लिए अदालत एक मुनासिब मियाद मुकदमे कर दे। यह शर्त बाकीदी है। जब कि एक पचायती फैसला नियत समयके बाद दिया गया, तो यह तय पाया कि वह फैसला नाजायज है, देखो 18 A 300 P C; 8 A 548, 14 A 347, 30 A 169 और 18 M 22—किन्तु यह भी तय किया गया है कि अगर वह पचायती फैसला नियत समयके भीतर दिया गया है, तो यह काफी होगा। यह आवश्यक नहीं है कि वह उस मियादके अन्दर अदालतको पहुंच जाय, देखो 27 A 459, 13 B 119, 13 A 300, 26 A 105, 8 C W N 916—यद्यपि नियत समयके बाद दिया हुआ पचायती फैसला नाजायज है किन्तु फरीकत उसकी निश्चित यह दोषारोपण न कर सकेंगे कि वह नियत समयके बाद दिया गया है,

देखो 4 P L J 265, 270—अदालत को अधिकार है कि यह फैसला खतम न हो जाने तक के लिए समय को बढ़ा दे। केवल इस बातसे, कि अदालतने उस पचायती फैसलेके आधार पर डिक्री दे दी है, यह अनुमान नहीं किया जा सकता कि मियादकी मुद्दत बढ़ा दी गई है, (देखो 13 A 300 P C, 8 A 548)—फैसला उसी समय 'दिया गया' समझना चाहिए जब कि वह पूरा हुआ हो और उस पर पचायती हस्ताक्षर हुये हों, देखो 27 A 459, 26 A 105—'दिया गया' शब्दमै फैसलेका अदालतमें दायित्व करना शामिल नहीं है, देखो 13 B 119

पचायतमें मामला पेश करने सम्बन्धी हुक्मके फ़ामके लिए देखो परिशिष्ट (२) के जमीमाका फ़ार्म न० २ ।

किसी मामलेके एक बार पचायतमें पेश हो जाने पर बिना उचित और पर्याप्त कारणके कोई भी फ़रीक़ उसका विरोध नहीं कर सकता, देखो 10 W R 51 P C, 7 A 273, 27 M 112, 17 C 200—विरोधी पक्ष से पंचका मिल जाना उचित कारण है, देखो 29 A 13.

मत भेद के सम्बन्ध में बिना कोई व्यवस्था किये हुए मामले का पचायत में देना—जब पचायती की राय में होने वाले मत भेद के लिये हुक्म में कोई व्यवस्था न की गई हो, तो अदालत को यह हुक्म दे दिया जाना चाहिए कि पंच लोग एक सर पंच चुन लें अथवा यह कि अधिक संख्यक लोगों की बात मान ली जायगी, या वह स्वयं कोई सर-पंच सुकरर कर देगी, देखो 10 W R 398, 11 W R 150 जब अदालत ने सर पंच के लिये कोई व्यवस्था न की हो और उन पचायती में से किसी एक शख्स के, जो मत भेद रखता है, दरखास्त देने पर किसी सर-पंच को नियुक्त कर दिया हो, तो वह पचायती फैसला नाजायज न होगा, देखो 8 A 64—अगर पचायती को सर पंच सुकरर करने का अधिकार दिया गया हो, तो वे उस अधिकार को अन्य किसी को नहीं दे सकेंगे, देखो 17 B 129—केवल इस बात से, कि पचायती में होने वाले मत भेद के लिए व्यवस्था नहीं की गई है, पचायती फैसला नाजायज नहीं हो जाता, जब कि उसमें किसी प्रकार का कोई मत-भेद न हो, देखो 17 W R 30, 8 C L J 475,—जब पचायती को यह अधिकार न दिया गया हो, कि उनका बहुमत से दिया हुआ फैसला मान्य होगा, तो केवल बहुमत से दिया हुआ फैसला नाजायज होगा, देखो 19 W R 47, 7 M 174

अदालत की ओर से की गई नियुक्ति—अदालत, सिवाय उन मामलों में, जो कि परिशिष्ट २ के पैरा ५ में आते हैं, पंच सुकरर नहीं कर सकती, देखो 10 B 381, 3 A L J 185—पैरा ५ के अनुसार नोटिस दिये बिना अदालत पंच अथवा सर पंच की नियुक्ति नहीं कर सकती, देखो 11 A 578—नियुक्ति के फ़ाम के लिये देखो परिशिष्ट २ के जमीमा का फ़ार्म ३

पचायत का रद्द किया जाना—मुकद्दमें की समाप्त शुरू करने के पहिले अदालत के लिये यह आवश्यक है कि वह पैरा ५ अथवा ८ के अनुसार उस पचायत के रद्द किये जाने के लिये हुक्म दे देवे, देखो 24 A 315

भियाद—कानून मियाद के आर्टि० १५८ के अनुसार, किसी फैसले को रद्द करने के लिए दीजाने वाली दरखास्त की मियाद उस तारीख से दस दिन है जिस तारीख को फरीकैन को फैसला अदालत में दाखिल कर दिए जाने की नोटिस मित्री हो, उस तारीख से नहीं जिस तारीख को कि वह फैसला अदालत में दाखिल किया गया हो (देखो 19 A L. J 404, 1915 P W R. 30)—दस दिन खतम होने के पहिले डिफरी नहीं दी जा सकती, देखो 21 M L J 444, 29 A 584, 1921 M W N 793—परिशिष्ट २ के पैरा १० का मशा यह है कि नोटिस अदालत में फैसला दाखिल होजाने के बाद दिया जाय ।

कानून मियाद का आर्टि० १५८ उस फैसले को वापस करने के लिए दी गई दरखास्त के सम्बन्ध में लागू नहीं होता (देखो 1918 M W N 477)—और न उसमें काट-छाट या दुर्हस्ती करने के लिए दी गई दरखास्त में ही लागू होता है (देखो 24 M L J 483)

बिना मुकद्दमा चले मामला पचायतमें देनेका इकरारनामा—जिन लोगों में, अदालत के बाहर, पचायत में मामला देने का लिखित इकरारनामा होगया हो, वे अदालत को इस बात की दरखास्त दे सकते हैं कि वह इकरारनामा दाखिल अदालत किया जाय । लिखित प्रार्थना पत्र (दरखास्त) देने पर, अदालत से उस इकरारनामा के लिखने वाले लोगों के नाम नोटिस जारी की जायगी कि, वे इस बात की वजह जाहिर करे कि वह इकरारनामा क्यों दाखिल अदालत न किया जाय, और अगर इसके लिए काफी वजह जाहिर न की गई, तो अदालत उस मामले को पचायत में पेश करने का हुंम दे देगी (देखो पैरा १७)—अदालत किसी मुकद्दमे के मुतलबी निये जानेका हुंम दे सकती है, जबकि पचायत में मामला पेश किए जाने के लिए इकरारनामा हुआ हो (देखो पैरा १८) उस सम्बन्ध में पैरा ३ से १६ तक के वे नियम लागू होंगे जिनका सम्बन्ध इकरारनामा से है ।

पैरा १७ के विस्तार के सम्बन्धमें देखो 29 C 167 P O इस बातका एक आम इकरारनामा, कि आगे होने वाले तमाम झगडों का निपटारा पचायत से कराया जाय, पैरा १७ में आता है । ऐसे इकरारनामा में पक्षों का नाम अवश्य होना चाहिए या उसमें किसी पक्ष की नियुक्ति के सम्बन्ध में व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए, देखो 20 B 232

बिना अदालतके हस्तक्षेप किये मामलेका पचायतमें जाना—इस सम्बन्धमें पैरा २० लागू होता है । जब कोई मामला बिना अदालत के किसी हस्तक्षेप के पचायत में दे दिया गया हो और उस पर पचायत ने फैसला दे दिया हो, तो उससे सम्बन्ध रखने वाला कोई भी शरूस इस बात के लिए दरखास्त दे सकता है कि वह फैसला दाखिल अदालत किया जाय । पचायत में दिए हुए मामले के फरीकैन जो इस बात की वजह दिखाने के लिये नोटिस दे दी जायगी कि वह फैसला क्यों न दाखिल दफतर किया जाय (देखो पैरा २०)—जब अदालतको

इस बात का इतमीमात होनाय कि मामला पचायत में पेश किया गया है और उसपर पचायत ने अपमा फैसला दे दिया है, तो वह उसी के आधार पर अपमा फैसला दे देगी और फिर उसी के अनुसार डिकरी दे दी जायगी (देखो पैरा २१)

स्पेलिफिक रिलीफ ऐक्ट (कानून दादरखी स्यास) नं० १ सन् १८७३ की धारा २१ के नीचे लिखे ये अन्तिम शब्द किसी इकरारनामाके सम्बन्ध में, जो पचायत में मामला देनेके लिये किया गया हो, या किसी पचायती फैसलेके सम्बन्धमें, जिसमें परिशिष्ट १ के नियम लागू होते हैं, लागू न होने (देखो पैरा २०) - वे शब्द ये हैं—

“लेकिन अगर कोई शख्स, जिसने ऐसा मुआहिदा किया है और उसके अनुसार कार्य करने से इन्कार कर दिया है, किसी ऐसी बात के सम्बन्ध में नालिश करता है जिसे उसने पेश करने का मुआहिदा किया है, तो ऐसे मुआहिदा के होने से नालिश दायर नहीं की जा सकती” ।

पैरा २० (३) में भाष्य हुए “फुगीकन” शब्दसे सिर्फ उन्हीं लोगोंसे अभिप्राय मही है जो वास्तव में पेशा के सामने हाजिर हुए हैं और न उन लोगों से जिनके ऊपर उस पचायती फैसले का प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, देखो 8 A. 340 ऐसे मामलों में नालिश के घली का होना अत्यावश्यक है, देखो 9 B N C 289—अदालत को पैरा २० के अनुसार किसी पचायती फैसले का संशोधन करने या उसपर फिर विचार करने के लिये उसे वापस करने का अधिकार नहीं है, देखो 27 A. 526—अगर पचायत में मामला देनेके लिये किया गया इकरारनामा गोल मोल और अनिश्चित हो तो उस पचायती फैसले को भ्रमल में लाए जाने की इजाजत न दी जायगी, देखो 16 C 482 जब किसी निजी पचायत द्वारा दिए गए फैसले में कोई ऐसी बात तय की गई हो जो पेश नहीं की गई है, तो वह फैसला सारिज कर दिया जाना चाहिए, देखो 27 A. 526; 29 M 303

पैरा २० के अनुसार दी गई दरखवास्त जायता दीवानी के भांडर २३ कूल १ के अनुसार वापस ला जा सकती है, देखो 31 C 516; 19 C L J 260 नंबर 9 A. 168


पैरा २० के अनुसार दी जाने वाली दरखवास्त पर लगाया जाने वाला मुनालिष कोर्ट फीस, दरखवास्ता पर लगाया जाने वाला कोर्ट फीस है, अर्जीदावा के ऊपर लगाया जाने वाला कोर्ट फीस नहीं है, देखो 10 C 11; 13 C L R 171 कोर्ट फीस बढ़ी होगी जो कोर्ट फीस ऐक्टके परिशिष्ट १के आर्टि० १ में घतलाया गया है, देखो 33 C 11

निजी तौर पर की गई पचायत के फैसले को भ्रमल में लाए जाने के लिए नालिश दायर की जा सकती है, देखो 26 B 76, 15 M 99; 20 M 490, 24 A. 164

नोट—पचायत ऐक्ट के जरिए से जो मामले पचायतमें फैसल हो जायें, उन के फैसले के रद्द करने या मसूख कराने या बदलाने आदिमें वह सय या उभमें से

कोई ख़ास बात मजबूती के साथ साबित करना चाहिए जो ऊपर बताई गई है।
 गई नज़ीरे यहाँ तक हो गई है कि पक्षोंने शहादत नहीं ली, तो भी फैसला मसूख
 नहीं हुआ। पंचायत में मामला समझ चूझकर पहिले हीसे ले जाना चाहिए और
 यह सोच लेना चाहिए कि पंचायत में जो भी फैसला हो जायगा, चाहे हम जीते
 या हारे, हम उसके बाद कोई अदालती कार्रवाई नहीं करेंगे तभी अपने मामले
 को पंचायत में ले जाना चाहिए। पंचायत में मामला फैसल करानेका भाव यही
 है कि अदालती कार्रवाई नहीं करना है। यह भी भाव है कि पंच लोग मामले
 से स्वयं वाकिफ़ कार होते हैं। इसी बुनियाद पर कुछ ऐसे मुकद्दमें भी फैसल
 हुए हैं कि जिनमें पक्षों ने किसी पक्ष की शहादत नहीं ली सिर्फ़ अपनी तबियतसे
 फैसला किया तो भी मसूख़ न हुआ। इसीसे यह कहते हैं कि पंचायत समझ-चूझ
 कर फ़ीजिये, पीछे कोई कार्रवाई अदालती न फ़ीजिये, अपने काम धंधे में लगिये।
 पंचायत में मामला ले जानेका प्रधान उद्देश्य ही यही है कि पंचायत से फैसला
 हो जाने के बाद भागे अदालती कार्रवाई समाप्त हो जायगी।

गवाहोंके बयान लेना



सवालान्त और जिरह

Examination in chief and Cross Examination

गवाहोंके बयान किस क्रमसे लेने चाहिए और बयान लेते समय किस नियमोंका पालन करना आवश्यक है ये सारी बातें कानून महादत्तकी दफा १३५ और उसके बाद वाली दफाओंमें बतला दी गई हैं। गवाहोंके बयान लेनेका क्रम यह होता चाहिए—

अपकोई गवाह कष्टघरे (Witness box) के अन्दर लाया जाय, तो सबसे प्रथम उसे चाहिए कि यह शपथ ले, अथवा इस बातकी प्रतिज्ञा करे, कि यह सिवाय सत्यके कोई भी झूठ बात न कहेगा। इसीको धमकी खाती देकर सच सच बयान देनेकी प्रतिज्ञा कहते हैं। दलफ (शपथ) जिस प्रकार दिखाई जानी चाहिए अथवा प्रतिज्ञा किस प्रकार कराई जानी चाहिए, इस बातकी व्यवस्था इण्डियन ओथ्स ऐक्ट (भारतीय कानून दलफ) न० १० सन् १८७३ ई० में की गई है।

ज्योंही गवाह शपथ (दलफ) ले चुके या सत्य भाषणकी प्रतिज्ञा कर चुके, त्योंही उस शफुलकी उस गवाहके बयान लेने शुरू कर देने चाहिए जिसने उसे महादत्तम तलफ कराया है। ऐसे बयानको बयान प्राम (Examination in Chief) अथवा प्रत्यक्ष बयान (Direct Examination) कहते हैं। इसके पश्चात् विरोधी पक्षको उस पर जिरह करने (Cross Examination) का अधिकार है। अन्तम उस पार्टीकी ओरसे उसका बयान फिर लिए जासकत है जिसने तलफ कराया है।

भारतीय कानून महादत्त (Indian Evidence Act) का यह काम नहीं है कि यह उा व्यवहार्य प्रयोगात्मी भी व्यवस्था करे जो अनुभवसे जाने जाते हैं जिससे घकालत पेशा महाशर्याको गवाहोंके बयान लेना सहायता मिठ सके। उसमें केवल थोड़ेसे साधारण नियम दे दिए गए हैं जिन्हें इङ्गलिश लॉमें भली भाँति निबद्ध किया गया है, अर्थात् यह कि गवाहोंके बयान लेनेका क्रम क्या होना चाहिये और ऐसे अवसरोंपर कसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए इत्यादि। गवाहों से ऐसे प्रश्न पूछनेका कौशल, जिनका फल अथवा, जैसाकि मि० स्पेन्सेरने कहा है, "यह तो स्वभाविक बुद्धि के चमत्कार का परिणाम है या बहुत पड़े, अनुभव के पश्चात् प्राप्त होता है" केवल नियमों को पढ़ लेने से ही कोई व्यक्ति इस कौशल कला का पूर्ण ज्ञान नहीं होजाता। स्वयं अपने अनुभव से तथा इस कला के मर्मों के पथ प्रदर्शन से इस कला में पूर्ण प्रवीणता प्राप्त की जा सकती है जिसका आमना प्रत्येक वकील के लिये परमावश्यक है। यद्यपि इस कला की जानकारी के लिये

कोई सरल और सीधा मार्ग नहीं है, यद्यपि, जिरह करने सम्बन्धी कार्य में वर्षों के अनुभव के पश्चात् सफलता प्राप्त हो सकती है, तो भी इस बयान लेने के नियमों, उसके उद्देश्यों और प्रयोगों का वर्णन कर देना, जिरह करने में प्रयोग किये जाने वाले तरीकों का वर्णन कर देना, और कुछ अनुभूत प्रयोगों का बतला देना इस पेशे के युवक और ठस्राही कार्यकर्ताओंके लिये परम उपयोगी सिद्ध होगा। इसी उद्देश्य से ये कतिपय पक्तिया पाठकों की सेवा में भेंट की जाती है। इस विषय का प्रतिपादन करने में कानून शहादत के नियमों का विशेष ध्यान रखा गया है।

बयान लेने का क्रम—बयान लेनेके क्रमकी व्यवस्था दीवानी और फौजदारी सम्बन्धी कानून और उसके प्रयोग द्वारा की जायगी और अगर ऐसा कोई कानून अथवा नियम नहीं है तो इसकी व्यवस्था अदालत करेगी (कानून शहादत की दफा १३५), देखो जावता दीवानी का भांडर १८।

यद्यपि यह बात वकीलों की इच्छापर निर्भर करती है कि किस क्रम से वह गवाहों के बयान ले, तो भी अदालत की दफा १३५ के अनुसार इस बात का पूर्ण अधिकार रहता है कि किस क्रम से गवाहों के बयान लिए जाय, देखो 39 C 245 इस सम्बन्ध में वकीलों को अपनी इच्छा का प्रयोग करने में अदालत प्राय बहुत कम हस्तक्षेप करती है, देखो 5 C W N 15

गवाहों को अदालत के बाहर चले जानेका हुक्म—जावता दीवानी अथवा कानून शहादत में गवाहों को अदालत से बाहर चले जाने की आज्ञा देने के सम्बन्ध में किन्हीं विशेष नियमों की व्यवस्था नहीं की गई है, और इस सम्बन्ध में साधारण तथा इगलैण्ड की अदालतों में प्रचलित प्रणाली का अनुकरण किया जाता है। अदालत को यह अधिकार है कि वह उस शख्स को छोड़ कर जिसके कि बयान लिये जा रहा है, बाकी सब गवाहों को अदालत से बाहर चले जाने का हुक्म दे देवे उस हुक्म में ऐसा गवाह जो उस मुकद्दमे में फुरीफ है, और उसका वकील तथा विज्ञान सम्बन्धी शहादत देने वाला गवाह शामिल नहीं है। इस आज्ञा का उल्लंघन करने वाला गवाह अदालतका अपमान करने का अपराधी समझा जायगा।

बयान ख़ास—यह वह बयान है जो उस शख्सकी औरसे लिया जाय जिसने उसे तलब कराया है (देखो कानून शहादत की दफा १३७)—इस बयान लेने का उद्देश्य यह होता है कि उस शख्स से वे तमाम बातें या उसमें की कुछ जरूरी जरूरी बातें मालूम करली जाय, जो वह उस शख्सके मुकद्दमेके बारेमें जानता है जिसने उसे तलब किया है। यह बयान ख़ास मुकद्दमे से सम्बन्ध रखने वाली बातों की निरूपत होना चाहिये (देखो दफा १३८, कानून शहादत)—मुकद्दमे में पैदा होने वाले सवालों को ध्यान में रखना चाहिये और सिर्फ मुकद्दमे से सम्बन्ध रखने वाली बातों के ही सम्बन्ध में प्रश्न पूछे जाने चाहिये। कानून की बातें नहीं पूछनी चाहिये और न उन बातोंके बारेमें गवाहकी राय पूछनी चाहिये जो कि उसने देसी या सुनी हो। वह हिंक उन्ही बातों के सम्बन्ध में अपना बयान देने भाया है जिनको वह जानता है। सुनी हुई बातोंकी शहादत काबिल तस्लीम नहीं है प्रत्येक

सवाल किसी न किसी उद्देश्य से ही तैयार किया जाना चाहिये। बहुधा लोग समझा करते हैं कि किसी गवाहके घयान लेना (To Examine him in chief) बहुत आसान है। परन्तु यथार्थ में बात ऐसी नहीं है। मुकद्दमेका सारा दारमदार इसी घयान स्यास के ही ऊपर है, और इस लिये घयान लेने के लिये केवल इतना ही आवश्यक नहीं है कि वह उस मुकद्दमे के सम्बन्ध में सारी बातें जान ले, बल्कि उसके लिये इसबात की भी आवश्यकता है कि वह उन बातों को भी जान ले जिन्हें गवाह अपने घयान में कहेगा, तथा उस गवाह के स्वभाव और चरित्र तथा उसकी योगता का भी परिचय प्राप्त कर ले। यह बात निहायत जरूरी है कि घकील, गवाहों के पहिठे से घयान लेकर या जांच करके यह तय करले, कि कौनसा गवाह क्या बात अपने घयानमें कहेगा। इसबात-की अभिलाषा, कि सभी जरूरी जरूरी बातें सभी गवाह घयान करवे, प्रायः अनवाञ्छित परिणाम उत्पन्न कर देती है और गवाहोंको घड़ी परेशानी में डाल देती है। गवाह कहापर नियम विरुद्ध बातचीत करने लगता है और कहापर वह अनापसनाप बक जाता है, इन बातका ध्यान रखना निहायत जरूरी है और सवालगत इस ढंगसे तैयार करने चाहिये कि वे सभी गवाहोंके अनुकूल हों। उरपोक गवाहों, भूत गवाहों और ब्यादा बात करने वाले (यन्की) गवाहोंके बड़ी होशियारी से और भिन्न-भिन्न ढंग से इजहार लेने चाहिये।

यह काम घकील का है, कि वह अपने मुकद्दमेके के मामले के समर्थन में हर एक ऐसी बात को, जिसके सम्बन्ध में गवाह अपना इजहार दे सके, एक ठीक और ऐतिहासिक क्रमानुसार तैयार कर रखे। यह काम जैसा आरम्भ में देखने से मालूम होता है, उसके कड़ी अधिक कठिन है। जो गवाह उरपोक है उसे उरसाहित करने की जरूरत है, जो अधिक बात करने वाला (यन्की) है उसे दबाये रखना और जो बहुत अधिक पक्ष पात करने वाला हो उसे रोक रखना चाहिये। तथापि घकील को यह नहीं बतलाना चाहिये कि गवाह अपने इजहार में क्या कहे। किन्तु जो गवाह ईमानदार और सच्चा है, उसे अपने ही ढंग से अपना घयान देनेकी स्वतंत्रता दे देनी चाहिये और जहां तक कर्म हो सके वहां तक कम दखले घकील को उसके सम्बन्धमें देना चाहिये सिर्फ क्रमबद्ध कर देना योग्य है।

जहां तक सम्भव हो गवाह को अपने ही ढंग से अपना कथा कहने देना चाहिए और सवालगत तैयार करते समय, और मामलेके समय घटना के क्रमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर गवाह बुद्धिमान नहीं है अथवा आवश्यकता से भी अधिक भौरू है, तो उसको अपने ही ढंग से अपना इजहार देते रहने की स्वतंत्रता न दे दी जानी चाहिए। सम्भव है वह कोई ऐसीबात बकने लगे जो बिल्कुल निरर्थक है और इसलिए ज्यादा अच्छा तो यह हो कि आरम्भ में उससे ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाय जो उसके लिए कुछ सहायक सिद्ध हों। मामलेके सम्बन्धमें बहुत कुछ जानते हुए भी यह सम्भव है कि वह गवाह, अगर अपने ही भरोसे छोड़ दिया जाय तो, साफ साफ और शूरलाबद्ध घयान न दे सके। अतएव घिना किधी तरह की ऐसी मदद पहुंचाय जिससे उसे मुकद्दमे का समर्थन करने वाली

हो यात्रे कहने में सुविधा हो और सिवाय उनके और कोई भी बात यह न कहे उससे सारी बातें मालूम कर लेनी चाहिये। यह बात अधिकांश में उससे पूछे गए सवालोंने, दंग, और उनके पूछने के दंग, पर निर्भर करती है।

गवाह के बयान लेते समय ऐसे सवाल कभी भी न पूछने चाहिए जो उसे पथ-प्रदर्शन का काम करते हों अथवा जिनके सम्बन्ध में इस बातका सन्देह हो कि वे पथ-प्रदर्शनका काम करते हैं (देखो कानून शहादतकी दफा १४१ और १४२)—अगर सवाल इस ढंग से तैयार किया गया हो जिससे वही जवाब निकलता हो जो कि सवाल करने वाला चाहता है, तो यह उस गवाह को सचेत करना है जो, वास्तव में, चक्कील का काम नहीं है। ऐसा करने का चतुरतापूर्ण दंग यह है कि सवाल में दो ऐसी बातें रखी जाय जिनका सुनते ही गवाह क्षण से यह बात समझ जाय कि इनमेंसे कौन सी बात मुझे कहनी चाहिए, उदाहरणार्थ "उस समय महेश मौजूद था या नहीं ? ठीक सवाल तो यह है कि, उस समय कौन कौन मौजूद था ?"

जब किसी गवाह के उस दस्तावेज के मजमून की निश्चित बयान लेने हों जो उसने लिखा है, तो उसे इस बात की इजाजत दी जानी चाहिए कि वह अपना इजहार देते समय उस दस्तावेज को अपने सामने रखे (देखो कानून शहादत की दफा १५२)—जो सवालगत आवश्यक बातों के सम्बन्ध में दी गई शहादत का पुष्टीकरण करनेके लिए पूछे गए हों, वे कबिल तस्लीमहें (देखो कानून शहादत की दफा १५६)—जब कोई ऐसा बयान जो दफा ३२ और ३३ के अनुसार ठीक है साबित हो जाय, तो उसका खण्डन करने अथवा उसका पुष्टीकरण करने की गरज से, या जिस शख्स की ओर से वह बयान दिया गया है, उसके विश्वासपात्र होने का सर्वमन करने या उसका विरोध करने की गरज से सारी बातें साबित कर दी जानी चाहिए, जो बातें उस समय साबित की जाती जिस समय वह शख्स बतौर गवाह के तलब किया गया होता (देखो कानून शहादत की दफा १५८)—अगर किसी गवाह के आचरण आदि के सम्बन्ध में पहिले सुचूत हो गया है तो बाद में उसके आचरण आदि का समर्थन करने के लिए उसके सम्बन्ध में सुचूत दिया जा सकता है (देखो कानून शहादत की दफा १५७)—जब किसी मामले की शहादत में पेश किए जाने वाले कागजात बहुत से हों तो गवाह उन सबका भावार्थ बतला सकता है।

ऐसे सवालों के लिए, जिनमें उन बातों को साबित की गई मान लिया गया है जो कि साबित नहीं की गई हैं अथवा यह कि वे उत्तर दिए गए हैं जो वास्तव में दिए नहीं गए हैं। किसी भी समय इजाजत न दी जायगी। किसी फरीकफो, उसके खराब चाल-चलन का होने के सम्बन्ध में शहादत देकर, अपने ही गवाह के विश्वास पात्र होने के बारे में अथवा उसके सच्चे होने के सम्बन्धमें कुछ कहने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर गवाह उसके खिलाफ हो जाय और कोई ऐसी बात कर उठाये जिसका उसे स्वप्न में सन्देह न हो, तो अदाततकी

इजाजत लेकर वह उसके ऊपर झूठे होने का अभियोग जमा सकता है (देखो दफा १५५) ।

ध्यान लेने के सम्बन्ध में पॉल प्राउन के बनाए हुए नियम— मि० पाल प्राउन अमेरिका के एक प्रसिद्ध वकील हैं । अपने गवाहों के ध्यान (इजहार) लेने के सम्बन्ध में कुछ नियम बनाए हैं, जिनको घड़े घड़े विद्वानों ने भी बहुत ही उपयोगी माना है । ये नियम इस प्रकार हैं —

१ अगर गवाह अधिक दबंग है, और इस बात की आशंका है कि वे अपनी स्वचलता अथवा दिमाग से आपके मामले को नुकसान पहुंचा दें तो आप उनके प्रति कुछ गभीर एवं धीरे बने रहें, जिससे वे सीमा के बाहर जाने में सक्षम न रहें ।

२ अगर वे भयभीत हैं अथवा उन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अर्थात् उनकी बुद्धि सशयात्मक है, और उनके विचार विनष्ट हैं, तो आपको चाहिये कि आप पहिले उनसे ऐसी बात पूछना आरम्भ करें जिन्हें वे भली प्रकार जानते हैं और जिनमें भयभीत होने की कोई बात नहीं है और जिनका असली मामलेसे कोई निकट सम्बन्ध नहीं है, जैसे —

तुम कहा रहते हो ?

क्या तुम फ्रीकैन (मुद्दई और मुद्दाभलेह) को जानते हो ?

तुम इनको कितने दिनोंसे जानते हो ? इत्यादि ।

जब आप देख लें कि उनका भय दूर हो गया और अब उनके दोश हवास ठीक है, तो आप उससे उस मामलेके सम्बन्धमें और अधिक आवश्यक बातोंका पूछना आरम्भ करें । पर इस बातका ध्यान रहे कि आप उनसे जो भी बात पूछें घड़े ही धीरे धीरे और स्पष्ट भाषामें पूछें, नहीं तो सम्भव है कि आप उसके मास्तिष्क में फिर गड़बड़ी उत्पन्न कर दें जो उन सारा बातों का उद्गम है ।

३ अगर आपके गवाहों की शहादत आप के अनुकूल हो, जिसकी घड़ी सावधानी के साथ रक्षा की जानी चाहिये तो आप कभी भी गभीरता का त्याग न करें क्योंकि बहुत से लोग प्रायः इजहार की अच्छाई और बुराई का पता विशेषतया यह देखकर लगाया करते हैं कि उसका प्रभाव हाकिम या वकील के ऊपर कैसा पड़ा ।

४ अगर आप देखें कि गवाह के दिमाग में आपके मजकिल के विरुद्ध बहुत सी बातें भर गई हैं, तो जब तक कि कोई ऐसी बात न हो जो आपके मजकिल के लिये उपयोगी है, और जिनको भेजना वही गवाह बतला सकता है, आप उससे बहुत कम आशा रखें, ऐसी दशा में या तो आप उसे तलब ही न कराए या जितनी जल्दी हासके उससे अपना पीछा छुड़ाएं । अगर विरोधी पक्ष का वकील उस बात को देख लेगा जिसका उल्लेख मैंने किया है, तो वह आपके मामला चौपटकर देनेके लिये उसको प्रयोगमें ला सकता है । अवालतीम होने पाटी

जानबे, सारी सम्भव बुराइयोंमें, जो सबसे खराब और सबसे अधिक कष्ट के साथ रोकती जा सकने वाली बुराई है वह मित्र के भेष में शत्रु का होना है। न आप उस पर अभियोग चला सकते हैं, न आप उसपर जिरह कर सकते हैं, न आप उसे दबा सकते हैं और न आप उसपर प्रत्यक्ष रूप में आक्रमण ही कर सकते हैं, और यदि आप कौतल उसी उपाय से काम लेते हैं जो बाकी रह जाता है और उसके स्पष्टीकरण के लिये दूसरे गवाहों को तलब करते हैं, तो आप को स्मरण रखना चाहिये कि शत्रुसे लड़ाई करने के बदले आपकी की खेना के भिन्न २ दलोंमें लड़ाई छिड़ जायगी और सम्भवतः आपके भी दल में वही व्याधि उठे खंडी होगी। इस लिये जथा तक हो सके इससे दूर रहने की ही कोशिश करे।

५ आप कभी भी किसी ऐसे गवाह की न तलब करे जिसे तलब करने के लिये आपको विपत्ती वाध्य हो जाय। इससे आपको उसपर जिरह करने का मौका मिलेगा। इसलिये आप अपने विपत्ती से प्राप्त होने वाले उस मौके को हाथ से न जाने दें, और उसके साथ साथ, यही नहीं कि जो कुछ बात उस गवाह ने उसके प्रतिकूल कही है, उसका उस शर्त के विरुद्ध दोहरा प्रयोग ही करें जिसकी ओर से यह तलब किया गया है, बल्कि उसकी वह शक्ति भी नष्ट कर दे जो उस इज्जदार के असर को बढ़ा देने वाली हो।

६ बिना किसी उद्देश्य के और बिना इस बात के सामर्थ्य के कि, अगर किसी प्रश्न (सवाल) को असंगत (अनुचित) बतलाकर किसी प्रश्न के ऊपर आपत्ति की जाय तो उसका सम्बन्ध उस उद्देश्य से न दिखला सके तो कभी भी कोई प्रश्न ऐसा न पूछे।

७ ध्यान रहे कि आप अपना प्रश्न इस तरह पर न रखें कि, अगर उसके बेजायता होने के कारण उसका विरोध किया गया तो, आप उसको कायम न रख सकें, या, कमसे कम उसके समर्थनमें जोरदारसे जोरदार कारण न दिखला सकें। शहादत सम्बन्धी प्रश्नोंके बाद विवाद में आप असफल होजाने से जूरीकी निगाहमें आपके मामलेकी मजबूतीको बहुत बड़ा धक्का पहुँचेगा, और उस मुकद्दमेके अन्तिम परिणामके सम्बन्धमें आपकी आशाओंको बहुत बड़ी क्षति पहुँचेगी।

८ कभी भी आप अपने विरोधी के द्वारा पूछे गए प्रश्न के सम्बन्ध में कोई एतराज न करें, जब तक कि आप उस एतराज का जोरदार गवाहों में समर्थन करने के लिए तैयार और समर्थ न हों। बार बार एतराजात पेश करने और घापस कर लेने से इससे अधिक भयकर कोई भी बात नहीं हो सकती, इससे यह प्रकट होता है कि, या तो वे भली भाँति सोच विचार कर नहीं किए जाते हैं या उनको अच्छी तरह से पेश करने में जिस बुद्धि और नैतिक साहसकी आवश्यकता है उसका आपमें अभाव है।

९ आप अपने गवाहों से जो कुछ पूछें वह स्पष्ट और साफ भाषा में पूछें, मानों आप सतकता के साथ ऐसे काम में लगे हुए हैं जिससे आपको खास दिलचस्पी है, और उसे भी ऐसा करे कि वह आपके प्रश्नों का ठीक ठीक और

रुष्ट रहते हैं। इस बात का अनुमान कैसे किया जा सकता है कि अदालत और रिश्तानी बातों को ध्यान से सुनेंगे, जय वकील और गवाह में इस विषय में गद्दा मचा हो।

१० भाप, समय समय के अनुसार अपनी भाषाओं को घटाते बढ़ाते हैं "भीष्ट स्वभाव पाठे (दर्पणों को) प्रोत्साहन देते रहें और उद्वेग प्रकट करने से बचते रहें।"

११ जब तक भाप पूरे तौर पर तैयार न हो जाय तब तक कार्यारम्भ न करें, और जब अपनी बात खत्म कर चुकें तो वहीं पर बसका अन्त कर दें। खरे शब्दों में, कमी भी प्रश्न करने के अभिप्राय से प्रश्न न करें, बल्कि उसका तुरन्त प्रश्न करने के लिए ही प्रश्न करें।

कासिका मत-मिथ्या कथने अपनी "पेट्रोलियम डिजिटल ट्रेनिंग प्रैक्टिस, राइट्स सेण्ड यूटीज़" नामक पुस्तक में व्याख्या करने के सम्बन्ध में निर्धारित बातें लिखी हैं —

"घपान लेते समय भाप का दम ठमसे बिन्दुल भिन्न होना चाहिए जो नरक करने का समय होता है। भाप अपने ही गवाह का इजाजत देना यह है जिस भाप अपना दिव्य समझते हैं जब तक कि भाषा को इसका विरुद्ध कोई बात आत्म न जानाय। अगर यह भीष्ट स्वभाव का (दर्पण) आदमी है, तो भाप इसको उदाहरित कर और मित्रता पूर्ण बातों और आलोचना से उसमें विश्वास उत्पन्न कराएँ। प्रायः ऐसा दावा है कि गवाह, गवायाहों में जाने के अभ्यस्त न होने के कारण, अपनी इस अभूत पूर्व अवस्था को देखकर ऐसे विस्मित हो जाते हैं कि घबराहट में पहिले पदों पर अपने पक्ष वालों और विरोधी पक्षवाले वकीलों की पहिचान नहीं कर पाते और जब वे अपने भाषकों अदालत के कठघरे में अन्दर खिड़क कर राड़े देगते हैं तो अगले ही जाते हैं और जब उनका गीठ कोइ म न करता है तो भाषकों पर अपना राउ समझने लगते हैं क्योंकि जो वकीलों से बहुत कम बात नगें और मिलने का मौका मिलता है। ऐसे समय पर ही भाप को अपने गवाह का ठीक रखने का ध्यान रखना चाहिये और अगर कमी कमी प्रश्न पूछे कुछ मृदु हास्य से भाप उसे उत्साहित कर दिया करे, तो इसमें बहुत सीधे सकारता प्राप्त हो सकती है। भाप ऐसा कमी भी स्वीकृत न करें, कि भाप उसकी हेरानो और घबराहट को समझ रहे हैं क्योंकि उससे वह और भी अधिक बढ़ती है, किन्तु जहाँ तक हा सके प्रेम मय आलोचना से, प्रेमपूर्वक बात करके और ऐसे शब्दों से, उसकी उस घबराहट को दूर कर दें तो उसे निरुत्साह करने वाले न हो, बल्कि उस ही जैसे सभी साथी लोग किसी रूप (कहानी) के कहने के लिए प्रेम पूर्वक आग्रह करते हैं जिसके सुनने के लिए वे लोग वास्तुतः हैं और जिसके कहने के लिए भी दूसरा राजी है। इस तरह का जो गवाह अत्यधिक घबरा गया है उसे बिना उसके जाने ही ऐसी बात को घपान करने के लिए खींच जाना चाहिए जिसे वह कठघरे (Witnessbox) पर आने के समय घबराहट में कहने को भूठ गया था।

“वयान लेते समय आप जो प्रश्न पूछें वे चढ़ी होशियारी के साथ तैयार और खूब सोच-समझ कर पूछे जाने चाहिए। आपको इसमें कभी भी उस ढंग से कार्य करने की आवश्यकता नहीं है जिस ढंग से जिरह करने में कार्य किया जाता है। आपको चाहिए कि पूछने के पहिले प्रत्येक प्रश्न (सवाल) के ऊपर अच्छी तरह से मनन कर लें ताकि वह इस प्रकार तैयार किया जा सके कि उसके उत्तर में केवल उतनी ही बात मिल जाय जितनी की आवश्यकता है, अधिक नहीं। अगर आप इतनी जल्दी विचार कर सकते हैं जितना कि एक वकील को चाहिए, तो आपको इसके लिए उस समय भी वक्त मिल सकता है जिस समय जब पहिले सवाल के जवाब को लिख रहा हों, लेकिन अगर इतना भी समय आपके काम के लिए काफी न हो तो आपको थोड़ी देर विचार करने के लिए समय जज से ले लेना चाहिए। जब अदालत को यह मालूम हो जायगा कि आपने विलम्ब करके उसका कुछ काम कम कर दिया है, जिससे आपको ठीक ठीक राहादत लेने का मौका मिल गया है, तो वह फिर आपको इस प्रकार, विलम्ब करने से अधीर न होगी।

“कभी कभी इस बात का निश्चय करने के लिए कि, गवाह को अपने ढंग से वयान करने देना चाहिए या प्रश्नों द्वारा उससे ये बातें पूछनी चाहिए, बहुत बड़े विचार की आवश्यकता है। इसके लिए कोई नियम नहीं बनाया जा सकता, यह सब उस समय आपकी खोजपर निर्भर करता है। बहुत से ऐसे-दिमाग वाले लोग भी होते हैं जो किसी बात को, उससे सम्बन्ध रखने वाली बातों का स्मरण करके स्मरण कर लेते हैं, चाहे वे कितनी ही असंगत क्यों न हों। वही सारे वयानात दोहरा जाता है और असली बात के ऊपर पहुँचने में छोटी सी छोटी बात को डूढ़ निकारता है।”

“ऐसे लोगोंके साथ और कोई उपाय नहीं चल सकता है, सिवाय इसके कि उसको अपने ही ढंगसे चलते रहने दिया जाय। विचित्र ढंगसे बने हुए मस्तिष्क की ऐसी ही दशा होती है और अगर आप उसके विचार प्रवाहमें किंचित भी हस्तक्षेप करेंगे तो उस गवाहकी विचार-शृंखला उलझ जायगी और फिर आपको अपने अमली उद्देश्य पर पहुँचने में चढ़ी कठिनाई पड़ जायगी। लेकिन अगर आपको ऐसे गवाहों से काम पड़े, यद्यपि ऐसे लोगों की संख्या प्रायः बहुत कम होती है जिनके विचार शृंखला बद्ध नहीं होते, जो घटनाक्रम का विलकुल ध्यान ही नहीं रखते, जिनको समय, स्थान और व्यक्तियों के सम्बन्ध में कोई ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता, तो आप उसी दशा में अपने मतलब की बातें उससे पूछ सकते हैं जब कि आप उससे सिर्फ इतनाही करने के लिए कहें कि वह आपके प्रश्नों का उत्तर देता जाय और उन्हीं की तरह उनसे प्रश्न करना आरम्भ करे, जिनका एक दूसरे के साथ कोई सम्बन्ध न हो और इस तरह पर उनसे सारी बातें पूछ कर अन्त में उनको एक क्रम में करले जिससे वह क्रम बद्ध होकर एक अच्छा खासा उपयोगी वयान बन जाय।”

ऐसे उपाय ऐसे गवाहों के सम्बन्ध में उसी समय उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, जब भाप उनसे क्रमवद्ध बयान प्राप्त करनेकी आशा छोड़ दे। वास्तवमें इसके लिए बहुत बड़ी क्षमता और मुस्तैदी की जरूरत है। परन्तु हमारी ऐसी धारणा है कि जब तक आपमें ये गुण विद्यमान न हों तब तक आपको वकील बननेकी अभिलाषा भी न करनी चाहिए। वकील हर शख्स नहीं बन सकता, मरिचिक की प्राकृतिक बनावट जब ऐसी होती है तभी वकील के पद का पूर्ण कार्य उससे हो सकता है। जो बात प्रतिपक्षी के किसी दागज या बयान से साबित हो चुकी हो उस बातपर न तो कोई शहादत दे और न अपनी शहादत से वह बात कभी पूछे।

बयानमें पूछी जाने वाली बातें

(१) प्रासंगिक बातें—बयान खास सिर्फ़ वही बातों के सम्बन्ध में लिया जाना चाहिए जिनकी याचत झगडा है या जो झगडे की बातों से सम्बन्ध रखती हैं। वे तमाम बातें झगडे के प्रसंग की बातें समझी जायगी जिनसे उन बातों के सम्बन्ध में, जिनकी निश्चत कुछ दरयापत करना है या जिनकी निश्चत झगडा है, कोई ठीक ठीक अनुमान क्रिया जा सके। 'प्रासंगिक बातों' और उन बातोंके जिनकी निश्चत कुछ पूछा जाना है," अर्थ के सम्बन्ध में देवो कानून शहादतकी दफा ५। कानून शहादतमें 'प्रासंगिक' बातोंका अर्थ है, वे बातें जो मान्य (कायिल तखलीम) हैं। कानून शहादतकी दफा ५ से ५७ तकमें तमाम तरीके बतलाए गए हैं जिनसे एक बात दूसरी बात से इस प्रकार मिलाइ जा सके कि वह 'प्रासंगिक' बन जाय।

जो बातें बयान की जाय वे ऐसी होनी चाहिए जिनको गवाह स्वयं जानता हो, ऐसी नहीं, जिन्हें उसने किसी दूसरे आदमी से सुन लिया है। सुनी हुई बात वह है जो किसी अन्य व्यक्ति से मालूम हुई हो। इस सम्बन्ध में सुनी हुई बातों के कुछ अपवाद (मुस्ततइनयात) भी हैं, जैसे इकवाल, इकीयत के खिलाफ़ पलान, व्यापार के दौरान में कही गई बातें, सरकारी कामजातमें कही गई बातें, इत्यादि (देखो कानून शहादत की दफा १७, २२, ३५, ३६, ३७ इत्यादि)। जो बयान जबानी दिग्न जाय वह सीधा और साफ़ होना चाहिए (देखो कानून शहादत की दफा ६०)—जो सवालात पूछे जाय वे घटना (वाक़यात) के सम्बन्ध में ही होने चाहिए, कानून के सम्बन्धमें नहीं (देखो कानून शहादतकी दफा ३)—किसी बात के सम्बन्ध में गवाह की राय, उसका विश्वास और और उससे वह क्या नतीजा निकालता है, ये बातें नहीं पूछी जानी चाहिए जब तक वे कानून शहादत की दफा ४५-५१ में न आती हों—मंशा या इरादा के सुबूत के सम्बन्ध में देखो कानून शहादत की दफा ८ १४ और १५—गवाहों को यह अधिकार नहीं है कि वे नैतिक अथवा कानूनी बंधनों के सम्बन्ध में कायम की हुई अपनी राय का इजहार कर सके या इस सम्बन्ध में, कि 'असुक' व्यक्ति पर असुक प्रकार से प्रभाव पड़ने की सम्भावना थी, यदि फ़रीकन ने, असुक बात की होती। सारांश यह कि, किसी गवाह से, विज्ञान सम्बन्धी विषयों को छोड़,

किसी विषय के सम्बन्ध में उसकी राय नहीं पूछी जा सकती, क्योंकि यह काम जुरी का है, जैसे—

क्या अमुक डाइवर सावधानी से काम करता है ?

क्या अमुक सड़क पर चलने में सतर्क है ?

क्या अमुक हमला या कत्ल उचित है ?

और न उससे यही पूछा जा सकता है कि—क्या अमुक मुभादिवे के अन्दर जो ऐसा वाक्या भा गया है जिससे व्यापार में रुकावट डाल दी गई है, वह उचित है अथवा अनुचित ?

क्योंकि यह सचाल जज के तय करने का है (देखो मि० टेलर के कानून शहादतकी दफा १४१४-१४२१),

(२) जवाब की ओर सकेत करने वाले प्रश्न—व्याप्त स्यास में साधारणतया ऐसे प्रश्नों के पूछने की आज्ञा नहीं है। परन्तु इस सम्बन्ध में कोई कड़ा नियम नहीं बनाया गया है। इसके धरें में अदालतों को पूर्ण अधिकार मान्य है। इस कूल का जो अपवाद (मुस्तस्नयात) है, वह कानून मियाद की दफा १४१ और १४२ में मौजूद है।

(३) स्वयं अपने गवाह पर दोषारोपण करना—आमतौर पर किसी फ्रीक को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह अपने ही गवाह के ऊपर विश्वास-पात्र न होने का दोषारोपण कर सके, परन्तु कुछ अवस्थाओं में अदालत की आज्ञा लेकर ऐसा किया जा सकता है (देखो कानून शहादत की दफा १५५) ।

जिरह (Cross-examination)

जिरह—किसी गवाह पर जिरह वह फ्रीक कर सकता है जो उस पक्षका विरोधी है जिसकी ओर से वह गवाह तलब किया गया है (देखो कानून शहादत की दफा १३७)—जिरह करने का उद्देश्य

(१) जो शहादत दी गई है उसकी छान-बीन (परीक्षा) करना और जिन बातों का निश्चित झगड़ा है उनके सम्बन्ध में दी गई शहादतका बल घटाना अथवा उसे भविष्यसनीय सिद्ध करना या नष्ट कर देना,

(२) गवाह के दिए हुए उत्तर (जवाब) से अपने मतलब की बातों का निकाल लेना,

(३) गवाह की खाव पर धन्या लगाकर यह दिखला देना कि वह विश्वास के योग्य नहीं है, और

(४) अपने विरोधी के गवाह की सहायता से अपने मामले को जोरदार बना देना है।

घण्टील के हाथ में, सत्य को रोज निकालने और असात्य को भाँटने के लिए, यह एक बहुत बड़ा शक्तिशाली अस्त्र है, यदि इस जिरह (Cross-examination) का बुद्धिमानों और कुशलता के साथ प्रयोग किया जाय।

मीर सुजादअली घासम काशीनाथ (देखो G W. R 181 pp 182-183) के मामले में जस्टिस नारमन ने कहा था —

"जिरह, का मुख्य सार यह है कि, यह एक फरीक के घण्टील द्वारा अपने विरोधी दूसरे फरीक की ओर से तलब किए हुए किसी गवाह से प्रश्न करना है जिसका उद्देश्य उससे ऐसी बात कहलाना जिसे अपना पक्ष जोरदार होता है अथवा उस गवाह को भ्रममाणिक सिद्ध करना है। असात्य से सत्य को भलग कराने के लिए जितने उपाय काम में लाए जाय उनमें जिरह सब से अधिक प्रभावी उत्पादक है। हम समझते हैं कि यहाँ पर यह अप्रासंगिक न होगा कि जिरह के सम्बन्ध में लिग्ना हुआ मि० स्विटिशियन का वह धार्य उद्धृत कर दिया जाय जिसका उल्लेख और उद्धरण मि० व्यस्ट ने अपने फार्निन शहादत के ग्यारहवें संस्करण (अंग्रेजी) की पृ० ६५३ में और मि० टेलरने इसी विषयपर लिखी गई अपनी पुस्तक के दसवें संस्करण (अंग्रेजी) के पृष्ठ १०३२ ३३ में किया है। आपका कहना है कि—"किसी ऐसे गवाह से, जिसे अपनी इच्छा के विरुद्ध सत्य बोलने के लिए मजबूर करने की आवश्यकता है, साबिका पढ़ने पर संकलता की सख से यही कुञ्जी यह है कि उससे वह बात कहला लीजाय जिसे वह छिपाना चाहता है। यह केवल उसी समय हो सकती है जब प्रश्नों की विस्तार के साथ बार बार पूछा जाय। वह गवाह ऐसे ही उत्तर देगा जिनसे वह समझेगा कि उसके पक्षको कोई हानि नहीं पहुँचती है, और बाद में बहुत ही ऐसी बातों से, जो उसने स्वीकार करली होती वह ऐसी सजुचित अवस्था में डाल दिया जा सकता है कि जिन बातों को कहना नहीं, उन बातोंसे वह इकार नहीं कर सकता। क्योंकि जैसा वक्तव्याभा आदि में देखा जाता है, हम सामान्यतया इधर उधर से लोकर सुनते इकट्ठा करते हैं, जिनमें का अकेला एक अभियुक्त के विरुद्ध कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकता, परन्तु जब वे सब एक साथ शामिल कर दिए जाते हैं तो अभियुक्त के ऊपर अपराध सिद्ध हो जाता है, इसी प्रकार इस तरह के गवाह से भी बहुत सी ऐसी ही बातें पूछनी चाहिए जैसे —

पहिले क्या हुआ ?

बाद में क्या हुआ ?

कौनसी घटना किस समय पर, कहाँ पर और किस आदमी द्वारा हुई ?

तथा इसी तरहकी दूसरी और बातें,जिसे अस्मात् उसकी ज़बानसे ऐसी कोई बात निकल जाय जिससे, उससे लिये या तो उस बातक स्वीकार कर लेना अनिवार्य हो जायगा जिसके निम्नत यह चाहा जाता है कि वह स्वीकार कर ले या वह अपने पहिले दिए हुए बयानोंका खण्डन कर बैठेगा। अगर ऐसा न होसके, तो यह स्पष्ट होजायगा कि वह कुछ बोलेंगा नहीं,या उसपर किसी ऐसी झूठी बात

के कहने का दोषारोपण करके उसे नीचा दिखाया जा सकता है जिसका उसके मामले से विरक्त कोई सम्बन्ध नहीं है, या घुमा फिरा कर उससे ऐसी बात कहला दीजाय जिनकी आवश्यकता नहीं है, जिससे जज को उसके सम्बन्ध में सन्देह होने लगे जिसके कारण उसके मामले को कम से कम उतनी ही क्षति पहुँचेगी जितनी उस समय पहुँची होती, अगर उसने अभियुक्त के विरुद्ध सारी बातें सच सच कह दी होती ।

बहुधा ऐसा होता है कि जो बयान गवाह ने दिया है, वह स्वयं ही एक जैसा नहीं है, उसमें बहुत सी बातें एक दूसरे की विरोधी हैं । कभी कभी और यह बात प्रायः अधिक देखनेमें आती है—एक गवाह दूसरे गवाह की बातों का खण्डन कर जाता है । अगर बुद्धिमानी के साथ प्रश्न किये जायें, तो वकील अपने बुद्धि कौशल से उन बातोंको निकाल सकता है जो संयोग वशात् निकल आया करती हैं ।

भामतौर पर गवाहों से ऐसी बातें पूछी जाती हैं जिनका मुकद्दमे से कोई सम्बन्ध नहीं होता—जैसे दूसरे गवाहों की जीवनी, उनकी स्वयं हैसियत और उनका चाल चलन, उन्होंने कभी कोई अपराध किया है अथवा नहीं, उनकी और फरीकृत के साथ कोई दोस्ती या अदावत तो नहीं है इत्यादि—

जिनके उत्तर में वे या तो ऐसी बातों को स्वीकार कर लेते हैं जो उपयोगी सिद्ध होती हैं या उनकी कोई झूठी बात अथवा विपक्षी को हानि पहुँचाने की इच्छा प्रकट हो जाती है । गवाहों से जिरह करने की विद्या ऐसी है जिसके ध्यान-पूर्वक अध्ययन और मनन करनेकी आवश्यकता है और जिसके लिये मानव-स्वभावके ज्ञान की परमावश्यकता है । यह वकील के जानने की सबसे बड़ी कला है और वर्षों के अनुभव और अध्ययन के पश्चात् इसका ज्ञान प्राप्त हो सकता है ।

जिरह करने के लिये, प्राप्त अधिकार का प्रयोग, सत्य का अनुसंधान करने की सर्वोत्कृष्ट और परमोपयोगी कसौटी है । इसके द्वारा, फरीकृत और उस बात के साथ जिसकी निस्वत झगड़ा है, गवाहका क्या सम्बन्ध है, उसमें उसका क्या स्वाध है, उसका प्रयोजन क्या है, उसका झुकाव किस ओर है और ट्रेप किससे है, उसका चरित्र कैसा है, उसको वे बातें ठीक ठीक और निश्चय रूप से कैसे मालूम हो सकीं, उसमें उन बातों को समझ सकने, उनके स्मरण रखने और वर्णन कर सकने की कितनी शक्ति है इत्यादि बातों का पूरा पूरा और ठीक ठीक पता चल सकता है और वे जूरी के या जज के विचार के लिये उपस्थित की जा सकती हैं, जिससे उस गवाह के चाह्य आचरण (Demeanour) को देखने और उसकी गवाही का ठीक ठीक मूल्य निर्दिष्ट करने का अवसर मिला है ।

जो गवाह इस कसौटी पर कस लिया गया है वह जल्दी जल्दी गवाहलत अथवा जूरी की आंखों में धूल नहीं झाँक सकता, क्योंकि झूठी बातों को चाहे होशियारी से एक दूसरे के साथ मिलाया गया हो, सभी अवस्थाओं में उनकी दशा एक सी नहीं रह सकती जिनमें जिरह की गई है ।

जिन्हका गग—जिरह आरम्भ करने का सबसे अच्छा एक ढङ्ग यह है कि आप गवाहके साथ पेशी होशियारी और आदरके साथ पेश भावे जिससे आप उन सारी बातोंको जान लेनेके उपयुक्त वायुमडल तैयार कर सकें, जो विपक्षीके मुकद्दमेका समर्थन करने वाली जान पड़ती हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप सीधे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें और सामने से ही उस गवाह पर प्रश्न प्रहार कर दें। बहुतोंने इसे मान लिया है कि इनमें से पहिला ढंग सबसे अधिक सफलता देने वाला है। अगर जिरह करने वालेके भाव और भाषासे गवाहको आरम्भमें इस बातका सन्देह हो गया कि उसकी सचाईमें लोगोंको सन्देह है, तो वह फौरन् होशियार हो जायगा और फिर जो बात उसने अपने बयान खासमें कही है उन्ही पर डटे रहनेके लिए तैयार हो जायगा। इस जिरह करने की कलाका रहस्य क्या है? इसका उत्तर जस्टिस हाकिम्स (अब लार्ड वॉम्पटन हैं) ने एक शब्दमें यों दिया है—धैर्य (सन्न)। “यह किसी मनुष्यके चारों ओर एक ईटकी दीवार खड़ा करना है। आप अपना प्रश्न पूछते हैं और उसका जो उत्तर मिलता है वह एक ईट बन जाती है। इसके बाद दूसरा प्रश्न—और दूसरे स्थानमें एक दूसरी ईट तैयार होगई। यदि आप प्रेमपूर्वक प्रश्न पूछें, तो बहुत सम्भव है कि वह स्वयं ही आधा दर्जनके करीब पेशी ईटें तैयार कर दे जो अपने ठीक स्थान पर जमी हुई हों। वेतमाम जगहमें इधर उधर फली हैं, लेकिन आपको तो अपना नक़्का पूरा करना है। धीरे धीरे करके घृत्ताकार बन जायगा। दीवार बढ़ेगी और उसकी मालूम होगी कि मैं अब बाहर नहीं निकल सकता।” यह धैर्यके साथ पीछे पठनेका ढंग है।

सीधे आक्रमण कर देना एक बिल्कुल दूसरा ढंग है। इसमें केवल घड़ी वकील सफल होते हैं जो अपने व्यक्तित्व के चलसे अधात प्रभावसे गवाहको अपने बगम कर लेते हैं, और उस समय भी यह अधिक निष्कण्टक मार्ग नहीं है जब तक कि उनको अपनी वजूहातके ऊपर पूरा विश्वास नहीं है। नहीं तो उस आक्रमणका असर उलटा अपने ही हितका घातक हो जाता है। जस्टिस वालशका कथन है कि—“यह एक मानी हुई बात है कि यह सीधे आक्रमण द्वारा जो जिरहका ढंग है वह बहुत कम सफल होता है। वास्तवमें उसके सुननेमें भी बहुत कम प्रसन्नता होती है और इससे ज्ञान वृद्धि भी बहुत कम होती है। धोखे में टालने वाला यह ढंग, जो आधा विश्वासमें रखने वाला और आधा प्रेमप्रदर्शन करने वाला है, अधिक सफल होता दिखाई देता है, क्योंकि अगर गवाह धोखा देना चाहता है तो इससे बहुत सम्भव है कि वह अपना मार्ग छोड़ कर इधरकी बात करने लगे जिससे उसके बयानकी सच्चाई और हुडाई मालूम होजाय।

प्रत्येक मनुष्य का जिरह करनेका ढंग अपना अपना अलग होता है। परन्तु इसमें सबसे बड़ी आवश्यकता जिन बातकी है, वह यह है कि गवाह तथा अदालतके प्रति आवश्यक आदर और सम्मान प्रकट करते रहना। डाट टपट करना और धमकाना अथवा मेज पर हाथ दे दे मारना आदि बातें न्यायालयों में काममें लाई जाने वाली नहीं हैं और इनसे बहुत कम सफलता प्राप्त होती है। इन बातोंसे

स्विकर्षण अथवा गद्दालतकी सद्धानुभूति कुछ गवाहकी ओर हो जाती है । एक अच्छे वकील के लिए अच्छे स्वभाव और अच्छे ढंग के होने की बड़ी आवश्यकता है ।

किसी गवाहको डांटना और पुँडकना, उसे इधर उधर भटकाना, उदाहरणार्थ, ऐसे सवालगत पूछना जिनमें उन बातोंको सुचूत जियां हुआ मान लिया गया हो जो वास्तवमें सुचूत हुई नहीं है, या यह कि अमुक अमुक उत्तर ऐसे हैं जो वास्तविक घटना से बिल्कुल भिन्न हैं—उससे इस तरह खयाल करना जिससे यह सिद्ध होता हो कि वह अपने बयानमें अभी तक सारी बातें झूठ ही कहता चला आया है अथवा उनमें से बहुत सी बातें झूठ कहीं हैं—कभी कभी उसको इधर उधर भ्रममें डाल देना, अगर वह मूर्ख है तो, और अगर वह डरपोक है तो डरा देना—भादि बातें प्रायः किसी विरोधी गवाहके मनकी और हृदयकी बातें जाननेमें बहुत काम सफल होती हैं, परन्तु अच्छे ढंग से बातें करने, सद्गता और भादरके साथ पेश आनेसे अवश्य ही वह अपने निश्चित भागसे विचलित हो जायगा और जरूरी जल्दी तथा युक्तिके साथ प्रश्न करने से उसेसे बहुत सी बातें मालूम हो जायगी जो उस समय उसेमें कोई अधिक महत्त्व रखने वाली न मालूम होंगी लेकिन जिनको एक साथ नियमित रूपमें पर्यवेक्षण कर देनेसे काममें समझ रखने वाला आदमी भी उनमें से सर्वश्रेष्ठों को ढूँढ़ लेगा ।

एक अच्छे वकील को एक अच्छा काम करने वाला होना चाहिये । बहुत अधिक चौकन्ना रहने वाला वकील भी जिरह करने में अक्षरों अपने प्रश्न का ऐसा उत्तर या सफता है जो उसीके पक्षको गिरा देने वाला हो । उसे जहाँ तक हो जिरह करते समय अपने भाषकों खूब काबूमें बनाए रखना चाहिये । उसे सफलता और विफलता दोनों में एक जैसा ही बर्ना रहना चाहिये, मनोवेग के प्रवाह में बहने न लगना चाहिये । अगर उसके चेहरे से कहीं इसबात का पता चल गया कि उसे गवाह के उस उत्तर से दुःख होता है जो उसके लिए हितकर नहीं है, तो केवल इसी एक बात के ऊपर उसके सारा मामला नाकामिअव हो जायगा । इंग्लैण्ड की अदालतों में जिरह करने वाले प्रायः ऐसे उत्तरों से समचिन्ता को खा बैठते हुये देखे गये हैं । जहाँ उनका गौरा खँहरा लाल हुआ कि गवाहों उनके कानू से बाहर होंगया । जो बहुत पुराने अनुभवी वकील हैं उनके मनमें ऐसे उत्तरों से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता और वे ज्यों के त्यों बने रहते हैं । वह-दूसरों प्रश्न पूछना आरम्भ कर देगा, मानों कोई बात हुई ही नहीं थी, या उस गवाह की ओर जैसा सा मुस्करा देगा, जिसका तात्पर्य यह होगा कि " भेला तुम्हारा इस बातको कौन संख्ये मान लेगा । " (वेलमैन पृष्ठ २८-२९ (अध्याय)) ।

जिरह करने वाले की बाणी और उसकी मुखकृतिसे जजके ऊपर बहुत बड़ा प्रभावपडता है और वह उन बातों का भी जजके ऊपर अच्छा असर डाल सकता है जो इससे विपरीत अथवा में बिदकुल ही मानी न जाती । ओत्रियन् लिखित लडि रसेल की जीवनी में से उद्धृत किए हुए नीचे के वाक्यों से इसबात का ठीक ठीक स्पष्टीकरण और निरूपण हो जाता है:—

“ एक समय सम्पसन नामक एक गवाह के ऊपर, जिसपर “रिफ़्टी” के सम्पादक की हैसियत से मानहानि का अभियोग चलाया गया था, जिरह करते समय रसेल ने उस गवाह से एक सवाल पूछा जिसका उत्तर उसने, ‘नहीं’ दिया।

मि० रसेल ने धीमी आवाज़ से पूछा, क्या तुमने मेरा प्रश्न सुना ?

सम्पसन ने उत्तर दिया “ हाँ, मैंने सुना। ”

मि० रसेल ने उससे भी अधिक धीमी आवाज़ से पूछा, “ क्या तुमने उसे समझा ?

सम्पसन ने कहा, “ हाँ, मैंने समझा। ”

इसके बाद मि० रसेल ने बहुत उच्च स्वर से और इस ढंग से, मार्तो यह झपट कर उस गवाह की गर्दन धर दबोचेंगे, पूछा, “तब, तुमने इसका उत्तर क्या नहीं दिया ?

जूरी को बतलाओ तुमने उसका उत्तर क्यों नहीं दिया ? सारे अदालत के कमरे में सन्न छा गई। सम्पसन घबड़ा गया।

जिरह करनेकी कलाका ज्ञान प्राप्त करनेका, जैसा कि मि० बेलमैनने बतलाया है, सबसे अच्छा उपाय यह है कि, “बड़े बड़े जिरह करते वालों के, जो वकालत पेशा लोगोंमें आदर्श माने जातेहैं, जिरह करनेके ढंगका अध्ययन किया जाय।” इन बड़े बड़े जिरह करते वाले वकीलों के जिरह करने के ढंग का साक्षिप्त विवरण दे देना इस पेशे के युवक और उत्साही लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी और भानन्दवर्धक सिद्ध होगा।

सर चार्ल्स रसेल, जो बाद में फिलीवन के लार्ड हुए, आधुनिक समय के सबसे अच्छे और लब्ध प्रतिष्ठ जिरह करने वाले थे। उनके सम्बन्ध में लार्ड कॉलेरिड्ज का कहना है कि, “मि० रसेल इस शताब्दीके सबसे बड़े वकील थे।” यह कहा जाता है कि अन्य बातोंके समान जिरह करने के कार्य में उनकी सफलताका कारण उनका चरित्र मूल था। यह उनके प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व तथा उनके बुद्धि-वैभव और चातुर्य का ही प्रभाव था कि वे उन गवाहों को अपने पक्ष में कर लेतेथे जिन पर कि वे जिरह करते थे। जिरह के सम्बन्ध में मि० रसेल का यह उच्च था “गवाह से सीधे तौर पर उस विषय पर प्रश्न करो जिसकी निश्चय तुम्हें कुछ जानना हो, उस समय अपना सारा बुद्धि चातुर्य खोलकर रख दो। केवल अच्छी ओप्रेजी बोल लेनेसे ही जूरी प्रसन्न नहीं हो जाते।” जिरह करने में मि० रसेल की सफलता के सम्बन्ध में लिखते हुए उनकी जीवनी के लेखक मि० बेरी ओ’ ब्राइन ने कहा है, “जिस समय वह जिरह करने के लिए उठते थे उस समय का वह द्रश्य निराशा था। उनको देखते ही गवाहका कलेजा दहल उठता था—मनुष्यकी जैसी वह भयकर आवृत्ति, उच्च भ्रुकुटी, तीखी निगाह, दया हीन मुद्र और गहरी तथा बड़ी-२ विशाल आंखें देख कर गवाह भयभीत हो जाता था। एक अन्य व्यक्ति

का कहना है, " गवाह के ऊपर मि० रसेल का घड़ी बसर होता था जो एक काले विपथर भुजंग का एक शशक के ऊपर होता है ।"

अमेरिका के वकीलों में यूफुस कांटे नाम के एक व्यक्ति ससार के जिन जिन स्थानों में अंग्रेजी भाषा बोली जाती थी, सर्व श्रेष्ठ वक्ता थे ।" उनमें भी मि० रसेल की तरह कुछ स्वाभाविक बल था जिससे वे गवाहों को अपने कानून में कर लेते थे। उनका प्रयत्न गवाह को आश्चर्य चकित कर देने का रहता था। लोग उन्हें अदालतका जादूगर कहा करते थे। वे एक निराले ढंगसे ही जिरह करते थे। वे गवाह पर कभी भी इस तरह आक्रमण नहीं करते थे जिससे मालूम हो कि वे गवाहको डांट दिखाना चाहते हैं। उनको मान स्वभाव का, मानव कार्यके उद्गम (श्रुते) का और मानव हृदय के विचारों का पूर्ण ज्ञान था। इन बातों की जाच करने और उन बातों को जूरी को समझा देने के लिये वे थोड़े से आवश्यक प्रश्न पूछ दिया करते थे ।

ये प्रश्न होते तो बहुत थोड़े थे परन्तु उनमें बड़ा प्रत्येक प्रश्न आवश्यक और ठीक २ बातके विषय में होता था। उनका सिद्धान्त था, 'किसी पर आवश्यकता से अधिक कभी जिरह न करना। अगर आप गवाहको तोड़ न सके तो वह आपका भन्डा-फोड कर देगा। जो कोई आदमी उनके सामने आता उससे वे एक ईमानदार और सज्जन पुरुष की तरह पेश आते मानों उनका यह अनुमानथा कि वह सज्जन पुरुष है, और अगर कोई आदमी बुरी तरह से उनके सामने आया, तो वे उसका तहस नहस कर देते, परन्तु ऐसा वे उस सज्जन की तरह करते जो किसी ऐसी चीड़-फाड़को करता ही जिसके करनेको उसका जी न चाहे, मानों उनको इसकाम के करने के लिए बड़ा ही दुःख है। बहुत ही कम ऐसे, अच्छे अथवा बुरे आदमी होंगे जिन्हें उनके प्रति, उनपर जिरह किये जाने के लिये, कोई शिकायत हो। गवाहों के कठघरे में खड़े हुये लोगोंके साथ भाषण करनेकी उनकी शैली बहुतही शांति प्रदायिनी, करुणापूर्ण और विश्वास दायिनी थी। जब वे किसी गवाह का भन्डाफोड करने के उद्देश्यसे उसपर आक्रमण करते तो बड़ी ही शांति और हृदयता के साथ, उसमें किञ्चिन्-मात्रभी रुखाई, अशिष्टता और कठोरता नहीं होती [देखो वेलमन पृष्ठ १८५-८६]

५० पृथ्वीनाथ वकीलकी जिरह — आपको हम बलायतके नामी वैरिस्टर्सका ढंग जिरह के सम्बन्ध में बता चुके तथा प्रसङ्गतरा नीचे उल्लेख करेंगे। भारत में एक भक्ति प्रसिद्ध वकील प० पृथ्वीनाथ चक कानपुर (सयुक्त प्रांत) में वकालत करते थे आप जिरह के लिए विख्यात थे। पण्डित जी साहब अपने फरीक के गवाहों को अदालत से बाहर निकल जाने के लिये कभी नहीं कहते थे उनका कहना था कि जब एक ही तरह पर जिरह सब गवाहों पर की जाय तो डर हो सकता है कि जो गवाह पहिले गवाह की जिरह सुन रहे हो वे ज्यादा मजबूत होजायग। उनका ढंग जिरह का बड़ाही रात शिष्ट और प्रभाव युक्त था। वे जिरह में पहिले, गवाह के साथ साथ चले जाते थे जो बात वह कहना चाहता है उसे ऐसे ढंग से

पूछते थे कि यह यह समझे कि ककील घग्ना को छुपारा पूछ रहा है। ऐसे जल्द जल्द सवाल कर देते थे जिससे गवाह अपनी पहले बताई हुई बातको फट से फट देता था इसतरह पर कुछ दूर चलेकर, बड़ेही धीरे से एक छोटा सा सवाल ऐसा कर देते थे कि गवाह अपनी धुन में प्राकृतिक जवाब दे देता था उस वक्त पण्डित जी बड़े गम्भीर और शांत दिखाई देते थे, गवाह यह नहीं समझ सकता था कि मुझसे कुछ भूल होगई है। आगे जिरह में जहां दो बातों के मिलान में गठबर्ही होजाती तब ये दोनों बातों की याद दिलाकर उच्चस्वरसे पूछते कि आप इनदोनों विरुद्ध बातों का सतोष जनक उत्तर अदालत को दे दें। हैसियत के प्रश्नों को पहिले सूक्ष्मरीति से कहलवाकर पीछे उसे चीर फाड़ करना शुरु करतेथे जैसे -

आप उता चुके हैं कि आप यज्ञाज्ञी करते हैं, आप भास पास की बाजार करते हैं ?—जी हा करता हूँ

जिस रोज बाजार नहीं होती आप यह सोचते होंगे कि बैठे रहने से यही अच्छा है कि केरी लगाकर कुछ माल बच दें ?— हा

आप कितने कोस की केरी लगा सकते हैं ?—कोई डेढ़ या दो कोस की केरी में माल चुना हुआ थोड़ा सा लेजाते होंगे जितना आपसे बच सकता है ?— हा

तो आप कितने वजन तकका माल ले जा सकते हैं ?—कोई बीस सेर तक आप बखुका (गठरी) बाधकर अपनी पीठ पर डेकर और हाथ में गज डेकर पास के गाधों में जाया करते हैं ?— जीहा

आप माल खरीदने अकसर कितने दिनों में जाते हैं ?— कभी १५ दिनमें कभी १ मास में,

आप किसके यहाँ से ज्यादा माल लेते हैं और अगर उनका यही घाता देखा जाय तो आप पर कितना रुपया बाकी निकलेगा ?—हम एक जगहसे माल नहीं लेते, कोई कूज नहीं है,

अगर अदालत आपको अभी हुजमदे कि आपके हिसाब की जांच की जाय तो क्या आप हलक से यह कहने को तैयार हैं कि बाजार का देना आप पर कुछ बाकी नहीं है ?—देना लेना तो बतानी रहता है।

लेना पीछे पूछेंगे पहिले आप देना बतावेकि अन्दाजन कितना है ?—इयादि

श्रीमान प० प्रथीनाथ जी, एकतरहका जिरह दो गवाहों पर करतेही न थे शायद आपको खेद होगा कि जब एकही वाक्यात पर कई गवाह हैं तो भिन्न भिन्न जिरह ऐसे हो सकती है ? किन्तु आप गौर करके देखेंगे तो पता चल जायगा कि एकही वाकिया के सम्बन्ध में हर एक गवाह अपनी जानकारी कुछ नकुछ फरक के साथ रखता है ककील की बुद्धि इस फरक को लेकर गवाह के मन के भीतर घुसकर धीरे धीरे उसे अपने लक्ष्य से हटा देती है। वे गवाह से जिरह करते समय अदालत के कर्मरे के प्राय सब लोगों पर ध्यान रखते थे। जो

लोग गवाहको इशारों से मंदस देते रहते हैं उनको ताड़ना वकीलके लिये निहायत जरूरी काम है।

जिरह (Cross Examination) के सम्बन्ध में मि० पॉलब्राउन के बनाए हुए नियम—

१ उन मामलों के सिवाय जिनमें कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, अपनी भौख गवाह की आप के सामने से न हटाओ। यह एक के मन की बात को दूसरे के मनमें लेजानेकी नली है, जिसकी कमी किसी भी बातसे पूरी नहीं हो सकती।

२ गवाह की आवाज का भी ध्यान रखो, आख के बाद मनकी बात को बतलाने वाला यह दूसरा श्रोत है। गवाह के अपना अपराध छिपाने की बातका, गवाह का अपने मनकी बात छिपाने के प्रयत्न का, बहुत कुछ पता उसके बोलने के ढंगसे, शब्दों के उच्चारण और उनपर जोर देने आदि से चल जाता है। उदाहरणार्थ, अगर इसबात के जानने की आवश्यकता हो कि अमुक समय पर गवाह नहीं सड़क और लाइसरोड के कोने पर था, तो इसतरह प्रश्न किया जायगा—'क्या तुम छ. बजे के समय नहीं सड़क और लाइस रोड के कोने पर थे ?' चाफे जवाब देने वाला गवाह फौरन उत्तर देगा—'हां, शायद मैं उसी के करीब था।' लेकिन जो गवाह यहाँ पर था, वह उस बात को छिपाना चाहता है और आपका मशा पूरा नहीं होने देना चाहता, और इसलिये उत्तर देता है 'नहीं, यद्यपि संभव है कि वहाँ उस समय उस स्थानसे २० कदमके फासलेपर हो या पाच सात मिनट के बाद उसी स्थान पर आगयाहो। ऐसा गवाह जो जवाब देगा वह साधारणतया यह होगा कि—'मैं छ बजे के समय उस कोने पर नहीं था।' इन दोनों शब्दों (छ बजे और उस कोने) पर जोर देनेसे उसका अभिप्राय गोलमाल बात कहना या बात का ठीक २ उतर न देना है, और यही दशा में होशियार जिरह करने वाला यह प्रश्न कर सकता है कि "तुम किस समय उस कोने पर थे ? या छ बजे तुम किस स्थान पर थे ? और दस में से नौ उदाहरणों से यह बात मालूम हो जायगी कि अमुक समय पर गवाह उस स्थान पर था अथवा उस समय वह अमुक स्थान पर था।" आगे और उदाहरण देनेकी आवश्यकता नहीं है, परन्तु मेरी सलाह है कि वकील लोग गवाह की आवाज का ध्यान रखें तो उस समय इस सिद्धान्त का बड़ी सुगमता के साथ प्रयोग किया जा सकेगा।

३ कोमल स्वभाव वालेके साथ नम्रताके साथ पेश आओ और चालाक आदमीसे होशियार रहो, ईमानदार आदमी पर विश्वास करो, नवयुवकों, निर्धनों अथवा भीरु स्वभाव वालों पर दया रखो, गुण्डाके साथ सख्त और झूठके लिए बज्रके समान क्रुद्ध बने रहो। लेकिन इन सभी अवस्थाओंमें भारतसम्मानका ध्यान

रहे। अपने मनके लिये वेगो-गो सम्भाले रहो, इसलिये नहीं कि आपकी प्रशंसा होने लगे बल्कि इसलिये कि सत्यकी विजय हो और आपके पक्षकी भी जीत हो।

४ किसी कौजदारी मामलेमें, विशेष कर भारी अपराधके सम्बन्धमें, जब तक आपका मामला ठीक बना रहे, आप बहुत धोड़े प्रश्न पूछिए, और इस बातका ध्यान रहे कि किसी भी शख्ससे ऐसा कोई प्रश्न न पूछे, जिसका उत्तर, अगर आपके खिलाफ हुआ तो, आपके मन्विकलके मामले को ही सत्यानाश कर दे, जब तक कि आप गवाहको अच्छी तरह न जानते हों और यह न जानते हों कि उसका उत्तर आपके पक्षका वैसा ही समर्थक होगा जैसे कि दूसरे हैं, या जब तक आपके पास उसे बर्बाद कर देने के लिये शहादत न हो अगर वह सत्य न कहे और आपकी आशाओके विरुद्ध आचरण करे।

५ किसी गोलमाल प्रश्नको वैसे ही बचाए रहना चाहिए और उसकी इसी प्रकार निन्दा करनी चाहिए जिस तरह गोल माल उत्तर करे। एक उद्देश्य से जो स्पष्ट हो, प्रश्न पूछना गवाहों की जिरह में सबसे अच्छा सुद्ध है, फिर चाहे वे गवाह ईमानदार हों या बेईमान, झूठी बात चालाकी से नहीं पकड़ी जा सकती है और अगर वह चालाकी से पकड़ी जा सकती है तो वह चालाकी गवाहकी हागी चकौल की नहीं। चकौल को रात, शिष्ट, गम्भीर, और सतर्क रहना चाहिये।

६ अगर गवाहने आपके साथ बुद्धिमानी दिखलाने या हठ करने का निश्चय कर लिया हो, तो अच्छा हो कि आप इसबात को उससे पहिरेही तय करके नहीं तो जिरह के साथ साथ इसकी शाखाए बंद जायगी। पहिले उसे इसबातको समझाने का मौका दीजिए कि यातो उसने आपकी शक्ति को नहीं समझा है या अपनी शक्ति को नहीं समझा है। लेकिन हर हालत में आप इसबात का ध्यान रखें कि आप कही आपसे बाहर न हो जाय, बुद्धि सम्पन्नी लड़ाई में क्रोध का आजाना इसबात का घोटक या साक्षी है कि वह व्यक्ति (जिसे क्रोध आया है) अवश्य हार गया है।

७ होशियार शतरंज के खेलाही की तरह, हर एक स्थलमें, आपको अपने खेल (जिरह) के जुटाव और सम्बन्ध की ओर अपनी दृष्टि गड़ाए रहना चाहिए अन्यथा आशिक्र पूरा अस्थायी सफलता से पूरी और ऐसी हार होजानेकी सम्भावना है जिसका प्रतिफार न हो सकेगा।

८ अपने विपक्षी को कभी-कम मत समझो, बल्कि द्रढ़ता, और होशियारी के साथ अपने कर्तव्य पर टटे रहो। अटकल पच्च निशान ऐसे ही यात्रक सिद्ध हो सकती है जैसे यह किसी बड़ेही पक्के बुद्धिमान का खयाल हुआ होता। एक की अज्ञानधरानी से प्रायः दूसरों की शलती ठीक होजाती है और कभी कभी ब्रह्मभयोत्पादक सिद्ध होती है।

९ आप अदालत और जूरीका उचित सम्मान करते रहें, अपने साथी पर ब्याभास बनाये रखें और अपने विरोधी के प्रति उज्ज्वलित ब्योहार करते रहें।

लेकिन इनमेंसे किसी के प्रति आवश्यकता से अधिक उदारता दिखाकर अपने सिद्धान्त की किञ्चिन्मात्र भी हत्या न करे।

जिरह करने का अधिकार और उसका उत्तरदायित्व—किसी गवाह पर जिरह करने का अधिकार देने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसका बयान खास जरूर ही ले लिया गया हो, क्योंकि अगर यह असली गवाह है और बाकायदा तलब किया गया है और उसे हलफ़ धैरा दिलाइ जा चुकी है, तो विरोधी पक्ष को अधिकार होगा कि वह उस पर जिरह कर सके।

जिस पक्ष ने उसे तलब कराया है उसने एक भी प्रश्न चाहे उससे न पूछा हो या न पूछना चाहता हो (देखो G B L R. Ap 88)

इङ्ग्लैण्ड में प्रचलित प्रथाके अनुसार, सिवाय खास अवस्थाओं के, सामतौर पर उन गवाहों पर जिरह नहीं की जाती है जो क़ैदीके चालचलन की निश्चय शहादत देने के लिए तलब किए गए हों, लेकिन इसके लिए किसी क़ानून द्वारा विशेष रुकावट नहीं डाली गई है। क़ानून शहादत की दफ़ा १४० में बत लाया गया है कि चाल चलन के बारे में शहादत देने के लिए तलब किए गए गवाह पर जिरह की जा सकती है और उसके द्वारा बयान (बयान मुकरर) लिए जा सकते हैं। जो शख्स कोई कागज़ (Document) पेश करने के लिए ही तलब किया गया हो, वह सिर्फ़ इसी बात से गवाह नहीं हो जाता कि वह उसे पेश करता है, और जब तक वह शहादत देने के लिए बतौर गवाह के तलब किया जायेगा तब तक उसपर जिरह न की जा सकेगी देखो क़ानून शहादत की दफ़ा १३९, आर्डर १६, रूल ६, १५ और जायता कौजदारी की दफ़ा ९४

जो पक्ष विरोधी पक्ष (मुखालिफ़ फ़रीक) नहीं है, उसे जिरह में कोई हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती देखो 24 C L J 149—किसी शहादत को किसी अभियुक्त के विरुद्ध काबिल तस्लीम बनाने के लिए यह बात कि उसको जिरह का पूरा २ मौक़ा था, अवश्य साबित हो जानी चाहिए देखो 19 B 749.

जिरह में कैसे प्रश्न (सवालत) पूछे जा सकते हैं ?—जिरह करनेमें बहुत बड़ी स्वतंत्रता है और उसमें पूछे जाने वाले प्रश्न केवल उन्हीं बातों के सम्बन्धी नहीं होने चाहिए जो कि बयान खास में बतलाई गई है। अभियुक्त लोगों को अधिकार है कि वे जिरह में सुनूत के गवाहों से अपने बचाव के समर्पन में ऐसी बातें पूछें जिनका बयान खास में कही गई बातों से कोई सम्बन्ध न हो (देखो 42 C 957)—जो बात बयान खास में अनुपयुक्त अथवा अप्रासंगिक समझी जाती है वे ही जिरह में उपयुक्त और प्रासंगिक हो जाती हैं। बाद में किसी समय जिरह करने वाला इस बात के दिखलाने का भार अपने ऊपर ले सकता है कि जो बातें देखने में अनुपयुक्त और अप्रासंगिक जान पड़ती हैं वे वास्तव में उपयुक्त और प्रासंगिक हैं (देखो क़ानून शहादत की दफ़ा १३६) क़ानून शहादत की दफ़ा १३८ में बतलाया गया है कि बयान और जिरह दोनों वास्तविक और प्रासंगिक

बातों के सम्बन्ध में होने चाहिए। "वास्तविक और प्रासंगिक बातों" का जिरह में बयान ख़ास की अपेक्षा अधिक विस्तृत अर्थ है। उदाहरण के लिए, ऐसी बातों से, जो और किसी दशा में अनुपयुक्त हों, ऐसे प्रश्न पैदा हो सकते हैं जिनसे गवाह के विश्वास पात्र होने के सम्बन्ध में सन्देह किया जा सकता है और जिरह में ऐसे सवालियों के पूछने की इजाजत दी गई है देखो कानून शहादत की दफा १४६-१५३ लेकिन जो सवालिया प्रश्न में अनुपयुक्त प्रतीत होते हैं या जो सवालिया बयान ख़ास में कही गई बातों का खण्डन करने अथवा उनकी वास्तविकता दिखलाने के लिए नहीं पूछे गए हैं या जिनसे गवाह के विश्वासपात्र होने के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं उठाया जाता है, ऐसे सवालियों के जिरह में पूछने की आज्ञा नहीं है। कानून का ऐसा कोई भी नियम नहीं है जिससे सुनी गई बातों की शहादत बयान ख़ास की अपेक्षा जिरह में अधिक महत्वकी समझी जाय (देखो 160 206, 211)— ज्योंही कोई गवाह इधर उधर की सुनी हुई बातें अपने बयान में कहना आरम्भ करे, त्यों ही अदालत को उसे वहाँ पर रोक देना चाहिए। इस बात के सहारे रहना ठीक नहीं कि बाद में ज़रीके सामने सुनी हुई शहादत अलग कर दिए जाने का प्रयत्न करके केवल कानूनी शहादत के ऊपर ही फ़ैसला दिया जायगा, देखो 7 W R Cr 25 — किसी गवाह से यह नहीं पूछा जा सकता कि क्या अमुक व्यक्ति इस बातको स्वीकार किया था कि वह, (नकि वह व्यक्ति, जिसपर अभि योग लगाया गया है) ऐसा व्यक्ति है जो अमुक बातके लिए उत्तरदायी है। क्योंकि ऐसी शहादत सुनी हुई शहादत है (देखो वैट्स बनाम लियन्स, 6 M and G 1047) — लेकिन उससे यह बात पूछी जा सकती है, कि क्या वह अमुक व्यक्ति ही ऐसा व्यक्ति है, जिसपर विश्वास किया गया था, अथवा जिसके ऊपर बतौर उस व्यक्ति के कार्रवाई की गई थी जो वास्तव में उत्तरदायी था। और ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी स्मरणशक्ति की और उसके विश्वास प्राप्त होने की परीक्षा करने के लिए उससे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं देखो हाकिंगहेड बनाम हेड, 4 C B n s 388; Powell, P 534

जिरह सिर्फ़ उन्हीं बातों के सम्बन्ध में नहीं की जा सकती जो गवाह अपने बयान ख़ास में कह चुका है, बल्कि सारे मामलेके सम्बन्ध में की जा सकती है। अतएव, अगर कोई मुद्दा किसी गवाह को सिर्फ़ एक मामूली से मामूली बात साबित करने के लिए तलब करता है, तो मुद्दा भले उससे हर एक बात के ऊपर जिरह कर सकता है, और अगर वह ऐसा कर सकता है तो, ऐसे प्रश्न पूछकर जो उसी उत्तर की ओर संकेत करने वाले हों जो वह चाहता है अपनी सफ़ाई को मजबूत कर सकता है, और इस सिद्धान्त का यहाँ तक प्रयोग किया गया है कि वह शख्स भी, जो उस मुद्दामें में फ़रीक़ है, अपने विपक्षी की ओर से कानूनी सुवृत्त दाख़िल करने के लिए तलब किए जाने पर सब कामों के लिए गवाह समझा जाता है और उससे सारे मामले के ऊपर जिरह की जा सकती है (देखो 6 B L R Ap 88; 15 W R Cr 34)

चारू चलन की निश्चत शहादत देने वाले गवाहों के ऊपर जिरह की जा सकती है (देखो दफा १४०)—जिन्हमें ऐसेसवाल पूछे जा सकते हैं जो ऐसे जवाब की ओर संकेत (इशारा) करते हों (देखो दफा १४२) । पहिले दिए गए बयान तहरीरीके सम्बन्ध में उसका खण्डन करनेके अभिप्रायसे, जिरह करनेके बारेमें देखो कानून-शहादत की दफा १४५—जिरहमें किए जाने वाले दूसरे कानूनी सर्वालों के सम्बन्ध में देखो कानून शहादत की दफा १४६ ।

गवाह हमेशा इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि वह जिरह में पूछे गए हर एक सवाल का जवाब जरूर दे (देखो दफा १४७ और १४८) उसपर उन तमाम बातों के ऊपर जिरह की जा सकती है और उसका खण्डन किया जा सकता है जो उस मामले से सम्बन्ध रखने वाले हैं । उन बातों के सम्बन्ध में, जिनका सम्बन्ध जांच से सिर्फ़ वही तक है, जहां तक कि वह उसके आचरण पर आघात कर, उसके पतवार को धक्का पहुंचाती है, यद्यपि उस गवाह पर जिरह की जा सकती है, जिसका सिवाय दो अवस्थाओंके खण्डन नहीं किया जा सकता (देखो कानून शहादत की दफा १५३)—जिरह से गवाह के विश्वास प्राप्त होने के सम्बन्ध में किस प्रकार आपत्ति की जा सकती है इस सम्बन्ध में देखो कानून शहादत की दफा १५५ । अदालत किसी फौक (पक्ष) को अपने ही गवाह पर जिरह करने की इजाजत दे सकती है, अगर वह उसके विरुद्ध आचरण करने लगे (देखो कानून शहादत की दफा १५४) तहरीरी बातोंके सम्बन्धमें दी जाने वाली शहादतके बारे में देखो कानून शहादत की दफा १४४ । किसी ऐसे गवाह के ऊपर की जाने वाली जिरह के सम्बन्ध में, जो किसी कागज के पेश करने के लिए तलब किया गया हो, देखो कानून शहादत की दफा १३९ । अदालत को अधिकार होगा कि वह शिष्टतापूर्ण, अपमान करने वाले और हैरान करने वाले प्रश्नों के पूछने की मनाही कर दे देखो कानून शहादत की दफा १५१, १५२ ।

जिरह में कितने प्रश्नों के पूछने की मुमकिनियत है ?—ऐसे प्रश्न, जिनमें वे बातें सूचित की गईं जिनकी गूँथें हैं जो वास्तव में सुप्रसूत नहीं की गईं हैं, या यह कि असुर असुर उत्तर दिए गए हैं जो वास्तव में दिए नहीं गए हैं, कभी भी पूछनेकी इजाजत न दी जायगी । जिस प्रश्नमें किसी ऐसी बात को मान लिया गया हो जो विरुद्ध पड़ता है, वह प्रश्न जबकि बयान ख़ासमें पूछा गया हो, तो ऐसा प्रश्न (सवाल) है जो उसी उत्तर की ओर संकेत करता है जो उत्तर प्रश्न करता चाहता है, क्योंकि इससे उस पक्षके सम्बंध गवाह की उस बात का स्मरण करा दिया जाता है जो उसने अन्य दफा में बयान न की होती । इसी प्रकार, जिरहमें भी ऐसा प्रश्न अनुचित ही होगा, क्योंकि सम्भवतः उसका तात्पर्य उस गवाह के मुहसे, ऐसी बात निकालना है जोकि वह कहीं नहीं चाहता था और इस तरह वह उसकी शहादत का एक अंग बन जाती है, यद्यपि इसे बसने अपनी इच्छा से नहीं कहा था ।

जिरह के दौरानमें भयमान सूचक बातोंका कहा जाता—जिरह में पूछे जाने वाले प्रश्नों में कोई भयमान सूचक भावना परेशान करने वाली बात न होनी चाहिए, यद्यपि प्रकीर्ण को अधिकार है कि वह गवाह के ऊपर टीका टिप्पणी करता जाय। जिस समय मि० हार्डिं पर अभियोग चलाया जा रहा था (देखो 24 How St Tr 754) उस समय मि० गस्कभू ने अपनी जिरहमें एक राजविद्रोहात्मक सभा की कार्यवाही के सम्बन्ध में पूछा कि—बताइये—

“तो आप ठामें से किसी भी सभा में सिंघाय गुप्तचर की दैखियत में कभी गण ही नहीं ?”

“चूंकि तुम ऐसा कहते हो, इसलिये मैं भी इसे ऐसा ही माने लेता हूँ”

“अगर तुम वहाँ पर गुप्तचर की दैखियत में नहीं गण थे, तो और जो उपाधि तुम चाहते हो चुन लो और मैं तुम्हें वह उपाधि दे दूंगा।”

लॉर्ड चीफ् जस्टिस ईपर ने कहा—

“बयान लेते समय गवाह का नाम नहीं रखना चाहिए। यह घड़ी बात घटेलाता है जिनके लिए घट गया था, और शहादत के ऊपर विचार करने में आप उसे जैसा नाम चाहें दे।” इसी तरह के एक अवसर पर आपने कहा—“मैं समझता हूँ यह बात बिल्कुल साफ है कि जो सर्वाकार पूछे जानेको है उनपर हम सब बातोंका भार नहीं लाने चाहिए जो मुकद्दमेके पहिले वाले कुछ हिस्सोंके सम्बन्ध में पैदा होती है, इनसे हमारे आदर्मी का ध्यान घट जाता है, इनसे हमारा बहुत समय नष्ट होता है, और यह बात कि वह समय गवाह के साथ चलन या उसके स्थिति के सम्बन्ध में टीका टिप्पणी करने का समय नहीं है, ऐसा साफ है कि इसे शहादत का एक नियम मानकर इससे कभी भी विचलित न जाना चाहिए।”

किसी गवाह की शहादत के मुख्य अर्थों उसके प्रभाव के सम्बन्ध में, या उसके आचरण के ऊपर बयान के दौरान में बिना विचार किए जल्दी में कोई टीका न करने लगना चाहिए। वे सारी बातें यहस के वक्तके लिए ही छोड़ रखनी चाहिए। और न जिरह करने वालेको यही चाहिए कि वह बिल्कुल कल्पित प्रश्नों को उठाकर गवाह से वाद विवाद करने लगे। भाकमणालमक प्रश्नों के सम्बन्ध में देखो कानून शहादत की दफा १५१।

कुछ बातों के ऊपर जिरह का न करना—चतुर जिरह करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह असली बयान में कही गई बातों को ध्यान पूर्वक सुने, और जब अपने बारी भावोंको गवाह से उन्हीं बातों के सम्बन्ध में प्रश्न करे जो उसके बिल्कुल पढ़ती हों। अगर वह उन्हें छोड़ देगा या उनके पूछनेकी परधा न करेगा तो यह समझा जायगा कि उन्हें उसने स्वीकार कर लिया है और दूसरा पक्ष स्वभावतः इससे यह परिणाम निकलेगा कि वे बिना किसी विरोध के मान लिए गए हैं।

साधारण तौर पर तो यह चाहिए कि एक पक्ष अपने विपक्षी के गवाहोंमें से प्रत्येक से क्रमशः यही बातें पूछे जिनका सम्बन्ध उस गवाह से है या जिनमें

पात्रता को धक्का पहुंचाने के बदले प्रायः उसे प्रथम बना देता है। इससे अधिक सन्देहयुक्त और कोई भी बात नहीं हो सकती कि एक लम्बे चौड़े किस्से को बहुत से गवाह बयान कर जाय और छोटी से छोटी बात में भी उनमें भेद न पड़े। इस लिए यह एक बहुत ही प्रसिद्ध नियम है कि, किसी जिरह करने वाले वकील को, आमतौर पर, ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, जिनके उत्तर प्रतिकूल होने पर उसके ही पक्ष के घातक सिद्ध हों।

जैसे उदाहरण के लिये, किसी ऐसे मामले में, जिसका दार मदार शिनाखत के ऊपर हो। यह कि क्या गवाह को इस बात का निश्चय है या वह इसके लिये हलफसे बयान कर सकता है कि अभियुक्त वही आदमी है जिसकी निश्चयत वह अपना बयान दे रहा है। अच्छा यह होगा कि उससे घटना के निकटवर्ती अथवा दूरिवर्ती विषयों के सम्बन्ध में प्रश्न किए जाय, जिनके सम्बन्ध में दिए उत्तर से यह मालूम होजाय कि, अपने पहिले बयान में, जो कि उसने दिया है, वह या तो झूठ बोला है या उसने भूल से ऐसा बयान कर दिया। परन्तु कुछ अवस्थाओं में ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं जिनमें अपना मामला गिगड जानेका भी भय है, विशेष कर ऐसी दशा में जबकि अनुकूल उत्तरके मिल जानेसे बहुत बड़ा लाभ होता हो और पहिले ही से स्थिति ऐसी बन गई हो कि प्रतिकूल उत्तर मिलने से उसमें बहुत कम हानि होने की सम्भावना हो।”

ऐसे अभियुक्तों और मुद्दाभलेहों के गवाहों पर जिरह करनेका अधिकार जिनपर मामला एकही में चलाया हो—जब दो या अधिक आदमियों के ऊपर एक साथ में मामला चलाया गया हो और वे अलग अलग अपनी सफाई पेश कर रहे हों, तो किसी भी गवाह पर, जो उनमें से किसी एक की ओर से पेश किया गया हो, दूसरे की ओर से जिरह की जा सकती है, जब वह कोई ऐसी बात अपने बयान में कहे जिससे उन सबपर दोष लगाया जाता हो देवो आर बनाम घरदट, 1855, Dears C C 431

और जब दो कैदियों के ऊपर साथ में मामला चल रहा हो और एक का गवाह ऐसी शहादत देता है जिससे दूसरे पर भी असर पड़ता है, तो दूसरे को गवाह के ऊपर जिरह करने का अधिकार देवो आर बनाम टैडमेन 1902, 1 K. B 882

दूसरे कैदियों के वकीलों को भी अधिकार है कि वे ऐसी दशा में उस] शहादत से काम लें। इसी तरह लाई बनाम कार्पिन के मुकद्दमे [1855 L J Ch 5 17] में जस्टिस किडराट ने, कुछ न्यायालयोंके जजोंसे परामर्श करने के बाद, तय किया था कि सब से बड़ी अदायत दीवानी (कोर्ट ऑफ चान्सेरी) में जिरह करने वाले के सामने एक मुद्दाभलेह दूसरे मुद्दाभलेह के गवाहों पर जिरह कर सकता है।

फ़ानून शहादत में उन शहदों के गवाहों पर जिरह करने के सम्बन्ध में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है जिनपर एक साथ अभियोग चलाया गया हो

या जो पक्ष ही साथ मुद्दाअलेह बनाए गये ह। लेकिन इस सम्बन्ध में की जाने वाली कार्रवाई की व्यवस्था इस प्रचलित नियम के अनुसार की जा सकती है कि उस शख्स के खिलाफ दी गई जोर भी शहादत स्वीकार न की जायगी जिसे जिरह करके उसकी जाच करने का मौका न दिया गया हो, क्योंकि यह विल्कुल ही अनुचित और अन्याय होगा कि किसी अभियुक्त को उस गवाह पर जिरह करने का मौका न दिया जाय जो उस अभियुक्त की ओर से तलब किया गया है जिसका मामला उससे विद्विर्कुल भिन्न है।

रामचन्द्र बनाम हनीफ़ शेख, 21 C 401, म जस्टिस ट्रेवीलपन और जस्टिस रामयिनीने कहा था—“हम समझते हैं कि बहुत से मुकद्दमां न्याय न हो सकेगा, अगर किसी अभियुक्त को अपने साथी उस अभियुक्त के गवाह पर जिरह करने का मौका न दिया जाय जिनका मामला उससे भिन्न है, क्योंकि सम्भव है इसके परिणाम यह हो कि अदालत उस शहादत के आधार पर अपना फलता दे देवे जिसकी जिरहसे जाच नहीं कर ली गई है। कानून शहादतमें उन गवाहों से जिरह करने का अधिकार दिया गया है जो विपक्षी ओरसे तलब किए गए हों।” लेकिन देवो के बनाम सरूप, 12 W R O 75 जो कानून शहादत के पास होने से पहिले फैसल हुआ था।

अगर कई एक मुद्दाअलेहा में से जिनपर एक साथ में नालिश की गई है, किसी एक की परखी अलग से की जाय तो वह दूसरे मुद्दाअलेहा पर जिरह कर सकता है, देवो नरसिंह बनाम कृष्णा, Mad H O 546

अभिलिखित उत्तरकी ओर संकेत करने वाला प्रश्न—ऐसे प्रश्न यह हैं जिनमें उस उत्तरकी ओर संकेत किया गया हो जिनको प्रश्नकर्ता चाहता है। मि० टेलरके कथनानुसार उत्तरकी ओर संकेत करने वाला प्रश्न (Leading question) वह प्रश्न है जिसमें गवाहको वाञ्छित उत्तर देनेके लिए इशारा किया गया हो, या जिसमें आवश्यक बातोंके होते हुए भी उसका उत्तर एक ‘हां अथवा नहीं’ में होता हो। मि० वेन्यमने ऐसे प्रश्नकी परिभाषा यह की है कि वह प्रश्न गवाहको उस वास्तविक अथवा कल्पित घटनाकी ओर इशारा करता है जिसकी प्रश्न करने वाला आशा रखता है और जिसको वह चाहता है कि उत्तर द्वारा स्वीकार कर लिया जाय। जैसे,

क्या तुम्हारा अमुक नाम नहीं है ?

क्या तुम्हारी सफ़ूत फला जगह पर नहीं है ?

क्या तुम अमुक व्यक्तिके यहां नीकर नहीं हो ?

क्या तुम इतने दिनों तक उसके साथ नहीं रहे हो ?

यह बात विल्कुल साफ़ है कि इस प्रकारके प्रश्नोंमें गवाहको शुभ रीतिमें सारी बात बतला दी जाती है। इससे उसे, उससे पूछे गए प्रश्नोंका वाञ्छित उत्तर देनेके लिए तैयार किया जा सकता है, और प्रश्नकर्ता जो अपनी अनभि

ज्ञाता प्रकट करता है और जानने के लिए पूछता है, वास्तवमें वह पूछनेके बदले जवाब बतलाता है ।

किसी प्रश्नको उसी समय वाञ्छित उत्तर की ओर संकेत करने वाला पतला कर उस पर आक्षेप किया जा सकता है जब उसमें उत्तर की ओर संकेत किया गया हो उस समय नहीं जब कि उससे केवल गवाहका ध्यान उस विषय की ओर आकर्षित किया गया हो जिसके बारेमें उससे प्रश्न किया गया है (देखो निकोलस बनाम डाटविङ्ग, 1 Stark 81, Best S. 641

सकेतार्थक प्रश्न किन अर्थशास्त्रोंमें नहीं पूछ जा सकते और वे कब पूछे जा सकते हैं — बिना अदालतकी आज्ञाके ऐसे प्रश्न, जो वाञ्छित उत्तरकी ओर संकेत करने वाले हैं, अगर उनके बारेमें विरोधी पक्षको कोई आपत्ति है तो, बयान ख़ास (Examination in Chief) अथवा बयान मुकर्रर (Re Examination) में नहीं पूछे जा सकते ।

अदालत ऐसी दशामें ऐसे सकेतार्थक प्रश्नोंके पूछनेकी इजाजत दे सकती है जब जिन बातोंके सम्बन्धमें वे पूछे गए हैं वे प्रारम्भिक बातें हैं या जिनके बारे में, उसकी रायमें, पहिले ही काफी सुवृत्त गुजर चुका है (देखो कानून शहादतकी दफा १४२) ।

जिरह में ऐसे प्रश्न किए जा सकते हैं जो वाञ्छित उत्तर की ओर संकेत करते हों (देखो दफा १४३) ।

साधारण नियम यह है कि उत्तर की ओर संकेत करने वाले प्रश्न बयान ख़ास या बयान मुकर्रर में नहीं पूछे जा सकते । वकील का यह कर्तव्य है कि वह उन बातों को, जिन्हें उसका गवाह जानता है, बिना उसे किसी तरह की मदद पहुँचाए हुए, उससे बयान करवा के अदालत को न्याय कार्य संचालन में सहायता करे । बयान ख़ास और बयान मुकर्रर में उत्तर की ओर संकेत करने वाले प्रश्नोंके पूछने की इजाजत न देने का कारण बिल्कुल साधारण है ।

गवाह का स्वाभाविक रुझान उस आदमी की ओर होता है जो उसे तलब कराता है और इसलिए ज्योंही उसे प्रश्न से यह मालूम हो जायगा कि प्रश्नकर्ता 'हाँ' अथवा 'नहीं' में एक उत्तर चाहता है, तो वह फौरन् 'हाँ' या 'नहीं' में जवाब दे देगा । दूसरा कारण, जैसा कि मि० व्यस्ट का कहना है, यह है कि, "किसी गवाह को तलब करने वाले शरूख को अपने विपक्षी की अपेक्षा अधिक लाभ इस बात का रहता है कि वह गवाह से पहिले से ही इसबात को जान लेता है कि गवाह कौनसी बात साबित करेगा या कम से कम उससे कौनसी बात साबित होने की आशा की जाती है, और यह कि इसलिए, अगर वकील जो रास्ता दिखलाने की इजाजत दे दी जाय, तो सम्भव है कि वह इस तरह प्रश्न करे कि उससे गवाह उतना ही उत्तर दे जो उसके अनुकूल पड़ता है या कुल बातों को छिपा डाले ।

फामून शहादत की दफा १४२ में बतलाया गया है कि, अगर उन। पर कोई आपत्ति की जाती है तो, ऐसे प्रश्न जो वाञ्छित उत्तर की ओर संकेत करने वाले हों, बयान खास में नहीं पूछे जाते हैं। जहां तक जल्द हो सके उसपर उच्चदारी कर दी जानी चाहिए, अर्थात् उस समय जब कि प्रश्न किया जा चुका हो या किया जा रहा हो। अगर ठीक समय पर उच्चदारी न की गई, तो जो कुछ उत्तर वह देगा उसे जज लिखलेगा और फिर उसका मुकल दूर नहीं किया जा सकता है। अगर विरोधी पक्षकी उच्चदारी की बिना मजबूत है और अदालत अपने अधिकार से उच्चदारी खारिज करके उस प्रश्न के पूछने की इजाजत दे देती है, तो यह उचित है कि अदालत को वह प्रश्न नोट करा दिया जाय, ताकि अपील किए जाने पर आगे की अदालत शहादत के असर का अन्दाजा लगा सके, या बाद में उसी अदालत को यह दिखलाया जा सके कि उत्तर की ओर संकेत करने वाले प्रश्न से शहादत का बल घट गया है। जब प्रश्नों के सम्बन्धमें उच्चदारी की गई हो और अदालत ने उसे मजूर कर लिया हो, तो जज उस प्रश्न को, उसका उत्तर और उच्चदारी इत्यादि को लिख देगा (देखो भांडेर १८, फल १२, जायदा दीवानी)—उत्तर की ओर संकेत करने वाले प्रश्नों की सहायता से प्राप्त शहादतको अलग करनेका सबसे अच्छा उपाय यही है कि उन प्रश्नोंके पूछने की इजाजत न दी जाय (देखो 15 W R Cr 23 P 24)।

लेकिन अगर विरोधी पक्षका वकील ऐसे उत्तरकी ओर संकेत करने वाले प्रश्नोंके ऊपर कोई आपत्ति नहीं करता और ऐसे प्रश्नोंके उत्तर प्राप्त हो जाय, तो यह प्रश्नकर्ताकी निजय न समझनी चाहिये, क्योंकि ऐसी शहादतका नतीजा बहुत ही कमजोर होता है।

प्रायः देखा जाता है कि ऐसे संकेतार्थक प्रश्न पूछनेकी, बिना किसी आपत्ति के ही, इजाजत दे दी जाती है, कभी प्रकट स्वीकृति द्वारा और कभी मौन द्वारा। यह अन्तिम अवस्था उस समय पैदा होती है जबकि प्रश्न उन बातों के सम्बन्धमें पूछे जाते हैं जिनकी यावत् प्रश्नकर्ता यह जानता है कि दूसरे पक्ष वाले उनका कोई विरोध नहीं करेंगे, या जबकि विपक्षीका वकील उन्हें इस काबिल नहीं समझता कि उन पर कोई आपत्ति की जाय। परन्तु दूसरी ओर इस विचारके ऊपर बहुत ही निराधार आपत्तियां धरावर की जाती रहती हैं।

—

**अदालत अपने अधिकारसे बयान खासमें ऐसे संकेतार्थक प्रश्नों
के पूछनेकी इजाजत दे सकती है**

फामून शहादतकी दफा १४२ में यह बतलाया गया है कि उत्तरकी ओर संकेत करने वाले प्रश्न, अगर उन पर आपत्ति की गई है तो, बिना अदालतकी

इजाजत के नही पूछे जा सकते। चूंकि उत्तरकी, भोग संकेत करने वाले प्रश्नोंके सम्बन्धमें यह आपत्ति नही की जा सकती कि ये चिल्ड्रुल गैर-कानूनी हैं बल्कि सिर्फ यह कहा जा सकता है कि वे चिल्ड्रुल अनुचित हैं (देखो 7 A. 385, 397, (1909) 2 K. B. 14 (16)). इसलिये अदालत अपने अधिकारसे उचित अवस्थाओंमें ऐसे प्रश्न पूछनेकी इजाजत दे सकती है। साधारण नियमके ये नीचे लिखे अपवाद (मुम्तस्नियात) हैं:—

(१) प्रारम्भिक भयवा ऐसा मामला जिसकी निश्चय कुछ श्रमदां नहीं है—अदालत ऐसी बातोंके सम्बन्धमें सकेतार्थक प्रश्नोंके लिए इजाजत दे सकती है जो प्रारम्भिक हैं अथवा जिनकी याचत कोई श्रमदा नही है या जिनकी निश्चय काफी सुवृत्त गुजर चुका है, (देखो दका १४२)—साधारण नियम बयानके उस हिस्सेके सम्बन्धमें लागू नहीं होता जो आवश्यक अथवा प्रारम्भ करता है। अगर वास्तवमें ऐसे प्रश्नोंसे असली बातें तक पहुंचनेकी इजाजत न दी गई होती, तो बयानोंमें बहुत विलम्ब और इस कारण बड़ी असुविधा होती। कोरवाइकी संक्षिप्त करने और गवाहकी जहा तक जल्द सम्भव हो उन आवश्यक बातों तक लानेके लिये, जिनकी निश्चय वह अपना बयान दे रहा है, बकील उसे इस सम्बन्धमें सहायता कर सकता है और उसे वह सारी बातें सुना सकता है जो स्वीकार कर ली गई हैं और जो पहिले ही तय हो गई हैं। इसलिये ऐसी बातोंके सम्बन्धमें सहायता पहुंचनेकी इजाजत नही देने चाहिए बल्कि सहायता करना उचित भी होगा।

(२) शिनाख्त—बिन्ही आदमियों या चीजोंकी ओर किसी शख्सका ध्यान, उनकी शिनाख्त करनेके अभिप्रायसे, आकृष्ट किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, गवाहसे प्रायः ऐसा पूछा जाता है कि क्या अभियुक्त ही ऐसा शख्स है जिनकी निश्चय तुम कहते हो? इस प्रकारका प्रश्न वास्तवमें असन्तोष जनक है और ऐसी शहादत का कुछ अधिक महत्व नही होता। आजकल बकीलके लिए इस प्रकार का प्रश्न करना कि, क्या वह शख्स तुमको अदालतमें दिखलाई पड़ता है? और फिर उसे उस शख्सकी शिनाख्त करने के लिए कहना अच्छा समझा जाता है। ऐसी दशामें यह उचित है कि उसे कोई सहायता शिनाख्त करने में न पहुंचाई जाय। यद्यपि यह चिल्ड्रुल ठीक होगा कि अभियुक्तकी ओर इशारा करके गवाह से यह पूछा जाय कि क्या यही वह शख्स है जिसकी निश्चय तुम बयान दे रहे हो? तो भी अगर बिना किसी सहायताके गवाह अभियुक्तकी पहिचान ले, तो उसकी शहादतका अधिक मूल्य होगा।

३ खण्डन कराना—किसी गवाहसे किसी दूसरे गवाहकी शहादतका खण्डन करनेके अभिप्रायसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो वाञ्छित उत्तरकी ओर संकेत करते हैं। उदाहरणार्थ—अगर मोहनका कहना है कि घसीटेने उसे अमुक अमुक बात बतलाई है, तो घसीटेने पूछा जा सकता है कि, क्या तुमने कभी मोहनसे अमुक अमुक बात कही है।

जब एक गवाह किसी दूसरे गवाहकी बातोंका खण्डन करनेके लिए पेश किया गया हो, जो उसने कही हैं, परंतु जिनके लिए वह यह कहनेका करता हो

कि उसने कभी नहीं कहा है, तो उससे यह प्रश्न पूछा जा सकता है—क्या दूसरे गवाहने ऐसी ऐसी बात कही? इसमें साधारण नियम क्यों लागू नहीं होता, इस सम्बन्धम भिन्न भिन्न प्रमाण है और उनमें जोरके साथ यह कहा गया है कि पहिले दूसरे गवाहसे यह पूछकर, कि जिस समय की निश्चय मान है, उस समय उसने क्या कहा, उसको खूब धंका डालना चाहिए। गवाहसे सिर्फ यही बात नहीं पूछनी चाहिए कि क्या क्या कहा गया, बल्कि यह कि क्या अमुक अमुक भाषाका प्रयोग किया गया, क्योंकि सम्भव है दूसरी तरहपर उन, बातोंका खण्डन न किया जा सके जिनके खण्डन करने का प्रयत्न किया जा रहा है। परन्तु जब केवल खण्डन करने के ही अभिप्रायसे किसी बात-चीतका सुवृत्त न होजाय, तो बादमें किया जाने वाला प्रश्न विच्छुल्ल अतुषित होगा।

४ स्मरण शक्तिको सहायता देना—इस समय इस नियमका प्रयोग न किया जायगा जब जोई शख्स उस सवालका, जो उससे पूछा गया है, सिर्फ याददाश्त (स्मरण शक्ति) की कमजोरीके कारण जवाब न दे सकता हो। इस तरह जब कोई गवाह जाहिरामे कोई बात भूल गया है और मामूली सवालसे उसकी याद दाश्तको ताजा करने के लिए की गई सारी कोशिशे नाकामयाब होगई हों, तो ऐसा प्रश्न पूछकर उसका ध्यान उस बातकी ओर आकृष्ट किया जासकता है, जो उस उत्तरकी ओर संकेत करता है जो वाञ्छिनीय है। इसका उद्देश्य यह है कि बिना उत्तर बतलाए किसी बातकी ओर उसका ध्यान आकृष्ट करके उसकी याद दाश्त ताजी कर दी जाय। जब कि एक गवाहने अपने चयानम यह कहा कि अमुक फर्मके मेम्बरोंका नाम स्मरण नहीं आता लेकिन अगर यह उठ देवे तो पहचान सकता है, एडवर्ड एलेमबराने ऐसा करने की इजाजत दे दी, (देरो अकेरो बनाम पेड्रोनी, *Rtark* 100)

कभी कभी अदाएत ऐसे गवाहसे भी, जो कम उमर होनेकी वजहसे बिना सहायताके उस बातको स्मरण नहीं कर सकता जिसकी निश्चय जान की जा रहा है, ऐसे प्रश्न करने की इजाजत दे सकती है जो अभिलिपित (वाञ्छित) उत्तर की ओर संकेत करते हैं।

५ यह गवाह जो बिलय हो गया हो—अगर कोई ऐसा गवाह, जिसे किसी एक फ्रीकने तलब कराया है, उसके खिलाफ हो जाय या विपक्षीसे जाकर मिल जाय तो अदाएत अपने अधि हारसे उससे ऐसे प्रश्न करने की इजाजत दे सकती है जो प्रश्नकर्ताका वाञ्छित उत्तरकी ओर संकेत करते हों अर्थात् उस पर जिरह करनेकी इजाजत दे सकता है, (देरो कानूा गहादतथी दफा 1५४)।

६ पचीसा मामला—उस समय साधारण नियमका प्रयोग नहीं किया जायगा जब कि गवाह उन प्रश्नोंका, जो उससे सामान्य रीतिसे पूछे गए हैं, इस कारण उत्तर देने में असमर्थ हो कि, जिस मामले के सम्बन्धम प्रश्न किए गए हैं वह पंचदार है।

साधारण नियमके ऊपर दिए हुए ये छ, अपवाद (मुस्तस्निपात) पूरे नहीं हैं। अदाएतकी इन मामलेम समयागुक्त कार्रवाई करनेका पूर्ण अधिकार रहता

है और जय कभी उसे न्यायकी दृष्टिसे आवश्यक प्रतीत हो वह वाञ्छित उत्तरकी ओर संकेत करने वाले प्रश्न पूछनेकी इजाजत दे सकती है। वास्तवमें, जैसा मि० टेलर का कथन है, जज जो इस बातका अधिकार है—इसमें भदादलत भील कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती—कि वह किस समय अथवा किस अवस्थामें साधारण नियम के विरुद्ध कार्यवाई कीगई है, परन्तु इस अधिकारका प्रयोग केवल उसी समय करना चाहिए जब कि न्यायके लिए ऐसा करनेकी आवश्यकता हो।

यह काम भदादलतका है, 'सरकारी वकीलका नहीं कि वह इस बातको निश्चय करे कि उत्तरकी ओर संकेत करने वाले प्रश्न (Leading questions) पूछने की इजाजत दी जाय, अथवा न दी जाय और ऐसी इजाजत देनेकी सारी जिम्मेदारी भदादलतकी ही होती है, देखो 37 C 467.

जिरह में संकेत करने वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं

जिरहमें संकेत करने वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं—बयान ख़ासमें वाञ्छित उत्तरकी ओर संकेत करने वाले प्रश्नोंके न पूछने देने के कारण वह प्रश्न उस समय विरुद्ध नष्ट हो जाते हैं, जय गवाह पर जिरह होने लगती है, क्योंकि जिस समय गवाह पर जिरह की जाने लगती है, उस समय वह जिरह करने वाले फ़रीक़े आमतौर पर ख़िलाफ़ होता है। इसलिए क़ानून शहादतकी दफ़ा १४२में यह व्यवस्था कीगई है कि, "जिरहमें ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो वाञ्छित उत्तर की ओर संकेत करते हैं।" इस नियमका विस्तार बहुत अधिक नहीं है। जब वह गवाह जिसके बयान लिए जा रहे हैं, उसके मुआफ़िक हो, तो कभी कभी भदादलत जिरह करने वालेको ऐसे प्रश्न करने की आज्ञा न देगी जो वाञ्छित उत्तर की ओर संकेत करते हों।

हार्डिके मुक़द्दमे (देपो 24 How St Tr P 659). में सुबूतके गवाह से मुद्दाभलेदके वकीलने, यह देखकर कि वह गवाह उसके मुआफ़िक है, एक ऐसा ही प्रश्न (उत्तरकी ओर संकेत करने वाला) पूछा, तो जस्टिस बुलरने यह कह कर प्रश्न पूछने की मुमानियत कर दी कि, "आप जिरह करने में गवाहको इतनी सहायता कर सकते हैं कि उसे उसी बातका उत्तर देनेके लिए प्रेरित करें जिस बातका उत्तर वह चाहता है, परन्तु आप इतना नहीं कर सकते कि गवाह के मुद्दमें ठीक २ वही शब्द रख दें जिनको वह दोहरा दे।" लेकिन माफ़िन बनाम यून (1836 7. C & P 408) में मि० आल्डर्सन ने कहा, "मे समझता हूँ आप बयान ख़ासमें जजकी आज्ञासे ऐसे गवाहसे भी उसे रास्ता दिखाने वाले (Leading questions) पूछ सकते हैं जो इसकी इच्छा नहीं रखता है, लेकिन आप जिरहमें, उसकी ऐसी इच्छा न रहते हुए भी, ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं।" सधापि जब इस बातकी इच्छा प्रकट कीगई हो कि गवाह प्रश्नकर्ता की सहायता करना चाहता है, तो गवाहके मुद्दमें ठीक वही शब्द रख देना, जो वह वादमें

घोहरा दे, बिल्कुल अनुचित है और इससे उसकी शहादतकी महीन बहुत कम हो जाता है (देखो भार० बनाम दार्डी, 1791, 124 St Tr 755) इसमें कोई सन्देह नहीं कि जब वह गवाह, जिसके ऊपर जिरह की गई है, अपने खयालात को बदल दे और उस फरीफ़के मुआफ़िक़ कारवाइ करने लगे तो, अगर ऐसा स्थितिने लाभ उठाकर उससे वाञ्छित उत्तरकी ओर संकेत करने वाले प्रश्न पूछे जाय तो उसकी शहादतका जोर बहुत कुछ कम हो जायगा। ऐसी दशामें उत्तर की ओर संकेत करने वाले प्रश्न पूछना न उचित ही और न न्यायालुवृत्त ही है और इसलिए अदालत को इनके लिए इजाजत नहीं देना चाहिए।

पहिले के बयानों के सम्बन्ध में जिरह—कानून शहादत की दफा १४५ में उस आवेदकी व्यवस्था की गई है कि जिससे जिरह में किसी गवाह के पहिले दिए गए बयान का, जो लिखित है अथवा जो लिख लिया गया है, खण्डन किया जा सकता है। जिरह में गवाह से बिना उसे वह तहरीर दिखलाए यह पूछा जा सकता है कि क्या उसने इससे पहिले कोई ऐसा बयान दिया है जो लिखित है अथवा जो लिख लिया गया है, और जो उसके मौजूदा बयान से भिन्न है और जो उही बातों के सम्बन्ध में है जो इस सम्बन्ध में पूछी गई हैं और अगर इसका उत्तर 'नहीं' में हो, तो यह दिखलाना चाहिए कि उसने ऐसा बयान दिया था, लेकिन अगर इस प्रश्न का अभिप्राय उनकी किसी तहरीर का खण्डन करना है, तो ऐसा खण्डन करने वाला उत्तर मिलने के पहिले उसका ध्यान उस तहरीर की ओर आकृष्ट किया जाता चाहिए जिसका खण्डन किए जाने को है। इसे उस अवस्था को बतला देना चाहिए जिसमें कि वह बयान दिया गया है जिससे उसे ठीक ठीक उस अवस्था का ज्ञान हुआ जिस अवस्था में वह बयान दिया गया था और उससे यह पूछा जाता चाहिए कि उसने ऐसा बयान दिया है या नहीं। इसका उद्देश्य गवाह को इस बात का मौफ़ा देना है कि वह दोनों बयानों में होने वाले अंतर का उत्तर दे सके। कानून शहादत की दफा १४५ का मंशा यह नहीं है कि वह तहरीर उसे भंग्य ही दिखलाई जाय, लेकिन यह कि, अगर इसका इरादा गवाह का खण्डन करना है तो, उसका ध्यान उसके बयान के उस हिस्से की ओर आकृष्ट किया जाता चाहिए जो उसका इस प्रकार खण्डन करने के काम में लाए जाने को है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि उसे अपनी पहिली शहादत के अध्याय करने का मौफ़ा दे दिया जाय ताकि वह उसके अनुसार अपना उत्तर तैयार कर सके, बल्कि यह कि अगर उसका उत्तर उसकी पहिले दी गई उस शहादत से भिन्न है जो तहरीर में आ गई है, और उसके उस खण्डन का मंशा उस मामले में बतौर शहादत पेश किए जाने का है, तो गवाह को इस बात का मौफ़ा दिया जाना चाहिए कि वह अपनी सारी बातों को जात दे सके, अगर वह ऐसा कर सकता है तो। और अगर उसे यह मौफ़ा नहीं दिया जाता, तो वह विरोधात्मक लिखित (मुखाधिक तहरीर) मिलिलेमें बतौर शहादत दर्ज न की जायगी।

देखो दुपेय बनाम टपली, 13 W R Cr 23

पहिले दिया हुआ ध्यान उन्ही बातों के सम्बन्ध में होना चाहिए जो तय की जानी हैं। किसी गवाह का खण्डन उन बातों के सम्बन्ध में नहीं किया जा सकता जो उसकी पहिले ध्यान की हुई बातों के समान हैं।

पहिले दिये हुए ध्यान का प्रयोग किसी गवाह को प्रतीतिके अयोग्य सिद्ध करने में किया जा सकता है। फ़ानून शहादत की दफ़ा १५५ (३) में यह बात लखाया गया है कि किसी गवाह को विश्वास के अयोग्य सिद्ध करने का एक दग यह है कि उसके पहिले के इजहार (ध्यान) का कोई हिस्सा उसके दूसरे हिस्से से मिला साबित कर दिया जाय। यह दफ़ा पहिले दिए हुए ध्यान के सम्बन्ध में ही लागू होती है फिर चाहे वह ध्यान जवानी हो या तहरीरी, और फ़ानून शहादत की दफ़ा १४५ सिर्फ़ ध्यान तहरीरी के सम्बन्ध में ही लागू होती है और दफ़ा १५५ (३) सिर्फ़ किसी गवाह को 'अविश्वासी सिद्ध करने में ही प्रयोग की जा सकती है। किन्तु दफ़ा १४५ की तरह दफ़ा १५५ में साफ़ तौर से यह नहीं बतलाया गया है कि पहिले गवाह का ध्यान उसके ध्यान के उस हिस्से की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए जिनका प्रयोग उसका खण्डन करने के लिए किया जाना है। लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं कि उसी नियम पर दृढ़ रचना बिल्कुल ठीक और सुनासिब है [देखो शामलाल बनाम अनन्ती 24 W R. 312]

कारपेण्टर बनाम वाल (1840, 3 P & D 457) में जस्टिस पैटर्सन ने कहा था कि, "मैं इस विस्तृत नियम को पसन्द करता हूँ कि, जब आपका अभिप्राय किसी गवाहके सम्बन्ध में किए गए इजहार के बारेमें शहादत देने से हो, तो आपको उससे यह पूछना चाहिए कि क्या कभी उसने ऐसे शब्दोंका प्रयोग किया था।"

समर्थन करने के लिए पहिले दिया गया ध्यान—फ़ानून शहादतकी दफ़ा १५७ के अनुसार किसी गवाहका पहिले किया हुआ इजहार उसकी बादमें दी हुई शहादत का पुष्टीकरण करने के लिए साबित किया जा सकता है। लेकिन उसका पहिले का इजहार उन्ही बातों के सम्बन्ध में ही और उसी समय दिया गया हो जिस, समय वह घटना हुई थी या किसी ऐसे हाकिम के सामने दिया गया हो जिसे फ़ानूनन उसमामले की तहकीकात करनेका अधिकार है।

जिरहमें प्रश्नों से गवाहको अविश्वासी सिद्ध करना—ऊपर बतलाए हुए प्रश्नों (सवाल) के अतिरिक्त जिरह में गवाह से कोई भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिनका मशा नीचे के तीन विषयों में से किसी के सिद्ध करने का हो—

- १—उसकी सचाई की जांच करना, या
- २—इस बात का पता लगाना कि वह कौन है और समाज में उसकी क्या स्थिति है, या
- ३—उसके चरित्र को बदनाम करके कि वह विश्वास के अयोग्य है

कानून शहादत की दफा १४६ के अनुसार जो अधिकार दिया गया है उसका एक अविवेकी जिरह करने वाला दुप्रयोग कर सकता है और उसके अविद्वान्नी सिद्ध करने के बहाने से किसी गवाह के व्यक्तिगत जीवन और चरित्र के सम्बन्ध में आपनि जनक प्रश्न पूछ कर उसकी भारी से भारी बेइज्जती की जा सकती है और उसे दिक्र किया जा सकता है। इसलिए दफा १४८ में यह व्यवस्था की गई है कि, अगर ऐसा कोई प्रश्न प्रत्यक्ष में आवश्यक नहीं है अथवा उन बातों के सम्बन्ध में नहीं है जिनकी निश्चयत झगडा है, बल्कि उसका उसी हद तक उन बातों से सम्बन्ध है कि वह उस गवाह के चरित्र को दूषित सिद्ध करके उसको विद्वान्नी किए जाने के अयोग्य सिद्ध करता है, तो यह फैसला देना अदालत का काम है कि गवाह-उसका उत्तर देने के लिए बाध्य किया जाय अथवा नहीं, और अदालत को अधिकार होगा कि वह गवाह को इस बात से भागाह कर दे कि वह उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। कानून शहादत की दफा १४८ के कलॉज (१), (२) और (३) में, इस सम्बन्ध में कुछ नियम बत लाए गए हैं कि अदालत को अपने इस अधिकार का किस तरह प्रयोग करना चाहिए।

ऐसे प्रश्न, जिनसे गवाह के विश्वासपात्र न होने के सम्बन्ध में कोई बात सिद्ध होती हो, बिना माकूल वजह के नहीं पूछे जाने चाहिए देखो कानून शहादत की दफा १४९—अगर अदालत को यह राय है कि बिना माकूल वजहों के ऐसा कोई प्रश्न पूछा गया था, तो वह इस मामले की रिपोर्ट अधिकारियों के पास उसपर मुनासिब कार्रवाई करने के लिए कर सकती है (देखो दफा १५०)—कानून शहादत की दफा १४९ के उदाहरणों से यह प्रकट होता है कि ये माकूल वजहों कौन सी हो सकती हैं और कौन सी नहीं। यह कह देना काफी न होगा कि इसके लिए इजाजत दे दी गई थी। वकील का किसी के ऊपर धोखाजी या अपराध का दोष लगाना उचित न होगा जब तक कि उनको स्वयं इस बात का विश्वास न होजाय कि उन्हें सामने रखने के लिए माकूल वजहों मौजूद हैं [देखो वेस्टन बनाम प्यारमोहन, 18 C W N 185, 40 C 898]

यह बात बकालत पेशे के बिल्कुल विरुद्ध है कि कोई वकील किसी गवाह से उन बातों के सम्बन्ध में जिरह करे जिन्हे वह स्वयं जानता है। और उसका मधक्किल नहीं जानता जब जिरह के दौरान में वकील किसी गवाह के ऊपर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर कोई दोषारोपण करे, तो अदालत यह पूछ सकती है कि क्या उसने आज्ञा मिलने पर ऐसा दोषारोपण किया है, और, अगर 'हां' ब्रहे तो, किसकी आज्ञा मिलने पर?। वकील को उसी अवस्था में इसकी आज्ञा दी जा सकती है जब विपक्षी पर उनकी बात प्रकट होने से उनकी रक्षा करने के लिए ऐसा करने की आवश्यकता प्रतीत हो। अदालत के विरुद्ध इसके लिए कोई अधिकार नहीं दिया गया है।

जब किसी गवाह ने किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर दिया हो जो उसकी प्रतीति को शक देने के लिए ही ठीक है, तो उसका खण्डन करने के लिए, शहादत में

न्याय कभी इस बात को नहीं चाहता कि किसी मनुष्य के जीवन में हुई वे भूलें जिनके लिये बहुत समय पहिले वह पश्चात्ताप प्रकट कर चुका है और जिनके लिये समाज ने उसे क्षमा भी कर दिया है, किसी बाद के मुफ्दमेवाज की इच्छा से खोद निकाली जाय। इसलिए आचरण के अनौचित्य के सम्बन्ध में किये गये प्रश्नों को जिनसे इस बात का अनुमान कर लेने के लिये कोई कारण नहीं उपलब्ध होता कि जो गवाह उन बातों का द्रोपी है वह कभी सच्चा और विश्वासपात्र आदमी हो ही नहीं सकता, रोकना बिल्कुल ही उचित है। लेकिन इस प्रकार की रक्षा के सिद्धान्त का प्रयोग ऐसे मामलों में नहीं किया जाना चाहिये जिनमें जांच उन बातों के सम्बन्ध में की जा रही हो जो अपेक्षाकृत बहुत ही कम समय की हैं और जिनका उस गवाह के चरित्र और उसके सत्याचरण से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है। ऐसी अवस्थाओं में किसी शख्स को प्रश्नों के उत्तर देने के सम्बन्ध में कोई विशेष अधिकार न देना चाहिये, चाहे उत्तरसे उसका अपमान ही क्यों न होता हो।

इस सम्बन्ध में लार्ड चीफ जस्टिस कॉक बर्न ने अपना मत इस प्रकार प्रकट किया है—

“ मुझे भारी दुःख है कि बकील लोग प्रायः बिना जरूरत ऐसे प्रश्न पूछा करते हैं जिनसे गवाहों के व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव पड़ा करता है, जिनका पूछना उसी समय उचित है जब उनके कोई गवाह विश्वास किये जानेके अयोग्य सिद्ध होता हो। मैंने बहुत ध्यान पूर्वक फ्रान्स, जर्मनी, हॉलैण्ड, बेल्जियम, इटली स्पेन तथा सयुक्त राज्य अमरीका (U S A), कनाडा और आयरलैण्ड में होने वाले न्याय को देखा। परन्तु किसी भी स्थान में मैंने गवाहोंको इस तरह तंग किये जाते और डाटे जाते हुये नहीं देखा जैसा कि इंग्लैण्ड में। जिस प्रकार हम अपने गवाहों के साथ व्यवहार करते हैं वह हमारे राष्ट्र के लिये बहुतही अपमानजनक है, और इससे न्यायमें सहायता मिलने के बदले रुकावट पड़ती है। इंग्लैण्ड में माननीय और शुद्ध अन्तःकरण वाले व्यक्ति शहादतमें जाना बहुतही घृणास्पद कार्य समझते हैं। प्रत्येक श्रेणी के पुरुष और स्त्रियाँ हमारी अग्रजी अदाएतोमें होने वाली जिरह में की जाने वाली बैङ्गती और परेशावी से बहुत कुछ घबराते हैं। आप देखें कि गवाहों के कठघरे में जाते समय गवाह कैसे थरो उठते हैं। मुझे स्मरण है कि मैंने सर बजामिन ब्रॉडी प्रतिष्ठित पुरुष को भी इजलास के सामने जाते समय कापते हुये देखा है। मैं साइंस के साथ यह कह सकता हूँ कि उनको इस बात के भय से अत्यन्त वेदना हो रही थी। ”

फ्रांसे के आचरण संबंधी शहादत—कानून शहादत की दफा ५२ के अनुसार जब किसी दीवानी मुफ्दमे में चाल-चलन की निस्वत कोई मामला न हो, तो उस मुफ्दमे से सम्बन्ध रखने वाले किसी व्यक्ति के आचरण के सम्बन्ध में इस बातको दिखलाने के इरादे से शहादत नहीं दी जा सकती कि उसके आचरण के ऊपर जो दोषारोपण किया गया है वह संभव है अथवा असंभव। चाहे चलन सम्बन्धी

शहादत भाष्यक है, विजाय उस हद या हालत में जब रि ऐना आचरण उस घाती से प्रकट होता है जो दूसरी तरफ पर भाष्यक और प्रासंगिक है। फ़ातू शहादत की दफा ५२ में आया है "उस मुकद्दम से सम्बन्ध रखने वाले किसी व्यक्तिव (Any person Concerned)" लेकिन चामतम इसका अर्थ उस मुकद्दम के फ़रीक़ीन से है। यही बात गवाहों की, तो उनके आचरण पर हमेशा दोषारोपण किया जाता। बल्कि ताकि उनकी सच्चाई की परीक्षा हो जाय अथवा उनके आचरण को दूषित सिद्ध कर यह विवास किए जाने के लिये अभाव सिद्ध कर दिया जाय (देखो फ़ानून शहादत की दफा १४६)।

इसलिये शीवानीमुकद्दमों में फ़रीक़ीन के अच्छे अथवा बुरे चाल चलन के होने के सम्बन्ध में ही यह शहादत अनापक्ष्यक होगी, जब तक कि चाल चलन के सम्बन्ध में शहादत का होना अनिवार्य न हो। फ़रीक़ीन के चाल चलन के सम्बन्ध में ही जाने वाली शहादत को स्वीकार करना उसके सम्बन्ध में पहिले से ही अपने विचार निश्चित कर लेनेकी भांति होता है। अगर चाल-चलनसे शीवानी मुकद्दमों में होने वाले नुकसानसे कोई अक्षर पड़ता है, तो यह भाष्यक हो जाता है (देखो फ़ानून शहादत की दफा ५५) किन्तु पहिले अच्छे आचरण का होना फ़ौजदारी मुकद्दमों में उपयुक्त है (दफा ५३)। आचरण में मनुष्य की मसिद्ध और उसका स्वभाव दोनों शामिल हैं [देखो फ़ानून शहादत की दफा ५५ का विवरण]

कब अपने गवाह पर ही जिरह करना—यह देखा गया है कि अगर विपक्षी इस पर कोई आपत्ति करता है, तो बयान प्राप्त में ऐसे प्रश्न पूछने की भांति नहीं दी जा सकती जो प्रश्न कर्ता के वाञ्छित उत्तर की ओर सूकेत (इशारा) करने वाले हों। परन्तु उस समय इस नियम का पाठन नहीं किया जा सकता जब गवाह उन्नी पक्ष के विरुद्ध हो जाय जिनसे उसे तलब कराया है। ऐसे मामले में अदालत को अधिकार है कि वह अपनी मर्जी से किसी फ़रीक़ीन को अपने गवाह से कोई भी ऐसा प्रश्न पूछने की आज्ञा दे देवे जो जिरह में पूछा जा सकता है, अर्थात् वह उत्तर की ओर सूकेत करने वाले प्रश्न (Leading questions) पूछने की, दूसरे शब्दों में जिरह करने की, आज्ञा दे सकती है। "विरुद्ध" शब्द के ऊपर इंग्लैण्ड में बहुत से एक दूसरे के विरोधी फ़ैसले हुए हैं। कुछ जजोंकी राय है कि विरुद्ध शब्द से तात्पर्य है विरोधी भाव रखना, और कुछ की राय में गवाह उस समय भी विरुद्ध समझा जायगा जब उसकी शहादत उस शक़स के प्रतिकूल सिद्ध हो जिसकी ओर से वह तलब किया गया है।

कोल्स बनाम कोल्स 1866 L R I P & D 70, 71—में जस्टिस चाइड ने कहा था—"विरुद्ध गवाह वह है जो वह शहादत नहीं देता जिसे वह शक़स, जिससे उसे तलब कराया है, चाहता है कि वह दे। विपरीत भाव रखने वाला गवाह वह है जिसके शहादत देने के दम से वह जान पड़ता हो कि वह अदालत को सच सच बताने में तैयार होगा।" व्यवस्थापक सभा ने दफा १५४ में "विरुद्ध, (Adverso)", "अनिच्छुक (Unwilling)" अथवा "विपरीत

न्याय कभी इस बात को नहीं चाहता कि किसी मनुष्य के जीवन में हुई वे भूलें जिनके लिये बहुत समय पहिले वह पश्चात्ताप प्रकट कर चुका है और जिनके लिये समाज ने उसे क्षमा भी कर दिया है, किसी वाद के मुकद्दमेबाज की इच्छा से खोद निकाली जाय। इसलिए आचरण के अनौचित्य के सम्बन्ध में किये गये प्रश्नों को जिनसे इस बात का अनुमान कर लेने के लिये कोई कारण नहीं उत्पन्न होता कि जो गवाह उन बातों का दंभी है वह कभी सच्चा और विश्वासपात्र आदमी हो ही नहीं सकता, रोकना बिल्कुल ही उचित है। लेकिन इस प्रकार की रक्षा के सिद्धान्त का प्रयोग ऐसे मामलों में नहीं किया जाना चाहिये जिनमें जांच उन बातों के सम्बन्ध में की जा रही हो जो अपेक्षाकृत बहुत ही कम समय की हैं और जिनका उस गवाह के चरित्र और उसके सत्याचरण से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है। ऐसी अवस्थाओं में किसी शख्स को प्रश्नों के उत्तर देने के सम्बन्ध में कोई विशेष अधिकार न देना चाहिये, चाहे उत्तरसे उसका अपमान ही क्यों न होता हो।

इस सम्बन्ध में लार्ड चीफ जस्टिस कॉक बर्न ने अपना मत इस प्रकार प्रकट किया है—

“ मुझे भारी दुःख है कि घकील लोग प्रायः बिना जरूरत ऐसे प्रश्न पूछा करते हैं जिनसे गवाहों के व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव पड़ा करता है, जिन्हा पूछना उसी समय उचित है जब उनके कोई गवाह बिश्वास किये जानेके अयोग्य सिद्ध होता हो। मैंने बहुत ध्यान पूर्वक फ्रान्स, जर्मनी, हॉलैण्ड, बेल्जियम, इटली स्पेन तथा सयुक्त राज्य अमरीका (U S A), कनाडा और आयरलैण्ड में होने वाले न्याय को देखा परन्तु किसी भी स्थान में मैंने गवाहोंको इसतरह तंग किये जाते और डाटे जाते हुये नहीं देखा जैसा कि इंगलैण्ड में। जिसप्रकार हम अपने गवाहों के साथ व्यवहार करते हैं वह हमारे राष्ट्र के लिये बहुतही अपमान जनक है, और इससे न्यायमें सहायता मिलने के बदले रुकावट पड़तीहै। इंगलैण्ड में माननीय और शुद्ध अन्तःकरण वाले व्यक्ति शहादतमें जाना बहुतही घृणास्पद कार्य समझते हैं। प्रत्येक श्रेणी के पुरुष और स्त्रिया हमारी अंग्रेजी अदालतोंमें होने वाली जिरह में की जाने वाली बेइज्जती और परेशाबी से बहुत कुछ घबराते हैं। आप देख कि गवाहों के कउधरे में जाते समय गवाह कैसे घरा उठते हैं। मुझे स्मरण है कि मैंने सर बजामिन ब्रौडी प्रतिष्ठित पुरुष को भी इजलस के सामने जाते समय कापते हुये देखा है। मैं साइस के साथ यह कह सकता हूँ कि उनको इसबात के भय से अत्यत वेदना हो रही थी। ”

फ्रांसेन के आचरण संबंधी शहादत—कानून शहादत की दफा ५२ के अनुसार जब किसी दीवानी मुकद्दमे में बाल-बलन की निस्वत कोई मामला न हो, तो उस मुकद्दमे से सम्बन्ध रखने वाले किसी व्यक्ति के आचरण के सम्बन्ध में इस बातको दिखलाने के इरादे से शहादत नहीं दी जा सकती कि उसके आचरण के ऊपर जो दोषारोपण किया गयाहै वह संभव है अथवा असंभव। बाल-बलन सम्बन्धी

Hostile) " शब्दों का प्रयोग नहीं किया है और इस बातको बिल्कुल अदाएत ही मर्जीपर छोड़ दिया है। दफा १५४ में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो किसी गवाह को विपरीत भाव रखने वाला समझने में सहायक हो सके, लेकिन उसमें यह व्यवस्था कर दी गई है कि, अदालत को अधिकार है कि वह किसी फरीक को, जिसने गवाह को तलब कराया है उससे ऐसा प्रश्न करने की आज्ञा दे दे जो जिस गवाह में पूछा जा सकता, देखो बैरुण्ट बनाम प्रसन्नमयी, 270 W.N 297

गवाह की मामले में उदासीनता सत्य को छिपाने की इच्छा, इस बहाने से, कि स्मरण नहीं रहा, प्रश्नों का उत्तर देने की अनिच्छा, उसके विपरीत भावों को, जो कि इसके मिजाज, उय इत्यादि से प्रकट होते हैं, तथा दूसरी तमाम बातों को ध्यान में रखना चाहिए और यह काम अदालत का है कि वह हर मामले में यह तय करे कि क्या गवाह ने ऐसे विपरीत भावों का प्रदर्शन किया है जिससे इसका गवाह के ऊपर जिरद करने की इजाजत का देना उचित है।

केवल इस बात से, कि कोई गवाह सेशनस की अदालत में उन बयानों से बिल्कुल मिला बयान देता है जो उसने किसी मजिस्ट्रेट की अदालत में दिए हैं, कोई गवाह विपरीत भाव रखने वाला नहीं कहा जा सकता। गवाह विपरीत भाव रखने वाला तभी समझा जायगा जब कि वह सत्य को छिपाकर उस पक्ष को फर्मजोर बचाने की कोशिश कर रहा हो, देखो कालाचाद बनाम महाराणी 18 C 53 P 56; सरकार बनाम सत्येन्द्र, 37 C L J 173, और लक्ष्मीराम बनाम राधाचरन 31 C, L, J, 107, गवाह विरुद्ध उसी हालत में समझा जायगा जब जब की राय में वह उस फरीक के विरुद्ध भाव रखता हो जिसने उसे तलब कराया है, उस हालत में नहीं जब कि उसकी शहादत से उसके सुबूत का बण्डन होता हो, देखो सुरेन्द्र बनाम रानी दामि, 24 C W N 860

जब किसी गवाह पर उस फरीक की ओर से जिरद की जाय जिसने उसे तलब कराया है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी कुछ शहादत पर तो विश्वास किया जाय और कुछ पर विश्वास न किया जाय, बल्कि वह कुछ शहादत अलग कर दी जानी चाहिए। इससे गवाह की साख बिल्कुल उठा दी जानी चाहिए। केशव इतनाही ज्ञानी न होगा कि उसकी शहादत का एक अंश ही अलग कर दिया जाय, देखो सरकार बनाम सत्येन्द्र, 37 C L J 173, 71 I C, 667, सुरेन्द्र बनाम रानी दामि, 24 C W N 860

क्या कोई फरीक अपने ऊपर जिरद कर सकता है, जबकि विपक्षी (फरीक सानी) ने उसे शहादत में तलब किया हो?—लॉर्ड अड्किन्सन ने किशोरीलाल बनाम चुनीलाल [91 A-116 2^o C-] में कहा था— "यह एक कमजोर ओर नीचे दर्ज की वकालत की चाल है कि हर एक मुद्दे या मुद्दा अलेह अपने विरोधी पक्ष (विपक्षी) को शहादत में तलब कराये, इस दरादे से कि हर एक फरीक इस तरह तलब किया हुआ विपक्षी शहादत में तलब होने के लिए बाध्य होगा, और इस तरह पर हर एक पक्ष के वकील को इस बात का मौका मिलेगा कि उस

पर जिरह कर सके। यह एक ऐसी प्रथा है जिसे, लाई महोदयों की राय में, सभी अदालतों को वैसीही अधूरी समझना चाहिए, जैसी कि वह फॉर्मिल एतराज है [देखो 32 A 104 P O, 1913 M W N 826] एक हालके मुकद्दम में यह तय किया गया है कि, जब कोई गवाह किसी ऐसी अवस्था में हो जिससे उसका उस शख्स के विरुद्ध होजाना स्वाभाविक हो, जो उसकी शहादत को चाहता है तो, उन्में गवाह को तलब करने वाले फरीक को यह अधिकार नहीं है कि वह उसपर जिरह कर सके, क्योंकि यह बात पूरे तौर पर अदालत के हाथ में है कि वह कानून शहादत की दफा १५८ के अनुसार उसे गवाह को तलब करने वाले शख्स को उसे प्रश्न पूछने की आज्ञा दे सके जिन्हें फरीक मुखालिफ जिरह में पूछ सकता था। देखो लच्छीरामे गनाम राधाचरण, 49 C 93

अदालत के प्रश्नों के उत्तर में कहीं गद्द वातों के ऊपर जिरह—कानून शहादतकी दफा १६५ अदालत को यह अधिकार देती है कि वह किसी भी गवाह से अधवाँ किसी भी फरीक से किसी भी बात के सम्बन्ध में (वह प्रासंगिक हो अथवा अप्रासंगिक)—किसी भी रूपमें अपनी इच्छानुसार कोई भी प्रश्न पूछ सके, और सिवाय अदालत की इजाजत से फरीक को कोई अधिकार न होगा कि वे अदालत द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सम्बन्ध में दिए गए उत्तर के ऊपर कोई जिरह कर सके।

लेकिन जब किसी गवाह को अदालत ने ही तलब किया हो, तो यह दफा १६५ लागू नहीं होती और उसपर कोई भी फरीक जिरह कर सकता है, देखो तारिणी बनाम सारदा 11 W R 468 P C, गोपाल बनाम माणिकलाळ 24 C 288

लम्बी जिरहों में हस्तक्षेप करने के सम्बन्ध में अदालतका अधिकार—गवाहों पर जिरह करते समय वकील के अधिकारों में जज का हस्तक्षेप करना हमेशा अच्छा नहीं होता। लेकिन जब इस अधिकार का दुरुपयोग किया जाता हो, तो यह बिल्कुल उचित होगा कि जज ऐसी जिरहों के ऊपर अपने शासन से काम ले जो आवश्यकता से अधिक विस्तार वाली हो। गवाहों पर उचित सीमा से अधिक जिरह न की जानी चाहिए, यद्यपि जो प्रश्न पूछे गए हैं वे तक शास्त्र की दृष्टि से ठीक ही क्यों नहीं हैं, देखो 4 C W N Cxx1 (Golden River Mining Co, V Boxton Mining Co, 97 Fed Rep 414, Am cited) जगत कुमारी बनाम त्रिसेसुर [16 C W N 265] में चीफ जस्टिस जेम्स कैरिमाक देखिए।

लम्बी चौड़ी जिरहें करके, जिससे मामले के फेसलें में बिलम्ब हुआ, इस अधिकार का दुरुपयोग करते देख कलकत्ता हाईकोर्ट ने नीचे लिखी बात फुटी है—

“(११) अदालत का यह कर्तव्य है कि वह अपनी मर्जी से ऐसी बातों के सम्बन्ध में बयान लेने या जिरह करने की इजाजत देने से इनकार करे जो अप्रा-

वैगिक ही अथवा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में किसी दूरिदती अथवा एक ही जैसे उद्देश्य से सम्बन्ध रखती हैं, अभियुक्त के अपराधी या निरपराधी होने के प्रश्न से नहीं, या जिनका भ्रंश अप्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष में उन बातों के प्रकटीकरण का हो जिसका प्रकट करना भारतीय कानून शहादत की दफा १२५ से रोक दिया गया है। यह कर्तव्य केवल कानून शहादत से सम्बन्ध ही नहीं रखता है बल्कि सीधे उससे पैदा होता है। यही बात कानून के इस नियम के सम्बन्ध में भी लागू होती है कि अदालत किसी गवाह के उस उत्तर को, जो केवल विश्वास (प्रतीति) के सम्बन्ध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दिया गया है, कतई समझ लेगी, और सिर्फ उस प्रश्न में बतल गई तजवीज के पेश करने को ही यह न मान लेगी कि वह उसके लिए किसी बुनियाद को जाहिर कर रही है।

(ख) भारतीय कानून शहादत के उन नियमों में, जो इस समय हैं, अनावश्यक बातों के निकाल देने के सम्बन्ध में पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है और इस कानून की भाषा से (देखो दफा ५, ६१, ६४, १२६, १६५) यह प्रकट होता है कि व्यवस्थापक सभा का यह मसौदा कि अदालत, फीकट की ओर से किए गए एतराजों का कुछ भी खयाल न करे, कानून के इन नियमों का अर्थपालन कराये। जुरी के सामने फोजदारी मामलों में यह बात साफ़ी पर मान ली गई है कि ज्योंही कोई गवाह ऐसी शहादत देना शुरू करे जो नकारात्मक तथ्य है, त्योंही अदालत को उसे रोक देना चाहिए, चाहे फीकट ने इसपर एतराज किया हो या न किया हो [देखो 10 B II C R 498, 7 W R C 20] ऐसे मामलों में यह बात बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमेशा इस सन्दर्भ में रहना जो खाम से खानी नहीं है कि बाद में जुरी के सामने इस बात का प्रदत्त कर लिया जायगा कि वह केवल कानूनी शहादत के ही ऊपर अपना फैसला दे रही बात दूसरे फोजदारी और दीवानी मामलों की उनमें वही यह बात आमतौर पर उन्हीं प्रश्नों तक सीमाबद्ध है जो उस मामले के लिए उतुनही जरूरी हैं, और दत्तमान कानून के अनुसार जनको अधिकार है कि वह किसी भी अनावश्यक शहादत को निकाल दे।

(ग) यह बहुत ही जरूरी है कि अदालतों के टाकिम उन अधिकारों को ध्यान में रखे जो उन्हें भारतीय कानून शहादत के अनुसार दिए गए हैं और उन्हें चाहिए कि वे इन अधिकारों का प्रयोग करते समय उसका उपयोग अनावश्यक श्रेष्ठ अनुपयुक्त बातों के ऊपर की जाने वाली जिद्द और आदर्यकता से अधिक लम्बी लम्बी जिरहों के लिए, जो उपयुक्त बातों के सम्बन्ध में ही की जाती हैं, इजाजत न दें [देखो Rules 54 A G R & C O Chap I Vol I]।

बयान मुकर्र (फिर बयान का लिया जाना)—किसी गवाह के द्वारा फिर बयान लेने का अधिकार सिर्फ उसी समय पैदा होता है जब विपक्षी (फीकट मुखालिफ) उसपर जिरह कर चुक और जेसा कि कानून शहादत की दफा १३८ में बतलाया गया है यह उन बातों को साफ़ करने के लिए लिया जायगा जिनका

दखलेख जिरह में किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि सम्बन्ध बाती का अर्थ स्पष्ट कर दिया जाय, अगर ऐसी कोई बात है, अथवा उस विभिन्नता को दूर करने का अवसर (मौका) दिया जाय जो बयान खास और जिरह के बीच मालूम होती हो। बिना अदालत की आज्ञा के दुबारा बयान लेते समय कोई नई बात न पूछी जा सकेगी, और अगर इसके लिए इजाजत दे दी जायेगी तो विपक्षी को यह अधिकार होगा कि वह उस मामले के सम्बन्ध में फिर जिरह कर सके (देखो दफा १३८)

दुबारा बयान (बयान मुकर्रर) लेते समय ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जा सकते जो चाँछत उत्तर की ओर सकेत करते हैं देखो कानून शहादत की दफा १४२—अगर वकील किसी गवाह से ऐसी बातों के ऊपर जिरह करता है जो आरम्भ में और बयान खास के दौरान म शहादत में तस्लीम किए जाने के कबिल नहीं थीं तो दूसरे पक्षों यह अधिकार है कि वह ऐसी बातों के सम्बन्ध में उस गवाह के फिर से बयान ले। अगर बयान खास में कोई प्रश्न छूट गया है, तो वह बात जिरहमें हरगिज नहीं पूछी जा सकती, क्योंकि वह जिरहसे पैदानही होती, लेकिन वकील इस सम्बन्ध में जज से जाँच करने की प्रार्थना (दरखुवास्त) कर सकता है, और ऐसी दरखुवास्त मजूर कर ली जाती है।

अन्तिम वक्तव्य

गवाहों से प्रश्न और जिरह करने का आवश्यक विषय हमने सक्षेपसे ऊपर लिखा है। प्रायः मुकद्दमे शहादत से जोरदार और कमजोर होनाते हैं। हम देखते हैं कि मवक्किल अक्सर ऐसा वकील करना पसन्द करते हैं कि जो विपक्षी के गवाहों और विरक्षांसे खूब जिरह करे, उन्हें अदालत के सामने अपमानित करे, ईशमान धोखेवाज जालसाज बनाने की कोशिश करे जयादा। एक एक करता रहे। मैं अपने भाइयों को सलाह देता हूँ कि उनकी यह भूल है वभी ऐसे वकील का पालन न कर, बल्कि हाकिम का मिजज खराब होजाता है और मुकद्दमे पर खराब असर पड़ता है। हमने जो गुण वकील के तरत्सम्बन्धी विषय में बताये हैं उनपर ध्यान रखकर मामला सिपुद कर।

प्रिय वकीलसे यह निवेदन है कि जिन बातमें मवक्किलका हित हो वही बात करे उमक वदने में आकर मुकद्दमे को खराब न होने दें और प्रमाणसे अधिक उठेन चरने न। मुझे तो यह अनुभव है कि यद्यपि जिरह या सब जलतके नियम अंगरेजी कितायो में बहुत जयादा बताये गये हैं वही बड़ी कितायें इस बारे में लिखी गयी हैं और ऐसे विद्वान वकील हैं जो उन सब लिखायों को भलीभाति जानते हैं और उनपर लेकचर दे सकते हैं जो निदान सजाय त व जिरह के विधिकितायों में लिखे गये हैं पर जय उन्हें स्वयं अदागत म कठघरे में भीतर जना पड़ता है और उनका उसी अदालत का साथी वकील जिरह करने लगता है तो उन्हें ब्याहृतता पैदा हो जाती है और भारा परेयानी होती है।

“ जब कोई शकल अदालत में जाकर केषल अपने पवित्र अंतःकरण’ द्वारा झिलकुल सच सच सब बातें बयान कर देना चाहता है तो यह ईश्वरीय नियम है कि उसे चाहे जैसे लायक से लायक वकील जिरह करे कभी गिगाडू नहीं सकते बल्कि जितनी जिरह की जायेगी उतनी ही उसकी सच बात अधिक मजबूत और अत्यंत सुदृढ़ हो जावेगी । इसलिये हमारे यहाँ यह कहावत है कि “ सच की भाच नहीं लगती ”

इस सिद्धांत के ऊपर कानून शहादत में कुछ दफाए बना दी गयी है । गवाही देना सार्वजनिक एक पवित्र काम है । समाज के दोषों के मिटाने के लिये गवाहों की जरूरत पडती है । उस मामले के जानने वाले व्यक्तियों की गवाही इसलिये ली जाती है कि सच का पता चल जाय और उसीके अनुसार न्याय कर दिया जाय । सच सच कहनेसे सची गवाही नहीं मानी जा सकती बल्कि निष्कपट सच और पवित्र अंतःकरण द्वारा सच बोलने से मानी जायेगी । सत्य में जो प्रभाव है उसको पाठक अच्छी तरह से जानते है । आज कल हम देखते है कि ऐसी सच गवाही देने वाले महारमा हज़ारों में एक होंगे ।

अदालतका कानून भी ऐसा है कि ऐसी कुछ बातोंमें शहादतकी जरूरत पतासा है कि जो प्राय वैसे बातोंमें उस तरहकी शहादत नहीं हुआ करती । कुछ तो कानूनके सबसे और कुछ स्वभाव पड़े जानेके कारण और कुछ जिस पक्षकी ओरसे शहादत देनेको है उसके मुठाहिज्ज आदिके कारण और कुछ अपनी कही हुई झूठी बातके समर्थन करनेके कारण गवाहको झूठ बोलना पडता है ।

वकील, उस गवाहके ऊपर जिरह करके अपने पक्षकी समर्थक बातों को मजबूरन कहला लेते हैं जो किंचित मात्र भी झूठ बोला है जो बात वह झूठ बोला है उसीके सम्बन्धमें सफ़ेदा सवाल पूछकर कही न कही उसे गूढ़में डाल दिया करते है । जिरह झूठे पर फारगर होता है सच्चे पर नहीं ।

जिरहमें एक और मुश्किल गवाहको यह पडती है कि वकील तो अपने मुनमें एक लाइन सवालकी निश्चित कर लेता है और पीछेसे पूछ जाने वाले सवालातकी बिदिश पहिलेके सवालो में कर लेता है यह बात गवाहको नहीं मालूम होती इसीलिये वह बीचमें फस जाता है और फसने पर धवराहट पैदा होती है यह सिद्धान्त अकाछ है कि एक झूठके समर्थन करने के लिए जितनी बातें कही जायगी प्राय वे सब झूठी बातें होंगी । वकील, गवाहकी वह बात देखकर कि कदा पर वह झूठ बोला है उसी जगहसे जिरह शुरू कर देता है और कुछ प्रश्नोत्तरोके बाद गवाहको ज्ञान होने लगता है कि मैं फस रहा हूँ उस समय धीर, बीर गवाह अपनी बुद्धिसे काम लेकर कभी तो निकल जाते है और अकसर फस जाते है ।

“ मैं एक मुकदममें उम्बई कोर्टमें काम कर रहा था वहाँ पर एक मशहूर जिरह करने वाला वैरिस्टर मि० वेलेकरने एक पढ़े लिखे गवाहसे कुछ सवाल किये, सवालोंके शब्द तो मुझे याद नहीं है पर उनका मतलब इस प्रकार था —

दि इण्डियन रजिस्ट्रेशन

एक्ट नं० १६ सन् १९०८ ई०

दि इण्डियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट नं० सन् १९०८ ई०

दस्तावेजोंकी रजिस्ट्री सम्बन्धी कानूनोंके संग्रह
करने का कानून

चूंकि दस्तावेजोंकी रजिस्ट्री सम्बन्धी कानूनोंका संग्रह करना
आवश्यक है, अतएव निम्नलिखित ऐक्ट बनाया जाता है:-

प्रथम प्रकरण

प्रारम्भिक विवरण

दफा १ संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ

१ यह कानून "दि इण्डियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट सन् १९०८ ई०" कहा जायगा।

२ अतिरिक्त उन जिला या स्थानों के जिन्हें स्थानीय सरकार इसके प्रयोग से
अलग कर वे, इसका विस्तार समस्त ब्रिटिश-भारत में होगा।

३ इसका आरम्भ १ ली० जनवरी सन् १९०९ ई० से होगा।

दफा २ परिभाषा

इस ऐक्ट में जब तक कोई बात विषय अथवा प्रसंग के विरुद्ध न हो।

१ "पता व 'निशान' (Addition)"—का अर्थ है यतलाये हुये व्यक्ति के
रहने का स्थान और उसका पेशा, व्यापार, पद और उपाधि (यदि कोई हो)।

और यदि वह भारतवासी है तो उसकी जाति (अगर कुछ हो), उसके पिताका नाम, या, यदि वह अपनी माता के नाम से प्रसिद्ध है तो, उसकी माता का नाम समझा जायगा ।

२ 'किताब' (Book) में किताब का कोई भाग या पन्नों की कोई संख्या जो किताब या किताब का कोई भाग बनाने के लिये जोड़े गये हों शामिल है ।

३ 'जिला' और 'परगना' (District and Sub-district) का अर्थ क्रमशः इस ऐक्ट के अनुसार बने हुये जिला और परगनासे समझा जायगा ।

४ 'जिला की अदालत' (District Court) में हाईकोर्ट भी शामिल है, जहांकि उसके प्रारम्भिक दीवानीके अधिकारों (Original Civil Jurisdiction) से सम्बन्ध है ।

५ 'तसदीक' और 'तस्दीक किया हुआ' (Endorsement and Endorsed) में इस कानून के अनुसार रजिस्ट्रीके लिये पेश किए गए किसीदस्तावेज के लिफाफा (Rider) या कवरिंग सिटिप पर रजिस्ट्री करने वाले अफसर द्वारा किया हुआ कोई लिखित इन्दराज शामिल है, और ऐसे ही इन्दराजसे उक्त शब्द लागू होंगे ।

६ 'जायदाद गैर मनकूला' (Immoveable Property) में जमीन, मकानात, पैतृक वृत्तियां, रास्तों, रेशनी, घाटों और माहीगाहों सम्बन्धी हक या जमीन से प्राप्त होने वाले अन्य लाभ और वे वस्तुयें शामिल होंगी जो स्थायी रूप से जमीन में लगी हुई है, या किसी ऐसी चीज के साथ स्थायी रूप से लगी हों जो चीज कि जमीन में लगी हुई है, परन्तु इमारतके काम में आने वाले वृक्ष, उगी फसल अथवा घास उसमें शामिल नहीं है ।

७ 'पट्टा' (Lease) में मुसद्दा (Counterpart) कबूलियत जोतने या काबिज रहने का कोई इकरारनामा और पट्टा पर देने का इकरारनामा शामिल है ।

८ 'नावालिन' (Minor) का अर्थ ऐसे शख्स से है जो जाती कानून के अनुसार (जिसको कि वे आधीन है) बालेग न हुआ हो ।

९ 'जायदाद मनकूला' (Moveable Property) में इमारत के काम में आने वाले वृक्ष, उगी फसल और घास, वृक्षों का रस और उनमें लगे हुये फल और प्रत्येक अन्य प्रकार की सम्पत्ति (जो गैर-मनकूला जायदाद न हो) शामिल है ।

१० 'प्रतिनिधि' (Representative) में किसी नावालिन का बली और किसी पागल या निवृद्धि (मूर्ख) का कानूनी संरक्षक या कर्मठी शामिल है ।

दूसरा प्रकरण

सरिस्ता-रजिस्ट्री

दफ्ता ३ रजिस्ट्रीके इन्स्पेक्टर जनरल

१ स्थानीय सरकार अपने आधीन प्रदेशों के लिये एक अफसर नियुक्त करेगी जो रजिस्ट्री विभाग का इन्स्पेक्टर जनरल होगा। परन्तु स्थानीय सरकार को अधिकार है कि वह बजाय ऐसी नियुक्ति करने के यह हुकूम दे कि वे कुल या कुछ अधिकार और कर्तव्य जो इसके बाद इन्स्पेक्टर जनरलके वास्ते बताये जायेंगे और वही लिये जायेंगे ऐसे अफसर या अफसरों द्वारा और ऐसी स्थानीय सीमा के भीतर क्राम से लाये और पूरे किये जायेंगे जिन अफसरों को या जिन्स सीमा की स्थानीय सरकार इस सम्बन्ध में नियत करेगी।

२ कोई इन्स्पेक्टर जनरल साथ साथ गवर्नरमट के आधीन किसी अन्य पद का भी काम कर सकता है।

दफ्ता ४ सिन्धका ब्रांच इन्स्पेक्टर जनरल

१ गवर्नर के सपरिपद गवर्नर को भी यह अधिकार है कि वे एक अफसर को नियुक्त करें जो सिंध का ब्रांच इन्स्पेक्टर जनरल होगा। और उस अफसरको इस पेट्टे द्वारा दिये हुये इन्स्पेक्टर जनरल के सब अधिकार प्राप्त होंगे। परन्तु आगे बताये हुये नियमों को बनाने के अधिकार प्राप्त न होंगे।

२ सिंध का ब्रांच इन्स्पेक्टर जनरल साथ साथ स्थानीय गवर्नरमट के आधीन किसी अन्य पद पर भी कार्य कर सकता है।

दफ्ता ५ जिला और परगना

१ इस पेट्टे के उद्देश्यके लिये स्थानीय सरकार जिला और परगना बनायेगी और ऐसे जिलों और परगनों की सीमा निश्चित करेगी और ऐसी सीमा को परिष्कृत भी कर सकेगी।

२ इस दफ्ता के अनुसार बनाये हुये जिले और परगनों, उनकी हदों तथा उन हदों (सीमाओं) के प्रत्येक परिवर्तन की सूचना स्थानीय सरकारी गेजट में त्तिकाही जायगी।

३ प्रत्येक ऐसे परिवर्तन का प्रयोग उस सूचना के प्रदत्त उस दिन से होगा जिस दिनका वर्णन उक्त सूचना में होगा।

दफ्ता ६ रजिस्ट्रार और सब-रजिस्ट्रार

१ स्थानीय सरकार जिन व्यक्तियों को उचित समझे उपरोक्त रीतिसे बने हुये ऐसे कई एक जिलों का, रजिस्ट्रार और ऐसे कई एक परगनों का सब रजि-

स्ट्रार क्रमशः नियुक्त कर सकती है, चाहे वे व्यक्ति सार्वजनिक भ्रमसर हों या न हों। परन्तु शर्त यह है कि स्थानीय सरकार ऐसे नियमों और शर्तों के साथ रजिस्ट्री के इन्स्पेक्टर जनरल को सब रजिस्ट्रारों की नियुक्ति करने का अधिकार दे सकती है। जिम नियमों और शर्तों को वह उचित समझे।

दफा ७ रजिस्ट्रार और सब-रजिस्ट्रारके दफ्तर

१ स्थानीय सरकार प्रत्येक जिला में रजिस्ट्रार के दफ्तर के नाम से एक दफ्तर और प्रत्येक परगने में सब रजिस्ट्रार का एक या कई दफ्तर या ज्वाइन्ट सब रजिस्ट्रारों के दफ्तरों को स्थापित कर सकती है।

२ स्थानीय सरकार किसी सब-रजिस्ट्रार के दफ्तर को किसी ऐसे रजिस्ट्रारके दफ्तरके साथ शामिल कर सकती है, जिसके आधीन वह सब रजिस्ट्रार हों और जिस सब-रजिस्ट्रार का दफ्तर इस तरह शामिल किया गया है उसे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के अतिरिक्त उस रजिस्ट्रारके समस्त या कुछ अधिकारों के प्रयोग करने या कर्तव्यों के पालन करने का अधिकार दे सकती है जिस रजिस्ट्रार के आधीन वह है।

परन्तु शर्त यह है कि इस प्रकार अधिकार प्राप्त किसी सब-रजिस्ट्रार को इस पेक्ट के अनुसार दिये हुये स्वयं अपने हुजूम के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार न होगा।

दफा ८ रजिस्ट्रीके दफ्तरों के इन्स्पेक्टर

स्थानीय सरकार रजिस्ट्री के दफ्तरों के इन्स्पेक्टरों को भी नियत और उनके कर्तव्यों को निश्चित कर सकती है। प्रत्येक ऐसा इन्स्पेक्टर, इन्स्पेक्टर जनरलके आधीन होगा।

दफा ९ फौजी छावनिया, जिले या परगने घोषित की जा सकती हैं।

प्रत्येक फौजी छावनी (यदि स्थानीय सरकार ऐसा आदेश करे) इस पेक्ट के प्रयोजन के लिये परगना या जिला हो सकती है और छावनी स्ट्रेट ऐसे परगने या जिले का सब रजिस्ट्रार (जैसी दशा हो) होगा।

दफा १० रजिस्ट्रारकी अनुपस्थिति या उसके अ (खाली) होना

१ जिला या प्रेसीडेन्सी टाउन के रजिस्ट्रार के अतिरिक्त स्ट्रार सिवाय उस दशा में जब कि वह काम पर जिले में गया या थोड़े समय के लिये उसका स्थान खाली हो, तो कोई अन्य जनरल इसके लिये नियुक्त करे या ऐसी नियुक्ति न होने पर।

का जज जिसके अधिकार क्षेत्रमें रजिस्ट्रार का दफ्तर है अनुपस्थितिके समय या जब तक कि स्थानीय सरकार उस रिक्त (खाली) स्थान की पूर्ति न कर दे रजिस्ट्रार होगा ।

२ जब किसी जिले का रजिस्ट्रार जिसमें मेसीडेन्सी टाइन भी शामिल है सिवाय ऐसी दशा में जब कि वह जिले में सरकारी, अथवा अपने कर्तव्य से काम पर गया है अनुपस्थित हो या जब उसका दफ्तर थोड़े समय के लिये रिक्त (खाली) हो गया हो तो कोई भी व्यक्ति जिसे इन्स्पेक्टर जनरल नियुक्त करे ऐसी अनुपस्थितिके समय में या जब तक स्थानीय सरकार उस खाली स्थान की पूर्ति न कर दे रजिस्ट्रार होगा ।

दफा ११ रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति जब कि वह अपने जिले में ड्यूटी पर गया हो

जब कोई रजिस्ट्रार अपने दफ्तर से जिले में अपनी ड्यूटी पर जाने के कारण अनुपस्थित हो तो वह अपने जिले के किसी सब रजिस्ट्रार या दूसरे व्यक्ति को ऐसी अनुपस्थिति में रजिस्ट्रार के समस्त कर्तव्य पालन करने के लिये सिवाय उन कर्तव्यों के जिनका दफा ६८ और ७२ में वर्णन है नियत कर सकता है ।

दफा १२ सब-रजिस्ट्रारकी अनुपस्थिति या उसके दफ्तरका खाली होना

जब कोई सब रजिस्ट्रार अनुपस्थित हो या कुछ समय के लिये उसका दफ्तर खाली हो गया हो तो कोई व्यक्ति जिसे उस जिले का रजिस्ट्रार इस काम के लिये नियुक्त करेगा ऐसी अनुपस्थितिके समय में या जब तक खाली स्थान की पूर्ति न हो जाय सब रजिस्ट्रार होगा ।

दफा १३ अफसरों की कुछ नियुक्तियों, मुअत्तली, अलहेदगी और वरखास्तगी की रिपोर्टें

१ उन सब नियुक्तियों की, जिन्हें कि दफा ६ के अनुसार इन्स्पेक्टर जनरल ने की हैं, तथा उन सब नियुक्तियों की सूचना (रिपोर्ट), जो कि दफा १०, ११ और १२ के अनुसार की गई है इन्स्पेक्टर जनरल स्थानीय सरकार को देगा ।

२ ऐसी सूचनायें विशेष या साधारण, जैसा कुछ कि स्थानीय सरकार आदेश करे, दोगी ।

३ स्थानीय सरकार इस कानून के अनुसार किसी व्यक्ति को मुअत्तल, अलहेदगी या वरखास्त कर सकती है और उसके स्थान में किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है । और, इन्स्पेक्टर जनरल ऐसे नियमों और शर्तों को

ध्यान में रखते हुये जिन्हें स्थानीय सरकार उगाये ढाँची अधिकार उन सब-रजिस्ट्रारों के सम्बन्ध में वर्त सकता है जिन्हें उन्नने नियुक्त किया है।

दफा १४ रजिस्ट्री करने वाले अफसर का वेतन और संस्थापन

१-सपरिषद् गवर्नर जनरलकी आधीनतामें स्थानीय सरकार ऐसे वेतनों को जिन्हें वह उचित समझेगी कि उन रजिस्ट्री करने वाले अफसरोंको दिया जाय जो इस कानून के अनुसार नियुक्त किये गये हैं, निर्धारित करेगी या फीस द्वारा या कुछ फीस और कुछ वेतन द्वारा उनके वेतन का प्रबन्ध करेगी।

२ स्थानीय सरकार तमाम दफ्तरों के लिये इस कानून के अनुसार उचित संस्थापना (अमला) को दे सकती है।

दफा १५ रजिस्ट्री करने वाले अफसरकी मोहर

सभी रजिस्ट्रार और सब-रजिस्ट्रार एक मोहर का इस्तेमाल करेंगे जो अग्रेजी या अन्य किसी भाषामें, जिसमें स्थानीय सरकार धाड़ा है, नीचे लिखे मज-भूत की होगी —

“The seal of the Registrar (or Sub-registrar) of ”

अर्थात् रजिस्ट्रार (या सब रजिस्ट्रार) स्थान की मोहर ।

दफा १६ रजिस्टर और न जलाने योग्य सन्दूकें (Fire proof box)

१ स्थानीय सरकार प्रत्येक रजिस्ट्री के दफ्तरके लिये कुछ पुस्तकें देगी जिनकी इस कानून के लिये आवश्यकता होगी।

२ जो पुस्तकें इस प्रकार दी जायगी, वे ऐसे फार्मों की होंगी जिन्हें स्थानीय सरकार के हुकम से इन्स्पेक्टर जनरल समय समय पर निश्चित करेगा, और इन पुस्तकों के पृष्ठों पर एकमात्रुसार छाटे हुये नम्बर पड़े होंगे, और प्रत्येक पुस्तक के पृष्ठों की सख्या की, टाइटलपेज पर, उस अधिकारी द्वारा तसदीककी जायगी जो उन्हें देगा (हाटेगा) ।

३ स्थानीय सरकार प्रत्येक रजिस्ट्रार के दफ्तर के लिये एक न जलने वाली सन्दूक (Fire proof box) देगी और प्रत्येक जिला में उस जिले के दस्तावेजोंकी रजिस्ट्री सम्बन्धी कागजात को सुरक्षित रखने के लिये समुचित प्रबन्ध करेगी।

तीसरा प्रकरण

रजिस्ट्रीके योग्य दस्तावेजोंके विषय में

दफा १७ वे दस्तावेज जिनकी रजिस्ट्री अनिवार्य (लाज़िमी) है

१ निम्नलिखित दस्तावेजों की रजिस्ट्री होगी, यदि वह जायदाद जो उनसे सम्बन्ध रखती है उसी जिले में चाके है जिसमें, और यदि उनको तकमील उस दिन या उसके पदचात हो गई है जिस दिन ऐक्ट न० १६ सन् १८६४ ई० का, या दि इंडियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट न० २० सन् १८६६ ई० का, या दि इंडियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट न० ८ सन् १८७१ ई० का, या दि इंडियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट न० ३ सन् १८७७ ई० का, या इस ऐक्ट का आरम्भ हुआ था या होगा अर्थात्—

(ए) जायदाद गैर मनकूला की हिवा के दस्तावेज

(बी) दूसरे गैर वसीयती दस्तावेज जिनसे वर्तमानमें या भविष्यमें किसी अधिकार, हेकीयत या हिस्सा चाहे वह व्यवस्थित ही या अनिश्चित और जिसका मूल्य १००) रु० या उससे अधिक हो जो पैदा करने, घोषित करने, सुन्तकिल करने, सीमा बद्ध करने या खारिज करने का मतलब रखता है या इस प्रकारका काम करता है।

(सी) गैर वसीयती दस्तावेज जो किसी स्वीद को या किसी बदला व अदायगी को कबूल करता है जो किसी अधिकार, उपाधि या लाभ के कारण पैदा हुआ अरार दिया गया, सुन्तकिल किया गया, सीमाबद्ध किया गया या खारिज किया गया, और

(डी) जायदाद गैर मनकूलाके साल व साल पट्टे या किसी समयके लिये जो साल भर से अधिक हो या जिसका सालाना लगान ठहराया गया हो।

लेकिन शर्त यह कि स्थानीय गवर्नमेंट स्थानीय सरकारी गजेट में आज्ञा छाप करके इस उपदफा से कुछ पट्टोंको मुस्तसना करसकती है जिनकी तकमील किसी जिले या जिलेके किसी भाग में हुई और जिनकी मियाद ५ सालसे अधिक नहीं है और जिनका सालाना लगान जो ठहराया गया है ५०) रु०से अधिक नहीं है,

२ पहिली उपदफा के क्लॉज (Clause) (बी) और (सी) में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो निम्न लिखित दस्तावेजों पर लागू हो —

(१) तसफियानामे, या

(२) कोई दस्तावेज जो ज्वाइन्ट स्टॉक कम्पनी (Joint Stock Company) के हिस्से (Shares) के सम्बन्धमें हो चाहे यद्यपि ऐसी कम्पनीकी कुछ सम्पति या उस सम्पति का कुछ अंश जायदाद गैर मनकूला हो। या

१ हासिल हुआ (Vested) २ इत्काक से हासिल हुआ (Contingent)

(३) कोई डिबेन्चर जो ऐसी कम्पनीने जारी किया हो और जो किसी जायदाद गैर मन्कूला से सम्बन्ध रखने वाले अधिकार, हक और हिस्से को पैदा, घोषित, मुन्तकिल, सीमाबद्ध या खारिज न करता हो सिवाय उस हद तक जहा तक कि वह उस शर्तको जिसके पासकि वह है वह जमानत प्रदान करता है जो किसी रजिस्ट्री शुदा दस्तावेज द्वारा दी जाती है जिसके द्वारा कम्पनीने अपनी जायदाद गैर मन्कूला का कुछ या उसका एक अंश या उसने किसी हिस्से को ऐसे डिबेन्चरों के रखने वालों के लाभार्थ ट्रस्टी लोगों को ट्रस्ट पर रहन, चय या और किसी प्रकार मुन्तकिल कर दिया है।

(४) किसी डिबेन्चर (Debenture) की, जो ऐसी कम्पनी द्वारा जारी किया गया हो मुन्तकिली की, तस्दीक, या

(५) कोई ऐसा दस्तावेज जो खुद किसी अधिकार, हक या हिस्से को पैदा, घोषित, मुन्तकिल या सीमाबद्ध न करता हो किन्तु जो दूसरे दस्तावेज की प्राप्ति के लिये अधिकार को पैदा करता हो जो दस्तावेज कि लिखे जाने पर किसी ऐसे अधिकार, हक या हिस्से को पैदा, घोषित (जाहिर), मुन्तकिल, सीमाबद्ध या खारिज करेगा; या

(६) किसी अदालतकी कोई डिकरी या हुक्म या कोई तजवीज सालिसी; या

(७) गवर्नमेंट द्वारा किसी जायदाद गैर-मन्कूला की सनद; या

(८) हाकिम माल द्वारा किये हुये किसी बटवारे का दस्तावेज, या

(९) कोई हुक्म जिससे कर्जकी स्वीकृति दी गई हो या कोई कफालत मजीद का दस्तावेज जो लैण्ड इम्प्रूवमेंट ऐक्ट न० २६ सन् १८७१ ई० या लैण्ड इम्प्रूवमेंट लोन्स ऐक्ट न० १९ सन् १८८९ ई० के अनुसार हो; या

(१०) कोई हुक्म, जिसके द्वारा पेन्थीकलचरप्टि लोन्स ऐक्ट न० १२ सन् १८८४ के अनुसार कर्ज का मजूरी दी गई हो या दस्तावेज जो उस ऐक्ट के अनुसार दिये गये कर्ज की आमदनी की मजबूती करता हो।

(११) किसी रेहननामेपर की गई तस्दीक जिससे रेहनके कुल या कुछ रुपये की अदायगी को कबूल किया गया है और कोई दूसरी रसीद जो उस रुपये की अदायगी की बाबत हो जो रेहननामे के बारे में वाजिबुल्-वसूल हो जब कि उस रसीद से रेहन की बेचकी न होती हो; या

(१२) किसी नीलामका सार्थिकिफिकेट जो खरीदारको हाकिम माल या हाकिम-दीवानी द्वारा सार्वजनिक नीलाम में बेची हुई जायदाद की बाबत दिया गया है।

३ किसी पुरुष को मोद लेने के अधिकार सम्बन्धी दस्तावेजकी भी, जो पहिली जनवरी सन् १८७२ ई० के बाद तहरीर किया गया हो और जो बचीयत द्वारा न दिया गया हो, रजिस्ट्री आवश्यक होगी।

दफा १८ दस्तावेज़ जिनका रजिस्ट्री वैकल्पिक है

निम्नलिखित दस्तावेज़ों में से किसी की भी रजिस्ट्री इस ऐक्ट के अनुसार की जा सकती है, अर्थात् —

(ए) वे दस्तावेज़ जो दिवानामा और वसीयतनामा के दस्तावेज़ नहीं हैं और जो वर्तमान समय में या भविष्य में किसी जायदाद गैर-मनहूला सम्बन्धी अधिकार, हक या हिस्साको पैदा, घोषित (जाहिर) मुन्तक़िज़, सीमाबद्ध या ख़ारिज करते हैं।

चाहे वह अधिकार, हक या हिस्से ब्यर्चास्थित (Vested) हो या अकस्मात् उत्पन्न हुआ हो और जिसका मूल्य १००) से कम हो।

(बी) वे दस्तावेज़ जो किसी ऐसे अधिकार, हक या हिस्से को पैदा करने, घोषित (जाहिर) करने, मुन्तक़िज़ करने, सीमा बद्ध करने या ख़ारिज करने के कारण उत्पन्न हुये किसी मुभाविजा की वसूली या अदायगी को स्वीकार करते हैं।

(सी) जायदाद गैर मनहूला के पट्टे जिनकी मियाद साल भर से अधिक न हो या वे पट्टे जिनपर दफा १७ लागू नहीं होती हैं।

(डी) वे दस्तावेज़ (जो वसीयत नामा नहीं हैं) जो किसी जायदाद मनहूला सम्बन्धी किसी अधिकार, हक या हिस्साको पैदा, घोषित, (जाहिर), मुन्तक़िज़, सीमा बद्ध, या ख़ारिज करते हैं।

(ई) वसीयत नामा, और

(एफ) दूसरे वे सभी दस्तावेज़ जिनकी दफा १७के अनुसार रजिस्ट्री कराना आवश्यक नहीं है।

दफा १९ दस्तावेज़ जिनकी भाषा रजिस्ट्री कराने वाले अफसर की समझ में न आवे

अगर कोई दस्तावेज़, जो रजिस्ट्री के लिये बाकायदा पेश किया गया हो, ऐसी भाषा में हो जिसे रजिस्ट्री करने वाला अफसर (हाकिम) नहीं समझता है और जो साधारणतया उस जिला में प्रचलित नहीं है, तो वह रजिस्ट्री करने से इन्कार करेगा जब तक कि उसके साथ किसी ऐसी भाषा में, जो उस जिला में साधारणतया प्रचलित है, उसका ठीक ठीक अनुवाद और उसकी एक नसली नकल न हो।

दफा २० वे दस्तावेज़ जिनमें सतरों के ऊपर लिखा हो, जगह छूटी हुई हो, काट-पीट या रद्द-बदल की गई हो

१ रजिस्ट्री करने वाले अफसर को अधिहार होगा कि वह ऐसे दस्तावेज़ों की रजिस्ट्री करने से इन्कार करदे जिनमें सतरों पर लिखा हो, जगह छूटी हो, काट

पीट की गई हो या रद-बदल किया गया हो, जब तक कि दस्तावेज लिखने वाले व्यक्ति, उन सतरों पर की लिखावट, छूटी हुई जगह, कटे हुये या रद बदल की गई बातों के ऊपर अपने नाम या हस्ताक्षर लिखकर उनकी सही न कर दे।

२ यदि रजिस्ट्री करने वाला भ्रष्टाचार किसी ऐसे दस्तावेज की रजिस्ट्री करदे, तो उसे चाहिये कि वह उसकी रजिस्ट्री करते समय, तकमील के बाद इन्दराज की गई बातों, छूटी हुई जगहों, काट-पीट या रद-बदल के सम्बन्ध में अपने रजिस्टर में एक नोट दे दे।

दफा २१ जायदाद, नकशों और खाकों का वर्णन

१ कोई गैर-वस्तीयती दस्तावेज, जो जायदाद गैर मनकूलासे सम्बन्ध रखता है, रजिस्ट्री के लिए न लिया जायगा, जब तक कि उस जायदाद की पहिचान के लिये पर्याप्त उसका पूरा वर्णन न हो।

२ कूखों के मकानात के सम्बन्धमें यह लिया जाना चाहिये कि ये उस गली या सड़क के (जिसका कि विशेष वर्णन होना चाहिये) उत्तर या किसी दूसरी ओर वाकै हैं जिन गली या सड़कों के सामने वे मकान हैं और उनके उस समय के तथा पहिलेके कब्जेदारों (रहने वालों) के नाम और उन मकानोंके नम्बर लिखे होने चाहिये, अगर ऐसी गली या सड़कके ऊपरके मकानों पर नम्बर डाले गए हैं

३ दूसरे मकानों या जमीनों का वर्णन उनके नाम से, यदि उनका कोई नाम हो, और उस प्रादेशिक विभागसे, जिसमें वे वाकै हों, और उनके जाहिरा सामान, सड़को या दूसरी जायदादोंसे जिनपर कि वे मिलते हैं और उनके वर्तमान कब्जेदार (रहने वालों) तथा जहा तक संभव हो गवर्नमेन्ट के नकशे या पैमापश का हवाला देकर किया जा सकता है।

४ कोई गैर वस्तीयती दस्तावेज, जिसमें किसी जायदादका, जो उसमें सम्मिलित है, नकशा या खाफा शामिल हो, रजिस्ट्री के लिए उस समय तक न लिया जावेगा जब तक कि उसके साथ उस नकशा या खाफा की सही तकल या, अगर ऐसी सम्पत्ति कई जिलों में वाकै है तो, उस नकशा या खाफा की असली नकलों की उतनी संख्या जितने जिले हों नथी न हो।

दफा २२ सरकारी नकशों या पैमापश का हवाला देकर मकानों और जमीनका वर्णन करना

१ जहां पर स्थानीय सरकार की राय में उन मकानों का, जो कि कस्बे के मकान नहीं हैं, और जमीनका, सरकारी नकशों या पैमापश का हवाला देकर वर्णन करना सम्भव होगा तो वह स्थानीय सरकार उस ऐक्ट के अनुसार बताये हुये नियमों के द्वारा यह आज्ञा देगी कि ऐसे मकानों तथा जमीनों का, जिनका जिक्र ऊपर किया गया है, दफा २१ के प्रयोजन के लिये इस प्रकार वर्णन किया जाना चाहिये।

(३१३)

२ विधाय इस दशा के जय कि उप दफा (१) के अनुसार बताये गये नियमों से कोई दूसरी व्यवस्था कर दी जाये, दफा ११ की उप दफा २ या उप-दफा ३ के नियमों का पालन न करने से यह नहीं होगा कि कोई दस्तावेज रजिस्ट्री न कराया जाय, अगर उस जायदाद का घर्णन, जिससे कि यह सम्बन्ध है, उस जायदाद को पहिचान करने के लिये पर्याप्त है।

चौथा प्रकरण

रजिस्ट्रीके वास्ते दस्तावेजोंके पेश किये जानेके समयके विषयमें

दफा २३ दस्तावेजों के पेश किये जाने का समय

दफा २४, २५ और २६ के नियमों की पाबन्दी में रहते हुये बसीयतनामा को छोड़ दूसरे कोई भी दस्तावेज रजिस्ट्री के लिये न लिये जायगे, जब तक कि वे मुनासिब अफसर के पास इस काम के लिये, लिखे जाने की तारीखसे चार मासके भीतर, पेश न किये जायगे।

लेकिन शर्त यह है कि किसी डिकरी या हुक्म की नकल उस दिन से चार महीने के भीतर पेश की जानी चाहिये जिस दिन कि वह डिकरी या हुक्म दिया गया था या, जब कि वह कापिल अपीलके हो तो, उस दिनसे चार महीनेके भीतर पेश की जानी चाहिये जिस दिन कि वह डिकरी या हुक्म कतई होजाय।

दफा २३ (ए) कुछ दस्तावेजोंकी दुबारा रजिस्ट्री किया जाना

यद्यपि इस पेक्ट में कोई बात इसके विपरीत हो, तो भी, अगर किसी दशा में वह दस्तावेज, जिसकी कि रजिस्ट्री होनी आवश्यक है, किसी रजिस्ट्रार या सच रजिस्ट्रार को उसकी रजिस्ट्री करने के लिये किसी ऐसे आदमी द्वारा प्राप्त हुआ हो जिसको उसके पेश करने का अधिकार नहीं था और उसकी रजिस्ट्री भी हो गई हो तो, कोई आदमी जो ऐसे दस्तावेज के सम्बन्धमें दावा रखता है उस

लागू होंगे, और ऐसे दस्तावेज, अगर इस दफा के अनुसार उसकी बाकायदा रजिस्ट्री होगई है, सभी कामोंके लिये पहिली रजिस्ट्री की तारीख से बाकायदा रजिस्ट्री किए गए समझे जायेंग।

लेकिन शत यह है कि १२ सितम्बर सन् १९१७ ई० से चार मास के भीतर कोई भी आदमी, जो ऐसे दस्तावेज के सम्बन्ध में कोई दावा रखता है, इस दफाके अनुसार उस दस्तावेज को, उसकी दुबारा रजिस्ट्रीके लिये, पेश कर सकता है या करवा सकता है। इस बात से कोई बहस नहीं कि वह समय क्या था जब कि उसको सर्व प्रथम यह मालूम हुआ कि दस्तावेजकी रजिस्ट्री बाकायदा है।

दफा २४ वे दस्तावेज जो बहुत से आदमियों द्वारा भिन्न भिन्न समयों पर लिखे गये हैं

जब बहुत से आदमियों ने एक दस्तावेज को भिन्न भिन्न समयों पर लिखा हो, तो ऐसे दस्तावेज रजिस्ट्री (Registration) और दुबारा रजिस्ट्री (Re-registration) के लिये हर एक तकमील की तारीख से चार महीने के भीतर पेश किये जासकते हैं।

दफा २५ उस समय के लिये व्यवस्था जब कि दस्तावेजके पेश करने में विलम्ब होना अनिवार्य है

१ अगर किसी आवश्यक कार्यवश या किसी अनिवार्य आकस्मिक घटनाके कारण कोई दस्तावेज जो ब्रिटिश भारतमें लिखा गया हो, या कोई नकल उस डिकरी या हुक्मकी जो (ब्रिटिश भारतमें) दीगई हो, रजिस्ट्रीके लिये उस समय तक पेश नहीं किया जाता है जब तक कि वह मियाद, जिसकी व्यवस्था इस कामके लिए इससे पूर्वकी गई है, समाप्त नहीं हो जाती है, तो ऐसी दशाभामें, जब कि उसके पेश किये जानेमें चार महीनेसे अधिक देर न हुई हो, रजिस्ट्रारको अधिकार है कि वह यह हुक्म करदे कि ऐसे दस्तावेज उस जुर्मानाके भदा कर देने परही रजिस्ट्रीके लिए, लिए जा सकते हैं जो रजिस्ट्रीकी वाजिब फीस के दस गुने से अधिक न होगा।

२ कोई भी दरखवास्त, जो ऐसे हुक्मकी बायत हो, किसी सब रजिस्ट्रारको दी जासकती है जो उसे फौरन् उस रजिस्ट्रारके पास भेज देगा जिसकी मातहतमें यह है।

दफा २६ वे दस्तावेज जो ब्रिटिश भारतके बाहर लिखे गए हैं

जब कोई दस्तावेज, जिसे सभी या उनमें से कुछ पक्षकारोंने ब्रिटिश भारत के बाहर लिखा हो, रजिस्ट्री कराने के लिए उस समय तक पेश नहीं किया जाता है जब तक कि वह मियाद, जिसकी व्यवस्था इस कामके लिए इससे पूर्व कीगई

है, समाप्त न हो जाय, तो रजिस्ट्री करने वाले भफसरको अधिकार है कि वह, अगर उसको यह यकीन हो गया है कि—

(ए) यह दस्तावेज वास्तवमें बाहर टिछा गया था, और

(बी) यह कि यह ब्रिटिश भारतमें जानेके बादसे चार महीनेके भीतर रजिस्ट्रीके लिए पेश किया गया है, मुनासिब रजिस्ट्री की फीस (Registration) के भदा कर दिए जाने पर ऐसे दस्तावेजको रजिस्ट्रीके लिए ले ले।

दफा २७ वसीयतनामें, किसी समय भी लिये और जमाकिये जा सकते हैं

वसीयतनामे रजिस्ट्रीके लिए किसी समय भी पेश या इसके भागे बत-छाई हुई भातिके अनुसार जमा किया जा सकते हैं।



पांचवां प्रकरण

रजिस्ट्री किये जानेके स्थानके विषयमें

दफा २८ आराज़ी (जमीन) से सम्बन्ध रखने वाले दस्तावेज़ों की रजिस्ट्रीका स्थान

सिवाय पेशी द्वाराओके जिनके लिये इस प्रकरणमें भिन्न व्यवस्था की गई है, प्रत्येक दस्तावेज़, जिसका जिक्र दफा १७ की उप दफा (१) कलॉज़ (प), (घ), (ग) और (ङ) तथा दफा १८के कलॉज़ (प), (घ) और (ङ) में किया गया है रजिस्ट्रीके लिये उस सब रजिस्ट्रारके दफ्तरमें पेश किया जायगा जिसके परगनेमें उस जायदादका, जिससे कि दस्तावेज़ सम्बन्ध रखता है, कुछ या कुछ हिस्सा बाँटें ह।

दफा २९ दूसरे दस्तावेज़ोंकी रजिस्ट्रीका स्थान

१ प्रत्येक दस्तावेज़, जो पेशा दस्तावेज़ नहीं है, जिसका उल्लेख दफा २८ में किया गया है, और किसी डिकरी या हुक्मकी नक़ल रजिस्ट्रीके लिये उस सब रजिस्ट्रारके दफ्तरमें जिसके परगनेमें कि वह दस्तावेज़ लिखा गया था या उस स्थानीय सरकारके भाषीन किसी दूसरे सब रजिस्ट्रारके दफ्तरमें जहाँ पर कि दस्तावेज़ लिखने वालोंकी तथा जिनके हुक्ममें यह दस्तावेज़ लिखा गया है उन लोगोंकी इच्छा उसकी रजिस्ट्री कराने की है, रजिस्ट्री कराने के लिये पेश किया जा सकता है।

२ किसी डिकरी या हुक्म की नक़ल रजिस्ट्री के वास्ते उस सब-रजिस्ट्रार के दफ्तर में पेश की जा सकती है जिसके परगनेमें वह प्रारम्भिक डिकरी या हुक्म दिया गया था या, जहाँ पर कि उस डिकरी या हुक्म से जायदाद गैर मनकूला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वहाँ पर उस स्थानीय सरकार के भाषीन किसी सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में पेश की जा सकती है जहाँपर वे सभी भादमी जिनके हुक्म में वह डिकरी या हुक्म दिया गया है उस नक़ल की रजिस्ट्री कराना चाहते हों।

दफा ३० कुछ दशाओं में रजिस्ट्रारों द्वारा रजिस्ट्री किया जाना

१ कोई भी रजिस्ट्रार यदि यह चाहे किसी भी ऐसे दस्तावेज़ को लेकर उस की रजिस्ट्री कर सकता है जिसकी रजिस्ट्री उसके भाषीन कोई भी रजिस्ट्रार कर सकता था।

२ किसी जिले का, जिसमें प्रेसीडेन्सी टाउन भी शामिल है, रजिस्ट्रार और छाहौर के जिले के रजिस्ट्रार को दफा २८ में बतलाए हुये किसी दस्तावेज को, बिना इस ख्यालके किजिस जायदादसे दस्तावेज सम्बंध रखता है वह जायदाद त्रिांश भारतके किस हिस्सेमें है, लेने और उसकी रजिस्ट्री करनेका अधिकार है।

दफा ३१ रजिस्ट्री करना या जमानत में रखने के लिये
दस्तावेजों का ले लिया जाना

साधारण अवस्थाओं में इस ऐक्ट के अनुसार दस्तावेजों की रजिस्ट्री या उनका अमानत में जमा रखना केवल उस अफसर के दफतर में ही हो सकेगा जिसे उन दस्तावेजों को रजिस्ट्री करने या अमानत में रखने के लिये लेने का अधिकार है। लेकिन विशेष कारण दिखाए जाने पर ऐसा अफसर किसी उस आदमीके निवास स्थान (रहनेकी जगह) पर, जो रजिस्ट्रीके लिये कोई दस्तावेज या अमानत में जमा रखने के लिए कोई वसीयतनामा पेश करना चाहता है जा सकता है और दस्तावेज या वसीयतनामे को रजिस्ट्री के लिये या अमानत में जमा रखने के लिए ले सकता है।

छठवां प्रकरण

रजिस्ट्रीके लिये दस्तावेजोंके पेश किये जानेके विषयमें

दफा ३२ वे शर्त जो रजिस्ट्री किये जाने के लिये दस्तावेज पेश कर सकते हैं

सिवाय उन दशांशों में जिनका वर्णन दफा ३१ और दफा ८९ में है, प्रत्येक ऐसा दस्तावेज, जिसकी रजिस्ट्री इस ऐक्ट के अनुसार होनी है, चाहे यह रजिस्ट्री किया जाता अनिवार्य हो या इच्छित (मुत्ताबदी), रजिस्ट्री करने के मुनासिब रूपतर म—

(ए) उस व्यक्ति द्वारा जिम्मे उसे लिखा है या जिसके हकमें वह लिखा गया है, या किसी डिकरी या हुजूम की नक़ल के सम्बन्ध में उस व्यक्ति के द्वारा जिसके हक में वह (डिकरी या हुजूम) दिया गया है, या

(बी) ऐसे शर्त के प्रतिनिधि या मुत्किल-अलेह द्वारा, या

(सी) ऐसे शर्त, प्रतिनिधि या मुत्किल-अलेह के कारिदा (मुख्तार) द्वारा जिसे इसके आगे बतलाई हुई रीति से लिखे गए और तसदीक किए गये हुये मुख्तारनामा के द्वारा अधिकार दिये गये हों ।

दफा ३३ वे मुख्तारनामा जो दफा ३२के प्रयोजनके लिये मान्य हैं

१ दफा ३२ के प्रयोजन के लिये केवल नीचे लिखे हुए मुख्तारनामों ही मान्य समझे जायगे, अर्थात् —

(ए) अगर मुख्तारनामा लिखते समय मुख्तारनामा लिखनेवाला व्यक्ति ब्रिटिश भारतके किसी ऐसे हिस्सेम रहता हो जिसमें उस समय इस ऐक्टका प्रयोग किया जाता हो, तो वह मुख्तारनामा जो उस रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के सामने लिखा गया हो जिसके जिम्मे या परगना में वह मुख्तारनामा लिखनेवाला व्यक्ति बनता (रहता) हो और उसपर उस (रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार) ने तसदीक की हो।

(बी) अगर ऊपर बतलाये गये समय में मुख्तारनामा लिखने वाला व्यक्ति ब्रिटिश भारत के किसी दूसरे हिस्सेम रहता हो, तो वह मुख्तारनामा जो किसी मजिस्ट्रेट के सामने लिखा गया हो और जिसपर उस (मजिस्ट्रेट) की तसदीक हो।

(सी) अगर ऊपर बतलाये गये समय में मुक़्तारनामा लिखने वाला व्यक्ति ब्रिटिश भारतमें नहीं रहता है तो वह मुक़्तारनामा जो किसी नोटरी पब्लिक (Notary public) या किसी अदालत, जज, मजिस्ट्रेट, ब्रिटिश कान्सल (British Consul) या वाइस कान्सल (Vice Consul), या सम्राट् अथवा भारत-सरकार के प्रतिनिधि के सामने लिखा गया हो और जिसपर उसकी तस्दीक हो।

लेकिन शर्त यह है कि नीचे लिखे व्यक्तियों को इस दफा के क्लॉज (प) और (बी) में बतलाये हुये किसी मुक़्तारनामाके लिखनेके अभिप्रायसे किसी रजिस्ट्री के दफ्तर या अदालत में जाने की आवश्यकता न होगी,

अर्थात्—

(१) वे लोग जो शारीरिक निर्बलता के कारण बिना जान जोखिममें डाले या बिना घोर कष्ट सहन किये हुए इस प्रकार दायजिर होनेमें असमर्थ हैं,

(२) वे लोग जो किसी दीवानी या फौजदारी मामलेके कारण जेल में हैं,

(३) वे लोग जो अदालतमें जाने से कानूनन मुक्तना हैं।

२ प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार या सन-रजिस्ट्रार या मजिस्ट्रेट, जैसा कुछ हो, अगर उसको इस बातका यकीन होजायकि वह मुक़्तारनामा अपनी इच्छा से स्वयं उसी व्यक्ति ने लिखा है जो मुक़्तारनामा लिखने वाला बतलाया जाता है तो, बिना उक्त क्लॉज के दफ्तर या अदालतमें अदालतन दायजिर हुये ही उसकी तस्दीक कर सकता है।

३ इस बात के बारेमें सुवृत्त लेने के लिये, कि वह मुक़्तारनामा बिना जोर-जबर्दस्ती के अपनी इच्छा से लिखा गया है, रजिस्ट्रार या सन-रजिस्ट्रार या मजिस्ट्रेट या तो उस शहरके पास जो मुक़्तारनामा लिखने वाला बतलाया जाता है या उसके जेल को जहा पर कि वह कैद है स्वयं जायगा और उसके बयान लेगा या उसके बयान लेने के लिए कोई कमीशन नियुक्त करेगा।

४ कोई भी मुक़्तारनामा, जिसका कि इस दफा में वर्णन है, बिना किसी और सुवृत्त के केवल पेश कर दिए जाने से ही स्वीकृत किया जा सकता है, जब कि उसके ऊपर यह बात लिखी हुई हो कि वह उस व्यक्ति या अदालतके सामने लिखा गया है जिसका कि इससे पहिले इस सम्बन्ध में वर्णन है और उसकी तस्दीक भी है।

दफा ३४ रजिस्ट्री किये जाने से पहिले रजिस्ट्री करने वाले

अफसर द्वारा जाच

१ इस प्रकरणमें तथा दफा ४१, ४३, ४५, ६९, ७५, ७७, ८८, और ८९ में बतलाये हुए नियमों की पाबन्दी में रहते हुये इस ऐक्टके अनुसार कोई भी दस्तावेज उस समय तक रजिस्ट्री नहीं किया जायगा जब तक कि ऐसे दस्तावेजों की

तकमील करने वाले लोग अथवा उनके प्रतिनिधि (क़ायम मुक़ामान), मुन्तक़िल-अलेह या मुख़्तार (कारिन्दे), जिनको ऊपर बतलाई भांति अधिकार दिये गये हों, रजिस्ट्री करने चाहे अफसर के यहाँ उस मियाद के भीतर हाजिर न हो जायें जो दफा २३, २४ २५ और २६ के अनुसार दस्तावेज पेश करने के लिये दी गई है।

लेकिन शर्त यह है कि अगर किसी आवश्यक काय्यचरा या किसी अनिवायि आकस्मिक घटना के कारण ऐसे सब आदमी हाजिर न हो सकें, तो रजिस्ट्रार ऐसी दराआ में जहाँ पर कि हाजिर न होने की मियाद चार मास से अधिक न हुई हो यह हुकम दे सकता है कि उस जुमाने के अतिरिक्त, अगर कुछ हो, जो दफा २५ के अनुसार दातब्य (वाजिबुल्अदा) हो उस जुमाने के अदा करने पर, जो कि रजिस्ट्री की मुनासिब फीस के दसगुने से अधिक न होगा, दस्तावेज की रजिस्ट्री कर दी जायगी।

२ उप दफा (१) के अनुसार उपस्थिति (हाजिरी) चाहे एक साथ हो या भिन्न भिन्न समयों के ऊपर।

३ इसके ऊपर रजिस्ट्री करने वाला अफसर—

(ए) इस बात की जांच करेगा कि वह दस्तावेज उन्हीं आदमियों द्वारा, जिनके द्वारा लिखा गया वह मालूम होता है, लिखा गया है या नहीं—

(बी) उन आदमियों की शिनाख्त के सम्बन्ध में इतमीनान करेगा जो उसके सामने हाजिर हुये हैं और यह बयान करते हैं कि हमने दस्तावेज लिखी है, तथा

(सी) उस हालत में, जब कि कोई आदमी बहसियत प्रतिनिधि (क़ायम मुक़ाम), मुन्तक़िल अलेह या मुख़्तार हाजिर हुआ हो, उसकी इस उपस्थिति के अधिकार के सम्बन्ध में इतमीनान करेगा।

४ उप दफा (१) के नियमोंके अनुसार हुकमकी बाबत कोई दरख़वास्त किसी सभ रजिस्ट्रारके यहाँ दी जा सकती है जो उसे फौरन् उस रजिस्ट्रारके पास भेज देगा जिसके कि वह मातहत है।

५ इस दफा की कोई भी बात डिक़री या हुकम की नक़लों के सम्बन्ध में लागू नहीं होती।

दफा ३५ दस्तावेज की तकमील करने को इन्कार या स्वीकार करने की दशा में कार्रवाई

१ (ए) अगर वे सभी आदमी जिन्होंने वह दस्तावेज लिखी है असाकतन रजिस्ट्री करने वाले अफसर के सामने हाजिर हों और वह उनसे परिचित हो या उसको किसी और प्रकार से यह इतमीनान होजाय कि वे वेही आदमी हैं जो कि व अपने आपको बतलाते हैं, और यदि वे सभी दस्तावेज के लिखने को स्वीकार करके, या

(बी) अगर उस हालत में, जब कि कोई व्यक्ति किसी प्रतिनिधि, मुन्तकिल-अलेह या मुखतार के जरिये हाजिर हुआ हो, वह प्रतिनिधि, मुन्तकिल अलेह या मुखतार उस दस्तावेज की तकमील (लिखे जाने) को स्वीकार करले, या

(सी) अगर दस्तावेज लिखने वाला व्यक्ति मर गया हो और उसका प्रतिनिधि, मुन्तकिल अलेह या मुखतार रजिस्ट्री करने वाले अफसर के पास हाजिर होकर दस्तावेज की तकमील (लिखे जाने) को स्वीकार करले, तो वह रजिस्ट्री करने वाला अफसर उस दस्तावेज की रजिस्ट्री कर लेगा, जैसा कि दफा ५८ के लेकर दफा ६१ तकमें, जितना वह दोनो दफायें भी शामिल हैं, बतलाया गया है ।

२ रजिस्ट्री करने वाले अफसर को अधिकार है कि वह इस बातका इतमीनान करने के लिये, कि जो आदमी उसके सामने हाजिर हुये हैं वे वेही आदमी हैं जो कि वे अपने आपको बतलाते हैं, या किसी दूसरे प्रयोजनसे, जिसके ऊपर इस पेशट में विचार किया गया है, उन आदमियोंमें से किसी भी आदमीके बयान से ले जो उसके दफतर में उपस्थित (हाजिर) हुए हैं ।

३ (ए) अगर कोई आदमी जिसका लिखा हुआ (तकमील किया हुआ) वह दस्तावेज मालूम होता है, इस बातको अस्वीकार करता है कि उसने उसे लिखा है, या

(बी) अगर ऐसा कोई आदमी रजिस्ट्री करने वाले अफसर को नाबालिग पागल या मूर्ख (बेबकूफ) जान पड़े, या

(सी) अगर ऐसा कोई आदमी, जिसका लिखा हुआ वह दस्तावेज मालूम होता है मर गया है और उसका प्रतिनिधि या मुन्तकिल अलेह उसकी तकमील (लिखे जाने) से इन्कार करता है,

तो रजिस्ट्री करने वाले अफसरको चाहिये कि वह इस तरह इन्कार करने वाले आदमी के सम्बन्धमें, चाहे वह हाजिर हुआ हो या मर गया हो, उस दस्तावेज की रजिस्ट्री करने से इन्कार कर दे ।

लेकिन शर्त यह है कि जहापर ऐसा अफसर रजिस्ट्रार हो तो उसे चाहिये कि वह उस कार्रवाई का अनुसरण करे जो बारहवें प्रकरणमें बतलाई गई है ।

सातवां प्रकरण

दस्तावेज लिखने वालों तथा गवाहोंकी हाजिरीके विषयमें

दफा ३६ उस दशा में कार्रवाई जब कि दस्तावेज लिखने वाले या गवाह की हाजिरी की आवश्यकता हो

अगर कोई ऐसा आदमी, जो रजिस्ट्रीके लिये कोई दस्तावेज पेश कर रहा है या जो किसी ऐसे दस्तावेज के सम्बन्ध में गवाहदार है जो कि पेश किये जाने के योग्य है किसी ऐसे शख्सकी हाजिरी चाहता है जिसकी उपस्थिति या साक्षी (गवाह) उस दस्तावेज की रजिस्ट्री के लिये आवश्यक है, तो रजिस्ट्री करने वाला अफसर अपनी इच्छानुसार किसी ऐसे हाकिम या अदालत को, जिसके लिये स्थानीय सरकार इस सम्बन्ध में आज्ञा दे, उस व्यक्ति के ऊपर रजिस्ट्री के दफ्तर में भसालतन (स्वयं) या किसी कारिन्दा-मजाजके जरिये जैसा कुछ कि उस सम्मन में लिखा गया हो, तथा उस समय पर जो उसमें बतलाया गया हो हाजिर होने के लिये सम्मन जारी करने के वास्ते लिख सकता है।

दफा ३७ हाकिम या अदालत का सम्मन जारी करना तथा उनकी तामील करवाना

वह हाकिम या अदालत चपरासी का तलबाना, जो कि ऐसे मौकों पर वाखिल क्रिया जाना चाहिये, पा जाये पर उसके लिये अनुसार सम्मन जारी कर देगा और उसे उस व्यक्ति के ऊपर, जिसकी कि हाजिरी वाञ्छनीय है, तामील करवा देगा।

दफा ३८ वे लोग जो रजिस्ट्रीके दफ्तरमें हाजिरीसे मुस्तसना हैं

१ (ए) वह आदमी जो शारीरिक निर्वृत्ता के कारण गिरा जान जोखिममें डाले या जिना भारी कष्ट सहना किये रजिस्ट्री के दफ्तर में हाजिर होने में असमर्थ है; या

(बी) वह आदमी जो किसी दीवानी या फौजदारीकी कार्रवाईके अनुसार जेल में है, या

(सी) वे लोग जो किसी अदालत में भसालतन हाजिर होने से फातूनन मुस्तसना हैं और जो रजिस्ट्री के दफ्तर में भसालतन हाजिर होने

के लिये तलब किये जाते अगर वे रातें जो इसमें भागे चलकर बस-
लाई गई हैं मौजूद न होतीं।

इस प्रकार हाजिर होने के लिये तलब न किये जायेंगे।

२. प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में रजिस्ट्री करने वाला अफसर या तो उस नादमी के मकान पर या उस जेठको, जहाँ पर कि यह कैद है, स्वयं जायेगा और उसके बयान लेगा या उसके बयान लिख जाने के लिए कमीशन जारी करेगा।

दफा ३९ सम्मनों, कमीशनों तथा गवाहों सम्बन्धी कानून .

यह कानून जो उस समय सम्मनों, कमीशनों और गवाहों को हाजिरी के लिए बाध्य (मजबूर) करने के सम्बन्ध में और अदादत दीवानीके मुकदमों में उनके तलबाना के सम्बन्ध में प्रचलित है, सिवाय उस दरा के जिसका जिक्र इसके पूर्व किया गया है और सिवाय घतम्भील अमर तघदील तलब (Mutatis Mutandis) के किसी सम्मन या कमीशनके सम्बन्धमें, जोकि जारी किया गया है, तथा किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में, जो कि इस पेक्टके नियमावतुसार हाजिरीके लिये तलब किया गया है, लागू होगा।

आठवां प्रकरण

वसीयतनामों और गोद लेने के इजाजतनामों के पेश किए जाने के सम्बन्धमें

दफा ४० वे लोग जिनको वसीयतनामों और गोद लेने के इजाजतनामों के पेश करने का अधिकार है

१ वसीयत करने वाला (Testator) या उसकी मृत्युके पश्चात् कोई ऐसा व्यक्ति जो वसीयतनामा के बारे में यतौर साधक (वसी) या और किसी प्रकार दावेदार है उस (वसीयतनामा) को रजिस्ट्री किए जानेके लिये किसी रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के यहाँ पेश कर सकता है।

२ गोद लेने सम्बन्धी इजाजतनामा का दातृ (Donor -वाहिव) या उसकी मृत्यु के पश्चात् उसका प्रति-प्राप्ति (Donee मौदूबअलेइ) या दत्त-पुत्र (पितर सुतबत्रा) उस (इजाजतनामा) को रजिस्ट्री के लिये रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के यहाँ पेश कर सकता है।

दफा ४१ वसीयतनामों और गोद लेने के इजाजतनामों की रजिस्ट्री

१ वसीयतनामा या गोद लेने के इजाजतनामाकी, जिसे वसीयत करने वाले या हिवा करने वाले (वाहिव) ने रजिस्ट्री किये जाने के लिये पेश किया है, रजिस्ट्री उसी प्रकार की जायगी जैसे दूसरे दस्तावेजों की।

२ वसीयतनामा या गोद लेने के इजाजतनामाकी, जिसे रजिस्ट्री किये जाने के लिये किसी दूसरे व्यक्तिने, जिसको उसे पेश करनेका अधिकार है, पेश किया हो, रजिस्ट्री कर दी जायगी, अगर रजिस्ट्री करने वाले अफसर को यह इतमीनान हो जाय कि—

(ए) यह वसीयतनामा या इजाजतनामा वसीयत करने वाले (Testator) या हिवा करने वाले (Donor) द्वारा, जैसा अवसर हो लिखा गया था,

(बी) यह कि वसीयत करने वाला (Testator) या हिवा करने वाला (Donor) मर गया है, तथा

(सी) यह कि जो व्यक्ति उस वसीयतनामा या इजाजतनामा को पेश कर रहा है उसे दफा ४० के अनुसार पेश करने का अधिकार है।

नवां प्रकरण

वसीयतनामों के अमानतमें जमा करने के विषय में

दफा ४२ वसीयतनामों का अमानत में जमा किया जाना

कोई भी वसीयत करने वाला (testator) अखिलतन या किसी मुख्तार मज्जाज के जरिए अपने वसीयतनामों को एक मोहर लगे हुए बन्द लिफाफे में, जिस पर वसीयत करने वाले (testator) का और उसके मुख्तारका (अगर कोई हो) नाम और दस्तावेज की तरह पर कुछ मजमून लिखा हुआ हो, किसी रजिस्ट्रार के दफतर में बतौर अमानत जमा कर सकता है।

दफा ४३ वसीयतनामों के जमा करने पर कार्रवाई

१ ऐसे लिफाफों के पा जाने पर वह रजिस्ट्रार, अगर उसको इस बात का इतमीनान होजाय कि जो शख्स उसे दाखिल कर रहा है वह वसीयत लिखने वाला या उसका मुख्तार है तो, अपने रजिस्ट्रार न० ५ में उपरोक्त मजमून को लिख लेगा और उसी रजिस्ट्रार में तथा उस लिफाफे के ऊपर इस दाखिल किए जाने और पाने का साल, महीना, दिन और घंटा और उन आदमियों के नाम जिन्होंने उस वसीयत करने वाले या उसके मुख्तार की शिनाख्त की हो तथा किसी ऐसे स्पष्ट लेख को, जो उस लिफाफे की मोहर पर हो, लिख लेगा।

२ इसके पश्चात् रजिस्ट्रार उस मोहर लगे हुए लिफाफा को अपनी आग न लगने वाली सन्दूक (फायर प्रूफ-बॉक्स) में रखलेगा और उसे उसी में जमा रखेगा।

दफा ४४ मोहर लगे हुए उस लिफाफा का वापस लेना जो कि दफा ४२ के अनुसार जमा किया गया है

अगर वसीयत करने वाला व्यक्ति (testator), जिसने ऐसे लिफाफा को जमा किया है, उसे वापस लेना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह अखिलतन या अपने किसी मुख्तार मज्जाज के जरिए से इस बात के लिए उस रजिस्ट्रार को दरख्तास्त दे जिसके पास वह अमानत में जमा है, और वह रजिस्ट्रार, अगर उसे यह इतमीनान हो जाय कि माथी (दरख्तास्त देने वाला) सब कुछ वसीयत करने वाला या उसका मुख्तार है तो, उस लिफाफा को उसके हवाले कर देगा।

दफा ४५ दाखिल करने वाले के मर जाने पर कार्रवाई

१ अगर उस वसीयत करने वाले (testator) के मर जाने पर, जिसने दफा ४२ के अनुसार मोहर लगे हुए लिफाफा को दाखिल किया है, उस रजिस्ट्रार को

जिसके पास कि वह अमानत में जमा है उसे निकाल देने के लिए दरखवास्त दी जाय और अगर उस रजिस्ट्रार को इसबात का इतमीनान हो जाय कि वसीयत करनेवाला (Testator) मर गया है तो वह उस प्रार्थी (दरखवास्त देने वाले) के उमक्ष (सामने) उस लिफाफे को खोल देगा और उस प्रार्थी के छत्र से उस का वजमून अपनी क़िताब न० ३ में दर्ज करा लेगा ।


२ इस नक़ल के हो जानेपर रजिस्ट्रार असली वसीयत नामेको फिर दाखिल अमानत कर लेगा ।

दफा ४६ कुछ नियमों तथा अदालतके अधिकारों का बचाव

१ इसमें पहिले जो कुछ बतलाया गया है उसमें कोई भी बात ऐसी न होगी जो इण्डियन सक्सेशन ऐक्ट सन् १८६५ ई० (कानून विरासत) की दफा २५९ या प्रोपर्टी एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऐक्ट सन् १८८१ ई० की दफा ८१ पर या हुक्म द्वारा किसी दस्तावेज़ को जबर्दस्ती पेश करने सम्बन्धी किसी अदालत के अधिकार पर कोई प्रभाव डाल सके ।

२ जब कोई ऐसा हुक्म दिया जा चुके तो रजिस्ट्रार को चाहिए कि, अगर दफा ४५ के अनुसार उस वसीयतनामा की नक़ल की न जा चुकी हो तो, वह उस लिफाफे को निकाले और उस वसीयतनामा की नक़ल अपनी क़िताब न० ३ में करादे और उस नक़ल के ऊपर यह नोट लिख दे कि असली कापी उपर्युक्त हुक्म के अनुसार अदालत को भेज दी गई है ।

दसवां प्रकरण



दफा ४७ रजिस्ट्री किये हुए दस्तावेजोंके अमल (नाफिज) करनेका समय

रजिस्ट्री क्रिया हुआ दस्तावेज का अमल (नफाज) उस समय से आरम्भ होगा जिस समयसे कि वह आरम्भ हुई होती, अगर उसकी रजिस्ट्री आवश्यक न होती या अगर उसकी रजिस्ट्री की न गई होती, उस समय से नहीं जबकि उसकी रजिस्ट्री हुई है।

दफा ४८ जायदादसे सम्बन्ध रखने वाले रजिस्ट्री किये हुए दस्तावेज जत्रानी इक्करारनामोंके मुकाबिलेमें कब अमल (नाफिज) में लाये जायंगे

सभी गैर-वसीयती दस्तावेज, जिनकी कि इस प्केट के अनुसार वाफ़ायदा रजिस्ट्री होगई है और जो किसी जायदाद से सम्बन्ध रखते हो, चाहे वह जायदाद मनकूछा हो या गैर-मनकूछा, किसी भी जत्रानी इक्करारनामा या अर्जीदावा के मुकाबले में जो कि उसी जायदाद के सम्बन्ध में हो अमल (नाफिज) में लाये जायगे सिवाय उन दस्तावेजोंके, जब कि इस इक्करारनामा या अर्जीदावा के साथ या उसके बाद दखल-दिहानी न कर दीगई हो।

दफा ४९ जिन दस्तावेजोंकी रजिस्ट्री आवश्यक है उनकी रजिस्ट्री न करनेका परिणाम

कोई भी दस्तावेज, जिसकी रजिस्ट्री दफा १७के अनुसार आवश्यक है, जब तक कि उसकी रजिस्ट्री न होजाय तब तक—

(ए) किसी भी जायदाद गैर-मनकूछा पर जोकि उसमें शामिल है कोई भी प्रभाव न डाल सकेगी, या

(बी) गोद लेने सम्बन्धी कोई अधिकार न दे सकेगी, या

(सी) किसी मामले में जिससे उस जायदाद पर कोई प्रभाव पड़ता हो या जो ऐसे अधिकार प्रदान करता हो शहादत में न माना जायगा।

दफा ५० आराज़ी सम्बन्धी कुछ दस्तावेज बिना रजिस्ट्री किये हुए दस्तावेजोंके मुकाबले व्यापक (नाफिज) होंगे

१ प्रत्येक इस किस्म का दस्तावेज जिसका जिक्र दफा १७ की उप दफा १ के क्लॉज (ए), (बी), (सी) और (डी) में तथा दफा १८ के क्लॉज

रजिस्ट्रीके पेश करता है ऐसे प्रत्येक दस्तावेज की पुस्त पर लिखा जाना चाहिए ।

- (बी) रजिस्ट्री करने वाले अफसरको चाहिए कि वह उन दस्तावेजकी रसीद दस्तावेज पेश करने वाले व्यक्तिको दे दे । और
- (सी) दफा ६२ में बतलाए गए नियमोंकी पाबन्दीमें रहते हुए प्रत्येक ऐसे दस्तावेजकी जो रजिस्ट्रीके लिये मजूर कर लिया गया है बिना अनाश्यक खिलम्बके उस किताबमें रजिस्ट्रीके क्रमानुसार नकल कर लेना चाहिये ।

इस सभी किताबोंकी ऐसे समयों पर और ऐसे ढंगसे तस्दीक की जायगी जिसको समय समय पर इन्स्पेक्टर जनरल निश्चित करेगा ।

दफा ५३ इन इन्द्राजातका सिटिसलेवार नम्बर छोडना

हर एक किताबके सभी इन्द्राजात सिटिसलेवार नम्बर छोड़ कर किए जायगे जो सालसे आरम्भ और साल ही में समाप्त हो जायगे । प्रत्येक सालके आरम्भमें नया सिटिसला आरम्भ होगा ।

दफा ५४ वर्तमान फेहरिस्त और उसके इन्द्राजात

प्रत्येक ऐसे दफतरमें जिनमें कि इसके पूर्व बतलाई हुई कोई भी किताबें रहती हैं ऐसी किताबोंमें दर्जकी हुई बातोंकी फेहरिस्तें तैयार की जायगी जो उस समय प्रचलित होगी, और इन किताबोंका प्रत्येक इन्द्राजात जहां तक सम्भव होगा, जिस समय रजिस्ट्री करने वाला अफसर उस दस्तावेजकी जिससे कि उसका सम्बन्ध है नकल कर चुकेगा या उसकी याददाश्त को दाखिल दफतर कर चुकेगा उसके बाद फौरन ही कर दिया जायगा ।

दफा ५५ रजिस्ट्री करने वाले अफसरों द्वारा तैयारकी जाने वाली फेहरिस्तें और उनमें लिखी जाने वाली बातें

१ सभी रजिस्ट्रीके दफतरोंमें ऐसी चार फेहरिस्तें तैयार की जायगी और उन पर क्रमशः फेहरिस्त न० १, फेहरिस्त न० २, फेहरिस्त न० ३, और फेहरिस्त न० ४ नाम पड़ेगा ।

२ फेहरिस्त न० १ में वन तमाम आदमियोंके नाम और पता व निशान रहने जिन्दाने कि उस दस्तावेजको लिखा है या जो उनकी गश्त दावेदार है जो कि किताब न० १ में दर्ज किया गया है या जो याददाश्त (Memorandum) कि दाखिल दफतर की गई है ।

३ फेहरिस्त न० २ में ऐसे दस्तावेजों और याददाश्तोंके सम्बन्धमें दफा २१ में बतलाई हुई उन बातोंकी तफलील होगी जिसकेबारेमें इन्स्पेक्टर जनरल समय समय पर इस सम्बन्धमें आज्ञा निकाले ।

ग्यारहवां प्रकरण

रजिस्ट्री करने वाले अफसरके कर्तव्यों तथा अधिकारोंके विषय में

(ए) रजिस्ट्रों और फेहरिस्तोंके सम्बन्धमें

दफा ५१ वे रजिस्टर जो सभी दफ्तरोंमें रखे जाने चाहिये

१ नीचे लिखी किताबें उन सभी दफ्तरोंमें रखी जायगी जो इसके बादमें बतलाए गए हैं, अर्थात्.—

(ए) सभी रजिस्ट्रीके दफ्तरों में—

किताब न० १—“गैर वसीयती दस्तावेजोंका, जो कि जायदाद गैर मनकूलाके सम्बन्धमें है, रजिस्टर ।”

किताब न० २—“रजिस्ट्री करने से इनकार किए जानेके कारणोंके लिखनेकी किताब ।”

किताब न० ३—“वसीयतनामों और गोद लेनेकी सनदोंका रजिस्टर ।”

किताब न० ४—“रजिस्टर मुतफरिकात ।”

(बी) रजिस्ट्रारके दफ्तरमें—

किताब न० ५—“वसीयतनामोंको अमानतमें जमा करने सम्बन्धी रजिस्टर ।”

२ किताब न० १में उन सभी दस्तावेजों और याददाइतोंका इन्दराज या उनकी खानापूरीकी जायगी जिनकी दफा १७, १८ और ८९ के अनुसार रजिस्ट्री की गई है और जो जायदाद गैर मनकूलाके सम्बन्धमें है और वसीयतनाम नहीं है ।

३ किताब न० ४ में उन सब दस्तावेजोंका इन्दराज होगा जो दफा १८ के कलॉज (बी) और (एफ) में रजिस्ट्री किए जायगे और जो जायदाद गैर-मनकूलाके सम्बन्धमें नहीं है ।

४ इस दफामें ऐसी कोई भी बात न समझी जायगी जिसके कारण उस दशा में जब कि रजिस्ट्रारका दफ्तर किसी सब-रजिस्ट्रारके दफ्तरमें मिला दिया जाय एक से अधिक जोड (Set) रजिस्ट्रोंकी आवश्यकता पड़े ।

दफा ५२ दस्तावेज पेश किये जाने पर रजिस्ट्री करने वाले

• अफसरका कर्तव्य

१ (ए) किसी दस्तावेजके पेश करते समय उस पेश किए जाने का दिनांक और स्थान तथा उस शख्सका नाम जो कि दस्तावेजको वास्ते

रजिस्ट्रीके पेश करता है ऐसे प्रत्येक दस्तावेज की पुस्त पर लिखा जाना चाहिए ।

- (बी) रजिस्ट्री करने वाले अफसरको चाहिए कि वह उस दस्तावेजकी रसीद दस्तावेज पेश करने वाले व्यक्तिको दे दे । और
- (सी) दफा ६२ में बतलाए गए नियमोंकी पाबंदीमें रहते हुए प्रत्येक पेछे दस्तावेजकी जो रजिस्ट्रीके लिये मजूर कर लिया गया है बिना बना वश्यक विलम्बके उस किताबमें रजिस्ट्रीके क्रमानुसार नकल कर लेना चाहिये ।

इन सभी किताबोंकी ऐसे समयों पर और ऐसे ढंगसे तस्दीक की जायगी जिसको समय समय पर इन्स्पेक्टर जनरल निश्चित करेगे ।

दफा ५३ इन इन्दराजातका सिलिसलेवार नम्बर छोडना

हर एक किताबके सभी इन्दराजात सिलिसलेवार नम्बर छोड कर दिए जायगे जो सालसे आरम्भ और साल ही में समाप्त हो जायगे । प्रत्येक सालके आरम्भमें नया सिलिसला आरम्भ होगा ।

दफा ५४ वर्तमान फेहरिस्त और उसके इन्दराजात

प्रत्येक ऐसे दफतरमें जिनमें कि इसके पूर्व बतलाई हुई कोई भी किताब रहती हो ऐसी किताबोंमें दर्जकी हुई बातोंकी फेहरिस्त तैयार की जायगी जो उस समय प्रचलित हांगी, और इन किताबोंका प्रत्येक इन्दराज जहा तक सम्भव होगा, जिस समय रजिस्ट्री करने वाला अफसर उस दस्तावेजकी जिससे कि उसका सम्बन्ध है नकल कर चुकेगा या उसकी याददास्त को दाखिल दफतर कर चुकेगा उसके बाद फौरन ही कर दिया जायगा ।

दफा ५५ रजिस्ट्री करने वाले अफसरों द्वारा तैयारकी जाने वाली फेहरिस्तें और उनमें लिखी जाने वाली बातें

१ सभी रजिस्ट्रीके दफतरोंमें ऐसी चार फेहरिस्तें तैयार की जायगी और उन पर क्रमशः फेहरिस्त न० १, फेहरिस्त न० २, फेहरिस्त न० ३, और फेहरिस्त न० ४ नाम पड़ेगा ।

२ फेहरिस्त न० १ में उन तमाम आदमियोंके नाम और पता व निशान रहगे जिन्होंने कि उस दस्तावेजको लिखा है या जो उनकी वास्तु दावेदार हैं जो कि किताब न० १ में दर्ज किया गया है या जो याददास्त (Memorandum) कि दाखिल दफतर की गई है ।

३ फेहरिस्त न० २ में ऐसे दस्तावेजों और याददास्तोंके सम्बन्धमें दफा २१ में बतलाई हुई उन बातोंकी तफसील होगी जिसके बारेमें इन्स्पेक्टर जनरल समय समय पर इस सम्बन्धमें आज्ञा निकाले ।

४ फेहरिस्त न० ३ में उन तमाम आदमियोंके, जिन्होंने कि उन वसीयतनामा और अधिकार पत्र (स्नद) को जो कि किताब न० ३ में दर्ज किए गए हैं, तथा साधका (वसी या तामील कुानिन्दा) और उन व्यक्तियोंके नाम और पता व निशान जो कि अलग अलग उनके अनुसार नियुक्त किए गए हैं, और वसीयत करने वाले (Testator) या दिया करने वाले (Donee) की मृत्यु हो जानेके पश्चात् (पहिले नहीं) उन सभी आदमियोंके नाम और पता व निशान लिखे जायगे जो उसके सम्बन्धम दावेदार हैं ।

५ फेहरिस्त न० ४ में उन सभी आदमियोंके नाम और पता व निशान जो कि उन दस्तावेजोंके लिखने वाले हैं और लोगोंके नाम और पता व निशान रहेंगे जो उन दस्तावेजोंके सम्बन्धम दावेदार हैं जिनका कि इन्दराज किताब न० ४ म किया गया है ।

६ प्रत्येक फेहरिस्तमें दूसरी ऐसी चाते लिखी जायगी और वे ऐसे नमूनेकी तैयार की जायगी जिनकी आज्ञा इन्स्पेक्टर जनरल समय समय पर देते रहेंगे ।

दफा ५६ फेहरिस्त न० १, २ और ३ में दर्ज की गई बातोंकी नकलका सब-रजिस्ट्रारके पास भेजा जाना - और उसका दाखिल दफ्तर (फाइल) करना

१ प्रत्येक सब रजिस्ट्रारको चाहिए कि वह उस रजिस्ट्रारके पास, जिसके कि वह मातहत है, ऐसे समयों पर, जिनके लिए समय समय पर इन्स्पेक्टर जनरल आदेश करे, उन सभी इन्दराजात की नकल भेज दे, जो उसने इन समयोंमें से सबसे अन्तिम (अखीरी) समय फेहरिस्त न० १, २ और ३ में किए गए हैं ।

२ प्रत्येक ऐसा रजिस्ट्रार जिसे ऐसी नकलें प्राप्त हों उन्हें दाखिल दफ्तर कर लेगा ।

दफा ५७ रजिस्ट्री करने वाले अफसरोंको कुछ किताबों और फेहरिस्तोंके मुलाहिजा करनेकी आज्ञा और इन्दराजातकी तस्दीककी हुई नकलें देनेका अधिकार

१ फीसके, जो इस सम्बन्ध में दी जानी चाहिए, पहिले अदा कर दिए जाने पर किताब न० १ और २ तथा किताब न० १ से सम्बन्ध रखने वाली फेहरिस्त का कोई आदमी, जो इसके लिए दरखास्त करे, हर समय मुलाहिजा कर सकेगा, और दफा ६२ के नियमोंकी पाबन्दी करते हुए इन किताबोंमें किए गए इन्दराजातकी नकलें उन सभी आदमियों को दी जा सकेंगी जो इनके लिए-दु-खास्त करें ।

२ उन्ही निम्नों की पाबन्दी करते हुए किताब न० ३ में और - सबसे सम्बन्ध रखने वाली फेहरिस्त में किए गए इन्दराजात की नकलें ऐसे आदमियों

को, जिन्होंने उन दस्तावेजों को लिखा हो या जो उनके अनुसार दावेदार हों, जिन दस्तावेजों से ये इन्दराजात सम्बन्ध रखते हैं, या उनके कारिन्दों (मुख्तारों) को, तथा दस्तावेज लिखने वालों के मर जाने के बाद (किन्तु इसके पहिले नहीं) किसी आदमी को, जो इन नकलों के लिए दरखास्त दे, दी जा सकेगी।

३ उन्हीं नियमों की पाबन्दी करते हुए क़िताब न० ३ और उससे सम्बन्ध रखने वाली फ़ैहरिस्त में चिप गप इन्दराजात की नकलें किसी आदमी को, जिसने उन दस्तावेजों को, जिनका इन्दराजातस क्रमशा सम्बन्ध है, लिखा हो या जो उनके अनुसार दावेदार हो, अथवा उसके कारिन्दा या प्रतिनिधि को दी जा सकेगी।

४ क़िताब न० ३ और ४ में चिप गप इन्दराजात की इस दफा के अनुसार आवश्यक खोज (तलाशी मतलूबा) केवल रजिस्ट्री करने वाला अफसर ही कर सकेगा।

५ इस दफा के अनुसार दी गई सभी नकलों पर रजिस्ट्री करने वाले अफसर के दस्तख़त और मोहर होगी, और ये प्रारम्भिक दस्तावेजों के मज़मून को साबित करने के लिए प्रमाण माने जायेंगे।

(बी) रजिस्ट्रीके लिए मंजूर कर लिए गए दस्तावेजोंकी पुस्त पर लिखी जाने वाली बातें

दफा ५८ रजिस्ट्रीके लिए मंजूर कर लिए गए दस्तावेजों की पुस्तपर लिखी आने वाली बातें

१ रजिस्ट्री के लिए मजूर कर लिए गए प्रत्येक दस्तावेज की, जो किसी डिकरी या हुकम की नकल या ऐसी नकल नहीं है जो रजिस्ट्री करने वाले अफसर के पास दफा ८९ के अनुसार भेजी गई है, पुस्त पर, समय समय पर, नीचे लिखी बातें लिखी जायगी, अर्थात्—

- (ए) हस्ताक्षर (दस्तख़त) तथा नाम और पता प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का, जिसने दस्तावेज के लिखे जाने को (तक्मील को) स्वीकार कर लिया हो, और अगर इस तक्मील को किसी व्यक्ति के प्रतिनिधि, मुन्तक़िल अग़ेद, या कारिन्दे ने स्वीकार किया हो तो ऐसे प्रतिनिधि मुन्तक़िल अग़ेद या कारिन्दे के हस्ताक्षर (दस्तख़त) तथा नाम और पता,
- (बी) हस्ताक्षर (दस्तख़त) तथा नाम और पता प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का, जिसके इस पेट्ट के किसी नियम के अनुसार बयान लिए गए हों, और
- (सी) रुपये की कोई अदापगी या मालका की कोई समर्पण, जो उस दस्तावेज के लिखे जाने (तक्मील) के सम्बन्ध में रजिस्ट्री करने वाले अफसर के सामने की गई हो, तथा उस मुभावजा-दस्तावेज की

कुल या अंश में हुई प्राप्ति की स्वीकृति, जो उस दस्तावेज के सम्बन्ध में उसके समक्ष (सामने) दिया गया हो ।

(डी) अगर कोई व्यक्ति, जिसने दस्तावेज के लिखे जाने (तकमील) को स्वीकार कर लिया हो, उस दस्तावेज की पुश्तपर अपने हस्ताक्षर करने से इनकार करे तो भी रजिस्ट्री करने वाला अफसर उसकी रजिस्ट्री कर लेगा, किन्तु इस इनकार के सम्बन्ध में वह एक नोट दस्तावेज की पीठ (पुश्त) पर लिख देगा ।

दफा ५९ तसदीकके ऊपर रजिस्ट्री करने वाला अफसर अपने दस्तखत करे और तारीख डाले

रजिस्ट्री करने वाले अफसर को चाहिए कि वह उन दस्तावेजों के सम्बन्ध में तथा अपने सामने दफा ५२ और ५८ के अनुसार की गई तसदीक के ऊपर उसी दिन अपने हस्ताक्षर (दस्तखत) करे और तारीख डाले ।

दफा ६० रजिस्ट्री किए जानेका सार्टीफिकेट

१ दफा ३४, ३५, ५८ तथा ५९ के उन नियमोंकी तामील होजाने के बाद, जो किसी उस दस्तावेज के सम्बन्ध में लागू होते हैं जो कि रजिस्ट्री किए जाने के लिए पेश किया गया है, रजिस्ट्री करने वाला, अफसर उसपर एक सार्टीफिकेट की तसदीक करेगा, जिसमें 'रजिस्ट्री किया गया' शब्द तथा उस किताब का नम्बर और पृष्ठ (सफा) होगा, जिसमें उस दस्तावेज की नकल की गई है ।

२ इस सार्टीफिकेट पर रजिस्ट्री करने वाला अफसर अपने हस्ताक्षर (दस्तखत) करेगा, तारीख डालेगा और मोहर करेगा और तब वह इस बातके साबित करने के लिए स्वीकार किए जाने योग्य होगा कि दस्तावेज की इस ऐक्ट द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार बाकायदा रजिस्ट्री की गई है, और यह कि दफा ५९ में बतलाई हुई तसदीक (Endorsement) में वर्णित बातें वैसे ही हुई हैं जैसी कि वे उसमें बतलाई गई हैं ।

दफा ६१ तसदीक और सार्टीफिकेटकी नकल करके दस्तावेज वापस दिया जाना

१ तसदीक और सार्टीफिकेटकी, जिनका जिक्र ऊपर किया गया है और जो दफा ५९ और ६० में बतलाए गए हैं, नकल, सब रजिस्ट्र-बुक के हागिये पर करली जायगी और नकशा या खाका की (अगर कोई हा), जिसका वर्णन दफा २१ में किया गया है । किताब न० १ में फाइल (नत्थी) कर लिया जायगा ।

२ तब उस दस्तावेज की रजिस्ट्री पूरी हुई समझी जायगी और फिर वह दस्तावेज उस आदमी को, जिसने उसे रजिस्ट्री किए जाने के लिए पेश किया था, या किसी दूसरे ऐसे आदमी को, जिसको लिखकर इस काम के लिए नाम जूद किया गया हो, दफा ५२में बतलाई गई रसीदके दे देने पर दे दिया जायगा ।

(३४५)

दफा ६२ ऐसे दस्तावेजोंके पेश किये जाने पर कार्रवाई जो ऐसी भाषा में हो जिसे रजिस्ट्री करने वाला अफसर नहीं जानता है

१ जब दफा १९ के अनुसार रजिस्ट्री किए जाने के लिए कोई दस्तावेज पेश किया जाय, तो दस्तावेजोंके रजिस्टरमें उस असली दस्तावेजके ठीक ठीक भन्तु वादकी नकल कर ली जायगी, और जिस नकलका जिक्र दफा १९ में किया गया है उसके साथ वह भन्तुवाद रजिस्ट्रीक दफ्तरमें फाइल (नस्थी) कर लिया जायगा।

२ तस्वीक और सार्तिफिकेट, जिनका क्रमग दफा ५९ और ६० में वर्णन किया गया है, असली दस्तावेज पर ही किए जायग, तथा नकल करने और याददाश्त तैयार करने के लिए, जिनकी दफा ५७, ६४, ६५ और ६६ के अनुसार आवश्यकता है, वह भन्तुवाद ऐसा ही समझा जायगा मानो वह असली ही है।

दफा ६३ हलफ लेने और वयानका साराश लिखनेका अधिकार

१ प्रत्येक रजिस्ट्री करने वाले अफसरको अधिकार है कि वह स्वेच्छापूर्वक किसी ऐसे आदमीको हलफ रखा सके जिसके उसने इस ऐक्टके अनुसार वयान लिए ह।

२ प्रत्येक ऐसे अफसरको यह भी अधिकार होगा कि वह स्वेच्छापूर्वक उस वयानके साराशको नोट कर (लिख) ले, जिसे प्रत्येक ऐसे मनुष्यने दिया हो, और वह वयान उसको पढ़ कर सुना दिया जायगा या (अगर वह ऐसी भाषाम दिया गया है जिसस वह मनुष्य अनिभिन्न (नावाकिक) है) उस भाषाम उसे समझा दिया जायगा जिसे वह जानता है, और अगर वह इस नोट (लिख लेने) को सही मान लेगा तो उस पर रजिस्ट्री करने वाला अफसर अपने हस्ताक्षर (दस्तखत) कर देगा।

३ प्रत्येक ऐसा नोट, जिस पर इस प्रकार हस्ताक्षर हो गए हों, इस बातके साबित करनेमें मान्य (माने जाने योग्य) होगा कि जो कुछ बात उसमें दर्ज है वे उन आदमियों द्वारा और उसमें चतलाई गई व्यवस्थाओंमें वयान की गई थी।

(सी) सब-रजिस्ट्रारके विशेष कर्तव्य

दफा ६४ उस दशमें कार्रवाई जबकि दस्तावेज उस आराज़ी से सम्बन्ध रखता हो जो कई परगनों में है

प्रत्येक ऐसे सब रजिस्ट्रार को, जो किसी ऐसे गैर-वसीयती दस्तावेज की रजिस्ट्री कर रहा हो, जो ऐसी जायदाद गैर मन्कूलाके सम्बन्धमें है जो पूरी पूरी

उसीके परगनेमें चाकै नहीं है, चाहिये कि वह उसकी और उसपर कीगई तस्दीक और सर्टिफिकेटकी (अगर कोई हो) याददास्त तैयार करे और उसे प्रत्येक ऐसे दूसरे सब रजिस्ट्रारके पास भेज दे जिसके परगनेमें उस जायदादका कोई हिस्सा चाकै है और जो उसी रजिस्ट्रारके मातहत है जिसके मातहत वह स्वयं है और वह सब-रजिस्ट्रार उस याददास्त (Memorandum) को अपनी किताब न० १ में फाइल (नत्थी) कर लेगा ।

दफा ६५ उस दशामें कार्रवाई जबकि दस्तावेज उस आराज़ी से सम्बन्ध रखता हो जो कई जिलों में है

१ प्रत्येक सब रजिस्ट्रार को, जो किसी ऐसे गैर-वसीयती दस्तावेजकी रजिस्ट्री कर रहा हो जो उस जायदाद गैर-मनकूला के सम्बन्ध में है जो एक से अधिक जिलों में चाकै है, चाहिये कि वह एक नकल उसकी और एक नकल उसके तस्दीक और सर्टिफिकेट की (अगर कोई हो) मय उस नकशा या खाका की (अगर कोई है), जिसका वर्णन दफा २१ में है, नकल को, उस जिलेको छोड़ जिस में स्वयं उसका परगना चाकै है, प्रत्येक उस जिले के रजिस्ट्रारके पास भेज दे जिसमें ऐसी जायदाद का कोई हिस्सा चाकै हो ।

२ रजिस्ट्रार उन्हें पा जाने पर दस्तावेजकी नकल और उस नकशा या खाका की (अगर कोई हो) नकलको किताब न० १ में फाइल (नत्थी) कर लेगा और उस दस्तावेजकी याददास्त (Memorandum) को अपने मातहत प्रत्येक सब-रजिस्ट्रार के पास, जिसके परगनेमें उस जायदादका कोई हिस्सा चाकै होगा, भेज देगा, और प्रत्येक सब रजिस्ट्रार ऐसी याददास्त को पा जाने पर उसे अपनी किताब न० १ में दर्ज कर लेगा ।

(डी) रजिस्ट्रारके विशेष कर्तव्य

दफा ६६ आराज़ी (ज़मीन) सम्बन्धी दस्तावेजोंकी रजिस्ट्री हो जानेके बाद कार्रवाई

१ जायदाद गैर-मनकूला से सम्बन्ध रखने वाले किसी गैर-वसीयती दस्तावेज की रजिस्ट्री करलेने पर रजिस्ट्रार को चाहिए कि वह ऐसे दस्तावेजकी याददास्त (Memorandum) को अपने मातहत प्रत्येक ऐसे सब रजिस्ट्रारके पास भेज दे जिसके परगने में ऐसी जायदाद का कोई हिस्सा चाकै हो ।

२ उस रजिस्ट्रारको यह भी चाहिए कि वह उस नकशा या खाकाकी (अगर कोई हो), जिसका वर्णन दफा २१ में किया गया है, नकलके सहित ऐसे दस्तावेजकी नकलको प्रत्येक दूसरे ऐसे रजिस्ट्रारको भेज दे, जिसके जिलेमें ऐसी जायदादका कोई हिस्सा चाकै हो ।

३ ऐसा रजिस्ट्रार किसी ऐसी नकलके पा जाने पर उसे अपनी किताब न० १ में फाइल (नत्थी) कर लेगा और उस नकलकी एक याददास्त अपने मातहत प्रत्येक ऐसे सब रजिस्ट्रार के पास भेज देगा, जिसके परगनेमें उस जायदाद का कोई हिस्सा बाँकी हो ।

४ प्रत्येक सब रजिस्ट्रार इस दफाके अनुसार किसी याददास्त (Memorandum) के पा जाने पर उसे अपनी किताब न० १ में फाइल (नत्थी) कर लेगा ।

दफा ६७ दफा ३०, उप-दफा (२) के अनुसार रजिस्ट्री हो जाने के बाद कार्रवाई

दफा ३०, उप-दफा (२) के अनुसार किसी दस्तावेजकी रजिस्ट्री हो जाने पर, ऐसे दस्तावेजकी और उसकी तस्दीक और सर्टीफिकेटकी एक नकल प्रत्येक ऐसे सब-रजिस्ट्रारके पास भेज दी जायगी, जिसके जिलेमें उस जायदाद का कोई हिस्सा बाँकी है जिससे कि उस दस्तावेजका सम्बन्ध है, और ऐसी नकलके पा जाने पर रजिस्ट्रारको यह कार्रवाई करना चाहिए जो उसके लिए दफा ६६, उप दफा (१) में निर्धारित की गई है ।

(ई) रजिस्ट्रारों और इन्स्पेक्टर-जनरलके शासनाधिकार

दफा ६८ सब-रजिस्ट्रारोंके कार्यका निरीक्षण करने तथा उन पर शासन करने के सम्बन्धमें रजिस्ट्रारके अधिकार

१ प्रत्येक सब रजिस्ट्रार दफ्तर सम्बन्धी अपने कामोंको उस रजिस्ट्रारके निरीक्षण और अधीनता (मातहत) में करेगा जिसके जिलेमें ऐसे सब रजिस्ट्रार का दफ्तर बाँकी हो ।

२ प्रत्येक रजिस्ट्रारको यह अधिकार होगा कि वह (फरियाद किए जानेपर अथवा जैसे ही) कोई हुजूम जारी करे, जो इस ऐक्टके अनुकूल हो, और जिसे वह अपने मातहत किसी सब रजिस्ट्रारके किसी काम अथवा भूलके सम्बन्धमें या उस किताब अथवा दफ्तरके विषयमें, जिसमें कोई दस्तावेज रजिस्ट्री किया गया है, किसी भूल (गलती) का खरोधन करनेके सम्बन्धमें दिया हो ।

दफा ६९ रजिस्ट्रीके दफ्तरोंका शासन करने और नियम बनाने के सम्बन्धमें इन्स्पेक्टर जनरलके अधिकार

१ इन्स्पेक्टर जनरलका उन प्रदेशोंमें सभी रजिस्ट्रीके दफ्तरों पर शासन होगा जो राष्ट्रीय सरकारके अधीन हैं, और उन्हे समय समय पर ऐसे नियम बनानेका अधिकार होगा जो इस ऐक्टके अनुकूल हों ।

- (ए) क़िताबों, कागज़ात और दस्तावेज़ोंको सुरक्षित रखनेके लिए,
 (बी) इस बातका एलान करने के लिए कि कौन सी भाषाय (जवानें) प्रत्येक जिलामे आम तौर पर प्रयोगमें लाई जायगी,
 (सी) इसबातका एलान करने के लिए कि कौन कौनसे भूमि भाग दफ़ा २१ के अनुसार मान लिए गए समझे जायगे,
 (डी) उन जुर्मानोंकी रकमोंको नियमित करनेके लिए, जोकि क्रमशः दफ़ा २५ और २४ के अनुसार किए गए हैं,
 (ई) उन अधिकारोंके प्रयोगको नियमित करने के लिए, जो रजिस्ट्री करने वाले अफसरोंको दफ़ा ६३ के अनुसार दिए गए हैं,
 (एफ) उन फार्मोंको निश्चित करने के लिए, जिनमें कि रजिस्ट्री करने वाले अफसरोंको दस्तावेज़ोंकी याददाश्त लिखनी चाहिये,
 (जी) रजिस्ट्रारों तथा सब-रजिस्ट्रारों द्वारा उन क़िताबोंकी सही की जाने के नियम निश्चित करने के लिए, जो क़िताबे उनके दफ़तरोंमें दफ़ा ५१ के अनुसार रखी जायगी,
 (एच) इस बातका एलान करनेके लिए कि क्रमशः १, २, ३ और ४ नम्बर की फेहरिस्तमें कौन कौनसी बातें लिखी जानी चाहिये,
 (आई) उन छुट्टियों का एलान करने के लिये जो रजिस्ट्री के दफ़तरों में मनाई जायगी ।
 (जे) आम तौरसे रजिस्ट्रारों तथा सब रजिस्ट्रारों की कार्रवाइयों को नियम बद्ध करनेके लिए ।

२ जो नियम इस प्रकार बनाये जायगे, वे स्थानीय सरकारके पास मंजूरीके लिए भेजे जायगे, और स्वीकृत हो जाने पर वे सरकारी गजटमें प्रकाशित किए जायगे, तथा प्रकाशित हो जाने पर उनका वही प्रभाव होगा मानो वे इसी ऐक्टके अनुसार बनाए गए हों ।

दफ़ा ७० जुर्माना माफ़ करने के सन्बन्धमें इन्स्पेक्टर-जनरल का अधिकार

इन्स्पेक्टर-जनरलको अधिकार है कि वह अपने अधिकारका प्रयोग करके, दफ़ा २५ या दफ़ा ३४ के अनुसार किए गए किसी जुर्माना और रजिस्ट्रीकी उचित फीसकी रकमके बीच जो अन्तर पड़ता है, उसे सम्पूर्ण (फुल) या थोड़ा (जुज) माफ़ कर दे ।

वारहवां प्रकरण

रजिस्ट्री करनेसे इन्कार किये जानेके विषयमें

दफा ७१ रजिस्ट्री करने से इन्कार किए जाने के कारण लिखे जाने चाहिये

१ प्रत्येक सब रजिस्ट्रारको चाहियेकि, जब वह सिचाय इस बिना पर कि जिस जायदादमे उसका सम्बन्ध है वह जायदाद उसके परगनेमें चाके गही है, किसी दस्तावेजकी रजिस्ट्री करने से इन्कार करे तो, उस इन्कारके सम्बन्धमें अपना हुक्म दे और ऐसे हुक्मके कारणोंको अपनी किताब न० २ में दर्ज करे, तथा उस दस्तावेजकी पीठ (पुस्त) पर "रजिस्ट्री किए जानेसे इन्कार की गई" ये शब्द लिख देने चाहिये, और किसी ऐसे आदमी द्वारा दरखास्त दिए जाने पर जिसने कि दस्तावेज लिया (तक्रमीलकी) है या जो उसके अनुसार दावेदार है, बिना किसी फीस और अनावश्यक चिलमपके इस प्रकार लिखे गए कारणों की नफ़ल दे दी जायगी।

२ कोई भी रजिस्ट्री करने वाला अफसर उस दस्तावेजको जिसकी पुस्त पर इस प्रकार इन्कारका हुक्म दिए दिना गया है, रजिस्ट्रीके लिए उस समय तक मजूर नहीं कर सकेगा, जब तक कि इसके बाद चतलाए हुए नियमोंके अनुसार उस दस्तावेजकी रजिस्ट्री का हुक्म न दे दिया गया हो।

दफा ७२ उन दशाओंके आतिरिक्त, जबकि दस्तावेजके लिखे (तकमील किये) जाने से इन्कार कर दी गई है, सब-रजिस्ट्रार द्वारा दिये गये रजिस्ट्रीकी इन्कारके हुक्मके विरुद्ध रजिस्ट्रारके पास अपील

१ सिचाय उस दशाके जब कि दस्तावेजके लिखने (तकमील किए जाने) से इन्कार किये जाने के कारण रजिस्ट्री करनेसे इन्कार कर दी गई हो सब रजिस्ट्रारके उस हुक्मकी, जिसमें उसने दस्तावेजकी रजिस्ट्री करने से इन्कार कर दी है (चाहे ऐसे दस्तावेजकी रजिस्ट्री अनिवाय हो अथवा वैकल्पिक), अपील उस रजिस्ट्रारके यहा की जा सकेगी जिसके कि वह सब रजिस्ट्रार मातहत है, अगर वह ऐसे रजिस्ट्रारके पास उस हुक्मकी तारीखसे तीस दिन के भीतर पेश की गई हो, तो रजिस्ट्रारको अधिकार होगा कि वह उस हुक्मकी चाहे मसख़ करे या बदल दे।

२ अगर रजिस्ट्रार अपने हुक्म में उस दस्तावेज की रजिस्ट्री किए जाने की आज्ञा देता है और ऐसे हुक्मके दिए जानेकी तारीख से तीस (३०) दिनोंके भीतर वह दस्तावेज बाकायदा रजिस्ट्री के लिए पेश किया जाता है, तो सब रजिस्ट्रार को वह हुक्म मानना चाहिए, और फिर, जहां तक सम्भव हो, दफा ५८, ५९ और ६० में बतलाई हुई कार्रवाई करने चाहिए, और इस रजिस्ट्री का यही प्रभाव होगा मानो वह दस्तावेज उसी समय रजिस्ट्री कर लिया गया था, जब कि वह पहले पहल रजिस्ट्री के लिए बाकायदा पेश किया गया था ।

दफा ७३ जब सब-रजिस्ट्रार दस्तावेजके, लिखे जाने से इन्कार करने के कारण, रजिस्ट्री करने से इन्कार करे, उस समय रजिस्ट्रारको दरखास्त

१ जब किसी सब रजिस्ट्रार ने किसी दस्तावेज को इस बिना पर रजिस्ट्री करनेसे इन्कार कर दिया हो कि कोई आदमी, जिसकी लिखी (तकमील की गई) हुई वह बतलाई जाती है, या उसका प्रतिनिधि अथवा मुन्तकिल अलेह उसके लिखे जाने से इन्कार करता है, तो कोई आदमी, जो उसके अनुसार दावेदार है उसका प्रतिनिधि, मुन्तकिल अलेह अथवा कानिन्दा, जिसे उपरोक्त रीति से इसका अधिकार दिया गया हो, इनकारी का हुक्म दिए जाने के बाद तीस (३०) दिन के भीतर उस दस्तावेज के रजिस्ट्री करा पाने के अपने अधिकार को स्थापित करने की गरज से उस रजिस्ट्रार को दरखास्त दे सकता है जिसके कि वह सब रजिस्ट्रार मातहत है ।

२ यह दरखास्त लिखित (तहरीरी) होनी चाहिए और इसके साथ उन कारणा की एक नकल होगी, जो दफा ७१ के अनुसार दर्ज रजिस्टर किए गए हैं, और उस दरखास्त में लिखी गई बातों की तसदीक सायल को इस तरह पर करनी चाहिए जैसा कानून के अनुसार अर्जीदावा की तसदीक के लिए आवश्यक है ।

दफा ७४ ऐसी दरखास्तके ऊपर रजिस्ट्रार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई

ऐसी दशा में, और उस दशामें भी जब ऐसी इन्कारी, जिसका कि ऊपर वर्णन है, किसी दस्तावेज के सम्बन्ध में, जो उसके सामने रजिस्ट्री के लिए पेश किया गया है, किसी रजिस्ट्रार के सामने की गई हो, तो रजिस्ट्रार को चाहिए कि जितनी जल्दी सुगमता के साथ हो सके वह नीचे लिखी बातों को दर्शाए कर ले —

(ए) क्या दस्तावेज लिखा (तकमील किया) गया है ?

(बी) क्या सायल अथवा उस व्यक्ति ने जो दस्तावेज को रजिस्ट्रीके लिए पेश कर रहा है, जैसी कुछ अवस्था हो, उन बातोंकी तामील कर

ली है जो उस समय प्रचलित किसी भी कानून के अनुसार आवश्यक है, जिसे दस्तावेज रजिस्ट्री के काबिल हो सके।

दफा ७५ रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री किये जानेके हुक्मका दिया जाना और उसके ऊपर कार्रवाई

१ अगर रजिस्ट्रार को यह मालूम होजाय कि दस्तावेज लिया गया है और यह कि उपरोक्त आवश्यक बातों की तमील करली गई है, तो यह दस्तावेज की रजिस्ट्री चिण जाने के लिए हुक्म दे देगा।

२ अगर ऐसे हुक्म के दिए जाने के बाद तीस (३०) दिन के भीतर दस्तावेज रजिस्ट्री के लिए बाकायदा पेश किया गया हो तो रजिस्ट्री करने वाले भफसर को चाहिए कि वह उस हुक्म का पालन करे और फिर, जहा तक सम्भव हो उस कार्रवाई को आरम्भ कर दे, जो दफा ५८, ५९ और ६० में बतलाई गई है।

३ ऐसी रजिस्ट्रीका वही प्रभाव होगा मानो वह दस्तावेज उसी समय रजिस्ट्री कर लिया गया था जिस समय वह पहिले पहल बाकायदा रजिस्ट्री के लिए पेश किया गया था।

४ रजिस्ट्रार को अधिकार होगा कि वह दफा ७४ के अनुसार की जाने वाली किसी जाच (Enquiry) की गरज से गवाहों को बजरिये सम्मन तटप करे और उन्हे दायिर हान के लिए जोर डाले तथा उन्हे गवाहा (शहादत) देने के लिए बाध्य करे, माग वह अदालत दीवानी है और उसे यह भी अधिकार होगा कि वह इस बातका निर्दरा करे कि कौन राहुस ऐसी किसी जाच, (Enquiry) का पूरा अथवा कुछ अंशमें खर्चा अदा करेगा, तथा ऐसा खर्चा उसी प्रकार वसूल किया जायगा मानो वह जायता दीवानी सन् १९०८ ई० के अनुसार किसी मुकद्दम में दिलाया गया हो।

दफा ७६ रजिस्ट्रार द्वारा इन्कारिके हुक्मका दिया जाना

१ प्रत्येक रजिस्ट्रारको,—

(ए) जिसने किसी दस्तावेज की रजिस्ट्री करने से, सिवाय इस बिना पर कि जिस जायदाद से उसका सम्बन्ध है वह उसके जिले में बाकै नहीं है, अथवा इस बिना परकि उस दस्तावेजकी रजिस्ट्री किसी सब-रजिस्ट्रारके दफ्तर में होनी चाहिए, इन्कार कर दिया हो, या

(धी) जिसने दफा ७४ अथवा दफा ७५ के अनुसार किसी दस्तावेज की रजिस्ट्री का हुक्म देने से इन्कार कर दिया हो,

चाहिए कि वह इस इन्कारिके सम्बन्ध में हुक्म दे और इस हुक्म के कार्रवाियों को अपनी चिताप न० २ में दर्ज करे, और किसी ऐसे आदमी द्वारा,

चौदहवाँ प्रकरण

दण्डके विषयमें

दफा ८१ हानि पहुँचानेके इरादे से गलत तौर पर दस्तावेजों की तसदीक करने, नकल करने; अनुवाद तथा रजिस्ट्री करनेके लिये दण्ड

प्रत्येक रजिस्ट्री करने वाला अफसर, जो इस ऐक्टके अनुसार नियुक्त किया गया हो, तथा प्रत्येक ऐसा आदमी, जो इस ऐक्टके अनुसार किए जाने वाले कामों के लिए उसके दफतर में नियुक्त किया गया हो और जिसे इसका नियमानुसार ऐसा किए गए या दाखिल (जमा) किए गए किसी दस्तावेजकी तसदीक, नकल अनुवाद या रजिस्ट्री करने का काम लिपिबद्ध किया गया हो, यदि वह उस दस्तावेजकी तसदीक, नकल, अनुवाद या रजिस्ट्री करने में गलत करता है जिस वजह जानता है, या उसका विश्वास है, कि वह गलत है, और इस तरह पर किसी आदमीको कोई ऐसी हानि पहुँचाता है या यह जानता है कि उस ऐसा हानि पहुँचानेकी सम्भावना है जिसका पारभाषा तजारात हि दमे की गई है तो, ऐसा मुदतकी सजा के, जो सात वर्ष तककी हो सकती है, या जुर्माना अथवा दोनों के, दण्डका भागी होगा।

दफा ८२ गलत बयान करने, झूठी नकलें और अनुवाद देने, झूठमूठ कोई दूसरा आदमी बन जाने तथा किसीको अपराधके लिये उद्यत करनेके लिये दण्ड

जो कोई भी शख्स—

(ए) किसी ऐसे अफसरके सामने, जो इस ऐक्टके नियमानुसार कार्य कर रहा हो, इस ऐक्टके अनुसार की जाने वाली कार्रवाई या जाचम जाज-बुझकर कोई गलत (झूठा) बयान देगा, वह चाहे हलफके साथ हो या न हो और चाहे वह लिख लिया गया हो या न लिख गया हो, या

(बी) दफा १९ या दफा २१ के अनुसार किसी कार्रवाईमें किसी रजिस्ट्री करने वाले अफसरको किसी दस्तावेजकी झूठी नकल या अनुवाद या किसी नकल या खाकाकी झूठी नकल देगा, या

- (खी) झूठमूठ दूसरा आव्मी होनेका बहाना करता है, और ऐसे कदिरत (फर्जी) बेपम, किसी दस्तावेज को पेश करता है, या कोई स्वीकृति या बयान देता है, या कोई सम्मन या कमीशन जारी करवाता है, या इस ऐक्टके अनुसार की जाने वाली किसी कारवाई या जाचके सम्बन्धमें कोई ओर ऐसा ही काम करता है, या
- (बी) किसी ऐसे काममें सहायक होता है जो इस ऐक्टके अनुसार दण्ड के योग्य (क्रायिबल सजा) है;

बह उतनी मुद्दतकी कैदकी सजाके जो सात वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने या दोनोंके दण्डका भागी होगा ।

दफा ८३ रजिस्ट्री करने वाले अफसरको मुकद्दमा चलाने का अधिकार

१ इस ऐक्टके अनुसार किए गए किसी अपराधके बारेमें, जिसका ज्ञान (इलम) किसी रजिस्ट्री करने वाले अफसरको बहसियत ऐसे अफसर के प्राप्त हो, चलाये जाने वाले मुकद्दमेमें, कार्रवाई, इन्स्पेक्टर-जनरल, सिधके वाच, इन्स्पेक्टर जनरल, रजिस्ट्रार अथवा सब रजिस्ट्रारके द्वारा या उनकी आज्ञासे, जिनके प्रांत, जिला अथवा परगनेमें, जैसी कुछ अवस्था हो, वह अपराध किया गया है, आरम्भ की जा सकती है।

२ उन अपराधोंके मुकद्दमे, जो इस ऐक्टके अनुसार दण्डके योग्य हैं कोई ऐसी अदालत या कोई ऐसा हाकिम कर सकेगा जिनके अख्तियारमें मजिस्ट्रेट दर्जा दीयमके अख्तियारमें, काम न हा।


दफा ८४ रजिस्ट्री करने वाले अफसर सार्वजनिक नौकर (Public Servant) समझे जायंगे

१ प्रत्येक रजिस्ट्री करने वाला अफसर जो इस ऐक्टके अनुसार नियुक्त किया गया हो तात्काल ही इन्के अर्थमें सार्वजनिक नौकर (Public Servant) समझा जायगा ।

२ प्रत्येक आव्मी रजिस्ट्री करने वाले ऐसे अफसरको, जब वह उसे पेशा करनेके लिये कहे, समाचार पहुँचानेके लिए कानूनन बाध्य होगा ।

३ तात्काल ही हिन्दी दफा २८८ में "अदालती कार्रवाई" शब्दमें इस ऐक्टके अन्तर्गत की जाने वाली कोई कार्रवाई शामिल समझी जायगी ।

पन्द्रहवां प्रकरण



विविधि



दफा ८५ जिन दस्तावेजों का कोई दावेदार न हो उनका नष्ट कर दिया जाना

वे दस्तावेजात (जो वसीयत नामा नही है,) जो किसी रजिस्ट्री के दफ्तरमें दो साल से अधिक समय तक इस प्रकार पड़े रहेकि उनका कोई दावेदार खड़ा न हो, नष्ट कर दिए जायगे ।

दफा ८६ रजिस्ट्री करने वाला अफसर किसी ऐसी बात के लिए उत्तरदायी नहीं है, जिसे उसने बहसियत ऐसे अफसर के नेक-नीयतीसे किया हो या इन्कार कर दिया हो

किसी भी रजिस्ट्री करने वाले अफसर के ऊपर कोई नालिश, दावा या मतालिवा किसी ऐसी बातके कारण नहीं किया जा सकेगा जिसे उसने बहसियत ऐसे अफसरके नेक नीयती से किया या इन्कार कर दिया है ।

दफा ८७ इस तरह पर की गई कोई भी बात नियुक्ति अथवा कार्रवाई में किसी त्रुटि के कारण नाजायज़ नहीं समझी जायगी

कोई भी बात जो किसी रजिस्ट्री करने वाले अफसर ने, इस ऐक्ट के या किसी ऐसे ऐक्ट के अनुसार किया हो जो इस ऐक्ट के अनुसार अब मसूख होगया है, नेकनीयती से किया हो केवल इस कारण से वाजायज़ न समझी जायगी कि उसकी नियुक्ति अथवा कार्रवाई में कोई त्रुटि है ।

दफा ८८ उन दस्तावेजों की रजिस्ट्री जिन्हें सरकारी अफसरों या सार्वजनिक कार्य-कर्ताओं ने लिखा हो

यद्यपि इस ऐक्ट में कोई बात ऐसी हो, तो भी किसी सरकारी अफसर के द्विपे या बगाल, मद्रास या बम्बई के प्रेडमिनिस्ट्रेटर जनरल के द्विपे या किसी

आफिशियल टूट्टी या आफिशियल असाइनीके लिए या, फ़िल्ली हार्डमोर्टके रजिस्ट्रार शेरिफ़ (Sheriff) या रिसेवर के लिए यह आवश्यक न होगा कि वह फ़िल्ली ऐसे दस्तावेजके सम्बन्धमा जिसे उसने घट्टिसिपत ऐसे गदाधिकारी (ओहदेदार) के लिखा है, होने वाली कार्रवाई म स्वयं (अचालतन) या बजरिफ़ अपने कारिन्दे के किसी रजिस्ट्री के दफ़तर मं हाजिर हो या दफा ५८ मं घट्टाए अनुसार हस्ताक्षर (दस्तख़त) करे।

२ जब कोई दस्तावेज इस तरह पर लिखा गया हो तो रजिस्ट्री करने वाला अफसर, जिसके सामने वह दस्तावेज रजिस्ट्री के लिए पेश किया गया हो, अगर वह उचित समझे तो, उसके सम्बन्ध म सूचना प्राप्त करने के लिए राज-मन्त्री (गवर्नमेंटके किसी सिंक्रटरी) के पास या ऐसे सरकारी अफसर, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल, आफिशियल टूट्टी, शेरिफ़ (Sheriff) रिसेवर या रजिस्ट्रारके पास उस मामले को भेज सकता है और उसके लिये जाने (तकमोल) के सम्बन्ध म इतमोनान कर लेने पर वह उस दस्तावेज की रजिस्ट्री कर देगा।

दफा ८९ कुछ हुस्मों, सार्टीफिकेटों तथा दस्तावेजों की नक़लों का रजिस्ट्री करने वाले अफसर के पास भेजा जाना और उनका फाइल किया जाना

१ प्रत्येक ऐसे अफसर को, जो लैण्ड इम्पूवमट ऐक्ट सन् १८८३ ई० के अनुसार किसी क़ेज की मजूरी दे रहा हो, चाहिए कि वह अपने हुकम की एक नक़ल उस रजिस्ट्री करने वाले अफसरके पास भेजदे जिसके शासनाधिकार की स्थानीय सीमा के भीतर कुछ भूभाग उस आराज़ी का, जिसकी उन्नति करना है, या उस आराज़ी का, जो बतौर उसकी क़िफ़ालत मजीद के बीजानी है, बाँके है; और ऐसा रजिस्ट्री करने वाला अफसर उस नक़ल को अपनी क़िताब न० १ में फाइल (नथी) कर देगा।

२ प्रत्येक ऐसी अदालत को, जो जाबता दीवानी सन् १९०८ ई० के अनुसार फ़िल्ली जायदाद गैर-मनक़ूला की नीलाम का सर्टीफिकेट दे रही हो, चाहिए कि वह ऐसे सर्टीफिकेट की एक नक़ल उस रजिस्ट्री करने वाले अफसर को भेज दे जिसके शासनाधिकार की स्थानीय सीमा के भीतर उस जायदाद गैर मनक़ूलाका कुछ या कोई हिस्सा बाँके है जो इस सर्टीफिकेट में शामिल है, और ऐसा रजिस्ट्री करने वाला अफसर उस नक़ल को अपनी क़िताब न० १ में फाइल (नथी) कर लेगा।

३ प्रत्येक ऐसे अफसर को, जो ऐम्प्लोयमेंटरिस्ट्स लोन्स ऐक्ट सन् १८८५ ई० के अनुसार किसी क़ेज की मजूरी दे रहा हो, चाहिए कि वह उस दस्तावेजकी, जिसके अनुसार क़र्ज़ के वापस दिला पाने के लिए जायदाद गैर मनक़ूला रहन की गई है, एक नक़ल और, अगर क़र्ज़की मजूरी देने वाले हुकममें उसी कामके लिये

ऐसी कोई जायदाद रेहन की गई है तो, उस हुजूम की भी एक नकल उस रजिस्ट्री करने वाले अफसर के पास भेज दे जिसके शासनाधिकार की स्थानीय सीमा के भीतर इस प्रकार रेहन की गई जायदाद का कुछ या कुछ हिस्सा बाँके है, और वह रजिस्ट्री करने वाला अफसर उस नकल या उन नकलों को, जैसी कि अवस्था हो, अपनी किताब न० १ में दर्ज कर लेगा।

४ प्रत्येक रेविन्यू अफसर को जो उस जायदाद गैर-मनकलाके खरीदार को नीलामका सार्थीफिकेट दे रहा हो जो आम नीलाममें फरोखत कागई है चाहे कि ऐसे सार्थीफिकेट की एक नकल उस रजिस्ट्री करने वाले अफसर के पास भेज दे जिसके शासनाधिकार की स्थानीय सीमा के भीतर सार्थीफिकेट में शामिल जायदाद का कुछ या कुछ हिस्सा बाँके है, और वह रजिस्ट्री करने वाला अफसर उस नकल को अपनी किताब न० १ में फाइल (नथी) कर लेगा।

वे कागजात जिनपर यह ऐक्ट लागू नहीं है

दफा ९० सरकार द्वारा या उसके हकमें लिखे गए कुछ दस्तावेजों का अलगाव

१ इस ऐक्ट में या इण्डियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट सन् १८७७ ई० में या इण्डियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट सन् १८७९ ई० में या किसी ऐक्टमें, जो उसके अनुसार मसखूर कर दिया जा चुका है, कोई भी बात ऐसी न समझी जायगी जिसके अनुसार नीचे लिखे किसी दस्तावेज या नकल की रजिस्ट्री की आवश्यकता हो या हुई हो, अर्थात्—

(ए) उन दस्तावेजों (कागजात) की जिनको किसी ऐसे अफसर (हाकिम) ने जमा किया हो, प्राप्त किया हो, या तस्दीक किया हो जो मालगुजारी का बन्दोबस्त करने या बन्दोबस्त की दोहराने में लगा हुआ हो और जो दस्तावेज ऐसे बन्दोबस्त के कागजात का एक हिस्सा हो, या

(बी) उन दस्तावेजों और नकलों की जिनको किसी ऐसे अफसर ने जारी किया हो, प्राप्त किया हो या सही किया हो जो सरकार की ओर से किसी आराजी (जमीन) की पैमायश करने या पैमायश की दोहराने में लगा हुआ हो, और जो दस्तावेज ऐसी पैमाइश के कागजात का एक हिस्सा हो ;

(सी) उन कागजात की जो उस समय प्रचलित किसी कानून के अनुसार एक निश्चित समय पर पटवारी लोग या दूसरे अफसर, जिनको गांवके स्याहा तैयार करके का काम सिपुद किया गया है, किसी दफ्तर (Revenue office) में दाखिल किया करते हैं, या

(डी) उन सनदों, इनाम के लेख पत्रों (Inam titles deeds) तथा दूसरे ऐसे कागजातों की जो सरकार द्वारा जमीन के या जमीन में किया

(१३९)

हुफ़ के सम्बन्ध में दिए गए दान पत्र (Grant) या दस्तावेज इन्तकाल हैं या प्रमाणित होते हैं, या

(६) बम्बई लेण्ड रेविन्यू ऐक्ट सन् १८७९ ई० दफा ७४ या दफा ७६ के अनुसार दखीलदारों द्वारा दिए गए अपनी दखल के इस्तीफों की या ऐसी जमीन के जमीन्दारों द्वारा किए गए इन्तकाल आराजी की नोटिसों की ।

२ ऐसे सभी कामजाते (दस्तावेजाते) और नकशे दफा ४८ और ४९ के प्रयोजनों के लिए इस ऐक्ट के नियमोंनुसार रजिस्ट्री किए गए हुए और रजिस्ट्री किए जाने वाले समझे जायग ।

दफा ९१ ऐसे दस्तावेजातका निरीक्षण और नकलें

ऐसे नियमों पर और ऐसी फीस के पेशगी बेदा कर दिए जाने पर, जिन्हें श्यामीय सरकार इस सम्बन्ध में निर्धारित (निर्दिष्ट) कर, सभी वे दस्तावेजात (क गजात) और नकशे जिनका दर्जन दफा ९०, वर्णन (ए), (बी), (सी) और (६) में किया गया है और दस्तावेजात के सभी रजिस्ट्रर जिनका दर्जन वर्णन (डी) में किया गया है, उन सभी आदमियों को देखने के लिए खुले रहग जो इसके लिए दखलस्त ह, और उन्हीं बातों की पाबन्दी में रहते हुए जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है, ऐसे दस्तावेजात की नकलें उन सभी आदमियों को दी जायगा जो उनका लिए दखलस्त करें ।

दफा ९२ ब्रह्मा के रजिस्ट्री के नियमोंकी स्वीकृति

इण्डियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट सन् १८७७ ई० के आरम्भ होने से पूर्व रजिस्ट्री सम्बन्धी जिन नियमों का प्रयोग होअर चला (ब्रह्मा) में किया जाता था वे क नून समझे जायगे, और उपरोक्त विधी नियम के अनुसार की गई किसी बात को रुक रुक मंत्रिणा अफसर या दूसरे आदमियों को निरुद्ध कोई नालिख या कार्य कोई न की जा सकेगी ।

मंसूखी

दफा ९३ मंसूखी

१ परिशिष्ट भाग में बतलाए हुए कानून का उतना अंश मंसूख किया जाता है जितका विवरण उसका साथे कालम में दिया हुआ है ।

२ उस दफा में कोई भी बात ऐसी न समझी जायगी जो किसी ऐसे कानून के नियमों पर कोई प्रभाव डाल सके, जो (कानून) ब्रिटिश भारत के किसी भी भाग में प्रचलित है और जो संघटत इस ऐक्ट के अनुसार मंसूख नहीं किया गया है ।

पैदा करता है जो, जब कि उसकी तकमील होजायगी, किसी भी ऐसे हकीयत या हिस्से को पैदा करेगा, एलान करेगा, मुन्तकिल करेगा, सीमाबद्ध करेगा या नष्ट करेगा, या

(६) किसी अदालत की किसी डिकरी या हुक्मके सम्बन्धमें या किसी पचायती फैसला के सम्बन्धमें, या

(८) किसी मुह्तमिम माल (Revenue officer) द्वारा किए गए घटनाके दस्तावेज के सम्बन्ध में, या

(११) किसी दस्तावेज रेहननामा की पुरतपर कीगयी तहरीर जहरी (Endowment) के सम्बन्ध में जिससे जर-रेहन के फुल या किसी हिस्से की अदायगी को स्वीकार किया गया हो, या किसी दूसरी रसीद के सम्बन्ध में, जो किसी रेहननामा की चाबत वाजिब रुपये की निस्वत लिखी गई हो, जब कि रसीद का माला उस रेहननामा को नष्ट कर देने का न हो; या

(१२) किसी भी नीलाम के सार्थेफिकट के सम्बन्ध में जो किसी दीवानी या माल के हाकिम द्वारा नीलाम कीगई जायदाद के खरीदार को दिया गया हो ।

[कलॉज २, ३, ४, ७, ९, और १० के लिए देखो दफा १७ रजिस्ट्रेशन ऐक्ट]

३ किसी लड़के को गोद (दत्तक) लेने के लिए दिए गए अधिकार पत्र की भी, जो तारीख १ जनवरी सन् १८७२ ई० के बाद लिया गया हो और जो वसीयत के जरिये दे न दिया गया हो, रजिस्ट्री की जानी चाहिए (देखो दफा १७ रजिस्ट्रेशन ऐक्ट)

जिन दस्तावेजोंकी रजिस्ट्री इच्छा पर निर्भर (मुताअदी) है

उनका वर्णन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट कीदफा १८ में किया गया है । वे ये हैं—

(ए) वे दस्तावेज (सिवाय हिबानामा और वसीयतनामा के) जो किसी जायदाद गैर मनकूला में या उसके लिए एक सौ रुपया से कम की मालियत के किसी हक, हकीयत या हिस्से को चाहे वह प्राप्त (हासिल-मुद) हो या उसपर निर्भर (Contingent) हो पैदा करता हो, एलान करना हो, मुन्तकिल करता हो, सीमाबद्ध करता हो या नष्ट करता हो या जिसका मशा ऐसा करने का हो, फिर वह चाहे वर्तमान समय के लिए हो या भविष्य के लिए,

(बी) वे दस्तावेज जो ऐसे किसी हक, हकीयत या हिस्से के पैदा किए जाने, एलान किए जाने, मुन्तकिल किए जाने, सीमाबद्ध किए जाने या नष्ट किए जाने के बदले में कीगई रुपये की वसूलपाची या अदायगी को स्वीकार करता हो;

- (सी) किसी मुद्दा के लिए, जो एक साठ से अधिक न होगी, किए गए जायदाद गैर मनकूला के पट्टे, और वे पट्टे जो दफा १७ के अनुसार छोड़ दिए गए हैं,
- (डी) वे दस्तावेज (निःशुल्क घसीयतनामा के) जो किसी जायदाद मनकूला में या उसके लिए किसी हक, हकीयत या हिस्से को पैदा करता हो, एलान करता हो, मुन्तकिल करता हो, सीमाबद्ध करता हो या नष्ट करता हो या उसका मूला ऐसा करने का हो,
- (ई) घसीयतनामा, और
- (एफ) तमाम ऐसे दूसरे दस्तावेज जिनकी दफा १७ के अनुसार रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है [दफा १८ रजिस्ट्रेशन ऐक्ट],

ब्याख्या—दफा १७ एक ऐसी दफा है जो मनुष्य को विवश कर देती है। दफा १७ और १८ का जो सम्मिलित प्रभाव है वह स्पष्ट है इस प्रकार है—जायदाद गैर मनकूला के दिवानामों की रजिस्ट्री जरूरी है, फिर उन की रकम चाहे कुछ भी हो। दिवा की परिभाषा कानून-इन्तकाल जायदाद की दफा १२२म की गई है। कानून इन्तकाल जायदाद की दफा १२३के अनुसार दस्तावेज दिवानामा के ऊपर कमसे कम दो गवाहों की तस्दीक भी दानी चाहिए जैसा कि रेहननामा में होता है (देखो कानून इन्तकाल जायदादकी दफा १२३] जायदाद मनकूला रजिस्ट्रीशुद्ध दस्तावेजके जरिये दिवाकी जा सकती है और जायदादको हवाले करके। जायदाद गैर मनकूला की मुन्तकिली के दूसरे दस्तावेजों की अर्थात् जो किसी हक (Right) या हकीयत (Title) को पैदा करते हैं, एलान करते हैं, मुन्तकिल करते हैं, सीमाबद्ध करते हैं या नष्ट करते हैं, उदाहरणार्थ, दस्तावेज बयनामा, रेहननामा, बदलाव, हवालगी और दस्तबर्दारी (Release) इत्यादि की, भी रजिस्ट्री अवश्य की जानी चाहिए, अगर उस जायदाद की मालियत १००) रु० या उससे अधिक हो। अगर मालियत १००) से कम है, तो उसकी रजिस्ट्री इच्छापर निर्भर करती है अर्थात् वह लाजिमी नहीं मुताबदी है, सिवाय रेहनसादा के जिसकी रजिस्ट्री कराना जरूरी है, चाहे उसकी मालियत १००)रु० से कम क्यों न हो [देखो कानून इन्तकाल जायदादकी दफा ५९], उपरोक्त नियमोंके परिणाम स्वरूप उन दस्तावेजोंकी भी रजिस्ट्री जरूर कराई जानी चाहिए जिनसे १००) रु० या उससे अधिक की मालियत की जायदाद गैर मनकूला के ऐसे किसी हक या हकीयत के पैदा किए जाने, मुन्तकिल किए जाने, नष्ट किए जाने इत्यादि के बदले में की गई किसी रकम की वसूल-याची को स्वीकार किया गया हो। उदाहरण के लिए वह रसीद जो किसी जायदाद गैर मनकूला के दारादार की ओर से उसके बेचने वाले (Vendor) को उस रुपये की रायत, जोकि दुबारा खरीद की रायत दिया गया है, इस शर्त के साथ दी गई हो कि इस दुबारा फरोख्त (Resale) की निश्चत पर स्टाम्प लगा हुआ दस्तावेज लिख दिया जायगा, देखो 21 B 533 इसी प्रकार वह रसीद भी जो सर्वहिन के अधिकारों (हकूत) को नष्ट कर दिए जाने के

लिए कीगई जर-रेहन की अदायगी के लिए दीगई हो, देखो 6 A 335, लेकिन जर-रेहन के किसी एक हिस्से की अदायगी की रसीद नही, देखो 40 I. C. 893 (M), 3 M 53 अगर मालियत १०० रु० से कम है, तो ऐसे दस्तावेजों की रजिस्ट्री कराना इच्छापर निर्भर करता है।

जायदाद गैर-मनकूला के सालाना पट्टों, या किसी मुद्दत के, जो एक साल से अधिक न हों, पट्टा अथवा ऐसे पट्टों की, जिनसे सालाना लगान (या किराया) की रक्षा होती है, रजिस्ट्री अनिवार्य (लाजिमी) है [देखो दफा १७ (डी), रजिस्ट्रेशन ऐक्ट] यह क्लॉज कानून इन्तकाल जायदाद की दफा १ के पैरा १ के समान है जो ज़िराअती पट्टों के सम्बन्ध में लागू नहीं होता। पट्टा (Lease) की परिभाषा कानून-इन्तकाल जायदाद की दफा १०५ में कीगई है दफा १०७ में पट्टों का उल्लेख है, अर्थात् जायदाद की वाकई मुन्तकिली के पट्टों का पट्टा देने के इक़रारनामा का नही (देखो 25 C. W N 220) रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अनुसार पट्टा (Lease) में मुसन्ना, कबूलियत, जोतने या क़ज़ा करनेके लिए इक़रारनामा और पट्टा देनेका इक़रार भी शामिल है (देखो दफार(७) रजिस्ट्रेशन ऐक्ट), यह बात स्मरण रखना चाहिए कि ऐसे पट्टा के लिखने का इक़रार, जिसकी रजिस्ट्री अनिवार्य (लाजिमी) है, मौजूदा इन्तकाल जायदाद के अनुसार होना चाहिए (देखो 47 C 485 P C, 25 C W N 550, 41 M 899), जायदाद गैर मनकूला के उन पट्टों की रजिस्ट्री जिनकी मुद्दत एक साल से अधिक नहीं है, और उन पट्टों की, जो दफा १७ के अनुसार छोड़ दिए गए हैं, लाजिमी नहीं है बल्कि वह लिखने वाले की इच्छा पर निर्भर करती है।

स्टाम्प ऐक्ट के अनुसार, वह पट्टा, जो किसी काइतकार के सम्बन्ध में घास्ते काइतके लिखा गया हो (इसमें उन दरख्तों का पट्टा भी शामिल है जो खाने या पीने की चीज़ें पैदा करने के लिए दिए गए हों), और जिसमें किसी जुमाने या किस्त की अदायगी या हवाजगी न हो, स्टाम्प से मुस्तसना होगा, जब कि कोई खास मुद्दत जाहिर कर दीगई हो और ऐसी मुद्दत एक साल से जायद न हो, या जब कि सालाना लगान (या किराया) की रकम एक साल से ज्यादा न हो।

गोद लेने सम्बन्धी अधिकार पत्रकी, जो बखीयतनामों में न हो, अवश्य रजिस्ट्री की जानी चाहिए। बखीयतनामा की रजिस्ट्री अनिवार्य (लाजिमी) नहीं है। दफा १७ के क्लॉज (वी) और (सी) में दस्तावेजों की रजिस्ट्री अनिवार्य (लाजिमी) होने के सम्बन्ध में जो नियम बतलाए गए हैं वे उक्त दफा की उप-दफा २ में बतलाए गए दस्तावेजों के सम्बन्ध में लागू नहीं होते।

उन दस्तावेजोंकी रजिस्ट्री न कराने का परिणाम जिनकी रजिस्ट्री अनिवार्य (लाजिमी) है दफा १७ के साथ साथ दफा ४९ के नियमों को भी ध्यान में रख लेना अपावश्यक है जो इस प्रकार है—

“दफा ४९—कोई भी ऐसा दस्तावेज, जिसकी दफा १७ के अनुसार रजिस्ट्री अनिवार्य है—

(ए) उसमें पतलाई हुई किसी भी जायदाद गैर मतकूला पर कोई अक्षर न डाल सकेगा, या

(बी) गौद देने सम्बन्धी कोई अधिकार न दे सकेगा, या

(सी) किसी भी ऐसे मामले के सम्बन्ध में शहादत में न लिया जा सकेगा जिसमें ऐसी जायदाद पर कोई अक्षर पड़ता हो या जिसमें ऐसा अधिकार दिया गया हो, जब तक कि उसकी रजिस्ट्री न होजाय ।

न्याया—दफा ४९ की रजिस्ट्रेशन ऐक्ट की दफा १७ और कानून शहादत की दफा ९१ के साथ पढ़ना चाहिए । “अक्षर पड़ता हो” के सम्बन्ध में देखो 46 M 319 यद्यपि दफा ४९ किसी ऐसे बिना रजिस्ट्री किए हुए दस्तावेज को फुवूल किये जाने से रोकती है जिसकी रजिस्ट्री लाजिमी है, तथापि इसी तरह के दूसरे मामलों में यह फुवूल किया जा सकता है, जैसे यह दिखाने के लिए कि कब्जा कैसा है और फुवूल की तारीख क्या है (देखो 6 M L T 192; 45 A 565),

जन्देश के लिये दस्तावेज पेश करने का समय—घसीघतनामाको छोड़ (देखो दफा २७, रजिस्ट्रेशन ऐक्ट) कोई भी दस्तावेज रजिस्ट्री के लिये लिया जायगा जबतक कि तकमील की तारीख से चार महीने के भीतर न पेश किया गया हो (दफा २३) जब किसी दस्तावेज की तकमील भिन्न भिन्न भादमियों ने भिन्न भिन्न समया पर की हो तो यह हर एक तकमील की तारीख से चार महीने के भीतर रजिस्ट्री (Registration) तथा दुबारा रजिस्ट्री (Re-Registration) के लिये पेश किया जा सकता है (दफा २४) । जब बिलम्ब का कारण कोई अनिवाय घटना हो और चार महीने से अधिक बिलम्ब न हुआ हो तो रजिस्ट्रार, जुर्माना भुका कर देने पर उसे ले सकता है जिसकी तादाद रजिस्ट्री फास की रकम के दशगुने से ज्यादा न होगी (दफा २५) ।

न्याया—जो दस्तावेज पेश किया गया है उसपर तारीख होने की जरूरत नहीं है । मियाद की तारीख सापित करने के लिये कागजी या जबानी शहादत मान ली जा सकती है देखो C L J 126, फरीकून के भाचरणा से मियादकी मुहत्त पर कोई अक्षर नहीं पड़ता देखो 5 C 820 एक दस्तावेज रद्दनामा के तकमील कुनिन्दा ने चार महीने बाद तारीख बदल कर उसकी रजिस्ट्री कराई । अगर यह मान भी लिया जाय कि उसकी रजिस्ट्री बेजा हुई थी राहिन उसमें कोई उज्रदारी नहीं कर सकता देखो 16 C W N. 585, ऐसे दस्तावेजों की रजिस्ट्री राजायज है जो समय के बाद पेश किये गये हों देखो 43 M 288

रजिस्ट्री करानेका स्थान—दफा १७ (१) कलॉज (ए), (बी), (सी) और (डी) तथा दफा १८ के कलॉज (ए), (बी) और (सी) में बतलाए हुए दस्तावेज उस सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में पेश किये जायेंगे जिसके परगने (Sub District) में यह फुल या कुछ जायदाद जिसके सम्बन्ध में यह दस्तावेज है, पाई है (दफा-

२८) । दूसरे दस्तावेज भी किसी ऐसे दफ्तर में पेश किए जा सकते हैं जहाँ फरीकैन उनकी रजिस्ट्री कराना चाहते हों (दफा २९) । खास बजह होने पर किसी शख्स के मकान पर भी रजिस्ट्री की जा सकती है (दफा ३१) ।

व्याख्या—अगर कोई जायदाद, जो दूसरे जिला में बाँकी है, फर्जी तौर पर (Fictitiously) किसी दस्तावेज में इस इरादे से शामिल कर दी गई हो कि उनकी रजिस्ट्री उस जिले में की जाय, यद्यपि दोनों फरीकैन ने कभी भी जान बूझ कर यह इरादा नहीं किया था कि वह जमानत में शामिल की जाय तो रजिस्ट्री नाजायज हो जायगी, देखो 25 C W N 985 P C , 60 I C 833, 48 C 509, 40 M L J 489; इसी प्रकार जब दस्तावेज रेहननामा में बतलाई गई जायदाद का हिस्सा राहिनों की मिलिकयत नहीं था और उसमें सिर्फ इसलिये शामिल कर दिया गया था कि रजिस्ट्रार को उसकी रजिस्ट्री करने का अधिकार पैदा हो जाय तब हुआ कि यह फ़रेब है और इसलिए रजिस्ट्री नाजायज है देखो 46 M 435, 41 C 972, P C ; 55 I C 511, 43 M 436, 49 I C 543, (A) जब किसी दस्तावेज रेहननामा की रजिस्ट्री किसी ऐसे स्थान पर कराई गई हो जहाँ पर उस जायदाद का केवल एक हिस्सा ही बाँकी है यद्यपि वह जायदाद राहिन की न भी हो तो वह अपने ही फ़रेब के काम से फ़ायदा नहीं उठा सकता, देखो 66 I C 681 (A) एक दस्तावेज रेहननामा में दूसरी मद इस लिये शामिल कर दी गई थी कि उस दस्तावेज की रजिस्ट्री राहिन के मकान के पास के स्थान पर कराई जाय, तब हुआ कि यह एक जायज रेहननामा है देखो 38 M L J 251, 58 I C 849; [M], 4 Pat L J 433, 52 I C 446

जिस दस्तावेज की रजिस्ट्री किसी ऐसे स्थान पर की गई हो जहाँ पर उस जायदादका, जिसकी निश्चय वह दस्तावेज लिखा गया है, कोई भी हिस्सा बाँकी नहीं है वह दस्तावेज नाजायज है और शहादत में फुबूल किए जानेक फ़ाविल नहीं है देखो 3 L 242, 41 C 972, 49 I C 343; 26 C W N 369

अगर फ़रेब नहीं किया गया है तो सिर्फ इस बात से कि इन्तकाल कुनिन्दा को उस जायदाद के सम्बन्धमें कोई हज़ीयत हासिल नहीं है जिससे सब रजिस्ट्रार को रजिस्ट्री करने का अधिकार पैदा होता हो वह रजिस्ट्री नाजायज नहीं हो जाती देखो 44 I. C 399, (P), 48 I C 200, A

रजिस्ट्री के लिये दस्तावेज बौन पेश कर सकता है—रजिस्ट्री किए जाने वाले दस्तावेजों को नीचे लिखे आदमों पेश कर सकते हैं—

(ए) वह शख्स जिसने उसकी तकमोल की हो या जो उसकी निश्चय दावेदार हो, अथवा अगर कोई डिकरी या हुकम है तो वह शख्स जो उस डिकरी या हुकम की निश्चय दावेदार हो, या

(बी) ऐसे शख्स का मुन्तकिल अलेह या प्रतिनिधि, या

(सी) ऐसे शहर का मुखतार, प्रतिनिधि या मुन्तकिल अछेह, जिसे बजरिये तहरीरी और तस्दीक हुदः मुखतारनामाके बाकायदा भङ्गपार दिया गया है (दफा ३२) ।

आल्या—“प्रतिनिधि” से तात्पर्य कानूनी प्रतिनिधि से है या दफा २ के अनुसार वली अथवा उन लोगों की कमेटी से है जिनका पूरा पूरा पता व निशान बतलाया गया हो इसमें मुद्दारि या मुखतार शामिल नहीं है । प्रतिनिधियों के सम्बन्ध में दफा ३२ के नियम ताकीदी है देखो 50 C 166 P C, 44 M L J 732, 26 C W N 369 P C, 68 I C 754

दस्तावेज की पुरत पर सब रजिस्ट्रार की ओर से यह लिख दिए जाने से कि दस्तावेज बाकायदा तौर पर उस आदमी द्वारा पेश किया गया है जिसके पास मुखतारनामा मौजूद था, यह अनुमान होता है कि इस मुखतारनामा की वा जायदा तकमील की गई थी देखो 41 A 375 P C, 69 I C 44, 67 I C 315.

किसी ऐसे शहर द्वारा पेश किए जाने से, जिसे रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अनुसार पेश करने का अधिकार नहीं है, दस्तावेज नाजायज हो जाती है, 50 C. 166 P C, 2 L 5, 58 I C 333

जब कोई दस्तावेज किसी शहर ने अपनी ओरसे तथा किसी दूसरे शहर की ओर से लिखा हो, तो उसे उसके पेश करने का पूर्ण अधिकार है देखो 31 C L J 447

रजिस्ट्री एक्ट से इन्कार—अगर कोई शहर किसी दस्तावेज की तकमीली से जो उसके सामने पेश किया है इन्कार कर दे तो सब रजिस्ट्रार उसकी रजिस्ट्री से इन्कार कर देगा [दफा २५ (३) (ए)] अगर सबरजिस्ट्रार ऐसे कर सकने सम्बन्धी अपने अधिकार के अतिरिक्त और किसी कारण से किसी दस्तावेज की रजिस्ट्री ना मंजूर कर दे तो उस इसके लिए कारण लिखना चाहिए और उस दस्तावेज का पुरत पर ये शब्द लिख देन चाहिए कि “ रजिस्ट्री ना मंजूर की गई, ” (दफा ७१) ।

स्वियाप उस दस्तावे में जबकि रजिस्ट्री इस बिना पर नामजूर कर दी गई हो कि दस्तावेज की तकमील से इन्कार कर दी गई है, रजिस्ट्रार के यहा अपील की जा सकती अगर वह तीस दिन के भीतर पेश की गई हो (दफा ७२)

जब सब रजिस्ट्रार ने इस बिना पर रजिस्ट्री करने से इन्कार करदी हो कि दस्तावेज की तकमीली से इन्कार की जाती है तो वह शहर जो इससे नाराज है या उसका प्रतिनिधि तीस दिनके भीतर रजिस्ट्रारको यह दरखास्त दे सकता है कि दस्तावेज रजिस्ट्री करा जाने सम्बन्धी उसका अधिकार मान लिया जाय इस दरखास्त की बाकायदा तस्दीक की जानी चाहिए और उसके साथ दफा ७२ में बतलाई हुई बजहोंकी नकल शामिलकी जानी चाहिये (दफा ७३) । रजिस्ट्रार

इस मामले की जांच करेगा और अगर उसे उस दस्तावेज की तकमीली व निस्वत इतमीनान हो जाय तो दफा ७७ में बतलाये अनुसार उस दस्तावेज पर रजिस्ट्री का हुकम दे देगा

रजिस्ट्रार के रजिस्ट्री से इन्कार कर देने पर दीवानी नालिशा—जब रजिस्ट्रार दफा ७२ या दफा ७६ क अनुसार रजिस्ट्री का हुकम देने से इन्कार कर दिया हो, तब जिस राखस को इससे नाराजी है वह या उसका प्रतिनिधि उस हुकम की तारीख से ३० दिन के भीतर अदालत दीवानी में नालिशा धायर कर सकता है कि दस्तावेज की रजिस्ट्री का हुकम दिये जाने की डिकरी दी जाय (दफा ७७)

दफा १७ निम्न दस्तावेजों का रजिस्ट्री अनिवार्य है—अमालनामा, जिसमें यह व्यवस्था की गई हो कि लगान साल ब साल बढ़ा किया जाय, यह कि भसामी पैमायश और लगान का तस्फिया करे और यह कि पट्टा और कबूली यत एक महीने के भीतर लिख दिए जाय, पट्टा देने का इकरारनामा है और इसलिए उसकी रजिस्ट्री लाजिमी है, देखो 18 C W N 38, 7 Cal 703 F B.

बिना रजिस्ट्री किए हुए हुकमनामा की, जिसपर एक भाना का स्टाम्प लगा हो और जिसका मरा पट्टा (Lease) पैदा करना है जिसकी कोई मुद्दत मुफर्र नहीं है और जिसका लगान २॥) रु० मुफर्र किया गया है, रजिस्ट्री लाजिमी है, देखो 1922 Pat 10 1922 P. 265

पट्टा देने के इकरारनामा के अर्थ के सम्बन्ध में देखो 47. C 485 P C, 71 I C 466, 45 A. 220

इस बात का विचार करने में, कि अन्नक पट्टे की रजिस्ट्री कराना लाजिमी है या नहीं, जिस बात की जांच करना जरूरी है वह यह है कि पट्टा सिर्फ एक साल के लिए ही दिया गया था या एक साल से अधिक के लिए। जब कोई पट्टा सिर्फ एक साल के लिए हो लेकिन पट्टेदार को यह अस्थिर दिया गया हो कि अपनी इच्छा से वह एक साल से अधिक समय तक भी क्वाबिज रह सकता है, तो इस अधिकार से एक से अधिक समय तक के लिए पट्टे की मियाद बढ़ नहीं जाती और ऐसी दशा में उस दस्तावेज की रजिस्ट्री लाजिमी नहीं है, देखो 37 C L J 475, 70 I C 570 पट्टा देने को जिस इकरारनामा की रजिस्ट्री जरूरी है, वह ऐसा होना चाहिए जिससे जायदाद पर फौरन कब्जा दिए जाने की बात हो, देखो 44 M 399, 62 I C 354, 54 I C 134 (B), 26 C W N 329

एक रसीद में बयाने के तौर पर २५) रु० की रकम की अदायगी स्वीकार की गई और उसमें इक्कड़र किया गया कि मुद्दई को अमुक जमीन का पट्टा दिया जायगा। तब हुआ कि इसकी रजिस्ट्री कराई जाना जरूरी है, देखो 4 L 244, 78 I C 927

यह पट्टा जो एक साल के लिए दिया गया हो और जिसमें दूसरे साल के लिए पट्टा बदल देने का भी अधिकार हो, ऐसा पट्टा नहीं है जिसकी मियाद एक साल से अधिक हो, देखो 17 C 548, 14 M 271, 8 Bom L R 581 साल बसाल कब्जा देने का इकरारनामा वास्तव में साल ब साल पट्टा देने का इकरारनामा है और इसलिए उसकी रजिस्ट्री कराना जरूरी है, देखो 17 C L J 167

जब पट्टा देने के इकरारनामा की बात एक से अधिक पत्रों से प्रकट हो गई हो, तो कुल लिखा पढ़ी की, विशेष कर उस पत्र की जिसमें पट्टा देने और लेने की बात है, रजिस्ट्री कराना जरूरी है, देखो 30 M L J 519

पट्टा देने का इकरारनामा उस समय तक जब तक कि उसकी रजिस्ट्री न हुई हो, ऐसे इकरारनामा की तामील खासक लिए की गई नालिसा में शहादत में कुबूल न किया जायगा। फिर चाहे कब्जा दिया गया हो या न दिया गया हो, देखो 8 I C 520, 16 I C 390, 72 I C 98 (C)

एक पत्र (खत) में पट्टा शुरू होने की मियाद दी हुई थी और उसमें यह लिखा हुआ था कि एक वाकान्ना पट्टा लिएकर उसकी रजिस्ट्री करा दी जायगी। उसमें यह भी लिखा था कि इस पत्र (खत) की खास खास शर्तों दोनों फरीफ़ैनके लिए मान्य होंगी। तब हुआ कि बिना रजिस्ट्री के वह काबिल तरीज नहीं है, देखो 45 A 220, 71 I C 452

पटनीपट्टाके लिये टिप्पणियां चयाया पत्र जिसमें बदले में मिलने वाले रुपये के एक हिस्से की अदायगी को कुबूल किया गया है और जिसमें यह शर्त है कि चयाया पत्र की तारीख से फिर पट्टा दे दिया जायगा और एक निश्चित तारीख के पहिले पट्टा और कुबूलियत लिख दिये जायगे, पट्टा देने का इकरारनामा नहीं है और उसकी रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है देखो 25 C W N 550, 64 I C 747, 24 C W N 177 P C , 37 C 808,

पट्टा देने का इकरारनामा, जिससे उसी समय आराजी दे दी गई हो दफा १७ (डी) में बतलाया हुआ इकरारनामा है और तामील खास की नालिसा में शहादत में कुबूल किए जाने के काबिल नहीं है अगर उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। उसकी रजिस्ट्री तो भी होना चाहिये यद्यपि उक्त इकरारनामा के अनुसार नसावी काबिज भी हो गया हो देखो 26 C W N 329 19 C 507

रजिस्ट्रेशन ऐक्ट की दफा ४९ सिर्फ उन्ही दस्तावेजों के सम्बन्ध में लागू होती है जिनकी रजिस्ट्री उस ऐक्ट की दफा १७ के अनुसार की जाने को है उन दस्तावेजों के सम्बन्ध में लागू नहीं होती जिनकी रजिस्ट्री बगाल टिप्पणी ऐक्ट के अनुसार की जाने को है। इसलिये एक साल से अधिक के लिये दिया गया बिना रजिस्ट्री किया हुआ पट्टा जिसकी रजिस्ट्री कानून इन्तकाळ जायदाद की दफा १०७ के अनुसार रजिस्ट्री कराई जाती है रजिस्ट्रेशन ऐक्ट की दफा १७ के

अनुसार नहीं, उस दस्तावेज के अनुसार कब्जे की किस्म को साबित करने के लिए कुचूल किए जाने के काबिल हैं देखो 44 M 55 F B 59 I C 350

रेहन सादा के राहिन की ओर से लिखे गये पत्र (सूत) के जिसमें रेहन करने का उद्देश्य क्या है यह दिखलाया गया है कि रजिस्ट्री करानेकी जरूरत नहीं है देखो 22 C N W 758

किसी डिकरी की इजरा मुस्तवी कराने के लिये लिखे गये तमस्तुक की जिसके जरिये १००) रु० से ज्यादा मालियत की जायदाद रेहन कर दी गई हो रजिस्ट्री लाजिमी है, देखो 53 I. C 463 (L), 31 M 380.

किसी बयनामा के बाद लिखा गया इफरारनामा, जिसमें रुपया अदा करने पर फूक रेहनी की शर्त की गई है वास्तव में रेहननामा है और वह रजिस्ट्री के काबिल है देखो 72 I C 34, 1 Bur L J 223

ऐसे इफरारनामाकी जिससे किसी रेहननामा की शर्तों में रद्द बदल की गई हो रजिस्ट्री लाजिमी है, देखो 17 C W N 233 P C

किसी रजिस्ट्री शुद्द दस्तावेज की शर्तों को बदलने वाले दस्तावेज की जरूर रजिस्ट्री होनी चाहिये, देखो 27 C L I 107.

रेहननामा के ऊपर दिया हुआ कर्जा जायदाद गैर मनकूला है। अगर किसी दस्तावेज के जरिये उसकी मुन्तविली कर दी गई है और उसकी मालियत १००) रु० से अधिक है तो उसकी रजिस्ट्री लाजिमी है देखो 22 C W. N 641

ऐसे दस्तावेज की जिससे मुतहिन अपने जर रेहनमेंसे १००) रु०से अधिक की रकम छोड़ देने का इफरार करे रजिस्ट्री लाजिमी है देखो 44 I C 132, 34 M L J 79 35 A 202

यह इफरारनामा जिससे असली और जाती जायदाद के कुल हकूक इस बिना पर छोड़ दिये गये कि मुद्दा अलेह गोधाला की १०००) रु० की रकम दे देगा बिना रजिस्ट्री के कुचूल किये जाने के काबिल नहीं है देखो 56 I C 595 (L)

ऐसा दस्तावेज, जिससे किसी मौजूदा पट्टा के अनुसार अदा किए जाने वाले लगान की रकम में फेर बदल किया गया हो, देखो 16 C W N 55 F B, 10 C L J 570, 37 C 293 रजिस्ट्री होगी।

ऐसा दस्तावेज जिसमें किसी पट्टाके अनुसार अदा किए जाने वाले लगान में रद्द-बदल करने के लिए मुआहिदा किया गया हो, वास्तव में पट्टा (Lease) है। और इसलिए उसकी रजिस्ट्री लाजिमी है, देखो 27 C L J 107; 35 Cal 1010, 39 Cal 284 जिस दस्तावेज में पहिले के किसी पट्टा के अनुसार अदा किए जाने वाले लगान के कम करने का इफरारनामा किया गया हो, उसकी रजिस्ट्री लाजिमी है, देखो 16 I C 62 (C), 39 C 284

पट्टावा के नकशा और चिट्ठा की, जिसमें अलग अलग लोगों के हिस्से -- दिखलाए गए हों, रजिस्ट्री कराने की जरूरत नहीं है, देखो 47 I C. 159.

घटवारा के दस्तावेजों की रजिस्ट्री अवश्य कराई जानी चाहिए, देखो 15 C W N 375; 11 C L J. 25; 69 I. C 859 (A), 39 M L. J 382

जब कि किसी शकल ने १००) ६० से अधिक मालियत की जायदाद का घटवारा किया हो और इस घटवारा को दिखलाने के लिए एक दस्तावेज लिख दिया हो तो इस दस्तावेज की रजिस्ट्री लाजिमी है। अगर वह उन बातों की याददाश्त के तौर पर लिखा गया है जो पहिले तय हुआ था तो उसकी रजिस्ट्री कराने की जरूरत नहीं है, देखो 15 I C, 28, 229 P L R 1912

हिस्सेदारों के नाम हिस्सेको लिखने वाला दस्तावेज वास्तवम घटवाराका दस्तावेज है, क्योंकि उसम कहा गया है कि, चूकि स्टाम्प एगा हुआ कागज अभी नहीं मिल सका, इसलिए वह खरीद लिया जायगा और दस्तावेज लिख दिया जायगा, देखो 69 I C 612 घटवारा का कच्चा दस्तावेज, जिसके बाद वाजिबता दस्तावेज लिखा जाना चाहिए, काबिल रजिस्ट्री है, देखो A I R 1923 Bom 464 परन्तु यह तय किया गया है कि कोई भी फरीक इस बात को साबित कर सकता है कि जायदाद की "शेअर लिस्ट" अर्थात् फेहरिस्त हिस्सेदारान, फतई घटवारा नहीं है किन्तु यह जचानी इकरार हुआ था कि वाजायता दस्तावेज लिख दिया जायगा। अगर यह बात साबित होजाय, तो "शेअर लिस्ट" बिना रजिस्ट्री के भी काबिल तल्लीम है, देखो 69 I C 569 (M)

जिस दस्तावेज से हक पैदा या नष्ट किया जाता हो, उसकी रजिस्ट्री लाजिमी है, यद्यपि वह तमलीक खान्दानी (Family settlement) हो, देखो 75 I C 593 (A) इन्ही प्रकार एक बही की भी रजिस्ट्री लाजिमी है जिसमें तमलीक खान्दानी की शर्तों का इन्दराज हो, A I R 1923 Lah 392 किसी बही में किया गया वह इन्दराज, जिस पर किसी भी फरीक के दस्तखत न हों, ऐसा दस्तावेज नहीं है जो कोई हक पैदा करता हो, देखो 75 I C 642

जिन रसीदों के ऊपर भाइयों ने एक घटवारे के समय दस्तखत कर दिए थे जिसमें वे स्वीकार करते हैं कि उन्होंने कुटुम्ब की सम्पति के उन हिस्सों को स्वीकार किया था जिनकी तफसील रसीदों में है, उन रसीदों की रजिस्ट्री लाजिमी है, देखो 44 B 881.

याददाश्त की, जिसमें यह बतलाया गया है कि शिराकत तौड़ दी गई है और यह व्यवस्था कर दी गई है कि आज की तारीख से फरीक्रेन अलग अलग हिस्सा पर काबिज होंगे और यह कि घटवारा की निश्चत एक अलग दस्तावेज तहरीर कर दिया जायगा, रजिस्ट्री लाजिमी नहीं है, देखो 69 I C 123 P C.

किसी ऐसे "ट्रस्टीनामा" की रजिस्ट्री लाजिमी नहीं है जिसमें सिर्फ यह लिख दिया गया है कि मालिक ने माल मतलूका से अपना वास्तुक छोड़ दिया।

है और उसे परमेश्वर के कब्जा मालिकाना में छोड़ दिया है, देखो 42 A. 60 P C, 32 C L J 471.

किसी विधवा स्त्रीकी ओरसे लिखा गया दस्तावेज जिससे उसने १००) या उससे अधिककी अपनी सम्पतिको रिचर्सनरो (घारिस मावाद)के हकमें छोड़ दिया है, देखो 14 I C 749, 27 I C 699 रिचर्सनरकी ओर से, इस बातका एलान किए जाने के लिए नालिश न करने की बाबत किये गए इकरारनामा की, कि विधवा की ओर से लिखा गया दस्तावेज जायज़ नहीं है, रजिस्ट्री, उस विधवा के मरने के बाद लाजिमी नहीं है, देखो 16 A. L J 191, 40 A-384

किसी ऐसे सुलहनामा की रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है, जिसमें किसी मुकद्दमे से सम्बन्ध रखने वाली बातें हैं और जो एक डिक्ली के अन्तर्गत है, यद्यपि उससे १००) रु० से अधिक मालियत की जायदाद मुन्तकिल की गई हो, देखो 24 C W N 328, 54 I C 538 इसी प्रकार आर्डर २१, रूल २ जायदादीवानी, के अनुसार दी गई सुलहनामा की दरखास्त की भी, देखो 43 M 688, 58 I C 554, (36 M 47, 27 M L J 651 Over ruled),

मुकद्दमे से बाहर की जायदाद के सम्बन्ध से किए गए सुलहनामा की रजिस्ट्री जरूरी है, देखो 25 I C. 377 (Cal), 16 C L, J 71, 19 C W N 347, 36 Mad 46, 2 C L J 343, 5 C L J. 611, 11 C L J. 543, 48 C 1059; 31 P R 1919.

मुकद्दमे के बाहर की जायदाद से सम्बन्ध रखने वाली सुलहनामा की दरखास्त उस जायदाद में हासिल हकूक की मुन्तकिली के लिए किए गए इकरारनामाकी शहादत है और इसकी रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है, देखो 1 Pat. L J 208, 22 Mad 508, I C L J 406, 7 C L J 496, 46 I 358 (P.), 3 Pat. L J. 43, 58 I C 299 (P), 52 I C. 201 (P.).

१००) रु० से ऊपर की मालियत के लगान भायन्दा के लिए लिखे गए रेवन्नामाकी रजिस्ट्रीकी जरूरत है, देखो 6 I C 504.

जिस सुलहनामा के जरिये फूकरेहनी का हक पैदा होता हो, उसकी रजिस्ट्री लाजिमी है, देखो 32 All 206

ऐसे सुलहनामा की, जो डिक्ली में शामिल नहीं कर दिया गया है और जो ठीक ठीक अर्थ लगाए जाने पर पट्टा मालूम हुआ, केवल पट्टा देने का इकरारनामा नहीं है तो रजिस्ट्री करना जरूरी है, देखो 41 I C 638

हाथ चिट्ठी के ऊपर दायर की गई एक नालिश में एक सुलहनामा दाखिल किया गया जिसमें डिक्ली के सम्बन्ध में रजामन्दी जाहिर की गई और कुछ जायदाद गैर-मनकूला मुन्तकिल की गई, तब हुआ कि इसकी रजिस्ट्री लाजिमी थी, देखो 46 I C. 243 (C)

आर्डर २३, क्लॉक ३ (जायदादीवाली) के अनुसार किए गए सुलहनामा की शर्तों की, जो लिख ली गई हैं, रजिस्ट्री होनी चाहिए, लेकिन अगर डिकरी में वे शर्तें लिपी हैं, तो वह दस्तावेज, यद्यपि उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, शहादत में तस्लीम किए जाने के काबिल है, देखो 4 L 263, 75 I C 461

जब किसी सुलहनामा के जरिये फीरन् आखि-पार दे दिया गया हो, तो उसकी रजिस्ट्री अवश्य होनी चाहिए और यह बतौर पट्टा के काबिल तस्लीम है। यह इसलिए और भी ज्यादा काबिल तस्लीम है कि उसमें मुद्दाअल्लेह ने ख़ास तौर से पहिले के एक मुकद्दमें में मुद्दई के हक को तस्लीम किया है, देखो 27 C W N 897

दफा १७ के क्लॉक (डी) की शर्त गहरई लगान के सम्बन्ध में भी लागू होती है, देखो 15 I C 682 (Mad)

जब किसी जायदाद की हकीयत किसी बिना रजिस्ट्री किए हुए हियानामा के कारण पैदा हुई हो, और स्वयं जायदाद की मालियत १०० रु० से ऊपर हो, तो यह दस्तावेज हियानामा नाकाबिल तस्लीम है। अगर यह हिया किसी दावा के निर्यत किए गए सुलहनामा के फल स्वरूप किया गया होता तो यह काबिल तस्लीम हो सकता था, देखो Lab. L J 7

जित दिन पूरे तौर से दस्तावेज बयनामा लिख दिया गया था उही दिन उस जायदाद को फिर मुत्तकिल कर देने के लिए उसी के साथ एक इकरारनामा भी लिख दिया गया था। तब हुआ कि इस इकरारनामा की रजिस्ट्री कराने की जरूरत है, देखो 49 I C 699 (M)

हक इन्फिकाक रेहन के बिना रजिस्ट्री किए हुए बयनामा की रजिस्ट्री के सम्बन्ध में देखो 23 C W N 513

जिन दस्तावेजों की रजिस्ट्री अजिबाय (छाजिमा) नहीं है—वह रसीद जिससे दस्तावेज रेहननामा में बतलाए हुए चक्रवृद्धि ब्याज (सुद दर सुद) के अदा करने की जिम्मेदारी से कोई राफ़स बरी किया गया हो, देखो 42 C 546

उस रसीद को, जिससे सिर्फ़ जर रेहन की अदायगी को स्वीकार किया गया है, रजिस्ट्री कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उसमें किसी नए इकरारनामा की बात को स्वीकार किया गया हो तो उसकी रजिस्ट्री जरूर कराई जानी चाहिए, देखो 26 I C 360 जिस दस्तावेज में किसी जर रेहन की पूरी पूरी बेचाफ़ी की बात स्वीकार की गई हो और ब्याज की अदायगी माफ़ कर दी गई हो, उसकी रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है, देखो 43 M 803

उस मुतहिद ने, जिसने पास जायदाद बाद में रेहन की गई थी, पहिले के दो रेहननामों का रूपया अदा कर दिया था। तब हुआ कि इसकी जो रसीद मिली उसकी रजिस्ट्री कराने की जरूरत नहीं है, देखो 11 C L J 551

रादिन की ओर से मुतहिद के नाम लिखे गए पत्र की, जिसमें उस काम का जिक्र किया गया हो जिसके लिए दस्तावेज हकीयत मुतहिद के पास अमा नत किया गया है, रजिस्ट्री लाजिमी नहीं है, देखो 22 C W N 753

मुतंहिनो की ओर से रहिनो को दीगई रसीदें वफा १७ के भन्दर मही जाती और जब तक कि उनका मजमून पेसा न हो कि उससे जायदाद गैर-मन कूला में किसी हिस्से को खासतौर से सीमाबद्ध या नष्ट न कर दिया गया हो, उनकी रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है, देखो 72 I C 454 (C)

सौ रुपया से अधिक की जायदाद की बिक्री के लिए किए गए मुआहिदे के सम्बन्ध में अदा कीगई बयाने की रकम की रसीद की, जिसमें साफ साफ यह बतला दिया गया हो कि बतौर दस्तावेज हकीपत के दूसरा दस्तावेज लिख दिया जायगा, रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है, देखो 73 I C 1013 (L),

जिस दस्तावेज में यह बतलाया गया हो कि जायदाद गैर मनकूला का बटवारा होगया है और फरीकैन लोगों का कब्जा अलग अलग हो गया है, उस दस्तावेज की रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है, देखो 53 I C 123 (L)

जिस दस्तावेज के जरिये किसी नए ट्रस्टी की नियुक्ति कीगई हो, उसकी रजिस्ट्री कराने की जरूरत नहीं है, देखो 6 M. L T. 240.

जिन कामजो के ऊपर पंचों ने बतौर अपने पचायती फैसले के दस्तखत किए हो उनकी रजिस्ट्री जरूरी नहीं है, देखो 22 I C 412. जिस पचायती फैसलेमें उन जायदादों की फेहरिस्त हो जो पंचों द्वारा किए गए बटवारा में लोगों के हिस्से में दीगई है और जिसपर फरीकैन बटवारा के दस्तखत हों उसकी रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है, देखो 66 I C 118, 46 I. C. 685

जिस पचायती फैसले को फरीकैन ने दाखिल अदालत किया हो और अदालत ने उसे मजूर कर लिया हो, उसकी रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है, देखो 43 I. C 697, 20 A 171 अगर यह पचायती फैसला दस्तावेज बटवारा का काम करता है, तो अवश्य उसकी रजिस्ट्री कराई जानी चाहिए, देखो 12 C. L. J. 25; 18 C W N, 475

रेहन करने के लिए किए गए इकरारनामा की जरूरत नहीं है, देखो 41 M. 959, 35 N L J 489 इसी प्रकार उस इकरारनामा की भी रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है जिससे फकरेहनी का हक पैदा होता हो, देखो 47 B 283; 24 M 449

पट्टा देने वाले और पट्टा पाने वाले के बीच हुए इकरारनामा की याददास्त की, जो न तो पट्टा है और न पट्टा देने का इकरारनामा, रजिस्ट्री लाजिमी नहीं है और वह शहादत में छूट कर जाने के फाबिल है, देखो 19 C. W N: 56,

किसी जायदादका, जिसकी निस्वत नालिशनही है, इस्तमरारी पट्टा देनेका इकरार उस दरखवास्त में किया गया जो वास्ते सुलहनामा के दीगई थी और इस दरखवास्त के ऊपर उस मुकदमें में डिकरी दे दीगई। तब हुआ कि पट्टा देने के इकरारनामा तामील की खास के लिए दायर किए गए मुकदमें में वह दस्ता-

धेज सुद्धत में वेश किया जा सकता है, देखो 19 C W. N. 347; 17 M L, J 218; 14 C W N. 66; 39 Cal 663

मुकद्दमा जीत जाने पर जायदाद मुतमाजा की मुन्तकिली के लिए किए गए इफ़रारनामा की रजिस्ट्री लाज़िमी नहीं है, देखो 1 L 124; 56 I C 372.

'ब' के साथ एक मुकद्दमें में मुलदनामा की अर्जी में 'अ' ने कुछ जमीन का पट्टा देने का वादा किया बशर्ते कि उस जमीन की निस्वत 'स' के साथ चलते हुए मुकद्दम में वह कामयाब हो जाय। 'अ' यह मुकद्दमा जीत गया और इसके बाद उसने पट्टा देने से इन्कार, कर दिया। तब हुआ कि यह मुलदनामा पट्टा देने के लिए इफ़रारनामा नहीं है और बिना रजिस्ट्री के भी वह फ़ाबिल तस्लीम है, देखो 47 C 485; P C

अदालत के बाहर किया गया इफ़रारनामा, जिसके जरिये से मुद्दहर्षों ने यह इफ़रार किया कि वे मुद्दा-अलैह को कुछ इकूक के साथ और लगान की एक खास शर्ह के ऊपर अपना अस्सामी बनाए रहेंगे और इस इफ़रारनामा के परिणाम स्वरूप एक बाज़ायता क़वूलियत लिख दी जायगी, पट्टा या पट्टा देने का इफ़रारनामा नहीं है। यह एक जबानी इफ़रारनामा की वाददास्त है, देखो A I R 1928 Cal 432; 67 I C 57; 39 C 663

मुलदनामा की अर्जी फ़्लिडिंग है और इसलिए उसकी रजिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, देखो 22 I C 35, 20 All 1; 71 P C, 22 I C 687; 45 I C 331 दीवानी मामलों के सम्बन्ध में अदालत में दाखिल किए गए बयान हलफ़ी, अर्जियों और फ़्लिडिंग्स की रजिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, देखो 46 I C 358 (L)

तलब किए जाने पर जायदाद को फिर बेच (Re-Convey) देने के लिए किए गए इफ़रारनामा की रजिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, देखो 25 Bom L R 1207; 63 I C 22

जिस दस्तावेज के जरिये हकीयतका एलान तो किया गया हो लेकिन वह अमल में लाई न गई हो वह दफ़ा १७ (१) (बी) के अन्दर नहीं आता है, देखो A I R 1923 Lah 497, (2).

मुक़सान होजाने की दशा में जायदाद मुन्तकिल कर देने के लिये किया गया इफ़रारनामा तथा वाद में लिखा गया पत्र, जिसमें मुक़सान (घाटा)की यात को स्वीकार किया गया है, ऐसा दस्तावेज बयाना नहीं है जिसकी रजिस्ट्री की ज़रूरत है, देखो 26 C W N 201 P C, 65 I C 954

जिस जायदाद की निस्वत नालिश दायर की गई है, उस जायदाद में, मुकद्दम बाजी में लगाए गए रुपये के बदले में, हिस्सा दिए जाने के लिए किए गये इफ़रारनामा की रजिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, देखो 4 Lah L. J. 301.

एक मकान का ८ भागा महीने किराये पर पट्टा दिया गया और उसमें शर्त लिख दी गई कि किराया भदा न करने पर किरायेदार बेदखल कर दिया जायगा। तब हुआ कि यह एक साल से अधिक मियाद का पट्टा नहीं है और उसकी रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है, देखो 2 L 300, 65 I C 254.

किसी अनिश्चित समयके लिए लिखे गये पट्टेकी, जो कुछ शर्तोंके ऊपर किसी भी समय बन्द हो जा सकता है, लेकिन जिसके लिए यह निश्चय नहीं है कि वह एक साल से ज्यादा दिन तक बना रहेगा, रजिस्ट्री लाजिमी नहीं है, देखो 65 I C 836, 20 A L J. 211.

जिन दस्तावेजों की रजिस्ट्री लाजिमी है लेकिन जिनकी रजिस्ट्री नहीं कराई गई है, उन्हीं उसी किस्म के मामों में लाया जाना—बिना रजिस्ट्री किया हुआ दस्तावेज बयानामा रूप में भी भदायगी का सुबूत माना जा सकता है, देखो 35 B 438, Bom 126 2 I C, 516 बिना रजिस्ट्री किया हुआ दस्तावेज उस तारीख की निम्नलिखित काबिल तस्लीम समझा जा सकता है जिस तारीख को कब्जा लिया गया था, देखो 45 A 565

एक बिना रजिस्ट्री किया हुआ दस्तावेज बयानामा जिसमें (१) दहेज की रकम और (२) यह कि ससुरने यह रुपया भदा करनेका पक्का वादा कर लिया था, साबित करने के लिए कुबूल कर लिया गया, देखो 44 I C. 837 वह यह साबित करने के लिए भी कुबूल किया जा सकता है कि कब्जा किस किस्म का था, देखो 57 I C 965 (C.) लेकिन इससे बच की हुई जायदाद कैसी थी, यह बात साबित नहीं की जा सकती, देखो 61 P L R 1919

बिना रजिस्ट्री किया हुआ दस्तावेज कब्जे की किस्म दिखलाने के लिए काम में लाया जा सकता है, देखो 6 M L T 192, 29 Mad 336 F, B जैसे दस्तावेज हिवानामा, देखो 26 C W N 65, 34 O-L J 432

किसी बिना रजिस्ट्री किए हुए पट्टे में स्वीकार की गई बातें उसी किस्म के कामों के लिए (for Collateral purpose) जैसे उस मुआहिदा से पैदा होने वाले कर्ज के लिए, काम में लाई जा सकती हैं, देखो 33 B 610 बिना रजिस्ट्री किया हुआ पट्टा उसमें स्वीकार की गई बातों को साबित करने के लिए काम में लाया जा सकता है, देखो 61 I. C 328 (L)

जितने पट्टे की रजिस्ट्री कराना लाजिमी है लेकिन जिसकी रजिस्ट्री नहीं कराई गई है वह खर्ची लगान तय करने के लिए काम में नहीं लाया जा सकता है, देखो 1916 M W N 5, 35 Mad 63, 41 Cal 347, 18 M L T 483 और न वह हक रैयती या उसकी शर्तों को साबित करने के काम में लाया जा सकता है, देखो 30 M L J 492, 34 I O G और न मियाद की मुदत साबित करने के लिए ही, देखो 63 I C 90.

बिना रजिस्ट्री किया हुआ दस्तावेज उसी किस्म के कामों के लिए भी जैसे चक्रवृद्धि व्याज (सूद दर सूद) बढ़ा करने की शर्त को साबित करने के लिए, इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, देखो 34 I C 853 (M)

बिना रजिस्ट्री किया हुआ अमलनामा और जवानी शहादत भी किसी मुआहिदा को साबित करने के लिए काम में लाए जा सकते हैं जब कि नालिश का मंशा उसकी तामील खास करा पाने का हो, देखो 16 I C 390 (Cal), 11 C L J 548, 12 C L J 25, 12 C L J 464 लेकिन पट्टा देनेके लिए किया गया बिना रजिस्ट्री किया हुआ इकरारनामा, जिसका मंशा उसी समय जायदाद पर कब्जा दे देने का हो, तामील खास के लिए दायर की गई नालिश में काबिल तस्लीम नहीं है, देखो 26 C W N 329

बिना रजिस्ट्री किया हुआ दस्तावेज हिचानामा उसी किस्म के कामके लिये भी, जैसे यह कि मौजूबअलेह ने कब्जा कर लिया और उसपर अपना कब्जा मुखालिफाना बनाए रहा, काममें नहीं लाया जा सकता, देखो 14 I C 889 (L)

बिना रजिस्ट्री किया हुआ दस्तावेज बटवारा यह साबित करने के लिये कि उसमें बतलाये हुए शरीकदार अलग अलग होगये हैं और यह साबित करनेके लिए, कि उनमें जायदाद मनकूला के सम्बन्धमें क्या क्या बातें तय पाईं, काममें लाया जा सकता है, देखो 19 M L J 228, 16 Mad 336

सुलहनामाकी एक भर्जिमि कुछ जायदादका कब्जा छोड़ देने के लिए फिर गए इकरारनामाको, जो किसी फौजदारी अदालतमें दाखिल किया गया हो, शहादतमें कुछूल किएजाने के काबिल बनानेके लिए उसकी रजिस्ट्री कराना जरूरी नहीं है, देखो 43 I C 26 (Cal)

कब्जा तस्लीम किया गया, यह बात साबित करने के लिए बिना रजिस्ट्री किया हुआ सुलहनामा काममें लाएजानेके काबिल है, देखो 46 I C 44 (Cal)

एक सौ १०० रुपये से अधिकका बिना रजिस्ट्री किया हुआ दफ्तरी रेहननामा इस बातको साबित करनेके लिए काममें लाया जा सकता है कि मुदाअलेह यहैसियत मुतद्दिन के काबिल था, देखो 45 M L J 667

दस्तावेजका पेश किया जाना—तकमील कुनिन्दा के मामले किसी नौकर द्वारा दस्तावेजका पेश किया जाना जायज है, देखो 10 A L J 510 दफा ३२ में पेश करनेका एक विशेष (परिभाषिक) अर्थ है। जब खब-रजिस्ट्रारको दस्तावेज दिएजाते समय तकमीलकुनिन्दा हाजिर हो, तो यह पेश करना समझा जायगा, फिर चाहे किसी भी शख्सने सारी कार्रवाई की हो, देखो 9 A L J 362, 9 A L J 149

जयकि बाक़ायदा अधिकार पाए हुए किसी भफसर द्वारा दस्तावेज पेश किएजाने के पहिले वह शमूस, जिसे उस दस्तावेजके पेश करनेका अफ़्तार था, ४८

उस अफसर के सामने हाजिर हुआ और रजिस्ट्री के सम्बन्धमें अपनी स्वीकृति दे दी, माना गया कि यह पेश किया जाना है, देखो 35 All. 134.

लड़की की ओरसे, जिसे इस सम्बन्धमें कोई अधिकार नहीं है, दस्तावेज पेश किया जाना पेश किया जाना नहीं है, देखो 18 I C 286 राहिनक मौजूदगीमें नौकर द्वारा दस्तावेज का पेश किया जाना जायज है, देखो 35 A 7

किसी आम मुफ्तार द्वारा, जिसे तकमील फुनिन्दाकी रियासतके सम्बन्धमें कुछ कार्रवाई करनेका अधिकार है, पेश किया जाना जायज है, देखो 23 C W N 534

बिना रजिस्ट्री किए हुए दस्तावेजोंपर रजिस्ट्री किए हुए दस्तावेजोंको तर्जिह—
दफा ५० उस दशामें लागू नहीं होती जबकि उस शफसको, जो बादमें लिखेगए बिना रजिस्ट्री किए हुए दस्तावेजके अनुसार दावेदार है, यदि पहिले लिखेगए बिना रजिस्ट्री किए हुए दस्तावेजका पता मिल जाय, देखो 18 C W N 657, 8 C 597, 10 C L J 241, 6 B 515, 8 A 540, 16 M 158 इस सम्बन्धमें, कि क्या कब्जा, नोटिस है, देखो 16 A 478 F B, 27 B 452 16 C 414. दफा ५० का विस्तार क्षेत्र कितना है, इस सम्बन्धमें देखो 1 M. L J 43

किसी रजिस्ट्रीशुद्द दस्तावेज रेहननामाके ऊपर दी गई डिकरीके अनुसार की गई नोछाममें—पहिलेका बिना रजिस्ट्री किया, हुआ दस्तावेज नाजायज नहीं होजाता और फर्जेका रुपया उस रकममें से वसूल किया जासकता है जो रजिस्ट्रीशुद्द दस्तावेज रेहननामाका रुपया वसूल देकर बाकी रहा हो, देखो 35 A 271

दफा ५० उस समय लागू नहीं होती जबकि रजिस्ट्रीशुद्द दस्तावेज फरेब से लिखाया गया हो, देखो 49 I C 839 या जबकि खरीदारको खरीद करने से पहिलेकी हकीयतका पता हो देखो 42 I C 393 दफा ५० से बिना रजिस्ट्री किए हुए दस्तावेजके अनुसार प्राप्त अधिकार नाजायज या नष्ट नहीं होते, देखो 35 A 271

किस अवस्थामें बिना रजिस्ट्री किए हुए दस्तावेजके ऊपर दी गई बाव वाली डिकरीके ऊपर रजिस्ट्रीशुद्द दस्तावेजको तर्जिह दीजाती है, इस सम्बन्धमें देखो 13 A 288, 18 B 355 F B, 25 M 1

पहिले लिखा हुआ बिना रजिस्ट्री किया हुआ दस्तावेज बयनामा, जिसकी रजिस्ट्री लाजिमी नहीं है और जिसके साथ साथ जायदादपर दखल दे दिया गया है, उसी जायदादकी निश्चत बादमें लिखेगए रजिस्ट्रीशुद्द दस्तावेज बयनामों से नाजायज नहीं होजाता, देखो 44 I. C 354 (P)

बाधरती रजिस्ट्री करने के लिए दीयानी नाटिश—दफा ७७ के अनुसार दायर कीजानेवाली नाटिशमें नीचे लिखी बातें जरूरी हैं—(१) दस्तावेज किसी ऐसे

आदमी द्वारा पेश किया गया हो जिसे इसके पेश करनेका अधिकार है, (२) सच-रजिस्ट्रारने रजिस्ट्री करानेसे इन्कार करदी हो, (३) रजिस्ट्रार के पास समयके भीतर अपील कीगई हो, (४) रजिस्ट्रारने इन्कार करदी हो, (५) समयके भीतर नालिश दायर कीगई हो, देखो 73 I - C 182 अगर डिकरी दे दीगई हो तो दस्तावेज डिकरीकी तारीखसे ३०दिनके भीतर उसे अवश्य पेशकर दिया जाना चाहिए, देखो 1 P 146 दफा ७७ के अनुसार नालिश दायर करने के पहिले मुद्दई को चाहिए कि वह रजिस्ट्रारन ऐक्टमें बतलाया हुए नियमांका पुरतौरपर पालन करे, देखो 27 C L J 538

जब तकमील कुनिन्दोंके हाजिर न होने के कारण सच-रजिस्ट्रारने किसी दस्तावेजकी रजिस्ट्रीसे इन्कार करदी हो और रजिस्ट्रारने इस हुक्मको बहाल रखां हो, तो नालिश दायर की जासकती है। दफा ३३ और ७१-७७ के विस्तार के सम्बन्धम विचार किया गया, देखो 47 B 290, 54 I C 570 (C)

इस वजहसे, कि दस्तावेज समयके बाहर पेश किया गया है, रजिस्ट्री करने से इन्कार कर दिए जानेपर और रजिस्ट्रार द्वारा अपील खारिज कर दिए जानेपर नालिश दायर की जासकती है, देखो 24 C W N 504

रजिस्ट्रार को दफा ७२ और ७३ के अनुसार दीगई दरखास्तमें तस्दीक नही थी और वह खारिज कर दीगई। तब हुआ कि नालिश हो सकती है, देखो 74 I C 688 (L)

दफा ७७ के अनुसार दायर की गई नालिशमें अदालत को जिस बातपर विचार करना है वह उस दस्तावेजके असली होनेकी बात है, उसके जायज होने की बात नहीं, देखो 60 I C 869, 19 A L J 224, 2 L 202, 62 I C 789 दफा ७७ के अनुसार रजिस्ट्रीके दिए डिकरी दिए जाने के लिए दस्तावेजकी तकमीलीको मन्जूरकर लेनेकी जरूरत नहीं है, देखो 68 I C 785 (C)

समयके भीतर नालिश गलत अदालतमें दायर कीगई लेकिन समय बीत जाने के बाद मुनासिब अदालतमें दायर कीगई। ऐसी दशामें रजिस्ट्रारन ऐक्टकी दफा ७७ द्वारा नियत मियादकी मुहलका शुमार करनेमें कानून मियादकी दफा १४ काममें नहीं लाई जासकती, देखो 24 C - W N 4, 30 C, L J 455 P B, 7 C W N 550 27 C W N 29, 54 I C 228

अदालत दीवानीको डिकरी देनेसे इन्कार कर देनी चाहिए, अगर दस्तावेज चार महीने के भीतर दाखिल न किया जाय, जैसा कि दफा २३ में बतलाया गया है, देखो 39 P R 1917

दूसरी अवस्था—जबकि एक दस्तावेजके तकमील कुनिन्दोंमें से सिर्फ एक ही आदमी रजिस्ट्रारके सामने हाजिर हुआ और उस दस्तावेजकी तकमीलीको मन्जूर कर लिया और बाकी आदमी हाजिर नहीं हुए, तब हुआ कि यह दस्तावेज वह कानूनी असर नहीं रखता जो यह दस्तावेज रखता है जिसकी तकमील और रजिस्ट्री दूसरे तकमील कुनिन्दों की ओरसे कीगई हो, देखो 59 C 180, 36 C L J, 109, 43 I C 777 (P)

नेकनीयतीके साथ किए गए किसी कामसे कोई दस्तावेज सिर्फ इस वजह से नाजायज नहीं होजाता कि कार्रवाईमें कोई बेकायदगी की गई है, देखो 4 L 284 P C , 45 M L J 497, 75 I O 7.

केवल रजिस्ट्रीसे ही मुन्तज़िल अलेहको इकीयत नहीं मिल जाती, अगर फरीकैनका मन्शा यह है कि जबतक मुआविजेका पूरा रूपया अदा न होजाने तक इकीयत नहीं दीजायगी, देखो 3 L 389; 85 P R 1911, 3 I. O 177.

पट्टा देनेका जवानी इकरारनामा भी हो सकता है। जब किसी इकरारनामाके अनुसार पट्टेदारने कब्जा कर लिया हो, यद्यपि इसके लिए ज़रूरी दस्तावेज न भी लिखा गया हो, तो हालत यही रहती है मानीं दस्तावेज लिख दिया गया है, वरतें कि फरीकैन के बीच तामील खास कराई जासके, देखो 25 O. W. N. 290, 63 C 118.

परदा-नशीन औरत, जिसने मुख्तारनामाकी तकमील की गयी हो, रजिस्ट्री के दफ्तरमें हाजिर होने के लिए बाध्य नहीं है। सब रजिस्ट्रारको अधिकार है कि वह इस बातका इतमीनान हो जानेपर कि वह मुख्तारनामा अपनी खुशीसे लिखा गया है उसकी तकमीलकी तस्दीक करदे। तस्दीक कर दिए जानेसे यह अनुमान होता है कि उसे इस बातका इतमीनान होगया था, देखो 67 O 315(P.).

यह प्रश्न, कि रजिस्ट्री, नोटिस है या नहीं चाक़्यात सम्बन्धी प्रश्न है, देखो 2 C W N 750, 7 C. W N 11 मिस्र मिस्र हाईकोर्टोंकी रायमें इस सम्बन्धमें मत भेद था कि क्या रजिस्ट्री नोटिसका अर्थ रखती है। प्रिन्सिपल ने यह तय किया है कि सिर्फ रजिस्ट्री करा देना ही नोटिस नहीं है, देखो 48 C 1

जबकि वह दस्तावेज, जिससे जायदाद गैर-मनकूटा और जायदाद मनकूलापर बार पैदा किया गया हो, रजिस्ट्री न कराया गया हो तो उससे जायदाद मनकूलामे हासिल हक़के ऊपर कोई असर न पड़ेगा, देखो 47 I O 563 (M).

जब किसी बिना रजिस्ट्री किए हुए और इस तरह नाकाबिल तस्लीम पट्टाकी शर्तोंको मुद्दाअलेहने मन्जूर कर लिया हो, तो इस मन्जूरीके ऊपर कार्रवाई की जासकती है और अदालतको दस्तावेजपर विचार करनेकी जरूरत नहीं है, जिसके काबिल तस्लीम होनेका प्रश्न विवाद-ग्रस्त प्रश्न है, देखो 3 Lah. L J 253

वह दस्तावेज बयनामा, जो मुद्दईके कीमत खरीद अदा न करने के कारण रजिस्ट्री न होनेकी वजहसे नाकाबिल अमल (कामम लाप जानेके अयोग्य) होगयाहै, जायदाद बय करदेनेके लिए किया गया इकरारनामा न समझा जायगा जिससे उस मुआहिदाकी तामील खासके लिए मालिसकी जासकेगी, देखो 43M 822; 59 I C 417, 16 M O 341

रजिस्ट्रेशन ऐक्ट नं० १६ सन् १९०८ के मनुअल से उद्धृत
सिर्फ संयुक्तप्रान्तकी अदालतोंके लिये

जमीमा नं० ५

रजिस्ट्रीके फीसकी शरह

पेक्ट १६ सन् १९०८ की ७८ वीं दफा के अनुसार तैयार किया गया
(१ अप्रैल सन् १९२० ई०से अमलम लाया जाय)

आर्टिकल न० १

१ स्थावर (मनकूला) जायदादका पट्टा करना या ऐसे पट्टोंका दिया जाना —

जबकि पट्टेमें लिखे हुए सालाना किरायेकी तादाद	रु० भा० पा०
१०० रु० से ज्यादा न हो	० ४ ०
१०० रु० से ज्यादा लेकिन ५०० रु० से ज्यादा न हो	० ८ ०
५०० रु० " " १००० रु० " "	१ ० ०
१००० रु० " " २५०० रु० " "	२ ० ०
२५०० रु० " " ५००० रु० " "	३ ० ०
५००० रु० " " १०००० रु० " "	४ ० ०
१०००० रु० " " जबकि किरायेकी तादाद न लिखी गयी हो	५ ० ०

२ नीलामके खरीदार द्वारा पेश किये गये (चाहे बदलेका रुपया १००) से कम हो या ज्यादा) स्थावर जायदादके बेचान सम्बन्धी सर्टीफिकेटों पर जबकि बदलेकी रकम (Consideration Money)

की तादाद ५०) रु० से अधिक न हो	रु० भा० पा०
जबकि तादाद ५० रु० से अधिक हो	१ ० ०

३ स्थावर जायदाद (मनकूला) के सम्बन्धकी सब दस्तावेज जिनका कि बचीयतनामा न हो —

जबकि दस्तावेजमें लिखी कीमत या अंशकम सुभाषजाकी तादाद रु० आ० पा०

१० रु० से ज्यादा न हो	०	४	०
१० रु० ज्यादा मगर २५ रु० से ज्यादा न हो	०	६	०
२५ " ५० " "	०	८	०
५० " ७५ " "	०	१२	०
७५ " १०० " "	१	०	०
१०० " २०० " "	१	८	०
२०० " ५०० " "	३	०	०
५०० " १००० " "	४	०	०
१००० " १५०० " "	५	०	०
१५०० " २००० " "	६	०	०
२००० " २५०० " "	७	०	०
२५०० " ३००० " "	८	०	०
३००० " ४००० " "	९	०	०
४००० " ५००० " "	११	०	०
५००० " ७५०० " "	१४	०	०
७५०० " १०००० " "	१६	०	०

१०००० रु० से ज्यादा प्रति १००० रु० या उसके किसी भी भागके लिए ५०००० रु० तक न कि ज्यादा के लिए १ ० ०

५०००० रु० से ऊपर १००० रु० या उसके किसी हिस्सेके लिए ० ८ ०
अगर कीमत सिर्फ एक हिस्सेकी ही जाहिरकी गयी हो २ ० ० *
जबकि कीमतकी तादाद न दीगयी हो १० ० ०

बुन्देलखण्ड एलीनेशन ऐक्ट १९०३ (2 of 1903) की धारा ९ (२) या १७ के अन्दर किए गए दस्तावेज रद्दनकी रजिस्ट्री पर किसी तरहकी फीस न लीजायगी बशर्त उस दस्तावेज रद्दनके जिसकी कि बाकायदा रजिस्ट्री पहिले ही से हो चुकी हो और मियाद खतम न हुई हो ।

* नोट—यह फीस, ऊपर बतलाई हुई मालियत या मतालबा दावा के ऊपर मालियतके मुताबिक लगाई हुई फीसके अलावा है

४ वसीयतसे न दिए गए गोद लेनेका अधिकार देने के सम्बन्धमें लिखित अधिकार पत्र रु० आ० पा० ४ ० ०

५ वे दस्तावेज जो किसी जायदाद मनकूला और दस्तावेज, समस्तुक, सुभाषिदे या दूसरे दस्तावेजोंमें या उनके लिए किसी अधिकार (Right), हकीयत या हिस्साकी अमलमें लाने हों या पैदा करते हों, पछान करते हों, मुन्तकिल करते हों, सीमावद्ध (महदूद) करते हों या नष्ट करते हों —

अचक्रि जायदादकी कीमत जाहिर की गई हो और यह	रु० भा० पा०
५० रु० से अधिक की न हो	० ४ ०
५० रु० से अधिक लेकिन १०० रु० से ज्यादा न हो	० ८ ०
१०० " " २०० " "	१ ० ०
२०० " " ५०० " "	२ ० ०
५०० " " १००० " "	४ ० ०
१००० " " १५०० " "	५ ० ०
१५०० " " २००० " "	६ ० ०
२००० " " २५०० " "	७ ० ०
२५०० " " ३००० " "	८ ० ०
३००० " " ४००० " "	९ ० ०
४००० " " ५००० " "	१० ० ०
५००० " " ७५०० " "	१२ ० ०
७५०० " " १०००० " "	१४ ० ०
१०००० " " १५००० " "	१६ ० ०
१५००० " " २०००० " "	१८ ० ०

२०००० रु० के ऊपर और ५०००० रु० तक मगर उससे ज्यादा नदी हरएक ५००० रु० या उसके किसी हिस्सेपर	१ ० ०
५०००० रु० से ऊपर १००००० रु० तक मगर उसके ऊपर नदी हरएक ५००० रु० या उसके किसी भागके लिए	० ८ ०
१००००० रु० के ऊपर हरएक ५००० रु० या उसके किसी हिस्सेके लिए	० ४ ०
अचक्रि कीमत जाहिर न की गई हो	१० ० ०

६ वसीयतनामा —

सन् १९०८ के ऐक्ट १६ दफा ४२ के अनुसार मोहर लगा हुआ लिफाफा दाखिल होने पर	रु० भा० पा० ४ ० ०
दफा ४४ के अनुसार, मोहर लगा हुआ लिफाफा जोकि दफा ४२ के अनुसार जमा किया गया या के चठाने (With draw) की दस्तावेज देने पर	४ ० ०

दाखिल किये हुये मोहर लगाये (Sealed) लिफाफे को खोलनेके लिये दस्तावेज देने पर	४ ० ०
---	-------

नोट—ऐसे मोहर लगे हुए लिफाफों के अन्दर लिखे हुए मजमून की रजिस्ट्रबुक में नकल करने की फीस आर्टिकल (Article) नं० १० में दिये गये हिसाब (Rate) के अनुसार ली जायगी।

रु० भा० पा०	४ ० ०
-------------	-------

वसीयतनामा की रजिस्ट्री पर

(७) रजिस्ट्रारके सदृक में रक्षित रखने के लिये —

(१) रजिस्ट्रार के लोहे के बक्से के अन्दर रक्षित वसीयतनामा (Non testamentary document) रखने के लिए

० ० ०

(b) ऐसे किसी वसीयतनामा के, जोकि रजिस्ट्रार के छोड़े के सन्दूक के अन्दर रक्षित रखने के लिये रक्खा गया, उसे वापस करने के लिये

८ मुफ्तारनामा वगैरह (Powers attorney etc)
मुफ्तारनामा या कोई ऐसा ही वसीयतनामा जोकि १९०८ के ऐक्ट १६ वफा १८ शरह एफ (F) के अनुसार रजिस्ट्री होने के लायक है और जोकि इस नकशे में दिये गये शरह न० ५ के अनुसार, मालियत की शरह (ad valorem Scale) में तही भासकता, की रजिस्ट्री फीस

नोट्स

—०—

(प) एक दस्तावेज जिसके अन्दर कई अलग अलग मामले (matters) हों या जिसका सम्बन्ध कई अलग अलग मजमून (matters) से हो उसकी फीस, (fees) उन सब दस्तावेजोंकी फीसों का जोड़ होगी जिनका सम्बन्ध अलग २ एक एक मामले से है ।

एक दस्तावेज में कई जुदे जुदे मामले मौजूद हैं यह उसी वक्त कहा जा सकता है जब कि जाहिरा तौर से कई दस्तावेजों का एक में शामिल कर देने का सिर्फ यही एक मतलब हो कि टिकट खर्च (Stamp duty) व रजिस्ट्री की फीस (registration fees) बच जावे । रजिस्ट्री करने वाले अफसरों को ऐसे मामले में कानून टिकट (Stamp law) के अनुसार काम करना होगा (जी ओ न० १३४२/७-४१४ ता० ३ अक्टूबर सन् १९१३) अगर इस तरह पर दस्तावेज रसूम टिकट (Stamp duty) अदा करने के लिये माना गया हो गोया इसके अन्दर एकही मामला मौजूद है तो रजिस्ट्रार को उसे एक ही मामले की तौर मानना चाहिये । लेकिन अगर उसका यह ख्याल कि दस्तावेज पर कानून जितनी चाहिये उससे कमकी टिकट लगी है तो उसे (Stamp act) स्टैम्प एक्ट की ३८ वी धारा के अनुसार व्यवहार करना चाहिये ।

(धी) पहिले कहे हुए नोट के अनुसार एक दस्तावेज जो कि इस तरह बनायी गयी हो कि आर्टिकल न० १ के कई मदों (descriptions) के अन्दर आसकती हो, और जब कि उनपर ली जाने वाली फीस की तादाद मुख्तलिफ हो तो जो फीस उनमें सब से ज्यादा होगी सिर्फ वही लगायी जावेगी ।

(सी) किसी पट्टा या दस्तावेज जिसमें कि रुपया जुरमाना या फायदा (penalty) को छोड़कर बचे हुए वक्त में अदा किया जाता है

उसकी एक साल की रकम पर, किसी रेहननाम के विषय में मिलने वाली रकम की तादाद पर और हिस्सेदारी की दस्तावेज में अपने पाये हुए हिस्से या हिस्सेकी कीमतकी रकम, जिस परकिशरह टिकट (Stamp duty) लगने लायक है स्टैम्प ड्यूटी लगने की रकम मानी जायगी ।

- (डी) अगर किसी जायदाद के हिस्से हो गये हैं तो, उनमें सब से बड़ा हिस्सा (या अगर दो हिस्से बराबर कीमत के हों और दूसरे किसी भी हिस्से से उनकी कीमत कम न हो तो उन दो बराबर हिस्से में का एक हिस्सा) ऐसा मान लिया जायगा कि उसमें से दूसरे हिस्से अलग किये गये हैं [देखो स्टैम्प ऐक्ट, परिशिष्ट (Schedule) १४५]
- (ई) अगर गवर्नमेंट के किसी मागी या फ़ौजी अफसर ने अपने निजी रहने के लिये एक मकान बनवाने या खरीदने के लिये गवर्नमेंट से पेशगी रुपया लिया हो और इस रुपये की अदायगी के लिये वह रेहननामा लिखे तो ऐसी रहनी दस्तावेज पर किसी तरह की रजिस्ट्री फ़ीस न लगनी । (देखो गवर्नमेंट आर्डर न० १६१४/७४५५ तारीख २१ दिसम्बर १९११)
- (फ) सन् १९०४ ऐक्ट ६की दफा ३ तथा १८८२ के ऐक्ट ४ दफा ५ के अनुसार, जब असल हासिल किया हुआ रुपया (Principal money) एक सौ रुपये से कम हो तो रेहननामा या तो बजरिये एक रजिस्ट्री शुद्धा दस्तावेज के, जिसपर ऊपर बतलाये अनुसार दस्तख़त और तसदीक मौजूद हों या (रेहननामा सादा को छोड़कर) जायदाद हवाले करके किया जा सकता है ।
इससे उन दस्तावेजके सम्बन्ध में बतलाइ गयी शर्तें कुछ कम कड़ी हो जाती हैं जो कि १०० सेकम के हैं और जिनकी रजिस्ट्री अनिवार्य नहीं रखी गयी है जसा कि ऐक्ट १६ स१ १९०८ की दफा १७ (१) (बी) में बतलाया गया है ।
- (जी) वह रजिस्ट्रीकी फ़ीस, जो ऐसे दस्तावेजपर लगायी जानी है जो उसी प्रकार की, या सहायक, या जायद, या उसीकी जगहपर दूसरी जमा मत, या भाग और मजबूतीके लिये जमात देने के लिये लिखा गया है, वही होगी जोकि असल या इस्तदायी रेहननामा के ऊपर लगायी जाती है, अगर वह फ़ीस दो रुपया से ज्यादा न हो तो वह दो रुपया होगी ।
- (घ) अगर किसी रैयत को जोड़ पट्टा या डेहा दिया जाय और उस पट्टा या डेहा की कबूलियत या मुलाना पट्टा या डेहा के साथ वा साथ रजिस्ट्रीके लिये पेश किया है तो इन दोगों दस्तावेजों (कागज़ों) की

निश्चित ली जाने वाली फीस उस फीस से ज्यादा न होगी जो अगले उस पट्टा पर ली जाती।

(आई) गवर्नमेंट के इतहार (Notification) न० १०४८ तारीख ३ दिसम्बर सन् १८३५ के अनुसार अगर कोई पट्टा, मुतल्लिक जरायत सयुक्त प्रान्त (United Provinces) के किसी जिले में लिखा गया हो और जिसकी मियाद पांच सालसे ज्यादा न हो और जिसमें सालाना किराया ५० रु० से ज्यादा न आता हो तो वह पट्टा सन् १८७७ ई० के ऐक्ट ३ की दफा १७ से बरी है। यह फैसला इलाहाबाद चीफ कोर्ट से तय हुआ है (देखो इलाहाबाद लॉ जरनल १२, सफा ७९२, इजारीसिद्द वगैरह बनाम त्रिवेनीसिद्द वगैरा) कि यह नोटीफिकेशन अब तक प्रचलित है और इन पट्टों को सन् १९०८ के ऐक्ट १६ की दफा १७ के अन्तर्से बरी करता है।

(जे) गवर्नमेंट के इतहार (Notification) न० ५०३७ १३२ ता ०८ मई १९१७ के अनुसार अगर सयुक्त प्रांत के किसी जिले में नोटीफाइड एरिया (Notified area) की या नज़ूलकी जमीनका पट्टा लिखा गया हो जो कि मुतल्लिक जरायत न हो, और जिसकी मियाद ५ साल से ज्यादा न हो और सालाना किराया २५ रु० साल से ज्यादा न हो तो वह सन् १९०८ के रजिस्ट्रेशन ऐक्ट १६ की दफा १७ के अन्तर्से बरी है (यानी लाजिमी Compulsory रजिस्ट्री न होगी)

आरटिकल नं० २

किसी दस्तावेज पर आर्टिकल १ के अनुसार रजिस्ट्री की फीसके अलावा रजिस्टर न० १, ३, और ४ में नकल करने की फीसे नीचे लिखे बमूजिव शरह से ली जायगी।

उरदू, हिन्दी, और भग्नेजी या किसी दूसरी जवान में लिखी हुई दस्तावेज पर —

	रु०	आ०	पा०
जहाकि शब्दोंकी तादाद ४०० से अधिक न हो	०	८	०
- इसके ऊपर प्रत्येक १०० शब्दाया उसके किसी हिस्सेके लिये	०	२	०

नोट्स

(ए) रजिस्ट्री की पीठपर की तहरीर या सर्टिफिकेट, जोकि कानून (By law) या कायदन् (By rule) जायज हों, उसकी रजिस्ट्रेशनमें नकल करनेकी फीस न ली जायगी।

(बी) सन् १९०८ के ऐक्ट १६की दफा ६५ और ६६के अनुसार एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर को भेज जाने के लिये तैयार की हुई नकल दस्ता

वेज पर भी पहिले लिखी शरहके समूजिच फीस ली जायगी लेकिन उन स्मरण पत्रों (Memoranda) पर जो कि पेक्ट की दफा ६४, ६५, और ६६ के अनुसार तैयार किये गये हैं न ली जायगी ।

- (सी) तादाद शब्दों की जिनपर की फीस लीगयी है और नकल करने की फीस की तादाद सुद दस्तावेज पर और रजिस्ट्रकी नकलमें भी नीचे की तरफ दर्ज की जायगी ।
- (डी) शब्दों की तादाद अन्दाजन देना ही काफी है मिसालके लिये लेख (Entry) के बीच की तीन या चार लगातार सतरो के हरफ गिनकर, उनका औसत निकाल कर, फिर उस औसत को सतरो की तादाद से गुणा करने पर शब्दों की तादाद मानली जाती है ।
- (ई) रजिस्ट्री के लिये लाई गयी छपी हुई दस्तावेजों की छपी हुई नकलों में से १०० शब्दों के मत्येक सफा का मिलान (Compare) करने की फीस, उन फीसों के अलावा जोकि आरटिकल न० १ के अनुसार रजिस्ट्री के लिये लीगयी हो, ३ पाई (एक पैसा) के हिसाब से और ली जायगी ।

आरटिकल नं० ३

सन् १९०८ ई० के पेक्ट १६ की दफा ३३के अनुसार मुकुतार-
नामाकी तस्दीकके लिए —

भगर ऐसा मुकुतारनामा भाम हो
, , खास हो

रु० भा० पा०

३ ० ०

२ ० ०

आरटिकल नं० ४

सन् १९०८ ई० के पेक्ट १६ की दफा २०के मुताबिक रजिस्ट्रार
द्वारा की गई अङ्गधारी रजिस्ट्रीकी एडीशनल फीस (Addi-
tional fee)

रु० भा० पा०

६ ० ०

यह एडीशनल फीस दस्तावेजके जमा करनेपर अदा नकी जायगी और न उस वक्त लगाई जायगी जबकि सब रजिस्ट्रार (Sub registrar)के उस जवानसे जिसमें दस्तावेज लिखी गई हो नावाकफ होनेके कारण रजिस्ट्रारके पास रजिस्ट्रीके लिये लीजाई जावे और न उस वक्त ही, जबकि दस्तावेजमें लिपे हुए लेन देनसे सब रजिस्ट्रारका कोई सम्बन्ध होने के कारण वह जिला रजिस्ट्रारके पास रजिस्ट्रीके लिये लीजाई जाय । जबकि एडीशनल फीस (Additional fee) न ली जावे तो फीस के रजिस्ट्रारके ७ वें कालममें फीस न लेनेका कारण दर्ज कर दिया जावे ।

निश्चय ली जाने वाली फीस उस फीस से ज्यादा न होगी जो अकेले उस पट्टा पर ली जाती ।

(भाई) गवर्नमेंट के इशतहार (Notification) न० १०४८ तारीख ३ दिसम्बर सन् १८३५ के अनुसार अगर कोई पट्टा, मुतल्लिक जरायत सयुक्त प्रान्त (United Provinces) के किसी जिले में लिखा गया हो और जिसकी मियाद पाच सालसे ज्यादा न हो और जिसन सालाना किराया ५० रु० से ज्यादा न आता हो तो वह पट्टा सन् १८७७ ई० के ऐक्ट ३की दफा १७ से बरी है । यह कैसला इलाहाबाद चीफ कोर्ट से तय हुआ है (देखो इलाहाबाद लॉ जरनल १२, सफा ७९२, इजारीसिद्द वगैरह बनाम त्रिवेनीसिद्द वगैरा) कि यह नोटी फिकेशन अब तक प्रचलित है और इन पट्टों को सन् १९०८ के ऐक्ट १६ की दफा १७ के असरसे बरी करता है ।

(जे) गवर्नमेंट के इशतहार (Notification) न० ५०३७ १३२ ता ०८ मई १९१७ के अनुसार अगर सयुक्त प्रांत के किसी जिले में नोटी फाइड एरिया (Notified area) की या नज़ूल्की जमीनका पट्टा लिखा गया हो जो कि मुतल्लिक जरायत न हो, और जिसकी मियाद ५ साल से ज्यादा न हो और सालाना किराया २५ रु० साल से ज्यादा न हो तो वह सन् १९०८ के रजिस्ट्रेशन ऐक्ट १६ की दफा १७ के असर से बरी है (यानी लाजिमी Compulsory रजिस्ट्री न होगी)

आरटिकल नं० २

किसी दस्तावेज पर आर्टिकल १ के अनुसार रजिस्ट्री की फीसके अलावा रजिस्टर न० १, ३, और ४ में नक़ल करने की फीसे नीचे लिखे बमूजिव शरह से ली जायगी ।

उरदू, हिन्दी, और भ्रमेजी या किसी दूसरी जवान में लिखी हुई दस्तावेज पर —

	रु०	आ०	पा०
जहाकि शब्दोंकी तादाद ४०० से अधिक न हो	०	८	०
- इसके ऊपर प्रत्येक १०० शब्दोंया उसके किसी हिस्सेके लिये	०	२	०

नोट्स

- (ए) रजिस्ट्री की पीठपर की तहरीर या सार्टीफिकेट, जोकि कानूनन (By law) या कायदन् (By rule) जायज हों, उसकी रजिस्ट्रोंमें नक़ल करनेकी फीस न ली जायगी ।
- (बी) सन् १९०८ के ऐक्ट १६की दफा ६५ और ६६के अनुसार एक दफ़तर से दूसरे दफ़तर को भेजे जाने के लिये तैयार की हुई नक़ल दस्ता

वेज पर भी पहिले लिखी शर्हके समूजिच फीस ली जायगी लेकिन उन समणे पत्रों (Memoranda) पर जो कि पेक्ट की दफा ६४, ६५, और ६६ के अनुसार तैयार किये गये हैं न ली जायगी ।

- (सी) तादाद शब्दों की जिनपर की फीस लीगयी है ओर नकल करने की फीस की तादाद सुद दस्तावेज पर और रजिस्ट्रकी नकलम भी नीचे की तरफ दर्ज की जायगी ।
- (डी) शब्दों की तादाद अन्दाजन देना ही काफी है मिसालके लिये लेख (Entry) के बीच की तीन या चार लगातार सतरो के हरफ गिनकर, उनका औसत निकाल कर, फिर उस औसत को सतरो की तादाद से गुणा करने पर शब्दों की तादाद मानली जाती है ।
- (ई) रजिस्ट्री के लिये लाई गयी छपी हुई दस्तावेजों की छपी हुई नकलों में से १०० शब्दों के मत्येक सफा का मिलान (Compare) करने की फीस, उन फीसों के अलावा जोकि आरटिकल न० १ के अनुसार रजिस्ट्री के लिये लीगयी हों, ३ पाई (एक पैसा) के हिसाब से और ली जायगी ।

आरटिकल नं० ३

सन् १९०८ ई० के पेक्ट १६ की दफा ३३के अनुसार मुहृतार नामाकी तस्दीकके लिए —

भगर ऐसा मुहृतारनामा आम हो
, , खास हो

रु० भा० पा०

३ ० ०

२ ० ०

आरटिकल नं० ४

सन् १९०८ ई० के पेक्ट १६ की दफा ३०के मुताबिक रजिस्ट्रार द्वारा की गई अख्तयारी रजिस्ट्रीकी एडीशनल फीस (Additional fee)

रु० भा० पा०

६ ० ०

यह एडीशनल फीस दस्तावेजके जमा करनेपर अदा नकी जायगी और न उस वक्त लगी जायगी जबकि सब रजिस्ट्रार (Sub-registrar)के उस जवानसे जिसम दस्तावेज लिखी गई हो नावाकिफ होनेके कारण रजिस्ट्रारके पास रजिस्ट्रीके लिये लीजाई जावे और न उस वक्त ही, जबकि दस्तावेजमें छिपे हुए लेन देनसे सब रजिस्ट्रारका कोई सम्बन्ध होने के कारण वह जिला रजिस्ट्रारके पास रजिस्ट्रीके लिये लीजाई जाय । जबकि एडीशनल फीस (Additional fee) न ली जाव तो फीस के रजिस्ट्रारके ७ वे कालममें फीस न लेनेका कारण दर्ज कर दिया जावे ।

आरटिकल नं० ५

अनुवाद (Translation) सामिल करनेकी फीस

रु० आ० पा०
१ ० ०

आरटिकल नं० ६

सन् १९०८ई० के ऐक्ट १६ की दफा ५७ के अनुसार कागजात का पता लगाने या सुभाइना करनेकी फीस नीच लिखी तरह के अनुसार लीजावेगी—

(१) सिर्फ एक ही इन्दराज या एक ही दस्तावेज के सुभाइनाके लिये—

रु० आ० पा०

(ए) हर एक इन्दराज या दस्तावेजकी, चाबत पहिली सालकी, किताबोमे सुभाइनाके लिये

० ८ ०

प्रत्येक इन्दराज या दस्तावेजके लगातार सुभाइना करनेकी चाबत प्रत्येक दूसरे सालके रजिस्ट्रो के लिये

० ४ ०

मगर किसी हालतमे ५) रु० से ज्यादा फीस न लीजायगी

(२) तमाम कागजातो जिनका सम्बन्ध एकही जायदादसे है, या जो एकही राखसके हाथसे लिखे गये हों या जो एकही राखसके लिये लिखे गये हों, की आम तलाशी या सुभाइनाके लिये

रु० आ० पा०

(ए) चिताबोमे पहिली सालकी तलाशीके लिये

१ ० ०

(बी) किताबो मे, जिसकी तलाशी जितने दूसरे सालों तक चली जावे उनमे हर एक साल तकके लिये

० ४ ०

किसी भी दरामे १०) रु० से ज्यादा फीस न लीजायगी

नोट्स

(ए) सर्व साधारणके वास्तविक कामके लिये सरकारी दफतर या कोर्टके भाला अफसरको भर्जी देनेपर (कागजातकी) तलाशी या सुभाइनेके लिये रु० २८७ देखो

(बी) उस दस्तावेजका पता लगानेकी फीस, जिसकी नकलके लिये दी गई भर्जाग, दावेदार व लिखनेवाले दोनों फरीकौनोंके नाम, उसकी जरूरी बातें दस्तावेज और रजिस्ट्रीकी तारीखें, ठीक तौरसे लिखी गई हों तो पता लगानेकी फीस न लीजायगी । अगर भर्जा देनेवाले से हवाले देनेकी बातोंमें कोई खास बात छूटभी जाय तो भी हर एक मामलेमें यह न माना जायगा कि वह “तलाश” धीगई है और जब तक कि उसकी “तलाश” जरूरी न समझी जावे सिर्फ

नक़ल फ़ौस लीजायगी। रजिस्ट्री करनेवाले अफसर को ऐस मामलेम अपनी समझसे जान लेना चाहिये कि भाया वह अपनी क्रितावोम किसी इन्दराजको "तलारा" कर रहा है या नहीं म दिये गये हजाले के अनुसार वह इन्दराज सिर्फ़ सफ़े लौटने ही स वही दर्ज मिलता है

आरटिकल नं० ७

दफ़ा ३१, ३३, या ३८ के अनुसार रजिस्ट्री करनेवाले अफसर का निजी मकान या जेलपर ले जानेकी फ़ौस या सन् १९०८ के पेक्ट १६की दफ़ा ३३ या ३८के अनुसार एक कमीशनके जारी कराने की फ़ौस —

र० आ० पा०

(ए) फ़ौस जबकि अदमी जिसका सुआइना होने को ही जेल के अन्दर बन्द है

५ ० ०

(बी) फ़ौस जब कि अदमी जिसका सुआइना होना है जावता दीवानकी दफ़ा १३३ के अनुसार खुद हाजिर होनेसे बरी है

१६ ० ०

(सी) दूसरे तमाम मामलोंमें

१० ० ०

नोट्स

(ए) इस फ़ौसके अलावा रजिस्ट्रीके दफतरसे एक मीलसे ज्यादा दूरीपर तमाम जगहोंके लिये सफ़र खर्च नीचे लिखे अनुसार अदा किया जायगा —

कवनेन्टेड (Covenanted) और फ़ोजी कमीराड, अफसरों के मामलेमें जबकि वे सब रजिस्ट्रार या जिला रजिस्ट्रारके तौरपर काम कर रहे हों तो सफ़र खर्च ३ आना फ़ी मील रेल से और ८ आना फ़ी मील सड़क से लिया जायगा।

दूसरे ओर सबरजिस्ट्री करनेवाले अफसरोंको, सिवाय इसके कि उनको लोकल गवर्नमेंटसे सफर खर्च ज्यादा लेने के लिये हुकम होगया हो या कमिश्नरके लिये। अगर वे सुकूरर किये जावें, डेड आना फ़ी मील रेलसे और चार आना फ़ी मील सड़क से सफर खर्च दिलायाजायगा।

अगर वह जगह एक मीलसे कमदो ओर रास्ता सड़कका हो तो बँधा हुआ भत्ता आठ आनाके हिसाब से लगाया जायगा।

(बी) जावता दीवानकी दफ़ा १३३ के अनुसारवरी किये हुएसरसके सुआइना के लिये गये हुए या सुकूरर किये हुए कमीशनका खर्चा उसी राब्सको, देना होगा अगर वह पक्षकार जो उसकी राहादत चाहता है न अदा करदे

(सी) जगहकी दूरी जिसपर कि भत्ता लिया जायगा ऐसे नक़शोंसे मालूम होगी जो कलकटरीम, ऐसही कामाके लिये जहा कहीं सुमकिन है बनाये जाते हैं,

और रखे रहते हैं, या दूसरे मामलेमें, सब डिस्ट्रिक्टके उस नफ़रोंकी मददसे हिसाब लगाया जायगा जो सम्भवतः उन सब दफ़तरोंको दिये जाते हैं जो दफ़तर तहसीलके बड़े दफ़तर (Head office) के पास मौजूद नहीं हैं, दफ़तर जोकि तहसीलके हेड आफिसके पास मौजूद हैं तहसीलमें मौजूद नफ़रोंसे काम लेंगे । मुआइना के अफ़सर, खुद जाच और हिसाब करके किन्हीं महँकोंको जाच लेगा कि जगहकी दूरी जिसपर कि भत्ता लिया गया है बहुत करके ठीक है ।

(डी) परधानशीन या बड़े घरानेकी औरतोंके अंगूठेका निशान लेनेके लिये रजिस्ट्री करने वाले अफ़सरके साथ किसीके निजके मकानपर किसी दाया या नायब औरतको साथ ले जाने की फ़ीस, बिना इस खयालके कि ऐसे निजके मकान (Private residence) पर कितनी दस्तावेजों की रजिस्ट्री की गई है, पाच रुपया फ़ीस उसके प्रतिवार जाने की और लीजायगी ।

आर्टिकल नं० ८

जबकि सन् १९०८ के ऐक्ट १६ की दफ़ा ३६ के अनुसार लोकल गवर्नमेंट द्वारा स्थापित किये गये किसी अदालत या अफ़सरको सम्मन जारी करने के लिए अर्जी दीजाय तो तलबाना, जो ऐसी अदालत या अफ़सरके सम्मन जारी करने के कार्रवाई करने के लिए मामूली तौरसे वाजबुल अदा है, तलबाना उस शख्सको, जिसके तरफ से अर्जी लिखी गई है और अर्जीके साथ सम्मन भेजे गये हैं, देना होगी ।

आर्टिकल नं० ९

गवाहोंका खर्चा, रजिस्ट्री करनेवाला अफ़सर जाबता दीवानीके प्रचलित (Inforce) क़ायदाके अनुसार तय करेगा और सम्मन जारी करने के लिए अर्जीके साथ भेज देगा । परन्तु यदि उम्मी आदमीके नाम, जिसने कि दस्तावेज लिखी हो, सम्मन निकाले जाय, तो खर्चा कुछ न लगेगा ।

आर्टिकल नं० १०

रजिस्ट्री करनेवाले अफ़सरों द्वारा दिये गये, रजिस्ट्री की हुई दस्तावेजोंकी तस्दीक शुदा नफ़लोंका खर्चा आर्टिकल नं० २ में बताये खर्चों के अनुसार होगा । लेकिन नीचे की तफ़सील से किसी तरह कम न होगा ।

	क्रिताय १, ३, ४ की प्रत्येक दस्तावेज, क्रितायका इन्दराज फाइल धुक्का का गज (नक़शा या खाका छोड़कर)	दूसरी क्रितायों में हर एक इन्दराजका और सूचीपत्र का (नक़शा या खाका छोड़कर)	रखे हुए, बयानात हुक्मनामे या मुतफ़्फ़ात कागजातकी
उर्दू या हिन्दी की नक़ल के लिये	₹० आ० पा० ० ८ ०	₹० आ० पा० ० ४ ०	₹० आ० पा० ० ८ ०
अंग्रेजी या दूसरी भाषाकी नक़ल के लिये	₹ ० ०	० ८ ०	० ४ ०

नोट्स

- (ए) रजिस्ट्री करनेवाला भण्डार, जिला रजिस्ट्रारके मातहतकी हैसियतसे, कामज़ी मुश्किलात और पेशीदगीको ख़यालकर नक़शा या खाकाकी फ़ीस मुक़रर करे। जबकि किसी शख्स ने, जिसका सम्बन्ध रजिस्ट्रीके मुहक़म से न हो, एक नक़शा या खाका की नक़ल (Copy) तैयार कीगई हो, तो वसूल की हुई फ़ीस उसे दी जा सकती है।
- (बी) सन् १९०८ के ऐक्ट १६ दफ़ा ५७ के अनुसार नक़लके लिये दीगई अर्ज़ीके उसकी "तहारा" ज़रूरी हो जावे तो आरटिकल ६ के नोट(बी) के बमूज़िब कहीं हुई फ़ीसके अलावा (नक़ल) फ़ीस इस आरटिकल के बमूज़िब ली जायगी।
- (सी) जबकि एक दस्तावेज, एक से ज्यादा भाषाओंमें लिखी गई हो तो ख़ासतौर से ज्यादातर इस्तेमालकी जानेवाली भाषाके हिसाबसे फ़ीस लीजावेगी।
- (डी) नक़ल करनेकी फ़ीसकी तादाद नक़ल (दस्तावेज) के नीचे दर्ज रहेगी।
- (ई) इस आरटिकलकी फ़ीस लेते वक्त, दस्तावेजकी पुस्तपर लिखी हुई तहरीर या सर्टीफ़िकेट जो कि कानूनन् या कायदन् माने गए हो उस दस्तावेज का एक जुज समझे जायगे।

आरटिकल न० ११

रजिस्ट्रार के द्वारा उसके लोहके सन्दूकमें रखे हुए ऐसे दस्तावेज जिनका कोई दावेदार नहीं है प्रत्येक १५ दिन या उसके किसी हिस्सेके लिये ८आना के हिसाबसे उतने दिनोंके लिये कि जितने दिनतक वह दस्तावेज जिम्मदारी (Custody) में रही है लेकर ही दीजावेगी।

इस दस्तावेजके हिराजतमें रखनेकी फ़ीस, जो कि रजिस्ट्री हो जानेके बाद या रजिस्ट्री करनेसे इन्कार कर दिये जानेके बाद पडी रही हो और जिसका कोई

दावेदार हुआ हो किसी भी हालतमें) इसे ज्यादा न होगी और रजिस्ट्रारको वह अधिकार होगा कि वह किसी ऐसी फीस को जिसे इस आरटिकलके अनुसार वह या उसका मातहत रजिस्ट्री करनेवाला भफसर लगा सकता है कुछ या कुछ अंशमें माफ करदे, अगर उसे यह इतमीनान होजावे कि उसका जबरदस्ती वसूल करना न्यायके विरुद्ध और कठोरता हांगी ।

आरटिकल नं० १२

भारत सरकारके नोट न० ३७६ द्वारा स्थापित सन् १९१२ के ऐक्ट (२ भाफ १९१२) को भापरेटिव सोसाइटीज ऐक्टके क्लोज (सी) दफा २८ के अनुसार होमडिपार्टमेंट के हुकम ता० २४ अप्रैल १८१४ के समुजिय नीचे दी हुई फीसे जो कि कानून रजिस्ट्रीके अनुसार वाजबुल्ल अदा है इस समय माफ की जाती है यानी —


- (प) उस ऐक्टके अनुसार रजिस्ट्रीकी हुई कोभापरेटिव सोसाइटी द्वारा या उसके ओरसे दीजानेवाली सब फीसे कुछ समयके लिये ।
 - (बी) वह सब ली जाने वाली फीस, जो कि ऐसी किसी सोसाइटीके किसी भफसर या मेम्बर द्वारा लिखी गई दस्तावेजपर, जिसमें उसीके पदके सम्बन्धका काम हो माफकी जाती है ।
-

इंडियन लिमिटेडेशन ऐक्ट

अर्थात्

भारतीय कानून मियाद सन् १९०८ ई०

ऐक्ट नं० ९. सन् १९०८ ई०



(तारीख ७ अगस्त सन् १९०८ ई० को पास हुआ)
नालिशोंके तथा अन्य कामोंके मियाद सम्बन्धी कानूनोंका
संशोधन करनेके लिए कानून



चूंकि यह उचित जान पड़ता है कि नालिशों, अपोलों और भद्दालतों को दी जाने वाली दरख्वास्तों की मियाद सम्बन्धी कानून का समग्र एवं संशोधन किया जाय, और चूंकि यह भी उचित जान पड़ता है कि हक आसायश तथा दूसरी जायदाद के, उसपर फज्जा करके, मिलिकयत हासिल करने के लिए नियमों की व्यवस्था की जाय, इसलिए यह नीचे लिखा कानून जारी किया जाता है—

प्रथम प्रकरण

दफा १ सांक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ

१ इस ऐक्ट का नाम 'इण्डियन लिमिटेड ऐक्ट (भारतीय कानून मियाद) सन् १९०८ ई०' होगा

२ इसका विस्तार समस्त ब्रिटिश भारत में होगा, और

३ यह दफा और दफा ३१ फौरन् अमल में लाई जावेगी । इस ऐक्ट के धार्मिक हिस्से पर तारीख १ जनवरी सन् १९०९ ई० से अमल किया जावेगा ।

दफा २ परिभाषा

इस ऐक्ट में, जब तक कोई बात विषय अथवा प्रसंग के विरुद्ध न हो—

१ "सायल (Applicant)" शब्द में कोई भी ऐसा शख्स शामिल होगा जिससे या जिसके जरिये से किसी सायल (दरखवास्त देने वाला) को दरखवास्त देने का हक हासिल होता हो ।

२ "हुडी (Bill of exchange)" में हुडी और चेक शामिल होंगे ।

३ "तमस्तुक (Bond)" में कोई भी ऐसा दस्तावेज शामिल होगा जिसके जरिये से कोई शख्स दूसरे शख्स को इस शर्त पर रुपया अदा करने की, जुम्मे दारी ले । यह जुम्मेदारी (Obligation) उस समय रद्द समझी जायगी, अगर असुक्त कार्य किया गया अथवा पूरा न किया गया, जैसी कुछ भी अवस्था हो ।

४ "मुदाअलेह (Defendant)" में कोई भी ऐसा शख्स शामिल होगा जिससे या जिसके जरिये से कोई मुदाअलेह इस काबिल होता हो कि उस पर नालिश की जाय ।

५ "हक आस्तायरा (Easement)", में कोई भी ऐसा हक शामिल होगा जो किसी मुआहिदा (Contract) से पैदा न हुआ हो और जिससे किसी शख्स को दूसरे शख्स की जमीन के किसी हिस्से को या दूसरे शख्स की आराजी पर उगी हुई, या उसके साथ शामिल या उस पर स्थित किसी वस्तु को हटा कर अपने कामों में लाने का अधिकार प्राप्त होता हो ।

६ "विदेश (Foreign Country)" से अर्थ होगा ब्रिटिश भारत को छोड़ कर कोई भी देश ।

७ "नेक नीयती (Good faith)", कोई भी ऐसी बात नेक नीयती से की गई न समझी जायगी जो सावधानी से और सचेत होकर न की गई हो ।

८ "मुहई (Plaintiff)" में कोई भी ऐसा शख्स शामिल होगा जिससे या जिसके जरिये से किसी को नालिश दापर करने का हक हासिल होता हो ।

९ "इन्सुल तलब रुक्का (Promissory Note)" का अर्थ होगा कोई भी दस्तावेज (या कागज) जिसके जरिये से उसका लिखने वाला किसी एक निश्चय रकम को, उसमें बतलाये हुए समय पर, या तलब किए जाने पर, या उसके देखते ही, किसी दूसरे शख्स को अदा कर देने का कतई इक़रार करे ।

१० "नालिश (Suit)" में अपील या दरख़वास्त शामिल न होगी, और

११ "ट्रस्टी (Trustee)" में बेनामीदार, वह मुर्तद्दिन जो रेहननामा का मतालिका बेबाक होजाने के बाद काबिज घना रहे अथवा बिना हकीमत जबरदस्ती कब्जा करने वाला शख्स, शामिल, न होगा ।



दूसरा प्रकरण

नालिशों, अपीलों और दरखास्तोंकी मियाद



दफा ३ मियाद की मुदत खतम होजाने के बाद दायरकी गई नालिशोंका खारिज कर दिया जाना

दफा ४ से २५ तक की दफाओं में बतलाए हुए नियमों की पाबन्दी में रहते हुए प्रत्येक ऐसी नालिश, अपील और दरखास्त, जो उस मियाद की मुदत खतम हो जाने के बाद दायर की गई, पेश की गयी, और दी गई हो, जो इसके लिए परिशिष्ट (१) में बतलाई गई है, खारिज कर दी जायगी, चाहे मियाद की बात उसके जवाब में न भी आई हो।

विवरण—साधारणतया कोई नालिश उस समय दायर की गई समझी जाती है जब कि अर्जादावा किसी मुनासिब अफसर (हाकिम) के सामने पेश किया गया हो, अगर वह किसी मुफलिस (Pauper) की ओर से दायर की गई हो, तो उस समय जब कि उसने बर्हसियत मुफलिस (Pauper) नालिश करने की इजाजत हासिल करने के लिए दरखास्त दी हो, और अगर किसी ऐसी कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा दायर किया गया हो, जिसके हिसाब किताब का तस्फिया और उसकी शिराकत का खाता (Winding-up) उस अदालत में हो रहा है, तो उस समय जब दायेदार पहले पहल अपना दावा आफिसल लिक्विडेटर (सरकारी पावनेदार) के पास पेश करे।

दफा ४ जब मियाद खतम होने के समय अदालत बन्द हो

जब कि मियाद की वह मुदत, जो किसी नालिश, अपील या दरखास्त के लिए मुकदर (नियत) है, उस राज खतम होती हो जब कि अदालत बन्द है, तो वह नालिश, अपील या दरखास्त उस तारीख की दायर की, पेश की, या दी जानी चाहिए जिस तारीख को अदालत फिर खुलती हो।

दफा ५ कुछ अवस्थाओं में मियादकी मुदतका बढ़ाया जाना

कोई भी अपील या दरखास्त, जो किसी फैसले की नजरसानी या अपील करने की इजाजत हासिल करने के लिए दी गई हो, या दूसरी कोई दरखास्त, जिसके सम्बन्ध में [उस समय प्रचलित किसी कानून द्वारा या उसके अनुसार] यह दफा लागू की जा सके, उस मियाद की मुदत खतम होने के बाद भी, जो उसके लिए मुकदर है, ली जा सकती है, जब कि अपीलखण्ड या सायल, अदालत को इस बात का इतमीनान करा दे कि उसने इस मियाद के अन्दर अपील पेश न कर सकने या दरखास्त न दे सकने के लिए काफी वजह दी।

विवरण—यह बात कि अपीलान्ण या सायल को हाईकोर्ट के किसी हुजूम, प्रया (बस्तूर) अथवा फूसले से मियाद के लिए मुकदर मुद्दत के किसी निश्चित करने या तखमीना लगाने में गलत फहमी होगई है, इस दफा के अर्थ में काफी वजह समझी जायगी ।

दफा ६ कानूनी नाकाबलियत

१ जब कोई शख्स, जो नालिश दायर कर सकने या किसी डिफरी की इजरा के लिए दरख्वास्त देने का हक रखता है, उस समय, जिस समय से मियाद की मुद्दत का शुमार किया जाना चाहिए, नाबालिग, या पागल, अथवा मूर्ख (बेव-फूफ) हो, तो वह उस नाकाबलियत के दूर हो जाने के बाद उसी मुद्दत के भीतर नालिश दायर कर सकता है या दरख्वास्त दे सकता है जो उस समय के बाद दीगई हो जो परिशिष्ट (१) के तीसरे खाने में इसके लिए नियत है

२ जब ऐसा शख्स उस समय, जब से मियाद की मुद्दत का शुमार किए जाने को है, ऐसी दो बातों की वजह से नाकाबलियत ठहरता हो, या जब, उसकी नाकाबलियत दूर होने के पहिले, वह किसी दूसरी बात की वजह से नाकाबलियत हो गया हो, तो वह इन दोनों नाकाबलियतों के दूर होजाने के बाद उसी मुद्दत के अन्दर नालिश दायर कर सकता है या दरख्वास्त दे सकता है, जो इस नियत समय के बाद दीगई हो ।

३ जब यह नाकाबलियत (अयोग्यता) उस शख्स के मरने के समय तक बनी रहे, तो उसके कानूनी प्रतिनिधि उसके मरने के बाद उसी मुद्दत के भीतर नालिश दायर कर सकते हैं या दरख्वास्त दे सकते हैं जो इस नियत समय के बाद दीगई हो ।

४ जब मृत्यु के समय ऐसा प्रतिनिधि ऐसी किसी बात की वजह से नाकाबलियत (अयोग्य) हो, तो उस समय उप-दफा (१) और (२) में बतलाए हुए नियम लागू हंगे ।

उदाहरण (Illustrations)

(ए) 'अ' को एक नावके किराया की बातकी नालिश करनेका हक उसकी नाबालिगी (Minority) में पैदा होता है । इस हक पैदा होने की तारीख से चार साल बाद वह बालिग होता है वह बालिग होनेकी तारीखसे तीन साल के अन्दर किसी भी समय नालिश दायर कर सकता है ।

(बी) 'क' को अपनी नाबालिगी की हालत में नालिश दायर करने का हक पैदा होता है । इस हक पैदा होने की तारीख के बाद, लेकिन नाबालिगी की हालत में ही, वह पागल हो जाता है । ऐसी दशा में 'क' के विरुद्ध मियाद उस तारीख से शुरू होती है जब उसका पागलपन और नाबालिगी दोनों खतम हो जाती है ।

(सी) 'च' को अपनी नावालिगी की हालत में नालिश करने का हक पदा हुआ। 'च' बालिग होने के पहिले ही मर जाता है और उसका नावालिग लड़का 'छ' उसका उत्तराधिकारी हुआ। तो ऐसी दशा में 'छ' के विरुद्ध मियाद उसके बालिग हो जाने के बाद से शुरू होती है।

दफा ७ कई एक मुद्दों या सायलोंमें से किसी एकका नाकाविल (अयोग्य) होना

जब कई एक भाइयों में से, जिनको किसी नालिश के दायर करने या किसी दिकरी की इजरा के लिए दरखवास्त देने का मुश्तरका (हक में) हक हासिल है, कोई एक शख्स ऐसी किसी बात की वजह से नाकाविल होजाये, और ऐसे शख्स की बिना राय लिए बेचाकी (फारखती) की जा सकती हो, तो मियाद की मुद्दत का शुमार उन सब के सम्बन्ध में किया जायगा, लेकिन अगर ऐसी बेचाकी (फारखती) न की जा सकती हो, तो उनमें से किसी हक के सम्बन्ध में मुद्दत का शुमार न किया जा सकेगा, जब तक कि उसमें का कोई एक शख्स इस काविल न हो जाय कि वह बिना बाकी लोगों की राय के ऐसी बेचाकी (फारखती) कर सके या जब तक कि वह नाकाविलियत (अयोग्यता) दूर न होजाय।

उदाहरण (Illustrations)

(ए) 'क' ने एक फर्म से जिसके 'ख' 'ग' और 'घ' हिस्सेदार हैं, कुछ कर्जा लिया 'ख' पागल है, और 'ग' नावालिग है। 'घ' बिना 'ख' और 'ग' की राय लिए हुए उस फर्म की फारखती कर सकता है। ऐसी दशा में मियाद का शुमार 'ख', 'ग' और 'घ' सभी के सम्बन्ध में किया जा सकेगा।

(बी) 'क' ने एक फर्म से जिसमें 'च' 'छ' और 'ज' हिस्सेदार हैं, कुछ कर्जा लिया। 'च' और 'छ' पागल हैं, और 'ज' नावालिग है। ऐसी दशा में उनमें से किसी के भी सम्बन्ध में मियाद का शुमार न किया जायगा, जब तक कि 'घ' या 'झ' कोई एक अच्छा न होजाय अथवा 'ज' बालिग न होजाय।

दफा ८ कुछ विशेष अवस्थाओंमें इन नियमोंका लागू न होना

दफा ६ में अथवा दफा ७ में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो उन नालिशों के सम्बन्ध में लागू होती हो जो हक शिफा करने का अधिकार (हक) प्राप्त करने के लिए दायर की गई हो, या जिससे यह समझा जाय कि यह उस मियाद की, जिसके अन्दर कोई नालिश दायर की जानी चाहिए या दरखवास्त दी जानी चाहिए, मुद्दत को इस नाकाविलियत के दूर होजाने के समय से अथवा उस शख्स की, जिसके ऊपर इसका असर पडा है, मृत्यु होजाने के समय से, तीन साल से अधिक पडा सके।

उदाहरण (Illustrations)

(ए) 'क', जिसको अपनी गणपतिगी में हिशबिल वसीयतके सम्बन्ध में नालिश करनेका हक पैदा हुआ, इस हकपैदा होनेकी तारीखसे छह म्यारह वर्ष बाद वालिग होता है। साधारण कानून के अनुसार 'क' को सिर्फ एक साल और मिलता है जिसके अन्दर उसे नालिश कर देना चाहिए। लेकिन दफा ६ और इस दफा के अनुसार उसको दो साल का समय और दिया जायगा और इस तरह कुल मिलाकर, उसके वालिग होने की तारीख से तीन साल की मुद्दत हो जाती है, जिसके अन्दर वह नालिश दायर कर सकता है।

(बी) 'क' को एक पैतृक स्था (पद) के लिए नालिश दायर करने का हक पैदा हुआ और उस समय वह पागल है। छ साल के बाद 'क' का होश बह बहास ठीक हो जाता है। साधारण कानून के अनुसार 'क' को जिस तारीख को उसका पागलपन दूर हुआ था, उससे छ सालका समय मिलता है जिसके अन्दर वह नालिश दायर कर सकता है। ऐसी दशा में दफा ६के अनुसार, जब कि वह इस दफा के साथ पढ़ी जाय, उसको अधिक समय न बढ़वा मिलेगा।

(सी) 'क' को, जोकि मूर्ख (बेबकूफ) है एक भासामी से कृपा हासिल करने के लिए वहीस्वियत जमींदार के नालिश दायर करने का हक पैदा होता है। हक पैदा होने के तीन साल बाद 'क' मर जाता है और उसकी मूर्खता (Idiocy) उसका मरने के समय तक दना रहती है। साधारण कानून के अनुसार 'क' के उत्तराधिकारियों को 'क' के मरने की तारीख से नौ सालका समय मिलता है जिसके भीतर वे नालिश दायर कर सकते हैं। दफा ६, जब-कि वह इस दफा के साथ पढ़ी जाय, इस मुद्दत को बढ़ा नहीं सकती, सिवाय उस हालत में जब कि वह प्रतिनिधि स्वयं उस समय गान्कानिल (अयोग्य) हों जिस समय उसको प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ था।

दफा ९ समयका बराबर चलता रहना

जब एकवार मियाद की मुद्दत जारी होगई हो, तो बाद में नालिश दायर कर सकने की अयोग्यता (नाफाबलियत) या असमर्थता (मजबूरी) से उस मुद्दत का जारी रहना रक नहीं सकता।

लेकिन शर्त यह है कि जब किसी महाजनकी रियासतके प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र (Letters of administration) उसके ऋणी (कर्जदार) को दे दिये गये हों, तो उस ऋण (कजा) की घसूलीके लिए दायर कीजानेवाली नालिशके सम्बन्धमें नियत (मुकरर) समयको जारी रहना उस समय तकके लिए रोक दिया जायगा जबतक कि उस रियासतका प्रबन्ध होता रहेगा।

दफा १० ट्रस्टियों और उनके प्रतिनिधियोंके विरुद्ध की जाने- वाली नालिशें

चाहे इसके पहिलेवाली दफाओंमें कुछ भी लिखा हो, किसी भी नालिशकी, जो किसी ऐसे शख्सके ऊपर, जिसको जायदाद ट्रस्टमें दी गई है, किसी भी खास कामके लिए दायर की गई हो, या उसके कानूनी प्रतिनिधियों या मुन्तकिल भलेहों के ऊपर (जो ऐसे मुन्तकिलभलेह नहीं हैं जिनके नाम जायदाद कुछ रकम लेकर मुन्तकिल की गई है) उसके या उनके हाथमें वह जायदाद या उसकी आमदनीको बनाए रखने के लिए, या ऐसी जायदाद या आमदनीके हिसाब किताब समझाने के लिए दायर की गई हो, किसी भी समय मियाद भारिज नहीं होगी ।

दफा ११ ब्रिटिश भारतसे बाहर लिखे गये मुआहिदोंकी बाबत नालिश

१ जो नालिशें ब्रिटिश भारतके भीतर उन मुआहिदों (Contracts) के ऊपर दायर की जायगी जो किसी विदेश (Foreign Country) में लिखे गये हों, उनके सम्बन्धमें इस ऐक्टमें धतलाए हुए मियादके नियम लागू होंगे ।

२ ब्रिटिश भारतके बाहर प्रचलित मियाद सम्बन्धी नियम उस नालिशके बचावमें न पेश किये जासकेगे, जो किसी विदेश (Foreign Country) में लिखे गये मुआहिदे की निश्चत दायर की गई हो, जबतक कि उस नियमसे यह मुआहिदा रद्द न होजाता हो और जिन फरीकैनोंके दर्मियान, वह मुआहिदा हुआ है वे उस मियादके अन्दर उसी देशमें रहते न हो जो मियाद कि ऐसे नियमके अनुसार निश्चित की गई है ।

तीसरा प्रकरण

मियादकी मुद्दतका शुमार

दफा १२ कानूनी कार्रवाईमें समयका निकाल दिया जाना

१ उस मियादकी मुद्दतका शुमार करनेमें, जो किसी नालिस, अपील या दरखास्तके सम्बन्धमें नियत (मुक़रर) है, वह दिन निकाल दिया जायगा जिस दिनसे ऐसी मुद्दतका शुमार किया जाना चाहिए।

२ उस मियादकी मुद्दतका शुमार करानेमें, जो किसी अपील, अपील करने के लिये इजाजत हासिल करनेकी दरखास्त और फ़ैसलेकी तजरसानी करने के लिये दीजानेवाली दरखास्तके सम्बन्धमें नियत (मुक़रर) है, वह दिन, जिसकी वह फ़ैसला दिया गया था जिसकी निश्चय शिद्दायत है, और वह समय, जो टिकरी सजा या हुजूमकी, जिसकी अपील की गई है या निगरानी कराई जाने की है, नक़ल हासिल करने के लिए आवश्यक है, निकाल दिए जायंगे।

३ जब किसी टिकरीकी अपील की गई हो या उसकी तजरसानीकी दरखास्त दी गई हो, तो जिस फ़ैसलेके आधारपर वह टिकरी दी गई है उसकी नक़ल हासिल करने के लिए जिनने समयकी जरूरत है वह भी निकाल दिया जायगा।

४ किसी पञ्चायती फ़ैसलेको रद्द करने के लिए दीजानेवाली दरखास्तके लिए नियत (मुक़रर) मियादकी मुद्दतका शुमार करनेमें वह समय निकाल दिया जायगा जो उस पञ्चायती फ़ैसलेको नक़ल हासिल करने के लिए दरकार है।

दफा १३ ब्रिटिश भारतमें तथा अन्य देशोंसे मुद्दाअलेहकी अनुपस्थितिके समयका निकाल दिया जाना

किसी नालिसके सम्बन्धमें नियत (मुक़रर) मियादकी मुद्दतका शुमार करनेमें, वह समय निकाल दिया जायगा जिसमें मुद्दाअलेह ब्रिटिश भारतसे और ब्रिटिश भारतके बाहर उन देशोंसे गैर हालि रहते हैं जो सरकारके शासनाधीन (Under the Administration) हैं।

दफा १४ उस समयका निकाल दिया जाना जिसमें नेकनीयतीके साथ उस अदालतमें कार्रवाई की गई हो जिसे उस मामलेकी समाप्त करनेका अख्तियार न भी हो

१ किसी नालिसके सम्बन्धमें नियत (मुक़रर) मियादकी मुद्दतका शुमार करनेमें, वह समय, जिसमें मुद्दत उचित प्रयत्नके साथ किसी दूसरे दीवानी मामले

में, जो उसने मुद्दा अलेक्जेंडर के विरुद्ध दायर किया है, किसी प्रारम्भिक अदालत में अथवा अदालत अपील में परवी करता रहा हो, निकाल दिया जायगा, जबकि वह मामला उसी विनाय मुख़ासमत के ऊपर दायर किया गया हो और जो नेकनीयत के साथ उस अदालत में दायर किया गया हो जो इस मामले में अख़्तियार समाप्त न रखने के कारण अथवा ऐसे ही अन्य किसी कारणसे उसकी सुनवाई करने में असमर्थ है।

२ किसी दरख़्वास्त के सम्बन्ध में नियत (मुकर्रर) मियाद का शुमार करने में, वह समय, जिसमें सायल (Applicant) उचित प्रयत्न (मुनासिब) कोशिश के साथ किसी दूसरे दीवानी मामले में, जो उसने उसी फ़रीक़ के खिलाफ़ उसी दादरस्ती की बाबत दायर किया है, किसी प्रारम्भिक अदालत अथवा अदालत अपील में, परवी करता रहा हो, निकाल दिया जायगा जबकि ऐसा मामला नेक नियती के साथ किसी ऐसी अदालत में दायर किया गया हो, जो अख़्तियार समाप्त न होने अथवा ऐसे ही किसी दूसरे कारणसे उसकी सुनवाई कर सकने में असमर्थ हो।

विवरण १ उस समय के निकाल देने में, जिसमें पहिले की कोई नालिश या दरख़्वास्त फ़ैसल नहीं हुई थी (Was pending), वह दिन, जिसको वह नालिश या दरख़्वास्त दायर की गई थी, और वह दिन जिसको उस सम्बन्ध में कार्रवाई ख़तम हुई है, दोनों शुमार कर लिए जायेंगे।

विवरण २ इस दफ़ा के प्रयोजन के लिए किसी मुद्दई और उस सायल (Applicant) को निस्वत, जो किसी अपील के विरोध में कार्रवाई कर रहा हो, यह समझा जायगा कि वह किसी मामले में परवी कर रहा है।

३ विवरण ३ इस दफ़ा के प्रयोजन के लिए फ़रीक़ेन का या विनाय मुख़ासमत का बेजा तौर पर शामिल किया जाना अख़्तियार समाप्त न होने का जैसा कारण समझा जायगा।

दफ़ा १५ उस समय का निकाल दिया जाना जिसमें कार्रवाई मुकद्दमा मुलतवी रही है

१ किसी ऐसी नालिश या किसी डिकरी की इजराके लिए दी जाने वाली ऐसी दरख़्वास्त के सम्बन्ध में, जिसका दायर किया जाया या इजरा, या हुकम इम्तनाई या दूसरे हुकम से मुलतवी कर दिया गया है, नियत (मुकर्रर) मियाद की मुद्दत का शुमार करने में वह समय, जिसमें वह हुकम इम्तनाई या दूसरा हुकम जारी रहा है, वह दिन, जिसको वह जारी किया गया था या दिया गया था और वह दिन, जिसको कि वह वापस लिया गया था, निकाल दिए जायेंगे।

२ किसी ऐसी नालिशके सम्बन्धमें, जिसकी नोटिस उस समय प्रचलित किसी भी कानूनके अनुसार दे दी गई है, नियत (मुकर्रर) मियादका शुमार करनेमें ऐसी नोटिसकी मुद्दत निकाल दी जायगी ।

दफा १६ उस समयका निकाल दिया जाना जिसमें किसी डिकरी की इजरामे होनेवाली नीलामको रद्द कर दिए जाने के लिए दायर किया गया मामला फैसल नहीं हुआ था

उस मियादकी मुद्दतका शुमार करनेमें, जो किसी डिकरीकी इजरा में होनेवाली नीलामके खरीदारकी ओरसे खरीद की हुई जायदादपर कब्जा दिलापानेके लिए दायर की जानेवाली नालिशके सम्बन्धमें नियत (मुकर्रर) की गई है, वह समय, जिसमें नीलाम रद्द किए जानेके लिए दायर किया गया मामला चलता रहा है, निकाल दिया जायगा ।

दफा १७ नालिश करनेका हक पैदा होनेके पहिले मौत हो जानेका असर

१ जब वह शख्स, जिसे, अगर वह जीवित होता तो, किसी नालिशके दायर करने या दरखवास्त देनेका हक मिला हुआ होता, ऐसे हकके पैदा होनेके पहिले ही मर जाय, तो मियादकी मुद्दतका शुमार उस समयसे किया जायगा जब उस मृत पुरुष (मुतौफी) का कोई कानूनी प्रतिनिधि पैदा होजाय जिसे नालिश दायर कर सकने या दरखवास्त दे सकनेका हक था ।

२ जब वह शख्स, जिसके विरुद्ध, अगर वह जीवित होता, नालिश दायर किए जाने या दरखवास्त दिए जाने का हक पैदा हुआ होता, ऐसा हक पैदा होने के पहिले ही मर जाता है, तो मियादकी मुद्दतका शुमार उस समयसे किया जायगा जब उस मृत पुरुष (मुतौफी) का कोई कानूनी प्रतिनिधि पैदा होगया हो जिसने विरुद्ध मुद्दत नालिश दायर कर सके या दरखवास्त देसके ।

३ उप दफा (१) और (२) में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो उस नालिशके सम्बन्धमें, जो हक शिफा करनेका हक क़ायम कराने के लिए दायर की गई हो, या उस नालिशके सम्बन्धमें लागू होती हो जो जागदाद गैर मनकूला या किसी पैत्रिक पद (Hereditary Office) का कब्जा दिलापाने के लिए दायर की गई हो ।

दफा १८ फरेव (Fraud) का परिणाम

जब किसी शख्सको, जिसे नालिश दायर कर सकने या दरखवास्त देने का हक है, फरेवसे ऐसे हककी या उस हकीयतकी, जिसके आधारपर वह पैदा होता है, पात जानने न दी गई हो, या जब कोई फागज (Document), जो ऐसे

हक़ को तय करने के लिए जरूरी है, छल (फरेब) करके उसने लिपाया गया हो, तो उस मियाद की मुद्दतका, जो—

(ए) उस शख्सके विरुद्ध जोकि छल (फरेब) करनेका दोषी है अथवा उससे सहायक रहा है, या

(बी) उस शख्सके विरुद्ध, जो, नेकनीयतीसे और किसी रूपके बदलेके सिवा और किसी तरह, उसके जरिये से दायेदार है नालिश दायर किए जाने या दरखास्त दिए जानेके लिए नियत है,

शुमार उस समयसे किया जायगा जब पहिले पहल उस छल (फरेब) का पता उस शख्सको मिला हो जिसको इससे क्षति पहुँची है, या, किसी कागज़ लिपाये जानेवाँ दशामें, उस समय से, जब उसके पास पहिले पहल उसके पेश करने या पेश करा सकने के साधन मौजूद थे।

दफा १९ लिखित स्वीकृत-पत्र (Acknowledgement) का असर

जब उस मुद्दतके खतम होनेके पहिले, जो किसी जायदाद या हक़के सम्बन्धमें दायर की जानेवाली नालिश या दीजानेवाली दरखास्तके सम्बन्धमें नियत है, ऐसी जायदाद या हक़के सम्बन्धमें दायित्व (Liability) का लिखित स्वीकृत-पत्र (Acknowledgement) दे दिया गया हो, जिसपर उस शख्सने जिसके विरुद्ध ऐसी जायदाद या हक़की निश्चत दावा किया हो या उस शख्सने जिसके जरियेसे उसे हक़ीयत या दायित्व पैदा होता है, अपने हस्ताक्षर कर दिए हों, तो मियादकी नई मुद्दतका शुमार उस समयसे किया जायगा जब उस स्वीकृत-पत्र (Acknowledgement) पर इस प्रकार हस्ताक्षर किए गए हों।

२ जब उस, स्वीकृत पत्र (Acknowledgement) के ऊपर तारीख न पड़ी हो, उस समयके सम्बन्धमें, जिस समय कि उसपर हस्ताक्षर किए गए थे, जवानी शहादत पेश की जासकती है, लेकिन भारतीय कानून शहादत (Indian Evidence Act) सन् १८७२ ई० के नियमों की पाबन्दीमें रहते हुए उसमें लिखी गई बातोंके सम्बन्धमें जवानी शहादत न लीजायगी।

विवरण १—इस दफा के प्रयोजनके लिए लिखित स्वीकृत पत्र (Acknowledgement) काफी समझा जायगा, यद्यपि उसमें जायदाद या हक़की असली हालत न भी बतलाई गई हो, या उसमें यह बतलाया गया हो कि अदायगी (Payment) सिपुर्दगी (Delivery) तामील (Performance) या इस्तेमाल (Enjoyment) का समय अभी नहीं आया है या उसमें अदायगी, सिपुर्दगी और तामील करने या इस्तेमालकी इजाजत देतेसे इन्कार कर दी गई हो, या उसमें मुजरई रक़मकी निश्चत दावा किया गया हो अथवा यह उस शख्सके सिवाय, जो उस जायदाद या हक़के पानेका अधिकारी है, दूसरे शख्सके नाम लिखा गया हो।

विवरण २—इस दफा के प्रयोजनके लिए "हस्ताक्षर कर दिए हों" का अर्थ यह है कि उसने अपने हाथसे दस्तख़त कर दिए हों, या उसके किसी मुख़्तार (Agent) ने, जिसे इस सम्बन्धमें अधिकार दिए गए हैं, उसकी ओरसे दस्तख़त कर दिए गए हों।

विवरण ३—इस दफा के प्रयोजनके लिये किसी डिकरी या हुक्मकी इजरा के लिये दी गई दरख़वास्त किसी वक़ूकी निस्वत दी गई दरख़वास्त है।

दफा २० व्याजका वतौर व्याजके अथवा मूलके किसी अंश (हस्से) के अदाकर देनेका असर

१ जब किसी ऋण (क़र्ज़) या हिबाबिल्ल वसीयत (Legacy) के सम्बन्धमें दातव्य (वाजिब) ब्याजका रूपया नियत समयके समाप्त होनेके पहिले वतौर व्याजके उस शख़्स द्वारा, जो ऋण अथवा हिबाबिल्ल वसीयतसे प्राप्त धन का देनदार है, अथवा उसके मुख़्तार मजाज द्वारा, जिसे इस सम्बन्धमें वाक़ायदा अख़्तयार दिया गया है, अदा कर दिया जाय,

या जब किसी ऋणके मूलधन (असल रुपये) का कोई अंश (हिस्सा) नियत रूपये के समाप्त होने के पहिले, ऋणी द्वारा या उसके मुख़्तार द्वारा, जिसे इस सम्बन्धमें वाक़ायदा अख़्तयार दिया गया है, अदा कर दिया जाय,

तो मियादकी नई मुद्दतका शुमार उस समयसे किया जायगा जबकि इस व्याज अथवा मूलधनका रूपया अदा किया गया था।

लेकिन शर्त यह है कि, जब किसी ऋणके मूलधन (असल रुपये) का एक अंश (हिस्सा) अदा किया गया हो तो, यह अदायगी उसके हाथसे लिखी गई होनी चाहिये जिसने रूपया अदा किया है।

२ रेहन की हुई आराजी की पैदावार वसूल लेने का असर—

जब रेहन की हुई आराजी पर मुतद्दिन का दख़ल (क़ब्ज़ा) हो, तो ऐसी आराजी के लगान या उसका पैदावार का वसूल कर लेना उपदफा (१) के प्रयोजन के लिए अदायगी समझा जायगा।

विवरण—ऋण (क़र्ज़ Debt) में वह रूपया भी शामिल है जो अदालत की किसी डिकरी या हुक्म के अनुसार वाजिबुद्द अदा हो।

दफा २१ जो शख़्स नालिश वगैरा के नाक़ाबिल है, उसका मुख़्तार

१ दफा १९ और २० में आए हुए "मुख़्तार जिसको इस सम्बन्ध में वाक़ायदा अख़्तयार दिया गया हो" वाक्य में, उन्म शख़्स के सम्बन्ध में, जो नालिश वगैराके नाक़ाबिल (अयोग्य) है, उसका क़ानूनी वली, क़मेठी या मीनेजर, अथवा वह मुख़्तार जिसको ऐसे वली, क़मेठी या मीनेजरकी ओर से स्वीक़ृति पत्र (Ackn

nowledgement) पर हस्ताक्षर करने या रुपये की अदायगी करने का पदा भङ्ग्यार दिया गया हो ।

२ कई एक मुश्तरफा मुआहिदादारों इत्यादि में से किसी एक की ओर स्वीकृति-पत्र (Acknowledgement) का लिखा जाना या रुपये का किया जाना—

उपरोक्त दफाओं में कोई भी बात ऐसी नहीं है जिससे कई एक मुश्तरफा मुआहिदादारों, हिस्सेदारों, तामील कुनिन्दो अथवा मुर्तेहिनाम से कोई एक केवल किसी लिखित स्वीकृति पत्र के कारण, जिसपर उसके या उनमें से किसी दूसरे या किन्हीं दूसरोंके मुखतारने हस्ताक्षर किए जा या उस अदायगीके पत्र जो उसके या उनमें से किसी दूसरे या किन्हीं दूसरोंके मुखतार द्वारा कीगई दफा २२ नये मुद्दई या मुद्दाअलेह के बढाए जाने या वि

दूसरे मुद्दई या मुद्दाअलेह की जगह पर शामिल किए जाने का असर

१ जब नालिश दायर हो जाने के बाद नए मुद्दई या मुद्दाअलेह का बढाया जाय या किसी दूसरे मुद्दई या मुद्दाअलेह की जगह शामिल किया जा तो जहा तक उसका सम्बन्ध है वह नालिश उस समय दायर कीगई सम्भाल जायगी जब कि वह शर्खस फरीक मुकद्दमा बनाया गया था ।

२ उप दफा (१) में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो उस मामले में लगी होती हो जिसमें कोई शर्खस किसी मुकद्दम के दौरान में कीगई किसी इक मुन्तकिल कर दिए जाने (Assisment) या दे दिए जाने (Devolution) कारण बढाया गया हो या दूसरे शर्खस की जगह फरीक बनाया गया हो जिसमें कोई मुद्दई मुद्दाअलेह बना दिया गया हो और मुद्दाअलेह मुद्दई ।

दफा २३ शिकस्त मुआहिदा और फेल-बेजा का बराबर जारी रहना

जब किसी मुआहिदाकी शिकस्त (Breaches) और फेल बेजा (Wrongful) जिसका मुआहिदा से कोई ताल्लुक नहीं है बराबर जारी रहे, तो ऐसी दशा में मियाद की मुद्दत उस समय के प्रत्येक मिनट से जारी होगी जिसमें वह शिकस्त मुआहिदा या फेल बेजा, जैसा कुछ भी हो, जारी रहा हो ।

दफा २४ किसी ऐसे कामके लिए मुआविजेकी नालिश, जो बिना कोई खास नुकसान पहुचाए न की जा सकती हो

अगर कोई नालिश किसी ऐसे काम के मुआविजे की बाबत दायर कीगई हो, जिसमें उस समय तक मुकद्दम की चिनाप मुद्दासमत न पैदा होती हो जा

तक कि उससे कोई खास नुकसान न पहुँचा हो, तो मियाद की मुदत का शुमार उस समय से किया जायगा जब कि नुकसान हुआ हो।

उदाहरण (Illustration)

'क' एक क्षेत्र की ऊपरी जमीन का मालिक है। 'ख' उसके नीचे की जमीन (Sub-said) का मालिक है। 'घ' उस ऊपरी जमीन को बिना कोई जाहिरा नुकसान पहुँचाए उसमें से खोद कर कोयला निकालता है, लेकिन अन्त में वह ऊपरी जमीन चैठ जाती है। ऐसी दशा में 'क' की ओर से 'ख' के ऊपर की जाने वाली नालिश की मियाद की मुदत उस समय से शुरू होती है जिस समय वह जमीन चैठ गई थी।

दफा २५ दस्तावेजमें बतलाई हुई मुदतका शुमार

इस ऐक्ट के प्रयोजन के लिए कुछ दस्तावेजों की निम्नवत यह समझा जायगा कि उनमें बतलाई गई मुदत का शुमार वे भी ग्रीगोरियन साल (साल लगान) के हिसाब से किया जाना चाहिए।

उदाहरण (Illustrations)

(ए) एक हिन्दू ने एक इन्दुल कलव दफा (Promissory note) लिखा जिसमें उसने सिर्फ देशी तारीख [Native date] डाली और इस तारीख से ५ महीने के बाद रुपये की अदायगी का वादा किया। इस दफा की निम्नवत की जाने वाली नालिश के सम्बन्ध में लागू होने वाली मियाद की मुदत का शुमार उस तारीख से चार महीने, जिनका शुमार ग्रीगोरियन साल के हिसाब से किया जायगा शुरू जाने के बाद से किया जायगा।

(बी) एक हिन्दू ने एक तमस्तुक लिखा, जिसपर उसने देशी तारीख (Native date) डाली और रुपये की अदायगी का एक साल का वादा किया। तो इस तमस्तुक की वाकत की जाने वाली नालिश के सम्बन्ध में लागू होने वाली मियाद की मुदत का शुमार उस तारीख के बाद एक साल की जिसका शुमार ग्रीगोरियन साल (साल लगान) के अनुसार किया जायगा, मुदत खतम हो जाने के समय से आरम्भ की जायगी।

नोट—ग्रीगोरियन साल ३६६ दिन का होता है।

चौथा प्रकरण

दखल के जरिये मिल्कियत का हासिल करना

Acquisition of ownership by Possession

दफा २६ हक आसायश का हासिल करना

१ जब किसी मकान के सम्बन्ध में रोशनी या हवा के आने जाने और उस इस्तेमाल के हक का बतौर हक आसायश और अधिकार के बिना किसी रोक-टोक के और तीस साल तक उपभोग किया गया हो,

और जब किसी मार्ग (Way) या जल-मार्ग (Water Course), अथवा किसी पानी के इस्तेमाल का हक या दूसरा हक आसायश [चाहे वह इफरारी हो या इन्फारी] का शान्ति के साथ और सुले तौर पर किसी ऐसे शख्स द्वारा, जो उसके लिए बतौर हक आसायश और अधिकार के दावेदार है, बिना रोक-टोक और तीस साल तक उपभोग किया गया हो,

तो ऐसी रोशनी या हवा के आने जाने और इस्तेमाल, मार्ग, जल-मार्ग, पानी के इस्तेमाल या दूसरी आसायश के इस्तेमाल का हक कतई और ऐसा होगा जिसमें कोई कुछ भी आपत्ति न कर सकेगा ।

उपरोक्त तीस साल की दरएक मुद्दत ऐसी मुद्दत समझी जायगी जिनकी समाप्ति उस नालिश के दायर किए जाने के ठीक दो साल पहिले हुई हो जिसमें उस दावा की निश्चत झगडा है जिससे इस मुद्दत का सम्बन्ध है ।

२ जब वह जायदाद, जिसके ऊपर उप दफा (१) के अनुसार किसी हक की निश्चत दावा किया गया है, सरकारी [गवर्नमेन्ट, की] जायदाद हो, तो उस उप-दफा में "तीस साल" की जगह "साठ साल" पढना चाहिए ।

विवरण—इस दफा के अर्थ कोई भी बात रोक-टोक करने वाली न समझी जायगी, जब तक कि दावेदार को छोड़ किसी दूसरे शख्स के किसी काम से रुकावट डाले जाने के कारण इस दखल या उपभोग (enjoyment) को वास्तव में रोक न दिया गया हो और जब तक कि ऐसी रुकावट दावेदार को इस रोक-टोक किए जाने की और उस शख्सकी, जितने यह रोक टोक डाली है या उसके डाले जाने के लिए दूसरे को अधिकार दिया है, नोटिस मिल जाने के बाद एक साल तक उस रोक-टोक को छोड़ न दिया गया हो या स्वीकार न कर लिया गया हो ।

उदाहरण (Illustrations)

- (ए) एक नालिश मार्ग (Way) सम्बन्धी अधिकारों में रुकावट डालने के लिए सन् १९११ ई० में दायर की जाती है। मुद्दाअलेह इस रुकावट डालने की बात को स्वीकार कर लेता है, लेकिन उस मार्ग सम्बन्धी अधिकारको अस्वीकार करता है। मुद्दई यह साबित करता है कि उसने उस अधिकार का शान्ति के साथ और खुले तौर पर, उसके सम्बन्ध में बतौर हक आसायश के दावा रखते हुए, बिना किसी शक दोष के तारीख १ जनवरी सन् १८९० ई० से १ जनवरी सन् १९१० ई० तक उपभोग किया। मुद्दई मुकदमे में फैसले का हकदार है।
- (बी) इसी तरह की एक नालिश में मुद्दई यह दिखलाता है कि उसने इस अधिकार उपभोग शान्ति के साथ खुले तौर पर बीस साल तक किया है। मुद्दाअलेह यह साबित करता है कि मुद्दईने इस बीससाल की मुद्दत के अन्दर एक समय, इस अधिकार का उपभोग करने के लिए, उसकी आज्ञा प्राप्त की थी। ऐसी दशा में नालिश खारिज कर दी जायगी।

दफा २७ मिलिकयत तावेह (Servient Tenement) के वारिस मावाद (रिवर्सनर) के हक में, मुद्दत का निकाल दिया जाना

जब किसी जमीन या पानी पर, जिसके ऊपर, जिसपर से या जिससे कोई हक आसायश हासिल किया गया है या उसका उपभोग किया गया है, किसी हक हीन हयाती या किसी मुद्दत के जो उसके दिए जाने की तारीख से तीस साल से अधिक न हो, अनुसार या उसके कारण कृन्ना रखा गया हो, तो बीस साल की इस मुद्दत का शुमार करने में उसमें से वह समय निकाल दिया जायगा जिसमें उसने ऐसे हक या मुद्दत के दौरान में हक आसायश (Easement) का उपभोग किया है, यशर्त कि इस दावा की, एते हक या मुद्दत के सतम होजाने के ठीक दो साल के अन्दर, उस मुद्दत ने मुन्वालिफ्त कर दी हो जो, उस हक या मुद्दतके सतम होजाने पर, उक्त जमीन या पानी के लिए हकदार है।

उदाहरण (Illustration)

'क' इस बात का एलाग करने के लिए नालिश दायर करता है कि उसे 'ग' की जमीन पर होकर निगटने का अधिकार है। 'क' इस बात को साबित करता है कि उसने पचीस साल तक इस अधिकार का उपभोग किया है; एतित 'ग' इस बात को दिखलाता है कि इनमें से दस साल तक इस जमीन पर 'ग'

को, जोकि एक हिन्दू चेवा है, हक हीनहमाती हासिल था, यह कि 'ग'के मरने पर 'ख' उस जमीन का हकदार हुआ और यह कि 'ग' के मरने के बाद दो साल के भीतर उसने इस अधिकार के सम्बन्ध में 'फ' के दावा की मुखालिप्त की। ऐसी दशा में नालिश खारिज हो जानी चाहिये, क्योंकि इस दफा के अनुसार उसने सिर्फ पन्द्रह साल तक ही अपने इस अधिकार के उपभोग को साबित किया है।

दफा २८ जायदाद सम्बन्धी अधिकार का जाता रहना

किसी भी ऐसी मियाद के, जो किसी शख्स को इस कानून के अनुसार किसी जायदाद पर कब्जा दिला पाने के सम्बन्ध में नालिश दायर करने के लिए दी गई है, खतम होजाने पर उस जायदाद के सम्बन्ध में प्राप्त उसका अधिकार जाता रहेगा।

पांचवां प्रकरण

बचत और मसूखी

Savings and Repeals

दफा २९ बचत

१ इस ऐक्ट में कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे भारतीय कानून सुआहिदा (Indian Contract Act) सन् १८७२ ई० की दफा २५ पर कोई असर पड़ता हो ।

२ जब किसी विरोध अथवा स्थानीय कानून के अनुसार, किसी नालिश अपील या दरख्वास्त के लिए मियाद की कोई ऐसी मुद्दत निश्चित की गई हो, जो उस मुद्दत से भिन्न है जो परिशिष्ट (१) में इनके लिए बतलाई गई है, तो दफा ३ के नियम लागू होंगे, मानों इनके सम्बन्ध में उस परिशिष्ट में ही वह मुद्दत निश्चित कर दी गई थी, और मियाद की किसी मुद्दत को, जो किसी विरोध अथवा स्थानीय कानून के अनुसार किसी नालिश, अपील या दरख्वास्त के लिए निश्चित की गई है, तय करने के लिए —

(ए) वे नियम, जो दफा ४, ९ से १८ तक की दफानों में और दफा २२ में बतलाए गए हैं, वही तक और उसी हद तक लागू होंगे, जब तक कि वे ऐसे विरोध अथवा स्थानीय कानून द्वारा विरोध रूप से निकाल न दिए गए हों, और

(बी) इस ऐक्ट के रोप नियम लागू न होंगे ।

३ इस ऐक्ट में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो इण्डियन ट्राइब्यूनल ऐक्ट (कानून तलाक़ हिन्द) सन् १८६९ ई० के अनुसार की जाने वाली नालिशों के सम्बन्ध में लागू होती हो ।

४ दफा २६ और २७ और दफा २ में बतलाई हुई "हक़ आसायश (Easement) की परिभाषा उन स्थानों में होने वाले मुक़दमा में लागू नहीं होते जिनमें उस समय इण्डियन ईजमंट ऐक्ट (कानून आसायश) सन् १८८२ ई० लागू हो ।

दफा ३० उन नालिशोंके सम्बन्धमें व्यवस्था, जिनके सम्बन्ध में नियत (मुकर्रर) मियाद की मुद्दत उस मुद्दतसे कम हो, जो भारतीय कानून मियाद [इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट] सन् १८७७ ई० में निश्चित की गई है

चाहे इस ऐक्टमें कोई भी व्यवस्था क्यों न हो, कोई भी ऐसी नालिश जिसके सम्बन्धमें इस ऐक्टके अनुसार निश्चित मियादकी मुद्दत उस मियादकी मुद्दतसे कम है, जो भारतीय कानून मियाद [इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट] सन् १८७७ ई० के अनुसार निश्चित की गई है, इस ऐक्टके पास होनेसे ठीक दो सालके अन्दर, या उस मुद्दतके अन्दर दायर की जासकती है जो भारतीय कानून मियाद सन् १८७७ ई० के अनुसार निश्चित की गई है, इसमें से जो भी मुद्दत पहिले खतम होती हो।

दफा ३१ परिशिष्ट (२) में बतलाए हुए प्रान्तोंमें कुछ मुर्त-हिनोंकी ओरमें की जानेवाली नालिशोंके सम्बन्ध में व्यवस्था

१ इस ऐक्टमें अथवा इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट [भारतीय कानून मियाद] सन् १८७७ ई० में चाहे कुछ भी व्यवस्था क्यों न हो, उन प्रान्तोंमें, जो परिशिष्ट (२) में बतलाए गए हैं, किसी मुर्तहिनोंकी ओरसे नीलामकी बचत की जानेवाली नालिशों या बैचातके लिए की जानेवाली नालिश इस ऐक्टके पास होनेकी तारीख से दो सालके अन्दर या जिस तारीखको, रद्दननामासे लिया गया रुपया वाजिबुल अदा हुआ हो उस तारीख से साठ सालके अन्दर, इसमें से जो कोई भी मुद्दत पहिले खतम होती हो, दायरकी जासकती है, और उक्त प्रान्तोंमें कोई भी ऐसी नालिश, जो उपरोक्त साठ सालकी मियादके अन्दर दायर की गई हो और इस ऐक्टके पास होनेकी तारीख को, किसी प्रारम्भिक अदालतमें या किसी अदालत अपीलमें, बिना फैसलकी हुई पड़ी हो, इस बिनापर खारिज न की जायगी कि इसमें बारह सालकी मियाद सम्बन्धी नियम लागू होता है।

२ जब उपरोक्त प्रान्तोंमें किसी मुर्तहिनोंका बैचात या नीलामकी निस्पत किया गया दावा जुलाई सन् १९०७ ई० की चाईसवी तारीख के बाद और इस ऐक्टके पास होनेके पहिले इस बिनापर, कि ऐसे दावोंके सम्बन्धमें बारह वर्षकी मियाद सम्बन्धी नियम लागू होता है, पूर्णतः अथवा अंशत खारिज कर दिया गया हो या वापस ले लिया गया हो, फिर चाहे वह किसी प्रारम्भिक अदालतमें हो अथवा अदालत अपीलमें, तो उस अदालतको, जिसने इस दावाको खारिज कर दिया था

(४१३)

या जिसमें से वह वापस लें लिया गया था, लिखित दरफ़्वास्त देनेपर उस मामले की फिर समावतकी जासकती है, बशर्ते कि दरफ़्वास्त इस ऐक्टके पास होनेकी तारीख़ से छ महीनेके भीतर दीजाय, और उस मामलेके पहाल होजानेपर उप दफा (१) के नियम लागू होंगे ।

दफा ३२ ऐक्ट नं० १७ सन् १९१४ ई० द्वारा मंसूख़ किया गया

परिशिष्ट (१)

[देखो दफा ३]

प्रथम खण्ड-नालिशें

नालिश की किस्म	मियाद की सुदृत	मियाद कब से शुरू होगी ?
१ वेस्ट लंडन्स (क्लेम ऐक्ट सन् १८६३) के अनुसार घोट माल के दिए हुए फंसले को मसूख करने के लिए की गई नालिश	भाग १ तीस दिन ३० दिन	जब इस फैसलेकी नोटिस मुद्रईको दीगई हो।
२ किसी ऐस काम के करने या न करने के लिए, जो उस समय ब्रिटिश भारत में प्रचलित किसी कानूनके अनुसार किया गया बतलाया जाता है, सुभाषिजा की बावत नालिश ।	भाग २ नब्बे दिन ९० दिन	जिस समय वह काम किया जाय या न किया जाय ।
३ स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्ट सन् १९७७ ई० की दफा ९ के अनुसार जायदाद गैर मनकूला के ऊपर कब्जा दिलापाने के लिए नालिश ।	भाग ३-छ महीना ६ महीना	जिस समय कब्जा छीन लिया गया हो ।
४ एम्प्लायर्स ऐण्ड वर्कमेन (डिस्प्यूट्स ऐक्ट सन् १८६० ई० की दफा १ के अनुसारकी जाने वाली नालिश	”	जिस समय मजदूरी, किराया या कीमतकी कीमत चाखिसुख अदा होगई हो ।

जिस समय कृषि का रूप या देहानीदका रूप या वाजिपुत्र वसूल हुआ हो या जायदाद काबिल वापसी के होगई हो ।

भाग ४-एक साल

जिस समय जुमाना या जल्ती कीगई हो ।

जिस समय मजदूरी वाजिपुत्र वसूल हुई हो ।

”

जिस समय खाने अथवा पीनेका सामान दिया गया हो ।

”

जिस समय किराया वाजिपुत्र भदा हुआ हो ।

”

जिस समय खरीदारने यपनामा अनुसार फुरोहुर भुद कुल जायदादपर वाकिई कज्जा कर लिया हो, या जबकि फुरोहुर शुद खीजपर वाकिई कज्जा न किया जा सकता हो तो उस समय से, जबकि दुस्तोबेज यपनामा की रजिदूरी हुई हो ।
हुबमकी खारीबू से ।

”

”

५ जाबता दीधानी सन् १९०८० की दफा १०८ (२) में बतलाइ हुई सरसरी के जायते के अनुसार नालिश ।

६ जुमाना या जल्ती के लिए किसी कानून, पैक्ट, रेगुले-शन या चार्ज-जों के ऊपर कीगई (नालिश)

७ किसी घरेलू नौकर, शिल्प कार या मजदूर की मजदूरी की बाबत, जिसके लिए इस परिशिष्ट के भाटि ४ में व्यवस्था नहीं है, की जाने वाली नालिश ।

८ खाने अथवा पीने के सामान की कीमत की बाबत, जिसे किसी होरल घाटे भट्टी (शराब खाना) वाले किसी सराय के मालिक ने खंची हो ।

९ नालिश बाबत खिराया सराय ।

१० इक गिफा का इक भामल में खाने के लिए नालिश, चाहे यह इक कानून के आधार पर हो या आम खिवाज्र अथवा किसी सराय सुआहिदा के आधार पर ।

११ उस राएस की मोर से, जिसके खिळाफ नोचे खिया कोई भी हुबम दिया गया हो, उस इक को कायम करने के

नालिये की किस्म

लिए की गईं नालिया जिसके लिए वह उस हुकम में बतलाई हुई जायदाद के लिए दावेदार है।

१ जायता दीवानी सन् १९०८ ई० के अनुसार दिया गया हुकम, जो उस दावा के ऊपर, जो उस जायदाद की निस्वत किया गया है जो किसी डिकरी की इजरा में हुके की गई है, या उस उम्दारी के ऊपर दिया गया हो, जो उस जायदाद की कुर्की की निस्वत किया गया है।

२ प्रेजीडेन्सी अदालत यूफीफा ऐस्ट सन् १८८९ ई० की दफा २८ के अनुसार दिया गया हुकम।

३१ (ए) उस शर्हसकी ओरसे, जिसके खिलाफ जायता दीवानी सन् १९०८ ई० के अनुसार हुकम दिया गया है, किसी डिकरी दार की दरख्वास्त के ऊपर, जो कि उसने जाय दाद गैर मत हुला पर कब्जा करने की याचत दी है या उस दरख्वास्त पर, जो कि किसी डिकरी की इजरा में नीलाम हुई ऐसी जायदाद के खरीदार ने दी है और जिनमें उन्होंने उस जायदाद के ऊपर कब्जा करने में डाली जाने वाली रुकावट या उसके विरोध किए जाने के सम्बन्ध में शिकायत की है, या उस दरख्वास्त के ऊपर, जो किसी ऐसे शर्हस की ओर दी गई है जो डि-

मियादकी मुद्दत

एक साल

मियाद कब से शुरू होगी

हुकम की तारीख से

करीदार या खरीदार को कब्जा दिए जाने के समय उस जायदाद से बेदखल कर दिया गया है, उस हक को क़ायम करने के लिए कीगई नालिश लिख हक के लिए वह उस हुकम में बतलाई हुई जायदाद के मौजूदा कब्जे की वायत दवेदार है।

१२ नीचे लिखे नीलामों को रद्द करने के लिए नालिश—

(ए) किसी अदालत की दीवानी को डिकरी की इजरासे होने वाली नीलाम,

(बी) किसी कलक्टर या हाकिम माल के हुकम या डिकरी के अनुसार की हुई नीलाम।

(सी) सरकारी मालगुजारी की बकाया में होने वाला नीलाम, या किसी ऐसी रकम के सम्बन्ध में होने वाली नीलाम जो शर्तौर ऐसी बकाया के बसूठ किए जाने को हो।

(डी) किसी पटनी तालुक की नीलाम जो हाल की बकाया अगान की निस्वत नीलाम हुई हो।

विवरण—इस आर्टिकल में “पटनी” में कोई भी दार्मियानी हक आराफी शामिल है जो हाल के बकाया लगान की वायतनीलाम किए जाने के काबिल है।

जिस समय नीलामकी मन्जूरी वै दीगई हो, या भीर तरह पर वह नीलाम फुतई और भाखिरी होजाता, अगर ऐसी नालिश दायर न कीगई होती।

१३ किसी अदालत दीवानी के फौसले या हुकम को बदल देने या मसख कर देने के लिए, जो उसने किसी मुकदमे के अलावा किसी दूसरी कार्रवाई में दिया हो,।

१४ किसी सरकारी अफसर के किसी ग्रेड या हुकम को, जो उसने सरकारी अफसर की हैसियत से दिया हो, रद्द करने के लिए नालिश।

१५ सरकार के विरुद्ध, किसी कुर्की, पट्टा या मुन्तकिली जायदाद गैर मतकूला को, जो किसी हाकिम माल की ओर से सरकारी मालगुजारी की चकाया के लिए की गई हो, मसख कराने के लिए नालिश।

१६ सरकार के विरुद्ध उस रुपये को वापस थिलापाने के लिए नालिश जो रुपया किसी प्रोटेक्ट में उस दावा की निस्वत अदा किया गया हो जो मोहकमे माल के हाकिमो ने चावत चकाया मालगुजारी या चावत उस मतालया के किया हो जो व्तोर ऐसी चकाया के वाजिबुल वसूल है।

१७ सरकार के विरुद्ध उस जमीन के माविजा की चावा नालिश जो जमीन कि सरकारी (Public) कामों के लिए ले ली गई है।

मियाद का मुद्दत

एक साल

”

”

,

”

मियाद कब से शुरू होगी

आखिरी फौसला या हुकमकी तारीख से, अगर वह फौसला या हुकम किसी ऐसी अदालतकी ओरसे दिया गया है जिसे इसके देनेका अधिकृतियार है।

पंचट या हुकमकी तारीख से।

जिस समय कुर्की, या मुन्तकिली की गई या पट्टा दिया गया हो।

जिस समय रुपया अदा किया गया हो।

जिस तारीखको माविजाकी रकम तय की गई हो।

१८ इसी प्रकार की नालिश बाबत सुभाविजा के जबकि आराजी (जमीन) का ले लिया जाना पूरा न हुआ हो।
१९ गलत तौर पर ईद रखने के लिए सुभाविजा की बाबत नालिश।

२० तामोल कुनिन्दे, प्रबन्धकताओं अथवा प्रतिनिधियों की ओर से लागल रिप्रेजेंटेटिव्स स्ट्रेस पेट सन् १८५५ ई० के अनुसार की जान वाली नालिश।

२१ तामोल कुनिन्दे प्रबन्धकताओं अथवा प्रतिनिधियों की ओर से इण्डियन फेडल एक्सीटेण्डस ऐक्ट सन् १८५५ ई० के अनुसार की जाने वाली नालिश।

२२ किसी दूसरे उकसान के, जो उस शब्द को पहुँचाया गया है, माविजा की बाबत नालिश।

२३ अदालत से छूटा मामला चलाने के लिए सुभाविजा की बाबत नालिश।

२४ मानद्वानि करने के लिए सुभाविजा की बाबत नालिश।

२५ जबानी वीदीन (Slender) करने के लिए सुभाविजा की बाबत नालिश।

जिस तारीखको पूरा करने से इन्कार कर दी गई हो।

जिस तारीखको ईद छतम होती हो।

जिस तारीखको उस शब्दकी मृत्यु हुई हो जिसको उकसान पहुँचाया गया है (अर्थात् जिसके साथ अग्याय हुआ है)।

उस शब्दके मरनेकी तारीखसे जो कि कृत्त किया गया है।

जिस वक्त उकसान पहुँचाया गया हो।

जिस समय मुद्दें बरी कर दिया गया हो या और किसी तरहसे मुकदमा खारिज हो गया हो।

जिस समय मानद्वानिकी बाते प्रकाशित की गई हो।
जब वीदीनवाली बाते कही गई हो या, खाली रन बाता (शब्द) के ऊपर ही मामलान चलाया जासकता हो तो, उस समय जब वह दानि पहुँचा हो जिसकी निश्चयत शिकायत की गई है।

नालिश की क्रिसम

२६ उस नौकरी के चले जाने की निश्चिन्ता, जो कि सुदर्श के बहकवि में आजाने के कारण छूट गई हो, सुभाविजा की

नालिश ।

२७ किसी शख्स को यह सलाह देने के लिए, कि वह सुदर्श के साथ में किए गए सुभाहिदे को तोड़ दे, सुभाविजा की वावत नालिश ।

२८ किसी गैर कानूनी, बेकायदा जायदाद कुर्की की निश्चिन्ता सुभाविजा की नालिश ।

२९ किसी कानूनी हुक्मनामा के अनुसार जायदाद मजकूर की बेजा गिरफ्तारी (Wrongful seizure) की वावत सुभाविजा की नालिश ।

३० माल को खी देने या मुकसान पहुँचा देने की निश्चिन्ता हज्जकी वावत किसी मालक के जाने वाले (जहाज, रेलगाड़ी) के विरुद्ध नालिश ।

३१ माल की हवालगी न करने या हवालगी में देर करने के लिए हज्जकी वावत किसी माल के जाने वाले (जहाज, रेलगाड़ी) के विरुद्ध नालिश ।

गियाद कथ से शुरू होगी

जिस समय नौकरी जाती रही हो ।

जिस समय सुभाहिदा तोड़ दिया गया हो ।

कुर्की होनेकी तारीख़ से ।

गिरफ्तारी जायदादकी तारीख़ से ।

जिस समय माल खोगया हो या उसको कोई मुकसान पहुँचा हो ।

जिस तारीख़को माल हवाल किया जाना चाहिए था ।

गियादकी मुदत

एक साल

"

"

"

"

"

भाग ५ दो साल
दो साल

२२ उस शर्त के विरुद्ध की जाने वाली नालिश, जिसने किसी जापदाद को किसी खास काम के लिए इस्तेमाल किए जाने का हक रखते हुए उसे किसी दूसरे कामके लिए इस्तेमाल कर लिया हो।

२३ लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स स्ट्रस ऐक्ट सन् १८५५ ई० के अनुसार किसी तामील कुन्निन्दा के विरुद्ध की जाने वाली नालिश।

२४ इसी ऐक्ट के अनुसार किसी प्रबन्धकर्ता के विरुद्ध की जाने वाली नालिश।

२५ इसी ऐक्ट के अनुसार किसी दूसरे प्रतिनिधि के विरुद्ध।

२६ किसी फूल बेजा या नाजायज के करने या किसी फूल के न करने के, जिसका सुआहिदा से कोई भी सम्बन्ध नहीं है, और जिसके लिये इस परिशिष्ट में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है, सुभाविजा की याचत नालिश।

२७ किसी मार्ग भंगया जल मार्ग को रोकने के सुभाविजा की याचत नालिश।

जिस समय उस शर्तको, जिसे इस बातसे लुफ्तान पट्ट्या है, यह बात पहिले पहल माल्ज्म हुई हो।

जिस समय वह बेजा कार्रवाई की गई हो जिसकी निरवत शिकायत की गई है।

जिस समय वह हरकत बेजा की गई हो जिसकी निरवत शिकायत है।

”

जिस समय वह फूल बेजा, या फूल नाजायज किया गया हो या कोई फूल किया गया हो।

जिस तारीखको रुकावट डाली गई हो।

भाग ६ तीन साल
तीन साल

नालिय की किस्म

२६. सस नौकरी के चले जाने की निरन्तरता, जो कि सुदई के बढ़कामे में आजाने के कारण छूट गई हो, सुभाविजा की नालिय ।

२७. किसी थपूस को यह सलाह देने के लिए, कि वह सुदई के साथ में किए गए सुभाहिदे को तोड़ दे, सुभाविजा की यावत, नालिय ।

२८. किसी गैर-कानूनी, बंकायदा जायदाद कुर्की की निरन्तर सुभाविजा की नालिय ।

२९. किसी कानूनी हुस्ननामा के अन्तुसार जायदाद मनकूला की बेजा गिरफ्तारी (Wrongful seizure) की यावत सुभाविजा की नालिय ।

३०. माळ को खी देने या तुकसान पडुचा देने की निरन्तर हज्जोंकी यावत किसी माळके ले जाने वाले (जहाज, रेलगाड़ी) के विरुद्ध नालिय ।

३१. माळ की हवालगो न करने या हवालगो में देर करने के लिए हज्जों की यावत किसी माळ के जाने वाले (जहाज, रेलगाड़ी) के विरुद्ध नालिय ।

मियाद कब से शुरू होगी

जिस समय नौकरी जाती रही हो ।

जिस समय सुभाहिदा तोड़ दिया गया हो ।

कुर्की होनेकी तारीख से ।

गिरफ्तारी जायदादकी तारीख से ।

जिस समय माळ खोगया हो या उसकी कोई तुकसान पडुचा हो ।

जिस तारीखको माळ हवाले किया जाना चाहिए था ।

मियादकी सुदत

एक साल

"

"

"

"

"

३२ उस शब्द के विरुद्ध की जाने वाली नालिश, जिसने किसी जायदाद को किसी खास काम के लिए इस्तेमाल किए जाने का हक रखते हुए उसे किसी दूसरे कामके लिए इस्तेमाल कर लिया हो।

३३ लीगल रिमेन्डेन्स स्टूच ऐक्ट सन् १८५५ ई० के अनुसार किसी तामील कुनिन्दा के विरुद्ध की जाने वाली नालिश।

३४ इसी ऐक्ट के अनुसार किसी प्रबन्धकर्ता के विरुद्ध की जाने वाली नालिश।

३५ इसी ऐक्ट के अनुसार किसी दूसरे प्रतिनिधि के विरुद्ध।

३६ किसी फूल बेजा या नाजायज के करने या किसी फूल के न करने के, जिसका सुआदिदा से कोई भी सम्बन्ध नहीं है, और जिसके लिये इस परिशिष्ट में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है, सुभाविजा की बाबत नालिश।

३७ किसी मार्ग अथवा जल मार्ग को रोकने के सुभाविजा की बाबत नालिश।

भाग ५ दो साल
दो साल

”

”

”

”

भाग ६ तीस साल
तीन साल

जिस समय उस शब्दको, जिसे इस बातसे मुकसान पहुँचा है, यह बात पहिले पहल मालूम हुई हो।

जिस समय यह बेजा कार्रवाई की गई हो जिसकी निरस्त शिकायत की गई है।

जिस समय यह हरफत बेजा की गई हो जिसकी निरस्त शिकायत है।

”

जिस समय यह फूल बेजा, या फूल नाजायज किया गया हो या कोई फूल किया गया हो।

जिस वारीदको रुकावट डाली गई हो।

- २८ किसी जल्द-मौरी के बदलने के लिए सुभाविजा की बाबत नालिश।
- २९ जायदाद गर-मनकूला के ऊपर मदाखिलत बेजा करने के लिए सुभाविजा की बाबत नालिश।
- ३० लेखन सम्बन्धी अधिकार (Copy-right) अथवा किसी दूसरे विशिष्टधिकार (Exclusive Privilege) में बाधा डालने के लिए सुभाविजा की बाबत नालिश।
- ३१ किसी चीज को धिगाड़ने या नष्ट करने से रोकने के लिए नालिश।
- ३२ उस तुकसान के सुभाविजा की बाबत नालिश जो किसी ऐसे हुक्म इम्तनाई की वजह से हुआ हो जो बेजा तौरसे हाखिल किया गया है।
- ३३ भारतीय वजराधिकार ऐक्ट सन् १८६५ ई० की दफा ३३० या दफा २२१ के अनुसार, या मोवेट ऐण्ट पैटमिनिट्रेशन ऐक्ट सन् १८८१ ई० की दफा १२९ या दफा १४० के अनुसार किसी ऐसे शब्द का जिसे किसी वामील कुनिन्दा (वसी) या प्रबन्धकर्ता (सुदतमिम) ने घसीयती माल अदा किया हो या जायदाद तकसीम की हो, उसके फेर देने के लिए मजबूर किए जाने के वास्ते दायर की जाने वाली नालिश।

मियादकी
सुदत

तीन साल

"

"

"

"

"

मियाद कब से शुरू होगी

जिस तारीखको जल मार्गकी टिशा बदली गई हो।

मदाखिलत देजा करनेकी तारीख से।

जिस तारीख को ऐसे अधिकारमें बाधा डाली गयीहो।

जिस रूपये से इस चीजका बिगाडा जाना या नष्ट किया जाना शुरू हो।

जिस समय हुक्म इम्तनाई ख़तम होता हो।

अदायगी या तकसीमकी तारीख से

४४ किसी नायालिंग की ओर से, जो कि अब यालिंग हो गया है, उस वय की मसूली के लिए नालिश जो उसके कली ने की है।

४५ बगाल कोट में नीचे लिखे किसी भी रेगुलेशन के अन्तर्गत खार दिये गये फूसले की मसूली के लिए दायर की गई नालिश।

दि बगाल लेण्ड रेव्यू यूसेटिजमेण्ट रेगुलेशनमन् १८३३ ई०

दि बगाल लेण्ड रेव्यू यूसेटिजमेण्ट रेगुलेशनमन् १८२५ ई०

दि बगाल लेण्ड रेव्यू यूसेटिजमेण्ट रेगुलेशनमन् (डिपुटी कलेक्टर) रेगुलेशनमन् १८३३ ई०

४६ किसी फरीक की ओर से, जिसपर उस फलले का मानना लाजिमी है, उस जायदाद की वापस दिला पाने की बाबत नालिश जो कि उस फूसले में बतलाई गई है।

४७ किसी ऐसे शख्स की ओर से, जिसपर उस हुकम का मानना लाजिमी है जो किसी जायदाद पर मनकूला के कब्जा के सम्बन्ध में जायता फौजदारी सन् १८१८ ई० या मासलदास फाउण्डेसन् १९०६ ई० के अनुसार दिया गया हो, या किसी ऐसे शख्स की ओर से जो उसके जरिये से दावेदार है, उस जायदाद को दिला पाने की बाबत नालिश जो उस हुकम में बतलाई गई है।

जिस समय वह नायालिंग बाजिग हुआ हो।

जिस तारीखको मुकद्दमेम अन्तिम (Final) फैसला या हुकम दिया गया हो।

नालिश की किस्म

४६ जायदाद मनकूटा खास के लिए, जोकि खो गया है या चोरी (सफा) से या बददयानती से तसर्फ बेजा करके या उसका बयनामा मुत्तकिल कराके हासिल कीगई है, या बेजा तौर से उसके रख देने या रोक रखने के मुआयिजा के लिए नालिश ।

४९ जायदाद मनकूटा खास के लिए या उसके बेजा तौरसे ले लेने या मुक़सान पहुँचाने या बेजा तौर से उसके रोक रखने के मुआयिजा के लिए नालिश ।

५० जान गरी, सवारियो, नावों या खानगी सामानके किराये की बाबत नालिश ।

५१ उस रुपये की बाकी की बाबत नालिश जो वास्ते हवाले किए जाने किसी माल के बाबत उसकी कीमत के पेशगी दिया गया हो ।

५२ उस माल की कीमत के लिए नालिश, जो कि बेचा और हवाले किया गया हो, जब कि उस कीमत के अदा करने के लिए किसी पास मुद्दत का वादा न किया गया हो ।

५३ उस माल की कीमत की बाबत नालिश, जो बेचा और हवाले किया गया हो और जिसकी कीमत की अदायगी किसी एक पास मुद्दत के ख़तम होजाने पर की जाने को हो ।

मियादकी मुद्दत

तीन साल

”

”

”

”

”

मियाद कब से शुरू होगी

जिस समय उस शख्सको, जो उस जायदाद पर कब्जा पानेका हकदार है, पहिले पहल यह बात मालूम होजाय कि वह किसके कब्जेमें है ।

”

जिस समय जायदाद बेजातौरसे ले लीगई हो या जिस समय उसको रोक रखनेवालेका कब्जा नाजायज होजाय ।

जिस समय किराया वाजिबुल अदा हुआ हो ।

जिस समय वह माल हवाले किया जाना चाहिए था ।

जिस तारीखको माल हवाले किया गया हो ।

जिस समय वादेकी मुद्दत ख़तम होजाय ।

५४ इस माल की कीमत की बाबत नालिश, जो बेचा और हवाले किया गया हो और जिसकी कीमत बजरिये बिल आफ एक्सचेन्ज (हुण्डी), के की जाने को हा परन्तु ऐसा बिल दिया न गया हो।

५५ पेढी या खडी हुः फसल की, जो कि सुदई ने सुदा-अलह के हाथ बेचा है, कीमत की बाबत नालिश, जबकि कीमत की अदायगी का किसी खास मुद्दत के लिए वादा न किया गया हो।

५६ इस काम की डजरत नें लिए नालिश, जो कि सुदई ने सुदाअलह के लिए उसके पढ़ने पर किया हो, जब कि इस डजरत की अदायगी के लिए कोई खास मुद्दत सुकुरर नही की गई हो।

५७ कज लिए गए रुपये की बाबत अदा किए जाने वाले रुपये के लिए नालिश।

५८ इसी प्रकार घरी नालिश, जब कि महाजन ने रुपये की एवज में चेक दिया हा।

५९ इस रुपये के लिए नालिश जो इस इकरारनामा के लपर कज दिया गया हो कि वह किसी समय मागे जाने पर अदा कर दिया जायगा।

६० इस रुपये के लिए नालिश जो इस इकरारनामा के लपर

जिस समय उस वादा किये गये बिन्द (हुण्डी) की मियाद गुजर जाय।

जिस समय वे चीजे बची गईं हैं।

जिस समय कि काम किया गया हो।

जिस समय कर्जा दिया गया हो।

जिस समय चेकका रुपया अदा किया गया हो।

जिस समय रुपया कर्ज दिया गया हो।

जिस समय रुपया तलय (मागा) किया जाय।

नालिश की किस्म	मियादकी मुद्दत	मियाद कब से शुरू होगी
जमा किया गया हो कि किसी भी समय मांगे जाने पर अदा कर दिया जायगा। इसमें किसी शख्स का वह रुपया भी शामिल है जो उसके महाजन के हाथ में हो और इस तरह अदा किए जाने को हो।	तीन साल	मियाद कब से शुरू होगी
६१ उस रुपये के लिए नालिश जो मुद्दई को बावत उस रुपये के वाजिबुल अदा है जो उसने मुद्दाभलेह के लिए अदा किया है।	"	जिस समय रुपया अदा किया गया हो।
६२ उस रुपये के लिए नालिश जो मुद्दाभलेह की ओर से मुद्दाभलेह की बावत उस रुपये के अदा किया जाना चाहिए जो मुद्दाभलेह को मुद्दई के फाम के लिए मिला है।	"	जिस समय रुपया मिला है।
६३ उस रुपये के लिए नालिश जो बावत सूद उस रुपये के वाजिबुल अदा है जो मुद्दई का मुद्दाभलेह के ऊपर वाजिब है।	"	जिस समय ब्याज (सूद) का रुपया वाजिबुल अदा हो।
६४ उस रुपये के लिए नालिश जो मुद्दई को उस रुपये की बावत वाजिबुल अदा है जो मुद्दाभलेह से मुद्दई को बावत उस हिस्सा किस्माय के वाजिब है जो उनके दमियान में चल रहा है।	"	जिस समय कि हिस्सा लिखा जाय और उस पर मुद्दाभलेहके या उसके मुल्तारके, जिसे इस सम्बन्धमें वा जाब्ता अख्तियार दिया गया है, दस्तखत हुए हों, सिवा उस हालतमें जबकि इस कजेके साथ साथ यह लिखित इकरारनामा हुआ हो कि रुपया आग चलकर किसी समय अदा किया जायगा, जिस दशामें कि मियाद उस समय से शुरू होगी जब वह समय आजाय।

६५ किसी ऐसे वादा के तोड़ दिए जाने के लिए मुआविजा की बावत नालिश जो किसी नियत समय पर या किसी विशेष घटना के हो जाने पर किसी काम के करने के लिए किया गया हो।

६६ किसी सादे तमस्तुक के लिए जब कि रुपये की अदा-यगी के लिए कोई खास दिन नियत कर दिया गया हो।

६७ किसी तनहा तमस्तुक की बावत नालिश, जब कि कोई नियत तारीख़ लिखी न गई हो।

६८ किसी ऐसे तमस्तुक की बावत नालिश जब कि उसमें कुछ बतों का जिक्र है।

६९ किसी ऐसी हुण्डी (बिल आफ़ एक्स चेन्ज या प्राप्ति सरी नोट) की बावत नालिश जिस हुण्डी या नोट का रुपया मित्ती पट्टने के बाद किसी नियत समय के भीतर वाजिबुल भंदा हो।

७० उस हुण्डी की बावत नालिश जिसका रुपया उसके देखते ही या देखने के बाद वाजिबुल भंदा हो, किसी नियत समय पर नहीं।

७१ उस हुण्डी (बिल) की बावत नालिश जिसका रुपया किसी खास जगह पर भंदा करने का वादा कर लिया गया हो।

जिस समय वह नियत समय आजाय या वह घटना होजाय।

जो दिन इस कामके लिए नियत किया गया है।

जिस तारीख़ को उस तमस्तुकको तकमोल की गई हो।

जिस समय शर्त तोड़ी गई हो।

जिस समय उस हुण्डी या नोटका रुपया वाजिबुल भंदा हो।

जिस समय वह हुण्डी पेश की गई हो।

जिस समय वह हुण्डी उस जगहपर पेश कीजाय।

नालिश की क्रम	मियादकी मुदत	मियाद रुच से शुरू होगी
<p>७२ उस हुण्डी (बिल आफ एक्सचेंज) या प्रामिसरी नोट की बाबत नालिश जो देने के बाद या तलब किए जाने के बाद किसी नियत समय पर वाजिबुल भदा हो ।</p>	तीन साल	जिस समय वह नियत समय बीत गया हो ।
<p>७३ उस हुण्डी (बिल आफ एक्सचेंज) या प्रामिसरी नोट की बाबत नालिश जिसका रुपया किसी भी समय तलब किए जाने पर वाजिबुल भदा हो और जिसमें कोई ऐसी तहरीर न हो जो नालिश करने के इक को शकती हो या मुलतवी करती हो ।</p>	"	हुण्डी या नोटकी तारीख से ।
<p>७४ ऐसे प्रामिसरी नोट या तगस्तुक की बाबत नालिश जिसका रुपया कित्तनार वाजिबुल भदा हो ।</p>	"	उस हिस्से के सम्बन्धमें जो उस समय वाजिबुल भदा हो, पहिली मियादके गुजर जानेकी तारीख से, और दूसरे हिस्सोंके सम्बन्धमें उनकी भदायगी की मियाद गुजर जानेकी तारीख से ।
<p>७५ ऐसे प्रामिसरी नोट या तगस्तुक की बाबत नालिश जिसका रुपया कित्तवार वाजिबुल भदा हो और जिसमें यह शर्त हो कि अगर एक अथवा अधिक विस्तें समय पर भदा न कीगई तो कुल रुपया एक साथ वाजिबुल भदा हो जायगा ।</p>	"	जिस समय पहिली बारकी किस्त भदा न हो, सिवाय उस दशा में जब कि रुपया पाने वाला दोनो इस शर्त से फायदा उठाना न चाहते हों, जिस दशा में कि मियाद उस समय से शुरू होगी जब फिर ऐसी कोई किस्त भदा न हो और उसकी निस्वत इस शर्त से फायदा उठाने से दस्तपरवारी न कर दी गई हो ।

७६ वेसे प्रामिसरी नोट की बावत मालिश जिसे उसके तह-
रीर कराने वाले ने किसी तीसरे शख्स को इस्लिफ दिया हो
कि वह रुपया पाने वाले (Payee) को किसी खास घटना
के होजाने पर हवाले कर दिया जाय ।

७७ किसी विदेश को ऐसी हुण्डी (बिल) की बावत मालि-
श जो बिना पटाप फिर्ती कर दी गई हो, जबकि इसके न निप-
टने की तस्दीक की गई हो और इसकी नोटिस (इत्तला) दे
दी गई हो ।

७८ किसी हुण्डी का रुपया पाने वाले की ओर से उस
शख्स के ऊपर मालिश जिसने वह हुण्डी लिखा दे जा सकारी
न जाकर फिर्ता कर दी गई है ।

७९ किसी कर्ज की हुण्डी को सकारने वाले की ओर से
उस शख्स के ऊपर मालिश जिसने वह हुण्डी लिखी है ।

८० किसी ऐसी हुण्डी बिल भाफ एक्सचेन्ज, प्रामिसरी नोट
या तमस्तुक की बावत मालिश जिसके सम्बन्धमें इस परिशिष्ट
में कोई विशेष ब्यवस्था नहीं की गई है ।

८१ बिना जमानतदार की ओर से असली कर्दार (ऋणी)
के ऊपर मालिश ।

८२ किसी जमानतदार की ओर से शरीकदार जमानतदार
के ऊपर मालिश ।

जिस समय वह नोट रुपया पाने वाले को हवाले
किया गया हो ।

जिस समय नोटिस (इत्तला) दी गई हो ।

सकारने से इन्कार कर देने की तारीख से ।

जिस समय हुण्डी सकारने वाला उस हुण्डी की
कुल रकम चुकता कर दे ।

जिस समय उस हुण्डी, नोट या तमस्तुक का रुपया
वाजिदुल भदा हो जाय ।

जिस समय जमानतदार ने महाजन को रुपया भदा
कर दिया हो ।

जिस समय जमानतदार अपने हिस्से से अधिक
(जायद) कोई रकम भदा कर दे ।

नालिश की किस्म

२३ हानि पूर्वित्त कर देने के लिए किए गए किसी सुभाहिदा की बाबत नालिश ।

२४ किसी सुखतार या वकील की ओर से किसी मुकदमा या किसी खास काम की बाबत खर्च के लिए नालिश, जबकि उस समय के सम्बन्ध में कोई खास इकरार न किया गया हो कि रुपया किस समय अदा किया जाय ।

२५ किसी छुले हुए और चलते बाहिमी हिसाब किताब की त्रिस्वत बकाया की बाबत नालिश ।

२६ किसी बीमा की पालिसी की बाबत नालिश, जब कि बीमा की रकम, बीमा करने वाले की मौत या नुकसान का सुवृत दे दिए जाने या उसके मजूर कर दिए जाने के फौरन् बाद, बाजिखुल अदा हो ।

२७ बीमा कराने वाले की ओर से बीमा का वह रुपया वापस पाने की बाबत नालिश, जो उस पालिसी (दस्तावेज बीमा) के अनुसार अदा किया गया हो जो बीमा करने वाले की मर्जी पर किए जाने के फ़ाविल हो ।

मियाद की मुद्दत

धीन साल

"

"

"

"

मियाद कब से शुरू होगी

जिस समय मुद्दई ने वास्तव में हानि की पूर्ति की हो ।

मुकदमों या उस काम के ख़तम हो जाने पर या (जब उस सुखतार या वकील ने मुकदमा या काम की पूर्ति करना बन्द कर दिया हो तो) इस बन्द करने की तारीख़ से ।

उस साल के बन्द हो जाने पर जिस साल में कि तस्लीम की हुई या साबित की हुई अख़ीर रकम हिसाब में दर्ज है, उस साल का शुमार उसी तरह पर होगा जैसा कि उस हिसाब में हो ।

जिस समय मौत या नुकसान का सुवृत बीमा करने वाले को दे दिया गया हो या उसने मजूर कर लिया हो चाहे यह सुवृत मुद्दई ने दिया हो या किसी दूसरे साहब ने ।

जिस समय बीमा करने वाले ने पालिसी (दस्तावेज) बीमा को रद्द करना चाहा हो ।

जिस समय, दौरान गुमादतगरी में, हिसाब तलब किया गया हो और उसके देने से इन्कार कर दी गई हो, या जब हिसाब के लिए कोई तलबी न की गई हो तो, उस समय जब कि गुमादतगरी खतम हो ।

जिस समय, दौरान गुमादतगरी में, हिसाब तलब किया गया हो और उसके देने से इन्कार कर दी गई हो, या जब हिसाब के लिए कोई तलबी न की गई हो तो, उस समय जब कि गुमादतगरी खतम हुई हो ।

जिस समय इस भासावधानी या अशुचित व्यवहार का पता सुद्धे को चले ।

जिस समय वे चाहे, लितके कारण सुद्धे को उस दस्तावेज के मसूख करने या रद्द करने का अधिकार प्राप्त होना है, सुद्धे को मालूम हुई हो ।

जिस समय दस्तावेजके जारी किए जाने या रजिस्ट्री करार जाने की बात सुद्धे को मालूम हुई हो ।

जिस तारीख को ऐसी कोशिश की गई हो ।

८८ किसी गुमादता के ऊपर नालिश याचत हिसाब ।

८९ मालिक की ओर से अपने गुमादता के ऊपर उस जायदाद भतकूबा की याचत नालिश जो गुमादता ने पाई है लेविन जिसका हिसाब रखने नहीं दिया है ।

९० दूसरी नालिश को मालिकों की ओर से अपने गुमादता के ऊपर नाम में भासावधानी करने या अशुचित व्यवहार करने के लिए दापर की गई हो ।

९१ ऐसे दस्तावेज की मसूखी या रद्द किए जाने की याचत नालिश जिसके लिए और कोई व्यवस्था न की गई हो ।

९२ किसी ऐसे दस्तावेज के जाली करार दिए जाने के लिए नालिश जो जारी किया गया हो या जिसकी रजिस्ट्री कराई गई हो ।

९३ किसी ऐसे दस्तावेज को जाली करार देने के लिए नालिश जिसको सुद्धे के विरुद्ध अमल में जाने के लिए प्रयत्न किया गया हो ।

१४ उस जायदाद के लिए नालिश जो सुद्धर् ने पागलपने की हालत में सुन्तकिल का हो ।

१५ फरेब से हासिल कांर्गई किसी ठिकरी की मंसूखी या फरेब की बिना पर किसी दूसरी दादरसी के लिए नालिश ।

१६ गलती की बिना पर दादरसी के लिए नालिश ।

१७ उस रुपये के लिए नालिश जो मौजूदा, बात के सुभा-विजा में अदा किया गया हो जो बात बाद में बिगड़ जाय ।

१८ किसी सुदीकी ट्रेडी की आम जायदाद में से तुकसान पूरा कराने की बात नालिश, जिस समय कि यह तुकसान उस ट्रेडी की खयानत से हुआ हो ।

१९ किसी ऐसे शरूब की ओर से, जिसने किसी सुन्तरका ठिकरी की निस्पत वाजिब रकम में से कुछ या अपने हिस्से से ज्यादा रकम अदा कर दी है, या किसी सुन्तरका जायदाद के हिस्सेदार की ओर से जिसने उस मालगुजारी की, जो सबसे और उसके हिस्सेदारों से वाजिबुल वसूल थी, कुछ या अपने हिस्से से ज्यादा रकम अदा कर दी है, रकम की वसूलयानी के लिए दापर की जाने वाली नालिश ।

मियादकी सुद्धत

तीन साल

"

"

"

"

"

मियाद कब से शुरू होगी

जिस तारीख को सुद्धर् का दोश हवास सही हुआ हो और उसको उस सुन्तकिली का पता लगा हो ।

जिस समय उस शरूब को, जिसको तुकसान पहुँचा है, इस फरेब की खबर मिली हो ।

जिस समय सुद्धर् को गलती का पता चला हो ।
उस बात की बिगड़ जाने की तारीख से ।

ट्रेडी की मौत की तारीख से, या, जब उस तारीख को तुकसान न हुआ हो तो, उस तारीख से जिस तारीख को कि तुकसान हुआ हो ।

जिस तारीख को सुद्धर् ने अपने हिस्से से ज्यादा रकम अदा की हो ।

१०० किसी शरीरकदार इस्ती की ओर से किसी सुतोफी इस्ती की जायदाद के ऊपर, घात दिलापाने अपने हिस्स के नालिश ।

१०१ किसी मरलाह की उजरत (मजदूरी) की बाबत नालिश ।

१०२ उस उजरत (मजदूरी) की बाबत नालिश जिसके लिए इस परिशिष्ट में कोई अन्य विशेष व्यवस्था नहीं की गई है ।

१०३ किसी मुमत्मान में आर त मेह मुअजल (Exigible dowry) की बाबत नालिश ।

१०४ किसी सुखलमान की ओर से मेहर मुअजल (Defered dower) की बाबत नालिश ।

१०५ देहानामा का मताहिया ब्याक हो जाने के बाद, राहिन की ओर से उस वासिलात की रकम का बाबत नालिश जो सुतहित ने जायदाद वसूल की है ।

१०६ किसी तोह दीगः साझेदारी (Dissolved Partouer ship) के हिसाब और उसके मुनाफा के हिस्स के लिए नालिश ।

जिस समय हिस्सा रसदी दिला पाने का दक पैदा हुआ हो ।

जिन समय यह समुद्र यात्रा समाप्त हो जिसमें यह मजदूरी कीगई है ।

जिस समय वह उजरत (मजदूरी) वाजिबुल अदा हुई हो ।

जिस समय महर तलब किया जाय था उससे इन्कार कर दी जाय या (जब आज्ञावान कायम रहने की दौरान में ऐसा कोई मताहिया नहीं किया गया है ता) जिस समय मौत या तलाक़ की वजह से धर्वाहिक बन्धन (आज्ञावान) नष्ट हो जाय ।

जिस समय मौत या तलाक की वजह से धर्वाहिक बन्धन (आज्ञावान) नष्ट हो जाय ।

जिस समय राहिन जायदाद मरहूना पर फिर दसूल कर ले ।

लिख तारीख़ की यह साझेदारी दूरी है ।

नालिश की किस्म	मियादकी मुद्दत	मियाद कबसे शुरू होगी
१०७ किसी सम्मिलित वृद्धन (खानदान मुतरका) को सम्मिलित सन्गति जापदाद मुश्तरका के मनेजर की ओर से उस हिस्से रसदी की बावत नालिश जो, उसने जापदाद के खिलाफ म अदा किया हो।	तीन साल	जिस तारीख को वह रकम अदा की गई हो।
१०८ पट्टा देने वाले की ओर से उन पेढेा की मालियत की बावत नालिश जिन्हें पट्टेदार ने पट्टा की शर्तों के खिलाफ काट डाला है।	”	जिस समय पेड़ काट डाले गए हो।
१०९ मुद्दई की जापदाद गैर मनकूला के उस मुताफा की बावत नालिश जो बेजा तौर से वसूल कर लिया है।	”	जिस समय मुताफा वसूल किया गया हो।
११० बकाया लगान की बावत नालिश।	”	जिस समय बकाया वाजिबुल वसूल हुई हो।
१११ जापदाद गैर मनकूला के फरोख्त कुनिन्दा की ओर से उस खरीद रकम के मतालिका की बावत नालिश जो रकम कि अदा नहीं की गई है।	”	उस समय से जो बय की तकमील के लिए निश्चित किया गया है या (जब कि तकमील के लिए निश्चित समय के बाद दस्तावेज तस्लीम की गई हो) तस्लीम की तारीख से।
११२ किसी पार्लोमट के कानून या ऐक्ट के अनुसार रजि स्टर्डे कंपनी की ओर से रुपये की तलबी की बावत नालिश।	”	जिस समय तलबी का रुपया वाजिबुल अदा हो।
११३ किसी मगहिटे की तामील खास के लिए नालिश।		उस तारीख से जो ऐसी तामील के लिए मगहिटे

या, अगर ऐसी कोई तारीख सुकरंर नहीं की गई है तो, जिस समय सुद्धई को इस बात की नोटिस (इन्फॉर्मेशन) मिले कि तामील करने से इन्कार कर दी गई है ।

जिस समय व बात जिनसे सुद्धई उस मुआहिदा को रद्द रूपा पाने का दकुदार होता है, उसे पहिले पहल मालूम हुई हो ।

जिस समय मुआहिदा तोडा गया हो या (जब वह बराबर तोडा ही जाता रहा हो तो) उस समय से जब कि वह खिलाफ वर्जों की गई हो जिसकी निरस्त नालिग कागई है या (जब खिलाफ वर्जों जारी हो तो) उस समय से जब कि वह बन्द हो ।

जिस समय इस नालिश की मियाद समाप्त शुरू हाती जो इसी तरह के बिना रजिस्ट्रीशुद मुआहिदा के ऊपर दायर की गई होती ।

फंसले को तारीख से

जिस समय इस दत्तक (गोद) लिए जाने की बात सुद्धई को मालूम हुई हो ।

जिस समय दत्तक लिए हुए लड़के के अधिकारों में हस्तक्षेप किया जाय ।

११६ किसी मुआहिदे के रद्द किए जाने के लिए नालिश ।

११५ किसी मुआहिदा को, जो प्रकट हो अथवा अपकट, और लिखित या रजिस्ट्रीशुद नहीं है, खिलाफ वर्जों करने क मुआ बिजा का बाबत नालिश ।

११६ किसी लिखित और रजिस्ट्रीशुद, मुआहिदा की खिलाफ वर्जों का बाबत मुआविजा के लिए नालिश

११७ किसी विदेश के फंसले (Foreign Judgement) के निम्नकी परिभाषा, जायता दीयानी सन् १९०८ ई० में की गई है, बाबत नालिश ।

११८ इस बात का पालन किए जाने के लिए नालिश कि बतलाया गया दत्तक नाजायज है या वास्तवम वह दुआही नहीं ।

११९ इस बात या पालन किए जाने के लिए नालिश कि अमुक दत्तक (गोद) किया जाया जायज है ।

भाग ७ छ साल

छा साल

”

”

”

नालिशकी किस्म

१२० वह नालिश जिसकी मियाद समाप्त क सम्बन्ध में इस परिशिष्ट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

१२१ किसी पूरे इलाके में, जो बकाया मालगुजारी में नीलाम हो या किसी पतनी तालुक या दूसरी हकीयत काबिल नीलाम में, जो बकाया लगान में नीलाम की जावे, होने वाले चार या द्वाकौयत शिकमी की मसुखी के लिए नालिश।

१२२ उस फंसला के सम्बन्ध में, जो ब्रिटिश भारत में दिया गया हो, या सुचलका के लिए नालिश।

१२३ किसी बसीयती माल या किसी मसखी की जायदाद मतरूका के हिस्स की बापत, या किसी गैर बसीयती जायदाद के काबिल तफ्सीम हिस्से की बापत नालिश।

१२४ किसी मौखली जगह (ओहदा) के दिहा पाने की बापत नालिश।

१२५ किसी हिन्दू या मुसलमान औरत के जीवन काल में, किसी हिन्दू या मुसलमान की ओर से, नालिश दानर किए जाने की तारीख को उस औरत के मरने पर तुरत भारजी के कब्जे के इकतदार होते, ऐसी भारजी के सम्बन्ध में उस औरत द्वारा की गई सुन्तकियो को, नाजायज करार दिए जाने

मियादकी मुद्दत

७ साल

भाग ८ १२ साल
चारह साल

"

"

"

"

मियाद कबसे शुरू होगी

जिस समय नालिश करनेका अधिकार पैदा हो।

जिस समय नीलाम कृतई और भाखिरी होजाय।

फंसला या सुचलकाकी तारीखसे।

जिस समय वह बसीयती माल या हिम्मा याजिमुल् अदा हो या उसका इवाले किया जाना गजिमी हो।

जिस समय मुद्दाभलेहने मुद्दईके दायाके खिल्लाफ उस जगह पर कब्जा कर लिया हो।

सुन्तकिलीकी तारीख से।

की बाबत नालिश, सियाय उस समय तक के जब तक कि वह जीवित रहे या जब तक कि वह अपना दूसरा विवाह न कर ले ।

१२६ किसी ऐसे हिन्दू की ओर से, जिसपर मिताक्षरा का कानून लागू होता है, अपने चाप द्वारा की गई मोहसी आयादाद की, मुल्तकिली को मसुद् कराने के लिए नालिश ।

१२७ किसी ऐसे शरूस को आर से, जो सम्मिलित कुटुम्बकी सम्पत्ति (जायदाद खानदान मुदतरका) से अलग कर दिया गया हो, उस जायदाद में अपने हिस्से की बाबत नालिश ।

१२८ किसी हिन्दू की ओर से गुजारा (नान व नकफा) की रकम की बकाया की बाबत नालिश ।

१२९ किसी हिन्दू की ओर से गुजारा (नान व नकफा) के सम्बन्ध में उसका हक कुरर दिए जाने की बाबत नालिश ।

१३० किसी माफा आराजी की जल्ती या उसपर लगान बांधे जाने की बाबत नालिश ।

१३१ उस हकूने कायम किए जाने के लिए नालिश जो एक निपत समय के बान हासिल होता रहता है ।

१३२ उस रक्के के दिहापान के लिए नालिश जिसरा चार किसी जायदाद गैर मनकूला पर भायद किया गया हा ।

जिस समय मुत्तकित अलेटरस जायदाद पर कब्जा करले ।

जिस समय अलग कर दिए जानेकी बात मुहईको मालूम हुई हो ।

जिस समय वह बकाया गजिमुल् अदा हो ।

जिस समय इस हकूको नामजूर किया गया हो ।

जिस समय आराजी जल्त कर लेने या त्तम पर लगान बंदी करने या हकू पहिले पहल पदा हुआ हा ।

जिस समय पहिले पहल मुहईकी इस हकूसे फायदा उठानेसे रोका गया हो ।

जिस समय वह रुपया जिसमी तिस्यत नालिश कीगई है वाजिबुल वसूल दावे ।

” ” ” ” ” ” ”

दम्पुवास्त की किस्म

विवरण—मालिकाना और हक से इस आदि० के प्रयोजन के लिए वह रुपया समझा जायगा जिसका बार किसी जायदाद गर मनकूठा पर डाला गया है।

१२३ उस जायदाद मनकूलाको दिलापानेके लिए नालिश जो बतौर ट्रस्ट (मानत) के मुस्तकिल करदी गई हो, या बचीयत कर दी गई हो, या गिरवी करदी गई हो तहबीलके तौर पर जमा कर दी गई और बाद में ट्रस्टी, तहबीलदार या गिरवी दारसे खरीद कर ली गई हो।

१२४ उस जायदाद गैर-मनकूला पर कब्जा दिलापाने के लिए जो बतौर ट्रस्ट मुस्तकिल कर दी गई हो या बचीयत कर दी गई हो या रहन कर दी गई हो और बादमें ट्रस्टी या मुतंहिन से कुछ रुपयां देकर खरीद कर ली गई हो।

१२५ यह नालिश जिस किसी मुतंहिन ने किसी ऐसी भद्रादत में, जो शाही फरमान के अनुसार कायम न हुई हो, वास्ते दिलापाने कब्जा जायदाद गैर—मनकूठा मरहूना के दापर की हो।

१२६ खालगी बय के खरीदार की ओर से जायदाद गैर मनकूला पर कब्जा दिलापाने के लिए नालिश जन कि बयकी तारीख को बय करने वाले (फर्गवत कुनिन्दा) का कब्जा इस जायदाद पर नहीं था।

मियादकी मुदत

बारह साल

"

"

"

मियाद कबसे शुरू होगी

खरीदकी तारीखसे।

"

जिस समय कब्जा करनेके सम्बन्धमें राहिनका हक खतम होता हो।

जिस समय बय करने वालेको कब्जा करनेका हक पहिले पहल पैदा हुना हो।

१२७ इसी तरह की नालिश उस खरीदार की ओर से जिसने किसी डिकरी की इजरा में होने वाली नीलाम में जाय-जायदाद खरीद की हो, जब कि नीलाम की तारीख जो मद्दियून डिकरी का कब्जा उस जायदाद पर न हो।

१२८ इसी तरह की नालिश उस खरीदार की ओर से, जिसने किसी डिकरी की इजरा में होने वाली नीलाम में जाय-दाद खरीद की है, जब कि नीलाम की तारीख जो मद्दियून डिकरी का कब्जा उस जायदाद पर हो।

१२९ किसी जमीन्दार की ओर से किसी आसामी से कब्जा हासिल करने के लिए नालिश

१३० किसी मेस गवस की ओर से, जिसे किसी दूबरे शकस का हक खतम होने के बाद हकीयत मिलने वाली हो, या किसी वारिस या भावी वारिस (रिजसंनर) की ओरसे (जो कि जमीन्दार नहीं है) या किसी मीहूबअलेह की ओर से किसी जायदाद गैर-मनकूला के कब्ज की याचत नालिश।

१३१ इसी प्रकार की नालिश किसी ऐस हिन्दू या मुसलमान की ओर से जो किसी हिन्दू या मुसलमान स्त्री के मर जाने पर जायदाद गैर मनकूला पर कब्जा दिलापाने का हकदार है।

१३२ जायदाद गैर-मनकूला पर कब्जा दियापाने की याचत नालिश, जब कि सुदई उस जायदाद पर क्वाबित होने की हालत में बेदखल कर दिया गया हो या उसने कब्जा छोड़ दिया हो।

जिस समय मद्दियून डिकरीको कब्जा करनेका हक पहिले पहलक पैदा हुआ हो।

उस तारीखसे जिस तारीखको त्रि नीलाम कृतई होगया हो।

जिन तारीखको आसामीके देखलकी मियाद खतम होती हो।

जिस समय उसकी हकीयत पर कब्जा किया जाय।

जिस समय उस स्त्रीकी मृ यु हो।

बेदखलकर दिए जाने या कब्जाछोड देनेकी तारीखसे

”

”

”

”

”

”

नालिश की किस्म

१८३ इसा प्रकार की नालिश, जब कि मुद्दह किसी जस्ती का किसी शर्तकी पाबन्दी न किए जाने के कारण कूजे का कर्दार हो।

१८४ किसी जायदाद गैर मनकूला या उसमें किसी हिस्से पर कब्जा दिलापाने के लिए नालिश, जिसके लिए इस परिशय में कोई अन्य विशेष व्यवस्था न की गई हो।

१८५ किसी अमानतदार या गिरवीदार के विरुद्ध नालिश वास्ते दिलापाने कब्जा उस जायदाद मनकूला के जो अमानत किया गया है या गिरवी किया गया है।

१८६ उस अदायत के सामने, जो ग्राही फरमान के अनुसार कायम की गई हो और अपने अदायत दीवानी के साराण प्रारम्भिक अधिकारों को बरत रही हो, किसी मुतहिन की ओर से उस जायदाद गैर मनकूला पर कब्जा दिलापाने के लिए नालिश जो रेहत की गई है।

१८७ ए—किसी स्थानीय अधिकारी द्वारा या उसकी ओरसे किसी ऐसे सावजनिक माग या सड़क या उसके किसी हिस्से पर कब्जा दिलापाने के लिए नालिश जिससे कि वह बेदखल कर दिया गया है या जिसका कब्जा उसने छोड़ दिया है।

मियादकी मुद्दत

चारह साल

”

भाग्नीससाल तीस साल

”

”

मियाद कब से शुरू होगी

जिस समय जस्ता वाजिब हुई हो या शतका पाबन्दी न का गई हो।

जब मुद्दा अलेहने मुद्दईके दावाके खिलाफ कब्जा कर लिया हो।

अमानत या गिरवी ताराखले।

जिन समय रेहतने ऊपर दिष्ट गए कूजेकी बाबत असल या सुद (व्याजका) कोई भी हिस्सा अखीरमें भदा किया गया हो।

बेदखल किए जाने या कब्जा छोड़ देनेकी तारीखसे

जिस समय रेहतकी निस्वत लिया गया रुपया वाकिबुद्द वसूल होजाय ।

जिस समय फुकरेहनी या कुब्जा वापस दिलापाने का हक पैदा हुआ हो ।

लेकिन शत यह है कि उस फुकरेहनीके सम्बन्धमें किण गण दावोंके सम्बन्धमें जो लोअर ब्रद्वामें वाकै जाय दाद गैर मतबूलाके रेहनके ऐसे दस्तावेजके अतुसार पैदा हुए हों, जो तारीख पहिली मई सन १८६३ ई० के पहले लिखा गया है, वे नियम लागू होंगे जो उस प्रान्तमें उस तारीखके ठीक पहिले प्रचलित है ।

जिस समयसे इस एक्टके अतुसार इसी प्रकारकी किसी दूसरी नाटिशकी मियाद समाप्त शुरू होती, जो यदि किसी दूसरे आदमीकी ओरसे दायर कीगई होती ।

भाग १० साठ-
साठ
साठ साठ
”

१४७ किसी सुत्रदिन की ओर से बेचात या नीलाम के लिए नाकिय ।

१४८ किसी सुत्रदिन के ऊपर वास्तै इन्फिफाक रेहन या दिलापाने कुब्जा जायदाद गैर मतबूला मरदूना के नाकिय ।

१४९ सपतिषद भारतमन्त्री द्वारा या ठगकी ओर से दायर की जाने वाली नाकिय ।



द्वितीय खण्ड-अपीलें

दरखास्त की किस्म	मियाद की सुदृढ	मियाद कबसे शुरू होगी
१५० जाबता फौजदारी सन् १८९८ ई० के अनुसार उस फासी के हुक्म के विरुद्ध की गई नालिश जो किसी अदालत से शम्स ने दिया है।	सात दिन	हुक्मकी तारीखसे
१५१ उस डिकरी या हुक्म के विरुद्ध अपील जिसे फोंट विलियम, मद्रास और बम्बई की किसी हाईकोर्ट ने या पंजाब की चीफ कोर्ट ने या लोअर व्हदा की चीफ कोर्ट ने अपने प्रारम्भिक अधिकारों का प्रयोग करके दिया हो।	बीस दिन	डिकरी या हुक्मकी तारीखसे।
१५२ समग्र जाबता दीवानी सन् १९०८ ई० के अनुसार किसी जिला जज की अदालत में दायर की जाने वाली अपील।	तीस दिन	उस डिकरी या हुक्मकी तारीखसे जिसकी अपीलकी गई है।
१५३ तसी जाबता के अनुसार किसी हाईकोर्ट में किसी मातहत अदालत के उस हुक्म के विरुद्ध की जाने वाली अपील जिसके अनुसार उसने सपरिषद् श्रीमान् सम्राट् के पास अपील करने की इजाजत देने से इन्कार कर दी है।	”	हुक्मकी तारीखसे।
१५४ जाबता फौजदारी सन् १८९८ ई० के अनुसार हाई कोर्ट के अतिरिक्त किसी दूसरी अदालत में की जाने वाली अपील।	”	उस सजाके हुक्म या हुक्मकी तारीखसे जिसके विरुद्ध अपील की गई है।

१५५ उखी जायता (जाबता फौजदारी सन् १८९८ ई०) के अनुसार किछी हाईकोर्ट में की जाने वाली अपील, नियाय उन अवस्थाओं में जिनके सम्बन्ध में आर्टि० १५० और आर्टि० १५७ में व्यवस्था कर दी गई है।

१५६ समूह जाबता दीयानी सन् १९०८ ई० के अनुसार किछी हाईकोर्ट में की जाने वाली अपील, सिवाय उन अवस्थाओं में जिनके सम्बन्ध में आर्टि० १५१ और आर्टि० १५२ में व्यवस्था कर दी गई है।

१५७ जाबता फौजदारी सन् १८९८ ई० के अनुसार किछी रिटार्ड (Acquittal) के हुकमके विरुद्ध अपील।

साठ दिन	दस सप्ताहके हुकम या हुकमकी तारीखसे जिसके विरुद्ध अपील की गई है।
नब्बे दिन	दस दिवसी या हुकमकी तारीखसे जिसके विरुद्ध अपील की गई है।
छ महीने	दस हुकमकी तारीखसे जिसके विरुद्ध अपील की गई है।

तृतीय खण्ड-दरखास्त

<p>दरखास्त को किस्म</p> <p>यह जावता दीवानी सन् १९०८ ई० के अनुसार फ़ैसला (Award) को रद्द किए जाने के ली जावे (सगह जावता दीवानी सन १९०८ ई०) २ (२) (एफ) में बतलाई हुई सरसरी के जावता र द्वार की गई नालिश की जवाब देही करने के लिए की इजाजत हासिल करने के लिए दरखास्त । ली जावता के अनुसार, उस नजरसानी की दर- जो राजबन्धन काम करने का, जो उस तारीख को, सको वह दरख्वास्त वास्ते समाप्त के लिए तलब की गई थी, सायल के राजिर न हो सकने के कारण खारिज कर दी गई थी, हुक्म हासिल करने के लिए दरखास्त । १६१ उस फ़ैसले की नजरसानी के लिए दरखास्त जो किसी प्रान्तीय अदालत सफ़ीफ़ा ने या किसी दूसरी अदालत ने, जिसे प्रान्तीय अदालत सफ़ीफ़ा के अधिकार दिए गए हैं, इन अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिया है । १६२ फ़ोटो विलियम, मद्रास और बम्बई की किसी भी हाई- कोर्ट द्वारा या पञ्जाब की चोफ़ फ़ोटो द्वारा, या लोअर ब्रह्मा की</p>	<p>मियादकी मुदत</p> <p>दस दिन</p> <p>"</p> <p>पन्द्रह दिन</p> <p>"</p> <p>बीस दिन</p>	<p>मियाद कयसे शुरू होगी</p> <p>जिस समय यह फ़ैसला अदालतमें दाखिल किया गया हो और इस बातकी नोटिस फरीफ़ेनको दे दी गई हो ।</p> <p>सम्मतकी तामील की तारीखसे ।</p> <p>नजरसानीकी दरख्वास्त खारिज होनेकी तारीखसे ।</p> <p>ढिकरी या हुक्मकी तारीखसे ।</p> <p>ढिकरी या हुक्मकी तारीखसे ।</p>
---	--	---

बीफकोर्ट द्वारा, अपने प्रारम्भिक दीवानी अधिकारों को काम में लाते हुए, फसले की नजरसानी के लिए दरख्वास्त।

१६३ मुद्दई की ओर से उस डिसमिसी (Dismissal) को रद्द करने का हुक्म दिए जाने के लिए दरख्वास्त, जो कि क्षानिर न हो सकने की वजह से या सम्मन की तामील का खर्चा न देने या खर्च की जमानत न देने की वजह से हुई है।

१६४ किसी सुद्दाबलेह की ओर से एक्जर्टफी डिकरी की मसूली का हुक्म हासिल किए जाने के लिए दी जाने वाली दरख्वास्त।

१६५ सम्रह जाबदा दीवानी सन् १९०८ ई० के अनुसार किसी ऐसे शक्स की ओर से जो किसी जायदाद गैर मनकूला से बेदखल कर दिया गया है और डिकरीदार या डिकरी की इजरा में होने वाली नीलाम के खरीदार के इस जायदाद पर कब्जा दिलापाने के हक पर दखदार हो।

१६६ उसी जाबता के अनुसार उस नीलाम की मसूली के लिए जो किसी डिकरी की इजरा में की गई हो।

१६७ उस जायदाद गैर मनकूला पर कब्जा दिलापाने का विरोध किए जाने या उसमें रुकावट डाले जाने के सम्बन्ध में इस्तमासा दापर करने के लिए दरख्वास्त, जिसकी निश्चत डिकरी दी गई है या जो किसी डिकरी की इजरा में नीलाम की गई है।

तीस दिन

मामला खारिज या (डिस् मिस्स) होजानेकी तारीख से।

डिकरीकी तारीखसे, या जबकि सम्मनकी बाका-यदा तामील न हुई हो तो उस समयसे जबकि सायलको इस बातका पता चला हो।
बेदखलीकी तारीखसे।

नीलामकी तारीखसे।

विरोध किए जाने या रुकावट डाले जानेकी तारीख से

नालिशकी किस्म

- १६८ किसी अपीलको जो अदम परची में खारिज होगई है, फिरसे मजूर किए जाने के लिए दरखास्त
- १६९ किसी ऐसी अपील की नए सिरे से फिर समागत किए जाने के लिए दरखास्त जिसकी समाप्त एकतर्फी कीगई है।
- १७० बहीस्थित मुफ्लिस (Pauper) अपील करने की इजाजत दायिल करने के लिए दरखास्त।
- १७१ सगढ़ जायता दीवानी सन् १९०८ ई० के अनुसार किसी सवूच मुकदमा (Abatement) के हुकम की मसूखी के हुकम के लिए दरखास्त
- १७२ उसी जायता के अनुसार किसी दीवालिया मुद्दई या अपीलाण्ट के मुत्ताकलअलेह या रिसीवर की ओर से किसी नालिश या अपील की दिवसिमी (Dismissal) की मसूखी के लिए।
- १७३ किसी फँसले की नजरसानी के लिए दरखास्त, सिवाय उन अवस्थाओं के जिनके सम्बन्ध में आर्टो १६१ और १६२ में व्यवस्था कीगई है।
- १७४ उसी जानते के अनुसार, इस बात की वजह जाहिर करने के लिए नोटिस जारी करने के लिए दरखास्त कि

मियादकी मुदत

तीस दिन

"

"

साठ दिन

"

नब्बे दिन

"

मियाद कबसे शुरू होगी

खारिज होनेकी तारीखसे।

अपीलकी डिकरीकी तारीखसे या जबकि अपीलकी नोटिस वाक्यायदा तौर पर तामील न हुई हो तो उस समयसे जबकि सायलको इस डिकरीका पता मिला हो इस डिकरीकी तारीखसे जिसकी अपील हुई हो।

सुबूत (Abatement) का हुकम दिए जानेकी तारीख से।

दिवसिमी (Dismissal) के हुकमकी तारीखसे।

डिकरी या हुकमकी तारीखसे।

जिस तारीखको अदायगी या बेबाकी कीगई हो।

किसी डिकरी की बाबत वाजिबुल अदा रकम की अदालत के बाहर कीगई अदायगी या उस डिकरी की कोई बेबाकी तस्दीक की हुई (Certified) क्यों न मानली जाय ।

१७५ किसी डिकरी की रकम किस्तवार अदा किए जाने के लिए दरखवास्त ।

१७६ उसी जाबता के अनुसार किसी सुतीफी सुद्धई या सुतीफी अपीलान्ट के कानूनी प्रतिनिधि को फरीफ बनाने के लिए ।

१७७ उसी जाबता के अनुसार किसी सुतीफी सुद्दाअलेह या किसी सुतीफी रेस्पान्डेंट के कानूनी प्रतिनिधि को फरीफ बनाने के लिए ।

१७८ उसी जाबता के अनुसार, किसी ऐसे मामले में, जो अदालत के हुकम से पचायत में पेश किया गया है, दिए गए पचायती फंसले को, या किसी ऐसे मामले में दिए गए पचायती फंसले को, जो बिना अदालत की इजाजत पचायत में पेश किया गया है, दारिजल अदालत करने के लिए दरखवास्त ।

१७९ उस शख्स की ओर से, जो उसी आवते के अनुसार खपरिषद् श्रीमान् सभ्राट के यहा पर अपील करना चाहता है, अपील करने की इजाजत हासिल करने के लिए दरखवास्त ।

१८० उस जायदाद गैर मनकूला के खरीदार की ओरसे जो डिकरी की इजरा में नीलाम कीगई है, फूज्ना दिलापाने के लिए दरखवास्त ।

छ महीने

डिकरीकी तारीखसे ।

नब्बे दिन

सुतीफी सुद्धई या अपीलान्टकी मौतकी तारीखसे ।

"

सुतीफी सुद्दाअलेह या रेस्पान्डेंटकी मौत की तारीख से ।

छ महीने

पचायती फंसलाकी तारीखसे ।

नब्बे दिन

उस डिकरीकी तारीखसे जिसकी अपील कीगई हो ।

तीन साल

जिस समय नीलाम कृतई होजाय ।

दरखवास्त की फिस्म

१८१ ऐसी दरखवास्त जिसके लिए इस परिशिष्ट में और नही पर या जाबता दीघानी सन् १९०८ ई० की दफा ४८ में कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

१८२ किसी अदालत दीघानी की डिकरी या हुक्म की इजरा के लिए, जिसके सम्बन्ध में आर्टि० १८३ या जाबता दीघानी सन् १९०८ ई० की दफा ४८ में कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

मियादकी
सुदत

तीन साल

तीन साल या
जब उस डि-
करी या हुक्म
की तस्दीक
शुदानकालकी
रजिस्ट्री की गई
हो तो, छह साल

मियाद कबले शुरू होगी

जिस समय दरखवास्त देनेका इक पैदा होता हो।

१ डिकरी या हुक्मकी तारीखसे, या

२ (जब अपील की गई हो तो) अदालत अपीलके हुक्म या कतई डिकरीकी तारीखसे या अपीलके वापस लिए जानेकी तारीखसे, या

३ (जब फैसले की नजर खानी की गई हो तो) नजर खानीमें दिए गए फैसलेकी तारीखसे, या

४ (जब डिकरी तर्मास की गई हो तो) तर्मास की तारीखसे, या

५ (जब इसके बादमें बतलाई हुई दरखस्त दी गई हो)
कादूनके अनुसार किसी मुनासिब अदालतमें इजरा के लिए या उस डिकरी या हुक्मकी इजराके सम्बन्धमें कुछ तदबीर करनेके लिए दी जाने वाली दरखवास्तकी तारीखसे, या

६ (जबकि वह नोटिस, जिसका जिक्र बादमें किया गया है, जारी कर दी गई हो) उस नोटिसकी तारीखसे जो उस शख्सके नाम, जिसके खिलाफ इजराकी दर-

खास्त दी गई है। इस बातकी वजह काहिर करानेके लिए जारी की गई है कि उसके खिलाफ डिकरीकी इन्फा यथा न की जाय, जबकि ऐसी नोटिस का जारी किया जाना जायता दीवानो खत १९०८ ई० के अनुसार जकरीहो, या ७ (जबकि दरखास्तकी ऐसी रकमको नदा कर पाने के लिए दी गई हो जो डिकरी या हुकमक अनुसार किसी खास तारीखको भदा की जानी चाहिए) ऐसी तारीखसे

विवरण १—जब डिकरी या हुकम एक से अधिक आदमियों के हुकम मालग अलग दिया गया हो और जायदाद मुतनाजा की निस्वत यह तकसील लिए दी गई हो कि हर एक शखस को इस कदर माल मिलना चाहिए या हवाले किया जाना चाहिए, तो इस आर्टिकेक्टोज (५) म बतलाई हुई दरखास्त का फंसला वक्त आदमियोंसे सिकं उसी शखस या सन्ही शख्सोंके या उनके प्रतिनिधिया के हुकम में होगा जिसकी या जिनकी ओर से वह दरखास्त दी गई हो। लेकिन जब वह डिकरी या हुकम एक से अधिक आदमियों के हुकम में एक ही में दिया गया हो, तो ऐसी दरखास्त का फंसला, अगर वह उनम से किसी एक या अधिक शख्सों की ओर से, या उसके अथवा उनके प्रतिनिधियों की ओर से दी गई हो, उन सब के हुकम में होगा।

जब वह डिकरी या हुकम एक से अधिक आदमियों के विरुद्ध अलग अलग दिया गया हो और उसमें लाय-

१८३ किसी फैसला, बिक्री या हुकम की, जो शाही फरमान के अनुसार कायम की गई किसी अदालत ने अपने साधारण प्रारम्भिक दीवानों अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिया हो, या सपरिपद श्रीमान् सत्राट के हुकम की इजरा के लिए दरखास्त ।

मियाद करले शुद्ध होगी

दाद मुतनाजा की निस्त्यत यह लिख दिया गया हो कि उनमें से हरएक को किस फुदर अदा करना चाहिए या हवाले करना चाहिए, तो उस दरखास्तका फैसला उनमें से उन्ही शब्दों या उनके प्रतिनिधियों के खिलाफ होगा जिनके खिलाफ वह दी गई है। लेकिन जब वह बिक्री या हुकम एक से अधिक आदमियों के खिलाफ एक में ही दिया गया है, तो ऐसी दरखास्त का, अगर वह उनमें से किसी एक अथवा अधिक के खिलाफ अथवा उसके या उनके प्रतिनिधियों के खिलाफ दी गई है, उन सब के खिलाफ फैसला होगा।

विवरण २—“मुनासिब अदालत” से मतलब उस अदालत से है जिसका यह कतब्य (फर्ज) है कि वह किसी बिक्री या हुकम की इजरा करे।

जिस समय उस फैसला, बिक्री या हुकम की इजरा का हुकम उस शख्स को पैदा होता हो जो उस हुकम को छोड़ सकता था।

लेकिन गत यह है कि जब उस फैसला, बिक्री या हुकम की तजदीद की गई हो या उससे असल के रुपये का कुछ हिस्सा चसूल हुआ हो या ऐसे रुपये की बाबत कुछ व्याज की रकम अदा की गई हो या इसने हुकम का लिखित स्वीकृति-पत्र, जिसपर उस शख्स के, जो उसे

भूलके रुपया या ब्याजका देनदार है, या उसके मुल्तारके
 दस्तपत्र है, उस मालिकको, जो उसके पानेका दफ्तार है
 या उसके मुल्तार को दे दिया गया हो, तो बारह सालको
 इस मुद्दत का शुमार उस तारीख से किया जायगा जिस
 तारीख को फेसखा, दिकती या हुकूम को तजदीद कागद
 हा या अदायगी फीगद हा या स्वीकृति पत्र दिया गया
 हो, या इनमें से सब से आविरी तजदीद, अदायगी या
 स्वीकृति पत्र दिए जाने की तारीख से, जैसा कुछ भी
 अवस्था हो, शुमार की जायगी ।

परिशिष्ट (२)

[दसो दफा ३१]


वे प्रान्त जिनका उल्लेख दफा ३१ में किया गया है

- १ फॉर्ट सेण्ट जार्ज की प्रेजीडेन्सी
- २ पम्पई प्रेजीडेन्सी
- ३ फोर्ट विलियम प्रेजीडेन्सी के बगाल खण्ड का सम्भलपुर का ज़िला
- ४ समुक्त प्रान्त भागरा व अचध
- ५ ब्रह्मा
- ६ मध्य प्रदेश
- ७ भजमेर मेरवाड

परिशिष्ट (३)

× × × ×

मंसूख हो गया



(४५३)

व्याख्या और नज़ीरें

इण्डियन लिमिटेडेशन ऐक्ट के समझने के लिए नीचे व्याख्या और हाल तक की नज़ीरें दी गई हैं। जहां पर दफा का कोई उल्लेख किया गया है वहां पर इसी कानून की दफा समझना और देख लेना योग्य होगा।

इण्डियन लिमिटेडेशन ऐक्ट

[नं० ९ सन १९०८ ई०]

अर्थात्

भारतीय कानून मियाद

ऐक्ट नं० ९ सन १९०८ ई०

दफा ३—नाबिशा जिनकी मियाद आरिज होगी है—अपीलें अथवा दरखास्तें उस हालत में आरिज कर दी जा सकती हैं जबकि मियाद की बात न भी पेश की गई हो (दफा ३)

व्याख्या—कोई फरीक कानून मियाद और कानून मुआहिदा के नियमों के प्रयोग सबन्धी अधिकारों को छोड़ नहीं सकता (देखो 38 M 374), अगर मियाद का उच्चारण न उठाने के सम्बन्ध में कोई मुआहिदा किया गया हो, तो वह राजायज होगा, देखो 40 M 701, 54 I C 36 रजामन्दी हो जाने से मियाद की मुद्दत न तो बढ़ सकती है और न उसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है (देखो 13 W R 44 F B) और न वह स्थगित की जा सकती है (देखो 10 M 701)

दफा ३ तार्कीदी है और इसलिये चाहे मुद्दाभलेह मियाद के सवालको न भी उठाये तो भी उसकी तामील जखरकी जानी चाहिये, देखो 34 C 941 F B 1914 M W N 921 मियादका सवाल अदालत अपीलमें भी उठाया जा सकता है, अगर वह उस मुकद्दमें न बतलाए गए चाकयात से पैदा होता है, देखो 12 A 461 F B फरीकको चाहिए कि, अगर मुनियाम्द अपील में मियादका सवाल नहीं उठाया गया है तो वह इसके लिए अदालतसे इजाजत हासिल करे, (देखो 43B 376, 31 C L J 1,6 Pat L J 444-

घनद्व नहीं है, देखो 72 I C 732 और 45 I C 542, 43 I C 317, 44 A 636 P 639 में यह बतलाया गया है कि मुफ्तसिलके बकीला प्लीडरोको कानूनी किताबोंके पुस्तकालय न होने और हाईकोर्टके जावतेसे अनभिज्ञ होनेके कारण बड़ी असुविधा रहती है। लेकिन प्लीडरकी गलती ऐसी होनी चाहिए जो बड़े बड़े अनुभवी वकील भी कर सकते हैं [देखो 6 P L J 237, 12 I C 677, 12 I C 677] इस सम्बन्धमें, कि क्या किसी अपीलकी मियाद आविज कर देनेके सम्बन्धमें, वकील (प्लीडर) की लापरवाहीके लिए मर्यादित नालिश कर सकता है, देखो 28 I C 265 (A)।

दफा ६, ७, ८ आर ९—अयोग (नाबालिग नालिश वगैरा कर सफने के) पुरखों के लिए मियाद का मुद्दा वा बढाया जाना—जब कोई ऐसा शखल जिसे किसी नालिश के दायर करने, किसी डिगरी की इजरा के लिए दरखारत देने का अधिकार है, विनाय मुखासमत दावा पैदा होने के समय नाबालिग है या पागल अथवा मूर्ख है, तो वह इस अयोग्यता के दूर होजाने के बाद उसी मियाद के अन्दर नालिश कर सकता है जो आम तौर पर दीगई है। अगर उसकी यह अयोग्यता उसके मरने के समय तक चली रहती तो उसके कानूनी प्रतिनिधियों को, भी यह अधिकार बना रहेगा [देखो दफा ६] बहुतसे मुद्दयों और सायलों में से किसी एक के अयोग्य होने की अवस्थामें क्या व्यवस्था होगी इस सम्बन्ध में देखो दफा ७।

दफा ६ अथवा ७ में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हक शिफा की नालिशोंके सम्बन्धमें लागू होती हो या जिसके सम्बन्धमें यह समझा जाय कि यह उस मियादको जिनके भीतर कोई नालिश दायर की जानी चाहिए या दरखास्त दी जानी चाहिए, उस शखलकी, जिसको इससे मुकसान पहुंचा है, अयोग्यता (नाबालिगियत) दूर होजाने या मृत्यु हो जाने की तारीखसे तीन सालसे अधिक समय तकके लिए बढा सके (दफा ८)

जब पहचान मियाद शुरू होजाय तो वामें नालिश कर सकने की अयोग्यता या असामर्थ्यसे उसमें कोई रुकावट नहीं पड सकती (दफा ९)

व्यख्या—दफा ६ उन व्यक्तियोंको, जो तीन प्रकारसे अयोग्य हैं, कुछ व्यक्तिगत विशेष अधिकार प्रदान करती है। और किसीप्रकार की अयोग्यता का खयाल न किया जायगा (देखो 19 C W N 1193, 46 C 694 P C) यह जरूरी है कि मुद्दई उस समय अयोग्य हो जिस समय कि विनाय मुखासमत दावा पैदा होता है (देखो 27 C 370, 20 W R 2) विनाय मुखासमत दावा जन्म होने के पहिले पैदा हुए हो तो किसी नाबालिग को वाणिज्य होनेपर इस दफासलाब उठाने का अधिकार न होगा, देखो 23 W R 285, 1 L 588 चूंकि यह अधिकार व्यक्तिगत है और कवल उसी व्यक्तिसे सम्बन्ध रहता है जिसको कि वह दिया गया है, इसलिए वह किसी नाबालिग के

मुन्तकिल भलेहके सम्बन्धमें प्रयोग नहीं किया जा सकता है, देखो 9 C 663 F B, 42 M 637, 26 B 730, 50 I C 380; 22 C W N 831 यह दफा नालिश इत्यादिके करनेमें सहायता देनेवाली है और इसलिये किसी शख्सको अयोग्यता दूर होनेसे पहिले नालिश दायर करनेसे रोक्ना नहीं है देखो 1, C 226 P C, 9 C 181, 3 C W N 21, 32 O. 129 P C, 23 C 274

दफा ६ सिर्फ नालिश और डिफरियों की इजराके लिए दी जाने वाली दरखास्तोंके सम्बन्धमें और जिनके लिए कानून मियादके परिशिष्ट (१) के तीसरे खानामें मियादकी मुद्दत दी गई है उनके सम्बन्धमें लागू होती है। यह उन मामलोंके सम्बन्धमें लागू नहीं होती जिनके लिए स्थानीय और विशेष कानूनमें मियादकी मुद्दत दी गई है, उदाहरणार्थ वह जायता दीवानीकी दफा ४८ के अनुसार दायर किए जाने वाले किसी मामलेके सम्बन्धमें लागू होती है (देखो 37 M. 186, 24 M L J 96, 37 A 638, 128 P R 1894)

यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि दफा ६ और ७, दफा ८ के अधीन है जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी अवस्था में मियाद की मुद्दत अयोग्यता दूर होने की तारीख से तीन साल से अधिक समय के लिए न बढ़ाई जा सकेगी (देखो 21 M. 387 P. O)। जैसा कि 42 M 637 और 50 I C 380 में बतलाया गया है, दफा ८ जिनकी है और उस रिभायत को मद्द्द करती है जो दफा ६ और ७ में दी गई है और वह खास रिभायत नहीं देती। जब कि साधारण मियाद की मुद्दत तीन साल हो या अधिक और बालिग होने की तारीख से तीन साल के भन्दर वह खतम हो जाती हो, तो नाबालिग को अयोग्यता दूर होने की तारीख से पूरे तीन साल मिलते हैं, लेकिन जब यह मुद्दत तीन साल से कम हो और नाबालिग को यह मुद्दत बालिग होने की तारीख से मिलती हो, तो साधारण मियादकी मुद्दत तीन सालतकके लिये न बढ़ाई जानी चाहिए, देखो 17 M 316 और दफा ८ के उदाहरण। चूंकि दफा ६ एक ऐसी दफा है जो किसी व्यक्ति को नालिश कर सकनेके योग्य बनाती है, इसलिये वह मियाद की साधारण मुद्दत को कम नहीं करती। इस प्रकार एक नाबालिग, जो बेइखल कर दिया गया है बेइखल किए जाने की तारीख से १२ बरस के भन्दर नालिश दायर कर सकता है, और नालिश केवल इही बात से मियाद बाहर न समझी जायगी कि उसने बालिग होनेकी तारीख से तीन साल से ज्यादा समय गुजर जानेके बाद उस दायर किया है।

जो समय नक़्त तस्द्दोक वसीयतनामा (प्रोबेट) के लेनेमें दूधं हुआ है, वह दफा ९ के अनुसार, डिफरी की इजरा की मियाद का शुमार करनेमें निहाल नहीं की जासकती, देखो 1 Ben L J 192

अयोग्यता (Disability) और असमर्थ (In ability) में क्या भेद है इसके लिए देखिए 25 C 496 F B

दफा १० दृष्टिगोचर ऊपर गारिज—जो नालिख ट्रस्टियों के ऊपर उस ट्रस्ट के सम्बन्ध में, किसी खास काम के लिए, या उन कानूनी प्रतिनिधियां या मुन्तकिल भट्टेडों के ऊपर (जो कि उस मुन्तकिल-अलेड नहीं है जिन्होंने रूपया देकर जायदाद मुन्तकिल कराई है) ट्रस्ट की सम्पत्ति या उसकी आमदनी, उनके हाथसे निकाल लेने के लिए या हिसान-जिताव तलब क्रम के लिए दायर की गई हो, उसकी मियाद किसी भी समय गारिज नहीं होती (दफा १७)

व्याख्या—वे सभी आदमी ट्रस्टों नहीं हैं जिनके पास कोई माल अमानत में जमा किया गया हो। इस तरह पर सुरतार, कर्ता, या प्रबन्धक, शुमास्ता और बेनामीदार लोग ट्रस्टी नहीं हैं, देखो 1 C 155, 18 B 119, 4 M L J 117, 11 W R 72, 45 M 415, 32 C L J 25 -दफार (११) में जो ट्रस्टी की परिभाषा दी गई है उसमें वे बेनामीदार खास तौर पर अलग कर दिए गए हैं। दफा १० सम्पत्तियों के ट्राइरेक्टरों के सम्बन्ध में लागू नहीं होती (देखो 18 B 119, 71 I O 899) और उन लोगों के सम्बन्ध में लागू होती है जिनके पास रूपया जमा किया गया हो, देखो 1 A L J 422 22 I C 936

तामिल कुनिन्दा (पत्नी) ट्रस्टी है, सिफ उसी हालत में जब कि वह किसी खास काम के लिए ट्रस्टी बनाया गया हो। ' वह ट्रस्टी है अथवा नहीं' यह बात प्रत्येक मामले में वाक्यात के ऊपर निर्भर करती है, देखो 11 Bom L R 1187, 13 C W N 557, 30 C 569 यही बात किसी प्रबन्धकताके सम्बन्ध में भी है, देखो 2 P L J 642

दफा १० सिफ खास ट्रस्टों के सम्बन्ध में ही लागू होती है और वह अमर कूट (Implied) ट्रस्टों के सम्बन्ध में अथवा उन ट्रस्टों के सम्बन्ध में लागू नहीं होती जो कानून के प्रयोग से पैदा होते हैं, देखा 132 P R 1907, 31 B 222, 7 A 25, 32 B 394 खास ट्रस्टों के सम्बन्ध में देखो 45 M 415 यह दफा अयात तारीफा (Constructive trusts) के सम्बन्ध में लागू होती है, देखो 2 A 361, 103 P R 1907, 2 A 476 और 4 C 155 45 M 415 नालिख, ट्रस्ट की सम्पत्ति को वापस पाने के लिए होनी चाहिए, व्यक्तिगत अधिकारियों को परफूटा टहरानेके लिए नहीं, जैसे ट्रस्ट की सम्पत्ति का प्रबन्ध इत्यादि, देखो 6 A (P C)

"खास काम" के अर्थ में सम्बन्ध में देखो 46 M 259, 26 C W N 495 P O, 30 M L T 160

दफा १२—सिर्फ मियाद समाप्त हो गइया शुमार— (१) किसी नालिख अपीठ या दरखवास्त के सम्बन्ध में यह तारीख, जस मियाद की मुदत का शुमार किया जाना चाहिए, निकाल दी जायगी। (२) किसी अपाल करने या इजाजत वासिल करने और किसी फैसले में नजरसानी के लिए दरखवास्त में सम्बन्ध में, यह तारीख, जिसका पैण्डा दिया गया था और वह समय, जो हिसरा, सजा के हुक्म या हुक्म की तकल होने के लिए जरूरी है, निकाल दिया

जायगा। (३) जब किसी डिफरी की अपील की गई हो या उसकी नजरसानी की दरखास्त दी गई तो जो समय उस फैसलेकी नकल लेनेके लिए जरूरी होगा जिसके आधार पर वह अपील की गई है या नजरसानी की दरखास्त दी गई है वह निकाल दिया जायगा। (४) इसी प्रकार वह समय भी जो किसी पचायती फैसलेकी नकल लेनेके लिए जरूरी है निकाल दिया जायगा देखो इस ऐक्टकी (दफा १२)

दफा २५ के अनुसार कुल दस्तावेजों के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वे ग्रीगोरियन साल के हिसाब से लिखे गए हैं (दफा २५)

नोट—ग्रीगोरियन साल में ३६६ दिन होते हैं।

ब्याख्या—मियाद का शुमार अंगरेजी साल के हिसाब से किया जाना चाहिए (देखो 13 W R 183), यद्यपि किसी तमस्सुक में हिन्दुस्तानी साल के हिसाब से रुपया अदा करने का इकरार किया गया हो [देखो 6 C 239, 4 B 103, 6 B 83]

क्लॉज (१) के अनुसार वह दिन, जिसको विनाय मुखासमत दावा पैदा हुई हो, निकाल दिया जाना चाहिए, देखो 4 M H C R 109, 10M 292, 19 W R 91, 39 C 516, 12 B 617 यह बात परिशिष्ट १ के तिसरे खाना (कालम) के ऊपर लिखे हुए "मियाद कब से शुरू होगी" शब्दों से और भी स्पष्ट हो जाती है। किसी अंगरेजी महीना या साल का शुमार करने में एक महीने या सालसेउसी दूसरे महीने या सालतक शुमारकर जाना चाहिए और इसमें गणना करते समय वह दिन निकाल देना चाहिए जिस दिन से उस महीने और साल का शुमार किया जाता है, इसलिए एक ही तारीख के दो दिन उसमें शामिल नहीं होते हैं, देखो 13 C L R. 153-154, 6 C 325

किसी दस्तावेज में कर्जे का रुपया अदा कर देनेके लिए जो दिननियत है वह निकाल दिया जाना चाहिए, क्योंकि सम्भव है कि रुपयेकी अदायगी उस दिन अखीर तक कर दी जाय। नालिश करने का हक उस दिन नहीं बल्कि उस दिन से पैदा होता है, देखो 4 M H C R 330, 24 W P 463, 10M 291, 13 C L R 153

एक रजिस्ट्रीअद तमस्सुक की, तारीख २३ दिसम्बर सन् १८५८ ई० लिखी गयी थी, रकम "एक साल के अन्दर किसी समय वाजिबुल अदा थी।" आखिरी अदायगी की तारीख २३ दिसम्बर सन् १८६९ ई० थी, इसलिए मुद्दइयान के नालिश करने का हक उस दिन पैदा होता है, अगर रुपया तारीख २२ को अदा न हो। इस २३ तारीख को निकाल कर मुद्दइयान की तारीख २३ दिसम्बर सन् १८७५ ई० को दायर की गई, नालिश अन्दर मियाद के दाखिल की गई मानी गई, देखो 38 P R 1876 जब अदायगी का दिन तमस्सुक में बतला दिया गया हो, तो वह दिन निकाल दिया जाना चाहिए, देखो 21 W R 463

एक तमस्सुक को, जो बैसाख ८ सन् १२८६ को लिखा गया था, अदायगी की तारीख चेत्र ३० सन् १२८६ थी (जो ११ अप्रैल सन् १८८० को है पढ़ती है)

और चैत्र ३० सन् १२८६ को छुट्टी होने के कारण नालिश तारीख १३ अप्रैल सन् १८८३ ई० (बैसाख १ सन् १२९०) को दायर की गई । पेसी दशम मियाद का शुमार अगरेनी साल के हिसाब से किया जाना चाहिए और यह नालिश २९ चैत्र सन् १०८९ तदनुसार तारीख ११ अप्रैल सन् १८८३ ई० को दायर की जाती चाहिए, देखो 13 C L R 153, 29 I C 980 (A), 6 B 83

जब किसी ऐसे तमस्सुक के ऊपर नालिश दायर की गई हो, जिसकी तक मोल महीने की किसी तारीख को की गई है और उसकी अदायगी की सुदत दो साल है, तो विनाय सुखासमत दाया महीने की उसी तारीख को भाकर पैदा होता है जिसको कि उसकी तकमोल की गई थी, देखो 12 B 617

जब कि एक तमस्सुक में किसी साल के बगाली महीने की ३० वीं तारीख रुपये की अदायगी की तारीख नियत की गई (दोनों फरीकनको उस महीने की सख्या का ठीक ठीक पता नहीं था) तब हुआ कि ऐसी दशा में विनाय सुखासमत दाया उसी दिन पैदा होती है जिस दिन वह उस हालत में पैदा होती अगर वह महीना ३० दिनका होता है, देखो 6 C 239

प्रोतोटेक सम्बन्धम मियादका शुमार करत समय वह तारीख निकाल दीजानी चाहिए जिस तारीख को उसकी तकमोल की गई थी देखो 6B L R 292, 16W R 1 तारीख ७ मई सन् १९०७ ई० को लिखे गए एक प्रोतोटेक सम्बन्धम नालिश तारीख ९ मई सन् १९१० ई० को दायर की गई । क्योंकि ८ तारीखको इतवार था । तब हुआ कि मियाद तारीख ७ मई सन् १९०७ ई० के खतम हो जानेके बाद से जारी होती है और वह तारीख ७ मई सन् १९१० ई० को १२ बजे रातको खतम हो जाती है इसलिए नालिश मियाद बाहर दायर की गई है, देखो 18 I C 574

वालिग होने की तारीख भी निकाल दीजानी चाहिए, देखो 10 C 748

“जखरी” का अर्थ है कानूनन जखरी, देखो 43M 644 यह प्रश्न वाक्यात सम्बन्धी है, देखो 6 P R 1894 यह जखरी समय कब शुरू होता है यह प्रश्न प्रत्येक अदालतमें प्रचलित प्रथाके अनुसार तय किया जाना चाहिए, देखो 12C L R 541 “प्रचलित प्रथा” यह है कि नकल की दरख्वास्त दिख जाने की तारीख और उसके तैयार हो जाने की तारीख के बीच का समय निकाल दिया जाना चाहिए, देखो 12 C L R 541, 7 C W N. 109.

नकल लेनेके लिए जखरी समय उस समय तक आरम्भ नहीं होता जबतक कि नकलके लिये दरख्वास्त पेश न कर दो जाय, देखो 12 A 461, 6 Pat L J 350 F B 23 B 442, 3 L B R 62

“वह समय जो नकल लेने के लिये जरूरी है” का अर्थ सिर्फ उस समय से है जो नकल की दरख्वास्त देने और नकल तैयार हो जाने के बीच में शुमार

हो। फ़ैसला या टिकरी की सही नक़ल करने और उभर दस्तख़त करने में जो समय लगा है, वह उस समय तक न फ़ाटा जायगा जबतककि उस तारीख़ के पहिले नक़ल की दरखास्त न दे दी गई हो, देखो 12 A 161 F B—फ़ैसला देने और टिकरी के ऊपर दस्तख़त किए जाने के बीच में जो समय लगा है, वह उन्ही समय निकाला जायगा, अगर इस टिकरी पर दस्तख़त किए जाने की ही वजह से नक़ल की दरखास्त देने में बिज़म हुआ है, और किसी हालत में नहीं, देखो 12 A 79—दरखास्त देनेवालेके लिए यह जरूरी नहीं है कि वह उस समय तक इन्तज़ार करता रहे जब तक कि टिकरी पर दस्तख़त न हो जाय। उसको नक़ल के लिए दरखास्त देने की पूरी स्वतंत्रता है, चाहे उसपर हस्ताक्षर हुए हो या न हुए हों। अगर वह इन्तज़ार करता है और मियाद गुजर जाती है, तो वह फ़ैसला दिए जाने और टिकरी के ऊपर दस्तख़त किए जाने के बीच लगे हुए समय को मुजरा नहीं पासकता, देखो 6 Pat L J 350 F B, A I R 1923 Pat 520, 23 B 442 तथा 7 N L R 67, 5 S L R 57, 1 P L J 573 F B

कलकत्ता में यह तय हुआ है कि जब टिकरी की नक़ल हासिल करने में समय केवल इस कारण लगा हो कि टिकरी पर दस्तख़त नहीं किए गए हैं, तो अपील दापर करने की मियाद का शुमार करने में अपीलाण्ट दफ़ा १२ के अनुसार वह समय मुजरा पाने का हक़दार है जो फ़ैसला देने और टिकरी पर दस्तख़त किए जाने के बीच में लगा है, देखो 13 C 104 E B—इसी प्रकार उस समय का निकाल देना, जोकि फ़ैसला दिए जाने और और टिकरी पर दस्तख़त किए जाने के बीच लगा है, इन्चात पर भिन्न करता, नहीं जान पड़ता कि उसकी नक़ल की दरखास्त टिकरी पर दस्तख़त होने के पहिले दी गई थी या नहीं, देखो 15 C W N 787, 20 C W N 987—परन्तु कलकत्ता हाई कोर्ट के एफ़ हाल के मुक़द्दमें में यह तय किया गया था, कि क़ानून मियाद के आदि १५१ और जायता दीवानी की दफ़ा २०५ (आर्डर २०, रूल ७) को पढ़ने से यह मालूम होता है कि अपील उस दिन से २० दिन के भीतर दाख़िल की जानी चाहिए जिस दिन कि फ़ैसला दिया गया था और यह कि मियाद सम्बन्धी क़ानून का सन्ोधन करने के लिए उचित कारण हैं, जिससे इस बीस दिन की मुद्दत का शुमार उस दिन से किया जाय, जिस दिन कि टिकरी दी गयी थी उस दिन से नहीं जब कि फ़ैसला सुनाया गया था, देखो 10 C 652, 12 A 161 F B—एफ़ हाल के मुक़द्दमें में यह तय हुआ था कि “यह समय जो नक़ल देने के लिए जरूरी है” उस समय तक शुरू नहीं होती जब तक कि नक़ल के लिए दरखास्त न दी गई हो। इसलिए अपीलाण्ट को वह समय मुजरा पाने का हक़ नहीं है, अगर नक़ल के लिए दरखास्त उस मुद्दतके ख़तम होने के बाद दी गई हो जो अपील करने के लिए मुक़र्रर है, देखो 32 C L J 127, 58 I C 108, 29 C W N 553, 39 C 766

दफ़ा १२ के अनुसार वह मुद्दत नक़ल के लिए जरूरी मुद्दत नहीं समझी जा सकती है जो उस समय न गुज़री होती, अगर अपीलाण्ट ने उस हुक़म की

नकल के लिए आवश्यक सागधानी से और उचित, फार्वाइ की होती। जब उसने फैसला दे दिए जाने के बाद एक मुतासिब मियाद के अन्दर हुकम तैयार करने के लिए दरखास्त न दी हो, और मसविदा तैयार होने के बाद भी उसने उसके लिए अपनी मजूरी देकर उसे वापस न कर दिया हो, तो वह उस कुल समय की मुजराई के लिए दावा नहीं कर सकता-जो उसे नकल लेने में लगा है, देखो 27 O W N 156 P C, 68 I C 900

अगर किसी फीक के नकल की दरखास्त देने या उस रुपये के जमा करने में, जो इस काम के लिए जरूरी है, असावधानी करने के कारण देर हुई हो, तो वह समय मुजरा न दिया जायगा, देखो 12 A 79 F; B, 61 P L. R 1911 या अगर फोलियो दाखिल करने में असावधानी करने के कारण देर हुई हो तो वह समय भी मुजरा नहीं दिया जायगा, देखो 1 Pat L J 573, 49 I O 1000 लेकिन जो समय अदालत के अधिकारिया के देर में नकल देने के कारण लगा हो, वह मुजरा दिया जा सकेगा, देखो 12 A 105, 10 A W N 10—नकल तैयार होने और वास्तव में नकल लिए जाने के बीच में लगा हुआ समय मुजरा नहीं दिया जा सकता है देखो 9 O L R 293, 5 O P L. R 188 लेकिन दरखास्त देने वाले को उस तारीख की सूचना दे देनी चाहिए जब कि नकल दिए जाने के लिए तैयार हो, देखो 11 P W R 1912 जो समय उन फोलियो की तदकीक करने के लिए जरूरी है जिनकी इस काम के लिए जरूरत है, वह मुजरा नहीं दिलाया जा सकता, देखो 12 C 30, 33

जब उस दिन के बाद वाले दिन, जिसको कि डिकरी पर दस्तखत किए गए हैं, कचहरी बन्द हो और नकल की दरखास्त दुबारा कचहरी खुलने के दिन दी गई हो, तो यह बीच का समय मुजरा नहीं मिल सकता, देखो 13 C L J 544, 27 M 21 जब फैसला लम्बी छुट्टियाँ के लिए अदालत बन्द होने के कुछ पहिले दिया गया हो और अदालत खुलने के बाद बहुत समय तक नकल की दरखास्त न दी गई हो, तो बीच का यह समय मुजरा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि दरखास्त देने वाले ने सब से पहिले मिले हुए अपसर पर दरखास्त नहीं दी थी, देखो 1911 M W N 364, 43 M 644

नकल की दरखास्त देने के लिए आवश्यक समय के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह लगातार जारी रहने वाला ही हो। इसलिए जुटी (Variation) ऐसे समय का एक हिस्सा है, देखो 20 C W N 1303, 35 I C 888 (P)

अगर उस समय, जब कि अदालत बन्द है और मोहकमा नकल ने जो छुट्टियों में काम करता रहा है, नकल तैयार कर दी हो, तो दरखास्त देने वाला इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि वह इसका पता ले, देखो 81 A 41 लेकिन जब गजटम विजति निकाल कर जुटी में ही नकल दे दे का प्रबंध कर लिया गया हो, तो दरखास्त देने वाला इस बात के लिए बाध्य है कि वह नकल को लेले, और अगर वह नकल न लेगा तो अदालत खुलने तक का समय मुजरा न दिया

जायगा देखो 36 M L J 62, 49th C 626, 36 M L J 122, 50 I C 518

दफा १२ (२), (३) के अनुसार, अपीलाण्ट वह समय भी मुजरा ले सकता है जो फैसले की नकल लेने के लिए जरूरी है, यद्यपि उसने फैसला और और डिक्री की नकल के लिए अलग अलग समय पर दरखास्त दी हो । दोनो मुद्दते मुजरा दी जानी चाहिए सिवाय उस दशा के जब कि वे पूर्णत या अशत एक ही साथ पड़ते हैं, जिस दशा में कि वह उस समय को दो बार मुजरा नहीं पा सकता देखो 21 C W N 217, 25 Bom L R 1309, 12 M L T 360, 8 M L J 148 जब किसी फ्रीक ने फैसला और डिक्रीकी नकल के लिए अलग अलग तारीखों में दरखास्त दी हो, तो उन दोनोंकी मुद्दत मुजरा दी जायगी, देखो 33 M 256, 41 M L J 273- पञाब हाईकोर्ट के एक मुकद्दमें मे एक चार यह तय किया गया था कि कोई शख्स वह समय मुजरा पान के लिए दावा नहीं कर सकता जो अलग अलग तारीखों में दरखास्ते देकर फैसला और डिक्रीयों की नकल लेने में खर्च किया गया था, देखो 100 P R 1918 लेकिन बादके मुकद्दमों में इस राय में कुछ काट छाट कर दी गई है, देखो 163 P R 1919, 3 Lah L J 166.

दफा १४ उन नालिशों अथवा दरखास्तों के सम्बन्ध में समय का निगल दिया जाना जिनमें नेकनीयती के साथ गलत अदालत में वॉरिंरि वींगई है—(१) उस मियादका शुमार करने में, जो किसी नालिश के लिए निश्चित है, वह समय, जिसमें मुद्दई उचित सावधानी के साथ किसी दूसरी अदालत में चाहे वह प्रारम्भिक अदालत हो या अपील की अदालत हो, मुद्दाभलेह के विरुद्ध किसी दीवानी मामले में पैरवी कर रहा हो, निकाल दिया जायगा, जब कि उस मामले की विनाय सुखासमत का आधार वही हो और वह नेकनीयतीसे ऐसी अदालतमें दायर कर दिया गया हो, जो अख्तयार समाप्त के न होने के कारण या इसी प्रकारके किसी दूसरे कारण से उसकी समाप्त करने में असमर्थ है ।

क्लाज (२) में दरखास्तों के सम्बन्ध में इसी प्रकार की व्यवस्था है । (देखो दफा १४ तथा इस दफाका विवरण)

ब्याख्या—इस दफा का उद्देश्य यह है कि अदालत को चाहिए कि वह फ्रीक्रेन को उस अन्याय से बचावे जो उसी के कामों या असावधानियों के कारण पैदा हुआ हो, देखो 7 C L J 59—दफा १४ अपीलों के सम्बन्ध में लागू नहीं होती, देखो 19 C W N 473, 23 C 725 इसका प्रयोग केवल उन्हीं नालिशों तक सीमाबद्ध है, जो प्रारम्भिक अदालतों में दायर की गई हों, क्योंकि दफा ५ अपील की अदालतों को एक अधिक बड़ा और स्वतन्त्र अधिकार उसी काम के लिए देती है जिसका जिक्र इस दफामें किया गया है, देखो 5 A 591—593 यद्यपि यह दफा अपीलों के सम्बन्ध में लागू नहीं होती है, इसके सिद्धान्त (उद्देश्य) का प्रयोग दफा ५ के अनुसार अधिकारों से काम लेनेकी बातको निश्चित

क्षरने के लिए किया जा सकता है, देखो 5 A 591, 22 C W N 591, 35 C L J 594, 12 B 320

दफा १४ सिफ वन्ही मामलों के सम्बन्ध में लागू होती है जिनकी समाप्त गलत अदालत में हुई है, देखो 1923 (Pat) 271 सरोधित दफा २९ के अनुसार दफा १४ उन नालिशा के सम्बन्ध में लागू होती है जो किसी विरोध अथवा स्थानीय कानून के अनुसार जैसे प्रांतीय कानून दीवालिया, दायर त्रिप गए हा, देखा 34 A 196 F B यह दफा इजरा के लिए की गई दरखवास्तों के सम्बन्ध में लागू होती है, देखो 18 B 734, 2 A 792 P. C, 20 C 29

दफा १४ का अर्थ बहुत ही विस्तृत करना चाहिये, देखो 73 I C 139 (M), 30 M. L J 529, 541 P C

(१) इस दफा की आवश्यक बात ये है कि पहिले जो कार्रवाई की गई हो वह दीवानी अदालत की कार्रवाई हो। दीवानी अदालत की कार्रवाई में अपील और निगरानी (देखो 2 A W N 59, 17 I C 539), डिकरी की इजरा की कार्रवाई (देखो 280 238), दीवालिया के फ़िलान्फ़ी जाने वाली कार्रवाई (देखा 52 I C 934) शामिल है। चाम्पे हेरीडिटरि भाफ़िलेज ऐक्ट की दफा ११ (ए) के अनुसार दी गई दरखवास्त (देखो 43 B 201) या व्वालिख्-खारिज की दरखवास्त (1904 A W N 54) या अदालत माल में की जाने वाली कार्रवाई (देखो 33 P R 1914) दीवानी अदालत की कार्रवाई नहीं है।

(२) पहिले की कार्रवाई उचित सावधानी और नेकनीयती से की गई हो, देखो 23 A 134, 41 P R 1916, 13 M 269, 17 W R 518, 10 C 265 इसलिये अगर कोई दावा बिना वकील की सलाह लिए हुए या किसी छोटे वकील की सलाह से किया गया है, तो यह उचित परिश्रम से काम लेना न कहा जाना समझा जायगा। लेकिन जब वकीलों में किसी सब से बड़े वकील की सलाह ले ली गई हो, तो केवल इसी बातसे यह उचित सावधानी की कमी न समझी जायगी कि वह सलाह गलत थी, देखो 20 I C 3, 159 P W R 1913 वकील की गलत सलाह का उचित सावधानी की कमी समझा जाना आवश्यक नहीं है, देखो 20 B 133 लेकिन अगर यह भूल ऐसी है जो उस समय न हो सकती अगर उचित सावधानी से काम लिया गया होता, तो वह माफ नहीं की जा सकती, देखो 22 O C. 39

उस समय उचित सावधानी की गई न समझी जायगी, जब लापरवाही के कारण नालिशा इस तरह पर तैयार की गई हो कि अदालत उसकी समाप्त न कर सकती हो, जैसे भर्जादावा तैयार करने में असावधानी देखो 6 W R 181 F B; 12 C W N 173, या भर्जादावा का इस बिना के ऊपर खारिज कर दिया जाना कि उसमें वे बातें नहीं बतलाई हैं जो तमादी को रोकती हैं, देखो 11 C 264, या मुद्दे का किसी हस्ताक्षर की रजिस्ट्री कराने उसे अदालत में

पेश न कर सकता, देखो 10 B, 604 या किसी ऐसी अदालत में अपील करना जिसे अपील की समाप्त करने का अधिकार नहीं है और जिसे वह फरीक जानता होगा, देखो 28 B 235, 39 M. 62,

किसी बात को गलत समझ जाने से समय मुजरा नहीं मिल सकता, जैसे किसी नीलाम को मसूख किए जाने के लिए दरखास्त देने के बदले नालिश दायर कर दी गई हो जो अन्त में खारज होगई हो, देखो 13 M L J 184, 23 M 121, 22 A 218

नेकनीयती का सम्बन्ध मुकद्दमे में की जानने, चाली कारंवाई से है मुद्दई की चालाकी या दूसरे अनुचित व्यवहार से नहीं जिसका मुकद्दमे से कोई सम्बन्ध नहीं है, देखो 15 B L R 56

नेकनीयती की बात हरएक मुकद्दमे के वाक्यात के उपर की जानी चाहिए देखो 32 I C 616 यह कानून और वाक्यात का एक मिश्रित प्रश्न है, देखो 36 I C 702 वह कार्य प्रणाली, जो किसी मुद्दईके सम्बन्ध में, बम्बई में, जहाँ पर बड़े बड़े योग्य घड़ीवालों की सलाह ली जा सकती है, बदनीयती या सावधानी की कमी की खोतक होगी, मुफरिसल के लोगो में नेकनीयती और सावधानी के साथ की गई समझी जा सकती है जिनको व्यापारी कानून की निर्वलताओं से भली भाँति परिचय नहीं है, देखो 3 B 182, 184, 45 I C 991 (A)

असावधानी से किसी दावा का कम मालियत चलाना और किसी गलत अदालत में मुकद्दमे का दायर करना नेकनीयती नहीं कही जायगी, देखो 11 I C 86, 53 I C 892 (P), 8 A W N 168

जब कानून से किसी अदालत को अख्तियार समाप्त निलकुल न दिया गया हो, तो ऐसी दशा में नेकनीयती से गलती नहीं की जा सकती, देखो 23 B 531 अगर किसी अख्तियार समाप्त या कारंवाई के सम्बन्ध में सन्देह होने के कारण कोई नेकनीयती से गलती कीगई हो, तो इससे उस शख्स को दफा १७ से लाभ उठाने का अधिकार मिल जाता है, देखो 3 C W N 233 F B कानून के सम्बन्ध में नेकनीयती के साथ कीगई गलती के बारे में देखो 45 C 94 P C

(३) वह कारंवाई उसी विनाय मुख्यासमत के ऊपर कीगई हो-दफा १४ चाहती है कि पहिले की नालिश की विनाय मुख्यासमत वही हो जो कि दूसरी नालिश की है और अदालत पहिली नालिश की समाप्त करने में किसी ऐसे कारण से ही असमर्थ हो जो अख्तियार समाप्त के न होने के ही समाप्त है, देखो 8 A 175, 3 W R 101, 8 W R 102 आवश्यक बात यह है कि पहिले की कारंवाई की विनाय मुख्यासमत वही थी जो अब दूसरी नालिश के सम्बन्ध में पेश की जा रही है, देखो 17 C L J 596 अगर मुद्दई ने पहिले देखाली की बात गलत नालिश दायर की हो, तो वह दफा १४ से लाभ नहीं उठा सकता, जबकि उसने बाद में लगान की बात नालिश की हो, देखो 9 C 255

P C, अगर फील्ड और बिनाय मुखासमत दावा भिन्न २ है, तो दफा १४ लागू नहीं हो सकती, देखो 1 R 402

(४) पहिली अदाखत अख्यार समाभत क न होने या इसी प्रकार के दूसरे कारणों से उस नालिश की समाभत करने में असमर्थ हो, देखो 41 P R 1916—सन् १९०८ ई० के कानून मियाद के अनुसार दफा १४ के साथ जो विवरण (३) जोड़ दिया गया है जिससे फैसलों में होने वाला विरोध दूर हो जाता है और साफ तौर पर यह व्यवस्था करता है कि फरीकन या बिनाय मुखासमत का गलत तौर पर शामिल किया जाना अख्यार समाभतके न होने जैसा कारण समझा जाना चाहिए ।

“अख्यार समाभतका होना” का अर्थ है उस खास अदाखतको अख्यार समाभत का न होना जिसमें परिवार की गई थी, इसमें किसी ऐसी अदाखत में जिसे उस अपील की समाभत करने का अख्यार नहीं है, अपील दायर करना जैसी भूल (गलती) शामिल नहीं है, देखो 163 P W R 1911, 45 P R 1913, 28 B 2 35

जब दूसरी नालिश में कई एक मुद्दाभेद हों और पहली नालिश उनमें से बिल्कुल ही राख के खिलाफ दायर की गई हो, तो उस समय दफा १४ लागू नहीं होती है और इसलिए ऐसी दशा में समय मुजरा नहीं दिलाया जा सकता देखो 5 W R 281, 3 B 182, 184 जब कि दूसरी नालिश किसी ऐसे राख के ऊपर दायर की गई हो जिसके ऊपर नालिश करने का हक पहिले मुद्दाभेद से पैदा होता है, तो ऐसी दशा में दफा १४ लागू होती है, देखो 1 P 506

जिन कारणों से किसी नालिश या दरखवास्त को उठा लेने की इजाजत दी गई हो, वे दफा १४ के अर्थ में उसी प्रकार (किस्म) के कारण नहीं हैं, देखो 6 B 681 इसलिए दफा १४ उस समय लागू नहीं होती जब पहिली नालिश को मुद्दा ने उठा लिया हो, देखो 12 B 625, 29 B 219, 39 M 969

वह समय, जिसमें इजरा की कोई दरखवास्त चल रही हो और उसका फंसका मुकद्दमे की ऊपरदाद के ऊपर किया गया हो, मुजरा नहीं दिया जा सकता, देखो 74 I O 279 (C)

दूसरे मामलों में समय का निगल देना—हुकम इतनाह या हुकम से मापठेकी मुस्तकी—
(१) किसी ऐसी नालिश या डिफरी की इजरा की किसी दरखवास्त में, जो हुकम इतनाह या दूसरे हुकम से मुस्तकी कर दी गई है, उसके जारी रहने का समय, या वह दिन, जिसको कि वह जारी किया गया था या दिया गया था और वह दिन, जिसको वह उठा लिया गया था, निकाल दिए जायेंगे ।

(२) किसी ऐसी नालिश में, जिसमें कि नोटिस की जरूरत है नोटिस का समय निकाल दिया जायगा (दफा १५)

खरीदार नीलाम का कन्सा—खरीदार नीलाम की ओर से की गई कच्चे की नालिश में वह समय निकाल दिया जायगा जिसमें नीलाम की मसूखी के लिए दावा दायर किया गया हो (दफा १६)

गीत होनाने से असर—नालिश दायर करने का हक पदा होने से पहिले गीत के होजाने का असर क्या होता है, इस सम्बन्ध में देखो दफा १७। इसका आधार इस सिद्धांत के ऊपर है, कि मियाद का हिसाब उस शर्त के सम्बन्ध में नहीं लगाया जा सकता जो मौजूद नहीं है। दफा ६ दफा १७ के साथ पढ़ी जानी चाहिए। इस दफा के अमल के सम्बन्ध में यह समझा जाना चाहिए कि वह बाद वाली दफा में बतलाए हुए भपवाद (मुस्तस्ियात) के अनुकूल और उसके अधीन है देखो 9 C W- N 537

फरेब करने का असर—जब किसी ऐसे शर्त को, जिसे किसी नालिश के दायर करने या दरख्वास्त के देने का अधिकार (हक) है, फरेब (छल) से ऐसे अधिकार या हकीयत की बात जानने न दी गई हो जिसके आधार पर वह नालिश दायर की जा सकती है या दरख्वास्त दी जा सकती है, या जब कोई ऐसा कागज, जो ऐसे अधिकार को साबित करने के लिए आवश्यक है, फरेब (छल) करके उससे छिपा रखा गया हो, तो मियाद की मुद्दत उस समय से शुरू होगी जिस समय इस फरेब की बात का उसे पहिले पहल पता चला हो (देखो दफा १८) ।

ब्याख्या—दफा १५ हुम इस्तनाई या इतरा हुम—यह दफा पहिले नालिशों के सम्बन्ध में ही लागू होती थी, लेकिन सन् १९०८ ई० के ऐक्ट से कुछ शब्द और बढ़ा दिए गए हैं जिनसे वह डिकरियों की इजरा के लिए दी गई दरख्वास्तों के सम्बन्ध में लागू हो सकती है (देखो 7 I C 886, 9 A L J 540, 38 B 153, 34 A 436) जो हुम इजरा की मुस्तवी के सम्बन्ध में दिया गया हो वह साफ साफ होना चाहिए, यद्यपि उसके लिए यह जरूरी नहीं है कि वह लिखित हो, देखो 23 Bom L R 107 नालिश की पेशी की तारीख का बढ़ा दिया जाना हुम इस्तनाई या इतरा की मुस्तवी का हुम नहीं है, देखो 39 I C 939, (C) । यह बात बिल्कुल अत्यावश्यक है कि हुम इस्तनाई का सम्बन्ध डिकरी के केवल एक हिस्से से ही है, देखो 38 B 153, 40 I C 399

मियाद की मुद्दत का शुमार करने में वह समय, जिनमें डिकरी की इजरा मुस्तवी कर दी गई थी, या बन्द कर दी गई थी, निकाल दिया जायगा यद्यपि उस समय इजरा की कोई भी अर्जा अदालत में पढी हुई नहीं थी, देखो 13 L W 97, 40 M L J 124 दफा १५ में भाग्य हुए 'निश्चित (Prescribed)' शब्द का अर्थ है ' इस ऐक्ट द्वारा निश्चित' और इसलिए वह जाचता दीवानी जी दफा ४८ के सम्बन्ध में लागू नहीं होती, देखो 40 A 198, 45 M 785, 42 A 118, 54 I C 279

“हुकम इम्तनाई या दूसरे हुकम” में कुर्की शामिल नहीं है देपो 42 M 037 कृज की कुर्की का हुकम ऐसा हुकम नहीं है जो किसी नालिश की मुलतवी करता है, क्योंकि इससे मद्दाजन को उस कृज की बाबत नालिश करने में कोई रुकावट नहीं पड़ती है, लिफं वह कृज का रुपया वसूल नहीं कर सकता, देखो 13 A 7C, 17 A 198 P C, 14 A 162 यही बात फंसला जे क्वल की जाने वाली कुर्की के सम्बन्ध में है, देखो 21 O W N 1147 लेकिन किसी डिकरीकी कुर्की इजरा की मुलतवी हो जाती है और इसलिए मियाद की मुदत मुजरा दी जा सकती है, देखो 30 I C 587 (C)

जब डिकरी कई एक बादमियां के विरुद्ध दीगई हो और इजरा की कार्रवाई किसी एक शख्स के विरुद्ध मुलतवी कीगई हो तो बाकी दूसरे मद्दयूतान डिकरी के सम्बन्ध में भी मुदत निकाल दी जायगी देखो 13 L W 59

मद्दयूतान-डिकरी को गिरफ्तार न करने के लिए किये गए इक्कारनामा से मियाद का जारी रहना रुक नहीं सकता, देखो 28 I C 381 (A)। जो हुकम मद्दयूतान डिकरी को रुपया अदा करने के लिए दिया गया हो, वह इजरा की मुलतवी करने वाला हुकम नहीं है, देखो 40 A 198 जब किसी डिकरी की इजरा में होने वाली तीलाम, डिकरीदार की वजह से मुलतवी कर दीगई हो, तो दफा १५ लागू नहीं होती, देखो 53 I C 85 (P) दीवाला की कार्रवाई जारी रखने से किसी डिकरी की इजरा के लिए मियादके सम्बन्धमें कोई रुकावट नहीं पड़ती, जब तककि प्रान्तीय कानून दीवालियाकी दफा १५ के अनुसार रक्षा करने वाला (Protection order) न दिया गया हो, देखो 47 I C 798 (P) दीवालिया करार दिए जाने के लिए दिया गया हुकम भी दीवालिया के विरुद्ध की जाने वाली नालिश को मुलतवी नहीं करता देखो 42 M 319

मित्री कौंसिल में कीगई एक अपील के दौरान में अपीलान्ट ने वह डिकरी जो उसने एक दूसरी नालिश में फरीकसाली के ऊपर प्राप्त की थी, बतौर जमानत के दाखिल कर दी। तब हुआ कि इस जमानत के मजूर कर लेने से इजरा की कार्रवाई मुलतवी नहीं हो जाती, देखो 3 P L J 132 जब कि मित्री कौंसिल में कीगई एक अपील के दौरान में हाईकोर्ट ने डिकरीदार के जमानत दाखिल कर देने पर डिकरी की इजरा का हुकम दे दिया और वह जमानत दाखिल नहीं कर सका और इसलिए इजरा की कार्रवाई नहीं की जा सकी, तब हुआ कि वास्तव में इस हुकम से इजरा की कार्रवाई मुलतवी होगई और इसलिए दफा १५ लागू होती है, देखो 5 P L J 31

दफा १५ को दफा ६ और ७ के साथ नहीं पढ़ा जाना चाहिए, देखो 37 M L J 286

दफा १६—इस दफा में भाषण हुए “कार्रवाई” शब्द में नालिश और दर-खवास्त दोनों शामिल हैं, और व्यत्ययक खनाका मरा उस समयको निकाल देने का था जिसमें तीलाम के जायज होने के सम्बन्ध में पतराज किया गया हो,

फिर वह चाहे किसी नालिश के जरिये हो या किसी दरख्वास्त के द्वारा, देखो 21 O W N 304, 38 I C 547

जब यह भाटि० १४४ लागू होती हो, उस हालत में दफा १६ के अनुसार कानून में अथवा इन्साफ की अदालत में कोई भी समय मुजरा नहीं दिया जा सकता है, देखो 70 I C 420, 26 O W N 364.

दफा १६ में आए हुए शब्द "नालिश करने के काबिल कानूनन नालिश कर सकने में असमर्थ" शब्दा के विल्कुल विरोधी अर्थ के घोटक हैं। इसका सम्बन्ध उस असमर्थता से नहीं है जो साधना की कमी अथवा दूसरे शारीरिक कारणों से पैदा होती हो, 28 B 15, 44.

दफा ६ को इस दफा के साथ पढ़ना चाहिए। पहिले की दफा के प्रयोग के सम्बन्ध में यह समझना चाहिए कि वह यादवाली दफा के अपवाद (मुस्त-स्नयात) के अनुकूल है। जब कि एक शख्स सन् १८९६ ई० में मर गया और उसकी बेवा ने प्रबन्ध सम्बन्धी पत्रों (Letters of administration) को लिया जो उसके लड़के की नाबालिगी की हालत तक के लिए ही महदूद (सीमाबद्ध) थे। लड़के ने सन् १९०३ ई० में बालिग होने पर सन् १९०४ ई० में एक नालिश याचत हिसाब-किताब पट्टीदारीके दापरकी, तब हुआकि उसके नाबालिग होने से तमादी का बचाव नहीं होता। वह रियासत सभी कामों के लिए उस बेवा के हवाले कर दी गई थी, देखो 9 O W N 537, 23 B 544 P C.

दफा १८ फरेब—इस दफा में बतलाया हुआ फरेब उस शख्स का फरेब है जिसके विरुद्ध किसी अधिकार के सम्बन्ध में दावा किया गया हो, अर्थात् मुद्दा-अलेह अथवा किसी दूसरे ऐसे शख्स का जिसके जरिये से वह दावेदार है, किसी अन्य व्यक्ति का नहीं, देखो 2 O 1, 36 C 654 मुद्दई का नालिश करने सम्बन्धी अपने अधिकारों की अनभिज्ञता दफा १८ में नहीं आती है, जब तक कि इसका कारण मुद्दाअलेह की ओर से किया गया फरेब (छल) न हो, देखो 8 W R 23, 19 W R 269, 16 I C 547 दफा १८ केवल उस दशा में लागू होती है जब कि किसी व्यक्ति को फरेब (छल) से अपने अधिकारों को न जानने दिया गया हो, उस दशा में नहीं जब कि उसे अपने अधिकार को काम में लाने से रोका गया हो, देखो 25 I C 884, 68 I C 924 इसलिये अगर अदालत के बाहर की गई रुपये की किसी चेबाकी के लिए आर्डर २१, कल २ के अनुसार तस्दीक न की गई हो, तो इजरा करने वाली अदालत डिकरीदार के ऊपर लगाए गए फरेब के अभियोग की निस्वत दफा ४७ के अनुसार जाच नहीं कर सकती। अगर यह बात साबित भी होगई हो कि उसका चाल चलन फरेबियों (छल कपट) का है, तो भी मदीयून डिकरी, वह समय बढ़ा देने का हकदार नहीं है जिसके भीतर आर्डर २१ कल २ (२) के अनुसार दरख्वास्त दी जानी चाहिए, क्योंकि कानून मियादकी दफा १८ के अर्थमें वह फरेब करके, वर

सूवास्त देने सम्बन्धी अपने अधिकार से वंचित नहीं रखा गया है बल्कि वह अपने उस अधिकार को काम चलाने से रोक गया है, देखो 16 C W N 923, 13 I C 63 तथा 49 C 886, 19 C W N 553, 1919 P W R 2 मियाद उस समय तक शुरू न होगी जब तक कि फरेब की बात मुद्दईको मालूम न हुई हो, देखो 26 C W N 479

दफा १८ में जिस फरेब की जानकारी का विक्रि किया गया है, यह ऐसी न होनी चाहिए जिसके लिए केवल सन्देह किया जाता है (देखो 14 B 408) या बतलाया जाता है अथवा जिसके लिए, प्रबल साधन मौजूद हैं (देखो 17 B 341, 347 P C) कुछ अवस्थाओं में भद्रकृत इस जानकारी की घातमें केवल जानकारी मात्र से ही जान सकती है (देखो 8 C L R) यद्यपि इस जानकारी के साधन और यह जानकारी हमेशा एक ही नहीं होते हैं (देखो 9 W R 329)

यह जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए "केवल नीलामहुई है" इस बातकी जानकारी मियाद के शुरू होने के सम्बन्ध में काफी नहीं है देखो 17 B 141 P C, 17 C 769 F B, 48 C 119, 18 C W N 1266, 3 P L T. 501 और 49 C 886 मियाद की मुद्दत उस समय से शुरू होनी चाहिए जिस रोज फरेब की बात मालूम हुई हो, देखो 45 A 316

दफा १८ उस फरेब (छल) के सम्बन्ध में लागू नहीं होती जो अधिकार पैदा होने से पहिले किया गया हो जैसे नीलाम के पहिले। मालियत का गलत बतलाना, यद्यपि यह फरेब नहीं कहा जा सकता, फरेब से किसी बात को छिपाना नहीं है और नीलाम के इतदार का प्रकाशित न करना स्वयं उस मामले को दफा १८ में नहीं लाता, जब तक कि यह बात न दिखला दी गई हो कि मदीयून डिकरी को डिकरीदार के फरेब करने के कारण अपने अधिकार का पता न लग सका, देखो 16 C W N 894, 15 C W N 965 नीलाम के पहिले लिए गए फरेब का बहुत कुछे आधार इस प्रश्न के ऊपर है कि क्या दफा १८ के प्रयोजन के लिए नीलाम के बाद फरेब किया गया था, देखो 17 C W N. 478 यह फरेब छिपा हुआ फरेब होना चाहिए, देखो 9 W R 255

अपने मामले को दफा १८ के अन्दर लाने के लिए मुद्दई को चाहिए कि वह यह बतलावे कि फरेब किए जाने की बात उसको क्या मालूम हुई, देखो 67 I C 914 P ; 3 Pat. L T. 529 एक बार यह साबित हो जाने पर कि किसी शख्स को फरेब करके अपने अधिकारों को जानने नहीं दिया गया है, इस बात का साबित करने का सारा भार दूसरे शख्स के ऊपर चला जाता है कि उसे मियाद की मुद्दत से बहुत पहिले यह बात मालूम होगई थी, देखो 49 C 88, 17 B 341 P C, 18 C W N 1266, 27 C L J 528, 14 Bom L R 771, 34 P R 1904

जब फरेब करके किसी शख्स को नीलाम की बात जानने न दी गई हो, तो यह समझा जायगा कि जुररतन् उसे उस नीलाम की मसूची के लिए

नालिश करने सम्बन्धी अपने अधिकार को जानने नहीं दिया गया है, देखो 10 C W N 553

जब डिफरिदार ने मदिपून डिफरि के ऊपर नीलाम की नोटिस तामील न कराई हो और मदिपून डिफरि को इस नीलाम की बात उस समय मालूम हुई हो जब कि फूजे के लिए दरखास्त दी गई हो, तो ऐसी दशा में दफा १८ लागू होती है, देखो 72 I C 76 (M)

लिखित स्वीकृति देने का अंतर—जब किसी जायदाद या हक के सम्बन्ध में मियाद की मुद्दत खतम होने से पहिले अपनी जिम्मेदारी का लिखित स्वीकृति-पत्र दे दिया गया हो जिसपर ऋणी के या किसी ऐसे शख्स के, जिससे उसका हक या जिम्मेदारी पैदा होती है अथवा किसी अधिकार प्राप्त मुख्तार (मुख्तार मजाज) के दस्तखत हों, तो स्वीकृति पत्र देने की तारीख से मियाद की नई मुद्दत का शुमार किया जायगा (देखो दफा १९ और उसके तीनों विवरण) ।

व्याख्या—दफा १९ नालिशी और दरखास्तों, जैसे डिफरि इजराकी दरखास्तों के सम्बन्धमें लागू होती है । इसकी आवश्यक बातें ये हैं — (१) यह स्वीकृति पत्र (Acknowledgment) मियाद खतम होने के पहिले लिखा गया हो देखो 16 C W. N 663), (२) यह उस ख़ास दावा या अधिकार के सम्बन्ध में होना चाहिए (देखो 6 M 182), (३) यह स्वीकृति पत्र जिम्मेदारी (देनदारी) के सम्बन्ध में लिखा गया हो, अर्थात् वह जिम्मेदारी की एक निश्चित स्वीकृति होनी चाहिए, (देखो 30 C 699) यह स्वीकृति पत्र लिखित होना चाहिए और उसपर हस्ताक्षर (दस्तखत) भी होने चाहिए ।

इंगलिश लॉ के अनुसार किसी ऋण की स्वीकृति में रुपया अदा करने का वादा भी शामिल है, लेकिन हिन्दुस्तान के कानून में किसी ऋण को स्वीकार कर लेने से यह नहीं समझा गया है कि उसके अदा करने का वादा भी इसमें शामिल है, देखो 3 L 326.

यह स्वीकृति मियाद की मुद्दत खतम होने के पहिले की जानी चाहिए । किसी ऐसे ऋण या (कर्ज) को स्वीकृति से, जिसकी मियाद-भारिज होगई है, मियाद बढ़ नहीं सकती, देखो 16 C W N 636, 42 A-390, 2 A 443, 42 A 575 F B; 6 B. 683, 5 P L J 37, 24 I C 507, 67 I C-298 (C) । परन्तु किसी ऐसे ऋण (कर्ज) की, जिसकी मियाद भारिज हो होगई है, मियाद कानून सुआहिदा की दफा २५ के अनुसार नया सुआहिदा करके फिर नई की जा सकती है । लेकिन दफा १९ के अनुसार उसी समय स्वीकृति-पत्र लिख देने से नई मियाद शुरू हो सकती है, जब वह ऋण अथवा अधिकार अभी बना हो (देखो 3 A 761; 23 W R 462; 1 B 590, 2 B 230, 6 P L J 121) । यह स्वीकृति-पत्र मौजूदा देनदारी के सम्बन्ध में होना चाहिए, देखो 25 M 220 F. B, 16 M 220; 6 C L. J. 554

छुट्टियों में और मियाद खतम हो जाने के बाद की गई स्वीकृति काफ़ी बड़ी है । यह बात, कि बीच में छुट्टियों के पड़ जाने से नालिश करने सम्बन्धी

अधिकार उस समय तक बना हुआ था, कोई प्रभाव नहीं रखती देखो 20 B 782

वका १९ के अनुसार की गई स्वीकृति किसी खास दावा या अधिकारके सम्बन्धम की जानी चाहिए, उदाहरणार्थ किसी ऐसी हकीयत भारतीयकी स्वीकृति जो उस हकीयत से भिन्न है जो मुद्दा ने कायम किया है काफी नहीं है, देखो 6 M 182 अगर एक से अधिक कजा का रूपया बाकी हो, तो स्वीकृति पत्र ऐसा होना चाहिए जिससे उस खास कर्जे का पता चल सके जिसकी निश्चत नालिश भी गई है और जबानी राहादत किसी कर्जे के सम्बन्धम काबिल तस्वीम न होगी, देखो 17 A 198 P C स्वीकृति पत्र में ठीक उस कर्जे का उल्लेख किया जाना चाहिए जिसकी निश्चत दावा किया गया है किसी कर्जे कानही देखो 13 C L J 139, 21 O C 161; 9 Bom L R 715, 23 B 177

अगर कोई मुद्दा किसी ऐसी नालिश को, जिसकी मियाद आरिज होगई है, किसी स्वीकृति पत्र के (Acknowledgment) के जरिये मियादके अन्दर छाना चाहता है, तो उसे चाहिये कि वह इसने लिये माकूल सुवूत पेश करे, देखो 14 A 360, 66 I C 171

जब तक यह न मालूम हो कि वह शफूल किसी बातको स्वीकार कर रहा है, कोई स्वीकृति पत्र ठीक न माना जायगा। वका १९ का मसाला है कि मौजूदा देनदारीके सम्बन्धम सब बातें साफ साफ मालूम होनी चाहिए देखो 3 B 99 स्वीकृति पत्र (Acknowledgment) से किसी बातकी जानकारी प्रकट होती है जिसका भार किसी शफूलने अपने ऊपर लिया हो, देखा 15 C L J 251 इसका मतलब है किसी कर्जे (या जिम्मेदारी) को निश्चय रूपसे स्वीकार कर लेना। यह आवश्यक नहीं है कि रुक्या अदा करने का वादा किया जाय, कि वी कर्जेका फेरल यादी स्वाकार कर लेना काफी है, देखो 39 O 699, 41 M L J 217 इस स्वीकृतके सम्बन्धम कोई शर्त चाहेरा नहीं होनी चाहिये, जैसे किसी पत्रमें यह लिख देना कि मैं (लिखने वाला) यह देखूंगा कि कोई रूपया बाकी है या नहीं देखो 31 C 195 या यह कहना कि मैं हिसाब किताब देखकर दस्तखत करूंगा, काफी नहीं है। लेकिन जब कि एक राखने इस बात से इन्कार कर दा कि कोई रूपया उसपर बाकी है परन्तु इस बातको स्वीकार कर लिया कि अगर कोई हिसाब किताब जिम्मे निकलेगा तो वह उसका देनदार होगा तब हुआ कि यह स्वीकृत पत्र (Acknowledgment) है, देखो 10 M 259 किसी जिम्मेदारीको को इस बात पर स्वीकार कर लेना कि अगर बाकी हमारे जिम्मे निकली तो हम उसके देनदार होंगे और उस शतको पूरा करने का वादा स्वीकृत (Acknowledgment) है देखो 33 C 104 P C, 10 C W N 874, 16 M L J 300 किसी बात के ऊपर की गई स्वीकृति (Acknowledgment) उस समय तक नहीं मियाद नहीं शरू होती जब तक कि

यह शर्त पूरी न कर दी जाय, देखो 29 M 519, 40 M 701 शर्तोंके साथ में किसी जिम्मेदारी (देनदारी) की स्वीकृत के सम्बन्धमें देखो 58 I C 446 (M), 18 I C 89, 59 I C 898 (M)

कोई स्वीकृति पत्र (Acknowledgment) केवल इसी बातसे नाजायज नहीं हो जाता कि उसमें कर्जकी तारीख गलत बतलाई गई है, देखो 26 A 313, 11 A L J. 86

किसी स्वीकृति के सम्बन्धमें यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रकट हो। यह बात भ्रमकृत (सांकेतिक) भी हो सकती है, परन्तु इस बातसे यह बात प्रकट होना आवश्यक है कि यह स्वीकृति किसी खास जिम्मेदारीकी निश्चय की गई है, किसी अनिश्चित जिम्मेदारी की निश्चय नहीं, देखो 9 Bom L R 715, 13 C L J 139, 131 P R 1919, 34 M L J 551, 3 I C 34—जब किसी हिसाब का बन्द मान लिया जाय, तो इससे निश्चयदेह यह परिणाम निकलता है कि वह शक्य, जो इस हिसाब रहने की बात को स्वीकार कर लिया है, इसको स्वीकार करता है कि अगर हिसाबमें उसके जिम्मे कोई रुपया निकलेगा तो वह उसका देनदार होगा, देखो 58 I C 787 (L)

जबकि एक मद्रियून डिकरी ने अपने गिरफ्तार किए जाने की निश्चय इस बिना पर उम्दारी पेश की कि वह गरीब है और यह प्रार्थना कि उसकी उम्दारी का फैसला होने तक धारण मुक्तवी रखा जाय—तय हुआ कि यह कर्ज के रुपये की स्वीकृति नहीं है, देखो 39 A 357

यद्यपि किसी दस्तावेज वगैरा के ऊपर उसकी बसूली वगैरा का लिख देना दफा २० के अर्थ में अदायगी न समझी जायगी, तो भी दफा १९ क अनुसार वह एक जायज स्वीकृति समझी जायगी। इसलिये जब किसी प्रोटोट पर रुपये की अदायगी लिख दी गई हो, परन्तु वास्तव में रुपया अदा न किया गया हो, तो तमादी बचाने के लिये यह काफी स्वीकृति समझी जायगी, देखो 28 I C 15 (M), 48 I C 724, यह स्वीकार कर लेना कि फरीकैन के बीच हिसाब किताब चठरहा था, स्वीकृति (Acknowledgement) है, यद्यपि उस हिसाबके सही होने की बात न भी मानी गई हो और यद्यपि उसको किसी सुखतार ने इस शर्त पर स्वीकार किया हो कि उसके मालिक की मजूरी मिटने पर उसकी बात सही मानी जाय, देखो 55 P B 1910, हिसाब-किताब दाखिल करने की जिम्मेदारी का स्वीकार कर लेना दफा १९ के अर्थ में कर्ज का स्वीकार करना नहीं है देखो 87 P L R, 1009, 4 I C 929

जबकि एक पचायतनामा के फरीकैन ने यह बात स्वीकार की कि वह हिसाब-किताब साफ नहीं हुआ जो पचों को साफ करना चाहिये था और दरपक फरीकने यह वादा किया कि वे, जो कुछ रुपया वाजिब निकलेगा, अदा करेंगे तय हुआ कि यह स्वीकृति पत्र (Acknowledgment) है। यह आवश्यक नहीं है कि स्वीकृति पत्र किसी व्यक्ति विशेष (खास आदमी) का नाम सम्बोधन करके

लिखा जाय और अगर उसमें रुपया अदा करने से इन्कार कीगई हो, तो भी यह स्वीकृति पत्र पर्याप्त समझा जायगा, देखो 23 C W N 921, 53 I O 898, जोई भी स्वीकृति पत्र, फिर चाद चाहे किसी के भी नाम लिखा गया हो, जायज स्वीकृति पत्र हागा' अगर उसमें उचित निश्चय के साथ जिम्मेदारी सुतनात्ता की वायत की ओर सङ्गत क्रिया गना है देखो 19 C W N 263; 40 M 698, 35 A 437; 37 B 326 P C

किसी सम्मिलित हिन्दू कुटुम्ब का कोई छोटा भादमी जो उस कुटुम्ब का सम्बन्धक नहीं है ऐसा स्वीकृति पत्र नहीं लिख सकता जिससे सबके ऊपर जिम्मेदारी आती है, 72 I C 249

किसी प्रोनोट के ऊपर उसके रुपये की अदायगी का लिखा जाना स्वीकृति पत्र (Acknowledgement) है। इसमें इसबात से कोई अन्तर नहीं पड़ता कि रुपये की यह अदायगी किसी हिसाब के, जिससे पहिले अदा कीगई किस्तों का पता चरता हो, नीचे लिखी गई हो देखो 72 I C 249

उस नाराजी के, जो रुई पर हिस्सेदारों के कब्जे में है, हिस्से की निश्चय की जाने वाली नालिश की मियाद आरिज नहीं होती, अगर उस मुदाअलेह हिस्सेदार ने जो उसपर क्रायिज है, चारह बरस के भीतर मुद्दई को पत्र लिख कर उसमें उसकी हकीयत को स्वीकार कर लिया हो देखो 5 Lah L J 47 कई पर मुतहिनां में से केवल किसी एक की ओर से राहिन की हकीयत (Title) को स्वीकार कर लेने से राहिन के फकरेहनी करने सम्बन्धी अधिकार (हक) की रक्षा नहीं होजाती, जबकि वह रेहननामा मुद्दतरका है और उसकी फकरेहनी अलग अलग नहीं हो सकती, देखो 5 Lah L J 11

स्वीकृति पत्र के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह किसी खास नमूने (फार्म) का हो। लिखने की शैली कैसी है इसबात से कोई कोई विरोध लाभ भया जानि नहीं। जिस बात की आवश्यकता है, वह सिफ यह है कि यह लिखित हो और उसपर लिखने वाले के या उसके मुखतार मजाज के दस्तखत हों इसका उद्देश्य केवल यह है कि जवानी स्वीकृति (Oral acknowledgement) न की जाय देखो 20 M 239, 242, अर्जोदावा या चपान तहरीरी (देखो 27C 1004, P O), अर्ज (देखो 23 C 374, 387) वसीयतनामा (देखो 3 M L J 191), यान जो जज के सामने दिया गया हो और उसीके सामने उसपर दस्तखत किए गये हों (देखो 39 A 437), किसी प्रोनोट में किसी-पैसे फूज का उदरेय जो किसी पहिले वाले तमस्तुम्बकी वायत वाजिब है (देखो 38 M 177); किसी दीयालिया की ओर से दाखिल कीगई सूची (फेदरिस्त) (देखो 35 B 283), पचायत में मामला पेश करने के सम्बन्ध में कीगई स्वीकृति (देखो 23 C W N 921), हायाचिट्टा (देखो 46 C 746), किसी इजहार का स्वी-

कार करना (देखो 10 I C 142, 151, P L R 1911) स्वीकृति पत्र (Acknowledgement) है अगर किसी इजहार पर दस्तखत न किये गये हों तो वह स्वीकृति पत्र (Acknowledgement) न होगा, देखो 34 P R 1918.

किसी बयान में सिर्फ यह इजहार देना कि गवाहने पहिले किसी तारीख को एक तमस्सुक लिखा था, स्वीकृति पत्र (Acknowledgement) नहीं है देखो 73 I O 953 (M), 45 A 479

दस्तखतोंके लिये यह जरूरी नहीं है कि वे लिखित ही हों किसी अनपढ़ भादमीका कोई चिन्ह (निशान) बना देना ही काफी है, देखो M H C R 358, 28 M 262 सिर्फ कलमको छूकर दूसरे शख्ससे दस्तखत कर देनेके लिये कह देना काफी है, देखो 6 M L J 209.

जब किसी महाजनने ऋणीके उस लिखित प्रार्थना पत्र (दख्वास्त) पर, जिसमे उसने रुपया अदा करनेके लिये समय मागा हो, समय बढ़ा दिया हो, तो वह स्वीकृति पत्र (Acknowledgement) है, देखो 12 M L J 351 किसी गिरफ्तार किये हुए मद्युन डिकरीकी ओरसे रिहाईके लिये और डिकरीके बाकी रुपयेकी अदायगीका हुकम किये जानेके लिये दोगई दख्वास्त स्वीकृति पत्र (Acknowledgement) है, देखो S N L R 8,

अगर किसी कजेके किसी एक ही हिस्सेके सम्बन्धमें स्वीकृति की जाय, तो इससे उसके उतनेही हिस्सासे सम्बन्ध रखनेवाली मियाद कायम रहेगी, देखो 16 C W N 493

किसी स्वीकृति पत्रके लिये यह आवश्यक नहीं है कि उसके लिये कोई नया बदल (माविजा) किया जाय और न यही आवश्यक है कि रुपया अदा करनेके लिये कोई खास वादा किया जाय, देखो 50 C 974

किसी नावालिंगकी ओरसे की गई स्वीकृति काफी नहीं है, देखो 59 P R 1901

किसी पहिलेके मुकद्दमेमे दाखिल किया गया बयान तहरीरी जिसमे मुद्द ईसे प्रानोट पेश करनेके लिये कहा गया हो, स्वीकृति पत्र (Acknowledgement) नहीं है, देखो 34 P R 1918 किसी ऐसी जुण्डीकी इवालीगी जो पेश किये जाने पर बिना सफारे वापस कर दी गई है स्वीकृति (Acknowledgement) नहीं है, देखो 42 A 390

व्यापक रकमकी अदायगीका या मूलधनके किसी हिस्सेकी अदायगीका अगर—(१) जब किसी कर्जे या वसीयती माल (Legacy) की वास्त वाजिब ग्याज (सूद) को, नियत समय समाप्त होनेके पहिले, वह शख्स, जो उस कर्जा या वसीयती मालका देनदार है, या इस सम्बन्धमें अधिकार प्राप्त मुख्तार अदा कर दे, या जब किसी ऋण (कर्जे के) मूलधनका कोई हिस्सा ऋणी या उसका इस सम्बन्धमें अधिकार प्राप्त मुख्तार अदा कर दे, तो जिस समय रुपया अदा किया गया हो उस समयसे मियादकी मुद्दतका शुमार किया जायगा ।

लेकिन शर्त यह है कि, अगर किसी ऋणके मूलधनका केवल एक हिस्सा अदा किया गया है तो अदायगी उसी राशिके हाथकी लिखी हुई हो जिसमे उसे किया है।

(२) जब आराजी मरहूना मुर्तदिके कउजेम हो, तो उस आराजीके लगान या पैदावारकी वसुली उप—दफा (१) के अर्थमें अदायगी समझी जायगी।

विचरण—ऋणमें कोई भी ऐसा रुपया शामिल है जो किसी डिकरी या अदालतके हुज्मके अनुसार वाजिजुठअदा हो (दफा २०)।

दफा १९ और २० में आये हुए “इस सम्बन्धमें अधिकार प्राप्त सुख्तार” वाक्यमें, उन व्यक्तियोंके सम्बन्धमें जो अयोग्य हैं (Persons Under Disability), उनके कानूनी सरक्षक (वली) कमेटी या मैनेजर अथवा सुख्तार शामिल हैं जिन्हें ऐसे सरक्षक (वली) इत्यादिने अधिकार दिया हो।

कई एक सुआहिदादारों (Contractors) में से किसी एककी ओरसे की गई स्वोक्ती या अदायगीसे उनमेंसे कोई दूसरा या दूसरे लोग उसके लिये जिम्मेदार नहीं होते (दफा २१)

व्याख्या—दफा २० का आधार वही सिद्धान्त (Principle) है जो दफा १९ का है। मूलधन या ब्याज के किसी हिस्से की अदायगी मौजूदा कजका स्वीकृति पत्र (Acknowledgment) है।

दफा १९ और २० आपसमें एक दूसरे के विरुद्ध नहीं हैं। एक हिस्से की अदायगी, का इदराज हो, अगर कर्जदार के हाथ से न लिया गया हो तो दफा १९ के अनुसार बहैसियत स्वीकृति पत्र के वा असर है देखो 40 M 698, 36 I C 240 ब्याज, चतोर ब्याजक कर्ज अदा होने से पहिले दिया जा सकता है। अगर यह शर्त पूरी कर दी जाय तो मियाद का समय और बढ़ाया जा सकता है। ब्याज के विषय में लिखकर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर दस्तावेज की पुस्त पर लेख (Endorsement) से ब्याज और उसकी अदायगी की तारीख मालूम न पड़े तो उनका साबित करना बहुत जहरी है। मूलधन के हिस्से की अदायगी के विषय में कानून बहुत सरल है। इसके अदा करने वाले शख्स की खुद कलम से लिखा हुआ होना जरूरी है। यह बात नोट कर लेने की है कि कानून में सुताविक मूलधन की अदायगी किस्ता में नहीं है। इसलिये उस शख्स क कलम से अदायगी लिखना ही काफी है। इन्दराज में यह लिखना जरूरी नहीं है कि अदायगी बावत मूलधनके की जाती है देखो 23 C 592, 6 M 281 इस विषय पर अब तक जो कुछ कानूनी विवाद उपस्थित होता था उह ऐक्ट सन् १९०८इ० के विचरणसे समाप्त हो जाता है। अब यह पूर्णतया मान लिया गया है कि कजे में ‘डिकरी के अनुसार’ कोई भी रुपया शामिल है।

ब्याजकी अदायगी—साधारण तौर से ‘ब्याज’ का मतलब किसी भी ऐसी चीज से है जो रुपया रोक रखने के बदले म दिया जाता है देखो *Marbley, J*

in C. 283 P 301 दफा २० के अनुसार 'व्याज' का मतलब व्याज या उसके किसी हिस्से से है 35 A 378, 20 I C 258 मियाद की वचत के लिए व्याज अदा किया जा सकता है इसलिये कर्ज पर व्याज का होना जरूरी है। इस तरह अगर किसी डिफर्रीत व्याज न दिया गया हो तो किसी रकम की अदायगी मूलधनके हिस्से की अदायगी मानी जायगी, देखा 22 C. W N 325.

व्याज की अदायगी, उसकी यानी व्याज की अदायगी के विचार से ही होना चाहिये। व्याज वाजिबुल् अदा होने पर किसी रकम की अदायगी व्याज की अदायगी नहीं कही जा सकती देखो U B R' (1892-96) 406, 31 A 495, मिश्रधन मसे किसी रकम की अदायगी, इस बात की खिला इत्तफा किए कि यह व्याज की अदागी है, की जाय तो रकम व्याज की वाचत अदा की गई न मानी जायगी, 31 I. C 782 (L) 38 198; 5 Bom L R 350 79 I C. 7 व्याज की अदायगी या तो साफ साफ कहकर होनी चाहिए या ऐसी सुरता म हो जिससे कि कर्जदार का मंशा मालूम हो, 19 C W N. 237, 24 B 493 P. 499 चार चार किस्त द्वारा अदा की गयी रकम को केवल व्याज के खाते में मान लेने ही से वह व्याज की अदायगी न मानी जायगी, 19 I. C 825; देखो 31 A 495, 50 I C 709 जहा पर यह शर्त तय हो गयी हो की पहिले व्याज और बाद को मूलधन अदा होगा तो कर्जदार द्वारा कोई इत्तफा न होने पर भी ब्योहरे के पास जमा की गई रकम व्याज की अदायगी समझी जायगी, 31 A 285.

मदियुन डिफर्री के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक मौके पर साफ २ कहे कि यह रकम व्याज की वाचत अदा की जा रही है। यह काफी है अगर वाक्यात इस तरह पर हो जितसे यही नतीजा निकले कि रकम वाचत व्याज अदा की गयी है 27 C L J 141, 43 M 812.

जहाँ कई एक कर्जे हो और सुदूरम खुल्ला बिना बतलाए हुए रकम इतनी अदा की गयी हो कि एक कर्जा को तो व्याज केवल आंशिक रूप से और बाकी व्याजकी सब रकमोंकी अदायगी पूर्ण रूपसे होती होतो ऐसी स्थितिमें सब कर्जोंकी कानून मियादसे रक्षा होगी, 13 C L J 138, 51 I C 240

एक रकम " वाचत मूलधन और व्याज " अदा की गई मगर यह नहीं बतलाया गया, कि उसमें से कितना मूलधन और कितना व्याज की वाचत अदा किया गया, तब हुआ कुछ रकम व्याज की वाचत अदा की गयी मानी जायगी 6 I C 16 (C), 1 B. L R 138; 51 I C 240

अगर किसी कर्ज पर अदा किया गया व्याज ऐसी दस्तावेज रहन की पुस्त पर दर्ज किया गया हो जिसकी रजिस्ट्री न होने के कारण अदालत के काम का न हो तो यह सूद का अदा किया जाना नहीं कहा जा सकता, 19 B 663

अगर कोई रकम वाचत दस्तावेज रहनके यह न कह करकि वह व्याजके हिसाबमें दी जाती है अदा की जाय तो यह रकम मूलधनके वाचत अदाकी गयी

माना जायगी वशत कि अदायगीकी बात कज़दारके खुद दस्तख़तसे लिखी गई हो.
44C 567, 22 C W N 190

कभी 'स्वीकृति पत्र' (Acknowledgment) और 'घादा अदायगी' (Promise to pay) का फर्क जाननेमें कठिनता पड़ती है विशेषकर ऐसे मौक़ा पर जैसे कि स्वीकृति पत्र बिना शर्त (Un conditional Acknowledgment) से मतलब घादा अदायगी (Promise to pay) ही माना जाता है। लेकिन ऐसे मौक़ा पर यह मामला साफ़ नजर आता है ज़हाकि कुल तादाद रक़मका एक हिस्सा अदा किया जाय वहा केवल चायदा अदायगी ही हो सकता है न कि स्वीकृति पत्र (Acknowledgment) 12 I C 612 (C)

दफ़ा २७ अदायगीकी कोई खास शर्त या तरीक़े तो नहीं बतलाती। अदायगीके बहुतसे तरीक़े हे, 25 C 844 852 F.C.। यह आवश्यक नहीं है किरूपया ही हो। समझौतेके अनुसार, ब्योहरेको दिये जाने पर कोई भी चीज, जो कर्ज़के बोझको हल्का कर सके या ब्याजकी पूर्ति करे, काफ़ी है (72 L. C 692 (C), 24 B 493 500, 24 B 619 19 M 340 342, 29 M 234, 1 P L. J 412 n) Cf S 50 Contract Act। जो चीज अदा की जाय वह इस किस्मकी हो कि अगर सुहर्द रुपयेकी वसूलयावीके लिये नालिश करे तो उसके जवाबमें बतलाई जा सके 19 M 340, कर्ज़की अदायगी किसी भी चीज द्वारा जिसे कि ब्योदरा लेना पसन्द करे की जा सकती है, 24 B 619

नौकरी (Labour) से अदायगी करने पर कानूनन मियादसे बचत होती है, 35 I C 480 (M), 28 M 234। एक नौकरको दिये गये पेशगी रुपये की वसूलयावीके लिये की गई नालिशमें तप पाया गया कि नौकरीका जारी रहना ब्याजकी अदायगीके बराबर था, 33 I C 134 (M).

अदायगीका अपनी राजी हो से होना आवश्यक है। दफ़ा २० के अनुसार नीलाममें वसूल हुआ रूपया अदा किया नहीं माना जायगा 24 W R 20, 6 B 626, 25 W R 249, 80 P W R 1912

'मूलधन की किस्त यह आवश्यकता नहीं है कि इस प्रकार उसके खुद दस्तख़त से लिखा जावे। आवश्यकता इसबात की है कि अदायगी की बात जाहिर होती हो; 23 C 592, 6 M. 281, 43 A 261 लेख से जाहिर यह होना चाहिये कि यह अदायगी याचत कर्ज़ जेर बहस की गई है। यह वह हुँडी है तो जरूर पेश की जानी चाहिये, 43 I C 20 (M) किस्ताकी अदायगी मियाद ख़तम होने के पहिले होनी चाहिये लेकिन उस घत्त के ख़तम होने से पहिले लिपना नहीं चाहिये; 17 M 92.

उस तारीख़ को वास्तविक अदान होनेपर भी किस्त का इन्दराज काफ़ी है ऐसा इन्दराज जायज स्वीकृति पत्र दफ़ा १९ के अनुसार जायज स्वीकृति पत्र (Acknowledgment) माना जायगा, 28 I C 15, 10 M L J 25, 26

I. C. 754, दफाके २० अनुसार अदायगी की तारीख का शुमार करना चाहिये नकि इन्दराज Endorsement, 8 I C 340.

दस्तावत—किस्त अदा करने की बात, देने वाले शख्सके दस्तखतों में ही होनी चाहिये नकि किसी दूसरे के दस्तखतों में हालांकि उसे कितना ही अधिकार प्राप्त क्यों न हो 23 C 549, F B, 4 P L J 365, 26 B 246, 1 P L J 471, A L J 628, 41 B 392; जबकि अदायगी ऐसे शख्स द्वारा की गई हो जो अदायगी की बात लिखने का अधिकारी है यानी इन्दराज व दस्तखत दोनोंही उसीके हाथसे लिखे हुए (In his hand writing) होने चाहिये दस्तखत मुद्दाभलेद द्वारा और इन्दराज किसी दूसरे शख्स द्वारा किया जाना काफी नहीं है 35 C 813, 41 B 166, 4 I C 378, 5 L B R 108, 38 M 438, इसके विरुद्ध (Cantro) एक मुकद्दमे में यह तय किया गया है कि अगर इन्दराज अदा करने वालों के हस्ताक्षरों में न भी हो तो केवल उसपर उसका हस्ताक्षर (Signature) होना ही काफी है, 99 P R 1884 जहाँ कि अदायगी किसी गुमास्ता के माफत हो तो खुद उसेही अपने हाथों से खानापुत्री में इन्दराज करे और कर्जदार के हस्ताक्षर की कोई आवश्यकता नहीं है 54 I C 802, (P), 1 Pat L J, 474; 35 I C 375

जहा कि एक खातेमें कर्जेके अदा करनेके दो शख्स जिम्मेदार हों तो यह काफी है कि उनमेंसे एक शख्स इन्दराज कर दे और दूसरा दस्तखत करदे, 71 I C 302, 25 Bom L R 354

जब कि कर्जदार बिना पढा लिखा शख्स है तो ऐसी हालतमें सिर्फ यह काफी है कि कोई दूसरा शख्स इन्दराज कर दे और उसके अगूटेका निरान वहा पर लगा दिया जाय, 7 M 55, 7 M 76, 12 I C 23, 2 F L T 355, 28 B 262 लेकिन अगर किस्तकी अदायगीमें यदि न तो दस्तखत हों और न किसी तरहका निशान ही हो तो यह मियादको बढ़ा नहीं सकता है, 23 C W. N 920, 26 B 247

किस्तकी अदायगीके वक्त पर कर्जदार द्वारा लिखी गई और दस्तखतकी गई चिट्ठी होने पर मियाद बढ़ जाती है, 27 I C 744 (M), 23 C 592, 44 B 392 यह तय किया जा चुका है कि जहा किस्तकी अदायगीका एक मात्र सुवृत केवल कर्जेके हकमें एक चिकका काटा जाना ही है तो यह दफा २०की जरूरतोंको पूरी करनेके लिये काफी नहीं है, 9M 271, 19A 307 अवश्य ही यह तय हो चुका है कि अगर एक चिक पर (Cheque) कर्जदारके दस्तखत हों और कर्जेके किस्तकी अदायगीके बतौर दिया जाय और सकारा जाय तो उससे मियादकी वचत होगी, 42 C 1043, 19 C W N 724

डिकरीके कर्जेके मूलधनकी किस्त अदा करनेकी बात मद्दियून डिकरीमें होना चाहिये, 31 A 590, 48 I. C 728 (P) देखो ANto P 79.

शुमारता—दफा १९ और २० के अनुसार किसी नावालिग का घड़ी उसका शुमारता (Agent) माना जा सकता या नहीं ? यह विषय पहिले बड़ा ही विवादग्रस्त था । परन्तु सन् १९०८के ऐक्टकी दफा २१ (२) के अनुसार यह प्रश्न हल होगया है और अब किसी नावालिगका कानूनन वली उसका शुमास्ता (Agent) करार दिया जाता है ।

वह शख्स जिसे पावर आफ अटारनी (Power of attorney) हो एजेन्ट (Agent) माना जायगा, 14 C W N 974 एजेन्ट के नौकर द्वारा की गयी अदायगी एजेन्ट की ही अदायगी मानी जायगी, 54 I C 318 (M) एक साझीदार द्वारा की गयी अदायगी से मतलब लिया जाता है कि यह अदायगी दूसरे साझीदारों की ओर से भी की गयी है, 41 M 427, F B, और भी देखो 28 I C 845

नावालिग के फायदे के लिये वाकई काविज़ वली के जरिये से की गयी अदायगी मियाद से महफूज करती है देखो 40 I C 809 (P) हिंदू लॉ, दफा २१ के अनुसार एक नावालिग का भाई माता के जीवित रहते हुए, उसका कानूनन सर परस्त नहीं हो सकता, 45 C 636 मोहमडन लॉ के अनुसार मा जायदाद की धारिस न होने के कारण नावालिग की कानूनन वली नहीं मानी जा सकती 6 L P L R 1917

वह शख्स जो किसी नावालिग के वली मुकरर न किये गये हों परन्तु कानूनन वैधस्थित वली के काम करते हों तो दफा २१ के अनुसार वे कानूनन जायज वली करार दिये जायगे बशत कि वे नावालिग के फायदे के लिये काम करें, 24 M L, J 428 19 I C 362

एक हिन्दू मुदतर्का खानदान के मैनेजर द्वारा की गयी अदायगी खानदान के हर एक मेम्बर को बाध्य करती है, 14 C W N 741

“अदायगी केवल एक कर्जदार द्वारा इत्यादि” — यहाँ दफा २१ के अनुसार शब्द ‘केवल’ फालतू नहीं मानना चाहिये इसका मतलब यह है कि एक साझीदार द्वारा लिखा गया और दस्तखत किया हुआ स्वीकृति-पत्र ही केवल दूसरे साझीदारको बाध्य नहीं करता जब तक कि उसे किसी दूसरी तरह अपने साझीदारको बाध्य करनेके लिये विशेष अधिकार प्राप्त न हुआ हो, 10 A 418 1 दफा २१ दफा १९ और दफा २० का मशा यह कि किसी मामलेमें फरीकैन मुआ हिदामसे केवल एक ही शख्स द्वागकी गइ काररवाईसे दूसरे फरीकैन साधारण तौर पर जिम्मेदार न होंगे, 17 B 173; 18 A 458

एक विधवा द्वारा लिखी गयी दस्तावेज रेहन की बाबत उसके उत्तराधिकारियों में से सिर्फ कुठ ही ने अदायगी की दो तो उससे दूसरे बाध्य न होंगे 43 I C 351 (P)

अगर किसी मृत कर्जदारके वारिसोंमेंसे केवल एक ही द्वारा ब्याज अदा किया जाय तो उससे दूसरे वारिसोंके लिये मियाद बढ़ नहीं जायगी, 14 I C 129

नये मुद्दे या मुद्दाअलेहोंके शामिल करनेका असर

१ 'एक मुकद्दमा के दाखिल होने पर, यदि नया मुद्दे या मुद्दाअलेह किसी के एवज में या ऊपर से शामिल किये जायें तो जहाँ तक उसका सम्बन्ध मुकद्दम से है उस समय से खयाल किया जायगा जब से कि वह फरीक़ बनाया गया है।

२ ऐसे मुकद्दमे में यह दफा कतई लागू न होगी जब उस मुकद्दमे के दौरान में फरीक़न, किसी हक के इन्तकाल या हस्तान्तरित होने पर, बटाए जाय या स्थानापन्न माने जाय या जहाँ कि मुद्दे, मुद्दाअलेह बनाये जायें या जहाँ कि मुद्दाअलेह मुद्दे बनाये जाय (दफा २२)

व्याख्या — सन् १९०८ ई०के ऐक्ट द्वारा उप दफा (२) की तरमीम इस प्रकार हुई है कि दौरान मुकद्दमे में इन्तकाल हक में सिर्फ़ मौत की वजह ही नहीं शामिल है बल्कि दूसरी सब वजहें शामिल हैं जैसे इन्तकाल दस्तावेज ।

दफा २२ सिर्फ़ मुकद्दमोंपर ही लागू होती है न कि नजियोपर लागू होती है 2 P L T 619, 49 I C 341 यह इजराय डिकरीकी कार्रवाई पर लागू नहीं होती 14 C W N 752 । जहाँ तक कि बढ़ाये गये फरीक़नका सम्बन्ध है, एकतरफ़ा डिकरीकी मसूखीके लिये दो गई अर्जों उस समयकी बनाई गई नहीं मानी जा सकती जब कि बढ़ाये गये फरीक़न बाकायदा शामिल किये गये हैं। 6 P L J 463 ।

दफा २२ (१) ऐसी जगह लागू नहीं होती जहाँ कि मुद्दाअलेह, तरतीबी मुद्दे बनाया जाय 19 C W N 1269, 85 P. R 1912, 28 M L J 147, 13 C W. N 186, 38 C 342.

इस दफाका असर यह है कि मुकद्दमेमें किसी गलतीका ठीक किया जाना आदि १ कल १० के अनुसार मियाद मुकद्दमासे पहिले, जरूरी है, 33 M 115 दफा २२ (१) तब मुकद्दमोंमें लागू होती है जिनमें कि वाजिब शर्शकि फरीक़न न बचाये जानेकी गलती हो न कि ऐसे मुकद्दमोंमें जोफ़ि शुरूमें तो बाकायदा दाखिल किये गये हों लेकिन बादमें इन्तकाल हकका दजहसे दोष आगया हो, और दूसरी तरफ़के मामलोंमें मुकद्दमेकी कार्रवाई जारी रहनेका हुक्म होना चाहिये, 20 C W N 833 P C; 35-I. C 323 ।

जहाँ कि असली मुद्देइयान और बाद को शामिल किये गये मुद्देइयान का मशा एक ही हो, परन्तु असली मुद्देइयान ने मुकद्दमा चलाया हो और मियाद खतम होजाने पर बाद को ये मुद्देइयान और शामिल कर लिये गये हों तो कुल मुकद्दमा रद होजाता है, 6 C 8 16, 17 C 150, 162, 8 P R 1886, 7 C, L J 251, 1 P L J 468; 7 B 217 33 E R 1897 मुकद्दमे में किसी शर्श के ... के विरुद्ध एतराज उठाने का काम मुद्दाअलेह का है और अर्ज ... तो वह मुकद्दमा जिसमें कि कुछ

सुद्धः स्वतन्त्र मियाद के समय के गुजर जाने के बाद शामिल हुए हो, रद्द नहीं होगा, देखो 15 B 297, 26 A 528

कोई मुकद्दमा दाखिल किये जानेकी तारीख पर बाकायदा दाखिल किया गया था या नहीं इसकी परीक्षा इस प्रकार है कि अगर अदम इस्तेमाल (Non Joinder) की वजहसे मुकद्दमेको कोई नुकसान होता हो तो कुछ फरीकैनोंका मियाद खतम होनेकी तारीखके बाद भी शामिल होनेसे कुछ असर नहीं पड़ता लेकिन अगर अदम इस्तेमाल (Non Joinder) की वजहसे मुकद्दमेको नुकसान हो तो जरूरी फरीकैनोंके मियाद खतम होनेके बाद शामिल होनेकी वजहसे मुकद्दमेका खारिज कर दिया जाना जरूरी हो जायगा, 43 B 575 मुख्य बात यह है कि भाया शामिल किये गये फरीकैन आवश्यक भग (Necessary party) है या नहीं । अगर वह आवश्यक नहीं है तो मुकद्दमा खारिज नहीं किया जा सकता; A I R 1293 (Lall) 438 (1), 26 C W N 488, 33 A 272, 33 C 1079, तथा इस सम्बन्धमें सप्रह जायता दीवानीके आर्टिकल १ रूल ९ को भी देखो ।

अगर किसी मुकद्दमेमें मियाद खतम होनेके बादके शामिल किये गये फरीकैन केवल नाम मात्रके लिये हा तो मुकद्दमा रद्द नहीं हो जाता, 33 A 272, 15 C W N 321 P C.

दफा २२ उन गलत चर्चानोंमें लागू नहीं होती जिन्हे कि फरीकैनोंके आर्टिकल १ रूल १० (१) क अनुसार दिया हो, 17 B 413, 18 A 198 F B, 7 C W N 575; 329 C 872 (C); 21 A 3461

जहाँकि किसी शख्सने पहिले तो मुकद्दमा अपने नामसे दायर किया हो और फिर इस प्रकार की तरमीम की हो कि वह फर्मपनी की तरफ से लड़ रहा है तो यह दफा २२ के अनुसार किसी नये मुद्दे को शामिल करना नहीं है, 33 I C 357, 30 M. L J 57 7 A 284, और इसी प्रकार जब मुकद्दमा देवमूर्ति (Idol) की ओरसे किसी मनेजर के नाम से दाखिल किया गया हो, 33 A 735 या जबकि अपनी ओरसे चलाये गये मुकद्दमेमें (सिवायत) की ओरसे चलाये जानेकी तरमीमकी जाय, 19 C W N 1193, 25 I C 945 (M) लेकिन अगर मुकद्दमेके अजीदावेमें तरमीम इस प्रकार असर पदा करता है कि उससे एक नया मुकद्दमा बन जाता है तो दफा २२ लागू नहीं, होगी 2 C W N 104

नीलामको मसूख करने के लिये दीगयी अर्जी में अगर खरीदार नीलाम, जो कि एक जरूरी फरीक है, मियाद खतम होने के बाद शामिल किया गया हो तो अर्जी रद्द हो जायगी, 50 I C 5 (C), 62 I C 61 (P)

फरीकैनों के शामिल होने से उनके लिए तीगई अर्जी के सम्बन्ध में किसी भी प्रश्न से अदावत की कार्रवाई को रोक नहीं होती परन्तु शामिल किया जाने वाला शख्स (Joinder) इस बात के बिना लिहाज किये हुये, कि उसके

नये मुद्दे या मुद्दाअलेहोंके शामिल करनेका असर

१ 'एक मुकद्दमा के दाखिल होने पर, यदि नया मुद्दे या मुद्दाअलेह किसी के एवज में या ऊपर से शामिल किये जायें तो जहाँ तक उसका सम्बन्ध मुकद्दमे से है उस समय से ख्याल किया जायगा जब से कि वह फरीक बनाया गया है।

२ ऐसे मुकद्दम में यह दफा कतई लागू न होगी जब उस मुकद्दम के दौरान में फरीकैन, किसी दफ के इन्तकाल या हस्तान्तरित होने पर बढाए जाय या स्थानापन्न माने जाय या जहा कि मुद्दे, मुद्दाअलेह बनाये जाय या जहाँ कि मुद्दाअलेह मुद्दे बनाये जाय (दफा २२)

व्याख्या.—सन् १९०८ ई०के ऐक्ट द्वारा उप दफा (२) की तरमीम इस प्रकार हुई है कि दौरान मुकद्दम में इन्तकाल दफ में सिर्फ मौत की वजह ही नहीं शामिल है बल्कि दूसरी सब वजहें शामिल है जैसे इन्तकाल दस्तावेज ।

दफा २२ सिर्फ मुकद्दमोंपर ही लागू होती है न कि अर्जियोंपर लागू होती है 2 P L T 619, 49 I C 341 यह इजराय डिकरीकी काररवाई पर लागू नहीं होती 14 C W N 752 । जहा तक कि बढ़ाये गये फरीकैनका सम्बन्ध है, एकतरफा डिकरीकी मसूखीके लिये दी गई अर्जा उस समयकी बनाई गई नहीं मानी जा सकती जब कि बढ़ाये गये फरीकैन साकापदा शामिल किये गये हैं। 6 P L J 463 ।

दफा २२ (१) ऐसी जगह लागू नहीं होती जहाँ कि मुद्दाअलेह, तरतीबी मुद्दे बनाया जाय 19 C W N 1269, 85 P R 1912, 28 M L J 147; 13 C W N 186, 38 C 342.

इस दफाका असर यह है कि मुकद्दममें किसी गलतीका ठीक किया जाना आदर १ रुल १० के अनुसार मियाद मुकद्दमासे पहिले, जरूरी है, 33 M. 115 दफा २२ (१) उन मुकद्दमोंमें लागू होती है जिनमें कि चाजिब शर्शॉकि फरीकैन न बचाये जानेकी गलती हो न कि ऐसे मुकद्दमोंमें जोकि शुरूम तो वाक्यायदा दाखिल किये गये हैं। लेकिन बादमें इन्तकाल दफका वजहसे दोष आगया हो, और दूसरी तरहके मामलामें मुकद्दमोंकी काररवाई जारी रहनेका हुकम होना चाहिये, 20 C W N 833 P C, 35 I C 323 ।

जहा कि असली मुद्दइयान और बाद को शामिल किये गये मुद्दइयान का मरा एक ही हो, परन्तु असली मुद्दइयान ने मुकद्दमा चलाया हो और मियाद खतम होजाने पर बाद को ये मुद्दइयान और शामिल कर लिये गये हों वो कुल मुकद्दमा रद्द होजाता है, 6 C 8 16, 17 C 150, 162, 8 P R 1886, 7 C, L J 251, 1 P L J 468; 7 B 217, 33 E R 1897 मुकद्दम में किसी शर्श के अदम इस्तेमाल के विरुद्ध एतराज उठाने का काम मुद्दाअलेह का है और अगर ऐसा सवाल न उठाया गया तो वह मुकद्दमा जिसमें कि कुछ

मुद्दयमान मियादके समयकेगुजर जानेके बाद शामिल हुए हों, रद्द नहीं होगा, देखो 15 B 297, 26 A 528

कोई मुकद्दमा दाखिल किये जानेकी तारीख पर बाकायदा दाखिल किया गया था या नहीं इसकी परीक्षा इस प्रकार है कि अगर अदम इस्तेमाल (Non Joinder) की वजहसे मुकद्दमेको कोई नुकसान होता हो तो कुछ फरीकैनोंका मियाद खतम होनेकी तारीखके बाद भी शामिल होनेसे कुछ असर नहीं पड़ता लेकिन अगर अदम इस्तेमाल (Non Joinder) की वजहसे मुकद्दमेको नुकसान हो तो जरूरी फरीकैनोंके मियाद खतम होनेके बाद शामिल होनेकी वजहसे मुकद्दमेका खारिज कर दिया जाना जरूरी हो जायगा, 43 B 575 मुख्य बात यह है कि आया शामिल किये गये फरीकैन आवश्यक अंग (Necessary party) है या नहीं । अगर वह आवश्यक नहीं है तो मुकद्दमा खारिज नहीं किया जा सकता; A I R 1293 (Lall) 438 (1), 26 O W N 488, 33 A 272, 33 C 1079, तथा इस सम्बन्धमें समझ जायता दीवानीके आर्डर १ क्रम ९ को भी देखो ।

अगर किसी मुकद्दमेमें मियाद खतम होनेके बादके शामिल किये गये फरीकैन केषल नाम मात्रक लिये हों तो मुकद्दमा रद्द नहीं हो जाता, 33 A 272, 15 C W N 321 P C.

दफा २२ उन गलत बयानोंमें लागू नहीं होती जिन्हे कि फरीकैनोंने आर्डर १ क्रम १० (१) के अनुसार दिया हो, 17 B 413, 18 A 198 F B, 7 C W N 575, 329 C 872 (C), 21 A 3461

जहाँकि किसी शख्सने पहिले तो मुकद्दमा अपने नामसे दायर किया हो और फिर इस प्रकार की तरमीम की हो कि वह कम्पनी की तरफ से लड़ रहा है तो यह दफा २२ के अनुसार किछा नये मुद्दों को शामिल करना नहीं है, 33 I C 357, 30 M L J 57, 7 A 284, और इसी प्रकार जब मुकद्दमा देवमूर्ति (Idol) की ओरसे किसी मनेजर के नाम से दाखिल किया गया हो, 33 A 735 या जबकि अपनी ओरसे चलाये गये मुकद्दममें (शिवायत) की ओरसे चलाये जायेकी तरमीमकी जाय, 19 C W N 1193, 25 I C 945 (M) लेकिन अगर मुकद्दमेके अजीदवेम तरमीम इस प्रकार असर पैदा करता है कि उससे एक नया मुकद्दमा बन जाता है तो दफा २२ लागू नहीं, होगी 22 C W N 104

नीलामको मसूख करने के लिये दीगयी अर्जों में अगर खरीदार नीलाम, जो कि एक जरूरी फरीक है, मियाद खतम होने के बाद शामिल किया गया हो तो अर्जों रद्द हो जायगी, 50 I C 5 (C), 62 I C 61 (P)

फरीकैनों के शामिल होने से उनके लिए नौगई अर्जों के सम्बन्ध में किसी भी प्रश्न से अदावत की कार्रवाई को रोक नहीं होती परन्तु शामिल किया जान वाला शख्स (Joinder) इस बात में बिना लिखित किये हुये, कि उसके

(४८२)

मियाद गुजर जाने के बाद शामिल होने पर मुकद्दमे पर क्या असर पड़ेगा शामिल नहीं किया जासकता, 10 C W N 551, 33 C 613, 28 B 11 35 C 519, 11 C W N 35 F B

नोट—इस कानूनकी आगेकी दफाओंकी भाषा इतनी साफ है कि उनपर किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।



इंडियन वाल्विटरस ऐक्ट
ऐक्ट नं० २० सन् १८६९ ई०



इण्डियन वालण्टियर्स ऐक्ट

ऐक्ट नं० २० सन १८६९ ई०

। तारीख १० सितम्बर सन १८६९ को पास हुआ ।
वालण्टियर कोर की सुव्यवस्था और शिक्षा के सम्बन्धमें
व्यवस्था करने और उन्हें कतिपय अधिकारोंके
देने सम्बन्धी ऐक्ट

वृत्ति श्रीमान् सम्राट् की बहुत सी राजभक्त प्रजा ने जान और मालकी रक्षा और शान्ति बनाय रखने के निमित्त, अपनी इच्छा से अपनी सेवाय भेट की दे और सरकार (गवर्नमेन्ट) की मजूरीसे उन्होंने इस कामके लिए नियुक्त विषय गण अधिकारियों के अधीन मिलिटरी कोर (फौज) से सम्बन्ध जोड़ लिया है और उसमें अपना नाम लिखा लिया है, और यह उचित जान पड़ता है कि ऐसे 'कोर' की शिक्षा और सुव्यवस्था के लिए नियम बनाये जाय, और उसके सदस्यों (मेम्बर्स) को कुछ अधिकार दिए जाय; इसलिये यह नीचे लिखा हुआ कानून जारी किया जाता है —

प्रारंभिक विवरण

दफा १ संक्षिप्त नाम

इस ऐक्ट का नाम 'इण्डियन वालण्टियर्स ऐक्ट सन् १८६९ ई०' होगा ।

दफा २ ऐक्ट का विस्तार

इस ऐक्ट का विस्तार समस्त ब्रिटिश भारत में होगा और (जहां तक इसका सम्बन्ध ब्रिटिश प्रजा से है) उन देशी राजाओं के राज्यों और उन राज्यों में होगा जो श्रीमान् सम्राट् के अधीन हैं ।

दफा ३ ऐक्टकी मसूखी

ऐक्ट नं० २४ सन् १८७०ई० के अनुसार ऐक्ट नं० २३ सन् १८५७ई० मसूखी किया गया ।

दफा ४ परिभाषा

(१) 'मजिस्ट्रेट' शब्द का अर्थ, मैजिस्ट्रेट डायनस के सीमा के भीतर

चीफ़ प्रेजीडेन्सी मजिस्ट्रेट और इस सीमा के बाहर मजिस्ट्रेट दर्जा अब्बल, जो जस्टिस आफ़ दि पीस, (Justice of the Peace) है।

२ वालण्टियर लोग उस समय अपनी 'भसली ब्यटी' पर समझे जायगे—

(अ) जब कि उन्हें अकेले अथवा स्थायी सेना (Regular forces) के साथ शिक्षा दी जा रही हो या कवायद कराई जा रही हो, या

(ब) जब वे किसी स्थायी सेना (Regular forces) में शामिल कर दिए गए हों या और प्रकार से उसके साथ अथवा एक भग होकर काम कर रहे हों, या

(स) जब राज-शासनकी सहायतामें काम कर रहे हों ।

३ "सिविल डिस्ट्रिक्ट" का अर्थ वह डिस्ट्रिक्ट (जिला) है जिसकी परिभाषा संग्रह जायता दीवानी में की गई है ।

वालण्टियर-कोर का संगठन और उसका विच्छेद

दफा ५ कोर का संगठन

भारत के सपरिषद् गवर्नर जनरल की अथवा स्थानीय सरकार की मजूरी से वालण्टियरों के कोर (दल) ब्रिटिश भारत अथवा उक्त राज्यों के किसी भी हिस्से में तैयार (संगठित) किए जा सकते हैं।

दफा ६ कमान्डिंग अफसर का सर्टीफिकेट, भर्ती कर लिए जाने का प्रमाण होगा

ऐसे कोर (दल) में भर्ती कर लिए जानेका सर्टीफिकेट, जिसपर उसके कमान्डिंग अफसर के हस्ताक्षर हों, उस भर्ती का प्रकट प्रमाणहोगा ।

दफा ७ कोर (दल) को तोड़ देने अथवा उसके सदस्योंको अलग कर देने का अधिकार

भारत के सपरिषद् गवर्नर जनरल अथवा स्थानीय सरकार को अधिकार होगा कि वह इस ऐक्ट के अथवा ऐक्ट न० २३ सन् १८५७ ई० के नियमानुसार तैयार किए गए अथवा भर्ती किए गए किसी भी कोर (दल) को तोड़ दे अथवा इस कोर (दल) से उसके किसी भी मेम्बर (सदस्य) को अलग कर दे ।

दफा ७ (ए) कुछ अवस्थाओंमें कमान्डिंग अफसर को रजिस्टर से वालण्टियरों का नाम काट देने का अधिकार

१ किसी वालण्टियर-कोरके कमान्डिंग अफसरको अधिकार होगा कि वह किसी भी वालण्टियरका, जो बिना छुट्टी छ माससे कम गैर हाजिर नहीं रहा है, अथवा जिसने दफा १३ के सिवाय और किसी प्रकार से कोर (दल) से सम्बन्ध

छोड़ दिया है, अथवा जिसका नाम दो साल तक बराबर अयोग्य (Non officient) पुरुषों की श्रेणी में लिखा हुआ चला जाता है, नाम रजिस्टर से काट दे, परन्तु अपने अधीन कोर के अधिकारी (अफसर) का नाम इस प्रकार नहीं काटा जा सकता ।

२ हर एक ऐसे बालण्टियर की निस्वत, जिसका नाम रजिस्टर से काट दिया गया है, यह समझा जायगा कि वह उस कोर (दल) से अलग कर दिया गया है ।

आर्मी ऐक्ट का प्रयोग

दफा ८ बालण्टियरों के ऊपर आर्मी ऐक्ट का प्रयोग किया जायगा, जहां तक कि उसका सम्बन्ध अधिकारियों (अफसरों) से है

बालण्टियर-कोर के प्रत्येक सदस्य (मेम्बर) के सम्बन्ध में, उन सभी फौजी अपराधों के लिए जिनका वह अपनी 'असली झूठी' पर होने की दशा में अथवा असली फौजी काम करने की दशा में दोषी पाया जाय, आर्मी ऐक्ट का प्रयोग किया जायगा, जहां तक कि उसका सम्बन्ध अधिकारियों (अफसरों) से है और जहां तक वह इस ऐक्ट के नियमों से सम्बन्ध रखता है ।

सैनिक न्याय सभा (Court Martial)

दफा ९ जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा दीगयीं सजायें

कोर का कमांडिंग अफसर स्थानीय सरकार की मजूरी लेकर, उन फौजी अपराधों की जांच करने के लिए जिनका इस कोर का कोई भी सदस्य (मेम्बर) अपनी 'असली झूठी' पर होने के समय दोषी पाया जाय, जनरल कोर्ट मार्शल बुला सकेगा ।

इस कोर्ट मार्शल (सैनिक न्याय सभा) द्वारा दिया गया सजा का हुक्म तब तक अमल में न लाया जायगा, जब तक कि उस सारी कार्रवाई की रिपोर्ट स्थानीय सरकार को न कर दी जाय और वह उस सजा के हुक्मकी मजूरी न दे देवे ।

स्थानीय सरकारको अधिकार होगा कि वह इस हुक्मको बदल कर हल्के दण्डका हुक्म दे देवे, अथवा अपराधीको क्षमा (माफ़) कर दे ।

दफा १० जनरल कोर्ट-मार्शलमें कौन कौन शामिल होंगे

जनरल कोर्ट मार्शल में कोरके कमसे कम नौ सदस्य शामिल होंगे और कोरका प्रत्येक सदस्य, चाहे वह अधिकारी (अफसर) हो या न हो, ऐसी कोर्ट मार्शलमें बैठकर उसके सदस्यकी हैसियतसे काम कर सकेगा ।

दफा ११ रेजीमेण्टल कोर्ट-मार्शल

रेजीमेण्टल कोर्ट मार्शल को कोरका कमाण्डिंग अफसर बुला सकता है और उसमें कोरके कमसे कम तान सदस्य सम्मिलित होंगे।

दफा १२ इस ऐक्ट के अनुसार बुलाई गई कोर्ट-मार्शल की कार्रवाई -

इस ऐक्टके अनुसार जो कोर्ट मार्शल आमंत्रित किया जाय उसकी कार्रवाई उन कानूनों और प्रथाओंके अनुसार कीजायगी जोकि उक्त, ऐक्ट आर्मीके अनुसार आमंत्रित की गई कोर्ट मार्शलके सम्बन्धमें बताए गए हैं। परन्तु इसके (आर्मी ऐक्टके) जो कानून इस (वालिण्टियर्स) ऐक्टके विरुद्ध होंगे छोड़ दिए जायेंगे।

कोरसे नाम वापस लेना

दफा १३ कोर छोड़ देनेका अधिकार

किसी भी ऐसे शख्सको, जिसका नाम वालिण्टियर कोर के सदस्योकी सूचीमें दर्ज है, चाहे वह ऐसे कोरका अफसर निर्वाचित या नियुक्त किया गया हो अथवा नहीं, अधिकार है कि वह सिवाय उस दशाके जब कि वह असली ह्यूमनी पर हो या फ़ौजी काम पर हो, सात दिन पहिले अपने इस इरादेकी कोरके कमाण्डिंग अफसर को लिखित नोटिस देकर या बिना ऐसी नोटिस दिए ही, अगर उस कोरका कमाण्डिंग अफसर इसे उचित समझे और उसे ऐसा करने की आज्ञा दे देवे, कोर छोड़ दे।

दफा १४ अफसरोंको दिये गए अधिकार उस समय बन्द हो जायेंगे जबकि वे अपनी खुशीसे काम से अलग (रिटायर) हो जाय या बर्खास्त कर दिये जायं

वालिण्टियर-कोरके किसी सदस्यको दिए गए कुल अधिकार, जिनके अनुसार वह ऐसे कोर (दल) में कोई अधिकारी (अफसर) नियुक्त हुआ हो, उस समय बन्द हो जायेंगे जब वह अपनी खुशीसे उस कोरसे अलग (रिटायर) हो जाय अथवा बर्खास्त कर दिया जाय।

दफा १५ कोरको छोड़ देने वाले मेम्बरों (सदस्यों) द्वारा सरकारी हाथियारोंका उसके हवाले कर दिया जाना

वालिण्टियर-कोरके प्रत्येक सदस्य (मेम्बर) को, जिसे सरकार (गवर्नमेण्ट) की ओरसे हाथियार, गोली चारुद्ध, युद्ध की सामग्री अथवा वर्दी (Uniform) दी गई हो,

या जो सार्वजनिक मालखाने (Public stores) या सार्वजनिक खर्चसे दी गई हो इस कोरके छोड़ देने पर, या

उसको उससे अलग होने या बर्खास्त कर दिए जाने पर, या

जब उसे उस कोरके कमाण्डिंग अफसर की ओरसे पेना करने की आज्ञा मिले, या

जब वह कोर तोड़ दिया जाय,

उस कमाण्डिंग अफसरको या, उस शख्सको जिसे वह कमाण्डिंग अफसर इनके लेनेके लिए नियुक्त करेगा, वे कुछ हथियार, गोला बारूद, मुद्दकी सामग्री और वर्दी (Uniform) अच्छी हालतमें वापस कर देने होंगे। उनके मुनासिब इस्तेमाल से उनमें जो कुछ भी कमो या खराबी आजायगी उसका खयाल न किया जायगा,

और अगर वह ऐसा न कर सका, तो उसे इसके बदलेमें उतनी एकम जमा करनी होगी जिसे रेजीमेण्टल कोट मार्शल, जिसका संयोजक उस कोर का कमाण्डिंग अफसर होगा तय करेगी। इस फैसलेकी एक नकल, जिस पर उस कोर्ट मार्शलके प्रेजीडेंट (सभापति) के हस्ताक्षर होंगे, उस जिलेकी प्रारम्भिक दोयानीके अधिकार रखने वाली खास अदालतको भेज दीजायगी जिसमें कि वह फसला दिया गया हो, और वह अदालत उसकी इस प्रकार इजरा करेगी मानो वह जायता दोयानीके अनुसार दी हुई रूपणकी डिकरी है।

कार्यकी स्थानीय सीमा (Local Limits of Service)

दफा १६ कार्य करनेकी स्थानीय सीमा

वालण्टियरोंके कोर अथवा पहलनका कोई भी सदस्य (मेम्बर) सिवाय समुद्री सेनाके वालण्टियरोंके, बिना अपनी राजीके इस बातके लिए बाध्य न होगा कि वह उस सिविल डिस्ट्रिक्टकी सीमाके बाहर जिसमें वह भर्ता किया गया है, या, जब किसी कोर या पहलनमें ऐसे वालण्टियर शामिल हैं जिनकी भर्ती एक से अधिक सिविल डिस्ट्रिक्टसमें हुई है तो, उम्र प्राप्तकी सीमाके बाहर, जिसमें वे जिले शामिल हैं, कार्य करने के लिए या झूठी पर जाय, और

समुद्रीय वालण्टियर कोरका कोई भी सदस्य इस बातके लिए बाध्य न होगा कि वह, बिना अपनी राजीके, उस बन्दरगाहकी सीमा के बाहर कार्य या झूठी पर जाय। इस बन्दरगाहमें वह शहर या कस्बा, जिसके आधार पर उस कोरका नाम रखा गया है और उसके आस पासके गांव, वे नदियां और समुद्र के तट रास्ते, जिनमें होकर वेड़े रोये जाते हैं और वहांको जाने वाले रास्ते, शामिल समझे जायगे

लेकिन शर्त यह है कि स्थानीय सरकार या उस डिवीजनका कमिश्नर या कोई दूसरा अधिकारी जिसे इस सम्बन्धमें स्थानीय सरकारकी ओरसे अधिकार

दिया गया हो, किसी खास कोर या कोरके किसी हिस्से को या किसी कोर के किसी एक सदस्य या किसी सदस्योंको, उनका नाम लेकर, काम करने से मुक्त कर सकता है, ऐसा मुक्त किया जाना, समय अथवा रकम या दोनोंके सम्बन्धमें, या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से हो सकता है एक भंरके सम्बन्ध में जैसा कि वह अधिकारी, जिसे इस बारेमें अधिकार दिया गया है, उचित समझे।

नियम (Rules)

दफा १७ कमाण्डिंग अफसर को नियम बनानेका अधिकार जिनका मानना सदस्योंके लिये अनिवार्य (लाज़िमी) होगा

वालण्टियरोंके प्रत्येक कोरके कमाण्डिंग अफसरको अधिकार होगा कि वह उन समयों और उन तरीकोंके सम्बन्धमें व्यवस्था करने के लिए नियम बनावे जिन पर और जिनमें कोरके और उसके भिन्न भिन्न सदस्यों या दलाके कार्योंका सम्पादन किया जाना चाहिए।

ऐसे नियमोंके सम्बन्धमें जब स्थानीय सरकार अपनी स्वीकृति दे देगी तब उनको मानने के लिए वह कोर और उसके भिन्न भिन्न सदस्य बाध्य होंगे।

दण्ड (Penalties)

दफा १८ ड्रिल अथवा परेडके अलावा असली ड्यूटी पर हाज़िर न होना

अगर वालण्टियर कोरका कोई भी सदस्य, ड्रिल अथवा परेड के अलावा असली ड्यूटीकी निश्चत आगाह कर दिए जाने पर, बिना किसी माकूल हीलाके ऐसी ड्यूटी पर हाज़िर न होगा तो जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा अपराधी ठहराए जाने पर वह जुर्मानेके दण्डका, जो एक सौ रुपयेसे अधिक न होगा, या कोरसे साधारण तौरसे बर्खास्त कर दिये जाने का, या इस तरह बर्खास्त कर देनेका भागी होगा कि वह फिर उसमें शामिल न हो सके।

दफा १९ ड्रिल अथवा परेडमें हाज़िर न होना

अगर ऐसे कोरका कोई भी सदस्य (मेम्बर) बिना किसी माकूल हीला के ऐसे समयों पर ड्रिल अथवा परेड में हाज़िर न होगा जो इस काम के लिए नियत होंगे,—

दूसरे छोटे छोटे सैनिक अपराध—

या अपनी ड्यूटी ठीक तौर पर न करने या सेना सम्बन्धी दूसरे अपराध का दोषी पाया जायगा, जिसके लिए उस कोरके कमाण्डिंग अफसर की राय में, थोड़ा सा जुर्माना, काफी सजा होगी।

तो वह ऐसे जुमानेका देनदार हागा जो रेजीमेण्टल-कोर्ट मार्शल उसके ऊपर करे, पर जो पचास रुपयसे अधिक न होगा ।

दफा २० जुमाना न देने पर सजा

अगर ऐसे कोरका कोई भी सदस्य (मेम्बर) किसी ऐसे जुमानेको, जो उस पर किसी कोर्ट मार्शल (लेनिक न्याय सभा) ने किया हो, उस समय के भीतर, जो उस कोरके कमाण्डिंग अफसरने नियत किया है, न देगा या देने से इन्कार करेगा, तो उक्त कमाण्डिंग अफसर उसे उस कोरसे बखास्त कर सरेगा, और ऐसी हर एक बखास्तगीका इन्दराज कर लिया जायगा और उसकी रिपोर्ट स्थानीय सरकारको कर दी जायगी ।

दफा २१ वालण्टियरोंको अपनी ब्यूटी करते समय रोकने या उन पर आक्रमण करनेके लिये दण्ड

जो कोई भी शख्स, ऐसे कोरके किसी सदस्यको अपनी ब्यूटी करते समय रोकगा या उस पर आक्रमण करेगा अथवा भारतीय दण्ड विधान (ताजीरात हिन्द) के अर्थमें, रोकने के लिये या आक्रमण करने के लिये किसी शख्सको टकसावेगा, वह किसी मजिस्ट्रेटके सामने अपराधी सिद्ध होने पर, जुमानेक दंड का, जो दो सौ रुपयसे अधिक न होगा या कैदका, जिसकी मुदत छ मास से अधिक न होगी या दोनोंका भागी होगा ।

दफा २२ जुमानाका वसूल किया जाना

किसी ऐसे जुमानाके अदा न किए जाने पर जो किसी कोर्ट मार्शलने इस ऐक्टके अनुसार किया हो, जुमाना करने वाली कोर्ट मार्शलके हुकमकी एक नकल जिसपर ऐसी अदालत (कोर्ट मार्शल) के प्रेजाइण्ट के हस्ताक्षर हागे, उस प्रेजाइडसी टाउन या जिलेके, जिसमें कि वह जुमाना दिया गया हो, किसी मजिस्ट्रेटके पास भेज दी जायगी और इस पर वह जुमानेको इस प्रकार वसूल करा लेगा मानो स्वयं उसी ने यह जुमाना किया हो ।

दफा २१ के अनुसार किया हुआ जुमाना उस रीति (तरीका) से वसूल किया जा सकेगा, जो उस समय प्रचलित किसी भी कानूनम उस जुमाना की वसूलयावी के लिये बतलाया गया हो जो किसी फौजदारी अदालतने किया हो ।

वालण्टियरोंके अधिकार

दफा २३ लोगोको नि शस्त्र करनेका अधिकार

वालण्टियर वोरके किसी भी सदस्य (मेम्बर) को, जब अभी वह बर्धसि यत उस कोरके मेम्बरके अपनी ब्यूटी पर काम कर रहा हो, और उस समय वह चाहे कहीं पर भी हो, अधिकार होगा कि वह किसी भी सदस्यसे, जो श्रीमान्

सम्राटकी सेना या समुद्रीय सेनाका तोकर या पुलिस अफसर न हो, और जो सूर्यास्त और सूर्योदयके बीच किसी सार्वजनिक सड़क, रास्ता या दूसरे सार्वजनिक स्थान पर, बिना पुलिस कमिश्नर या दूसरे अफसरसे, जिने इस प्रकार पाम या लेसनस देनेका अधिकार है इस कामके लिये कोई पास या लेसन हो हाथमे तलवार, भाला, बन्दूक या दूसरा युद्ध सम्बन्धी अस्त्र (हथियार) लिए हुए मिले, वह हथियार छीन ले ।

और उसे उस आदमी के हथियार छीन लेने का भी अधिकार होगा जो किसी समय कानून या किसी सरकारी हुजूम के विरुद्ध किसी सार्वजनिक सड़क, रास्ता या दूसरे सार्वजनिक स्थान में हथियार लिए हुए पाया जाय, और उसे यह भी अधिकार होगा कि वह इस तरह हथियार बाधे हुए पाए गए किसी व्यक्तिको पकड़ कर किसी पुलिस अफसर के हवाले कर दे ताकि उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जा सके ।

छीने गये हथियारों की जवती

और इस तरह छीने गए हथियार या तो, जवत करके सरकार में जमा कर दिए जायगे या कानून अथवा सरकार के हुक्मों के अनुसार उनमें कोई दूसरी कार्रवाई की जायगी ।

दफ्ता २४ सार्वजनिक शान्ति-भंग होने को रोकना, और कानूनी संस्थाओं को भंग करने, और कुछ ऐसे आदमियों के पकड़ लेने का अधिकार जिनपर सन्देह किया जाता हो

ऐसे कोर (दल) के किसी भी सदस्य (मेम्बर) को अधिकार होगा कि वह, जब कभी वह अपनी झूठी पर हो, सार्वजनिक शांति को भंग किए जाने के किसी प्रयत्न को रोके, और उन लोगोंको अलग अलग कर दे, जिनको वह बिना किसी उचित कारणके सूर्यास्त और सूर्योदयके पहिले किसी भी सार्वजनिक सड़क, रास्ता या दूसरे सार्वजनिक स्थान में, जिसमें उक्त कोरका वह व्यक्ति अपनी झूठी कर रहा हो, पांच अथवा अधिक सदस्योंमे एकत्रित (जमा), हुए पावे ।

और उसे यह भी अधिकार होगा कि वह किसी भी गम्स को, जिसपर यह उचित सन्देह किया जाय कि उसने राज्य के प्रति कोई अपराध किया है या करने वाला है, अथवा यह कि उसने, भारतीय दण्ड विधान के अर्थ में, किसी दूसरे रास्स को ऐसा अपराध करने में उकसाया है या उकसाने वाला है, पकड़ कर उसे किसी पुलिस अफसर के हवाले कर दे ।

विविध विषय

दफा २५ घोडा-कर (Horse tax) से छुटकारा

हर घोडा-सवार अफसर को, और वाळण्टियर कोरके हर एक घोडा सवार अदली को, तथा ऐसे कोर के हर एक मेम्बर (सदस्य) को, जब कि वह ऐसे कोर के अश्वारोही दल (troop of Cavalry) का सदस्य है, अधिकार होगा कि वह एक घोडा रख सके, जिसके लिए उसे कोई भी म्यूनीसिपल बोर्ड के या दूसरा टैक्स, जो घोडों पर लगाया जाता है, देना न होगा।

दफा २६ इस ऐक्ट के अनुसार की जाने वाली बातों के लिए नालिशें

किसी भी शख्स के विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के सम्बन्ध में जो इस ऐक्टके अनुसार की गई हों - उस शख्सको एक महीना पहिले इस इरादे का और उसके कारण सहित लिखित नोटिस दिए बिना कोई भी नालिश या दूसरी कार्रवाई दायर अथवाकी न जा सकेगी, और न कार्रवाई तैयार दे दिए जानेके बाद अथवा नालिश या दूसरी कार्रवाईके बिनाय सुझाव-मत पैदा होने के समय से तीन साल की मियाद गुजर जानेके बाद ही ऐसा किया जा सकेगा।

न्यूनता-पूरक नियम (Supplemental)

दफा २७ युद्ध-क्षेत्र कार्य के लिए वाळण्टियरकोर का बुलाया जाना

१ वास्तव में आवश्यक कारण उपस्थित हो जाने पर या उनके उपस्थित हो जाने की आशङ्का होने पर [इस अवसर की घोषणा पहिले सपरिषद् गवर्नर साहब कर देंगे और इस सम्बन्ध में गजट आफ इण्डिया में विज्ञप्ति निकाळ दी जायगी] सपरिषद् श्रीमान् गवर्नर जनरल को अधिकार होगा कि वे वाळण्टियरों के किसी कोर को या उसके किसी हिस्से को युद्ध-क्षेत्र में काम करने के लिए बुला लें।

२ किसी कोर या उसके किसी हिस्से के कुल सदस्य, जब तक कि वे निचल जाने के कारण युद्ध-क्षेत्र के कामों के अयोग्य न सिद्ध कर दिए जाय, इस बात के लिए बाध्य होंगे कि वे सपरिषद् श्रीमान् गवर्नर जनरल की आज्ञानुसार पत्रित हों, और उनके हुकों के अनुसार उस सीमा के भीतर खानद होजाय जिसका वर्णन इसके पहिले किया जा चुका है, और वे वाळण्टियर कोर या उनके हिस्से इस प्रकार बुलाए जाने के समय से युद्ध-क्षेत्र में काम करते हुए (On actual military service) समझे जायेंगे।

लेकिन शर्त यह है कि स्थानीय सरकार या उस डिवीजन के कमिन्स अथवा किसी दूसरे अधिकारी को, जिसे इस सम्बन्ध में स्थानीय सरकार ने अधिकार दिए हों, अधिकार होगा कि वह किसी खास कोर्ट या कोर्ट के किसी खास हिस्से को अथवा कोर्ट के किसी एक सदस्य या सदस्यों को, उनका नाम बतला कर, इस काम (Service) से मुक्त कर दे। इस प्रकार का मुक्त किया जाना समय या रकबा या दोनों के बारे में था तो कुल के सम्बन्ध में होगा या उसके किसी एक हिस्से के सम्बन्ध में, जसा कि वह अधिकारी उचित समझे।

३ कोई वालण्टियर कोर्ट या उसका कोई हिस्सा बुला लिए जाने के बाद, उस समय युद्ध क्षेत्र के कामों से मुक्त कर दिया गया समझा जायगा जब गजट आफ इण्डियामें इस बातके सम्बन्धमें विज्ञप्ति निकाल दीजाय जिसमें इस बातकी घोषणा करदी जाय कि वह समय निकल गया, इससे पहिले अथवा पीछे नहीं।

लेकिन शर्त यह है कि सपरिपट्टु श्रीमान् गवर्नर जनरल को अधिकार होगा कि वे किसी भी समय किसी ऐसे कोर्ट या कोर्ट किसी हिस्सेको युद्ध क्षेत्रके कामों से मुक्त करदे।

४ वालण्टियरों के किसी कोर्ट या कोर्टके किसी हिस्सेको युद्ध क्षेत्र के कामों से अलग किए जानेके पहिले सरकार को पहिले वहां पर उपस्थित वालण्टियरों का अपने घर लौटने के सम्बन्ध में प्रबन्ध करना होगा।

दफा २८ वालण्टियरों को अलाउन्स देने के सम्बन्ध में नियमों के बनाने का अधिकार

१ सपरिपट्टु श्रीमान् गवर्नर जनरल को अधिकार है कि वे—

(अ) युद्धके कामों के लिए बुलाए गए वालण्टियरों को, दी जाने वाली रकमों, और उनके जाने जाने और उनके लिए रसद वगैरा भेजने के सम्बन्ध में व्यवस्था करने के लिए, और

(भा) उनको चेतन, पेशान, बख्शीस, भत्ता और इनाम वगैरा देने के लिए नियम बना सके।

२ सपरिपट्टु श्रीमान् गवर्नर या उनके किसी मजिस्ट्रेट को उक्त नियमों के अन्तर्गत बुलाए गए वालण्टियरों के सम्बन्ध में व्यवस्था करने के लिए, और

को अधिकार होगा कि वे ऐसे नियमों के सम्बन्ध में लागू कर सकें जो राजशासन में सहायता देने के लिए

होते हुए भी, करे और

में, किसी कानून या फाउण्डेशन की मदद से ले जायगा।

(४९५)

दफा २९ उन वालण्टियर कोरों के संबन्ध में, जिनके सदस्य एक से अधिक प्रान्तों में भर्ती किए गए हों कार्य-वाई करने के लिये स्थानीय सरकार की नियुक्ति

जब किसी कोर में ऐसे वालण्टियर शामिल हों, जो एक से अधिक अधीनस्थ प्रांतों में भर्ती किए गए हैं, तो सपरिषद् श्रीमान् गवर्नर जनरल को अधिकार होगा कि वे गजट आफ इण्डिया में विज्ञप्ति निकाल कर इस बात की घोषणा कर दें कि इस ऐक्ट के कुछ अथवा कुछ कामों के लिए कौनसी स्थानीय सरकार इस कोर के सम्बन्ध में स्थानीय सरकार समझी जायगी।

दफा ३० वालण्टियरोंके साथ संमिलित होनेकी दशामें स्थल सेना के सैनिकों के साथ इस ऐक्ट के नियम लागू होंगे

किसी भी स्थल सेनाके, जो टेरीटोरियल ऐण्ड रिजर्व फोरसेज ऐक्ट (स्थल और स्थायी सेना सम्बन्धी कानून) सन् १९०७ ई० की दफा ६ के अनुसार तैयार की गई है और क़ायम रखी गई है किसी भी सैनिक के सम्बन्ध में, जो वालण्टियरों के किसी कोर के साथ, जो इस ऐक्ट के अनुसार तैयार किया गया है, शामिल कर दिया गया है, उस समयमें जब कि वह इस प्रकार साथमें काम कर रहा है, इस ऐक्ट के नियम लागू होंगे।

न्यूज पेपर ऐक्ट

नं० ८ सन् १९०८ ई०

अर्थात्

समाचार-पत्रों द्वारा अपराधोंको उत्तेजना देनेसे
नियंत्रण सम्बन्धी कानून

(ता० ८ जून सन् १९०८ ई० को पास हुआ)

चूंकि समाचार-पत्रोंमें हत्या तथा अन्य अपराधोंको उत्तेजना देनेवाले लेख आदिको रोकनेके सम्बन्धमें कुछ अधिक अच्छी व्यवस्था करना उचित जाना जाता है, इसलिये यह नीचे लिखा कानून बनाया जाता है:—

दफा १ संक्षिप्त नाम और विस्तार

(१) इस ऐक्टका नाम "न्यूजपेपर (अपराधोंको उत्तेजना देने सम्बन्धी) ऐक्ट सन् १९०८ ई०" होगा

(२) इसका विस्तार समस्त ब्रिटिश भारतमें होगा ।

दफा २ परिभाषा

(१) इस ऐक्टमें, जब तक कि कोई बात विषय अथवा प्रसंगके विरुद्ध न हो,—

(अ) "मजिस्ट्रेट" शब्दका अर्थ होगा जिला मजिस्ट्रेट अथवा चीफ़ प्रेजी डेन्सी मजिस्ट्रेट ।

(ब) "समाचार-पत्र (News paper)" का अर्थ होगा कोई भी निरपत्त समय पर प्रकाशित होनेवाला पत्र जिसमें सार्व-जनिक समाचार अथवा सार्व-जनिक समाचारोंके ऊपर टिप्पणिया आदि प्रकाशित हों ।

(स) "मुद्रणयन्त्र (Printing press)" में सभी पंक्तिज, मशीनरी, टाइप, लीथोग्रफिक पत्थर, औजार (Implements), वर्तन (Utensils), और दूसरे यन्त्र और सामान, जो छपाई आदिके काममें लाये जाते हैं, शामिल हैं।

(२) विधाय उसके, जब कि इसमें अन्य कोई व्यवस्थाकी गई हो, इस ऐक्टमें आये हुए कुल शब्दों और वाक्योंके वही अर्थ होंगे जो सप्रह जावता फौजदारी सन् १८९८ ई० में बतलाये गये हैं ।

दफा ३ कुछ अवस्थाओंमें मुद्रणयंत्रके ज्वत् कर लेनेका अधिकार

१ उन अवस्थाओंमें, जव स्थानीय सरकारके हुकमसे अथवा उससे प्राप्त अधिकारोंके अनुसार, दख्खान्त दिथे जाने पर, किसी मजिस्ट्रेटकी यह राय हो कि किसी समाचार पत्रमें, जो उस प्रान्तके भीतर मुद्रित और प्रकाशित होता है ऐसी बात है, जो इत्या अथवा एक्सप्रेसिज सम्बन्धसे ज एक्ट सन् १९०८ ई० के अनुसार अन्य अपराधों अथवा दूसरे हिनात्मक कार्योंको उत्तेजना देने वाली है ऐसे मजिस्ट्रेटको अधिकार है कि वह इस सम्बन्ध में एक नियमबद्ध आज्ञा निकाल दे कि वह मुद्रणयंत्र, जो ऐसे समाचार पत्रके मुद्रित करने अथवा प्रकाशित करनेके काममें लाया जाता है या लाया जाने वाला है, अथवा उस स्थान पर पाया जाय जहा पर ऐसा समाचार पत्र छापा जाता है या जिस विषयकी निस्तृत सिकायत है उसके छापे जानेके समय छापा जाय, और ऐसे समाचार पत्रकी सभी प्रतिया जहा कहीं भी मिले ज्वत् कर ला जाय, और उस हुकममें सभी बातोंको लिख दे और उस समाचार पत्रसे सम्बन्ध रखने वाले सभी लोगोंको यह आज्ञा दे कि वे उस समय और स्थान पर जो उस हुकममें नियत कर दिया जायगा, उसके सामने हाजिर होकर यह पत्र ज जाहिर करें कि उस हुकमके अनुसार उनके साथ क्या ग करवाई की जाय ।

२ इस हुकमकी एक नकल उस स्थानके किसी खुले हुए हिस्सेमें चिपका दी जायगी जो उक्त डेक्लेरेशनमें बतलाया गया है जोकि प्रेस ऐण्ड रजिस्ट्रेशन आफ् प्रेस ऐक्ट सन् १८६७ ई० की दफा ५ के अनुसार दाखिल किया गया है, अथवा किसी दूसरे स्थान पर चिपका दी जायगी जिसमें ऐसा समाचार पत्र छापा जाता है, और इस नकलका चिपकाया जाना (चरपा करना) उस हुकमकी उक्त तमाम आदमियों पर बाकायदा तामील समझी जायगी जो उस समाचार पत्रसे सम्बन्ध रखते हैं ।

३ जकरत गगदानाम या उक्त हालतोंमें, जव देर हो जानसे उस दख्खान्तका मर्याद न हो सके, मजिस्ट्रेटको अधिकार है कि वह उप-दफा (१) के अनुसार नियमबद्ध हुकम निकालनेके समय अथवा उसके पश्चात् उस मुद्रणयंत्र अथवा दूसरी जायदादको, जो उस नियमबद्ध हुकममें बतलाई गई है, ज्वत् करानेके लिये एकतरफा हुकम और निकाल दे ।

४ अगर उस समाचार पत्रसे सम्बन्ध रखने वाला कोई शरस हाजिर होकर उक्त नियमबद्ध हुकमके खिलाफ बजह जाहिर करता है, तो वह मजिस्ट्रेट जायता कौतुदारी सन् १८०६ ई० की दफा ३५६ में बतलाये हुए तरीकेसे शहादत लेगा, फिर चाहे उस हुकमके पक्ष में या विपक्ष में ।

५ अगर उस मजिस्ट्रेटको इस बातका इतमीनान हो जाय कि उस समाचार पत्रमें वे बातें पाई जाती हैं जो उप-दफा १ में बतलाई गयी हैं तो वह उस जायदाद के सम्बन्ध में जो उसे उक्त दफा १ की शर्तोंके अन्दर माहूम पड़, ज्वत्का नियमबद्ध हुकम कर्तई करार दे देगा ।

६ अगर मजिस्ट्रेटको इस बातका इतमीनान न हो, तो वह जव्तीके सम्बन्धमें दिये हुए नियमबद्ध हुक्मको तथा कुर्फीके हुक्मको, अगर कोई हो, रद्द कर देगा।

दफा ४ जव्तीका अधिकार

१ मजिस्ट्रेटको अधिकार है कि, वह किसी पुलिस अफसरको जिसका दर्जा सबइस्पेक्टरसे कम न हो, वजरिये वारण्टके यह अधिकार दे कि वह किसी जायदादको जिसके लिये दफा ३ की उप दफा ३ के अनुसार कुर्फीका हुक्म दिया गया है, जब्त करके अपने पास रख ले, अथवा किसी ऐसी जायदादको, जिसके लिये दफा ३ की उप दफा (५) के अनुसार जव्तीका हुक्म दिया गया है, जहां कहीं भी वह मिले जब्त करके उठा ले जाय और उस जायदादके सम्बन्धमें किसी भी स्थानमें,—

(अ) जहा पर कि उस वारण्टमें बतलाया हुआ समाचार पत्र मुद्रित और प्रकाशित किया जाता है, या

(ब) जहा पर जायदाद हो या उसके होनेका काफी सन्देह हो, या

(स) जहा पर ऐसे समाचार पत्रकी कोई भी प्रति विक्रीके लिये, बाटनेके लिये, प्रकाशित किये जानेके लिये, अथवा सर्व-साधारणको दिखलानेके लिये रखी हो या उसके इस प्रकार रखे जानेका सन्देह हो।

२ उप दफा (१) के अनुसार जारी किया गया हर एक वारण्ट, जहां तक कि उसका सम्बन्ध तलाशीसे है, उस तरह पर तामील किया जायगा जैसा सग्रह जावता फौजदारी सन् १८९८ ई० में तलाशीके वारण्टोंकी तामीलीके लिये बतलाया गया है।

दफा ५ अपील

उस समाचार पत्रसे सम्बन्ध रखनेवाला कोई भी शख्स, जिसने हाजिर होकर उस नियमबद्ध हुक्मके खिलाफ वजह जाहिर की है, उस तारीखसे, जिसको कि वह हुक्म कतई करार दिया गया है, पन्द्रह दिनके भीतर हाईकोर्टमें अपील कर सकता है।

दफा ६ दूसरी कार्रवाईका न हो सकना

सिवाय इसके जैसाकि दफा ५ में बतलाया गया है, किसी भी ऐसे हुक्मके ऊपर, जो किसी मजिस्ट्रेटने दफा ३ के अनुसार दिया है, किसी भी अदालतमें कोई आपत्ति न की जा सकेगी।

दफा ७ प्रेस ऐण्ड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स ऐक्ट सन् १८६७ ई० के अनुसार दाखिल किये गये डेक्लेरेशनके रद्द करनेका अधिकार

जब किसी समाचार पत्रके सम्बन्धमें जव्तीका हुक्म कतई करार दे दिया गया हो, तो स्थानीय सरकारको अधिकार है कि वह, स्थानीय सरकारी गजटमें

विज्ञप्ति निकालकर, किसी भी डेक्लेरेशनको, जो ऐसे समाचारपत्रके मुद्रक अथवा प्रकाशकने प्रेस ऐण्ड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स ऐक्ट सन् १८६७ ई०के अनुसार दाखिल किया हो, रद्द कर दे, और उसे यह भी अधिकार है कि वह ऐसी विज्ञप्तिके द्वारा उक्त ऐक्टके अनुसार उक्त समाचारपत्रके सम्बन्धमें अथवा किसी अन्य समाचारपत्रके सम्बन्धमें, जो वही आशय रखता है जो उक्त समाचारपत्र रखता है भविष्य तक और डेक्लेरेशन दाखिल करनेकी मुमानियत करदे, जब तक कि वह मुमानियतका हुक्म उठा न लिया जाय।

दफा ८ दंड

जो कोई भी शख्स किसी ऐसे समाचारपत्रको, जिसके लिये दफा ७ के अनुसार निकाली गई विज्ञप्तिमें मुमानियत कर दी गई है, इस मुमानियतके हुक्मके दौरानमें मुद्रित अथवा प्रकाशित करेगा, वह अपराधी सिद्ध होने पर उस दण्डके पानेका भागी होगा जो प्रेस ऐण्ड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स ऐक्ट सन् १८६७ ई० की दफा १५ में बतलाया गया है।

दफा ९ जाबता फौजदारीका प्रयोग

इस ऐक्टके अनुसार की जानेवाली सारी कार्रवाई, जहां तक सम्भव होगा सग्नह जाबता फौजदारी सन् १८९८ ई० के अनुसार की जायगी।

दफा १० दूसरे कानूनोंका अमलमें लाया जाना

इस ऐक्टके अनुसार किसी शख्सके ऊपर कार्रवाई किये जानेसे वह शख्स उन बातोंके सम्बन्धमें की जानेवाली कार्रवाईसे मुक्त न होगा जो दूसरे कानूनके अनुसार अपराध है।

स्टेट ऑफेंसेज ऐक्ट

नं० ११ सन १८५७ ई०

[तारीख २० मई सन १८५७ ई० को पास हुआ]

राज्यके प्रति किये गए अपराधोंको रोकने, उनकी सुनवाई करने और उनके लिये दण्ड देने सम्बन्धी कानून

शुंकि यह आवश्यक प्रतीत होता है कि राज्यके प्रति किए गए अपराधोंको रोकने, उनकी सुनवाई करने और उनके लिए दण्ड देनेके सम्बन्धमें समुचित व्यवस्था की जाय, इसलिये यह नीचे लिखा कानून बनाया जाता है—

दफा १

[राजद्रोह अथवा सरकारके विरुद्ध युद्ध करने के लिये दण्ड] ऐक्ट न० १७ सन १८६२ ई० द्वारा मसूख किया गया ।

दफा २

[अपराधियोंको शरण देने अथवा छिपानेके लिये दण्ड] ऐक्ट न० १७ सन १८६२ ई० द्वारा मसूख किया गया ।

दफा ३ किसी घोपित रकवेमें किये गए अपराधोंके दोषी बत लाये हुए लोगोंके मामलेकी जांच करनेके लिये, कार्य कारिणी समिति (सरकार) को कमीशन जारी करने का अधिकार

कमिशनर—जब कमी किसी प्रेन्सीपैसी या स्थानकी कार्य कारिणी सरकार (Executive Government) इस बातकी घोषणा करेगी कि कोई जिला, जो उसकी सरकारके अधीन है, राजद्रोही है या हो गया है तो ऐसी सरकारके लिये यह बिल्कुल न्यायानुकूल (कानूनी) होगा कि वह उन लोगोंके मामलेकी, जिनके ऊपर उस जिलेके भीतर राजद्रोह या हत्या, अग्निदाह, डाकाजती, अथवा जान या मालके विरुद्ध कोई दूसरा भयकर अपराध करनेका अभियोग लगाया गया है उस दिनके बाद, जिसका वर्णन कमीशनमें किया जायगा, जांच करनेके लिये कमीशन जारी करे ।

कमिशनर २—जिलेके किसी भी हिस्सेमें अदालतकी बैठक हो सकती है—

कमिश्नर या कमिश्नरोंको, जिनको किसी ऐसे कमीशनके अनुसार अधिकार दिया गया हो, अधिकार होगा कि वे उस कमीशनमें बतलाये हुये उक्त जिलेके किसी भी हिस्सेमें अपना इजलास कर सकें, और वहाँ पर किसी शर्षके मामलेकी, उक्त अपराधमें से जो उसके किसी भी हिस्सेमें किये गये हैं किसी भी अपराधके सम्बन्धमें जाच कर सकें, किन्तु इस ऐक्टका यह मरा है कि कमीशनमें बतलाया हुआ जिला उक्त किसी भी अपराधके सम्बन्धमें मामला चलाये जाने और दण्ड दिये जानेके अभिप्रायसे एक जिला समझा जाय ।

दफा ४ सरकार अदालतोंको कुछ अधिकार देसकती है

वार्थ कारिणी सरकार (Executive Government) के लिये यह बात बिल्कुल ही न्यायानुकूल होगी कि वह ऐसे कमीशनके द्वारा यह हुक्म दे देवे कि कमीशनके अनुसार बैठी हुई किसी अदालतको अधिकार होगा कि वह, बिना + + + + असेसराकी मददके, प्रत्येक ऐसे ब्यक्तिके सम्बन्धमें, जो उपरोक्त किसी भी अपराधके सम्बन्धमें उस अदालत के सामने दोषी पाया गया हो कोई भी ऐसी सजा का हुक्म दे देवे जो कानूनन ऐसे अपराधोंके लिये दी जानी चाहिये, और यह कि ऐसी अदालतका फैसला कृतई और आखिरी होगा और यह कि उक्त अदालत सदर अदालतकी मातहत होगी ।

दफा ५ इस ऐक्टके अनुसार बैठी हुई अदालतके सामने मजिस्ट्रेट, आदमियोंको उनके मामलेकी जाच करनेके लिये पेश कर सकता है

अगर इस ऐक्टके अनुसार कोई कमीशन जारी किया जाय तो उस जिलेका, जो उस कमीशनमें बतलाया गया है कोई भी मजिस्ट्रेट उन लोगोंको, जिन पर उस जिलेमें उपरोक्त किसी भी अपराधके करने का अभियोग लगाया गया है उनके मामलेकी जाच किये जानेके लिए उस अदालतके सामने पेश कर सकता है जो इस ऐक्टके अनुसार बैठी हो ।

दफा ६ यह ऐक्ट इंग्लैण्डमें पैदा हुई ब्रिटिश-प्रजाके और उनके लडकोंके सम्बन्धमें लागू न होगा

इस ऐक्टका कोई भी नियम श्रीमान् सम्राट की उस प्रजा पर मामला चलाए जाने अथवा उनको दण्ड (सजा) देनेके सम्बन्धमें लागू न होगा जो यूरोपमें पैदा हुए हो और न उनके लडकों पर ही ।

दफा ७ से १० तक

(हथियारोंका पासमें होना इत्यादि) ऐक्ट न० १२ सन् १८७६ ई० के द्वारा मसूझ कीगयी ।

दफा ११

इस ऐक्टमें आए हुए 'मजिस्ट्रेट' शब्दमें कोई भी शख्स शामिल हो जिसे + + + + कार्य कारिणी सरकार (Executive Government) ने इस ऐक्टके अनुसार किसी मजिस्ट्रेटको दिए गए अधिकारों के बर्तनेका अधिकार दिया हो ।

(५३)

सूचना

इस भागमें जहा पेजोंके देखनेका हवाला दिया गया है उससे हिन्दीमें छपे जानता दीवान्नीके पेजोंके देखनेका तात्पर्य समझना चाहिये ।

भाग ३

प्लीडिंग्स, अर्जियों और दस्ता- वेजों आदिके नमूने

प्लीडिंग्सके लिये देखिये पेज ९

अर्जीदावा और वयान तहरीरी

(१) आम अर्जीदावा

अर्जीदावा नीचे लिखे अनुसार लिखा जाना चाहिये और उसमें नीचे लिखी बातें लिखनी चाहिये —

कागज के सिर्फ एक ही ओर और कुरीब २ इंच का हाथिया कागज के बाए ओर छोड़ कर (अगरेजों के हिन्दी में) लिखना चाहिये । उट्ट के लिफ इस्ती तरह पर दाहिने ओर हाथिया छोड़ना चाहिये । ऊपर नीचे कुरीब पर २ इंच जगह छोड़ देनी चाहिये ।

(क) [नाम उस अदालत का जिसमें नालिश दायर कौगई हो]

जैसे—व अदालत श्रीमान् (जनान) सब-जज साहब बहादुर, कानपुर ।

[मुकद्दमें का रजिस्टर में लिखे जाने वाले नम्बर और सन् के लिए जगह छोड़ दी जानी चाहिए]

जैसे—नकद रुपये की नालिश न० १३२५ सन् १९२७ ई०

(ख) [मुद्दई का नाम उमर वलदियत व पेशा और सकूनत वगैरा]

जैसे—सालिहराम उमर अन्दाजन ४० साल बल्द सतिाराम कौम ब्राम्हण पेशा

जमीन्दारी व महाजनी । साकिन मौजा वैकुण्ठपुर परगना व धाना

यमपुर जिला शान्तिपुर ।

यनाम

(ग) [मुद्दाभलेह का नाम उमर वलदियत व पेशा और सकूनत वगैरा]

जैसे—चूडामानि उमर अन्दाजन ४० साल बल्द सुरई कौम चमार पेशा

काश्तकारी साधिन मौजा हसनपुर धाना चोबेपुर जिला कानपुर ।

(घ) [जब मुद्दई या मुद्दाभलेह नाबालिग या पागल हो तो यहा पर वे सब बातें लिख दी जानी चाहिए]

(ङ) [नालिश की तफसील और दावा की मालियत]

जैसे—दावा बाबत विलापाने मुबल्लिग ८५०) रुपया जो नकद
कर्ज दिए गए थे ।

(च) [वे बातें जिसे कि विनाय मुखासमत दावा पैदा होती है और यह कि वह कन पैदा हुई]

नोट—ऊपर बतलाए अनुसार फरीकून मुकद्दमाका नाम, उमर वलदियत, सकूनत और पेशा इत्यादि लिख चुकने के बाद मुकद्दमें की दूसरी बातें शुरू करना चाहिए । जिन बातों के आधार पर मुद्दई अपना दावा पेश करता है, वह शहादत नहीं जो कि वह अपने दावा की ताईद में पेश करना चाहता है । वे सब बातें सक्षेत्र में अलग अलग पेशा डाल कर लिखना चाहिए उनपर सिलसिले का नम्बर डाला जाना चाहिए और तारीख, रुपये की रक्या (तादाद) और नम्बर सब अक्षरा (हिन्दुसी) में लिखा जाना चाहिए ।

जैसे—उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखेअनुसार प्रार्थी हैं—

१ यह कि तारीख ३० जून सन् १९२७ ई० को मुद्दई ने मुद्दाभलेह को मुबल्लिग ५०) रु० २४) खरूडा सालाना ब्याज की दर पर कर्ज दिए, जिनको मुद्दाभलेह ने तारीख २९ जून सन १९२८ ई० को या उससे पहिले अदा कर देने का वादा किया था । मुद्दाभलेह ने इस रकम की निश्चत पक्कापदा तमस्सुरु मुद्दई के हक में लिख दिया था और उसकी बाकायदा रजिस्ट्री भी करा दी थी । वह तमस्सुक इस अर्जापत्र के साथ लयी है ।

२ यह कि मुद्दाभलेह ने मुद्दई को मुबल्लिग (७५) रु० चायत ब्याज के तारीख २१ नवम्बर सन १९२७ को भदा किए जिसकी वसूली मुद्दाभलेह ने स्वयं उस तमस्तुक की पीठ पर लिख दी ।

३ इस रूपया को वसूल देनेके बाद भी मुबल्लिग () रु० की रकम मुद्दई को मुद्दाभलेह से अब भी मिलना बाकी है, लेकिन मुद्दाभलेह ने वह रकम अभी तक भदा नहीं की, यद्यपि बार बार उससे इसके लिए कहा गया ।

(छ) [वे बातें जिनसे यह मालूम होता हो कि अदालत को इस मामले की समाप्त करने का अधिकार है]

४ मुद्दई की इस नालिश के दायर करने की बिनाय मुखासमत तारीख २९ जून सन १९२८ ई० को मौजा हसनापुर में पैदा हुई जो मौजा कि इस अदालत के अधिकार क्षेत्र (अख्त्यार समाप्त) में है ।

(ज) [वह दादरसी जिसके लिए मुद्दई दम्बेदार है]

५ मुद्दई का दावा है—

(१) कि मुद्दाभलेह के ऊपर () रु० की डिकरी मय ब्याज व असल, रुपये के उस ब्याज की दर पर, जो अदालत उचित समझे इस नालिश की तारीख से डिकरी की तारीख तक और इस कुछ रुपये पर, रूपया वसूल हो जाने की तारीख तक उस ब्याजगी दर पर, जो अदालत उचित समझे, दे दी जाय ।

(२) यह कि मुद्दाभलेह को यह हुकम दिया जाय कि वह मुद्दई को इस मुकद्दमे में होने वाला खर्चा और उसके घसूल होने तक ६) रु० सैकड़ा सालाना की दर से ब्याज (सूद) भदा कर ।

(ज) [जब मुद्दई ने कुछ छूट दी हो या अपने दावा का कुछ हिस्सा छोड़ दिया हो तो उस रकम की तादाद लिख देनी चाहिए]

(झ) [अख्त्यार समाप्त और कोर्ट फीस की रकम तय करने के लिए यहा पर दावा की मालियत लिख देनी चाहिए]

६ अख्त्यार समाप्तके लिए इस नालिशके दावाकी मालियत () रु० है और इसी रकम पर कोर्ट फीस लगाया गया है ।

(ज) [तरदीक और दस्तग्वत]

देखो इस किताब का पेज १३।१४

नोट—अर्जीदाना के तय्यार करने के पहले देखो पेज ९ से ३६ तक ।

आम जवान दावा या वयान तहरीरी

उनवान (शीर्षक) मुकद्दमा [देखो अर्जी दावा न० १]

इन्कार

मुद्दाभलेह इस बात से इन्कार करता है कि (यहाँ पर उन बातों का लिखना चाहिए जिनसे इन्कारी की जाती है) ।

मुद्दाअलेह इस बात को स्वीकार नहीं करता कि (यहाँ पर वे बातें लिखनी चाहिए) ।

मुद्दाअलेह इकवाळ करता है कि * * * लेकिन उसका कहना है कि—

धरोध

मुद्दाअलेह इस बात से इन्कार करता है कि उसने उक्त इकरारनामा या कोई इकरारनामा मुद्दई के साथ किया ।

मुद्दाअलेह इस बात से इन्कार करता है कि उसने मुद्दई के साथ अमुक इकरार (मुआहिदा) किया या किसी तरह का कोई भी मुआहिदा किया ।

मुद्दाअलेह को वसूली जायदाद से इकवाळ है लेकिन वह मुद्दई के दावा को नहीं मानता ।

मुद्दाअलेह इन्कार करता है कि उसने मुद्दई के हाथ यह माल बेचा जिसका जिक्र अर्जोदावा में किया गया है या उसमें से कोई भी माल उसके हाथ बेचा है ।

मियाद समाप्त

भारतीय कानून मियाद सन १९०८ ई०के परिशिष्ट (२) की भाटि० * * * से या भाटि० * * * से इस नालिश की तमादी आरिज होती है ।

आख्यार समाप्त

अदालत को इस वजह से (यहाँ पर वजह लिखनी चाहिए) इस मुकद्दमे की समाप्त करने का अख्यार नहीं है ।

तारीख माह सन ई० को मुद्दा अलेह ने एक हीरे की अगूठी मुद्दई को वी और मुद्दई ने अपने दावा की बेचाकी में उसे स्वीकार कर लिया ।

दीवाला

मुद्दाअलेह दीवालिया करार दे दिया गया है । मुद्दई इस नालिश दायर होने के पहिले दीवालिया करार दे दिया गया था और इसलिए नालिश करने का हक रिसीवर को था ।

नामालिग
अदालतमें अदा
दिया गया

उक्त मुआहिदा करते समय मुद्दाअलेह तामालिग था ।
मुद्दाअलेहने कुलदावाक चाबत (या मुबल्लिग * * *) रूपया की चाबत, जोकि दावाका एक हिस्सा है या जैसी कुछ भी अवस्था हो * * *) को अदालतमें दाखिल कर दिया है और उसका यह निवेदन है कि इस रूपयेसे मुद्दईके दावा की (या उसके उक्त अंशकी) बेचाकी हो जाती है ।

तामालि मुआहिदासे
दस्तबर्दारी

उक्त मुआहिदेकी तामालि से तारीख * * * * * को
दस्तबर्दारी की गई ।

मुआहिदाकी मसखी मुद्दई और मुद्दाअलेहके बीच, हुए इकरारनामाके अनुसार मुआहिदा तारीख को मसख किया गया।

महन्नाय अमुक डिकरीके कारण मुद्दई का दावा दायर नहीं हो सकता Resjudata (यहा पर हवाला देना चाहिए)।

रुकावट मुद्दई इस बातसे इन्कार नहीं कर सकता (यहा पर वे बातें Estoppel लिखना चाहिए जिनकी बिनापर रुकावट पेश की गई है) क्योंकि (यहाँ पर वे बातें लिखनी चाहिये जिनके आधार पर रुकावट Estoppel का प्रश्न उठाया गया है)।

नालिश होम वृकि नालिश दायर होने के बाद से, अर्थात् तारीख के बाद वचावमें पेश माद सन् ई० की जानेवाली बातें से (यहा पर उन बातोंको लिखना चाहिए जो बाद दायर होने नालिश के हुई)।

नोट—बयान तहरीरीका मसखिदा तैयार करते समय आर्डर ६ के नियमों की हमेशा ध्यानमें रखना चाहिये। आर्डर ८ में बतलाये हुये नियमोंको ध्यान पूर्वक पढ़ जाना चाहिये। बयान तहरीरीके लिये देखो पेज ६४

जायता दीयानीके जमीमा न० (५) में हर प्रकारकी नालिशोंमें दाखिल किये जाने वाले अर्जोदाग और तहरीरी बयानोंके नमूने बतलाये गये हैं और आर्डर ६ रुल ४ में यह बतलाया गया है कि उन अवस्थाओंमें जहा पर उनका प्रयोग होता है और उन अवस्थाओंमें भी जहा पर कोई उपयुक्त कायका नमूना न हो, जहाँ तक सम्भव होगा प्लीडिङ्स के लिये इन्हीं नमूनों को काम में लाया जायगा।

२ नालिश वावत बकाया लगान

अदालत जनाब मुसिफ साहब बहादुर बिसवा जिला सीतापुर मु० सीतापुर नालिश वावत लगान। नम्बरा १२७९ सन् १९२६ ई०

प० मनीराम उमर ४५ साल बल्द टीकाराम कौम ब्राह्मण पेशा जमींदारी साकिन मौजा सरैया थाना कमालपुर जिला सीतापुर मुद्दई बनाम

प० हरीनाथ उमर ६० साल बल्द मगलदत्त कौम ब्राह्मण पेशा काश्तकारी साकिन मौजा पतारा थाना कमालपुर जिला सीतापुर मुद्दाअलेह दावा दिलापाने मुबल्लिग रु० वावत बकाया लगान।

मुद्दईनीचे लिखे अनुसार प्रार्थी है—

१ यह कि मुद्दई मौजा पताराका जमीन्दार है जो इस अदालतके अधिकार-क्षेत्र (हद्द अख्तियार समागत) में बाक है और वह उस मौजाका दखीलदार कब्जेदार है और अस्मियोंसे लगान वगैरा की तहसील यसूल करता है।

२ यह कि मुद्दाअलेह, मुद्दईकी आराजी का, जो उक्त मौजेमें बाक है, रु० सालाना लगान पर, जो हर साल चार धरापर किरतोंमें बाजियुल-अदा है जोतिपा है। -

उक्त जोत की चौहद्दी परिशिष्ट (व) में बतलाई गई है जो इस अर्जीदावा के साथ नहीं है।

३ यहकि मुद्दईको उक्त जमाकी जमाबन्दी पर कानूनके अनुसार आना की रुपया के हिसाबसे अबवाच (महसूल) की तदसील करनेका अधिकार है।

४ यह कि उक्त जमाकी जमाबन्दी, अबवाचके हिसाबका नकशा अर्जीदावाके परिशिष्ट (अ) में दिया गया है।

५ यह कि मुद्दाअलेहनेअदा कर सकनेके काबिल होते हुए और बिना किसी मुनासिब वजहके होते हुये भी लगान और अबवाच की चकाया भदा नहीं की है जैसा कि परिशिष्ट (अ) में बतलाया गया है, यद्यपि मुद्दईने उससे चार बार यह रुपया तलय किया।

६ यह कि ऊपर बतलाये कारणों से मुद्दई चकाया रूपये के अलावा उस चकायाका २५ फीसदी बतौर हर्जाके दिला पानेका हकदार है।

७ यह कि उसके दावा की विनाय मुख़ासमत उक्त मौजा पतारा में, जो इस अदालतके अधिकार-क्षेत्र (इहद अफ़्तार समाअत) में है, हर साल की हर एक किरत की मियाद गुजर जानेके बाद पैदा हुई है।

८ अफ़्तार समाअत तय करनेके लिए इस नालिशकी मालियत दावा ३७॥) रु० है और कोर्ट फीसके लिए भी यही मालियत है।

९ मुद्दईका दावा है कि मुद्दाअलेहके ऊपर रु० की जिसमें अबवाच और हर्जानाकी रकम शामिल है, मय ग्याज रु० सैकड़ा सालाना रुपयकी वसूलयाजी हो जाने तक और मय खर्चा इस नालिशके डिकरी दीजाय।

परिशिष्ट (अ)

हिसाब

	लगान	अबवाच	वसूल	चकाया
सन् १३२८ फसली	८) रु०	१) आना	३) रु०	५॥) रु०
सन् १३२९ "	८) रु०	१) आना		८॥) रु०
सन् १३३० "	८) रु०	१) आना		८॥) रु०
सन् १३३१ "	८) रु०	१) आना		८॥) रु०
				<hr/>
				३०) रु०
			हर्जा	७॥) रु०
				<hr/>
			दावाकी रकम	३७॥) रु०

परिशिष्ट (व)

आराज़ीकी चौहद्दी और तकसील

[जबकि भाराजी फ़िली ऐसे रफ़्तमें धाक़े हो जिसकी देखत तैयार होगई हो और वह मन्नाशित होगई हो तो ज़ोतका नम्बर, सिद्धिल्ला सबके देतोंकी फ़हरिस्त, य़ौरा भी देना चाहिए]

मैं उक्त मनीराम मुद्दई सच सच यह तस्दीक़ इजहार करता हूँ कि अर्जादाघाके पैरा १, २, ३, ४, ५ में लिखी हुई बातोंको मैं सुद जानता हूँ कि ये सही हैं और बाकी पैराग्राफ़ोंमें लिखी हुई बातें मेरा इतला और यकीम के ऊपर लिखी गई हैं और मुझे उनकेभी सही होनेका यकीन है आज तारीख़ . माह . सन् . ई० को यवक्त बजे दिनके (अपने मकान) पर इस तस्दीक़के ऊपर दस्तख़त करता हूँ । दस्तख़त और तस्दीक़के लिए देतो पेज १३।१४

मनीराम

(दस्तख़त मुद्दई)

उपरोक्त नालिशमें दाखिल किया जाने वाला बयान तहरीरी

बअदालत जनाब मुस्लिफ़ साहब बहादुर गिस्वां ज़िला व मुकाम सीतापुर
(उनवान मुकदमा)

नालिश बकाया लगान न० १२७९ सन् १९२६ ई०

उपरोक्त नालिशमें मुद्दाअलेह नीचे लिखे अनुसार प्रार्थी है —

१ यह कि मुद्दईको मुद्दाअलेहके ऊपर यह नालिश दायर करने के लिये कोई कारण व हक़ नहीं है ।

२ यह कि फरीकनके बीच जमींदार और अस्तामीका कोई रिश्ता नहीं है, और यह कि वह इस बातसे इन्कार करता है कि वह मुद्दईकी इ० जमा की जमीन जोते है या कभी जोते रहा है ।

३ यह कि नालिश मय खर्चों के ख़ारिज होनी चाहिए और खर्चा दिलाया जाना चाहिए ।

तस्दीक़ (देखो पेज १३।१४)

[दस्तख़त मुद्दाअलेह]

(या नावश्यकतानुसार नीचे लिखी बातें जवाबदावामे पेशकी जा सकती हैं ।

१ यह कि अर्जीदावा के पैरा मे चतलाई गई बातोंसे मुद्दाअलेह इन्कार करता है और मुद्दईसे उनका सुवृत तलब करता है और यहाँक और तमाम दूखरी बातों की निस्वत जो कही गई है और जिनकी निस्वत इसने आगे खास तौर पर इन्कार नहीं कीगई है, यह समझना चाहिए कि वे इकचाल नहीं कीगई है ।

२ यह कि जो जोत उसके फरजेमें है वह मुकररी जोत है और यह खतियान न० मे चतौर मुकररी जोतके दर्ज है और वह सरसरी रैयती जोत नहीं है जैसा कि अर्जीदावा मे चतलाया गया है ।

३ यह कि उसकी जोतका लगान जमाबर्दी मे ... रु० है, जैसा कि ऊपर चतलाए हुए खतियानमे दर्ज है, ... रु० नहीं जैसा कि अर्जीदावामे चतलाया गया है ।

४ यह कि मुद्दई अदम तामोलके ऊपर अवध रण्ट ऐक्ट की दफा ... के अनुसार चजरिये नालिश, लगान वसूल पानेका हकदार नहीं है ।

५ यह कि ... उस जोतके शरीकदार, फास्तकार है और मुद्दाअलेहके साथ साथ वे लोग भी उस आराजी पर कानिज है और इसलिये बिना उनको फरोक मुकद्दमा बनाए, नालिश कानिल समाप्त नहीं है ।

६ यह कि ... रु० के लगानमे अववावकी रकम भी शामिल है और इसलिये भलगसे अववाव अदा न होना चाहिए ।

७ यह कि मुद्दाअलेह ऊपर चतलाई दर (शरह) पर लगान अदा करने के लिए हमेशा तैयार था और अब भी तैयार है, लेकिन मुद्दईके गुमाइता ... ने उस समय तक लगान लेनेसे इन्कार कर दिया जब तक कि मुद्दाअलेह गर कानूनी इजाफा लगानके लिए राजी न हो जाय ।

८ यह कि मुद्दाअलेह ने उक्त आराजीका लगान तारीख ... को ... के सामने पेश किया और उसे लगानके मनीआर्डरसे भी भेजा जो बिना किसी उचित कारणके वापस आया और यह कि ऐसी दशामे मुद्दई किसी दर्जा या मुकद्दमेका खर्चा दिलापानेका हकदार नहीं है ।

३ नालिश वावत तमस्तुक सादा

[अदालत और फरीकन चौराका हवाला ऊपर चतलाए अर्जीदावा न० १ की तरह पर ही लिखना चाहिए]

उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है—

१ यह कि तारीख १० मार्च सन् १९१४ ई० को मुद्दईने २०० रु० मुद्दाअलेह को १८ रु० सैकडा मालाना ब्याजकी दर पर कर्ज दिए मुद्दाअलेह ने बाक्यापदा तौर पर एक तमस्तुक मुद्दईके हकमे तहरीर कर दिया जिसकी रजिस्ट्री भी होगई । उक्त तमस्तुक इस् अर्जीदावाके साथ नरनी है ।

२ यह कि सियाय १८ रु० के धो तारीख ११ जनवरी सन् १९१४ ई० को ब्याजकी मदमे अदा किए गए थे, मुद्दाअलेह ने कर्जे का रुपया अदा नहीं किया है ।

३ यह कि उपरोक्त तमस्तुक की घाबत) २०, चाद मिनहाई
 उस ऊपर पतलाई रकमके जो ब्याज की निश्चत भदा की गई है, मुद्देकी मुद्दा-
 भलेह से भष भी चाजिबुल वसूल है जिसका हिसाब नीचे दिया जाता है, और
 यह कि बार-बार तलब किए जाने पर भी मुद्दाभलेहने यह बाकी का रुपया
 भदा नहीं किया है।

४ मुद्देकी इस नालिशकी विनाय मुख़ासमत तारीख १ मार्च सन् १९१५
 ई० को मुक़ाम में, जो कि इस अदालतके अधिकार क्षेत्र (हुद
 भक्त्यार समाभत) में है, मुद्दाभलेहके उक्त तमस्तुककी वाबत चाजिब रुपए के
 भदा न कर सकने पर पैदा हुई। -

५ इस नालिशकी मालियत दावा, अधिकार क्षेत्र (भक्त्यार समाभत) के
 अन्दर ह० है और कोर्ट कीस भी इसी रकम पर लगाया
 गया है।

६ मुद्दे प्रार्थी है—

(अ) कि मुद्दाभलेहके ऊपर ह० की मय ब्याज वशरह ६)
 ह० सैकड़ा सालाना, नालिश हानेकी तारीखसे रुपया वसूल होजाने
 की तारीख तक, डिफ़री दीजाय। और

(ब) यह कि मुद्दाभलेह के ऊपर इस नालिशके खर्च की डिफ़री दी
 जाय, और

(स) दूसरी ऐसी दादरसी दिहाई जाय जिसे अदालत मुनासिब समझे।
 हिसाब—

(तस्दीक और दस्तख़त अर्जादावा न० १ म बतलाए अनुसार)

उपरोक्त नालिशमें दाखिल किया जाने वाला वयान तहरीरी

अदालत और फ़रोक़न चमैराका हवालाला ऊपर बतलाए अर्जादावा न० १ की
 तरह पर दिया जाना चादिए।

मुद्दाभलेह ऊपर बतलाई हुई नालिशके सम्बन्धम नीचे लिखे अनुसार
 निवेदन करता है—

१ यह कि मुद्देकी मुद्दाभलेहके ऊपर यह नालिश दापर करने का कोई
 कारण व हक़ नहीं है।

२ यह कि मुद्दे ने जो हिसाब बतलाया है वह सही सही नहीं है और उसी
 उस रकमके अलावा जिसका भदा किया जाना अर्जादावामें स्वाकार किया गया
 है नीचे लिखी रकम जो भदा की है मुजरा नहीं दा है (यहा पर भदा किये गये
 रुपयकी तादाद और उसकी अदावगीकी ताख़ि लिखो)

४ इस नालिशकी विनाय मुद्रासमत तारीख (जिस तारीखको रुज
जिहा गया था) और उसका बादकी तारीखको, जिस समयकि मुद्राभलेह
रूपया भदा करनेसे इन्कार कर दिया, चमुद्राम जो कि इस अदालतके
आधिकार क्षेत्र (हद अख्तियार समागत) में है, पैदा हुई ।

५ [जैसा कि अर्जादावा न० १ में बतलाया गया है]

६ मुद्राईका दावा है कि मुद्राभलेह के ऊपर रु० की मय सूद
(ब्याज) बराबर रु० सैकड़ा मालाना, नालिशकी तारीखसे लेकर रूपया
चसूल होजानेकी तारीख तक, और मय सूचाके डिफरी दी जाय ।

परिमिष्ट (अ) (तस्दीक अर्जादावा न० १ में बतलाये अनुसार)

उपरोक्त नालिशमें दाखिल किया जानेवाला बयान तहरीरी

[अदालत वीराका हजाला अर्जादावा न० १ में बतलाये अनुसार]

ऊपर बतलाये मुकद्दमेंम मुद्राभलेह नीचे लिखे अनुसार प्रार्थी है —

१ यह कि मुद्राईको मुद्राभलेहके ऊपर यह नालिश दायर करने का कोई
कारण ब हक नहीं है ।

२ यह कि मुद्राभलेहने वह रुका, जिसकी निश्चयत नालिश है, नहीं लिया है
जैसा कि मुद्राईने बयान किया है ।

३ यह कि यह नालिश उस पैमानेके कारण दायर की गई है जो फरीकन
के बीचमें है ।

४ यह कि मुद्राईने यह नालिश सिर्फ मुद्राभलेहको परेशान करनेके इरादेसे
दायरकी है ।

५ यह कि नालिश मय खर्चके तारिखकी जाय और सूचा दिलाया जाय ।

[तस्दीक और दस्तखत]

(देखो पेज १३१४)

५ नालिश बाबत उस मालके जो बेंचा और हवाले किया गया

[अदालत ओर फरीकन वगैरका हजाला न० १ में बतलाए अनुसार]

उपरोक्त मुद्दे नीचे लिखे अनुसार प्रार्थी है —

१ यह कि तारीख ५ फरवरी सन् १९१४ ई० को ने इस अर्जा
दावाके साथ नस्वी परिमिष्ट में बतलाया हुआ माल मुद्राभलेहके हाथ बेचकर
उसके हवाले किया ।

२ यह कि मुद्राभलेहने वादा किया था कि वह माल हवाले कर दिये जाने
पर _____ रु० बाबत कीमत उस मालके अदा कर देगा ।

६ नालिश बाबत इस्तेमाल और कब्जा

[अदालत, फरीक़ैन बंगेरा का हवाला अर्जादावा न० १ में बतलाए अनुसार]
उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार प्रार्थी है —

१ यह कि मुद्दाअलेह ने मुद्दई के मकान पर, जो कि इस अर्जादावा के साथ नत्थी परिशिष्ट में बतलाया गया है, तारीख माह सन् १९२७ ई० तक कब्जा व दखल रखा, और उक्त मकान का इस्तेमाल करने की बाबत अदा की जाने वाली रकम की निस्वत कोई इक्करारनामा नहीं किया गया था ।

२ यह कि उक्त मकान के उक्त मियाद तक इस्तेमाल में रखे जाने का उचित दाम (५००) रु० हुआ ।

३ मुद्दाअलेहने यह रुपया अदा नहीं किया है, यद्यपि मुद्दईने इसकी निस्वत चार चार तकाजा किया ।

४ यह कि इस नालिश की विनोय मुख़ासमत, मुद्दाअलेह के उस रुपये के अदा न करने पर जो उससे तलब किया गया था, इस अदालत के अधिकार क्षेत्र के भीतर मुकाम में तारीख माह सन् १९२७ ई० को पैदा हुई ।

५ (जैसा कि अर्जादावा न० १ में बतलाया गया है)

५ मुद्दई (५००) रु० की डिफ़री के लिए मय सूद बशरह रु० सैफ़ड़ा सालाना, नालिश की तारीख से रुपया बसूल होने की तारीख तक, मय छर्चा इस नालिश के दावेदार है ।

परिशिष्ट

[तस्दीक़ और दस्तख़त]

देवो पेज १३।१५

उपरोक्त नालिश में दाखिल किया जाने वाला बयान तहरीरी

मुद्दाअलेह नीचे लिखे अनुसार प्रार्थी है —

१ यह कि मुद्दाअलेह ने उस मकान को उस मुद्दत तक कब्जे में नहीं रखा जो अर्जादावा में बतलाई गई है ।

२ यह कि (५००) रु० की रकम जो मुद्दई बाबत इस्तेमाल उस महान के तलब करता है उचित किराया नहीं है ।

३ यह कि मुद्दाअलेह ने तारीख - को (१००) रु० की रकम वाचत इस्तेमाल के उस मकान के अदा किया और वह समझता है कि पेजों दशा में यह रकम मुनासिब रकम है ।

४ यह कि मुद्दई को इस नालिश के दापर करने का कोई कारण उ दफू नहीं है और यह कि इसलिए यह नालिश मय खूचें के खारिज की जाय व खूचा मुद्दाअलेह दिलाया जाय ।

[तस्दीक और दस्तखत]
देखो पेज १३१४

७ नालिश वाचत तोड़े जाने साझेदारी के

(फरीकैन वगैरा के इवाले के सम्बन्ध में देखो न० १ अर्जादावा)
उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार प्रार्थी है—

१ यह कि मुद्दई और मुद्दाअलेह, गत ग्यारह वर्षों से, एक रजिस्ट्री शुद्ध-इकरारनामा के अनुसार, जो कि तारीख माह सन् ई० को लिखा गया था और जिसकी रजिस्ट्री ता० " को हुई थी पुस्तक विक्रेता (बुकसेलर) और प्रकाशक (पब्लिशर) का काम साथ साथ करते आण है ।

२ मुद्दई और मुद्दाअलेह के बीच बईतियत साझेदारों के बहुत से झगडे और मत भेद उत्पन्न हो गए है, जिनके कारण यह अत्सम्भव हो गया है कि वे साझेदारी में अब उस काम को कर सकें और उससे एक दूसरे को फायदा पहुँच सके ।

३ यह कि मुद्दाअलेह ने इस साझेदारी के कार चारमें होने वाले मुनाफा का अनुचित व्यय (तसर्वफ चेजा) करके और हिसाब में जालसाजी करके उन शर्तों का भी उलटघन कर दिया है जो उक्त इकरारनामा में बतलाई गई है ।

४ यह कि इस नालिश के द्विष्ट विनाय मुखासमत दावा व मुकाम में (जिस स्थान पर कि साझेदार लोग अपना चार-चार करते है) तारीख - को (जिस दिन कि मुद्दाअलेह ने पहिले पहल इकरारनामा की शर्तों का उलटघन किया था) और दूसरी तारीखों को पैदा हुयी ।

५ [जैसा कि अर्जादावा न० १ में बतलाया गया है]

६ मुद्दई प्रार्थी है—

(अ) यह कि साझेदारी का चार-चार तोड़ देने के सम्बन्ध में मुद्दाअलेह के ऊपर डिफरी दी जाय ।

(ब) यह कि मुद्दाअलेह से हिसाब तलब किया जाय और जो कुछ रकम मुद्दाअलेह के ऊपर वाजिब निकले उसके सम्बन्ध में उसके ऊपर इस नालिश के खच के सहित डिफरी दी जाय ।

(स) यह कि श्रीराम मुकद्दमा म, इस साझेदारी के कार वार का उचित प्रबंध करने और उक्त कार वार की चाबत मिलने वाले रुपये को वसूल करने के लिए एक रिजोवर नियुक्त किया जाय ।

[तस्दीक और दस्तखत]

देखो पेज १३१४

उपरोक्त मुकद्दमेमे दाखिल किया जाने वाला बयान तहरीरी

मुद्दाअलेह नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है —

१ यह कि अदालत को इस मातिश की समागत (सुनाई) करने का अधिकार नहीं है क्योंकि साझेदारी की सम्पत्ति की मौजूदा मालियत उस मातियत से अधिक है जिसके सम्बन्ध म समागत करने का अधिकार इस अदालत को है ।

२ यह कि अर्जीदावा के पैरा ३ में लिखी हुई बात बिल्कुल झूठी है । मुद्दाअलेह ने साझेदारी के इकरारनामा म लिखी हुई किसी बात का उल्लेखन नहीं किया है और न उसने कोई जाली हिसाब तैयार किया है ।

३ मुद्दाअलेह अर्जीदावा के पैरा २ में लिखी हुई बातों के सही होने से साफ इन्कार करता है और यह निवेदन करता है कि फर्म (दूकान) को मिलने वाले रुपये की तदखील वसूल मुद्दई करता था और वही कार वार का हिसाब क़िताब रखता था और यह कि इसलिए मुद्दई इस बात के लिए बाध्य है कि वह सही हिसाब क़िताब बनाकर मुद्दाअलेह के सामने पेश करे ।

४ यह कि मुद्दई की बहुत सी अनुचित कार्रवाइया (फेल बेजा) के कारण मुद्दाअलेह ने उससे सही हिसाब क़िताब तैयार करके देने के लिए प्रार्थना की लेकिन मुद्दई ने कुछ धूर्त भादमियों के सलाह पर हिसाब दाखिल करने से साफ इन्कार कर दी और उसने बिल्कुल झूठी बातों के आधार पर यह झूठी मातिश बायर की है ।

५ यह कि मुद्दई को मुद्दाअलेह के ऊपर यह मातिश दापर करने का कोई कारण ब हक नहीं है ।

[तस्दीक और दस्तखत]

देखो पेज १३१४

८ नालिश वावत हक असायश वास्ते निकलने रास्ता और हुम इम्तनाई

[अदालत और फराकेन का विवरण]

(देखो अर्जीदावा न० १)

उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है —

१ मुद्दई एक मकान चाकें जिसका विवरण इस अर्जीदावा के साथ परिशिष्ट (अ) में दिया हुआ है और इसमें आगे बतलाए हुए समय पर क्राविज था ।

२ मुद्दई को मय अपने नौकरों के उक्त मकान से खेत पर होकर आम रास्ते पर जाने और वहां से उक्त खेत पर होकर उक्त मकान को वापस आने का हक था । रास्ते का मौका जो मकान से खेत पर होकर गया है, और अन्त में आम सड़क से जाकर मिल गया है, इस अर्जीदावा के साथ परिशिष्ट (ब) में दिए गए नकशे में दिखा लाया गया है ।

३ मुद्दई ने रास्ते को खुले तौर पर, शांति के साथ बिना किसी प्रकार की रोक टोक के और बतौर हक के करीब २० वर्ष के ऊपर तक इस्तेमाल किया है और इस कारण से उसे उसके ऊपर हक आसायश पैदा हो गया है ।

४ तारीख १९ माह १९ ई० को मुद्दाअलेह ने बेजा तौर पर उक्त रास्ते को, उसके आर-पार टट्टी लगाकर, बन्द कर दिया ताकि मुद्दई उस रास्ते से निकल न सके और तब से उसे बेजा तौर पर बराबर बन्द किए है ।

५ इस नालिश की बिनाय मुखासमत तारीख १९ माह १९ ई० को बमुकाम जो इसअदालत के अधिकार क्षेत्रमें है, पैदा हुई ।

६ [जैसा कि अर्जीदावा न० १ में बतलाया गया है]

७ मुद्दई प्रार्थी है—

(अ) यह कि मुद्दाअलेह के ऊपर डिकरी दी जाय जिसमें रास्ते से होकर मुद्दई के निकलने सम्बन्धी अधिकारकी घोषणा कर दी जाय ।

(ब) यह कि इस मुकद्दमेके खर्चके सम्बन्धमें मुद्दाअलेहके ऊपर डिकरी दी जाय ।

(स) यह कि मुद्दाअलेहके ऊपर हमेशा के लिए यह हुम इम्तनाई जारी कर दिया जाय कि-वह उस रास्तेके सम्बन्धमें, जिसकी निस्वत, नालिश दाघर की गई है, कोई रुकावट न डाल सके ।

परिशिष्ट (अ)

परिशिष्ट (ब) (नकशा)

(तस्दीक और दस्तखत)

देखो पेज १३१४

उपरोक्त मुकद्दमें में जवाब दावा

[शीपक इत्यादि]

जैसा भर्जोदावा न० १ म है ।

मुद्दाभलेह नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है —

१ मुद्द में मुद्दाभलेह के ऊपर यह नालिश दायर करने का कोई हक व कारण नहीं है ।

२ मुद्दाभलेह भर्जोदावा के दूसरे और तीसरे पैरा में बतलाई गई बातों की सत्यता को अस्वीकार करता है और निवेदन करता है कि उस रास्ते का, जिसकी निश्चय नालिश दायर की गई है, कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जैसा कि मुद्द ने बतलाया है ।

३ मुद्द ने अपना यह मौजूदा मज़ान सिर्फ़ तेरह साल हुए जब खरीदा था और इसका बाद से वह उसमें रहता है, और इसलिये जिस रास्ते के इस्तेमाल की निश्चय नालिश की गई है वह बीस साल से ऊपर नहीं हो सकता ।

४ यह कि उस रास्ते के इस्तेमाल को मुद्दाभलेह ने दो साल हुए तेरह महीने के लिये बन्द कर दिया था और सिर्फ़ मुद्द के खुशामद बरामद करने पर मुद्दा भलेह ने केवल थोड़े समय के लिये उस रास्ते का इस्तेमाल करने के लिये मुद्द को इजाज़त दे दी थी ।

५ यह कि ऐसी दशा में मुद्द को उक्त रास्ते के इस्तेमाल के सम्बन्ध में जिसके लिये नालिश है, हक असायस पैदा नहीं हो सकता और इसलिए उसे हुकम इम्तनाई जारी करवाने का हक नहीं है जिसके लिये उसने प्रार्थना की है ।

६ यह कि जो नक़शा भर्जोदावाके साथ दाखिल किया गया है उसमें बहुत सी बातें गलत हैं और उसमें उसके इद गिद के स्थानोंका मौक़ा ठीक नहीं दिख लाया गया है । मुद्दाभलेह इस जथाब दावा के साथ एक नक़शा दाखिल करता है जिसमें इद गिद के स्थानांक, उस रास्ते का, जिसकी निश्चय नालिश है, मौक़ा ठीक २ दिखलाया गया है ।

७ यह कि मुद्द ने यह सूत्री नालिश मुद्दाभलेह को परेशान करने के लिये दायर की है, क्योंकि उनके (फ़ीज़न के) बीच वापस में कुछ झगड़ा है ।

८ चूंकि मुद्द न रास्ता मुननाजा का इस्तेमाल इस नालिशके दायर किये जाने के पहिले बीस साल तक नहीं किया, इसलिये इस नालिश की तगादी वा रिज होगई है ।

९ यहकि नालिश मय खर्चके खारेज होनी चाहिये और खर्चा दिना दिया जाना चाहिये ।

नक़शा

[तस्दी ह और दस्तख़त]

देखो पेज १३ । १४

८ नालिश वावत हक असायश वास्ते निकलने रास्ता और हुम इम्तनाई

[अदालत और फराकेन का विवरण]

(देखो अर्जीदावा न० १)

उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है —

१ मुद्दई एक मकान वाकें " " " जिसका विवरण इस अर्जीदावा के साथ परिशिष्ट (अ) में दिया हुआ है और इसमें आगे बतलाए हुए समय पर फाबिज था ।

२ मुद्दई को मय अपने नौकरों के उक्त मकान से खेत " " " पर होकर आम रास्ते पर जाने और वहां से उक्त खेत पर होकर उक्त मकान को वापस आने का हक था । " " " रास्ते का मौका जो मकान से खेत " " " पर होकर गया है, और अन्त में आम " " " सड़क से जाकर मिल गया है, इस अर्जीदावा के साथ परिशिष्ट (ब) में दिए गए नकशे में दिखलाया गया है ।

३ मुद्दई ने " " " रास्ते को खुले तौर पर, राति के साथ बिना किसी प्रकार की रोक टोक के और बतौर हक के करीब २० वर्ष के ऊपर तक इस्तेमाल किया है और इस कारण से उसे उसके ऊपर हक असायश पैदा हो गया है ।

४ तारीख " " " माह " " " सन् १९ " " " ई० को मुद्दाअलेह ने बेजा तौर पर उक्त रास्ते को, उसके आर-पार रट्टी लगाकर, बन्द कर दिया, ताकि मुद्दई उस रास्ते से निकल न सके और तब से उसे बेजा तौर पर बराबर बन्द किए है ।

५ इस नालिश की विनाय मुख्तसमत तारीख " " " माह " " " सन् १९ " " " ई० को बमुकाम " " " जो इस अदालत के अधिकार क्षेत्र में, है, पैदा हुई ।

६ [जैसा कि अर्जीदावा न० १ में बतलाया गया है]

७ मुद्दई प्रार्थी है—

(अ) यह कि मुद्दाअलेह के ऊपर डिकरी दी जाय जिसमें रास्ते से होकर मुद्दई के निकलने सम्बन्धी अधिकारकी घोषणा करदी जाय ।

(ब) यह कि इस मुकद्दमेके खर्चके सम्बन्धमें मुद्दाअलेहके ऊपर डिकरी दी जाय ।

(स) यह कि मुद्दाअलेहके ऊपर हमेशा के लिए यह हुम इम्तनाई जारी कर दिया जाय कि-यह उस रास्तेके सम्बन्धमें, जिसकी निस्वत, नालिश दायर की गई है, कोई रुकावट न डाल सके ।

परिशिष्ट (अ)

परिशिष्ट (ब) (नकशा)

(तस्दीक और दस्तखत)

देखो पेज १२१४

उपरोक्त मुकद्दमें में जवाब दावा

[तीर्थक इत्यादि]

जैसा अर्जीदावा न० १ में है।

मुद्दाअलेह नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है —

१ मुद्दई को मुद्दाअलेह के ऊपर यह नालिरा दायर करने का कोई हक था कारण नहीं है।

२ मुद्दाअलेह अर्जीदावा के दूसरे और तीसरे पैरों में बतलाई गई बातों की सत्यता को अस्वीकार करता है और निवेदन करता है कि उस रास्ते का, जिमकी निस्वत नालिरा दायर की गई है, कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जैसा कि मुद्दई ने बतलाया है।

३ मुद्दई ने अपना यह मौजूदा मफ़ान सिर्फ़ तेरह साल हुए जब खरीदा था और इसके बाद से वह उसमें रद्दता है, और इसलिये जिस रास्ते के इस्तेमाल की निस्वत नालिरा की गई है वह बाँस साल से ऊपर नहीं हो सकता।

४ यह कि उस रास्ते के इस्तेमाल को मुद्दाअलेहने दो साल हुए तेरह महीने के लिये बन्द कर दिया था और सिर्फ़ मुद्दई के खुशामद बरामद करने पर मुद्दाअलेह ने केवल थोड़े समय के लिए उस रास्ते का इस्तेमाल करने के लिये मुद्दई को इजाज़त दे दी थी।

५ यह कि ऐसी दशा में मुद्दई को उक्त रास्ते के इस्तेमाल के सम्बन्ध में जिसके लिए नालिरा है, हक़ असायस पेश नहीं हो सकता और इसलिए उसे हुक़म इम्तनाई जारी करवाने का हक़ नहीं है जिसके लिये उसने प्रार्थना की है।

६ यह कि जो नक़शा अर्जीदावाके साथ दाख़िल किया गया है उसमें बहुत सी बातें ग़लत हैं और उसमें उसके इद गिर्द के स्थानोंका मौक़ा ठीक नहीं दिखलाया गया है। मुद्दाअलेह इस जवाब दावा के साथ एक नक़शा दाख़िल करता है जिसमें इद गिर्द के स्थानोंका, उस रास्ते का, किसकी निस्वत नालिरा है, मौक़ा ठीक र दिखलाया गया है।

७ यह कि मुद्दई ने यह सूरी नालिरा मुद्दाअलेह को परेरान करने के लिये वापर की है, क्योंकि उनके (फ़रीक़ेन के) बीच आपस में कुछ झगड़ा है।

८ यह कि मुद्दई ने रास्ता मुवताजा का इस्तेमाल इस नालिराके दायर किये जाते के पहिले ग़लत खाल तक नहीं किया, इसलिये इस नालिरा की तगादी नालिरा दावा है।

९ यह कि नालिरा मय खचके ग़ुलारेज शोनी चाहिये और सर्चा दिला दिया जाना चाहिये।

नक़शा

[सस्दीक और दस्तख़त]

देसो बेज ११ । १४

६ अदावतन् मुकद्दमा चलाए जानेकी बाबत नालिश

[फरीकैन वगैरा का हजाला भर्जादावा न० १ में देखो]

उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है —

१ तारीख " माह सन् ई० को मुद्दाभलेह ने खयानत मुजरिमाना के झूठे अभियोग के ऊपर मुद्दई की गिरफ्तारी के लिए एक चारण्ट गिरफ्तारी डिपुटी मजिस्ट्रेट की अदालत से हासिल किया और इसके परिणाम स्वरूप मुद्दई गिरफ्तार किया गया और दो दिन कैद में रखा गया और अपनी रिहाई के लिये उसने " रु० की जमानत दाखिल की ।

२ यह कार्यवाई मुद्दाभलेह ने अदावतन् और बिना किसी उचित अथवा सम्भव कारण के की ।

३ तारीख माह सन् . . ई० को उपरोक्त डिपुटी मजिस्ट्रेटने मुद्दाभलेह का इस्तगाला खारिज कर दिया और मुद्दई को बरी कर दिया । उक्त फौजदारी अदालतके फैसले ही तस्दीकशुद, नकल इसके साथ दाखिलकी जाती है ।

४ उक्त गिरफ्तारी के कारण मुद्दई को, जनताकी निगाहोंसे गिर जानेके अतिरिक्त, बहुत कुछ शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाना पडा और वह अपना कार चार भी नहीं कर सका, और उसकी साख को भी बहुत कुछ धक्का पहुँचा और उसे उक्त कैद से रिहाई पाने और उक्त इस्तगाले के रिज़ालफ़ पैरवी करने में खर्चा उठाना पडा ।

५ यह कि इस नालिश के लिये बिनाय मुख़ासमत तारीख " को मुक़ाम " में, जो इस अदालत के आधिकार क्षेत्र के भीतर है, पैदा हुई ।

६ ऐसी दशा में मुद्दई (६००) रु० बाबत हर्जा के, जो उसे शारीरिक और मानसिक कष्टों के कारण और कार चार (व्यापार) तथा प्रसिद्ध को हानि पहुँचाने के कारण हुआ है, और (५००) रु० बाबत उस खर्च के जो उसे उपरोक्त फौजदारी मुक़द्दम की परवी में उठाना पडा दिला पाने का दावेदार है ।

७ अख्तियार समागत और कौंटे फ़ीस के लिये दावा की मालिपत (११००) रु० लगाई गई है ।

८ मुद्दई दावा करता है—

(अ) यह कि मुद्दई के हक में मुद्दाभलेह के ऊपर (११००) रु० की डिफ़री मय खर्च के दीजाय ।

(ब) यह कि अदालत कोई भी दूसरी दादरसी दिला सकती है जो वह ऐसी अवस्था में उचित समझे ।

[तस्दीक और दस्तख़त]

देपो पेज १३। १४

उपरोक्त मुकद्दमेंमें जवाब दावा

[शीर्षक फरीकेंन वगैरा]

उपरोक्त मुकद्दमेंमें मुद्दाअलेह नीचे लिखा निवेदन करता है —

१ मुद्दईको मुद्दाअलेहके ऊपर इस नालिशके दायर करनेका कोई कारण ब हक नहीं है।

२ मुद्दईको मुद्दाअलेहने बतौर अपने मुख्तार (कारिन्दा) के अस्सामियासे लगानकी तहसील बसूल करनेके लिए नौकर रखा था। मुद्दईने फुरेबसे रु० की रकम, जो उसने अस्सामियोंसे तहसीलकी थी, बेजातीर पर खर्च करदी और इसलिये मुद्दाअलेहने नेक नीयतीके साथ फौजदारी अदालतमें मुद्दईके ऊपर मुकद्दमा चलाया। मुकद्दमा फैसल करनेवाले मजिस्ट्रेटने यह मुकद्दमा खूब दादके ऊपर नहीं बल्कि जाबता फौजदारीकी दफ्तर२०३ के अनुसार यह कद कर खारिज कर दिया कि उसकी समागत अदालत दीवानी द्वाराकी जानी चाहिए।

३ मुद्दई एक सदिग्ध आचरण (मशहूक चाल चलन) का आदमी है और समाजमें उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, क्योंकि वह सन् १९०७ ई० में खूयानत मुजरिमानाके अभियोगमें फौजदारी अदालतसे सजा पाचुका है।

४ मुद्दईको फौजदारी मुकद्दमेंकी पैरवी करनेमें ५००) रु० का खर्चा नहीं उठाना पड़ा, क्योंकि उसकी पैरवी एक मुएतारने की थी।।

५ मुद्दई कोई हर्जा दिला पानेका हकदार नहीं है, क्योंकि उसके पहिलीबार सजा पाजानेके कारण जनताकी निगाहमें समाजसे उसकी प्रतिष्ठा पहलेही उठ जाचुकी है और यह कि यह दावा अधिक है।

६ यह कि नालिश भय खर्चेके खारिजकी जानी चाहिए। और मुद्दाअलेहका खर्चा दिला मिलनेका हुम्म होना चाहिए।

[तस्दीक और दस्तखत]

देखो वेत १३।१४

१० वसिके ऊपर नालिश, वावत दिलापाने उस आमदनी के जो वसीयतनाममें बतलाई गई है

[शीर्षक फरीकेंन वगैरा]

उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है —

माह	साकिन	जिला	की तारीख
१	सन् १९	ई० को मृत्यु होगी।	उसने अपने तारीख
माह	सन् १९	ई० को दिये गए	आखिरी वसीयत नाम

जरिये मुद्दाअलेहको अपना वसी मुकर्रर किया और अपनी सारी जायदाद, मन कूला और गैर मनकूला अपने वसीके नाम वसीयत करदी है, कि वह उससे होने वाली आमदनी और उसके लगानको मुद्दईको जिन्दगीभर अदा करता रहे और बाकीको उसके मरजानेके बाद, मवसी के कानूनी वारिसोंको ।

२ यह वसीयत मुद्दाअलेहने तारीख ' माह ' ' सन् १९ ई० को ' ' के जिला-जजकी अदालतमें वाक़ायदा तौरसे साबित कर दी थी ।

३ मरनेके समय मवसी (Testator) जायदाद मनकूला और गैर मनकूलाका हकदार था। मुद्दाअलेहने जायदाद गैर मनकूलाके लगानकी रसीद लिखदी और जायदाद मनकूला उसको मिल गई, उसने जायदाद गैर-मनकूलाका कुछ हिस्सा बेच लिया और उस जायदाद का ठीक ठीक हिसाब दाखिल नही किया, यद्यपि मुद्दईने तारीख ' ' को उसे तलब किया ।

४ यह कि इस नालिशकी धिनाय मुखासमत (मुद्दाअलेहके ठीक ठीक हिसाब दाखिल न करने पर) तारीख ' ' को वसुकाम ' ' पैदा हुई जो कि इस अदालतके अधिकार क्षेत्रमें है ।

५ जैसा कि न० ९ के पैरा ८ में है ।

६ मुद्दईका दावा है—

(१) कि ' ' की जायदाद मनकूला और गैर मनकूला का प्रबन्ध इसे अदालतमें किया जाय और इस कामके लिए तमाम मुनासिब हिदायत दी जाय और हिसाब लेलिया जाय ।

(२) और भी ऐसी कोई दादरसी दिलाई जाय जो इस मुकद्दमें मुनासिब मालूम हो ।

[तस्दीक और दस्तख़त]

देखो पज १३, १४

उपरोक्त मुकद्दमेंमें जवाब दावा

[शीर्षक फरीकत वगैरा]

मुद्दाअलेहका नीचे लिखा निवेदन है—

१ मुतौफी मवसी (वसीयत कुनिदा) के वसीयतनामामें कज़ंकी रकम भी तहरीर थी, जिस समय वह मरा है उस समय वह दिवालिया हो गया था, उसके मरने पर वह कुछ जायदाद मनकूलाकी निस्वत कर्जदार था जिसे मुद्दाअलेहने बेच डाला और जिससे कुछ ' ' की आमदनी थी और मवसीके पास कुछ जायदाद मनकूला थी जिसे मुद्दाअलेहने अपने कब्जेमें ले ली और जिससे ' ' की आमदनी होती थी ।

२ मुद्दाभलेहने उपरोक्त कुल रूपया और रु० की रकम, जो कि मुद्दाभलेहको उस जापदाद गैर मनकूलाके लगानके निस्वत वस्तुल हुई थी, क्रिया कर्म और वसीयत लिखने आदि कामामे और मवसीके कुछ कर्जा अदा करनेमें खर्च कर डाला ।

३ मुद्दाभलेहने अपना हिसाब ठीक करके उसकी एक नकल तारीख माइ सन् १९ ई० को मुद्दईके पास भेज दी और मुद्दईको इस बातका पूरा अधिकार दे दिया कि वह इस हिसाब किताबकी जाच करनेके लिए वाउचरोंको देखे, लेकिन उसने मुद्दाभलेहकी इन बातोंको स्वीकार नहीं किया ।

४ मुद्दाभलेहकी प्रार्थना है कि मुद्दईको इस मुकदमेका खर्चा अदा करने का हुक्म हो और दावा खारिज हो ।

(तस्दीक और दस्तखत)

देखो पेज १३, १४

११ दस्तावेज रेहननामाके ऊपर नीलाम या वैवात की वावत नालिश

[सीपक फरीकैन वगैरा]

उपरोक्त मुद्दईका नीचे लिखे अनुसार निवेदन है—

१ मुद्दई उस आराजीका मुतहिन है जो कि मुद्दाभलेहकी मिलिकयत है और जो इस अर्जीदावाके साथ लगी हुई सूची (फेहरिस्त) (अ) में तफसीलवार दिखलाई गई है ।

२ रेहननामाकी खास २ बात नीचे लिखे अनुसार है—

(क) तारीख २० जून सन् १९१२ ई० को मुद्दाभलेहने एक बाकायदा दस्तावेज रेहननामा बहक मुद्दई ") रु० की निस्वत, जो कि मुद्दईने उसे कर्ज दिये थे, लिख दिया जिसके जरिये सूची (अ) में बतलाई हुई जापदाद रेहन कर दी ।

(ख) [राहिन और मुतहिनके नाम]

(ग) [जो रूपया लिया गया हो]

(घ) [व्याजकी दर]

(ङ) [जापदाद मरहना] जो कि सूची (अ) में बतलाई गई है ।

(च) अथ (इ) रु० की रकम मुद्दईको मुद्दाभलेहसे वापतभसल मय सुद्धके, जैसा कि अर्जीदावाके साथ लगी हुई सूची (अ) में हिसाब दिया हुआ है, वाजिब है

(छ) [अगर मुद्दईकी उस जायदादकी हकीमत किसी दूसरे शख्ससे हासिल हुई है तो यहा पर सक्षेपमे लिखना चाहिये कि किस मुतकिलीके जरिये उसे दावाका यह हकू हासिल हुआ है]

३ मुद्दईके तार-तार मागने पर भी मुद्दाभलेहने उस रुपयेको जो वाजिब है, अदा नहीं किया ।

४ इस नालिशके लिए मुद्दईकी विनाय मुख्तसमत तारीख को [जो तारीख वास्ते अदायगी रुपया दस्तावेजमे बतलाई गई है], वसुफाम पैदा हुई जो कि इस अदाअतके अधिकार क्षेत्रमे है

५ मुकद्दमाकी मालियत दावा वास्ते अखितपार समाभूत (*) रु० है और कोर्ट-फीसके लिए () रु० है ।

६ मुद्दईका दावा है:—

(क) यह कि मुद्दाभलेहके ऊपर () रु० की, मय खर्चा मुकद्दमा और सूद आयन्दा बराबर मुद्दजे दस्तावेज दिनों पर, एक प्रारम्भिक डिकरी दी जाय, और यह कि उस डिकरीमे उस रकमकी, जो कि वाजिबुलअदा है, अदायगीके लिये एक समय नियत कर दिया जाय, और यह कि अगर उस नियत समयके भीतर रुपया अदा न हो तो मुद्दईका कुल रुपया जायदाद मरहना के नीलामसे वसूल करनेका हुकम दिया जाय ।

[यहाँ पर आर्डर ३४, कूल ६ लागू होता है]

देखो पेज १८१

(ख) यह कि अगर नीलाममे वसूल हुई रकम, मुद्दईका कुल रुपया अदा करनेके लिए काफी न हो, तो मुद्दईको यह अधिकार दिया जाय कि वह बाकी रुपयेके लिए मुद्दईके जिस्मके ऊपर डिकरी दिए जानेके लिए दख्वास्त दे सके ।

[तस्दीक और दस्तख्त]

देखो पेज १३।१४

सूची (अ) तफसील जायदाद ॥

सूची (ब) हिदायत ।

नोट—अगर नालिश बाबत वैवातक है, तो कलॉज (६ क) में यह मजमून जोड़ देना चाहिए —“और अगर नियत समयके भीतर रुपया न अदा त्रियद जाय तो वैवात (और कब्जा) की बाबत हुकम दिया जाय जिससे मुद्दाभलेहको जायदादकी फकरेहनीका कोई हकू बाकी न रहे और मुतद्दिन हो भारती मरहना से फाददा उठानेका पूरा अखितपार हासिल हो जाय ।”

उपरोक्त मुकद्दमे में जवाब दावा

[शीपक फरीकैन वयैरा]

उपरोक्त मुकद्दमे में मुद्दाभलेह नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है—

१ मुद्दाईको मुद्दाभलेहके ऊपर यह नालिश दापर करनेकी बिनाय मुद्दासमत पैदा नहीं हुआ है।

२ मुद्दाभलेह इस घातको स्वीकार करता है कि जिस दस्तावेजकी निश्चय नालिश है, वह दस्तावेज उसने लिखा है, लेकिन उसका कदना यह है कि उसे सिर्फ () रु० ही वाचत जुज मतालवा उस दस्तावेजकी तकमीलके वक्त मिले है फरीकैनके बीच यह तय पाया था कि मुद्दाभलेहको दस्तावेजकी तकमीलके वक्त सिर्फ () रु० ही मिलेगे और यह कि बाकी रुपया उसे धीरे धीरे, जब २ उसे जरूरत पडती रहेगी, मिलता रहेगा लेकिन वास्तवमें मुद्दाभलेहको बकाया रुपया लेने का वभी भी मौका नहीं आया।

३ मुद्दाईकी नालिश कानून मियादके द्वितीय परिशिष्टके आर्टि० ५ के अनुसार तमादो आरिज हो गई है।

या

१ मुद्दाभलेहने दस्तावेज नहीं लिखा था या यह कि कानूनके अनुसार उस पर बाकायदा तौरसे गवाही नहीं की गई थी।

२ रेहन नामाकी मुन्तकिली मुद्दाईके नाम नहीं की गई थी [अगर एकसे ज्यादा मुन्तकिलिया का गई हैं तो यह लिखना चाहिए कि किस मुन्तकिली से इन्कार है]

३ कानून मियादके द्वितीय परिशिष्टके आर्टि० ५ के अनुसार नालिशकी मियाद आरिज होगई है।

४ नीचे लिखी रकूमे गदा की गई हैं (यह पर उसकी तफलीक और तारीख देनी चाहिए)

५ मुद्दाईने तारीख " माह सन " ई० को कुज्जाले लिया था और उस समयसे लगान घसूल कर रहा है।

६ यह कि जिस समय तस्फूया या हिस्सा किया गया था उस समय मुद्दाईने उस दस्तावेजका रुपया घसूल किया था।

७ मुद्दाभलेहने तारीख " के दस्तावेजके जरिये अपने कुल इहूफ को मु तस्फूल कर दिया था।

उसदीक और दस्तखत

देलो वेन १३/१५,

१२ नालिश वावत दस्तावेज रेहन नामा दखली या गैर-मामूली,

[सीपक फरीकैन वगैरा]

मुद्दई नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है—

१ (जैसाकि न० ११ में है)

२ (जैसाकि न० ११ में है)

३ मुद्दईने तारीख को जायदाद पर कब्जा कर लिया और दस्तावेज की शर्तोंके अनुसार भाराजोका मुनाफा, या सूद (व्याज)में मुजराहोगया [या]

यह कि मुद्दईने तारीख को जायदाद पर कब्जा कर लिया और उस समयसे बतौर मुतद्दिन काबिजके हिसाब देनेको तैयार है और यह कि तस्फिया हिसाब होजाने पर [जैसाकि सूची (ब) में जोकि अर्जोदावाके साथ दिखलायी गयी है] उसी रेहन नामाकी वावत मुद्दईको मुद्दाभलेहसे मिलना है ।

४ (जैसाकि न० ११ के पैरा ३ में है)

५ (जैसाकि न० ११ के पैरा ४ में है)

६ (जैसा कि न० ११ के पैरा ५ में है)

७ मुद्दईका दावा है कि—

(क) मुद्दाभलेहके ऊपर एक डिकरी वावत () रु०के मय खर्चों और सूद बशरह ६) रु० सैकड़ा ता तारीख वसूली रूपयेके दीजाय या यह कि जायदादके वासिलानका हिसाब लिया और दस्तावेजमें बतलाए अनुसार उसका इस्तेमाल किया जाय और जो रुपया बाकी निकले उसकी निस्वत मय सूद बशरह ६) रु० सैकड़ा सालाना ता तारीख अदायगी रुपयाके मुद्दाभलेहके ऊपर डिकरी दीजाय ।

सूची (अ) [तफसील जायदाद]

तस्दीक और दस्तखत

सूची (ब) [हिसाब]

(देखो पेज १३१४)

नोट—मुतद्दिन काबिजको, वहीसियत ऐसे मुतद्दिनके, नीलाम या बैचतका हक न होगा, जब तक कि उस दस्तावेजमें प्रकृत अथवा अप्रकृत रूपसे ऐसी कोई शर्त नहो जो उसे ऐसा अधिकार देती हो [देखो कानून इन्तकाल जायदादकी दफा ६७] अगर किसी खास शर्तसे नीलामका हक विशेष अवसर पर काममें लाए जानेके लिपही रख छोडा गया है, तो यह रेहन नामा गैर मामूली समझा जायगा और ऐसी दशामे मुद्दईको अधिकार होगा कि नियत समय पर डिकरीका रुपया अदा नकिए जपने पर वह जायदाद मरहूनाकी नीलामके लिए दरख्वास्त करे ।

[दस्तखत और तस्दीक]

देखो पेज १२११५

उपरोक्त मुकद्दमेंमें वयान तहरीरी

[शीर्षक फरीकैन वगैरा]

मुद्दाभलेहका नीचे लिखे अनुसार निवेदन है.—

- १ मुद्दाभलेहने दस्तावेज सुतनाजाकी मुद्दईके हकमें लिखा ।
- २ मुद्दईको मुद्दाभलेहके ऊपर यह नालिश दायर करने की बिनाय मुद्दा-
क्षमत पैदा नहीं है ।
- ३ भारतीय कानून मियाद सन १९०८ ई०के द्वितीय परिशिष्टके आर्टिकल १० के
अनुसार इस नालिशकी मियाद आरिज होगई है ।
- ४ नीचे लिखी रकम अदा कीगई है, अर्थात् —

३ मार्च सन १९०९ ई०	२५०) रु०
७ जून सन १९०९ ई०	२५०) रु०
	जोड़ ५००) रु०
- ५ मुद्दईने जायदाद मस्तुनाके ऊपर तारीख माह सन १९०९
१० को कब्जा कर लिया था और तबसे लगान और मुनाफाका रुपया लेता रहा है
- ६ यह कि तारीख को हिसाबना तस्फिया हुआ था जब कि मुद्दईने
फर्जेके रुपयेकी फारखती करदी थी ।

[तस्दीक और दस्तखत]
देखो पेज १३१४

१३ नालिश वावत इन्फिफाक रेहन

[फरीकैन वगैराकी तफसील जसा कि न० १ म है]

उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है —

- १ मुद्दई सूची (अ) म [जोकि इसके साथ नरथी है] बतलाई गई भाराजी
का राहिन है जिसका कि मुद्दाभलेह सुतहिन है ।
- २ रेहन नामाकी तफसील नीचे लिखे अनुसार है —

(क) यह कि मुद्दईने रु० की निश्चत मुद्दाभलेहके हकमें एक
दस्तावेज रेहननामा तारीख माह सन १९०९ ई० को लिख दिया था और
उसके जरियेसे सूची (अ) में बतलाई हुई जायदाद रेहन करदी थी ।

(ख) जैसाकि न० ११ म है ।

(ग) " " " ।

(घ) " " " ।

(ङ) " " " ।

(च) " " " ।

[अगर मुद्दाभलेह मुतंहिन फाचिज है, तो नीचे लिखी बातें जोड़नी जानी चाहिये]

३ उक्त दस्तावेज रेहननामामे यह भी इफ़रार हुआ था कि मुद्दाभलेह सूची (अ) में बतलाई हुई ज़ायदाद तो अपने कब्ज़ेमें लेलेगा और यह कि उस इफ़रारनामामें अनुसार उसने तारीख "माह" सन् "ई०" को उस पर दखल कर लिया और उसके लगान तथा मुनाफ़ाकी तहसील वसूल करता रहा और हिसाबका ताफिया होने पर तारीख " " को यह मालूम हुआ कि भसठ का रुपया, जोकि उस दस्तावेजके ऊपर लिया गया था, मय सूद वशरह मुन्दरजे दस्तावेजके भदा कर दिया गया है। और यह कि मुद्दईको सूची (ब) में बतलाए हुए रु० की रकम मुद्दाभलेहको वापस करनी होगी, लेकिन तो भी मुद्दाभलेहने दस्तावेज वापस करनेसे इन्कार कर दिया, यद्यपिरुपया उसके सामने पेश कर दिया गया था। दस्तावेज मुतनाजाकी एक तस्दीकशुद, नकल इसके साथ नत्थीकी जाती है।

४ यह कि इस नालिशके लिए बिनाय मुख़ासमत धारोख को (जब कि मुद्दाभलेहने फारखती करके दस्तावेज वापस देनेसे इन्कार किया) बमुकाम " " भेदा हुई जोकि इस अदालतके अधिकार क्षेत्रमें है।

५ जैसा कि भर्जीदावा नं० ११ के पैरा ५ में है।

६ मुद्दईका दावा है कि—

(क) सूची (अ) में बतलाई हुई ज़ायदादकी फ़करेहनी करदी जाय और वह ज़ायदाद उसके नाम फिर मुन्तकिल कर दीजाय और उस पर कब्ज़ा दिला दिया जाय।

(ख) दस्तावेज मुतनाजाके हिसाब किताबकी बाबत मुद्दाभलेहके ऊपर एक डिकरी देदीजाय।

(ग) जो कुल रुपया मुद्दाभलेहके जिम्मे बाकी निकले उसकी बाबत मुद्दाभलेहके ऊपर डिकरी दीजाय और यह कि जिस दस्तावेजकी निस्वत झगड़ा है वह बेवाक हुआ करार दिया जाय।

(घ) एक डिकरी बाबत खर्चा मुकद्दमाके मुद्दाभलेहके ऊपर दीजाय।

(ङ) दूसरी ऐसी कोई औरभी दादरसी दिलाई जाय जैसी कि मुकद्दम की ऐसी अघस्थासे अदालतको आवश्यक प्रतीत हो।

सूची (अ) ज यदाद जो रेहन की गई है।

सूची (ब) हिसाब किताब।

[तस्दीक और दस्तख़त]

देखो पेज १३।४

(५२९)

उपरोक्त मुकदमेमें जवाब-दावा

[शीर्षक जैसाकि न० १ म है]

मुद्दाअलेहका नीचे लिखे अनुसार निवेदन है —

१ मुद्दाईके हक इन्किफाक रेहनाकी मियाद, भारतीय कानून मियाद सन् १९०८ई० क द्वितीय परिशिष्टकी भाँटि० के अनुसार तमादी भारिज होगई है।

२ मुद्दाईने जायदादमे अपने कुल हकूक को मुन्तकिल कर दिये हैं।

३ मुद्दाअलेहने तारीख माह सन् ६० के एक दस्तावेजके जरिये जर रेहन और जायदाद मरहूनामे [जोकि अर्जोदावाके साथ नस्थी सूची (अ) में बतलाई गई है] अपने कुल हकूक को मुन्तकिल कर दिण।

३ मुद्दाअलेहने कभी भी जायदाद मरहूना पर कब्जा नहीं लिया और न उसका लगान और मुताफाही वसूल किया।

५ यहकि मुकदमा मय सूच के खारिज किया जाय और खर्चा मेरा दिलाया जाय [तस्दीक और दस्तखत]

देखो पेज १३।१४

१४ नालिश वावत बेदखली

[फरीकनकी तफसील वगैरा जैसा न० १ है]

उपरोक्त मुद्दाईका नीचे लिखा निवेदन है —

१ मुद्दाअलेह मुद्दाईकी जमीन अहाता वाकै पर जिसकी ब्यारेवार तफसील सूची (अ) म जोकि अर्जोदावाके साथम नस्थी है, बतलाई गई है, वहँसियत रेह्यत, सालाना मुद्दत रेह्यतीक ऊपर काबिज था।

२ यह कि तारीख माह सन् ६० को मुद्दाअलेहने उक्त हाते की जमीनको १०) ४० मालाना लगानके ऊपर उस पर मकान बनानेके लिए केलिया जिसमे वह वादम रहना चाहता था और उनका इस्तेमाल करना चाहता था।

३ मुद्दाईने १५ भाद्र-सन् १३१९ फसलीको मुद्दाअलेहको एक लिखित नोटिस इस आशयकी दी कि यह ३० चैत्र सन् १३१९ फसली तक उक्त जमीनको खाली करदे यह नोटिस एक रजिस्ट्री शुल्क लिफाफाम पत्ररिये डाक भेजी गई थी। मुद्दाअलेहने यह नोटिस नहीं ली और वह इस अर्जोदावाके साथ नस्थीकी जाती है बावम मुद्दाईने एक ऐसीही नोटिस उस हाताकी जमीनके ऊपर भी तामील कराई लेकिन मुद्दाअलेहने अभी तक उस परसे अपना कब्जा नहीं छोड़ा है।

४ इस नालिशकी बिना मुद्दाअसमत यमुकूम - जोकि इस अदालतके अधिकार क्षेत्रमे है तारीख बैसाखकी प्रतिपदा सन् १३२० फसली अर्थात् नोटिसम दिये गए समयकी मुद्दत गुजर जाने के बादकी तारीखकी बेदा इद

५ जैसाकि भर्जोदावा न० २ के पैरा ८ में है ।

६ मुद्दईका दावा है कि—

(क) मुद्दाअलेहको वेदखल करके जमीन मुतनाजा के ऊपर कब्जा के लिये मुद्दईके हकमें डिगरी दीजानी चाहिये ।

(ख) यह कि खर्च की वापत मुद्दाअलेह के ऊपर डिगरीदीजाय ।

(ग) ऐसी कोई दूसरी और दादरसी दिलाई जाये जो इस मुकद्दमे की ऐसी हालतमें जरूरी मालूम होवे ।

सूची (अ)—[तफसील जमीन]

[तस्दीक और दस्तखत]

देखो पेज १३१४

उपरोक्त मुकद्दमेमें दाखिल किया जाने वाला बयान तहरीरी

[फरीकैन मुकद्दमा वगैरा की तफसील देखो न० १]

मुद्दाअलेह नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है—

१ यह कि मुद्दई के पास मुद्दाअलेहके ऊपर नालिश दापर करने का कोई हक व कारण नहीं है ।

२ मुद्दई ने मुद्दाअलेह पर कोई नोटिस जमीन खाली कर देने के निस्वत तामील नहीं की जैसा कि भर्जोदावा के पैरा ३ में बतलाया जाता है ।

३ यह कि मुद्दई का सहोदर (सगा) भाई जायदाद मुतनाजा में भाठ भानेका हिस्सेदार है और चूकि वह भाई इस मुकद्दमें में फरीक नहीं बनाया गया है इस लिये उसके फरीक न बनायेजानेके कारण मुकद्दमा नहीं चल सकता है ।

४ मुद्दाअलेह की जमीन मुतनाजा के ऊपर पक्की इमारत बनाने में फरीक (१०,०००) रु० खर्च करना पड़ता है और इसलिये इसका निवेदन यह है कि अगर मुद्दई के हक में कब्जा की डिगरी दे दीजाय तो मुद्दाअलेह को अपनी इमारत का खर्चा दिला मिलेगा ।

[तस्दीक और दस्तखत]

देखो पेज १३१४

१५ कानून दादरसी खासकी दफा ६ के अनुसार नालिश

[फरीकैन मुकद्दमा वगैराकी तफसील देखो न० १]

उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है—

१ यहकि मुद्दई मौजा में धाके जमीनका मालिक है जिसकी व्योरेवार तफसील सूची (अ) में जो कि भर्जोदावा के साथ नथी है और यह कि वह चारह साल से उक्त जमीन पर काबिज रहा है और उसे बजरिये अपने नौकरों के जोतता रहा है ।

२ यह कि यह इस नालिश के दापर होने के छ महीने पहिले से उस जायदाद पर काबिज था और यह कि तारीख माह सन् ई० को मुद्दाअलेह ने जबरदस्ती उस जमीन पर कब्जा कर लिया और उसे जोतने, खादने व योने लगा और इस तरह पर मुद्दई को उस जमीन पर से कब्जा उठा दिया ।

३ यहकि इस नालिशकी बिनाय मुख्तसमत वमुकाम जो कि इस अदालत के भधिकार क्षेत्र मे है तारीख को (जिस तारीख को कि मुद्दई का कब्जा उठा दिया गया था) पैदा हुई ।

४ जैसा कि अर्जादावा न० २ के पैरा न० ८ म बतलाया गया है ।

५ मुद्दई प्रार्था है कि—

(क) मुद्दईके हकमे एक डिकरी याचत दिलापाने कब्जा जायदाद मुतनाजा पर दीजाय ।

(ख) यह कि एक डिकरी मुद्दाअलेहके ऊपर इस मुकदमेके खर्चके याचत दीजाय ।

सूची (अ)

[तस्दीक और दस्तख़त]

देगो पेज १३।१४

उपरोक्त मुकदमेमे जवाब दावा

[शीर्षक इत्यादि न० १ देखो]

मुद्दाअलेह नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है—

१ मुद्दईके पास मुद्दाअलेहके उपर यह नालिश दापर करनेका कोई कारण नहीं है ।

२ मुद्दई यह नालिश दापर होनेके पहले महीनेके भीतर या इससे कभी पहले जायदाद मुतनाजाके ऊपर काबिज नहीं था । मुद्दईके मुकदमेकी मियाद तारिख होगई है ।

३ मुद्दाअलेहने जायदाद मुतनाजाको तारीख "माह" "सन्" ई० को खुरीदा था और उस पर अपने अस्सामियाके जरिये करीब १२ सालसे काबिज है ।

या यह कि मुद्दाअलेहने उस जायदाद पर बमूजिब उस रेहननामा दखली के कब्जा कर लिया जो मुद्दईने उसके हकम (५०) रु० के कजेके बदलेम लिख दिया था ।

४ कब्जा करलेने और कब्जासे अलग कर देनेके सम्बन्धमे मुद्दईने अपने अर्जादावाके पैरा १ और २ म जो बात कही है वे बिल्कुल झूठी हैं । मुद्दाअलेह या उसके अस्सामिया, किसीने भी मुद्दईको जमीन मुतनाजासे बेदखल नहीं किया ।

५ यहकि मुकदमामय खर्चके खारिज किया जाय और खर्चा दिलाया जाय ।

[तस्दीक और दस्तख़त]

देखो पेज १३।१४

१६ नालिश चावत दिलापाने उस रुपयेके, जो किसी शख्सको उसके हकके अनुसार मिलना चाहिये था

[तफलील फरीकैन मुकद्दमा वगैरा नं० १ देखो]

उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है —

१ मुद्दई एक मुस्तकिल कब्जा आराजीका, जोकि मौजा ... मे बाकै है और जिसकी ब्योरेवार तफलील इस अर्जीदावाके साथ तत्थी सूची (ब) में बतलाई गई है, कब्जेदार है। उसको उक्त कब्जा आराजीकी निस्वत ...)को खालाना चावत लगानके थी ... को देने पड़ते है।

२ मुद्दाभलेह उक्त कब्जे आराजीमे भाठ आनाका हिस्सेदार है। चूकि मुद्दाभलेहने उक्त आराजीके जमीन्दारको लगानके अपने हिस्सेको अदा नहीं किया है, इसलिए उसने मुद्दई और मुद्दाभलेह दोनोंके ऊपर चकाया लगानकी चावत एक नालिश दायर की। उस नालिशकी तारीख ... को डिकरी दे दी गई और उक्त डिकरीकी इजरासे जमीन्दारने उक्त आराजीको तारीख ... को नीलाम पर चढ़वा दिया। उस आराजीमे अपने हिस्सेको बचानेकी गरजसे मुद्दईने तारीख ... को मय खर्चा डिकरीका रुपया अदालतमे जमा कर दिया और इस तरह पर उस आराजीको इजरासे नीलाम होनेसे बचा लिया। इस तरह पर डिकरीका रुपया अदा कर दिए जानेसे मुद्दाभलेहको फायदा पहुँचा और इसलिए वह उसका बाधा हिस्सा मुद्दईको देनेके लिए बाध्य है। उपरोक्त डिकरीकी एक तस्दीकशुद नकल इसके साथ तत्थीकी जाती है।

३ मुद्दई मुद्दाभलेहके ऊपर १२)रु० लैकड़ा खालाना ब्याजके साथ उसरुपयेके आधेकी जोकि अदालतमे जमा किया गया है, डिकरा दिलापानेका हकदार है।

४ इस नालिशकी बिनाय मुख्तासमत वमुकाम ... , जोकि इस अदालतके अधिकार क्षेत्रमे है, तारीख ... को (जिस तारीखको कि डिकरीका रुपया अदालतमे जमा किया गया था) पैदा हुई।

५ जैसा कि अर्जीदावा नं० २ के पैरा ८ मे बतलाया गया है।

६ मुद्दईकी प्रार्थना है कि—

(क) मुद्दाभलेहके ऊपर मय ब्याज ... रु० की (जैसा कि अर्जीदावाकी सूची (अ) मे बतलाया गया है) और मुकद्दमेके तर्जुमेकी डिकरी दे दीजाय।

(ख) दूसरी और ऐसी दादरस्ती दिलाई जाय जो मुकद्दमेकी ऐसी हालत मे जरूरी मालूम हो।

सूची (अ) [हिस्साव]

सूची (ब) [आराजी]

[तस्दीक और दस्तखत]

देव्यो देन १३१५

उपरोक्त मुकद्दमेंमें जवाब दावा

[शीर्षक इत्यादि न० देखो]

मुद्दाभलेह नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है —

१ मुद्दईको मुद्दाभलेहके ऊपर यह नालिश दायर करनेका कोई कारण नहीं है।
२ मुद्दाभलेहने उस आराजाके लगानका अपना हिस्सा जमीन्दारको भदा फर दिया और लगानकी इस नालिशके दायर होनेके पहले उसे उसकी रसीदभी मिल गई थी। इसलिए मुद्दई मुद्दाभलेहसे कोई भी रकूम वाचत हिस्सा लगानके दिलापानेका हकदार नहीं है।

३ चूंकि मुद्दईने लगानकी डिकरी और इसके अनुसार होने वाली कुर्मी और नीलामरु पहले डिकरीका कुल रुपया अदाकृतम जमा कर दिया था, इसलिए उसका यह भदा करना अपनी इच्छासे भदा करना है और इसलिए यह मुद्दाभलेह से सुभाविजा पानेका हकदार नहीं है।

४ यह नालिश फरीकूनमें तनाजा होनेकी वजहसे दायर की गई है।

५ यह नालिश मय खर्चके खारिजकी जाय और खर्चा दिलाया जाय।

[तस्दीक और दस्तखत]

देखो पेज १३।१५

१७ नालिश वास्ते बटवारा

[शीर्षक इत्यादि न० १ देखो]

उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है—

१ यह कि मुद्दई और मुद्दाभलेह एक सम्मिलित हिन्दू कुटुम्बके भादमी हैं और उस जायदाद पर, जिसकी ब्योरेवार तफ्तील इस अर्जीदावाके साथ नस्थी सूचीमें दी गई है, उनका सम्मिलित अधिकार (मुदतरका कब्जा) है।

२ यह कि उक्त जायदादमें मुद्दई और मुद्दाभलेहके हिस्से बराबर हैं।

३ यह कि उक्त जायदादके प्रबन्धके सम्बन्धमें मुद्दई और मुद्दाभलेहके बीच झगड़ा होने तथा बहुतेरे कौटुम्बिक झगड़ोंके कारण उस जायदाद पर मुद्दई और मुद्दाभलेहका सम्मिलित अधिकार (कब्जा मुदतरका) बना रहना अब विद्वकल सम्भव नहीं है।

४ यह कि मुद्दईने तारीख * * * को मुद्दाभलेहके सामने यह प्रस्ताव पेश किया कि उनके (फरीकूनके) बीच शान्तिके साथ आपसमें उक्त जायदादका बटवारा होजाय, लेकिन मुद्दाभलेहने ऐसा कूरचेसे इनकार कर दिया।

५ इस नालिशकी बिनाय मुगवासमत, बमुकाम * * * जो कि इस भदाकृतके अधिकार क्षेत्रमें है, तारीख * * * को (जिस तारीखको मुद्दाभलेहने बटवारा करनेसे इनकार कर दिया था) पैदा हुई।

६ जसा कि अर्जीदाया न० २ पेरा ८ में है।

७ मुद्दईका दावा है कि—

(१) फरीकैनके हिस्साके बमूजिय उक्त जायदादके बटवारेकी डिफरेंस दे दी जाय और यह कि अदालतयते ओरसे यह बटवारा करनेके लिए एक कमीशनर नियुक्त किया जाय।

(२) मुकद्दमेका खर्च दिलाया जावे।

[जायदादकी सूची]

(तस्दीक और दस्तखत)

देखो पेज १३।१५

उपरोक्त मुकद्दमेंमें जवाब दावा

[शीर्षक इत्यादि न० १ देखो]

मुद्दाअलेह नीचे लिखे अनुसार प्रार्थी है—

१ यह मुकद्दमा नाज़िख है क्योंकि इसमें कुछ आदमी फरीक नही बनाए गए हैं और ऐसी दरामे वह अपनी मौजूदा सुरतमें सम्मिलित किये जानेके काबिल नहीं है, क्योंकि " " जो कि उस जायदादमें मुश्तर्का कब्जा रखता है, इस मुकद्दमेमें फरीक नही बनाया गया है।

२ अर्जोदावाके पैराग्राफ २ में बतलाई बातें सही नहीं हैं, क्योंकि उस जायदादमें मुद्दाअलेहका हिस्सा सिर्फ दो आना है।

३ यह कि अर्जोदावाके साथ नस्थी फेहरिस्तमें बतलाया हुआ किता न० ५ मुद्दाअलेहकी खुद पैदा की हुई जायदाद है और इसलिये उसका बटवारा फरीकैनके बीच नहीं हो सकता है।

४ यह कि अर्जोदावाके साथ नस्थी सूचीमें बतलाई गई जायदाद मुश्तर्काकी फेहरिस्त पूरी नहीं है और यह कि मुद्दईकी नालिश, जो कि एक हिस्सा जायदादके बटवाराकी निश्चय की गई है, काबिल क़ायम रहनेके नहीं है।

५ अर्जोदावाके पैरा४में मुद्दईका यह कहना कि उसने मुद्दाअलेहसे जायदाद मुश्तर्काका आपसमें बटवारा कर लेनेकी दरखवास्त की, सही नहीं है।

६ यह कि मुकद्दमा मय खर्चके खारिज किया जाय और खर्चा दिलाया जाय।

[तस्दीक और दस्तखत]

देखो पेज १३।१५

१८ मय वासिलात जायदाद पर कब्जा दिलापानेकी वाचक

हकीयतकी नालिश

[फरीकैन मुकद्दमा बगैराकी तफतील न० १ देखो]

उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है,—

१ मुद्दईका चचा " " साकिा " " रिपासत " " वाकैमोजा " " का मालिक था और " " का वाचक मालिक

जारीके सरकारको भदा करता था। उक्त जायदादकी ब्योरेवार तफसील सूची (अ) म दी हुई है जो कि इस अर्जीदावाके साथ नत्थी है।

२ यह कि तारीख " ' माह ' सन् ' ' ई० को मुद्दाभलेहने सामियाले जमानकी तहसील वसूल करके, उसके मुख्तारको उसकी कचहरीसे तफाल कर और सूचीमें बतलाये गये किता न० ५ में उसकी पैदा की हुई जमानकी फसलको बेजा तोरसे सफ करके, उस जायदाद परसे मुद्देकी कुब्जा उठा दिया।

३ यह कि मुद्देका चचा तारीख " के एक वसीयतनामाके जस्ये' अपनी कुल जायदाद मनकूला और गैर मनकूला मुद्देके हकमे छोड़कर इस वसीयतनामाके लिखनेके एक साल बाद मर गया।

४ यह कि मुद्दाभलेह भव भी उक्त रियासत पर अपना बेजा कुब्जा बताये है और इसलिये मुद्दे मुद्दाभलेहसे मुगलिग ') र० बाबत वासि-लात उस मुद्देतरे, जिनम कि मुद्देके चचाको दखल नही रहा है [जैसा कि अर्जीदावाके साथ तत्थी सूची (ब) म बतलाया गया है] दिहा पानेका हकदार है।

५ इस नालिशकी बिनाय मुख्तारत बमुकाम" जो कि इस भदा तके अधिकार-क्षेत्रमे है, तारीख को (जब कि कुब्जा उठा दिया गया था) पैदा हुई।

६ मुकद्दमेकी मालियत, अखितयार समाभत और कोर्ट फीसके घास्ते र० है।

७ मुद्दे मार्यो है कि—

(क) उक्तकी निम्नत मुद्देकी हकीयतका एलाज करनेके बाद सूची (अ) म बतलाई हुई जायदाद पर कुब्जेकी डिकरी दी जाय।

(ख) मुगलिग " र० की डिकरी बाबत वासिलातके दी जाय।

(ग) मुकद्दमेके खर्चकी बाबत डिकरी दी जाय।

(घ) उले वासिलात आयदाकी निम्नत नालिश करनेका अधिकार दिया जाय।

(ङ) दूसरी और पेसी दादरसी दिलाई जाय जिसके पानेका वह हकदार हो।

सूची (अ) [जायदाद]

सूची (ब) [वासिलातका हिसाब]

[तस्दीक और हस्तखृत]

देतो पेन १३।४

हिसाब किताब किये जोकि उसने अपनी कारिन्दगीरी के दौरान में वसूल किया है मुद्दई की नौकरी छोड़ दी है।

३ वास्तव में मुद्दाअलेह ने नौकरी छोड़ने के छ महीने पहिले अपने इस इरादे की मुद्दई को लिखित सूचना दी थी, चकि मुद्दई उसकी तनखाह बराबर ठीक समय पर नहीं देसका इसलिये मुद्दई की नौकरी में रहना असम्भव था मुद्दई की नौकरी छोड़ते समय उसने उस कुल रुपये का जोकि उसने अपनी कारिन्दगीरीके दौरानमें वसूल किया था पूरापूरा हिसाब देदिया था और तहसील वसूल के कुल कागजात मुद्दई के नाम व " " के हवाले कर दिये थे। वह उक्त नायब की मार्फत कुल रुपया जिसे वह उक्त मीर्जा से वसूल करता था बराबर मुद्दई के पास भेजदिया था और उसकी रसीद ले लिया करताथा। वे रसीदइसके साथ नहीं है। उनसे यह मालूम होगा कि उसके ऊपर मुद्दईका कुछ भी बाकी नहीं।

४ मुद्दई, मुद्दाअलेह से खर्चा दिलापाने का दावा नहीं करसकता जो कि हिसाब तैयार करनेके लिये जरूरी है और यह कि उसके लिये जिस रुपये का दावा वह करता है वह हर हालत में उचित से अधिक है।

[तस्दीक और दस्तखत]

देखो पेज १३ १४

जरूरी जरूरी अर्जियोंके नमूने

२० कुर्क किए हुए मालकी निस्वत दावा

ब अदालत जनाब सब जज साहब बहादुर

नम्बर मुकद्दमा

सन् १९ ई०

सायल बनाम

फरीकसानी

डिकरीदार न० १

मदियून डिकरी न० २

सायल साफिन

का चितय निवेदन है—

१ कि डिकरीदार (फरीकसानी न० १) ने इस अदालतकी डिकरी न० १० सन् १९०७ ई० की, जोकि मदियून डिकरी (फरीकसानी न० २) के ऊपर तारीख " " को दीगई थी, इन्नराम सायलकी जायदाद जोकि इस अर्जके साथ नन्धी फेहरिस्तमें बतलाई गई है कुर्क करली है।

२ यह कि मदियून, डिकरीको कभीभी उक्त जायदादकी निम्नत कोई हक या हकीगत हासिल नहीं था। सायलको यह जायदाद उसके बापसे मिली है और वह १२ सालस ज्वादा उस पर काबिज है और उसका उपभोग करता है।

(१३९)

३ ऐसी दरामें सायलकी प्रायना है कि अदालतमें, मुनासिब राहादतके ऊपर उस जायदादकी निश्चत सायलकी हकीयत और कब्जाके बारेमें इतमीनान करलेनेके बाद फेदरिस्तमें बतलाई गई जायदादको कुर्कीसे बरी किए जाने का हुजूम देदेवे ।

सायल आपका चिरकृतज्ञ रहेगा ।

[उस जायदादकी फेदरिस्त जोकि कुरु कर ली गई है]

[तस्दीक और दस्तखत]

देखो पेज १३१४

२१ प्रोवेट या प्रबन्ध सम्बन्धी पत्रोंके लिये अर्जी

अ अदालत जनाब जिला जज साहब

प्रोवेटका मुकद्दमा न०

सन् १९ ई०

प्रोवेट ऐण्ड ऐडमिनिस्ट्रेशन ऐक्टके अनुसार (या सक्सेशन ऐक्ट अर्थात् उत्तराधिकारके कानूनके अनुसार) सुतौफी की वसीयतकी नकल (प्रोवेट) के लिए की अर्जी ।

१ सायल

जमीन्दार है और मोजा

का रहनेवाला है ।

२ उपरोक्त श्रीयुत्

की तारीख

माह सन

ई० को स्थान

में, जोकि इस अदालतके अधिकार क्षेत्रमें है और

जो उनके रहनेका नियत स्थान है, [या जहा पर कि वह अस्थायी रूपसे रहते

थे, क्योंकि उनके रहनेका स्थान

था जो इस अदालतके

अधिकार-क्षेत्रमें है, या, जबकि दरफूरास्त किसी जिला जजके यहा दी गई हो

तो, इसके साथ नत्थी फेदरिस्तमें बतलाई गई जायदादको छोड़,] इस अदालतके

अधिकार क्षेत्रमें है, [या जब दरफूरास्त सक्सेशन ऐक्टके अनुसार किसी डिस्ट्रि-

क्ट डेलीगेट (जिला प्रतिनिधि) को दी गई हो तो, जहा पर वह उस समय

रह रहा था ।]

३ जो तहरीर इसके साथ नत्थी है और जो मुझे दिखलाई गई है और जिस

पर 'क' अक्षरका चिन्ह है, वह उक्त का भाङ्गिरी वसीयत नामा है

और उसने उन गवाहोंके सामने, जिनके नाम उस वसीयत नामाके नीचे हाशिये

पर दिए हुए हैं, उसकी बाकायदा तौर पर तक्मोठकी थी ।

४ मैदी उक्त वसीयत नामामें बतलाया हुआ उसी हैं [या दर

फूरास्त वसीयतनामाके साथ लगे हुए प्रबन्ध सम्बन्धी पत्रोंके लिए हो तो फाम

न० २२ के पैरा ३ और ४ और शामिल कर देना चाहिए ।]

५ माल मतलबका की रकम, जोकि मेरे हाथमें आने गती है, कुल मित्राकर

२० से अधिक नहीं है जिसका हिस्सा सूची (न) में दिया हुआ

है और यह कि जो कुलभी देना है उसकी रकम रु० से अधिक नहीं है जिसकी कि तफसील हलफनामाके सूची (ब) में दी गई है और यह कि उक्त माल मतलबका की कुल रकम उन तमाम मर्दाका रुपया निकाल देनेके बाद जिनको निकाल देनेका मुझे क.नूनके अनुसार अधिकार है, मु० रु० की मालियतके अन्दर है।

६ मैं इस प्रार्थना पत्र द्वारा यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उक्त स्वगंवासीकी सम्पत्ति और भरण पोषण आदिका उचित प्रबन्ध करूँगा और उसकी एकसही और पूरी सूची (खर्चा) तैयार करूँगा और प्रोबेट या प्रबन्धसम्बन्धी पत्र मिलजाने की तारीखसे छ. महीनेके भीतर उसे इस अदालतमें पेश करूँगा और उक्त तारीखसे एक सालके भीतर उक्त सम्पत्ति और ऋणका एक सही हिसाबभी इस अदालतमें पेश करूँगा।

७ यह कि जहा तक मे जानता हूँ अभी तक किसी राखसने किसी दूसरी अदालतको उक्त वसीयतनामाके प्रोबेट या उक्त सम्पत्ति (जायदाद) के प्रबन्ध सम्बन्धी पत्रके लिए दरखवास्त नहीं दी है।

८ इसलिए सायलकी प्रार्थना है कि—

(क) उसे उक्त वसीयतनामाको सामान्य रीतिसे साबित करनेकी इजाजत दीजाय और यह कि उसका प्रोबेट [या उक्त वसीयतनामाके साथ उक्त मुतौफीकी सम्पत्ति और ऋणके प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र] जो बराबर अमलमें आते रहेगा उसे दिलाया जाय।

(ख) दूसरी ऐसी दादरस्ती दिलाई जाय जोकि अदालतको उचित जानपड़े।

सूची (अ) सूची (ब)

[दस्तखत वकील]

[दस्तखत सायल]

मैं जिसने उपरोक्त दरखवास्त पेशकी है, इसके जरिये यह पलान करता हूँ कि उसमें जो कुलभी लिखा है वह, जहां तक मैं जानता हूँ और जहा तक मेरा विश्वास है, सही है। देखो पेज १३। १४

गवाह

[दस्तखत सायल]

मैं कि

साकिन

जोकि के आखिरी वसीयतनामाके, जिसका जिक्र उपरोक्त प्रार्थना पत्र (अर्जी) में किया गया है, गवाहोंमेंले एक हूँ, यह इजहार करता हूँ कि मैं उस जगह पर मौजूद था और मैंने उसे उक्त वसीयतनामाके ऊपर, जोकि अब मुझे दिखलाया गया है और जिस पर “(क)” निशान डाला गया है अपना हस्ताक्षर करते (या निशान बनाते) हुए देखा [या यह कि उक्त मवसीने उपरोक्त अर्जीके साथ नस्थी तहरीरकी, जोकि अब मुझे दिखलाई गई है और जिस पर “क” निशान डाला गया है, मेरे सामने अपनी आखिरी वसीयत.स्वीकार किया है,]

(हस्ताक्षर)

(५४१)

२२ प्रबन्ध सम्बन्धी पत्रके वास्ते नालिश

[शीर्षक सुकद्धमा]

जसा कि फार्म न० २२के पग न० १ और २ म है

३ उक्त "अ भा" नीच लिखे अपने सम्बन्धियोंको जीवित छोड़ कर मर गये हैं —

(१) क र (जो सायल और लडका है)

(२) ग घ (सकूनत और वास्तिदयत वर्ग) जो उसके लडके हैं,

(३) ड च धर्म पत्नी श्री साकिन जोकि उसकी लडकी है,

(४) छ ज साकिन जोकि उसकी स्त्री है,

(५) झ ञ साकिन जोकि उसकी अविवाहिता कन्या है,

(६) ट ठ साकिन और ड ड साकिन जोकि उसके भाई हैं जिनसे टठ की तारीख को मृत्यु होगई है और जिसके कोई या दूसरे रिश्तेदार नहीं हैं ।

४ उक्त बिना कोई बसीयत लिखे मर गये हैं और सायल बहैसियत उसके घड़े लडकेके उसकी सम्पत्ति और ऋणके प्रबन्ध सम्बन्धी पत्रके लिए दावेदार हैं ।

५ जो माल मतलबका मेरे हाथमें आनेवाला है वह कुल मिलाकर सुबलिंग रु० से कम नहीं है जिसका ब्योरेवार हिसाब सूची (अ) म दिया हुआ है और यह कि जो कुछ देना है उसकी रकम रु० है जिसकी तफसील हलफनामाके साथ नस्थी सूची (ब) म दी गई है, और यह कि उक्त माल मतलबकी कुल रकमकी, उन तमाम मदोंको अलग कऱके जिनको अलग करीका मुझे कानूनके अनुसार अधिकार है, मालिगत रु० के भीतर है ।

६ मैं इस प्रार्थना पत्र द्वारा यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उक्त स्वर्गवासी 'अ भा' की सम्पत्ति और ऋण आदिका उचित प्रबन्ध करूंगा और उसकी एक सही और पूरी सूची (खर्चा) तैयार करूंगा और प्रबन्ध सम्बन्धी पत्रके पाजाने की तारीखसे छ महीनेके भीतर उसे इस अदालतमें पेश करूंगा और उक्त तारीख से एक सालके भीतर उक्त सम्पत्ति और ऋणका एक सही हिसाब भी इस अदालतमें पेश करूंगा ।

७ यह कि जहा तक सायलको मालूम है, अभी तक किसी दूसरे शख्सने उपरोक्त स्वर्गवासी की सम्पत्तिके प्रबन्ध सम्बन्धी पत्रके लिए कोई दरखास्त नहीं दी है ।

८ इसलिये सायलकी प्रार्थना है कि—

(क) उक्त स्वर्गवासी की सम्पत्ति और ऋणके प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र जोकि के भीतर चरावर अमलमें आते रहेंगे, उस दिलाए जाय ।

(ख) दूसरी और ऐसी दादरसी दीजाय जिसे अदालत उचित समझे ।
[दस्तखत वकील] [दस्तखत सायल]

सूची (अ) और (ब) तस्दीक चंगरा जैवा कि पेज १३१४ है ।

२२ प्रोवेट या प्रबन्ध सम्बन्धी पत्रोंके लिए दीगई अर्जाकी नोटिस

सेवामें श्रीमान् कलक्टर इस तहरीरके जरिए यह नोटिस दीजाती है कि स्थान " " के जिला जज [या प्रतिनिधि] के इजलासमें स्वर्गवासी (वलियत कौमियत और सफूनत) के, जिनका तारीख माह " " सन् " " को स्थान " " में वैकुण्ठ चास होगया है, वसीयतनामा [और उस वसीयतनामाके अनुबन्ध (तितिम्मा)] के, जो [कमरा] तारीख " " माह " " सन् " " ई० [और तारीख माह " " सन् " " ई०] के हैं, प्रोवेट [या सम्पत्ति और ऋणके प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र या तारीख माह " " के वसीयतनामाके साथ नत्थी सम्पत्ति और ऋणके प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र] श्री (वालियत, कौमियत और सफूनत) को, जोकि उक्त वसीयतनामामें बतलाए गए वसी लोगामेसे एक है [या उक्त स्वर्गवासी " " के भाई और निकटस्थ कुटुम्बी है या जेसा कुछ हो,] दिलानेके लिए दरख्त दीगई है ।

["जब यह नोटिस कलक्टरके अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्तिके पास भेजी जानेको हो तो"] और यह कि तारीख " " माह " " सन् " " ई०को उक्त अर्जाकी समावतकी तारीख मुकररकी गई है और यह कि अगर आप इसका विरोध करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप उक्त अदालतमें उज्रदारी दाखिल करें ।

उस जायदादकी कुल मालियत मुबलिग " " रु० और असली मालियत " " रु० है ।

आज तारीख " " माह " " सन् " " ई० ।

वकील " " जजके दस्तखत

(५४३)

२४ बली मुकर्रर किए जानेके लिए अर्जी

[सापक जैसा न० २१ मे है]

ब अदालत जनाब जिला जन साहब मुकाम—

मारम्भिक दरखवास्त न० सन ई०
बसुबुदमा नाबालिग
सायल

(गार्जियन गेण्ड बाईस ऐम्ड सन १८९० ई० के अनुसार दरखवास्त)
उपरोक्त सायलका नीचे लिखे अनुसार निवेदन है —

१ सायल एक जमीन्दार और मौजा ... का रहने
वाला और उपरोक्त नाबालिगका बड़ा भाई है ।

२ यह कि सायलकी यह दरखवास्त है कि वह नाबालिग वन्द
सा० के जिसम ओर जायदादका बली मुकर्रर किया जाय ।

३ कूनक अनुसार जिन बातोंकी जरूरत है, वे नीचे दी जाती हैं —
(क) १ नाबालिगका नाम

२ मर्द या औरत मर्द ।

३ धर्म (मजहब) हिन्दू ।

४ जन्म तिथि ३ मार्च सन १९२७ ई० ।

५ विवाहित या अविवाहित ** अविवाहित ।

६ नाबालिग की आय सतूनत मौजा जोकि इस अदालतके अधि
कार क्षेत्रम है ।

[अगर नाबालिग विवाहित है तो, और यदि वह स्त्री जाती है तो, उसके पति
का नाम अवस्था (उम्र) और पता लिखना चाहिए, और यदि वह पुरुष है तो
इतना लिख देना चाहिए कि वह विवाहित है ।]

(ए) नाबालिग बहैसियत अपने बाप श्री के दो जीवित
लडकामेस एक लडके, बशिराकत सायलके और बपाबन्दी हकूक गुजारा ब
सतूनत अपनी मा सुसम्मात के इस अर्जीके साथ नयी सूची (अ) म
बतलाई हुई जायदाद मन कूला और गैर मनकूलाके, जो कुरीब कुरीब उक्त सूची
के खाना ३ म बतलाई गई माखियतकी है, ओर सायलके कुब्जेम हैं अभिभक्त
(गैर मुकिस्मा) बराबरक भाँडे हिस्सेके लिए हकदार है ।

(ग) नाबालिगके जो सम्बन्धी अब जीवित हैं वे ये हैं —

१ सायल जोकि उसका बड़ा भाई है ।

२ उसकी मा सुसम्मात जो मे रहती है ।

३ उसकी बहन सुसम्मात धर्म पत्नी जो म रहती है ।

४ उसका चचा जो मे रहता है ।

नाबालिगके बाप की मृत्यु तारीख माह सन्

ई० को या उसरु कुरीब हुई थी ।

(घ) अदालतने जिसी राखलको नाबालिगके जिस्म और जायदादका कोई बली मुकुर्रर नही किया है, और इस नाबालिगके जिस्म या जायदादकी बलायतकी निश्चत अभी तक इस अदालतमें कोई दरखास्त नही दी गई है।

(ङ) जो राखल बली तजवीज किया गया, वह जमीन्दार है और वि व विद्यालयकी शिक्षा प्राप्त किए हुए है तथा बी० ए० पास है। वह पुरुष श्रेणीमें नाबालिगका सबसे निकटस्थ सम्बन्धी है और उसके चार बच्चे है और अपने परिवारके साथ स्थान में रहता है। उसकी आर्थिक अवस्था अच्छी है, क्योंकि उसकी रु० धार्मिक की आय है, तथा उसका आचरण अच्छा है और वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है और उसका व्यापारी स्वभाव है, और वह नाबालिगके जिस्म और जायदादका बली मुकुर्रर किए जानेके लिए बिरकुल योग्य व्यक्ति है।

४ इसलिये सायलकी प्रार्थना है —

(क) कि वह उपरोक्त नाबालिगके जिस्म और जायदादका बली मुकुर्रर किया जाय।

(ख) यह कि बली की ओरसे दीजाने वाली जमानतकी रकम रु० निश्चित की जाय, और यह कि और उसके जमानतदार स्वीकार किए जाय।

(ग) यह कि मुबलिग रु० की रकम वास्ते नाबालिगके गुजाराके मुकुर्रर की जाय।

(घ) दूसरी और भी ऐसी दादरस्ती दीजाय जो अदालतको उचित जान पड़े।

सूची (अ)

मे कि , जोकि ऊपर बतलाया गया सायल हूँ, इस तहरीर के जरिये यह इजहार करता हूँ कि पैरा मे लिखी गई बातों में सही जानता हूँ और पैरा मे लिखी गई बातोंको अपनी सूचना और विश्वास के अनुसार सही मानता हूँ (देखो पेज १३ । १४)

मे इस तहरीरके जरिये उपरोक्त नाबालिगके जिस्म और जायदादका बली होना स्वीकार करता हूँ, चरते कि अदालत मुझे मुकुर्रर करना मुनासिब समझे।

उक्त ने श्रीयुत } दस्तखत (सायल)
(बलिदगत और सटूनत) } तारीख सन्
और श्रीयुत (बलिदगत और सटूनत) }
के सामन दस्तखत किया।

२५ वरासतके सार्टीफिकेटके लिए दरखास्त

(शीर्षक जैसा कि न० २१ म है)

बअदालत

सदरेशन सार्टीफिकेट ऐक्ट सन् १८८९ ई० के अनुसार की अर्जों ।
उपरोक्त सायलका नीचे लिखे अनुसार निवेदन है —

१ सायल एक जमीन्दार ओर स्थान का रहने वाला है ।

२ उपरोक्त की तारीख माह सन् ई०
को स्थान में जोकि, इस अदालतके अधिकार क्षेत्रमें है और जहाँ
पर कि उस समय, वह आमतौर पर रहा करता था [या स्थान में
जो कि उस समय उसका रहनेका कोई निश्चित नहीं था] मृत्यु होगई और वह
इसके साथ नथी सूची (अ) म चतलाई गई जायदादको इस अदालतके अधि
कार क्षेत्रम छोड़ गया है ।

३ यह कि सुतौफीके नीचे लिखे सम्बन्धी जीवित बचे हैं —

१ मा	वलिदयत, कौमियत और सकूनत ।	} यहा पर परिवार या सम्ब- न्धियाका पूरा व्योरा पूरे नाम ओर पता सहित और इस बातके सहित कि उनमसे हर एक के साथ सुतौफीका क्या सम्बन्ध है लिखना चाहिए ।
२ लडकी	"	
३ विधवा स्त्री	"	
४ भाई	"	
५ नाबालिग लडका	"	
६ लडका	(सायल)	

४ यह कि सुतौफीका बड़ा लडका होनेकी हैसियतसे सायल इस ऐक्टके
निमानुसार सार्टीफिकेट दिला पानेके लिए दावेदार है ।

५ उक्त सुतौफी मजहबका सूची फिर्का मुसलमान था और उस पर सक
सेशन ऐक्ट (कानून वरासत) सन् १८६५ ई० के नियम लागू नहीं होने हैं और
वह बिना कोई बलीयत लिखेही मर गया ।

६ जहातक में जानता हूँ अदालतमें अभी तक कोई भी दरखास्त सक
सेशन सार्टीफिकेट ऐक्ट सन् १८८९ ई० के अनुसार किसी सार्टीफिकेटके लिए,
या उक्त के कर्त, जमानत और रिशासतके सम्बन्धम प्रोचेंट या
प्रबन्ध सम्बन्धी पत्राके लिए नहीं दीगई है और न ऐसा सार्टीफिकेट, प्रोचेंट या
प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र दिया गया है, और दफा १ (४) क अनुसार, या उक्त ऐक्ट
अध्या किन्ही दूसरे कानूनके अनुसार उस सार्टीफिकेटके देगेम जिसके लिए कि
दरखास्त कीगई है [या, अगर अदालत उस दे दिया है तो, उसका जापज होना]
कोई रुकावट नहीं है ।

७ उन कर्तों ओर जमानता इत्यादिकी जिनके सम्बन्धम सार्टीफिकेट तलप
त्रिया गया है, तफलीक सूची (ब) म दीगई है जात्रि इसक साथ नथी है ।

८ सायलने अदालतम सार्टीफिकेटक सम्बन्धम दीजान धाया मगानिने
अदा करदी है ।

९ [किसी भी शख्सके ऊपर इस अर्जीकी नोटिस तामील करानेका इरादा नहीं है यह बात निकाल दीजायगी। अगर पैरा १० के क्लॉज़ (क) का सम्बन्ध है।]

१० इसलिये सायलकी प्रार्थना है कि—

(क) इस अर्जीकी नोटिस की तामील पर कीजाय जिनका नाम इस अर्जीके पैरा ३ में बतलाया गया है [और यह कि उसमें बतलाए हुए दूसरे लोगोंके ऊपर नोटिस रद्द कीजाय]

(ख) यह कि सक्सेशन सर्टीफिकेट ऐक्टके अनुसार उसे सर्टीफिकेटऐसा दिया जाय, जिससे उसको, कृजेके रुपये की तहसील वसूल करने और इसके साथ लगी हुई सूचीमें बतलाई, गई जमानतके ऊपर ब्याज और मुनाफाका हिस्सा लेने तथा उन्हे बच देने और मुन्तकिल कर देनेका अधिकार दिया जाय।

(ग) दूसरी ऐसी दादरसी दीजाय जो अदालतको उचित जान पड़े।

सूची (अ) मुतौफाकी जायदाद जो अदालतके अधिकार क्षेत्रके भीतर है।

सूची (ब) वह कर्जा जोकि मुतौफाकी जायदादपर धाजिव है जिसके सम्बन्धमें सर्टीफिकेटके लिए दरख्वास्त है।

(दस्तख़त)

(दस्तख़त)

सायल

वकील

मैं इस तहरीरके जरिये इजहार करता हूँ कि उपरोक्त बातें जहा तक मे

जानता हूँ सही है, सिवाय उन बातोंके जो सूचना और विश्वासके अनुसार लिखी गई है, और उन बातोंके सम्बन्धमें मुझे विश्वास है कि वे सही है।

(देखो पेज १३। १४)

(दस्तख़त-सायल)

२६ किसी पागलका वली मुकर्रर किए जानेके लिए दरख्वास्त

व अदालत जनाय जिला-जज साहब

पालगका वली मुकर्रर किए जानेके लिए दरख्वास्त।

सायल

वल्द

साकिन का यह

विनम्र निवेदन है कि —

१ सायल इस हुकमके लिए यह दरख्वास्त देता है कि इस बातको तय करने के लिए जाच कीजाय कि क्या सायलके भाई का दिमाग सही

नहीं है और इसलिये वह अपने जिसम और मालकी हिफाजत कर सकनेके नाकामिल है ?

२ यह कि अगर जांच करने पर मालूम होजाय कि ऊपर बतलाया हुआ व्यक्ति पागल है, तो सायलकी प्रार्थना है कि वह उक्त पागलके जिस्म और माल का बली मुकुरर किया जाय ।

३ यह कि उक्त पागलकी आयु " वर्ष है और वह जातिका हिन्दू है और यह कि वह इस समय सायलकी सिपुद्गीम है उसके मकानमे जो वाक्रे है जोकि इस अदालतके अधिकार क्षेत्रमे है ।

४ यह कि सायल और उस पागलकी स्त्री श्रीमती ही जोकि सायलके मकान पर रह रही है, सिर्फ उस पागलके दो नजदीकी रिश्तेदार हैं ।

५ यह कि किसी भी मुनासिब अदालतने अभी तक उक्त पागलके जिस्म और जायदादका कोई बली मुकुरर नहीं किया है ।

६ यह कि सायलका यह विश्वास है कि उसका भाई महीना सन् १९ ई० से पागल है और अपने तथा अपनी जायदादका इन्तजाम करनेके नाकाविल है ।

७ यह कि उक्त पागलकी जायदाद जिस किसमकी है, वह कहाँ पर वाक्रे है और उसकी तख्तीना मालियत क्या है, ये बातें सूची (फेहरिस्त) मे दी गई हैं जोकि इस अर्जके साथ नस्थी है ।

८ इसलिए सायलकी प्रार्थना है कि—

(क) तमाम जरूरी जांच कर लेनेके बाद वह उक्त पागलके जिस्म तथा जायदादका बली मुकुरर किया जाय ।

(ख) दूसरी ऐसी दादरस्ती दीजाय जोकि अदालतको उचित जान पड़े ।
[तस्दीक और दस्तख़त] [फेहरिस्त जायदाद]
देखो पेज १३१४

२७ ऋणीकी दरखास्त वास्ते दीवालिया करार दिए जानेके

बअदालत जनाय

सायल

१ मे (यहा पर नाम, बलिदयत, सहनत वगैरा और पता लिखना चाहिए) जोकि आमतौर पर मुकुरम मे रहता हूँ (या अपना व्यापार करता हूँ या आमदनीके लिए शरीरसे काम करता हूँ) (अदालतका नाम और उस डिक्लीकी तफसील जिसके सम्बन्धमे हुक्म दिया गया है या रुकावट डाली गई है या जिसके द्वारा कुर्कीका हुक्म दिया गया है) के हुक्मके अनुसार अपना क़जा अदा कर सक्नेमे असमर्थ होकर, यह दरखास्त देता हूँ कि मे दीवालिया करार दिया जाऊँ ।

९ [किसी भी शख्सके ऊपर इस अर्जीकी नोटिस तामील करानेका इरादा नहीं है यह बात निकाल दीजायगी। अगर पैरा १० के क्लोज (क) का सम्बन्ध है]

१० इसलिफ सायलकी प्रार्थना है कि—

(क) इस अर्जीकी नोटिस की तामील पर कीजाय जिनका नाम इस अर्जीके पैरा ३ में बतलाया गया है [और यह कि उसमें बतलाए हुए दूसरे लोगोंके ऊपर नोटिस रद्द कीजाय]

(ख) यह कि सफ़्तेशन सार्टीफ़िकेट ऐंस्टके अनुसार उले सार्टीफ़िकेटऐसा दिया जाय, जिससे उसकी, कृजेके रूपये की तहसील वसूल करने और इसके साथ लगी हुई सूचीमें बतलाई, गई जमानताके ऊपर ब्याज और मुनाफ़ाका हिस्सा लेने तथा उन्हें बच देने और मुन्तकिल कर देनेका अधिकार दिया जाय।

(ग) दूसरी ऐसी दादरसी दीजाय जो अदालतको उचित जान पड़े।
सूची (अ) मुतौफ़ीकी जायदाद जो अदालतके अधिकार क्षेत्रके भीतर है।
सूची (ब) वह कर्जा जोकि मुतौफ़ीकी जायदादपर घाजिव है जिसके सम्बन्धमें सार्टीफ़िकेटके लिफ दरखास्त है।

(दस्तख़त)
वकील

(दस्तख़त)

सायल

मैं इस तहरीरके जरिये इजहार करता हूँ कि उपरोक्त बातें जहा तक मैं जानता हूँ सही है, सिवाय उन बातोंके जो सूचना और विश्वासके अनुसार लिखी गई है, और उन बातोंके सम्बन्धमें मुझे विश्वास है कि वे सही है।

(देखो पेज १३। १४

(दस्तख़त-सायल)

२६ किसी पागलका बली मुक़रर किए जानेके लिए दरखास्त

य अदालत जराय जिला-जन साहब

पालगढ़ा बली मुक़रर किए जानेके लिए दरखास्त।

सायल

बल्द

साकिन का यह

विनम्र निवेदन है कि —

१ सायल इस हुकमके लिए यह दरखास्त देता है कि इस बातको तय करने के लिए जाच कीजाय कि क्या सायलके भाई का दिमाग सही नहीं है और इसलिफ वह अपने जिस्म और मालकी हिफ़ाजत कर सकनेके नाफ़ाबिल है ?

२ यह कि अगर जांच करने पर मालूम होजाय कि ऊपर बतलाया हुआ व्यक्ति पागल है, तो सायलकी प्रार्थना है कि वह उक्त पागलके जिस्म और मालका बड़ी मुकुरर किया जाय ।

३ यह कि उक्त पागलकी आयु वर्ष है और वह जातिका हिन्दू है और यह कि वह इस समय सायलकी सिपुर्दगीम है उसके मकानमे जो वाकै है जोकि इस अदालतक अधिकार क्षेत्रमे है ।

४ यह कि सायल और उस पागलकी स्त्री श्रीमती ही जोकि सायलके मकान पर रह रही है, सिर्फ उस पागलके दो नजदीकी रिश्तेदार है ।

५ यह कि किसी भी मुनासिब अदालतने अभी तक उक्त पागलके जिस्म और जायदादका कोई बली मुकुरर नहीं किया है ।

६ यह कि सायलका यह विश्वास है कि उसका भाई महीना सन् १९ ई० से पागल है और अपने तथा अपनी जायदादका इतजाम करनेके नाकाविल है ।

७ यह कि उक्त पागलकी जायदाद किस किसकी है, वह कहाँ पर वाकै है और उसकी तख्तीना मालियत क्या है, ये बातें सूची (फहरिस्त) मे दी गई है जोकि इस अर्जके साथ नस्थी है ।

८ इसलिये सायलकी प्रार्थना है कि—

(क) तमाम जरूरी जांच कर लेनेके बाद वह उक्त पागलके जिस्म तथा जायदादका बड़ी मुकुरर किया जाय ।

(ख) दूसरी ऐसी दादरसी दीजाय जोकि अदालतको उचित जान पड़े ।

[तस्दीक और दस्तखत

[फहरिस्त जायदाद]

देखो पेज १३।१४

२७ ऋणीकी दरखास्त वास्ते दीवालिया करार दिए जानेके

बअदालत जनाब

सायल

१ मैं (यहा पर नाम, बलिदयत, बहनत वगैरा और पता लिखना चाहिए) जोकि आमतौर पर मुकाम मे रहता हूँ (या अपना ब्यापार करता हूँ या आमदनीके लिए शरीरसे काम करता हूँ) (अदालतका नाम और उस डिफरिती तफलील जिसके सम्बन्धमे हुम्म दिया गया है या रकायट डाली गई है या जिसके द्वारा कुर्तीका हुम्म दिया गया है) व हुम्मके अनुसार अपना कजा अदा कर सज्नेमे असमर्थ होकर, यह दरखास्त देता हूँ कि मैं दीवालिया करार दिया जाऊँ ।

२ मेरे ऊपर कर्जकी रकमोंका जो कुछभी दावा है वह रु० है (यहा पर यह लिखना चाहिए कि किसी कर्जम कोई जमानत है और अगर है तो कौसी है) जैसा कि सूची (अ) में बतलाया गया है जोकि इस अर्जीके साथ नत्थी है और जिसमें मेरे कुल महाजनोंके नाम और पता, जहा तक मैं उन्हें जानता हू या पता लगा सका हू, लिखे हुए हैं ।

३ मेरी सारी जायदादकी तादाद और तफसील सूची (ब) में, जोकि इस अर्जीके साथ नत्थी है, और मेरी कुल जायदादकी, जिसमें रुपया शामिल नहीं है, और उस स्थान या उन स्थानोंकी तफसीलके, जहा पर कि वह जायदाद है, दीगई है और मैं इस तहरीरके जरिये यह इजहार करता हू कि मैं अपनी कुल ऐसी जायदाद अदालतके हुवाले कर देनेके लिए तैयार हूँ सिवाय उनके जिनमें ऐसी चीजे शामिल हैं (और मेरी हिजाबकी क्रितामें नहीं हैं) जो कानूनके अनुसार किसी डिक्लीकी इजरामें कुफे और नीलाम किए जानेसे मुस्तसना हैं ।

४ मैंने इससे पहिले कभी भी दीवालिया करार दिए जानेके लिए कोई दरखास्त नहीं दी, या, मे सूची (स) में दीवालिया करार दिए जानेके सम्बन्धमें दीगई दरखास्त या दरखास्तोंका ब्योरा देता हूँ [यहा पर लिखी जानेवाली बातोंके सम्बन्धमें देखो दीवालिया ऐक्टकी दफा १३ (१) एफ (१) (२) ।

सूची (अ) सूची (ब), सूचा (स),

(तस्दीक और दस्तखत)

देखो पेज १३, १४

२८ ज्वती आराजीके मामलेमें दावा (बंगाल)

[शीर्षक जैसा न० १ में है]

खेवामें

श्रीमान् डिपुटी कलक्टर साहब स्थान

मुकदमा न० सन् ई०

सायल वल्द साकिन का दिन

निवेदन है कि—

१ सायल उक्त खेत न० का दखीलकार काइतकार है और उक्त आराजीकी याबत उसे रु० फी बीघाके हिसाबसे श्रीयुत जमीन्दारको लगान बढ़ा करना पडता है ।

२ यह कि उक्त पेटाका क्षेत्र फठ (रकबा) बीघा कठ्ठा और फीट है और उनकी इस समय याजारू दाम रु० फी बीघा है, यह कि उक्त आराजीकी कीमतमसे जमीन्दार उस ज़मीनके साइता

मैं इस बातकी तस्दीक करता हू कि मैंने इस मुकद्दमके कागजातकी जाचकी है और यह कि मेरी रायमें ऊपर बतलाई हुई वजहें इस अपीलके लिए अच्छी वजहें हैं और उसे तैयार कर चुङ्गे पर मैं अदालत अपीलके सामने हाजिर होने और अपीलकी पैरवी करनेकी प्रतिज्ञा करता हू ।

(दस्तख़त वकील)

३१ आम मुख्तार नामा

सर्वे साधारणको विदित हो कि मैं

वयस उमर

कौम हिन्दू, परा जमीन्दार, साकिन हाल
तहसील जिला ने श्री

परगना

वयस कौम

साकिन को मेरो जगह पर और मेरे नामसे, काम करनेके लिए

अपना सच्चा और कानूनी मुख्तार नामजद किया, बनाया और नियत किया है

और इस तहसीरके जरिये नामजद करता हू, बनाता और मुकर्रर करता हू और

अपनी जगह पर और अपने बजाय काम करने के लिये नियुक्त करता हूँ और

अपना अधिकार देता हूँ कि वह जैसा कि उक्त मुख्तारको मुनासिब आर मेरे

मतलब और फायदेके लिए जान पड़े, नीचे लिखे कुछ कामांकी करे —

किसी न्यायालयमें किसी प्रकारके कुर्ज या रुपये, अधिकार, हकीयत, हिस्से, जायदाद, मामले या चीजको दिलापानेके लिए जोकि मुझे मिलना है या

वाजिबुल वसूल है या मिलनेको या वाजिबुल वसूल होनेको हा या और किसी

तरह मेरी मिलिक्रयत हो या उसी मुकद्दम या कारवाई तथा उन तमाम मुकद्दमा

या कारवाइयामें मेरी तरफसे हर अङ्गरेजी व रियासती अदालतमें हाजिर हा और

मेरी तरफसे पैरवी करे, अदालतमें दाखिल होने वाले कागजात पर मेरा नाम

वकलम अपने लिखे और तस्दीक कराए । अदालतों व सरकारी महकमास अपनी

रसीद दाखिल करके मेरा याफतनी रुपया उठाये और उस रसीदकी तस्दीक

करे । और जो कुछ कि कारवाई किसी भी मुकद्दम या मामलेमें जरूरी होकर

पच मुकर्रर करे और मती तरफसे बयान लिखाए इजहारद और अपनी तरफसे

कोई वकील आदि या मुख्तार यास किसी मामलेमें नियत कर । जो कुछ कि

कारवाई मेरे उक्त मुख्तार आमके द्वारा की जायगी वह सब ऐसी समझी जायगी

कि उसे मेने सुदकी है और उसका मैं पूरा पारद हूंगा इसलिये यह आम मुख्तार

नामा लिख दिया कि सदन रहे तारीख माह सन् १०

(दस्तख़त)

रजिस्ट्री

३ यह कि कितना जमीन न० पर चाकै इमारतकी कीमतकी बाबत असामी सिर्फ ' रु० ही पानेका हकदार है और सायल, मुभाविकेका बाकी कुल रुपया पानेका हकदार है और यह कि चूकि असामी सायलके मातहत सिर्फ एक भागीदार है इसलिए वह उस जमीनका हिस्सा पानेका हकदार नहीं है।

(दस्तखत व तस्दीक)
देखो पेज १३१४

३० याददाश्त अपील

[शीर्षक वगैरा जैसा न० १ में है]

बभदालत ननाव जिला-जज साहब

अपील

न०

सन्

ई०

...

मुद्दई अपीलाण्ट

बनाम

मुद्दाअलेह रेस्पाण्डेण्ट

उपरोक्त मुद्दई, उस डिकरीसे असन्तुष्ट होकर जो के मुसिफ साहबने तारीख ' ' को मुकद्दमा न० ' में दी है, उक्त डिकरीके विरुद्ध यह अपील पेश करना चाहता है जिसकी दूसरी घजहांमेसे कुछ घजहं ये है.—

१ यह कि नीचेकी अदालतने यह तय करनेमें, कि मुकद्दमेकी मियाद आरिज होगई है, कानूनी गलतीकी है।

२ यह कि नीचेकी अदालतको यह तय करना चाहिए था कि मुद्दई यह मुकद्दमा दायर किए जानेकी तारीखसे बारह सालके भीतर आराजी मुतनाजके ऊपर काबिज था।

३ यह कि नीचेकी अदालतको शहादतके ऊपर यह तय करना चाहिए था कि जो 'किवाला' मुद्दाअलेहने दाखिल किया है वह फरेबसे हासिल किया गया था और वह बिल्कुलही सही दस्तावेज नहीं था।

४ यह कि अदालतने उस 'किवाला' को इसा मुकद्दमेकी शहादतमें लेकर बड़ी भारी कानूनी गलती की है।

५ यह कि नीचेकी अदालतको नहीं चाहिए था कि वह तहसील-बख्शके कागजाँ और पैदाचारके ऊपर जोकि मुद्दईकी ओरसे दाखिल किए गए थे, विश्वास नकरे।

६ यह कि नीचेकी अदालतको शहादतके ऊपर यह तय करना चाहिए था जैसा कि अर्जादावामे बतलाया गया था।

७ यह कि नीचेकी अदालतका फैसला मुकद्दमेमें दीगई शहादतके प्रभावक विरुद्ध है और यह कि यह न्याय, इन्साफ और शुद्ध अन्त करणके विरुद्ध है।

(५५१)

मैं इस बातकी तस्दीक करता हूँ कि मैंने इस मुकद्दमेके कागजातकी जाचकी है और यह कि मेरी रायमें ऊपर बतलाई हुई वजह इस अपीलके लिए अच्छी वजह है और उसे तैयार कर चुकने पर मैं अदालत अपीलके सामने हाजिर होने और अपीलकी पैरवी करनेकी प्रतिज्ञा करता हूँ ।

(दस्तख़त वकील)

३१ आम मुख़्तार नामा

सर्व साधारणको विदित हो कि मैंने
कौम हि हूँ, पेशा जमीन्दार, साकिन हाळ
तहसील जिला ने श्री वल्द उमर *
साकिन को मेरी जगह पर और मेरे नामसे, काम करनेके लिए
अपना सच्चा और कानूनी मुख़्तार नामजद किया, बनाया और नियत किया है
और इस तहरीरके जरिये नामजद करता हूँ, बनाता और मुफ़रर करता हूँ और
अपनी जगह पर और अपने बजाय काम करने के लिये नियुक्त करता हूँ और
अपना अधिकार देता हूँ कि वह जैसा कि उक्त मुफ़्तारको मुनासिब और मेरे
मतलब और फ़ायदेके लिए जान पड़े, नीचे लिखे कुल कामाको करे —

फ़िसी न्यायालयमें किसी प्रकारके कर्जे या रुपये, अधिकार, हकीयत, हिस्से, जायदाद, मामले या चीजको दिलापानेके लिए जोफ़ि मुझे मिलना है या वाजिबुल वसूल है या मिलनेको या वाजिबुल वसूल होनेको है या ओर फ़िसा तरह मेरी मिलियत हो या उसी मुक़द्दमे या कार्रवाई तथा उन तमाम मुक़द्दमा या कार्रवाइयामें मेरा तरफसे हर अङ्गरेनी वरियासती अदालतमें हाजिर हो और मेरी तरफसे पैरवी करे, अदालतमें दाखिल होने वाले कागजात पर मेरा नाम वक़लम अपने लिखे और तस्दीक करावे । अदालतमें सरकारी मोहक़मास अपनी रसीद दाखिल करके मेरा याफ़तनी रुपया उठाव और उस रसीदकी तस्दीक करे । और जो कुछ कि कार्रवाई फ़िसी भी मुक़द्दम या मामलेमें जरूरी होकर पच मुफ़रर करे और मेरी तरफसे पान लिखान इजहारदे और अपनी तरफसे कोई घकील आदि या मुख़्तार म्नास किसी मामलेमें नियत करे । जो कुछ कि कार्रवाई मेरे उक्त मुख़्तार आमक द्वारा की जायगी वह सब ऐसी समझी जायगी कि उसे मेने खुदकी है और उसका मैं पूरा पारद हूँगा इसलिए यह आम मुख़्तार नामा लिख दिया कि सदन रहे तारीख़ माह सन् ई०

(दस्तख़त)

रजिस्ट्री

३२ सुखतारनामा खास

[किसी दस्तावेजकी रजिस्ट्रीके लिए]

सब साधारणको विदित हो कि मैं

वरुद साकिन कौम पेशा साकिन
 जिला का हू। रूकि मैंने एक दस्तावेज व वरुद
 कोम साकिन क लिए दिया है और रूकि उक्त दस्तावेजकी
 तफ्तील को स्वीकार करनेके लिए मैं रजिस्ट्रिङ्ग अफसर स्थान के सामने
 खय हाजिर होसूनेमें असमर्थ हू इसलिये मेरे लिए यह आवश्यक होगया है कि
 उपरोक्त तफ्तील और तस्दीक करनेके लिए मैं किसी शख्सको अपना मुख्तार
 मुकर्रर करू। और इसलिये मैं उक्त दस्तावेजकी रजिस्ट्री कराने के लिए
 और उस दस्तावेजकी तफ्तील को मजूर करनेके लिए श्रीयुत वरुद
 कौम साकिन पेशा को अपना मुख्तार मुकर्रर किया है,
 कि वह मेरे नामसे और मेरी ओरसे उक्त दस्तावेजको मुनासिब रजिस्ट्रिङ्ग अफ
 सर मुक़ाम के सामने रजिस्ट्रीके धारते पेश करे और मेरी ओरसे उक्त
 दस्तावेज की तफ्तीलको तस्तीम करे।

तारीख

(दस्तखत)

नोट—ऐसे मुख्तारनामा रजिस्ट्री होना चाहिये।

३३ पट्टा (बगाल)

भाज तारीख माह सन् १९ ई० को श्री

(जोकि इसमें भागे चल कर पट्टा देहन्दाके नामसे सम्बोधित किए गए है)
 तथा श्री (जोकि भागे चल कर पट्टादार बड़े गए है) के बीच
 इकरारनामा हुआ, जिसके जतियेसे पट्टा देहन्दाके वह कुल इंटसे बना हुआ पट्टा
 मकान या दूजेली मय उन कुल बाहरी मकानों, गोदामों, अस्तबलों, गाडी खानों
 तथा तमाम दूसरी सब सम्बन्ध रखने वाली चीजों और तमाम इकूक, इकूक
 अनायश और रिवायतोंको, जोकि उनसे सम्बन्ध रखती है और जो * * * पर
 राह के अन्दर बाके ह [पट्टा रकूवा और इहूद गरया
 लिखना चाहिए,] तारीख माह सन् १९ ई० से सालाना मिनाद
 पट्टेदारी पर और रु० सालानाके किरायेपर जोकि सिर्फ हर मसूनेकी
 पाचमी तारीखको या उससे पहिले अदा किया जायगा उठा देने का इकरार
 किया और पट्टेदारने उसे लेने का इकरार किया, और पट्टेदार इस तहरीरके
 जतिये पट्टा देहन्दाके तिये नीचे लिखा इकरार करता हू —

१ यह कि ऊपर बतलाए हुए दिनों और तरीके पर उक्त लगान (किराया)
 और रकम अदा करता रहेगा।

२ उक्त मकान और जगहमें एक ठीक और ऐसे तरीके से रहने रउग और

३४ हिवानामा (दानपत्र)

मैं कि ... वल्द ... कौम ...
 साकिन जिला का हूँ। चूंकि
 मुसम्मी को मैंने परवरिश किया था और उसने
 अपने समस्त जीवन कालमें बहुत ही सच्चाई, ईमानदारी तथा शुभचिन्तकताके
 साथ मेरी सेवा की और मुझे हरप्रकारसे खुश रखा। तीन वर्ष व्यतीत हुए, जब
 कि उसका देहान्त हो गया था। उसका पुत्र मुसम्मी भी
 बहुतही सच्चाई और नेकनीयतीके साथ मेरी खिदमत करता है। अतएव मे इस
 विचारसे कि मुसम्मी मेरे परवरिश किये हुए,
 एक निहायत ईमानदार नौकरका पुत्र है और स्वयं भी अपने पिताके समान ही,
 मेरी सेवा करता रहा है, मैं अपनी स्वतंत्र इच्छासे, खुशीके साथ, ठीक दोसहवास
 में प्रतिज्ञा करता हूँ और लिख देता हूँ कि कुल जायदाद स्थावर तथा जड़म
 यगरा मुफ्स्सिल जैल उसको द्वावा करदी, और भाजसे उस रियासतसे अपना
 अधिकार निकालकर, उसका कुब्जा मालिकाना करा दिया और अपने समान
 अधिकार दे दिया।

भविष्यमें मुझे अपने जीवनकालमें तथा मेरे चारिस्तोंको मेरी मृत्युके पश्चात
 उक्त जायदाद पर कोई अधिकार या दावा न होगा।

तफ्सील जायदाद जो हिवा कीगई
 स्थावर क्रीमती
 जड़म वाकै
 ता० माद सन्
 दस्तखत हिवा करने वाले के वल्द
 कौम .. साकिन गवाह ..
 गवाह

३५ वयनामा

मैं कि वल्द कौम
 उमर साकिन जिला का हूँ जोकि
 एक मंजिल हवेली पुख्ता जिसकी लम्बाई गज चौड़ाई
 गज रकबा, जिसके अन्दर पूरबकी ओर पश्चिम
 की ओर उत्तर की ओर दक्षिण की
 ओर है जिसकी चौड़ाई पूर्वमें पश्चिम
 उत्तरमें दक्षिणमें
 न० वाकै में है जो कि मेरी
 मौलसी जायदाद है और मेरे पूर्वजों द्वारा खरीदी और बनवाई गई है तयामें
 बिना किसीकी शिरकत उसपर काबिज हूँ अब मैंने उक्त हवेलीको, अपनी स्वस्थ

अवस्थामें, स्वतंत्र इच्छा, ठीक होसहवासके साथ, बिना किसी प्रकारके प्रलोभन या दबावके, बएवज हजार रुपये सिक्केके चेहरेदार मचलित, जिसके आधे हजार होते हैं श्रीमान् . साकिन वल्द कौम जिला के हाथ

बेच दिया, तथा वय सम्बन्धी समस्त रूपया उक्त खरीदारसे प्राप्त कर लिया और मात्र ता० माह सन् से उक्त हवेली तथा तत्सम्बन्धी जमीनपर खरीदारको अपने समान अधिकार तथा कब्जा दे दिया । अब मुझको या मेरे वारिसोंको रेहन या वयके विषयमें कोई अधिकार बाकी न रहा । यदि कोई हिस्सेदार या शरीक उक्त हवेलीपर किसी प्रकार का दावा करे, तो उसका उत्तरदायित्व मुझ वय करनेवाले पर होगा, और यदि किसी कारणसे उक्त हवेलीका कुछ हिस्सा या कुछ भाग निकल जाये, तो खरीदारको यह अधिकार होगा, कि वह अपनी वय सम्बन्धी रकम मय सूद

फौसदीके हिस्सासे मुझ बेचनेवाले की स्थावर तथा जड़म जायदादसे नियमानुसार वसूल करले । अतएव यह वयनामा मय गवाहान् हाशिया के लिप्य दिया कि सनद् रहे और आचक्षुषकता पर काम आये । इसके अतिरिक्त एक किता दस्तावेज जो मेरे पूर्वजों के समय की मेरे पास थी खरीदारको दे दिया । ता० माह सन्

दस्तख़त वय करनेवाले के वल्द साकिन
 ग० १ ग० २ ग० ३

३६ रेहननामा

मे कि वल्द जिला परगना जिला के फ़ोम साकिन
 का हूँ । जोकि मौजा परगना जिला के हिस्सेका अधिकारी हूँ और मे बिना किसीकी गिरफ्त, व दखलके क़ाबिज़ हूँ तथा उसकी आमदनीसे लाभ उठाता हूँ अब बिना किसीके दबाव, अपनी स्वतंत्र इच्छासे ठीक होसहवासमें उक्त अपने अधिकार जमींदारीको मय समस्त अधिकार दाख़िगी व ख़ारजी अर्थात् आराजी मजरूआ व गैर मजरूआ बज़र व ऊसर, पोखर व तालाब व कुयेपक्के घ कच्चे घ बागात घ वृक्ष सुदरा व भावादी, जड़ठ घ ढाक व रकूमत सवाई तथा उक्त जमींदारी सम्बन्धी हरप्रकार फी आमदनीके बएवज हजार जिसके आधे हजार सिक्के मचलित इस समय होते हैं पास श्रीमान् वल्द कौम साकिन परगना जिला क रेहन क्रिया व गिरवी रखा तथा तमाम रेहननामा सम्बन्धी रूपया मुरतद्दिनसे नक़द एकमुश्त

प्राप्त कर, उक्त जमींदारी हो अपने अधिकारमें निकल कर ता० माह सन् से मुरतद्दिनके अधिकार व कब्जेमें मुरतद्दिनी विभाग द्वारा दे दिया और अपनी मिस्लजात कायममुकाम बना दिया आजसे मेरी मिस्लजातके उक्त रेहनशुदा जमींदारीके वाचत मुरतद्दिन को हर प्रकारका अधिकार हासिल है, जिन प्रकार चाहे उससे लाभ उठाये। उक्त रेहनशुदा जमींदारीकी आमदनी, रकम रेहनके सूदमें मोजरा होती रहेगी। अतएव न मुझ राहिन को मुनाफा पैदावार जमींदारी और न मुरतद्दिनको जर रेहनके सूदका इस रेहननामके अस्तित्व तक दावा होगा, जब चाहुं जररेहन परमुश्त अदा करके इनफिकाक रेहन करवा लू, किन्तु बिना जररेहन पर मुश्त अदा किये हुए इनफिकाक रेहन न होगा, और जबतक कुछ रकम न अदा हो जायगा रेहन शुदा जायदाद को किसी दूसरी जगह परिवर्तित करनेका अधिकार न होगा, और यदि कोजायगा, तो वह परिवर्तन नाचायज समझा जायगा। मैं इस जायदादका दाखिल खारिज करवा दूंगा, यदि दाखिल खारिज न करवाऊ, या जायदाद मरहूना कुल, या उसका कुछ हिस्सा किसी बजहसे मेरे या मेरे धारिताके अधिकारसे निकल जाय, तो मुरतद्दिनको अधिकार रहे कि वह अपना कुल छपया मय सूद दर के हिसाबसे मेरी कुल दूसरी जायदाद स्थावर व जद्दमसे नियमावुसार वसूल करले। यदि रेहन शुदा जायदादके सम्बन्धमें कोई सहीम या शरीक किसी प्रकारका दावा करे तो मैं उसका उत्तरदायी हूंगा। अतएव यह रेहननामा दखली लिख दिया कि सनद रहे और आवश्यकता पर काम आवे।

	ता०	माह	सन्
दस्तखत राहिनके	वल्द-	कौम	साफिन
ग०	ग० २	ग० ३	

३७ इक्करनामा

मैं कि वल्द कौम
 साफिन जिला
 का हूँ जो कि रुपये जिनके आधे होते हैं पास श्रीमान्
 साफिन वल्द कौम
 से नकद पेशगी लेता हूँ और
 प्रतिज्ञा करता हूँ कि तीन माहके अन्दर चार खेमे मय सब सामान तय्यार करके
 फा रोमा रुपयेके हिस्साबसे देदूंगा, यदि निरत समयके अन्दर
 इक्करनामके अनुमार खेमे तय्यार करके न देदू तो उक्त रकम मय दो रुपये
 सैकडे सूद माहानाके, बिना किसी उज्र या हीला हथालाके अदा करूंगा यदि रोमे
 मय कुल सामानके नियत समयके अन्दर तय्यार करके देदूंगा तो दोष रकम

पहिमाय फी तन्वु ले श्मा । अतएव यद् यद्गणनामा चराहादत गता
हान् लिख दिया कि सनद २६ बीर समय पर फाम नाये ।

ता० मादके सन
दस्त नृत इकगरनामा लिखनेवाले के
ग० ग० ग०

३८ वसीयतनामा

मैं कि जिला धरद मानित

के अपनी मौतके बाद अपनी जायदादक त्रिभे यह अगिरी वसायतनामा
छिपता हू । मैं इस वसायतनामेक जरिये इस जिले वसायत करता हूँ —

१ मैं अपने पुत्रा

• गो अपने वसीयतनामेका तामीळ कुनिन्दा और दूस्ती मुहरर करता हूँ ।
औरपल १ करता हूँ कि यह तन्नाम दूष्ट और अधिकार जो कि मेरे इन तामीळ
कुनिन्दाओं और दूस्तियां हो दागई है उनक धारिखा और दरवारिखा को हासिल
होती रहेगी ।

२ मैं अपने तामीळ कुनिन्दां और दूस्तियां हो हुक्म देता हूँ कि वे मेरी
जायदादसे सबस पहिले मेरे वाजिजुल अदा कज और वसीयतनामेके मुगालिकक
बाख्शजात अदा करे और रुपया मेरी अन्देष्टि
क्रिया और धाद्रम रुचं किये जाय ।

३ मैं अपनी प्यारी पत्नी श्रीमती को साढ़े

तीन फीसदी सुदक गवतमेष्ट प्रामिजिरी नोट कीमती
रुपये क देता हूँ वे मेरी मौतके छ महीनेके अन्दर विलकृत अदा कर दिये जाय ।
मैं अपनी उक्त पत्नी श्रीमती को अपना मकान सहनती
न० सड़क शहर चम्पई को सिरु उलकी जिन्दगी
भरके त्रिभे देता हूँ । मैं उले वह तमाम जवाहिरात और सोने तथा चादीके जेवरात
भी जिसे वह इस्तेमाल करती रही है वसीयत करता हूँ ।

• ३ मैं इस वसीयतनामेके द्वारा अपना व्यवसाय जो के
नामस चरता रदा दे और जिसका म पूर्ण अधिकारी हूँ अ व स द और य
पुत्राको जो मेरे प्रथम द्वितीय तृतीय, चतुर्थ और पंचम पुत्र हैं समान हिस्से पर
देता हूँ । उक्त पांचो पुत्राको मैं अपनी तमाम पैतृक जायदाद और मेरी स्वयं
उपाजित रियासत, जो कि जिला और मैं
वाक है और चार फीसदी सुदके गवतमेष्ट प्रामिजिरी नोट भी कीमती
रुपये तम सशक्त मेरा गृहस्थी सम्पत्ती तन्तुय, सामान और सम-
स्त स्थावर तथा जड़म जायदाद, जिसका कि मैं मालिक हूँ या जो मेरे अधिकार
में है वसीयत करता हूँ ।

५ मैं इस वसीयतनामैके द्वारा अपनी दो पुत्रियों श्रीमती

और श्रीमती

को पाचू हजार

रुपये नकद देता हूँ, वे उन
महीनेके अन्दर देदिये जाय।

को मेरी मृत्युके दो

६ मैं अपने तामील कुनिन्दो को हुक्म देता हूँ कि वे मेरा उक्त पत्नी श्रीमती
को उन तमाम चीजोंके अतिरिक्त जो मने
उत्ते इस वसीयतनामैके द्वारा दिया है चालीस रुपया मासिक उसके व्यक्तिगत
खर्चके लिये ताहयात देते रहें।

७ मैं अपने तामील कुनिन्दो को यह भी हुक्म देता हूँ, कि वे तीन फीसदी
सूदके मेरे गवर्नमेण्ट प्रामिजिरी नोट, कीमतों हजार
अलाहिदा करदे और उसके सूदसे दुर्गापूजाका सालाना खर्च चलायें, तथा अपने
इष्ट देव श्रीगङ्गारजी की दैनिक सेवाका प्रबन्ध रखें।

(वसीयत कताके दस्तखत)

निम्न सज्जनोंकी उपस्थितमें तस्दीक किया गया —

१
२
३

... } गवाह

३९ तकसीमनामा

हम कि

व

बन्द

कीम

पेशा

साकिन

परगना

जिला

के है जो कि मौजा के मय बागात व मकानात वगैरा, जो

इस मौजेमे वाके है विला फ़िलीकी शरकत व अधिकारके हम काबिज
व पूर्ण अधिकारी है अब हमने अपनी रजामन्दी, निश्चित सम्मति तथा ठीक होस
हवासम समयानुसार भविष्यके लिये यह उचित समझा है कि उक्त मौजेकी
जमाबन्दी व मसल व बंदोबस्तके अनुसार दो मुद्दाल करलें तथा स्थावर व जङ्गम
सम्पत्ति को दो समान भागोंमें विभाजित कर, हम दोनों नीचेकी सूचियोंके अनु
सार बाट लिया और अपने अपने भाग पर अधिकार कर लिया है। आगामी वर्ष
सन् ले सरकारी आमदनी-अट्टग अलग अदा किया करेंगे, और इस
बदवारेका एक एक फर्द हम दोनोंके पास मौजूद रहेगी। इस बदवारेके अनुसार
फलकटरी विभागमें अर्जी देकर, दोनों मुद्दालोंकी पृथक खर्चें तदपार करा कर

जमावन्दी बलम बलम करादी जावगी । भविष्यमें हमें या हमारे वारिसोंको इस तकसीमनामके विरुद्ध किसी प्रकारकी शिकायत न होगी, और न इसकी राताके विरुद्ध किसी प्रकारकी समावत होसकगी । अतएव यह तकसीमनामा मय राहादत गवाहान हागिया, इसलिये सुरन्तिव हुआ कि खनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे ।

दस्तखत तफ्सीम कुनिदा।

ग०

ग०

४० ख़ास किस्मका वयनामा

जब किसी वारिसको जायदाद पानेका हक पैदा हो जाय और वह निर्धनताके कारण अदालतमें नालिश न कर सके और अपने हकका कोई हिस्सा किसीको इस मतलबसे बय करदे कि वह मुकदमेके खर्चके बदले जीतने पर उतना हिस्सा ले लें ऐसा वयनामा बहुत मुश्किल होता है और बहुत समझ बूझ कर लिखा जाता है । हम नीचे ऐसेही एक वयनामेकी नकल देते हैं जिमे नामी और गम्भीर एवं धुरंधर वकीलोंने श्रीमान् सेठ जगन्नाथ चिरंजिलाल गोइन्दकाके हकमें लिखा था । आपको इससे अपने मामलेमें बहुत मदद मिलेगी

हम कि छनू व रामचरन व भैर्यालाल पिसराण फकीरे चौधरी व राम-सेवक पिसर तुलसीदास नवीरा फकीरे अक़बाम वैश्य साकिनान जैतपुर परगना कुल पदाड जि० हमीरपुर वजरिये इस तहरीरके इस्व जेल इकरार करते हैं और लिपे देते हैं ।

१ यह कि अयोध्या प्रसाद हम मुफ़िरानका रिश्तेदार क़रीबी इस्व शिजरा जैल था । अयोध्या प्रसाद मजकूरने नर्सा हुआ कि जायदाद माठियती क़बीर छोड़कर वफ़ात पाई । अयोध्या प्रसाद मजकूर अपने भाई नवानी प्रसाद और उसकी मौलादसे अलददा और मुन्किस्म थे, और जुड़ावन ताख़रा भाई अयोध्या प्रसादका लाघलद वहवात अयोध्या प्रसाद क़ात हो चुका था ।

२ यह कि अयोध्या प्रसादने व वक्त वफ़ात अपने, अलावा दीगर जायदादके जायदाद जिमीदरी क़बीर उल मालियत छोडी । तमाम जायदाद मतक़का अयोध्या प्रसाद पर व समूठ जायदाद जमीदारी मजकूर, उसकी बेवा मुसम्नात

साईं घरासतन मालिक व काबिज हीन हयाती व अफ्तारात महदूद हुई। मुसलमान साईं भी एक अनां हुना फौत होगई और उसकी घफात पर मुसलमान ललता बाईं दुखतर अयोध्या प्रसाद मांसूक घरासतन मालिक व काबिज हीन हयाती जायदाद मतरूका अयोध्या प्रसाद की व रामूठ जायदाद जिमीदारी मजहूरके व अखत्यागत महदूद हुई और मिल एवज कर्जा याफतनी अयोध्या प्रसाद चन्द हिस्सा जिमीदारी मुसलमान ललता बाईंने खरीद जिथे वह भी जुम जायदाद मतरूका अयोध्या प्रसाद हांगये।

३ यह कि अयोध्या प्रसादके एक लड़का मुसलमानी कल्लू या जो कि बहयात आगे बाप अयोध्या प्रसादके फौत होगया। कल्लू ने व चन्द वफात आगे दी ये बगान यानी मुसलमान लाली और सलोनी और एक लकड़ा नथू छोडा। बादहु नथू भी हयात अयोध्या प्रसादमे लायदद फौत होगया और जुठ नर्स बाद मुसलमान लाली बेग्या कल्लू फौत हुई मुसलमान सलोनी बेग्या कल्लूकी घ वजह इसके कि उसका शीहर बहयात उसकी सूनाके फौत होगया व कोई हक जायदाद मतरूका अयोध्या प्रसादमे नहीं पडुचा। अयोध्या प्रसाद ने बाद घफात कल्लू महज बगज दिलजोई, बेग्या कल्लू का नाम चन्द मवाचियात पर दर्ज कर दिया व लेफिन फिटवाक मालिक वा काबिज कुल जायदादका तजदा अयोध्या प्रसाद रडा और बाद उसकी वफातके मुसलमान साईं और बाद हु मुसलमान ललता बाईं व हक हीन हयाती जायदाद मतरूका अयोध्या प्रसाद पर वशमूठ उस जायदादके जो अयोध्या प्रसादके मतरूकेसे खरीदा गई थी काबिज रही।

४ यह कि बाद वफात मुसलमान साईंके तब कि ललता बाईं जायदाद पिदरी पर हीन हयाती घ अखत्यारात महदूद घरासतन मालिक व काबिज भी, मुसलमान सलोनी व ललता बाईं दुखतर अयोध्या प्रसादने व सागिश तातिया प्रसाद दामाद मु- ललता बाईंके, यह जाहिर जिथा कि मुसलमान सलोनी बेग्या कल्लूने मुसलमानी स्वामी प्रसाद पिनर तातिया प्रसादको हस्त इजाजत शौहरी गोद लिया। और यह किस्सा गोदका ओलाद भयानी प्रसादको, जो कि पारिल मवाद राते ये महदूम करनेकी गरजसे अफना किया गया और इस मामलेमे मुसलमानी फकीरे को भी शामिल इस तरीकेसे कर लिया कि एक पञ्चायतनामा फर्मा व साजिगी तहरीर कराया गया जिन्की रूसे मिन जुमले जायदाद जिमीदारी मतरूका अयोध्या प्रसाद के जमीदारी मुन्दजे फेदरिस्त (अलिफ) घ (बे) मुसलमान जैठ मे बकदर एक सुलमके फकीरे को दिलाया गया और बकीया दो सुलम जायदाद मजहूरका मालिक रघ मी प्रसाद करार दिया गया। और जो जायदाद फेदरिस्त नम्बर (जीम) में दर्ज है और जो वजिये दो किना हेवा नाम जातने मोनख ता २० अगस्त सन् १८९० ई० और दोयमी मोनख ता ११ सितम्बर १८९० ई० के मुसलमान सलोनी ने बहक तातिया प्रसाद दिवा करदी थी उसकी निस्वत यह करार पाया कि वह जायदाद बहदस्तूर मोहूब भठेह मोसूक के कब्जेमे रहेगी।

(५) यह कि जिसका तबनिपत स्वामीप्रसादका महज्ज गलत और के बुद्धि पाद था और फिज्जाके स्वामीप्रसादको मुसम्मात सलोनीने कभी अपने शोहर मुसम्मी करदूके लिये गोद नही लिया और अगर व फज मुहाल स्वामीप्रसाद हो मुसम्मात सलोनी अपने शोहर मुसम्मी करदूके लिये गोद लेती तो तबनिपत मज्जूर रास्वन् व कानून नानायज होती । लेकिन वावजूद इन तमाम उमूरके मामलेमे रगत देवकी गरजसे एक गोदनामा भी फर्जी ता० १३ मई सन् १९०९ ई० यागी जिल रोज पचापतनामा लिखा गया तद्वरीर करा लिया गया ।

(६) यह कि मुसम्मी भगवानगाम गल्द पारने नादिश नम्बरी ३०३ सन् १९१० ई० व अदालत सचचन पहादु जिला बादा पाचत इस्तकरार इन उमूरके दायरकी कि यह करार दिया जावे —

(अलिक) स्वामीप्रसाद हो मुसम्मात सलोनीने कभी गो नही लिया और तबनिपत जिम्का निरु तबनिपतनामा मीरुले १३ मई सन् १९०९ ई० म है, फिज्जाके कभी अगलम गदी भाई अगर अगर इस किस्मकी तबनिपत फिल गार्के अमलमे जाती, तो वह रास्वन् व कानून नानायज होती और स्वामी प्रसाद मज्जूरको ताई उरु मतलु का अयाध्याप्रसाद मुन्दज केदरिस्त (अलिक) व (घ) म नही पहुँचा ।

(बे) तबनिपतनामा व फेसला मालिखी मीरुले १३ मई सन् १९०९ ई० व मुफ्फारिजे जादाद मुन्दजे केदरिस्त (अलिक) (बे) व (जीम) वाद वफात मुसम्मात ललताबाई व राजायज व गैर मुअस्सर करार दी जाये और इस्तकरार इस अम्रका फरमाया जाये कि स्वामीप्रसाद व तातियाप्रसादका कोई इक जायदाद मज्जूरै वालाम वनरिये नस्तावेजात मज्जूरैनेके नही है । नादिश मज्जूर अदालत इन्तदाइस कानून तुनियाद पर खारिज हा गई जिसकी अपील अदालतुल्लुआलिया हाईकोर्ट इलाहाबाद म निन्जानिच भगवानदास मौसूफ दायर हुई और अदालतुल्लुआलिया हाईकोर्टसे फरमाया अदालत मातहतका मसूफ दीकर दायी भगवानदान जिल इस्तदुआय दादरखीके साथ दायर हुआ था डिक्री होगया । यानी हरदो दादरखी हाय इस्तकरारया मज्जूरै वालाकी डिक्री सादिर हागई ।

(७) यह कि व ताराजी फेसला अदालत हाईकोर्टके अपील निन्जानिच स्वामीप्रसाद व तातियाप्रसादक अदालत प्रिजीफासिलरम दायर हुआ और वहासे फेसला अदालतुल्लुआलिया हाईकोर्ट इलाहाबाद पहाल रहा सिफ इस कदर तमीम फेसला हाईकोर्ट मज्जूरम अदालत प्रिजीफासिलरकी जि जो डिक्री इस्तकरारिया अदालतुल्लुआलिया हाईकोर्ट इलाहाबादने सादिरकी है उमका निफाज दरमियान मुद्द और मुद्दाअलेडम न० ८ लगायत ११ के एक जानिच व दीगर मुद्दाअतेहमके दूसरी जानिच महदूद रहेगा । और इन दीगर मुद्दाअले हमके हुकूक वादमी पर इत डिक्री न कोई असर न होगा ।

(८) यह कि जिसका तबनिपत अदालत आखिरी यानी प्रिजीफासिलरसे गलत करार पा चुका है तबनिपतनामा व पचापतनामा मज्जूरै वाला भी

नाजागज और गैरमुअस्नर व मुकाबिले हकूक हमसुकिरानके करार पाचुके हैं और यह तय हो चुका है कि स्वामीप्रसाद या तातिगप्रसादका कोई हक जायदाद मतरूका अयोध्याप्रसाद मजकूर बालामे नहीं है।

(९) यह कि मुसम्मात ललताबाईने बतारीख ३ नवम्बर सन् १९१८ ई० मुताबिक कातिक बंदी अमावस्या सम्बन्ध १९७५ वि० वफात पाई। उसकी वफात पर मुसम्मी फकीरे जो कि उस वक्त हयात था बईसियत करीबतरी वारिसमा बाद अयोध्याप्रसादके मालिक व काबिज कुल जायदाद जमीदारी मतरूका अयोध्याप्रसादका हुआ।

(१०) यह कि फकीरे करीब एक साल बाद वफात ललताबाईके फौत होगया। और उसकी वफात पर उसके पिसरान् मुसम्मियान छन्नू व रामचरन व भैयालाल व तुलसीदास व बरालत अपने आपके मालिक जायदाद मतरूका अयोध्याप्रसादके हुए और ह। बादहू मुसम्मी तुलसीदासने अपने पिसर राम सेवक हो छोड़कर वफात पाई अच हम मुकिरान नम्बर १ लगायत ४ मालिक जायदाद मजकूरके हैं।

(११) यह कि बचजह हमके कि, जिन वक्त पचायतनामा तहरीर हुआ मुसम्मी फकीरे मजकूरको कोई हक फिलधाके जायदाद मजकूरमे हासिल नहीं हुआ था बल्कि उसको महज कान्टेनजेन्ट इन्टरेस्ट (Contingent Interest) बईसियत रिवर्जनर (Reversioner) के हासिल था जो कि कानूनन् मुतकिल किसी विनइसे नहीं हो सकता या न उस कान्टेनजेन्ट इन्टरेस्ट (Contingent Interest) से दस्तबरदारी शास्त्रन् व कानूनन् हो सकती थी। चुनाव फकीरे मजकूरके पचायतनामामे शरीक होने या किसी जुज कान्टेनजेन्ट इन्टरेस्ट (Contingent Interest) के दस्तबरदार होनेसे किसी किसमका जगल उसके उन हुकूक बरासतको शास्त्रन् व कानूनन् नहीं पहुचा जो कि वद वफात मुसम्मात ललताबाईके उसको बईसियत करीबतरी वारिस माबाद अयोध्याप्रसादके हासिल हुआ यानी शास्त्रन् व कानूनन् वही मालिक जायदाद मतरूका अयोध्याप्रसादका बाद वफात मुसम्मात ललताबाईके हुआ।

(१२) यह कि जायदाद मजकूर पर मुसम्मी स्वामीप्रसाद व तातिया प्रसाद बिला किनी इम्तदफाके नाजायज तौर पर काबिज हैं और हम मुकिरानका हक तस्लीम नहीं करते हैं और न बाबजूद मुतवातिर तफाजाके जायदाद पर कब्जा हम मुकिरानको देन पर रजामन्द होते हैं।

लिहाजा हम मुकिरानको बजुज अदालतमे नालिश दापर करनेके और कोई चाराकार अपनी हकुरखी और जायदाद पर मालिकाना कब्जा हासिल करनेके लिये नजर नहीं आता। मगर बइकिस्मतसे हम मुकिरानको इस कदर इस्तेइताअत नहीं है कि अदालती तसहेकात बरदारत कर सके और न हम मुकिरानको कोई ऐसा राहल है जो पैरवी माकूल मुकद्दमाकी कर सके, चुनाव हम मुकिरान व हम तताशमे रहे कि कोई ऐसा गठब मित्र जाये जो फज देने पर आमदा हो जाय चुनाव हम मुकिरानको अकसर लोगास इस्तदुआ इम्दादकी

मगर कोई शकल कर्ना देने पर आमादा नहीं हुआ। अखिरजात मुकुन्दमेके लिये फरद इतार रुपये दरकार हांग और इस कदर मिलना हम मुक्तिरानको गैर मुमकिन है मगर हम मुक्तिरानकी मिन्नत और समाजत जमानपर और हम लोगोंकी बकसी और इकतएका पर लिहाज करके कि हम अराख्तास मुतहकफ की जायदादको गैरमुस्त हक लोग लिये लेते हैं और अगर इस तरीकते चन्द साल और गुजर गये तो हम मुक्तिरानका हक कर्ना जायल हो जायेगा और जायदादके अक्षयास गैर मुतहकफ मालिक हा जायग सेठ जगन्नाथ प्रसाद चन्द सेठ सागर मल हीम वैश्य गोइन्दना मालिक फर्म हरकिशन दास मंगल चन्द हरपालपुर साकिन हाल हरपालपुर कुन्देलचण्ट एजेन्सी ठमाग इस्त दुआको मंजूर करके कि विष्क जायदाद गतहकफा अयोध्या प्रसाद जिन पर इस उक्त थिला इस्त हकफ स्वामी प्रसाद और तातिरा प्रसाद काजिज है हम मुक्तिरान उनके हकफ घय फरके राखे अपनी नातिगका कर और अपनी बक्रीया जायदादको हासिल करे उन्हाने विष्क जायदादका घय लेना मंजूर कर लिया है चुनाच यह तय पाया कि हकफत जमादारा मुदजे मुशर जैल चण्डज सुवर्गिग दस हजार रुपये (१००००) क चदस्त सेठ जगन्नाथ प्रसाद मौसूफक हम मुक्तिरान घय करदेव और चूकि सेठ सादय मौसूफको जायदाद सुवैरगकी बायत सुद भी चारा जोई अदाकती करना हागो इसलिये अलाग जर सम्मन मजहूरके, उन्हाने हम मुक्तिरानकी तरफले भी परती व काशिया करना हम मुक्तिरानकी इस्त दुआ पर मजूर कर लिया है। चूनि यह वेदतारा तरीहा व तदवार हम मुक्तिरानकी हक रसीकी है लिहाजा व दुम्स्ना हाग व हागन अपने चरुथी व टातिर व चरजा व रगचत सुद हम मुक्तिरानके जजिये त्स्तावेज हाजा हकीयत जिमीदारी हाय मुन्दज व मुशरद जठ ममलूका अपनेको मिय आगजी सीर व सुद कादत व रागात व मफागात व जमई ताल्लुकात थिला इस्त सनाय किसी राय व हकके व एवज सुवर्गिग दस हजार रुपये (१००००) के चदस्त सेठ जगन्नाथ प्रसाद चन्द सेठ सागर मजजी हीम वैश्य गोइन्दना मालिक फर्म हरकिशन दास मंगल चन्द साकिन हाल हरपालपुरके हस्व शरायत जैल घय कतई कर दिया और बच हागा।

१ यह कि जर सम्मन तमाम व जमाठ हस्व तकलील जैठ मुदतरी मौसूफ स घसूठ पालिना हाजत तदवार रखीद अलददा गदी है। अगच यह जर सम्मन पैनामा हातापुगी कामत बाजारीसे क्रम है लेगिन चूकि हम मुक्तिरान जायदाद मुसैठा पर गैर काजिज है और कोई शकल बाजारम इस कदर कीमत पर भी घय लेने पर तदवार गदी हो सहाता और ग है और चूकि हम मुक्तिरानक मुकुन्दमेम मुतरीकी पैरी व कोशिय व तकलीफका मायजा भी शामिल है लिहाजा व लिहाज हा जुमला हालत मजहूर शरायत दस्तावेज हाजाक हम बायत कुल मामला चरुथी समझ कर इस कदर जर सम्मन व तापून व पावन्दी शरायत दस्तावेज हाजाका भी मुआविजा नकरी व कीमत बाजबी जायदाद

मुद्रैय्या व रचुगी व खातिम सजूर क्रिया है। आइन्दा पागत तादाद् जम् सम्मन या वसूल पाने जर सम्मनके हम मुकिरान या बरलाप या कायम मुकामान हम मुकिरान किसी किसमका उज्रया हुजत करे तो घातिल और नाम स्मूअ होगा।

२ यह कि मिन जुमले जर सम्मन दस्तावेज हाजाव मुवलिग दस हजार रूपये (१००००) मुश्तरी मौसूफके पास वास्ते अखराजात नाखिरा हम मुकिरान छोड़ा गया है जिसमेसे हम मुकिरान थक्तन् फवक्तन बाबत खर्चा नालिश अज अदालत इस्तदायी ता अदालतलु अलिया मिवी काउन्सिल व सीगे नम्बरी या इजराय डिफरी या हुसूल दखल और फार्वाई इन्दराज नाम अदालत माल हम मुकिरानको जरूरत होगी, इससे खर्चास्टाम्प व अदाय मेहनताना वकलाय व वेरिस्टरान व खर्चा शहादत व तनखवाह मुखतार व पैरोकारान दीगर अखराजात मुताअल्लिक मुकद्दमा बजरिये मुश्तरी मौसूफक करते रहेगे, और जो रुपया बाबत खर्चाक मुश्तरी मौसूफसे चुर्च करायेंगे या जो खर्चा बगैर हाजिरी हम मुकिरान जरूरत आये, नाखिरा या अपीलकी किसी पैरवीके मुताअल्लिक वसे मुश्तरी सुद करेंगे और करते रहेगे वह जुमला अखराजात ख्वाह मुश्तरीने रसीद हासिलकी हो या न की हा जायज व काबिल मुजरई हागे और हम मुकिरान या बरसाय या कायम मुकामान हम मुकिरानको कोई उज्र किसी किसमका या कोई हीलाव हुजत अदाय अखराजातके मुताअल्लिक जायज व काबिल समाभत न होगा।

३ यह जि जिस कदर रुपया वास्ते अखराजात मुकद्दमाके मुश्तरीके पास छोड़ा गया है उसमेसे निजाय अखराजात मुकद्दमा जिसको मुश्तरी मुनासिब नमझेगे और किसी जाती खर्च या अखराजातके लिए किसी जुजके लेनेका हम मुकिरानको अख्तयार न होगा और अगर बाद अखराजात मुकद्दमाके मिन जुमले अर मजूरके कुल पसदाज होगा, तो जब तक मुकद्दमा मिवा कौन्सिल से कतई तौर पर मुआफिक हम मुकिरानके कैसल न हा जावेगा और मुश्तरीको दखल जायदाद मुद्रैय्या पर न मिल जावेगा और उसका नाम दाखिल काग जात मालमे न हा जायगा, उस रकमके वापिस पाने या तलब करनेका हम मुकिरान या बरसाय या कायम मुकामान हम मुकिरानको अख्तयार न होगा। अगर अखराजात मुकद्दमा उस रकमसे जायद हीं जो हम मुकिरानने मुश्तरीके पास छोडी है ता यह बात मुश्तरी पर भवनी होगी कि जायद खर्च जिस कदर जरूरी हा अधिक करे और जो खर्चा फरीफ्तानीस वसूल हा उसमेसे आधा हिस्सा मुश्तरी ओर आधा हिस्सा हम मुकिरान ले लेग। और मुश्तरी मौसूफको यह भी अख्तयार होगा कि हम मुकिरान अगर बगरज मुहाल, अदालत इस्तदाई से या अनातुल आलिया हाईकोर्टसे ना कामयाब हीं ता जब तक उन वकलाओ व पैरोकारके जिन्हांने हमारी तरफसे पैरवी की हो व मशावरे लायक वकलाय यह राय न हा कि मुकद्दमा काबिल अपील हाईकोर्ट या मिवी कौन्सिलक है, जैसेकि सूरत हो, और उम्मेद सर सब्जीकी न हा, तो महज हमारी इस्तदुआ पर खर्चा अपील अदालत हाईकोर्ट या मिवा कौन्सिल न करे और पेसी सूरतमें हम

मुक्तिरान मुश्तदक तलगी या गायत्री किसी जुज वाकी भांदा रकम खर्चा, मजहूरव जो मुश्तरीके पास है दा है न दामे ।

(४) यह कि चकि हम मुक्तिरान इस वक्त दखल जायदाद मुयेंद्या पर मुश्तरी को देने से कानिरहै और मुश्तरी को चिदू नालिश उदखल जायदाद मुयेंद्या पर नहीं मित्रेगा इमलिये मुकदमेदर हजार रुपया (१००००) वावत खर्चा नालिश दखलवावी ताबनाल अदालत मराफिया आला व हजारय डिफरी व दाखिल वारिज मुश्तरी के जर सम्मन मे मुजरा दिया गया है और मुश्तरी को, अखतपार है कि जिस तरीके पर चाहे उसको सर्फ करे हम मुक्तिरान को कोई हक उनके मुताबलिकह हिस्साव समझने या वापस पाने का न हागा । और शत यह है कि मिनजुमले हम रकम के जो वावत खर्चा नालिश मुश्तरीके मुजरा दीगई है मुश्तरी को वावत खर्चा नालिश मजहूर के वजरिये अदालत फरीफन से वसूल होगा उस रकम से आधा मुश्तरी और आधा हम मुक्तिरान वाद कतई कैसला मुकदमा अदालत आखीर और वाद दखलवावी जायदाद मुयेंद्या के जसी सुरत आखीर प्रकै हा लेत्रेग ।

५ यह कि वावत खर्चा नालिश मुश्तरी अगर उस रकम से जायद खर्चा हो जो रकम हस्य शत चहाहम जर सम्मन से मुजरा की गइई तो उस रकम जायद की वावत जिम्मेदारी हम मुक्तिरान पर न होगा । उसको मुश्तरी घरदाइत करेगा ।

६ यह कि अगर हम मुक्तिरान और मुश्तरी को नालिश जुदागानान हो और दो ता एक ही नालिश म मुद्दई हा तो भी मुश्तरी जिम्मेदार रसदी खर्चा का हागा और वह रसदी खर्चा उस रकम से जो हस्य शत चहाहम मुजरा दीगई है अदा का जायगो, और बकीया खर्चा उस रकम से जो गानत खर्चा नालिश हम मुक्तिरान उस्व शत दायम मुश्तरी के पास छोडा गया है अदा हागा । और जो खर्चा फरीक खानी से वसूल हागा वह आधा मुश्तरी और आधा हम मुक्तिरान लेत्रेग ।

७ यह कि वग ज मुद्दाल अगर हम मुक्तिरान या मुश्तरी अपनी नालिश या नालिश रात मे अदालत मराफिया आला से नाकाम याव हो या व द ना काम यावी अदालत इन्तदायी या अदालतुल आलिया हाईकोर्ट या मिची कौनसिल मे हस्य मशा, विरे बकलाय अपील न किया जाना फरार दिया जाय तो हम मुक्तिरान मुश्तदक पाने किसी जुज वाकी भांदा खर्चा के हस्य शरायत मजकूरैवाडा न हांगे और न मुश्तरी मुद्दहक वाप नी किसी जुज जर सम्मन अदा शुदा या पाने किसी हरजाका हम मुक्तिरान से होगा । और दर सुरत ना कामयावी मुकदमा खर्चा फरीक खानी जो हम मुक्तिरानके जिम्मे हो मुश्तरीके जिम्मे रहेगा ।

८ यह कि अगर ऐसी सुरत पैश भाये कि हम मुक्तिरान अपनी नालिश म कामयाव हा और मुश्तरी किसी मुस कानूनी या वाक्याती की वनेह से ना कामयाव रहे तो हम मुक्तिरान देने न जिम्मेदार, अपनी जातव जायदाद से कुल खर्चा हस्य शरायत मुन्दर्जे गाल, जो कुल मि उस वक्त तक हा चुका हा मुश्तरी के हांगे और अगर हम मुक्तिरान मसे किसी एक या जिन क जारये से व वनेह गफरत या तसफिया या साजिस या फरेष या मरत बथानी मुश्तरी मौसुफ को मुकसान पहुच या अह मुकदमे से ना कामयाव रहे तो अदालत हा शरुस

या जिनके ज़रिये से ऐसा हुआ हो अपनी जात और जायदाद से कुछ चर्चा व शरायत मुन्दज गला जो कुछ उन वक्त तक हा चुका हो मुश्तरी क देने जिम्मेदार हांग ।

९ यह कि हम मुक्तिगन पैन्नी अपने मुकदमे की मुश्तरी की सलाह व म विरा से करेगे हम मुक्तिगन को यह अख्तियार न होगा कि फीक सनी से तस्कीया या राजा नामा या दस्तवरदारी विला मरात्रिरे व सलाह और इजद रजामन्दी सराही मुश्तरी के हंगे । दर सू त विलाफ रजाई इस शत के जो कु नुकसान या चर्चा वगेरा मुश्तरी को पहुँचे तो उस कुल हाजा व तुक़्सा वगैरा के हम मुक्तिगन जिम्मेदरा देनेके हांग और मुश्तरी भी विला हम मुक्तिगन के कोई तस्कीया या राजानामा या दस्तवरदारी मुकदमा व हक हम मुक्तिगन कर सकेगा ।

१० यह कि हम मुक्तिगन मालिक कतई जायदाद मुवैय्या के हैं और हम मुक्तिगन को हर तरह का अख्तियार इन्तज़ाल उसकी वाचत हानिल है और सिवाय हम मुक्तिगन के कोई गरीब या हिस्सेदार जायदाद में नहीं आज की तारीख से जुमला हरक मालिकाना वाचत जायदाद मुवय्या मिनजानिव हम मुक्तिगन वहक मुश्तरी मु तर्फ़क हांगये आर मुश्तरी मिसल हमारे जाय दाद मुवैय्या का मालिक क मिले वला सारा क गरी दो गया और उसको अख्तियार है कि उइतहक़ाक़ मिठकियत अपने कब्ज़ा जायदाद मुवैय्या पर हासिल करे और अपना नाम मालिकाना दर्ज कराये और उसका मुताफ़ा और मंडासिल स मुतमन्नब हाये और जुमला अफ़आल व अख़राज त मालिकाना मिसल मालिक मुतर्फ़के अमल में लाये और हम मुक्तिगन मुश्तरी के हुसूल देखल जायदाद मुवैय्या व हुसूल मुताफ़ा या वासलात में हर तरह की कोशिश व इन्दाद करेगे और जो जो दस्तावेज़ या तहदीर या दरख़ोस्त क़िला किस्म की तहदीर या तर्कमोल या पेश करना या बयान करना लिखाना या कामजात या दस्तावेज़ पेश करना और जो कार्रवाही क नूनन् वास्ते तकमाल हक़ व हुकूक मिलिकियत मुश्तरी वहुसूल कब्ज़ा जायदाद मुवैय्या या हुसूल मुताफ़ा या वासलात जायदाद मुवैय्या व मुता -लिठक़ दाखिल खारिज वगैरा के मिनजा निव हम मुक्तिगन को करना जरूरी होगा वह सब कार्रवाई हम मुक्तिगन विला कि भी उज़्र हुजत के अमज़ मे ठ वगे और लाते रहेंगे ।

११ यह कि व पा म्दा जुमला शरायत दस्तावेज़ हाजा की हम मुक्तिगन व वरसाये व कायम मुकामान व मुतक़िल अलेह हम मुक्तिगन और मुश्तरी वउसके वरसाय व कायम मुकामान् व मुतक़िल अलह पर हांगे । इस लिये यह वगामा व इस्तसनाय उस जायदाद व जो फ़रार को मिठ चुकी है और जिस पर उसकी औलाद काबिज़ व देखीक़ है वाकी जायदाद मतरूका अवोभ्यामसाद व समूल उस जायदाद जो अवोभ्यामसाद के मरने क बाद उसक मतरूके से खरीदी गई, वक़दर निस्क़ हिसा व तरीक़ उपनामा का मिठके लिखदिया कि सन्द रहे ।

ता ३ जनवरी १९०५ वक़लम शिजिग़ खानदानी रजिस्टरा और तस्दीक

कोर्ट फीस ऐक्ट

नं० ७ सन १८७० ई०

शिड्यूल न० १

नोट—अदालतोंमें नाशिश करनेके लिये कोर्टफीसकी राशद सन् १९२७ ई० में नीचे लिखे अनुसार है। यह सन्देश न काजिये कि ऐक्ट सन् १८७० ई० का है और एन सन्धय चड मसूख दाग हा दागा। पहले प्रान्तीय सरकारान इस ऐक्टम परिवर्तन किया था और गरह कोर्ट फीस कुछ बढ़ा दी थी पर कुछ ही समयक बाद मसूख कर दी।

जय कि तादाद या फीमत ना शिश इसमें ज्यादा हो	लेजिन इस से ज्यादा न हो।	कोर्टफीस लगगा	जय कि तादाद या फीमत ना शिश इसमें ज्यादा हो	लेजिन इस से ज्यादा न हो	कोर्ट फीस लगगा
रु०	रु०	रु० आ०	रु०	रु०	रु० आ०
	५	० ६	८५	९०	६ १२
५	१०	० १०	९०	९५	७ २
१०	१५	१ ०	९५	१००	७ ८
१५	२०	१ ८	१००	११०	८ ४
२०	२५	१ १४	११०	१२०	९ ०
२५	३०	२ ४	१२०	१३०	९ १२
३०	३५	२ १०	१३०	१४०	१० ८
३५	४०	३ ०	१४०	१५०	११ ४
४०	४५	३ ६	१५०	१६०	१२ ०
४५	५०	३ १०	१६०	१७०	१० १२
५०	५५	४ २	१७०	१८०	१३ ८
५५	६०	४ ८	१८०	१९०	१४ ४
६०	६५	४ १४	१९०	२००	१५
६५	७०	५ ४	२००	२१०	१५ १२
७०	७५	५ १०	२१०	२२०	१६ ८
७५	८०	६ ०	२२०	२३०	१७ ४
८०	८५	६ ६	२३०	२४०	१८ ०

जब क्रि तादाद या कीमत ना- लिश सखे ज्यादा हो			जब क्रि तादाद या कीमत ना लिश इससे ज्यादा ही		
लेखिन इस से ज्यादा न हो	कोर्ट फीस लगेगा	लेखिन इस से ज्यादा न हो	कोर्ट फीस लगेगा		
रु०	रु०	रु०	रु०		
२४०	१८ १२	५४०	४१ ४		
२५०	१९ ८	५५०	४२ ०		
२६०	२० ४	५६०	४२ १२		
२७०	२१ ०	५७०	४३ ८		
२८०	२१ १२	५८०	४४ ४		
२९०	२२ ८	५९०	४५ ०		
३००	२३ ४	६००	४५ १२		
३१०	२४ ०	६१०	४६ ८		
३२०	२४ १२	६२०	४७ ४		
३३०	२५ ८	६३०	४८ ०		
३४०	२६ ४	६४०	४८ १२		
३५०	२७ ०	६५०	४९ ८		
३६०	२७ १२	६६०	५० ४		
३७०	२८ ८	६७०	५१ ०		
३८०	२९ ४	६८०	५१ १२		
३९०	३० ०	६९०	५२ ८		
४००	३० १२	७००	५३ ४		
४१०	३१ ८	७१०	५४ ०		
४२०	३२ ४	७२०	५४ १२		
४३०	३३ ०	७३०	५५ ८		
४४०	३३ १२	७४०	५६ ४		
४५०	३४ ८	७५०	५७ ०		
४६०	३५ ४	७६०	५७ १२		
४७०	३६ ०	७७०	५८ ८		
४८०	३६ १२	७८०	५९ ४		
४९०	३७ ८	७९०	६० ०		
५००	३८ ४	८००	६० १२		
५१०	३९ ०	८१०	६१ ८		
५२०	३९ १२	८२०	६२ ४		
५३०	४० ८	८३०	६३ ०		
		८४०	६३ १२		

जय कि
तादाद या
कीमत ना
लिखा इससे
ज्यादा हो

लेकिन इस
से ज्यादा
न हो

कोर्ट फीस
लगेगी

जय कि
तादाद या
कीमत ना-
लिखा इससे
ज्यादा हो

लेकिन इस
से ज्यादा
न हो

कोर्ट फीस
लगेगी

रु०	रु०	रु० भा०
६,७५०	७ ०००	३५५ ०
७,०००	७,२५०	३६५ ०
७,२५०	७,५००	३७५ ०
७,५००	७,७५०	३८५ ०
७,७५०	८ ०००	३९५ ०
८,०००	८,२५०	४ ५ ०
८,२५०	८,५००	४१५ ०
८,५००	८,७५०	४२५ ०
८,७५०	९,०००	४३५ ०
९,०००	९,२५०	४४५ ०
९,२५०	९,५००	४५५ ०
९,५००	९,७५०	४६५ ०
९,७५०	१०,०००	४७५ ०
१०,०००	१०,५००	४९० ०
१०,५००	११,०००	५०५ ०
११,०००	११,५००	५२० ०
११,५००	१२,०००	५३५ ०
१२,०००	१२,५००	५५० ०
१२,५००	१३,०००	५६५ ०
१३,०००	१३,५००	५८० ०
१३,५००	१४ ०००	५९५ ०
१४,०००	१४,५००	६१० ०
१४,५००	१५,०००	६२५ ०
१५,०००	१५,५००	६४० ०
१५,५००	१६,०००	६५५ ०
१६ ०००	१६,५००	६७० ०
१६,५००	१७ ०००	६८५ ०
१७,०००	१७,५००	७ ० ०
१७,५००	१८,०००	७१५ ०
१८,०००	१८,५००	७३० ०

रु०	रु०	रु० भा०
१८,५००	१९,०००	७४५ ०
१९,०००	१९,५००	७६० ०
१९,५००	२०,०००	७७५ ०
२०,०००	२१,०००	७९५ ०
२१,०००	२२,०००	८१५ ०
२२,०००	२३,०००	८३५ ०
२३,०००	२४ ०००	८५५ ०
२४,०००	२५,०००	८७५ ०
२५,०००	२६,०००	८९५ ०
२६,०००	२७,०००	९१५ ०
२७,०००	२८ ०००	९३५ ०
२८,०००	२९,०००	९५५ ०
२९,०००	३०,०००	९७५ ०
३०,०००	३२,०००	९९५ ०
३२,०००	३४,०००	१ ०१५ ०
३४,०००	३६,०००	१,०३५ ०
३६,०००	३८,०००	१,०५५ ०
३८,०००	४०,०००	१,०७५ ०
४०,०००	४२,०००	१,०९५ ०
४२,०००	४४ ०००	१ ११५ ०
४४,०००	४६,०००	१,१३५ ०
४६,०००	४८,०००	१,१५५ ०
४८,०००	५०,०००	१,१७५ ०
५०,०००	५५,०००	१,२०० ०
५५,०००	६०,०००	१,२२५ ०
६०,०००	६५,०००	१,२५० ०
६५,०००	७०,०००	१,२७५ ०
७०,०००	७५,०००	१,३०० ०
७५,०००	८०,०००	१,३२५ ०
८०,०००	८५,०००	१,३५० ०
८५,०००	९०,०००	१,३७५ ०

जब कि तादाद या कीमत ना- लिश इससे ज्यादा हो

लेकिन इस से ज्यादा न हो

कोटे फीस लगोगी

रु०	रु०	रु० भा०
९०,०००	९५,०००	१,४०० ०
९५,०००	१,००,०००	१,४२५ ०
१,००,०००	१,०५,०००	१,४५० ०
१,०५,०००	१,१०,०००	१,४७५ ०
१,१०,०००	१,१५,०००	१,५०० ०
१,१५,०००	१,२०,०००	१,५२५ ०
१,२०,०००	१,२५,०००	१,५५० ०
१,२५,०००	१,३०,०००	१,५७५ ०
१,३०,०००	१,३५,०००	१,६०० ०
१,३५,०००	१,४०,०००	१,६२५ ०
१,४०,०००	१,४५,०००	१,६५० ०
१,४५,०००	१,५०,०००	१,६७५ ०
१,५०,०००	१,५५,०००	१,७०० ०
१,५५,०००	१,६०,०००	१,७२५ ०
१,६०,०००	१,६५,०००	१,७५० ०
१,६५,०००	१,७०,०००	१,७७५ ०
१,७०,०००	१,७५,०००	१,८०० ०
१,७५,०००	१,८०,०००	१,८२५ ०
१,८०,०००	१,८५,०००	१,८५० ०
१,८५,०००	१,९०,०००	१,८७५ ०
१,९०,०००	१,९५,०००	१,९०० ०
१,९५,०००	२,००,०००	१,९२५ ०
२,००,०००	२,०५,०००	१,९५० ०
२,०५,०००	२,१०,०००	१,९७५ ०
२,१०,०००	२,१५,०००	२,००० ०
२,१५,०००	२,२०,०००	२,०२५ ०
२,२०,०००	२,२५,०००	२,०५० ०
२,२५,०००	२,३०,०००	२,०७५ ०
२,३०,०००	२,३५,०००	२,१०० ०
२,३५,०००	२,४०,०००	२,१२५ ०
२,४०,०००	२,४५,०००	२,१५० ०
२,४५,०००	२,५०,०००	२,१७५ ०
२,५०,०००	२,५५,०००	२,२०० ०

जब कि तादाद या कीमत ना- लिश इससे ज्यादा हो

लेकिन इस से ज्यादा न हो

कोटे फीस लगोगी

रु०	रु०	रु० भा०
२,५५,०००	२,६०,०००	२,२२५ ०
२,६०,०००	२,६५,०००	२,२५० ०
२,६५,०००	२,७०,०००	२,२७५ ०
२,७०,०००	२,७५,०००	२,३०० ०
२,७५,०००	२,८०,०००	२,३२५ ०
२,८०,०००	२,८५,०००	२,३५० ०
२,८५,०००	२,९०,०००	२,३७५ ०
२,९०,०००	२,९५,०००	२,४०० ०
२,९५,०००	३,००,०००	२,४२५ ०
३,००,०००	३,०५,०००	२,४५० ०
३,०५,०००	३,१०,०००	२,४७५ ०
३,१०,०००	३,१५,०००	२,५०० ०
३,१५,०००	३,२०,०००	२,५२५ ०
३,२०,०००	३,२५,०००	२,५५० ०
३,२५,०००	३,३०,०००	२,५७५ ०
३,३०,०००	३,३५,०००	२,६०० ०
३,३५,०००	३,४०,०००	२,६२५ ०
३,४०,०००	३,४५,०००	२,६५० ०
३,४५,०००	३,५०,०००	२,६७५ ०
३,५०,०००	३,५५,०००	२,७०० ०
३,५५,०००	३,६०,०००	२,७२५ ०
३,६०,०००	३,६५,०००	२,७५० ०
३,६५,०००	३,७०,०००	२,७७५ ०
३,७०,०००	३,७५,०००	२,८०० ०
३,७५,०००	३,८०,०००	२,८२५ ०
३,८०,०००	३,८५,०००	२,८५० ०
३,८५,०००	३,९०,०००	२,८७५ ०
३,९०,०००	३,९५,०००	२,९०० ०
३,९५,०००	४,००,०००	२,९२५ ०
४,००,०००	४,०५,०००	२,९५० ०
४,०५,०००	४,१०,०००	२,९७५ ०
४,१०,०००	४,१५,०००	३,००० ०
४,१५,०००	४,२०,०००	३,०२५ ०
४,२०,०००	४,२५,०००	३,०५० ०
४,२५,०००	४,२९,०००	३,०७५ ०
४,२९,०००	४,३०,०००	३,००० ०

(५७३)

संयुक्त प्रान्तकी दीवानी अदालतमें नकल और तलवाना
आदिमें लगानेवाली फीसें ।

सिविल जनरलरूत्स ता० ३१ जनवरी सन १९२७ई०
तक सशोधित

नकलोंकी फीसें

कागजकी किस्म जिसकी नकल लेना है	द्वैकोर्टम		जज खफीफाकी अदालतमें		अन्य सब अदालतमें	
	जरूरी	मामूली	जरूरी	मामूली	जरूरी	मामूली
दिकरी	३)	१॥)	१॥)	॥)	२॥)	१)
तजवीज़ या अन्य कागज	४)	२)	१॥)	॥)	२॥)	१)

तलबाना आदिको फीसें

किरम फीस	भादाकत जनी और सब जनी	मुत्सफी व खफीका जव जव कि २००० रु० से मालियत जगदा १ हो	मुत्सफी व खफीका जव कि मालियत ५०० रु० से जगदा न हो	हाईकोर्ट
१ तलबाना सुदाअलेह	चार तक २॥) जायद फी सुदाअलेह ॥=) मज-मूई १२॥)	चार तक १) जायद फी सुदाअलेह १-) मजमूई ६॥)	दो तक ॥=) जायद फी सुदाअलेह ३-) मजमूई ४)	चार तक ३) जायद फी सुदाअलेह ॥) मजमूई १५)
२ तलबाना गगदान	चार तक २॥) जायद फी गगदा ॥=) १)	चार तक १) जायद फी गगदा १-) १)	फी गगदा १-) ॥=)	चार गगदा तक ३) जायद फी गगदा ॥) मजमूयी ४)
३ हुम्म कुर्को	एक मौजा के लिये १) जायद फी मौजा २) मजमूई १५)	एक मौजा के लिये ४) जायद फी मौजा १) मजमूई ७)	एक मौजा के लिये २) जायद फी मौजा ॥) मजमूयी ३)	+ +
४ फीस कुर्को	३॥) फी मदपून । जव मदपून तिरासतम हो तो १=) फी चपरासी ६) फी सदी	२॥) फी मदपून ६) फी सदी	१) फी मदपून ६) फी सदी	५) फी मदपून
५ चारण्ट गिरफ्तारी	१)	२)	॥=)	+ +
६ नौलामके सम्बन्धमें	१)	२)	॥=)	+ +
७ हरु सरगार	जैसा कि १०४ फीस है जैसा कि १०१ फीस है १)	जैसा कि १०४ फीस है जैसा कि १०१ फीस है १)	जैसा कि १०४ फीस है जैसा कि १०१ फीस है ॥=)	+ +
८ हुम्म नौलाम	जैसा कि १०४ फीस है जैसा कि १०१ फीस है १)	जैसा कि १०४ फीस है जैसा कि १०१ फीस है १)	जैसा कि १०४ फीस है जैसा कि १०१ फीस है ॥=)	+ +
९ दफ्तलकी फीस	जैसा कि १०४ फीस है जैसा कि १०१ फीस है १)	जैसा कि १०४ फीस है जैसा कि १०१ फीस है १)	जैसा कि १०४ फीस है जैसा कि १०१ फीस है ॥=)	+ +
१० तलबाना जरूरी	जैसा कि १०४ फीस है जैसा कि १०१ फीस है १)	जैसा कि १०४ फीस है जैसा कि १०१ फीस है १)	जैसा कि १०४ फीस है जैसा कि १०१ फीस है ॥=)	+ +

दस्तावेजों पर स्टाम्प

इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट नं० २ सन् १८६१ ई०
के अनुसार छपनेके समय तकके
संशोधनों सहित

आवश्यक दस्तावेजोंका सारास

स्टाम्प

१ कर्ज स्वीकार करने वाला दस्तावेज

एक आना

जब रकम बीस रुपयेसे अधिक हो, लिखा गया हो या सही किया गया हो, या किसी दूसरेकी भांरस हो या कर्नेदार द्वारा इस प्रकारके कर्जकी शर्तवतक लिये किसी किताबम (जो पैकर्स पास बुकके अतिरिक्त हो) या किसी अलाहिदा कागज पर जब इस प्रकार का कागज या किताब महाजनके अधिकारम रहती हो, नियम यह है कि इस प्रकारकी स्वाकृतिम कर्ज अदा करनेकी किसी प्रकारकी प्रतिज्ञा, या सूद अदा करनेकी कोई शर्त, या कोई माल या अन्य जायदाद देनेकी बात न हो।

नोट—इ अलतल्लय क्काके लिये रेटो नं० ४९

२ एडमिनिस्ट्रेशन बॉन्ड (Administration Bond) इसम इण्डियन सक्सेशन ऐक्ट १८६५ की दफा २५६ के अनुसार चाण्ड गवर्नमेण्ट सेविग बैंकस एक्ट १८७२ की दफा ६ के अनुसार चाण्ड, प्रोपेट और एडमिनिस्ट्रेशन ऐक्ट १८८१ का दफा ७८ के अनुसार चाण्ड और सक्सेशन सर्टिफिकेट ऐक्ट १८८९ की दफा ९ या १० के अनुसार चाण्ड शामिल है।

(ए) जब कि रकम २०००) से अधिक न हो

वही स्टाम्पजो

चाण्ड १०१५

म इसी रकम

पर लगता है।

(बी) जिस अन्य सूत्रम

पाच रुपये

३ दत्तक पत्र (Adoption deed) यानी कोई नस्तावेज (वसीय दस्तरूपये तनामेके अतिरिक्त) जो गोदके सम्बन्धम लिखा गया हो या जिम्मेके द्वारा गोद लेनेका अधिकार दिया गया है या अधिकार देनेकी इच्छा प्रगट की गई हो।

४ हलफनामा

एक रुपया

जिसमें कि ऐसे व्यक्तियोंकी स्वीकृति या घोषणा भी शामिल है जो कानून द्वारा प्रजाप हलफ लेनेके स्वीकार करने या घोषणा करनेके अधिकारी हैं।

अपवाद

जब तद्विरी हलफनामा या घोषणापत्रलिखा गया हो—

(ए) इण्डियन आर्टिचिक्स आफ वारके अनुसार घतौर भर्तों के शर्तके

(बी) फौरन ही फायल करनेके निमित्त या किसी अदालतमें इस्तेमाल किये जानेके निमित्त या किसी अदालतके सामने पेश किये जानेके लिये या

(सी) किसी भादमीको किसी पेशन या खैराती पलाउन्सके पानेके अभिप्रायके लिये।

५ इफरानामा या याददाश्त इफरानामा

(ए) यदि हुण्डीकी चिक्रीका वर्णन हो

दो आना

(बी) यदि गर्जनमेण्ट सेक्पूरिटी या किसी इनकार पोरेटेड सेक्पूरिटीया

कम्पनी या अन्य कारपोरेट सस्थाके हिस्सोंकी चिक्रीका वर्णन हा

हिस्सेके प्रत्येक

१००००)या

उसके अशोपर

एक आना, और

अधिसेअधिक

दस रुपय।

(सी) जिनके लिये कोई अन्य नियम न हो

आठ आना।

अपवाद

इफरानामा या याददाश्त इफरानामा

(ए) केवल माल या तिनारती सामानकी चिक्रीके लिये या उसके वर्णनके सम्बन्धमें, किंतु ऐसे रुकके या याददाश्त न हा, जिनपर आर्टिचिक्स ४३ के अनुसार स्टाम्प लगना चाहिये।

(बी) गर्जनमेण्ट आफ इण्डियाके पास टेण्डरकी सूरतमें किसी फुजके लिये या उसके सम्बन्धमें पेश किये गये हों

(सी) यूरोपियन वेगेंसी ऐक्ट १८७४ की दफा १७ के अनुसार लिखे हुए।

अधिकार पत्र (Titledeed) के जमा करने या गिरवी रखनेके सम्बन्धमें इफरानामा।

(५७७)

(ए) यदि घट रकम तट्टा करने पर या दस्तावेजके तीन माह बहायस्थापनो के बाद अदाकी जानी हो

हुई निस्तम रम
(न० १३वीं)
में हे प्राप्त
हुई रकम पर

(बी) यदि घट रकम दस्तावेजके तीन माहके अन्दर अदाकी उत्तर रकमका जानी हो ।

आधानो हुई
(न० १३वीं)
में हे प्राप्ती
हुई रकम पर

७ किसी अधिकारकी तामील पर नियुक्ति चाहे ट्रेस्टीजकी हो या स्थावर या जड़म जायदादकी, जब तदरीर द्वारा, जो बखीयतनामा न हो, की गई हो ।

८ तखमीना कीमतकी हूत

किसी मुकदमेके दौरानमें किसी अदावतके हुकमके अतिरिक्त

(ए) जब रकम १०००) से अधिक न हो

वही स्थापनो
वाण्ड(न० १५)
में इस रकमके
लिये नियत है।

(बी) अन्य सूत्रमें

पाच रुपया

अपवाद

(ए) जब तखमीना केवल एक फरीकके लिये किया गया हो, और फरीकोंके लिये उसके माननेकी किसी प्रकार विपशता न हो

(बी) फसलका अन्दाज जमींदारको लगान देनेके निमित्त

९ दस्तावेज उम्मीदगारी

पाच रुपया

१० आर्टिक्लिज आफ एशोशियेशन आफ ए कम्पनी

पच्चीसरुपया

११ आर्टिक्लिज आफ कटकशिय

दो सौपचास
रुपया

१२ कैसला साविरी

(ए) जब रकम १०००) से अधिक न हो

वही स्थापनो जो
वाण्ड(न० १५)
इस रकमके लिये
नियत है।

(बी) अन्य सूत्रमें

पाच रुपये

अपवाद

बम्बई डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपैल पेक्ट १८७३की दफा ८१ के अनुसार फैसला सालिशो या बम्बई डिपरटिमेंटरी नाफिस पेक्ट १८७४ की दफा १८ के अनुसार फैसला सालिशो ।

१३ हुण्डी (Bill of exchange) [जिस प्रकार दफा २ (२) ओर (३) में बताई गई है) जो कि चान्ड, बैंक नोट या करसी नोट न हो

(ए) जब तलब क्रिये जानेपर इन्डुल तलब (On demand) एक आना अदाकी जायेको हो

(बी) जब तलबी पर अदाई यदि अकेली यदि दो सयोंमें यदि तीन सेटम (यानी आनडेमाण्ड) से अन्य हो, लिखी गई हो लिखी गई हो लिखी गई है किंतु तारीख या मिलनेसे एकसाल से अधिक की न हो तो सेटके प्रत्येक भागके लिये तो सेटके प्रत्येक भागके लिये

	रु०	रु०	रु०
जब हुण्डी या नोटकी रफ्त अधिक नहो	२००)से ३)	=)	-)
जब वह ६०२००)से अधिक हो किंतु अधिक नहो ४००)से १०)	=)	=)	=)
„ ४००)	६००)से ११-)	१-)	=)
„ ६००)	८००)से १११)	१=)	१)
„ ८००)	१०००)से १११३)	११)	१-)
„ १०००)	१२००)से १=)	११-)	१=)
„ १२००)	१६००)से १११)	१११)	११)
„ १६००)	२५००)से २१)	१=)	१११)
„ २५००)	५०००)से ४११)	२१)	१११)
„ ५०००)	७५००)से ६१११)	३=)	२१)
„ ७५००)	१००००)से ९)	४११)	३)
„ १००००)	१५०००)से १३११)	६१११)	४११)
„ १५०००)	२००००)से १८)	९)	६)
„ २००००)	२५०००)से २२११)	१११)	७११)
„ २५०००)	३००००)से २७)	१३११)	९)
३००००) के ऊपर हर १००००) या उसके			
खिसी भाग पर	९)	४११)	३)

(सी) जब तारीख या मिलनेके एक साल बाद अदाकरनाहो वही स्थापको

बाण्ड (न० १५

में उत्तरकूपपर

लगता है ।

१४ जहाजके मालकी विल्टी		चार भागा
१५ दस्तावेज (Bond) तमस्तुक		दो भागा
जब रकम जो ली गई है १०) से अधिक न हो	५०) से	चार भागा
जब वह १०) से अधिक हो किन्तु अधिक न हो	१००)से	आठ भागा
” ५०)	”	एक रुपये
” १००)	”	१६० आ०
” २००)	”	दो रुपये
” ३००)	”	२६० आ०
” ४००)	”	तीन रुपये
” ५००)	”	३६० आ०
” ६००)	”	चार रुपये
” ७००)	”	४६० आ०
” ८००)	”	पाच रुपये
” ९००)	”	

१०००)रुपयेके ऊपर प्रत्येक ५००)रुपये या उसके किसी भागकेलिये, २६० आ० जाने

देखो—इकारनामा पद्धतमाम तरका (Administration Bond) (न० २), चाटमरी बाण्ड (न० १६), फस्टम बाण्ड (न० २६) इण्डेमेन्टी बाण्ड (न० ३६) रेसिपण्डेण्डिया बाण्ड (न० ५६) जमानतनामा (न० ५७) सक्कुरिटा बाण्ड ।

अपवाद

दस्तावेज जब कि लिया गया हो

(ए) मुखिया द्वारा, जो कि बगार प्रीगेगार रेन्ड १८७६ की दफा ९९ के अनुसार मुखियाके उचित कर्तव्योंक पूर्ण करनेके लिये नियत किया हा ।

(बी) किसी व्यक्ति द्वारा बगरज गारण्टी इल क्रायक कि स्थानीय मामदनी जो कि प्रायेट चन्द्रे द्वारा, किसी धमाध दमाखाने या अस्पताल या सार्वजनिक लाभके किसी अन्य तारकके लिये हो, वर्णित रकमसे प्रति मास कम न होगी ।

१६ बोटागरी बाण्ड

वही रकम जा

बाण्ड न० १५

में नियत है

१७ दस्तावेज इताल (Cancellation) जिनके द्वारा पहिले, पांच रुपये के दस्तावेज वातिठ किये जाय ।

और भी देखो दस्तावेज दस्तबरदारी (न० ५५) (Reverse) रेवोकेशन आफ सेटेलमेण्ट (न० ५८ बी) और घापली पट्टा (न० ६१) और रेवोकेशन आफ ट्रस्ट (न० ६४ बी)

१८ सर्टीफिकेट आफ सठ—(हर चीजके लिये जो अलार्डिया नीलाम की गई है) जो किसी ऐसी जायदादके खराददारको, जो

किसी दीवानी या मालकी अदालत या कलेक्टर या अन्य मालके
 हाकिमके हुकमसे, आम नीलाममें बेची गई हो, स्वीकृत की गई हो ।

(ए) जब कीमत ख़रीद १००० से अधिक न हो

दो आना

(बी) जब कीमत ख़रीद १० से अधिक हो किन्तु २५
 से अधिक न हो

चार आना

(सी) अन्य सूक्तोंम

न० २३ के अनुसार

१९ सर्टिफिकेट या अन्य दस्तावेज किसी कम्पनी या
 कारपोरेट सस्थाके हिस्से आदिके सम्बन्धमें

एक आना

२० चार्टर पार्टी—जहाज़ या उसका कोई हिस्सा किराये
 पर देना ।

एक रुपया

२१ चेक [जैसा दफा २ (७) में बयान किया गया है]

एक रुपया

२२ काम्पोजीशन डीड-यानी कोई दस्तावेज जो कर्जदार द्वारा
 लिखा जाय, जिसके द्वारा वह अपनी जायदादको महाजनके लाभके
 लिये मुन्तकिल करे या जिसके द्वारा कर्ज पर काम्पोजीशन या डिवी-
 डेण्टकी अदाइ महाजनके लिये सुरक्षित करे, या जिसके द्वारा कर्ज-
 दारके व्यवसायके आरम्भ रहनेकी, इन्स्पेक्टरके प्रबन्धके मातहत या
 महाजनके फायदेके लिये लायसेन्सके पत्रके अनुसार व्यवस्थाकी गई हो ।

दस रुपये

२३ बयनामा—(दफा २ (१०) की परिभाषाके अनुसार) जो
 वह इन्तकालनामा न हो, जिस पर (न० २२) के अनुसार महसूल
 लगाया जाता हो या माफ़ कर दिया गया हो ।

जब रक़म बयनामा ५० रु० से अधिक न हो ।

आठ आना

जब वह रु० ५० से अधिक हो किन्तु अधिक न हो रु० १००)से

एक रुपया

१००	"	"	२००	दो रुपये
२००	"	"	३००	तीन रुपये
३००	"	"	४००	चार रुपये
४००	"	"	५००	पाच रुपये
५००	"	"	६००	छ. रुपये
६००	"	"	७००	सात रुपये
७००	"	"	८००	आठ रुपये
८००	"	"	९००	नी रुपये
९००	"	"	१०००	दस रुपये

१०००) के ऊपर प्रत्येक ५००) रुपये या उसके किसी

भाग पर ।

पाच रुपये

अपवाद

कापी राइटका इन्तकाल, जो कि भारतीय कापी राइट ऐक्ट
 १८५७ की दफा ५ के अनुसार दाखिले द्वारा किया जाय ।

को पारटेनगशिय डीट-वेखो पारटेनरशिप न० ४६ ।

२४ नकल या उद्धरण किसी कागजका, जिस पर किसी सरकारी पदाधिकारीके हुक्मके अनुसार या उसके हाथसे उस नकल या उद्धरणका सही होना तस्दीक किया गया हो और जिसके सम्बन्धमें प्रचरित कानूनके अनुसार कोईकीस वाजिबुत अदा न हो ।

(१) यदि असल दस्तावेज महसूल लगाये जानेके काबिल न हो या वह महसूल जो इस पर लगाया जानेको हो, एक रुपयेसे अधिक न हो ।

भाठ गाना

(२) अन्य सूत्रतम

“ ...

एक रुपया

अपवाद

(ए) किसी कागजकी नकल, जिसके बनाने या सरकारी दफ्तरमें रखने या किसी अन्य सरकारी कार्यके लिये रखनेका हुक्म हो ।

(बी) नकल या उद्धरण, किसी रजिस्टरकी, जो पैदायश या वैपत्तिस्मा या नाम या समर्पण, या शादी [त्याग, मौत, और अन्तिम सस्कार] सम्बन्धी हो ।

२५ सुसत्रा या डुप्लीकेट ।

(ए) यदि महसूल एक रुपयेसे अधिक न हो ।

वही महसूल —

— जो असलपर देना हो

(बी) अन्य सूत्रतम

एक रुपया

अपवाद

किसी पट्टेका सुसत्रा जब (ए) वह किसी काश्तकारको दिया गया हो और वह पट्टा महसूलसे बरी हो ।

२६ कस्टम बाण्ड (इकरारनामा चुंगी)

(ए) जब रकम १०००) से अधिक न हो ।

बाण्ड न० १५ के अनुसार

(बी) अन्य सूत्रतम

पाच रुपये

२७ टेबेञ्चर (चाहे रेहननामेका टेबेञ्चर हो या न हो) जो एक क्तिफालतनामा काबिल खरीद व फरोखत हो, और जिसका इत्काल —

(ए) दरतखर्ता या इत्कालक अलाहिदा दस्तावेज द्वारा होसके

न० १५ के

बाण्डके अनुसार

(बी) बज्रिये हगालगी हा सके

न० २२ के

बाण्डके अनुसार

व्याख्या—शब्द 'टेबेञ्चर' म सूदका प्रत्येक कूपन जो उसके साथ लगा हो शामिल है, किन्तु इन कूपनको रकम महसूलके तय मीना करनेम शुमार न किया जायगा ।

अपवाद

होई पेना डेबेञ्चर, जो किसी कम्पनी या सनद प्राप्त सस्थाकी ओरसे बतौर एकर रजिस्ट्रीशुदा रेहननामके जारी क्रिया जाय और बशर्त कि वनपर उा डेबेञ्चरोंकी पूरी ताददके भावत, जो उसकी रूसे जारी किये जाय, स्टाम्प लगा हो, तो उसको बिनापर कम्पनी या उक्त सस्था जो कर्ज लेना चाहती हो, अपनी जायदाद डेबेञ्चर के अधिकारिया के लाभके लिये समस्त या उसका कुछ अन्य ट्रस्टियोंके हवाले करदे। किन्तु यह नियम है कि जो डेबेञ्चर इस प्रकार जारी किये जाय, उनका बतौर रेहननामा मजसूरके जारी होना पाया जाता हो।

और भी देखो चाण्ड (नं० १५) और दफायें ८ और ५५ डेक्लेरेशन आफ् एनी ट्रस्ट—देखो ट्रस्ट नं० ६४

२८ माल सम्बन्धी डेक्लेररी आर्डर, जव मालकी कीमत २०)से एक आना अधिक हो

डेपोजिट आफ् टाइटिल डीड्स (देखो नं० ६) हिस्सेदारीकी अलाहिदगी—(देखो नं० ४६)

२६ त्याग या तलाक, यानी वह दस्तावेज जिसके द्वारा कोई व्यक्ति एक वया अपनी शादीका सम्बन्ध तोडता है

३० किसी हाईकोर्टके रोलमें, किसी एडवोकेट, वकील या अटार्नी का दाखिला

(ए) एडवोकेट या वकीलकी सूरतमें

५००)रुपये

(बी) अटार्नीकी सूरतमें

२५०)रुपये

अपवाद

किसी एडवोकेट, वकील या अटार्नीका हाईकोर्टके रोलमें दाखिला, जव वह हाईकोर्टके रोलमें पहिले दाखिल किया जाचुका हो।

३१ तबादिला जायदाद (Exchange of Property) वरी महसूद—

—जो बयनामा (न०२३ म) निरत है। जिसरी रकम मवाना जया दादरी मालियतक बराबर हो, जो हस्व तफरीक दस्तावेज मजसूर सबी ज्यादा मालियतका हो

३२ दस्तावेज भावजा मजीद (Further change) यानी वह दस्तावेज जो रेहननामकी जायदाद पर और अधिक भावजा कायम करे

(ए) जव असली रेहननामा उस किसमसे हो, जिसका वर्णन अर्दि वरी महसूद किल के एकाज (ए) में आया है (यानी मय कब्जा) जव बयनामा—

—(न०२३)में है उस रकमपर जो उस दस्तावेज द्वारा लगाये हुए अधिक मात्रजे के बराबर हो

(बी) जव ऐसा रेहननामा उस किसमसे हो जिसका वर्णन अर्दि किल के एकाज (बी) में है (यानी चिला कब्जा)

१ यदि अधिक भावजेके दस्तावेजके तामीलके समय, जायदादका वही महसूद कब्जा दे दिया गया है, या उस दस्तावेजके अनुसार कब्जा- देनेका जो बयनामा मुभाहिदा कर लिया गया है। (न०२३) में है—

१—उस रकमपर जो उस कुल रकमके बराबर हो (रेहनकी रकम और अधिक मात्रने के सहित) उस महसूदको निशान्तर जो असल रेहन और अधिक मात्रने पर पहिले चुका दिया गया हो

२ यदि उस प्रकार कबजा न दिया गया हो वही महसूल—
— जो बाण्ड न० १५में नियत है उस रकमपर जो उस दरतापत्र द्वारा बतार अधिक मात्रने क लिया गया हो

३३ हिय तामा अर्थात् दानपत्र— जो सेटेलमेण्ट (न० ६८) या वसीयतनाम या इन्तकाल (न० ६०) के अतिरिक्त हा महसूल बयनामा (१० २३) के अनुसार—
उस रकम मात्रने पर जो दास्तापत्रम गणित जायदादकी कीमतके बराबर हो

३४ इषारायननामा अर्थात् हरजाना मुकसान दिलाया जाना वही महसूल जो—
(Indemnity Bond) —जमानतनामा (न० ५७) म उस रकम पर नियत है ।

३५ पट्टा—जिसमें कोई पट्टा जिमनों या कोई पट्टा शिकमी या कोई इकुरार तहरीर पट्टा या पट्टा शिकमी दाखिल है ।

(ए) जब इस पट्टे द्वारा रकम लगान नियत हो जाय, किन्तु कोई नजराना अदा या हवाला न किया जाय ।

(१) जब पट्टेके मजमूनसे एक सालसे कम मियादके लिये वही महसूल—
पाया जाय । —जो बाण्ड (न० १५) म है उस तयाम रकमपर जो इस पट्टेके अनुसार बाजितुअदा या हवालगीके है

(२) जब पट्टेके मजमूनमें यह पाया जाये कि वह एक चरससे बहा महसूल अधिक किन्तु तीन चरससे अधिक नहीं है —जो बाण्ड (न० १५) म नियत है उस रकम पर जो सालाना ओसत लगानके बराबर हो ।

(३) जब पट्टेसे यह विदित हो कि वह तीनसालसे अधिक मियादकी महसूल—
केलिये है । —जो इतकाल (न० २३) में नियत है, उस रकम पर जो निश्चित लगान के सालाना ओसत लगानके बराबर हो ।

(४) जब पट्टेसे यह विदित हो कि वह किसी निश्चित मियादके वही महसूल—
लिये नहीं है । —जो इतकाल (न० २३) म नियत है उस रकम पर जो उस सालाना ओसत लगान के बराबर हो जो अदाकी जायगी प्रथम दस बयम यदिपट्टाउतने दिन तक जायी रहे ।

(५) जब पट्टेके मजमूनसे यह विदित हो कि पट्टा सदाकेलिये है वही महसूल—
—जो इतकाल (न० २३) में नियत है, उस मबाने परजो उस रकमके पाँचवें हिस्से के बराबर हो, जो उस पट्टे क अनुसार प्रथम ५० साल म बतारलगान अदा करना हागी ।

(बी) जब कोई पट्टा किसी जुमाने या नजराने या रकम बहा महसूल पेशगीपर दिया गयाहो और कोई लगान निश्चित न किया गया हो जो इतकाल—
—(न० २३) में नियत है उस मबाने पर, जो उस रकम के बराबरहो, जो पट्टेमें बतार जुमाना नजराना या रकम पशगा का बयन किया गया हो

(सी) जब कोई पट्टा किसी जुमाने या नजराने या रकम वही महसूल प शगीपर दिया गया हो और इनके अतिरिक्त लगान भी निश्चित जो उस रकमके लिये— किया गया हो । —(न०२३) में नियत है उस मात्रजेपर जो पट्टमें वर्णित जुमाने, नजराने या रकम पेशगाके बराबर हो, मय उस महसूलके जो उस पट्टे पर लगाया जाता यदि उस पर कोई जुमाना नजराना, या पेशगी रकम न आयदनी गई होती । नियम यह है कि जब किसी इकरारनामा तहरीर पट्टेपर स्थग्न रमीद (यानी एडोवोलेन्स) जो पट्टके लिये नियत है लगाया जाय सिला उस इकरारके पट्टा बादरी लिखा जाय तो ऐसे पट्टका महसूल 11) से अधिक न होगा ।

अपवाद

(ए) पट्टा, जो किसी काश्तकारके दफ्तरमें लिखा गया हो और वह पट्टा काश्तकारीके निमित्त हो (जिसमें ऐसे पोर्षोंका पट्टा भी शामिल है जिनसे खाने या पीनेकी चीजें पैदा हो) बिना किसी जुमाने या नजरानेकी अदाईके, और जब कि निश्चित मियाद नियत कर दी गई हो, जो एक वर्षसे अधिक न हो या जब कि निश्चित किया हुआ सालाना लगान १००) से अधिक न हो ।

(वां) मछलीके शिकारके पट्टे, जो बरमा फिशरीज १८७५ या अपरचरमा लैण्ड रेवेन्यू रेगुलेशन १८८९ के अनुसार स्वीकृत किया गया हो ।

३६ हिस्सोंकी नियुक्तिका पत्र

३७ चिट्टी सिफारिसी (Letter of credit)

३८ दस्तावेज परधानगी (Letter of License) यानी ऋणी

और महाजनके मध्यका इकरारनामा, जिसके अनुसार महाजन ऋणी को कुछ समयके लिये व्यवसाय करनेकी आज्ञा दे ।

३९ याददास्त शराकत कम्पनी (Memorandum of Association of Company)

(ए) यदि उसका साथ इण्डियन कम्पनीज ऐक्ट १८८२ की दफा ३७ के अनुसार आर्टिकल आफ् परोसियेशन शामिल हो

(बी) यदि वह शामिल न हो

एक आना

एक आना

दस रुपये

पंद्रह रुपये

चारोंस रुपये

अपवाद

किसी कम्पनीकी याददास्त, जो फायदेके लिये न लिखी गई हो, और इण्डियन कम्पनीज ऐक्ट १८८२ के अनुसार जिसकी रजिस्ट्री न हुई हो

४० रेहननामा—जो अधिकार पत्रके जमा कर देने या गिरवीके सम्बन्धमें इकरारनामा (न०६) वोटोमरी बाण्ड (न०१६), रेहननामा फसल (न० ४) रेस्पाण्डेण्डिया बाण्ड (न० ५६) या जमानतनामा (न० ५७) न हो

(ए) जब रेहननामों की हुई जायदादका कब्जा या उसके वही महसूल की भागका कब्जा मुर्तहिन द्वारा दे दिया गया हो या देनेका जो इत्तफाक आहिदा कर लिया गया हो ।

—(न० २३) म नियत है

उस मवाजेपर जो उस रकमके तयार हो जो उस दस्तावेज द्वारा ली गई है ।

(बी) जब ऊपर बताये अनुसार कब्जा न दिया गया हो वही महसूल देनेका मुआहिदा न किया गया हो । (अर्थात् ब्याज रेहनमें) जो वाण्ड(न० १५) —

—म नियत है उस दस्तावेज द्वारा प्राप्त का जाने वाली रकम पर

ब्याख्या—जब कोई मुर्तहिन, राहिनको लगान वसूल करनेका प्रकार बजारिये मुस्तारनामा दे देता है या रेहननामों की जायदाद उसके किसी हिस्से का पट्टा कर देता है, तो इस आर्दिनालके अर्थ अनुसार यह माना जाता है कि उसने जायदादका कब्जा दे दिया है ।

(सी) जब रेहननामा एक जिमनी या तार्ईदी, या मजीद या दल जमानतनामा हो या उपरोक्त अभिप्रायके लिये बतौर एक एक जमानतनामोंके हो यदि असली या प्रारम्भिक जमानतनामों पर बत स्टांप लगा हो—हर एक दस्तावेज द्वारा प्राप्त की हुई रकमके जो १०००) से अधिक न हो

आठ आना

या १०००) के ऊपर प्रत्येक १०००) या उसके किसी भाग पर

आठ आना

अपवाद

(१) उन व्यक्तियों द्वारा लिखे हुए दस्तावेजात, जो लैण्ड प्रमेण्ट लॉन्स ऐक्ट १८८४के अनुसार रकम पेशगी चाहते हो या उनके जमानतदारों द्वारा उस रकम पेशगीके अदा कर देनेके सम्बन्धमें लिखे गये हो ।

(२) गिरवीपत्र मय हुडी (Bill of exchange) के साथ ५१ रेहननामा फसल-जिसमें कोई ऐसा दस्तावेज शहादत शामिल हो कि किसी ऐसे कर्जके प्रसूलयावी के इकरारनामोंके सम्बन्धमें हो जो वही रेहननामों फसल पर लिया गया हो चाहे रेहननामोंके समय लका अस्तित्व हो या न हो ।

(ए) जब दस्तावेजकी तारीखसे कर्ज तीन माहसे अधिक एक आना कम देय न हो—प्रत्येक रकमके लिये जो प्राप्त की गई है और जो २००) अधिक न हो प्रत्येक २००) और उस ऊपर उसके किसी भाग पर एक आना

(बी) जब कर्ज दस्तावेजकी तारीखसे तीन माहके बाद देय किन्तु १८ माहके बाद देय न हो ।

प्रत्येक रकमके लिये जो १००) से अधिक न हो

दो आने

प्रत्येक १००) और उसके ऊपर १००) या उसके किसी हिस्से दो भागों के लिये ।

४२ नोटेरियल ऐक्ट-कोई दस्तावेज या सही या नोट या तस्दीक एक स्या या चार्टीफिकेट या दाखिला सिवाय प्रोटेस्ट (न० ५० के, जो किसी नोटरी पब्लिक द्वारा, अपने आफिसके कर्तव्यकी तामीलमें या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो कानूनन बतौर नोटरी पब्लिक कामकर रहा हो लिखा या सही किया गया हो ।

४३ नोट या याददाश्त, जो कोई दलाल या कारिन्दा अपने मालिक के पास व इत्तला इस अमरके भेजे, कि मालिक मजकूरकी तरफसे इस जैल खरीद व फरोख्त किया गया है ।

(ए) कोई माल जिसकी कीमत २०) से अधिक हो दो भागों

(बी) कोई सरमाया या जमानतनामा काबिल खरीद या वा पावदी फरोख्त जिसकी मालियत २०)से अधिक हो । इतहायी मिक—

—दार १०) के, सरमाये या जमानतनामेकी मालियतकी हर दस हजारकी रकम पर या उसके किसी हिस्से पर ।

४४ जहाजके मास्टर द्वारा प्रतिवादकी तहरीर भाठ आना

४५ दस्तावेज बटवारा—(दफा २ (१५)) की परिभाषाके अनुसार वही—

—महसूल जो बाण्ड (न० १५) में नियत है उस रकम पर, जो अलाहिदा लिए हुए हिस्से या जायदादके हिस्सेकी फीमत के बराबर हो ।
नोट—सबसे बड़ा हिस्सा, जो जायदादके तक्सीम होजाने के बाद (या यदि दो या अधिक हिस्से बराबर मिलकियतके हों, दूसरे हिस्सोंमेंसे किसीसे कम न हों, तो ऐसे बराबर हिस्सोंमेंसे कोई एक) वह समझा जायगा, जिससे दूसरे हिस्से अलग कर दिये गये हैं ।

किन्तु सदा यह नियम है कि —

(ए) जब कोई तक्सीमनामा जिसमें यह इक्कार हो कि जायदाद अलाहिदा अलाहिदा हिस्सोंमें तक्सीम कर दीजायगी, तक्मील पाये, आर इस इक्कारके अनुसार बटवारा किया जाय, तो जो महसूल इस दस्तावेज पर लगाया जाना चाहिये था कि जिसके जरिये से सब बटवारा किया जाय उससे वह महसूल निकाल दिया जायगा, जो दस्तावेज अब्जल में अदा किया गया हो, किन्तु वह आठ आनेकी कम न होगा ।

(बी) जब जमीन बन्दोबस्त मालगुजारी पर इतनी सुदतके लिये, जो तीस वर्षमें अधिक न हो लीजाय, और कुछ मालगुजारी अदा करदी जाय करे, तो महसूल लगाते के लिये, जो रकम शुमारकी जायगी वह सालाना मालगुजाराके पांच गुनासे अधिक न होगी ।

(सी) जब बटवारेके अन्तिम हुक्म पर जो किसी दानिम माल या किसी अदायत दैवानिने दिया हो या किसी सन्धिपत्रके फ़ैसलेपर जिसम बटवारेका हुक्म हो, ऐसा स्टाम्प लगा हो, जो दस्तावेज बटवारेमें लगता है और एक दस्तावेज बटवारा उठी हुक्म या फ़ैसलेके अनुसार बाद तकमिल पायाहो तो उस दस्तावेजपर महसूत्र आठ आनेसे अधिक न होगा ।

४६ दस्तावेज़ शराकत

(ए) दस्तावेज शराकत

- (१) जब शराकतका सरमाया ५००) से अधिक न हो दो रुपये आठ आने
(२) अन्य सूरतमें दस रुपया

(बी) दस्तावेज भलाहिविगी शराकत

४७ बीमा (Policy of Insurance)

यदि अकेले यदि इन्सुरेन्स
कीगई हो म लागई हो
तो प्रत्येक भाग
के लिये

ए—समुद्री बीमा (देखो वफ़ा ७)

(१) किसी जहाजी सफ़रके लिये या सफ़र पर

(ए) जब प्रेमियम बीमाकी हुई रकमके भाउधे एक आना भाध आना
हिस्सेसे अधिक न बढ़ा की गई हो

(बी) अन्य सूरतमें एक हजार रुपयेपर या उसके किसी भाउपर दो आना एक आना

(२) वक्त के लिये

(सी) एक हजार या उसके किसी भागके लिये

जब बीमा ६ माहसे अधिक का न हो दो आना एक आना

जब बीमा ६ माहसे अधिक किन्तु १२ माहसे अधिक न हो चार आना दो आना

बी—अग्निका बीमा

(१) असली पालिसीके सम्बन्धमें

(ए) जब बीमेकी रकम ५०००) से अधिक न हो आठ आना

(बी) अन्य सूरतमें एक रुपया

(२) असली बीमेके नये हानेपर किसी प्रेमियम की बढ़ाई की प्रत्येक रसीदा के लिये धमे —जसली बीमेका सूरतमें दिय जानेवाले महसूलका आधा महसूल पर रकमके, जिसपर न० ५२ के अनुसार महसूल लगाय जानेके योग्य है ।

(सी) दुर्घटना तथा बीमारीका बीमा

(ए) रेलवे यात्राका बीमा—जो केवल एक यात्राके लिये जायज है एक अना

अपवाद

जब किसी रेलवे के तीसरे या ह्यूरोडे दजेम सफर करनेवाले यात्री के सम्बन्धमें जारी किया गया हो

(बी) अन्य सूत्रमें-जत्र रकम १०००) से अधिक न हो, प्रत्येक दो आ १०००) या उसके भागके लिये

(डी) जिन्दगीका बीमा या अन्य बीमा जब बीमेकी रकम १०००) से अधिक न हो, प्रत्येक १०००) पर या उसके किसी भागपर

(१) यदि अकेला लिया गया हो

छ आने

(२) यदि डुप्लीकेटमें लिया गया हो तो प्रत्येक भागके लिये

तीन आने

अपवाद

जीवनके बीमे, जो भारतीय पोस्ट आफिसके डाइरेक्टर जनरल उन नियमोंके अनुसार जो गवर्नमेण्ट आफ इण्डियाके अधिकार पर पोस्टल लाइफ इन्स्यूरेंसके लिये जारी किये गये हैं, मंजूर किये गये हों।

ई—किसी इन्स्यूरेंस कम्पनी द्वारा दुबारा बीमा, जिसने किसी खासुद्रिक या अग्नि सम्बन्धी बीमाको स्वीकार किया हो, किसी दूसरी कम्पनीके साथ, घतरीक हानि देने या गारण्टी देनेके, बाचत किसी असली बीमे या उसके किसी भाग की रकमकी अदाई के, जिसका बीमा किया गया हो —असली बीमेके सम्बन्धमें लगाये जानेवाले मसुक्तका एक नोपार्ई, किन्तु एक आनेसे कम नहू या एक रुपयेसे अधिक नहीं।

४८ मुसुतारनामा—(दफा २ (२१) की परिभाषाके अनुसार) जो प्रोव्सी (न० ५२) न हो।

(ए) जब किसी एक मामलेके सम्बन्धमें, एक या दो दस्तावेजों की रजिस्ट्री करानेके लिये या एक या अधिक ऐसे दस्तावेजोंकी तामील स्वीकार करनेके लिये किया गया हो। आठ आने

(बी) जब प्रेसीडेन्सी स्माल काज कोर्ट पेक्टकी दफा १८८२ के अनुसार किसी नालिश या कार्यवाहीमें आवश्यक हो आठ आने

(सी) जब, एक मामलेमें, जो उस मामलेके अतिरिक्त हो, जिसका चयान कलाज (ए) में किया गया है, एक आदमी या अधिकको कार्यवाही करनेका अधिकार दिया जाय एक रुपया

(डी) जब पांचसे अधिक आदमियोंको अधिकार न दिया गया हो, एक साथ या अलाहिदा अलाहिदा कारगुजारी करनेके लिये एकसे अधिक मामलेमें या आमतौर पर। पाँच रुपया

(ई) जब पांचसे अधिक किन्तु दससे कम मनुष्योंको, एकसे अधिक मामलेमें या आमतौरपर, एक साथ या पृथक पृथक कारगुजारी करनेका अधिकार दिया गया हो। दस रुपया

(५८९)

(एफ) जन किसी मुख्तारको किसी स्थावर जायदादके देवनेका अधिकार दिया गया हो वही महसूल जो बयनामा (न० २३) में नियत है मानवोरी रकमपर

(जी) अन्य किसी स्वरतग एक रुपया, प्रत्येक अधिकृत मनुष्यके लिये

व्याख्या—इस आर्दिक्टके अभिप्रायके लिये एक से अधिक मनुष्य, जिसका सम्बन्ध एक ही फर्मसे होगा, एक ही मनुष्य समझे जायगे नोट—शब्द—
‘रजिस्ट्रेशन’ में वे तमाम वाम जो रजिस्ट्रीके लिये इण्डियन रजिस्ट्रेशन—
—एक्ट १८७७ क अनुसार आवश्यक हैं, शामिल हैं ।

४९. प्रामिजरी नोट (दफा २ (२२)) की परिभाषा के अनुसार वही महसूल —
—नोबित आर इन्सचेन्ज (न० १३) में नियत है इदुत तलबपर अदाई है
या उससे अर्थ है, उस लिहाजसे जसी सूत हा

नोट—यह मियादी नोट होता है या किसी शर्तपर निर्भर होता है

प्रामेसरी नोट या रुक्ना इ दुलतलब, अर्थात् मागनेपर फोरन अदा २५०—
करनेकी शर्त समझी जाय —तर —) और २५० स १०००) तक =) ऊपर १) यह रसूम ता० है
अवद्वर सा १९२३ से गवनेमण्टके आउरसे जारी हुआ है

५०. प्रोटेस्ट बिल या नोट यानी कोई लिखित घोषणा, जो किसी नोटेरी एक रुपया
पब्लिक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जो उस पर काम करता हो,
किसी बिल आफ इक्सचेन्ज या प्रामिजरी नोटकी गैर अदाईपर तस्दीक
करते हुए, की जाय

५१. जहाजके मास्टरका प्रतिवाद् एक रुपया

५२. राय देनेका अधिकार (Proxy) किसी डिस्ट्रिक्ट या एक आना
लोकल बोर्ड या म्युनिसिपल बोर्ड, या किसी सनदयापता कम्पनी या
स्थानीय अधिकारियों या किसी संस्थाके फण्डके पदाधिकारियोंके चुनाव
में राय देनेका अधिकार ।

५३—रसीद् (दफा २ (२१) की परिभाषाके अनुसार) किसी एक आना
रकम या जायदादके लिये, जिसकी तादाद या कीमत बीस रुपयेसे
अधिक हो

अपवाद

रसीद्

(ए) किसी उचित स्टाम्पसे युक्त दस्तावेजमें दज या नियम
३ के अनुसार बरी किये हुए (दस्तावेज, जो सरकारकी ओरसे लिखे
गये हों) दस्तावेजमें बताई हुई रकमकी रसीद्, या किसी मूलधन या
सूद् या किस्त या अन्य सामयिक अदाईकी रसीद् जो उनके द्वारा
प्राप्त की गई हो ।

(बी) बिना मवाजेके अदाकी हुई किसी रकमकी रसीद्

(सी) किसी काश्तकार द्वारा, किसी लगानकी अदाईकी रसीद, जो उस जमीन पर दिया गया हो, जिस पर सरकारी माल-गुजारी लगाई गई हो, या (फोर्ट सेण्ट जार्ज और बम्बई प्रेसीडेन्सीमें) इनाम भाराजीकी रसीद

(डी) नान कमोशण्ड आफिसर या सम्राटकी फौजके सिपाही या सम्राटकी भारतीय फौज, जब उस हैसियत पर काम कर रही हो या घुड़सवार पुलिस कान्स्टेबलों द्वारा तनख्वाह या एलाउन्स पर दी हुई रसीद

(ई) खानदानी सार्टीफिकेट रखने वालों द्वारा दी हुई रसीद, उन सूरतोंमें जब कि वह व्यक्ति, जिसकी तनख्वाह या एलाउन्ससे रसीदकी रकम पूरी हुई हो, वह कोई नान-कमोशण्ड आफिसर या उपरोक्त फौजोंमें किसी एकका सिपाही हो, या उस हैसियतसे काम करता हो ।

(एफ) पेन्शन या एलाउन्सेजके लिये रसीद, उन मनुष्यों द्वारा जिन्होंने इस प्रकारकी पे-शन या एलाउन्स, किसी नानकमोशन या फौजी सिपाहीकी हैसियतसे काम करते हुए प्राप्त किया हो किन्तु किसी अन्य हैसियतसे नहीं

(जी) किसी मुखिया या लम्बरदार द्वारा लगान या महसूल की घसूलयावी पर दी हुई रसीद

(एच) उस रकम या उस रकमकी सेफ्ट्रीटीज जो किसी बैंकके पास जमाकी गई हो, की रसीद

नियम-यह है कि यदि वह बैंकर से अन्य किसीके पास जमाकी गई हो तो उस पर विचार न किया जायगा ।

यह भी नियम है कि यह अमलाद उस सुस्तमे काम न जायेगा जब कि कोई रकम जमाकी गई हो या दी गई हो, किसी हिस्सेके एलाउमेण्टमें या हिस्सेके किसी हुकम पर या किसी सनदयाफता सधामें या किसी ऐसी ही अन्य सधामें या किसी ऐसे डेवेञ्चरके सम्बन्धमें जो खरीद फरोख्तके काबिल हो,

५४ दस्तावेज वापसी जायदाद मरहून

वही मरहून

(ए) अगर माधुजा रेहननामा १००० से अधिक न हो

जो बयनामा

न० २३ में नियत है जिसरी तादादमानना दस्तावेज वापसीके बराबर है

(बी) किसी अन्य सूरतमें

दस रुपये

५५ दस्तावेज दस्तवरदारी—पानी वह दस्तावेज दस्तवरदारी जिसका जिक्र दफ्ता २३ (ए) में किया गया है न हो, जिसके द्वारा

कोई व्यक्ति अपना दावा त्याग दे जो उसको किसी अन्य व्यक्ति या किसी जायदाद खास पर प्राप्त हो

(ए) अगर तादाद या मालियत दावा १००० से अधिक न हो वही महसूल—
—जो बाण्ड (न० १५) में नियत है उस रकमके त्रिये जो दस्तावेज दस्तनदारीमें दर्ज रकमके बराबर हो ।

(बी) किसी अन्य सूरतमें

पांचरूपये

५६ रेस्पाण्डेण्टिया बाण्ड—यानी कोई दस्तावेज जिसके द्वारा वह महसूल किसी ऐसे माल पर जो जहाजमें लादा गया हो या लादा जानेवाला जो बाण्ड (न० १५) में कर्ज लिया जाय और उसमें यह शर्त हो कि वह कर्ज उस वक्त १५) में नियत अदा किया जायगा, जब कि माल अभीष्ट बन्दरगाह पर पहुँचे । है, प्राप्त की हुई रकम पर ।

५७ जमानतनामा या रेहननामा—जो किसी ओहदेके उचित पालन, या किसी रकम या भय जायदादका हिसाब देवेक, जो उस ओहदे पर प्राप्त हो, या किसी ठेकेके उचित रीति पर पूर्ण करनेके सम्बन्धमें बतौर जमानतनामेके लिखा गया हो

(ए) जब प्राप्तकी हुई रकम १००० से अधिक न हो वही महसूल जो—
— बाण्ड (न० १५) में नियत है प्राप्त किये हुए धनके बराबर धन पर ।

(बी) किसी अन्य सूरतमें

पांचरूपया

अपवाद

बाण्ड या दूसरा दस्तावेज जन कि तकमील पाये

(ए) सुपियों द्वारा, जो कि बगाल ऐक्ट भावपाशी १८७६ की दफा ९९ के अनुसार बनाये हुए नियमापर नामजद किये गये हैं, और उस ऐक्टके अनुसार अपने कर्तव्योंका पाठन करनेके लिये, लिखे गये हैं ।

(बी) किसी व्यक्ति द्वारा, इस बातकी गारण्टी देनेके लिये कि स्थानीय आमदनी जो खानगी चन्दा द्वारा प्राप्त होती है, किसी धमाप दवाखाने, अस्पताल, या किसी अन्य जनताके लाभके लिये, यह नियत मासिक रकमसे कम न होगी ।

(सी) बम्बई भावपाशी ऐक्ट १८७९ की दफा ७० के अनुसार गवर्नर बम्बई सपरिपद द्वारा किये हुए नियमोंमें से न० ३-पके अनुसार

(डी) उन व्यक्तियों द्वारा, जो तरफकी भाराजी कर्न ऐक्ट १८८३ या कृषक ऋण ऐक्ट १८८४ के अनुसार तरफावे लेते हैं या जामिनाकी तरफसे, जो तरफावेकी अदाईसे इतमीनानके लिये होते हैं

(सी) दस्तावेज बीमाका

(डी) गवर्नमेण्ट आफ इण्डियाकी सेक्यूरिटीज

६३ इन्तकाल पट्टा-जो षतीर इन्तकाल हो न कि शिकमी पट्टे की तरह हो । वही महसूल जो बयनामा (न० २३) के लिये नियत है जिसका मावजा इन्तकालके मावजेके परावर हो ।

अपवाद

इन्तकाल किसी ऐसे पट्टेका जो खुद महसूलसे बरी हो ।

६४ अमानत (Trust)

(ए) किसी जायदादके सम्बन्धमें दस्तावेज इस्तकरारिया जो ऐसी तहरीर द्वारा किया गया हो, जो बसीयतनामा न हो । वही महसूल जो बाण्ड (न० १५) में नियत है, जिसकी रकम जायदाद मुफरिसलह दस्तावेजकी तादाद या मालियतके परावर हो, किन्तु २५ से अधिक न हो ।

(बी) किसी जायदादके सम्बन्धमें दस्तावेज तनखीख अमानत वही महसूल जो ऐसी तहरीर द्वारा किया गया हो, जो बसीयतनामा न हो । जो बाण्ड—
—(न० १५) में नियत है जिसकी रकम जायदाद मुफरिसलह दस्तावेजकी तादाद या मालियतके परावर हो किन्तु १० से अधिक न हो ।

६५ मालका चारण्ट—रानी वह दस्तावेज जिसके द्वारा किसी चार आना व्यक्तिके, जिसका नाम उसमें लिखा हो या उसके प्रतिनिधियोंके, या उस व्यक्तिके, जो चारण्टका अधिकारी हो, अधिकारकी राहादत हो, जो किसी ऐसे मालके सम्बन्धमें हो जो किसी डाक (Dock) या मालगोदाम या माल उतरनेके घाट पर मौजूद हो । ऐसा दस्तावेज उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओरसे जिसकी सरक्षामें वह माल हो तस्वीक या सनद किया हुआ होना चाहिये ।

नोट—हमने भाइयोंके सुभीतेके लिये इण्डियन स्टाम्प ऐक्टका पहला शिक्कूल इसलिये दे दिया है कि उनकी स्टाम्प जानने सम्बन्धी असुविधाएं दूर हो जाय यदि अधिक जाननेकी इच्छा हो तो 'हिन्दी-लॉ जर्नल' तथा इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट भिन्न रूपसे देखिये । अब हम इस ग्रन्थको समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि पाठकोंको हमारे इस कार्यसे सहायता प्राप्त होगी ।

इति ।

